

अध्याय न०	नाम	पृष्ठ
७३	सन् १९३३ ई० का राजनैतिक आन्दोलन	६७६
७४	महात्मा गांधी का २१ दिन का उपवास	६८३
७५	व्यक्तिगत सत्याग्रह	६८६
७६	गांधीजी का फिर से अनशन	६९१
७७	साम्प्रदायिक निर्णय पर मतभेद	६९१
७८	बम्बई का कांग्रेस अधिवेशन	७०३
७९	प्रान्तों में कांग्रेस सरकारों की स्थापना	७०७
८०	कृषक तथा मजदूर आन्दोलन	७१८
८१	सन् १९३८ ई० का कांग्रेस अधिवेशन	७२२
८२	द्वितीय महासुदूर शरीर-कांग्रेस की नीति	७२२
८३	व्यक्तिगत सत्याग्रह	७२७
८४	क्रिस्स योजना	७३१
८५	भारत छोड़ा आन्दोलन	७३७
८६	बंगाल का भीषण अकाल	७५७
८७	महात्मा गांधी का उपवास	७५७
८८	गांधी जिज्ञा वातालाप के पूर्व की स्थिति	७६६
८९	राजाजी का फार्मूला	७७
९०	मुस्लिम राजनीति	७८१
९१	मुस्लिम राज्य संघ की कल्पना	७९
९२	पाकिस्तान की उत्पत्ति	८०१
९३	मि० जिन्ना और पाकिस्तान	८०२
९४	देसाई लिप्याकृत समझौता	८१
९५	शिमला कॉन्फ्रेंस	८१५
९६	ब्रिटेन में मजदूर राज्य की स्थापना	८१८
९७	केबिनेट मिशन	८२१

	नाम	प्रष्ठ
१८	केबिनेट मिशन और अन्तर्जातीय सरकार	८२६
१९	संविधान सभा का संगठन	८५०
२०	रेडक्लिफ महोदय का नियुक्त-देश विभाजन	८५१
२१	सांख्यिक उपग्रह	८६१
२२	खैरिदपुर राज्य	८७२
२३	देश विभाजन और विशाल जन-समूह का आवागमन	८६६
२४	देशी राज्यों का विलीनीकरण	८८७
२५	हैदराबाद की समस्या	८६०
२६	कारमीर	८६२
२७	महारमा गांधी की हत्या	८६६
२८	भारत का समानतन्त्र का सदस्य होना	९०७
२९	भारत सर्वोच्चमहाधारी स्वतन्त्र जनतन्त्र की स्थापना	९०६



# भूमिका



सैकड़ों वर्षों के बाद भारतवर्ष को पूर्ण स्वातन्त्र्य प्राप्ति का सुखवसर प्राप्त हुआ है। मानव-जाति के इतिहास में यह एक चिरस्मरणीय घटना रहेगी। इस शुभ घटना ने भारतवर्ष को संसार के महान् रघतन्त्र राष्ट्रों की पंक्ति में ला खिटाया है। अगर हमारे शासकगण इस स्वर्ण अवसर का योग्य ढंग से उपयोग करें और हमारे प्राचीन आदर्शों के साथ वर्तमान आदर्शों का समन्वय कर शासनसूत्र का संचालन करें तो यह निःसन्देह विश्वास किया जा सकता है कि भारतवर्ष संसारको एक नवीन संदेश देकर मानव जाति के आध्यात्मिक और भौतिक प्रगतिके मार्ग को प्रकाशमान कर सकता है। अगर उसके शासकगण इस देश की संस्कृति और परम्परा की अवहेलना कर केवल मात्र विदेशी विचारधारा के प्रभाव में बहते रहें तो इस देश का भविष्य सन्देहास्पद हो जायगा। इसीलिए कवि सत्राट् रवीन्द्रनाथ टैगोर, महर्षि अरविन्द घोष और स्वामी विवेकानन्द प्रभृति महान् विचारकों ने पूर्व-पश्चिम (East-and west) के मधुर सम्मेलन को भारतवर्ष ही क्या, पर सारी मानव जाति के लिए परम हितकर बतलाया है। महात्मा गांधी का तत्त्वज्ञान विशुद्ध भारतीय था और उन्होंने पाश्चात्य सभ्यता की कटु आलोचना कर भारत की प्राचीन मूल्य और आध्यात्मिक संस्कृति पर अपने आन्दोलन की नींव रखी थी।

भारत स्वातन्त्र्य-संग्राम की आत्मा को समझने के लिए उसही पृष्ठ भूमि का ज्ञान होना आवश्यक है। राजा राममोहन राय, स्वामी विवेकानन्द, लोकमान्य तिलक, श्री अरविन्द घोष और महात्मा गांधी

जिन्होंने इस प्राचीन राष्ट्र में नवचेतना और नवप्रकाश का संसार किया; भारतीय संस्कृति को आधार भूत मानकर अपने कार्यक्रम बनाए थे। हाँ, उन्होंने साहसी प्रकाश की आवृत्तना न की। बाहर से जो कुछ उन्होंने लिया उसे अपनी भूमि पर छड़े रहकर धातमगत किया। इन महा पुरुषों के ग्रन्थों से यह बात स्पष्टतया प्रकट होती है।

इन्हीं सब बातों को ध्यान में रखकर मैंने इस ग्रन्थ में भारतीय संस्कृति, प्राचीन भारत की विभिन्न राज्य-प्रणालियाँ, प्राचीन भारत के जनतन्त्रों तथा भारत की प्राचीन मानव हितकारी शासन-प्रणालियों पर भी प्रकाश डालने की चेष्टा की है।

साथ ही मैं प्राचीन गौरवशाली भारत का किस प्रकार और किन कारणों से पतन हुआ, इसका ऐतिहासिक दृष्टि में विचार किया गया है, जिसमें एक हमारे पाठक यह जानें कि जिन कारणों से मध्ययुग में भारतवर्ष का पतन हुआ था, जिनमें वे राष्ट्र को भविष्य में उचाते रहें।

संसार परिवर्तनशील है। प्रकाश के बाद अन्धकार और अन्धकार के बाद प्रकाश आता है। इसी नियमानुसार पराधीन भारत में स्वातंत्र्य भावना की फिर से उभृति घमकने लगी। ईस्वी सन् १८७० के अन्तर्गत कलकत्ते के डिन्टू कॉलेज के विद्यार्थियों और प्रिन्सिपल ने भारतवर्ष के लिए पूर्ण स्वातंत्र्य का समाचार पत्रों में जो आन्दोलन किया था, उसका उद्देश्य भी इस ग्रन्थ में दिया गया है। इसके बाद राजा राममोहनराय, श्री देवेन्द्रनाथ ठाकुर प्रभृति महापुरुषों ने भी भारतीय जनता के राजनैतिक अधिकारों के लिए जोरदार आवाज उठाई। इन महापुरुषों के द्वारा की गई सेवाओं पर भी इस ग्रन्थ में कुछ प्रकाश डाला गया है।

इसके बाद ईस्वी सन् १८५७ के भारतीय स्वातंत्र्य युद्ध पर भी इसमें समुचित प्रकाश डालने का प्रयत्न किया गया है। साथ में यह भी दिखलाया गया है कि किन कारणों से एक समग्र का इतना देश



श्यापी मंगलन असम्पन्न हुआ ।

इंग्नी सन् १८५७ के बाद मडाराष्ट्र आदि प्रान्तों में स्वराज्य और स्वातन्त्र्य भावना का जिस प्रकार उदय और विकास हुआ उसका भी ऐतिहासिक विवेचन इस ग्रन्थ में किया गया है । स्वामी दयानन्द, स्वामी विवेकानन्द प्रभृति महान् विचारकों ने देश की स्वतन्त्र मनोवृत्ति को जगाने में जो बहुमूल्य सहायता दी है, उसका भी यथा अवसर विवेचन किया गया है । लोकमान्य तिलक, लाला लाजपतराय, श्री अरविन्द घोष, बाबू सुरेन्द्रनाथ बनर्जी आदि पुण्य श्लोक महान् नेताओं ने अनेक कष्ट महकर राष्ट्र को उस समय स्वातन्त्र्य भावना के प्रकाश से आलोकित किया था, उम्का मंहिस विधरण भी पाठकों को इस ग्रन्थ में मिलेगा । यहाँ यह कहना आवश्यक है कि उक्त देशभक्त महानुभावों ने अपने अनुपम त्याग कष्ट महन और दूरदर्शितापूर्ण राजनीति के द्वारा महात्मा गांधी के आन्दोलन के लिए त्वरा भूमि तैयार कर रक्की थी ।

बंगभग के आन्दोलन ने भी स्वराज्य भावना की ज्योति को अधिक प्रज्वलित करने में बड़ी सहायता दी । इस आन्दोलन के नेताओं ने सारे देश में राजनैतिक चेतना फलाने में बड़ा काम किया । इस आन्दोलन में सैकड़ों युवकों का बलिदान हुआ और इस बलिदान से राष्ट्र की आत्मा भी चल मिला । बंगभग के समय और उसके बाद भारत में यत्र-तत्र क्रान्तिकारी आन्दोलन चलते रहे और उनका संपादन अधिकतर नरयुवकों ने किया । इन्हीं क्रान्तिकारी आन्दोलनों को दवाने के लिए सीलेटएक बनाया गया, जिसके प्रिन्साफ देश में घोर आन्दोलन हुआ । इसी समय जलियानवाला बाग का भीषण हत्या काण्ड हुआ, जिसने राष्ट्र की आत्मा को कम्पा दिया । इसके कुछ समय बाद लोकमान्य तिलक का स्वर्गवास हो गया और सारे राष्ट्र के नयुवक का मूत्र महारमा गांधी के हाथ में आया । इन्होंने देश के भारतीय संस्कृति का मूलमत्र अहिंसा को आधारभूत रखकर १

ग्रह का दिव्यास्त्र जनता के सामने रखा । जनता ने उसे अपनाया और यह महान् साम्राज्य ध्वस्त करने का उत्तम षड्योग का सामना करते हुए प्रगति करता गया । संसार इस दिव्यास्त्र से विमुक्त सा हुआ और इसे अन्तर्राष्ट्रीय महानुभूति भी प्राप्त होती गई । मानवता के महान् विद्वान्त पर इसकी नींव रखी गई और इसका उद्देश्य भारत के स्वातन्त्र्य के साथ साथ अखिल मानवजाति का कल्याण था । ईश्वर ने इस आन्दोलन में सहायता दी और हमारे अन्तर्राष्ट्रीय परिस्थितियाँ भी अनुकूल होती गई । विदेश में मजदूर दल का समिन्धल बन जान से भी इस आन्दोलन को बड़ी अनुकूलता मिली । अखिल महात्मा गांधी के इस अभूतपूर्व आन्दोलन को सफलता मिली और देश सैकड़ों वर्षों के बाद सर्वोच्च सत्त धारी जनतन्त्र बनने में समर्थ हुआ । संसार के इतिहास में यह एक अद्भुत घटना समझी जाती है ।

महात्मा गांधी के आन्दोलन के साथ साथ और भी कई प्रकार के आन्दोलन चलते रहे, जिन्होंने अपने अपने ढंग से देश को स्वातन्त्र्य मार्ग पर बढ़ाने में बड़ी सहायता की । इन आन्दोलनों पर भी इस ग्रन्थ में प्रकाश डालने की चेष्टा की गई है।

इस ग्रन्थ के लिखन में मुझे जिन ग्रन्थों से सहायता मिली है, मैं उनका और उनके कर्ताओं का कृतज्ञतापूर्व उल्लेख अन्यत्र कर रहा हूँ ।

इस ग्रन्थ के बाद विदेशों में होने वाले भारतीय स्वातन्त्र्य आन्दोलन पर भी एक स्वतन्त्र ग्रन्थ लिखने के लिये भी सामग्री जमा कर रहा हूँ ।

२३-८-२० }

मुससम्पत्तिराय भन्डारी

# भारतवर्ष और उसका स्वातंत्र्य-संग्राम



## प्राचीन भारत की सभ्यता

अंग्रेजों के संसार प्रख्यात लेखक और चक्रा एण्डमण्ड वर्क का कथन है कि संसार का कोई देश किसी घुरे शासन की आधीनता में उन्नति नहीं कर सकता । किसी देश की सभ्यता तब तक विकसित नहीं हो सकती, जब तक कि उसे यहां की सरकार की योग्य अनुकूलता प्राप्त न हो । वर्क महोदय का यह कथन कितना सत्य है, इसकी साफ़ी संसार का इतिहास दे रहा है । अगर किसी देश ने किसी समय में प्रशंसनीय उन्नति प्राप्त की है और संसार के सामने उसने गौरवपूर्ण होकर अपना भस्त्रक ऊंचा उठाया है, तो यह एक निश्चित बात है कि उस देश की सरकार ने उस समय में उस देश की उन्नति में तथा सभ्यता के विकास में पूर्ण सहयोग दिया होगा । हां, अन्य भी कुछ साधन हैं, जिनसे देश उन्नति के पथ पर आगे बढ़कर अपनी सभ्यता का विकास करता है तथा अपनी गौरव वृद्धि करता है; पर सरकार की अनुकूलता तथा सहायता इन सब में मुख्य है, क्योंकि बिना सरकार की सहायता तथा अनुकूलता के देश की उन्नति तथा विकास में जो बाधाएँ उपस्थित होती हैं उनके प्रमत्त उदाहरण ब्रिटिश भारत में और अन्यत्र कई जगह देखे जाते हैं । हम यह भी देख रहे हैं कि किसी अचानक शासन में प्रजा के उठते हुए उन्नति और स्वाधीनता के भाव किस घुरी तरह से दबाये जाने

हैं और क्रिम तरह प्रजा के भावों को पुच्छलकर उसे ऊँचा उठाने की प्रजाय अन्धेरे गड्ढे में गिराया जाता है। हाँ, यह अवश्य होता है कि मानवीय हृदय में उठने वाले स्वाधीनता और समानता के इन भावों को चाहे कोई सरकार कुछ समय के लिये अपनी आयाचार पूर्ण नीति में दबा दे, पर वह इन भावों का समूह नारा नहीं कर सकती। मानवी अंतःकरण में आश्चर्य दबाये जाने पर भी, किमी विशेष परिस्थिति के कारण, ये भाव भीतर ही भीतर इकट्ठे होते रहते हैं और जब उन्हें अपने आविष्करण का मार्ग नहीं मिलता, तब ये स्फोट की तरह फूट निकलते हैं और वे पहले मानसिक क्रान्ति को उत्पन्न कर फिर उस भौषण क्रान्ति ज्वाला को उत्पन्न करते हैं जिसमें पुरानी शासन पद्धति की आहुति पदकर किमी ऐसी शासन पद्धति का जन्म होता है, जो मानवी स्वाधीनता और समानता की रक्षक होती है और जिसमें मानवी भावों की रक्ष के अनुसार कार्य किया जाता है। फिर एक नया युग शुरू होता है और इसमें मानवी स्वाधीनता के नगारे जोर से बजने लगते हैं, इसमें हर एक मनुष्य को चाहे वह उच्च कुल में पैदा हुआ हो या नीच कुल में, अपनी आत्मा के पूर्ण आविष्करण करने का मौका मिलता है और उसका दृष्टि-बिन्दु हमेशा "उन्नति" रहता है। एक नीच कुल में जन्मा हुआ बालक भी समझने लगता है कि पूर्ण योग्यता प्राप्त करने पर वह इस देश का बड़ा से बड़ा प्रेसिडेंट हो सकता है। महत्वाकांक्षा की यह दिव्य भावना देश के प्रत्येक होनहार नवयुवक के हृदय में एक ईश्वरीय शक्ति का संचार करती है और इससे देश में नयी जान पड़ती है। इससे सभ्यता का आश्चर्यकारक विकास होता है और मानवी आत्मा को उन्नति के पथ पर पहुँचाने वाले साधनों का बहुतायत प्रादुर्भाव होता है। इससे साहित्य, विज्ञान, दर्शनशास्त्र तथा अनेक कला और शिल्प की अपूर्व वृद्धि होती है और वह देश संसार का नेता बनने का अभिमानपूर्ण गौरव प्राप्त कर सकता है। हमारे बहने का मतलब यह कि जहाँ हमें यह मालूम हो कि देश अमुक समय में सभ्यता के सर्वोच्च शिखर पर विराजमान

होकर जगद्गुरु बनने का सौभाग्य प्राप्त किये हुए था, तो हमें यह तत्काल जान लेना चाहिये कि इस समय में उस देश की शासन पद्धति भी अत्यन्त श्रेष्ठ, उदार और दिव्य रही होगी, क्योंकि जब तक किसी देश में शान्ति न हो, लोगों के अन्तःकरण नित्याकुल न हों तथा योग्य मनुष्यों को अपनी बुद्धि और प्रतिभा विकसित करने के अनकूल माधन न मिलें, तब तब ऊँचे २ विचारों का, तत्वों का तथा आविष्कारों का जन्म नहीं हो सकता। सम्भव है कि किसी समय इस देश में अत्याचार पूर्ण शासन रहा हो, पर जिस वक्त इस देश से संसार को प्रकाशित करने वाली दिव्य ज्ञानज्योति का आविष्कार हुआ हो उस समय तो देश की शासन पद्धति अवश्य ही उत्कृष्ट और दिव्य रही होगी।

हम अपने इसी तत्त्व को भारतवर्ष पर लगाना चाहते हैं। यह बात तो प्रत्येक पाश्चात्य विद्वान् भी स्वीकार करते हैं प्राचीन काल में एक समय भारतवर्ष की सभ्यता संसार की सिरमौर थी। भारत ने अपनी दिव्य ज्ञानज्योति से अधकार में गिरे हुए संसार के कई देशों को प्रकाशित करवाया था। यहाँ तत्त्वज्ञान के उन ऊँचे सिद्धान्तों का जन्म हुआ था जिन पर आज हमारी पाश्चात्य संसार भी लट्टू है और वह मुक्त कंठ से यह स्वीकार कर रहा है कि जहाँ उसके तत्वज्ञान का अन्त होता है, वहाँ भारतीय तत्त्वज्ञान का आरम्भ होता है। जब हमारे अभिमानी युरोपियन बन्धु वृत्तों के पक्षों से अपने गरीबों को दूरते थे और असभ्य मनुष्यों की तरह इधर उधर घुमते फिरते थे, तब हमारे भारतवर्ष में ऐसे ऐसे सिद्धान्तों का—ऐसे ऐसे आविष्कारों का—विश्राम हो रहा था जिन्हें किये हमें ही नहीं पर सारी मनुष्य जाति को अभिमान होना चाहिये।

हमारे उक्त कथन की पुष्टि कई सुप्रख्यात पाश्चात्य ग्रन्थकारों के लेखों से होती है। उन्होंने दिखाया है कि प्राचीन काल में भारतवर्ष न संसार में ज्ञान की ज्योति फैलाती थी और पाश्चात्य देशों के तब तक की प्रभृति अन्य देशों के महान् पुरुषों ने यहाँ आकर ज्ञान प्राप्त

क्रिया था। ग्रीक का महान् तत्त्वज्ञानी पायथागोरस हिन्दू तत्त्वज्ञान का अध्ययन करने के लिये यहां आया था और आरामा के आवागमन का सिद्धान्त वह यहाँ से ले गया था। डाक्टर-एनफिल्ड अपनी History of philosophy में लिखते हैं:—

“ We find that it ( India ) was visited for the purpose of acquiring knowledge by pythagoras Anaxarches, pyrrho, and others who afterwards became eminent philosophers in Greece. ”

अर्थात् हम देखते हैं कि हिन्दुस्तान में पायथागोरस Anaxarches और पायरो ( pyrrho ) ज्ञान प्राप्त करने के लिये आये थे। ये महानुभाव ग्रीस के नामाङ्कित तत्त्वज्ञानी हो गये।

इसी ग्रन्थ में आगे चल कर लेखक महाराय कहते हैं:—

“ Some of the doctrines of Greeks concerning nature are said to have been derived from the Indians ”

अर्थात् प्रकृति सम्बन्धी ग्रीक लोगों के कुछ सिद्धान्त, कहा जाता है, हिन्दुओं से लिये गये।

एक स्वेडिन काउन्ट का कथन है:—

“ Pythagoras and plato hold the same doctrine, that of pythagoras being probably derived from India whither he travelled to complete his philosophical studies ”

अर्थात् पायथागोरस और प्लेटो एक ही सिद्धान्त को मानते थे, जो कि हिन्दुस्तान से लिया गया है। पायथागोरस ने अपना तत्त्वज्ञान का अभ्यास पूर्ण करने के लिये हिन्दुस्तान में सफर का था।

प्रोफेसर शोगेल का कथन है ।

“The doctrine of transmigration of souls was indigenous to India and was brought into Greece by Pythagoras.”

पुनर्जन्म का सिद्धान्त हिन्दुस्तान का है और वह ग्रीस में पायथागोरस के द्वारा लाया गया ।

जब ग्रीस में तत्त्वज्ञान का विकास हो रहा था, जब ग्रीक तत्त्वज्ञान में, यूरोप का शिरोमणि माना जा रहा था, तब भारतवर्ष ग्रीस का गुरु माना जाता था और उस समय तत्त्वज्ञान का मूल और निर्मल भरना चहुँ ओर हिन्दुस्थान से ही प्रवाहित होता था । ईसा की दूसरी शताब्दी तक हिन्दू तत्त्वज्ञान का यूरोप में बड़ी कीर्ति फैली हुई थी । यहाँ तक की ग्रीस के दो मशहूर तत्त्वज्ञानी अपनी सब मित्तिकयत अपने एक मित्र को सौंप कर तत्त्वज्ञान का अध्ययन करने के लिये हिन्दुस्तान आये थे । वे व्याख्याओं के मध्य रहकर अपने जीवन का शेष अंश बिताना चाहते थे ।

मि० प्रिन्सेप कहते हैं —

“The fact however that he (Pythagoras) derived his doctrines from India is very generally admitted”

अर्थात् यह बात बहुत ही सरल साधारण तौर से स्वीकृत की जाती है कि पायथागोरस ने अपने सिद्धान्त हिन्दुस्तान से लिये थे ।

सर मॉनियर विलियम ने भी यह बात मुक्कठ से स्वीकार की है कि उपरोक्त दोनों तत्त्वज्ञानी अपने तत्त्वज्ञान के लिये हिन्दुओं के ऋणी हैं । एलेक्जान्डर गॉर्दिलेन्ड का कथन है अपने Pythagoras महान सिद्धन्त वादगाह के साथ भारत गया था और उसका संशयवाद (Scepticism)

योद्ध धर्म से लिया गया है।" रेव्हेरयड वाटं कहते हैं 'यह बात निश्चित है कि पायथागोरस भारत गया था और वह गौतम बुद्ध वा ममकार्वाण था।' प्रोफेसर मेकडॉनल्ड कहते हैं कि —

"According to Greek tradition Thales, Empedocles, Anaxagoras Democritus and others undertook journeys to oriental countries in order to Study Philosophy" अर्थात् ग्रीक दन्तकथाओं के अनुसार थेस एम्पिडोक्लस, एनेसममोगोरस और डिमाक्रेटिस ने तत्त्वज्ञान का अध्ययन करने के लिये पूर्वाय दशों में स्फर की थी। प्रोफेसर मेकडॉनल्ड कहते हैं कि दूसरी और तीसरी शताब्दि में क्रिश्चियन संशयवाद ( Gnosticism ) पर हिन्दू तत्त्वज्ञान का प्रभाव अत्यन्त गिरा था। काउन्ट Bjornstjerna कहते हैं कि ग्रीक तत्त्वज्ञान में बहुत समता पाई जाती है।" हिन्दू लोग तत्त्वज्ञान में ग्रीकों से बहुत चढे बडे थे और इससे हिन्दू ग्रीकों के गुरु थे, न कि शिष्य। मि वॉल्ट्स्क फरमाते हैं —

"The Hindus were in this respect the teachers & not learners" अर्थात् इस विषय में हिन्दू गुरु थे, न कि शिष्य। एक क्रोन्य पडित का कथन है,—

The traces of Hindu philosophy which appear at each step in the doctrines professed by the illustrious men of Greece abundantly prove that it was from the East came their science, & that many of them no doubt drank deeply at the principal fountain अर्थात् ग्रीस के कीर्तिमान महानुभावों के द्वारा प्रकट किये गये सिद्धान्तों में पद पद पर हिन्दू तत्त्वज्ञान के चिन्ह मिलते हैं। उनमें यह बात सिद्ध होती है कि उनका ( ग्रीकों का ) विज्ञान



## प्राचीन भारत की सभ्यता

पूर्वीय देशों से आया था और उनमें से बहुतों ने निःसन्देह मूल स्तोत्र से तत्त्वज्ञान का जलामृत पान किया था ।

इस प्रकार सैकड़ों पाश्चात्य विद्वानों ने हमारे भारतीय तत्त्वज्ञान व माहिन्त की मुक्त कण्ठ से प्रशंसा की है और उन्होंने यह स्वीकार किया है कि तत्त्वज्ञान ( Philosophy ) के दिव्य ज्ञान का गहरना, सबसे पहले यहीं से सारे संसार में प्रवाहित हुआ था और मानवी आत्मा को परम विकास और परमोन्नति की दिव्य अवस्था पर पहुँचानेवाले कई बड़े-बड़े सिद्धान्तों के मूल आविष्कार यहाँ हुए । संसार में सबसे पहले सस्कृति और सभ्यता का प्रकाश यहीं से फैला और यही दिव्य भूमि संसार की सबसे पहली ज्ञानदात्री थी ।



# मोहेंजोदड़ों और प्रागैतिहासिक

## भारतीय सभ्यता

मोहेंजोदड़ों और हड़प्पा में भारत सरकार के पुरातत्व विभाग द्वारा जो खुदाइयों की गई हैं उनसे भारतीय सभ्यता और संस्कृति पर नवीन प्रकाश पड़ा है। अनेक भारतीय तथा विदेशी विद्वानों ने यह स्वीकार किया है कि सिन्धु प्रान्त की सभ्यता, तत्कालीन अन्य देशों से, बढ़कर थी। यह प्रागैतिहासिक सभ्यता का उत्कृष्ट नमूना था। संसार की संस्कृति के इतिहास की विचारधारा को हमने एक नवीन मार्ग दिखलाया है।

मोहेंजोदड़ों से प्राप्त सामग्री से पता लगता है कि यह नगर उस काल में (ईसवी सन् से लगभग ३०००-४००० वर्ष पूर्व) सभ्यता और संस्कृति तथा वैभव के ऊंचे शिखर पर पहुँचा हुआ था। यह सभ्यता सिन्धु प्रान्त तक ही सीमित नहीं थी, बरन्, सर जॉन मार्शल के मतानुसार, इसका प्रभाव गंगा, यमुना, नर्मदा तथा ताप्ती की घाटी तक पहुँची हुई थी। हड़प्पा तथा मोहेंजोदड़ों की खुदाइयों से ज्ञात हुआ कि पंजाब में इस सभ्यता का बड़ा प्रभाव था। उत्तर-पूर्व में इस सभ्यता के अवशेष रूपक तक मिले हैं। देरा जाट, घग्ग, तथा मोव की ओर भी प्रस्तर-ताम्र-युग की वस्तुएं प्राप्त हुई हैं। श्री माधव स्वरूप यरम ने काठियावाड़ की लिम्बडी स्टेट में भी सिन्धु सभ्यता की अनेक वस्तुएं प्राप्त कीं थीं। पश्चिम में नाल (कजाल) बलुचिस्तान के पूर्वी भाग में भी सिन्धु सभ्यता के अवशेष मिले हैं।

समय प्रचलितान अधिक मध्य देग नहीं था, इसलिये वह और सुसंस्कृत देशों की सभ्यताओं से ज्ञान तथा प्रकाश पाता था ।

## मोहेंजोदड़ों का शासन-प्रबन्ध

यहाँ की खुदाइयों से जो गृहमूल्क सामग्री प्राप्त हुई है, उससे यह स्पष्ट ज्ञात होता है कि उस समय सत्तार के देशों में यहाँ का शासन प्रबन्ध सर्वोत्कृष्ट रहा होगा । उस प्रागैतिहासिक युग में शासन और सभ्यता का इतना विकास देल कर सचमुच आश्चर्य होता है । मि० मैके का कथन है कि मोहेंजोदड़ों एक प्रतिनिधि ( Governor ) के अधीन था । कुछ प्रमाणों से यह ज्ञात होता है कि सुविधा तथा सुचारु प्रबन्ध के लिये नगर कई भागों में विभक्त था । प्रत्येक भाग के लिये एक रक्षक नियुक्त था । इन रक्षकों के लिये सड़क के कोनों पर मजान बने हुए थे । एक सड़क के बीच में दीवार बनाकर उसे दो भागों में विभाजित कर दिया गया था । इन सड़कों पर रोशनी ( Light ) का भी प्रबन्ध था । स्थान स्थान पर कूड़ा कर्क रसने के लिये पीपों का रखना, नातियों को ठीक समय पर साफ करना, मकानों का ठीक स्थानों पर बनाना, जल को सुन्दर व्यवस्था करना तथा सड़कों का उचित निराकरण करना आदि बातों से ज्ञात होता है कि मोहेंजोदड़ों में अवश्य कोई जानपद या म्यूनिसिपल बोर्ड था और यहा संस्था नगर के स्वास्थ्य तथा सुविधा के लिये योजनार्थ करती थी । यह बतलाना कठिन है कि शहर में कौन कौन से अफसर थे, किन्तु इनमें शायद ६ मुख्य अधिकारी रहे होंगे जिनका उल्लेख शुक्राचार्य ने शुक्रनीतिसार में किया है या हम नगर में नगररति या कौटिल्य वर्णित 'नागरक' रहा हो । सपाई के लिये अवश्य कोई हीरव आफिसर नियुक्त रहा होगा । नगर की स्वास्थ्य रक्षा के लिये अनेक चमे ही विधान रहें हाने, जिनका रक्षण धर्म शास्त्रों में प्राय मिलता करता है ।

मि० हन्टर का कथन है कि मोहंजोदड़ों में प्रजातन्त्र सरकार थी। प्रजातन्त्र सभा के सदस्य ही सम्भवतः नगर का प्रभुत्व करते थे। इस सभा में अनेक राजनैतिक दलों के गतानुपायी प्रतिनिधी थे। नगर का प्रभुत्व वही सुचारु रूप से संचालित किया जाता है।

### नगर निर्माण-कला का विकास

मोहंजोदड़ों की नगर निर्माण प्रणाली बड़ी सुन्दर और विरग थी। सुविख्यात पुरातत्वविद् श्री दार्चिन महोदय का कथन है कि "मेरी सुन्दर और सुव्यवस्थित प्रणाली संसार के किरा भी प्राचीन देश में देखने की नहीं मिलती।"

नगर निर्माण के समय वहाँ के निवासों उचित स्थान चुनते थे और इसके बाद वे नकशा बनाते थे। इस नकशे में यह दिव्याया जाता था कि कहाँ पर कौनसा भवन बनेगा और किस दिशा की ओर प्रधान सड़कें बनाई जाएँगी। सड़कें एक दूसरी से प्रायः समकोण पर कटती थीं। ये सड़कें बिल्कुल सीधी थीं। एक छम्बो सड़क, जिसको राजपथ नाम दिया गया है, पीन मील तक साफ की गई है। यह सड़क कहीं कहीं पर २३ फीट चौड़ी थी। गलियों ३ फीट से ७ फीट तक चौड़ी होती थीं। प्रधान सड़कों पूर्व से पश्चिम या उत्तर से दक्षिण की जाती थीं। इन सड़कों पर स्थित भवनों की शुद्ध हवा मिलती रही होगी। हवा का एक भौंका एक कौने से दूसरे कौने तक की हवा को शुद्ध कर देता रहा होगा। इधर उधर की सब गलियाँ राजपथ से मिल जाती थीं। प्राय सभी सड़कें समानान्तर हैं। इस समय सबने महत्वपूर्ण सड़क यह थी जो दक्षिण की ओर जाती हुई स्तूप भाग को दो भागों में बाँटती थी। इन सड़कों पर पहिये वाली नौन गादियाँ और पैदल मनुष्य आधी तरह चल सकते थे।

नगर निर्माण की तरह मोहंजोदड़ों तथा हड़प्पा की तन्काहीन

सभ्यता ने और भी अनेक दिशाओं में बढ़ी प्रगति की थी, जिसका उल्लेख सर जॉन मार्शल, डी० ए० मैके, श्री काशीनाथ दीक्षित आदि सहोदरों ने अपने खोजपूर्ण ग्रन्थों में किया है । इसमें सन्देह नहीं किन्धु प्रान्त की खुदाइयों में इतिहासवेत्ताओं के दृष्टिकोण में भारत के प्राचीन इतिहास को एक नवीन रूप प्राप्त हुआ है ।



# प्राचीन भारत का राजकीय विकास



प्राचीन भारत में न केवल आध्यात्मिक, साहित्यिक और आदर्शनिक विषयों में प्रगति की थी, पर उसने राजनीतिक विषय में भी यही उन्नति की थी। जब से काँटिल्य के 'अर्थशास्त्र' का प्रकाशन हुआ है, तब से संसार के विचारशील व मनस्वी सज्जनों का भारतीय राजनीति के विषय में बड़ा मत परिवर्तन हो गया है। उस समय से हम दिशा में इतिहास के विद्वानों द्वारा काफी अन्वेषण हुए और तत्कालीन राजनीति पर बहुत कुछ प्रकाश टाला गया। सुप्रसिद्ध इतिहास लेखक श्रीयुत काशीप्रसाद जायसवाल, श्री घोपाल महोदय, श्री विनयकुमार सरकार, श्री प्रमथनाथ बनर्जी, श्री नगेन्द्रनाथ गुप्त आदि कई इतिहास के धुरन्धर विद्वानों ने इस विषय पर अन्वेषणात्मक ग्रन्थ लिख कर यह दिखलाया है कि भारतवर्ष ने जनतन्त्र के विकास में उम्र समय की परिस्थिति के अनुसार, यही प्रगति की थी।

सुप्रसिद्ध इतिहासवेत्ता श्रीयुत काशीप्रसाद जायसवाल अपने अन्वेषणात्मक ग्रन्थ "Hindu Polity" में लिखते हैं—

“हमें इस विषय का ज्ञान प्राप्त कराने वाले साधन हिन्दू साहित्य के विस्तृत क्षेत्र में मिलते हैं। वैदिक, संस्कृत तथा आहत ग्रन्थों और इस देश के शिक्षालयों तथा निक्कों में रहित लोगों से हमें इस विषय की बहुत सी बातें ज्ञात होती हैं। मौमान्यपरा हम समय हमें हिन्दू राजनीति शास्त्र के कुछ मूल ग्रन्थ भी उपलब्ध हैं। ये थोड़े से ग्रन्थ

इस विशाल ग्रन्थ भण्डार का अवशेष मात्र है, जिन्हें समय समय पर हिन्दू भारत के अनेकानेक राजनीतिज्ञों और शासकों ने प्रस्तुत किया था। इस प्रकार के अवशिष्ट ग्रन्थों में से एक ग्रन्थ कौटिल्य का अर्थशास्त्र ( ई० पू० ३०० ) है जिसमें पूर्व या आरम्भिक मौर्यों के साम्राज्य शासन विधान आदि दिये हुए हैं। यह स्पष्ट है कि यह ग्रन्थ प्राचीन आचार्यों के ग्रन्थों के आधार पर प्रस्तुत हुआ था। कौटिल्य ने अपने अर्थशास्त्र में ऐसे अठारह, उन्नीस आचार्यों के नाम दिये हैं। इनके अतिरिक्त कुछ और भी आचार्य हैं जिनका उल्लेख ग्रन्थान्य स्थानों पर हुआ है। उदाहरण स्वरूप महाभारत को लीजिये, जिसमें हिन्दू राजनीति विज्ञान का सचित्र इतिहास दिया है और जिसमें इन आचार्यों के अतिरिक्त एक और आचार्य 'गौर शिरा' का उल्लेख है। आश्वलायन गृह्यसूत्र में एक और आचार्य का उल्लेख है जिसका नाम "आदित्य" दिया है। आचार्यों और लेखकों की इस विस्तृत सूची से पता चलता है कि कौटिल्य के समय से शताब्दियों पूर्व इस देश में राजनीति शास्त्र का अध्ययन होता था और जिस समय कल्पसूत्रों की रचना समाप्त हो रही थी, उस समय तक यह एक प्रामाणिक विषय हो गया था।"

## वैदिक काल की जनतन्त्रीय संस्थायें

युरोप के अनेक विद्वानों ने अपनी अन्वेषणाओं के बाद यह स्वीकार किया है कि ऋग्वेद संसार के उपलब्ध ग्रन्थों में सबसे प्राचीन हैं। लोकमान्य तिलक ने अपने एक अत्यन्त खोजपूर्ण ग्रन्थ Orion ( थोरयन ) में इसका कार्यकाल ई० पू० ७०००-८००० वर्ष बताया है। ऋग्वेद के अध्ययन से यह प्रतीत होता है कि उस प्राचीन काल में भी भारतवर्ष ने जनतन्त्रीय शासन संस्थाओं की संस्थापना की थी। श्रीयुक्त अग्निनाथचन्द्र दास ने अपने खोजपूर्ण ग्रन्थ

“ Rigvedic Culture ” में शब्द फलान ‘समा’ और ‘समिति’ नामक दो राजनीतिक संस्थाओं पर प्रकाश डाला है । चाप लिखते हैं—

“ वैदिक आर्यों में जन-तन्त्रीय प्रवृत्तियाँ थीं । वे अपने दलंग ( Tribal ) दलों की रक्षा में तत्पर रहते थे । सार्वजनिक तथा अपने ग्राम सम्बन्धी शान्त कार्यों पर विचार करने के लिये वे सभाओं में इकट्ठे होते थे और उन विषयों पर मुले दिल से वाद-वाद करते थे । हर एक महावृत्त ग्राम में एक स्थायी संस्था थी जिसका नाम ‘समा’ था । ( Rv VI-286, VIII, 4. 9; X. 34. 6 ) इस समा का स्वतन्त्र भवन होता था, जिसमें ग्राम के वृद्ध और सम्माननीय सज्जन ग्राम-शासन सम्बन्धी विषयों पर विचार विनिमय करते थे । ऋग्वेद में एक दो स्थानों पर ( १६७, ३ ) ऐमा उल्लेख पाया जाता है कि स्त्रियाँ भी इसमें भाग लेती थीं । उपनिषद्-काल में तो इस प्रकार की लोक सभाओं में स्त्रियों के भाग लेने के स्पष्ट उदाहरण मौजूद हैं । ”

कौटिल्य अर्थशास्त्र के आविष्कारक डा० श्याम शास्त्री अपने The evolution of Indian polity नामक ग्रन्थ में लिखते हैं—

“ इन सभाओं या परिषदों की सदस्यता के सम्बन्ध में यह दित्त लाई देता है कि इसमें जाने के लिये किसी के लिये किसी भी प्रकार की रोक टोक नहीं थी । वृद्ध और युवक, शिष्ट और अशिष्ट सभी इनमें स्वतन्त्रता के साथ सहयोग दे सकते थे । इनमें क्वोरम ( Quorum ) का कोई सवाल नहीं था और समा को पूर्ण रूप में अधिकार युक्त बनाने के लिये प्रत्येक वालिग ग्रामवासी का उपस्थित होना आवश्यक था । ”

कृष्ण यजुर्वेद नामक ग्रन्थ से पता चलता है कि ये सभाएँ बहुत बड़े पैमाने पर होती थीं और किसी को भी अपने विचार करने के अधिकार से घुत नहीं किया जाता था ।



इन सभाओं में पुरोहितगण शिक्षित लोगों का और सामन्तगण कृषक तथा व्यापारी लोगों का प्रतिनिधित्व करते थे। इन सभाओं में, राजाओं के निर्वाचन के प्रश्न तथा राजाओं को राजच्युत करने या विहासन पर वापिस अधिष्ठित करना आदि के विषयों पर सुली चर्चा होती थी। यह बात सन्देहास्पद है कि राजा लोग इनमें उपस्थित होते थे या नहीं। अगर वे उपस्थित होते थे तो समाप्यस के रूप में होते थे। अब किसी राजा के चुनाव या उसे वापस राज्याधिकार प्राप्त करने के विषय में लोक सभा में विचार होता था, तब, वह राजा नियमानुसार उस सभा में उपस्थित नहीं रहता था।

ऋग्वेद में 'समा' व 'समिति' का उल्लेख कई स्थानों पर आया है। सुप्रसिद्ध लेखक Hillebraldt का कथन है कि ये दोनों संस्थाएँ एक थीं। पर प्रख्यात जर्मन इतिहासवेत्ता लुडविग (Ludwig) ने अपने ऋग्वेद के अनुवाद में यह दिखलाने का प्रयत्न किया है कि 'समिति' एक विशुद्ध लोक सभा होती थी जिसमें सब लोग सहयोग दे सकते थे। इसमें राजा और अर्मांर उमराव भी शामिल होते थे। मीमर (Zimmer) महोदय का कथन है कि समिति में राजा का निर्वाचन होता था। ऋग्वेद में इसके स्पष्ट उल्लेख हैं (X. 173. 1) इन समितियों की बैठकें बड़े नगरों में होती थीं और लोक तथा उनके प्रतिनिधि उनमें शामिल होते थे।

### प्रजा द्वारा राजा का चुनाव

इसमें सन्देह नहीं कि भारतवर्ष में राजतन्त्र की संस्था (Monarchy) अति प्राचीन काल से चली आ रही है, पर वैदिक काल में राजाओं के प्रजा द्वारा चुने जाने के अनेक उल्लेख मिलते हैं। मीमर महोदय का कथन है कि "वैदिक काल में राजा प्रजा द्वारा चुना जाता था।" (Vedic Index) आगे चल कर मीमर महोदय फिर कहते

हैं कि "लोक या उनके प्रतिनिधि, मन्त्रा या ममिति में इच्छते होते थे और राजा के चुनाव के लिये अपनी ममिति प्रदर्शित करते थे।" ऋग्वेद में एक मन्त्र है जिसमें लोग या प्रजा द्वारा राजा के चुने जाने का स्पष्ट उल्लेख है। ( १० १२४ = ) ।

ऋग्वेद के दूसरे मन्त्रों से यह भी स्पष्ट होता है कि उस समय राजा का चुनाव उसकी योग्यता की दृष्टि में रखा जाता था और राजा के अपने पद की रक्षा के लिये जनता की सदिच्छा पर निर्भर रहना पड़ता था। जब तक प्रजा उसके शासन प्रबन्ध में सुख रहती थी तब तक वह उसे कर देती थी, पर ज्योंही उसे शासन में अन्याय या अत्याचार दिखलाई देता वह कर देना बन्द कर देता था। लोगों को अपने अधिपति, स्वयं व कर्तव्यों का पर्याप्त ज्ञान था और उनकी आवाज को राजा किसी तरह भी अचहेलना की दृष्टि में नहीं देख सकता था। ( See Rigveda, Culture by Avinash Chandra Das )

ऋग्वेद से अथर्ववेद का रचनाकाल उत्तरकाहीन है। उनमें भी कई ऐसे मन्त्र हैं जिनमें राजा के प्रजा द्वारा चुने जाने के स्पष्ट उल्लेख हैं। इस विषय में कुछ मन्त्र नीचे उद्धृत किये जाते हैं —

"इन्द्रेन्द्र मनुष्या परोहि संहयज्ञास्था वरुण्यै मंविदान ।  
सत्वायमहवत स्वे सधस्थे सदेवान यज्ञतु म ३ कल्पयाद् विशा ॥  
३. ४. ६ ।"

अर्थात् हे राजन ! आप जनता के सामने आइये । आप अपने निर्वाचन करने वालों के अनुकूल हैं । इम पुरष ( पुरोहित ) ने आपके योग्य स्थान पर यह कह कर बुलाया है कि "इसे देश की स्तुति करने दो, और जाति ( विशा० ) को भी सुमार्ग पर चलाने दो" ।

"त्यां विशो वृणाता राज्याय त्वामिमा. प्रदिश पञ्चदेवी ।  
यध्मन राष्ट्रस्यं कतुदि अयस्व ततोऽन उप्रो विभजा वसुनि ॥ ३-४

अच्छात्वायन्तु हविनः सजाता अनिदृतां अजिर मंचरातै ।  
जायाः पुत्राः समनमोभवन्तु बहुबलिं प्रति पथ्यासा उग्रः ॥

अर्थात् हे राजन ! राज्य-कार्य चलाने के लिये प्रजा तुझे निर्वाचित करे । इन पाचों प्रकाशयुक्त दिशाओं में प्रजा तुझे निर्वाचित करे । राजा के श्रेष्ठ सिंहासन का आश्रय लेकर तू हम लोगों में उग्र होते हुए भी धन की बांट किया कर । तेरे अपने देश निवासी ही तुझे बुलाते हुए तेरे पास आवें । तेरे साथ चतुर तेज युक्त एक दूत हो । राष्ट्र में जिनकी स्त्रियाँ और उनके पुत्र हों वे तेरी ओर मित्र भाव से देखें, तबही तू उग्र होकर बहुबलि ग्रहण करेगा ।

इस प्रकार के कई मन्त्र अथर्ववेद में मिलते हैं जिनमें प्रजा द्वारा राजा के निर्वाचन करने के उल्लेख हैं । एक तरह से देखा जाय तो अथर्ववेद के काल में राजा प्रेसिडेन्ट की तरह होता था । उसे प्रजा ही चुनती थी और प्रजा ही निकाल सकती थी । इन मन्त्रों से यह स्पष्ट मालूम होता है कि जिस प्रकार राजा को निर्वाचित करने का प्रजा को अधिकार था, उसी प्रकार राजा को शासन च्युत करने का भी उसे पूर्ण अधिकार था । इसके साथ साथ वैदिक मन्त्रों से यह भी पाया जाता है कि उस समय वंशानुगत राज्य की प्रथा नहीं थी । जो भी पुरुष योग्य, अनुभवी, विद्वान्, यत्नवान् और सदाचारी होता था वही प्रजा द्वारा निर्वाचित किया जाता था । अलौकिक तेज, दिव्य प्रतिभा तथा प्रशंसनीय सद्व्युत्पन्न देवकर ही प्रजा राजा को चुनती थी । राज गद्दी पर बैठ जाने के बाद भी कोई राजा अयोग्य और अत्याचारी निकल जाता तो प्रजा को यह अधिकार था कि वह उसे गद्दी से उतार दे । राजा को राज्याधिकार लेते समय इस आशय की पुरोहित से प्रतिज्ञा लेनी पड़ती थी, "मैं नियमानुसार शासन करूँगा । यदि नहीं करूँ तो आप मुझे सब प्रकार के दण्ड दे सकते हैं । मेरी निंदा, प्रशंसा, पुत्र, कलात्र, और जीवन तक तुम्हारे हाथ में है । मुझे अधिकार है कि यदि मैं अपनी प्रतिज्ञा पूरी न करूँ और

स्वेच्छाचारी होकर प्रजा का हानि पहुँचाऊँ व उसके प्रति द्रोह करूँ तो तुम मुझे अपने प्रिय परिजनों से अलग कर सकते हो। मुझे बन्दी गृह में बन्द कर सकते हो।”

यदि कोई राजा अपनी प्रतिज्ञा पालन न कर अन्याय और अधर्म करता था तो उसके लिये दण्ड विधि भी थी। शुक्राचार्य के शब्दों में वह इस प्रकार थी —

गुणनीति बल द्वेषी कुलभूतोऽप्य धार्मिक ।  
 नृपो यदिभवेत् तन्तुत्यजेदाष्ट विनाशकम् ॥  
 तत्पदे तस्य कुलजं गुण युक्त पुरोहित ।  
 प्रकृत्यनुमत कृत्वा स्थापयेद्राज्य गुप्तये ॥

अर्थात् जो राजा गुण, नीति, राज्य के प्रचलित नियमों और बल का शत्रु हो गया हो, जो अच्छे कुल में पैदा होकर भी अधार्मिक हो गया हो, उस विनाशक को राज्य से हटा देना चाहिये। उसके स्थान पर, राष्ट्र की रक्षा के लिये, राज पुरोहित और राज कर्मचारियों का मत लेकर, उसके कुल में उपन्न हुए किन्तु गुण युक्त, उसके सम्बन्धी को अधिष्ठित करना चाहिये।

इसी प्रकार का आदेश मनुस्मृति में भी है —

मोहाद्राजा स्वराष्ट्र य कर्षय त्यन वेत्तया ।  
 सोऽचिराद् भुरयते राज्याज्जीविश्च स दान्धव ॥

अर्थात् जो राजा मूर्खता तथा मोहवश होकर अपनी प्रजा को सहाता है, वह शीघ्र ही राज्य से च्युत किया जाता है और वधुओं सहित शत्रु लोक को प्राप्त होता है।

इसी प्रकार राजा को उसके पापों के प्रायश्चित्त देने के धार्मिक विधान हमारे धर्म शास्त्रों में मिलते हैं। कई बातों में तो हमारे भारत के प्राचीन राजा महाराजाओं की शक्ति आधुनिक युरोपिय देशों के

सम्राटों से भी अधिक मर्यादित थी। यहां तक कि अपराध करने पर जो दण्ड साधारण नागरिक को मिलता था, उससे भी अधिक दण्ड राजा को दिये जाने का विधान था। यथा

कार्पाण्यं भद्रैर्दण्डय सहस्त्रमिति धारणा ।

अष्टापाद्यन्तु शूद्रम्य स्तेयं भवति किल्बिषम् ॥

अर्थात् जिस अपराध में साधारण मनुष्य पर एक पैसा दण्ड हो, उसी अपराध में राजा को सहस्र पैसे दण्ड होने चाहिये।

उक्त वर्णन से इस बात का स्पष्ट संकेत मिलता है कि उस समय राजा प्रजा द्वारा निर्वाचित होते थे। उनके अधिकार नियमित रहते थे। प्रजा को जिस प्रकार राजा को निर्वाचित करने का अधिकार था, उसी प्रकार राजा को, अत्याचारी, दुर्ब्यसनी और प्रजा पीड़क होने पर राज्यच्युत करने का भी प्रजा को अधिकार था। प्रजा द्वारा राजा को राज्यच्युत करने के और उसे उसके अपराधों के लिये योग्य दण्ड देने के हिन्दू शास्त्रों में उल्लेख है।

## रामायण और महा भारत में जनमत का आदर

रामायण में लिखा है कि जब महाराजा दशरथ ने अपने ज्येष्ठ पुत्र श्री रामचन्द्र को राजसिंहासन देना चाहा, तब उन्होंने अपने प्रजाजनों की सभा बुलाकर उनकी अनुमति ली थी। इसके अतिरिक्त चार्मकि रामायण में यह भी उल्लेख है कि महाराजा दशरथ अकेले राज्य काट्य नहीं करते थे, बल्कि वे विद्वान् और योग्य मन्त्रियों की परिषद् की सहायता से राज्य संकट चलते थे। महाभारत में राजा पृथु का प्रजा द्वारा चुने जाने का स्पष्ट उल्लेख है।

## प्राचीन भारत में गणतन्त्र राज्य

वेदों के गम्भीर अध्ययन से यह ज्ञात होता है कि वैदिक युग के आरम्भ में केवल राजाओं द्वारा ही शासन हुआ करता था। पर उत्तर कालीन वैदिक युग में, प्रेमा प्रतीत होता है, राजतन्त्र की प्रथा सौंदर्भ गई थी। इस बात को सुप्रसिद्ध भयासी मैगस्थेनीज ने भी स्वीकार किया है। प्रजातन्त्र शासन के प्रमाण परवर्ती वैदिक साहित्य, शान्ति के प्रादुर्भाव भाग तथा यजुर्वेद और अन्य ग्रन्थों में मिलते हैं। बौद्ध साहित्य की जातक कथाओं में भी गणतन्त्र राज्यों के ध्यान स्थान पर उल्लेख आये हैं। जैन साहित्य में भी गणतन्त्रों के वर्णन हैं। कौटिल्य ने भी अपने अर्थशास्त्र में इन्हें संघ कहा है। सुप्रसिद्ध बौद्ध ग्रन्थ 'मज्झिम-निकाय' में संघ और गण साथ साथ आये हैं और बिना किसी संदेह के यह कहा जा सकता है कि उनमें भगवान् बुद्धदेव के समय के गणतन्त्रों का अभिप्राय है। सुप्रसिद्ध पैसाकरण पाणिनि ने अपने विख्यात ग्रन्थ अष्टाध्यायी में हिन्दू प्रजातन्त्रों का महत्त्वपूर्ण उल्लेख किया है। पाणिनि का समय २०० ई० पू० बतलाया जाता है। इससे स्पष्ट है कि पाणिनि के समय प्रजातन्त्रों का कितना महत्त्व था। पाणिनि ने कई प्रजातन्त्रों का संघों का उल्लेख किया है।

### बौद्धयुग के गणतन्त्र राज्य

भगवान् बुद्धदेव के समय भारतवर्ष में कई गणतन्त्र राज्य थे। बुद्धदेव का जन्म, जिस स्थान में हुआ था, वह भी एक गणतन्त्रीय राज्य में था। ये गणतन्त्र पूर्व में कौशल और कौशाभी के राज्यों तक और पश्चिम में अंग राज्य तक विस्तृत थे, अर्थात् उनका विस्तार गोरख-

(\*) Epitome of Megasthenes Divd II 38 Mc Crindle, Megasthenes pp. 38, 40.

पुर और बलिया के जिले से भागलपुर जिले तक तथा मगध के उत्तर से हिमालय के दक्षिण तक था । सुप्रसिद्ध इतिहासवेत्ता श्री फार्सी-प्रसाद जायसवाल ने इन गणतन्त्रों का उल्लेख इस प्रकार किया है—

- ( १ ) शाक्यों का गणतन्त्र—इनकी राजधानी गोरखपुर जिले के कपिलवस्तु नामक नगर में थी और जिसमें उनके बहुत ही समीपवर्ती राज्य भी सम्मिलित थे ।
- ( २ ) कोलियों का राम ग्राम ।
- ( ३ ) लिच्छवियों का राज्य—इनकी राजधानी वैशाली में थी, जिसे आजकल बसाढ़ कहते हैं और जो मुजफ्फरपुर जिले में है ।
- ( ४ ) विदेहों का राज्य—इनकी राजधानी मिथिला ( जिला दरभंगा ) में थी । ये अंतिम दोनों मिल कर वृज्जी अथवा वज्जी कहलाते थे ।
- ( ५ ) मल्लों का राज्य—यह बहुत दूर तक फैला हुआ था और यह दक्षिण में शाक्यों तथा वृजियों के राज्य तक चला गया था, अर्थात् आधुनिक गोरखपुर जिले से पटने तक चला गया था और जो दो भागों में विभक्त था । इनमें से एक राज्य की राजधानी कुशी नगर ( कुशीनारा ) तथा दूसरे की पावो में थी । इस प्रकार चौदह युग में और भी गणतन्त्र राज्य थे ।

### कौटिल्य अर्थशास्त्र और गणतन्त्र

कौटिल्य सम्राट् चन्द्रगुप्त का प्रधान मन्त्री था । उसने राजनीति का एक अत्यन्त महत्वपूर्ण ग्रन्थ लिखा है, जो 'अर्थ-शास्त्र' के नाम से प्रसिद्ध है । उक्त ग्रन्थ में राजनीति तथा राजधर्म के साथ साथ तत्कालीन गणतन्त्रों का भी उल्लेख किया है । इन गणतन्त्रों में मुख्य मुख्य ये थे—

- १ लिच्छविक २ वृज्जिक ३ मल्लिक ४ कुशुर ५ कुर  
६ पांचाल ७ कांभोज ८ सुराष्ट्र ९ शत्रिय ११ धोषी ।

इनके अतिरिक्त उस समय छद्मकों व मासकों के भी प्रजातन्त्र राज्य थे, जिनका वर्णन कौटिल्य के ग्रन्थ में नहीं है ।

सम्राट् सिकन्दर ने जब भारतवर्ष पर चढ़ाई की थी तब उसके साथ कई इतिहास लेखक आये थे, जिनमें मेगास्थनीज का नाम विशेष उल्लेखनीय है। उसने अपने प्रवास-वर्णन में कुछ प्रजातन्त्र राज्यों का उल्लेख किया है। यह खिण्यता है—

“ये लोग . . . जहाँ राजा होता है वहाँ सब बातों की सूचना राजा को देते हैं और जहाँ लोग स्वार्थीन होते हैं, अपना शासन अपने करते हैं, वहाँ मजिस्ट्रेटों—स्थानीय अधिकारियों—की सूचना देते हैं।”

सिकन्दर के साथ आनेवाले दूसरे इतिहास-लेखक मीकसिडस ने अपने ग्रन्थ “Invasion of India by Alexander” में लिखा है “भारतवर्ष के प्रत्येक गाँव को उन्होंने (यूनानियों) एक स्वतंत्र प्रजातन्त्र समझा था।”

यूनान के एक अन्य लेखक ‘पेरियन’ ने भी अपने ग्रन्थ में कुछ ऐसे राज्यों का उल्लेख किया है जिनमें प्रजातन्त्रों का शासन व्यवस्था थी। जब सिकन्दर ग्यास नदी के तट पर पहुँचा, तब उसने सुना कि ग्यास नदी के पार एक ऐसा देश है जहाँ बहुत सुन्दर प्रजातन्त्री शासन प्रचाली प्रचलित है, और जहाँ लोग अपने अधिकारों का उपयोग बहुत ही न्याय तथा विचारपूर्वक करते हैं।

जब सिकन्दर वापस लौटा तब उसे सिन्धु नदी के तट पर कई भारतीय मीमा पर कितने ही ऐसे राज्य मिले जो प्रजातन्त्री थे। इन लोगों ने कुछ और भी प्रजातन्त्रीय राज्यों का वर्णन किया है, जिनका उल्लेख हम यहाँ विस्तार भय के कारण नहीं करेंगे।

कहने का सारांश है कि यहाँ भारतवर्ष में जहाँ एक तन्त्र राज्य प्रणाली (Monarchy) थी, वहाँ कई स्थानों में प्रजातन्त्र राज्य प्रणाली (Republic) होने के भी उल्लेख मिलते हैं। यह कहना अप्रामाण्य है कि प्राचीन भारतवासी प्रजातन्त्र शासन प्रणाली से अज्ञात थे, तथा भारत वासियों में जनतन्त्र की भावना का अभाव रहा है।



# मौर्य साम्राज्य का आदर्श शासन

मौर्य—शासन का पूर्ण विवरण हमें कौटिल्य के अर्थशास्त्र और मैगास्थनीज के प्रवास वर्णन में मिलता है। ये दोनों ग्रन्थ तत्कालीन इतिहास और राजनीति पर अच्छा प्रकाश डालते हैं। सम्राट् चन्द्रगुप्त की शासन व्यवस्था को देख कर वास्तव में आश्चर्य होता है। कौटिल्य ने सम्राट् चन्द्रगुप्त के अनेक शासन विभागों पर विलुप्त विवेचन किया है, जिनकी और वर्तमान भारतीय राजनीतियों का ध्यान अवश्य जाना चाहिये। इस समय सारे भारतवर्ष में राजनैतिक एकता स्थापित थी और देश बड़ा शक्तिशाली हो गया था। इसके अतिरिक्त, यद्यपि देश एकतंत्रीय शासन में था पर उसके अन्तर्गत कई छोटे मोटे प्रजातन्त्र भी थे, जिन्हें मौर्य सम्राट् की ओर से पर्याप्त उतेजना मिलती थी। मौर्य साम्राज्य के समय के शासन तन्त्र पर हम किसी स्वतंत्र ग्रन्थ में विस्तृत रूप से प्रकाश डालने की चेष्टा करेंगे। पर यहां हम सम्राट् चन्द्रगुप्त के, पौत्र सम्राट् अशोक के दिव्य शासन पर सुद्ध पंक्तियों लिखकर पाठकों को उस समय की दिव्य शासन-व्यवस्था का थोड़ा सा दिग्दर्शन करा देना चाहते हैं।

सम्राट् अशोक के शिलालेख देश के विभिन्न स्थानों पर मिलते हैं। उन शिलालेखों से हमें सम्राट् अशोक के राजनैतिक व धार्मिक आदर्शों का और उनके धर्म राज्य का पर्याप्त परिचय मिलता है। सत्तर प्रसिद्ध पाश्चात्य ग्रन्थकार एच० जी० वेल्स (H. G. Wells) ने कहा है—

“सम्राट् अशोक के २८ वर्ष का शासन मानव जाति के इतिहास में सबसे अधिक प्रकाशमान घटना है। उन्होंने भारतवर्ष में स्थान स्थान पर कुपु सुदवाये और दया के लिये वृत्त लगवाये। उन्होंने रोगियों के लिये स्थान स्थान पर शीपशास्त्रय सुलवाये और उद्यान लगवाये जिनमें

पत्र, फूट और चौपटियाँ पैदा होती थीं, उन्होंने विदेशियों के विषय में अत्यन्त सचियाखण्ड कायम किये । मन्त्री-शिखा का प्रबंध किया, और मगधान् सुददेश के सन्देश को फैलाने के लिये दूर दूर तक प्रचारक भेजे ।

इस प्रकार महाराज अशोक सम्राटों में सबसे महान् थे और अपने समय से १०० वर्ष आगे थे ।”

( A short history of world by H. G. Wells )

इन्हीं महाशय ने इसी ग्रन्थ में लिखा है:—

“Amidst the tens of thousands of names of monarchs that crowd the columns of history, their Majesties and Graciousnesses, and Serenities and Royal Highnesses, and the like, the name of Asoke shines, and shines almost alone, a star. From the Volga to Japan, his name is still honored. China, Tibet and even India, though it has left his doctrine, preserve the tradition of his greatness. More living men cherish his memory to-day than have ever heard the names of Constantine or Charlemagn”

( H. G. Wells )

इसका आशय यह है कि संसार के सहस्र सहस्र ठग सम्राटों में जिन्होंने इतिहास के पृष्ठों को सुशोभित किया है, महाराजा अशोक का नाम प्रकाशमान् मितारे की तरह अकेला ही चमकता है । सोलगा से जापान तक उनका नाम बड़े आदर के साथ लिखा जाता है । चीन, तिब्बत और यहां तक कि भारतवर्ष में भी उनकी महानता का इतिहास सुरक्षित है । आज भी संसार में कॉन्स्टेन्टाइन से आर्सेमन तक अधिक मनुष्य उनके नाम को आदर सहित स्मरण करते हैं ।

महाराजा अशोक का राजनैतिक आदर्श इतना उच्च और दिव्य था कि उसकी तुलना संसार के किसी भी उन्नत से उन्नत शासन से नहीं की जा सकती। अहिंसा के महान् धर्म का उन्होंने सार्वत्रिक प्रचार किया था। न केवल मनुष्य जाति का ही, पर सकल प्राणियों का सुख उनकी राजनीति का प्रधान आदर्श था। उनके शासन में हम मानवता और दिव्यता का उच्च आदर्श देखते हैं। उनके शिलालेखों से प्रगट होता है कि वे अपने को सिर्फ लोगों के इह-लौकिक कल्याण के लिये ही उत्तरदायी नहीं समझते थे, पर उनके पारलौकिक सुख के लिये भी वे अपने आपको जिम्मेवार समझते थे। प्रजा के लिये उनके द्वार हर दम खुले रहते थे। यद्यपि वे बौद्ध धर्मावलम्बी थे और उनके शासन पर भगवान् बुद्धदेव का बड़ा प्रभाव था, पर वे अन्य धर्मावलम्बियों को भी समदृष्टि से देखते थे और उनके कल्याण के लिये उतना ही प्रयत्न करते थे जितना कि बौद्ध धर्मावलम्बियों के लिये करते थे। उन्होंने अपने राज्य में प्राणीवध को बिलकुल बन्द कर दिया था। इससे उनके धर्म राज्य में जीव मात्र सुख और शान्ति से विचरते थे। संसार के इतिहास में सम्राट् अशोक का शासन सदा असर रहेगा और वह शासन-कर्त्तारों के लिये एक उच्च आदर्श का काम देगा।

## गुप्त सम्राटों का शासन

सम्राट् अशोक के बाद गुप्त साम्राज्य का शासन-काल भारत के लिये स्वर्णयुग कहा जाता है। गुप्त सम्राट् चन्द्रगुप्त द्वितीय का नाम भारत के इतिहास के पृष्ठों को सदा गौरवान्वित करता रहेगा। कई इतिहास वेत्ता इन्हीं महाराजा चन्द्रगुप्त को भारतीय इतिहास के अमर रत्न विक्रमादित्य भी मानते हैं। उनके मतानुसार विक्रमादित्य उनकी उपाधि थी। हमके लिये वे प्रमाण देते हैं कि जितने शिलालेखों में विक्रम मन्वत् का नाम आया है वे सब छठी शताब्दि या उसके बाद के हैं। इस विषय में

इतिहासवेत्ताओं में मतभेद है। पर यह बात निश्चित है कि सम्राट् द्वितीय चन्द्रगुप्त एक महान नृपति हुए जिन्होंने भारतवर्ष में सुख और शान्ति का साम्राज्य स्थापित किया। उन्होंने प्रजा कल्याण की भावना को ही अपने शासन का आदर्श बनाया था।

इन्हीं महाराज चन्द्रगुप्त के राज्य काल में एक चीनी प्रवासी-यात्री-यात्र-भारतवर्ष में आया। इमने महाराज चन्द्रगुप्त के राज्य का जो सुमनोहर वर्णन किया है उसका कुछ अंश नीचे दिया जाता है।

“भारतवासी बड़े धर्मनिष्ठ और दयावान थे। जिन लोगों को परमात्मा ने धन और वैभव दिया था, उनके हृदय में कल्याण और उदारता भी भरदी थी। वे केवल स्वार्थ ही के लिये अपनी संपत्ति का उपयोग नहीं करते थे, परोपकार में भी साधारणतया उसका कुछ भाग खर्चा करते थे। देश में धर्मार्थ संस्थायें बहुत थीं। जगह जगह अन्नक्षेत्र खुले हुए थे। मार्गों पर यात्रियों के रहने के लिये धर्मशालायें बनी हुई थीं। राजधानी में धर्मार्थ औपधाख्य भी थे जिनमें असाहाय, अनाथ तथा दीन दुरिखा लोगों की सुख चिकित्सा की जाती थी। सब रोगों के रोगी इन अस्पतालों में लिये जाते थे। उनकी देख भाल के लिये बड़ा चिकित्सक सदा रहते थे। उनकी दशा के अनुसार पथ्य भी उन्हें औपधाख्य से ही मिलता था। पूरा आराम होने तक वे वहाँ रह सकते थे। इन औपधाख्यों के व्यय का सारा भार नगर के कुछ दानशील धनीय पुरुषों ने अपने ऊपर ले रखा था।

इतिहासकार विसेंट स्मिथ का कथन है कि “उस समय संसार भर में कहीं भी ऐसे अच्छे सार्वजनिक औपधाख्य बने हों इसमें सन्देह है। अशोक की मृत्यु के बाद भी उसके उपदेशों का इस प्रकार शुभ फल फलते रहना उसकी दूरदर्शिता की अपने आप प्रशंसा कर रहा है।”

काहियान ने अपने ग्रन्थ में भारतीय शासन के विषय में जो कुछ है उससे स्पष्ट मालूम होता है कि राजा सर्व प्रिय था और शान्ति-

मय उपायों से काम लेता था। प्रजा पर कोई कठोर शंकुश नहीं था। राज्य की तरफ से प्रजा के कामों में किसी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं किया जाता था। दूसरों की स्वतंत्रता में बाधा डाले बिना लोग जो चाहते, कर सकते थे। सारा मध्य देश जनपदों में विभक्त था। जनपदों के अधिपति भी दयालु थे और शासन करने में अपने सम्राट् का अनुकरण करते थे। प्रजा भी नागरिकों के उच्च आदर्श को जानती थी और उसके अनुसार व्यवहार करती थी। फाहियान ने उन्हें सद्गुणों में परस्पर स्पर्धा सा करते देखा। अतएव अपराध बहुत कम होते थे। हजारों मील के लम्बे सफर में फाहियान को कोई डाकू या टग नहीं मिला। इसलिये राज-नियम भी कड़े नहीं थे। राष्ट्र में मृत्युदण्ड का अभाव था और शारीरिक दण्ड की न्यूनता यह प्रमाणित करती है राज्य-सत्ता के लिये लोगों के हृदय में अत्यन्त उंचा स्थान था। साधारणतः जुमाना ही काफी समझा जाता था। राजद्रोह सरीखे अपराध के लिये कभी कभी हाथ कटाने का दंड दिया जाता था। पदाधिकारियों के नियत वेतन भोगी होने से उनको प्रजा पर अत्याचार करने का अवसर नहीं था। उदार और चतुर शासक के शासन काल में प्रजा सब प्रकार सुखी थी। देश में संपत्ति अपार थी। चांदी सोने की कमी नहीं थी। खाने पीने के पदार्थ और नित्य के व्यवहार की अन्य चीजें इतनी सस्ती थीं कि कौदियों में काम चल जाता था। फाहियान ने भारतवर्ष को अत्यन्त सुख और समृद्धि में पाया उसके भाग्य की सराहना की। ऐसा सुख और शान्ति मय शासन उसके देशवासियों को प्राप्त नहीं था और यह बात उसे भारत में रह रह कर याद आती थी।

गुप्त साम्राज्य के बाद हर्ष का राज्य काल भी भारतवर्ष के लिये बड़ा सुखकारक था। लोग सुखी और धन धान्य पूर्ण थे।

हमारे कालों का आशय यह है कि प्राचीन भारत के जनतन्त्रों और राज तन्त्रों में प्रजा सुखी और समृद्धिराक्षी थी। इस विषय का विस्तृत वर्णन करने का यहां क्षेत्र नहीं है।

गन् अध्यायों में हमने सिर्फ़ यही दिग्गजाया था कि प्राचीन भारत में सीमायें गणतन्त्र राज्य हो गये हैं जहाँ लोक प्रतिनिधियों द्वारा राज्य का शासन संचालित किया जाता था। राजतन्त्रों में भी राजा अपने प्राण को प्रजा का सेवक समझता था और वह प्रजा द्वारा चुन कर अधिष्ठित किया जाता था। महाराजा अशोक और महाराजा चन्द्रगुप्त द्वितीय सरीरे प्रजा सेवक और प्रजा कल्याणकारी सम्राटों के उदाहरण संसार के इतिहास में नहीं मिल सकते। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने अपने "The Discovery of India" नामक ग्रन्थ में इस बात को स्पष्टतया स्वीकार किया है कि यद्यपि अशोक एक सम्राट् थे, पर वे एक ऐसे सम्राट् थे जिनकी शानी का सम्राट् संसार में दूसरा नहीं हुआ।



# भारत में ग्राम पंचायतें

प्राचीन भारत में ग्राम पंचायतों का एक जाल सा बिड़ा हुआ था । ग्राम पंचायतें इस प्रकार के छोटे गणतन्त्र राज्य ( Republic ) जिनमें ग्राम जनता के प्रतिनिधि शासन करते थे ।

भारतवर्ष के भूतपूर्व गवर्नर जनरल लार्ड मेटकॉफ ने सन् १८३० के लीते में हिन्दू ग्राम मंडल के सम्बन्ध में लिखा है :—

The communities are little republics, having nearly every thing of want within themselves, and almost independent of any foreign relations. They seem to last when nothing else lasts. Dynasty after dynasty tumbles down, revolution succeeds to revolution Hindu, Pathan Moghal, Maratha, Sikh, English, all are masters in turn but the village Communities remain the same. In times of trouble they arm and fortify themselves. As hostile army passes through the Country, the village Communities collect their cattle within their walls and let the enemy pass unprovoked..... This Union, of village communities, each one forming a state in itself, has, I believe, contributed more than any other cause to preservation of the people of India thro

ugh all the revolutions and changes which have suffered, and is in a high degree to their happiness and to the enjoyment of a portion of freedom and independence."

अर्थात् भारतवर्ष के ग्राम मण्डल छोटे छोटे छोके सत्तात्मक हैं। वे आप अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति कर सकते हैं। अतः वस्तु के लिये उन्हें दूर पर अवलम्बित नहीं रहना पड़ता। अन्य नष्ट हो गईं किन्तु वे सर्वांग हैं। एक के बाद एक कई राजघराने ठग गये, कई राज्यक्रांतियाँ हुईं। हिन्दू, पठान, मुगल, मराठे, अंग्रेजों ने अनुक्रम से देश जीता, किन्तु ग्राम मण्डल शत्रु के आक्रमण के समय प्रत्येक गाँव अथवा राज्य से सुसज्जित तैयार रहता है। जय शत्रु गाँव के पास से निष्कलता है तो वे पशु शहर पनाह में बन्द कर देते हैं और शत्रु को बिना छेद छाक ही जाने देते हैं। ग्राम मण्डलों के इस ऐक्य के वे एक प्रकार के छोटे से राज्य मालूम होते हैं। इसीसे वे सब बाधाओं को पार कर केवल स्वतन्त्र ही नहीं रहे, परन्तु उनके और स्वतन्त्र्य रक्षण के लिये भी, यह ऐक्य बहुत काम आया।"

सर चार्ल्स ट्रेवेल्लियन लिखते हैं.—

"One foreign conqueror after another has swept over India but the Village municipalities have stuck to the soil like their own kusa grass."

अर्थात् अनेक विदेशी विजेताओं ने एक के बाद एक चढ़ाईयाँ कीं किन्तु यहाँ के ग्राम मण्डल पूर्ववत् कुत्त की तरह जमीन से चिपके रहे।



# भारत की आर्थिक समृद्धि

जिस प्रकार दर्शक-शास्त्रों के गूढातिगूढ सिद्धान्तों के आविष्कार में, प्रा्यात्मिक और आत्मिक रहस्यों के प्रकाशित करने में, भारतवर्ष ने संसार में सर्वोपरि शासन प्राप्त कर रखा था, उसी प्रकार विविध कक्षाओं की उन्नति में और व्यापार-विस्तार में भी इसका बड़ा नाम था। सारे संसार के बाजारों पर भारतीय माल का प्रभुत्व था और यही का बना माल संसार में सर्व श्रेष्ठ समझा जाता था। जिस प्रकार धार्जकल राश्यात्म्य देश अपना पक्का मोल भारत भेजकर मालामाल हो रहे हैं इसी प्रकार पहले भारत अपना पक्का माल विदेशों को भेजकर अटूट सम्पत्ति प्राप्त करता था। सुप्रसिद्ध डाक्टर बूलर (Buhler) ने ऋग्वेद के कई मन्त्रों को उद्धृत कर के यह दिखाने की चेष्टा की है कि वैदिक समय में भी आर्य लोग अन्य राष्ट्रों के साथ अपना व्यापारिक सम्बन्ध करके अगणित द्रव्य प्राप्त करते थे। नाव और जहाज बनाने का हुनर भी उस समय मौजूद था। ऋग्वेद मन्त्र १/११६/५ में अगाध समुद्र को चीरते हुए उसी पतवारों से सज्जित जहाज का वर्णन है। कई विदेशियों के ग्रन्थों में भारतवासियों के विलसित व्यापार के, उनके अतुलनीय वैभव के, उनके बड़े बड़े उद्योग धन्धों के उल्लेख मिलते हैं। इन ग्रन्थों से यह भी पता चलता है कि पूरे तीन हजार वर्ष तक भारतवर्ष व्यापारिक संसार का शिरोमणि रहा था और फिनासियन्स, ज्यू, अलेरियन्, यूनानी मिसरानी और रोमन लोगों के साथ इसका सम्बन्ध था। भारतवर्ष से कई प्रकार का पक्का माल उन देशों को जाता था। बढिया बढिया रेशमी कपड़े, रुई की अत्यन्त बारीक और

मुलायम मलमले, उन के जूत, भिन्न भिन्न प्रकार के ठग्ट ३ गेल, शायर की यनी हुई पिथि प्रकार की चीजें, तरह तरह की बिया, भाति भाति के रंग, रिपरमन्ट, टालचीनी, गलमे-मतारे कर्शादि के बपड़े आदि कई प्रकार के पदार्थ यहा से यूरोप आदि वा भेजे जाते थे। इन चीजों की पर्ग पर बर्षी कदर होती थी लात प्याज से इन्हें खरीदते थे। ११, विदगा से भी कुछ चीजें यहा आनी थी पर व्यापार का पलड़ा हमेशा हमारे पक्ष में रहता था। आज भी वही पक्ष म रहता है, पर उममे और इसमें जमाने कासमान का है न। आज विदेश हम से यह थलादि सामग्री लेते है जो मनुष्य के के लिये परम आवश्यक है और इसके बदले में हमें विलास की रक सामग्री देते है जिसके अभाव में भी हमारा जीवन सुख चल सकता है। और इसमें भी जा रूखा धारें (Balance) बचता है वह भी होम चार्जेज (Home Charges) आदि कई रूपों में विदेश चला जाता है, अर्थात् आजकल जिस तरह भारत का धन विदेशों में खींचा जा रहा है वैसा पहले नहीं खींचा जाता था। हम भी प्राये पक्का माल विदेशों को भेजते थे और विदेशों से भी पक्का माल पाते थे, पर इसमें हमारे व्यापार का पलड़ा बहुत भारी था। हिन्दुस्तान बढिया बढिया माल तैयार कर विदेशों को भेजता था और उसके बदले में मोता, चादी आदि बहुमूल्य धातुओं तथा माणिक्य रत्न इत्यादि जवाहिरात पाता था। इस प्रकार एक समय हिन्दुस्तान रसों की खान सा हो गया था। यहाँ की सम्पत्ति अनुलनीय हो गई थी। यहाँ के समान रखादिक कहीं न थे।

अनेक प्रमाणों का अन्वेषण करके सुप्रसिद्ध डाक्टर साईंस ने यह सिद्ध करने का सफल प्रयत्न किया है ईसवी मन् के तीन हजार वर्ष पहले भारतवर्ष और अमेरिका के बीच अप्याहत रूप से व्यापारिक सम्बन्ध था। हिन्दुस्थान से बना हुआ पक्का और कच्चा माल उक्त देश को जाता था और इसके बदले में हिन्दुस्तान मूल्यवान् धातु के रूप में

य प्राप्त करता था। साथ ही म डॉक्टर साहब इस बात को भी  
 त्कार करते ह कि कुद माल असीरिया से भी हिन्दुस्थान को आता  
 । पर इस माल की सादाद हिन्दुस्थान से जानेवाले माल की अपेक्षा  
 त्त ही कम थी। जेम्सन साहब ने ग्रन्थ के गजेटियर में सिद्ध किया  
 कि भद्रोच, सुपाराचन्द्र और त्रैलीलानिया के बीच ईसवी मन् में  
 ७००-८०० वर्ष पूर्व भी व्यापार होता था और हिन्दुस्थान इन देशों  
 र्द्वर द्रव्य प्राप्त करता था। मिस्र और हिन्दुस्थान के बीच डम्ये भी  
 हले व्यापार प्रचलित था। यह बात हिरोडोटस आदि यूनानी ग्रन्थकारों  
 । ग्रन्थों में पाई जाती है। अमेरिका के वेल विन्च विद्यालय के प्रोफेसर  
 ने० डे. न अपन सुप्रसिद्ध ग्रन्थ "History of Commerce"  
 र प्रत्येक प्रमाण देकर यह दिग्गजाया है कि ईसा में ३५०० वर्ष पहिले  
 हिन्दुस्तान और चीन के बीच जोर शोर से व्यापार जारी था। सुप्रसिद्ध  
 र्मन पण्डित वोन वूलन" ( Von Bohlen ) ने घड़ी रीय और  
 ध्ययन के बाद यह नतीजा निकाला की मनुष्य जाति के घातकाल में  
 ही हिन्दुस्थान और अरब के बीच व्यापार शुरू था। प्रोफेसर वही शब्द  
 ने अपने पुस्तक ( A Geologist contribution to the  
 History of Ancient India ) म यह सिद्ध किया है कि ईसा  
 के १७०० वर्ष पहिले वैभव और मर्यादा में हिन्दुस्थान सारे संसार का  
 र्गोमखि था। यहाँ मूल्यमानु र्गों का अभाव भण्डार था और दूर  
 दूर के देशों में इसका अव्याहत सम्वन्ध था। प्रोफेसर रिक्मन् ने  
 अपने 'Ancient Egyptians' नामक ग्रन्थ में लिखा है कि मिस्र  
 के २००० वर्ष के पुगन मर्यादा में हिन्दुस्थानी कील और अन्य  
 हिन्दुस्थानी चीजें मिलती है। डम्ये भारतवर्ष और मिस्र का अत्यन्त-  
 प्राचीन व्यापारिक सम्वन्ध ज्ञान होता है। प्रोफेसर सेक्रेटिज्ज ने अपने  
 "Ancient India, as described in Classical literature"  
 नामक ग्रन्थ में सुप्रसिद्ध भारत प्रयागी यूनानी पण्डित हिरोडोटस  
 का वर्णन किया है। उनम अपने हिरोडोटस के कई जग उद्धरण हैं।

है, जिसमें एक जगह हिरोटाटस का लिखा हुआ यह वाक्य भी उद्धृत है "हिन्दुस्थान सोने से भरा पूरा और मालामाल है।" प्रोफेसर बाल हिन्दुस्थान की अद्वैत सभ्यता के अस्तित्व को मुक्त कण्ठ से स्वीकार है। मछ्राट अगोव के समय में भी विद्वानों के साथ हिन्दुस्थान की अर्थी व्यापारिक गति-विधि होने के उल्लेख बौद्ध ग्रन्थों में पाये हैं। अशोक के बाद आन्ध्र और कुशान (Kushan) का हिन्दुस्थान का वैदेशिक व्यापार बहुत बढ़ा बढ़ा था। यह बात काल के विदेशी लेखकों के लेखों से स्पष्ट होती है। इसके इसके सम्यन्ध में कई मुद्रा सम्यन्धी प्रमाण भी मिलते हैं। आन्ध्र का समय ईसा से २०० वर्ष पूर्व से लेकर ईसवी सन् २५० वर्ष है। दक्षिण हिन्दुस्थान के प्रमाणभूत इतिहासज्ञ मि० आर, (R. Sewale) लिखते हैं "आन्ध्र युग, भारतवर्ष के लिए समृद्धिशाली युग था। इस समय स्थल और समुद्र का व्यापार बढ़ा बढ़ा था। और पश्चिमी यूनान, रोम, मिस्र, चीन और साथ इसका व्यापारिक सम्यन्ध था।" ग्रिनी नामक इतिहास लिखता है कि रोम से भी हिन्दुस्थान में कई प्रकार के धात्विक आते थे। आन्ध्र युग के लिये डाक्टर भाएडरकर ने लिखा है —

Trade and commerce must have been in a flourishing condition during this early period"

अर्थात् इस युग में (आन्ध्र युग में) भारत का व्यवसाय व्यापार अवश्य उन्नततावस्था में होना चाहिये। एक पाश्चात्य २०० के मतानुसार इस काल में रोम से हिन्दुस्थान को डेरों सोना आता और इसके बदले यहां के रोम के बरिया बरिया वस्त्र, और कई प्रकार की धातु की बनी हुई चीजें बाहर जाती थीं।

रोम सम्राट् आगस्टस से लगा कर सम्राट् निरो तक भारतवर्ष-वायव्य देश का व्यापार बढ़ा उन्नत अवस्था में रहा। हिन्दुस्थान

बनी हुई विलास सामग्री के प्रति धनिक रोम लोगों की रुचि बढ़ने लगी। यह रुचि इतनी बढ़ी कि इससे उस समय कई विचारवान् लोगों को यह डर होने लगा कि कहीं इससे रोम दिवालिया न हो जावे। प्लिनी नामक ग्रन्थकार जो ईसवी सन् ७७ में हुआ, इस बात पर बड़ा दुःख प्रकट करता है कि रोमन लोग फजूल-खर्च और विलासप्रिय होते जाते हैं। वे ड्रय आदि सुगन्धित द्रव्यों तथा बढिया वस्त्रों, जेवर आदि में इतना प्रेशुमार खर्च करते हैं कि कुछ पूछिए नहीं। कोई साल ऐसा नहीं जाता जिसमें हिन्दुस्थान रोम से करोड़ों रूपया न खींचता हो। मामसेन अपने "Provinces of the Roman Empire" नामक ग्रन्थ में लिखता है कि हिन्दुस्तान से रोम को प्रति वर्ष ४०,००,०००) पाँएड मूल्य की विलास-सामग्री जाती थी। इसमें प्रधानतः सुगन्धित द्रव्य, रेशमी वस्त्र, बढिया मलमल आदि आदि होते थे। इनके अतिरिक्त रोम में अदरक की मांग भी अधिक थी। प्लिनी लिखता है कि यह सोने, चांदी की तरह तोल कर बिकता था। मि० विन्सेन्ट स्मिथ भारत और रोम के बीच में होनेवाले व्यापार के विषय में लिखते हैं—

“तामिल भूमि का यह सौभाग्य है कि वह तीन ऐसी मूल्यवान् वस्तुएँ उत्पन्न करती है, जो अन्य स्थान में अप्राप्य हैं। कालीमिर्च, मोती और पिरोजा (Beryls)। कालीमिर्च यूरोप के बाजारों में बड़े दामों पर बिकती है। दक्षिण भारत में मोती निकालने का उद्योग हजारों वर्ष के पहले भी बढ़ी सफलता के साथ चल रहा था। दक्षिण हिन्दुस्तान के पैडिपुर ग्राम में पिरोजा की जो खान है उसी से प्राचीन संसार पिरोजा प्राप्त करता था। प्लिनी ने भारतवर्ष को जवाहिरात का केन्द्र स्थान कहा है। संसार का सभसे महान् और सबसे अधिक मूल्यवान् हीरा 'कोहेनूर' जो संसार के धनेरु देशों में घूमता हुआ कुछ वर्षों में लण्डन पहुँचा है, मूल में भारतवर्ष ही का था।

सुप्रसिद्ध इतिहासकार मि० थॉमस ने अपने "Description of Ancient India" नामक ग्रन्थ में प्राचीन भारत के विषे इस आशय के बचन लिखे हैं।

“यूरोपिय सभ्यता के मूल जनक यूनान और इटली जब निरी जंगली अवस्था में थे तब भी भारतपर्यटन और सभ्यता का केन्द्र रथान था। यहाँ चारों ओर बड़े बड़े उद्योग-धन्धे जारी थे। यहाँ की जनता दिन रात काम में लगी रहती थी। यहाँ की भूमि उर्वरा थी, जिसमें यदा फसल रथ पैदा होती थी। यहाँ किसानों को अपने परिश्रम का फल बहुत ही अच्छा मिलता था। ये धन धान्य पूर्ण होते थे। यहाँ बड़े बड़े चतुर कारीगर थे जो यहाँ के कच्चे माल से इतना मफीम उमदा पक्का माल तैयार करते थे जिसकी संसार भर में मांग होती थी और कई पाश्चात्य और पौराण्य राष्ट्र इसे बड़े धाय से मरीदते थे। यहा सूत और वस्त्र इनने मुलायम और खंयमूरत बनते थे कि जिनको तुलना नहीं हो सकती।”

पाठक ! देखिये, यह एक निपक्ष अमेज इतिहासवेत्ता ने भारतीय वैभव का चित्र खींचा है। हम यदि स्वयं अपनी प्रशंसा करें तो पक्षपात का दोषारोप किया जा सकता है, पर एक विदेशी अमेज इतिहास लेखक का खींचा हुआ यह चित्र कभी पक्षपात युक्त नहीं कहा जा सकता। यहाँ क्यों, प्राचीन काल में जो अनेक विदेशी यात्री भारत में आये उन्होंने भारत की सुस्थिति का जिक्र अपने ग्रन्थों में जगह जगह किया है। मेगस्थनीज जो यहाँ विषम से २५३ वर्ष पूर्व आया था, लिखता है “भारत में बहुत से उचे पहाड़ हैं, जिन पर हर किस्म के मेवे और फल होते हैं। और बहुत सी नदियाँ से प्लावित उपजाऊ मैदान हैं। यहा पर सब तरह के कद के बलघान पशु भी पाये जाते हैं। हस्त कौशल तथा दस्तकारी आदि के कामों में ये लोग दक्ष हैं। गेहूँ, जौ, चना आदि अन्न के सिवाय ज्वार, बाजरा तथा बहुत प्रकार की दालें

भी यहाँ अधिकता से होता है। पशुओं के खाने योग्य और कई प्रकार के अन्न उपजते हैं।" चीनी यात्री फाहियान जो सं० ४५७ में हिन्दुस्तान में आया सा लिखता है—“यहाँ की प्रजा समृद्धिशालिनी है। यहाँ किसी प्रकार का कर नहीं देना पड़ता और न अफसरों की डाली हुई किसी भी प्रकार की रुकावटें हैं। जो राज्य की भूमि जोतते हैं, वे लाभ का थोड़ासा अंश राजा को कर रूप में देते हैं। राजा किसी को शारीरिक दण्ड नहीं देते है।”

इस बात को पाश्चात्य विद्वान् भी स्वीकार करते हैं कि सिकन्दर के हमले से लेकर मुहम्मद गौरी के हमले तक भारतवर्ष अटूट सम्पत्ति और अतुलनीय वैभव से परिपूर्ण था, अर्थात् ईसा से ३२७ वर्ष पूर्व से ईसवी सन् १००० तक भारत के साम्प्रतिक सांभ्राण्य सूर्य की प्रकाशमय किरणें सारे संसार को प्रकाशित कर रही थीं। महमूद गजनवी ने जब भारतवर्ष पर आक्रमण किया था तब उसने इस देश को सम्पत्ति से लयालम भरा हुआ देखा था। उस समय यहाँ और अत्यन्त सम्पत्ति भरी हुई थी। रिफार्म पेन्सलेट न० ९ में लिखा है।—

“Writers both Hindu & Musalman unite in bearing testimony to the state of prosperity in which India was found at the time of the first mohammedan Conquest. They dwell with admiration on the extent and magnificence of the capital of Kanauj and of the inexhaustible riches of the temple of Somnath.

अर्थात् मुसलमानों के प्रथम आक्रमण के समय हिन्दुस्तान की जो समृद्ध अवस्था थी, उसे हिन्दू और मुसलमान दोनों लेखक एक स्तर में स्वीकार करते हैं। ये कर्षाज की गाँवों की विस्तार और वैभव की तथा सोमनाथ के मन्दिर की अपार सम्पत्ति की यही प्रशंसा करते हैं।

Nicolo di conti नामक मुप्रसिद्ध यात्री जो दसवीं सन् १४८० में भारतवर्ष में आया था, अपने प्रयाग-वर्णन में भारतवर्ष के विषय में लिखता है:—

“गंगा के किनारे बड़े बड़े सुन्दर शहर बसे हुए हैं जिनके आसपस रमणीय बगीचे और फुलदारियाँ लगी हुई हैं। शहरों के बाहर नगर मनोहर खता मण्डपों की बहार है। यहाँ मानों रथों की नदियाँ बह रही हैं। मोतों और माणिक्य अट्ट भरे हुए हैं।”

Casir Frederic & Hen Batuta नामक दो मजनों ने मुहम्मद तुगलक के समय भारतवर्ष में यात्रा की थी। यह कहने की आवश्यकता नहीं कि उस समय हिन्दुस्तान में बड़ी अशान्ति व्याप्त हो रही थी। लूटमार का बाजार गर्म था। इनके पर भी उक्त मजनों कहते हैं कि “हिन्दुस्थान में बड़े बड़े शहर हैं जिनकी घनी और विशाल बर्तनी है और यहाँ समृद्धि की बाढ़ें आ रही हैं।”

बादशाह बाबर जो सोलहवीं सदी के आरम्भ में हिन्दुस्तान में आया था, वह यहाँ की अनुलभ्य सम्पत्ति, अपार मोना, चाँदी, जवाहरात, प्रचुर जन संख्या, महान् व्यापार, अपूर्व कलाकीशल देखकर दहक रहा गया। उसने अपने “बाबरनामा” में हिन्दुस्थान की इस वैभवपूर्ण अवस्था को प्रगट किया है। Sebastion Manrique नामक एक यूरोपियन भारत प्रवासी ने सन् १६१२ में भारत में भ्रमण किया था। उसने यहाँ के उमदा और नफीस वस्त्रों का वर्णन किया है और लिखा है कि यहाँ से समस्त पूर्वी और पश्चिमी देशों को कपड़ा जाता था। हमने बंगाल की तत्कालीन राजधानी ढाका का वर्णन किया है और कहा है कि हममें दो लाख मनुष्यों की बर्तनी थी। यहाँ बनने वाली संसार प्रसिद्ध मुलायम और बारीक मलमलों का भी उसने विवरण दिया है। हमने लाहौर और मुजतान के बीच के प्रदेश में भी यात्रा की थी। रातों में वह कई छोटे छोटे गाँवों में टहरा था। हमने इन ग्रामों के विषय में



लिखा है कि ये घन धान्य पूर्ण थे। इनमें गेहूँ, चावल, रुई आदि पदार्थ कमरत से भरे हुए थे। ये लोग घन-धान्य सम्पन्न थे। ग्राम बड़े सुन्दर ढंग से बसे हुये थे। सिन्ध के ताता ग्राम में भी यह कुछ दिन ठहरा था। उसने इस ग्राम को अत्यन्त समृद्धिशाली बतलाया है। इसके अतिरिक्त उसने सिन्ध के ग्राम पास के प्रदेश की असाधारण सम्पत्ति का जो वर्णन किया है उससे चित्त आनन्दित हो उठता है। वह लिखता है—

“इस प्रदेश में बढिया रुई के वस्त्र तैयार होते हैं, और इसके लिये हजारों कर्चे (Looms) चल रहे हैं। यहाँ बढिया रेशम भी पैदा होती है। नफीस और नयन रजक वस्त्र भी बुने जाते हैं। इन उखों पर सोना चादी की जरी का और सलमं मित्तारे का जैसा काम बढिया होता है वह एक बारगी अपूर्व है। लोंग सूब घनवान ह और अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति बड़ी सुलभता से कर के कुछ द्रव्य बचा भी लेते हैं।”

मेन्डेरली नामक एक जर्मन यात्री जो लगभग १६३८ ई० में हिन्दुस्तान आया था, लिखता है—

भडौच नगर की आबादी घनी है। यह जुलाहो से भरा हुआ है। ये जुलाहे सबसे उमदा और नफीज वस्त्र तैयार करते हैं। अहमदाबाद जाते समय रास्ते में बडौदरा ( बडौदा ) आया। यह नगर भी जुलाहों से परिपूर्ण है। यह अत्यन्त सुन्दर और समृद्धिशाली नगर है। यहाँ बढिया सूती और रेशमी वस्त्र तैयार होते हैं। म्म्भात नगर मूरत में बसा है और यहाँ बहुत भारी व्यापार होता है। आगरा जो हिन्दुस्तान की राजधानी है, इस्फान नगर से दूना है। यहाँ के रास्ते बड़े ही सुन्दर और विस्तृत हैं। यह नगर बड़ी ही सुन्दरता से बना हुआ है और व्यापार भी खूब होता है। प्रजा बहुत समृद्धिवान है।”

इस बात के सैकड़ों प्रमाण दिये जा सकते हैं कि ईसू उगिन्या क० के शासन काल के पहले हमारी साम्पत्तिक और औद्योगिक अग्रगण्य बहुत बढ़ी बढ़ी थी। संसार का कोई देश भारत के समान समृद्धि

की लूट के बाद घायले हुए विदेशी वाणी भारत की अटूट समृद्धि की स्थापना करते ?

दूसरा हमला मन् १७०६ में नादिरशाह का हुआ । कहा जाता है कि वह भी अपने साथ अपार सम्पत्ति ले गया । पर वह भी दिल्ली से भागे नहीं गया था । हिन्दुस्थान का अधिकांश भाग इसके गुलामी हमलों से बचा रहा, और यही कारण है कि इसके बाद भी हिन्दुस्थान संसार के राष्ट्रों में सबसे अधिक समृद्धिशाली बना रहा । यहाँ की औद्योगिक और व्यापारिक उन्नति सर्वोपरि थी, यह सर्वोपरि स्थिति ईस्ट इण्डिया कम्पनी के राज्य काल के आरम्भ तथा मध्य तक बनी रही, यह बात कितने ही निष्पक्ष अभिज्ञ लेखकों ने भी मुक्तकण्ठ से स्वीकार की है ।



# भारत में यरोपियनों का आगमन

जैसा कि हम गत अध्याय में कह चुके हैं, संसार में भारतवर्ष स्वर्ण-भूमि कहलाता था और संसार की लालची आँखें इसकी ओर सदा से रहीं थीं। हमारे शास्त्रों में तो कहा है कि देवता तक इस भूमि से ललचाते हैं, फिर मनुष्य की तो बात ही क्या। सिकन्दर को इस स्वर्ण-भूमि ने आकर्षित किया और महमूद गजनवी व मुहम्मद गौरी आदि मुसलमान बादशाहों का भी इसके लालच ने ही रखा। इसी प्रकार इस स्वर्ण-भूमि की ओर यूरोप निवासियों का भी ध्यान आकर्षित हुआ। क्योंकि सुप्रख्यात प्रोक प्रवासी हिरोडोट्स ने हिन्दुस्थान को सोने की खान बतलाया था। हिरोडोट्स के ग्रन्थ में कई ऐसे प्रमाण हैं जिनसे भारतवर्ष व ग्रीस का व्यापारिक सम्बन्ध सिद्ध होता है।

यूनानियों के बाद रोमन लोगों का उदय हुआ। हिन्दुस्थान के साथ इनका भी, बहुत बड़ा व्यापारिक सम्बन्ध था। रोमानी कपड़े, विविध प्रकार के जवाहिरात, मोती, सुगन्धित द्रव्य, हाथीदांत आदि कई पदार्थ हिन्दुस्थान से रोम जाते थे। यहां यह बात ध्यान में रखना आवश्यक है कि उस समय हिन्दुस्थान से यूरोप को कच्चा माल नहीं जाता था। यहां से विलास सामग्री का पक्का माल जाता था। मेमसेन अपने, "Provinces of the Roman Empire" में लिखता है कि हिन्दुस्थान से रोम को प्रति साल ४०००००० पींड की विलास सामग्री जाती थी।

रोमन लोगों का पतन होने पर व्हेनिशियन लोग वैभव के शिखर पर चढ़े। इनका, लक्ष्य खास तौर से व्यापार की ओर था। अभी तक

हिन्दुस्थान के साथ युरोप का जो सम्बन्ध होता था, वह बड़े कठिन मार्गों द्वारा होता था। इन मार्गों में बहुत अड़चनों पड़ती थीं। स्वर्भूत बहुत पड़ता था। सुप्रसिद्ध पोर्चुगीज व्यापको-डे-गामा ने सन् १४९९ में हिन्दुस्थान के लिये एक नया मार्ग खूँड निकाला, तब ने हिन्दुस्थान और युरोप का आवागमन पथ किञ्चित् सरल होगया। १६ वीं सदी में हिन्दुस्थान में पोर्चुगीजों का, १७ वीं सदी में डच लोगों का और १८ वीं सदी में फ्रेंच लोगों का वर्चस्व हो गया। इसके बाद अंग्रेजों की ध्वजा फहराने लगी।

इसी नये मार्ग का पता चलते ही पोर्चुगीज लोगों के साथ साथ ईसाई धर्म का भी रुले तौर से प्रवेश होने लगा। इसके पहले भी थोड़ा सा ईसाई धर्म का सिलसिला शुरू हो गया था। ईसवी सन् ६९ में, सेंट थामस नाम के एक ईसाई पादरी ने मद्रास के पास शरीर त्याग किया था। इसके पहले कितने ही वर्ष तक वह मलाबार व कारोमण्डल के किनारों पर ईसाई धर्म का उपदेश देता फिरता था। ईसवी सन् १२९ में ट्याटीनस नामक ईसाई पादरी हिन्दुस्थान में आया था। ईसवी सन् की तीसरी सदी के अन्त में मलाबार के किनारे ईसाई धर्म ने अच्चा प्रभाव जमा लिया था। सन् ४८६ में येसिलोन से नेस्टोरियन नामक ईसाई पादरी मलाबार के किनारे पर उतरा था, और यहाँ उसने अपना धर्म-प्रचार-कार्य शुरू कर दिया था। आठवीं सदी में आर्मेनियन् मिशनरी सेंट थामस ने मलाबार के किनारे पर ईसाई धर्म का गिर्जा बनाया था। हिन्दुस्थान में यही सबसे पहला गिर्जा है। सन् ८८३ में इज्जलेड के राजा थालफूट ने अपने दो धार्मिक प्रतिनिधि सेंट थामस के कवि ज्ञान की यात्रा को भेजे थे।

धर्म-प्रचार और व्यापार-वृद्धि इन दो उद्देशों को सामने रखकर पोर्चुगीज लोग हिन्दुस्थान में आये थे। यहाँ यह कहने की आवश्यकता नहीं कि पहला उद्देश दूसरे का पृष्ठपोषक नहीं था। वह उक्त उक्त

विधानक था। वास्को-डे-गामा पहले पहल कालीकट में आकर दाखिल  
 हुआ। इस वक्त कालीकट नगर अत्यन्त समृद्धिशाली अवस्था में था।  
 उस राजा जामारिन कहलाता था। उस देश का व्यापार लगभग छः सौ  
 वर्ष से अरब के मुसलमानों के हाथ में था। वास्को-डे गामा ने उस  
 राजा को किमी तरह प्रसन्न कर लिया। जब गामा वापस पोर्चुगाल के  
 लिये रवाना होने लगा, तब उस राजा ने पोर्चुगाल राजा को इस  
 प्रशय का पत्र लिखा:—

“आपके धराने के सरदार वास्को-डे गामा का हमारे राज्य में शुभा-  
 गमन होने से हमें बड़ी प्रसन्नता हुई है। हमारे राज्य में दालचीनी, खींग,  
 गोंठ, कालीमिर्च और जवाहिरात आदि की खूब समृद्धि है। हमारी  
 इच्छा है कि हमें इन चीजों के बदले में आपकी ओर से सोना चांदी  
 मिले।”

इस प्रकार पोर्चुगालीयों को जाने का जलमार्ग मिल जाने के कारण  
 संसार के इतिहास में बड़ी भारी क्रान्ति हो गई। यूरोप में उस समय  
 पोर्चुगालीय लोगों का महत्व बहुत बढ़ गया। वेनेसिस, जिनोआ आदि  
 राष्ट्रों का व्यापार दब गया और वे राष्ट्र उदय होने लगे, जो नौकानयन  
 विद्या में कुशल थे।

सन् १५०३ में पोर्चुगाल से अलबुर्क नाम का मनुष्य हिन्दुस्थान  
 में आया। जहाँ वास्को-डे गामा केवल व्यापार-वृद्धि के लिये आया  
 था, वहाँ अलबुर्क राज्यस्थापना की कल्पना लिये हुए आया। सन्  
 १५१० में उसने गोआ पर अधिकार कर लिया। सन् १५१५ में उसका  
 गोआ ही में शरीरान्त हो गया। सन् १५२७ में वास्को-डे गामा  
 तीसरी मत्वा हिन्दुस्थान को आया और सन् १५२७ में उसका कोचीन  
 मुकाम पर देहान्त हो गया। सन् १५०० से लगाकर सन् १६०० तक  
 पोर्चुगालीयों की खूब चहल पहल रही। इस के बाद इन की उत्तरती  
 कला लगी। यूरोप में पोर्चुगालीय सत्ता स्पेन की राज्यसत्ता के लिये में

धरती गई। आगे जाकर सन् १६४० में पोप्युंगीज स्वतन्त्र हो गये। पर इस घसे में डच लोगों ने हिन्दुस्थान में पोप्युंगीज लोगों के व्यापार पर अधिकार कर लिया। हिन्दुस्थान में पोप्युंगीजों के पतन के और भी कई कारण हैं। उन्होंने यहां अनेक राएसी और निष्ठुर कार्य किये। वे हर दर्जे के विलास प्रिय होगये। उनके राज्य में धर्म-दल बहुत बढ़ गया। उन्होंने यहां की स्त्रियों पर अमानुषिक अत्याचार किये। इससे वे लोगों की निगाह में बहुत गिर गये और उनके लिये लोगों के मन में घुरे भाव पैदा हो गये। पोप्युंगीजों के बाद हिन्दुस्थान में डच लोगों का सितारा चमका।

अंग्रेजों की तरह डच लोग भी हिन्दुस्थान में जाने के लिये उत्तर की ओर से मार्ग ढूँढ रहे थे पर उसमें उन्हें सफलता नहीं हुई। अतएव उन्होंने पोप्युंगीजों की शोध से लाभ उठाना चाहा। यह कहने की आवश्यकता नहीं है कि हिन्दुस्थान में लगातार सौ वर्ष तक व्यापार करने के कारण पोप्युंगीजों का प्रधान नगर लिस्बन शहर में लाये हुये माल को युरोप के बाजारों में बेचने के लिये पोप्युंगीज लोगों को डच लोगों की सहायता लेनी पड़ी। डच जहाज लिस्बन से माल लेजाकर सारे युरोप में फैलाते थे। इसके बाद डच लोगों का मोर्चा भी हिन्दुस्थान की तरफ फिरा। लिन्सकोटेनस नाम का एक डच व्यापारी लिस्बन शहर में थोड़े समय तक रह कर वहां से वह पोप्युंगीज लोगों के साथ हिन्दुस्थान के गोधा नगर को आया। वहां तेहर वर्ष रह कर उसने व्यापार सम्बन्धी बहुतसी जानकारी प्राप्त की। सन् १५५२ में वह अपने देश को वापिस लौटा और सन् १५६६ में उसने हिन्दुस्थान के सम्बन्ध में प्राप्त की हुई जानकारी को प्रकाशित कर दिया। इसके बाद हाबेबट की राजधानी एम्स्टर्डम में व्यापारियों की एक सभा हुई और उसमें हिन्दुस्थान में व्यापार के अर्थ सपर करने का निश्चय हुआ। इस निश्चय के अनुसार, कार्नेलियस होमन नामक एक व्यापारी की धार्मिकता में सन १५६२ में

चार जहाज अफ्रीका के रास्ते से हिन्दुस्थान आये । वे ढाई वर्षों में वापस गये । फिर चार पाच वर्षों में डच लोगों ने हिन्दुस्थान की ओर पन्द्रह यात्राएँ कीं । उन्होंने हिन्दुस्थान में व्यापार करने के अर्थ कई कम्पनिया भी सङ्गठित कीं । पीछे जाकर इन सब कम्पनियों का एकीकरण कर डच पार्लियामेंट ने सन् १६०० में 'डच ईस्ट इण्डिया कम्पनी' नामक एक बृहत् कम्पनी स्थापित की ।

समय मतरहवीं सदी में डच लोगों का पूर्व की ओर की व्यापार पर अधिपत्य रहा । इसका कारण उनका समुद्र पर असाधित अधिकार था । यहा यह बात कह देना आवश्यक है कि डच लोगों का उद्देश केवल व्यापार-वृद्धि था । पोर्चुगीजों की तरह यहा का व्यापार डुबोकर ईसाई धर्म की वृद्धि करना और नये प्रदेश जीत कर अपना राज्य बढ़ाना आदि उद्देश उन्होंने अपने सामने नहीं रखे । किन्ती भी प्रदेश की राजकीय अन्तर्न्यवस्था में उन्होंने हाथ नहीं डाला ।

सन् १६२२ में उन्होंने मद्रास के निकटवर्ती पालकालु स्थान में अपनी बस्ती (settlement) बसाई । उसके छ-वर्ष बाद सन् १६२८ में उन्होंने सीलोन का जफणापट्टण किला पोर्चुगीजों से हस्तगत किया । सन् १६६४ में उन्होंने मलाबार किनारे के पोर्चुगीज लोगों के ताबे के सब स्थानों पर अधिकार कर लिया । सन् १६६९ में उन्होंने सेंट थामी स्थान से पोर्चुगीज लोगों को निकाल दिया । इस प्रकार डच लोगों की हूती कुछ समय तक हिन्दुस्थान में बजने लगी, पर उनके वैभव को छय करने वाली एक दूसरी मत्ता का उदय हो रहा था और वह सत्ता अंग्रेजों की थी ।

सन् १६२३ में डच लोगों ने अशोयाना स्थान में अंग्रेजों को निर्दयता से कत्ल किया । इस हूती समय से हिन्दुस्थान में ब्रिटिश सत्ता से बीज रूप सूरपात हुआ । डच लोगों की सैकीय व्यापारिक नीति के कारण उनकी सत्ता दगमगाने लगी । निर्दयता और पागविकता में डच लोगों ने

पोप्यु'गांजों को भी नीचा दिखला दिया । ये स्थानीय लोगों की सहाय-  
 भूति से हाथ धो बँटे । हिन्दुस्थान के लोग उनसे घृणा करने लगे । मन्  
 १०५८ में हाइव ने चिकमुरा में दस लोगों को भारी शिकस्त दी । उन्हें  
 पूर्ण रूप से पादाक्रांत कर दिया । दसों के याद अंग्रेजों और फ्रेञ्चों का  
 नग्बर आया । इन दोनों में गूथ ठनी । अखिर फ्रेञ्चों का नारा होकर  
 अंग्रेजों की सत्ता का किस प्रकार उदय हुआ, इस पर विशेष प्रकाश  
 अगले अध्याय में डाला जायगा ।





# भारत में अंगरेज कब और कैसे आये

हिन्दुस्थान में अंग्रेज पहले पहल कय आये, इस बात का अन्वेषण करने से मालूम होता है कि ९ वीं सदी में इंग्लैण्ड के राजा आल्फ्रेड का भेजा हुआ प्रतिनिधि यहाँ सबके पहले आया। इसके बाद चारसौ गचसी वर्ष बाद चौदहवीं सदी में सर जार्ज मेडिन्हेल नाम का अंग्रेज आया। ऐतिहासिक दृष्टि से इन दोनों अंग्रेजों के आगमन में अनी थोड़ा बहुत सन्देह प्रकट किया जाता है, पर यह बात सच है कि १३९९ में मेडिन्हेल ने हिन्दुस्थान के प्रवास के सम्बन्ध में एक पुस्तक प्रकाशित की थी। इंग्लैण्ड में सबसे पहले यही पुस्तक छपी थी। दूसरे शब्दों में यह कह लीजिये कि इंग्लैण्ड में जो सब से पहली बार पुस्तक छपी, वह हिन्दुस्थान के सम्बन्ध में थी। अगर उक्त दोनों अंग्रेजों की भारत यात्रा ऐतिहासिक दृष्टि से सच भी हो तो भी वह विशेष महत्व नहीं रखती, क्योंकि वे किसी खास उद्देश की लेकर नहीं आये थे। वे देश देखकर वापस चले गये। आधुनिक काल में जो सब से पहला अंग्रेज आया और यहाँ बस्ती करके रहा, उसका नाम फादर स्टीफन था। सन् १५६९ के आक्टोबर मास में स्टीफन ईसाई धर्म का प्रचार करते हुए व्यापार के अर्थ सोचा गया। उसही आयु वहीं पुरी हो गई। इसने हिन्दुस्थान का अन्त्यन्त मनोरंजक वृत्तान्त लिख कर विलायत भेजा। मि० स्टीफन ने "द्विस्त पुराण" नाम का कोंकण-मराठी भाषा में ईसाई-अर्थ-प्रकाशनात्मक ग्रन्थ लिखा। यह ग्रन्थ रोमन-क्षेत्रों में लिखा गया है। इसने पोर्चुगीज भाषा में मराठी-कोंकणी भाषा का एक अन्वेषण भी लिखा था। सन् १५८६ में राफ फ्रिच नामक एक अंग्रेज

सुरकी वे मार्ग से हिन्दुस्थान आने के लिये रवाना हुआ । ईरान के आघात पर पहुँचने पर पोर्चुगीज लोंगों ने उसे रूक कर गोआ भेज दिया । जब वह हिन्दुस्थान से विजायत की यापन पहुँचा तब उसने यहाँ के लोगों के चरित्र और सम्पत्ति के विषय में अत्यन्त मनोरंजक वृत्तान्त प्रकाशित किया । हमने यहाँ के लोगों के चित्त में हिन्दुस्थान के लिये यही उत्सुकता उत्पन्न हो गई । इसके तीन वर्ष बाद यानी सन् १५८६ में टामस क्वेंडिश नामक अंग्रेज पृथ्वी का पर्यटन करते करते हिन्दुस्थान आ पहुँचा । उसने यहाँ से बहुत जानकारी प्राप्त की । जब वह वापस इंग्लैण्ड पहुँचा तब उसने भी हिन्दुस्थान की अनुलनीय सम्पत्ति और असीमिक वैभव के मनोरंजक वृत्तान्त छपवाये । इससे हिन्दुस्थान के लिये अंग्रेजों की दिलचस्पी बहुत बढ़ गई । अब हम ईस्ट इण्डिया कम्पनी के निर्माण होने का और अंग्रेजों की उन यात्राओं का वर्णन लिखते हैं जो शुरू शुरू में हिन्दुस्थान में आने के लिये की गई थीं ।

### ईस्ट इण्डिया कम्पनी का संगठन

ईस्ट इण्डिया कम्पनी का नाम हमारे पाठकों ने अवरुध ही सुना होगा । इस कम्पनी के प्रतिनिधि या गुमारते व्यापार के लिये सात समुद्र पार इंग्लैण्ड से यहाँ आये और उन्होंने अपनी कृतनीति से धीरे २ अपना विशाल साम्राज्य संगठित कर लिया । आज हम अपने पाठकों को इसी कम्पनी का शुरू शुरू का कच्चा चिट्ठा सुनाते हैं । पाठकों को यह सुन कर आश्चर्य होगा कि जिस कम्पनी ने एक महान् साम्राज्य की नींव डाली, उसका सूरपात बितने छोटे पाये पर हुआ था ।

सत्रहवीं सदी में इंग्लैण्ड की महारानी एलिजाबेथ राज्य कर रही थीं । इन्होंने अपने प्रजा प्रेम के कारण साधारण जनता की अर्द्धी प्राप्त करली थी । महारानी मेरी के बाद महारानी एलिजाबेथ

इंग्लैण्ड के राज्य शासन पर जब आसीन हुई थीं, उस समय उस देश में बड़ी अव्यवस्था फैली हुई थी। राज्यकोष खाली पड़ा हुआ था। देरा दिवालिया हो रहा था। उद्योग धर्मों की अयोगति हो रही थी। फ्रांस से लड़ाई मगड़ा शुरू था। इस वक्त इंग्लैण्ड की बड़ी शोचनीय अवस्था हो रही थी। पैसे की अजहद तंगी थी। महारानी एलिजाबेथ इस दशा का सुधार करना चाहती थी। वह एक अच्छे विचारों की महिला थी। इंग्लैण्ड के इतिहास में उनका नाम बड़े गौरव के साथ लिया जाता है। उनके वक्त में इंग्लैण्ड में कई व्यापारी कम्पनियों का संगठन हुआ। उनसे हमें वास्ता नहीं। हम ईस्ट इण्डिया कम्पनी के संगठन पर ही दो शब्द लिखना चाहते हैं। हक समिति (Haq Society.) द्वारा प्रकाशित "Lancaster's voyages" नामक ग्रन्थ में ईस्ट इण्डिया कम्पनी की स्थापना के विषय में जो कुछ लिखा है उसका आशय यह है:—

“सन् १६०७ में लंडन नगर के कुछ व्यापारियों ने मिल कर ७२००० पाँड की पूँजी से हिन्दुस्थान से व्यापार करने के लिये एक जॉइन्ट स्टॉक कम्पनी स्थापित की। इस कम्पनी का उद्देश भारत से (Spices) मसाले और दूसरे पदार्थ लाना था। इन व्यापारियों ने देगोन, हेक्टर और एस्संसन आदि नाम के बड़े २ जहाज खरीदे। इन्होंने तत्कालीन महारानी एलिजाबेथ से हिन्दुस्थान में व्यापार करने के लिये इजाजत चाही। श्रीमती महारानी ने उन्हें प्रसन्नता के साथ इजाजत का परवाना दे दिया। इतना ही नहीं भारत के तत्कालीन सम्राट् के नाम भी एक सिफारिशी पत्र लिख दिया।”

हां, यहां एक बात ऐतिहासिक महत्व की है, जिसे न भूलना चाहिये। महारानानी एलिजाबेथ को यह परधाना Charter देते समय बड़ा विचार पड़ा। उन्होंने सोचा कि भारतवर्ष में व्यापार करने के

सम्पूर्ण अधिकार स्पेन के राजाओं को प्राप्त है और स्पेन में सुनह करन का मौका था रहा है, किसी देश में हम लोगों का भारतवर्ष में व्यापार करने की इजाजत दे देना मानो स्पेन के साथ शत्रुता करना है। इस विचार ने महारानी एलिजाबेथ को बड़े असमंजस में डाल दिया। उन्होंने अपनी इस स्थिति को प्रकट भी कर दिया। इस पर इंग्लैण्ड के कुछ व्यापारियों ने महारानी की सेवा में एक प्रार्थना-पत्र भेजा, जिसका आशय यह था;—“हमारी समझ में नहीं आता कि भारत जैसे समृद्धिशाली और धनवान प्रदेश में हमें व्यापार करने की इजाजत देने में क्यों हिचकिचाहट की जाती है। हिन्दुस्थान में कई प्रदेश ऐसे हैं जो स्पेन या पोर्चुगाल के व्यापारिक अधिकार सीमा के बाहर हैं। यहां व्यापार करने में कौन सी हानि है।” इसके अतिरिक्त इंग्लैण्ड के व्यापारियों ने हिन्दुस्थान में कई देश, प्रांत और चन्द्र जैसे घतलासे जिनमें स्पेनिश या पोर्चुगाल लोग का कोई सम्बन्ध नहीं था। उन्होंने कहा कि हिन्दुस्थान के अमुक अमुक प्रदेशों में पोर्चुगाल या स्पेनिश लोगों को कोई विशेष हक प्राप्त नहीं है +। हमें एक विशाल प्रदेश में व्यापार करने से क्यों रोक़ा जाता है।” एलिजाबेथ ने ईस्ट इण्डिया कम्पनी के प्रतिनिधियों के लिये सम्राट् अकबर को निम्न लिखित आशय का पत्र लिखा —

☉ हम ऊपर लिख चुके हैं कि एक सदी तक हिन्दुस्थान में पोर्चुगालीजों की बड़ी व्यापारिक गति विधि रही और जब युगोप में पोर्चुगाल स्पेन के ताबे में चला गया तब जो व्यापारिक हक पोर्चुगाल को प्राप्त थे प्राप्त हो गये।

+ The merchants however, after enumerating the ports and territories which had been in any way under the influence of the former Government of Portugal, gave a long list of countries to the Spaniards could make no pretensions

“सर्वशक्तिमान् प्रभु ने संसार में उत्तम वस्तुएं उत्पन्न कर सर्वत्र सुव्यवस्था स्थापित कर रखी है। उस सर्वशक्तिमान् का यह संकेत बिलबार्ड देता है कि सब राष्ट्र मिल कर उस प्रभु की उदारता का एक सा फायदा उठावें। आप पर-राष्ट्रीय लोगों का अपने देश में अच्छा सत्कार करते हैं। अतएव हमें व्यापारियों को आपके राज्य में जाने की इजाजत देते हुए प्रसन्नता होती है। जब आप इनसे मिलेंगे तब आपकी मालूम होगा कि ये व्यवहार में सम्य हैं, आपकी इनसे कभी किसी प्रकार की अप्रसन्नता न होगी। इनके पहले हिन्दुस्थान में स्पेनिश व पोर्चुगीज व्यापारी इधर का माल आपके देश में ले जा रहे हैं, ये लोग व्यापार के कार्य में हमारे लोगों को तथा अन्य लोगों को नाहक तड़कते हैं। सब पूछिये तो वे लोग (स्पेनिश और पोर्चुगीज) केवल व्यापार ही के उद्देश को लेकर हिन्दुस्थान नहीं गये हैं। वे लोग अपने आपसे वहां का (हिन्दुस्थान का) बादशाह समझते हैं। वे वहां के (यूरोप के) लोगों को साफ कहते हैं कि वहां (हिन्दुस्थान) के लोग हमारी प्रजा हैं। हमारे लोग व्यापार के साम्य उद्देश को लेते हुए आपके देश में आ रहे हैं। हमें आशा है कि आप कृपा कर उन्हें अपने देश में आने देंगे, और आप हमारे देश के साथ व्यापार और स्नेह की वृद्धि करेंगे। हमारा पत्र लेकर जो गृहस्थ आप के पास आवेंगे और आपके साथ जो कुछ समझौता करेंगे उसे हम ईमानदारी से पालन करेंगे और आप उनके साथ जो उपकार करेंगे उसका बदला हम बड़ी प्रसन्नता से देंगे।”

---

and defied them to show why they should bar Her majesty's subjects from the use of vast, wide and open ocean, sea and of access to the territories of so many free princes and kings in whose dominions, they have no more authority than we.

अब हम यह दिखलाना चाहते हैं, कि मुगल सम्राट् के दरबार में अंग्रेजों का कैसे प्रवेश हुआ और उन्होंने किस प्रकार से कौन-कौन-सी सुविधाएँ (Concessions) प्राप्त कीं! "Purchas's Pilgrims" नामक भ्रमण-वृत्तान्त में लिखा है:—

“सबसे पहला अंग्रेज जिसने महान् मुगल सम्राट् में अपने देश के लिये एक प्राप्त किये, वह जान मिस्केनहाल था। वह सन् १६०० में लंडन से हिन्दुस्थान के लिये रवाना हुआ। वह सन् १६०३ में आगरा पहुँचा और मुगल दरबार में उपस्थित हुआ। सम्राट् ने उसका और उसके द्वारा लाये हुए पत्रों का बड़ा सम्कार किया। उसने सम्राट् को उन्तीस उम्दा घोड़े और जवाहिरात नज़र किये। इतालियन पादरियों के पदयन्त्रों में उसे बहुत तर्क होना पड़ा था। उसे यहाँ की भाषा का ज्ञान नहीं था, उसे अपने कार्य के मार्ग को साफ करने में यहाँ अदबूने पड़ी।

उसने फ़ारसी भाषा का अभ्यास करना शुरू किया और खूब परिश्रम कर उस पर ग़ासा अधिकार प्राप्त कर लिया। इसके बाद वह बादशाह को अपने भाव अच्छी तरह समझा सका और उसने अपने मंतोप के लायक बादशाह में फ़र्मान हासिल कर लिये। दुःख है कि इन फ़र्मानों का इस वक्त पता नहीं लगता।

सन् १६११ में मि० थॉमस बेस्ट + इंग्लैण्ड के तत्कालीन राजा जेम्स के सिफ़ारिशी पत्रों सहित सम्राट् जहांगीर की सेवा में उपस्थित हुआ। सन् १६१२ को २१ वीं आक्टोबर को उसने अहमदाबाद और सूरत के से अपनी व्यापार सम्बन्धी बुद्ध शर्तें तय कीं। पीछे जाकर सम्राट् से भी इन शर्तों को मंजूर करवा कर उनमें निम्न लिखित का फ़रमान प्राप्त कर लिया.—

“मुगल सम्राट् की प्रजा और अंग्रेजों के बीच निरन्तर शान्ति रहे। इनका आपसी व्यापार पूर्ण रूप से खुला रहे। सब प्रकार के अंग्रेजों

माल पर ३॥) सैकड़ा मायर महसूल लिया जावे। इंग्लैण्ड के राजा के लिये यह बात न्याय-सङ्गत होगी कि वे अपना राजदूत मुग़ल दरबार में रखें, जिसमें कई पेशवा मन्त्रालों का आसानी से निपटारा हो सके !”

सन् १६०९ में केप्टन हाकिन्स नामक एक अंग्रेज दिल्ली के बादशाह से मिलने गया। अंग्रेज कम्पनी के लिये सूरत में व्यापार करने की इजाजत इसने प्राप्त कर ली। सन् १६११ में केप्टन हिपान नामक एक अंग्रेज ने कारोमंडल के किनारे पर मछलीपट्टन के पास पेटापुल्ली में एक कोठी कायम की। हाकिन्स के बाद और कई अंग्रेज मुग़ल दरबार में आये थे। सन् १६११ व १६१४ में पोर्च्युगीज और अंग्रेज जहाजी बेड़ों के बीच दो दो हाथ हुए। इसमें अंग्रेजों को सफलता हुई। सन् १६१६ में केप्टन कीलिंग नामक एक अंग्रेज कालीकत पहुँचा और उसने वहाँ सामूरी से व्यापारी सुलह की। इसी समय केप्टन डाउटन नामक अंग्रेज व्यापारी आया। उसने सूरत के व्यापारियों की-सहायता से कपास, कपड़ा नील आदि के व्यापार बढ़ाने की योजना की। सन् १६१४ में इंग्लैण्ड के राजा जेम्स ने सर थामस रो को राजदूत की हैसियत से सम्राट् जहाँगीर के पास नजराना और निम्न लिखित आशय का पत्र देकर भेजा।

“श्रीमान् ! आपने शाही फर्मान देकर हमारे प्रति, हमारी प्रजा के प्रति, इंग्लिश राष्ट्र के प्रति, जो कृपा प्रदर्शित की है, उसे हम स्मरण रखेंगे। शय हमारी प्रजा आपके राज्य में शान्ति और अमन चैन से और बिना किन्ही रूकावट के व्यापार कर सकेगी। हम आपके दरबार में अपने राजदूत सर थामस रो को भेजते हैं। हमने इन्हें सूचना करदी है कि वे ऐसा कार्य करें जिनमें दोनों राष्ट्रों की प्रजा का हित और कल्याण साधन हो। आशा है, आप इन पर कृपा रखेंगे। हम आपके प्रति जो सद्भाव और प्रीति रखते हैं, उसे बाह्य रूप में प्रकट करने के लिये आपकी सेवा-में नजराना भेजते हैं। यह नजराना हमारे राजदूत आपको नजर करेंगे। दयामय ईश्वर आपको प्रमत्त रखे !”

इसकी मन् १६१६ की १० वीं जनवरी को पहले पहल मर धोमसरी अजमेर मुकाम पर यादशाह की सेवा में उपस्थित हुआ। इंग्लैण्ड सम्राट् के पत्र के उत्तर में यादशाह जहांगीर ने राजा जैसम को जो पत्र लिखा, उसका आशय यह है—

“आपने अपने व्यापारियों के लिये मेरे पास जा पत्र भेजा, वह पहुँचा। आपने मेरे प्रति जो कोमल प्रेम (tender love) प्रकट किया है, उससे मुझे बहुत सन्तोष हुआ है। मैंने आपको अब तक पत्र नहीं लिखा, इसके लिये मुझे उम्मीद है कि आप बुरा न मानेंगे। मैं आपको यह पत्र शपना प्रेम ताजा करने के लिये भेज रहा हूँ। मैं आपको यह बतला देना चाहता हूँ कि मैंने अपने सब प्रान्तों में हम आशय का फर्मान भेज दिये हैं कि अगर कोई अंग्रेजी जहाज या व्यापारी मेरे राज्य में किसी बन्दर में पहुँचे तो उन्हें स्वतन्त्रता पूर्वक व्यापार करने की जगह दी जावे। दुःख संकट के समय में उन्हें योग्य सहायता दी जावे। प्रति किसी प्रकार की अंगिष्ठता न दिखलाई जावे। ये मेरी प्रजा। तरह स्वतन्त्रता पूर्वक रह सकें। आपने पहले और अब अपने प्रेम-पुरस्कार के रूप में जो नजर भेजी है, उसे मैंने प्रसन्नता पूर्वक स्वीकार किया है। आपके व्यापारियों के लिये मैंने साफ साफ यह आज्ञा प्रकाशित कर दी है कि उनकी बरीद फरोम्त, माल की आसद रफत आदि किसी काम में कोई विघ्न उपस्थित न किया जावे। अगर मेरे देश में कोई मनुष्य दरबार में न डर कर पूब राजा का हुक्म न मान बर-धर्म हीन होकर-मित्रता के इस सब को (League of friendship) तोड़ेगा तो मैं अपने पुत्र सुलतान कोरम को, भेजकर उसे फटवा दालूँगा। हमारे पारस्परिक प्रेम की वृद्धि में कोई बाधा उपस्थित न हो—यह हमारी इच्छा है।”

दिल्ली के तत्कालीन सम्राट् ने इस प्रकार के फर्मान अंग्रेज व्यापारियों के लिये जारी किये थे। पाठक देख सकते हैं कि हिन्दुराजान ने सात



समुंद्र पार के विदेशियों के साथ कैसा अच्छा सुलूक किया था। आज कल अंग्रेजी उपनिवेशों में हमारे हिन्दुस्थानियों के साथ जैसा सुलूक किया जाता है, उसका मुकाबला उस सुलूक से कीजिये, जो सम्राट् अकबर और सम्राट् जहाँगीर ने अंग्रेज व्यापारियों के साथ किया था। भारत का इतिहास इस प्रकार के आदर्शों से भरा पड़ा है। अस्तु

मुग़ल सरकार की इजाज़त से अंग्रेजों ने हुगली में उसी स्थान पर अपनी फ़ैक्टरी खोली, जहाँ कि सन् १६२५ में डच लोगों ने अपनी घस्ती कायम की थी। बंगाल के अंग्रेज फ़ैक्टरी वाले चीनी पट्टम या मद्रास के फ़ैक्टरी के आधीन थे। हुगली बंदर उस समय व्यापारिक गतिविधि का मानी केन्द्रस्थल हो रहा था। वहाँ बहुत से विदेशी जमा हो रहे थे। पर इस वक्त बंगाल में किसी विदेशी को क़िला बनाने की इजाज़त नहीं थी। उन्हें अपनी आत्मरक्षा के लिये स्थानीय सरकार के आधीन रहना पड़ता था।

पर, जैसा हम ऊपर कह चुके हैं, अंग्रेज व्यापारियों को बादशाही फ़र्मानों से ब्यापार करने की कई सुभीताएँ और रियायतें प्रदान की गई थीं। यह बात यहाँ के निवासियों को अच्छी न लगी। वे अंग्रेजों से स्वाभाविक रीति ही से द्वेष करने लगे। अंग्रेजों से यह बातें सुलभसुलभ कही-जाने लगीं कि अपनी स्वाधीनता की भावनाओं के अनुसार यहाँ आचरण नहीं कर सकते। इसके सिवा मुग़ल शासकों को (Mughul Governors) भी अंग्रेजों से निराशा होने लगी। क्योंकि अंग्रेज उनकी हुकूमत के सामने उतना अधिक सिर झुकाना पसन्द नहीं करते थे, जितना यहाँ के देशी लोग करते थे +। इससे कई प्रकार की गद्गद पैदा हो गई थी।

+ इन मज़ाकों ने कम्पनी के ब्यापार को निःसन्देह धक्का पहुँचाया। वे मगदों बढ़ते ही चले गये। मलावार किनारे पर तो इन मगदों ने और

भी उग्ररुद्र घारण कर लिया। मन् १६२८ में ही कम्पनी ने विचार किया कि या तो यहाँ से हट जाना चाहिये या नवाब के अन्यायों का जोर और शक्ति में सुबाषला या प्रतिरोध करना चाहिये। नवाब के मुर्खों को बम्बई के सत्काशीन गवर्नर ने + बढ़ा बढ़ा कर बतलाया था। इन कम्पनी के लोग

## एक नीच कार्य

पर उतर पड़े। उन्हें अपनी जलशक्ति का घमण्ड था, उन्होंने देखा था कि जलशक्ति से पोर्चुगीजों ने मफखटा प्राप्त की है, हमें भी सफलता होगी। अब कम्पनी ने अपनी शक्ति (force) लेकर सूरत को लूटमार करने और सब हिन्दुस्थानी जहाजों को नष्ट करने के लिये अपना जहाजी वेदा भेजा। इसी प्रकार एक दूसरा वेदा इसी लूटमार के नीच कार्य के लिये बंगाल भेजा गया। इसका नतीजा क्या हुआ, इसे पाठक यही दिलचस्पी से पढ़ेंगे। मलाबार से जो जहाजी वेदा भेजा गया था, उसने बहुत कुछ लूट खसोट की, डाकेजनी की। बम्बई के सत्काशीन गवर्नर ने इस वेदे से ऐसे ऐसे नीच कार्य करवाये, जिन से आज भी अंग्रेजों का मुँह शर्म से नीचा होना चाहिये। जो काम दाकू, बदमाश और उचकके करते हैं, वैसे काम इस वेदे ने किये। पर इसका नतीजा उसी यत्न कम्पनी के लिये यही शर्म पैदा करने वाला हुआ। इस कार्य में उनका बहुत खर्च हुआ इसके अतिरिक्त मुगल सम्राट् से कम्पनी को

---

+ प्रसिद्ध इतिहासवेत्ता हेमिल्टन ने अपने "Account of East Indies" में इस गवर्नर के लिये लिखा है— "इस गवर्नर का नाम मि० चाइल्ड था। इसने यहाँ के लोगों पर यदे यदे जु्रम, अन्याय और अन्याय किये। इसने लूटमार मचवाई। इसने कम्पनी को व्यर्थ के लिये खर्चाई में लगा दिया, जिसका अन्त कम्पनी के लिये बहुत बुरा और अपमानजनक हुआ।"

जी अधिकार और रिवायतें प्राप्त हुई थीं, वे सब जप्त कर ली गईं। हिन्दुस्थानियों की निगाह में, उस यत्न कम्पनी की इज्जत बहुत गिर गई। उसकी सात (credit) को बड़ा धक्का पहुँचा। इसके अतिरिक्त कम्पनी के मंचालकों की घुरी दशा हुई? एलेक्जेंडर हेमिलटन ने अपने "Account of the Eastern Indies" में लिखा है "मुग़ल बादशाह के सूरत स्थित गवर्नर याकूब ने बम्बई पर हमला कर उसे अंग्रेजों से छीन लिया, और उसने अंग्रेज फैक्टरी वालों को कैद कर लिया। इतनाही नहीं उसने इनकी बड़ी दुर्दशा की। उसने

### गले और हाथ पैरों में लोहे की जंजीरें

हाल कर इन्हें आम सड़कों पर निकाला। इस समय इन अंग्रेज फैक्टरीवालों को अपने पापों का पूरा पूरा प्रायश्चित्त मिला। इसके बाद इन्होंने तत्कालीन भारत सम्राट औरङ्गजेब से क्षमा की भिखा मांगी। उन्होंने बड़ी दीनता और नम्रता के साथ सम्राट से क्षमा-याचना की। इस क्षमा-याचना के लिये इन्होंने मि० जार्ज वेल्डन और एब्राहम नेव्हे नामक दो अंग्रेजों को सम्राट की सेवा में भेजा। ये दोनों सम्राट की सेवा में उपस्थित किये गये। पाठक! इस समय ये दोनों अंग्रेज हाथ जोड़े हुए क्षमा की याचना कर रहे थे! इन दोनों के हाथ दुपट्टे से बंधे हुए ये सम्राट ने इन्हें धिक्कारा! इनकी खूब लाततमलामत की!! इन लोगों ने अपना अपराध स्वीकार किया। दया के लिए गिड़गिड़ाने लगे। इन्होंने प्रार्थना की कि श्रीमान्! आप हमें अपने पूर्व अधिकारों का फिर से प्रदान कीजिये और बम्बई से अपनी फैजें हटा लेने की दय कीजिये+। सम्राट औरङ्गजेब का हृदय इनकी करुण-ध्वनि से पिघल गया। उसने दया पूर्वक इन्हें क्षमा कर दिया। केवल यह रात मंज

+ इस घृतान्त की वीहट ने अपने Considerations on India affairs में लिखा है।

करवायी कि "बम्बई का गवर्नर ब्राह्मण भी भारत के चन्द्र चन्द्र कर्ण  
 से निकाल दिया जाये और उसे फिर हिन्दुस्थान धराने की इजाजत नहीं  
 दी जाये। इसके अलावा मेरी प्रजा को यह विभाग दिखा दिया जाये  
 कि अंग्रेज किसी प्रकार की बदमाशी, डकैती, चोरी नहीं करेंगे और  
 मेरी प्रजा को किसी प्रकार का नुकसान नहीं पहुँचावेंगे। इसके  
 अतिरिक्त उन्होंने मेरी प्रजा की जो शक्ति की है, उसकी पूर्ण भी उन्हें  
 बननी होगी।"

इस घटना के दस वर्ष बाद १६९२ में बरहान—राजा की अल्पवय  
 में बंगाल के कई पुरतानी जमींदारों ने अपनी स्वाधीनता की घोषणा  
 कर दी। उन्होंने साफ़ कह दिया कि हम बंगाल के आधीन नहीं हैं।  
 उन्होंने स्वामी पीज जमा करली से हुगली, मुर्शिदाबाद और राजमहल  
 पर अधिकार करने तथा उन्हें खूटने के लिये भागे बड़े—एक स्वासा विद्रोह  
 खड़ा हो गया। इस वक्त अंग्रेजों, फ्रेंचों और डचों ने अपने स्वार्थ-यत्न  
 नवाम का पक्ष ग्रहण किया। उन्होंने इस स्थिति का फायदा उठाकर  
 'बस्ती (Settlement) की किले बन्दी करने की अनुमति प्राप्त  
 की। इस प्रकार डचों ने चिनसुरा में, फ्रेंचों ने चन्द्रनगर और अंग्रेजों  
 ने कलकत्ते में फोर्ट विलियम नाम का एक किला खड़ा कर दिया।

जिस विद्रोह का हम ऊपर बर्णन कर चुके हैं, उसे मिटाने के लिये  
 सम्राट औरंगजेब ने आजीम खान को भेजा। यह मनुष्य बड़े ही  
 खालची और दुष्ट स्वभाव का था। अंग्रेजों ने इसे रिरवत देकर इस  
 बात की मंजूरी ले ली, जिससे अंग्रेज लोग जमींदारों से जमींदारी  
 के हक खरीद सकें। इसकी मंजूरी से अंग्रेजों ने कोई एक मील चौरस  
 रकबे की जमीन खरीद ली। इस खरीदी हुई जमीन के चन्द्र गोविन्द  
 पुर और कलकत्ता नगर बसे हुए थे कहने की आवश्यकता नहीं कि उस  
 समय कलकत्ता एक विलकुल छोटा-सा देहात था सन् १७०७ में इसी  
 कलकत्ता को ईस्ट इण्डिया कंपनी के डायरेक्टरों ने प्रेसिडेन्सी बना  
 लिया और इसे मद्रास की आधीनता से स्वतन्त्र कर दिया।

अंग्रेजों का व्यापार बढ़ता ही चला गया ; हाँ, इस में मुगल शासकों की और से बाधाएँ उपस्थित हुआ करती थीं । सन् १७१२ में कम्पनी ने दिल्ली के तत्कालीन सम्राट् की सेवा में एक डेप्युटेशन भेजा । इस डेप्युटेशन में जान सरनम नामक एक अंग्रेज और काजी सरहद (Serhau) नामक एक अर्मेनियन व्यापारी था । इस डेप्युटेशन ने सम्राट् की सेवा में पहुँच कर अपनी उन तकलीफों का बयान किया, जो उन्हें मुगल हाकिमों के हाथ समय समय पर सहनी पड़ती थी । उन्होंने यह भी अर्ज की कि आगे ऐसा प्रबन्ध कर दिया जावे, जिससे हमें भविष्य में ऐसी तकलीफों और दिक्कतों का सामना न करना पड़े । इसके अतिरिक्त उन्होंने अधिक रिशायतों के लिये भी प्रार्थना की । इस पर तत्कालीन सम्राट् फरुखशियर ने उन्हें यह फर्मान ( Grand Firman ) दिया । इस फरमान में अंग्रेजों को अपने व्यापार में बहुत रिशायतें मिलीं । मुगल राज्य में उनके व्यापार पर सब प्रकार के कर माफ़ कर दिये गये । केवल उन्हें उसके बदले में १०,००० रु० प्रति वर्ष सरकार को देना पड़ता था । इस फर्मान का विवेचन मि० जेम्स प्रॉफर ने अपने ग्रन्थ "History of Nadir Shah" में किया है । उसमें अंग्रेजों को महसूल सम्बन्धी कई और भी रिशायतें दी गई थीं ।



# बङ्गाल में अङ्गरेजों का प्रवेश

इसने बात पूरे अध्याय में बत दियेलाया है कि भारतवर्ष में अंग्रेज कब और कैसे आये ? अब हम वहाँ बङ्गाल में अंग्रेजों की प्रारम्भिक बस्ती (Settlement) पर थोड़ासा प्रकाश डालना चाहते हैं ।

दिल्ली सन् १०४६ में अर्घान् ईसवी सन् १६३७ में सम्राट् शाह-जहाँ की लड़की के बधों में आग लग जाने से यह बुरी तरह जल गई । इसका इलाज करने के लिये बर्जर आम्दणों के द्वारा मूरत से एक यूरोपियन सर्जन बुलाया गया । मूरत की अंग्रेज—कीसिल ने इस कार्य : लिये मि० गेब्रियल बाउटन (Gabriel Boughton) को भेजा । उसने शाहजादी का इलाज किया । सौभाग्य से उसे सफलता हो गई । परिणाम यह हुआ कि उक्त सर्जन मुगल सम्राट् का बहुत प्रिय मित्र हो गया । मुगल सम्राट् ने उससे पूछा—“आप क्या इनाम चाहते हैं ?” इस पर सर्जन महोदय ने अपने लिये कुछ न चाहा । उन्होंने अपने स्वार्थ के लिये सम्राट् से कुछ नहीं माँगा । उन्होंने जो कुछ माँगा अपने देश के लिये माँगा । उन्होंने सम्राट् से धर्म की कि मेरे देश-शासियों को बङ्गाल में बिना महसूल के व्यापार करने तथा फेक्टरियों खोलने की इजाजत दी जाये । उनकी प्रार्थना सम्राट् ने स्वीकार कर ली और उन्हें बड़ी इज्जत के साथ बङ्गाल खाना किया गया । सर्जन महाराज बङ्गाल पहुँचे । यहाँ पहुँचते ही वे बङ्गाल के पीपली (Pepley) नामक स्थान के लिये खाना हो गये । इसी साल याने ईसवी सन् १६३८ में इन्द्रज्येष्ठ से उक्त स्थान पर एक जहाज पहुँचा । इसमें जो माल आया था, उसका सम्राट् के फर्मान के कारण महसूल नहीं लिया गया ।

इसके दूसरे ही साल बंगाल सरकार का अधिकार शाहजादा शुजा को प्राप्त हुआ। जय यह खबर उक्त सर्जन बाऊटन को खगी तो वे शाहजादे साहब से मुजरा करने के लिये राजमहल पहुँचे। शाहजादा ने इनका यद्वा सम्कार किया। इस वक्त शाहजादे की एक बेगम को कोई व्याधि हो रही थी। इनका इलाज करवाया गया। इस वक्त भी सर्जन साहब को पूर्ण सफलता हुई। इससे शाहजादे के दरबार में भी, उनकी इज्जत हो गई। दरबार में उनका खासा प्रभाव हो गया। उन्हें शाहजादे को ओर से कई प्रकार की सुभीताएँ दी गईं।

इसके बाद सन् १६४० में वही जहाज फिर इंग्लैण्ड से लौट कर आया। इसमें विगमन प्रभृति कई अंग्रेज आये। ये लोग बंगाल में अपनी फेक्टरियाँ स्थापित करना चाहते थे। मि० सर्जन बाऊटन ने यह बात शाहजादा से कही। मि० विगमन राजमहल बुलाये गये और शाहजादा से उनका परिचय करवाया गया। इसका परिणाम यह हुआ कि पीपली के अतिरिक्त बालासोर (Ballasore) और हुगली में भी अंग्रेजों की फेक्टरियाँ खोलने की इजाजत दे दी गई। इसके कुछ समय बाद सर्जन बाऊटन मर गये। पर पीछे शाहजादा ने अंग्रेजों के साथ बड़ी उदारता का व्यवहार किया। कुछ इतिहासवेत्तार्यों ने बाऊटन के ऐतिहासिक अस्तित्व पर सन्देह प्रकट किया है। पर उनका यह सन्देह निर्मूल है। खण्डन के इण्डिया ऑफिस के पुराने कागज़-पत्रों में ३ जनवरी सन् १६४४ का लिखा हुआ एक पत्र मिला है। यह पत्र सूरत की अंग्रेजी कौंसिल के अध्यक्ष ने ईस्ट इण्डिया कंपनी को लिखा था। उसका सक्षिप्त आशय यह है—

“सम्राट् ने हम से एक अच्छा और सुचतुर सर्जन भेजने की इच्छा प्रकट की थी। हमने होपवेल जहाज के सर्जन बाऊटन को भेजना मुनासिब समझा। उन्होंने कंपनी के लिये स्वतन्त्र व्यापार (Free trade) करने का कर्मान प्राप्त किया है।”

इसके अतिरिक्त और भी कुछ न्यायार्थी पत्रों में सर्जन बाउज़न का ऐतिहासिक अग्रिम सिद्ध होता है, और वह स्पष्टतया मालूम होता है कि बंगाल में अंग्रेजों के लिये बिना महसूल के व्यापार करने का सब से पहला अधिकार सर्जन बाउज़न ने प्राप्त किया। सन् १६६४ की Court Book में निम्न लिखित आशय का मजमून लिखा हुआ है—

“हमने मि० मिग्ज और अन्यो से बिना महसूल के व्यापार करने के फर्मान के सम्बन्ध में बातचीत की। इससे हमें मालूम हुआ कि मि० बाउज़न ने सब से पहले बंगाल में बिना महसूल व्यापार करने का फर्मान प्राप्त किया।”

कई अंग्रेज इतिहासवेत्ता फर्मान प्राप्त करने का यश सर्जन बाउज़न को नहीं देना चाहते हैं। वे सर थॉमस रो को यह यश देना चाहते हैं। सर थॉमस रो ने अपने बहुत अंग्रेजों के लिये सम्राट् जहाँगीर से जो फर्मान प्राप्त किया था, उसका उल्लेख इतिहासवेत्ताओं ने किया है पर बंगाल के सम्बन्ध में स्वाम और मे सर्जन बाउज़न ने किया था। सर थॉमस रो की टायरी से भी पता चलता है कि बंगाल में सर थॉमस रो के प्राप्त किये हुए फर्मान ने विशेष काम नहीं किया। कुछ भी हो, अंग्रेजों के व्यापार का बंगाल में इसी समय से प्रधान रूप से सूत्रपात हुआ, और इसी समय से अंग्रेजों को नाम-मात्र के लिये ३०००) रुपया सालाना देने पर बंगाल और उड़ीसा में स्वतन्त्र रूप से व्यापार करने की इजाजत मिल गई।

इसके थोड़े ही समय बाद बंगाल में और राज्य—परिवर्तन हुआ। पर एक अर्से तक अंग्रेजों के कारोबार पर इसका विशेष प्रभाव नहीं पड़ा। पर सन् १६८९ में नवाब शाहसुता खॉ और कम्पनी के एजेन्ट मि० जाब के साथ अन्वयन हो गई। इण्डिया ऑफिस के पुराने कागज़-पत्रों से यह प्रकट होता है कि नवाब ने अंग्रेजों के मुख्य एजेन्ट मि० जाब को अपने मातहत नौकरों के साथ हुगली छोड़ने के लिये बाध्य किया। पर उन्हीं



साल गायस्त खर्च की जगह पर इब्राहीम खर्च नवाब हुआ। यह अंग्रेजों पर बड़ा महारथान था। इण्डिया आफिस के पुराने कागज़ पत्रों में इसे न्यायधान नवाब कहा है। इसने मि० कारनक जाँव को चापिस बंगाल में खीट आने के लिये अनुरोध किया। मि० कारनक जाँव ने यह अनुरोध सादर स्वीकार किया और वे बंगाल को खीट आये। पर उस समय उन्होंने हुगली के बजाय कलकत्ते के उत्तर में चटानटी नामक स्थान पर अपनी फैक्टरी कायम की।

यहां यह बात ध्यान में रखनी चाहिये कि इस वक्त तक अंग्रेजों की किलेबन्दी करने का अधिकार नहीं था। आभरजा के लिये केवल सौ सैनिक रखने की उन्हें इजाजत थी। पर इसी समय के लगभग सन् १६९२ में बंगाल के नवाब के खिलाफ एक भयङ्कर विद्रोह उठ खड़ा हुआ। इस विद्रोह के नेता बर्दवान के हिन्दू जमींदार सुरेन्द्रसिंह थे। बंगाल में इस समय बड़ी अराजकता फैल रही थी। नवाब की स्थिति खतरों में गिर गई थी। इस समय का लाभ अंग्रेजों ने उठाया। उन्होंने नवाब से किले बनाने की इजाजत ले ली। फोर्ट विलियम नामक किले की नींव इसी समय से लगी। इण्डिया आफिस में रखे हुए पुराने पत्रों से पता चलता है कि उक्त किले की दीवारें पूरी भी न बनने पाई थी कि कुछ पल्लवाइयों ने उस पर हमला करना चाहा। पर वे भगा दिये गये।

बंगाल में बलवा हो जाने के कारण दिल्ली के सम्राट् द्वारा इब्राहीम खर्च बंगाल की नवाबी से हटा दिये गये और उनके स्थान पर शाहजादा अर्ज़ुमुदाद बंगाल के नवाब बनाये गये। इन शाहजादा साहब से अंग्रेजों ने (१६०००) रु० के नज़राने पर चटानटी, गीविन्दपुर और चटानटी नाम के तीन ग्रामों पर जमींदारी प्राप्त की। इसी समय अंग्रेज बंगाल में

— अंग्रेजों के मन्तव्यानुसार चटानटी गाँव वहीं बसा हुआ था जहाँ आजकल मोबाबाजार बसा हुआ है।

इसके अतिरिक्त और भी कुछ सप्ताहान्त पत्रों से सर्जन बाउटन का ऐतिहासिक चरित्र विद्व होता है, और यह स्पष्टतया मालूम होता है कि बंगाल में अंग्रेजों के लिये बिना महसूल के व्यापार करने का सब से पहला अधिकार सर्जन बाउटन ने प्राप्त किया। सन् १६६४ की Court Book में निम्न लिखित आशय का मजमून लिखा हुआ है:—

“हमने मि० थिगज और अन्यो से बिना महसूल के व्यापार करने के फर्मान के सम्वन्ध में बातचीत की। इससे हमें मालूम हुआ कि मि० बाउटन ने सब से पहले बंगाल में बिना महसूल व्यापार करने का फर्मान प्राप्त किया।”

कई अंग्रेज इतिहासवेत्ता फर्मान प्राप्त करने का परा सर्जन बाउटन को नहीं देना चाहते हैं। वे सर थॉमस रो को यह परा देना चाहते हैं। सर थॉमस रो ने अपने बन्धु अंग्रेजों के लिये मद्राट् जहाँगीर से जो फर्मान प्राप्त किया था, उसका उल्लेख इतिहासवेत्ताओं ने किया है, पर बंगाल के सम्वन्ध में खास तौर से सर्जन बाउटन ने किया था। सर थॉमस रो की दायरी से भी पता चलता है कि बंगाल में सर थॉमस रो के प्राप्त किये हुए फर्मान ने विशेष काम नहीं किया। कुछ भी हो, अंग्रेजों के व्यापार का बंगाल में इसी समय से प्रधान रूप से सूर्यपात हुआ, और इसी समय से अंग्रेजों को नाम-मात्र के लिये ३०००) रुपया सालाना देने पर बंगाल और उड़ीसा में स्वतन्त्र रूप से व्यापार करने की इजाजत मिल गई।

इसके थोड़े ही समय बाद बंगाल में घोर राज्य-परिवर्तन हुआ। पर एक अर्से तक अंग्रेजों के कारोबार पर इसका विशेष प्रभाव नहीं पड़ा। पर सन् १६८९ में नवाब शायस्ता खॉ और कम्पनी के डैजेंट मि० जाब के साथ घनघन हो गई। इण्डिया ऑफिस के पुराने कागज-पत्रों से यह प्रकट होता है कि नवाब ने अंग्रेजों के मुख्य डैजेंट मि० जाब को अपने मातहत नौकरों के साथ हुगली छोड़ने के लिये बाध्य किया। पर उसी

साल शमस्त खों की जगह पर इयाहोय खों नवाय हुआ । यह अंग्रेजों पर बड़ा महारवान था । इरिय्या आफिस के पुराने कागज़ पत्रों में इसे न्यायवान नवाय कहा है । इसने मि० कारनक जॉब को वापिस बंगाल में लौट आने के लिये अनुरोध किया । मि० कारनक जॉब ने यह अनुरोध सादर स्वीकार किया और वे बंगाल को लौट आये । पर उस समय उन्होंने हुगली के बजाय कलकत्ते के उत्तर में चटानटी\* नामक स्थान पर अपनी फौजदारी कायम की ।

यहां यह बात ध्यान में रखनी चाहिये कि इस वक्त तक अंग्रेजों की किलेबन्दी करने का अधिकार नहीं था । आभरवा के लिये केवल सौ सैनिक रखने की उन्हें इजाजत थी । पर इसी समय के लगभग सन् १६९२ में बङ्गाल के नवाय के खिलाफ एक भयङ्कर विद्रोह उठ खड़ा हुआ । इस विद्रोह के नेता बर्दवान के हिन्दू जमींदार सुरेन्द्रसिंह थे । बङ्गाल में इस समय घड़ी अराजकता फैल रही थी । नवाय की स्थिति खतरे में गिर गई थी । इस समय का लाभ अंग्रेजों ने उठाया । उन्होंने नवाय से किले बनाने की इजाजत ले ली । फोर्ट विलियम नामक किले की नींव इसी समय से लगी । इरिय्या आफिस में रहे हुए पुराने पत्रों से पता चलता है कि उक्त किले की दीवारें पूरी भी न बनने पाई थी कि कुछ चलबाइयों ने उस पर हमला करना चाहा । पर वे भगा दिये गये ।

बङ्गाल में बलवा हो जाने के कारण दिल्ली के सम्राट् द्वारा इमाहीम खों बङ्गाल की नवाबी से हटा दिये गये और उनके स्थान पर शाहजादा अलीमुराह बङ्गाल के नवाय बनावे गये । इन शाहजादा साहब से अंग्रेजों ने (१६००) रु० के नज़राने पर चटानटी, गोविन्दपुर और चटानटी नाम के तीन ग्रामों पर जमींदारी प्राप्त की । इसी समय अंग्रेज बङ्गाल में

\* प्रोफेसर स्लाकमेन के मतानुसार चटानटी गांव वहीं बसा हुआ था जहां आजकल सोवाथाजार बसा हुआ है ।

पहले पहल जमींदार हुए। इन्होंने अपनी जमींदारी में कुछ शासन सम्बन्धी अधिकार भी प्राप्त हुए। धीरे धीरे अंग्रेजों के पैर फैलने लगे और उन्होंने खासी शक्ति भी प्राप्त कर ली। सन् १७१३ में एक ऐसी घटना हुई जिसने अंग्रेजों के सौभाग्य को और भी बढ़ाया। इस समय दिल्ली के सम्राट् फरखसियर किसी ब्याधि द्वारा भयङ्कर रू से आक्रान्त हो गये। इकीम और धैर्यों ने इनकी बड़े परिश्रम से चिकित्सा की, पर दुर्भाग्यवश सफलता न हुई। इस पर अंग्रेज सजंन बुलाये गये। तत्कालीन सुप्रख्यात् अंग्रेज सजंन मि० विलियम हेमिलटन सम्राट् की चिकित्सा करने के लिये दिल्ली पहुँचे। उन्हें इस चिकित्सा में सफलता हुई। सम्राट् ने उनमें पूछा, "कहिये आप क्या चाहते हैं"। यह कहने की आवश्यकता नहीं कि ऊपर कथित अंग्रेज सजंनों की तरह आप भी स्वदेश-भक्त थे। आपने अपने निजी स्वार्थ के लिये सम्राट् से कुछ नहीं मांगा। आपने सम्राट् से निवेदन किया कि अंग्रेजों के व्यापार करने के अधिकार और भी विस्तृत कर दिये जायें, तथा बंगाल के नवाब के अत्याचारों से उनकी रक्षा की जाये। सम्राट् ने मि० विलियम हेमिलटन को प्राप्त स्वीकार कर ली और उन्होंने उन्हें एक फर्मान दिया जिसका उल्लेख हम किसी गत अध्याय में कर चुके हैं।

सम्राट् की इस कृपा से अंग्रेजों की सौभाग्य-धी बड़ी तेजी से बढ़ने लगी। इसके बाद दस वर्षों में अंग्रेजों ने व्यापार में बहुत तरकीब कर ली। वे बंगाल में समृद्धिशाली व्यापारी समझे जाने लगे, पर बंगाल में मुर्शिदकुलीखाने द्वारा इनके कार्य में समय समय पर बाधपूर्ण उपस्थित होती रहती थीं। हमका कारण यह था कि नवाब को यह बात सहन न होती थी कि देशी लोगों की अपेक्षा अंग्रेजों को क्यों ज्यादा रिधायतें दी जाती हैं। मुर्शिदकुलीखाने के बाद उनके दामाद शुजोद्दीनखाने बंगाल के नवाब हुए। उन्होंने १४ वर्ष तक शासन किया। इन्होंने बड़ी मजबूती से अंग्रेजों की नाजायज़ कार्यवाहियों का विरोध किया। सन् १७३९ में उनकी मृत्यु हो गई, और इनके पुत्र शरफुजाह खाने को बंगाल को नवाबी

मिली। शरफराजख़ां बड़ा विलासी था। एक शासक में जो गुण होने चाहिये—उनका उसमें लेश भी नहीं था। इसी के समय में दिल्ली पर नादिरशाह का हमला हुआ। इस हमले ने मुग़ल साम्राज्य की शक्ति को क्षिप्त—मिन्न कर दिया। मुग़ल सम्राट् का रहा सहा आतङ्क भी इस समय नष्ट हो गया। विभिन्न प्रान्तों के नवाब मुग़ल समाट् से स्वतन्त्र होकर अपने अपने प्रान्तों को दबा बैठे। इस समय 'जिसकी लाठी उसकी भैंस' की कहावत पूर्ण रूप से चरितार्थ हो रही थी। इसी समय बङ्गाल के नवाब का एक हलके दर्जे का नौकर अलीवर्दीख़ां ने, जोकि होशियारी और बहादुरी के कारण बिहार का नायब हो गया था, बङ्गाल के नवाब के खिलाफ़ विद्रोह का भायडा उठाया। हम पहले कह चुके हैं कि बङ्गाल का तत्कालीन नवाब बड़ा विलासी और फ़ायर था। प्रजा और जमींदारों को इसके साथ तनिक भी सहानुभूति नहीं थी। राज्य के कर्मचारी भी इसके खिलाफ़ थे। इन सब लोगों ने अलीवर्दीख़ां की सहायता की। शरफराजख़ां लड़ाई में मारा गया और सन् १७४१ में अलीवर्दीख़ां बङ्गाल बिहार और उड़ीसा का नवाब घोषित कर दिया गया। नवाब अलीवर्दीख़ां बहादुर और दिलेर था। उसने १२ वर्ष तक योग्यता से शासन किया। उसके शासन काल में बङ्गाल पर बाहर के बड़े २ हमले हुए। इन आक्रमणों के कारण नवाब अलीवर्दीख़ां अपनी शक्ति का भली प्रकार सङ्गठन नहीं कर सका। इतना होते हुए भी उसकी धाक तत्कालीन सब शक्तियां मानती थीं। उसने बङ्गाल की रक्षा के लिये अंग्रेजों को भी कुछ रकम देने के लिये मजबूर किया। नवाब अलीवर्दीख़ां बड़ा दूरदर्शी था, यह बात उसके उस उद्देश से प्रकट होती है, जो उसने अपने मृत्यु के समय मिराजुद्दीला को यतज्ञाया था। उसने मिराजुद्दीला को अंग्रेजों की कुटिल नीति (Diplomacy) का परिचय करवा कर उनसे सावधान रहने के लिए सचेत कर दिया था। इस बहादुर और राजनीति बुद्धि नवाब की मृत्यु सन् १७५६ की ९ वीं एप्रिल को हो गई। इसके बाद मिराजुद्दीला नवाब की गरीब पर धेरा। मिराजुद्दीला

## भारतवर्ष और उसका स्वातन्त्र्य-संग्राम

किस प्रकृति का मनुष्य था और उसके समय के किस प्रकार की राजनीतिक घटनाएँ हुईं और उनका भारत के मनुष्य पर कैसा असर पड़ा, इन सब बातों का वर्णन आगामी अध्याय में किया जायगा ।



## सिराजुद्दौला

पिछले पृष्ठों में अंग्रेजों के यज्ञाल प्रवेश पर कुछ प्रकाश डाला गया है । जिस समय यह घटना चक्र घुम रहा था, उस समय भारतवर्ष में चारों ओर घोर अराजकता फैली हुई थी । 'जिसकी लाठी उसकी भैंस' को कहावत पूर्ण रूप से चरितार्थ हो रही थी । किसी केन्द्रीभूत प्रबल शक्ति के अभाव में जो चलचान् और धूर्त होना था, उसकी तूती बजने लगती थी । देश की कई शक्तियों में परस्पर संघर्ष हो रहा था । चारों ओर बड़ी गड़बड़ मची हुई थी । इसी परिस्थिति का राजनीति में निष्पान्त अंग्रेजों ने फायदा उठाने का निश्चय किया । उन्होंने देखा कि अपना प्रभुत्व कायम करने का यह अच्छा अवसर है ।

यज्ञाल का शासन कई हाथ परिवर्तन करते हुए जिस प्रकार नवाब अलीवर्दीखान के हाथ में आया, उसका उल्लेख ऊपर किया जा चुका है । अंग्रेज लेखकों के मतानुसार अलीवर्दीखान एक योग्य और समर्थ शासक था । उसने राजराज योग्यता पूर्वक सञ्चालित किया था । यह दूरदर्शी भी था । अंग्रेजों की कुटिल नीति को वह भली प्रकार समझ चुका था । उसने अपनी मृत्यु के कुछ पहले अपने दोहित्र सिराजुद्दौला को अंग्रेजों की कूटनीति का परिचय कराते हुए उनसे सावधान रहने का आग्रह किया था, और उसे यह आदेश दिया था कि वह अंग्रेजों की बढ़ती हुई शक्ति को दवाने की चेष्टा करे ।

सिराजुद्दौला जिन परिस्थितियों में गद्दीनशीन हुआ था-उन पर पहले प्रकाश डाला जा चुका है । ऐसी दुर्गम परिस्थितियों में वही शासक सफल हो सकता था जो योग्य, दूरदर्शी, शासन-चतुर और उद्दित हो, पर दुःख की बात है कि सिराजुद्दौला में इनमें से एक भी गुण न था । यह, जैसा कि उच्चाङ्गीन लेखकों ने लिखा है, अपने नाना के अत्यन्त छात्र

प्यार से विगाड़ गया था। उसमें न तो शासन योग्यता थी और न इतनी राजनैतिक बुद्धि थी कि जिससे यह राजनीति में मंजे हुये और वृक्ष-ध्रमेजों से मुकाबला कर सके। ऐसे अपारिपक्व और अनुभव शून्य युवक का उस समय यद्वाल की गद्दी पर आना वास्तव में एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना थी। फिर भी बहुतसे ध्रमेज लेखकों ने उम्मे जितना निकृष्ट रूप से चित्रित किया है वह उतना नहीं था। कर्नल मालेसन ने अपने सुप्रसिद्ध ग्रन्थ *Decisive battles of India* में लिखते हैं—

“This prince, who has been painted by historians in the blackest colours, was not worse than the majority of the eastern princes. He was rather weak than vicious, unstable rather than tyrannical, had been petted and spoilt by his grandfather, had had but little education, and was still a minor. Without experience and without stability of character, suddenly called upon to administer the fairest provinces of India and to assume irresponsible power, what wonder that he should have inaugurated his accession by acts of folly?” “अर्थात् यह नवाब (सिराजुद्दौला) जिसे कि इतिहासकारों ने निकृष्टतम प्रकट किया है, उतना बुरा नहीं था जितना कि दिखलाया गया है वह अधिकतर पूर्विय राजाओं से बुरा नहीं कहा जा सकता। वह दुष्ट नहीं था धरन् कमजोर था, जुल्मी नहीं था पर डाँवाडोल चित्त का था। वह अपने नाना के लाडल प्यार से विगाड़ दिया गया था। उसे बहुत ही कम शिक्षा मिली थी और अभी वह नायालिंग ही था। बिना अनुभव के और बिना पारित्रिक दक्षता के होते हुए भी उसे हिन्दुस्थान के सबसे अच्छे प्रान्त के शासन की चागडोर लेनी पड़ी थी। ऐसी दशा में उससे मूर्खता-पूर्ण कोई कार्य हो जावे तो आश्चर्य ही क्या है।”



# सिराजुद्दौला और अंग्रेजों का मनमुटाव



सिराजुद्दौला के सिंहासनारूढ़ होने के कुछ ही समय बाद उसका और अंग्रेजों का मनमुटाव शुरू हो गया। सिराजुद्दौला ने अपने प्रमोद भवन के पास मैसूरगंज नामक एक बाजार कायम किया था। उस बाजार की मारी आमदनी पर सिराजुद्दौला का अधिकार था। सिराजुद्दौला हमेशा इस प्रयत्न में रहता था, जिससे इस बाजार की आमदनी में वृद्धि हो। यह कहने की आवश्यकता नहीं कि देशी वाणिज्य की उन्नति बिना बाजार की उन्नति असंभव थी। अंग्रेज लोग प्रकट और गुप्त वाणिज्य से देशी व्यापारियों को हानि पहुँचा कर विदेशियों के लाभ का मार्ग जितना ही सुलभ करते गये, सिराजुद्दौला इन विदेशी बणिकों से उतना ही असन्तुष्ट होता गया। फ्रान्स, डेनमार्क, हॉलैंड आदि देशों के व्यापारियों को बिना महसूल के वाणिज्य करने का अधिकार नहीं था, इसलिये उनकी प्रतियोगिता से स्वदेशी व्यापार को विशेष हानि पहुँचाने की सम्भावना नहीं थी। किन्तु अंग्रेज लोग दिल्ली के बादशाह से फर्मान लेकर जल और स्पल सर्वत्र बिना महसूल अदा किये व्यापार करने लगे थे। ये स्वदेशी व्यापारियों के पय पर बुरी तरह कांटे बिझाते थे। अतएव सिराजुद्दौला प्रधान रूप से अंग्रेजों ही से विशेष द्वेष रखने लगा। यहाँ एक बात और कह देना आवश्यक है, जिसने सिराजुद्दौला को बहुत चिढ़ाया। यह यह कि बिना महसूल का व्यापार केवल ईस्ट इंडिया कंपनी हो नहीं करती थी, पर कंपनी के कर्मचारियों के प्रिय रिश्तेदार भी इस देश में आकर गुप्तरीति से बिना महसूल के व्यापार करते थे। जॉन डब नामक

इसी तरह के एक अंग्रेज साँदागर ने कम्पनी के पास निःशुल्क व्यापार का परवाना प्राप्त करने के लिये जो आवेदन—पत्र भेजा था, उसमें साफ़ साफ़ लिखा था कि “कम्पनी की तरह अन्य अंग्रेज साँदागरों को भी निःशुल्क व्यापार करने का परवाना न देने से सर्वनाश होगा।” मतलब यह इस बात क्या ईस्ट इण्डिया कम्पनी के कर्मचारी और क्या उनके अजीब रिश्तेदार सब ही बिना महसूल के व्यापार करते थे। इससे सिराजुद्दौला को तो भारी हानि पहुँचती ही थी, पर साथ ही में देशी व्यापारियों का भी सर्वनाश होता जा रहा था। इससे सिराजुद्दौला अंग्रेजों पर बड़ा क्रुद्ध था, और वह उन्हें निकालने का अवसर ढूँढ़ करता था। सेनापति-मुस्तफायो भी सिराज के इस प्रस्ताव का समर्थन करता था।

इसके अतिरिक्त और भी ऐसे अनेक कारण हुए, जिनसे सिराजुद्दौला और अंग्रेजों का मनोमालीन्य बढ़ता ही चला गया। हम उन कारणों में से दो एक का ‘सिराजुद्दौला’ नामक ग्रन्थ के आधार पर यहाँ उल्लेख करते हैं। अलीवर्दीखाँ की जीवित अवस्था में ढाका के दीवान राजबन्धु के पुत्र कृष्णदास ने कलकत्ते में अंग्रेजों का आश्रय ग्रहण किया था। इस कृष्णदास के सिने मालगुजारी का बहुत सा रुपया निकलता था। रुपये न घसूल होने के कारण सिराजुद्दौला ने इन्हें कैद करने का निश्चय किया था। कृष्णदास ज्यों त्यों कर छल चिद्द से कलकत्ते पहुँच गया। वह अपने साथ विपुल सम्पत्ति ले गया। कम्पनी की शरण ली। तत्कालीन इतिहास लेखक अर्मी महाराय ने इस घटना का यों जिक्र किया है।

अर्मी कहते हैं—“राजबन्धु ने देखा कि सिराजुद्दौला मुझ पर नाराज है; अतएव ढाके में रहना ठीक निरापद नहीं। यह समझ कर उसने अपने पुत्र को अपनी सम्पत्ति के साथ कलकत्ते भेज दिया। उसने मुशिंदाबाद-कासिम-बाजार की अंग्रेज कौंठी के मालिक वाट्स साहब से

अनुरोध किया कि वे ऐसा पत्र करें जिससे कलकत्ते की अंग्रेज कंपनी की कौन्सिल कृष्णदास को आश्रय प्रदान करे। इस समय कलकत्ते की कौन्सिल का प्रधान डेक थाबहवा बदलने के लिये उड़ीसा गया हुआ था। कौन्सिल के अन्यान्य सदस्यों ने वाट्स साहय की सिफारिश स्वीकार कर ली और वे कृष्णदास को आश्रय देने में राजी हो गये। यह बात मिराजुद्दीला को अच्छी न लगी। वह अंग्रेजों से बदला लेने के लिये सोचने लगा।

इसके कुछ समय बाद ही मिराजुद्दीला ने कलकत्ते की अंग्रेज कंपनी को एक पत्र लिखा, जिसमें कृष्णदास को लौटा देने के लिये जोर दिया। इस पत्र के भेजने के सम्बन्ध में अर्मी के इतिहास में एक रहस्य प्रकट किया गया है। मुसलमानों के लिखे हुए इतिहास में इस रहस्य का जिक्र तक नहीं है। अर्मी ने लिखा है—“जो पत्र—याहक मिराजुद्दीला का पत्र लाये थे, वे अलीवर्दीखान के एक प्रियपात्र कर्मचारी राजा रामसिंह के भाई थे। वे एक छोटी सी नाव से कलकत्ते के साधारण सौदागर की गुरुत में उमीचन्द के मकान पर उपस्थित हुए। उमीचन्द ने उन्हें साथ लेकर हालवेल साहय से उनका परिचय करा दिया। हालवेल साहय उस समय कलकत्ते के पुलिस सुपरिटेन्डेन्ट थे।”

“मिराजुद्दीला द्वारा भेजे हुए पत्र पर विचार करने के लिये कौन्सिल का एक अधिवेशन हुआ। उस समय कौन्सिल का एक सदस्य, उमीचन्द के गिलाफ था। उसने कहा कि यह आदमी मिराजुद्दीला का भेजा हुआ नहीं है, यह सब उमीचन्द का पड़्यन्त्र है। इससे कौन्सिल ने उस आदमी को कोरा लौटा दिया। इससे मिराजुद्दीला आग बबुला होगया। उसने अंग्रेजों के दमन का निशय कर लिया।

इसके अतिरिक्त जब मिराजुद्दीला ने यह सुना कि अंग्रेज कलकत्ते में किलेबन्दी कर रहे हैं, तब उसने तय्यार ही अपने संकल्प को पूरा करने का इरादा किया।

# सिराजुद्दौला का कासिम बाजार पर आक्रमण

उपरोक्त घटनाओं से हमारे पाठकों की यह कल्पना हो गई होगी कि सिराजुद्दौला और अंग्रेजों के बीच किस प्रकार मनोमालीन्य बढ़ता गया। नवाब ने दुरन्त ही कासिम बाजार के अंग्रेजी किले पर आक्रमण करने के लिये तीन हजार सिपाही भेजे। सन् १७५६ ईसवी की २२ मई को इस पौज ने कासिम बाजार पहुँच कर अंग्रेजी किले को घेर लिया। दूसरी जून को नवाब सिराजुद्दौला ससैन्य वहाँ उपस्थित हुआ। कासिम बाजार किले के आक्रमियों ने आरम्भ रक्षा के लिये भी युद्ध नहीं किया। उन्होंने बिना शर्त के सिराजुद्दौला को आग्रह समर्पण कर दिया। कासिम बाजार किले के पतन का समाचार जब कलकत्ते पहुँचा तो वहाँ के अंग्रेजों में भारी भय छा गया। वे भय से काप गये। कलकत्ते की अंग्रेज कम्पनी ने सहायता के लिये बम्बई और मद्रास आदमी भेजे। किन्तु वहाँ से समय पर सहायता पहुँचने की संभावना किसी तरह नहीं की जा सकती थी। डच और फ्रान्सीसियों की सहायता मांगी गई। डच बिल्कुल इन्कार हो गये। फ्रान्सीसी राजी हुए तो सही, किन्तु उन्होंने अंग्रेजों को कलकत्ता छोड़ चन्द्रनगर चले जाने के लिये कहा। अंग्रेज फ्रान्सीसियों के इस प्रस्ताव से सहमत न हुए। इसी समय नवाब ने भी डच और फ्रान्सीसियों की सहायता मांगी, पर इसमें वह कृत-कार्य नहीं हुआ।

सिराजुद्दौला ने ३ जून को ससैन्य कलकत्ते की ओर कूच किया। १२ जून को उसकी सब पौज हुगली पहुँची। जब से अंग्रेजों ने यह सुना कि सिराजुद्दौला कलकत्ता में आक्रमण करने के लिये युद्ध यात्रा कर रहा है, तब ही से ढाका, घासेरवर, जगदिया आदि विविध स्थानों की

अंग्रेजी कौटियों के कर्मचारियों को पत्र लिख गये कि यही खाता चणैरह समेट कर वे पौरन सुरचित स्थानों में चले जावें । राजर ठेक उस समय कलकत्ते के गवर्नर थे । वे भी मुकाबले की तैयारी करने लगे ।

इस और नवाब सिराजुद्दीला ने बाहरी शत्रुओं के हमले रोकने के लिये कलकत्ते से ढाई कोस दक्षिण गंगा के पश्चिमी किनारे के टामा नामक स्थान पर एक छोटा किला बनाया था । पचास सिपाही तेरह तोपों के साथ मुहाने की रक्षा के लिये उस किले में तईनात थे, और पंद्रह दिनों से उस पर किसी शत्रु का आक्रमण न होने के कारण वे मजे से पदे पदे विश्राम सुख का उपभोग कर रहे थे । अंग्रेजों ने तेरहवीं जून के प्रातःकाल को चार फौजी जहाज लेकर एकाएक उक्त किले पर हमला कर उस पर भीषण गोलावृष्टि शुरू कर दी । इस आकस्मिक हमले से नवाब के सिपाही किंकर्तव्यविमूढ़ हो गये । वे तितर बितर होकर हुगली की ओर भग गये । टामा की दुर्गप्राचीर पर अंग्रेजों की विजय-पताका फहराने लगी और अंग्रेजी सेना ने किले की चार दीवारी में लगी हुई नवाबी तोपों को तोड़ फोड़कर गंगा जी में फेंकना आरम्भ किया ।

जब यह खबर हुगली पहुँची, तब सिराजुद्दीला आग घबुला हो गया । किले पर पुनः अधिकार करने के लिये फिर फौजें भेजी गईं । १७ जून को टामा के किले के पाटक पर लड़ाई हुई । इसमें नवाब की सेना को सफलता मिली । अंग्रेज सेना पराजित हुई । अंग्रेजी इतिहास लेखक धर्मी ने इस युद्ध का शृतांत लिखा है:—

" नवाब ने निश्चय कर लिया था कि टामा के किले पर अधिकार कर लिया जाये । यह किला कलकत्ते से पाँच मील पर हुगली नदी और सगुड के बीच में था । उसमें सिर्फ १३ तोपें थीं । दो जहाज तीन चीन हथियार के थे । इनके अतिरिक्त और भी छोटे मोटे जहाज थे परन्तु दूसरे दिन नवाब के २००० सिपाहियों ने जो हुगली से भेजे गये थे, चाकर किले

को घेर लिया और वे छोपों में भौलायारी शुरू कर दी। कुछ थाड़े से अंग्रेजी सिपाही उनका मुकाबला करने के लिये कलकत्ते में भेजे गये। पर उनकी भी दाख न गली और कलकत्ते वे वापस लौट आये।

अंग्रेजों के अतिरिक्त और किसी अंग्रेज इतिहास लेखक के किसी इतिहास में अंग्रेजों की इस पराजय का उल्लेख नहीं है।



# नवाब का कलकत्ता विजय

ताना के युद्ध-कांड का वर्णन पिछले अध्याय में दिया जा चुका है। ताना के युद्ध के बाद नवाब ने अपनी फौज के साथ कलकत्ते की ओर कूच किया। पन्द्रहवीं जून को नवाब और उसकी फौज हुगली जा पहुँची। सोलहवीं जून को कलकत्ते के दुर्ग निवासी अंग्रेजों को नवाब की चढ़ाई का समाचार मिला। इससे उनमें बड़ी घबराहट पैल गई। उनकी हालत 'किं कर्राव्यःविमृद्' सी हो गई। उस समय किले में जो अंग्रेज थे उनमें से एक ने अंग्रेजों की मनोवैज्ञानिक स्थिति का वर्णन करते हुए लिखा है कि किले में स्थित सभी अंग्रेज सलाह देने के लिये तैयार थे, किन्तु ठीक ठीक सलाह देने की शक्ति किसी में नहीं थी।

नवाब की फौजों ने अंग्रेजों के किले पर भीषण गोलावृष्टि करना शुरू कर दिया। दुर्गवासी अंग्रेज सेना ने आरामरक्षा की चेष्टा की पर वह सफल न हो सकी। दुर्ग रक्षा का कार्य असम्भव समझकर दुर्गस्थ स्त्रियां जहाजों के द्वारा अन्यत्र भेज दी गईं। उन्हें जहाज में पहुँचाने का भार लेकर मानिङ्गहम और फ्राकलेयड नामक दो सिविलियन जहाज से भागे। क्रम से कितनों ही ने उनका पयानुसरण किया। कलकत्ते के तत्कालीन गवर्नर डूक और सेनापति कप्तान मेनचिन ने भी जहाज की राह देखी। जहाज की ओर भागने में नाव डूबने से कितने ही लोग काख-कयलित हुए !

दुर्ग अब रक्षक हीन हो गया ! जो लोग दुर्ग से न भाग पाये थे, वे पुनः आरामरक्षा की चेष्टा करने लगे। उन लोगों ने कॉन्मिल के अन्यतम सदस्य हालवेल पर रक्षा का मय भार सौंप दिया। हालवेल बड़े साहस के साथ दुर्ग रक्षा के लिये शत्रु की ओर गोला बरसाने लगे।

# कलकत्ते का ब्लैक होल

कालकोठड़ी के हत्याकांड का रहस्य



श्रमोज इतिहासवेत्ताओं ने नवाय सिराजुद्दौला की कलकत्ता विजय के साथ कालकोठड़ी के हत्याकांड को सम्यन्वित किया है। यह कालकोठड़ी ब्लैक होल "Black Hole" के नाम से प्रसिद्ध है। हमने पूर्व अध्याय में सिराजुद्दौला की कुछ भी प्रशंसा नहीं की है। हम उसका अनुचित समर्थन करना नहीं चाहते। पर किसी घटना का शुद्ध ऐतिहासिक दृष्टि से विचार करना इतिहासवेत्ता का प्रधान कर्तव्य है। अनेक ऐतिहासिक प्रमाणों की छानबीन के बाद कालकोठड़ी के अस्तित्व में संदेह होने लगता है। इस पर प्रकाश डालने के पहले श्रमोज इतिहासवेत्ताओं ने कालकोठड़ी के हत्याकांड का जैसा वर्णन किया है उसका सारांश हम नीचे देते हैं।

“कलकत्ते में नवाय के दार्यों १४६ अंग्रेज कैद हुए। एक बीस यार्ड फीट लम्बी चौड़ी कोठड़ी में ये सब भर दिये गये और उस कोठड़ी के द्वार बंद कर दिये। इस दिन सूर्य अपनी सहस्रों किरणों से तप रहा था। भयङ्कर गर्मी पक रही थी! इस कोठड़ी में हवा धाने के लिये दो छोटे छोटे हवादानों को छोड़ कर और कुछ भी नहीं था। लोग एक के ऊपर एक भर दिये गये थे। १४६ प्राणियों के देह के घर्षण और दारुण घीष्म के अत्यधिक प्रादुर्भाव से इस बन्द कोठड़ी में रहना असह्य हो गया। सभी ने आत्मरक्षा के लिये दरवाजे पर आघात करके उसे तोड़ देना चाहा। उनका यह प्रयास निष्फल हुआ। सभी उन्मत्त हो गये। हालतके भी इन ही में थे। इन्होंने कभी डाटडण्ट घबलाकर और कभी श्लामद कर मय को शान्त करने की चेष्टा की, किन्तु सफलता न हुई। उन्होंने दरवान को कहा कि “भाई, तुम्हें एक हजार रुपये दूंगा



Ives journey में लिखा है कि "हालवेल साहसी नहीं थे। कोई उपाय न रहने के कारण उन्हें इस समय लड़ना पड़ा था।"

पुत्र भी हो, हालवेल दुर्ग की रक्षा न कर सके। नवाब ने दुर्ग पर अधिकार कर लिया। दुर्ग अधिभूत होने पर नवाब ने सेनापति मीरजापर के साथ दुर्ग में प्रवेश किया। अमीचन्द और वृष्याचन्द्र उनके सामने खड़े गये। नवाब ने इनके प्रति किसी प्रकार का पुरा व्यवहार नहीं किया।-- अंग्रेजों ही के इतिहास में लिखा है कि जिस समय अमीचन्द और वृष्याचन्द्र ने नवाब के सामने उपस्थित होकर नवाब से अभिवादन किया तो नवाब ने इनका तिरस्कार करना तो दूर रहा, बड़े सन्मान के साथ इन्हें आसन प्रदान किया। हालवेल साहस ने "Halwelle's Indian Tracts" में यह बात मुक्तछपट से स्वीकार की है।



# कलकत्ते का ब्लैक होल

## कालकोठड़ी के हत्याकांड का रहस्य



अंग्रेज इतिहासवेत्ताओं ने नवाय सिराजुद्दौला की कलकत्ता विजय के साथ कालकोठड़ी के हत्याकांड को सम्बन्धित किया है। यह कालकोठड़ी ब्लैक होल "Black Hole" के नाम से प्रसिद्ध है। हमने पूर्व अध्याय में सिराजुद्दौला की लुछ भी प्रशंसा नहीं की है। हम उसका अनुचित समर्थन करना नहीं चाहते। पर किसी घटना का शुद्ध ऐतिहासिक दृष्टि से विचार करना इतिहासवेत्ता का प्रधान कर्तव्य है। अनेक ऐतिहासिक प्रमाणाँ की छानबीन के बाद कालकोठड़ी के अस्तित्व में सदेह होने लगता है। इस पर प्रकाश डालने के पहले अंग्रेज इतिहासवेत्ताओंने कालकोठड़ी के हत्याकांड का जैसा वर्णन किया है उसका सारांश हम नीचे देते हैं।

“कलकत्ते में नवाय के हाथों १४६ अंग्रेज मरे हुए। एक बीस वर्ग फीट छान्बी चौड़ी कोठड़ी में ये सब भर दिये गये और उस कोठड़ी के द्वार बंद कर दिये। इस दिन सूर्य अपनी सहस्रों किरणों से तप रहा था। भयङ्कर गर्मी पड़ रही थी। इस कोठड़ी में हवा आने के लिये दी छोटे छोटे हवादानों को छोड़ कर और कुछ भी नहीं था। लोग एक के ऊपर एक भर दिये गये थे। १४६ प्राणियों के देह के घर्षण और दारुण भीष्म के अत्यधिक प्रदुर्भाव से इस बन्द कोठड़ी में रहना असह्य हो गया। सभी ने आश्चर्य के लिये दरवाजे पर आघात करके उसे तोड़ देना चाहा। उनका यह प्रयास निष्फल हुआ। सभी उन्मत्त हो गये। राजपेल भी इन हीं में थे। इन्होंने कभी डाटडप्पट पतलाकर और कभी शुकामद कर सब को शान्त करने की चेष्टा की, किन्तु सफलता न हुई। उन्होंने दरवान को कहा कि “भाई, तुम्हें एक हजार रुपया दूंगा

Ives journey में लिखा है कि "हालवेल साहसी नहीं थे। कोई उपाय न रहने के कारण उन्हें इस समय लड़ना पड़ा था।"

युद्ध भी हो, हालवेल दुर्ग की रक्षा न कर सके। नवाब ने दुर्ग पर अधिकार कर लिया। दुर्ग अधिग्रह होने पर नवाब ने सेनापति मीरजाफर के साथ दुर्ग में प्रवेश किया। अमीचन्द्र और कृष्णचन्द्र उनके सामने खड़े गये। नवाब ने इनके प्रति किसी प्रकार का बुरा व्यवहार नहीं किया। अंग्रेजों ही के इतिहास में लिखा है कि जिस समय अमीचन्द्र और कृष्णचन्द्र ने नवाब के सामने उपस्थित होकर नवाब से अभिवादन किया तो नवाब ने इनका तिरस्कार करना तो दूर रहा, बड़े सम्मान के साथ इन्हें आसन प्रदान किया। हालवेल साहय ने "Halwelle's Indian tracts" में यह बात मुक्तकण्ठ से स्वीकार की है।



पाठक ! देखिये, ऊपर कितने भयानक श्रमानुषिक कारण्ड का दिग्दर्शन करवाया गया है ! अंग्रेज लेखकों ने कालकोठड़ी के हत्याकाण्ड का जो वर्णन किया है, उपर्युक्त पंक्तियों में उसकी छाया बतलाई गई है। अगर उक्त काण्ड सच्चा होता तो अवश्य ही वे लोग जो इस क्रूर कारण्ड के जिम्मेदार थे, राक्षस और नरपिशाच के अतिरिक्त दूसरी उपमा नहीं पा सकते थे। पर अनेक ऐतिहासिक अन्वेषणार्थों से काल कोठड़ी का हत्याकाण्ड केवल कपोल कल्पित और मिथ्या आविष्कार जान पड़ता है।

अंग्रेजों के लिखे इतिहासों में कालकोठड़ी का जो जिक्र है, वह वृत्तान्त उन्होंने हालवेक के वर्णन से लिया है। पर ऐसे कई प्रमाण मिलते हैं जिनसे कालकोठड़ी के अस्तित्व ही में घोर सन्देह उत्पन्न होता है। तत्कालीन मुसलमानों के लिखे हुए इतिहासों में कालकोठड़ी का बिलकुल जिक्र नहीं है। "मुताखिरिन" एक प्रामाणिक इतिहास समझा जाता है। यह तत्कालीन एक मुसलमान सज्जन का लिखा हुआ है। इसमें सिराजुद्दौला की अनेक कुकीर्तियों का उल्लेख है। सारा "मुताखिरिन" ग्रन्थ देख जाने पर भी इसमें कालकोठड़ी के हत्याकाण्ड का वर्णन नहीं मिला। "मुताखिरिन" में केवल इतना ही लिखा है, "दुर्ग पर अधिकार करने के बाद लूट खसोट हुई। कितने ही अंग्रेज कैद किये गये। कितनी ही भीखियां मीरजापुर के अनुचर अमीरवेग के हस्तगत हुईं।" "मुताखिरिन" के अंग्रेजी अनुवादक कहते हैं कि इस घटना के विषय में सारे यद्वाज की बात तो चलग रही, खास कलकत्तावासी भी नहीं जानते। "मुहम्मदगलीखों के" "नारीरफी मुजफ्फरी" ग्रन्थ में इस कालकोठड़ी का नाम-मात्र का भी उल्लेख नहीं है। अंग्रेज इतिहास-लेखक भी इस ग्रन्थ को प्रामाणिक बतलाते हैं। इस ग्रन्थ में लिखा है—दूक साहब के भाग जान पर किले के बाकी लोगों ने यही दिग्दर्शन के साथ पुर किया। किन्तु उनकी बारूद समाप्त हो गई जिससे दुर्ग रात्रियों के शाय जा पड़ा। खदाई में कितने ही लोग मारे गये। कितने ही बाद में

पाठक ! देखिये, ऊपर कितने भयानक अमानुषिक काण्ड का दिग्दर्शन करवाया गया है ! अंग्रेज लेखकों ने कालकोठड़ी के हत्याकाण्ड का जो वर्णन किया है, उपर्युक्त पंक्तियों में उसकी छाया बतलाई गई है। अगर उक्त काण्ड सच्चा होता तो भवश्य ही वे लोग जो इस क्रूर काण्ड के जिम्मेदार थे, राष्ट्र और नरपिशाच के अतिरिक्त दूसरी उपमा नहीं पा सकते थे। पर अनेक ऐतिहासिक ग्रन्थेप्याथों से काल कोठड़ी का हत्याकाण्ड केवल कपोल कल्पित और मिथ्या आविष्कार जान पड़ता है।

अंग्रेजों के लिखे इतिहासों में कालकोठड़ी का जो जिक्र है, वह वृत्तान्त उन्होंने हालवेल के वर्णन से लिया है। पर ऐसे कई प्रमाण मिलते हैं जिनसे कालकोठड़ी के अस्तित्व ही में घोर सन्देह उत्पन्न होता है। तत्कालीन मुसलमानों के लिखे हुए इतिहासों में कालकोठड़ी का बिलकुल जिक्र नहीं है। “मुताखिरीन” एक प्रामाणिक इतिहास समझा जाता है। यह तत्कालीन एक मुसलमान सज्जन का लिखा हुआ है। इसमें सिराजुद्दौला की अनेक कुकीर्तियों का उल्लेख है। सारा “मुताखिरीन” ग्रन्थ देख जाने पर भी इसमें कालकोठड़ी के हत्याकाण्ड का वर्णन नहीं मिला। “मुताखिरीन” में केवल इतना ही लिखा है, “दुर्ग पर अधिकार करने के बाद लूट खसोट हुई। कितने ही अंग्रेज कैद किये गये। कितनी ही बीबियाँ मीरजापूर के अनुचर अमीरवेग के हस्तगत हुईं।” “मुताखिरीन” के अंग्रेजी अनुवादक कहते हैं कि इस घटना के विषय में सारे बङ्गाल की बात तो अलग रही, खास कलकत्तावासी भी नहीं जानते।” मुहम्मदअलीखान के “नारीरफी मुजफ्फरी” ग्रन्थ में इस कालकोठड़ी का नाम-मात्र का भी उल्लेख नहीं है। अंग्रेज इतिहास-लेखक भी इस ग्रन्थ को प्रामाणिक बतलाते हैं। इस ग्रन्थ में लिखा है—दूक साहब के भाग जाने पर किले के बाकी लोगों ने षष्ठी हिम्मत के साथ युद्ध किया। किन्तु उनकी बारूद समाप्त हो गई जिससे दुर्ग शत्रुओं के हाथ जा पड़ा। लड़ाई में कितने ही लोग मारे गये। कितने ही घाद में

कैद किये गये । हरिचरणकृत "बहार गुलजार" में भी कालकोठड़ी का नामोउल्लेख तक नहीं है । ब्रिटिश एडमिरल वाटसन साह्य ने नवाब को जो पत्र लिखा, उसमें कालकोठड़ी का जिक्र तक नहीं किया । वाटसन के पत्र में लिखा है—“हमारे कारखाने लूट लिये गये । बहुतों को मार डाला गया ।” स्वयं लार्ड क्लाइव के पत्रों में इस हत्याकाण्ड का जिक्र तक नहीं है । क्लाइव ने कोर्ट आफ् दार्हेरेक्टर्स को निम्न लिखित आशय की चिट्ठी लिखी थी, उसमें भी उक्त हत्याकाण्ड का कहीं उल्लेख नहीं है । उन्होंने चिट्ठी में लिखा था—“बुद्ध पत्र जो सिराजुद्दौला ने फरसौतियों को लिखे थे वे मेरे हाथ आ गये । उनमें से मैं एक का अनुवाद आपके पास भेज रहा हूँ, जिससे यह बात स्पष्ट प्रतीत होती है कि हम लोग सिराजुद्दौला का नारा करने के लिये मजबूर हो गये थे ।” बुद्धपत्र से भाग कर जो धर्मोपपन्नता में जाकर रहे थे और जो रोज तरह तरह की गुप्त मन्त्रणाएं किया करते थे, उनके विचारों की पुस्तक में किसी स्थान पर भी कालकोठड़ी के हत्याकाण्ड का उल्लेख नहीं है । दूरस्थित समुद्र के किनारे पर रहने वाले मद्रास के धर्मोपपन्नताओं ने बखवत्तों पर पुन अधिकार करने के लिये सेना भेजने के जिस वादविवाद में बहुत सा समय बिताया था, वहाँ भी कहीं कालकोठड़ी का जिक्र नहीं है । मद्रास के धर्मोपपन्नता दरबार के मार्धानामुत्तार दीदराबाद के रिजाम और अरकाट के नवाब न सिराजुद्दौला की जो चिट्ठियाँ लिखी थी, उनमें भी कहीं कालकोठड़ी की घटना का नामोउल्लेख नहीं है । मद्रास की स्थिति के तात्कालीन कर्तावर्ता पिगत साह्य भी बड़ी डाटडपट के साथ सिराजुद्दौला की जो पत्र भेजा था उसमें भी कालकोठड़ी के हत्याकाण्ड का नाम तक नहीं है । क्लाइव और वाटसन ने मद्रास के बुद्ध सिन्धु के पहले तक सिराजुद्दौला के साथ जो पत्र-व्यवहार किया था, वहाँ किसी जगह पर भी कालकोठड़ी की उक्त विषय घटना

पाठक ! देखिये, ऊपर कितने भयानक अमानुषिक काण्ड का दिग्दर्शन कावाया गया है ! अंग्रेज खेसकों ने कालकोठड़ी के हत्याकाण्ड का जो वर्णन किया है, उपयुक्त पत्तियों में उसकी छाया बतलाई गई है । अगर उक्त काण्ड सच्चा होता तो अवश्य ही वे लोग जो इस क्रूर काण्ड के जिम्मेदार थे, राजस और नरपिशाच के अतिरिक्त दूसरी उपमा नहीं पा सकते थे । पर अनेक ऐतिहासिक अन्वेषणार्थों से काल कोठड़ी का हत्याकाण्ड केवल कपोल कल्पित और मिथ्या आविष्कार जान पड़ता है ।

अंग्रेजों के लिखे इतिहासों में कालकोठड़ी का जो जिक्र है, वह वृत्तान्त उन्होंने हालवेल के वर्णन से लिया है । पर ऐसे कई प्रमाण मिलते हैं जिनसे कालकोठड़ी के अस्तित्व ही में घोर सन्देह उत्पन्न होता है । तत्कालीन मुसलमानों के लिखे हुए इतिहासों में कालकोठड़ी का बिलकुल जिक्र नहीं है । “मुताखिरिन” एक प्रामाणिक इतिहास समझा जाता है । यह तत्कालीन एक मुसलमान सज्जन का लिखा हुआ है । इसमें सिराजुद्दौला की अनेक घुकीर्तियों का उल्लेख है । सारा “मुताखिरिन” ग्रन्थ देख जाने पर भी इसमें कालकोठड़ी के हत्याकाण्ड का वर्णन नहीं मिला । “मुताखिरिन” में केवल इतना ही लिखा है, “दुर्ग पर अधिकार करने के बाद लूट खसोट हुई । कितने ही अंग्रेज कैद किये गये । कितनी ही बीचियां मीरजाफर के अनुचर अमीरवेग के हस्तगत हुई ।” “मुताखिरिन” के अंग्रेजी अनुवादक कहते हैं कि इस घटना के विषय में सारे यद्माल की बात तो शल्लभ रही, खास कलकत्तावासी भी नहीं जानते । मुहम्मदअलीखान के “नारीरफी मुजफफरी” ग्रन्थ में इस कालकोठड़ी का नाम-माय का भी उल्लेख नहीं है । अंग्रेज इतिहास-लेखक भी इस ग्रन्थ को प्रामाणिक बतलाते हैं । इस ग्रन्थ में लिखा है—इक साहब के भाग जाने पर किले के बाकी लोगों ने बड़ी हिम्मत के साथ बुद किया । किन्तु उनकी बारूद समाप्त हो गई जिससे दुर्ग शत्रुओं के हाथ जा पड़ा । लड़ाई में कितने ही लोग मारे गये । कितने ही बाद में

नहीं है। मीरजाफर के माथ संप्रेत्री की जो मन्धि हुई थी उसमें भी कालकोठड़ी का नामोनिशान नहीं है। कुछ परं दुगु डाक्टर मोखानाय ने कालकोठड़ी पर एक लेख लिखा था, जिममें उन्होंने कालकोठड़ी के हत्याकाण्ड को अस्वीकार किया है। राजशाही के वर्काल और "सिरानुहीला" नामक ग्रन्थ के लेखर "भारती" ने इस मन्ध में एक लेख लिखा था, जिममें आपने प्रकट किया था—

“हालवेल कथित १४६ कैदियों का कारागृह होना विशेष सन्देह जनक है। इसका कारण यह है कि जिस दिन हालवेल साहय ने दुर्गरा का भार ग्रहण किया उस दिन दुर्ग में १६० आदमी होने की यात इतिहास में लिखी है। इन १६० आदमियों में दो दिनों की लड़ाई में कितने ही मीरजाफर की कृपा से सुरक्षित रूप से कलकत्ते पहुँच गये थे तब १४६ आदमी आये कहा से? इस प्रकार और भी अनेक प्रमाणों ने यह प्रमाणित होता है कि कालकोठड़ी की घटना घटित नहीं हुई। यह हालवेल साहय की कल्पना का आविष्कार-मात्र है।” अब हम यह दिखलाना चाहते हैं कि हालवेल साहय ने इस हत्याकाण्ड की कल्पना कब और क्यों की?

### हालवेल और कालकोठड़ी

कालकोठड़ी के हत्याकाण्ड की कहानी कब और किसके द्वारा प्रकट हुई। इसका हाल दिलचस्पी से खाली नहीं। यह कहने की आवश्यकता नहीं कि इसका प्रधान प्रचारक या आविष्कार हालवेल था। सन् १७२७ ईसवी की २६ वीं फरवरी को उन्होंने अपने प्रियवन्धु विलियम डेविम को जो पत्र लिखा था, उसी से कालकोठड़ी के हत्याकाण्ड का पहला और विस्तीर्ण परिचय मिला था। जब १७२७ में उन्होंने सार्जन नामक जहाज पर चढ़ कर विलायत की यात्रा की तो जहाज पर बैठे बैठे उसी बेकारी की हालत में उन्होंने इस विषाद-पूर्ण कहानी की रचना की थी। इसी-लिये इसका कोई प्रमाण नहीं पाया जाता कि प्छासी युद्ध के पहले तक



सर्वसाधारण को इसका कुछ भी ज्ञान था। ग्लासी युद्ध के पश्चात् जिन समय इंग्लैण्ड के निवासियों ने भारत प्रवासी अंग्रेज सौदागरों की अप-कीर्ति और अन्याचारों के विषय में रौरा मचाना शुरू किया था उसी समय हालवेल साहब का उक्त-पत्र जनता के सामने उपस्थित किया गया था, जिसे पढ़कर इंग्लैण्ड के स्त्री पुरुषों का हृदय कांप उठा? वे सिराजुद्दौला को राक्षस और पिराच समझने लगे। इससे अंग्रेजों के अन्याचारों की कहानियां विस्मृति के गर्भ में विलीन हो गईं? सभ्य ससार में सिराजुद्दौला के कलहों का शोर मचने लगा।

उस समय की चारों ओर की अवस्था का सूक्ष्मभाव से आलोचना करने पर कालकोठड़ी के अस्तित्व में दरअसल घोर सन्देह उत्पन्न होता है। अब सवाल यह है कि इस घटना का आविष्कार करने में हालवेल ने क्या लाभ सोचा? इसका योद्धा सा उत्तर ऊपर की पक्तियों में दिया गया है। हालवेल साहब की यह कल्पना अहेतुक नहीं थी। यह कल्पना क्यों हुई थी? इसके कई कारण हैं। फ्रान्सीसी हाकिम डुप्ले ने भारत में अपने देश के हाकिमों की सहानुभूति और सहायता नहीं पाई, इसलिये उनका अधःपतन हुआ। उनके अधःपतन से भारत में फ्रान्सीसियों का अधःपतन हुआ। हालवेल को शायद इस बात की चिन्ता रही हो कि कहीं-भारत के अंग्रेज भी विलायत की सहानुभूति और सहायता न खो देंगे। शायद इसी चिन्ता के फल से सिराजुद्दौला के चरित्र में चरम नृशंसना का आरोप करके हालवेल की कल्पना ने कालकोठड़ी का हत्याकाण्ड तैयार किया होगा? हम ऊपर कह चुके हैं कि कालकोठड़ी के हत्याकाण्ड का समाचार सुनकर विलायतवालों का हृदय कांप उठा था। कितने ही लोगों का खयाल है कि एक स्वाधीन न्याय के अकारण ही राज्यभ्रष्ट किये जाने से शायद भारतस्थित अंग्रेजों के नाम पर घोर कलह लगेगा, वस इसी कलह से सुटकारा पाने के लिये उक्त हत्याकाण्ड का आविष्कार किया था। इस प्रकार इस विषय में अनेक लोगों के अनेक मत हैं, पर बहुत से इतिहासज्ञ कालकोठड़ी के अस्तित्व में विश्वास नहीं करते।

## कालकोटड़ी का स्मारक

अंग्रेजी इतिहास लेखकों के मतानुसार कालकोटड़ी का क्या महत्व है । उसने हिन्दुस्थान में ब्रिटिश राज्य-शक्ति की नींव डाली । यदि यह सत्य है तो क्या कारण है कि कम्पनी का बनाया हुआ कालकोटड़ी का कोई स्मारक नहीं पाया जाता । कानपुर के इत्याकाण्ड का स्मृति-स्तम्भ बड़े धन के साथ सुरक्षित रखा गया है । मणिपुर के इत्याकाण्ड को चिरस्मरणीय बनाने के लिये भी स्मारक बनवाया गया है । ऐसी दशा में कोई कारण मालूम नहीं होता है कि कालकोटड़ी जैसी भयानक और महायुद्धपूर्ण घटना के लिये कम्पनी की ओर से स्मारक क्यों नहीं बनवाया गया । कहा जाता है कि हल्लवेल ने अपने निजी खर्च से एक स्मारक बनवाया था । स्मारक बनवाना कम्पनी का काम था । यह कम्पनी ने क्यों नहीं किया ? इसमें कोई न कोई रहस्य शायद होना चाहिये और बुद्धिमान पाठक इस रहस्य का पता यही खूबी से खगा सकते हैं । कालकोटड़ी के घण्टन में जिन सब इतिहासों के नाम दिये हैं, उन सबमें इस स्मारक के सम्बन्ध में किसी बात का उल्लेख नहीं है । छार्टर कर्जन के शासन-काल के पहले तक कालकोटड़ी का कोई स्मारक नहीं पाया जाता था । फ्लकस्ते की इल्लमूस् कम्पनी द्वारा प्रकाशित एक ग्रन्थ के पढ़ने से मालूम होता है कि सन् १८१८ में "कस्टम हाउस" बनने के लिये यह स्मारक तोड़ डाला गया । वेष्टिड नामक एक अंग्रेज ने भी इस बात की पुष्टि की है । वेष्टिड लिखता है "कालकोटड़ी में जो लोग मारे गये थे, सिर्फ उन्हीं के लिये नहीं, परन्तु जिन लोगों ने दुर्ग रचा के लिये धारम-विसर्जन किया था, उनके स्मारक के लिये भी यह कीर्ति स्तम्भ बनवाया गया था ।" पर यहां सवाल यह उठता है कि एक मामूली कस्टम-घर बनवाने के लिये यह स्मारक क्यों तोड़ा गया ? क्या यह स्मारक इतना महत्त्व समझा गया कि एक मामूली कस्टमघर के बनवाने के लिये यह तोड़ डाला गया । जिस स्थान पर, अंग्रेज इतिहास लेखकों के मतानुसार

उनके १२१ भाईयों ने प्राण विसर्जन किये, जो ब्रिटिश शासन की नींव है, उसे गिरा देना क्या कोई अंग्रेज परदारत कर सकता था। यह बातें ऐसी हैं, जिनपर जरा गहरे विचार की आवश्यकता है। हमें तो दो बातें मालूम होती हैं या तो स्मारक था ही नहीं, अगर था तो वह असत्य या महत्त्व-हीन समझ कर गिरा दिया गया।

बहुत वर्षों के बाद हमारे आला दिमाग़ लार्ड कर्जन ने कलकत्ते के छात्रदीर्घी के उत्तर—पश्चिम में इस कालकोठड़ी के स्मारक की प्रतिष्ठा की थी। कहा जाता है कि वर्षों से लार्ड कर्जन के दिमाग़ में यह ख्याल आ रहा था कि कालकोठड़ी के स्मारक बनने की जरूरत है। जिस दिन आपने इस स्मारक का उद्घाटन किया था, उस समय आपने यह बात कही थी। उनके कथन से जान पड़ा कि जब वे भारत के लिये रवाना हुए थे तब उनके साथ वेष्टिड साहब कृत कलकत्ता-पुरातत्व की पुस्तक थी। आपके कथनानुसार इसी पुस्तक से आपने कलकत्ते की कालकोठड़ी का विशेष हाल जाना था। पर यह स्मारक पहले वर्षों तोड़ा गया इसका समुचित निर्यात लार्ड कर्जन नहीं कर सके। उन्होंने कहा था—  
“No one quite knows why” अर्थात् यह कोई नहीं जानता कि यह स्मारक क्यों तोड़ा गया ?

लार्ड कर्जन ही के कथन से मालूम हुआ कि वेष्टिड की पुस्तक पढ़कर जब उन्होंने हालवेल द्वारा एक स्मारक प्रतिष्ठा का हाल जाना, तब उन्हें उसके सम्बन्ध में पूरी पूरी बातें जानने का शीमुख्य हुआ। उन्होंने अपनी जांच के बाद यह निर्यात किया—“इस समय जिस जगह कलकत्ते का टाकघर है उसी जगह पुराने किले के भीतर कालकोठड़ी थी” इसी स्थान को लार्ड कर्जन महोदय ने सर्व साधारण के दृष्टि गोचर करने की व्यवस्था की। इसके अलावा लार्ड कर्जन महोदय ने हालवेल से भी आगे बढ़कर एक कार्य किया। लार्ड महोदय फरमाते हैं—“हालवेल ने जिस स्मारक की प्रतिष्ठा की है उसमें सिर्फ पचास आदिमियों का

नाम लिखा था । मैंने और भी बीस आदिमियों के नाम संग्रह किये हैं जिन्होंने काखकोटड़ी में जीवनविमर्जित किया था ! हमके अलावा जो बीस आदिमी काखकोटड़ी से निकल कर बाढ़ को उसकी यन्त्रणा से मर गये, मैंने उनका भी नाम संग्रह किया है । फलतः कुल अस्सी आदिमियों के नाम मेरे द्वारा स्मारक पर लगाये गये हैं ।”

कहा जाता है कि काखकोटड़ी में १४६ आदिमी कैंद हुए । इनमें से सिर्फ २३ बचे थे । यदि २३ बचे तो १२३ मरे । स्मारक में नाम दिये गये हैं सिर्फ ८० आदिमियों के । क्या खाट कर्जन इतना यत्न करने पर भी सब के नाम नहीं जान सके ? अगर शेष के भी नाम प्रकट हो जाते तो खाट कर्जन के हक में भी कुछ अच्छा होता । हम तो यह बात साफ़ कहेंगे कि खाट कर्जन इस बात का कोई पक्का प्रमाण न दे सके कि पहले काखकोटड़ी का कोई स्मारक था । अगर था, तो वह क्यों गिराया गया ? अगर विजली आदि से गिरा तो उसका पुनरुद्धार क्यों नहीं किया गया ? इन सब बातों की भीमांसा खाट कर्जन को कर देनी थी । उन्होंने इन बातों पर कुछ भी प्रकाश न डाला । जब उनके इस स्मारक स्थापना का विरोध होने लगा और यद्वाख के इतिहास मर्मज्ञ श्रीयुत बिहारीलाल सरकार ने अनेक सुदृढ़ ऐतिहासिक प्रमाणों से यह सिद्ध कर दिया कि काखकोटड़ी के इत्याकाण्ड का अस्तित्व ही नहीं था, तब खाट कर्जन बहुत बिगड़े और उन्होंने अपनी एक वक्तृता में कहा—

“मैंने सुना है कि अनेक लोग ऐसा कहते हैं कि कलकत्ते का काखकोटड़ीवाला इत्याकाण्ड-कानपुर इत्याकाण्ड आदि जो घटनाएँ हुई हैं उनका स्मृतिरक्षा का कोई उपयोग नहीं होना चाहिये । चकि ऐसी चेष्टा करनी चाहिये जिससे यह घटनाएँ विस्मृत के गर्भ में चिरकाल तक विस्तीर्ण हो जाय । कितने ही लोगों ने युक्ति प्रमाण दे कर इस विषय में लफ़्फ़े विलफ़्फ़ भी किया है । किसी ह्योद सयाने ने तो एक खग्या चीका प्रयत्न लिखकर यह प्रमाणित करने की चेष्टा की है कि कलकत्ते की काखकोटड़ी

की घटना ही भूड है या न बालकोटही की ड या नहीं हुई । उन लोगों का अनुवाद है कि जा लोग उस समय वहाँ उपस्थित थे उन लोगों ने इस घटना का उल्लेख नहीं किया । इस सम्बन्ध में मेरा मत बिलकुल ही शुद्ध है । भीषण दुर्घटना मानवी इतिहास का श्रेय है । निषत्र-विभिषिकाएँ तो हुआ ही करती हैं । इन सब बातों का अस्तित्व स्वीकार न करना यद्दाना मात्र है । भारत के इतिहास में ऐसी घटनाओं का अभाव नहीं । जहा जातिगतद्वेष है, वहाँ ऐसे निमंम, कठोर, और लज्जा कर कुकार्या वा अनुपान हुआ करता है । सिपाही विद्रोह उसका उल्लेख है, किन्तु इसी से इन सब घटनाओं को अस्वीकार करने का कोई कारण नहीं ।” इसके बाद लार्ड कर्जन महोदय उपदेश करते हैं—“ब्रमा गण में वह विद्रोह पौंड्र डालो—शमगुण से उसे शान्त करो—किन्तु एक यथे के धृष्टित संस्कार के वशवर्ती होकर तथा उसे अस्वीकार करके सम्मान योग्य व्यक्तिगण क प्रति सम्मान प्रदर्शित करने का सुयोग न पागो । यही सब घटनाएँ कालगति का पथ-चिन्ह है । सर्वनियन्ता परमेश्वर ही इसका नियन्ता है । जिस सोपान मार्ग के अवलम्बन से अंग्र और भारतवासी एकता और अनुत्त्व के अङ्ग में सम्मिलित होने चल है, उस सोपान पथ का कोई अंश वा पाया नररक्त से अगर परिप्लुत हुआ हो तो वह कदापि उपलब्धीय वा परिवर्तनीय नहीं, बल्कि कलङ्क पौंड्र का शुद्ध भाव से उसकी रक्षा करना कर्त्तव्य है, जिस से हमारे बाद के लोग द्रम्य शिक्षा लाभ कर सकें ।” + कितनी अच्छी दस्तावेज है ? प्रश्न क्या था और उत्तर क्या दिया गया ? प्रश्न था, इतिहास के सम्बन्ध में और उत्तर में दी गई तथ्यज्ञान की बातें । बलिहारी है ! पाठक खुद ही लार्ड कर्जन की उक्ति वा मूल्य समझ लें । इसके अलावा उक्त वाक्यों से यह भी पता लगता है कि लार्ड कर्जन कैसे हृदय के आदमी थे ।

+ भीषुत विहारीकाल सरकार के एक खेष से सङ्कलित

## विश्वासघात

अंग्रेजों की कूटनीति संसार में प्रसिद्ध है। उन्होंने कूटनीति (diplomacy) ही के षल पर इम विशाल—साम्राज्य का संगठन किया था। सिराजुद्दौला ने जय में कलकत्ते पर अधिकार कर लिया था तब से अंग्रेज यद्दे येचैन थे। ये नाना प्रकार के यद्दयन्त्रों को संगठित करने में लगे हुए थे। इधर पुर्निया की यग्गावत में फंसे रहन के कारण सिराजुद्दौला को अंग्रेजों पर यधेष्ट देसरेख करने का अवसर नहीं मिला। इम तीव्र में उन्होंने सिराजुद्दौला के कुछ आदमियों को फोड़ लिया। येन्दु तामर एक पादरी अंग्रेजों के अनुरोध से कई सप्ताह तक कलकत्ते में रहा और यह गुप्तरूप से वहां की खबर इकट्ठी कर अंग्रेजों के पास भेजता रहा। इसकी चिट्ठी से पलता के अंग्रेजों को मालूम हुआ कि "सिराजुद्दौला के आदमी-मानिकचन्द ने नदी की ओर बहुत ली तोपें लगा कर प्रपना प्रभाव जमा रखा है। पर ये सब उसके दिखावे है। तोपें निकरमे धीरे धूटी फूटी अक्स्था में है। टानां के किले में सिर्फ २०० सिपाही हैं, हुगली के किले में २० आदमी और बाहर २०० आदमियों से ज्यादा नहीं हैं।" निर्रज्ज अमीचन्द ने लिखा था—“लोग नवाब के घर से कुछ बहने का माहस नहीं करते हैं, परन्तु अंग्रेजों के पुनर्गमन के लिये ख्वाजावाजिद आदि प्रधान सौदागर यद्दे उत्सुक हो रहे हैं।” हाजबेन साहय की खबर मिली — “कलकत्ते का किला एक प्रकार से अरक्षित है। उसके चारों भुजं दूदे फूटे निकरमे पड़े हैं। शहर के निवासी बेरुशके खरटि की नींद सो रहे हैं।” अंग्रेज लोग किस कूटनीतिज्ञता से काम करते थे, उपयुक्त बातें उसका ममूना है। मानिकचन्द, जिसका जिक्र पहल्ले कई दफा आ चुका है और जो सिराजुद्दौला का बनाया हुआ आदमी था, यह विश्वास किये बैठा था कि पुर्निया के युद्ध में

सिराजुद्दौला का नाश हो जायगा । जब ऐसा नहीं हुआ तो वह गुप्त रूप से अंग्रेजों की मदद और प्रफुट रूप से कलकत्ते की रक्षा के लिये बाहरी आङ्गवर रचने लगा ।

इस तरफ के तो इस प्रकार के समाचार अंग्रेजों को मिल रहे थे और उस तरफ मद्रास स्थित अंग्रेज लोग कलकत्ते के पुनरुद्धार के लिये विचार कर रहे थे । मद्रास में अंग्रेजों में किस प्रकार की मन्त्रणाएं हुईं, इस पर विशेष लिखने की आवश्यकता नहीं । झाइव और वाट्सन की अध्यक्षता में मद्रास से एक फौज खाना की गई । यहां यह लिखना आवश्यक है कि जिन्होंने झाइव और वाट्सन को बंगाल भेजा था उन्होंने किसी न किसी तरह कलकत्ते के वाणिज्याधिकार ही को फिर से प्राप्त करने की कोशिश की थी और बिना मारकाट और रक्तपात के यह कार्य सिद्ध करने के लिये उन्होंने दक्षिण के निजाम और शरकाट के नवाब से सिफारिश की चिट्ठियां लिखा कर भेजी थीं । परन्तु आगे झाइव और वाट्सन ने क्या किया ? वे हमेशा इसी चिन्ता में निमग्न रहने लगे कि सेना की सहायता से बंगाल को लूट कर कौन कितना धन प्राप्त करें ।

तुझ भी ही अंग्रेजों ने बहुत सी सैनिक तैयारी के साथ मद्रास से आकर पलता बंदर पर जहाजों के लैंगर डाले । सेनापति वाट्सन ने सिराजुद्दौला को इस आशय का एक पत्र लिखा ×“मेरे मालिक, इंग्लैंड के नरेश ने ( जिनका नाम सप्सर के अन्य राजाओं में आदरणीय है ) मुझे इस प्रदेश में ईस्टइन्डिया कंपनी के स्वत्वों और अधिकारों की रक्षा के लिये एक बड़ी जहाजी सेना के साथ भेजा है । जो लाभ मेरे प्रिय राजा की प्रजा के व्यापार से मुगल राज्य को हुए हैं उन्हें गिनाने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि वे स्पष्ट ही हैं । ऐसी दशा में यह सुन कर मुझे बड़ा भारी आश्चर्य हुआ कि आपने एक बड़ी फौज लेकर कंपनी की कोठियों पर आक्रमण किया और नौकरों को जबरदस्ती निकाल दिया एवं उनका माल असबाब, जो बहुत कीमती था, लूट

लिखा और मेरे राजा की बहुत सी प्रजा को मार डाला। मैं अपनी के भीतरों को फिर उनकी कीटियों तथा मकानों में बसाने आया हूँ। आशा करता हूँ कि आप उन्हें फिर वे ही पुगने हक और रणप्रता देंगे, जो उन्हें पहले हासिल थे। आपको वे भलाइयाँ याद रगना चाहिये जो आपके देश में अंग्रेजों के रहने के कारण हुई है। मैं निम्नन्टेह आशा करता हूँ कि आप इनके उन घावों को भरने और हानियों को पूरी करने के लिये राजी हो जावेंगे जो आपने पहुँचाया है और इस प्रकार शान्ति—पूरक इन क्लेशों का अन्त करके मेरे उस राजा के मित्र बन जावेंगे जो शान्तिप्रिय और न्याय परायण है। इससे अधिक और मैं क्या कहूँ ?”

### कलकत्ते पर आक्रमण

कलकत्ते के किले का क्या हाल हो रहा था, इसका पता, जैसा कि हम ऊपर कह चुके हैं, अंग्रेजों को लग गया था। बलाहव समैन्य कलकत्ते पर आक्रमण करने के लिये निकला। २७ दिसम्बर को वह मायापुर पहुँचा। यहीं सिपाहियों ने जहाज से उतर कर बजबज किले की ओर यात्रा की। बजबज के किले पर सहज ही अधिकार कर लिया गया। यह ग़बर ज्योंही कलकत्ते के हाकिम मानिकचन्द्र को खर्गा, त्योंही वह समैन्य, चाहे दिग्बाये के लिये ही क्यों न हो, दीव आया। फौरन ही दोनों दलों में युद्ध शुरू हो गया। कितने ही इतिहासवेत्ता कहते हैं कि इस रणपरीक्षा में मानिकचन्द्र ने अपने वीरोचित कर्तव्य पर ध्यान नहीं दिया क्योंकि अंग्रेजों द्वारा दो चार ही गोले चलाये जाने पर वह भग गया। एक अंग्रेज इतिहासलेखक ने मजाक करते हुए लिखा है—

“मानिकचन्द्र की पगड़ी के पास मे हाँकर ज्यों ही बन्दूक की गोली सनसनाती हुई निकली कि वह घट चम्पत हो गया। मैदान में फिर वह क्षण मात्र भी न ठहरा। बज बज छोड़ कर, कलकत्ता छोड़ कर, कांपता हुआ वह सीधा एक दम मुर्शिदाबाद भाग गया।” हमारे



उक्त इतिहास लेखक ने उसका कुछ निर्णय न करके उसे भीरू तथा कायर कह कर उसका मजाक उड़ाया है। अंग्रेजों के साथ माणिकचन्द्र का जो मेल जोल चल रहा था, क्या माणिकचन्द्र के भागने से उसका कोई सम्बन्ध न था।

इसके बाद युद्ध बन्द हो गया। झाड़ैव और वादमन दूसरी जनवरी को जिस समय कलकत्ते के किले के पास पहुँचे तो किले के सिपाहियों ने दो चार ही गोले खला कर पीठ दिखादी। सूने किले पर झाड़ैव अपनी विजय पताका बड़ी जोरों के साथ उड़ाने लगा।

### हुगली में लूटमार

कलकत्ते के प्रायः अरक्षित किले पर अंग्रेजों का अधिकार हो गया। अंग्रेज विजय के मद से उन्मत्त हो गये। वे तरह तरह के अन्याचार करने लगे। अंग्रेज इतिहासकारों ने अंग्रेजों की अन्धेरी धाजू को छिपाने ही चेष्टा की है। पर सत्य को आप एक समय तक दबा सकते हैं, सदा के लिये नहीं। सत्य कभी प्रकट हो ही जाता है। कलकत्ते पर अधिकार करने के बाद सरकारीन कुछ अंग्रेज सैनिकों ने जो काम किया, वह सैनिकों के योग्य नहीं था। उन्होंने हुगली में लूटमार करना शुरू कर दिया।

हुगली की लूटमार के विषय में सुमलमान इतिहास लेखक मेयद गुलाम हुसेन ने लिखा है—

“अंग्रेज लोग जिस समय हुगली को लूटने में व्यस्त हो रहे थे, उस समय खिलापत से उन्हें यह समाचार मिला कि फ्रान्स के साथ इंग्लैंड फिर से युद्ध आरम्भ हो गया है।” हुगली की लूट का जिक्र करते हुए एक मुसलिम अंग्रेज इतिहास लेखक ने लिखा था—“यस लोग कह रहे थे कि बड़ी मुश्किल से अंग्रेजों की नौका पाप-भार से पूर्ण हुई है।”

अंग्रेजों ने हुगली को पूरी तरह लूटा । उन्होंने उस समय एक तरह से हुगली का सर्वनाश कर डाला । हुगली के बड़े बड़े आलीशान और विशाल भवनों को धूल में मिला दिया । कितने ही भूरे कलाशों की छुटियाँ जलाकर खाक कर दी गईं । हुगली का इतिहास प्रसिद्ध मयू-दिशालों नगर स्मशान की राख में परिणत हो गया । इस लूट का समाचार पाकर मौजिबान मिराजुद्दौला के मन पर बड़ा अमर होना चाहिये था ? इसका अनुमान पाठक स्वयं लगा लें । इतने पर भी मिराजुद्दौला ने युद्ध को टालने की बड़ी चेष्टा की । इसका यह कारण था कि मिराजुद्दौला यह जान गया था कि अंग्रेजों ने कहीं प्रकार के प्रलोभन देकर उसके अधिकारियों को पीड़ लिया है और उसकी आन्तरिक स्थिति निर्बल हो गई है । मिराजुद्दौला के उक्त पत्र का अंग्रेजों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा । वे अपनी मांगे दिन दूनी और रात चांगुनी बढ़ाते रहे ।

मिराजुद्दौला ने सुलह की बातचीत करने के लिये कलकत्ते के पास मुकाम किया । यहाँ एक और घटना घटी जिसने मिराजुद्दौला को दुःखित और भ्रंशक किया । बलाह्वय के दो प्रतिनिधि नवाब से सुलह की बातचीत करने आये थे । वे दूसरे दिन रात को गुम हो गये । नवाब को मालूम हुआ कि ये लोग सुलह के लिये नहीं पर उसकी स्थिति का भेद खेने आये थे । यहाँ यह कहने की आवश्यकता नहीं कि इस समय नवाब की स्थिति किकर्तव्यधिमूढ़ सी हो रही थी । उसके अन्तःकरण में निराशा और भय के बादल मगदरा रहे थे । अंग्रेजों के अतिरिक्त उसे बाहर के अन्य आक्रमणों का भी भय था । वह इस समय केवल २० वर्ष का नवयुवक था । अपने नाना अलीवर्दीखान के खाइ प्यार के कारण उसका जीवन संगठित न हो पाया था । कठोर परिस्थितियों में जिन लोगों के जीवन का उद्गम और विकास होता है, वे संसार की कठिन से कठिन परिस्थितियों का सामना करने को सक्षम हो जाते हैं । बड़ी से बड़ी विपत्ति में भी वे अपने धैर्य का नहीं खोते । पर मिराजुद्दौला में यह बात

नहीं थी। उसके आस पास प्रतिरूल वायुमण्डल था। उसकी फ़ीजें समय पर वेतन न मिलने के कारण असन्तुष्ट थी। उसके अधिकारी भी उससे अन्दर ही अन्दर ग्लिताफ़ हो गये थे। अंग्रेजों ने बड़ी बड़ी शिक्वतें देकर उन्हें अपनी ओर फोड़ लिया था। इन्हीं सब बातों से प्रभावित होकर सिराजुद्दौला ने अंग्रेजों से जो सन्धि की थी, उसमें उसकी पराजय-मनोवृत्ति का पता चलता है। यह सन्धि अलीनगर की सन्धि के नाम से मशहूर है। इसकी निम्न लिखित धाराएँ थीं।

“हैश्वर और उसके दूतगण साक्षी हैं कि आज अंग्रेजों के साथ जो सन्धि की है, उससे प्युत न होऊँगा। उन पर मैं सदा अनुग्रह प्रकाश करूँगा” नवाब

१ दिव्ही के बाढगाह द्वारा अंग्रेज कम्पनी को जो अधिकार और स्वत्व दिये गये हैं, उन पर कोई आपत्ति नहीं की जायगी। उसमें जो माफ़ी है वह भी स्वीकार की जायगी। वह कभी नहीं छिनी जायगी। परमान में जो सब गाव दिये हैं—यद्यपि पहले के शुबेदारों ने उनके देने में आपत्ति की थी, किन्तु अब ये सब दिये जायेंगे। पर अंग्रेज कम्पनी इन गाँवों के जमींदारों को बिना कारण छति नहीं पहुँचा सकेगी।

२ अंग्रेजों के हस्ताक्षर के साथ, बंगाल, बिहार और उड़ीषे के भीतर जिस किसी जगह से अंग्रेजों का माल आया या जायगा उसका टेक्स या महसूल नहीं लिया जायगा।

३ नवाब ने जो कम्पनी की कोठियाँ खोली हैं, उन्हें उनको खोला देना होगा। इन्हीं के साथ कम्पनी के लोगों का जो रुपया पैसा आदि ले लिया गया है, वह भी लौटा देना पड़ेगा। जो चीजें लूट ली गई हैं, उनका वाजिब मूल्य नवाब की अदा करना पड़ेगा।

४ हम अंग्रेज जिस तरह आवश्यक चीर उचित समझेंगे, उन्हीं तरह अपने कलकत्ते के किले को बनायेंगे या मजबूत करेंगे।

५ मुर्शिदाबाद में जैसे मित्रों चलते हैं, उतने यजन के धने ही मित्रों को प्रसन्न करेंगे। ये भी देश में चलेंगे और उन पर कोई बड़ा न ले सकेगा।

उपरोक्त मन्त्रिपत्र से यह स्पष्टतया प्रतीत होता है कि मिराजुद्दौला की इच्छा अंग्रेजों से युद्ध छेड़ने की नहीं थी। इस बात को कर्नल मालेसन (Col. Malleon) प्रभृति अंग्रेज लेखकों ने भी स्वीकार की है।

नवाब की कमजोरी और उसकी विपरीत परिस्थितियों ने अंग्रेजों के उम्माद को बहुत बढ़ा दिया। हमारे अतिरिक्त यह भी स्वीकार करना पड़ेगा कि नवाब की अपेक्षा अंग्रेज अधिक चतुर, घालाक राजनीतिज्ञ और अवसर का फायदा उठाने वाले थे। मेना संचालन में भी इनकी विशेष योग्यता थी। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने भी अपने ग्रन्थ "Discovery of India" में इस बात को स्वीकार किया है। कुछ भी हो, नवाब शान्ति चाहता था। उधर अंग्रेज कंपनी किसी न किसी प्रकार छेड़छाड़ करने पर तुली हुई थी।

इसी बीच में कुछ अन्तर्राष्ट्रिय घटना घट चुकी थी। यूरोप में अंग्रेजों और फ्रेंचों में युद्ध घोषित हो गया। अतएव, अंग्रेज लोग भारत में फ्रान्सीसियों का सर्वनाश करने को तुल गये। उन्होंने फ्रान्सीसियों की बस्ती चन्द्रनगर पर आक्रमण कर दिया। यह भी नवाब को पुरा खगा; क्योंकि फ्रान्सीसियों के साथ उसके अच्छे सम्बन्ध थे। इस आक्रमण में भी अंग्रेजों की कुटिल नीति की विजय हुई।

फ्रान्सीसियों ने धीरतापूर्वक किले की रक्षा करने का संकल्प लिया। पास ही नन्द कुमार की सेना तैयार खड़ी थी। इसमें झाङ्गद भयभीत हुआ। परन्तु विपत्ति पढ़ने पर तत्कालीन उपाय सोचने में वह पूरा प्रवीण था। उसने शाम, दाम, दण्ड भेद आदि, सभी नीतियों से काम लेना शुरू किया। उसने अमीचन्द को नन्दकुमार के डेरे में भेजा। काम बन गया। अमीचन्द सहज ही में हतकार्य ही गया। नन्दकुमार अपनी

सेना लेकर इका बनाते हुए दूर स्थान में चले गये । जिन प्रतिभाशाली इतिहास लेखकों ने झाड़ू का गौरव बचान के लिये लेखनी उठाई है, वे भी स्पष्ट शब्दों में लिख गये हैं—“इस युद्ध में केवल घूस ही के जोर से नन्दकुमार परास्त हुआ था ।” यस्टन लिखता है —“हुगली के फौजदार नन्दकुमार की आधीनता में नवाब के कुछ सिपाही चन्द्रनगर की सहायता के लिये पहले ही से वहा ठहरे हुये थे। परन्तु अमीचन्द ने नन्दकुमार को अंग्रेजों के अनुकूल रहने के लिये कुछ रुपया दे दिया, और जब वे पहुँचे तो सिराजुद्दौला के सिपाही चन्द्रनगर से हटा लिये गये ।” इस स्थान पर नन्दकुमार ने जैसी वृष्टित वृष्टि का परिचय दिया, उसे हम किसी भी दशा में नहीं सराह सकते । उनके इस कार्य पर प्रत्येक देश-वासी को घृणा होगी । हा, आगे चलकर उन्होंने जिस अलौकिक आदर्श का परिचय दिया वह स्तुत्य है । इसी प्रकार इस युद्ध में अंग्रेजों ने और भी पड़्यन्त्र किये । अंग्रेजों के इतिहास से यह स्पष्टतया प्रतीत होता है कि अबतक उनकी विजय कृतीति की थी । इसी चन्द्रनगर की विजय को ले लीजिये । इसे अंग्रेजों ने “चन्द्रनगर की अलौकिक विजय” कहा है । इस विजय के एक रहस्य का उद्घाटन तो ऊपर हो ही चुका है । अब दूसरे रहस्य का उद्घाटन करते हैं जिस पर आधुनिक इतिहासलेखकों ने जान या बेजान कर पर्दा डाल रखा है ।

अंग्रेजों की अग्रगति को रोकने के लिये फ्रान्सीसियों ने गुप्त रूप से अनेक जहाज जलमग्न कर रखे थे । फ्रान्सीसियों के डेरान नामक जल-मैनिक को अंग्रेजों ने किसी तरह फोड़ लिया । इसने फ्रान्सीसियों के सब गुप्त रहस्य को प्रकट कर चन्द्रनगर के खानाशा में बड़ी सहायता दी । अगर डेरान इस गुप्त रहस्य को प्रकट न करता तो यह दुःसाध्य था कि अंग्रेजों छाग इतने शीघ्र चन्द्रनगर के पास पहुँच सकते । सुदुर्लभ क्लाइड ने भी इस बात को स्वीकार किया है ।

अब हम सेना फ्रान्सीसियों की सहायता के लिये नवाब ने भेजी थी ।

चन्द्रनगर की विजय के लिये १० अग्रेज सन् १७१७ को चुने हुए सदास्यों की सभा में क्लाइव ने कहा था:—

“इस्टइण्डिया कम्पनी की सभा उसके कर्मचारियों को उस युद्धिमान और धनिक अमीचन्द का चिर कृतज्ञ होना चाहिये जिसकी यत्नशिलता हमें दीवान नन्दकुमार की सहायता और महानुभूति प्राप्त हुई। जिस समय हमने हुगली पर आक्रमण किया था, उस समय नवाब की यह सैन्य, जो हुगली के सौपरानों से सम्बन्ध रखती थी, नन्द कुमार की आधीनता में, चन्द्रनगर के पाम ही देरा शाले पड़ी थी। यदि यह फौज वहाँ से न हटजाती तो हम लोगों के लिये चन्द्रनगर पर विजय पाना सर्वथा असम्भव था।”

इसके अतिरिक्त अग्रेजों ने एक और चाल चली। हम उपर कह चुके हैं कि अग्रेजों ने नवाब के दरबार में भयंकर पड़्यन्त्र की सृष्टि कर रखी थी। उन्होंने मीर जाफर, जगत सेठ और राय दुर्लभ आदि से नवाब पर यह असर डलवाया कि अहमदशाह अन्दाली बंगाल पर आक्रमण करने आ रहा है। इसी से नवाब का ध्यान चन्द्रनगर से हट कर अहमदाबाद के आक्रमण की ओर लग गया और वह फ्रान्सीसियों की जैसी चाहिये वैसी सहायता न कर सका। इससे अग्रेजों की वन आई। उनकी कूट नीति की विजय हुई। फ्रान्सीसियों की पराजय से सिराजुद्दौला की स्थिति और भी निर्बल हो गई।

# भयंकर षड्यन्त्र

सुप्रसिद्ध अंग्रेज इतिहास लेखक कर्नल मालेसन ने लिखा है:—  
'नवाब को गिराने के लिये अंग्रेज निरन्तर चेष्टाएं कर रहे थे और अनेक हीन उपायों से वे उसके सेनापतियों को फोड़कर अपनी शोर मिला रहे थे ।'

लॉर्ड क्लाइव ने हाऊस ऑफ कॉमन्स में शवाह देते हुए कहा था:—  
'मैंने कभी इस बात को छुपाने की चेष्टा नहीं की । मेरा मत है कि ऐसी दशा में साधारणतः इस तरह के दगा फरेबों से काम निकाला जा सकता है । एक ही बार क्यों, ज़रूरत पडने पर मैं शोर भी सौ बार ऐसे काम करने को तैयार हूँ' ।

कहने का मतलब यह है कि कंपनी के अधिकारियों ने पदपद पर कुदिलता से काम लिया । नवाब के प्रधान सेनापति मीरजाफर को नवाब बनाने का प्रलोभन देकर फोड़ लिया । उससे गुप्त रूप से एक सन्धि की, जिसकी निम्न लिखित धाराएं थीं ।

“मैं जितने दिनों तक जीता रहूँगा, उतने दिनों तक इस सन्धि पत्र के नियमों का पालन करूँगा । ईश्वर और उसके दूत के सामने यह प्रतिज्ञा करता हूँ ।

१ नवाब सिराजुद्दौला के साथ शान्ति के समय जो सन्धि हुई थी, उसकी शर्तों का पालन करने में मैं सहमत हूँ ।

२ देशी हो या विदेशी, जो अंग्रेजों का शत्रु होगा, वह मेरा भी होगा ।

३ बंगाल में फ्रान्सीसियों की जगह कोठियाँ हैं वे अंग्रेजों के अधिकार में चली जाएंगी । फ्रान्सीसियों को इस देश में बसने न दूँगा ।

४ नवाब के कलकत्ते पर आक्रमण करने में अंग्रेजों की जो सति हुई है उसकी पूर्ति के लिये और सिपाहियों का खर्च अदा करने के लिये मैं उन्हें एक करोड़ रुपया दूंगा ।

५ कलकत्ते के अंग्रेजों की जो चीजें लूटी गईं हैं उनकी क्षतिपूर्ति के लिये पचास लाख रुपये दिये जावेंगे ।

६ जेम्स मूर प्रभृति को माल लूटने के सम्बन्ध में क्षतिपूर्ति के बीस लाख रुपया देना मैं म्भीकार करता हूँ ।

७ अर्मेनियों को क्षतिपूर्ति के लिए मैं ७ लाख रुपये दूंगा । जिस जिस परिमाण से क्षति पूर्ति की रकम देना होगी, उसका फँसला, पड-मिरल वाट्सन, कर्नल क्लाइव, राजर डेकर, विलियम वाट्स, जेम्स क्लिफोर्ट और रिचर्ड साहय करेंगे ।

८ नाले के बाहर ६ हजार गज अमीन अंग्रेज कम्पनी को दूंगा ।

९ कलकत्ते के दक्षिण कुलूपी तक सब जगहों में अंग्रेजों की जमींदारी रहेगी । वहाँ के सब कर्मचारी अंग्रेजों के आधीन रहेंगे । वे सब दूसरे जमींदारों को जिस तरह माल गुजारी देते हैं, उसी तरह कम्पनी को देंगे ।

१० जब मैं अंग्रेजों से सहायता के लिये फौज लूंगा तो उसका खर्च दूंगा ।

११ हुगली के दक्षिण में मैं कहीं किला न बनाऊंगा

उक्त सन्धि प्राली के युद्ध के पहले हुई थी । हमसे भी पाठक समझ सकते हैं कि वाट्सन, क्लाइव प्रभृति ने प्राली के युद्ध के पहले ही से सिराजुद्दौला को राज्यच्युत कर मीरजापुर को नवाब बनाने का निश्चय कर लिया था और हमी कार्य के लिये ये विविध पद्धतियों की शक्ति कर रहे थे । कहा जाता है कि इस पद्धत्यन्त्र में कई उच्च वंश के लोग भी सम्मिलित हुए थे । कृष्ण नगर के महाराज कृष्णचन्द्र और



रानी भवानी भी इस पद्यन्त्र में शामिल थी। रानी भवानी और कृष्णचन्द्र की बात बहाल के सुप्रख्यात कवि बाबू नवीनचन्द्र सेन ने "प्रासी युद्ध" में उल्लेख की है। बहाल भाषा के ग्रन्थ "शिवशिवशावलीचरित" में लिखा है—

"नवाब सिराजुद्दौला का सर्वनाश करने के लिये मीरजाफर प्रभृति ने जो पद्यन्त्र रचा था, कृष्णचन्द्र भी उसमें शामिल थे। उस समय वे काली दर्शन का बहाना कर कालीघाट आकर झाड़व में मिले और उन्होंने सिराजुद्दौला को राजव्युत्तर करने की सलाह की। कृष्णचन्द्र भी इस पद्यन्त्र के प्रधान सञ्चालकों में थे। यही कारण है कि नवद्वीप में वे नामक हुराम के नाम से धिक्कारे जाते हैं।"

इस प्रकार नवाब के अनक उच्च कर्मचारी और देश के अनेक धनीमानियों को मिला कर अंग्रेजों की भीतर ही भीतर पद्यन्त्रों को सृष्टि कर रहे थे। इस पर भी मजा यह है कि ये ऊपर से नवाब के प्रति प्रेम दिखाने में त्रुटि नहीं करते थे। इसका एक उदाहरण देखिये। जिस समय मीरजाफर के साथ पद्यन्त्र चल रहा था, उसी समय एक आदमी ने पेशवा के पास से एक पत्र छद्म कर अंग्रेजों से भेट की थी। उक्त पत्र में लिखा था कि मराठे २२ हजार सिपाहियों के साथ बहाल पर आक्रमण करेंगे। यदि अंग्रेज उन्हें सहायता दें तो वे छः सप्ताह के अन्दर कलकत्ते पर आक्रमण कर सकेंगे। जो आदमी यह धिट्ठी लाया था, उसे अंग्रेज नहीं जानते थे। उसके लिये अंग्रेजों के मन में घोर सदेह हुआ। उन्होंने ख्याल किया कि हमारा अभिप्राय जानने के लिये सिराजुद्दौला ने यह प्रपञ्च रचा है। कह नहीं सकते कि उक्त पत्र छमली था या जाली, अंग्रेजों ने अपनी हितैषिता दिखलाने के लिये यह पत्र नवाब के पास भेज दिया। पत्र भेजने का और भी एक उद्देश्य यह ही सकता है कि यह पत्र पाकर नवाब, झाड़व प्रभृति के जाल में फँस जायें।

इसी प्रकार अंग्रेजों ने बड़े बड़े प्रसिद्ध नवाबों के कई बड़े अधिकारियों को फँस लिया था। वे अधिकारियों ऊपर से संघ

आपको नवाब के हितैषी प्रगट करते थे, पर चन्द्र ही चन्द्र उसके नाश का भीषण पक्ष्य रह रहे थे।

### सिराजुद्दौला की घबराहट

जब नवाब को विश्वासनीय साधन द्वारा यह मालूम हुआ कि उसका प्रधान सेनापति मीरजाफर भीतर ही भीतर अंग्रेजों से मिल गया है तो यह बहुत घबराया और उसने मीरजाफर को बुलवा भेजा। पर मीरजाफर नवाब के पास नहीं आया। इस पर नवाब खुद पालकी पर सवार होकर मीरजाफर की कोठी पर गया और गिड़गिड़ा कर वह अलीवर्दी खां की गहरी की रक्षा करने का अनुरोध करने लगा। मीरजाफर ने कुरान पर हाथ रखकर नवाब को यह आश्वासन दिया कि वह नवाब को कमी खोला न देगा और नवाब के पक्ष में तलवार उठाने से न हिचकेगा। सब प्रकार से मीरजाफर ने नवाब को ढाड़स बंधाई। पर जैसा कि हम ऊपर कह चुके हैं अंग्रेजों के साथ उसकी सांठ-गांठ ही चुकी थी और अंग्रेजों ने सिराजुद्दौला के बाद बंगाल का नवाब बनानेका उसे स्पष्ट वचन दे दिया था। इसलिये वह कुरान की कसम खाने पर भी नवाब के नाश का चन्द्र ही चन्द्र पक्ष्य रहता रहा।

### अन्य घटनायें।

हमने गत पृष्ठों में अंग्रेजों द्वारा चन्द्रनगर पर आक्रमण करने और फ्रान्सीसियों की पराजय का उल्लेख किया है। इस पराजय के बाद अंग्रेज सेना ने कितने ही मामों और नगरों को बरबाद कर डाला। बहुत मान और मदिया के विस्तीर्ण प्रदेशों को तहस नहस कर डाला। फ्रान्सीसी लोग भगकर नवाब की शरण में, मुर्शिदाबाद जाने लगे। नवाब यह मानता था कि अंग्रेजों ने बिना किसी उचित कारण के फ्रान्सीसियों पर आक्रमण किया है, अतएव शासक की दृष्टि से उन्हें आश्रय देना उसका कर्तव्य

है। इसी विचार धारा में प्रभावित होकर उसने अपनी राजधानी सिराजुद्दौला-बाद में फ्रांसीसियों को आश्रय प्रदान किया। यह बात अंग्रेजों को अच्छी न लगी। वाट्सन ने (Watson) इस समय सिराजुद्दौला को एक पत्र लिखा जिसका आशय निम्न लिखित है।

“आपने और हमने मनुष्यत्व स्थापन करने ही के लिये मर्त्य की है। इस बातको आप न भूलियेगा। भागे हुए फ्रांसीसियों को बांध कर भिजवा दीजिये। यदि कोई व्यक्ति इसके विपरीत आचरण करने की राय दे तो निश्चय जानिये कि वह आपका शुभ चिन्तक नहीं है। ऐसी बात से देश में युद्ध की अग्नि प्रज्वलित हो जायगी। हमें सूचना मिली है कि फ्रांसीसी लोग भाग कर आपके पास पहुँचे हैं, और उन्होंने आपके सिपाहियों में भर्तों होने की प्रार्थना की है। यदि आप स्वीकार करेंगे तो फिर आपकी हमारी मित्रता का सम्बन्ध स्थिर नहीं रह सकेगा।”

सिराजुद्दौला पर बहुत जोर डाला गया कि वह शरणागत फ्रांसीसियों को निकाल दे। युद्ध की घमकियाँ दी गईं। युद्ध से देश की जी बरबादी होती है, सिराजुद्दौला इसे खूब समझता था। उसने अपने इन भावों को वाट्सन साहय पर प्रकट भी किया था:—

“यदि सन्धि होती तो दोनों ओर के सेनाओं के प्रचण्ड युद्ध से देश का सर्वनाश होता। प्रजा बरबाद होती। राज्यकर अदा नहीं होता। सब तरह से राज्य का अमदल्ल’ होता। इन्हीं बातों को रोकने के लिये सन्धि की गई।”

उपरोक्त वाक्यों से भी सिराजुद्दौला की मनोवृत्ति का पता लगता है। यह भी पता लगता है कि सिराजुद्दौला ने युद्ध से होने वाली खून खराबी और विविध हानियों को रोकने के लिये ही सन्धि के लिये आप्रह प्रगट किया था। पर अंग्रेजों ने सिराजुद्दौला की एक न सुनी। वे बारबार सिराजुद्दौला को दयाने लगे कि वह फ्रांसीसियों को व उनके सेनापति ला कर निकाल दे।

सिराजुद्दौला ने यद्दे दुख के साथ अंग्रेजों की यह बात भी स्वीकार कर ली । जब उसने सेनापति लॉ पर यह बात प्रगट की तब लॉ ने अंग्रेजों की कुटिल चालों का और सिराजुद्दौला के भाषी विनाश का संकेत किया । उन्होंने यह भी कहा कि जब तक मैं और मेरे अनुचर वर्ग आपके पास रहेंगे तब तक अंग्रेजों को उनके पदच्यन्त्रों में सफलता नहीं होगी । फिर आपकी जैसी मर्जी हो वैसा कीजिये ।

लॉ साहब की बातों का सिराजुद्दौला पर बड़ा प्रभाव पड़ा, पर विरोध परिस्थिति के कारण उसने उस समय अंग्रेजों को सन्नुष्ट रखना मुनासिब समझा । अतएव उन्होंने लॉ साहब को कहा "लॉ, इस समय तुम अजीमाबाद जाकर रहो । समय होने पर मैं तुमको फिर बुलालूंगा ।" नवाब की बात सुनकर ला साहब ने एक दुःखभरा दीर्घ श्वास छोड़ कर कहा, 'नवाब बहादुर', यह हमारी अन्तिम मुलाकात है । फिर मिलना कष्ट ! यह बात कहकर लॉ साहब दरवार छोड़कर चले गये !!

---

❀ श्रीयुत बिहारीबाल सरकार के एक लेख से सङ्कलित ।



# प्लासी का युद्ध



भारत के इतिहास में प्लासी के युद्ध का जगमग महत्व है। इसी समय से भारत में अंग्रेजों की नींव पड़ी थी। अब यह देखना है कि क्या इस युद्ध में अंग्रेजों ने सैनिक विजय पाई थी। क्या यह युद्ध तल्लुघार के जोर से अंग्रेजों ने फतह किया था? क्या क्लाइव को इस युद्ध के कारण "प्लासी विजेता या प्लासी का वीर" (Hero of Plassy) कह सकते हैं? क्या यह विजय अंग्रेजों की कूटनीति (diplomacy) की विजय नहीं थी? इन्हीं सब बातों पर संक्षिप्त रूप से विचार करना आवश्यक है।

हम नवाब के प्रधान सेनापति मीरजाफर के विश्वासघात के लिये ऊपर बहुत कुछ लिख चुके हैं। हमने यह दिखलाया है कि सिराजुद्दौला के सामने राज-भक्ति और स्वामिनिष्ठा की प्रतिज्ञा कर लेने पर भी किस प्रकार वह भीतर ही भीतर सिराजुद्दौला के सर्वनाश की तैयारियां कर रहा था? धीरे-धीरे मीरजाफर ने जिस तरह नवाब का विश्वासघात किया और उससे सिराजुद्दौला को जिस प्रकार सर्वनाश हुआ, इन सब बातों का उल्लेख हम अध्याय में होगा।

कुरान जैसे धर्मग्रन्थ पर हाथ रख कर सींगध खा लेने पर भी मीरजाफर अपनी बेजा कार्रवाहियों से बाज नहीं आया। मीरजाफर ने १६ मूल गुरूवार के दिन क्लाइव को एक पत्र लिखा। क्लाइव को मीरजाफर का यह पत्र पाटली की छावनी में मिला। इस पत्र में मीरजाफर ने यह स्वीकार किया कि — "मेरी सिराजुद्दौला के साथ मित्रता की बानधनी टूट गई थी। विशेष परिस्थिति में गिर कर मैंने ऐसा किया।

पर इसमें आप यह न समझियेगा कि मैं अंग्रेजों को सहायता करने में विमुख रहूँगा। आपके साथ मैंने जो प्रतिज्ञा की है—उसमें मैं सैनिक भी न हूँगा”। यह पत्र पाकर भी क्लाइव को मीरजापर का पूरा विश्वास न हुआ। क्लाइव सोचने लगा कि हमने जैसा अपने ग्नामी को धोखा दिया है, क्या आश्चर्य है कि यह वैसा ही धोखा मुझे भी न देदे। लोगों का विश्वासघातकों का विश्वास बहुत कम होता है। अतएव क्लाइव की धामे बढ़ने की हिम्मत न हुई। क्लाइव के सामने ही काठोया का किला था। अर्मी ने लिखा है—“यह निश्चय हो चुका था कि इस किले के अग्र्यक्ष केवल दिवावे के लिये थोड़ा सा बनावगी युद्ध करके हमें अंग्रेजों के सुपुर्द कर देंगे और युद्ध परजित हो जावेंगे”। पदयन्त्रों की सृष्टि पहले हो चुकी थी। क्लाइव ने यह जानने के लिये कि नवाब के विश्वासघाती कर्मचारी गण अपनी बात का कहा तक पालन करते हैं, उक्त किले पर आक्रमण करने के लिये मेजर कूट को २०० गोरे और ३०० काले सिपाहियों सहित काठोया की ओर रवाना किया। यह किला युद्ध के लिये मशहूर है। मराठों के समय यहाँ कई भीषण युद्ध हुए। अतएव यह वीरों की खीला-भूमि प्रसिद्ध हो गया था। पर हम धार किले के फाटक पर युद्ध नहीं हुआ। किले के भीतरवाली नवाबी फौज ने अंग्रेजों की गति रोकने के लिये कोई चेष्टा नहीं की। कुछ देर तक बनावधी खड़ाई का भाटक खेल कर नवाब की फौज अपने ही हाथों से किले के भीतर के छप्पों में आग लगा कर भग गई। काठोया का किला सुनसान हो गया। अंग्रेजी सेना ने उस पर अधिकार कर लिया। प्राणों के भय से नगर निवासी अपना माल असहाय छोड़ कर भागने लगे। काठोया नगर में इस समय क्लाइव के हाथ इतना चावल लगा कि जिससे दस हजार सिपाही एक वर्ष तक गुजर कर सकें। क्लाइव ने अपनी सेना सहित काठोया में डेरे डाले।

यहाँ आकर क्लाइव बड़े सोच विचार में पड़ा। यद्यपि काठोया का किला उसके महज ही में हाथ लग गया था, पर उसके मन में मीरजा-

फर के लिये फिर भी सन्देह बना रहा। उसके दिमाग में तरह तरह के विचार आने लगे। आशा निराशा की मूर्तियां उमकी आंखों के सामने नाचने लगी। कुछ और सम्वाद पाने के लिये दो दिन तक वह बाट देखता रहा। क्लाइव ने सोचा कि इस समय बरसात न होने से नदी का पार कर जाना सहज है, पर नदी का पार कर जाना जितना सहज है, क्या वहां से वापस लौट आना भी उतना ही सहज है। मेकाले ने लिखा है कि इस समय क्लाइव "किं कर्त्तव्य विमूढ" सा हो गया। उसके होश-हवास जाते रहे। उसका इतिहास प्रसिद्ध रणकौशल और ब्राह्मवल मानों एकाएक शिथिल पड़ गया। क्लाइव ने हाऊस आफ् कामन्स में गवाही देते हुये कहा था:—

“मैं बड़ा सशक्त हूँ गया। मैं सोचने लगा कि कहीं हार गया तो हार का समाचार लेजाने के लिये एक आदमी भी जिन्दा न बचेगा।” इसके बाद थोड़े ही समय में क्लाइव को मोरजाफर की और से एक पत्र मिला इससे क्लाइव का शक बहुत कुछ दूर हो गया। इसी समय क्लाइव ने महाराजा चन्द्रमान की लिखा कि—“आप अपनी कुछ सवार सेना के साथ मुझ मे आकर मिलिये।”

इसके आगे भी क्लाइव का मन बहुत चल विचल होने लगा। भय का भूत उमकी आंखों के सामने नाचने लगा। कभी कभी वह कटोया से आगे बढ़ने में भी हिचकने लगा। एक वक्त उसने अपने भाषी अफसरों में कहा—“मेरी राय है कि जहां तक आये हैं वहीं ठहर जायें। आपकी क्या राय है।” क्लाइव की इस बात को उसके चारों सहयोगी सरदारों ने स्वीकार किया, परन्तु मेजर कूट ने इसका तीव्र विरोध किया और कहा—“आप लोग सम्यक् गृह्यती कर रहे हैं। फौज को अपनी विजय में पूरा पूरा विश्वास है। शत्रु के सामने आने पर साहस छोड़ कर बैठ जाने में मैना की हिम्मत टूट जायगी और फिर उसका उच्चेजित किया जाना प्रायः अशक्य हो जायगा। फ्रांसीसी मैनापति भों ख़बर पाते ही तप्यास की

सेना के साथ मिल जायगा, हममे जयाप की साकृत यद् जायगी । वह हम लोगों को घेर लेगा और हमारा कलकत्ते जाने का रास्ता भी बन्द कर देगा । इसमे कई ऐसी आपदाएँ लपटी हो जायेंगी, जिनका अभी आपको ग्याल भी नहीं है । हममे आप हार जायेंगे । हम लिये, आइये ! शीघ्र आगे बढ़िये । नहीं तो भग चलिये । हम जगह टहरना यद् रात-रनाक है ।” छः सेनापतियों ने मेजर कूट का समर्थन किया, परन्तु उनकी बात इस समय नहीं मानी गई । क्लाइव ही की राय मानी गई । उस समय युद्ध यात्रा रोक दी गई ।

इसके बाद क्लाइव के मनोभावों में एकाएक परिवर्तन हुआ । यह परिवर्तन क्यों और कैसे हुआ, इसके सम्बन्ध में इतिहासवेत्ताओं में मतभेद है । तत्कालीन अंग्रेज इतिहासवेत्ता अर्मी ने लिखा है—“सभा विसर्जित होते ही क्लाइव एक घने जंगल में चला गया । वह वहाँ गम्भीर ध्यान में निमग्न हो गया । वहाँ उसे यह आत्मिक प्रेरणा हुई कि आगे न बढ़ना सख्त बेवकूफी है । इसलिये उसने डेरे पर वापस आते ही फौज को सवेरे तैयार रहने के लिये हुक्म दिया । यह तो हुई एक पल के इतिहासकारों की बात । दूसरे इतिहासकार इस सम्बन्ध में और ही बात कहते हैं । क्लाइव के एक साथी स्कॉपरन ने लिखा है—“२२ जून को मीरजाफर का पत्र पाते ही क्लाइव का इरादा बदल गया था और उसकी आक्षा से २२ जून शाम के ५ बजे अंग्रेजी फौज गद्दा के पार हुई थी ।” कुछ भी हो अंग्रेजी फौज आगे बढ़ी और ग्लासी मुकाम पर दोनों का मुकाबला हुआ । अब यह देखना है कि क्या ग्लासी के युद्ध क्षेत्र में अंग्रेजों ने वास्तविक विजय प्राप्त की ? क्या क्लाइव ने ऐसी धीरता दिखलाई, जिससे वह ग्लासी विजेता या Hero of Plassy कहला सकता है ।

अब अंग्रेजी फौज ग्लासी के मुकाम पर पहुँची तो क्लाइव ने शिकार-गाह पर बढ़कर नवाय की फौज देरी । यह विराग्ल थी । उसे देखकर क्लाइव स्तम्भित हो गया । पर उमने अपनी फौज लड़ने के लिये तैयार



की, दोनों फौजों का मुकाबला हुआ। मन् १७२७ की जून भारतवर्ष के इतिहास में चौरस्मरणीय रहेगा। इसी दिन सबेरे नवाब की ओर से फ्रान्सीसी सेनापति सेरेंटर्क ने सबसे पहले तोप का चार किया। उनकी तोप के दगते ही नवाब की फौज से दनादन गोले बरसने लगे। मुहूर्त भर में रणभूमि तोपों के धूँ से ढक गई। बलाइव के इशारे से अंग्रेजी फौज भी शत्रु पर गोले मारने लगी। अंग्रेजी फौज के गोलों से भी नवाब के आदमी तदातद मरने लगे। यह कहने को आवश्यकता नहीं कि ब्रिटिश फौज नवाब की फौज से अधिक सुदृढ़ और सुरक्षित थी। उसके पास अस्त्रशस्त्र भी बढ़िया थे। पर नवाब की फौज ने भी गोले बरसाने में कसर न की। आध घण्टे ही के भीतर तीस अंग्रेज सेनापति धरा शायी हुए। इस वक्त प्रासी के विजेता बलाइव की बहादुरी का नमूना देखिये। वह अपनी सेना सहित पीछे हट गया और पास के बाग में आकर छिप गया। इस समय अंग्रेजी फौज की दो तोपें भी बाहर रह गईं। बलाइव की आज्ञा स सब लोग घुँटों की आड में आकर बैठ गये। घुँटों की आड में छिपे रहने पर भी बलाइव की आज्ञाका दूर नहीं हुई। वह मु झुल्ला कर अमीचन्द को कहने लगा—“मैंने तुम्हारा विश्वास कर बड़ा बुरा काम किया। मैंन धोखा खाया। तुमने मुझे वचन दिया था कि थोड़ी सी देर के लिये युद्ध का नाटक खेला जायगा, उसके बाद सारी कामनाएँ सफल हो जायेंगी। सिराजुद्दौला की फौज रणक्षेत्र में अपनी वीरता नहीं दिखलायेगी। इस समय तो इसके बिलकुल विपरीत हो रहा है।” मुताखिरान में भी लिखा है—

“बलाइव ने अमीचन्द से बदगुमान होकर गुस्ते में आकर कहा कि ऐसा वादा था कि खफीफ लड़ाई में मुद्दाबदिली हासिल हो जायगा। तेरी सब बातें खिलाफ पाई जाती हैं”। इस पर अमीचन्द ने जवाब दिया “केवल मीरमदन और मोहनलाल की सेनाएँ लड़ रही हैं। ये ही दोनों सिराजुद्दौला के मन्चे सहायक और स्वामी भक्त हैं। सिर्फ इन्ह ही

किमी न किमी तरह पराजित करना है। अन्याय्य सेनापतियों में से कोई भी शत्रु नहीं चलायगा।” ॥

मिरानुहोला के विश्वासपात्र और नमकहलाल सेनापति बड़ी वीरता से युद्ध करने लगे। कहा जाता है कि इस समय यदि मीरजाफर का सेना आगे बढ़कर तोंपो में आग लगाती तो अंग्रेजों का यत्नार्कटिक हो जाता, परन्तु मीरजाफर, यार खर्ताक और रायदुल्लभ ने जहाँ जहाँ अपनी सेनाएँ जुटाई थीं, वे उन्हीं स्थानों पर चिपकते खड़े खड़े रण का समाया देव रह थे। पसीने में तर हुए बलाइव ने १० वजे सम्मति लेने के लिये अपनी सैनिक सभा का अधिवेशन किया। इस में निश्चय हुआ कि सारे दिन याग में रह कर किमी न किमी तरह आत्मरक्षा करना चाहिये। “महावीर प्लामी के विजेता” ने इस तरह छिप छिपा कर अपने प्राणों की रक्षा करके ही समर में विजय प्राप्त की। इस बात का वह स्वयं ही प्रकाशित कर गया है।

### देव ने अंग्रेजों का साथ दिया।

हम कह चुके हैं कि नवाब के मीरजाफर दुर्लभराय आदि सेनापति विश्वासघात कर अपनी सेनाओं को लेकर तटस्थ खड़े रहे। इससे अंग्रेजों को अप्रत्यक्ष सहायता हुई। पर इनके साथ ही साथ देव ने भी इस समय अंग्रेजों का साथ दिया। हम यह भी कह चुके हैं कि नवाब के विश्वासपात्र सेनापति मीरमदन बड़ी बहादुरी से लड़ रहे थे। क्रान्त सेनापति भी अपनी अनुत्तनीय वीरता का परिचय दे रहे थे। इन वीरों ने अंग्रेजी सेना के लुक्के छुड़ा दिये थे। पर इसी बीच में क्या हुआ? बड़े जार का पानी बरसा। इस वक्त अंग्रेजों ने सावधानी कर अपना बारूद आदि फीजी समान पाक से ढक दिया। नवाब की ओर यह व्यवस्था न हो सकी। नवाब का सब सैनिक समान पानी में भीग गया। इसका

परिग्राम यह हुआ कि जिस तेजी से शत्रुओं के गोले बरसने लगे, उस तेजी और जोर से नवाब के गोले नहीं बरस रहे थे। नवाब के सेनापति मीरमदन यहां भी युद्ध करने रहे। वे गोले बरसाते हुए शत्रुओं की तरफ बढ़ने लगे। इसी समय शत्रुओं के पुरु गोले से मीरमदन की जांघ टूट गई। अब उनके बचने की आशा न रही। सेवकगण उन्हें उठा कर नवाब के डेरे में ले गये। मीरमदन की यह स्थिति देख नवाब रो पड़ा। वह हाय हाय करने लगा! मनुष्य का सर्वस्व या प्रिय से प्रिय चीज खो जाने से जो दशा होती है, वही नवाब की हुई। नवाब ने खयाल किया था कि चारों ओर के विश्वासघातकों के षड्यन्त्र में महावीर प्रभु भक्त मीरमदन उनकी रक्षा करेंगे। पर आज वे ही मीरमदन घायल होकर इस असार संसार से कूच बोल रहे हैं। नवाब सतृष्ण नयनों से मीरमदन की ओर देखने लगे। इस समय मीरमदन ने धीमे स्वर में नवाब को कहा—

“+ शत्रु की सेना बाग में भग गई है, पर आपका कोई भी सरदार युद्ध नहीं कर रहा है। वे अपनी अपनी फौजों के साथ चित्रवत खड़े खड़े तमाशा देख रहे हैं।” बस; इतना कहने कहते मीरमदन की विशाल भुजाएँ निर्जीव हो गईं। सिराजुद्दौला के तिर पर मानों आकाश टूट पड़ा। उनकी घाकस्मिक मृत्यु ने सिराजुद्दौला का बल और भरोसा एकाएक विलुप्त हो गया।

इस समय नवाब को चारों ओर अंधकार ही अंधकार दिखाई देने लगा। निराशा का समुद्र उसके सामने उमड़ पड़ा। इस वक्त दूसरा कोई उपाय न देव कर सिराजुद्दौला ने फिर मीरजाफर को बुलाया। बड़े बहाने बाजी के बाद मीरजाफर अपने पुत्र मीरन और अन्य अनेक अमीर उमरावों के साथ सिराजुद्दौला के डेरे में गया। मीरजाफर को मन्देह था कि शायद सिराजुद्दौला उसे कैद कर लेगा। पर उसका यह सचेद अमूर्ण सिद्ध हुआ। ज्योंही मीरजाफर डेरे में घुसा कि सिराजुद्दौला ने

+ “सिराजुद्दौला” से चङ्कित—

अपना राजमुकुट मीरजाफर के पैरों में रख दिया और व्याकुलचित्त होकर कहने लगा—“मीरजाफर अब भूतकाल की बात पर ध्यान मत दो। पहले जो होना था वह हो चुका। अब तुम मेरे इस राजमुकुट की रक्षा करो। नाना अस्त्रीयर्दीम्बां का कुछ लिहाज कर मेरी इज्जत बचाओ और मेरी जिन्दगी के महापक बनो।” मीरजाफर के अन्तःकरण पर कुछ असर न हुआ। वह उपर से तो सिराजुद्दीला को कहने लगा कि “अबश्य ही शत्रु पर विजय प्राप्त करूंगा, परन्तु अब शाम हो गई है। फौजे थक गई है। आज सारी फौजें रणक्षेत्र में वापस आजायें। सबेरे फिर युद्ध होगा।” इस पर सिराजुद्दीला ने कहा—“क्या रात में अंग्रेजी सेना के आक्रमण करते ही सर्वनाश मद्गटित न होगा?” इस पर विश्वासघातक मीरजाफर ने कहा—“फिर हम किम लिये हैं।” “विनाश काले विपरीत बुद्धि.” की उक्ति चरितार्थ हुई और मन से कहिये अथवा चेमन से, सिराजुद्दीला ने मीरजाफर की बात मान ली और फौजों को पदाव में वापस आने की आज्ञा दे दी। मीरजाफर मुहूर्त भर में विषुद्रेग से अपना घोड़ा उछा कर अपनी फौज में चला गया और वहां से बलाइय को सब बातें लिख भेजी और साथ साथ यह भी लिख भेजा कि अब फौज लेकर आने बंदो।” यह पत्र समय पर बलाइय को नहीं मिला।

मीरजाफर के चले जाने पर नवाब अपने दूसरे विश्वासघातक और नमक हराम दुर्लभराय के शरणापन्न हुआ। नवाब ने उससे भी वे ही बातें कहीं जो उसने मीरजाफर से कहीं थीं। इस पर दुर्लभराय ने नवाब को बढ़ी नम्रता से जवाब दिया—“हज़र डरते क्यों हैं? आज फौज को लौटने की आज्ञा दीजिये और मुझ पर सब बोझ देकर मुर्शिदाबाद छोड़ जाइये।” जैसा हम उपर कह चुके हैं नवाब ने मीरजाफर और दुर्लभराय की बात मान कर फौज को वापस डेरों में आने की आज्ञा दे दी।

इस वक्त नवाब की घोर से बद्राखी वीर प्रसुभक्त मोहनलाल अतुल-विषम ने युद्ध कर रहे थे। ऐसे समय में नवाब के दूत ने जाकर उन्हें

खड़ाई रोकने के लिये कहा। मोहनलाल ने यह बात न सुनी। उन्होंने समझा कि ऐसा करने से नवाब का सर्वनाश हो जायगा। नवाब का दूत फिर मोहनलाल के पास गया। इस समय भी मोहनलाल ने उसकी बात नहीं मानी। वह बड़ी घोरता से युद्ध करते रहे। तीसरी बार नवाब ने मोहनलाल के पास विशेष आज्ञा भेज दी। शत्रु मोहनलाल ने चारों ओर देखा। उन्होंने देखा कि नवाब की फौजें छिन्नभिन्न हो गईं। कई लौट गई थीं। कई लौटने की तैयारी कर रही थीं। यह देख कर वे समझ गये कि नवाब का अधःपतन अनिवार्य है। वे थोड़ा भर भी विलम्ब न कर, किसी से कुछ न कह, सोम और मोघ से परिपूर्ण होकर, रणभूमि त्याग कर चले गये। उन्हें रणभूमि से जाते देख सिपाहियों ने भी मैदान छोड़ दिया। मीरजाफर की इच्छा पूरी हुई। इस समय मीरजाफर ने बलाइव को लिखा—“मीरमदन मर गया। शत्रु छिपने का कोई काम नहीं। इच्छा ही तो इसी समय, नहीं तो रात के तीन बजे, पदाव पर आक्रमण करना। सहज ही मेरा सब काम बन जायगा।”

मोहनलाल को पदाव की ओर वापस आते देखकर अंग्रेजी फौज बाग के बाहर निकली। कहा जाता है कि इस समय ‘प्रासी विजेता’ बलाइव नींद के सुराटे भर रहा था। मेजर किल्प्याट्रिक बाग में फौज को तैयार कर रहा था। अंग्रेजी सेना बाग के बाहर हुई। बलाइव भी नींद से जगाया गया। इस समय जब उसने सुना कि मेजर अपनी सेना को आगे बढ़ाया चाहता है तो वह दौड़ा हुआ फौज में घुस पड़ा। उसने मेजर किल्प्याट्रिक को बांध लिया और कहा—“बिना मेरी आज्ञा के तुमने ऐसा साहस क्यों किया?” पर पीछे जाकर जब बलाइव को असली हालत मालूम हुई, तब वह बड़ा प्रसन्न हुआ और खुद फौज की भाँति भाग लेने में उत्सुकता प्रकट करने लगा। बलाइव सतैन्य आगे बढ़ने लगा। इस समय रणक्षेत्र में सघाटा छाया हुआ था। सिर्फ फ्रान्सीसी वीर सेरेंटों जॉन डट कर युद्ध कर रहे थे। वे नवाब की

अपना राजमुकुट मीरजाफर के पैरों में रख दिया और ग्याकुलकित्त होकर बहने लगा—“मीरजाफर अब भूतकाल की बात पर ध्यान मत दो। पहले जों होना था यह हो चुका। अब तुम मेरे इस राजमुकुट की रक्षा करो। नाना अस्त्रीवर्दीग्यां का कुछ लिहाज कर मेरी इज्जत बचाओ और मेरी जिन्दगी के सहायक बनो।” मीरजाफर के अन्तःकरण पर कुछ असर न हुआ। वह उपर से तो मिराजुद्दीला को कहने लगा कि “अबश्य ही शत्रु पर विजय प्राप्त करूंगा, परन्तु अब शाम हो गई है। फौजे धक गई है। आज सारी फौजें रणक्षेत्र से वापस आजायें। सबेरे फिर युद्ध होगा।” इस पर मिराजुद्दीला ने कहा—“क्या रात में अंग्रेजी सेना के आक्रमण करते ही मर्वनाश सङ्गठित न होगा?” इस पर विश्वासघातक मीरजाफर ने कहा—“फिर हम किस लिये हैं।” “विनाश काले विपरीत बुद्धिः” की उक्ति चरितार्थ हुई और मन से कहिये अथवा बेमन से, मिराजुद्दीला ने मीरजाफर की बात मान ली और फौजों को पड़ाव में वापस आने की आज्ञा दे दी। मीरजाफर मुहूर्त भर में विपुद्गेग से अपना घोड़ा उड़ा कर अपनी फौज में चला गया और वहां से क्लाइव को सब बातें लिख भेजी और साथ साथ यह भी लिख भेजा कि अब फौज लेकर आगे बढ़ो।” यह पत्र समय पर क्लाइव को नहीं मिला।

मीरजाफर के चले जाने पर नवाब अपने दूसरे विश्वासघातक और नमक हराम दुर्लभराय के शरणापन्न हुआ। नवाब ने उससे भी वे ही बातें कहीं जो उसने मीरजाफर से कहीं थीं। इस पर दुर्लभराय ने नवाब को बढ़ी नम्रता से जवाब दिया—“हजरु डरते क्यों हैं? आज फौज को खीटने की आज्ञा दीजिये और मुझ पर सब धोका देकर मुर्शिदाबाद खीट जाइये।” जैसा हम उपर कह चुके हैं नवाब ने मीरजाफर और दुर्लभराय की बात मान कर फौज को वापस डेरे में आने की आज्ञा दे दी।

इस वक्त नवाब की और से बहाली वीर प्रभुभक्त मोहनलाल अतुल-विक्रम से युद्ध कर रहे थे। ऐसे समय में नवाब के दूत ने जाकर उन्हें

तड़ाई रोकने के लिये कहा। मोहनलाल ने यह बात न सुनी। उन्होंने समझा कि ऐसा करने से नवाब का सर्वनाश हो जायगा। नवाब का दूत फिर मोहनलाल के पास गया। इस समय भी मोहनलाल ने उसकी बात नहीं मानी। वह वही वीरता से युद्ध करते रहे। तीसरी बार नवाब ने मोहनलाल के पास विशेष आशा भेज दी। अब मोहनलाल ने चारों ओर देखा। उन्होंने देखा कि नगर की फौजें छिन्नभिन्न हो गईं। कई लौट गई थीं। कई लौटने की तैयारी कर रही थीं। यह देख कर वे समझ गये कि नवाब का अब पतन अनिवार्य है। वे धृष्ट भ्रम भी विलम्ब न कर, किसी से कुछ न कह, लोभ और क्रोध से परिपूर्ण होकर, रणभूमि त्याग कर चले गये। उन्हें रणभूमि से जाते देख सिपाहियों ने भी मैदान छोड़ दिया। मीरजाफर की इच्छा पूरी हुई। इस समय मीरजाफर ने दस्तावेज को लिखा—“मीरमदन मर गया। अब छिपने का कोई काम नहीं। इच्छा हो तो इसी समय, नहीं तो रात के तीन बजे, पढ़ाव पर आक्रमण करना। सहज ही मेरा सब काम बन जायगा।”

मोहनलाल को पढ़ाव की ओर वापस आते देखकर अंग्रेजी फौज बाग के बाहर निकली। कहा जाता है कि इस समय ‘प्लासी विजेता’ क्लाइव नींद के सुराटे भर रहा था। मेजर किलप्याट्रिक बाग में फौज को तैयार कर रहा था। अंग्रेजी सेना बाग के बाहर हुई। क्लाइव भी नींद से जगाया गया। इस समय जब उसने सुना कि मेजर अपनी सेना को आगे बढ़ाया चाहता है तो वह दौड़ा हुआ फौज में घुस पड़ा। उसने मेजर किलप्याट्रिक को बाध लिया और कहा—“बिना मेरी आज्ञा के तुमने ऐसा साहस क्यों किया?” पर पीछे जाकर जब क्लाइव को असली हालत मालूम हुई, तब वह बड़ा प्रसन्न हुआ और खुद फौज की आगे भार लेने में उत्सुकता प्रकट करने लगा। क्लाइव ससैन्य आगे बढ़ने लगा। इस समय रणक्षेत्र में सघाटा छाया हुआ था। सिर्फ फ्रान्सीसी वीर सेण्ट्रॉ जॉन डट कर युद्ध कर रहे थे। वे नवाब

आज्ञा न मुनकर, मीरजापुर की यात पर कान न देकर, थोड़े से सिपाहियों के साथ बड़ी बहादुरी से मुकाबला कर रहे थे। पर बेचारे मेरठ के अपनी थोड़ी सी फौज के साथ अंग्रेजों का कहां तक मुकाबला कर सकते थे। आखिर उन्हें पीछे हटना पड़ा।

सिराजुद्दौला के और की फौज के बहुत कुछ विश्र्वसित होने का पृष्ठान्त हम फहीं ऊपर लिख चुके हैं। हमने ऊपर दिखलाया है कि किन किन खालजाजियों ने सिराजुद्दौला की फौज की हिम्मत टूटी। यह इधर उधर मागने लगी। इस समय रणधौंध रायदुर्लभ सिराजुद्दौला के पास गया और उसने रणधौंध का भयङ्कर चित्र उसके सामने रखा। उसने सिराजुद्दौला को यह बात समझाना शुरू किया कि—“हज़ूर ! इस समय रणधौंध छोड़ कर चले जाइये। हमी में गैर है।” मुसलमान इतिहास लेखक ने लिखा है जिस समय दिन का अन्त हो रहा था, उस समय सिराजुद्दौला ने देखा कि असंख्य सेना तथा सरदारों में से कुछ थोड़े ही से आदमी उसके पक्ष में लड़ रहे हैं ! ऐसी दशा में ग्लासी से मुर्शिदाबाद को छोड़ चलना चाहिये। यह सोचकर सिराजुद्दौला ने दो हजार कुछ सवारों साथ अंत पर सवार होकर रणभूमि से प्रस्थान किया।

इस तरफ अंग्रेजों ने ग्लासी के मैदान में विजय प्राप्त कर ली। यह विजय किस ढङ्ग से प्राप्त की गई। यह किस प्रकार की थी, इस बात पर यहां प्रकाश डालने की आवश्यकता नहीं। हमने अब तक जो कुछ भी लिखा है इसमें पाठक इस बात का कुछ अन्दाजा लगा सकते हैं। कुछ भी हो, अंग्रेजों ने बड़ी सस्ती और बिना बहादुरी की विजय प्राप्त करली। अंग्रेजों के सुप्रख्यात इतिहास लेखक कर्नल मालेसन लिखा है—“ग्लासी युद्ध वास्तविक युद्ध नहीं कहा जा सकता।”



# सिराजुद्दौला की हत्या

पाठक ! अब हम आपको सिराजुद्दौला के जीवन नाटक का अन्तिम अङ्क दिखलाते हैं। यह अङ्क अत्यन्त दुःखान्तक (Tragedy) है। इससे सँसारिक वैभव की क्षणभंगुरता प्रकट होती है। अच्छा, अब नवाब सिराजुद्दौला के जीवन का यह दुःखान्तक दृश्य जरा धैर्य के साथ देखिये।

हमने पूर्व परिच्छेदों में दिखलाया है कि विश्वासघातकों के विश्वासघात और कूटनीतिज्ञ क्लाइव आदि के षड्यन्त्रों से किस प्रकार प्लासी के नामधारी युद्ध में नवाब की पराजय हुई। हमने दिखलाया है कि किस प्रकार रणक्षेत्र त्याग कर सिराजुद्दौला मुर्शिदाबाद गया और वहाँ शक्ति नष्टित करने का उद्योग करने लगा। अब हम आगे का हाल सुनाते हैं।

मुर्शिदाबाद छोड़कर नवाब ने पहले राजमहल जाने का इरादा किया, किन्तु बाट में यह सकल्प परित्याग कर वह भगवानगोले गया। वहाँ से वह नाव पर सवार होकर फ्रासीसी सेनापति लॉ की आशा से आजीमगंज की ओर चला। विधि कि लीला देखिये ! जिस नवाब के हुकम में लाखों आदमी थे, आज वह भूखों मर रहा है। नवाब, उसकी स्त्री, बन्धा तथा अन्यान्य साथी तीन दिन तक भूखे रहे। तीन दिनों के उपरान्त राजमहल के उस पार एक फकीर के आश्रम में उन्होंने आश्रय ग्रहण किया। इस फकीर का नाम दानाशाह था। कहते हैं कि यह दानाशाह किसी समय सिराजुद्दौला द्वारा लब्धित हुआ था। कुछ इतिहास लेखक कहते हैं कि सिराजुद्दौला ने उसके कान फटवा लिये थे। पहले उसने सोचा अन्य मुस्ताफिर होगा। किन्तु नवाब का जूता देखकर उसे कुछ सन्देह हुआ। उसने उसी समय नाव के मक्लाह से

घात मालूम कर ली। फ़कीर का हृदय प्रतिहिंसा से जल उठा। फ़कीर ने दृग् यथा षोई घात न कर सपरिवार नवाय के आधिपत्य सन्कार का घच्छी तरह बन्दोबस्त कर दिया। नवाय के परिवार ने दारुण दुःख मिटाने के लिये विचड़ी पकाई थी। दृग्गी समय फ़कीर ने एक आदमी भेज कर चुपके से उस पार रागमहल में मिरानुद्दौला के शत्रुओं को सब भेज दी।+ समाचार पाते ही मीरजाफ़र के दामाद मीरक़ासिम मीर दाऊदग़ो सदलखल यहां आ पहुँचे। मिरानुद्दौला शत्रु की पाँप से घिर गया। नवाय की स्त्री लुफ़ुअिमा मीरक़ासिम के हाथ पड़ी। मीर क़ासिम ने डरा धमका कर उसके कुछ जेवर ले लिये।॥ मीरक़ासिम की देगा देग़ मीरदाऊद ने भी अन्यान्य रमणियों के अलङ्कार उतरवा लिये। इन दोनों के देगा देग़ी अन्य साधियों ने भी नवाय का सर्वम्ब लूट लिया। एक दिन जो लोग नवाय के सामने जान तक का साहम नहीं करने थे, जो लोग नवाय के करणा-कटाव के लिये सदा उल्लुक् रहते थे, आज वे ही लोग विपदग्रस्त हतभाग्य नवाय को छुरी तरह लूट रहे हैं। नवाय ने उनसे कातर स्वर से कहा—“मैं धनजन, साम्राज्य नहीं चाहता। मुझे कुछ माहज़ार दो और इस लम्बे चौड़े बज़ाल के एक कोने में रहने दो।” नवाय की यह कातरोक्ति व्यर्थ हुई। उसकी बात पर किसी ने कान तक नहीं दिया। नवाय मिरानुद्दौला सपरिवार बन्दी हुआ।

नवाय मिरानुद्दौला ने निय दिन मुशिदाबाद परित्याग किया, ठीक उसके आठ दिन बाद वह क़ैनी के रूप में मुशिदाबाद लाया गया। इस समय उसके हाथों में हथकड़ी और पैरों में बेड़िया पड़ी हुई थी। बिहारी लाल सरकार प्रभृति भारतीय इतिहासकारों का मत है कि यदि कुछ दिन और मिरानुद्दौला कैद नहीं होता, तो शायद उसकी किस्मत का पाता

+ मुताख़िरीन

॥ S-crofton-Clive's Guidance

पलट जाता। फ़ार्मीसी सेनापति ज़ॉ साहब उनकी सहायता के लिये राजमहल तक आ पहुँचे थे। राजमहल में उन्हें खबर मिली कि नयाब कैद हो गया है। तब वे निरुपाय होकर वापस लौट गये। उन्होंने प्रदेश की सीमा पार कर बक्सर से बहुत दूर पहुँच डेरा डाला।

मुर्शिदाबाद के निवासियों ने जब देखा कि बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला के हाथ में हयकड़ी और पैरो में ब्रेडिया पड़ी हुई है, यह भयङ्कर दुर्दुशा में है तब उन्हें महाशोक हुआ। मुसलमान इतिहास लेखकों ने इस संस्मरणीय घटना को लक्ष्य कर लिखा है—“ये विचारवान मनुष्यों! इस उदाहरण से सावधान हो जाओ और भाग्य के परिवर्तन को भली भाँति देखो। सत्कार की सफलताओं पर अधिक विश्वास न करो। क्योंकि ये उसी प्रकार अस्थायी और अनिश्चित है, जिस प्रकार एक सार्वजनिक व्यक्ति रोज इस घर से उस घर जाता है।”

अर्मी के इतिहास से पता चलता है कि सिराजुद्दौला आधीरात के एक चोर और डाकुओं तरह हथकड़ी और बंदियों से बांध कर मीरजाफर के सामने उपस्थित किया गया। श्रीयुत दत्त महाशय लिखते हैं:—जो राज प्रसाद एक दिन सिराजुद्दौला के अखण्ड प्रताप से राजकीय गौरव का सम्भोग करता था, उसी महल में सिराजुद्दौला को बन्दी के रूप में प्रवेश करना पड़ा। यह दृश्य देख कर मीरजाफर का हृदय भी द्रवित होने लगा और ऐसा होना अनिवार्य भी था, क्योंकि सिराजुद्दौला ने स्वयं उसके साथ कोई बुराई न की थी और वह उस अलीउद्दीन का स्नेह-भाजन दीहित था जिसकी दयालुता और उदारता के बदौलत मीरजाफर का भाग्य उद्व्य हुआ था और मरते दम तक अलाउद्दीन का विश्वास रहा था कि मीरजाफर मेरे मोद लिये हुए न्यारे बच्चे का साथ देगा। बेचारा सिराजुद्दौला बारबार उसके निकट प्रायों की भिषा मागने लगा। मीरजाफर इस दृश्य को नहीं देख सका और सिपाहियों को उसने इसे

दो तीन घंटों के बाद ही मुहम्मदवेग सिराजुद्दौला को काटने के लिये तेज तखवार हाथ में ले उसके बंदीगृह में गया। उसे देखते ही सिराजुद्दौला घबड़ा उठा। क्षण मात्र में उसकी सारी आशाएँ विन्नोन् ही गईं। वह बड़ी निर्दयता से कत्ल कर दिया गया।

दुष्ट मुहम्मद वेग इतने ही में मनुष्य न हुआ। उसने मृत नवाब के जिम्मे के दुकड़े दुकड़े कर डाले। उन दुकड़ों को उसने हाथी की पीठ पर खदवाया। फौलवान उस हाथी को लिये लिये शहर के चारों ओर फिटा। किसी प्रकार वह हाथी एकाएक हुसेनकुली खाँ के मकान के सामने जा खड़ा हुआ। इसके बाद नगर प्रदक्षिणा करते हुए जब हाथी सिराजुद्दौला की माता अमीनाबेगम के मकान के सामने पहुँचा, तो हृदय को दुकड़े दुकड़े करनेवाला कोलाहल उपस्थित हो गया। अभागी अमीना बेगम को अपने प्राणप्यारे सिराजुद्दौला की इस दशा का हाल मालूम नहीं हुआ था। उन्होंने फाटक पर शोरगुल सुन कर पूछा—“यह किस का शोर है?” प्रवृत्त उत्तर पाते ही हतभागिनी अन्त पुर वासिनी अमीनाबेगम ज्ञान शून्या हो, लज्जा शर्म परित्याग कर उन्मादिनी घेरा में खुले हुए केश से नगे पैर उद्धर्वास से दौड़ बाहर निकल आई। कितनी ही खौडिया यादिया भी उनके साथ निकल आईं। हाथी पर प्यारे पुत्र की लाश के दुकड़े देख अभागी बेगम जमीन पर गिर कर, द्याती पीटपीट कर जोर जोर से रोने लगी। बेगम का यह शोकभाव देख कर उपस्थित दर्शक भी हाहाकार करने लगे। उस समय का वह शोक दृश्य वर्णना हीत है। सुद फौलवान भी इस हृदयद्रावक दृश्य को देख कर रो पड़ा। फौलवान के इशारे से ही या अन्य किसी कारण से हाथी भी वहाँ बैठ गया। उपस्थित दर्शकगण हाथी को घेर कर खड़े हो गये। हतभाग्य अमीना भी धिनली की तरह दौड़ कर, पुत्र के अचिन्त मांसपिण्ड पर गिर कर उन्हें चुम्बने लगी। कितना हृदयद्रावक और कल्याणजनक दृश्य था। इसी समय मीरजाफर का अनुगत सइचर त्वादिमहुसेन खाँ अपने महल की छत पर खड़े होकर सन्तुष्य दृष्टि में सिराजुद्दौला की कटी कुर्ची

# सिराजुद्दौला और क्लाइव

कर्नल मालेमन ने अपने सुप्रसिद्ध ग्रन्थ *Decisive battles of India* में कहा है --

“Whatever may have been his faults, Sirajuddaula had neither betrayed his master nor sold his country-nay more, an unbiased Englishman sitting in judgment on the events which passed in the interval between the 9th February and the 23rd June, can deny that the name of Sirajuddaula stands higher in the scale of honour than does the name of Clive”

अर्थात् सिराजुद्दौला में चाहे जो कुछ दोष रहे हों, परन्तु न तो उसने देश की बेचा था और न अपने स्वामी को धोखा दिया था। एवं इन यहाँ तक कहने की प्रस्तुत हैं कि कोई भी पक्षपात शून्य अंग्रेज यदि उन घटनाओं का फैसला करने बैठे जो ६ फरवरी से २३ जून तक सङ्घटित हुई थीं तो वह इस बात को अस्वीकार नहीं कर सकता कि क्लाइव की अपेक्षा सिराजुद्दौला का नाम प्रतिष्ठा के पक्ष में भारी है। उस शोकान्त नाटक में वही एक मात्र व्यक्ति था, जिसने धोखा देने की चेष्टा नहीं की।



# मीरजाफर की नवाबी



मीरजाफर नवाय बना दिया गया। ईस्ट इण्डिया कम्पनी और उसके कर्मचारियों को नवाबी के पुरोरक्त करने में करोड़ों रुपये मिले। इन लोगों के यहां सोने चांदी की नदियां बहने लगीं। मीरजाफर का खजाना खाली हो गया। मीरजाफर केवल नाम का नवाय था। अधिकार तो सब अंग्रेजों के हाथ में थे। वह तो एक पुतला था, जो क्लाइव के इशारे पर नाचता था। हमी से कितने ही अंग्रेज खेसकों ने उस को क्लाइव का गधा कहा है। इस वक्त क्लाइव की कीर्ति-पताका विलायत में चारों ओर उड़ने लगी। वह बंगाल का गवर्नर भी बना दिया गया। इन्होंने पर भी उसने भारी विजय प्राप्त की। उनके जहाजी बेदे को उसने पूरी तरह से परास्त किया। इन्होंने के साथ व्यवहार करने में क्लाइव ने जो अन्याय किया, उसको कोई अंग्रेज इतिहास लेखक समर्थन नहीं कर सका है। अब तक तो अंग्रेज एक व्यापारिक कंपनी के रूप में मशहूर थे, अब वे एक प्रबल-राजशक्ति के रूप में माने जाने लगे। फ्रांसीसी, पोर्चुगीज, डच आदि अन्य यूरोपीय शक्तियों का पतन सा हो गया। कहने का अर्थ यह है कि बंगाल में अंग्रेजों की पूरे तौर से तूती बजने लगी। क्लाइव कम्पनी के खाभ में इतना काम कर सन् १७५० में इंग्लैण्ड के लिये रवाना हो गया। इसके पहले उसने मीरजाफर पर खूब हाथ साफ किया। उसने न केवल कंपनी ही को मासामासत किया, पर खुद ने भी लाखों रुपयों का फायदा उठाया।



# मीरकासिम

## लूट पाट का बाजार गर्म

मीरजाफर अधिक दिनों तक राज्य का उपभोग न कर सका। जब तक उसके द्वारा कम्पनी की और कम्पनी के नौकरों की जेबें गर्म होती रही, जब तक खूब अच्छी तरह से उनका मतलब बनता रहा, तब तक मीरजाफर नवाब की गद्दी पर आसीन रह सका। यद्यपि इस वक्त भी मीरजाफर, जैसा हम ऊपर कह चुके हैं, नाम ही का नवाब था। पर जब खजाना विशुद्ध खाली हो गया, सैनिकों को तनप्लाह न मिलने के कारण, उनके बगावत करने का डर होने लगा, तब हतभाग्य मीरजाफर अपनी नाममात्र की नवाबी से भी अलग कर दिया गया उन पर कुप्रबन्ध का आरोप लगाया गया। मीरजाफर को नवाबी से अलग करने के लिये कोर्ट आफ डाइरेक्टर्स ने अपना विरोध भी प्रकट किया, पर इसका कुछ नतीजा न निकला। मीरजाफर के स्थान पर मीरकासिम नवाब बनाया गया। इसके बदले में कम्पनी को वर्धमान, मीदनापुर और चितगाव के परगने मिले। इन समृद्धिप्रद परगनों के अतिरिक्त मीरकासिम को कर्नाटक के युद्ध खर्च के लिये पाच लाख रुपया देना पड़ा। मीरकासिम को गुप्त रूप से यह भी चेतावनी दी गई कि जिन्होंने उसे नवाब बनाया है, वह उनका स्वार्थ न भूले। नवाब बनाने के उपलक्ष्य में तात्कालीन गवर्नर व्हेनिस्टार्ट को ५०००० पौंड, हालवेल को २०००० पौंड और अन्य कौंसिल के सदस्यों को पच्चीस पच्चीस हजार पौंड मिले। कर्नल कौलौड ने (Colonel Collaud), जिन्होंने शाह आज़म को शिकस्त दी थी, इस प्रकार पहले तो रिश्तत लेना मुनासिब न समझा, पर पीछे जाकर उन्होंने २००० पौंड स्वीकार कर लिया। और भी कई कर्मचारियों को बड़ी बड़ी रकमें मिलीं।

इस प्रकार हम पाते हैं कि कंपनी ने श्रीर उसके कर्मचारियों ने जवाब पर रूप हाथ साफ किया। ये मामलामाल हो गये। हम अनुसूची के प्रभाव से इन लोगों में, जब ये विस्फोट गये, उंची स्थिति प्राप्त की। समाज में उन का मान मरतया रूप बढ़ गया। हम श्रीर तो कंपनी श्रीर उसके कर्मचारियों के यहाँ सोने चाँदी की नदियाँ बहने लगीं, श्रीर हम श्रीर मीरकासिम का खजाना खाली हो गया। केप्टन टॉटर लिखते हैं कि मीरकासिम दरिद्री हो गया श्रीर कंपनी को जो धन मिला, उसके प्रभाव से अंग्रेजों ने पाँटचेरी में फ्रेंचों पर विजय प्राप्त की। मतलब यह कि ग्लासी के युद्ध के बाद कंपनी की किस्मत ने पलटा था श्रीर दिन यदिन उसके व्यापारिक प्रभाव के साथ साथ उसकी राजनैतिक सत्ता भी बढ़ने लगी।

मीरकासिम मीरजाफर की तरह निर्धन हृदय नहीं था। उसने अपने शासन कार्य में पूरी योग्यता का परिचय दिया। उसने अंग्रेजों के इशारे पर नाचना पसन्द नहीं किया। उसे यह बात नहीं रही कि दूसरे उसे फाँट का उलू बना दें श्रीर उससे नाजायज़ फायदा उठावें। केप्टन टॉटर अपने "warren Hasting" नामक ग्रन्थ में कहते हैं,—

"मीरकासिम ने शासन के आरम्भ में तो अंग्रेजों की मर्जी सम्पादन करने का अथवा प्रयत्न किया। उसने मीरजाफर के मुँह खगे नौकरों को बरखास्त कर दिये श्रीर उनसे यह सम्पत्ति छीन ली, जो उन्होंने नाजायज़ तौर से प्राप्त की थी। मीरजाफर के समय तनखाह न मिलने से तो पैसिक बगावत कर रहे थे, उन्हें भी उसने तनखाह का बकाया ( arrears ) दे दिया। इतना ही नहीं उसने कंपनी के सैनिकों को भी तनखाह दी। जो धन उसने कलकत्ते भेजा उससे अंग्रेजों को मद्रास में फ्रेंचों के नाश करने में बड़ी सहायता पहुँची। मीरकासिम के शासन में हर एक सरकारी डिपार्टमेंट में महत्वपूर्ण सुधार हुआ। मीरकासिम के शासन का काल के प्रथम दो वर्षों में जितनी सुदृढ़ता से न्याय न समझा किया गया श्रीर

उत्तर राज्य की सामदनी का



उपयोग किया गया, वैसे शायद ही कभी पहले बंगाल में किया गया होगा।" इसके अतिरिक्त और भी कई अंग्रेज इतिहासवेत्ताओं ने मीरकासिम के शासन की बड़ी प्रशंसा की है। मि० रॉबर्ट अपनी "History of British India" में लिखते हैं —

Mirqasim was a ruler of considerable administrative ability and in many ways improved the position of his province अर्थात् "मीरकासिम एक ऐसा शासक था, जिसकी शासन सम्यन्वी योग्यता खूब बढ़ी बढ़ी थी और उमने कई तरह से अपने प्रान्त की स्थिति सुधारी थी।" पर दुःख है कि तत्कालीन कम्पनी के कर्मचारियों की बेईमानी और डाकूपन ने मीर कासिम के योग्य शासन को अधिक दिनों न चलने दिया। कम्पनी के कर्मचारियों ने मीर कासिम के साथ कैसी कैसी बदमाशिया की इस का जिक्र जरा विस्तृत रूप से आगे किया जायगा।

हम किसी पिछले अध्याय में कह चुके हैं कि दिल्ली के बादशाह फरखसियर ने ईस्टइन्डिया कम्पनी को फर्मान देकर उनके व्यापार पर महसूल माफ़ कर दिया था। यह फर्मान केवल कम्पनी को दिया गया था। इसका आशय यह नहीं था कि हम फर्मान का उपयोग कर कम्पनी के नौकर या अन्य अंग्रेज बिना राज्यकर दिये हुए मनमानी रीति से व्यापार करें और उक्त फर्मान का नाजायज फायदा उठावें। इस के अतिरिक्त यहाँ यह बात भी ध्यान में रखना चाहिये कि जिन दिनों में कम्पनी को यह फर्मान दिया गया था, उस वक्त कम्पनी की स्थिति इस वक्त से बिल्कुल जुदा थी। उस का व्यापार उस वक्त बहुत ही संकुचित था। पर अब कम्पनी का व्यापार बहुत बढ़ चुका था। ऐसी हालत में बिना महसूल दिये व्यापार करने से न्याय की भाव में बहुत पति होती थी। अगर यह सुराई पड़ी तक रह जाती तो भी ठीक थी, पर कम्पनी के नौकरों ने उक्त फर्मान का उपयोग अपने ग्राहकव्ये व्यापार में भी करना शुरू कर दिया। इतना ही नहीं, वे उसके बल पर दूसरे अंग्रेजों को भी, अपना स्वार्थ साधन कर

और गोरखपुर में १७२६०० खिया चरखों पर सूत कात कर ३२ लाख रुपये कमाती थीं। इसी प्रकार दीनापुर की खिया ६ लाख और पुर्निया जिले की खिया १० लाख रुपये का सूत कातने का काम करती थीं। सन् १७२७ में जब लार्ड क्लाइव मुर्शिदाबाद गया था तब उस के सम्बन्ध में उसने लिखा था कि—‘यह शहर कलकत्तन के समान विस्तृत, आबाद और धनी है। इस शहर के लोग लॉन्दन से भी बड़ कर मालदार हैं’। परन्तु जब से अंग्रेज व्यापारी इस देश में आये तब से ये लोग हमारे व्यापार को नष्ट करने का उद्योग करने लगे। जब इनकी राज्य-त्ता का प्रभाव बढ़ा, तब तो इनके अन्याचार हृद दर्जों को पहुँच गये। ईस्ट इन्डिया कम्पनी ने तथा उसके कर्मचारियों ने जिस बेदर्दी और क्रूरता के साथ हमारे व्यापार को—हमारे कला कौशल को—नष्ट किया, उसका वर्णन हृदयद्रावक है। कई निष्पक्ष अंग्रेज लेखकों ने भी इस अन्याचार का हृदयद्रावक चित्र खींचा है। हम भी पाठकों को कच्चा चिट्ठा सुनाते हैं।

इतिहास के पाठकों से यह बात छिपी नहीं है कि मुगल शासन काल में और अलीवर्दीखा की नवाबी में बंगाल में कपड़े का व्यापार उन्नति की चरम सीमा पर पहुँचा हुआ था। जुलाहे लोग स्वतन्त्रता के सार्थ कपड़ा बुनते थे और जहाँ उन्हें अच्छा पैसा मिलता था वहीं वे उसे फरोक्त कर देते थे। इन के कारोबार में राज्य की तरफ से कोई स्कावट न थी, बल्कि राज्य की ओर से इन्हें काफी उभोजन मिलता था। इसी से जुलाहे लोग खूब समृद्धिशाली हो गये थे। उनके बनाये हुए कपड़ों की माग न केवल एशिया ही में थी, बल्कि यूरोप में भी बहुतायत से थी। यूरोप के बाजारों पर यहाँ के बनाये हुए बढिया वस्त्रों का पूर्ण अधिकार था। कहा जाता है कि वहाँ के बने हुए नफौस और उम्दा मलमल और रेशमी वस्त्रों का व्यवहार करके इंग्लिस्तान की बौदियाँ अपने पतिपों की रिझाया करती थीं। वहाँ की मलमल दुनियाँ भर में मशहूर थी। जुलाहों लोग के घर सीने चाँदी की नदियाँ बहा करती थीं। मि० पैटरम नामक एक

सकार्खान अंग्रेज मगन अपनी Considerations on Indian affairs में लिखते हैं—“हाल में इंग्लैंड में एक सज्जन है, जिन्होंने मिराजुरीला के शासन काल में केवल एक जुलाहे के यहां से बहुत बढ़िया और कीमती मलमलों के ८०० गान खरोदे थे ।” हमारे कहने का मतलब यह है कि मिराजुरीला के शासन काल में भी यद्वाज के जुलाहों की स्थिति अच्छी थी । पर जयमे अंग्रेजों की राज्यसत्ता का आरम्भ हुई तब ही मे यहां के उन्नतिशील और संसार प्रख्यात उद्योग धंधों की शान्तिश्र की दशा लगी ! जिम प्रकार मनोहर और शान्तिमय चन्द्रमा को राहुग्रस्त कर लेता है, उसी प्रकार यहां के उद्योगधंधों को इन लोगों ने पूर्णरूप से ग्रस्त कर लिया । मिराजुरीला के बाद यद्वाज में अंग्रेजों की पूरी तृती बोलने लगी थी । हम वक्त ये लोग यद्वाज के कर्ता धर्ता और हर्ता हो गये थे । इस वक्त इन लोगों ने प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्षरूप से लूट मचाने में कमर न की । नादिरशाह और चङ्गेजखां की लूट से भारतवर्ष को जो नुकसान नहीं पहुँचा, वह इन लोगों ने पहुँचाया । यह मत हमारा ही नहीं है । एडमण्ड बर्क ने ब्रिटिश पार्लामेन्ट के सामने गजं कर यही बात कही थी । तत्कालीन गवर्नर व्हेनिस्टार्ट ने भी अपने narrative में इस लूट का हृदयद्रावक चित्र खींचा है ।

कम्पनी ने यही तरीका से यहां का व्यापार हुबोया और यहां के उद्योगधंधों को नष्टभ्रष्ट किया । कम्पनी ने और उसके नौकरों ने कैसे कैसे भीषण अत्याचार किये, इस सम्बन्ध में हम कुछ अंग्रेजों की राय नीचे देते हैं ।

“Considerations on Indian affairs” नाम के उनके ग्रन्थ में घोस्टस साइथ लिखते हैं—“यह बात बहुत सच है कि जिस तरह कम्पनी इस देश में व्यापार कर रही है, यह जुल्म और उपद्रव का एक लगातार दरम है, जिसके हानि कारक परिणाम प्रत्येक जुलाहे और कारीगर पर देख पड़ रहे हैं । अंग्रेज लोग इस देश में होने वाली प्रत्येक वस्तु का ठेका ले लेते हैं और अपनी ही धुरी से उनका भाव मुकर्रर

करते हैं। जब उनका गुमाश्ता किसी गांध में पहुँचता है तो वह अपने चपरासी को भेज कर वहाँ के दलालों और जुलाहों को अपनी कचहरी में बुलवाता है और उनको कुछ रुपये पेशगी देकर एक तमस्सुक इस आशय का लिखवा लेता है कि इतना माल, इतने दिनों में, इस भाव से दिया जायगा। यह काम जुलाहों की रजामन्दी से नहीं किया जाता। कम्पनी के गुमाश्ते लोग, अपनी इच्छानुसार, जुलाहों से मनमानी शर्तें लिखवा लेते हैं। यदि कोई पेशगी लेने से इन्कार करता है तो रुपये उसकी कमर में बांध दिये जाते हैं और उसे कोढ़े मार कर कचहरी से निकाल देते हैं। बहुतेरे जुलाहों के नाम कम्पनी के रजिस्टर में दर्ज रहते हैं। उन्हें किसी दूसरे पुरुष का काम करने की इजाजत नहीं दी जाती। इस व्यवहार से जो दुःख होता है वह सचमुच कल्पनातीत है और उसका अनितम फल यही होता है कि बेचारे जुलाहे ठगे जाते हैं। जिस वस्तु की कीमत खुले बाजार में सौ रुपये होती है उसके लिये उन्हें सिर्फ २०—६० रुपये दिये जाते हैं। जब जुलाहे इस प्रकार की कड़ी शर्तें पूरी नहीं कर सकते—जब वे तमस्सुक में लिखी हुई शर्तों के मुताबिक माल तैयार नहीं कर सकते तब उनकी सब जायदाद छीन ली जाती है और उसे बेचकर कम्पनी के लिये रुपये वसूल कर लिये जाते हैं। रेशम खपेटने वालों के साथ ऐसा अन्याय का बर्ताव किया गया है कि उन लोगों ने अपने घँगूड़े तक काट डाले, इस हेतु से कि, उन्हें रेशम खपेटने का काम ही न करना पड़े।”

इस प्रकार के कितने ही भयङ्कर अत्याचार उस समय गरीब और अभागे भारतवासियों पर हो रहे थे। बंगाल में चारों ओर शहि-शहि मच रही थी। बंगाल का सत्तानाश हुआ जा रहा था। घर के घर बरबाद हो रहे थे ! भयङ्कर लूट मच रही थी ! इस लूट के विषय में एडमण्ड बर्न ने मिडिल पासाजिन्टके सामने ब्याप्यान देते हुए

“The English army of traders, in their  
savaged worse than a Tartaria conqueror”

अंग्रेजी व्यापारियों की फीज तारतारि विजेता से भी अधिक निकृष्ट बरपादी करती जाती थी।

देश को बरबाद करने के लिये—उसे भित्तमंगी हालत में कर देने के लिये—उस समय जैसे २ नीच उपायों का अवलम्बन किया गया था, वह संसार के इतिहास में अपूर्व अत्याचार था। बंगाल के गावों में परबाने भेज दिये जाते थे कि सिवा अंग्रेजी कंपनी के गुमारतों के और किसी के हाथ माल न बेचा जावे। इससे बेचारे देशी व्यापारियों का बिलकुल नेरतनाबूद हो गया। यहां के व्यापारियों को इस बात की शोक फर दां गई थी कि वे अपने गुमारतों को माल खरीदने के लिये देहातों में भी न भेजें। इस प्रकार अनेक भीषण और राष्ट्रहीन अत्याचारों पर मि० बोव्टस ने अपने Considerations on Indian Affairs' में एक पूरा अध्याय रंगा है। हम यहां उसका थोड़ा सारांश देते हैं—

“व्यापार करने में जो सुविधाएं अंग्रेजों को दी गई थीं, उनका उन्होंने थड़ा नाजायज फायदा उठाया। अंग्रेजों ने जुलाहों के साथ व्यवहार करने के लिये गुमारते रख छोड़े थे। इन गुमारतों ने अपना ऐसा अविचार प्रकट किया जैसा कि नवाब आदि ने भी प्रकट नहीं किया था। इन्होंने जुलाहों पर तरह तरह के अत्याचार करने में इत्तफाक कर दी थी। उस समय बंगाल में कोई जुलाहा ऐसा नहीं था जिस पर इन अत्याचारों का असर न हुआ हो। हर एक पदार्थ जो बंगाल में बनता था, उसका ऐका (monopoly) जे लिया गया था। इसने उन पदार्थों का व्यापार सिवा अंग्रेजी कंपनी, उसके कर्मचारियों और गुमारतों के और कोई नहीं कर सकता था। पदार्थों का मूल्य भी अपनी मर्जी के अनुसार ये ही खोग मुकार्रर कर दिया करते थे। कारीगरों के साथ बड़ी बड़ी सख्तियां और जुल्म किये जाते थे। कंपनी ने न केवल पदार्थों का बल्कि कारीगरों तक का ठेका सा ले लिया था। ये बेचारे सिवा कंपनी और उन के गुमारतों के और किसी के लिये माल तैयार नहीं कर सकते थे। फल

और दूध लोगों को तो माल देने की मनाही थी, पर वहाँ के देशी व्यापारी भी जुलाहों के साथ कुछ विक्रय नहीं कर पाते थे। इन लोगों ने अपने नीच स्वार्थ के लिये फारीगरों और जुलाहों का सत्यानाश कर दिया !

“बेचारे जुलाहों को इस प्रकार के तमस्सुह पर दस्तख़त करने पर मजबूर किया जाता था कि अमुक अमुक माल अमुक तादाद में इतने नियमित मूल्य पर देंगे। अगर कोई जुलाहा या फारीगर इस पर दस्तख़त करने से इन्कार करता तो वह धाँध दिया जाता और उस पर भयङ्कर रूप से कोड़े पड़ते। वे धंधेरी कोठड़ियों में बन्द कर दिये जाते थे। इस प्रकार के जुलमों-अत्याचारों का सिलसिला जारी था। बना बनाया माल तक उन लोगों से जबर्दस्ती छीन लिया जाता”।

इसके अलावा और भी बातें देखिये कम्पनी के तत्कालीन अधिकारियों को इन अत्याचारों से भी तृष्टि नहीं हुई। कलकत्ते के गवर्नर और कौन्सिल ने १८ मई सन् १७६८ में एक घोषणा पत्र निकाल कर धर्म-नेयनों, पोर्च्युगोजों और फ्रान्सीसियों के लिये फारीगरों के साथ व्यापार करने का रास्ता बिल्कुल बन्द कर दिया।

ईस्ट इन्डिया कम्पनी इतने ही से सन्तुष्ट नहीं हुई। उसने “नमक” जैसी आवश्यक भोजन सामग्री का भी डेका ले लिया। इसके पहले वहाँ नमक का डेका नहीं था। सन् १७६५ की १८ सितम्बर की चॉर्जेजों की सिलेक्ट कमेटी की ओर से एक लम्बा चौड़ा घोषणापत्र निकला था उसमें एक जगह लिखा था:—

“That the salt, bettlenut and tobacco produced in or imported into Bengal shall be purchased by this established company and public advertisements shall be issued strictly prohibiting all other persons to deal in those articles.” अर्थात् नमक चुपचाप

तथा तम्बाकू आदि पदार्थ गितने बंगाल में पैदा होते हैं वा बाहर से बंगाल में आते हैं, यह सब स्थापित कंपनी द्वारा खरीद लिये जावेंगे, और विद्वहियों निकाल कर दूसरे शरणों को इन चीजों का व्यापार करने की सत्त मनाई कर दी जायगी।” इसके अलावा एक घोषणापत्र में यह भी कहा गया था कि बंगाल के नवाब द्वारा यहां के जमींदारों को यह परवाना भिजवा दिया जायगा कि वे अपनी जमींदारी में पैदा होने वाले नमक का टेका केवल मात्र अंग्रेजों को को दें, दूसरों को नहीं।” इससे बेचारी गरीब प्रजा को बड़ा कष्ट हुआ। अंग्रेज व्यापारियों ने मनमाने तौर से नमक का भाव बढ़ा दिया। उनका कोई प्रतिस्पर्धा न होने से बेचारी प्रजा को इन के मुंहमांगे दाम देने पड़ते थे। पहले हमारे यहां रुपये का सात आठ मन नमक मिलता था, पर जब से इसका व्यापार अकेले अंग्रेजों के हाथ आया तब से यह क्या भाव विकता रहा था, इसका परिचय, हम समझते हैं, पाठकों को काफी तौर से होगा। और भी अनेक तरह से, भांति भांति के उपायों का अचलमचन कर हमारा व्यापार डुबोया गया ! हमारी पारीगरी नष्ट की गई और भारतभूमि की यह दशा कर दी गई कि आज दस करोड़ भारतवासियों को एक समय भी पथेष्ट भोजन नहीं मिलता है। कंपनी के व्यापारियों ने हमारे व्यापार को जिस बेदर्दी के साथ नष्ट किया है, उसे कई निष्पक्ष और सहृदय अंग्रेज भी स्वीकार करते हैं। ट्रोवीलियन साहय कहने हैं,—“हम लोगों ने हिन्दुस्थानियों का व्यापार चौपट कर दिया ! अब उन लोगों को भूमि की उपज के लिये और कोई आधार नहीं है।”

It is agreed that application be made to the Nawab for parwana on the several Zamindars of those districts strictly ordering and requiring them to contract of all the salt, that can be made on their lands, with the English alone.

शौरसाहब कहते हैं—“बहुधा ऐसा कहा जाता है कि इंग्लैण्ड के व्यापार के लिये हिन्दुस्थान के व्यापार का लोप करना, अंग्रेजों की प्रवीणता का; एक दीक्षिमान उदाहरण है। मेरी समझ में यह इस बात का एक प्रमाण है कि अंग्रेजों ने हिन्दुस्थान में किस तरह जुल्म और उपद्रव किये और उन लोगों ने अपने देश की भलाई के लिये हिन्दुस्थान को किस तरह निर्धन—दरिद्र—समृद्धिहीन—कर डाला।”

लारपेन्टर साहब कहते हैं—“हम लोगों ने हिन्दुस्थान की कारीगरी का नाश कर दिया।” और भी कितने ही अंग्रेजों ने इस अत्याचार को मुक्त कण्ठ से स्वीकार किया है।

मीरकासिम से ये अत्याचार नहीं देखे गये। उसने ईस्ट इण्डिया कम्पनी से बार बार इन अत्याचारों को मिटाने की प्रार्थनाएं कीं। उसने कम्पनी को लिखा कि इस प्रकार के अत्याचारों से देश बरबाद हुआ जा रहा है! व्यापार डूब गया है! चारों ओर हाहाकार मच रहा है! भयङ्कर रूप से लोग लूटे जा रहे हैं, पर उसकी बात पर कान न दिया गया। तब निराश होकर उसने एक उचित पथ का अवलम्बन किया। उसने सब लोगों के लिये व्यापार पर महसूल माफ़ कर दिया, तब तो इन लुटेरे स्वार्थी कर्मचारियों के क्रोध का पार न रहा। ये मीरकासिम पर दांत पीसने लगे। मीरकासिम से यह जुल्म वापिस लेने के लिये कहा गया। उसने यह बात मँजूर न की। बस फिर क्या था? कम्पनी के क्रोधान्ध और स्वार्थी कर्मचारियों ने युद्ध की तैयारियां कीं। जहां जहां अंग्रेजों की फ़ैक्टरियां थीं वहां युद्ध के लिये तैयारी करने के जुल्म भेजे गये। मीरकासिम इस पर बड़ा हिरान हुआ। उसे हम अजीब व्यवहार से बड़ा दुःख हुआ। मनुष्य अपने स्वार्थ के लिये कहां तक नीचता कर सकता है, उसकी परमावधि देख कर उसके अन्तःकरण की बड़ी चोट पहुँची। उसने फलकत्ते में कम्पनी को लिखा—

“मैं नहीं समझता कि मैंने किस तरह आपको धोखा दिया या आपके साथ विरवास्तपात किया। मैंने मीरजाफ़र के राज्ञाने के दो तीन



करोड़ रुपये हज़म नहीं किये, मैंने चापट्टी एक बीघे जमीन पर भी कब्ज़ा नहीं किया। क्या मैंने उम कर्ज़ को ख़दा नहीं किया जो मीरजापुर के मिर था ? क्या मैंने चापसे फ़ौज का बकाया बचूँ किया है ? मैंने चापको ऐसा देश दिया जिसकी ग्रामदानी एक करोड़ रुपये है। क्या वे बातें मैंने हम लिये थीं कि चाप दूसरे को निज़ामत की मसनद पर बँधायें ?”

कम्पनी के स्वार्थी कर्मचारियों ने इस प्रार्थना पर भी ध्यान नहीं दिया। वे मीरकासिम का सर्वनाश करने पर तुल्ल गये। हाँ, यहाँ हम वारेनहेस्टिंग्स की प्रशंसा किये बिना न रहेंगे। उन्होंने इस समय मीरकासिम के न्याययुक्त पक्ष का समर्थन किया। उन्होंने इस युद्ध को रोकने की चेष्टा की, पर कुछ फल नहीं हुआ। फल यह हुआ कि कौन्सिल में एक अंग्रेज़ सदस्य ने मीरकासिम का पक्ष समर्थन करने के लिये हेस्टिंग्स को एक जोर का घूसा मारा, जिसके लिये वाट्सन साहब को उनसे माफी मागनी पड़ी। हेस्टिंग्स ने सब परिस्थिति का विचार कर कौन्सिल से इस बात का अनुरोध किया कि इन सब खराबियों का मूली-प्येदन करने के लिये नवाब के अधिकार और हमारे स्वतंत्रों के बीच कोई सीमा निर्धारित की जानी चाहिये।” हेस्टिंग्स के इस अनुरोध का भी कुछ फल नहीं हुआ।

इसी भगड़े की मिटाने के लिये 'वारेन हेस्टिंग्स' कमीशन जेडर मीरकासिम के पास गये थे इस कमीशन ने नवाब के सामने डसके कई एक न्यायानुमोदित प्रस्तावों की स्वीकार कर लिया था—पर जब कमीशन की रिपोर्ट कलकत्ते की कौन्सिल में पढ़ी गई, तब कौन्सिल के अधिकार स्वार्थी अंग्रेजों ने उस रिपोर्ट का घोर प्रतिवाद किया। हेस्टिंग्स और तत्कालीन गवर्नर च्चेनिस्टार्ट के स्वीकृत प्रस्ताव कौन्सिल वालों ने रद्द कर दिये। जब मीरकासिम को कलकत्ते की कौन्सिल की कारवाहियों के समाचार मिले तब वह बहुत क्रुद्ध हुआ। उसने देशी व्यापारियों के माझ पर महसूल बंधने का नियम बहाल रखा।

नवाब के इस निश्चय को सुन कर कौन्सिल के स्वार्थी और अन्यायी सदस्यों ने नवाब को राज्यच्युत करने का निश्चय किया। मीरजाफ़र को नवाबी से च्युत करने का संकल्प अंग्रेजों की आज्ञामात्र से कार्य में परिणत हो गया था। किन्तु मीरकासिम मीरजाफ़र जैसा कायर, निरुम्मा भीरू और अंग्रेजों का गुलाम नहीं था। उसे राज्यच्युत करना जरा टेढ़ी खोर थी। कौन्सिल की धारणा थी कि जो व्यक्ति कोई वस्तु किसी को देने का अधिकार रखता है तो वह उस दी हुई वस्तु को छीन लेने का अधिकारी भी है। मीरकासिम की धारणा इससे सर्वथा विपरीत थी। उनके विचार में अंग्रेजों की धारणा बृथा और तर्क शून्य थी। वह समझता था कि बङ्गाल न्याय से न तो अंग्रेजों का देश था और न उन्हें न्याय की दृष्टि से बङ्गाल को देने का अधिकार था, और न उसे फिर छीन लेने का।

जब नवाब ने देखा कि कौन्सिल के सदस्य अपनी अत्याचारी और अन्याय—युक्त नीति को पर्युक्त कर युद्ध करना चाहते हैं तब वह भी सतर्क हो गया। वह अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से हटा कर मुर्गेर ले गया। नवाब भी युद्ध की तैयारियाँ करने लगा। मीरकासिम बङ्गाल की स्वाधीनता के लिये अन्तिम चेष्टा करने लगा। इस और अंग्रेजों ने चुपके चुपके पटना पर धावा मार उस पर अपना अधिकार जमा लिया। पहले नवाब की सेना, अचानक अंग्रेजों के छा टूटने पर विस्मित और किंकर्तव्य विमूढ़ हो नगर छोड़ भाग गई, किन्तु पीछे से जब अंग्रेज विजय प्राप्त करने का आनन्द मना रहे थे और शराब के नशे में चूर हो रहे थे, उस समय नवाबी सेना ने सहसा आक्रमण कर अंग्रेजी सेना को मार भगाया और पटना पर फिर अधिकार कर लिया। इस आक्रमण में बहुत से अंग्रेज नवाब के हाथ पड़े। जब पटने के बरतेदे का समाचार नवाब को मिला तब उसने समझ लिया कि युद्ध का धीमेपेश हो गया है। उसने अंग्रेजों की कोठियों पर आक्रमण करना आरम्भ किया। अंग्रेजों की कोठियों पर अधिकार कर वह उन कोठियों के अंग्रेजों को कैद कर मुर्गेर

भेजने लगा । कहा जाता है कि नवाब ने आज्ञा दी थी कि जहाँ कौं  
 चंपेज मिले, वहाँ मार दिया जाये । अमायट (Amayat) नामक  
 एक चंपेज कंपनी की और से नवाब के साथ बातचीत करके कहकर  
 जा रहे थे, रास्ते में लोगों ने मार डाला और उनका काटा हुआ फिर कौं  
 धूम धाम के साथ मुहुरे भेजा गया ।

चंपेजों ने भी मुर्शिदाबाद पर हमला करने के लिये पूँज भेजी ।  
 वद्यपि नवाब की सुशिक्षित सेना के रहते मुर्शिदाबाद से सेना सामान्य  
 बात नहीं थी, पर स्वदेशद्रोही, स्वार्थतत्पर और विरवासी लोगों के  
 विरवासात से मीरकासिमजी की हुई आत्मरक्षा की सभी नैवारिषी  
 निष्फल हुई । मुर्शिदाबाद चंपेज सेना के हाथ पड़ा । इसके बाद चम्पेज  
 नवाब की कटघा में भी हार हुई । कटघा के बाद गिरिया में चम्पेज और  
 नवाबी सेना का मुकाबला हुआ । यहाँ नवाब के सेनापति मीरबदरुद्दीन  
 का पतन हुआ । सेनापति के मरते ही नवाब की सेना रणक्षेत्र छोड़ कर  
 भागी । इसके बाद उदयानल का युद्ध हुआ । झासी की तरह उदयानल  
 का युद्ध भी भारत के इतिहास में चिरकाल तक प्रसिद्ध रहेगा । झासी के  
 युद्ध में सिराजुद्दीला के दुर्भाग्य से मीरजाफर उसकी सेना का सेनापति  
 था और उदयानल के युद्ध में मीरकासिम के भाग्यदोष से विरवासाती  
 गुरमरा नवाब की सेना का सेनापति हुआ था । झासी की सदाई में  
 बहाल की स्वाधीनता का मार्तण्ड अस्ताचलगामी हुआ, और उदयानल  
 के युद्ध में बहाल की स्वतन्त्रता का दिवाकर अस्त हो गया । उदयानल  
 में मीरकासिम के लगभग पचास सहस्र सैनिक थे । चंपेज केवल पाँच  
 सहस्र सैनिकों के साथ रात के समय उदयानल के दुर्ग में घुस गये ।  
 और नवाब के निरख सिपाहियों पर महावेग से दूट पड़े । नवाब के  
 सिपाही भयभीत और निरुपाय होकर भाग गये । कहते हैं कि यह दुर्घटना  
 मीरकासिम के एक नामक हराम, नृशंस विरवासातक सिपाही की दुर  
 भिसन्धि का परिणाम थी । धीरे धीरे चंपेज नवाब के नगरों पर अधिकार

करते गये । सुगेर और मुर्शिदाबाद को भी अंग्रेजों ने प्रसन्न किया । मीरकासिम डेढ़सौ कैदियों को साथ लेकर पटना भाग गया । जिस समय नवाब ने सुना कि अंग्रेजों ने सुगेर भी ले लिया, उसी समय उसने उन अंग्रेज कैदियों को कत्ल करने का हुक्म दिया । समरू नामक एक फ्रान्सीसी ने बड़ी निर्दयता के साथ इन निरस्त्र अंग्रेजों का कत्ल किया !! चारों ओर की परिस्थिति को देखते हुए, नवाब का क्रोधान्वित होना स्वाभाविक था और क्रोध के आवेश में उसने इन निरस्त्र अंग्रेज कैदियों को कत्ल करने का हुक्म दिया, पर इस निर्दय हत्याकाण्ड का समर्थन किसी प्रकार नहीं किया जा सकता । अस्तु ।

इस हत्याकाण्ड से अंग्रेजों का खून उबलने लगा । अब तो उन्होंने मीरकासिम का सर्वनाश करने का पूरा पूरा निश्चय कर लिया । इन अंग्रेजों कैदियों की हत्या होने के बाद एडम साहब ने पटना घेरा । मीरकासिम सकुटुम्ब अवध भाग गये । मीरकासिम ने अवध के नवाब से मिलकर अंग्रेजों के हाथ से बंगाल को मुक्त कराने की एक बार फिर चेष्टा की । मेजर मनरीने नवाय सिराजुद्दीला, मीरकासिम और बादशाह शाहघालम को बक्सर के युद्ध में हराया । सरजेम्स स्टेफिन कहते हैं — “भारतवर्ष में ब्रिटिश शक्ति की नींव लगाने का उतना श्रेय प्रासी को नहीं है, जितना बक्सर को है । यहाँ बड़ी भयङ्कर खदाई हुई । मीरकासिम की फौज ने बड़ी बहादुरी से मुकाबला किया । इसमें अंग्रेजों के ८४७ मनुष्य हताहत हुए । नवाय की ओर के २००० मरे । इसमें प्रासी की तरह केवल यज्ञस्य के नवाय ही न थे, पर हिन्दुस्थान के बादशाह और उनके सचिव भी थे, जिन्होंने कि हार खाई ।” मीरकासिम चारों ओर से निराश होकर भाग गये । वे कहीं गये । इसका पता नहीं लगा । कहा जाता है कि वे पकड़ी बन कर देश त्यागी हुए ।

उपरोक्त घटना के बहुत दिनों बाद दिल्ली की सड़क पर खोंगों ने एक खारा देनी थी, जो एक बहुमुख्य शाख से ढकी थी । उस शाख के एक कोने पर लिखा था,—“मीरकासिम अथ कंपनी के स्वामी और बतवापारी

भेजने लगा । कदा जाया है कि नवाब ने आजादी की थी कि जहाँ कौन  
 चंग्रेज मिले, वह वहीं भार दिया जाये । अमापट (Amayat) नामक  
 एक चंग्रेज कंपनी की ओर से नवाब के साथ बातचीत करके कलकत्ते  
 जा रहे थे, रास्ते में लोगों ने भार साखा और उनका काटा हुआ गिर कभी  
 धूम धाम के साथ गुहरे भेजा गया ।

चंग्रेजों ने भी मुर्शिदाबाद पर हमला करने के लिये पीछे भेजी ।  
 यद्यपि नवाब की सुशिक्षित सेना के रहते मुर्शिदाबाद से लेना मामान्य  
 घात नहीं थी, पर स्वदेशद्रोही, स्वार्थ तत्पर और विरवासी लोगों के  
 विश्वासघात से मीरकासिमकी की हुई आरमरदा की सभी तैयारियाँ  
 निष्फल हुईं । मुर्शिदाबाद चंग्रेज सेना के हाथ पड़ा । इसके बाद अमागे  
 नवाब की कटवा में भी हार हुई । कटवा के बाद गिरिया में चंग्रेजी और  
 नवाबी सेना का मुकाबला हुआ । यहाँ नवाब के सेनापति मीरबदरुद्दीन  
 का पतन हुआ । सेनापति के मरते ही नवाब की सेना खण्डित होकर  
 भागी । इसके बाद उदयानल का युद्ध हुआ । झासी की तरह उदयानल  
 का युद्ध भी भारत के इतिहास में चिरकाल तक प्रसिद्ध रहेगा । झासी के  
 युद्ध में सिराजुद्दौला के दुर्भाग्य से मोरजाफर उसकी सेना का सेनापति  
 था और उदयानल के युद्ध में मीरकासिम के भाग्यदोष से विरवासघाती  
 गुरमला नवाब की सेना का सेनापति हुआ था । झासी की लड़ाई में  
 बहाल की स्वाधीनता का मार्तण्ड अस्ताचलगामी हुआ, और उदयानल  
 के युद्ध में बहाल की स्वतन्त्रता का दिवाकर अस्त हो गया । उदयानल  
 में मीरकासिम के लगभग पचास सहस्र सैनिक थे । चंग्रेज केवल पाँच  
 सहस्र सैनिकों के साथ रात के समय उदयानल के दुर्ग में घुस गये ।  
 और नवाब के निरख सिपाहियों पर महावेग से दूट पड़े । नवाब के  
 सिपाही भयभीत और निरुपाय होकर भाग गये । कहते हैं कि यह दुर्घटना  
 मीरकासिम के एक नमक हराम, नृशंस विरवासघातक सिपाही की दुर  
 भिसन्धि का परिणाम थी । धीरे धीरे चंग्रेज नवाब के जगहों पर अधिकार

इसे भी अंग्रेजों ने पूरी तरह अपने हाथ का कठपुतला बनाया । असल में मारी सत्ता अंग्रेजों के हाथ में थी । नाम के लिये इसे नवाबी की मसनद पर बैठा दिया गया था । इसके मिनिस्टर तक को अंग्रेज मुकर्रि करते थे । इससे कहा गया कि,—“खबरदार, हमारे व्यापारिक हकों को स्पर्श तक मत करना । इंग्लैड से कम्पनी के डाईरेक्टर इन स्वार्थी कर्मचारियों के अत्याचारी कार्यों के लिये विरोध सूचक प्रस्ताव भेजते रहे । पर ये लोग स्वार्थ में इतने अन्धे हो गये थे कि इन्होंने अपने मालिकों को भी बात न सुनी । जिस प्रकार किसी को खून की चाट लग जाने से फिर वह हमेशा खून का प्यासा रहता है, ठीक यही हालत कम्पनी के स्वार्थी कर्मचारियों की थी । उक्त नवाब से कलकत्ते के गवर्नर श्रीर उसके अन्य सहयोगियों ने १३६३५७ पींड नज़राना के लिये थे । हद्द दर्जे की रिश्ततखोरी चलने लगी । नीतिनिषमों के सारे बन्धन तोड़ दिये गये । जब इस अन्धेर की खबर विलायत पहुँची तब इन बुराइयों का प्रतिकार करने के लिये लार्ड क्लाइव को फिर हिन्दुस्थान भेजने की योजना हुई । इस वक्त क्लाइव बंगाल का गवर्नर और कमांडर—इन चीफ बनाया गया । क्लाइव को इस बात का आश्वासन दिया गया कि भारत में उसने जो जागीर प्राप्त की है, उसका वह दस वर्ष तक सानन्द उप भोग कर सकेगा । इस तरह कई प्रकार के अधिकार और आश्वासन लेकर क्लाइव फिर भारत के लिये रवाना हुआ ।



कर्मचारियों के पथ का एक जबरदस्त काटा दूर हो गया"। कलकत्ते की म्यार्थपरायण कौन्सिल ने बंगाल की नवाबी पर फिर "झाड़व के गये" मीरजाफर को बिठाया। इस वक्त भी इन स्वार्थियों ने नीति विषमों को को ताक में रख कर बंगाल के खजाने पर रूढ़ हाथ साफ किया। मीरजाफर से वह सब खर्च लिया गया जो अंग्रेजों का मीरकासिम के साथ युद्ध करने से हुआ था और भी मजा देखिये, मीरकासिम ने सब लोगों के लिये बिना महसूली खुला व्यापार कर देने के लिये अंग्रेजों का जो नुकसान हुआ था, उसकी पूर्ति भी मीरजाफर से की गई। घनखोलुप कौन्सिल ने मीरजाफर से, कंपनी के कर्मचारियों को छोड़ कर अन्य सब लोगों के लिये बिना महसूली व्यापार करने का मार्ग बन्द करना दिया। अथ पिरे अंग्रेज लोग बिना महसूल के व्यापार करने लगे और इस तरह वहां के देशी व्यापारियों का व्यापार नष्ट होने लगा। फिर वही बेड झी रफ्तार शुरू हो गई। अत्याचारों और जुल्मों का बाजार गर्म हो गया। घनखोलुप कंपनी के कर्मचारियों को भूखे ध्यात्र की तरह बंगाल की निरीह प्रजा के अवशिष्ट धनरूपी रक्त से अनन्त और रापसी लुधा मिगने का फिर अवसर प्राप्त हुआ। चिरपददलित भारत की शस्य स्वामत्वा बद्र-भूमि को भस्मसात् करने का उपक्रम रचा गया। बंगाल की गरीब प्रजा पर फिर वहां लूट शुरू हो गई, जिसे मिटाने के लिये हतभाग्य मीरकासिम ने असफल प्रयत्न किया था।

हतभाग्य मीरजाफर अधिक दिन तक जीवित नहीं रहा। वह घृणा हो चुका था। नाना व्याधियों से उसका शरीर भी जीर्ण हो गया था। कुछ रोग से उसकी अंगुलियां गिर गई थीं। कितने लोग कहते हैं कि उसने सिराजुद्दौला के सामने नमकहखाल रहने के लिये इन्हीं अंगुलियों को जुरान पर रख कर कसम खाई थी। मीरजाफर ने अपने स्वामी के साथ विश्वासघात किया और ईश्वर ने उसे यह दण्ड दिया, अस्तु। मीरजाफर के मरने के बाद बंगाल की कौन्सिल ने उसके पोते को गद्दी पर न धँटाते हुए उसके दूसरे खड़े को नवाबी की मसनद पर बैठाया।

इसे भी अंग्रेजों ने पूरी तरह अपने हाथ का फटपुतला बनाया। असल में मारी सत्ता अंग्रेजों के हाथ में थी। नाम के लिये इमे नवाबी की ममनद पर बैठा दिया गया था। इसके मिनिस्टर तक को अंग्रेज मुकर्रि करते थे। इमसे कहा गया कि,—“खबरदार, हमारे व्यापारिक हकों को र्पशं तरु मत करना। इंग्लेड से कम्पनी के डाईरेक्टर इन स्वार्थी कर्मचारियों के अत्याचारी कामों के लिये विरोध सूचक प्रस्ताव भेजते रहे। पर ये लोग स्वार्थ में इतने अन्धे हो गये थे कि इन्होंने अपने मालिकों की भी बात न सुनी। जिय प्रकार किसी को खून की घाट लग जाने से फिर वह हमेशा खून का प्यासा रहता है, ठीक यही हालत कम्पनी के स्वार्थी कर्मचारियों की थी। उक्त नवाय से कलकत्ते के गवर्नर और उसके अन्य महयोगियों ने १३६३२७ पाँड नजराना के लिये थे। हद् दर्जे की रिश्वतखोरी चलने लगी। नीतिनियमों के सारे बन्धन तोड़ दिये गये। जब इस अन्धेर की खबर विलायत पहुँची तब इन बुराइयों का प्रतिकार करने के लिये लार्ड क्लाइव को फिर हिन्दुस्थान भेजने की योजना हुई। इस वक्त क्लाइव बगाल का गवर्नर और कमांडर—इन चोफ बनाया गया। क्लाइव को इस बात का आश्वासन दिया गया कि भारत में उसने जो जागीर प्राप्त की है, उसका वह दस वर्ष तक सानन्द उप भोग कर सकेगा। इस तरह कई प्रकार के अधिकार और आश्वासन लेकर क्लाइव फिर भारत के लिये रवाना हुआ।





## क्लाइव का पुनः आगमन

श्राइव हिन्दुस्थान में सफ़ुशल पहुँच गया। उसने घाकर देखा कि हिन्दुस्थान में ब्रिटिश सत्ता का सूर्य बड़ी तेज़ी से षमक रहा है। उसने देखा कि चारों ओर ब्रिटिश सत्ता का दबदबा छा गया है। हमके साथ ही उसने कम्पनी के कर्मचारियों की स्थिति देखी। देखा कि चारों ओर एक प्रकार की न्यापारिक लूट मची हुई है। रिस्ट, धन्याचार और जुषम का बाज़ार बहुत गर्म है। चारों ओर कम्पनी के कर्मचारियों ने अन्धेर मचा रक्ता है। नीति-नियम सब कुछ हाक में रख दिये गये हैं। केवल स्वार्थ अपनी सत्ता अधाधित रूप से चला रहा है। जैसा कि पहले कह चुके हैं क्लाइव इन ही सब खराबियों को दूर करने के लिये विलायत से वहाँ भेजा गया था। क्लाइव ने वहाँ पहुँच कर इस बिगड़ी हुई रफ़्तार में कुछ सुधार करना चाहा। उसने समझा कि मौजूदा कौन्सिल को रफ़ते हुए सुधार होना असम्भव है, अतएव उसने उस कौन्सिल को तोड़ दिया और अपनी इच्छानुसार एक सिडेक्ट कमेटी कायम की। इस कमेटी में क्लाइव ने ऐसे आदमियों का रक्वा, जिन में उसकी अध्वी पट सकती थी और जिनके सहयोग में वह बिगड़ी हुई स्थिति को सुधारने की आशा करता था। इसके बाद उसने एक इफ़रारनामा तैयार किया, जिस में कम्पनी के नौकरों के लिये मज़राना लेने की तथा बिना महसूल दिये खानगी व्यापार करने की मनाही की गई थी। उसने इस में सफलता पाने के लिये कम्पनी से नौकरों की तनख्वाह बढ़ाने का प्रस्ताव किया, पर कम्पनी के डायरेक्टर्स ने इसे म्वीकार नहीं किया। इस पर क्लाइव ने कम्पनी के उचे नौकरों के लिये नमक का टेका लेने का पथ खोज दिया। इसमें कम्पनी के नौकरों को खास मुनाफा मिलने लगा। कहा जाता है कि इस व्यापार में

तत्कालीन गवर्नर को १८६०० पौंड, फौज के बर्नल को ७०७० पौंड सालाना मुनाफा हुआ। इसी प्रकार अन्य नौकरों को भी ठनकी हैसियत के अनुसार मुनाफा हुआ। इस व्यवस्था के लिये क्लाइव की विलायत में बड़ी निन्दा हुई। कहा गया कि जय डाइरेक्टरों ने कम्पनी के नौकरों के लिये सब प्रकार का रवानगी व्यापार बन्द कर दिया, तब क्लाइव को क्या अधिकार था कि वह नमक का व्यापार उनके लिये खुला रख दे। इसके दो वर्ष बाद डाइरेक्टरों ने कम्पनी के नौकरों के लिये प्राइवेट व्यापार करने की पद्धति बतई बन्द कर दी और उनके लिये एक खास तरह का कमीशन मुकर्रर कर दिया। कम्पनी को अपने व्यापार में जितना मुनाफा होता था, उसी की श्रौमत से कर्मचारियों को अपने दर्जे और तनखाह के मान से यह कमीशन दिया जाता था। इससे भी कर्मचारियों को अच्छी प्राप्ति हो जाती थी। गवर्नर को अपनी तनखाह के सिवा १८५०० पौंड कमीशन के मिलते थे; इसी प्रकार अन्य नौकरों को अपने अपने दर्जे और तनखाह के मान से कमीशन मिलता था।

यहां यह बतलाना आवश्यक है कि क्लाइव को अपने सुधार कार्य में पुरानी कौंसिल के मेम्बरों से तीव्र विरोध का सामना करना पड़ा। वे लोग क्लाइव को कहने लगे कि "तुम अपनी और तो देखो। खुद तुमने कितने जायज और नाजायज जरियां में तथा नजरानों से विपुल धन संग्रह किया है। तुम तो "भट्टजी भट्टे खावें और दूसरों को पच बतलावें की कहावत को चरितार्थ कर रहे हो।" क्लाइव पर इन लोगों की धमकियों का खासा असर पड़ा; क्योंकि वह खुद पहले नजराना लेकर खासा बहनाम हो चुका था। उसने सोचा कि इस बात पर जोर देने में शासक बात का बतंगड़ न बन जावे और पार्लामेंट जांच करना शुरू न कर दे। इसके सिवा ऐसा करने से शायद वे गुल खिलें जिनसे क्लाइव भी अड़ता न बचे। इस लिये सुधारों की इच्छा रखते हुए भी उसने काफी मर्यादा से काम नहीं लिया। हा, वहां एक बात और कह देना आवश्यक

है। शाह्य ने मुद्द नमाय के शोधर नहीं लिये, पर उसने बहुतेरे शोधर अपने रिरनेदारां को दिखवाये, जिमसे उन्हें अच्छा गुनापा मिला।

## ह्याड्य और दीवानी

इस वक्त ह्याड्य ने कंपनी के लिये एक बड़े ही खान का कार्य किया। उसने तत्कालीन नामधारी सम्राट् शाह आलम से दीवानी की मनद प्राप्त कर ली। यह दीवानी क्या थी, इस पर भी यहाँ थोड़ा सा प्रकाश डालना आवश्यक है। मि० स्टेनिमार्ट, जो ह्याड्य के पहले कलकत्ते के गवर्नर रह चुके थे, दीवानी की व्याख्या इस प्रकार करते हैं,— “प्राग्त के दूसरे दर्जे के + अफसर का पद दीवान का पद (Office) था। जमीन की देख रेख करना, भूमि कर वसूल करना यही दीवान का काम था। यह अफसर दिल्ली के सम्राट् द्वारा नियुक्त होता था और इसका पद नवाय से बिलकुल स्वतन्त्र था। दीवान के कार्यक्रम में नवाय को हस्तक्षेप करने का अधिकार न था। हाँ, जब से मुगल सम्राट् शक्ति हीन हो गये, तब से नवाय ने दीवानी का अधिकार भी हस्तगत कर लिया था।” मि० हालवेल ने, जिनका जिक्र हम ऊपर कई दफा कर चुके हैं और जो उस जमाने में किसी समय कलकत्ते के गवर्नर रह चुके थे, लिखा है—

“भूमि कर पर सम्राट् का स्वामित्व रहता है। जो इस भूमिकर को वसूल करता है वह दीवान कहलाता है। हर एक नवाबी में एक एक दीवान भी रहता था, जो भूमिकर और अन्य इस प्रकार के कर वसूल किया करता था। यह नवाय से बिलकुल स्वतन्त्र रहता था। भूमि कर वसूल कर सम्राट् के खजाने में भेज दिया जाता था।”

मतलब यह कि अब से दीवान का काम कंपनी के जिम्मे आ गया। दीवान तो सम्राट् का एक नौकर रहता था, जो भूमिकर वसूल

+ पहले दर्जेका अफसर पजीर कहलाता है।

रुद्र बादशाही खजाने में भेज दिया करता था, पर अंग्रेज तो दीवानी के पूरे मालिक बन बैठे। अब उन की पाँचों अँगुलिया घी में तर रहने लगीं। अब वे बङ्गाल के कर्त्ता—धर्त्ता हो गये। दीवानी की प्राप्ति होने के बाद लॉर्ड क्लाइव और उनकी सिलेक्ट कमेटी ने कोर्ट आफ डाइरेक्टर्स को ३० सितम्बर सन् १७६५ को निम्न लिखित आशय का एक पत्र लिखा था—

“नवाब और आपके नौकरों के बीच उच्च सत्ता के लिये जो निरन्तर झगड़े चल रहे हैं तथा आपके नौकरों में रिबतखोरी और अष्टता का वाजार जिस प्रकार गर्म हो रहा है, उन सब परावियों को दूर करने के लिये इससे कोई अच्छा उपाय नहीं सूचित किया जा सकता कि बंगाल, बिहार और उड़ीसे की दीवानी ले ली जावे। इस से इन परावियों की जड़ में अपने आप कुठाराघात हो जायगा।”

“दीवानी के प्राप्त हो जाने से हिन्दुस्थान में आपका अधिकार स्थायी और सुरक्षित हो गया है। भविष्य में न तो किसी नवाब के पास इतनी सम्पत्ति रह जायगी और न इतनी शक्ति रह जायगी कि वह आपको उलटने (overthrow) का प्रयत्न कर सके। वयों के अनुभव से हमारा यह विश्वास हो गया है कि बिना असन्तोष उत्पन्न किये और बिना ऐक्य में बाधा डाले शक्तियों में फूट उत्पन्न करना असम्भव है। हमारा तो विश्वास है कि स्थिति तब ही ठीक हो सकती है जब या तो सब कुछ हमारा ही हो जावे या सब कुछ पर नवाब ही का अधिकार रहे।”

इसके बाद सन् १७६५ के ३० सितम्बर को लॉर्ड क्लाइव और उनकी सिलेक्ट कमेटी ने कोर्ट आफ डाइरेक्टर्स को लिखा था—

“You have, now, become the sovereigns of a rich and potent kingdom, अर्थात् आप अब एक समृद्धि

शाही और शक्तिशाली राज्य के राजा हो गये हैं। इसी पत्र में अन्वय पत्र स्थान पर लिखा था:—

“You are now not only the collectors but the proprietors of the Nawab's dominions अर्थात् अब आप केवल नवाब के राज्य के कर वसूल करने वाले (collectors) ही नहीं रहे हैं, अब आप एक तरह से नवाब के राज्य के मालिक भी होगये हैं।” इसी तरह क्लाइव ने दूसरी बार भी कम्पनी के लिये वह कार्य विचार, जिससे कम्पनी की मत्ता बहुत बढ़ गई। इसी प्रकार के कार्य कर क्लाइव फिर विलायत को छोड़ गया।

### अत्याचारों का लगातार दृश्य

क्लाइव के छोड़ जाने के पांच वर्ष बाद लाहौर हेस्टिंग्स बंगाल का गवर्नर नियुक्त हुआ। इस मध्यवर्ती पांच वर्ष के समय में Verel (१७६७-६) और कान्टॉर (१७७०-२) अनुक्रम में बंगाल के गवर्नर रहे। ये दोनों यही कमजोर प्रकृति के थे। चारिभ्य बल का इनमें एक तरह से शंकाप था। इनके वक्त में फिर वही अन्धाधुन्धी शुरु हो गई। रिश्तखोरी, अत्याचार, धोखेबाजी और लुप्त का बाजार फिर गर्म हो गया। कम्पनी के नौकर बेचारे देशी आदमियों के व्यापार की बुरी तरह बलि लेने लगे। क्लाइव के किये हुये सुधारों पर पानी फिर गया। इसी धर्त में बंगाल में एक महाभीषण अकाल पड़ा। इस अकाल का घृत्तान्त पढ़कर कौन पापाय हृदय होगा जिसका फलेजा पानी पानी न हो जावे और जिसकी आँखों से आंसुओं की धाराएँ न वह निकले ! कहा जाता है कि इस भयंकर अकाल ने कोई देड़ करोड़ आदमियों की बलि ली। इस अकाल की भीषणता के विषय में कम्पनी के नौकर ने लिखा था—

“The scene of misery shocks human hearts too much. Certain it is that in several parts

the living have fed on the dead, अर्थात् कष्ट और दुःख का दृश्य इनना भयङ्कर था कि उससे मनुष्य जाति का हृदय काप उठे । कई जगह जिन्हे मनुष्य मुर्दों को खाते हुए दिखलाई पड़ते थे ।” ऐसे समय में भी कम्पनी के नौकरों ने बड़ी बेदर्दी और असीम पाशविकता से भूमिकर वसूल किया था । प्रजा की आर्थिक स्थिति का इस समय कुछ भी ख्याल नहीं किया गया । कम्पनी ने इस महावर्षाजनक दुःस्थिति में भी मालगुजारी कौड़ी कौड़ी वसूल की । भूम्ये किसानों पर मालगुजारी वसूल करते समय बड़ी बड़ी सरित्तयाँ की गईं । बङ्गाल के हतभाग्य किसानों को मालगुजारी अदा करने के लिये बीज का धान तक घेघ ढालना पड़ा । आयर साहय ( Auber ) ने अपनी “British power in India” में लिखा है —

“The Gomasthas of English gentlemen not barely for monopolizing grain but for compelling the ryots to sell even the seed requisite for the next harvest” अर्थात् अंग्रेज सगजनों के गुमारतों ने न केवल प्रस्तुत धानों ही का ठेका लेकर उस पर अधिकार कर लिया है, वरन उन्होंने रेचारे किसानों को दूसरी फसल के लिये आवश्यक बीज का धान तक बचने के लिये मजबूर किया है । हाय ! इस वक्त कम्पनि के कर्मचारियों न जिस पाशविकता और स्वार्थान्धता का परिचय दिया, उससे हृदय पर घटा ही खेन्जनक प्रभाव पड़ता है । अन्न के दाने के लिये ग्राहि ग्राहि करती हुईं हतभाग्य प्रजा के लिये कम्पनी ने कुछ नहीं छोड़ा । वेवरिज महोदय अपनी “History of India” में लिखते हैं —

‘ Before the famine reached its height almost all the rice in the country was bought up by the servants of the company

अर्थात् “अकाल के अपनी सर्वोत्तमीमा पर पहुँचने के पहले ही देश

का मारा था वह कम्पनी के मीटरों ने मारी लिया था।" इसके अतिरिक्त इस एक जितनी मालगुजारी वसूल की गई उतनी सन् १७६१ में सन् १७७१ तक दस वर्षों के भीतर किसी वर्ष में वसूल नहीं की गई। इस कम्पनी की मालगुजारी का दस वर्षों का मसरा नीचे देते हैं। इस काम की रकम में भूमि कर की घामदनी के अतिरिक्त कम्पनी की अन्य प्रकार की आय भी शामिल है।

(मई से अप्रैल तक)

सन्	पौड
सन् १७६१ से १७६२ तक	× × × × × १२६२६२६
सन् १७६२ से १७६३ तक	× × × × × १३२०६२१
सन् १७६३ से १७६४ तक	× × × × × १३६६४६३
सन् १७६४ से १७६५ तक	× × × × × १३६१६२६
सन् १७६५ से १७६६ तक	× × × × × २६६१३१७
सन् १७६६ से १७६७ तक	× × × × × ३१६१७६३
सन् १७६७ से १७६८ तक	× × × × × २६६६२३६
सन् १७६८ से १७६९ तक	× × × × × ३०३३२२२
सन् १७६९ से १७७० तक	× × × × × ३२६७७०६
सन् १७७० से १७७१ तक	× × × × × २७६७३०६

पाठकगण ! ऊपर लिखे हुए सत्रों के अर्थों को देखकर तथा दुर्मिच की भीषणता का विचार कर प्रजा के कष्टों और कम्पनी के गुमारतों के अत्याचारों के विषय में स्वयं अनुमान कर लें।

सन् १७६६-७० ईसवी के दुर्मिच में बंगाल प्रदेश में बड़ी घराजकता विद्यमान थी। बंगाल की प्रजा के साम्बन्धों से स्वार्थी व्यापारियों की सत्ता जोर पकड़े हुए थी। उन्हें कोई परवाह न थी, चाहे बगाली जायें या मरें। उन्हें तो धपना मतलब बनाने की गर्ज थी। देश में उस समय अजीब-बदरय थे, पर उनका धन ऐसी दशा में किस काम आ सकता था।

क्या घनी श्रौर क्या किसान किमी के घर में अन्न न था। धनवानों के घरा म रुपये और मोने की अशर्कियां थीं पर उनके नगर या ग्राम में खरीदने के लिये किसान तथा दुकानदारों की दुकानों में अन्न न था।

अंग्रेजों ने बहुत सा चावल बेचने के लिये जमा कर रखा था। अत-  
एव बहुत से लोग पुर्निया, दीनाजपुर, बाकुडा, बद्धमान आदि नगरों से  
कलकत्ता की ओर रवाना हुए। गृहस्थों की कुल कामिनिया अपने  
प्राणाधिक सन्तानों को गोद में लेकर कलकत्ते की ओर रवाना हुई।  
बिन कुलीन गृहस्थों की कुल ललनाओं ने अपने घर की देहली को खांघ  
कर कभी पैर नहीं दिया था आज वेही अपने बालबच्चों को गोद में लेकर  
भिखारिणी के वेश कलकत्ते की ओर रवाना हुई। किन्तु इनमें से बहुतसी  
कलकत्ते पहुँचने भी न पाई। ऐसी सैकड़ों कुलकामिनिया और सहस्रों  
शुष्क काय पुरुष रास्ते ही में हाय अन्न ! हाय अन्न ! करते हुए मर  
गये। भूख शान्त करने के लिये इन्हें मुट्ठी भर भी अन्न न मिला।  
कई छोटे छोटे बच्चे भूख के मारे मार्ग ही में कासकवलित हो गये। हाय !  
घर से चलते समय माताओं की गोद भरी थी, अब वह सूनी हो गई।  
सन्तान यत्सला माता ने शोक पूर्व भूख से व्याकुल होकर मानव शरीर  
परिचाग कर दिया।

बाबू चण्डीचरण सेन ने बंगाल के नर नारी गण को समीपन बरके  
लिखा है :—

“हे बंगाल देश के नरनारी गण ! तुम आशा से प्रेरित होकर पृथा  
हा कलकत्ते जा रहे हो। कलकत्ते में जो चावल रक्वे हैं, वे तुम्हारे भाग्य  
में नहीं बदे हैं। तुम्हारे जीने से न तो कुछ लाभ है न मरने से कुछ  
हानि है। तुम्हारी किसी की चिन्ता नहीं है। तुम्हारे भाग्यदोष से आज  
प्राणायसल श्री रामचन्द्र का राम राज्य नहीं है। उदारचेता अकबर आज  
इस गृधु शोक में नहीं है। जो शासक आज तुम्हारी रफा का भार उठा  
पुढे हैं, वे स्वयं अर्धगृह होने से प्रजा की मद्रख कामना क्यों करेंगे ?



उन्हें तो आज हम घोर दुर्भिक्ष के समय अपने सत्रातीय बन्धु बांधवों की और सेना की प्राण रक्षा करने की चिन्ता है। तुम्हारी अपेक्षा उनके सैनिकों के प्राण अधिकतर मूल्यवान् है। यदि सैनिकगण मर गये तो मानवी स्वतन्त्रता के मूल पर कौन कुटाराघात करेगा ?”

“ह बंगाल के विपद्रुमस्त किसानों ! तुम किम आशा पर कलकत्ते जा रहे हो ? हम मानते हैं कि तुम देश को अन्न देते हो। पर तुम्हें मुट्ठी भर अन्न कौन देगा ? इस देश की कुल कामिगियां यदि चाहें तो उन्हें मुट्ठी भर अन्न मिल सकता है, क्यों कि उनके आंचलों में मोहरें बंधी हैं। किन्तु क्या तुम ईस्ट इण्डिया कंपनी के कर्मचारियों से बिना मूल्य दिये ही मुट्ठी अन्न पाने की आशा से कलकत्ते जा रहे हो ? हे कृपक गण ! तुम अपने अपने घर लौट जाओ। तुम्हारी परमायु का यह अन्तिम दिन है ! तुम्हारे लिये इस संसार को छोड़ देने ही में लाभ है। दयामय भगवान् तुम्हें अपनी दयामय गोद में लेने के लिये दोनों हाथ फैलाये देते हैं। इस नरपिशाच पूर्ण स्मशान मरुदेश में रह कर अब तुम्हें सुख शान्ति नहीं मिल सकती है।”

आगे चलकर उक्त सेन यावू महोदय ने कलकत्ते के मार्गों का पर्यटन करते हुए लिखा है—

घोर दुर्भिक्ष उपस्थित है ! दुर्भिक्ष पीड़ित नर नारियों से कलकत्ते का रास्ता परिपूर्ण है। गंगा के उस पार सहस्रों नर नारी अन्न के लिये हाहाकार कर रहे हैं !! उनका आर्तनाद सुनकर मानो भगवती माता गंगा कलकत्ते शब्द कर यह कह रही है “हमारी गोद में तुम्हारे लिये स्मशान तैयार है। दुःख सन्ताप छोड़ो। आओ तुम्हारे सब कष्ट और दुःख दूर हो जावेंगे, मैं तुम्हें निज गोद में स्थान दूंगी।”

अन्न बिना सहस्रों नरनारी मृत्यु के प्रातः घन चुके हैं। भगवती गंगा अपने तीम प्रवाह-से बङ्ग देश की भूख से मारी हुई प्रजा के मृत

शरीरों को सागर की ओर बहाये ले जा रही है। छाती से बच्चों को लगाये सैकड़ों स्त्रियां गंगा पार अचेतनावस्था में पड़ी हुई हैं, किन्तु पापी प्राण अब भी शरीर का मोह छोड़ कर बाहर नहीं आते। डोम अन्य मुदों के साथ साथ टांगे पकड़ कर गङ्गा की ओर उन्हें घसीट कर ले जा रहे हैं, तथा उन्हें गंगा में फेंक रहे हैं। वह देखो दस पांच मनुष्यों का समूह हिताहित-शून्य हो कर घृत्नों के पत्तों को खा रहा है। गङ्गा के पार्श्ववर्ती घृत्नों में पत्तों का नामों निशान तक नहीं रहा है। सभी घृत्त प्रायः पत्तों से शून्य हो गये हैं।”

“कलकत्ता नगर के भीतर एक मुट्ठी अनाज के लिये दुभिच पीड़ित रमणियां गोद के बालक। को बेचने के लिये इधर उधर घूम रही हैं। हम घोर दुभिच ने माता के हृदय को स्नेहशून्य कर दिया है। नर नारी पेशाचिक प्रकृति के हो गये हैं।

यह भयङ्कर अकाल केवल बंगाल ही में अपना रुद्ररूप प्रकट नहीं कर रहा था। बिहार उड़ीसा में भी उसका भयङ्कर प्रकोप था। सित्ताय राय कंपनी की ओर से पटने के नायब दीवान थे। सन् १७७० ईसवी की ४ जनवरी को वे लिख गये थे—“पटने की स्थिति यही ही शोचनीय है।” उनकी अप्रैल की रिपोर्ट से फिर मालूम होता है—“पटना शहर में प्रति दिन डेढ़ सौ मनुष्य मर रहे हैं।” पुरनिया के तत्पावधायक ने चारों परगनों में गांव गांव घूम कर जो दृश्य देखा था, उसकी रिपोर्ट में लिखा है—“एक मुहल्ले में पुरनिया के हजार घर की प्रजा वाम करती थी, किन्तु इस समय एक प्रजा भी मौजूद नहीं। इस अञ्चल में दो लाख प्रजा ने अन्न कट से प्राण त्याग किया।” दीनाजपुर की रिपोर्ट में इस दुभिच की महा भयानकता का वर्णन करते हुए लिखा है—“प्रजा बर्बात हो चुकी है। मालगुजारी देने के लिये लोटा, धाली, गो घड़ड़े बेच रहे हैं। स्वयं रिजायानों ने भी यह बात स्वीकार की है—“मेरी चेष्टा में कुछ भी प्रुति नहीं है। देवता प्रतिरुत है। इन्गी से देश नष्ट प्राय हो

उन्हें तो आज इस घोर दुर्भिक्ष के समय अपने सप्रातीय बन्धु बांधवों की और मेना की प्राण रक्षा करने की चिन्ता है। तुम्हारी अपेक्षा उनके सैनिकों के प्राण अधिकतर मूल्यवान् हैं। यदि सैनिकगण मर गये तो मानवी स्वतन्त्रता के मूल पर कौन कुटाराघात करेगा ?”

“हे बंगाल के विपद्ग्रस्त किमानों ! तुम किस आशा पर कल्पित जा रहे हो ? हम मानते हैं कि तुम देश को अन्न देते हो। पर तुम्हें मुट्ठी भर अन्न कौन देगा ? इस देश की कुल कामिनियाँ यदि चाहें तो उन्हें मुट्ठी भर अन्न मिल सकता है, क्यों कि उनके आंचलों में मोहरें बची हैं। किन्तु क्या तुम ईस्ट इण्डिया कंपनी के कर्मचारियों से बिना मूल्य दिये ही मुट्ठी अन्न पाने की आशा से कलकत्ते जा रहे हो ? हे कृपक गण ! तुम अपने अपने घर लौट जाओ। तुम्हारी परमायु का यह अन्तिम दिन है। तुम्हारे लिये इस संसार को छोड़ देने ही में लाभ है। दयामय भगवान् तुम्हें अपनी दयामय गोद में लेने के लिये दोनों हाथ फैलाए धड़े हैं। हम नरपिशाच पूर्ण स्मशान मद्यशय बंगदेश में रह कर अब तुम्हें सुख शान्ति नहीं मिल सकती है।”

आगे चलकर उक्त सैन थावू महोदय ने कलकत्ते के मार्गों का वर्णन करते हुए लिखा है—

घोर दुर्भिक्ष उपस्थित है ! दुर्भिक्ष पीडित नर नारियों से कलकत्ते का रास्ता परिपूर्ण है। गंगा के उस पार सहस्रों नर नारी अन्न के लिये हाहाकार कर रहे हैं !! उनका आर्त्तनाद सुनकर मानो भगवती माता गण कलकल शब्द कर यह कह रही है “हमारी गोद में तुम्हारे लिये स्मशान तैयार है। तुम्हें मन्ताप छोड़ो। आओ तुम्हारे मव कष्ट और दुःख दूर हो जावेंगे, मैं तुम्हें निज गोद में स्थान दूंगी।”

अन्न बिना सहस्रों नरनारी मृत्यु के प्रास बन चुके हैं। भगवती गंगा अपने तीव्र प्रवाह से बङ्ग देश की भूख से भारी हुई प्रजा के मृत

सा की सागर की ओर बहाये ले जा रही है। छाती से घन्टों को लगाये सैकड़ों स्त्रियां गंगा पार अचेतनावस्था में पड़ी हुई हैं, किन्तु पापी प्राण अब भी शरीर का मोह छोड़ कर बाहर नहीं आते। तैम घन्य मुर्दों के साथ साथ टांगे पकड़ कर गङ्गा की ओर उन्हें घसीट कर ले जा रहे हैं, तथा उन्हें गंगा में फेंक रहे हैं। वह देखो दस पांच शतकों का समूह हिताहित शून्य हो कर वृक्षों के पत्तों को ग्रा रहा है। आका के पार्यवर्ती वृक्षों में पत्तों का नामों निशान तक नहीं रहा है। सभी वृक्ष प्रायः पत्तों में शून्य हो गये हैं।”

“कलकत्ता नगर के भीतर एक मुट्ठी अनाज के लिये दुर्भिक्ष पीड़ित स्त्रियां गोद के बालकों को बेचने के लिये इधर उधर घूम रही हैं। इस घोर दुर्भिक्ष ने माता के हृदय को स्नेहशून्य कर दिया है। नर नारी शासिक प्रकृति के हो गये हैं।

यह भयङ्कर अनाज केवल बंगाल ही में अपना स्वरूप प्रकट नहीं कर रहा था। बिहार उड़ीसा में भी उसका भयङ्कर प्रकोप था। स्रिताय त्तय कंपनी की ओर से पटने के नायब दीवान थे। सन् १७७० ईस्वी की ४ जनवरी को वे लिख गये हैं—“पटने की स्थिति बड़ी ही शोचनीय है।” उनकी अप्रेल की रिपोर्ट से फिर मालूम होता है—“पटना शहर में प्रति दिन ढेढ़ सौ मनुष्य मर रहे हैं।” पुरनिया के तत्त्वावधायक ने वहाँ परगनों में गांव गांव घूम कर जो दृश्य देखा था, उसकी रिपोर्ट में लिखा है—“एक मुहल्ले में पुरनिया के हजार घर की प्रजा वाम करती थी, किन्तु इस समय एक प्रजा भी मौजूद नहीं। इस अञ्चल में दो लाख प्रजा ने अन्न कट से प्राण त्याग किया।” दीनाजपुर की रिपोर्ट में इस दुर्भिक्ष की महा भयानकता का वर्णन करते हुए लिखा है—“प्रजा हाथ है। मालगुजारी देने के लिये लोटा, धाकी, गो बछड़े बेच रही हैं। स्वयं रिजासा ने भी यह बात स्वीकार की है—“मेरी चेष्टा में कुछ भी श्रुति नहीं है। देवता प्रतिकूल है। इमी में देव नष्ट प्राय हो

रहा है। जल्लायाव मूखे हुए हैं। लगातार आग खग रही है। प्रजा दुर्दशाग्रस्त है। महद्य सहस्र मनुष्य नित्य काल के शास्त्र में समा रहे हैं।"

एक सहस्रद्वय अंग्रेज ने अपनी आंखों से इस धरत्याजनक दृश्य की देखा करे इसके पचास वर्ष बाद अंग्रेजी में—एक हृदयस्पर्शिनी कविता लिखी थी। इन अंग्रेजमहानुभाव का नाम सर जान शीर था। आप एक समय भारत के गवर्नर जनरल भी रह चुके हैं। यह हृदय द्राक्क कविता यह है—

"Still fresh in my memory's eye the scene.  
I view,  
The shrivelled limbs, sunk eyes and lifeless hue.  
Still hear the mother's shrieks and infants  
moans,  
Cries of despairs and agonising moans,  
In wild confusion dead and dying be  
Hark to the jackal yell and vultures cry,  
The dogs fell howl, amidst the laze of day.  
The riot unmolested on their prey!  
Dire scenes of horror, which no pen can trace  
Nor rolling year from memory's page efface

कहा जाता है कि इस दुर्भिक्ष में बंगाल की एक तिहाई प्रजा प्राण कष्ट से हाय हाय करती हुई मर गई ! इन मरने वालों में अधिक संख्या हतभाग्य किसानों ही की थी। किसानों के अभाव से बंगाल की कितनी ही भूमि बहुत काष्ठ तक बिना जुती पड़ी रही। माछगुजारी के रूपसे बमूछ करना कठिन हो गया था। इंसट इ दिया कंपनी के वाणिज्य में भी धक्का खगा था। अतएव कंपनी के अर्धलोलुप कर्मचारी बंगाल की वास्तविक स्थिति को बहुत काष्ठ तक नहीं छिपा सके। इस भीषण

हुभिन्ड का सम्वाद इंग्लेड पहुँचते ही सहृदय डयण्डस (Dundas) और कर्नल वरगोर्ड ने कम्पनी के कर्मचारियों के असह्य आचरणों और अत्याचारों के अनुसन्धान के लिये एक कमेटी नियुक्त किये जाने की प्रार्थना की। कमेटी नियुक्त की गई। उस में वेनसीटार्ट और वरसिल्लट आदि कलकत्ते के कई एक गवर्नरों का एवं कलकत्ते की कौन्सिल के कई एक अर्थ पिशाच मेम्बरों के अत्याचार एवं क्रूरता का भयडा कृत गया। बलाइव के ऊपर अभियोग चलाने का उपक्रम भी रचा गया।

कम्पनी के फोर्ट आफ डायरेक्टर्स ने पार्लामेन्ट के तिरस्कार और धिक्कार से बचने के लिये कई एक सत्चरित्र लोगों को इस देश में भेजने की प्रतिज्ञा की। कम्पनी ने सुप्रख्यात वक्ता और भारत द्वितीय एण्ड-मण्ड वर्क को बंगाल की कौन्सिल की प्रेसिडेन्टी एवं गवर्नरी के पद पर नियुक्त करना चाहा। किन्तु बंगाल की प्रजा को निज पापों का फल भोगने के लिये अभी कितने ही दिनों तक अत्याचारों की चकी में पिसना बदा था। अतएव वर्क महोदय ने यहा आने से इन्कार किया। उनके अस्वीकार करने पर हेस्टिज बंगाल के गवर्नर नियुक्त किये गये।



# वारन हेस्टिंग्स का शासन

## स्वदेशी राज्यपद्धति का नाश

• हेन्ट्ट हस्टिंग्स व पनी ने किम प्रकार बंगाल पर अपनी प्रभुता कायम की ? किम प्रकार कंपनी के नाँवों ने बंगाल को लूट कर उसे दूरिष्ट किया ? बंगाल पर अधिकार करने में किम प्रकार के हीन और धूलकपट पूर्ण मायावी उपायों से काम लिया गया, इस पर गत अध्यायों में कुछ प्रकाश डाला गया है । साथ ही मैं यह भी ध्यानित किया गया है कि राजनीति के अगाड़े में बंगाल के तत्कालीन मुसलमान शासक अंग्रेजों के मुकाबले में कमजोर थे । इसके अतिरिक्त बंगाल का चारिष्य बल उस समय कितना गिरा हुआ था, इसका परिचय भी परवर्ती घटनाओं से स्पष्ट मिलता है । अपने व्यक्तिगत स्वार्थ के लिये कई लोगों ने किस प्रकार राष्ट्र के सामूहिक स्वार्थ को पादाक्रान्त कर देश को विदेशी शक्तता की शृंखला में जकड़ने में सहायता दी, इसका दुःखद ज्ञान उक्त घटनाचक्र में प्रत्यक्ष है । इसके अतिरिक्त यह भी स्वीकार करना पड़ेगा कि अंग्रेजों का सैनिक मज्जठन अधिक वैज्ञानिक था और उनकी विनय के जितने कारण थे, उनमें यह भी एक प्रधान था । इसके अतिरिक्त, जैसा कि प० जगद्गुरुलालजी नेहरू ने अपने ग्रन्थात् और विचार पूर्ण ग्रन्थ 'Discovery of India' में प्रकाश डाला है, भारतवर्ष शरीर और आत्मा से जर्जरित हो चुका था, उसकी प्रगतिशीलता कुचिन्न हो चुकी थी, और युरोपियन राष्ट्रों में बड़े बड़े प्रगतिशील परिवर्तन हो रहे थे । उनमें एक नवीन जीवन शक्ति का प्रादुर्भाव हो रहा था । वैज्ञानिक अन्वेषणार्थों में वे जोर की प्रगति कर रहे थे । उद्योगधन्धों में

उन्होंने विद्वान का सहयोग लेकर एक नवीन शैथिल्यिक अध्याय का सूत्रपात किया था। उनका मन परम्पराओं की गृहस्थाध्यायों से मुक्त हो चुका था। राजनीति में सर्वांगी एक तन्त्री शासन प्रणालियों के बदले उन्होंने अपने देश में जनतन्त्र शासन प्रणाली को अपनाया था। और भी ऐसे कारण थे, जिन्होंने उन्हें प्रगति के पथपर बढ़नेमें—शक्ति सङ्कटित करने में—राजनीति की दुष्ट दौड़ में विजयी होनेमें—विशेष सहायता पहुँचाई। राष्ट्रों के शक्तिशाली बनने में कई तन्त्रों का संयोग होता है और उन पर सूक्ष्म दृष्टिमे विचार करना, यह इतिहास लेखक का प्रधान कर्तव्य है।

जैसा कि हम ऊपर की पक्तियों में लिख चुके हैं, अंग्रेजों ने बंगाल पर एक तरह से पूर्ण प्रभुत्व प्राप्त कर लिया था। झाइव आदि के कार्यों पर भी प्रकाश डाला जा चुका है। बंगाल का प्रथम गवर्नर-जनरल धारन हेस्टिंग्स हुआ। उसने स्वदेशी शासन के बचेबुचे अवशेषों को भी नष्ट कर दिया।

जैसा कि पहले कहा जा चुका है झाइव ने नवाब को पूर्ण रूपसे अधिकार हीन करके मुर्शिदाबाद और पटना में दो नवाब मुकर्रिर कर दिये थे। इनके नाम मोहम्मद रजाखाँ और शिताबराय थे। इनके हाथ में शासन-सत्ता दे रखी थी। ये अंग्रेजों के भक्त भी थे। इतने पर भी हेस्टिंग्स ने जरासे बढ़ाने पर इन्हें गिरफ्तार कर लिया और बहुत बड़ी रकम देने पर इन्हें मुक्त किया। रजाखाँ को फिरसे पद दे दिया गया और बेघारा शिताबराय हृदय भङ्ग (broken heart) से अपनी जीवन-सीला समाप्त करने में विवश हुआ। मर जाता है इस उधेड़वून में हेस्टिंग्स ने ग्यारह लाख मारा और लगभग १० लाख रुपयों की उसे प्राप्ति हुई।

इसके अतिरिक्त उसने नवाब के अखाउंस को कम कर दिया और तकाशीन मुगल सम्राट् शाह आखम को दी जाने वाली खिराज (Tribute) को भी बन्द कर दिया। उसने शाहआलम से इलाहाबाद और



कोरा चीन कर बर्गार को दे दिये । मित्र ने लिखा है कि सोने के काम में (रिस्त्रत) चाकर्षित हाकर ऐसा अन्यायपूर्ण कार्य किया गया । हेस्टिंग्स का लोभ दिन ब दिन बढ़ता गया । उसने ४०,००००० चार्डस लाख रुपया बनोर से खेवर रोहियों का नाश किया । मि० जे० एच० क्लार्क (J. H. Clarke) ने अपनी 'British India and England-Responsibilities' नामक ग्रन्थ में लिखा है — 'there is no other instance of a civilised power entering into a war with the avowed object of destroying a people with which it had no quarrel' अर्थात् किसी भी सभ्य राष्ट्र के इतिहास में ऐसा उदाहरण नहीं मिलता कि जिसमें उस राष्ट्र ने केवल ऐसे लोगों का नाश करने के लिए, जिनके साथ उसका कोई मतका नहीं था, लड़ाई छेड़ी हो ।

जैसा कि इतिहास के पाठकों को ज्ञात है, वारेन हेस्टिंग्स को शासन में सहायता करने की एक सभा (Council) थी जिसके ५ सदस्य थे । इन सदस्यों में सर फिलिप्स फ्रान्सिस का नाम विशेष उल्लेखनीय है । ये बड़े निष्पक्ष और भारत हितैषी थे । वारेन हेस्टिंग्स के भ्रष्टाचार पूर्ण शासन का ये सदा जोरदार विरोध किया करते थे । इन्होंने महाराजा नन्दकुमार के एक पत्र को, जिसमें वारेन हेस्टिंग्स की रिस्त्रतस्वोरी के प्रमाण थे कौंसिल के सामने रखा । इस पर वारेन हेस्टिंग्स बड़ा क्रोधित हुआ और उसने कौंसिल से खुले तौर से कहा कि उसे उक्त विषय पर विचार करने का कोई अधिकार नहीं है ।

इतना ही नहीं वारेन हेस्टिंग्स ने उल्टा नन्दकुमार पर जाली दस्तावेज बनाने का आरोप लगाया और कलकत्ता की सुप्रीम कोर्ट में उन पर मुकदमा चलाया । उस समय सर एलिया इम्पे (Sir Elijah Impey) उक्त न्यायालय के प्रधान न्यायाधीश था । यह वारेन हेस्टिंग्स का मित्र व सहपाठी था । उसने न्यायान्याय व स्थानीय कानून का कोई सिद्धान्त न कर महाराज नन्दकुमार को फाँसी की सजा दे दी । यहाँ यह

बात ध्यान में रखना चाहिये कि तत्कालीन स्वदेशी कानून में जाली दस्तावेज के लिए फांसी का विधान नहीं था। कई निर्दोष इतिहास वेत्ताओं ने तो इस पत्र को जाली भी नहीं बताया है वरन् यह सारा महाराज नन्दकुमार को फासने का पड़पत्र था।

जब महाराजा नन्दकुमार को फांसी दी जाने वाली थी, तब घटना स्थल पर हजारों लोगों आदमी जमा हो गये थे। ज्यों ही उन्हें फांसी के तख्ते पर ले जाया गया कि चारों तरफ हाहाकार मच गया ! कई लोग दुःख में बेहोश हो गये। दुःख और शोक का गहरा सघाटा छा गया। इनका हृदयद्रावक वर्णन Trial of Maharaja Nand Kumar नामक ग्रन्थ में बड़े मर्मस्पर्शी शब्दों में किया गया है।

टालबोय्स ( Talboys ), व्हीलर ( Wheeler ), कोलब्रूक ( Cole brooke ) आदि अंग्रेज इतिहासवेत्ताओं ने वारन हेस्टिंग्स के अत्याचारों और विस्वासघातों का मार्मिक विवेचन किया है। उसने अन्ध की बेगमों पर जो पारश्विक अत्याचार किये, उनका चर्क महोदय ने ब्रिटिश पार्लियामेन्ट के सामने दिख दइखाने वाला चित्र खींचा था। इन अभियोगों के लिए ब्रिटिश पार्लियामेन्ट में जो मुकद्दमा चला, उसमें चर्क और सेरेटान के जो व्याख्यान हुए वे अंग्रेजी साहित्य के इतिहास में एक अनमोल देन माने जाते हैं। इनके हृदयस्पर्शी व्याख्यान सुनकर— वारन हेस्टिंग्स के भीषण अत्याचारों की कथा सुनकर—कई महिलाएँ बेहोश होकर गिर पड़ीं ! इङ्ग्लैंड में सघाटा छा गया। पर राजनैतिक दृष्टिकोण सामने रखकर वारन हेस्टिंग्स इन अभियोगों से मुक्त कर दिया गया। पर इन पापों का प्रायश्चित्त उसे कुछ न कुछ भोगना पड़ा और अत्यन्त दरिद्रावस्था में उसका प्राणान्त हुआ।

कोलब्रूक ( Cole brooke ) नामक एक महान् इतिहास लेखक ने लिखा है " Warren Hastings's yoke was the heaviest that ever conquerors put upon the necks of conquered nations "

कोरा झूठ कर वचनर को दे दिये । मिस्र में लिखा है कि साने के खर्च ने (रिश्वत) श्राकर्मित होकर ऐसा अभ्यासपूर्ण कार्य किया गया । हेस्टिंग्स का लोभ दिन ब दिन बढ़ता गया । उमन ४०,००००० चार्लिस लाख रुपया यंगीर में खेवर रोदियों का नाश किया । मि० जे० एच० क्लार्क (J. H. Clarke) ने अपनी 'British India and England-Responsibilities' नामक ग्रन्थ में लिखा है — 'there is no other instance of a civilised power entering into a war with the avowed object of destroying a people with which it had no quarrel' अर्थात् किसी भी सभ्य राष्ट्र के इतिहास में ऐसा उदाहरण नहीं मिलता कि जिसमें उस राष्ट्र ने केवल ऐसे लोगों का नाश करने के लिए, जिनके साथ उसका कोई झगड़ा नहीं था, सहाई देवी हो ।

जैसा कि इतिहास के पाठकों को ज्ञात है, वारेन हेस्टिंग्स को शासन में सहायता करने को एक सभा (Council) थी जिसके २ सदस्य थे । इन सदस्यों में सर फिलिप्स फ्रान्सिस का नाम विशेष उल्लेखनीय है । ये वड़े निष्पक्ष और भारत हितैषी थे । वारेन हेस्टिंग्स के अछाचार पूर्ण शासन का ये सदा जोरदार विरोध किया करते थे । इन्होंने महाराजा नन्दकुमार के एक पत्र को, जिसमें वारेन हेस्टिंग्स की रिश्वतगोरी के प्रमाण थे कौंसिल के सामने रखा । इस पर वारेन हेस्टिंग्स बड़ा क्रोधित हुआ और उसने कौंसिल से सुजे तौर से कहा कि उसे उक्त विषय पर विचार करने का कोई अधिकार नहीं है ।

इतना ही नहीं वारेन हेस्टिंग्स ने उल्टा नन्दकुमार पर जासी दस्तावेज बनाने का आरोप लगाया और कलकत्ता की सुप्रीम कोर्ट में उन पर मुकद्दमा चलाया । उस समय सर एलिया इम्पे (Sir Elijah Impey) उक्त न्यायालय के प्रधान न्यायाधीश था । वह वारेन हेस्टिंग्स का मित्र व सहपाठी था । उसने न्यायान्याय व स्थानीय कानून का कोई खिदाज न कर महाराजा नन्दकुमार को फाँसी की सजा दे दी । यहाँ यह

बात ध्यान में रखना चाहिये कि तत्कालीन स्वदेशी कानून में जाली इस्तावेज के लिए फासी का विधान नहीं था। कई निष्पक्ष इतिहास-लेखकों ने तो इस पत्र को जाली भी नहीं बताया है वरन् यह सारा महाराज नन्दकुमार को फासने का पट्ट-यन्त्र था।

जब महाराजा नन्दकुमार को फासी दी जाने वाली थी, तब घटना-स्थल पर हजारों लोगों आदमी जमा हो गये थे। ज्यों ही उन्हें फासी के तख्ते पर ले जाया गया कि चारों तरफ हाहाकार मच गया। कई लोग दुःख में बेहोश हो गये। दुःख और शोक का गहरा सन्नाटा छा गया। इसका हृदयद्रावक वर्णन Trial of Maharaja Nand Kumar नामक ग्रन्थ में बड़े मर्मस्पर्शी शब्दों में किया गया है।

टालबोय्स (Talboys), व्हीलर (Wheeler), कोल्ब्रुक (Cole brooke) आदि अंग्रेज इतिहास-लेखकों ने वारेन हेस्टिंग्स के अत्याचारों और विश्वासघातों का मार्मिक विवेचन किया है। उसने अथर्व की प्रेमों पर जो पाशविक अत्याचार किये, उनका वर्क महोदय ने ब्रिटिश पार्लियामेन्ट के सामने दिख दहलाने वाला चित्र खींचा था। इन अभियोगों के लिए ब्रिटिश पार्लियामेन्ट में जो मुकद्दमा चला, उसमें वर्क और सेरेडान के जो व्याख्यान हुए वे अंग्रेजी साहित्य के इतिहास में एक अनमोल देन माने जाते हैं। इनके हृदयस्पर्शी व्याख्यान सुनकर— वारेन हेस्टिंग्स के भीषण अत्याचारों की कथा सुनकर—कई महिलाएँ बेहोश होकर गिर पड़ीं। इंग्लैंड में सन्नाटा छा गया। पर राजनैतिक दृष्टिकोण सामने रखकर वारेन हेस्टिंग्स इन अभियोगों से मुक्त कर दिया गया। पर इन पापों का प्रायश्चित्त उसे कुछ न कुछ भोगना पड़ा और अत्यन्त दरिद्रावस्था में उसका प्राणान्त हुआ।

कोल्ब्रुक (Cole brooke) नामक एक महान् इतिहास-लेखक ने लिखा है 'Warren Hastings's yoke was the heaviest that ever conquerors put upon the necks of conquered nations'

# उद्योगधन्धे और व्यापार का नाश।



इस दृष्टिदया कम्पनी के नीकरी ने विविध प्रकार के व्यापारों से, भारत की व्यापार सम्पत्ति को किस प्रकार लूटा, इस का दिग्दर्शन हम करा चुके हैं। उगसे पाठकों को यह ज्ञात हुए बिना न रहा होगा कि मनुष्य अपना स्वार्थ के लिये कैसे कैसे नीच कार्य करने पर उतारू हो जाता है। अब हम यह दिखलाना चाहते हैं कि हमारे उद्योग धन्धों का किस प्रकार नाश किया गया। किस प्रकार हमारा भारतवर्ष औद्योगिक शिखर ने नीचे गिराया गया। कितने ही लोग शायद यह कह सकते हैं कि भारत के उद्योग धन्धे विदेशी कारखानों के बने हुए मालका मुकाबला न कर सकने के कारण अपनी मौत आप भर गये थे। विदेशों में शक्तिशाली यन्त्रों का आविष्कार हुआ और उगसे इतना सस्ता माल निकलने लगा कि भारतीय माल उनकी बराबरी न कर सका और यही उसकी अधोगति का कारण हुआ। हम किसी अंश तक इस बात को मानने के लिये तैयार हैं कि चिंतायत के शक्तिशाली यन्त्रों के द्वारा बने हुए माल का मुकाबला न कर सकने के कारण भारत के उद्योग धन्धों को चोट पहुँची। पर जिन लोगों को इन यन्त्रों के आविष्कार होने का हाल मालूम है, वे जानते हैं कि इन यन्त्रों की सफलता का कारण भारतवर्ष ही था। अगर भारत के उद्योग धन्धों पर अनुचित प्रहार न किये जाते और इन यन्त्रों के द्वारा बना हुआ माल भारत न खरीदता तो वे यन्त्र अपनी मौत आप भर जाते। इन यन्त्रों के आविष्कार के पहले ही भारत के उद्योग धन्धे उद्योगधन्धों पर किस किस प्रकार आघात पहुँचाये गये, इसका सुस्पष्ट एवं वृत्तांत हम पाठकों को सुनाते हैं। हम पहले यंत्र के आरोधन की लेते हैं।

## वस्त्र-व्यवसाय को कैसे नष्ट किया गया

हजारों वर्षों के पहले जब कि हमारे आधुनिक युरोपियन लोग निरी बंगली श्रवस्था में थे और वृत्तों के पत्तों से अपने बदन को ढाकते थे, उस समय भारतवर्ष औद्योगिक संसार में सर्वोपरि शासन ग्रहण किये हुए था। यहां के उद्योग धन्धे- उन्नति की चरम सीमा पर पहुँचे हुए थे। यहां का विविध प्रकार का पका माल किस प्रकार विदेशों को जाता था और किस प्रकार अटूट द्रव्य यहां आता था, इसका कुछ दिग्दर्शन हम पूर्व के किसी अध्याय में करा चुके हैं। भारतवर्ष में, अन्य उद्योग धन्धों की तरह, वस्त्रों का कारोबार भी अत्यन्त उन्नत अवस्था को प्राप्त हो रहा था। संसार के बाजार यहां के बने हुए बड़िया वस्त्रों से भरे रहते थे। हजार पांच सौ वर्ष की तो बात ही क्या, अति प्राचीन काल वैदिक युग में भी लोग कपड़ा बुनना भली भांति जानते थे। ऋग्वेद के एक मन्त्र (१।२२।१६१) में ताने बाने का स्पष्ट उल्लेख है। ऋग्वेद के १०।१००।६ तथा १।२१।२१ मन्त्रों में अच्छे अच्छे वस्त्र पहनी हुई सुन्दरियाँ और सुन्दर बने हुए वस्त्रों का उल्लेख है। इससे अनुमान होता है कि कपड़े बुनने की कलायें उस समय अच्छी उन्नति पा चुकी थीं। महाभारत के समय में भी वस्त्रों का उद्योग बहुत बढ़ा चढ़ा था। महाभारत में लिखा है—

मणि रत्नानि भास्त्रान्ति कार्पास सूक्ष्म वस्त्रकं ।

चोल पाण्ड्यावपि द्वारं न लेभति ह्यु पस्थितौ ॥

इस श्लोक से पाठकों को यह मालूम हुआ होगा कि महाभारत के समय में भारतवर्ष में रुई के बारीक और मुलायम कपड़े बनाये जाते थे और चोल व पाण्ड्य देश इन के लिये विशेष प्रसिद्ध थे। इसी प्रकार महाभारत के समय में उत्तर भारत के प्रान्त उन और रेशम के मुलायम और बारीक वस्त्र तैयार करने के लिये मशहूर थे। ये वस्त्र विविध प्रकार

के सुमनोहर रंगों से रंगे भी जाने थे और उन पर कलाकृत का बर्णना काम भी किया जाता था ।

याकनीकि रामायण में भी सुमनोहर, मुलायम और बारीक बर्णों का कई स्थानों पर वर्णन आया है । भारतवर्ष के अन्य प्राचीन ग्रन्थों में भी इस प्रकार के कई वर्णन आये हैं, जिनमें यह प्रतीत होता है कि हजारों वर्ष पहिले भी हमारे यहां बर्णिया से बर्णिया सुन्दर वस्त्र काम में लाये जाते थे ।

कई प्राचीन ग्रीक और रोमन ग्रन्थकारों के ग्रन्थों से भी यह बात सिद्ध होती है । एक ग्रीक इतिहास वेत्ता ने स्वीकार किया कि ईसा के १७०० वर्ष पहिले हिन्दुस्तान में वस्त्र बनाने का उद्योग तरकी पर था और हिन्दुस्तान का सूती वस्त्र बनाने का उद्योग उतनाही प्राचीन है जितना इजिप्त का ऊनी वस्त्र बनाने का उद्योग है । ग्रीस से हीराहोट्स नामक एक मशहूर प्रवासी ईसा के ४२० वर्ष पहिले भारतवर्ष में आया था । उसमें लिखा है कि भारतवासी अक्सर रूई के बने हुए बर्णिया और मुलायम कपड़े पहनते हैं । सुप्रसिद्ध इतिहासवेत्ता स्ट्रैबो लिखता है कि 'हिन्दुस्तान में अत्यन्त प्राचीन काल से रंग विरंगी छीटें, बर्णिया और मुलायम मलमलों और सुन्दर रंग बनते थे । येन नामक इतिहास वेत्ता ने तो यह मुक्तकण्ठ से स्वीकार किया है कि—

"The birth place of cotton manufacture is India where it probably flourished long before the dawn of authentic history" अर्थात् रूई से बनाये जानेवाले माल का जन्मस्थान भारतवर्ष है और प्रमाणभूत इतिहास काळ के बहुत पहिले ही यह उद्योग तरकी पर पहुँचा हुआ था ।

प्रायन नाम का एक ग्रीक प्रवासी जो ईसा की पहली का दूसरी सदी में हुआ, उसने अपने "The circum-navigaton

of the Erysthean sea" नामक ग्रन्थ में हिन्दुस्तान के यदिया और सुन्दर वस्त्रों की बड़ी प्रशंसा की है। इस ग्रन्थ से यह भी मालूम होता है कि हिन्दुस्तान से छांटों, मलमलें और रई तथा रेशम के बने हुए विविध प्रकार के वस्त्र अरबस्थान आदि दूर दूर देशों को जाते थे। इस समय मङ्गलीपट्टम रई के वस्त्रों के लिये संसार भर में प्रसिद्ध था। बङ्गाल में जैसी यदिया मलमलें बनती थीं उस समय संसार के किन्हीं भी देश में वैसी यदिया मलमलें नहीं बनती थीं। ग्रीक लोग यहां की बनी हुई मलमलें खरीदते थे। इन मलमलों को ग्रीक लोग "Gangli" के नाम से पुकारते थे क्योंकि गंगा नदी के किनारे ये बनती थीं।

बौद्धकाल में यहाँ यदिया मलमलें और विविध प्रकार के सूती और रेशमी वस्त्र बनने के उद्देश मिलते हैं। सुप्रसिद्ध इतिहासवेत्ता थार्नटन ने अपने इतिहास में लिखा है कि "बुद्ध ने धार्मिक लियों को घारीक-मलमल के बख पहनने से मना किया था, क्योंकि उन्होंने गंगा नामक एक स्त्री को मलमल के बखों में नग्न देखा था"। अर्थात् मलमल के रूपदे पहनने पर भी वह स्त्री नगी सी दील पड़ती थी।

सूत जो यहाँ बनता था उसके १७५ गज लम्बे टुकड़े का बोझ केवल एक रत्ती होता था। एक बार केवल आध सेर रई में २५० मील लम्बा सूत काता गया था। एक मलमल का धान जो एक बांस की छोटी नली से निकाल लिया जाता था, वह अम्बारी सहित हाथी को पूर्णतः ढरू सकता था। कितने ही मलमल के धानों का तोल साठे आठ तोला होता था। यह धान १० गज लम्बे और आठ गिरह चौड़े होते थे और अंगूठी में होकर सहज ही निकाले जा सकते थे। ❀

हिन्दुस्थान से सूती कपड़ा बनाने की कला प्रथम ही प्रथम अरबस्थान को गई। अंग्रेजी शब्द "Cotton" अर्थात् शब्द "क्वेटन" का विगड़ा

❀ इनका मूलान्त चीनों की प्राचीन पुस्तकों में मिलता है।



दृष्टा व्य है । मार्को पोको कहना है कि गंगा नदी के किनारे के प्रदेशों में कपास विपुलता से पैदा होता है । वहाँ कपास का माछ की विपुलता से बनता है ।" तेरहवीं सदी में स्पेन के वस्त्र बनाने की कला चीन को गई और चीन में आपान गई । दसवीं सदी में वह स्पेन गई और चौदहवीं में स्पेन में इटली को गई । मुसलमानों ने इस्पात तकनिका में प्रचार किया । इस प्रकार हम कच्चा का प्रचार मात्रें संसार में दृष्टा, पर यह न भूलना चाहिये कि इसका जन्म स्थान भारतवर्ष ही था । येन प्रभृति इतिहासवेत्ता इस बात को मुत्तकपट से स्वीकार करते हैं ।

तीसरी सदी में वहाँ कुछ अर्थ प्रयासी आये थे । उन्होंने वहाँ की बनी हुई मछमछों की बड़ी तारोफ की है । उन्होंने लिखा है कि इस "हिन्दुस्थान में हमने अस्माधारण सुन्दर वस्त्र बनते हैं कि जितने कहीं नहीं देने आते । एक मछमछ का थान एक छोटी सी द्विधिया में ममा सकता है ।" तेरहवीं सदी में मार्को पोको नामक प्रयासी आया था, उसने लिखा है "मच्छली पटन में सबसे उम्दा और सर्वोत्तम सुन्दर पैसी बढिया मछमछें बनती हैं कि जैसी संसार के किसी भी देश में नहीं बनती ।" मुराखों के शासन-काल में भी वस्त्र बनाने का उद्योग यदी सराहों पर था । सम्राट् चकवर ने भारत के शिल्प याचिज्य को यदा प्रोत्साहन दिया था । स्वर्गीय संक्रिमचन्द्र खादिदी ने अपने "सम्राट् चकवर" नामक ग्रन्थ में लिखा है :—

"सम्राट् चकवर ने शिल्प की भी बहुत उन्नति की थी । भारत के सर्व प्रकार के शिल्प को उम्माह प्रदान किया था । दरी बनाने के लिये बहुत से म्यानों पर राजकीय शिल्पशालायें में ऐसी सुन्दर दरियाँ, सोपे और बन्दूकें तैयार होती थीं कि वैदेशिक अमन्य अपने पालों को देखकर आश्चर्य होता था । सम्राट् ने भारत में रेशम और परामने के वस्त्र बनाने के काम को भी बहुत उन्नत अवस्था पहुँचाया था । काश्मीर और खादीर में शाल के (धुराले) उद्योग की उन्नति के लिये बहुत से टपाय व्यवस्थान किये थे । रेशमों राजकीय शिल्प-

शास्त्राओं में बहुत सी वस्तुएं राजकीय व्यय और तत्वावधान से प्रस्तुत होती थीं।" बाहशाह शाहजहाँ ने भी भारतीय शिल्प को अच्छा प्रोत्साहन दिया था। औरंगजेब ने यद्यपि हिन्दुओं पर कई प्रकार के जुल्म किये थे पर उसके जमाने में भी उद्योग धन्धों की हालत बड़ी बढ़ी थी। उस जमाने में कितनी बढ़िया मलमलें बनती थी, इसका परिचय निम्न लिखित दृष्टान्त से होगा। एक समय सम्राट् औरंगजेब की लड़की रोशनधारा अपने पिता के सामने ढाके की बनी हुई मलमल की २० पट की साडी पहने हुए आई। वह मलमल इतनी बारीक थी कि चांस पट लगाने पर उसका बदन ज्यों का त्यों दीखता था। औरंगजेब बड़ा नाराज़ हुआ और गुस्सा खाकर कहने लगा.—“दे बेशर्म और बेहया! मेरे सामने नगी क्यों आई है? मेरी आंखों की थोट से एक दम हट जा।” इस बात से पाठक जानते हैं कि औरंगजेब के शासन-काल में भी यहाँ कितनी बारीक, और बढ़िया मलमलें बनती थीं।

इसके बाद भी यह उद्योग ज्यों का त्यों उन्नतावस्था पर बना रहा। कई अंग्रेज लेखकों ने मुक्तकण्ठ से यह स्वीकार किया है कि अठारहवों मदी तक यह उद्योग बड़ी अच्छी तरह चलता रहा था। सुप्रसिद्ध इतिहासवेत्ता मि० बेन ने लिखा है कि सन् १७३२ तक रुई के वस्त्र केवल पान्त विशेष ही में नहीं बनते थे, पर सारे हिन्दुस्थान में बनते थे। यहाँ रुई उसी तादाद में पैदा होती थी, जिस तादाद में अन्न पैदा होता था। बंगाल उमदा और बढ़िया मलमलों के लिये मशहूर था। कारोमण्डल के किनारे का मुल्क बढ़िया छोटों के लिये प्रख्यात था। सुरत मजबूत कपड़ों के लिये प्रसिद्ध था। मच्छलीपट्टम में बढ़िया रुमाक बनते थे। कृष्णानदी के किनारे के मुल्क में बढ़िया रंग तैयार होता था।

धौतों (Chintzes और Gingham) के तैयार करने में मच्छलीपट्टम की बड़ी नामवरी थी। लंबे कपड़े और छोटे कोट (petticoats) मद्रास से आते थे। इनके घटिरिक्त अनेक प्रकार के और

विशेष भौतिक से भारतीय वस्त्र पश्चिमी और युरोप के बाजारों में मशहूर थे ।" यह धर्मज इतिहासयोग्यता बनना पड़ा है । हममें पाठक समझ सकते हैं कि अठारहवीं सरी तक बने हुए माल की संसार भर में कितनी कद्र भी और किन्तु प्रसार भारत के उद्योगधन्धे उद्योग की वरम सीमा तक पहुँचे हुए थे ।

बंगाल से रॉयल एशियाटिक सोसायटी का एक जनरल निकलता है । इसमें बड़े ही प्रमाणभूत अन्वेषणात्मक ऐतिहासिक लेख निकलते हैं । इसके मन् १८३० के एक अंक में हिन्दुस्तान की बनी हुई मलमल के मूल्य पर डाक्टर याट सादृश से एक लेख लिखा था । उसमें धारण लिखा था कि मन् १७७६ में सबसे बढ़िया मलमल की कीमत २६ पौंड थी । एक पौंड लगभग १२) का होता था । इस हिसाब से ७४०) रूपय हुए । पाठक सोच सकते हैं कि हिन्दुस्तान में कितनी बढ़िया २ मलमल तैयार होती थी । क्या आजकल की मन्नों की बनी हुई बढ़िया से बढ़िया लक्ष्मणायर की मलमल इसकी बराबरी कर सकती है ? हिन्दुस्तान की बनी हुई मलमलें और अन्य वस्त्रों की प्रशंसा कई धर्मजों ने मुक्त कथन में की है । मि थॉर्नटन कहते हैं —

‘The Indian Muslins are fabrics of unrivalled delicacy and beauty’ अर्थात् हिन्दुस्तानी मलमलें इतनी सुखापन और सुन्दर होती हैं कि उनकी बराबरी नहीं हो सकती ।” मि० एडकिनस्टन लिखते हैं —

“The beauty and delicacy of which was so long admired and which in fineness of texture has never been approached in any country” अर्थात् इन मलमलों के सुखापन और सुन्दरता की बड़े चर्चों से तारीफ़ हो रही है । इनकी बनावट इतनी उमदा है कि कोई देश इनके बराबरी को

मजदमलें तैयार नहीं कर सका । एन साइक्लोपीडिया ब्रिटानिका में लिखा है:—

The exquisitely fine fabrics of 'cotton have attained to such perfection that the modern art of Europe with all the aid of its wonderful machinery 'has never yet rivalled in beauty the product of the Indian loom.' अर्थात् रुई के सौंदर्यशाली वस्त्र इतनी पूर्ण अवस्था पर पहुँच गये थे कि यूरोप की आधुनिक कला, सब प्रकार की अद्भुत् मशीनरी की सहायता होते हुए भी हिन्दुस्तान के चरखे से बने हुए वस्त्रों के मुकाबले के बन्ध नहीं बना सकी । इस प्रकार अनेक पाश्चात्य सज्जनों ने यहाँ के बने हुए अपूर्व और अद्वितीय वस्त्रों की मुक्त कण्ठ में प्रशंसा की है । येन ने अपने इतिहास में लिखा है कि हिन्दुस्तान की इन निहायत नाजुक और बारीक मजदमलों के लिये यूरोप में कई लोगों का यह खयाल हो गया था कि इनकी बुनावट मनुष्यों के हाथ से नहीं हुई है, पर ये मकड़ी जैसे कीड़ों की बुनावट के फल हैं ।

हिन्दुस्तानी मजदमलों का और रेशमी कपड़ों का इंग्लैंड और अन्य पाश्चात्य देशों में इतना व्यापक रूप से प्रचार हो गया था कि सन् १६६६ में एक अंग्रेज लेखक ने इस बात पर बड़ा दुःख प्रकाशित किया है कि इंग्लैंड के सब लोग साधारणतया हिन्दुस्तान के बने कपड़े पहनने लग गये हैं । सन् १७०८ में डेनियल डेफो ( Daniel Defoe ) ने अपने एक समाचार-पत्र में इस आशय का एक लेख लिखा था:—

“इंग्लैंड के लोगों की प्रवृत्ति पूर्व के बने हुए वस्त्रों की ओर जाती है । हिन्दुस्तानी धाँटे और छपे हुए कपड़े पहली कड़ों आदि बनवाने ही में काम में लिये जाते थे, पर अब हमारी महिशाएँ तक इन्हें पहनने लग गईं हैं....., औरों की तो बात ही क्या, सुद इंग्लैंड

की गीनी चीना मिश्र और हिन्दुस्तानी धातों पर बना पम्पू करती है। इस वस्तु चारों ओर हिन्दुस्तानी कपड़ा नजर आ रहा है। हमारे बस्ता-गाना में, हमारे बेग्वार में, हमारे घरों में लगे हुए पर्दों में, हमारे बिछीन में और लकड़ियों में, हमारे बच्चों व दिवियों की पोशाक में, चारों ओर हिन्दुस्तान के बने हुए वस्तु नजर आते हैं। प्रायः सब कपड़ा हिन्दुस्तान में बना है। ( Almost every thing that used to be made of wool or silk relating either to the dress of our women or the furniture of our houses was supplied by Indian trade )

कहने का मतलब यह है कि एक समय इंग्लैण्ड आदि पाश्चात्य देशों के बाजार हिन्दुस्तानी पक्के माल से भरे रहते थे। ईस्ट इण्डिया कंपनी हिन्दुस्तानी माल के ब्यापार में विलायत में सैम्बा २५ तक नाफ कमाती थी। इतने पर भी विलायत में हिन्दुस्तानी माल बहुत सस्ता बेचा जाता था। यह बात विलायत वालों को खटकने लगा। उन्होंने देखा कि विलायत में हिन्दुस्तानी कपड़ों का शीक बढ़ता जा रहा है, लोग हिन्दुस्तानी कपड़ों पर येतदारा लट्टू हैं और हिन्दुस्तानी माल का प्रचार बे रोक टोक बढ़ने दिया गया तो इंग्लैण्ड का शीघ्रानिक अभ्युदय न हो सकेगा और हिन्दुस्तान मालामाल हो जायगा। इन्हीं सब बातों का विचार कर इंग्लैण्ड की सरकार ने हिन्दुस्तानी माल पर बहुत कड़ा महसूल लगा दिया। सुप्रसिद्ध इतिहास लेखक विलसन लिखते हैं:—

“The cotton and silk goods of India up to the period ( 1813 A D, ) could be sold for a profit in the British market at a price 50 to 60 percent lower than those fabricated in England It consequently became necessary to protect the latter

by duties of 70 and 80 percent on their value. Had this not been the case, had not such prohibitory duties and decrees existed, the mills of paisley W Manchester would have been stopped in their outset, and could scarcely have been set in motion even by power of steam. They were created by sacrifice of the Indian manufacture. Had India been Independent, she would have retaliated, would have improved prohibitive duties upon British goods and would thus have preserved her own productive industry from annihilation. This act of self-defence was not permitted to her; she was at the mercy of the stranger. British goods without paying any duty and the foreign manufacturer employed the arm of political injustice to keep down and ultimately strangle a competitor with whom he could not have contended with equal terms." इसका सारांश यह है कि हिन्दुस्तान का सूती और रेशमी माख सन् १८१३ तक ब्रिटेन के बाजारों में इंग्लैण्ड के बने हुए माख के मुकाबले में मैकड़ा पोछे ५० या ६० रुपये सैकड़े कम मूल्य पर बेचा जा सकता है और इसीलिये विलायती माख की रफा के लिये ७० से ८० तक भारत के कपड़ों पर महसूल लगाना आवश्यक प्रतीत हुआ। अगर ऐसा न किया जाता, अगर हिन्दुस्थानी माख के रोक के लिये यह महसूल न लगाया जाता तो पैसले (Paisely) और मैनेस्टर के कारखाने शुरू ही से बन्द हो गये होते और भाष की शक्ति से भी शायद ही फिर चले होते। वे भारत की कारीगरों और वाणिज्य का ध्वंस करके ही बन्दे किये गये हैं या जिल्लिये रखे गये हैं। अगर हिन्दुस्तान स्वाधीन

दाता तो वह हमरा बदला सुनाता और वह भी मिट्टिया माल के रोक लिये महसूल लगाता और हम तरह अपने उद्योग धर्मों को मास होने में बचा लेता । हिन्दुस्थान को आगरा का मीठा नहीं दिया गया । वह विशेशियों में दया का भिलारी था । मिट्टिया माल बिना किसी प्रकार के महसूल के उम पर लादा गया और विदेशी कारीगरों ने राजनैतिक अन्वय के शत्रु का व्यवस्थान कर हमें ( भारत के उद्योग को ) नीचे गिरा दिया गया और अंत में उसके बराबरी में खरा न हो सकने के कारण उमड़ा गला घोट दिया ।”

पाठक ! एक अंग्रेज ही के खिल हुए पृथान्त से अनुमान कीजिये कि हमारे उद्योग धर्मों और व्यापार के साथ इंग्लैंड ने कैसा मुलूक किया । हमारे धर्मों से जाने वाले माल पर तो मैकदा ८० और पीछे जाकर ८२ तक कर बैठाया गया और वहाँ से जाने वाले माल पर नाम मात्र का २॥ ६० मैकदा या कुछ भी कर न रखा गया । मसालावार प्रान्त में क्यालि को नामक छँट का कपड़ा बनता था और बहुत तादाद में विजापत जाता था । परन्तु हम अन्वय को नारा करने के लिये भी पहले देड़ घाने से तीन घाने फी गज महसूल बैठाया गया । जय इतने से भी काम न चला अन्वय तो सन् १७२० ईसवी में कानून बनाया कि जो लोग विजापत में हिन्दुस्थानी क्यालिको ( छँट ) को बेचेंगे उनपर २० पींड यानि २०० रुपया और जो खरीदेंगे उनपर पचास रुपया जुर्माना होगा ।

आश्चर्य यह है कि इतने पर भी हिन्दुस्थानी माल की आयात न रुकी । इस पर और भी कड़े कानून बनाये गये । हर तरह से हिन्दुस्थानी माल को रोकने का प्रयत्न किया गया और मिट्टिया माल का हिन्दुस्थान में ये रोक टोक प्रचार होने दिया गया । इंग्लैंड की देला देली यूरोप के देशों ने भी हिन्दुस्थानी माल को रोकने के लिये हमी प्रकार के कड़े कानून बनाये और उस पर इतना भारी महसूल लगा दिया कि वह वहाँ न जा सके । येन ने लिखा है —

“Not more than a century ago, the cotton fabrics of India were so beautiful and cheap that nearly all the governments of Europe thought it necessary to prohibit or load them with heavy duties to protect their own manufactures” अर्थात् हिन्दुस्थान के वस्त्र इतने मस्ते और सुन्दर थे कि कोई एक सदी का भी असा न हुआ होगा कि युरोप के तमाम सरकारों ने अपने शिल्प की रक्षा के लिये हिन्दुस्थान के सूती वस्त्रों को रोकना या उन पर भारी महसूल लगाना आवश्यक समझा ।’ इंग्लैंड हिन्दुस्थानी वस्त्रों पर दिन प्रति दिन किस किस प्रकार महसूल बढ़ाता गया, इसकी एक तालिका हम यहाँ के लेख के आधार पर नीचे प्रकाशित करते हैं —

सन् ।	सफेद छीटों प्रति सैकड़ा टेक्स ।	मलमलों पर फी सैकड़ा टेक्स
	पौंड शि०	पौंड शि०
१७८७	१६—१०	१८—०
१७९७	१८—३	१६—१६
१७९८	२१—३	२२—१६
१७९९	२६—९	३०—३॥
१८००	२०—१	३०—१२॥
१८०३	२९—१।	३०—१८॥
१८०४	६२—१२॥	३४—७
१८०६	६६—१८	३२—०
१८०९	७१—१३	३७—६
१८१३	८२—२	४४—६

उपरोक्त तालिका में पाठकों को यह मालूम हुए बिना न रहा होगा कि हिन्दुस्थानी छीटों पर ८२ प्रति सैकड़ा तक महसूल बढ़ाया गया



या । इससे हिन्दुस्तानी लोगों के उद्योग को किस प्रकार हानि पहुँची होगी इसका अनुमान पाठक स्वयं कर लें ? सचमुच हिन्दुस्तान के व्यवसाय का आधा-आधा भाग गला घोंटा गया । इंग्लैण्ड के व्यवसायी लोग हिन्दुस्तानी माल पर भारी से भारी महसूल खगवाकर और हिन्दुस्तान में बिना महसूल दिये माल बेचने का प्रयत्न कर इंग्लैण्ड के व्यापार को बढ़ाने का प्रयत्न करने लगे । उस समय अगर उन्हें किसी बात की चिन्ता थी तो यही थी कि किसी प्रकार हिन्दुस्तान में विलायती माल का आयात रोक दिया जाय । हाउस आफ् कामन्स की सिलेक्ट कमेटी के सामने जॉन रेकिंग नामक एक अंग्रेज व्यापारी ने सन् १८१३ में अपनी गवाही में यह स्वीकार किया था कि हिन्दुस्तानी माल पर जो कड़ा महसूल और रोक लगाई गई है, उसका उद्देश्य हमारे उद्योग धंधों को रक्षित करना है ।

जान पड़ता है कि सन् १८१० में पार्लियामेण्ट की एक जांच कमेटी इसलिये बनी थी कि यह इस बात की जांच करे कि इंग्लैण्ड के कारीगरों के काम को किस प्रकार बढ़ाया जाय । यह बात उन प्रश्नों से साफ साफ मालूम होती है जो इसने उन लोगों से किये थे जो इसके सामने गवाही देने आये थे । पार्लियामेण्ट से यह प्रश्न किया गया था —

"From your knowledge of the Indian character and habits, are you able to speak to the probability of a demand of European commodities by the population of India, for their own use?"

अर्थात् हिन्दुस्तानियों के स्वभाव तथा आचरण के सम्बन्ध में आप की जितनी जानकारी है, उसके अनुसार क्या आप कह सकते हैं कि हिन्दुस्तानी लोगों के लिये युरोप की बनी चीजें खरीदना संभव है कि नहीं ? इसी प्रकार के प्रश्न सर जान मास्किन्गम, थामस मनरो आदि गवाहों से भी पूछे गये थे । इसके उत्तर में सभी ने प्रायः इस आशय के

वचन कहे थे "हिन्दुस्तान की बनी हुई चीजें ही हिन्दुस्तान की जरूरतों का पूरी कर सकती हैं। हिन्दुस्तानी बिलकुल विलास-प्रिय नहीं है। हिन्दुस्तानी मजदूर महीने में तीन या चार रुपये से अधिक पैदा नहीं कर सकते। हिन्दुस्तानियों में विलायती चीजों के आदर होने की सम्भावना नहीं है।" मर थामस मनरो ने इसी समय कहा था कि हिन्दुस्तानी माल-विलायती माल की अपेक्षा कई गुना अच्छा होता है। एक हिन्दुस्तानी शालको हम सात वर्ष से काम में ला रहे हैं और इतने दिन उपयोग में लाने पर भी उस में कोई विशेष परिवर्तन नहीं हुआ है।

हिन्दुस्तान की कारीगरी की और यहाँ के व्यवसाय को नष्ट कर विदेशी विलायती माल की खपत बढ़ाने के लिये और भी कितनेही घृणित और लज्जादायक उपाय किये गये। पाठक यह सुनकर आश्चर्य करेंगे कि इंडस्ट्रियल कम्पनी ने भारत की कारीगरी पर भी कड़ा महसूल लगा दिया था। लॉर्ड वेंटिंग के समय में इस विषय पर जो अनुसन्धान हुआ था, उससे यह प्रगट होता है कि विलायत का बना हुआ कपड़ा भारत में केवल मात्र २॥१० प्रति सैकड़ा महसूल देकर बेचा जाता था और भारत ही के बने हुए कपड़े पर भारत ही में १०॥१) रुपया प्रति सैकड़ा महसूल लगता था। देशी शक्कर पर विलायती शक्कर से इसी देश में ५) ५० अधिक महसूल लगता था। देशी चमड़े की चीजों पर इसी देश में १५) २० प्रति सैकड़ा महसूल देना पड़ता था। इस प्रकार भारत में तैयार होने वाली कोई २२५ प्रकार की कारीगरी की वस्तुओं पर बढ़ाही अनुचित महसूल लादकर भारत का औद्योगिक सत्त्वानाश किया गया।

हमने ऊपर अब तक विशेष तौर से कपड़े ही का विवेचन किया है, पर उर्म पाठ इ. स्लैयड की सरकार ने कपड़े के अतिरिक्त और भी कितनी ही हिन्दुस्तानी चीजों पर कड़ा महसूल लगाया था, उसका एक प्योरा नीचे प्रकाशित करते हैं—

नाम वस्तु	महसूल	नाम वस्तु	महसूल
विश्व कुवारा	७०) से २८०)	बकरे के ऊनकी चीरें	८४॥८)
हींग	२३३) से ६२२)	चगाई	८४॥८)
इलायची	१५०) से २६६)	मसखिन (तनजेब)	३२॥)
काफी	१०५) से ३७३)	ष्याखिकों	८१)
काखी मिर्च	२३६) से ४००)	कपाल का कपड़ा	८१)
चीनी	६४) से ३६३)	खाल	८१)
चाय	६७) से १००)		

रेशमी कपड़े की उस वक्त विस्त्रायत में जाने की विलकुल मनाई थी। यदि कोई रेशमी कपड़ा विस्त्रायत में मगाता था तो उसे विस्त्रायत के बंदर में उठने न देकर उसी घड़ी खौटते जहाज पर भारत में भेज दिया जाता था।

इन सब अत्याचारों और ज्यादतियों का फल यह हुआ कि दिन प्रतिदिन देशी शिल्प और ध्यवसाय की जड़ कटने लगी और उसके स्थान में विस्त्रायती भाख की आमद बढ़ने लगी। इसका फल यह हुआ कि सन् १७६४ में जिस भारत में १५६ पौंड से अधिक विस्त्रायती सूती कपड़ा नहीं आया था वहीं सन् १८०६ में १ लाख १८ हजार ४ सौ पौंड से भी अधिक विस्त्रायती सूती कपड़ा आया। इसके आगे भी विस्त्रायती कपड़े की आमद उन दिनों में बँसी बँसी बढ़ती गई और भारत की कम होती गई, उसकी एक साखिका नीचे प्रकाशित करते हैं।

सन्	विस्त्रायत से आया	विस्त्रायत को गया
१८१४	८१,२०८ गज	१२६६६०८
१८२१	१६१३८,७२६	२३४४६५
१८२८	४२८२२,०७७	४२२५०४
१८३३	२१७७७,२७७	३०६००६

इस तालिका से पाठकों को मालूम हुआ होगा कि उस समय विधायता माल की आमद किस प्रकार बढ़ती गई और भारत की आमद किस प्रकार घटती गई। सन् १८३५ के बाद तो यह और भी अधिक तीव्र गति से बढ़ने लगी। इसके बाद भारत में किस प्रकार विदेशी कपड़ा आया सो पाठक देखिये।

सन्	रुपयों का कपड़ा आया
१८८४-८५	२४५६१०४८३
१९०३-०४	३०८४२८४६५
१९११-१२	४२८८८००००
१९१२-१३	५३३०४००००
१९१५-१६	३७७६२५०००
१९१७-१८	५६५१५८०००
१९१८-१९	६०५५४८०००

महायुद्ध के पहले के सालों का हिसाब देखने से मालूम होता है कि उस समय करोड़ों रुपयों का अनाप सनाप कपड़ा आता था। महायुद्ध के कारण यह आमद महायुद्ध के पूर्व के वर्षों से बहुत कुछ कम हो गई थी, पर महायुद्ध समाप्त होते ही फिर किस प्रकार भारत में विदेशी कपड़ा और सूत बढ़ता जा रहा है यह उपरोक्त अंकों से स्पष्ट ज्ञात होता है। यद्यपि उपरोक्त अंकों में विधायत के सिवाय अन्य देशों से भी कपड़ा आया है पर औसतन सैकड़े पीछे ८० ६० का मास विधायत से ही आया है।

यह तो हुई भारत और इंग्लैंड के बीच के व्यवसाय की बात। इंग्लैंड की तरह अन्य पाश्चात् राष्ट्रों में भी भारत के मास की आमदनी कम होने लगी।

अमेरिका, डेनमार्क, स्पेन, पोर्चुगाल, मोरेस तथा एशिया खण्ड के दूसरे देशों में भी भारत के मास की आमदनी कम होने लगी। सन्

१८०१ में भारत से अमेरिका १३६३३ गाँठें कपड़ा गया था, सन् १८२६ में यह संख्या घटकर केवल २६८ रह गई। सन् १८०० ईस्वी तक डेनमार्क में प्रतिवर्ष कम बेश १७५० गाँठें कपड़ों की रफ्तानी होती थी, किन्तु सन् १८२२ के आगे यह संख्या केवल १५० रह गई। सन् १७६६ ईस्वी में हिन्दुस्थान से ६७१४ गाँठें पोर्तुगाल गई थीं, परं सन् १८२० में यह नम्बर १००० ही रह गया। मुहम्मद रजाव्ही के जमान में बन्नाली जुलाहे ६ करोड़ बहलियों की कपड़े सम्बन्धी आवश्यकता की पूर्ति करके भी १५ करोड़ रुपये के कपड़े विदेशों को भेजने से पर आग्र भेजना तो दूर रहा, करोड़ों रुपये के कपड़े विदेशों से यहाँ आते हैं और भारत वासियों की वस्त्र सम्बन्धी आवश्यकता अधिकांश रूप से विदेशी कपड़ों से पूर्ण होती है।

डाक्टर शुक्लानन्द ने कम्पनी की आज्ञा से सन् १८०७ में उत्तर भारत की कारीगरी और वाणिज्य की दशा जानने के लिये पटना, शाहाबाद, आदि स्थानों में पर्यटन किया था। उनकी जाँच से मालूम हुआ कि उस समय वहाँ २४०० बीघे जमीन में रूई की और १८०० बीघे जमीन में ईस्वी की खेती होती थी। वहाँ ३३०४३६ औरतें केवल सूत काठकर अपनी जीविका चलाती थीं। दिन भर में कुछ घण्टे काम कर ये १० लाख ८१ हजार ५ रुपये नफा पाती थीं। अंग्रेज व्यापारियों की ज्यादा तियों से महीन सूत की रफ्तानी रुकने के साथ ही साथ उनका व्यवसाय घटने लगा और उनके जीविका की जड़ कटने लगी। जुलाहे भी, यहाँ, कपड़े बुनकर वार्षिक स्वर्च का निर्वाह कर साढ़े सात लाख रुपया नफा का पाते थे। फतुहा, गया नवादा आदि स्थान टसर के लिये मराहूर थे। शाहाबाद में कोई १५६५०० स्त्रियाँ प्रतिवर्ष १२॥ लाख रुपया सूत काठ कर कमाती थीं। उस जिले में ७६५० करघे चलते थे। इसके अतिरिक्त कागज, शुगन्धित वस्तुपुं सेख, नमक आदि वस्तुओं का व्यवसाय भी बड़े जोर पर था। भागलपुर में चाँवल का भाव रुपये का ३७॥ सेर था। उस समय उस जिले में १२००० बीघे जमीन पर कपास की खेती होती

थी। वहाँ टसर बुनने के लिये ३२७५ करघे और कपड़ा बुनने के लिये ७२७६ करघे चलते थे। गोरखपुर में जहाँ १७५६०० खियां चरखे से सूत कातती थीं, वहा ६११४ करघों पर भी वस्त्र बुने जाने थे। २०० से ४०० तक नावें भी प्रतिवर्ष बनती थीं। इन सबों के अतिरिक्त वहाँ नमक और राक्षर बनाने के भी अनेक कारखाने थे। दीनाजपुर जिले में २६००० बीघे पर पटुआ, २४०० बीघे पर रूई, २४००० बीघे पर ईख, १५००० बीघे में नील और १५०० बीघे में तमाखू की खेती होती थी। इस जिले में १३ लाख से भी अधिक गायें और बैल थे। ऊँची जातियों की बहुतेरी विधवायें और किसानों की स्त्रियों सूत कात कर खर्च के अतिरिक्त ६१५००० रुपये फायदे में पाती थीं। यहा ५०० रेशम व्यवसायियों के घराने १२००००० रुपये नफे के पाते थे। यहा जुलाहे प्रतिवर्ष १६ लाख १४ हजार रुपये के कपड़े बुनते थे। मालदह जिले की मुसलमान स्त्रियों में सुई की कारीगरी का बहुत ही अधिक प्रचार था। सूत और कपड़े में भाँति भाँति के रंगों को चढ़ाकर हजारों मनुष्य अपना गुजर करते थे। इसके अतिरिक्त पूर्निया जिले में खिया प्रतिवर्ष लगभग ३ लाख रुपयों का बपास खरीद कर जो सूत कातती थीं, उससे उनको १३ लाख रुपये मिल जाते थे। वहाँ दरी, फीता आदि का व्यवसाय भी बड़ी तरकी पर था। अफसोस है कि कई प्रकार के कुटिल और अव्यापारी उपायों के द्वारा हमारा शिल्प वाणिज्य मिट्टी में मिला दिया गया और हमारा देश, जो एक समय औद्योगिक ससार का शिरोमणि था इसनी अधोगति की स्थिति को पहुँच गया कि आज उसे अपनी साधारण आवश्यकता की पूर्ति के लिये दूसरों का मुँह ताकना पड़ता है। ७५ वर्ष में अर्थात् सन् १७५७ से १८२६ तक के अर्से में हिन्दुस्थान की औद्योगिक इमारत निर्दयता के साथ गिरा दी गई !

जब कि इस औद्योगिक इमारत को गिराने की कुदिल चालें चली जा रही थीं, उस एक हिन्दुस्थानी कारीगरों ने अपनी औद्योगिक रक्षा के लिये कंपनी के अधिकारियों से बहुत प्रार्थनायें कीं और कहा कि जैसा मुलूक

विलायती माफ़ के साथ किया जाता है, बैमाही देशी माफ़ के साथ भी किया जाये, पर उनकी बात स्वीकृत न हुई। सन् १६३१ के लेके एवर मास में बंगाल के १७२ सज़नों ने विलायत को निम्न लिखित आशय का प्रार्थनापत्र भेजा:—

"हम बंगाल के नीचे सड़ी करने वाले, सूती और रेशमी कपड़ों वाले तथा इनका व्यवसाय करने वाले, धीमानों की सेवा में अत्यन्त लज्जत पूर्वक निवेदन करते हैं कि ग्रेट ब्रिटेन के एसर बंगाल में आजाने के कारण हमारा व्यवसाय नष्ट होला जा रहा है। ग्रेट ब्रिटेन का कपड़ा किसी प्रकार के महसूल दिये ही कसरत से यहाँ आता है हमारे व्यवसाय और उद्योग की रक्षा के लिये ग्रेट ब्रिटेन के बने हुए कपड़ों पर किसी प्रकार महसूल नहीं लगाया गया। इसके विपरीत बंगाल के बने हुए कपड़ों पर ग्रेट ब्रिटेन में अनाप सनाप महसूल लगाया गया है। हम धीमानों का ध्यान इन स्थितियों की ओर दिखाना चाहते हैं और हमें विश्वास है कि साम्राज्य के किसी हिस्से के उद्योगधर्मों की व्यवसाय मार्ग में बाधा न डाली जायगी। हम भी धीमानों से प्रार्थना करते हैं कि हमें भी वही इक़्त दिये जायें जो अन्यत्र ब्रिटिश प्रजा को प्राप्त है और हमें आशा है कि बंगाल के बने सूती और रेशमी कपड़ों को विलायत में बिना महसूल और रोक टोक के जाने की इजाज़त दी जायगी, जैसी ग्रेट ब्रिटेन के कपड़ों को बिना महसूल और रोक टोक के यहाँ आनेकी इजाज़त है.....हमें पूर्ण आशा है कि धीमान् अपनी उदारता को बड़ावेंगे और जातिपांति, देश और रंग का पक्षपात न कर धीमान् हमें ब्रिटिश प्रजा के इक़्त देंगे"। इस प्रकार के और भी कितने ही प्रार्थनापत्र भेजे गये थे, पर अक़मोल है कि एक को भी सुनवाई नहीं हुई। सुनवाई हो भी कैसे सकती थी क्योंकि इससे अंग्रेज़ कारीगरों और व्यवसायियों के स्वार्थ में हानि पहुँचने का डर था:—

जब भारतीय शिल्प की जड़ प्रायः कट चुकी, जब यहां के वस्त्र-व्यवसाय मृतप्रायः स्थिति को पहुँच गये और जब भारतीय धन से विलायत मालामाल हो चुका और यहां के कारखानों को उद्यति धरने की काफी खुशक मिल गई, जब वाष्पीय यन्त्रों के आविष्कार से रूब सस्ता माल निकलने लगा तब इंग्लैंडवालों ने सन् १८३६ ई० में उदारनीति की घोषणा कर स्वतन्त्र व्यापार-नीति (Free trade Policy) की श्रंगीकार किया। इससे भारत के घने माल पर जो अब तक महसूल देना पड़ता था वह खंद हो गया। यहां यह स्मरण रखना चाहिये कि जब तक इंग्लैंड के उद्योग-धन्धे अपरिपक्व अवस्था में थे और दूसरे देशों के उद्योग धन्धे का मुकाबला न कर सकते थे, तब तक उन्होंने केवल संरक्षण नीति (Protection) का अवलम्बन ही नहीं किया था, पर विविध प्रकार के कुटिल मार्गों का भी अवलम्बन किया था, जिसका विवेचन हम ऊपर कर चुके हैं। इसके बाद तो भारत में चारों ओर विलायती माल दीखने लगा। भारत का वस्त्र व्यवसाय पहले ही नष्ट हो चुका था और इस वक्त वह ऐसी पगु स्थिति में था कि वाष्पाय या विद्युत् शक्ति के द्वारा चलनेवाली मशीनों से घने-हुए वस्त्रों का किसी प्रकार का मुकाबला नहीं कर सकता था। इससे करोड़ों रुपये के विलायती वस्त्र भारत में आने लगे और भारत से इसके बदले में प्रचुर सम्पत्ति जाने लगी।

इस प्रकार विलायती सूत और वस्त्र का परिमाण बढ़ता गया। अगर युद्ध की बाधा न आती तो यह परिमाण कितना बढ़ जाता, इसकी कल्पना करना कठिन है।

जब इस प्रकार भारत का व्यापार धन विदेशों में जाने लगा तब कुछ लोगों की आँखें खुलीं और उन्होंने फिर विलायत से कलें मँगा कर कपड़े बनाने का काम शुरू करने का विचार किया। कोई साठ वर्ष पहले की बात है कि सन्वई निवासियों ने इस प्रकार का



प्रयत्न करना शुरू किया। जब अमराजा को इस बात का पता लगा तो उठें। एक नियम बना दिया कि विलायत से भारत में कुछ आदि मंगा। वे क्षिप अधिक महमूल देना होगा। इसके अलावा वहाँ पर विदेश म कलें मंगा कर कारखाना खड़ा करने में कितनी दिवसें उठानी पड़ती है उसका अंदाजा भी पाठक लगा सकते हैं, इन सब कठिनानुयों के होते हुए भी लोगों का ध्यान स्वदेशी कारोबार की ओर बढ़ने लगा और सन् १८८८ ई० में यह मिलें अच्छी तरह चलने लगीं और महीन धोतियां बनाने लगीं। पर अभाग्यवश इनका परिणाम यह हुआ कि भारत में महीन कपड़े बनाना असम्भव हो गया। एक बड़ी भारी विपत्ति का सामना और करना पड़ा। भारत वासियों की यह सफलता नृव कर विलायती व्यापारियों के कान खेदे हो गये और उन्होंने भारत सरकार पर दबाव डाल कर भारत में आने वाली अमेरिका की लम्बी नन्तु वाली कपाम की आमद रोकने के लिये उस पर ५) की सैकड़ा महमूल लगवा दिया और मिश्रकी रूई को भी भारत में आने से रूका दिया। इतना होना पर भी एक नयी विपत्ति धार सामने आई। सरकार ने यह कह कर कि आमदनी से खर्च ज्यादा हो रहा है इसलिये सन् १८९८ ई० में एक कानून पास किया कि देशी माल पर प्रति सैकड़े ३॥) २० टैक्स लगाया जाय। इस पर देश में बड़ा असंतोष फैला और लोगों ने साफ साफ कहा कि भारत सरकार की यह नीति केवल विलायती कारखाने वालों की रक्षा के लिये है जिससे देश में स्वदेशी प्रचार के बढ़ने से वहाँ का माल महंगा न पड़े अतएव इसे रद्द करने के लिये जगह जगह प्रस्ताव पास हुए। पर खेद है कि सरकार ने लोगों की बातों पर कुछ भी ध्यान न दिया। इसका नतिजा यह हुआ कि स्वदेशी माल पहने की अपेक्षा और महंगा हो गया। वहाँ पर पाठकों को यह भी ध्यान में रखना चाहिये कि देश में बनी हुई किसी धन्तु या कपड़े पर जो देश ही में बेचा जाता हो टैक्स लगाने का नियम पराधीन भारत को छोड़ कर और किसी अन्य उपनिवेश में नहीं था।

# ईस्ट इण्डिया कंपनी के शासन में समृद्धिशाली भारत दरिद्र हुआ ।



पह बात तो शायद कोई भी अस्वीकार न करेगा कि भारत की साम्प्रतिक और व्यापारिक कीर्ति सुनकर हमारे अमेज़ व्यापारीगण यहां आये थे । उस समय भारत कितनी उद्यत्तावस्था पर पहुँच गया था, इस बात का पता उन्हीं के लेखों से चलता है । लॉर्ड क्लाइव, जिसे भारत में अंग्रेजी शासन के प्रथम संस्थापक होने का श्रेय प्राप्त है, मुर्शिदाबाद शहर की समृद्धि का वर्णन करते हुए लिखता है —

“The city is as extensive, populous and rich as the city of London, with this difference that there are individuals in the first possessing infinitely greater property than in the last city” अर्थात् “यह नगर लंदन की तरह विस्तृत, जनकीर्ण और धनवान् है । इन दोनों शहरों में अन्तर केवल यही है कि पहले शहर ( मुर्शिदाबाद ) के लोगों के पास दूसरे शहर ( लंदन ) के लोगों की अपेक्षा बहुत ही ज्यादा सम्पत्ति है ।” सि० हावेल ने रिफार्म पैंफ्लेट के “Tracts of India” नामक पुस्तिका में लिखा है —

“In the year that Hyder established his sway over Mysore, Bengal the brightest jewel in the Imperial Crown of the moguls, came into British possession. Clive described the new acquisition as a country of inexhaustible riches and one that

could not fail to make its new masters the richest corporation in the world. Bengal was known to last as the Garden of Eden the rich Kingdom Here the property as well as the liberty of the people are inviolate" अर्थात् विम सख ईदरखली न मैसूर पर अपना आधिपत्य जमाया उसी साल मुगल साम्राज्य का सर्वोच्च रत्न-बद्राल मिट्टा के अधिकार में आया। क्लाइव ने इस नये राज्य को "अत्युत्तम सम्पत्ति का देश" तथा अपने नये स्वामियों को संसार में सबसे अधिक धनवान् बनाने वाला देश कहा है। पूर्व में बंगाल 'पूडन का बगीचा' अर्थात् समृद्धि शाली देश के नाम से मशहूर था। यहाँ के लोगों की मिलिक्रयत और स्व-धीनता अखण्ड थी। उस समय लोगों में कितनी सच्चाई और ईमानदारी थी उसका वर्णन आगे चल कर फिर हमी में किया गया है —

"If a bag of money or valuables is lost in this district the man who finds it hangs on a tree and gives notice to the nearest guard" अर्थात् हम जिले में यदि किसी व्यक्ति को धन की तथा अन्य बहुमूल्य वस्तुओं की थैली मिल जाती है, तो वह उसे किसी छूट पर छटका देता है और अपने पासवाले पहरेदार को उसकी सूचना दे देता है।" अलीवर्दीगाँ के शासन-काल में बद्राल की कैसी स्थिति थी इसके बारे में स्टुअर्ट 'संभव 'History of Bengal' नामक ग्रन्थ में लिखते हैं.—

"Such was the state of Bengal when Alivard Khan . . . assumed its Government Under his rule . the country was improved ment and conduct were the only passports to his favour He placed Hindus on an equality with musalmans, in

choosing ministers & nominating them to high military & civil command. The revenues instead of being drawn to the distant treasury of Delhi were spent on the spot”

इसका सारांश यह है कि अलीवर्दीखानों के शासनकाल में देश की अवस्था बहुत उन्नत हो गई थी। उसने हिन्दू और मुसलमानों को एक निगाह से देखा और शासन विभाग और फौजी विभाग के बड़े से बड़े पदों पर नियुक्त करने में भी हिन्दू मुसलमान का कोई भेदभाव नहीं रक्खा। जो कुछ प्रजा से कर रूप में धामद होती थी वह वहीं पर खर्च की जाती थी और देहली के खजाने में नहीं भेजी जाती थी।

यह तो हुई बंगाल में अलीवर्दीखानों के शासन काल की बात। इसके बाद, कोई दस वर्ष का भी अर्सा न हुआ होगा कि बंगाल में ईस्ट-इण्डिया कम्पनी का शासन हुआ। तब से उसकी स्थिति में परिवर्तन होने लगा। इस समय का हाल-खुद लार्ड क्लाइव ने लिखा है। यह लिखता है:—

“Every ship for some time had brought alarming tidings from Bengal. The internal misgovernment of the province had reached such a pitch that it could go no further” अर्थात् “कुछ अर्से तक हर एक जहाज बंगाल से भयभीत करनेवाले समाचार लाता था। प्रान्त का भीतरी कुशासन ऐसी हद तक पहुँच गया था कि जिसके पार वह जा ही नहीं सकता था।” स्टुअर्ट महोदय ने भी इस समय की भीषण स्थिति का हृदय-भेदक चित्र खिंचा है। उन्होंने कम्पनी के नौकरों के भीषण अत्याचारों को—उनकी रिश्वतखोरी को—उनके स्वार्थ साधन के नीचातिनीच कृत्यों को—अपनी “History of Bengal” नामक ग्रन्थ में बढ़ी अच्छी तरह दिखलाया है। उन्होंने एक जगह लिखा है:—

“The servants of the Company obtained for themselves a monopoly of almost the whole internal trade. They forced the natives to buy dear & sell cheap. They insulted with impunity the tribunals, the police and fiscal authorities... Every servant of British factory was armed with all the power of the company.... Enormous fortunes were thus rapidly accumulated at Calcutta while thirty millions of human beings were reduced to an extremity of wretchedness ..... Under their old masters ..when evil became unsupportable, the people rose and pulled down the Government. But the English Government was not to be shaken off. The Government, oppressive as the most oppressive form of barbarous despotism, was strong with all the strength of civilization.” अर्थात् कम्पनी के नौकरों ने देश के आन्तरिक व्यापार को अपने मुट्ठी में कर लिया था। वे यहाँ के निवासियों को महंगे भाव में खरीदने और सस्ते भाव में बेचने के लिए मजबूर करते थे। वे अदालत, पुलिस और अर्थ विभाग के अधिकारियों का स्वच्छन्दता से अपमान और बेइज्जती करते थे। ब्रिटिश फेक्टरी का मल्लिक नौकर कम्पनी के सब अधिकारों से सज्जित था। इस प्रकार कलकत्ते में इन खोगों ने अथवा सम्पत्ति इकट्ठी कर ली और लोग करोड़ मानव प्राणी दरिद्रता की घरम सीमा पर पहुँच गये। इन अभागों के पुराने स्वामियों के राजस्व में जब शासन अथवा हनीय हो जाता था, सब खोग उठते और वे उस सरकार को गिरा देते। पर अंग्रेज सरकार का आसन डोँचाडोँच नहीं किया जा सकता था। इस सरकार का शासन अथवा खेप्टाचारी शासन के समान अथवा चारी होते हुए भी सभ्यता की समरंति के साथ सुदृढ़ था।

ईस्ट इण्डिया कम्पनी के शासन में समृद्धिशाली भारत दरिद्र हुआ १८१

ईस्ट इण्डिया कम्पनी के आने के पहले अथवा भी अत्यन्त वैभव शाली अवस्था में था। लोगों पर बिना योग पड़े ही तीस लाख की की आमदनी हो जाती थी; पर जब इस पर भी ईस्ट इण्डिया कम्पनी के नौकरों का हथखण्डा चलने लगा, तब इसकी अत्यन्त दुर्दशा हो गई। उसकी आमदनी आधी रह गई। उस समय गवर्नर जनरल लॉर्ड हेस्टिङ ने लिखा था:—

“I fear that our encroaching spirit and the insolence with which it has been exerted has caused our alliance to be as much dreaded by all the powers of Hindustan as our arms. Our encroaching spirit, and the uncontrolled and even protected licentiousness of individuals, has done injury to our national reputation. Every person in India dreads a connection with us”

इसका भावार्थ यह है कि हिन्दुस्थान के सभी राष्ट्र जितना हमारे यत्न से डरते हैं उतना ही हमारे साथ सन्धि और मैत्री करने से डरते हैं। इसका कारण यह है कि हस्तक्षेप करने का हमारा स्वभाव है, और हम इस स्वभाव का छोटतन जिस प्रकार करते हैं उससे दूसरों का यत्न अपमान होता है। इस हस्तक्षेप करने की प्रकृति ने श्रीर कुछ व्यक्तियों की निरकुश स्पेच्छाचारिता ने, जिनकी हमारे द्वारा रक्षा होती है, हमारी जातीय कीर्ति को बड़ी हानि पहुँचाई है। भारतवर्ष का प्रथम मनुष्य हमारे साथ सम्यन्ध करने से पराता है।

Anquetil du Person नामक एक सज्जन ने ‘Gentleman’s magazine’ में सन् १७६२ में ‘Brief account of a voyage to India’ नामक लेख प्रकाशित करवाया था उसमें उसने मराठा-राज्य का हाल लिखा था:—

"When I entered the country of the Marathas I thought myself in the midst of the simplicity and happiness of the Golden age, where nature was yet unchanged and war & misery was unknown. The people were cheerful, vigorous and in high health and unbounded hospitality was an universal virtue, every door was open and friends, neighbours and strangers were alike welcome to whatever they found." अर्थात् जब मैंने मराठों के मुल्क में प्रवेश किया, तब मैंने अपने आपको स्वर्णयुग की सादगी और सुख के मध्य में पाया। मैंने देखा कि यहाँ प्रकृति में अब तक परिवर्तन नहीं हुआ है। बुद्ध और दुःख यहाँ अज्ञात हैं। लोग आनन्द चित्त सशक्त और स्वस्थ हैं। अजहल मिहमानदारी यहाँ सर्वसामान्य धर्म समझा जाता है। हर एक दरवाना खुला है और मित्रों, पड़ोसियों और अपरिचित लोगों का भी, जहाँ वे जाते हैं, वहीं स्वागत होता है। शिवाजी के खानदान में, चाहे आकर माधवराव भी तिहासनासीन हुए थे। उनके लिये प्रैन्ट दफ्तर अपनी "History of the Marathas" में लिखते हैं—

"He is deservedly celebrated for his firm support of the weak against the oppressive, of the poor against the rich for his equity to all अर्थात् उन्होंने जुल्मी के विरुद्ध कमजोर को और अन्यायियों के विरुद्ध गरीब को जो दृढ़ सहाय दिया तथा सबके साथ जो निष्पक्षता का बर्ताव किया, इसके लिये उनकी प्रशंसा की जाती है और वे उसके पात्र भी हैं।

इस समय हिन्दुस्थान के अन्य प्रान्तों से मराठों की सत्तनत की दशा अधिक उन्नत थी। माधवराव के दीवान रामशाही शुद्ध चरित्र और सादे मिजाज के थे। उन्होंने प्रजा की स्थिति सुधारने में अपनी

सारी शक्तियों का व्यय किया। इन्हें खोभ छू तक नहीं गया था। रियल्ट का छुट्टा इन्हें विलकुल न लगा था। ये हतने निलोभी और सादे थे कि ये अपने घर में केवल इतना ही अन्न रखते थे, जो एक दिन के लिये काफी हो।

पेशवा के राज्य में नाना फड़नवीस जैसे परम प्रजा हितैषी और अपूर्व प्रतिभा-सम्पन्न मुत्सदी हो गये हैं। याजीराव की नावालग्नी में इन्होंने कोई पच्चीस वर्ष तक शासन किया। इनके शासन-काल में प्रजा कैसी सुखी और समृद्धिशालिनी थी, इसका जिक्र सर जॉन माककमनी यों किया है—

“It has not happened to me ever to see countries better cultivated and more abounding in all the produce of the soil as well as in commercial wealth than the southern Maratha districts ..... Poona the capital of the Peshwa was a very wealthy commercial town.” अर्थात् मैंने दक्षिण मराठा प्रान्तों के समान कोई ऐसी देश नहीं देखे, जिनमें इनसे अच्छी खेती होती हो और जो खेती से उपजानेवाले पदार्थों से ज्यादा लबाबलव भरे हों या जिनमें इनसे ज्यादा व्यापारिक सम्पत्ति हो। तत्कालीन होकर राज्य की स्थिति के विषय में बयान करते हुए इन्हीं महाशय ने लिखा है—

“I was surprised . . . to find that dealing in money to large amounts had continually taken place between cities, where bankers were in a flourishing state, and goods to a great extent continually passed through the province. The insurance offices which exist through all parts of India... . . . had never stopped their operations.



I do not believe that in Malwa the introduction of our direct rule could have contributed more nor indeed so much to the prosperity to the commercial and the agricultural interests, as the re-establishment of the efficient rule of its former princes and chiefs. With respect to the southern Maratha district of whose prosperity I have before spoken

...I don't think either their commercial or agricultural interests likely to be improved under rule. Their system of administration on the whole is mild and paternal."

अर्थात् मुझे यह देखकर आश्चर्य हुआ कि नगरों नगरों के बीच बहुत विशाल परिमाण में पीले का व्यवहार सदा चलता रहता है। इहाँ के बँक्स भी उन्नति की अवस्था में हैं। इस प्रांत में माछ का आवागमन बहुत बड़ी तादद में सदा हुआ करता है। बीमा के आफिस, जो सारे हिन्दुस्थान में स्थित हैं, कभी अपना कारोबार बंद नहीं करते। मैं इस बात पर विश्वास नहीं करता कि हमारे शासन ने इस प्रान्त की उन्नति में विशेष सहायता पहुँचाई हो। केवल यही नहीं पहले के राजाओं का शासन फिर स्थापित हो जाने पर किसानों और व्यापारियों की समृद्धि में जो वृद्धि हो सकती है, उतनी भी हमसे नहीं हुई। दक्षिण के मराठी मुल्कों के लिये मैं पहले कह चुका हूँ। मैं स्याक

नहीं कर सकता कि उनकी सेती सम्बन्धी और व्यापारिक स्थिति हमारे शासन में सुधर सकती है। उनकी (मराठों की) शासन पद्धति नम और पितापुत्र की ही (Paternal) है।" आगे चलकर माछकम साइब ने राज्य की उस प्रशंसनीय सहायता का जिक्र किया है जो किसानों और व्यापारियों की उन्नति के लिये मुक्त हस्त से उदारता पूर्वक दी जाती थी। इन्हीं माछकम महोदय ने हमारे इन्दौर की परम पुण्यशीला

महारानी छहल्यावाइ के दिव्य और रामराज्य की यही ही प्रशंसा की है। उन्होंने लिखा है कि महारानी छहल्यावाइ यही ही प्रसन्न होती थी, जब वह अपने यहाँ के सराफों (Bankers) और किसानों को उद्यतावस्था में देखती थीं। कर्नल मातकम साहब ने श्रीमती महारानी छहल्यावाइ के राज्यकाल में साहूकारों और किसानों की समृद्धिवाली अवस्था को मुक्त कण्ठ से स्वीकार किया है। उन्होंने कहा है कि मालवे में उनका आदर्श शासन था।

इसके अतिरिक्त यरार के मराठा राजा के राज्य की भी इस समय बड़ी समृद्धिवाली और उद्यतावस्था थी। युरोपियन प्रवासियों ने इस प्रान्त के उन्नतिशील जिलों का, औद्योगिक पुरुषों का, उपजाऊ भूमि का, भव्य मन्दिरों का और विशाल व शानदार इमारतों का बड़ा बढ़िया चित्र खींचा है।

यह तो हुई मराठों के राज्य की बात, अब दूसरी ओर मुकिये। रिफार्म पैफुलेट में एक अंग्रेज़ की गवाही का उल्लेख है। यह इस प्रकार है—

“In passing through the Rampore territory, we, could not fail to notice the high state of cultivation to which it has attained when compared with the surrounding country. Scarcely a spot of land is neglected and although the season was by no means favourable, the whole district was covered with an abundant harvest. The management of the Nawab Fyzoolakhan is celebrated throughout the country. When works of magnitude were required .....the means of undertaking them were supplied by his bounty. Water-courses were constructed, the

rivulets made to overflow and fertilise the adjacent districts and the paternal care of a popular chief was constantly exerted to afford protection to his subjects, to stimulate their exertions, to direct their labours to useful objects and to promote by every means the success of their undertakings' अर्थात् रामपुर राज्य में से गुजुरते हुए हम गेती की उस उच्च स्थिति को देखे सिवा नहीं रह सकते, जो उसने आस पास के मुल्क की सुखना में प्राप्त की है। यहाँ शायद ही कोई जमीन का टुकड़ा बेकार पड़ा होगा। पर्यपि बहुत अनुकूल नहीं थी, तो भी सारा जिला विपुल फमल से परिपूर्ण है। नवाय के मुल्कों के प्रबन्ध की प्रशंसा सारे मुल्क में हो रही है। जब बड़े बड़े कामों के करने की आवश्यकता होती है, तब भी ये अपनी दानशीलता और उदारता का परिचय देते हैं। इन्होंने नहरें, तालाब आदि बनवाये गल्लों की इस ढग से व्यवस्था की कि वे आस पास के जिलों को उपजाऊ बनावें। इसके अतिरिक्त इस लोकप्रिय नवाय की पितृव्य चिन्ता हमेशा अपनी प्रजा की रक्षा में—उनके कामों और प्रयत्नों में उत्साह पहुँचाने में—उनके परिश्रम को उपयोगी कामों में लगाने में और हर तरह से उनके कामों में सफलता प्राप्त करवाने में लगी रहती थी। अब येही अंग्रेज महाराज रोहिलों के शासन की अंग्रेजी शासन से तुलना करते हुए लिखते हैं —

"If the comparison for the same territory be made between the management of the Rohillas and that of our own Government, it is painful to think that the balance of advantage is clearly in favour of the former" अर्थात् अगर रोहिलों के प्रबन्ध और हमारे सरकार के प्रबन्ध की तुलना की जावे तो यह दुःख के साथ कहना पड़ता है कि

इंस्ट इन्डिया कम्पनी के शासन में समृद्धिशाली भारत दग्ध हुआ १८७

तेहियों का प्रबन्ध ही श्रेष्ठतर मालूम होगा। आगे चलकर फिर लिखा गया है—

‘While the surrounding country seemed to have been visited by a desolating calamity, the lands of the Rajahs Diyaram and Bhugwantsingh under every disadvantage of the season were covered with crops produced by better husbandry or greater labour’ अर्थात् जबकि आसपास के मुल्क पर नाराकारि विपत्ति आयी हुई दीखती है, पर राजा दयाराम और भगवंतसिंह का मुल्क, अतु की प्रतिकूलता होते हुए भी, फसल से भरा हुआ है, जो कि श्रेष्ठतर कृषि और विशेष परिश्रम से पैदा की गई है।” पाठक, उपरोक्त कथित आसपास का मुल्क ब्रिटिश शासन में था, इस बात को उपरोक्त लेखक ने आगे चलकर कहा है।

इस और तो अंग्रेज सज्जन एक देशी राजा के उदार और उच्चतम शासन के लिये प्रशंसा कर रहे हैं और दूसरी ओर ब्रिटिश शासन के अन्तर्गत बङ्गाल की कैसी दुर्दशा हो रही है उसका वर्णन डाक्टर मार्शमन अपने ‘The friend of India’ नामक ग्रन्थ में लिखते हैं—

“No one has ever contradicted the fact that the condition of the Bengal peasantry is almost as wretched and degraded as it is possible to conceive living in the most miserable hovels, scarcely fit for a dog—Kennel, covered with tattered rags and unable in many instances, to procure more than a single meal a day for himself and family. The Bengal ryot know nothing of the most ordinary comforts of life. We speak without exaggerat

ion when we say that if the real condition of those who raise the harvest, which yields between three and four millions a year, were fully known, it would make the ears of one who heard thereof tingle.

अर्थात् इस बात का अभी किसी ने गवहन नहीं किया है कि बंगाल के किसानों की दशा इतनी हीनतामय और पतित हो गई है कि जिनका खाल करना भी कठिन है। ये अत्यन्त हीन श्रेणी के मजदूरों में रहते हैं। ये मजदूरों इतनी तंग होती हैं कि यह एक कुत्ते के पिंजरे के लिये शायद ही काफी हो। ये बेचारे पटे टूटे धिपड़े पहने रहते हैं और इन्हें शायद एक एक भोजन मिलता होगा। बंगाल के किसानों को जीवन की अत्यन्त साधारण आराम सामग्री मिलना तो दूर रहा, पर इसके विषय में वे जानते तक नहीं हैं। यह कहना कुछ अतिशयोक्ति पूर्ण न होगा कि अगर इन लोगों की सच्ची हालत जानी जाय तो कि इस फसल को उत्पन्न करते हैं, जिससे तीस चालीस लाख की सालाना आमदनी होती है तो सुनने वालों के कान खड़े हो जावेंगे।”

इस्ट इण्डिया कंपनी के शासन के पहले जिस बंगाल को अंग्रेजों ने “उत्तम” का बगीचा कहा था, जिसे लार्ड क्लाइव ने “अदृष्ट सम्पत्ति का देश” कहा था, उसी की उसके सौ वर्ष के बाद इस्ट इण्डिया कंपनी के शासन काल में कितनी हीन और घुरी दशा होगई, इसको हमने अंग्रेजों के लिखे हुए प्रमाणों से दिखलाया है। भारत के भूतपूर्व पाइसरोप लार्ड कानिंगहम ने ये उद्गार निकाले थे कि “खोग गरीब और हीन दशा को प्राप्त होते जा रहे हैं।”



# किसानों की दीन हीन दशा क्यों हुई ।



यह तो इस ग्रन्थ के पूर्व अध्यायों के पढ़ने से मालूम हुआ होगा कि अंग्रेजी शासन के पहले यहाँ के किसान अच्छी स्थिति में थे । इस बात को बड़े अंग्रेज लेखकों ने भी मुक्तकण्ठ से स्वीकार किया है । पर जब से ईस्ट इन्डिया कम्पनी के शासन का आरम्भ हुआ तब से इनकी अधोगति का सूत्रपात हुआ । ज़मीन का लगान बहुत बढ़ा दिया गया और किसानों पर तरह तरह के दूसरे जुल्म हुए । सर रमेशचन्द्र दत्त ने दिखलाया है कि "हिन्दुओं और मुगलों के शासन में जिस हिसाब से ज़मीन का लगान लिया जाता था, उससे कहीं ज्यादा प्रजा की दरिद्रता बढ़ाने पर भी, अब वसूल किया जाने लगा । यहीं नहीं किन्तु बगाछ को छोड़कर अन्य प्रदेशों में जमीन का लगान क्रमशः बढ़ता ही चला जा रहा है । अधिक लगान देने ही के कारण लोगों की ऐसी दीनहीन दशा हो रही है । किसान लोग इस भय से खेती नहीं करते कि न जाने कब ज़मीन का लगान बढ़ा दिया जाय ।" आगे चलकर फिर सर रमेशचन्द्र दत्त ने बतलाया है कि सन् १७६२ ईस्वी से १८२२ तक सरकार ने बंगाल के जर्मादारों की आमदनी पर सैकड़े पीछे ६० और उत्तर भारतवर्ष में सैकड़े ८०) ६० कर लगाया था । मुगल शासन के समय भी इसी हिसाब से कर लेने की रीति थी । परन्तु वे लोग जितना लगान नियत करते थे उतना वसूल नहीं करते थे । इसके सिवा प्रजा की शिक्षण तथा वाणिज्य सम्बन्धी उन्नति करने की ओर उनकी विशेष दृष्टि रहती थी । महाराष्ट्र देश के राजा लोग भी राजकर वसूल करने में कठोरता नहीं करते थे, किन्तु अंग्रेज जितना कर चाहते थे, उतना कबाई के साथ वसूल करते थे ।" यह तो हुई स्वर्गीय सर रमेशचन्द्र

दत्त ही उक्ति । अब हम इस सम्बन्ध में अंग्रेजों ही के प्रमाण देने हैं । बंगाल में वर्षी निर्दयता और क्रूरता के माधु लगान समूल किया जाता था । १ मई सन् १७७० को ईस्ट इण्डिया कंपनी के डापरेक्टरों ने जो पत्र लिखा था, उसमें नीचे लिखे आशय के यथन भी थे:—

“भयंकर अकाल का द्रव्य उपस्थित हो रहा है । इससे जो मृत्युएं हो रही हैं और जो भिखमंगी बढ़ रही हैं वह अचर्यानीय है । पुर्निया जैसे उपजाऊ प्रान्त के कोई १/३ लोग भूख के मारे तक्ष्म तक्ष्म कर मर गये ! अन्य प्रान्तों में भी ऐसी ही भीषण स्थिति उपस्थित हो रही है ।” इसी वर्ष ११ सितंबर को इन्हीं डापरेक्टरों ने फिर लिखा था, “इन अमाने भूखों मरनेवाले लोगों के दुःखों का जितना ध्यान किया जाये, उतना ही धोड़ा है” इसके उपरान्त १० फरवरी को उन्होंने लिखा था:—

“Notwithstanding the great severity of the late famine and the great reduction of people thereby, some increase has been made in the settlements both of the Bengal and Bihar provinces for the present year.” अर्थात् पिछले अकाल की बहुत वेगी होने हुए भी और इससे लोगों की बहुत कमी हो जाने पर भी बंगाल और बिहार प्रान्तों के बंदोबस्त में जमीन का लगान वर्तमान वर्ष के लिये बढ़ा दिया गया है । १० जनवरी सन् १७७२ को इन्होंने लिखा था —

“The collections in each department of revenue are as successfully carried on for the present year as we could have wished.” अर्थात् रेविन्यू के हर एक विभाग में वसूली उतनी ही सफलता के साथ की जा रही है, जैसी कि हमारी इच्छा थी ।

जब देश में चारों ओर अकाल के कारण हाहाकार मच रहा था, जब देश में चारों ओर मृत्यु का वीभत्स चित्र उपस्थित हो रहा था, जब मानवी दुःख अपनी अंतिम सीमा तक पहुँचा हुआ था, ऐसे समय में भी सख्ती के साथ किसानों से लगान वसूल किया गया था। सरकारी तौर से इस बात का अदाजा लगाया गया है कि सन् १७७० के अकाल में बंगाल की एक तिहाई  $\frac{1}{3}$  जनता भूख के मारे प्राण त्याग करने को बाध्य हुई थी, अर्थात् उस समय कोई एक करोड़ आदर्मी भूख के मारे मर गये। इतने पर भी लगान वसूल करने में कसर न की गई। उल्टे इस साल ज्यादा लगान वसूल किया गया, उस समय के गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग्स ने लिखा था —

“Notwithstanding the loss of at least one third of the inhabitants of the province, and the consequent decrease of the cultivation, the net collection of the year 1771 exceeded even those of 1768.” अर्थात् इस प्रान्त में एक तिहाई जनता के नष्ट हो जाने पर भी तथा खेती में बहुत कमी हो जाने पर भी सन् १७७१ में लगान की रकम सन् १७६८ की रकम से भी ज्यादा बढ़ गई।

इसके बाद जब मुगल बादशाह शाहआलम ने ईस्ट इण्डिया कम्पनी को बंगाल, बिहार और ओडिसा की दिघानी या रेविन्यू का शासन सौंपा तब लगान वसूल करने के लिये द्वैध पद्धति (dual system) काम में लाई जाने लगी अर्थात् उस वक्त ईस्ट इण्डिया कम्पनी द्वारा नियुक्त निरीक्षकों (Supervisors) की देख रेख में नयाव के नौकर भूमिकर वसूल करते थे जिससे प्रजापर बड़े जुटम होते थे। इससे जमींदार और किसानों को बड़ा नुकसान पहुँचता था। इस समय से लगान निरन्तर बढ़ता ही चला गया। इससे सरकार की आमदनी में दिन पर दिन वृद्धि होने लगी। मि० शॉर ने (जो पीछे



Lord Teignmouth के नाम से मशहूर हो गये थे) १८ जून १८८१ में जो मसभेद पत्र लिखा था उसमें चाःपने दिव्यहाया था कि सन् १८८२ में टोडरमल ने ज़मीन का जो बन्दोबस्त (Settlement) किया था। उसमें केवल खगान में क्षगान के १०००००० पींड वसूल होते थे। मुल्तान शुजा के ज़माने में जो बन्दोबस्त हुआ था, उसमें खमीन का खगान १३१२००० पींड पूता गया था। जाफ़र ख़ाँ के ज़माने में जो बन्दोबस्त हुआ था उसमें यह रकम बढ़कर १४२१००० पींड हो गई। शुजाख़ाँ के बन्दोबस्त में यह रकम १०२८००० तक पहुँच गई। ब्रिटिश शासन के शुरू होने के पहले के पाँच वर्षों का हिसाब देखिये।

सन्	ज़मीन वसूली
१०६२-६३	६४६०००
१०६३-६४	७६२०००
१०६४-६५	८१८०००
१०६५-६६	१४७००००

साथ ही यह भी ध्यान रखना चाहिये कि उक्त अन्तिम वर्ष में अर्थात् सन् १०६५-६६ में मुगल बादशाह के द्वारा हीयानी अधिकार ब्रिटिश को दे दिये गये थे। इस साल महम्मदरज़ाख़ाँ ने नवाब और क़ानूनी के दुहरे हुकम (Dual authority) से खगान वसूल किया था। इसके बाद सन् १०६०-६१ में अंग्रेज़ों ने जो खगान वसूल किया था वह २६८०००० पींड था अर्थात् जाफ़रख़ाँ और शुजाख़ाँ के वसूल किये हुए खगान से यह रकम खगमग दूनी थी और महाराजा नन्द-कुमार ने सन् १०६४ में जो खगान वसूल किया था, उससे यह तिगुनी थी। इतना ही नहीं, महम्मद रज़ाख़ाँ ने अंगरेज़ों की देखरेख में जो खगान वसूल किया था उससे भी यह रकम खगमग दूनी थी। पृष्ठ चैस्त्रक ने लिखा है—

“It was Bengal which had suffered terribly from the rapacity of the early British administrators and if she has prospered under the permanent settlement, she has well earned that prosperity by her early losses.” अर्थात् वह बंगाल प्रान्त था जिसने पहले के ब्रिटिश शासकों के जुल्म से बहुत दुःख सहा और यदि उसने दवामी या स्थायी बंटोबस्त में उन्नति की है तो यह उसकी पहले की हानि का परिणाम है ।

पह तो हुई बंगाल की यात । अब मद्रास प्रान्त की ओर आइये । ब्रिटिश शासन के पहले मद्रास प्रान्त की स्थिति कैसी थी, इसका सबूत उस गवाही से मिलता है जो १८८२ में मि० जार्ज स्मिथ ने पार्लियामेण्टरी कमेटी के सामने दी थी । इस सम्बन्ध में उक्त कमेटी के सामने इस आगत्य के प्रश्नोत्तर हुए थे ।

प्रश्न—आप हिन्दुस्तान में कितने दिन तक और किस हिसियत से रहे ?

उत्तर—मैं सन् १७६४ में हिन्दुस्तान पहुँचा और सन् १७६७ से सन् १७७६ के अक्टूबर मास तक वहाँ रहा ।

प्रश्न—जब आप पहले पहल मद्रास पहुँचे तब वहाँ की व्यापारिक स्थिति कैसे थी ?

उत्तर—उस समय मद्रास की अवस्था बहुत ही समृद्धिवादी थी हिन्दुस्तान में वह व्यापार का केन्द्र था ।

प्रश्न—जब आपने मद्रास छोड़ा तब वहाँ की व्यापारिक अवस्था क्या थी ?

उत्तर—उस समय वहाँ बहुत ही कम का व्यापार का स्थान बन गया था ।

प्रश्न—जब आपने इस प्रान्त के कर्नाटक जिले को पहले पहल देखा, तब वहाँ के व्यापार और गेती की क्या स्थिति थी ?

उत्तर—उस वक्त कर्नाटक की रोजी की दशा बहुत अच्छी थी और यह समृद्धि की अवस्था में था। वहाँ व्यापार भी बहुत बढ़ी चढ़ी हालत में था।

प्रश्न—जब आपने मद्रास प्रान्त छोड़ा तब वहाँ की गेती, जन-सख्या और देशी व्यापार की क्या हालत थी ?

उत्तर—गेती की दशा बहुत ही गिर गई थी और व्यापार को भी बड़ा धक्का पहुँचा था।

इन प्रश्नों से पाठक सुद अंदाजा लगा सकते हैं कि ईस्ट इण्डिया कम्पनी के शासन काल में मद्रास प्रान्त के व्यापार और गेती की किस प्रकार, शोचनी हुई थी।

मद्रास प्रान्त के तर्जौर परगने की हालत के विषय में सन् १८८२ में 'Committee of Secrecy' के सामने मि० प्रेटी ने जो गवाही दी थी, उसका सारांश यह है—

“तर्जौर की वर्तमान स्थिति पर कुछ कहने के पहले मैं यह आवश्यक समझता हूँ कि उसकी कुछ वर्षों की पहले की स्थिति पर भी कमेटी के सामने कुछ कह दालूँ। ज्यादा धरमा नहीं हुआ कि तर्जौर परगना अत्यन्त समृद्धिशाली और उन्नत अवस्था में था। वहाँ पर रोती की खेती अच्छी स्थिति थी। जब मैंने पहले पहल सन् १७६८ में उसे देखा था, तब उसकी हालत अब से विरुद्ध जुदा थी। तर्जौर पहले बाहरी और अन्तर्ग व्यापार का केन्द्र स्थान था। वहाँ धम्बई और मूरत से रुई आती थी। बन्नाख से कच्चा तथा पका रेशम आता था। मुमात्रा मछली आदि टापुओं से शकर आदि पदार्थों की खामदनी होती थी। पेगू से सोना, घोड़े हाथी और गहतीर आते थे। चीन से भी उसका व्यापार-

रिक सम्बन्ध था। उस जिले से भी मलमले, छींटें, रूमाल खीनखाय आदि कई प्रकार का घटिया माल बाहर जाता था। वहां की भूमि बड़ी उपजाऊ थी। संसार के बहुत कम देशों की इतनी नैसर्गिक सुविधाएँ होंगी, जितनी तंजौर की है। पानी की वहां पर बहुत विपुलता है। उस परगने का स्वरूप बड़ा ही सुन्दर है। उसमें बहुत विविधता है। अपने आकार प्रकार से वह इह्लखैडता जान पड़ता है। पर दुःख है कि उसकी अवनति बड़ी शीघ्रता से हो रही है, डर हो रहा है कि कहीं उसकी विपुल समृद्धि के चिन्ह तक न मिट जायें।

सन् १७७१ तक जैसा कि मुझे मालूम हुआ है वहां के कारीगर तारकी की हालत में थे, देश धन धान्य पूर्ण था। लोक-संख्या विसृत थी। खेती बड़ी अच्छी हालत में थी। वहां के निवासी धनवान् और परिश्रमी थे। पर उस साल के बाद से लेकर वहां के राजा के फिर गद्दीनशीन होने तक चार कई बार समर भूमि बना। वहां राज्य-क्रान्तियाँ हुईं। व्यापार कारीगरी और खेती की उपेक्षा की गई और तब से इसकी हालत गिरनी गई।

अब एक बार बम्बई प्रान्त की सरकारी मालगुजारी की ओर दृष्टि डालनी चाहिये। महाराष्ट्र नरेशों के शासन-काल में इस देश की प्रजा से एक वर्ष में ८० लाख रुपये लिये जाते थे किन्तु जिस वर्ष अंग्रेजों ने इस प्रदेश में अधिकार किया उसके दूसरे ही वर्ष १ करोड़ १५ लाख रुपये वसूल किये गये। इसके कारण प्रजा पर कैसे अत्याचार होने लगे थे, इसका कुछ पता सरकारी रिपोर्ट से लग सकता है जो इस प्रकार है:—

Every effort was made, lawful and unlawful, to get the utmost out of the wretched peasantry, who were subjected to tortures, in some instances, cruel and revolting beyond description, if they

could not or would not yield what was demanded. Numbers abandoned their homes and fled into neighbouring native states; large tracts of land were thrown out of cultivation, and in some districts no more than one third of the cultured area remained in occupation."

अर्थात् अभागों किसानों के पास से पधा सम्भव धन वसूल करने के लिये न्याययुक्त और अन्याययुक्त सभी प्रकार के उपाय काम में लाये गये थे । जितना धन इन किसानों से मांगा जाता था, यदि वे उसे देना स्वीकार न करते थे या न देते थे तो उन पर कभी कभी अथर्वनीय अत्याचार किये जाते थे । इस प्रकार के अत्याचारों से पीड़ित हांका सैकड़ों किसान अपना अपना घर छोड़ कर समीप के देशी राज्यों में जाकर बस गये । सुविस्तृत भूमि बिना खेती के पड़ी रह गई और किसी किसी जिले में तो खेती होने योग्य भूमि के एक तिहाई भाग से अधिक भूमि में खेती ही नहीं हुई ।

उड़ीसा में भी प्रजा का धन लूटने के लिये थोड़े प्रयत्न नहीं हुए हैं । सरकारी कागज़ पत्रों में ही प्रकाशित हुआ है कि सन् १८२२ ईस्वी में उड़ीसा के किसानों से सरकारी कर्मचारियों ने सैकड़ा पीछे ८३) रुपये के हिसाब से लगान वसूल करने की कोशिश की थी, किन्तु इस प्रकार धन की खींच अधिरू दिनों तक न चल सकी । सन् १८३३ ईस्वी के पीछे यह खींच अपनी कमाई से सैकड़ा पीछे ७१) रुपये लगान में देने लगे । इस समय घट कर इसका परिमाण सैकड़ा पीछे ४६) रुपये रह गया है किन्तु यज्ञाल में द्वासी बन्दोवस्त होने के कारण प्रजा को सैकड़ा पीछे ११) रुपये ही लगान में देने पड़ते हैं । उड़ीसा के समान अवध प्रान्तों में भी १८२२ ई० में ईस्ट इण्डिया कम्पनी के नौकरों ने जर्मीदारों से सैकड़ा पीछे ८३) रुपये लगान होने का कानून पास किया था— इसके परिणाम स्वरूप उस प्रान्त में चारों ओर हा हा कार मचने लग गया ।

इस प्रकार राजधर्म का अपमान और प्रजा पर अत्याचार करके जो धन इकट्ठा हुआ करता था उसका बहुत थोड़ा भाग इस देश में खर्च किया जाता था और अधिकांश विलायत भेज दिया जाता था। ईस्ट इण्डिया कम्पनी के साक्षीदार कर्मचारी और विलायती पार्लियामेंट-महा-सभा-के मेम्बर लोग इस प्रकार भारत से धन लूटकर अपनी दरिद्रता दूर करते थे। किसानों से जो धन मिलता उसे कम्पनी ले लेती और इस देश के धनी सौदागर तथा राजा महाराजाओं को दयाकर उनसे ज़बरदस्ती और अन्याय से जो धन लिया जाता उससे कम्पनी के नौकर मालामाल होते थे। खाली यद्दाल देश में ही १७२७ ईस्वी से १७६२ ईस्वी तक में कम से कम ४६४०४६००) रुपये घँस के लिये गये थे। पार्लिया मेण्ट के मेम्बर कहीं आलोचना न करें इसलिये कम्पनी और उसके कर्म चारी पार्लियामेण्ट के मेम्बरों को भी घँस देकर वश में कर लेते थे !

कई बार यह घँस का धन इकट्ठा करने के लिये ही प्रजा का धन लूटना आवश्यक समझा गया था। उस समय के इंग्लैंड नरेश भी इस प्रकार घँस लेने से बचे नहीं थे। कहते हैं कि एकबार ईस्ट इण्डिया कम्पनी के कामों की जाँच करने का प्रस्ताव उठने पर स्वयं इंग्लैंड नरेश ने सब गद्गदी शान्त करदी थी। मि० जी० क्लार्क ( Clarke ) अपने "British India and England's Responsibilities" नामक ग्रन्थ में लिखते हैं:—

"Nor was the Company in good repute at home. An enquiry was set at foot, and it was found that the company had devoted in one year £,1,000,000 to bribery. But the House of Commons stifled enquiry. The recipients of bribes were amongst the highest classes and the king himself was said to have accepted a large sum.

अर्थात् कम्पनी को उसके पास नियाम स्थान इंग्लैण्ड में भी बड़ी सद्गामी थी। एक जॉब शुरू की गई थी, जिसमें यह पाया गया था कि कम्पनी ने केवल एक मास में १,००,००,००० पाँड़ रिश्त के दिये थे, रिश्त लेने के लिये सर्गेपरि श्रेणी मनुष्यों में से थे। कहते हैं कि उस समय स्वयं राजा ने भी बहुत बड़ी रूम ली थी। नहीं कह सकते कि सुमन्य और परिश्रमान् अंग्रेज जाति के इतिहास में इन घटनाओं का महत्व क्या तक है !

महमूद गजनवी, नादिरशाह, अहमदशाह अफ्गानी और मध्य भारत के पिढारी लोग भारतवर्ष के धनवानों को लूटकर कितने रुपये ले गये, इसका उल्लेख और हिसाब बालकों के पढ़ने के इतिहासों में और समय समय पर अन्य प्रकार से प्रकाशित हुआ करता है, किन्तु ईस्ट इण्डिया कम्पनी के शासन काल में भारतवर्ष के गरीब किसानों का कितना रूपया लूटा गया इसका हिसाब लगाना सहज नहीं है।

मिस्टर डिग्बी का कथन है—“अनुमान होता है कि प्लासी की लड़ाई के बाद प्राय २० वर्षों में भारतवर्ष से साढ़े सात अरब से पन्द्रह अरब २० तक इंग्लैण्ड में भेजे गये हैं।” मिस्टर जेम्स एडम्स 'Law of civilisation and decay' नामक ग्रन्थ के २६३ वें पृष्ठ में लिखते हैं—

‘Possibly since the world began, no investment has ever been yielded the profit reaped from the Indian plunder’ जब से दुनियाँ का आरम्भ हुआ है, तब से शायद ही पूँजी लगाने पर इतना लाभ नहीं हुआ है, जितना कि हिन्दुस्थान की लूट से हुआ है।

अब तक केवल इसी बात का वर्णन किया गया है कि अंग्रेजी शासन के आरम्भ काल से ही इस देश के किसानों का धन खींचने का

कार्य किस प्रकार किया गया था। सन् १८०६ ई० में बम्बई प्रान्त में अस्सी लाख रुपये लगान के वसूल होते थे। सन् १८८३ ई० में धौंधेजों में उसका परिमाण बढ़ाकर डेढ़ करोड़ रुपये कर दिया। इसके उपरान्त ईस्ट इण्डिया कम्पनी का मनमाना शासन दूर करके दयामयी महारानी विक्टोरिया ने भारत का शासन भार अपने हाथ में ले लिया। उनके शासन में शासन विभाग की और अनेक बातों में तो सुधार हुआ, किन्तु रोती करके जीनेवाली प्रजा के दुर्दित तिस पर भी दूर नहीं हुए। ईस्ट इण्डिया कम्पनी के समय में बम्बई प्रान्त की प्रजा को डेढ़ करोड़ रुपये लगान में देने पड़ते थे। किन्तु इतने पर भी सरकारी कर्मचारियों का धन लोभ नहीं मिटा? अस्सी लाख के बदले दो करोड़ तीन लाख रुपये वसूल करने की व्यवस्था करके भी उन लोगों ने राज्य की आमदनी बराबर बढ़ाना जारी रखा। अतएव अधिक भार सहन न कर सकने के कारण सन् १८०० ई० में किसान लोग घागी हो गये, अनेक स्थान में खड़ाई नागड़े और शांति भंग होने के कारण अफसर चिन्तित हुए। तब इस विद्रोह की जाँच करने के लिये एक कमिशन बैठा। उस समय यह स्थिर हुआ कि खासकर बार बार जमीन का बन्दोबस्त करके ब्रेहद लगान बढ़ाते रहने से ही (Extravagantly heavy assesment) यह विद्रोह खड़ा हुआ है।

इतनी गहवदी होते हुए भी राजकर्मचारियों की खर्च कम न हुई तीस साठवीं बन्दोबस्त में जिन जमीनों का लगान निश्चित हो चुका था, उनमें से बहुतेरी भूमि की मियाद पूरी होने पर फिर से बन्दोबस्त करने की आज्ञा हुई थी। गत सन् १८८८ ईस्वी के ३१ मार्च तक २७७८१ ग्रामों में १३३६६ ग्रामों का नया बन्दोबस्त हो गया था। इन गाँवों से पहिले (१४४०००००) रुपये लगान में वसूल होते थे। अब नये बन्दोबस्त में १ करोड़ ८८ लाख रुपये वसूल करने की व्यवस्था हुई। शेष गाँवों का नया बन्दोबस्त अकाल पड़ने के कारण कुछ समय



के लिये रोक दिया गया था, तो भी ७८ गाँवों का नया बन्दोबस्त करके (१०३५३०, २० लगान के बदले १३६५६०) ६० पर दिया गया। सांसारिक यह कि इस नये बन्दोबस्त में औसत ३० रुपये सैकड़ा लगान बढ़ा दिया गया है। द्वापर डायरेक्टर ऑफ़ लैंड रेव्यू एण्ड अग्रिकल्चर अर्थान् भूमि और कृषि-विभाग के अध्यक्ष महाराय की १८८७ साल की जो रिपोर्ट प्रकाशित हुई है उसमें बम्बई प्रान्त के विषय में लिखा है—

“Seventy five percent of the cultivated area is under food grains. The reporting authorities agree that there is a large number of cultivators who do not get a full years supply from their land’ अर्थात् खेती होने योग्य भूमि के तीन चौथाई भाग में—रुपये में—बारह आने अनाजों की खेती होती है; किन्तु सभी राजपुरख एक मत होकर कहते हैं कि अधिकांश किसान खेती करके माल भर के खर्च के लिये भी अनाज संग्रह नहीं कर सकते।

डायरेक्टर साहय का मन्तव्य प्रकाशित होने पर भी जमीन का लगान बढ़ाया गया था। यदि अब भी अकाल के समय मूल्य संख्या न बढ़े तो और क्या हो! इस अबसर पर इस देश की खेती के साधनों की दशा का भी वर्णन करना उचित है। सन् १८६४ ई० में सम्पूर्ण बम्बई प्रान्त में ८० लाख ८० हजार बैल भैंस आदि खेती के लिये उपयोगी पशुशा की संख्या थी, किन्तु सन् १६०१ ईस्वी में प्रकाशित हुआ कि उसी संख्या केवल ५२ लाख ७७ हजार रह गई है, अर्थात् छ वर्षों में सौ कृषि के लिये उपयोगी पशुओं की एक तृतीयांश से भी अधिक घट गयी है। खेती करने के योग्य अथवा खेती होनेवाली भूमि का विस्तार देखते हुए पशुओं की यह संख्या बहुत ही कम है। बम्बई प्रान्त में एक एक के बैलों अथवा भैंसों की प्रति वर्ष ६० बोधे भूमि कमाने पड़ती है! किसानों की इससे बढ़कर और शोचनीय दशा का प्रमाण क्या

होगा ? मद्रास के किसानों की दशा का उल्लेख करते हुए सुमसिद्ध 'इ गलिरामेन' पत्र के संपादक ने १७ फरवरी सन् १८८० ईस्वी के अंक में लिखा था कि ईस्ट इण्डिया कम्पनी के शासन काल में मद्रास प्रांत की भूमि से लगान वसूल किया जाता था । महारानी के शासन-काल में उससे दस लाख रुपये अधिक याने एक तिहाई हिस्सा अधिक वसूल होता है । किसानों की सुख सन्पन्नता बढ़ाने के लिये कोई व्यवस्था नहीं होती है उससे लगान की वृद्धि के साथ मद्रास प्रान्त में अकाल का प्रकोप भी बढ़ रहा है ।

बंबई की लेजिस्लेटिव कौन्सिल के सिविलियन सभासद मिस्टर जी, रोजस ने सन् १८६३ ई० में भारतवर्ष के अगडर सेक्रेटरी महाशय को लगान वसूल करने की कड़इयों और अत्याचारों का वर्णन करते हुए दिखलाया था—“सन् १८७६-८० ईस्वी से लेकर १८८६-९० ई० तक ११ वर्ष के बीच में लगान वसूल करने के लिये मद्रास के राजकर्मचारियों ने ८४०७१३ मनुष्यों को १६६३३६४ बीघे जमीन बेदखल करा कर नीलाम करवादी है । किन्तु इतने पर भी उनका पेट नहीं भरा । किसान लोग अपनी जमीन से बेदखल हो कर छुटकारा न पा सके । सरकारी लगान अदा करने के लिये उनको अपने घर, द्वार, चिड़ौने कपड़े-सूते आदि तक बेचकर ८६३५०८१) रुपये सरकार को देने पड़े हैं ।”

“ऊपर लिखी हुई प्राय १६६२३६४ बीघे जमीन में से पौने चारह लाख बीघे जमीन खरीददारों के अभाव में सरकार को खरीदनी पड़ी है । यदि लगान का परिमाण अधिक न होता तो अवश्य ही उसके मोख लेने के लिये खरीददारों का टोटा न रहता । जमीन के लगान की अधिकता के विषय में इससे बढ़कर प्रमाण और क्या हो सकता है ?”

मध्यप्रदेश की स्थिति के विषय में सन् १९०४ में माननीय मिस्टर विपिन कृष्ण यमु महाशय ने बड़े खाट की लेजिस्लेटिव कौन्सिल-व्यवस्था पत्र समा—में कहा था—“ इस प्रदेश के किसी जिले में गत दस

वर्षों के बीच में सँकड़े पीछे १००) तथा १०५) के हिमाव से प्रजा का लगान बढ़ गया है। इन दस वर्षों में प्रजा थकावत आदि में बहुत ही तंग रही है। तो भी अफसर लगान बढ़ाने से बाजू नहीं आते। यह कहने में अस्युक्ति न होगी कि सरकार की तरफ से इस विषय का ध्य तक कोई ठीक प्रतिवाद नहीं किया गया है। मलाबार के भी कई परगनों में पिछले बन्दोबस्त के समय सँकड़े पीछे ८५ से १०५ रुपये तक लगान बढ़ गया है। अकेले तंजौर जिले में ही गत दस वर्षों में सरकारी आमदनी बढ़ करोड़ रुपये बढ़ गई है।”

कर्नाटक की प्रजा के लगान की दर के विषय में भूमि और कृषि-विभाग के डायरेक्टर महाशय ने कहा था:—

“Despite its liability to famine it pays a higher land revenue than the Deccan or Kocan.” अर्थात् इस प्रदेश में दुर्भिक्ष आदिकी अधिक संभावना रहने पर भी यहां के किसानों को दक्षिण विभाग के किसानों की अपेक्षा अधिक लगान देना पड़ता है।

केवल दक्षिण और मध्यप्रदेश में ही नहीं, एक बंगाल को छोड़कर, सम्पूर्ण ब्रिटिश भारत के सारे प्रदेशों में बीस अथवा तीस वर्षों में नया बन्दोबस्त होने के समय किसानों का लगान बढ़ा दिया जाता है और इस प्रकार सरकारी आमदनी बढ़ाई जाती है।

१६ वीं सदी के आरम्भ में अनेक बुद्धिमान शासनकर्ताओं ने बंगाल के समान सम्पूर्ण भारतवर्ष में द्वामी बन्दोबस्त करा देने का प्रयत्न किया था। सन् १८७८ ई० में मद्रास में सर टामस मनरो ने प्रजा के साथ जो रैयतवारी बन्दोबस्त किया वह बंगाल के द्वामी बन्दोबस्त के समान ही था। विलायत में जांच करने के लिये जो कमेटी बनी थी उसमें गवाही देते समय आपने साफ साफ यह स्वीकार किया था कि बंबई प्रदेश में भी पहिले चिरस्थायी बन्दोबस्त प्रचलित था।

मन् १८०३ ईस्वी में जब अहमरेजों ने प्रयाग और अवध का सुबा अपने अधिकार में लिया तब चढ़ा लगान के विषय में चिरस्थायी बन्दोबस्त करने की करार की बात सुनी थी, किन्तु पीछे के राज कर्मचारियों ने --विशेष कर रेवेन्यू विभाग के कर्मचारियों ने-- धन के खालच में अन्धे होकर पिछले करार का उल्लंघन कर डाला और सभी विभागों में घीस अथवा तीस वर्ष के अंतर से बन्दोबस्त करके लगान बढ़ाने की व्यवस्था प्रचलित कर दी। नहीं जानते, सरकार किस अवस्था में प्रजा पर लगान का कितना बोझ बढायगी। सरकार से इस विषय में नियम स्थिर कर लेने के लिये कई बार प्रार्थनाएँ भी की गई थीं। इसके अनुसार प्रजाप्रिय लाडरिपन महोदय ने कुछ नियम बनाये भी थे, किन्तु उनके भारतवर्ष से विदा होते ही राज कर्मचारियों ने पहले के समान यथेच्छाचार और धोखाधोखाई का रास्ता खुला रखा। इस विषय के नियम बनाने में राज कर्मचारियों ने अब तक भी देखने में उदासीनता प्रकट नहीं की है कि जर्मनिदार लोग प्रजा से अधिक से अधिक कितना लगान छे सकेंगे और कैसी दशामें कितना लगान बढ़ा सकेंगे आदि जो हों परन्तु अब भी सरकार अपना लगान बढ़ाने के विषय में स्वयं किसी प्रकार के नियमों में बंधकर रहना नहीं चाहती। यही नहीं किन्तु यदि रेवेन्यू विभाग के कर्मचारी अन्याय पूर्वक लगान बढ़ा दें तो उनके विरुद्ध अपील करने पर कुछ सुनाई ही नहीं होती। यदि प्रजा अधिक गद्गद मचाती है तो उन्हीं कर्मचारियों को फिर से विचार करने के लिये कहा जाता है जिन्होंने लगान बढ़ाया है। तब उस जांच का ध्यान रखकर किसी किसी का लगान नाम मात्र को कम कर दिया जाता है। कदना नहीं होगा कि ऐसे प्रसंगों में प्रजा के साथ प्रायः न्याय नहीं किया जाता। प्रजा की इस कठिनाई को दूर करने के लिये श्रीमान् यदौदा नरेश मयाजीराय गायकवाड़ महोदय ने अपने राज्य में नियम किया है कि बन्दोबस्त विभाग के कर्मचारी यदि किसी पर अनुचित रूप से लगान

बड़ाईं सों सुलभसुलभा अदालत में खतम प्रकृति के विचारकों के पास उनके विरुद्ध अपील हो सकेगी। इसमें संदेह नहीं कि वर्तमान गवर्नमेन्ट भी ऐसा नियम करदे तो गरीब किसानों के अनेक कष्ट दूर हो जावें, परन्तु न जाने क्यों ब्रिटिश गवर्नमेन्ट प्रजा की इस सुविधा की ओर ध्यान नहीं देती। इसीलिये जो कर्मचारी अन्याय करके लगान बढ़ाते हैं उन्हीं से अभागो प्रजा की सुविचार की प्रार्थना करनी पड़ती है।

सन् १९०५ के भारतीय बजट पर बहस करते हुए बड़े छांट महोदय की व्यवस्थापक सभा के सभासद् माननीय मिस्टर गोपाल कृष्ण गोखले महोदय ने किसानों की दुर्दशा की ओर सरकार का ध्यान आकर्षित किया था। उन्होंने कहा था कि यूरोप की अपेक्षा भारतवर्ष के किसानों से जमीन का लगान अधिक परिमाण में लिया जाता है। यूरोप के देशों के किसान जिस खेत में १००) की फसल उत्पन्न करते हैं उसके लिये कितना कर देते हैं, यह बात नीचे के हिसाब से मालूम पड़ेगी —

देश का नाम	लगान प्रति सैकड़ा	दर
इंग्लैण्ड	"	८।)
फ्रान्स	"	४।।)
जर्मनी	"	३)
ऑस्ट्रिया	"	४।।२)
इटाली	"	०)
बेल्जियम	"	२।।)
डॉल्बेट	"	२।।)

यहां यह भी कह देना चाहिये कि जल-कर, पूति-कर, चौकीदारी टैक्स और स्टांप-कर आदि भी इसीमें सम्मिलित हैं। फ्रान्स में सबक आदि सम्यन्धी टैक्स भी इसी में शामिल हैं। भारतवर्ष में ये सम्पूर्ण श्यानिक कर जमीन के लगान में शामिल नहीं किये जाते। ये सम्पूर्ण

कर स्वतंत्र रीति से देते रहने पर भी इस देश के किसानों को बहुत अधिक लगान देना पड़ता है। यदि सर रमेशचन्द्रदत्त महोदय के हिसाब की बात छोड़कर सरकारी हिसाब पर ही विश्वास करें तो भी मालूम होगा कि यूरोप के देशों के किसानों को सब तरह के टैक्स मिलाकर सैकड़ा पीछे ६) रुपये से अधिक सरकार को नहीं देना पड़ता, परन्तु भारत के किसानों को दरिद्रता के कीचड़ में फँसे रहने पर भी केवल ज़मीन का लगान ही सैकड़ा पीछे १५) रुपये और कहीं कहीं २०) रुपये तक देना पड़ता है। इस देश की ज़मीन की उपजाऊ शक्ति दिनोंदिन घटती जा रही है। किसानों के पशु आदि खेती के साधन क्रमशः शोचनीय दशा को प्राप्त हो रहे हैं। अति घृष्टि, अनावृष्टि तथा पत्थर-पाले आदि के उपद्रवों से भी उनके नाकों दम आ गया है। उनका दुर्दशा का ठिकाना नहीं है। तिस पर ऋण की बात का तो पूछना ही क्या है ? भारत के किसानों का प्रायः दो तिहाई भाग वर्ज के भयानक दलदल में फँसा हुआ है। इनके आधे भाग के किसानों के ऋणमुक्त होने की कुछ भी आशा नहीं है तो भी सरकार उनसे लगान की बहुत बड़ी रकम और अन्य कर लेने में संकोच नहीं करती। यही नहीं किन्तु मुद्रा शासन प्रणाली के कारण चाँदी का भाव घट गया है जिससे उनके संचित चाँदी के गहने आदि की कीमत भी घट गई है। इस प्रकार सब ओर से कर्मचारियों ने उन्हें टोटे में डाल कर बिना पंख का पखेरू बना रखा है, और उन्हें अभी और भी निर्यत्न करने ही जाते हैं।

इसके बाद सेटलमेण्ट विभाग का जुबम है। बारबार ज़मीन की पैमाइश करके इस विभाग के कर्मचारी क्रमशः ज़मीन का लगान बढ़ाते जाते हैं। गत दस वर्षों में इन लोगों के प्रयत्न से बंधई, युक्तप्रान्त, मद्रास, अवध और मध्यप्रदेश में सरकारी लगान की संख्या १ करोड़ ४ लाख रुपये बढ़ गई है। इन सभी प्रदेशों में इन पिछले दस वर्षों में बारम्बार अकाल, अनावृष्टि आदि बाधाएँ होने के कारण खेती के कामों

में अनेक विघ्न उपस्थित होते रहें हैं। ऐसी विपत्ति और दुःख के समय सरकार को उचित था कि उनका कर—भार कम करती। परन्तु ऐसे कुसमय में भी उसने प्रजा से १ करोड़ ४ लाख रुपये अधिक लेने की व्यवस्था की। इससे बढ़कर दुःख की यात और क्या होगी ? इन सब बातों को कहकर गोखले महोदय ने आगे कहा था "जब बजट में दिखलाया गया है कि अब से प्रति वर्ष खजाने में गाढ़े मात कौड़ियों की बचत हुआ करेगी तब ऊपर कहे हुए प्रदेशों के गरीब किसानों का लगान सैंकड़ा २०) रुपये के हिसाब से कम कर देने पर सरकारों लगान में वार्षिक तीन करोड़ रुपये की ही कमी होगी। जब इस प्रकार खजाना भरा पूरा है तब भी यदि सरकार वार्षिक तीन करोड़ रुपये का योग्य गरीब किसानों का कम न करे तो फिर क्या करेगी ? सरकार के इस धोड़े से ही स्वार्थ-त्याग से किसानों की स्थिति बहुत अधिक अच्छी हो जायगी।" कहना नहीं होगा कि सरकार ने गोखले महोदय के इस उचित अनुरोध को मानना ठीक नहीं मसभना।

सन् १९०२ तक भारत सरकार कृषकों के लिये १० लाख ६० वार्षिक खर्च किया करती थी परन्तु अब २० लाख प्रति वर्ष खर्च करती है जो कि किसानों की दरिद्र अवस्था और संख्या देखने हुए कुछ भी नहीं है। अन्य देश वाले किस प्रकार किसानों के लिये खर्च करते हैं सो देखिये—

नामदेश	वार्षिक खर्च
रूस	६ करोड़ रुपये वार्षिक
अमेरिका	१ करोड़ बीस लाख
इटली	४० लाख
स्वीडन	२५ लाख
डेनमार्क	१० लाख
भारत	६० लाख

# भारतवर्ष की साम्पत्तिक अवस्था ।



हमने इस ग्रन्थ के आरम्भ में प्राचीन भारत की साम्पत्तिक अवस्था का थोड़ासा दिग्दर्शन कराया है । उससे पाठकों को मालूम हुआ होगा कि प्राचीन काल में भारतवर्ष कितनी उच्च कोटि की समृद्ध अवस्था पर पहुँचा हुआ था । इसके बाद ही हमने उन कारणों को भी प्रकट करने की चेष्टा की है जिनसे भारतवर्ष आज दीन हीन दशा पर पहुँचा है ।

सर विलियम हटर महोदय, जो भारतीय इतिहास के अत्यन्त नामाङ्कित ज्ञाता समझे जाते हैं, लिखते हैं —

“Forty millions of the people of India were seldom or never able to satisfy their hunger.” अर्थात् भारतवर्ष के चार करोड़ मनुष्य कभी अपनी भूख बुझाने में समर्थ नहीं होंगे । “Prosperous British India” नामक सुप्रख्यात ग्रन्थ के लेखक मि० विलियम डिग्बी लिखते हैं —

“40 Millions of people are in a state of chronic starvation, not knowing from January to December, what it is to eat and be satisfied, their worm of hunger dieth out.” अर्थात् चार करोड़ भारतवासियों को मुहर्तों से भूखों मरना पड़ता है । वे जनवरी से दिसम्बर तक यह नहीं जानते कि पेट भर भोजन किस चिड़िया का नाम है । उनकी सधा की दाह नहीं बुझती । जनकरी भूख का कीटा नहीं मरता । सि० ए० ए० ए० ए०, जो सन् १८६० में कृषि विभाग के सेक्रेटरी थे, लिखते हैं:—



में अनेक विपण उपस्थित होते रहे हैं। ऐसी विपत्ति और दुःख के समय सरकार को उचित या कि उनका कर—भार कम काती। परन्तु ऐसे कृमय में भी उमने प्रजा से १ करोड़ ४ लाख रुपये अधिख लेने की व्यवस्था की! इससे बढ़कर दुःख की बात और क्या हांगी?" इन सब बातों को बढ़कर गोखले महोदय ने आगे कहा था "जब बजट में दिम्पलाया गया है कि अथ से प्रति वर्ष खजाने में चाहे मात्र करोड़ रुपयों की बचत हुआ करेगी तब ऊपर कहे हुए प्रदेशों के गरीब किसानों का लगान मँकड़ा २०) रुपये के हिसाब से कम कर देने पर सरकारी लगान में वार्षिक तीन करोड़ रुपयों की ही कमी हांगी। जब इस प्रकार खजाना भरा पूरा है तब भी यदि सरकार वार्षिक तीन करोड़ रुपये का योग्य गरीब किसानों का कम न करे तो फिर क्या करेगी? सरकार के इस थोड़े से ही स्वार्थ-स्वाग से किसानों की स्थिति बहुत अधिक अच्छी हो जायगी।" कहना नहीं हांगा कि सरकार ने गोखले महोदय के इस उचित अनुरोध को मानना ठीक नहीं समझा।

सन् १९०५ तक भारत सरकार कृषकों के लिये १० लाख रु० वार्षिक खर्च किया करती थी परन्तु अब २० लाख प्रति वर्ष खर्च करती है जो कि किसानों की दूरिद अवस्था और संख्या देखने हुए कुछ भी नहीं है। अन्य देश वाले किस प्रकार किसानों के लिये खर्च करते हैं सो देखिये—

नामदेश	वार्षिक खर्च
रूस	६ करोड़ रुपया वार्षिक
अमेरिका	३ करोड़ बीस लाख
इटली	४० लाख
स्वीडन	५॥ लाख
डेनमार्क	३० लाख
भारत	२० लाख

# भारतवर्ष की साम्पत्तिक अवस्था ।



हमने इस ग्रन्थ के आरम्भ में प्राचीन भारत की साम्पत्तिक अवस्था का थोड़ासा दिग्दर्शन कराया है । उससे पाठकों को मालूम हुआ होगा कि प्राचीन काल में भारतवर्ष कितनी उच्च कोटि की समृद्ध अवस्था पर पहुँचा हुआ था । इसके बाद ही हमने उन कारणों को भी प्रकट करने की चेष्टा की है जिनसे भारतवर्ष आज दीन हीन दशा पर पहुँचा है ।

सर विलियम हटर महोदय, जो भारतीय इतिहास के अत्यन्त नामाङ्कित ज्ञाता समझे जाते हैं, लिखते हैं —

“Forty millions of the people of India were seldom or never able to satisfy their hunger.” अर्थात् भारतवर्ष के चार करोड़ मनुष्य कभी अपनी भूख बुझाने में समर्थ नहीं होंगे । “Prosperous British India” नामक सुप्रख्यात ग्रन्थ के लेखक मि० विलियम टिग्वी लिखते हैं —

“40 Millions of people are in a state of chronic starvation, not knowing from January to December, what it is to eat and be satisfied, their worm of hunger dieth out.” अर्थात् चार करोड़ भारतवासियों को मुहत्तों से भूखों मरना पड़ता है । वे जनवरी से दिसम्बर तक यह नहीं जानते कि पेट भर भोजन किस चिड़िया का नाम है । उनकी सूधा की दाह नहीं बुझती । उनकी भूख का काँडा नहीं भरता । मि० ए० ओ० ह्यूम, जो सन् १८६० में कृषि विभाग के सेक्रेटरी थे, लिखते हैं—

"Except in very good seasons, multitudes, for months every year, can not get sufficient food for themselves and family.", अर्थात् बहुत अर्धा पमल के दिनों के सिवा ज़ायों मनुष्य महीनों तक अपने जिंघे या अपने कुटुम्ब के लिये पूरा भोजन नहीं पाते ।" सर वाल्म इंक्विज़, जो कि आसाम के चीफ कमिश्नर थे, लिखते हैं —

"I do not hesitate to say that half the agricultural population do not know from one year end to another, what it is to have a full meal." अर्थात् मैं यह कहने में न हिचकूंगा कि आधे किसान साल भर में कभी यह नहीं जानते कि पूरा भोजन किस चिड़िया का नाम है ? एक मिन्डिचयन समाचार पत्र ने लिखा था —

"It is safe to assume that 100,000,000, of the population of India have an annual income of not more than 5 Dollar a head" अर्थात् यह मान लेने में कोई हानि नहीं कि हिन्दुस्थान के दस करोड़ मनुष्यों की आमदनी प्रति साल प्रति मनुष्य ५ डॉलर से ज्यादा नहीं है ।" मि० मैकडॉनल्ड ने कहा था—

"From thirty to fifty million families live in India on an income, which does not exceed 3½d per day. In July 1600 according to the Imperial Gazzetier, famine relief was administered daily to 6,500,000 persons. The poverty of India is not an opinion, it is a fact. At the best of times the cultivator has a mill stone of debt around his

“neck.” अर्थात् भारत में तीन करोड़ से लेकर पांच करोड़ तक ऐसे कुटुम्ब हैं, जिनकी आमदनी ३॥ पेन्स प्रति दिन से ज्यादा नहीं है ! सन् १९०० के जुलाई मास में इम्पीरियल गैजेटियर के अनुसार, कोई ६५००००० मनुष्यों को फेमीन रिलीफ से सहायता दी गई ! भारत केवल कहने के लिए ही नहीं बल्कि सचमुच बहुत दरिद्र है । इन्हीं महाशय ने अपने “The Awakening of India” नामक ग्रन्थ में लिखा है:—

“India is the home of poverty stricken.” अर्थात् भारतवर्ष भूखों मरते हुए मनुष्यों का घर है ।” सर विलियम हंटर ने सन् १८८३ में श्रीमान् वार्डसराय की कौंसिल में कहा था

“The Government assessment does not leave enough food to the cultivator to support himself and his family throughout the year” अर्थात् सरकार का लगान किसानों और उनके कुटुम्बों के लिये साल भर खाने के लिये पूरा अन्न भी नहीं छोड़ता । मि० हरबर्ट कॉम्पटन अपनी “Indian life” में कहते हैं:—

“There is no more pathetic figure in the British Empire than Indian peasant.” अर्थात् ब्रिटिश साम्राज्य में हिन्दुस्थानी किसान के समान हृदय को द्रवित करने वाला और कोई मनुष्य नहीं है ।

मि० विलियम टिग्वी महाशय ने अपने “Condition of India” नामक ग्रन्थ में एक अमेरिकन मिशनरी का मत उद्धृत किया है । उसका आशय यह है—

“गत वर्ष ( सन् १९०१ ) सितम्बर मास में दौरा करते हुए मुझे वहाँ ही दुःखपूर्ण अनुभव हुआ । मेरे ठेरे के आस पास दिन रात

हजारों भूखों मरते हुए मनुष्यों का कुंड लगा रहता था। मेरे मकानों में सिखा इसके और कोई शब्द ही नहीं आता था "हाय ! हम अन्न के बिना मर रहे हैं" ! सचमुच लोगों को दो दो तीन तीन दिन में एक एक भूख मुश्किल से भोजन मिलता था। मैंने तीन सौ आदमियों की आमदनी की जाँच की, जिससे मुझे मालूम हुआ कि प्रति मनुष्य की आमदनी औसतन तौर से प्रति दिन एक फार्दिंग ( घाना ) से भी कम है। मैंने गौपदियों में जाकर इन्हें देखा तो मुझे मालूम हुआ कि बहुत से लोग मिलजुल सदे हुए अनाज से अपना निर्वाह करते हैं। यह भी उन्हें दो तीन दिन में कभी एकाध बार नसीब होता है ! इस पर भी तारीफ़ यह कि यह साख ( सरकार द्वारा ) अकाख नहीं माना गया। धरे भाई ! ईश्वर के नाम पर यह तो कहो कि यह अकाल नहीं तो और क्या है ? हिन्दुस्थान के गरीब लोगों की अत्यन्त दरिद्रता असाधारण स्थिति उपस्थित करती है। इसमें जीवन जीतना दुःखी और संकीर्ण रहता है, वह अकल्पित है। कई कुटुम्बों के घर, मामान, बत्तन, वासन आदि सब मिला कर तीस रुपये मूल्य के भी नहीं होते। इनमें से बहुत से कुटुम्बों में प्रति मनुष्य पीछे औसत १॥) रुपये से ज्यादा आमदनी नहीं होती। किसी की तो औसत आमदनी इससे आधी होती है।"

उक्त पादरी साहब की बातें रत्ती रत्ती सच्च थीं। ऊपर हमारे बंधुओं की भीषण और परम करुणाजनक स्थिति का जो चित्र खींचा गया है, वह हमारी राय में फिर भी अपूर्ण है। जिन लोगों ने सम्वत् १९२६ का अकाख देखा है, वे जानते हैं कि उस समय जिधर देखिये उधर ही हजारों मनुष्य ऐसे दिखलाई पड़ते थे, जिनका पेट भूख के मारे बँटा जाता था, जिनकी आँखें बाहर निकल रही थीं, जो चलने में गिर पड़ते थे, जो अन्न के एक एक दाने के छिये कुत्तों की तरह लड़ते थे, जिनके बदन पर सिखा एक खंगोटी के और कुछ भजर ही नहीं आता था, जिन्हें खाने को रोहूँ की रोटी तो दूर रहे, ज्वार मक्का की रोटी तक नहीं मिलती थी। हाय !

यहाँ तक देखा है कि सड़ी हुई ज्वार से खपरिया नामक जो सफेद धूल निकलती है, उसके लिये भी लोग तरसते थे ! कई अभाग्यवशियों की छालें पका पका कर खाते थे, और कुछ दिन तक उनसे अपना जीवन निर्वाह करते थे । यहाँ तक देखा गया है कि भूखी माँ दो वर्ष के बच्चे के हाथ से रोटी छीन कर खा रही है !! देहातों और कस्बों में मुर्दों के ढेर के ढेर लगे हुए हैं, जिन्हें सरकार उठवा कर फिकवा रही है !! दो दो रुपयों में लोग अपने बच्चों को बेचते थे !! कहां तक कहे हमारी तो लेखनी काम नहीं करती ! इस प्रकार का कल्याणजनक दृश्य शायद ही कभी सभ्य संसार के इतिहास में उपस्थित हुआ होगा । सम्वत् १९५६ ( सन् १९०० ) के अकाल का नाम सुनकर आज भी बहुत से लोगों के कलेजे गरते हैं । इस प्रकार कई भीषण अकाल पड़े, जिनमें लाखों मनुष्यों की जानें गईं !

कुछ वर्ष पहले मैं अपने एक बन्धु के विवाह में बुंदेलखण्ड गया था । वहां मैंने गरीबी का जो हृदय-द्रावक दृश्य देखा, वह मैं कभी नहीं भूल सकता । मैंने प्रत्येक नगर में हजारों भूखी मरते हुए तिनके जैसे दुबले पतले तथा पृथ मनुष्य देखे । अन्न के कणों के लिये या रोटी के टुकड़ों के लिये सैकड़ों भिखमगे हमेशा द्वार पर आते थे । उनको देखने से मालूम होता था कि दो दो तीन तीन दिनों में भी इन्हें पूरा भोजन नहीं मिलता । मैंने एक बार एक दृश्य देखा, जो अत्यंत मेरे हृदय में अंकित है। मैंने देखा कि मेरे एक साथी ने ककड़ी के कुछ टुकड़े नाली में फेंके । उन्हें खेने की लोगों के मुँह के मुँह उमड़ पड़े और पेशाब तथा गंदी चीजों से भरी हुई नाली से उन टुकड़ों को उठाकर खा गये ! हाय कितना हृदय-द्रावक चित्र है ! गरीबी और भूखका इतना भयानक दृश्य शायद ही किसी सभ्य देश में उपस्थित होगा ।

इस प्रकार दरिद्रता के अनेक हृदय-द्रावक चित्र इस इतभाष्य देश में नित्य प्रति देखे जाते हैं। इस अभागे देश के करोड़ों मनुष्य किस प्रकार अपना गुजर करते हैं; किस प्रकार वे अपनी खी पुत्रों और बुदुब्बियों का पालन करते हैं; वे क्या पहनते और ओढ़ते हैं, बीमारी के समय खाने पीने की तथा वैद्यकीय सहायता की उनके लिये कैसी व्यवस्था रहती है, इन बातों की सूक्ष्म जाँच करोड़ों किसानों और मजदूरों की भोंपड़ियों में जाकर की जावे और उसका फल प्रकट किया जावे तो हम समझते हैं एक ऐसा हृदय द्रावक और करुणाजनक चित्र सामने आवेगा जो इस युग की दरिद्रता के इतिहास में बेजोड़ होगा।

यह तो हुई निम्न श्रेणी के लोगों की यात। अब मध्यम श्रेणी के लोगों को लीजिये। इनकी भी स्थिति पुरी है। मैंने देखा है कि यद्यपि इस श्रेणी के कई लोग ऊपर से बने ठने हुए दीखते हैं पर इनके घरों की स्थिति का आप दिग्दर्शन करेंगे तो वहाँ भी आपको चूहे तक एकादशी करते हुए मिलेंगे। इस श्रेणी के बहुत से घरों में देखा गया है कि एक कमाता है और सारा घर खाता है। क्योंकि इस श्रेणी के लोगों की औरतें अपनी शान के लिहाज से कोई उत्पादक काम नहीं करतीं। शिक्षा के अभाव कारण उनका सारा जीवन चूल्हे पकी ही की फ़िक में जाता है। यह बात इस श्रेणी के लोगों के लिये आर्थिक दृष्टि से हानिकर है। इसके सिवा इन लोगों में नौकरी पेशा लोग अधिक होते हैं जिन्हें शान से रहना पड़ता है और इस वक्त चीजों की दर बहुत ज्यादा बढ़ जाने से इसमें तिगुना या चौगुना खर्च पड़ता है और आमदनी में दूनी तरहकी भी नहीं हुई है। इससे इनकी स्थिति भी बिल्कुल अच्छी नहीं है। कई दृष्टियों से विचार करने पर इनकी स्थिति को भी अगर निम्न श्रेणी के लोगों की स्थिति के समान दरिद्रतायुक्त कहे तो कुछ अतिशयोक्ति न होगी।

इन सब बातों से भारत की दरिद्रता का पता लगता है। इसके सिवा जब हम उसकी आमदनी के बीसत पर विचार करते हैं तो इस

-अभागे और कम नवीब देश की भीषण स्थिति का ढरावना चित्र आँखों के सामने आ जाता है । सरकारी गणना के अनुसार प्रत्येक हिन्दुस्थानी की औसत आमदनी उस समय अधिक से अधिक प्रति साल ३०) थी । लॉर्ड क्रोमर ने जो कि भारत के अर्थ तन्त्रिब थे, सन् १८८२ में हर एक आदमी की औसत आमदनी २०) प्रति साल अंदाज़ की थी । भारत के भूतपूर्व वाइसराय लार्ड कर्जन ने इसे ३०) प्रति वर्ष माना है । लॉर्ड जार्ज मिल्टन ने जो कि भारत के स्टेट सेक्रेटरी थे, सन् १९०१ के अपने बजट सम्बन्धी व्याख्यान में हर एक हिन्दुस्थानी की आमदनी की औसत दो पाउन्ड अर्थात् लगभग ३०) कहा है । मि० विलियम डिग्बी ने अपनी गहरी जाँच के बाद इसका परिमाण केवल २७) ही स्वीकार किया है । कहने का मतलब यह कि हिन्दुस्थानियों की आर्थिक दशा कितनी हीन थी यह बात उपर्युक्त पारचात्य अर्थशास्त्र वेत्ताओं के मतों से स्पष्ट होती है । उस पर भी यहाँ एक बात ध्यान में रखना आवश्यक है । वह यह कि यह औसत निकालने में करोड़पतियों और लखपतियों की आमदनी को भी हिसाब में लिया गया है । अगर इनकी आमदनी को एक तरफ़ रख कर केवल गरीब लोगों का आमदनी की औसत देखी जावे तो यह औसत बहुत ही कम निकलेगी ।

हिन्दुस्थान की आर्थिक स्थिति कितनी शोचनीय है । गरीबी के कारण उसपर प्लेग आदि कैसी आफ़तें पड़ रही हैं । इसका चित्र रीचते हुए अमेरिका के सुप्रसिद्ध डॉक्टर सन्दरलैण्ड लिखते हैं—

“The truth is, the poverty of India is something we can have little conception of unless we have actually seen it, as alas, I have..... .. Is it any wonder that the Indian peasant can lay up nothing for time of need. The extreme destitution of the people is principally responsible for



the devastations of plague. The loss of life from this terrible scourge is startling. It reached 272,000 in 1901; 500,000 in 1902, 8,000,000 in 1903; and over 1,000,000 in 1904. It still continues unchecked. The vitality of the people has been reduced by long semi starvation. So long as the present destitution of India continues there is small ground for hope that the Plague can be over come..... The real cause of famines in India is not lack of rain; it is not over-population, it is the extreme, the abject, the awful poverty of the people."

अर्थात् सच बात तो यह है कि हिन्दुस्थान की दरिद्रता की हमें बहुत थोड़ी कल्पना है। इसकी कल्पना हमें तब ही हो सकती है, जब हम हमें अपनी आँखों से देखें। हाय ! मैंने इस दरिद्रता के चित्र को अपनी आँखों से देखा है..... क्या यह बात प्राश्नजनक नहीं है कि हिन्दुस्थानी किसान ज़रूरत के समय के लिये कुछ भी नहीं बचा सकता ? प्लेग से जो सर्वनाश होता है, इसके लिये खास तौर से जिम्मेदार लोगों की दरिद्रता है। प्लेग से जो जीव हानि होती है, यह भयानक है। सन् १९०१ में २७२,०००, सन् १९०२ में ५००,०००., सन् १९०३ में ८००,०००, और सन् १९०४ में १,०००,००० मनुष्य इस रोग से मरे। बहुत दिनों तक भूखे रहने की वजह से हिन्दुस्थानी लोगों की जीवनशक्ति ( vitality ) बहुत ही कम हो गई है, और जयतक यह दरिद्रता बनी रहेगी, तब तक यह आशा करने का बहुत कम अर्थसर है कि प्लेग का नाश हो सकेगा। हिन्दुस्थान में अकाल पड़ने का कारण वर्षा की कमी नहीं, बन्दी हुई जनसंख्या नहीं, पर वह लोगों की घोर ( abject )

और भयानक दरिद्रता है ।” इंग्लैण्ड के सुप्रसिद्ध साम्यवादी मि० हियडमैन लिखते हैं—

“The agricultural population of India is the most poverty-stricken mass of human beings in the whole world. It constitutes four-fifths of the whole of the inhabitants of Hindustan.” अर्थात् हिन्दुस्थान के किसान सारी दुनियां के मानव प्राणियों में सबसे अधिक दरिद्रता-ग्रस्त हैं ।” इन्हीं हियडमैन महोदय ने अपनी “Bankruptcy of India” नामक ग्रन्थ में इस आशय के वचन लिखे हैं—

“हिन्दुस्थान के लोग दिन प्रति दिन ज्यादा गरीब होते जा रहे हैं । उनके ऊपर कर का जो बोझा है वह केवल भारी ही नहीं पर दुःसह भी है । वहाँ थकाल बहुत पड़ते हैं । वहाँ का सुमङ्गलित विदेशी शासन इस गरीब देश से सम्पत्ति का विशाल प्रवाह खींच ले जाता है ।”

सन् १८८८ में लार्ड डफ़रिन ने हिन्दुस्थानियों की सम्पत्ति की जाँच (Confidential enquiry) की थी । इस जाँच के परिणाम कभी प्रकाशित नहीं किये गये, पर दिम्बी महोदय ने अपने सुप्रख्यात ग्रन्थ “Prosperous British India” में इसकी गुप्त रिपोर्ट के कुछ अंश प्रकाशित किये हैं । उसमें कमिश्नर मि० हैरिंगटन ने अपनी रिपोर्ट में अवध गेनेटियर के कर्ता मि० वेनेट का हवाला देते हुए लिखा है—

“The lowest depths of misery and degradation are reached by the kotis and Chamars whom he describes always on the verge of starvation.” अर्थात् कोरी और चमार खोगों की गरीबी और अधोगति सबसे अधिक गहरी है । मि० वेनेट कहते हैं कि ये येचारे हमेशा भूखी तरते हैं । मि० हैरिंगटन ने सन् १८७६ में “पायोनियर” में लिखा था—

"It has been calculated that about 60 percent of the entire native population,.... are sunk in such abject poverty that unless the small earnings of child labor are added to the scanty stock by which the family kept alive, some members would starve."

अर्थात् इस बात का अंदाज़ किया गया है कि लगभग ६० प्रतिशत हिन्दुस्थानी इतनी ग़ोर दरिद्रता में फँसे हुए हैं कि अगर उनकी छोटी आमदनी में बच्चों की मजदूरी के पैसे न मिलाये जाएँ, तो उनके कुटुम्ब के कई लोग भूखों मर जायें। मि० ए० जे० लारेन्स जो कि प्रयाग के कमिश्नर थे, लिखते हैं कि हिन्दुस्थान के गरीब लोग हमेशा आधे पेट रहते हैं।



# भारतीय जागृति की प्रथम ज्योति



गत अध्यायों में हमने भारत की पराधीनता के कारणों पर और और उसके कारण होने वाले विनाश पर कुछ प्रकाश डाला है। संसार परिवर्तनशील है और अन्धकार के बाद प्रकाश और प्रकाश के बाद अन्धकार, यह विश्व का अटल नियम है। इसी नियमानुसार घोर अन्धकार में गुजरते हुए भारतवर्ष में कुछ प्रकाश-मय ज्योतियाँ प्रकट हुईं, जिन्होंने भारतवर्ष में नवीन जीवन के स्फुलिंग उत्पन्न किये। इन ज्योतियों में सर्व प्रथम राजा राममोहनराय थे, जिन्होंने उस अन्धकार-मय युग में अलौकिक प्रकाश फैलाया था। उन्होंने विश्वप्रेम और सकल मानवजाति की एकता का संदेश दिया था। भारतीय संस्कृति और भारतीय धर्म की आत्मा को उन्होंने पहचाना था। पूर्व और पश्चिम की संस्कृतियों का समन्वय कर एक नवीन संस्कृति को जन्म देना उनके जीवन का प्रधान ध्येय था। वे भारतीय समाज में एक सर्वांगीण क्रान्ति करना चाहते थे और इस महान् उद्देश की सिद्धि के लिये भारतवासियों के धार्मिक आचार विचार में क्रान्ति करना वे आवश्यक समझते थे। धर्म समाज का हृदय है और यदि समाज के सब व्यवहारों में सुधार, परिवर्तन अथवा क्रान्ति करना है तो पहले उसके हृदय में परिवर्तन होना चाहिये—अथवा डॉक्टर भाषणकर के शब्दों में “पहले आत्मा की उन्नति होना चाहिये। विशेष कर उस समाज के सर्वांगीण सुधार पर तो यह न्याय और भी अधिक लागू पड़ता है जिसके सब व्यवहारों पर धर्म का नियन्त्रण रहता है।” यह विचारधारा राममोहनराय की प्रवृत्तियों के अन्तर्गत काम करती थी।

इसी विचारधारा से प्रभावित होकर उन्होंने ब्रह्म-समाज नामक एक नये समाज को जन्म दिया। ब्रह्म-समाज के सिद्धान्त उपनिषदों पर निर्भर थे। यह कहने की आवश्यकता नहीं कि उपनिषद् ग्रन्थ भारतीय संस्कृति और सभ्यता के समुज्ज्वल रत्न हैं और उन्होंने अपने अध्यात्म दर्शन के अलौकिक प्रकाश से मनावजाति के ज्ञान पथ को आलोकित किया था। इतना ही नहीं, उन्होंने अन्य धर्मों से भी प्रकाश ग्रहण कर अपने सिद्धान्तों की दिव्यता को और भी अधिक समुज्ज्वल किया था। राजा राममोहनराय ने, जैसा कि हम ऊपर कह चुके हैं, उपनिषदों को ही अपना पथ प्रदर्शक बनाया था। उन्होंने मानवीय समानता के लिये जोरदार आवाज उठा कर भारतवर्ष में प्रचलित अछूत, अस्पर्श्यता का प्रबल विरोध किया था। आपका कथन था कि अस्पर्श्यता भारतीय समाज का एक ऐसा रोग है जो उसे रात दिन खाये जा रहा है और उसे चय प्रस्त कर रहा है। इसके अतिरिक्त भारत के महान् आदर्श विरव-बन्धुत्व के रास्ते में भी यह एक बड़ा कष्टक है। उन्होंने भारतीय समाज को द्विधर्मिष्ठ और खोखला करने वाले जाति भेद पर भी कठोर कुठारापात करने का प्रयत्न किया। उन्होंने स्त्री जति के उत्थान के लिये भी आवाज उठाई और विधवा विवाह, नारी समानता के आन्दोलनों का समर्थन किया।

कहने का सरंश यह है कि उन्नीसवीं सदी में उन्होंने एक ऐसे आन्दोलन को जन्म दिया, जिसके पीछे महान् नैतिक और आध्यात्मिक बल था। जिन कारणों से भारतीय समाज अधोगति की पहुँचा था उन कारणों पर, राजा राममोहनराय ने जोर का आघात किया और उसके सामने एक नया आदर्श रखा।

### राजा राममोहनराय और उनके राजनीतिक विचार

जिस युग में राजा राममोहनराय ने जन्म लिया था, वह युग भारतवर्ष के लिये बड़ा अन्वकारमय था। मुगल साम्राज्य के अन्तिम

समय में देश में जो अराजकता फैल गई थी उससे देश जर्जरित हो गया था। घरेलू खड़ाइयाँ और पारस्परिक राग द्वेष की भावना ने भारतीय-समाज-शरीर को अधिक रोगग्रस्त कर दिया था।

इस कारण लोगों की राजनैतिक भावनायें नष्ट प्रायः हो गईं थीं। पर ऐसे समय में भी राजा राममोहनराय ने जनताके अधिकारों के लिये आवाज उठाई। राजा राममोहनराय पर ब्रिटिश विधान और उसके अन्तर्गत रही हुई नागरिक स्वाधीनता का बड़ा प्रबल प्रभाव पड़ा। उन्होंने वैयक्तिक नागरिक स्वाधीनता के लिये आवाज बुलन्द की।

### राजा राममोहनराय और स्वतंत्रता प्रेम

राजा राममोहनराय मानवीय स्वाधीनता के कष्ट पचपाती थे। विचार-स्वातन्त्र्य, मुद्रण-स्वातन्त्र्य और धर्म स्वातन्त्र्य के वे कष्ट पचपाती थे। उनकी राजनीति बड़ी विशाल थी। जिस प्रकार उनके धर्म में विश्व-कल्याण की भावनायें थीं वैसे ही उनके राजनीति में भी विश्व-कल्याण की भावनायें थीं। वे भारत का कल्याण चाहते थे पर इसके साथ ही साथ सकल मानव जाति के कल्याण की भावना भी उनके हृदय को ओतप्रोत किए हुए थीं। वे संसार में सच्ची स्वाधीनता को प्रस्थापित करना चाहते थे और एक ऐसे समाज को जन्म देना चाहते थे जिससे एक राष्ट्र दूसरे राष्ट्र को शोषण करने के बजाय एक दूसरे के साथ प्रेम पूर्वक सहयोग रखे और अखिल मानवजाति का कल्याण साधन करे। महात्मा गांधी, श्री अरविन्द घोष, कविवर रवीन्द्रनाथ टैगोर आदि के विचार और राजा राममोहनराय के विचारों में इस सिद्धान्त में समानता थी कि राजनीति का सिद्धान्त सकल मानव जाति को कल्याण कामना को ध्यान में रखते हुए प्रस्थापित होना चाहिये।

### राजा राममोहनराय और मुद्रण स्वातंत्र्य

राजा राममोहनराय ने मानवीय भावों के स्वतंत्र प्रकारान पर बड़ा जोर दिया था। इसके लिये उन्होंने मुद्रण स्वातन्त्र्य का होना आवश्यक

समझ था। उन्होंने गुनीम कोर्ट और तत्कालीन मन्त्रालय को इन सम्बन्ध में जो मेमोरियल भेजा था, उसमें उनकी मुद्रण स्वातन्त्र्य मागधी गहरी लगन का पता लगता है। इन Memorial में उन्होंने दिग्दर्शाया था कि राजनीति के उदार सिद्धान्त मुद्रण स्वातन्त्र्य का धार से समर्थन करते हैं और यह तब तक और शायितों दोनों के लिये महान् हित कर है। सुप्रसिद्ध अंग्रेज कवि मिल्टन (Milton) की तरह उन्होंने यह प्रवृत्त किया था कि किमी भी मन्थ शासन के लिये जो सर्वोत्कृष्ट ध्येष्टता हो सकती है, या समाज की जो सर्वोत्कृष्ट प्रकाश और गुण प्राप्त हो सकता है उसका सबसे प्रबल साधन मुद्रण-स्वातन्त्र्य है। पर इन मुद्रण स्वातन्त्र्य में कुछ सर्वादापुं होनी चाहिये। इसका पाया शुद्ध जन प्रेम और लोक कल्याण की भाषना पर स्थिर होना चाहिये। पर दुःख के साथ कहना पड़ता है कि राजा राममोहनराय को इसमें सफलता न मिली। बल्कि इसके बाद सन् १८२३ ई० ईस्ट इन्डिया कम्पनी के कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स (Court of Directors) ने मुद्रण-स्वातन्त्र्य पर और भी अधिक बन्धन लगाने का विचार किया और भारत के तत्कालीन शासन को यह अधिकार दिया कि वह उचित समझने पर किमी भी छापेखाने का लायसेन्स वापस ले सकती है।

### राजा राममोहनराय और कृषक

राजा राममोहनराय कृषकों के भी भड़े हितैषी थे। उन्होंने किसानों पर अमीदारों द्वारा होने वाले अन्यायों के विरुद्ध जोर की आवाज बुलन्द की। उन्होंने तत्कालीन सरकार को लिखा कि “यह सरकार का अधिकार और कर्तव्य है कि वह निरसहाय किसानों की रक्षा करे। उनकी दशा अत्यन्त दयनीय है। सरकार किसानों को बहुत ही कम कानूनी संरक्षण देती है।” (Ram mohan Rai's works)

राजा राममोहनराय का हृदय किसानों की अत्यन्त द्रविद, दयनीय दशा देख कर द्रवीभूत हो जाता था। वे लिखते हैं कि—‘किसानों की

दशा इतनी दुःखपूर्ण है कि उसे देखकर मेरे हृदय को सबसे अधिक दुःख होता है। इस स्थिति को सुधारने के लिये यह आवश्यक है कि जमींदारों से यह अधिकार कतई छीन लिया जाय कि वे माल गुजारी में किसी भी प्रकार की घृद्धि कर सकें। इस सम्बन्ध में अगर परम्परागत प्रथा को तोड़ना पड़े तो उसे बिना किसी हिचकिचाहट के कतई तोड़ देना चाहिये। किसी भी सभ्य सरकार का यह कार्य्य है कि यह न्याय को दृष्टि में रख कर ऐसी अन्यायकारी प्रथा को नेस्त नाबूद कर दे। किसानों की मौजूदा मालगुजारी में भी बहुत कुछ कमी होना चाहिये।”

राजा साहब से यह भी सुझाव रहा कि किसानों के लगे हुए कर में कमी होने से सरकार को जो रकति होगी उसको पूर्ति विलायत से आने वाली विलास सामग्री पर कर लगाकर की जावे।

### राजा राममोहनराय और अन्तर्राष्ट्रीय एकता

जैसा कि हम ऊपर कह चुके हैं, राजा राममोहनराय अन्तर्राष्ट्रीय सहयोग और एकता के कट्टर हिमायती थे। उन्होंने ईसाई लोगों को अपील करते हुए भगवान् से यह प्रार्थना की थी “सर्वशक्तिमान ईश्वर हमारे धर्म की ऐसा बनावे जिससे आपसी द्वेष भाव नष्ट हों और मनुष्य मनुष्य से घृणा करना बन्द कर दे। इतना ही नहीं, सारी मनुष्य जाति को एकता और शान्ति के पथ में ले जाने में यह धर्म सहायक हो।”

राजा राममोहनराय विश्वबन्धुत्व की उदार भावना के द्वारा संसार को प्रेम के एक सूत्र में बाँधना चाहते थे। वे भारत और ब्रिटेन के सम्बन्धों को भी प्रेम की नींव पर खगाना चाहते थे। उनका विचार था कि लोगों की साम्प्रतिक सुरक्षा, लोगों के लिए सब प्रकार के नागरिक अधिकारों का भोग, और जनमत का आदर आदि तत्वों के अथलम्बन से भारत और ब्रिटेन का सम्बन्ध अधिक मित्रतापूर्ण हो सकता है।

इसके अतिरिक्त उन्होंने समस्त यूरोपियन राष्ट्रों से यह अपील की थी कि वे आसपास के एशियाई राष्ट्रों को सुनसृत और सुसभ्य करने का



महान् कार्य (Great mission) करें ।

## राजा राममोहनराय और नारी-स्वातन्त्र्य

राजा राममोहनराय पुरुषों के साथ-साथ नारी-जागृति के भी प्रबल समर्थक थे । उन्होंने उन प्रथाओं का जोरदार विरोध किया जिनसे नारी-जाति पर अत्याचार होते थे । उन्होंने सति-प्रथा को रोकने के लिये जोरदार प्रभाव डाला । उन्होंने विधवा-विवाह के लिये भाषाज मुखर्द की और उसे समाज सुधार का एक अत्यन्त आवश्यक अङ्ग बतलाया ।

कहने का सार यह है कि भारतीय समाज को एक शक्तिशाली और शरदृश समाज बनाने के लिये जिन तर्कों की आवश्यकता थी, उनका उन्होंने जोरदार समर्थन किया ।



# भारत में विचार-क्रान्ति का प्रारम्भ



राजा राम मोहनराय, जैसा कि हम गत पृष्ठों में कह चुके हैं, पौराण्य और पाश्चात्य संस्कृतियों के एकीकरण से एक नवीन संस्कृति को जन्म देना चाहते थे। इसके लिये उन्होंने शिक्षा प्रचार को सबसे अधिक उपयुक्त साधन समझा था। उन्होंने कलकत्ते में हिन्दू कॉलेज नामक संस्थी खोलने में प्रमुख भाग लिया। इस कॉलेज ने कुछ ऐसे प्रतिभाशाली विद्यार्थी उत्पन्न किये, जिन्होंने भारतवर्ष की जागृत्तिकाल के आरंभ में, राजकीय क्रान्तिकारी विचारों को जन्म दिया। इन विद्यार्थियों में ताराचन्द्र चक्रवर्ती, दक्षिण निरंजन मुखोपाध्याय, रसिक कृष्ण मल्लिक, रामगोपाळ घोष, प्यारी चन्द्र मिश्र आदि के नाम विशेष उल्लेखनीय हैं। ये सब युवक यूरोप के क्रान्तीकारक विचारों से बड़े प्रभावित हुए थे। सन् १८३६ ई० के मई मास में इङ्ग्लिशमैन नामक पत्र के संवाददाता ने हिन्दू कॉलेज के विद्यार्थियों के राजनैतिक मत के लिये लिखा था:—

“राजनीति में ये सब युवक उम्र और क्रान्तिकारक विचार रखते हैं। ये बेन्थम (Bentham) के राजनैतिक सिद्धान्तों के अनुयायी हैं। टोरी (ट्रिकियानूसी) शब्द उनके लिये एक घृणा का शब्द है। उनके विचारानुसार हर एक सरकार को सहनशीलता का तत्त्व अपनाना चाहिये और लोगों में ज्ञान के प्रचार के द्वारा सुधार करना चाहिये। अर्थशास्त्र में ये ऐडम स्मिथ (Adam Smith) के अनुयायी हैं। उनका यह स्पष्ट मत है कि एकाधिकार की पद्धति (System of Monopoly), व्यवसायों पर लगाई जानेवाली रोक (Restrictions upon Trade) और बहुतसे राष्ट्रों के अन्तर्राष्ट्रीय कानून उद्योग-धर्मों को पगु करते हैं, कृषि की उन्नति में बाधा पहुँचाते हैं और व्यापार के स्वामाधिक प्रवाह में

रोक लगाते हैं।" इसके अतिरिक्त इन नवयुवकों ने बंगाल की जनता में राजनैतिक भावनाओं का प्रचार करने में बड़ा काम किया। हिन्दू-कॉलेज के इन युवकों पर अध्यापक हेनरी विवियन डेरोझियो (Henry Vivian Derozio 1809-1831) के व्यक्तिगत और शिक्षा का बड़ा प्रभाव पड़ा था। सन् १८२८ ई० में डेरोझियो हिन्दू कॉलेज का चतुर्थ अध्यापक नियुक्त हुआ और सन् १८३० ई० तक उसने उक्त कॉलेज में अध्यापक का कार्य किया। थॉमस एडवर्ड (Thomas Edwards) ने सन् १८८४ ई० में हेनरी वि० डेरोझियो की जीवनी लिखी थी उसमें उन्होंने लिखा था—“वह एक आदर्श अध्यापक, प्रतिभाशाली सङ्गठनकर्ता, उत्साही पत्रकार, दिव्य कवि और उच्च श्रेणी का तत्त्वज्ञानी था। वह इन्डियन गेझेट (Indian Gazette) का सहकारी सम्पादक था। यह पत्र अत्यन्त उम्र राजनैतिक विचारों का था। इसके अतिरिक्त डेरोझियो कलकत्ता लिटरेरी मगज़ (Calcutta Magazine) इन्डियन मगज़िन (Indian Magazine), बङ्गाल एन्नुअल (Bengal Annual) में भी लेख दिया करता था। उसके विद्यार्थी उसे बड़ी श्रद्धा की नज़र से देखते थे और वे उसे बंगाल के सर्वोच्च निर्माणकर्ताओं में से एक मानते थे।”

सन् १८४२ ई० में उसकी मृत्यु पर उसके प्रतिभाशाली विद्यार्थियों ने बङ्गाल स्पेक्टेटर नामक पत्र में जो लेख लिखा था, उसमें निम्न लिखित शब्दों में उसे स्मरण किया गया था।

“डेरोझियो ने भारतीय युवकों के मन पर अपना जीवन दायक सुप्तकृत (Enlightening) और आनन्ददायक (Cheerful) प्रभाव डाला और उनके अन्तःकरण में उसने एक कान्ति उत्पन्न की जो कि आज तक अपना प्रभाव बनाये हुये है। उसका नाम आज भी विद्यार्थीगण आदर से स्मरण करते हैं।

इसके प्रागे चलकर लिखा है कि "डेरोभियो, जीवन के हर पहलू में स्वाधीनता का बड़ा पूजारी था। उसने अपने विद्यार्थियों के अन्तःकरणों को देश भक्ति की भावनाओं से ओत प्रोत कर दिया था।"

प्यारीचन्द्र मित्र ने अपने ग्रन्थ Life of David Hare में डेरोभियो के सम्बन्ध में कहा है—

"डेरोभियो अपने विद्यार्थियों को स्वतः विचार करने की शिक्षा देता था। वह उन्हें सत्य के लिये जीने और मरने की शिक्षा देता था। वह उनसे सब प्रकार के सद्गुणों का विकास करने और बुराइयों और पापों से दूर रहने की जोरदार अपील करता था। प्राचीन इतिहास ग्रंथों से न्याय प्रेम, स्वदेश-भक्ति, परोपकार और ध्यात्म-त्याग के उदाहरण देकर उन्हें इन गुणों को अपनाने का आग्रह करता था। उसकी शिक्षाओं से विद्यार्थियों के दिल हिल उठते थे और उन पर गहरा प्रभाव पड़ता था।"

डेरोभियो ने अपने विद्यार्थियों को बेकन, शूम और टॉमस पेन आदि पाश्चात्य राजनीतिज्ञों के सिद्धान्तों का परिचय करवाया। राजनीति के इन महान् आचार्यों के क्रान्तिकारी सिद्धान्तों का इन युवक-हृदयों पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ा। फ्रांस की राज्य-क्रान्ति के इतिहास ने भी उनके हृदयों में घोर आन्दोलन उत्पन्न किया। हिन्दू कॉलेज के कुछ विद्यार्थी भारतवर्ष में भी फ्रांस जैसी राज्य-क्रान्ति कर विदेशी सत्ता को उखाड़ फेंकने का स्वप्न देखने लगे। सन् १८४३ में "बंगाल हरकारु" नामक पत्र में इनमें से कुछ विद्यार्थियों ने अपने क्रान्तिकारी विचारों का प्रदर्शन किया। हम उक्त पत्र से कुछ उद्धरण देते हैं जिनसे पाठकों को उनके विचारों का कुछ दिग्दर्शन होगा।

"अगर भारतवर्ष के निवासी फ्रांस की राज्य-क्रान्ति का अनुकरण कर स्वाधीनता के फलों को उपभोग करने का सौभाग्य प्राप्त करें तो संसार की दृष्टि में वे स्वतंत्र मनुष्यों की तरह आदर की निगाह से देखे जावेंगे और पृथ्वी के राष्ट्रों में वे अपना योग्य स्थान प्राप्त कर सकेंगे।"

हिन्दू कॉलेज के इन उत्साही विद्यार्थियों ने अपने विचारों का प्रदर्शन करने के लिए फई पत्रों का भी प्रकाशन शुरू किया जिनमें "हिन्दू पाँचो-नियर" (Hindu Pioneer), "बंगाल स्पेक्टर" (The Bengal Spectator), "ज्ञानान्धेषण" और "पार्थेनन" (Parthenon) आदि के नाम विरोध उल्लेखनीय हैं। ये घटनाएँ इसवी सन् १८२८ और १८४३ के बीच की हैं। कहने का मतलब यह है कि इसवी सन् १८२७ के गदर के पहिले भी भारत में स्वाधीनता के भावों का और विदेशी सत्ता की टक्काड़ फेंकने का बीजरूप से उपक्रम होने लगा था। इनके अतिरिक्त हिन्दू कॉलेज के विद्यार्थियों ने राजनैतिक और सामाजिक सुधार करने के लिए भी कुछ संस्थाएँ स्थापित की थीं जिनमें सय से पहली और मुख्य संस्था का नाम एकेडेमिक एसोसिएशन ऑर इन्स्टीट्यूशन (Academic Association or Institution) था। इस संस्था का उद्देश्य विचार-स्वातंत्र्य, लेखन-स्वातंत्र्य, स्वदेश-भक्ति, शुद्ध ईश्वर-भक्ति, मूर्ति-पूजा और पुरोहितवाद का विरोध आदि तत्वों का प्रचार कर लोक-जागृति उत्पन्न करना था। इसवी सन् १८३८ में तारिणीचरण बन्धोपाध्याय, रामगोपाल घोष, रामतनु साहिरी, ताराचन्द चक्रवर्ती और शत्रुघ्न दे ने मिलकर "साधारण ज्ञानार्जन समिति" (Society for the acquisition of General knowledge) नामक संस्था कायम की जिसका उद्देश्य लोगों को देश की वास्तविक स्थिति का परिचय करवाना, उपयोगी ज्ञान को फैलाना और लोगों में एकता और मानवभाव का प्रचार करना आदि था। रामगोपाल घोष इसके उपाध्यक्ष थे। महर्षि देवेन्द्रनाथ टैगोर ने, जिनकी अवस्था इस समय केवल २१ वर्ष की थी, इसकी सदस्यता स्वीकार की थी।

इसवी सन् १८४२ और १८४३ में उक्त कॉलेज के विद्यार्थी ताराचन्द चक्रवर्ती ने "क्वील" (The quill) नामक एक अंग्रेजी समाचार-पत्र का सम्पादन और प्रकाशन आरम्भ किया। इस पत्र में राजनीति के

अत्यन्त उम्र विचारों को प्रकाशन होता था ।

हिन्दू कालेज के विद्यार्थियों द्वारा प्रकाशित "हिन्दू पायोनियर" (Hindu Pioneer) नामक अंग्रेजी पत्र का हम ऊपर उल्लेख कर चुके हैं । इस पत्र का उद्देश्य हिन्दुओं को शासन-विज्ञान (Science of Government) की शिक्षा देना था और उन्हें अपने अधिकारों का ज्ञान करवाना था ।

इन नवयुवकों की प्रवृत्तियाँ यहाँ तक सीमित नहीं थीं । उन्होंने मानवी समानता के क्रान्तिकारी सिद्धान्तों का प्रचार किया और उच्च पदों पर केवल अंग्रेजों के एकाधिकार का जोरदार विरोध किया । उनका यह विश्वास था कि अगर शासन-सत्ता अयोध हुई और न्याय-शासन में भ्रष्टाचार घुस गया तो लोगों के नैतिक गुणों का भी हास होने लगेगा, इसलिए इनका शुद्ध और निर्लेप होना आवश्यक है । X


हिन्दू कालेज के विद्यार्थियों में रसिककृष्ण नामक सज्जन ने भी अपने राजनैतिक विचारों को निर्भीकता के साथ प्रकट किये थे । इन्होंने "ज्ञानान्वेषण" नामक मासिक पत्र में इसवी सन् १८३३ के १२ अप्रैल के अंक में लिखा था:— "सरकार का प्राथमिक कर्तव्य निरपेक्ष और शुद्ध न्याय का शासन करना है, पर यह कार्य उम्मी सरकार द्वारा हो सकता है जिसका उद्देश्य शासितों के हित और कल्याण की रक्षा करना है । पर भारतवर्ष में यह स्थिति नहीं है । हमें ऐसी स्थिति उत्पन्न करने के लिए जोरदार प्रयत्न करने चाहिये ।" इसके आगे चलकर उन्होंने लिखा था कि "ब्रिटिश भारत में जैसा शासन चल रहा है वह न्यायपूर्ण सिद्धान्तों के खिलाफ है क्योंकि ब्रिटिश भारत के शासकगण ऐसे लोग हैं जो अपने स्वार्थ की दृष्टि में सबकुछ काम करते हैं । वे केवल द्रव्य प्राप्ति की हीन

भायना के बरीभूत होकर काम करते हैं। इनका प्रत्येक कार्य स्वार्थ से परिपूर्ण रहता है। जब तक वर्तमान शासन पद्धति रहेगी तब तक हमें सुधारों की कोई आशा नहीं है।" इस प्रकार रसिककृष्ण मल्लिक ने अपने विचार प्रदर्शित करते हुए ईस्ट इण्डिया कंपनी के शासन को खत्म कर देने के लिए अपनी आवाज बुलन्द की थी।



# समाचार पत्रों का प्रकाशन

मानव अधिकारों का आन्दोलन



जनता की जागृति में समाचार पत्रों ने कितना हाथ बटाया है, यह बात संसार के समाचार पत्रों के इतिहास के अबलाकन से स्पष्टतया प्रतीत होती है। हिन्दू कॉलेज के विद्यार्थियों ने जनता में सामाजिक और राज-नैतिक भावनाओं का प्रचार करने के लिये अनेक पत्र पत्रिकाओं का प्रकाशन आरम्भ किया। इनमें The Parthenon, (२) ज्ञानान्वेषण, Hindu, Pioneer, 'The Bengal Spectator' आदि के नाम विशेष उल्लेखनीय हैं।

पार्थेनन ( The Parthenon ) नामक पत्र का प्रकाशन ईसवी सन् १८३० की १५ फरवरी को आरम्भ किया गया। यह साप्ताहिक पत्र था। प्रगतिशील राष्ट्रीय और सामाजिक भावनाओं का प्रचार कर जनता को जागृत करना उसका उद्देश था। इसने स्त्री-शिक्षा पर भी काफी जोर दिया। हिन्दुओं में फैले हुए अन्ध विश्वासों को दूर करने के लिये इसने प्रयत्न आन्दोलन किया। यह शीघ्र ही बन्द हो गया।

हिन्दू कॉलेज के विद्यार्थियों ने "ज्ञानान्वेषण" नामक पत्र का प्रकाशन ईसवी सन् १८३१ में आरम्भ किया। यह पत्र ईसवी सन् १८४४ तक बराबर चलता रहा। रामकृष्ण मल्लिक, रामतनु लाहिड़ी, तारकचन्द्र बोस, रामगोपाळ घोष, दक्षिण रंजन मुकुर्जी आदि उक्त कॉलेज के विद्यार्थी भवयुवक इसके सम्पादक थे। हिन्दुओं को शासन-विज्ञान ( Science of Government ) और न्याय-विज्ञान ( Jurisprudence ) का ज्ञान करवाना और उनमें राजनैतिक भावनाओं का विकास करना इसका प्रधान उद्देश था ( Calcutta, 1831 )



terly Magazine & Review 1833 P. 417)

हीमरा पत्र जो हिन्दू कॉलेज के विद्यार्थियों ने प्रकाशित किया था, उसका नाम 'Hindu Pioneer' था। यह 'स्वतन्त्रता' और 'विदेशियों के अधीनस्थ भारत' आदि विषयों पर खेस प्रकाशित किया करता था। उसने अपने एक लेख में लिखा था—“ब्रिटिश के अधीनस्थ भारत सरकार विशुद्ध रूप से अभिजात सन्नीय (Aristocratic) है। लोगों की सामन-सन्त्र में कोई आवाज नहीं है। देश के लिये कानून बनाने में उनका कोई हाथ नहीं रहता। देश के पदे पड़े पदों पर केवल गोरों का एकाधिकार (Monopoly) है। शासन का खर्च बहुत ही भारी है। यह स्थिति इतनी असहनीय है कि इसके खिलाफ जोरदार आन्दोलन करना प्रत्येक राष्ट्र भक्त का धर्म है।”

“जिन हिंसारमक माधनों से (violent means) से विदेशियों ने इस देश पर अपना आधिपत्य जमाया और यहां की जनता को शासन में हिस्सा लेने से च्युत किया, यह एक ऐसी स्थिति है जिसे कोई भी स्वाभिमानी राष्ट्रभक्त बर्दाश्त नहीं कर सकता। यहां की जनता न केवल शासन में हिस्सा लेने से ही अलग कर दी गई है, पर महारव के पदों से भी उसे च्युत कर गोरों को आसीन कर दिया गया है।” (Hindu Pioneer” quoted in the Asiatic Journal of May-August 1838)

उपरोक्त पत्रों के सिवा हिन्दू कॉलेज के विद्यार्थियों ने बद्दाख स्पेक्टेटर नामक एक चौथा पत्र निकाला। ईसवी सन् १८४२ में इसका प्रकाशन आरम्भ हुआ। यह राजनैतिक विचारों में साराधन्द चक्रवर्ती का अनुयायी था।

कहने का सारांश यह कि ईसवी सन् १८२७ के भारतीय स्वातन्त्र्य युद्ध के पहले भी जन-जागृति के लिये समाचार पत्रों को जोरदार साधन समझा गया था। अब कुछ सत्काशीन विचार-प्रगति कारक सज्जनों का

वृत्तान्त भी सुनिये ।

## रसिक कृष्ण मल्लिक

रसिककृष्ण मल्लिक हिन्दू कॉलेज के विद्यार्थियों में बड़े योग्य और प्रतिभाशाली थे । परिचित शिवनाथ शास्त्री ने लिखा है किरामतनु लाहिरी सर्रीसे उच्च कुलोत्पन्न ब्राह्मण सज्जन रसिक को अपना गुरु मानते थे ।

ईसवी सन् १८३४ के पहले रसिक कृष्ण 'ज्ञानान्वेषण' नामक बंगला पत्र के सम्पादक थे । निर्भयता के साथ अपने राजनैतिक विचारों को प्रकट किया करते थे । उनके विचारानुसार उस प्रजा का नैतिक पतन अवरयम्भावी है जो ऐसे शासन के अन्तर्गत रहती है, जो अयोग्य और अचम है तथा जो अष्टाचार पूर्ण है । आपने अपने पत्र में लिखा था;—  
“जहां न्याय का मूल स्रोत अष्ट हो, वहां समाज न तो नैतिक दृष्टि से पनप सकता है और न भौतिक दृष्टि से । इस प्रकार की अष्ट न्याय-प्रणाली का परिणाम यह होता है कि धनिक लोग अपने अन्याय पूर्ण कृत्यों में भी सफलता पा जाते हैं और गरीब अन्याय की चक्की में पिसे जाते हैं ।”

“सरकार का प्राथमिक कर्तव्य जनता के लिये निष्पक्ष और विशुद्ध न्याय-प्रणाली की व्यवस्था करना है, पर यह व्यवस्था वही सरकार कर सकती है, जिसने लोक-कल्याण की भावनाओं में अपने आपको तन्मय कर दिया है । दुर्भाग्य से भारतवर्ष में यह स्थिति नहीं है ।”

“ब्रिटिश भारत का न्याय-शासन जिस तरह चल रहा है, वह हर दृष्टि से शासन विज्ञान के न्याययुक्त सिद्धान्तों के विरुद्ध है । व्यापारियों की एक गमात्र शासक के रूप में हम पर धोपी गई है । वह अपनी व्यापारिक और स्वार्थी मनोवृत्ति के कारण ऐसे कानून और नियम कैसे बना सकती है, जिनसे हमारे अधिकारों और स्वतंत्रता की रक्षा हो सके । वह तो अपने स्वार्थों की रक्षा करेगी और कम से कम स्वर्च में अपना शासन शकट

चलायगी। सारांश यह है कि ऐसी सरकार द्रव्य प्राप्ति के शुद्ध सिद्धान्त पर अपने शासन का पाया रखती है।”

“न्याय-प्रदान की हर एक व्यवस्था, जो इस समय प्रचलित है, सारांश रूप से स्वार्थ-भावना से प्रेरित है। इस युरार्ह को दूर करने के लिये यह आवश्यक है कि इंस्ट्रुमेटा कं० के राजनैतिक अधिकार तोड़ दिये जावें। जब तक आधुनिक पद्धति का अमल दरामन्त्र रहेगा तब तक ये खराबियां बनी रहेंगी।” ( “Gyananveshun quoted in the India Gazette of 8th Apl. 1833 )

राजा राममोहन राय की भांति रसिक कृष्ण ने भी सरकारी मौकरियों का भारतीयकरण करने की आवाज़ उठाई थी। उन्होंने इस बात पर जोर दिया था कि शासन-प्रबन्ध में भारतियों का पूर्ण सहयोग होना चाहिये और छोटे तथा बड़े पदों पर ज्यादातर भारतियों की ही नियुक्ति होनी चाहिये।

इसके अतिरिक्त रसिक कृष्ण ने जन शिक्षा के प्रचार के लिये भी जंग की आवाज़ उल्लस की थी। उन्होंने यह दिखलाया था कि सरकार का कोई शासन-तन्त्र तब तक सफल नहीं हो सकता जब तक कि जनता शिक्षित न हो। अतएव यह आवश्यक है कि सरकार अपनी भरसक कोशिशें लोगों में शिक्षा प्रचार के लिये करे और अपनी आय का बहुत बड़ा हिस्सा लोगों के बौद्धिक विकास पर खर्च करे। इस कार्य की सिद्धि के लिये सरकार को चाहिये कि वह ज्ञान प्रचार के लिये अच्छी पुस्तकों का मुफ्त या कम से कम मूल्य में प्रकाशन करे। ज्ञान-प्रचार ही लोगों के चरित्र सुधार का सबसे अच्छा साधन है।

रसिक कृष्ण मल्लिक ने राजा राममोहनराय के समान किसानों के अधिकारों के लिये भी आवाज़ उठाई थी। बंगाल के कायमी बन्दोबस्त (Permanent Settlement) के विषय में उन्होंने लिखा था:—

“बंगाल का फायमी बन्दोबस्त, चाहे कितने ही अच्छे उद्देशों से किया गया हो, कई दोषों से युक्त है। इसका परिणाम यह होता है कि गरीब वर्ग के अधिकारों की इसमें पूर्ण उपेक्षा होती है।”

रसिक कृष्ण मल्लिक ने जमींदारों के अत्याचारों पर भी काफ़ी प्रकाश डाला था और उन्होंने हमेशा किसानों के हितों के लिये आवाज़ उठाई थी। सारांश यह है कि १८२७ के गदर के बहुत पूर्व जिन युवकों ने मानव अधिकारों के लिये आवाज़ उठाई थी उनमें रसिक कृष्ण मल्लिक का नाम विशेष उल्लेखनीय है।

## ताराचंद चक्रवर्ती

ताराचंद चक्रवर्ती तत्कालीन बंगाल के नवयुवकों के सर्वमान्य नेता थे। इंग्लिश मेन ( English man ) आदि पत्रों ने भी आपकी इस स्थिति को स्वीकार किया था। शिवनाथ शास्त्री ने अपने रामतनु लाहिड़ी के जीवन चरित्र में इन्हें स्वतंत्रता व समानता का पूजारी कहा है। ब्रिटिश इन्डिया सोसायटी ( British India society ) के अध्यक्ष जार्ज थामसन ( George Thomson ) ने अपने २० अप्रैल १८४३ के अपने अध्यक्षता के भाषण में इनके स्फूर्ति दायक उत्साह, परोपकार भावना, प्रामाणिकता और विशुद्ध चरित्र की प्रशंसा करते हुए कहा था कि ताराचंद उन सब लोगों द्वारा पूज्य दृष्टि से देखे जाते हैं, जिनसे उनका परिचय था।

ताराचंद चक्रवर्ती बड़े राजनैतिक आन्दोलनकर्ता थे। इसके साथ ही साथ वे एक महान् विद्वान् भी थे। उन्होंने मनुस्मृति का अंग्रेज़ी अनुवाद किया था और अंग्रेज़ी-बंगाली कोष का निर्माण किया था। वे इतिहास शोधक भी थे और ऐतिहासिक खोज में उस समय उन्होंने बड़ा काम किया था। बंगाल स्पेक्टर ( Bengal spectator ) नामक पत्र में वे सम्पादकीय लेख लिखा करते थे।

## ताराचंद के राजनैतिक विचार

ताराचंद प्रगतिशील राजनैतिक विचारों के थे। सन् १८४२ के सितम्बर मास में बंगाल स्पेक्टेटर (Bengal Spectator) नामक पत्र में उन्होंने लिखा था:—

“सरकार का कार्यक्षेत्र केवल शान्ति व व्यवस्था की रक्षा ही नहीं है, वरन् नागरिकों के जीवन को समुन्नत कर उन्हें श्रेष्ठ जीवन म्यतीत करने के योग्य बनाना है। जिन अधिकारियों के हाथ में लाखों मनुष्यों के शासन का भार है, वे यदि मालगुजारी घसूल करने और साधारण शान्ति-रक्षा तक ही को अपनी इतिकर्तव्यता समझते हैं तो वे अपने कर्तव्य का पालन नहीं करते। सुप्रभ्य सरकार का यह प्रधान धर्म है कि वह अपनी प्रजा के उठते हुए युवकों में गम्भीर और उपयोगी शिक्षा का प्रचार करे। लोगों में ज्ञान का प्रचार करना और उन्हें सुशिक्षित बनाना यही राष्ट्रीय सरकार का सर्वोत्कृष्ट आदर्श है। इसके अतिरिक्त व्यापार व उद्योग धर्मों का विकास कर सरकार अपने साधनों को भी विकसित कर सकती है।”

“लोग अपने अधिकारों की रक्षा के लिये और सुख के विकास के लिये, सरकार को सत्ता देती है। इसलिये सरकार का यह कर्तव्य है कि जिन लोगों पर वह शासन करती है, उनकी शिक्षा का समुचित प्रबंध करे। यह शिक्षा केवल सैद्धान्तिक ही नहीं होनी चाहिये पर प्रगन्स की तरह औद्योगिक भी होनी चाहिये।”

हिन्दू कॉलेज के विद्यार्थी ही सबसे पहले व्यक्ति थे, जिन्होंने सरकारी पदों (Government Services) के भारतीयकरण के लिये आवाज उठाई थी। उनका कथन था कि शासन के छोटे और मोटे पदों पर भारतीयों ही का अधिकार है और उन्हीं को उन पर नियुक्ति होना चाहिये। इसी सन् १८४३ की १८ अप्रैल को उन्होंने कलकत्ते के नगर भवन (TownHall) में नागरिकों की एक सभा की और ईस्ट इण्डिया

कंपनी के सशालक-मण्डल (Court of proprietors) के पास एक मेमोरियल भेजा, जिसमें इस बात का ध्याग्रह किया गया कि भारतीय शासन के पदों पर अधिकांश रूप से भारतवासी ही रहें जावें। ताराचंद ने इस में प्रमुखता से भाग लिया और कहा कि उक्त मेमोरियल मि० जॉन सुखिवान के माफुठ भेजा जाय, जिन्होंने कि उनके द्विती का समर्थन किया था। ताराचंद ने इस बात पर भी जोर दिया कि अगर ईस्ट इण्डिया कंपनी हमारी बात न सुने तो सम्राट् (Crown) और सुप्रीम कोर्ट के सामने हमें अपना मामला ले जाना चाहिये।

## दक्षिण रंजन मुखोपाध्याय

(१८१४-१८७८)

दक्षिण रंजन मुखोपाध्याय ने ईसवी सन् १८३० से १८५७ तक बंगाल के सार्वजनिक जीवन में और ईसवी सन् १८६० से १८७४ तक अवध के सार्वजनिक जीवन में जिस प्रकार प्रमुखता से भाग लिया, उसका वर्णन उनके जीवनी-लेखक श्रीयुक्त मन्मथनाथ धोपनेबड़ी उत्तमता से किया है। पर दुःख इस बात का है कि उक्त जीवनी-लेखक ने दक्षिण रंजन के राजनैतिक विचारों पर प्रकाश डालने की चेष्टा नहीं की, अतएव 'बंगाल हरकारु' (Bengal Harukaru) नामक पत्र में उनके जो व्याख्यान छपे थे, उन्हीं के आधार पर उनके ये विचार यहाँ लिखे जाते हैं।

दक्षिण रंजन मानव-स्वाधीनता के सिद्धान्त के पूजारी थे। उन्होंने ईसवी सन् १८४३ के २ मार्च के अङ्क में जो लेख प्रकाशित किया था, उसमें उन्होंने इस बात पर जोर दिया था कि न्यायकारी परमात्मा ने सब मनुष्यों को उनके जन्माधिहार (Birth rights) की दृष्टि से समान उत्पन्न किया है। भारतवर्ष और अन्य देशों में मूलतः (Originally) लोगों में नैसर्गिक समानता (Natural equality) और पूर्ण स्वतंत्रता थी। इसी समानता के भाव में जब विकृति आने लगी तब ही से भारत-

यर्ष का पतन शुरू हुआ । दक्षिण रजन हम पतन का उत्तरदायित्व माह्वण गुरुओं पर डालते हैं । उनका कथन है कि माह्वणों ही न भारतीय समाज में फूट और विभाजन (division) के बीज बोये और अखण्ड समाज में धार्मिक साग्नदायिकता (religious sectarianism) उभरनी की, जिसका शिकार हमारा राष्ट्र होता रहा और आज वह उस दुर्दशा को प्राप्त हुआ । हमारे देशवासियों को चाहिये कि वह साहस पूर्वक राष्ट्र और समाज के जीवन से उन सब बुराइयों को निकाल दें, जो समाज के जीवन में घुन का काम करती हुई उसे क्षयग्रस्त कर रही हैं ।

दक्षिण रजन ने ईमवी सन् १८४३ में अपने एक लिखित भाषण में 'भारतीय समानता का नाश और उसके कारण होने वाला देश के पतन' पर जो विचार प्रदर्शित किये थे । उनसे उस समय 'बड़ी हलचल मची । दूरदूर तक उसका प्रभाव फैला । इंग्लैण्ड के सुप्रसिद्ध ग्रन्थकार और विचारक हेनरी थॉमस बकले (Henry Thomas Buckle) ने अपने सभ्यता के इतिहास (History of Civilization) में उन विचारों को स्वीकार किया । यकिमचन्द्र ने अपने लेखों में इस विचारधारा को ग्रहण किया । (A History of Political Thought Vol I)

### दक्षिणरजन और पराधीनता का श्राप

दक्षिण रजन राष्ट्रीय पराधीनता को एक महान श्राप समझते थे, उन्होंने अपने उक्त निबन्ध में इस बात को प्रकट किया कि यदि किसी राष्ट्र पर विदेशी राज्य करते हैं तो वे ऐसा किसी परोपकारी भावना से नहीं करते । स्वर्ण के लालच (Lust for Gold) से प्रेरित होकर, वे अन्यराष्ट्र को दासत्व की श्रृंखला में जकड़ते हैं । भारतवर्ष की गरीबी का कारण विदेशियों की अधीनता है । हमारे देश की साधन-सम्पत्ति (resources) इतनी विशाल है कि उससे देश की आवश्यकताओं की मूली प्रकार पूर्ति हो सकती है । पर इसके लिये आवश्यकता इस बात की है कि शासन स्वतन्त्र और उदार होना चाहिये ।

दक्षिणरंजन ने न्यायालयों में उस समय पैली हुई रिश्तत खोरी का भी यद्वा विरोध किया था। उन्होंने लिखा था, —“इस बात से इन्कार नहीं किया जा सकता कि खपरासी से लगाकर सरिश्तेदार तक सब का अपना मूल्य होता है अर्थात् हर एक अपनी अपनी हैसियत के अनुसार रिश्तत लेता है।

### बुराईयों के उपाय

दक्षिण रंजन ने उक्त बुराईयों के उपाय भी सूचित किये हैं। वे इस प्रकार हैं,—(१) सरकारी नौकरियों का भारतीयकरण अर्थात् सरकारी पदों पर भारतवासियों का नियुक्त होना, (२) जनमत को सङ्गठित करना, (३) ज्ञान प्रचार द्वारा लोगों के अज्ञान का नाश करना।

ईसवी सन् १८४३ की ३ फरवरी को दक्षिणरंजन ने श्री कृष्णसिंह के बगीचे में जो व्याख्यान दिया था, उसमें उन्होंने बड़े जोरदार शब्दों में कहा था —

“क्या यह उचित और न्यायसंगत नहीं है कि जो लोग इस देश में जन्म लेने के कारण, इस देश में परवरिश होने के कारण और इस देशमें शिक्षा पाने के कारण इस देश को भली प्रकार जानते हैं उन्हें वे विश्वास और उच्च वेतन के पद दिये जावें, जिनपर आज विदेशी एकाधिकार कर बैठे हैं।” (*‘Bengal Haru Karu’ February 9. 1843*)

राजा राममोहनराय की तरह दक्षिणरंजन इस बात को आवश्यक समझते थे कि अष्टाचार और रिश्ततखोरी को रोकने का सबसे अच्छा उपाय, उसके खिलाफ, जनमत को तैयार करना है। यह बात तब तक सम्भव नहीं हो सकती, जब तक लोग इस बुराई का भयहाफोड़ या सुधार करने को तैयार न हो जावें। इसके आगे चल कर थापने यह भी दिखलाया कि इङ्लैंड की न्याय प्रणाली की विशुद्धता का कारण वहाँ का लोकमत है। यह बुराई जितनी जनमत के तैयार होने से दूर हो



सकती है, उतनी सरकार के प्रयत्न से नहीं। अगर लोग सत्य, प्रामाणिकता और न्याय का अनुकरण करने लगे तो इन बुराइयों का टिका रहना असम्भव हो जायगा। अत्याचार से अत्याचार शासन भी बिना लोकमत की सहायता के इन बुराइयों को दूर करने में असफल रहता है।

## दक्षिणरंजन और लोकप्रतिनिधि सभायें

सन् १८७० ई० में दक्षिणरंजन ने लोक प्रतिनिधि-व्यवस्थापिका सभा का विधान बनाया। उन्होंने यह प्रस्ताव किया कि हर एक प्रान्त में एक प्रान्तीय लोक प्रतिनिधि कौंसिल हो, जिसमें सरकार द्वारा मनोनीत और प्रजा द्वारा निर्वाचित सदस्य हों। ये प्रतिनिधि हर एक जिले के निर्वाचकों द्वारा चुने जावें। दक्षिणरंजन ने एक सुप्रिम कौंसिल की स्थापना की भी आवश्यकता मतखाई।

सारांश यह है कि सन् १८५७ के भारतीय विद्रोह के पहले दक्षिणरंजन ने राजनीति के ऐसे तत्वों का प्रकाशन किया जो आज भी कई अंशों में अनुकरणीय हैं।

## अक्षयकुमार दत्त

(१८२०-१८८६)

अक्षयकुमार दत्त का नाम हमारे बहुत से पाठक जानते होंगे। इनके कुछ ग्रन्थों का अनुवाद हिन्दी में भी हुआ है। ये बड़े दार्शनिक, विचारक और उग्र राजनैतिक नेता थे। इनके विचारों पर राजा राममोहनराय का काफी प्रभाव पड़ा था, यद्यपि इन्हें राजा साहब के सम्पर्क में आने का अवसर नहीं मिला था। जब ये दस वर्ष की बाल्यावस्था में कलकत्ते आये थे, तब राजा राममोहनराय इंग्लैंड के लिए प्रस्थान कर चुके थे। सन् १८३६ ई० में ये महर्षि देवेन्द्रनाथ टैगोर के सम्पर्क में आये और उत्त्वबोधिनी सभा के सक्रिय सदस्य हो गये। इस समय इन्हें राजासाहब के दार्शनिक सिद्धान्तों के गम्भीर सागर में गोता खगाने

का ध्वंसर मिला। आपने भारतवर्षीय 'उपासक सम्प्रदाय' नामक ग्रन्थ के दूसरे भाग में राजा साहय की महान सेवाओं की बड़ी प्रशंसा की है और कहा है कि ये न केवल राजा थे पर देश के हृदय-सम्राट् थे। उन्होंने यह स्वीकार किया है कि शास्त्रों के वैज्ञानिक अध्ययन का प्रेम उन्हें राजासाहच से प्राप्त हुआ।

अक्षयकुमार दत्त ने सन १८४३ ई० से सन १८५२ई० तक तत्त्वबोधिनी पत्रिका का बड़ी योग्यता से सम्पादन और संचालन किया। उक्त पत्रिका में उन्होंने भारतीय राष्ट्र के उत्थान के लिये और गरीब किसानों के लिये बड़ी जोरदार आवाज़ उठाई। हिन्दू समाज की नव रचना पर भी उन्होंने कई लेख लिखे। पाश्चात्य और पौराणिक सस्कृति के सम्मेलन पर भी उन्होंने जोर दिया। महामहोपाध्याय हरप्रसाद शास्त्री ने 'भारतवर्षीय उपासक सम्प्रदाय' नामक ग्रन्थ की दूसरी जिल्द की भूमिका में लिखा है—“अक्षयकुमार दत्त पहले लेखक थे जिन्होंने बंगाली युवकों को पाश्चात्य दृष्टिविन्दु और मनोवृत्ति का परिचय कराया। वे नव बंगाल के प्रथम नैतिक आचार्य थे।

अक्षयकुमार दत्त ने एरिस्टॉटल (Aristotle), बेकन (Bacon), लॉक (Locke), काम्ट (Comte), लाप्लेस (Laplace) और माल्थस (Malthus) के ग्रन्थों का गम्भीरतापूर्वक अध्ययन किया। दत्त महोदय के ग्रन्थों में उक्त पाश्चात्य विचारकों की छाप स्पष्टतया दृष्टि-गोचर होती है। शिक्षा और शासन के सम्बन्ध में दत्त महोदय के विचार ग्रीक दार्शनिकों से प्रभावित मालूम होते हैं।

शासन-सत्ता और सरकार के सम्बन्ध में अक्षय कुमार दत्त के विचार प्रगतिशील थे। आपने धर्मनीति नामक ग्रन्थ में लिखा है कि सरकार लोगों की प्रतिनिधि है। उसे लोगों पर कर लगाने का कोई पुरतैनी अधिकार नहीं है। लोगों का अपने जायदाद और जीवन पर स्वामाधिक अधिकार है। सरकार केवल जान, माल, और प्रतिष्ठा की

रचा करने की दृष्टि ही से कर खगा सकती है। ब्रिटिश सरकार कंपनी प्रजा के प्रति अपने कर्तव्य का पाखन नहीं करती। मुफरतीख में प्रजा की जो दीन हीन दशा है वह इसका प्रत्यक्ष प्रमाण है। [ तत्वबोधिनी पत्रिका संख्या १२२ ]

अक्षयकुमार के मतानुसार सरकार का कार्यक्षेत्र बहुत विशाल और विस्तृत है। वह न केवल जन समाज के ज्ञान माल की रचा करने और भौतिक प्रगति की ही जिम्मेदार है, पर खोंगों की शारीरिक, नैतिक और आध्यात्मिक प्रगति का उत्तरदायित्व भी उसके कर्तव्य क्षेत्र में आता है। सरकार का आदर्श लोगों को आरोग्यशास्त्री, सुखी, समृद्धिशास्त्री और सिद्धि बनाना है। सरकार को चाहिये कि वह खोंगों की भौतिक और मानसिक विज्ञान के ज्ञान से अलङ्कृत करे। इन सबका उपाय खोंगों में योग्य और गम्भीर शिक्षा का प्रचार करना है।

### अक्षयकुमार और ब्रिटिश शासन

अक्षयकुमार के मतानुसार ब्रिटिश शासन में भारतवासियों की शारीरिक और मानसिक स्थिति का बहुत पतन हुआ। ग्रामों की निर्धन जनता जिस प्रकार का जीवन बिता रही थी वह ब्रिटिश शासन के लिये बड़ी कलंक की बात थी। उन्होंने तत्वबोधिनी पत्रिका में कई जोरदार लेखों के द्वारा, ग्राम जनता की गरीबी और उनके दुःखों का चित्र बड़ी मर्मरदर्शी भाषा में चित्रित किया था और भारत की ब्रिटिश सरकार को इसके लिये बड़ा दोषी ठहराया था।

### अक्षयकुमार का आदर्श

अक्षयकुमार के मतानुसार खोंगों की नैतिक, बौद्धिक और भौतिक उन्नति का सर्वोत्कृष्ट साधन उनकी दरिद्रता दूर करना था। उनका कथन था कि अपराध, अज्ञान, विमारियों और पाप आदि सब बुराईयों की जड़ दरिद्रता है। एक ही समाज के विभिन्न सदस्यों में धार्मिक असमानता

देख कर उन्हें महान् दुःख होता था। उन्होंने अपने लेखों में दिखलाया था कि प्रत्येक देश के पूँजीवादी यह चाहते हैं कि संसार की सर्वोत्कृष्ट वस्तुओं का वे ही उपयोग करें और दूसरे लोग उनकी दासता करते हुए रूखे सूखे भोजन से निर्वाह करें। जिस समाज में बहुजन समाज थोड़े से धनिकों के आराम के लिये, दिन रात जी तोड़ परिश्रम करने के लिये बाध्य होते हैं, वहाँ न तो सामाजिक प्रगति ही सम्भव है और न सामाजिक शान्ति ही। ईश्वर की दृष्टि में सब मनुष्य बराबर हैं। मानव समाज की अत्याचार पूर्ण पद्धति ही बहुजन समाज को दरिद्रता और दुःखों में ढकेलने की जिम्मेदार है। इसलिये धनिकों को चाहिये कि वे मज़दूरों और गरीबों को उन्नति करने का मौका दें और उनमें ज्ञान प्रचार का प्रयत्न करें। सरकार का भी यह कर्तव्य है कि वह ऐसे कानून बनावे जिनसे श्रमजीवी और कृषक समाज अधिक से अधिक सुखी-एँ समृद्धिशाली हो सके।”

अण्णयकुमार के मतानुसार मन की निर्बलता, बालविवाह, मिथ्या विश्वास, नशा, जमींदारों और धनवानों के अत्याचार, अवर्षा, नदी काढ़ें आदि भारतियों की गरीबी के कारण हैं। इसके अतिरिक्त, उन्होंने बढ़ती हुई जन संख्या को भी इसका एक कारण माना है और माल्थस (Malthus) के सिद्धान्तानुसार सन्तानोत्पत्ति के नियन्त्रण पर भी जोर दिया है।

अण्णयकुमार दत्त ने गरीबी दूर करने के कई उपाय सुझाये थे। वे इस बात के विरोधी थे कि धनिक वर्ग से बलपूर्वक सम्पत्ति छीन कर उसे गरीब कर दिया जाय। इसके विपरीत वे चाहते थे कि गरीबों को धनवान बनाया जाय। इसके लिये उन्होंने निम्नलिखित उपाय सूचित किये थे:-

- (१) ऐसी शिक्षा का प्रचार जिससे गरीबों की नैतिक और सांसारिक उन्नति हो। यह शिक्षा मुफ्त और अनिवार्य होना चाहिये।
- (२) इस प्रकार के नियम (Laws) और प्रथाओं (Customs)

का निर्माण जिनके कारण गरीबवर्गों की सुख समृद्धि बढ़े।

( ३ ) धर्म बचाववाले ग्रन्थों का प्रचार जिससे देश में अन्न, धन और अन्य वस्तुओं का बाहुल्य हो सके।

अक्षयकुमार ने इस प्रकार एक ऐसे राज्य की योजना की थी जिसमें मनुष्य अपनी आवश्यकताओं की आपूर्ति कर सके और सम्पत्ति का योग्य विभाजन हो सके।

अक्षयकुमार के अतिरिक्त प्रेमचक्रकुमार टैगोर, द्वारकानाथ टैगोर, देवेन्द्रनाथ टैगोर, रामगोपाल घोष, प्यारीचन्द्र मिश्र, किशोरीचन्द्र मिश्र, गोविन्दचन्द्र दत्त, गिरीशचन्द्र घोष और हरिशचन्द्र मुकर्जी आदि महानुभावों ने भी भारतवासियों के राजनैतिक अधिकारों के लिये आवाज़ उठाई थी। इन सब का परिचय देना स्थानाभाव के कारण सम्भव नहीं है। केवल १—२ एक दो महापुरुषों का परिचय देकर यह अध्याय समाप्त किया जायेगा।

## द्वारकानाथ टैगोर

( १७६४ से १८८२ )

भारतवर्ष के सार्वजनिक जीवन में सन् १८३० ई० से सन् १८४६ ई० के काल में द्वारकानाथ टैगोर ने अत्यन्त महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त किया था। आप राजा राममोहन राय के दाहिने हाथ थे। द्वारकानाथ टैगोर के संस्मरण ग्रन्थ (Memoirs of Dwarkanath Tagore) में उसके छोटेका भोखानाथचन्द्र ने लिखा है कि राममोहनराय के उदाहरण ने द्वारकानाथ के अन्तर्हित विचारों को अग्नि रूप में प्रस्फुटित किया और उन्हें एक बहुत जोशीला सार्वजनिक सेवक बना दिया। द्वारकानाथ टैगोर अपने समय के अत्यन्त नामाङ्कित सरदार (Most Illustrious Chieftain) कहे जाते थे। (The Bengal Haru Karu Feb 7, 1883) उन्होंने सामाजिक और राजनैतिक क्षेत्रों में प्रशंसनीय

कार्य किया और लोगों में राजनैतिक-भावनाओं की जागृति की। मिटिशे शासन में लोगों के राजनैतिक अधिकारों पर जैसा कुठाराघात किया गया था उसका आपने विरोध किया था। सन् १८३६ ई० की १८ जून को कलकत्ते में जो सभा हुई थी, उसमें आपने निर्भीकता के साथ कहा था—“अंग्रेजों ने भारतवासियों का सर्वस्व ले लिया है। धाज यह स्थिति है कि भारतवासियों का जीवन, उनकी स्वाधीनता व उनकी सम्पत्ति और उनका सब कुछ सरकार की दया पर निर्भर है।”

इसके अतिरिक्त द्वारकानाथ ने मुद्रण स्वातन्त्र्य या समाचारपत्र स्वातन्त्र्य पर भी बहुत जोर दिया था। सर चार्ल्स मेटकॉफ के समय में आपके प्रयत्नों को कुछ सफलता भी मिली थी। आपने उस समय लिखा था:—“मुद्रण स्वातन्त्र्य (Freedom of the Press) इस विराज्य देश के शासन करने में जिस प्रकार सरकार का सहायक होता है, वैसे ही यह लोगों को भी इस बात का विश्वास दिलाता है कि उनके शासकों की इच्छा न्यायपूर्वक राज्य करने की है और वे अपने कामों की आलोचना से नहीं डरते।”

द्वारकानाथ ने न्यायालयों और पुलिस में फैली हुई घूसखोरी का भी जोरदार विरोध किया था। उन्होंने पुलिस-सुधार समिति “Committee of Police Reform” के सामने गवाही देते हुए कहा था।

“मेरा खयाल है कि दरोगा से लेकर छोटे से छोटे चपरासी तक सब के सब लोग घूसखोर हैं। कोई भी काम ऐसा नहीं होता जो बिना पैसे दिये कराया जा सके। अमीर आदमी पैसे के जोर पर चाहे जो करवा लेते हैं और गरीब अत्याचार की चक्की में पिसे जाते हैं। जो समझे अधिक धन देता है वह जीतता है। अगर किसी गांव के आसपास दबैती पड़ती है तो दरोगा और उसके आदमी अन्धाधुन्ध तौर से चाहे जिस आदमी को पकड़ लेते हैं और उन पर कई प्रकार के अपराधों का आरो-

पण कर देते हैं। इनमें कई निर्दोष आदमी फँस जाते हैं और दीपी छूट जाते हैं। घूम खोरी के कारण अन्याय की बोलवाला होती है।

## महर्षि देवेन्द्रनाथ टैगोर

(१८१७-१९०५),

महर्षि देवेन्द्रनाथ टैगोर, द्वारकानाथ टैगोर के पुत्र और हमारे संसार मान्य कवि रवीन्द्रनाथ टैगोर के पिता थे। महर्षि ने देश के राजनैतिक जीवन के विकास के यथायथ अप्यारम जीवन के विकास पर अधिक जोर दिया था। अपने समय में बंगाल के आध्यात्मिक स्तर को ऊँचा उठाने के लिये उन्होंने महान् प्रयत्न किये। वे 'वर्तमान बंगाल के निर्माताओं' में से एक थे।

इसी प्रकार रामगोपाल घोष (१८१५ से १८६८), प्यारीचन्द्र मित्र (१८१४ से १८८३), किशोरचन्द्र मित्र (१८२२-१८७३), गोविन्दचन्द्र दत्त आदि कई महानुभावों ने भारत में राजनैतिक सुधारों के लिये अपनी आवाज़ बुलन्द की थी।

## शिवनाथ शास्त्री और अंग्रेजी शासन को उलटने का पड़यन्त्र

सन् १८५७ ई० के कई साल पहले अंग्रेजी शासन को उलटने के लिये एक पड़यन्त्रकारी दल का संगठन हुआ था जिसके प्रधान संचालक शिवनाथ शास्त्री थे। अंग्रेजी राज्य से भारत को स्वतंत्र करना ही इस दल का प्रधान उद्देश था। यह दल अल्पजीवी रहा और इस को कोई प्रास सफलता नहीं मिली।



# दक्षिण भारत में प्रथम सुधार आन्दोलन



गत अध्याय में बंगाल में प्रारम्भिक राजनैतिक विचार-क्रान्ती पर प्रकाश डालने की चेष्टा की गई है। इस अध्याय में महाराष्ट्र की विचार-क्रान्ति पर कुछ प्रकाश डालना आवश्यक है।

महाराष्ट्र में राजनैतिक सार्वजनिक जीवन का आरम्भ सन् १८३२ ई० के लगभग प्रारम्भ हुआ। इस समय श्री बालशास्त्री जाम्बेकर नामक एक सज्जन ने मराठी भाषा में 'दर्पण' नामक एक साप्ताहिक पत्र और "दिग्दर्शन" नामक एक मासिक पत्र का प्रकाशन आरम्भ किया। मराठी भाषा में ये सबसे पहले नियत-कालिक समाचार पत्र थे। सन् १८४० ई० में इन्हीं शास्त्री महोदय ने गंगाधर शास्त्री फडके से विधवा-विवाह के आन्दोलन को प्रोत्साहन दिया। उन्होंने श्रीमान् शेपाद्रि नामक एक गृहस्थ को इसाई धर्म से शुद्ध कर हिन्दू धर्म में दीक्षित किया और इस प्रकार उन्होंने शुद्धि-आन्दोलन का उपक्रम किया। इसके अतिरिक्त उन्होंने यह भी दिखलाया कि बिना पाश्चात्य विद्या का प्रचार हुए हिन्दुओं का उद्धार होना दुःसाध्य है। शास्त्री महोदय ने सन् १८४२ ई० में एल्फिन्स्टन कॉलेज में प्रोफेसर का पद स्वीकार किया। सन् १८४६ ई० में ये परलोकवासी हुए। ३६ वर्ष की अल्प आयु में इन्होंने पाश्चात्य विद्या का प्रचार, समाचार पत्रों का प्रकाशन, विधवा विवाह का प्रोत्साहन और पतित परावर्तन का समर्थन आदि अनेक कार्य किये।

श्री बाल शास्त्री की तरह श्री दादोजी पाण्डुरंग नामक एक सज्जन ने सन् १८४० ई० में "परमहंस मण्डली" नामक एक गुप्त संस्था की



स्थापना की। इस संस्था का उद्देश्य भारतवर्ष से जातिभेद को नष्ट कर देश में सार्वत्रिक एकता को स्थापन करना था। दादोबा का मंत्रालय था कि जातिभेद से भारतवर्ष के टुकड़े होकर यह दीन-हीन हो गया है और उसे एक सफल राष्ट्र बनाने के लिये यह आवश्यक है कि जातिभेद विलक्षण नष्ट कर दिया जाय व सारे भारत को एकता के एक सूत्र में बांध दिया जाय। बाबा पदम जी ने अपने मराठी भाषा के धारमचरित्र में इस संस्था के सम्यन्ध में जो कुछ लिखा है उसका सारांश नीचे दिया जाता है।

“इस मण्डली के उद्देश्य ये थे —

- १) जाति भेद न मानना।
- २) विधवाओं के पुनर्विवाह को उत्तेजन देना।
- ३) मूर्तिपूजा न करना।

इनके अतिरिक्त अन्य धार्मिक विषयों पर इस मण्डली ने कोई विशिष्ट नीति स्वीकार नहीं की थी।

इस मण्डली के सदस्यों की संख्या जब तक बहुत बढ़ी न हो जाय तब तक इसकी कार्यवाहियों को गुप्त रखने का निश्चय किया गया था। हर सदस्य का यह कर्तव्य था कि वह इस मण्डली के सदस्यों की संख्या बढ़ाने का भरसक प्रयत्न करे। इस मण्डली की बैठकें गुप्त हुआ करती थीं। मण्डली में प्रवेश करने वालों को उसके नियम पढ़कर सुनाये जाते थे, और जब वे उन नियमों को स्वीकृत कर लेते थे, तब उनकी संजली में जल डालते थे। इसके बाद एक दूध का प्याला अर्धचंद्र के मुँह को थपा कर उन्हें पिलाया जाता था। सभा के आरम्भ और अन्त में दादोबा पाण्डुरंग की रची हुई मराठी की प्रार्थना पढ़ी जाती थी।

हमारे पाठकों ने राजनैतिक गुप्त संस्थाओं का हास्य तो अवरय पढ़ा होगा पर सामाजिक सुधार के लिये स्थापित की जाने वाली अपने ढंग

की यह पदवी ही संस्था थी। यद्यपि इसका उद्देश समाज सुधार था, पर यह अधिक प्रगति न कर सकी।

इसके बाद सन् १८४० ई० में बाल शास्त्री जान्सेकर, दादोबा पांडुरंग, डॉक्टर भाऊदाजी आदि महाराष्ट्र विद्वानों ने समाज सुधार का कार्य किया। इसी समय सरदार गोपालराव हरि ने अपने “लोक-हितवादी” पत्र द्वारा समाज सुधार के आन्दोलन को बड़े जोर से चलाया। इस पत्र का जन्म सन् १८३४ ई० में हुआ था। लोकहितवादी ने सुझाया था:—

“हम सब गरीब-धमीरों को मिलकर रानी के पास एक अर्जी भेजनी चाहिए कि वर्तमान शासन पद्धति से हमें लाभ नहीं है और हमारे राज्य सम्बन्धी हक मारे जाते हैं। अंग्रेज भी वैसे ही मनुष्य हैं जैसे कि हिन्दू। इनका वर्तमान भेद मिटाकर इन्हें एक समान बनाने के लिये हिन्दुस्तान में पार्लामेंट स्थापित की जाय और इसकी बैठक बम्बई में हो। उसमें सब जातियाँ और स्थानों के समान प्रतिनिधि हों। तभी लोगों की दरिद्रता दूर होगी और अंग्रेजों का यह भ्रम भी दूर होगा कि भारतवासी मूर्ख हैं। इससे राज्य में उत्तम सुधार होंगी और लोगों को यह सहज दिखाई पड़ेगा कि राजा के शासन में क्या सुख था और लोकसत्तात्मक राज्य में क्या सुख है।”

इस अवतरण से लोकहितवादी की बुद्धिमत्ता, प्रतिभा, और देश सुधार की भावना का पता लगता है।

लोकहितवादी के समय में ही विष्णुबुवा म्हाचारी ने “सुखदायक राज प्रकरण” नामक निबन्ध में समाजवाद का प्रतिपादन किया है। यह देख कर सब को आश्चर्य होगा। वे कट्टर ब्राह्मण थे और हमारी प्राचीन संस्कृति में से ही हमें अपने भावी अभ्युदय का मार्ग मिलेगा, ऐसा उनका प्रयास था। वे कहते हैं:—

“सब लोग मिलकर सारी जमीन जोतें और बोंबें और हर शतक में अनाज के कोठार खले जायें और इनमें से ग्रामवासी पेट भर सकें और

पशुओं के लिये आवश्यक घास दाना लेखिया करें। यह सब पैदावार एक के ही कब्जे में रहे और सब उससे आवश्यक सामग्री ले जावें। राजा को चाहिये कि यह सूत, ऊन, रेशम के कपड़े तैयार करावे और जिसको जिस कपड़े की आवश्यकता हो वह ले जाय। गहने भी घड़वा कर हर गांव में रखे जाय और सब स्त्री पुरर ठनका इस्तेमाल करें। हर प्रकार के शस्त्र, धनुष, और खेल प्रत्येक गांव में रहें। रेल और सार भी रहें। राजा, कारखाने के मालिक और किसान सब एक सा अर्हिसक भोजन करें और वह सबको एक ही कोठार से मिले। सबकी शादियां राजा विवाह विभाग के द्वारा वर वधू की इच्छा और रजामन्दी से करे और जिसको कोई स्त्री पसंद न हो या जिसे कोई पति पसंद न हो तो उसके लिये दूनरी स्त्री या पति का प्रबंध कर दिया जाये। अर्थात् स्वयंवर की प्रथा धाब्बी जाय। ५ वर्ष का बालक होते ही उसे राजा के ताबे कर दिया जाय। उसको शिक्षा-दीक्षा और काम धन्धों का प्रबन्ध राजा करे। बृद्ध स्त्री पुरुषों को पेंशन मिले और इन भिन्न भिन्न विभागों के खोग पार्लामेंट के सदस्य हों।

फार्लमार्स से अपरिचित विष्णुबुत्रा को ये कम्युनिज़्म के ढंग के विचार सूझे कैसे? इसका जवाब यह है कि एक बड़ा परिस्थिति को देखकर सात्विक व राजस अथवा परार्थी व स्वार्थी मन पर भिन्न भिन्न परिणाम होते हैं। इन्द्रियों के द्वारा मन पर और बुद्धि पर होने वाले संस्कार एक से होते हैं परन्तु जिसकी बुद्धि स्वार्थ में मलिन हो गई हो उसे ठनमें स्वार्थ का मार्ग सूझना है और जिसकी बुद्धि परार्थी बनी हुई है उसको उस रियति में परार्थ का मार्ग दिखाई देता है। ऐसी दशा में सन्यास वृत्ति और लोक कल्याण में ही आनन्द माननेवाले सात्विक शुद्ध मन में पूर्वोक्त सर्व-सुख और समान-सुख की कल्पना क्यों न आनी चाहिये। (आचार्य जावड़ेकर महोदय के आधुनिक भारत से सङ्कलित)

# माक्स और भारतवर्ष



सन् १८४३ ई० के लगभग समाजवाद (Socialism) के जनक महामति माक्स ने विदेशी राज्य द्वारा होने वाले भारत के विनाश पर अपने बहुमूल्य विचार प्रगट किये थे ।

सन् १८४२ ई० की १४ वीं जून को माक्स ने एंगल्स (Engels) को जो पत्र लिखा था, उसमें उन्होंने निम्न लिखित भाव प्रगट किये थे:-

“England it is true, in causing a social revolution in Hindusthan, was actuated only by the vilest interests, and was stupid in her manner of enforcing them. But that is not the question. The question is, can mankind fulfil its destiny without a fundamental revolution in the social state of Asia? If not, whatever may have been the crimes of England, she was the unconscious tool of history in bringing about that revolution. ”

अर्थात् “यह सच है कि हिन्दुस्तान में इंग्लैण्ड के द्वारा जो सामाजिक क्रान्ति हुई है, उसमें उसकी घोर स्वार्थपरता छिपी हुई थी और उसे करने में उसने अपार मूर्खता का परिचय दिया था । लेकिन प्रश्न यह नहीं है । प्रश्न यह है कि एशिया की सामाजिक दशा में बिना मौखिक परिवर्तन हुए क्या मनुष्य-जाति अपना विकास कर सकती है ? अगर नहीं, तो इंग्लैण्ड ने चाहे जो भी पाप किये हों, वह इस परिवर्तन के क्षिर्य अतज्ञान में इतिहास का शस्त्र बना ।”

अमेरिका के न्यूयार्क हेराल्ड (New York Herald) और ट्रिब्यून (Tribune) का ८ अगस्त १८५३ ई० में आपने किया था:—

“The British were the first conquerors, superior, and therefore inaccessible, to Hindoo civilisation. They destroyed it by breaking up the native communities, by uprooting the native industry, and by levelling all that was great and elevated in the native society. The historic pages of their rule in India report hardly any thing beyond that destruction. The work of regeneration hardly transpires through a heap of ruins never the less it has begun.”

अर्थात् “अंग्रेज पहले विजेता थे जो विजितों से बढ़े थे और जिनका हिन्दुस्तानी सभ्यता की पहुँच न थी उन्होंने ग्राम-समाज की जड़ें हिल कर भारतीय उद्योग धन्वों को चौपट करके इस सभ्यता का नाश किया। भारतीय समाज में जो कुछ भी महान् और गौरव पूर्ण था, उन्होंने उसे धूल में मिला दिया। हिन्दुस्तान में ब्रिटिश राज्य के इतिहास में इस घात के सिवा और बहुत कम घातों देखने को मिलती हैं। खंभरों के ढेर में नई नींवें नहीं दिखाई देतीं फिर भी नीवें ढाली जा चुकी हैं।

इसी प्रकार मार्क्स ने न्यूयार्क के दैनिक ट्रिब्यून (Daily Tribune) पत्र के २५ जून १८५३ ई० के अंक में हिन्दुस्तान पर एक लेख लिखते हुए अपने निम्न लिखित विचार प्रकट किये थे:—

“There cannot remain any doubt but that the misery inflicted by the British on Hindustan is of an essentially different and infinitely more intensive kind than all Hindustan had to suffer before. I do not allude to European despotism, planted upon Asiatic despotism, by the British

East India company, forming a more monstrous combination than any of the divine monsters startling us in the temple of Salsette.....

“All the civil wars, invasions, revolutions, conquests, famines, strangely complex, rapid and destructive as their successive action in Hindusthan may appear, did not go deeper than its surface. England has broken down the whole frame work of Indian society without any symptoms of reconstruction yet appearing. This loss of his old world with no gain of a new one, imparts a particular kind of melancholy to the present misery of the Hindoos, and separate Hindusthan ruled by Britain, from all its ancient traditions and from the whole of its past history.”

अर्थात् “इसमें सन्देह नहीं कि अंग्रेजों ने हिन्दुस्तान पर जो मुसीबत डलाई है, वह पहले की मुसीबतों से बिलकुल भिन्न और कहीं ज्यादा कठोर है। मेरा संकेत यूरोप की निरंकुश तानाशाही की तरफ नहीं है जिसे ईस्ट इण्डिया कंपनी ने हिन्दुस्तान पर छाद दिया है, और जो एशिया की अपनी तानाशाही से गठ-बन्धन करके हिन्दुस्तान के राजसों से भी ज्यादा भयानक बन गई है।”

“हिन्दुस्तान में बहुत सी घरेलू लड़ाईयाँ हुईं, बाहर से हमले हुए, अकाल पड़े और उनमें बहुत बड़ा नुकसान हुआ, लेकिन उनका असर सतह से नीचे नहीं गया। आर्थिक व्यवस्था में उनसे कोई बड़ा परिवर्तन न हुआ अंग्रेजों ने हिन्दुस्तानी समाज का समाम ढाँचा तोड़ दिया है, लेकिन वे कुछ बना भी रहे हैं, इसका एक भी चिन्ह कहीं नहीं दिशाई देता।

हिन्दुस्तानियों की पुरानी दुनिया खो गई है और नई का कहीं पता नहीं है, और इसीलिये उनकी मुसीबत इतनी दर्दनाक है। अंग्रेजों की हुकूमत में हिन्दुस्तान का अपनी प्राचीन परम्परा और तमाम इतिहास से नाता टूट चुका है।”



# सन् १८५७ ई० से पूर्व के सशस्त्र विद्रोह



सन् १८५७ ई० के पूर्व होने वाली विचार-क्रान्ति पर हम गत पृष्ठों में प्रकाश डाल चुके हैं। इस विचार-क्रान्ति के साथ ही उस समय भारत में कई स्थानों पर सशस्त्र विद्रोह हुए।

इस प्रकार का एक विद्रोह सहारनपुर जिले में हुआ, जिसमें खासी जन हानि हुई। दिल्ली द्विविजन में और मुरादाबाद के मिराठ (Mirath) में भी कई छोटे मोटे विद्रोह हुए। सन् १८२४ ई० में भारतवर्ष में कई जगह विद्रोह की आग सुलगी। कई स्थानों से भारत से अंग्रेजी राज्य को समाप्त करने के नारे सुनाई देने लगे। सन् १८२६-२७ ई० में उमाजी नायक के नेतृत्व में पूना में भयंकर विद्रोह हुआ, जिससे पूना घोर अशान्ति में पड़ गया। सन् १८३१-३३ ई० में बिहार में कोल लोगों ने विद्रोह का झण्डा उठाया, जिसके प्रभाव से २००० वर्गमील का सारा देश विरान हो गया।

सन् १८४४ ई० में महाराष्ट्र के सावन्तवाड़ी राज्य में इस जोर से विद्रोह उठा कि अंग्रेजी सेनापति आउट्राम (Outram) को उसे दवाने के लिये १०,००० सैनिकों की फौज भेजनी पड़ी। सन् १८४८ ई० में कांगा, जसवार और दातारपुर के राजाओं ने नूरपुर के वज़ीर के सहयोग से ब्रिटिश सरकार के खिलाफ बड़ी जोर की वगावत की और यह घोषित किया कि ब्रिटिश राज्य का ख़ात्मा हो चुका है।

कहने का अर्थ यह है कि १८५७ ई० के पहले देश में अशान्ति और असन्तोष का दौर दौरा हो रहा था और भयंकर क्रान्ति के लिये भूमि तैयार हो रही थी।



हिन्दुस्तानियों की पुरानी दुनियाँ खो गई है और नई का कहीं पता नहीं है, और इसीलिये उनकी मुसीबत इतनी दर्दनाक है। अंग्रेजों की हुकूमत में हिन्दुस्तान का अपनी प्राचीन परम्परा और तमाम इतिहास से नाता टूट चुका है।”



# सन् १८५७ ई० से पूर्व के सशस्त्र विद्रोह



सन् १८५७ ई० के पूर्व होने वाली विचार-क्रान्ति पर हम गत पृष्ठों में प्रकार डाल चुके हैं। इस विचार-क्रान्ति के साथ ही उस समय भारत में कई स्थानों पर सशस्त्र विद्रोह हुए।

इस प्रकार का एक विद्रोह सहारनपुर जिल्ले में हुआ, जिसमें खासी जन हानि हुई। दिल्ली डिविजन में और मुरादाबाद के मिराट (Mirath) में भी कई छोटे मोटे विद्रोह हुए। सन् १८२४ ई० में भारतवर्ष में कई जगह विद्रोह की आग सुलगी। कई स्थानों से भारत से अंग्रेजी राज्य को समाप्त करने के नारे सुनाई देने लगे। सन् १८२६-२७ ई० में उमाजी नायक के नेतृत्व में पूना में भयंकर विद्रोह हुआ, जिससे पूना घोर अराज्ति में पड़ गया। सन् १८३१-३३ ई० में बिहार में कौल खोगों ने विद्रोह का झन्डा उठाया, जिसके प्रभाव से ५००० वर्गमील का सारा देश विरान हो गया।

प्रसिद्ध इतिहास लेखक सर जॉन माल्कम Sir John Malcolm ने लिखा है :—

“देशभर में ऐसे गरती पत्रों (Circular letters) और घोषणाओं (Proclamations) का प्रचार हो रहा था, जिनमें यह कहा जाता था कि अंग्रेजों ने भोखेबाजी से इस देश पर कब्जा किया है और वे ऐसे अन्यायकारी हैं कि उन्होंने हिन्दुस्तान की सभ्यता का शोषण किया, धर्म और रीति रिवाजों का नाश किया और हिन्दुस्तान को हर तरह से बरबाद किया। देशी सैनिकों को अंग्रेजों की हत्या करने के लिये प्रोत्साहित किया जाता था। इस प्रकार के गरती पत्र बड़े उत्साह के साथ पढ़े जाते थे।”

इसके अतिरिक्त किसानों में भी अशान्ति के बादल मंडरा रहे थे। कर्नल मालेसन ने लिखा है—“किसानों में अंग्रेजी राज्य के प्रति बुरी भावनाएं बढ़ रही थीं और इसीके परिणाम स्वरूप कई कृषक-विद्रोह हुए (Decisive battles of India) इस समय कई प्रान्तों में उस असंतोष की अग्नि प्रकट या अग्रकट रूप से सुलग रही थी और इसीने आकर फिर भयङ्कर विद्रोह का रूप धारण किया जो १८२७ के विद्रोह के नाम से प्रसिद्ध है।”



# ईसवी सन् १८५७ का स्वातन्त्र्य-युद्ध



श्रीमान् विनायक दामोदर सावरकर ने अपने सुप्रसिद्ध ग्रन्थ "भारत का स्वातन्त्र्य युद्ध" (War of Indian Independence) में प्रबल युक्तियाँ और सुदृढ प्रमाणों से यह सिद्ध करने का प्रयत्न किया है कि सन् १८५७ का विद्रोह वास्तव में कोई आकस्मिक विद्रोह न था बल्कि यह भारतियों का स्वातन्त्र्य-युद्ध था, जिसे उन्होंने विदेशी शासन से मुक्ति पाने के लिये सङ्गठित किया था।

## १८५७ के स्वातन्त्र्य युद्ध की पृष्ठभूमि

ईसवीसन् १८५७ के स्वातन्त्र्य-युद्ध के विषय में लिखने के पूर्व उसकी पृष्ठ भूमि पर भी कुछ प्रकाश डालना आवश्यक है। हम गत पृष्ठों में यह दिखला चुके हैं कि ईसवी सन् १८५७ के पूर्व भारतवर्ष में अशान्ति और विद्रोह के बादल मडराने लगे थे। कई स्थानों में उनका प्रत्यक्ष प्रकटीकरण भी होने लगा था।

भारतीय सैनिकों और अंग्रेज सैनिकों में बड़ा भेदभाव रखा जाता था। दोनों के वेतनों में जमीन आसमान का अन्तर था। भारतीय सैनिक अधिक से अधिक सुबेदार के पद तक पहुँच सकता था, जिसका वेतन (७४) ६० मासिक होता था। यह वेतन एक हल्के दर्जे के अंग्रेज रंगरूट को मिलने वाले वेतन से भी कम था। यजीरखां नामक एक भारतीय रिसालदार ने सर जॉर्ज कैम्बेल से बड़े दुःख और विपाद के साथ कहा था "मैंने रिसालदारी से फौज़ी नौकरी शुरू की, अब भी रिसालदार हूँ और आगे भी रिसालदार ही रहूँगा। हिन्दुस्थान में काले आदमी के लिये पद

वृद्धि (Promotion) की कोई गुंजाइश नहीं है" (G. Cambell memoirs of my Indian career) इसके अतिरिक्त जो सबसे घुरी बात थी, वह यह थी कि हिन्दुस्थानी सैनिक की इज्जत पैरों तले रौंधी जाती थी। उसे बार बार अपमानित होना पड़ता था।

इसके अतिरिक्त भारतीय सैनिकों को हिन्दुस्थान के बाहर भी साम्राज्यवादी युद्धों में खड़ने के लिये भेजा जाने लगा। ईसवी सन् १८२४ में बराकपुर के सैनिकों ने यमा जाने से इन्कार किया। इसका परिणाम क्या हुआ? वे बेचारे गोखियों से उड़ा दिये गये!! साम्राज्य विस्तार के युद्ध में भाग न लेने के अपराध में उन्हें गोखियों का शिकार होना पड़ा!! इसके बाद गवर्नर जनरल ने फीजी भर्तों का एक्ट (Enlistment Act) पास किया, जिसके अनुसार उक्त एक्ट के अनुसार सेना में दाखिल हुए। सिपाही हिन्दुस्थान से बाहर जाने से इन्कार नहीं कर सकता था। अगर कोई इन्कार करते तो उनके सामने बाराकपुर के सैनिकों के गोली से उड़ावे जाने का उदाहरण मौजूद था।

सैनिकों के असन्तोष के बढ़ने के और भी कारण उपस्थित हुए। अवध प्रान्त को जिस निर्दयता और छल कपट से अंग्रेजी राज्य में मिखाया गया, उसने सैनिकों की अशान्ति की ज्वाला को और भी भड़का दिया। अवध यू० पी० में सैनिकों का केन्द्रस्थल था। अवध के अंग्रेजी राज्य में चले जाने से ६०००० सैनिक बेकार हो गये। उनमें अंग्रेजों के खिलाफ ह्दयमि भद्रक उठी। वे भारत से अंग्रेजी राज्य को नैस्तनाबूद कर देने के लिये कटिबद्ध हो गये। यहां यह कहना आवश्यक है कि बंगाल सेना (Bengal Army) में ३/५ सैनिक अवध के थे।

इससे सिपाहियों की राष्ट्रीय भावना को भी बढ़ा धक्का पहुँचा। वे अंग्रेजों से बदला लेने के लिये कृत-निश्चय हो गये।

अवध की तरह लोहें टख्खीजी ने अपनी कूटिल नीति से सतारा नागपुर, तंजौर, म्हाँसी आदि अनेक देशी रियासतों को हक पर चिट्ठा

राज्य में मिला लिया था इससे ब्रिटिश के विरुद्ध और भी जोर से अशान्ति और असन्तोष फैला ।

इसी प्रकार ब्रिटिश सरकार ने बाजीराव पेशवा के दत्तक पुत्र नाना साहब को मलनेवाली झाठ ज़ाख की पेंशन बन्द कर दी । बाजीराव की मृत्यु के बाद इस पेंशन पर नानासाहब का अधिकार था । भारत सरकार की इस कार्यवाही से असन्तुष्ट होकर नानासाहब ने लन्दन के कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स की सेवा में इस अन्याय के खिलाफ एक प्रार्थनापत्र भेजा पर उसका कोई फल न हुआ । तब निराश होकर नानासाहब ने अंग्रेजों के विरुद्ध तख्तार उठाने का निश्चय किया ।

अवध की तरह मैनपुरी के राजा के १५८ गांव में से ११६ गाँव छीन लिये । यू० पी० के एक दूसरे तालुकदार के भी ३१६ गाँव में से १३८ गांव छीन लिये गये । इसी प्रकार कई अन्य राजा भी अपनी जमींदारियों से विहीन कर दिये गये । सर हेनरी लॉरेन्स ने बॉर्ड कैनिंग को लिखा था:—“यू० पी० के तालुकदारों ने अपने आधे गांव खो दिये । कुछ तालुकदारों की तो सारी जमींदारी अंग्रेजों द्वारा हड़प ली गई । इतना होने पर भी किसानों को कोई राहत न मिली । भूमि कर अनाप-शनाप बढ़ा दिया गया । अन्य करों का दुःसह बोझ भी उनपर डाल दिया गया । इससे उनमें भी विद्रोह की भयानक अग्नि प्रज्वलित होने लगी । भारतवर्ष के प्रायः सारे प्रान्तों में अंग्रेजी राज्य के प्रति घृणा और द्वेष के भाव जाग्रत होने लगे । मुसलमानों में यह विद्रोहाग्नि और भी अधिक प्रबलतासे प्रज्वलित होने लगी । ई० सन् १८१२ में पटना के मजिस्ट्रेट ने भारत सरकार को अपनी रिपोर्ट में लिखा था—“इस नगर में विद्रोहियों की संख्या बढ़ रही है । लोग खुले तौर से राजविद्रोह का प्रचार कर रहे हैं । पुलिस भी इन विद्रोहियों से मिली हुई है । मौखी अहमदउल्ला इन विद्रोहियों का नेता है । उसने ७०० आदमियों को अपने घर में इकट्ठा कर उन्हें मुकाबले के लिये तैयार करने का आदेश दिया है ।” (W. W. Hunter; Indian Mussalmans pp. 22 3.)

वृद्धि (Promotion) की कोई गुंजाहूरी नहीं है" (G. Cambell memoirs of my Indian career). इसके अतिरिक्त जो सबसे पुरी बात थी, वह यह थी कि हिन्दुस्थानी सैनिकों की इज्जत पैरों तले रोंधी जाती थी। उसे बार बार अपमानित होना पड़ता था।

इसके अतिरिक्त भारतीय सैनिकों को हिन्दुस्थान के बाहर भी साम्राज्यवादी युद्धों में लड़ने के लिये भेजा जाने लगा। ईसवी सन् १८२४ में बराकपुर के सैनिकों ने धर्मा जाने से इन्कार किया। इसका परिणाम क्या हुआ? वे बेघारे गोखियों से उदा दिये गये !! साम्राज्य विस्तार के युद्ध में भाग न लेने के अपराध में उन्हें गोखियों का शिकार होना पड़ा !! इसके बाद गवर्नर जनरल ने फ़ौजी भर्ती का एक्ट (Enlistment Act) पास किया, जिसके अनुसार उक्त एक्ट के अनुसार सेना में दाखिल हुए। सिपाही हिन्दुस्थान से बाहर जाने से इन्कार नहीं कर सकता था। अगर कोई इन्कार करते तो उनके सामने बाराकपुर के सैनिकों के गोली से उदाये जाने का उदाहरण मौजूद था।

सैनिकों के असन्तोष के बढ़ने के और भी कारण उपस्थित हुए। अवध प्रान्त को जिस निर्दयता और छल कपट से अंग्रेजी राज्य में मिखाया गया, उसने सैनिकों की अशान्ति की ज्वाला को और भी भड़का दिया। अवध यू० पी० में सैनिकों का केन्द्रस्थल था। अवध के अंग्रेजी राज्य में चले जाने से ६०००० सैनिक बेकार हो गये। उनमें अंग्रेजों के खिलाफ़ द्वेषाग्नि भड़क उठी। वे भारत से अंग्रेजी राज्य को नैस्तनावूद कर देने के लिये कटिबद्ध हो गये। यहां यह कहना आवश्यक है कि बंगाल सेना (Bengal Army) में ३/४ सैनिक अवध के थे।

इससे सिपाहियों की राष्ट्रीय भावना को भी बढ़ा धक्का पहुँचा। वे अंग्रेजों से बदला लेने के लिये कृत-निश्चय हो गये।

अवध की तरफ़ लॉर्ड डख्खौजी ने अपनी कुटिल नीति से सतारा नागपुर, तंजौर, भूईसी आदि अनेक देशी रियासतों को हदप कर चिट्ठा

संख्या २५००० और देहली और देहली के आसपास ३०,००० तक पहुँच चुकी थी। देहली, रुहेलखंड, अवध और बुन्देलखंड ने विदेशी सत्ता को उखाड़ कर अपने आपको मुक्त कर लिया। सर रिचर्ड टैम्पल ने अब विद्रोह के समाचार सुने तो वह शीघ्रता के साथ इटली से छूटकर आए। परन्तु उन्होंने पञ्जाब के समस्त राज्यों को पूर्ण रूप से बन्द पाया। जनरल हेवेन्वीक ने भी पेरिस से छूटते समय देखा कि बेहली जाने के समस्त थक मार्ग अवरोध हैं और उन्हें विवरा होकर जख मार्ग की शरण लेनी पड़ी।

कहीं कहीं तो विद्रोह ने विशाल जन-विद्रोह का रूप धारण कर लिया। भारत के चार बड़े प्रान्तों में—अवध, रुहेलखंड, बुन्देलखंड, सागर और नर्मदा के राज्यों में—समस्त जनता ने ब्रिटिश सत्ता के विरुद्ध बगावत का झंडा उठाया पश्चिमीय बिहार, पटना, भागल और मेरठ के कुछ भागों में जनता और सेना ने एक साथ विद्रोह किया।

रुहेलखंड में एक दिन के अन्दर २ विद्रोह की अग्नि ने भयंकर रूप धारण कर लिया। बरेली, शाहजहांपुर, मुरादाबाद, बुंदीन और अन्य कई स्थानों पर सेना, पुलिस और जनता ने स्वतंत्रता की घोषणा कर दी। जमना के पश्चिमीय किनारे के कुछ राज्यों में राजाओं ने अपनी जनता को अंग्रेजों के आधीन ही रखा, किन्तु दोआब के ग्रामीणों ने विदेशी सत्ता को उखाड़ फेंका। न केवल गंगा के किनारे के जिलों में ही, किन्तु गंगा और यमुना के बीच के समस्त जिलों में जनता विद्रोही हो उठी। अवध में विद्रोह का नेतृत्व सेना ने किया था। जिस जिले की सेना में विद्रोह की आग भड़कती वह जिला फिर अंग्रेजों के आधीन न रह पाता था। केवल इस दिन के अन्दर २ इन स्थानों से अंग्रेजी राज्य सत्ता का पूर्ण रूप से लोप हो गया, यहाँ तक उसके कुछ चिन्ह भी अवशेष न रहे। सेना बगावत करती थी और जनता अंग्रेजी राज्य सत्ता के आधिपत्य को अस्वीकार कर बगावत में सम्मिलित हो जाती थी। स्वतन्त्रता की खर



मुसलमानों का एक दूसरा नेता फैजाबाद निवासी मौलवी अहमद शाह ने अवध रेलवेखंड और भारत के उत्तर पश्चिम प्रांत में तूफानी दौरा कर लोगों में विद्रोह की भयंकर भावनाएँ भरि और उन्हें अंग्रेजों के खिलाफ चलवार उठाने के लिये प्रोत्साहित किया। कहने का मतलब यह है कि क्या हिन्दू, क्या मुसलमान, क्या जमींदार, क्या किसान सबमें बड़ी प्रबल विद्रोह की भावना जागृत हो उठी थी। खोग विदेशी सत्ता से देश को मुक्त कर स्वदेशी सत्ता को फिर से प्रस्थापित करने के लिये बड़े खाल-यित हो रहे थे। फौजों में भी यह विद्रोहाग्नि बड़े जोरों से भड़क रही थी। खोग ऐसे अवसर की प्रतीक्षा कर रहे थे। जब वे सब मिल कर विद्रोह का भंडा उठायें।

### विद्रोह का आरम्भ और विस्तार

भारतीय सैनिकों में असन्तोष की भावना का जागृत होना ही विद्रोह का मूल कारण था। यद्यपि कहीं २ पर सैनिक अंग्रेजों के प्रति स्वामि-भक्त भी रहे थे, किन्तु विद्रोह की ज्वाला को रोकने के लिये उनकी शक्ति पर्याप्त न थी। वैसे तो हिन्दू सैनिकों को छोड़कर मद्रास और बम्बई की समस्त सेना अंग्रेजों के साथ थी और दक्षिण के छोटे-मोटे विद्रोहों से भी मामूली परेशानी के अतिरिक्त उन्हें कोई बड़ी हानि नहीं उठानी पड़ी थी। परन्तु बंगाल की सेना ने बड़ी धीरता और सफलता के साथ विद्रोह की अग्नि को भड़काया और धीरे धीरे चारों ओर बगावत की भयंकर ज्वालाएँ धधकने लगीं।

विद्रोह का ऐसा भयंकर रूप देखकर अंग्रेजी सरकार ने देहली, मेरठ, रेलवेखंड, आगरा, बनारस, इलाहाबाद, पटना, छोटा नागपुर, दक्षिणी बंगाल, नीमच और अजमेर के कुछ जिलों में एवं उत्तर पश्चिमीय प्रांतों के कुछ क्षेत्रों में मार्शल लॉ की घोषणा कर दी। इतने विस्तृत क्षेत्र में मार्शल लॉ की घोषणा से ही विद्रोह के विस्तार का अन्दाज खगाया जा सकता है। ई० सन् १८५७ जून तक अवध में शिथिल सैनिकों की

संख्या २५००० और देहली और देहली के आसपास ३०,००० तक पहुँच चुकी थी। देहली, रुहेलखंड, अवध और बुन्देलखंड ने विदेशी सत्ता को उखाड़ कर अपने आपको मुक्त कर लिया। सर रिचर्ड टैम्पल ने जब विद्रोह के समाचार सुने तो वह शीघ्रता के साथ इटली से लौटकर आए। परन्तु उन्होंने पंजाब के समस्त रास्तों को पूर्ण रूप से बन्द पाया। जनरल हिवेन्मौक ने भी पेरिस से लौटते समय देखा कि देहली जाने के समस्त थल मार्ग बन्द हैं और उन्हें विवश होकर जल मार्ग की शरण लेनी पड़ी।

कहीं कहीं तो विद्रोह ने विशाल जन-विद्रोह का रूप धारण कर लिया। भारत के चार बड़े प्रान्तों में—अवध, रुहेलखंड, बुन्देलखंड, सागर और नर्मदा के राज्यों में—समस्त जनता ने ब्रिटिश सत्ता के विरुद्ध बगावत का झंडा उठाया पश्चिमीय बिहार, पटना, आगरा और मेरठ के कुछ भागों में जनता और सेना ने एक साथ विद्रोह किया।

रुहेलखंड में एक दिन के अन्दर २ विद्रोह की अग्नि ने भयंकर रूप धारण कर लिया। बरेली, शाहजहाँपुर, मुरादाबाद, बुदीन और अन्य कई स्थानों पर सेना, पुलिस और जनता ने स्वतंत्रता की घोषणा कर दी। जमना के पश्चिमीय किनारे के कुछ राज्यों में राजाओं ने अपनी जनता को अंग्रेजों के आधीन ही रक्ता, किन्तु दोआब के ग्रामीणों ने विदेशी सत्ता को उखाड़ फेंका। न केवल गंगा के किनारे के जिलों में ही, किन्तु गंगा और यमुना के बीच के समस्त जिलों में जनता विद्रोही हो उठी। अवध में विद्रोह का नेतृत्व सेना ने किया था। जिस जिले की सेना में विद्रोह की आग भड़कती वह जिला फिर अंग्रेजों के आधीन न रह पाता था। केवल इस दिन के अन्दर २ इन स्थानों से अंग्रेजी राज्य सत्ता का पूर्ण रूप से लोप हो गया, यहां तक उसके कुछ विन्ध भी अवशेष न रहे। सेना बगावत करती थी और जनता अंग्रेजी राज्य सत्ता के आधिपत्य को अस्वीकार कर बगावत में सम्मिलित हो जाती थी। स्वतन्त्रता की छहर

समस्त अवध में बहने लगी और उसका बच्चा-बच्चा देश का सैनिक बन बैठा। कुछ ही समय में अवध के अन्दर सुपुञ्जित सैनिक ही सैनिक दृष्टिगोचर होने लगे। सिपाहियों और सैनिकों के अतिरिक्त जनता में से १००,००० लोगों ने सैनिकों का रूप धारण कर लिया था।

मध्यभारत के विषय में डॉट्टे कैनिंग ने लिखा था, "मध्यभारत हमारे हाथों से जा चुका है और हमें उसे पुनः जीतना है।"

अंग्रेजों सत्ता को उखाड़ने में विद्रोहियों को कहां तक सफलता मिली इसका अन्दाज़ हम इसी बात से लगा सकते हैं कि कलकत्ते की सरकार दूसरे प्रांतों से समाचार पाने में पूर्ण असमर्थ हो चुकी थी। देहली की विजय विद्रोहियों की सबसे महत्वपूर्ण एवं शानदार विजय थी। इससे विद्रोहियों को कई प्रकार के शत्रु प्राप्त हुए किन्तु इन सबमें बढ़कर इस विषय का मनोवैज्ञानिक प्रभाव था।

अंग्रेजों को देहली जीतते समय विद्रोहियों का बड़ा ज़बरदस्त मुकाबला करना पड़ा। जब अंग्रेज कितने ही असफल प्रयासों के पश्चात् देहली में घुस गये तो उन्होंने देखा कि विद्रोही एक एक इंच भूमि के लिये युद्ध करने को तुले बैठे हैं। जब अंग्रेजों ने पूर्ण रूप से देहली पर अधिकार कर लिया तब भी आसपास के छोटे छोटे ग्रामों में युद्ध जारी रहा। ग्रामीण लोग अपने खेतों पर खाल रज़ का घृणा सूचक चिन्ह लगाए रहते थे। विहार में लोग अंग्रेजों को लगातार बढ़ी तरकीब के साथ मूठे सूचनाएँ देकर धोखा दिया करते थे। अवध के विद्रोही बिना खाल सामग्री के ही घूमा करते थे क्योंकि वहां की जनता उनके खाने का पूर्ण प्रबन्ध कर दिया करती थी। यह अपना सामान भी निर्भयता के साथ छोड़ दिया करते थे क्योंकि उसे कोई छूता तक न था। ज़रा-ज़रासी देर में सूचनाएँ मिलने के कारण वे अपनी और अंग्रेजों की स्थिति से पूर्ण रूप से परिचित रहते थे। उनके विरुद्ध किसी प्रकार के पंड़्यन्त्र की भी सम्भावना न रहती थी, क्योंकि इनके गुप्तचर अंग्रेजों के प्रत्येक

पड़ाव पर उपस्थित रहते थे। न केवल सैनिकों ने किन्तु पुलिस और अन्य सरकारी कर्मचारियों ने भी विद्रोह में भाग लिया था। धनिकवर्ग का विश्वास भी अंग्रेजी सरकार पर से उड़ गया था। इससे सरकार की आर्थिक स्थिति को बड़ा धक्का लगा। उसे करीब १,५०,००,००० पौण्ड का घाटा उठाना पड़ा। व्यापार को भी काफी धक्का पहुँचा, क्योंकि इंग्लैण्ड से माछ आना बिल्कुल ही बन्द हो गया था। फलस्वरूप वस्तुओं के दाम अत्यधिक रूप से बढ़ गये, किन्तु यह सब विद्रोह के भयकर आयेग के सामने आरचर्य जल्क नहीं लगता था।

अंग्रेज लेखकों ने इस देश व्यापी विद्रोह को 'सैनिकों का बलवा' नाम देकर इसके महत्व को घटाने के प्रयत्न तो बहुत किये किन्तु भारतवर्ष के इतिहास में यह महत्व इस प्रकार घटया नहीं जा सकता। सैनिकों के अतिरिक्त भी सभी वर्ग के लोगों ने इसमें भाग लिया था। इसीलिये इस जन विद्रोह को केवल सैनिकों का बलवा कहना उचित नहीं। अंग्रेजी-शासन के प्रति असन्तोष की भावना से प्रेरित होकर ही जनता ने अंग्रेजी राज्य को आमूल रूप से नष्ट कर भारत को स्वतन्त्र करने का निरचय किया था।

जित शीघ्रता और सफलता के साथ यह विद्रोह फैला उसने यह सिद्ध कर दिया कि विद्रोहियों को जनता की कितनी सहानुभूति एवं सहायता प्राप्त थी। जो लोग सुलकर विद्रोहियों का साथ न दे सकते थे उन्होंने भी अंग्रेजों के प्रति असहयोग की नीति का अवलम्बन तो किया ही था। यहाँ तक कि जनरल हैवेलॉक अपनी सेना को पार करने के लिये कोई नाव और नाविक भी न पा सके थे। कानपुर में भी जब विद्रोही मजदूरों को विद्रोहियों का साथ न देने दिया तो वे रात को चुपचाप भाग निकले।

सन् १८५७ का गहर किसी जाति विशेष अथवा किसी वर्ग विशेष द्वारा संचालित किया हुआ न था, किन्तु यह तो देश-व्यापी विद्रोह था, जिसमें हिन्दू मुसलमानों ने सागरदायिकता के बन्धनों को तोड़कर अंग्रेजी

सत्ता को उखाड़ फेंकने के लिये जान लड़ा दी थी। अंग्रेजों ने हिन्दू मुसलमानों को आपस में खड़ा कर इस विद्रोह को असफल करने की बहुत चेष्टा की किन्तु उनकी यह नीति सफल न हो सकी और उन्हें उल्टे मुँह की खानी पड़ी। इधिसन ने तो अपनी असफलता को स्वीकार करते हुए लिखा था,—“इस विद्रोह में हमारी हिन्दू मुसलमानों को आपस में खड़ाने की नीति सफल न हो सकी।” अंग्रेजी सरकार इस पर जल्दी कायू न पा सकी इसका मुख्य कारण यही था कि इसमें आदि से अन्त तक हिन्दू मुसलमानों ने एक दूसरे का साथ दिया था।

बरेली के नवाब खान बहादुर खॉ ने घोषणा की थी:—“समस्त मुसलमानों ने निश्चय किया है कि यदि हिन्दू अंग्रेजों को भारत से बाहर निकालने में मुसलमानों की पूरी सहायता करेंगे तो मुसलमान गौ-हत्या बन्द कर देंगे और गौ-मांस को उतनी ही घृणा की दृष्टि से देखेंगे जैसे की हिन्दू देखते हैं।” नवाब ने हिन्दुओं के उत्तर की प्रतीचा भी न की और गौ-हत्या बन्द कर दी।

दिल्ली के मुसलमान बादशाह ने राज्य छोड़ने का जो प्रस्ताव पेश किया वह तो गौ-हत्या-निषेध से भी अधिक महत्व पूर्ण था। बादशाह ने अपने हाथ से एक पत्र जोधपुर, जयपुर, उदयपुर, अजमेर आदि के राजाओं को लिखा;—“फिरङ्गी लोग भारतवर्ष से खदेड़ दिये जाय यह मेरी आन्तरिक इच्छा है। मैं सारे भारतवर्ष को स्वतंत्र देखना चाहता हूँ। किन्तु यह घणाघत सब तक पूरी तरह से सफल न होगी जब एक योग्य व शक्तिशाली व्यक्ति इसके संचालन का भार अपने उपर लेने को तैयार न हो जायें और अपनी पूरी शक्ति के साथ इसका संचालन कर समस्त भारतवासियों की एकता की ओर में न बाध दें। यदि अंग्रेज भारतवर्ष से चले जाय तो उसके पश्चात् मैं ही भारतवर्ष का राज्य करूँ, यह मेरी कतई इच्छा नहीं है। यदि समस्त राजा लोग मिलकर यह भार लेने को तैयार हों तो मैं सहर्ष अपने राज्य के सारे अधिकार सौंपनेको तैयार हूँ।”

हिन्दू लोग भी मुसलमानों के साथ एकता स्थापित करने के लिये इतने ही उत्सुक थे। नानासाहब का निजी सलाहकार भी एक मुसलमान व्यक्ति था। इस प्रकार हिन्दू और मुसलमानों ने साम्प्रदायिकता के समस्त बन्धनों को तोड़ दिया था और एक होकर विद्रोह का झण्डा उठाया था। उस समय समस्त देश के सामने एक ही उद्देश्य था— 'भारत की मुक्ति' और एक ही कार्य था— 'स्वतंत्रता प्राप्ति।' हिन्दू और मुसलमानों ने विद्वेष की सम्पूर्ण भावनाओं को त्याग कर केवल एक उद्देश्य से प्रेरित होकर देश की स्वतंत्रता के लिये रक्त बहाया था।

सिक्खों ने भी अंग्रेजों का साथ उसी समय दिया था जब कि विद्रोहियों के भाग्य का पासा पलट चुका था। किन्तु ऐसे सिक्खों की संख्या ही बहुत कम थी। चन्द सिक्खों को छोड़कर सारे भारतवासी विद्रोही हो उठे थे और यही अंग्रेजों की चिन्ता का मुख्य कारण था। यदि यह विद्रोह जन-विद्रोह न होकर सैनिक विद्रोह ही होता तो शायद इसका महत्व इतना अधिक न होता एवं अंग्रेजों द्वारा आसानी से दबा दिया गया होता। किन्तु उस समय तो जनता ही बागी हो उठी थी और अंग्रेजों का मुख्य उद्देश्य था जनता के जोश को कुचलना। इसीलिये सिपाहियों की अपेक्षा जनता के साथ अधिक क्रूरता एवं नृशंसता का व्यवहार किया गया था।

विद्रोह केवल स्वराज्य प्राप्ति के लिये ही न हुआ था किन्तु धर्म की रक्षा भी उसका एक कारण था। विद्रोहियों की प्रत्येक डुकड़ी के साथ मौखरी और पंडित उपस्थित रहते थे। फ़कीरों ने तो गुप्तचरों का काम बड़ी ही कुशलता पूर्वक किया था। आश्चर्य की बात तो यह है कि विद्रोह का एक पक्ष धार्मिक होते हुए भी हिन्दू मुसलमानों में किसी प्रकार का वैमनस्य उत्पन्न न हुआ। धार्मिक भावनाओं ने जनता की विद्रोही प्रवृत्तियों को उकसा तो अवरय दिया किन्तु फिर भी विद्रोह का मुख्य उद्देश्य धार्मिक न होकर राजनैतिक ही था। जहाँ कहीं भी विद्रोही विजयी होते थे वहाँ पर पुराने शासक फिर से नियुक्त कर दिये जाते थे।

ई० सन् १८२७ के स्वातन्त्र्य युद्ध में जिन योद्धों ने भारत-व्यापी विद्रोह का झंडा उठाया और विदेशी सत्ता का भट्टा भर भारत में स्वातंत्र्य स्थापना का आयोग किया उनका परिचय देना यहाँ आवश्यक प्रतीत होता है।

### महारानी लक्ष्मी बाई

भारतीय विद्रोह के इतिहास में महारानी लक्ष्मीबाई का नाम अग्रणीयों में लिखे जाने योग्य है। इस युद्ध में हिन्दुस्तान की ग़िज़त स्त्री-नय ने अपनी आख्यिक प्रतिभा और तेज़ से मारे देश को आश्चर्य चकित कर दिया था, उसके लिये अपना युद्ध अभिमान दिखाकर उसे इतिहास में गौरवशास्त्री पद देना इतिहास पेशवाओं का प्रधान कर्तव्य है। हम ही क्या महारानी के अनुपम गुणों के विषय में बहुत से अंग्रेज़ों ने जो कुछ कहा है उससे प्रत्येक देशभक्त का मस्तक ऊँचा होना चाहिये। मार्टिन नामक इतिहासकार ने राजपूत वीरों की तुलना करते हुये महारानी की तेज़स्वीता के विषय में कहा था—“In the prime of life, exceedingly beautiful vigorous in mind and body Laxmibai had all the pride of the famous Rajput prince the Rana Umer (the opponent of emperor Janhagir) who rather than be less, cared not to be at all”

रानी लक्ष्मी बाई अपनी युवावस्था में अत्याधिक सुन्दर थी; उनका मन उत्साह पूर्ण और शरीर सुदृढ़ था और सुप्रसिद्ध राजपूत वीर महाराना अमर सिंह (महाराना प्रतापसिंह के पुत्र और जहांगीर के प्रतिपक्षी) की तरह उनका भी प्रयत्न था कि प्राण भले ही खले जाय पर अपनी मान ज्ञानि कभी नहीं होने दूंगी।

सर एडविन आर्नोल्ड ने बड़े अचरज और आनन्द के साथ महारानी के पराक्रम का वर्णन करते हुए कहा था—“जिस स्त्री के विषय में यह मालूम

हुआ था कि वह राज-काज न चला सकेगी—वही खी प्रचंड सेनाका आधिपत्य स्वीकार करने के लिये पूर्ण समर्थ हुई!" इतना ही नहीं किन्तु अपने महारानी की प्रशंसा का उनकी तुलना इंग्लैंडकी बोडिशिया नामक वीर रानी से की है। रानी बोडिशिया प्राचीन काल में रोमन लोगों से लड़ी थी। डबल्यू० सी० टॉरस नामक पार्लियामेण्ट के एक सभासदने महारानी का वर्णन करते हुए फ्रांस देशकी जॉन आफ आर्क नामक स्त्री-रससे उनकी तुलना की है। यह वीर खी १५वीं सदीमें हुई

‡ We found that the woman from whom we had taken, as incapable of government, the regency of a state, could at least command an army. Her name was the centre of the revolt in the North-west. She was the swarthy Bodicca of the Hindu and Mussalmen levies, by her adroit intrigues Gwalior was nearly lost, and central India with it. For weeks and months after Delhi fell, her wonderful power of generalship kept the British columns under Sri Hugh Rose at the strain of effort and endurance, till at last she led her troops in open battle against us at Kalpee. Defeated there, she made another masterly effort against us at Gwalior, and it was not the fault of this able and passionate woman that her army broke that day, and fled in utter confusion. Armed and dressed as a cavalry officer, she led her ranks to repeated and fierce attacks, and when the camel corps, pushed at by Sri Hugh in person, broke her last line, she was among those who stood when hope was gone.

*Dalhousie's Administration of British India.*  
Vol. II, P. 152.



और बहुत प्रसिद्ध है। इस ग्रन्थकार ने बड़े अक्षरजके साथ कहा है कि 'तुमूख और भयंकर युद्धमें कई घंटों तक घनघोर युद्ध परिभ्रम करने पर भी महारानी किसी प्रकार रण से पीढ़े न हटती थीं!''† जस्टिन मेकार्थरने अपनी सत्य प्रिय मसुर बायींसे प्रतापशाही और मन्डलमें महारानी की गणना की है और उनका अभिनन्दन करते हुए कहा है३

† At the first note of insurrection in 1857, she took to horse, and for months in male attire headed bands, squadrons and at length formidable corps of the Mahrattaas, until she became in her way another Joan of Arc to her frenzied and fierce followers. No insurgent leader gave more trouble to the columns of Sir Hugh Rose; but not even in desperate and deadly fight, lasting for many hours, could she be persuaded to quit the field.

*Empire in Asia P. 376\**

✿ One of those who fought to the last on the rebel side was the Ranee or Princess of Jhansi whose territory, as we have already seen, had been one of our annexatuons. She had plunged all her energies into the rebellion, regarding it clearly as a rébellion, and not a mere mutiny. She took the field with Nanasahib and Tantia Topee. For months after the fall of Delhi she contrived to battle Sri Hugh Rose and the English. She led squadrons in the field. She fought with her own hands. She was engaged against us in the battle for the possession of Gwalior. In the uniform of the cavalry officer she led charge after charge and was killed among those who resisted to the last. Her body was found upon the field scarred

किं ह्य रोजने उदार और विजयी योद्धाकी तरह, बड़े आनन्द से, सम्मान-पूर्वक, महारानी की जो स्तुति की है वह 'गुणी गुण वति' के न्यायसे बिल्कुल ठीक है। उन्होंने कहा है :—

“शत्रु-दल की ओरका सबसे उत्तम मनुष्य यदि कोई है तो वे भांसी की महारानी लक्ष्मीबाई हैं।”

इस प्रकार जिनके विमल गुणों की सुन्दर सुगन्ध से पश्चिमी लोगों के अंतःकरण सन्तुष्ट होकर आनन्द से उद्वलित हों, उन अतुल्य पराक्रमी, धीर्यशालिनी महारानी लक्ष्मीबाई के समान दिव्य स्त्री-रत्न यदि हमारे आर्यावर्त की सुरोभित करें और उनके अति उत्तम गुणों के प्रकार से प्रत्येक देशनिष्ठ और स्वदेशाभीमानो पुरुष के अन्तःकरण में उनके विषयमें यदि अभिमान और पूज्य बुद्धि उत्पन्न हो तो बड़े सौभाग्यनी बात होगी

महारानी लक्ष्मीबाई का नाम न केवल भारतवर्ष के इतिहास के पृष्ठों को, वरन संसार के विश्व के इतिहास को गौरवान्वित करता रहेगा। जाने हुए इतिहास के पृष्ठों में हमें एक भी महिला के शौर्य और विक्रम का ऐसा उदाहरण नहीं मिलता जिसने लक्ष्मी बाई की तरह

---

with wounds enough in the front to have done credit to any hero. Sri Hugh Rose paid her the well-deserved tribute which a generous conqueror is always glad to be able to offer. He said in his general orders, that *the best man upon the side of the enemy was the woman found dead, the Ranee of Jhansi.*

*History of our own times by Justin Mc Carthy M. P. 111.*

सर ह्यूरोज़ सर्रीने तुशल सेनापतियों और आधुनिक अग्रशर्यों से सुजित विराल सेनाओं का अतुल वीरता के साथ मुकाबला कर प्रारम्भ में उनके ध्वजे छुदाये हों और उन्हें सख्त परिचय आश्चर्यचकित कर दिया हो।

इस वीराङ्गना के पतिदेव झासी के महाराजा गंगाधरराव का स्वर्गवास अल्पायु में हो गया था। मृत्यु के पहले उन्होंने दामोदरराव नामक एक निकटस्थ कुटुम्बी को दत्तक लिया था और उन्होंने उसे अपना उत्तराधिकारी बनाने का अपना कृतनिश्चय भारत सरकार पर प्रगट कर दिया था। उस समय लॉर्ड डलहौजी की रियासतों को अंग्रेजी राज्य में मिलाने की नीति का दौरा-दौरा था। इससे गंगाधर राव की प्रार्थना स्वीकृत न हुई और अंग्रेज सरकार ने झासी को मिट्टी राज्य में मिलाने का निश्चय कर लिया।

गंगाधरराव की मृत्यु के समय छप्पीवाई की उम्र केवल १८ वर्ष की थी। अपने जीवनसर्वस्व पति की अकाल मृत्यु से उसका हृदय जर्जरित हो गया था। पर वह एक 'महान्' वीराङ्गना थी। अंग्रेजों के इस अन्याय से उसके शरीर में क्रोधाग्नि प्रज्वलित हो उठी। उसने प्राण रहते झासी की रक्षा करने का सकल्प किया। उसने मिट्टी रजिस्ट्रेट से साफ शर्तों में कहा कि "मैं प्राण रहते झासी न दूंगी"।

बढ़ते बढ़ते बात बढ़ गई। अंग्रेजों ने सैनिक विद्या के पारंगत और अनुभवी सेनानायकों के नेतृत्व में एक विराल सेना झासी पर भेजी। छप्पीवाई ने भी युद्ध की तैयारी की। उसने अतुल पराक्रमी और अद्भुत वीरत्व से एक महान बलशाली शत्रुओं का ऐसा डट कर मुकाबला किया कि वे दौंतों तले अंगुली दे गये। अंग्रेजी सेना के सैकड़ों सैनिकों को उसने धराशायी कर दिया। पर अंग्रेजों की विराल सेना, उनके अनसंहारक आधुनिक अस्त्रशस्त्र और उनकी सैनिक क्षमता के कारण आखिर में झासी का पतन हो गया।

इस समय झासी पर मानों त्रिपति का पहलू टूट पड़ा। अंग्रेजी सेना

ने नगर में तहलका मचा दिया। किला शहर और राजमहल लूटने के बाद अंग्रेजी सेना ने भांसी के प्रसिद्ध महालक्ष्मी के मन्दिर पर धावा किया और वहाँ के सब आभूषण आदि लूट लिये ! तीन दिन तक गोरों ने शहर को खूब मनमाना लूटा !! सात दिन तक यह लूट अव्याहत रूप से चलती रही !! इस समय नगरवासियों पर भीषण अत्याचार हुए। इस बात को ज्ञे महोदय ने अपने Central India नामक ग्रन्थ में स्वीकार की है।

महारानी लक्ष्मीबाई भांसी के किले से निकल कर दूसरे दिन—पांचवीं अप्रेल को—भांडेर नामक एक गाँव में पहुँची। वहाँ स्नानादि से निवृत्त होकर उन्होंने अपने पुत्र दामोदरराय को कुछ खिलाया पिलाया। इसके बाद वे कालपी की ओर जाने की तैयारी कर रही थीं कि इतने में लेफ्टिनेन्ट थोकर महारानी को पकड़ने के लिये अपनी सेना के साथ गाँव के समीप आ पहुँचे। उस समय महारानी के पास न तो सेना थी और न अपनी रक्षा का—एक तलवार के सिवाय—ग्रन्थ कोई साधन था। अतएव तुरंत बालक को अपनी पीठ पर बांध, हाथ में तलवार ले घोड़े पर सवार हो वे शत्रु से लड़ने को तैयार हो गईं। अंग्रेजी सवारों ने उन पर बड़े जोर से धावा किया। यथार्थ में यही समय महारानी के युद्ध-कौशल के परीक्षण का था। एक ओर चौकर साहब सरीखे अनुभवी अंग्रेज वीर अपने चुने हुए सवारों को साथ लेकर वायु-वेग से दौड़ते चले आ रहे थे और दूसरी ओर उनका सामना करके वहाँ से सुरक्षित रूप से भाग जाने का बल एक प्राणायुक्त शक्ति कर रही थीं ! यह बड़ा ही आश्चर्य-जनक दृश्य था। यद्यपि ऐसे कठिन समय में जय-लाल की आशा करना महारानी के लिये एक अर्लभव प्रयत्न के समान था, तथापि उन्होंने अपने अलौकिक साहसा, दृढ़ निश्चय, अद्भुत शूरता और अद्वितीय रण-कौशल से एक रण-शूर अंग्रेज योद्धा के भी दांत खट्टे कर दिये। ज्योंही चौकर साहब अपने घोड़े को दौड़ाते हुये लक्ष्मीबाई को पकड़ने के लिये आगे बढ़े, त्योंही लक्ष्मीबाई ने कुछ दूर हटकर पहले उनके वेग को रोका

और अपनी छलवार का एक हाथ ऐमी फुर्ती से, खड़ाया की चौकर साहब घायल होकर छुटपटाते हुए नीचे गिर पड़े। बस फिर क्या था, रानी ने उसी समय अपने घोड़े को वायु-गति से भागे दीवारों और सीधा कालपी का रास्ता पकड़ा। चौकर साहब भी हतार होकर झांसी छोट गये।

महारानी जख्मीबाई दिन भर घोड़ा दीवानी हुई रात के बारह बजे कालपी पहुँची। धन्य है ! जो खी सदा राजकीय सुख, विजास और वैभव में रहती थी उसीने आज विना कुछ खाये पीये पीठ पर लड़के का घोंघे, २४ घंटे में १०२ मील का घोड़े पर प्रयास किया और मार्ग में अनेक आपत्तियों के आ जाने पर भी अपनी प्रतिज्ञा का दृढ़ता से पालन किया ! इससे महारानी के साहस, मनोनिग्रह और घोड़े पर बैठने की शक्ति का वास्तविक परिचय मिलता है।

कालपी एक छोटासा शहर है। यह यमुना नदीके किनारे बसा हुआ है। यमुना के पश्चिमी किनारे पर एक मजबूत किला बना हुआ है। वर तीन ओर से मजबूत कोट से घिरा हुआ है। किले के पश्चिम की ओर एक मैदान है। उसके बाद शहर की आबादी है। यह शहर बहुत प्राचीन है।

कालपी में उस समय रावसाहब पेशवा अपनी सेना सहित मुकाम किये हुए थे। उन्होंने वहाँ महारानी के रहने आदि का योग्य प्रबन्ध कर दिया। उन्होंने महारानी के सामने इस बात पर खेद प्रकट किया कि वे झांसी के युद्ध में महारानी की कोई सहायता न कर सके। पर साथ ही में उन्होंने महारानी के आखौकिक वीरत्व के लिये उनकी बड़ी प्रशंसा की और कहा कि आप जैसी वीरान्ना को धन्य है कि जिसने अपनी प्राचीन कीर्ति के अनुसार प्रबल अंग्रेजी सेना के साथ अतुल्य वीरत्व और पराक्रम से युद्ध किया।

रावसाहब पेशवा ने छांत्यागोपी और महारानी जख्मीबाई को अपनी सेना का मुख्य अधिकारी बनाया। कहने की आवश्यकता नहीं कि

कालपी में घनघोर युद्ध की तैयारी होने लगी ।

उधर अंग्रेज सर हारोजने भांसी का सुदृढ़ प्रबन्ध कर कालपी पर हमला करने के लिये अपनी फौज सहित कूच किया । रास्ते में उन्होंने कोंच गांव पर हमला किया, जहां ५०० विद्रोही जमा हो रहे थे । अंग्रेजी सेना और विद्रोहियों में घमासान लड़ाई हुई, पर आखिर विद्रोही टिक न सके और वहां का किला अंग्रेजों के हाथ पड़ गया ।

इस पराजय का समाचार जब कालपी पहुँचा, तब सब के कान खड़े हो गये । अधिक तैयारी और स्फूर्ति से अंग्रेजों का मुकाबला करने का विचार होने लगा । सैनिकों ने शपथ खाकर यह प्रतिज्ञा की कि या तो हम विजय प्राप्त करेंगे या युद्ध में प्राण दे देंगे ।

उधर विगेडियर स्ट्रॉथ और लेफ्टिनेंट कर्नल रॉबर्टसन की अधीनता में अंग्रेजी सेना कालपी विजय के लिये आगे बढ़ रही थी । उधर विद्रोही सेना ने एक गलती की । उसने अपने किलेबंदी में न रह कर आगे बढ़ कर शत्रु का मुकाबला किया । इससे उनकी फौज की रक्षा का स्थान-छूट गया । अंग्रेजी सेना को यह अच्छा मौका मिल गया । वह अपने मौके पर आ दटी और तोपों की मार शुरू हो गई ।

कालपी की फौज ने अपनी जगह छोड़ दी, इस कारण इस तरफ की गोलियों अंग्रेजी-सेना पर कुछ काम नहीं कर सकती थीं और अंगरेजी-सेना की तोपें धड़ाधड़ गोले बरसा कर विद्रोहियों को स्वाहा कर रही थीं । कालपी की फौज ने अपनी रक्षा के लिये बहुत प्रयत्न किया, और बड़े जोर शोर से अंग्रेजी फौज पर धावा किया । पर अपनी भूल के कारण उसे कुछ सफलता न हुई । उबड़ी इन्हीं खोंगों की अधिक हानि हुई । इस बीच में कालपी की फौज का अधिक जोर देखकर हैदराबाद की पलटन भी अंग्रेजी फौज से आ मिली थी ।

इस प्रकार कालपी की सेना के अगले भाग का पराभव सुनकर सारी सेना बड़ी भयभीत हुई । सब खोंगों में निराशा छा गई । राव-

साहस पेशवा, शौदा ने नपाय आदि मुग्य-मुग्य घोड़ा हर कर भागने का विचार करने लगे। इस समय महारानी लक्ष्मीबाई ने उन्हें धीरज देकर कहा कि अब छोड़ो के लिये घबराने की कोई बात नहीं। अब ज़रा आप मेरा भी कौशल देखिये। इतना कह कर उन्होंने अपना घोड़ा बुलवाया और उस पर सवार होकर अपने लालवर्दी के सत्रारों को साथ लिये वे आगे बढ़ीं। अंग्रेजों के दाहिनी ओर जाकर उन्होंने बड़े वेग से उन पर धावा किया। उनके इस अचानक प्रचण्ड आक्रमण से अंग्रेजों की फौज एक दम पीछे हट गई। बड़े बड़े अंग्रेज शूवीर कट कट कर धराशायी होने लगे। इस बार महारानी ने इतनी बुद्धिमानी और सुग्यवस्थित रीति से युद्ध किया कि उनके शौर्य के कारण "लाइट फील्ड" तोपों के गोले कुछ देर के लिये बिलकुल बन्द हो गये और उनके गोखन्दाज स्तब्ध होकर जेमे के सीसे खदे रह गये। इतना ही नहीं, किन्तु महारानी उन तोपों से २० फीट के अन्तर तक मारती-काटती खड़ी गईं। महारानी की इस विलक्षण धीरता को देखकर कालपी की दूसरी सेनाओं का भी साहस बढ़ा और उन्होंने फिर बड़े वेगसे अंग्रेजी सेना पर चढ़ाई की। दोनों ओर से घमासान युद्ध मचा। जिस समय महारानी लक्ष्मीबाई अपने चपल घोड़े को बढाती हुई और अपनी तख्तवार के हाथ बढ़ी चलाकी से चलाती हुई अंग्रेजी तोपखानों पर बढ़ीं उस समय उनकी वह धीर-श्री, वह आवेश, वह मर्दुमी और यहादुरी देखकर पेशवाके दूसरे सेनानायक भी फड़क उठे। वे भी अंग्रेजी सेना पर इस प्रकार दूट पड़े जैसे जौके खेत पर टिहो दख दूट पड़ता है। उस समय जो घनघोर युद्ध हुआ उससे जान पड़ता था कि अब बलवाहियों की जीत होने में बिलम्ब नहीं है। महारानी दाँतों से घोड़े की लगाम पकड़े, दोनों हाथों से सदासद तख्तवार चला रही थीं। उनका तेज और शौर्य मानो इस समय फूटा निकलता था। वे प्रत्यक्ष अग्निदक का अवतार जान पड़ती थीं। पेशवा की सेना भी बड़ी यहादुरी से खड़ रही थी। इस खड़ाई में अंग्रेज धीरों के लक्षे छुट गये। तोपखानों के बचे बचाये गोख-

सामान और सेना भी तितर-बितर हो गई थी। सन् १८२३ से यद्यपि महाराज जयाजीराव को रियासत का पूरा अधिकार मिल गया था तो भी उसका कुछ इन्तज़ाम रेज़िडेंट के विचार से चलता था। महाराज की ओर से श्रीयुत दिनकरराव राजवाड़े राज-काज करते थे। वे राज-काज बड़े में बड़े निपुण और व्यवहार-दक्ष थे। उन्होंने रेज़िडेंट से मिलकर राज्य का अच्छा सुधार किया था।

इतना होने पर भी ग्वालियर में अन्दर ही अन्दर विद्रोह की छिपि भड़क रही थी। इसका कारण यह था कि उस समय विभिन्न प्रान्तों से विद्रोह के समाचार आ रहे थे। मेरठ, दिल्ली आदि कई स्थानों में अंग्रेजों की बुरी तरह हार हुई थी। लोग अंगरेजी राज्य के नाश के स्वप्न देखने लगे थे। पर महाराज जयाजीराव अंगरेजों के पक्ष में थे। वे राव साहिब और लक्ष्मीबाई को किसी प्रकार सहायता न करना चाहते थे। इतना ही नहीं उन्होंने अंगरेजों का पक्ष लेकर अपने ही देशवासियों के खिलाफ़ तलवार उठाने का निश्चय किया। इसका परिणाम यह हुआ कि दोनों पक्षों में युद्ध टन गया। इसमें महाराज सिंधिया की हार हुई और उन्हें अपने दीवान सर दिनकर राव राजवाड़े के साथ आगरा भाग जाना पड़ा।

इधर विद्रोही लोगों ने बड़े ध्यानन्द के साथ शहर में प्रवेश किया। ग्वालियर के जो सरदार पेशवा के पक्ष में थे वे विद्रोहियों से आ मिले। ग्वालियर की फौज़ ने रावसाहब पेशवा को अपना स्वामी समझ कर उनके स्वागत के लिये तोपों की सलामी दी। पेशवा बड़े ठाट बाट और खवाज़मा के साथ सिन्धिया के राज महल में पधारें और वहीं अपना टेरा बाजा। महारानी लक्ष्मीबाई खरकर के पास नवलदा नामक बाग में उतरी पेशवा के साथ के और दूसरे सरदार शहर के भिन्न भिन्न महलों में उठरे। कहने का मतलब यह है कि ग्वालियर के किले पर पेशवा की विजय पताका फहराने लगी।



शहर पर अधिकार होते ही तात्याटोपी ने ग्वालिपर के किले की तरफ कुछ सेना भेजी। किले के अधिकारी तात्या माहब से पहले ही से मिले हुये थे। इसलिए किले पर अधिकार करने में उन्हें कुछ प्रयास नहीं पड़ा। तात्याटोपी की सेना के पहुँचते ही किले वालों ने दरवाजे गोलकर सारा किला उनके स्वाधीन कर दिया। ग्वालिपर के समान संगी और पहाड़ी किला तथा अगणित युद्ध सामग्री पाकर तात्या को अत्यन्त हर्ष हुआ। उनको इस बात का गर्व हुआ कि ऐसे अजेय किले के अप्रतिम सामर्थ्य के आगे अब हमारी बराबरी कौन कर सकता है ?

किला और शहर ले लेने पर विद्रोहियों ने ग्वालिपर में बड़ा उपद्रव मचाया। पहले तो रेजिमेंटों पर धावा करके उसे जला दिया और वहाँ का सारा भाल अस्त्राद्य लूट लिया। इसके बाद संधिया-सरकार के पुराने राजमहल और उनके अंगरेज द्वितीय सरदारों के महलों पर उन्होंने धावा किया और उन्हें नष्ट करना आरम्भ किया। उन्होंने राजका विध्वंस करके दीवान दिनकरराव, सरदार यशवन्तराव और माहुरकर आदि प्रधान दरबारी लोगों की हवेलियाँ भिष्टी में मिला दीं। इतना ही नहीं, किन्तु उन्होंने शहर लूटना भी आरम्भ कर दिया। परन्तु मौभाव्य से जय रावसाहब पेशवा ने इस बात का संकल हुआ कि शहर वालों को कोई न लूटे और न कोई उन्हें किसी प्रकार की तकलीफ दे, उस कहीं जाकर यह लूट-मार बन्द हुई।

ग्वालिपर जीतने पर रावसाहब पैन की बन्सी बगाने लगे। उन्हें शायद यह स्वप्न न रहा कि उनके प्रथम शत्रु अंगरेज उन पर चढ़ाई करने वाले हैं वे तो नित्य नये नये उत्सवों और धातुण भोजनों में खीन हो गये। वे अपने कर्त्तव्य को बिलकुल भूल गये।

यह दशा देख कर महारानी लक्ष्मीबाई को अत्यन्त दुःख हुआ। उन्होंने रावसाहब से बारम्बार यही कहा कि आप इस समय तो यह सुख साज बन्द कीजिये। यह समय उत्सव और आनन्द भनाने का नहीं

है। युद्ध के लिये तैयार होने का है। परन्तु रावसाहय पेशवा ने महारानी की बातों पर ध्यान न दिया। इस पर महारानी ने ज़रा ज़ोर देकर कहा—“आप इस विजय के आनन्द में मग्न हैं, पर यह बात अच्छी नहीं है। संधिया का सब खज़ाना और सेना आपके आधीन है। इसका यदि अच्छा उपयोग नहीं किया जायगा तो आपकी सब आशाएँ धूल में मिल जायंगी। अँगरेज लोग बढ़े चलाक़ और उद्योगी है। इस बात का कुछ ठीक नहीं है कि वे कब हम लोगों पर चढ़ाई कर दें। यदि आप ऐसे ही अचेत पड़े रहे तो हमारा नाश होने में तनिक भी देर न लगेगी। हमसे आप अब यह पेश आराम छोड़िये और सेना की तैयारी में लगिये। फ़ौज़ी लोगों की तनखाह बढ़ाकर उन्हें उत्साहित करना चाहिये। यह समय व्यर्थ नष्ट करने का नहीं है। बड़ी कठिनता से कार्य-साधन के लिये अनुकूल समय मिला है; अतएव अब आपको सावधानी के साथ युद्ध की तैयारी में लग जाना चाहिये।” परन्तु ना समझी के कारण पेशवा के मन पर महारानी के इस उपदेश का कुछ असर न हुआ। वे घरावर उसी आनन्द में मग्न रहे। ब्राह्मण-भोजन भी वैसा ही चलता रहा। ताँत्याटोपी भी अपनी बलवान् सेना के घमंड में मस्त रहे। उन्होंने तो यहाँ तक समझ लिया कि अब हमारी सेना का मुक़ाबला अंग्रेज़ लोग कर ही नहीं सकते!

उधर सर ह्यू रोज़ और त्रिगोडियर जनरल नैपियर ग्वालियर पर चढ़ाई करने की ज़ोर शोर से तैयारी करने लगे। सरकालिन गवर्नर जनरल लार्ड कैनिंग ने उन्हें इसके लिये स्वीकृति भी दे दी। ६ जून १८५७ को सर ह्यू रोज़ ने कालपी से ग्वालियर की ओर प्रस्थान किया।

इस समय इनके साथ मध्य भारत के पोलिटिकल एजेन्ट सर रॉबर्ट हेमिन्टन और ग्वालियर के रेजीडेन्ट मेरुफरसन भी थे। इनसे सर ह्यू रोज़ को बड़े मौके की सलाह मिला करती थी। ११ जून १८५७ को इन्दौर के गाँव में स्टुअर्ट की अधिनिता में इन्हें एक और सेना मिल

गई। उन्होंने ग्वाखियर के पास मुरार की छावनी पर हमला करने का निश्चय किया। घगरेजों की इन सब गति विधियों से रावसाहब पेशवा येवघर से रहे। अपने-वित्तवोत्सव के ध्यानन्द में बाहरी परिदिवलि को भूख गये। जब अंगरेजी सेना निकट आ पहुँची तब इन्हीं भीड़ खुबी और उन्होंने तात्याटोपी को खबाई की तैयारी करने का हुक्म दिया। फिर क्या था। राव साहब की फौज अंगरेजों का मुकाबला करने के लिये आगे बढ़ी। सर ह्यू रोज ने पहले से ही यही फौजी तैयारी कर रची थी। उन्होंने रावसाहब की फौज पर बड़े जोरों से आक्रमण किया। राव साहब की फौज घबरा गई। हाँ वहाँ यह कहना आवश्यक है कि मुरार में महाराज सिधिया की फौज पड़ी हुई थी। यह अंगरेजों से खार खाई हुई थी। उसने अंगरेजी सेना पर भयंकर गोला बृष्टि की। पर सैनिक दृष्टि से महत्वपूर्ण स्थानों पर सर ह्यू रोज ने पहले से ही अधिकार कर रखा था। इससे उक्त सेना को कामयाबी नहीं मिली और मुरार पर अंगरेजों का अधिकार आ गया।

### ग्वाखियर की लड़ाई और महारानी की अद्भुत वीरता

जैसा कि हम ऊपर कह चुके हैं अंग्रेज सेनापति घातों घोर से ग्वाखियर पर चढ़ाई कर उसे जीतने का प्रयत्न करने लगे। इधर राव साहब पेशवा भी फौजी तैयारी में मग्न हो गये। तात्याटोपी पहले ही से अपनी सेना का प्रबन्ध कर रहे थे। उन्होंने जगह जगह तोपों के मोर्चे लगा दिये। महारानी खपमीबाई भी फौजी पोशाक से सजकर तैयार हो गईं। वे अपनी सदैव की फौजी पोशाक धारण कर अपने उम्दा और धनुर घोड़े पर सवार हुईं और अपनी प्राण प्रिय रत्न जटित सलवार म्यान से निकाल कर एक युद्ध-पट्ट घोड़ा के समान अपनी फौज की कवायद खेने लगीं। उनका उस समय यह भव्य स्वरूप, वह गम्भीर स्वर और कष्टर स्वाभिमान देखकर उनके सेनिकों के अन्तःकरण धीरे धीरे भर गए और शत्रुओं पर एक दफा धावा करके उन्हें भय कर देने के

न्द्राज हतवीर्य होकर भागने लगे । घोड़ों के ऊपर का तोपखाना फिसल गया; तोपखानों की व्यवस्था बिलकुल बिगड़ने लगी । इतने ही में त्रिगे-डियर स्ट्रुअर्ट अपना घोड़ा धड़ाते हुए तोपखाने के पाम आये और गोलन्दार्जों को उन्होंने लूथ उत्साहित किया । वे लोग फिर से तोपें दागने लगे । जब सर ह्यूरोज को यह समाचार जान पड़ा कि महारानी लक्ष्मी-बाई ने पेशवा की सेना साथ लेकर बड़े वेग से धावा किया है और अंग्रेजी तोपें बन्द कर दी हैं तब वे अपने साथ ऊँट सवारों की सेना लेकर बहुत जल्दी युद्ध-स्थल की ओर दौड़े और स्वयं सेनानायक बनकर उन्होंने कालपी की फौज पर बड़े जोर से हमला किया । बलवाइयों की सेना बहुत देर तक मस्त होकर अंग्रेजी-सेना से लड़ती रहीं; पर जब उस पर ८६ वीं और २२ वीं एलटन के शूर-वीर सिपाही टूट पड़े तब उसके होश-हवास जाते रहे । सर ह्यूरोज के ऊँट-सवारों ने बड़े जोर से विद्रोहियों पर गोखों की वर्षा की । कालपी फौज भागकर तितर-वितर होने लगी महारानी ने अपने सिपाहियों के साथ बढ़कर अंग्रेजी सेना की मार बन्द करके उन्हें पीछे हटाने का बहुत यत्न किया । पर पेशवा की फौज का साहस टूट जाने के कारण उन्हें और आगे बढ़ने की सहायता न मिली और निराश होकर पीछे लौटना पड़ा । इस प्रकार पेशवा की फौज के हतारा हो जाने पर महारानी भी राय साहब पेशवा की छावनी में छौटा आईं । कालपी पर अंग्रेजी सेना का अधिकार हो गया । इस युद्ध में अंग्रेजी सेना को प्रचुर परिमाण्य में युद्ध सामग्री मिली ।

रायसाहब पेशवा, महारानी लक्ष्मीबाई, बांदा के नराय आदि प्रमुख नेता बड़ी युक्ति से कालपी से निकल कर गवाखियर से ४६ मील की दूरी पर गोपालपुर नामक गांव में चले आये । पेशवा के सेनापति तांग्या टोपी भी गोपालपुर में आकर इन लोगों से मिल गये । जब राय साहब पेशवा अपनी पराजय में खिन्न हो उठे, तब वीरानना महारानी लक्ष्मी-बाई उनके डरे पर गई और उनसे कहने लगी:—

“आज एक जिन जिन चीजों ने बहादुरी दिखाई है उन सब को सुन्दर किलों का आश्रय लेना पड़ा है। अत्ररति श्री शिवाजी महाराज ने मुसलमानों को भीषा दिखाकर जो हिन्दू-राष्ट्र स्थापित किया था, वह भी सिंदगाढ़, रायगाढ़, सोरेण आदि किलों के जोर पर किया था। पहले पहल अपनी रक्षा के लिए उन्होंने प्रचंड और खड़ाई के योग्य किले खोले। इसके बाद अपना पराक्रम और शूरता दिखलाकर राजमत्ता स्थापित की। इसलिये प्राचीन अनुभव से भी यही सिद्ध होता है कि बिना किलों के खड़ाई करना घृणा है। मॉली और काबपी के समान जंगी किले हमारे आधीन थे, इसलिये इतने दिनों तक अंग्रेजी फौज के सामने हम खोग खद सके। परन्तु दुर्दैवके कारण अब ये किले हम खोगों के हाथ में नहीं रहे। इसलिये फिर एक प्रचंड किला हस्तगत करने का प्रयत्न करना चाहिए। इस समय जो बचाकर जहाँ हम खोग भागकर जायेंगे, अंग्रेजी-सेना वहीं हमारे पीछे-पीछे पहुँचेगी और हमारा नाश किये बिना न रहेगी। जो कुछ होना होगा सो तो होगा ही; उस पर कुछ ध्यान न देकर इस समय हमें कोई किला लेना चाहिए, और उसकी मदद से अंग्रेजों से लड़ाई करके विजय प्राप्त करना चाहिए, यही इस समय कर्तव्य है। महारानी लक्ष्मीबाई की यह सलाह सबको पसंद आई। रावसाहब पेशवाने पूछा कि कौनसा किला हस्तगत करना चाहिए? महारानी ने कहा। इस समय मॉली अथवा काबपीका किला लेने की आशा करना जान-बूझ कर शत्रुओं के मुखमें पड़ना है। इसलिये स्वाखियर पर खड़ाई करके संधिया सरकार और उनकी फौज से सहायता लेनी चाहिए। वहाँ पहाड़ी किले का आश्रय मिलने पर फिर कुछ दिनों तक युद्ध चलेगा और विजय पाने की अभिलाषा पूर्ण होने की आशा चेंचेगी”।

महारानी ने इस संकट के समय में जो यह युक्ति सुझाई उसके लिये कर्नेल मैलेसन के समान अंग्रेज प्रन्वकारों ने भी उनकी मूर्ति-भूरि प्रशंसा की है। मैलेसन ने रावसाहब पेशवा, बाँदा के मवाय, तात्याटोपी और

खप्पीबाई, इन चारों मुस्लिमों की बुद्धि-चतुरता की तुलना करके उन सब में महारानी को बड़ी बुद्धिमती और श्रेष्ठ मतलाया है। ये लिखते हैं:—

“बलवाहियों के अगुओं के लिए यह समय बड़े संकट और मार्के का था। पर जब कोई कठिन समय आ पड़ता है तब जैसे ही उपाय भी सूझ जाते हैं। वह उपाय बुद्धिमती महारानी के मस्तिष्क में था। इस बात में सन्देह ही था कि यदि यह उपाय महारानी न ढूँढ़ निकालती तो और किसी को सूझता या नहीं? इन चारों की पूर्व कृति की देखकर कहा जा सकता है कि रावसाहय पेशवा और बाँदा के नवास को यह उपाय कभी नहीं सूझ सकता था, इसलिए इन दोनों के सम्बन्ध में विचार करने की कोई ज़रूरत नहीं। उन दोनों में से किसी के यत्न और बुद्धि से ऐसा नहीं जान पड़ता था कि वे इस भयंकर प्रसंग को दूर कर सकते। अब बाकी दो में से हम थोड़ी देर के लिये तौल्याटोपी को भी छोड़ देते हैं। हम यह नहीं कहते कि तौल्याटोपी भी यह उपाय न ढूँढ़ पाते और हम यह भी नहीं कह सकते कि उनमें इस उपाय के ढूँढ़ निकालने की बुद्धि न थी, पर तौल्याटोपी का स्वखिन्वित चरित पढ़ने से मालूम होता है कि उन्होंने यह बात स्वयं कबूल की है कि यदि महारानी उस समय न होती तो शायद यह उपाय और किसी को न सूझता। इस उपाय के ढूँढ़ निकालने का सारा श्रेय महारानी को ही प्राप्त है। अब रही महारानी की बात सो इसमें सन्देह नहीं कि बड़े कामों के करने में जिस प्रकार के साहस और बुद्धिमानी की ज़रूरत पड़ती है वह सब उनमें थी। उन्हें अपने शत्रुओं के प्रति द्वेष-बुद्धि, बदला लेने की तीव्र इच्छा, हृदय के सदा जलते रहने और प्राणान्त हो जाने तक युद्ध करने की इच्छा आदि के कारण इस मार्ग का अवलम्बन करना पड़ा था। उनके मार्ग में जो आपत्तियाँ थीं उनको वे अच्युत तरह जानती थीं। वे ये भी जानती थीं कि पहली बार चाहे उनकी जीत हो भी जाय, पर अन्त में उनका पराभव निश्चित है। उनके साथियों में रावसाहय पेशवा

पर उनका ध्यान अधिक था। उपयुक्त बातों से हम यह निश्चय-पूर्वक कह सकते हैं कि महाराणी ने जो उपाय सुनाया उमराव अवलम्बन उनके साथियों को गोपाळपुर में करना ही पड़ा।”

महाराणी को युक्ति रावसाहब पेशवा को बहुत पसंद आई। इसके लिये उन्होंने महाराणी लक्ष्मीबाई की बड़ी प्रशंसा की। इस समय तोंत्याटोपी भी वहीं मौजूद थे। महाराणी के कथन का उन्होंने पूर्ण-रूप से अनुमोदन किया। तोंत्याटोपी अनेक बार गुप्त रीति से ग्वालियर गये थे, इस कारण उनको वहाँ के दरबार और सेना का हाल अच्छी तरह मालूम था। उनको यह मालूम हो गया था कि इस धावे में पेशवा को किस कदर पराजय प्राप्त होगा। महाराणी का प्रस्ताव सबकी अनुमति से पास हो गया और ग्वालियर पर चढ़ाई करने की तैयारी हुई। महाराणी की यह युक्ति बड़ी चतुरता और महत्त्व की थी! जब पेशवा की फौज के सरदारों को यह बात मालूम हुई तब उन्हें भी कुछ विजय पाने की आशा और उत्साह हुआ। उन्होंने भी महाराणी की बहुत तारीफ़ की और ग्वालियर पर चढ़ाई करके वहाँ का क़िला जीतने की इच्छा प्रदर्शित की।

महाराणी लक्ष्मीबाई की सलाह के अनुसार सब लोगों ने ग्वालियर की ओर कूच किया। वहाँ पर पाठकों के जानने के लिये पहले सैंधिया-सरकार के दरबार की दशा का कुछ हाल लिखना आवश्यक जान पड़ता है।

उस समय जयाजीराव सैंधिया ग्वालियर के महाराज थे। उनकी अवस्था उस समय २३ वर्ष की थी। सन् १८४४ ई० में जब अंग्रेजों और ग्वालियर की लड़ाई हुई थी तब उसमें अंग्रेजों की विजय हुई थी। सैंधिया-सरकार ने तब उनसे मुल्क कर ली थी। उसी समय से ग्वालियर राज्य में अंगरेजी सरकार का अच्छी तरह प्रवेश हो गया, वहाँ के दरबार में उसका खूब दबाव हो गया। इस मुल्क से ग्वालियर-का क़िला भी अंगरेजों के हाथ में चला गया था और सैंधिया सरकार का लड़ाई का

लिये उन्हें आवेश चढाया। उस समय महारानी लक्ष्मीबाई का महा-लक्ष्मी के समान प्रखर जाज्वल्यमान स्वरु-धर सन्नाम में प्रतापान्ति की धूमधारा के समान मलकनेवाली उनकी तलवार की दिव्य चमक को देखकर किसका हृदय न धरा उठा होगा ?

कहने कि आवश्यकता नहीं कि इस युद्ध में महारानी लक्ष्मीबाई ने जिस अलौकिक पराक्रम का प्रदर्शन किया, वह वीरत्व के इतिहास में स्वर्ण-अक्षरों से लिखने योग्य है। उन्होंने और उनकी वीर सेना ने शत्रु दल के सैकड़ों सैनिकों को धराशायी कर दिया। उन्होंने अपनी वीर सेना के हृदय में वीरत्व का अद्भुत संचार किया और उनकी नस-नस में चेतना और नज्जीवन का संचार किया। कई बड़े-बड़े युद्धों में विजय पाये हुए अंग्रेज सैनिक भी महारानी के अपूर्व शौर्य और तेज को देख कर आश्चर्यचकित हो गये। महारानी ने युद्ध शौर्य की पराकाष्ठा दिखा दी। महारानी के वीर सवारों ने आवेश में आकर बड़ा भयकर युद्ध किया। वे अपनी अपनी तलवारें ग्यान से खींच कर, प्राणों का भय छोड़ कर, विजय थी पाने की लालसा से, अंग्रेज शत्रुओं पर एकदम टूट पड़े। मना-मन तलवारें बजने लगीं। अंग्रेज वीर अपने प्राणों से निराश हो बैठे थे कि इतने में कर्नल रेन्स और कर्नल पेलीने ६५ वीं पलटन के बैथके शूर और बम्बई की १० वीं नेटिव इन्फैंट्री को आगे कर एकदम भौंका देते हुए विरोधियों के पार्श्व भाग पर धावा बोल दिया। इधर के वीरों पर चारों ओर से मार पडने लगी। इसलिए उनको पीछे हटना पड़ा। अंग्रेजों की विलक्षण युक्ति, कावेबाजी और अराणित सेना के आगे थोड़े से सवारों का पराक्रम कहाँ तक कामयाब हो सकता है ?

उधर सर ह्यू रोज ने मुरार की ओर से राव साहिब पेशावा की पर चढ़ाई कर उनके दो मोर्चे छीन लिये। जब यह समाचार की सेना में पहुँचा, तब वहाँ कुछ घबराहट फैल गई। और उसके सवार बड़े साहस से युद्ध करते रहे। यद्यपि



मार के कारण हम और के यहुन से योद्धा घायल होकर गिरपड़े थे, तो भी पीछे की पैदल सेना और तोपखाने पर महारानी की अन्तिम धारा थी। परन्तु अन्त में वह भी आशा-तन्तु टूट गया और हम निर्वाण के अवसर पर उन्हें केवल अपनी पानीपत तखवार को छोड़ कर दूसरा कोई आश्रय न रहा।

### महारानी का अन्तिम युद्ध

महारानी जयमीयाई ने विभिन्न क्षेत्रों में अंग्रेजों के साथ जिस अपूर्व वीरता और शौर्य के साथ युद्ध किया, उसका उल्लेख हम ऊपर कर चुके हैं। महारानी का अन्तिम युद्ध ग्वाखियर में हुआ। अंग्रेजों की रण कुशल सेना ने उन्हें चारों ओर से घेर लिया। उनकी फौज तितर बितर हो गई। उनके साथ केवल उनके विश्वास पात्र कुछ नौकर और नौकरानियाँ थीं। वे अकेली अंग्रेजों की विशाल सुसज्जित सेना से तुमुल युद्ध कर रहीं थीं। उस समय महारानी ने जिस अद्भुत पराक्रम से युद्ध किया, उसकी मिलाजुबी-संसार के इतिहास में मिलना असम्भव है। अंग्रेजी सेना के पास भयंकर नरसंहारक अस्त्र-शस्त्र थे, विलक्षण रण कौशल्य था, और कई बड़े-बड़े युद्धों में विजय पाये हुए सेनापति थे। इन साधनों से युक्त अंग्रेजी सेना चारों ओर से आक्रमण कर रही थी। यद्यपि महारानी ने अपनी अद्भुत वीरता और शौर्य से युद्ध किया और कई अंगरेज सैनिकों को धराशायी कर दिया, पर अन्त में इस विशाल सेना के सन्मुख वह कब तक टिक सकती थीं। उन्होंने उस सैनिकव्यूह से निकलने की चेष्टा की, पर कई बार असफल रहीं। परन्तु अखिर में अपने प्राणों की परवाह न कर तखवार हिलाती हुई वे अपने घोड़े से अनुचरों के साथ उस व्यूह से बाहर निकल ही तो गईं। पर दुर्भाग्य ने यहां भी उनका पीछा न छोड़ा। त्रिगेडियर रिमथ ने कुछ चुने हुए सवारों को पीछे की तरह उनके पीछे दौड़ा दिया। वे सवार गोखियाँ चलाते हुए महारानी के पीछे दौड़े। महारानी के पीछे से गोखी खगी, जिससे वे कुछ

शिथिल हो गईं। इतने ही में वे सवार महारानी के पास पहुँच गये। फिर दोनों दलों में तुमुल युद्ध होने लगा। यहां यह कहना आवश्यक है कि यहां महारानी की दासियों ने, जो पुरुष वेष में थीं, और उनके अनुचरों ने भी अपने प्राणों का मोह छोड़ कर अद्भुत वीरत्व प्रदर्शित किया था।

महारानी पर जो सवार वार कर रहे थे, उन्हें महारानी ने अपनी तलवार का मज़ा चखाया और अपना घोड़ा तेज़ी से आगे बढ़ा दिया। इतने में महारानी ने “बाई साहब मरी! मरी!! मरी!!!” आदि चिक्कार सुनी। यह आवाज उनकी एक दासी सुन्दर-की थी। इन शब्दों के कानों में पड़ते ही महारानी को इतना दुःख हुआ मानों उनके हृदय में किसी ने शस्त्र प्रहार कर दिया हो। वे एक दम भोंके के साथ पीछे लौट पड़ीं और अपनी प्रिय दासी को स्वर्ग पहुँचाने वाले इस अंगरेज को उन्होंने उसी दम यमपुरी का मार्ग दिखा दिया और वे एकदम लौट कर आगे की ओर बढ़ने लगीं। देखते ही देखते उनका घोड़ा पीछे की सवारों की मार से साफ़ निकल जाता, मगर आगे एक छोटा सा नास्ता पड़ जाने के कारण वह अड़ियल घोड़ा वहीं अड़ गया। उन्होंने घोड़े को आगे बढ़ाने का बड़ा प्रयत्न किया पर सफल न हुईं। इतने में अंगरेजी सेना के वे कट्टर सवार यहां आ पहुँचे और बिजली की तरह वे महारानी पर दूट पड़े। महारानी ने अटल शौर्य और अपूर्व वीरत्व के साथ उन सवारों के साथ युद्ध किया और उनका पहला हमला बेकार कर दिया। महारानी ने कई घोड़ारथों को घायल किया, पर अन्त में गोलियों और तलवारों के घावों से जर्जरित होकर वे भी नीचे गिर पड़ीं। उनके विश्वसनीय अनुचर उन्हें उठाकर पास की एक कुटिया में ले गये। वहीं इस वीर रमणी ने अपने नश्वर शरीर का त्याग किया और अमरत्व प्राप्त किया।

कॉर्नल मालेसन ने अपने ग्रन्थ “History of the Indian Mutiny” में महारानी के अपूर्व शौर्य व अद्भुत वीरत्व के लिये लिखा है—

“Among the fugitives in the rebel ranks was the resolute woman, who alike in council and in the field, was the soul of the conspirators. Clad in the attire of a man and mounted on horse-black, the Ranee of Jhansi might have been seen animating her troops throughout the day. When inch by inch the British troops pressed through the defile, and when reaching its summits, Smith ordered the Hussars to charge, the Ranee of Jhansi boldly fronted the horsemen. When her comrades failed her, her horse, in spite of her efforts, carried her along with the others. With them she might have escaped, but that her horse, crossing the canal near the cantonment stumbled and fell. A hussar close upon her track, ignorant of her sex and her rank, cut her down. She fell to rise no more. That night her devoted followers determined that the English should not boast that they had captured her even dead, burned the body”

अर्थात् “बलवाहियों की सेना से जो लोग भाग गये थे उनमें एक अत्यन्त धैर्यशीला स्त्री थी। यह युद्ध करने और सलाह देने में बलवाहियों की मुख्य आत्मा थी। मर्दानी पोशाक पहने घोड़े पर सवार हुई मॉंसी की रानी अपनी सेना को उत्साहित करती हुई देखा पड़ती थी।

जय अंगरेजी सेना जोर से एक एक इन्च आगे बढ़ रही थी और जय रिमथ साहब ने अपने हुजर्स सवारों को कायर करने की आज्ञा दी तब मॉंसी की रानी ने बड़ी बहादुरी और हिम्मत के साथ उनका सामना

किया। जब रानी के साथी साथ छोड़कर भाग गये, तब उनका घोड़ा उनकी इच्छा के विरुद्ध उन्हें ले गया। उन लोगों के साथ भाग कर रानी भी बच सकती थीं, परन्तु उनका घोड़ा कन्ट्रोलमेंट के पास नाला पार करते हुए ठोकर खाकर गिर पड़ा। ठीक उसी समय एक हुसार घुड़सवार ने, जो रानी का पीछा करते हुए चला आ रहा था, उस को मार डाला। माधियों ने उनका शरीर उसी रात को अग्नि में भस्म कर दिया, जिससे अंगरेज लोग इस बात का घमंड न करने पावें कि उन्होंने झाँसी की रानी के मृत शरीर को छू लिया।”

### पेशवा नाना साहिब

पेशवा नाना साहिब द्वितीय बाजीराव पेशवा के सब से बड़े दत्तक पुत्र थे। पेशवा की गद्दी तथा पेशन प्राप्त करने के अपन वैधानिक प्रयत्नों (Constitutional attempts) में असफल होकर आपने भारतवर्ष से ब्रिटिश सत्ता को उखाड़ फेंकने के लिये मशरूफ़ क्रांति का देशव्यापी संगठन किया। इस गुरत्तर कार्य में आपको अपने छोटे भाई बाख़ाराव, भतीजे राव साहिब तथा प्रधान सेनापति तातिया टोपी, झाँसी की रानी लक्ष्मीबाई और अन्य कई राजाओं का सहयोग प्राप्त हुआ। ई० सन् १८५७ के क्रांतिकारक युद्ध के आप ही प्रधान संचालक थे। जब क्रांतिकारी सेनाओं ने ब्रिटिश सेना को द्विज भिन्न कर तथा उन्हें परास्त कर कानपुर पर अधिकार किया तब आपको पेशवा घोषित किया गया।

अन्त में जब दुर्भाग्य से युद्ध का पासा पलट गया और अंग्रेजों की सेनाओं से आपकी सेनाएँ परास्त हुईं, तब आपने पीछे हटने का निश्चय किया और अखिर में सेना के एक दल और अपने कुछ साथियों सहित आपने नेपाल राज्य की सीमा में प्रवेश किया। आगे जाकर आपकी क्या स्थिति हुई इसके लिये इतिहास अभी अन्वेषण में ही है। हा, कुछ वर्षों

के पहले पूना से निकलने वाले इतिहास्य मंशीषक मंडल से प्रकाशित एक ग्रन्थ में आपके किर्मी लक्ष्मी का एक पत्र प्रकाशित हुआ था जिसमें यह प्रकट किया गया था कि नाना साहिब पेशवा नेपछ में अपने परिवर्तित रूप में वास करते थे।

धीरे सावरकर ने अपने 'War of Indian Independence' नामक अपने सुप्रसिद्ध ग्रन्थ में इनके विषय में जो कुछ लिखा है उसका संक्षिप्त सारांश नीचे दिया जाता है:—

“नानासाहब पेशवा ई० सन् १८१७ की क्रांति के मस्तिष्क थे। वे इस क्रांति के विचार को बहुत दिनों से परिपक्व कर रहे थे। अपने उच्च श्रेणी के फौजदार की सलवारों, दूर से मार करने वाली आधुनिक रायफलों, विभिन्न आकार की बड़ी बड़ी तोपों जमा कर रक्खी थीं।”

“इसके अतिरिक्त आपने देहली से लगकर मैसूर के बीच में अनेक राजाओं के पास स्वतन्त्रता के इस युद्ध में सहयोग प्राप्त करने के लिये राजदूत भेजे थे। आप स्वयं अपने महान्त राजमहल से बाहर निकल कर विभिन्न कदियों को मिलाने में लग गये थे। अपने भाई बाला साहिब और सख्ताइकार अजिमुल्लाह के साथ इस क्रांति के संगठन के लिये यात्रा की और सय से पहले आप दिल्ली गये। वहां आप तत्कालीन मुगल बादशाह बहादुरशाह से मिले। वहां की समाम व्यवस्थाओं का निरीक्षण करने के बाद आप अम्बाला गये। अम्बाला से आपने लखनऊ के लिये प्रयाण किया। वहां आपने नगरवासियों में अटूट वरसाह और उत्तेजना का संचार किया। लखनऊ की ठरसुक जनता ने आपका एक अति विराह जुलूस निकाला जिसमें क्रांतिकारक नारे लगाये गए। लखनऊ के बाद आपने कालपी की यात्रा की और वहां आपने जगदीशपुर के प्रसिद्ध क्रांतिकारी कुमारसिंह से भेंट की, जिनके साथ आपका घनिष्ठ पत्र-व्यवहार था। इसी प्रवास में नानासाहब ने ट्रम्क रोड पर पड़ने वाली समाम सैनिक छावनियों का निरीक्षण किया; कई महत्व पूर्ण स्थानों की यात्रा की

और देश के प्रधान प्रधान नेताओं से अपना सम्बन्ध स्थापित कर आपने अपने भावी युद्ध योजना का प्रोग्राम निश्चित किया। इसके बाद आप ई० सन् १८२७ की अप्रैल के अन्त में महाप्रसन्न में पहुँच गये।

जैसा कि हम ऊपर कह चुके हैं यद्यपि आपको शारम्भ में सफलता हुई पर दुर्भाग्य से यह सफलता अधिक स्थिर न रह सकी।

## ताँतिया टोपी

ताँतिया टोपी नाना साहिब की क्रांतिकारक सेना के प्रधान सेनापति थे। यह एक सर्वोत्कृष्ट श्रेणी के सेना संचालक समझे जाते थे। छापामार युद्ध (Guerilla warfare) में तो यह बड़े सिद्धहस्त थे। एक अंग्रेज ने लिखा है—“अगर ई० सन् १८२७ की क्रांति को आधे दर्जन ताँतिया टोपी मिल जाते तो उक्त क्रांति का इतिहास ही बदल जाता और वह जुदे प्रकार से लिखा जाता।”

ताँतिया में एक महान् सैनिक प्रतिभा थी। तत्कालीन भारतीय सेनापतियों में सेना के संचालन में ये बेजोड़ थे। युद्ध करने की मराठा पद्धति के वह समर्थक थे। श्री सावरकर ने लिखा है—

“अंग्रेजों से कम कट्टर शत्रु से इनका मुकाबला होता तो ये एक बड़े राज्य की नींव लगाते और मराठा शक्ति का पुनर्निर्माण करते।” शारम्भ में ताँतिया टोपी ने ब्रिटिश सेनाओं को करारी हार दी और उनके छुट्टे छुड़ा दिये। इस बात को कई अंग्रेज लेखकों ने मुक्तकण्ठ से स्वीकार किया है। परन्तु पीछे जाकर कानपुर की लड़ाई में इन्हें परास्त होना पड़ा। इसके बाद ताँतिया टोपी ने अंग्रेजी सेना के फन्दे से बच निकलने के लिये स्थान स्थान पर जिस चतुर्गई के साथ प्रयाण किये वह सैनिक इतिहास की एक अद्भुत घटना थी। उन्हें चारों दिशाओं से अंग्रेजी सेना घेरने का प्रयत्न कर रही थी। अंगरेजीके कई कुशाक और नाम पाये हुए सेनापति ताँतिया टोपी की सेना को

नष्ट कर उन्हें गिरफ्तार करने में प्रयत्नशील थे । किन्तु सांतिया टोपी ने कई मास तक बड़ी कुशलता के साथ अपना बचाव किया । अन्त में निरपराध होकर और बच निकलने की कोहं सूरत न देखकर इन्होंने अपने एक विरयासनीय मित्र राजा मानसिंह के पास आश्रय ग्रहण किया जिसने इन्हें धोके से अंग्रेजों के हाथ समर्पित कर दिया ॥

अंग्रेजों की फौजी अदालत में इनके विरुद्ध ब्रिटिश सम्राट् के खिलाफ युद्ध करने के अपराध का अभियोग चलाया गया और इन्हें ठक अदालत से फासी की सजा मिली । बड़ी निर्भयता के साथ वह वीर सेनानी फौसी पर खटक गया ॥ फौसी के समय इन्होंने केवल यह इच्छा प्रदर्शित की कि इनके पिता को, जो कानपुर में रहते थे, सताया न जाय क्योंकि उनका हम विद्रोह में कोई हाथ न था ।

### कुमारसिंह

कुमारसिंह शाहबाद जिले के जगदीशपुर नामक ग्राम के जमींदार थे इन्हें जनरल आयर ने इनकी जमींदारी से च्युत कर दिया था । बेचारे कुमारसिंह एक लम्बे अर्से तक निराश्रय होकर जंगलों में घूमते रहे । कुमारसिंह एक बड़े वीर पुरुष थे और वृद्ध होते हुए भी जवानी का खून उनकी रगों में बहता था । वे अपने शत्रु से बदला लेने की ताक में थे । आपके भाई अमरसिंह और दो अन्य जमींदारों ने आपका साथ दिया । जंगलों में कुमारसिंह के स्त्री बच्चे भी आपके साथ थे । भूख और प्यास का भी आपको सामना करना पड़ता था । इनकी कठिनाईयों का पार नहीं था । परन्तु इन सब कठिनाईयों ने उनके मुक्त को आजाद करने के निश्चय की ओर भी अधिक दृढ़ किया । श्री सावरकर ने इन्हें अपने ग्रन्थ में 'जगल का राजा' कहा है ।

कुमारसिंह और उनके छोटे भाई अमरसिंह ने एक सेना का संग उन कर जगदीशपुर की शत्रुओं के पंजे से मुक्त करने का प्रयत्न किया ।

ये पश्चिमी बिहार के जंगलों में सोन नदी के किनारों पर घूमते-धूमते शत्रु की निर्बल बाजू को देखते रहते थे। इसी बीच में उन्हें यह खबर मिली कि अंग्रेजी और नेपाली सेनाएँ लखनऊ को नष्ट करने के लिये आज्ञामगढ़ से अग्रवध भेजी जा रही हैं। कुमारसिंह ने आसपास के गांवों में बिखरे हुए क्रांतिकारियों का संगठन कर उन्हें सैनिक रूप में सुसज्जित कर आज्ञामगढ़ पर हमला करने का निश्चय किया। ई० सन् १८५७ की १७वीं मार्च को बीवा गांव के क्रांतिकारी भी उनमें मिल गये और इस संयुक्त सेना ने अट्रोखिया के किले पर पड़ाव डाला। अट्रोखिया से अजीमगढ़ लगभग २५ मील है। जय अंग्रेजों को यह खबर मिली तब मिलमैन (Milman) नामक उनके एक सेना नायक ने ३०० पैदल और छुट सवार सेना और दो तोपों के साथ अट्रोखिया की ओर कूच किया। आरम्भ में ऐसा मालूम होने लगा कि कुमारसिंह हार गये और अंग्रेज सेनापति अपनी आत्मक विजय से मदोन्मत्त होकर बेपरवाह से हो गये। इसी बीच में कुमारसिंह और उनकी फौज ने किले से निकाल कर एक मदोन्मत्त सिंह की भांति अंग्रेजी सेना पर धावा बोल दिया और चारों ओर से अंग्रेजी सेना पर गोलियों की वर्षा की। ब्रिटिश सेना चारों ओर से घेर ली गई। वह बड़ी मुश्किल से पीछे हटने में समर्थ हुई। इसी बीच उन्होंने ज्ञापामार युद्ध में ब्रिटिश सेना को बहुत तंग किया। कुमारसिंह की वीर सेना ने ब्रिटिश सेना को कौंसिख तक खदेड़ दिया। कौंसिख में भी ब्रिटिश सेना को आराम न लेने दिया गया। कुमारसिंह की सेना भूखे शेर की तरह यहां भी ब्रिटिश सेना पर आक्रमण कर बैठी। अंग्रेज सेनापति मिलमैन यहां से भी पीछे हटने को बाध्य हुआ। इस बीच में अंग्रेजी सेना के बहुत से सैनिक मारे गये और अभागा मिलमैन बड़ी कठिनाई से आज्ञामगढ़ पहुँचा। आज्ञामगढ़ में मिलमैन को कुछ डाढ़स बँधा क्योंकि यहां उसकी सहायता के लिये बनारस से ३५० सैनिकों की एक फौज पहुँच गई। अब दोनों सेनाओं ने मिलकर



कुमारसिंह से बदला लेने का निश्चय किया। किन्तु कुमारसिंह ने इन्हें सेना को भी इतने जोर की मार दी कि वह और उम्बका सेनानायक कर्नल डैम्प आज़मगढ़ के किले में जाकर छिप गये। कुमारसिंह की सेना की एक टुकड़ी ने उक्त किले को घेर लिया और वह स्वयं अपनी दुन्दुभी बजाते हुए खाना हुए।

### अजिमुल्ला ख़ाँ

ई० सन् १८२७ के क्रांतिकारक युद्ध के प्रधान सचालकों में से एक यह थे। इनका बुद्धि बड़ी तीव्र थी। श्री सावरकर के मतानुसार स्वातन्त्र्य युद्ध की पहली योजना जिन महान् मस्तिष्कों में आई थी उनमें इनका आसन बहुत ऊँचा था। क्रांति की योजना को जिन नेताओं ने विकसित किया या उनमें अजिमुल्ला ख़ाँ की योजना अपना विशेष महत्व रखती थी।

अजिमुल्ला ख़ाँ एक गरीब परिवार में उत्पन्न हुए थे। वे अपनी योग्यता और शक्ति से बढ़ते-बढ़ते नानासाहब के एक प्रथम विश्वसनीय सहायकार के पद तक पहुँच गये। प्रारम्भ में आपने एक अंग्रेज के खानमासा का काम किया। इस हीन स्थिति में रहते हुए भी आपके हृदय में महत्वाकांक्षा की अग्नि प्रज्वलित हो रही थी। बचपन और खानमासा का काम करते हुये भी आपन अंग्रेजी और फ्रेंच सरीखी विदेशी भाषाएँ शोध से समय में सीख लीं और आप इन भाषाओं में धारा प्रवाहिक रूप से बोलने भी लगे। इन भाषाओं का ज्ञान प्राप्त करने के बाद आप कानपुर के एक स्कूल में भर्ती हो गये। आप अपनी असाधारण बुद्धि के कारण कुछ ही समय के बाद उस स्कूल के अध्यापक हो गये। इस समय आपकी विद्वता की ख्याति का समाचार नानासाहब के कानों तक पहुँचा और महावर्त दरबार के साथ आपका परिचय कराया गया। नानासाहब को आपकी सलाहें बड़ी बुद्धिमत्तापूर्ण और कीमती मालूम हुईं। नानासाहब के दरबार में आपका प्रभाव बहुत बढ़ गया

और प्रत्येक महत्वपूर्ण कार्य में आपकी सलाह ली जाने लगी। ऐसा कोई महत्वपूर्ण कार्य न होता था जिसमें आपकी सलाह न ली जाती हो। ई० सन् १८५७ में आप नानासाहब के प्रधान प्रतिनिधी के रूप में इंग्लैण्ड भेजे गये, जहां आपने ब्रिटिश सरकार के सामने यह दावा पेश किया कि नानासाहब बाजीराव के दत्तक पुत्र हैं और उन्हें बाजीराव के मृत्यु पत्र के मुताबिक वह पूरी पेंशन मिलनी चाहिए जो बाजीराव को मिलती थी। यहां उन्होंने यह दावा पेश करने में बड़ी योग्यता का परिचय दिया, परन्तु उसमें उन्हें सफलता नहीं मिली। यहां उन्होंने बड़ा प्रभाव पैदा किया और कई महिलाओं के हृदय पर विशेष छाप डाली। यह बात उन पत्रों से मालूम होती थी जो ब्रिटिश महिलाओं ने अजि-मुल्ला खाँ को लिखे थे। इंग्लैण्ड से लौटने के बाद उन्होंने ब्रिटिश राज्य को उखाड़ने के लिये एक महान् क्रांति के संगठन में अपना मस्तिष्क लगाया और प्रारम्भ में उन्हें सफलता भी मिली।

### मौलवी अहमदशाह

ई० सन् १८५७ के स्वातन्त्र्य युद्ध में फैजाबाद के मौलवी अहमदशाह का नाम भी विशेष उल्लेखनीय है। आप बड़े प्रतिभाशाली वक्ता और कुशल सेना-नायक थे। आप ही की प्रतिभाशाली वक्तृता के कारण अवध में पहले पहल विद्रोह की ज्वाला प्रज्वलित हुई थी और लोगों में नया खून दौड़ने लगा था। ब्रिटिश सरकार ने आपको गिरफ्तार कर फांसी की सजा दी थी परन्तु विद्रोही सैनिकों ने उस समय आपको फांसी के तख्ते से हटा कर आपकी रक्षा की। इसके बाद कई अवसरों पर आपने अपनी वीरता और कुशलता का परिचय दिया। आप में नेतृत्व की बड़ी क्षमता थी और इसका परिचय उक्त क्रांति में समय समय पर मिलता रहा।

# आतङ्क का राज्य



जैसा कि हम गत अध्यायों में कह चुके हैं मन् १८२७ ई० की विद्रोहाग्नि प्रायः सारे भारतवर्ष में फैल रही थी। प्रारम्भ में विद्रोहियों की यड़ी विजय हुई। उन्होंने मेरठ, दिल्ली, कानपुर, बालियर, आदि कई नगरों पर अपनी विजय पताका बढाई थी। कानपुर में तो नाना साहब को भारतवर्ष का पेशवा भी घोषित कर दिया था। ऐसा मालूम होने लगा था कि अब सारे भारतवर्ष पर स्वराज्य की विजय पताका फहराने लगेगी।

हमें यह स्वीकार करना पड़ेगा कि इस प्रारम्भिक विजय के बाद अगरेजों से खार खाये हुए भारतीय विद्रोहियों ने कुछ ऐसे कार्य किये जिनका मानवता की दृष्टि से किसी प्रकार भी समर्थन नहीं किया जा सकता। उन्होंने न केवल अंग्रेज सैनिकों को, पर, अगरेजों के कई स्त्री, बच्चों तक को कत्ल कर दिया और भी उनके हाथों कुछ ऐसे अत्याचार हुए जिनका समर्थन किसी भी प्रामाणिक इतिहासवेत्ता द्वारा नहीं हो सकता।

अपने देश को विदेशी-गुलामी से स्वतंत्र करने के लिये विद्रोह करने का प्रत्येक राष्ट्र प्रेमी को जन्मसिद्ध अधिकार है, चाहे यह कार्य अहिंसात्मक विद्रोह के द्वारा किया जाये, चाहे हिंसात्मक विद्रोह द्वारा सम्पन्न किया जावे, पर मानवता के साधारण नियमों का परिपालन करना, प्रत्येक राष्ट्रवादी का प्रथम कर्तव्य है। हमारी प्राचीन संस्कृति ने, युद्ध में मानवता के तत्त्व को, प्रधानता दी थी। आधुनिक काल में महात्मा गांधी ने भी इस मानवता के तत्त्व को सर्वोपरि स्थान दिया था और इसी बात ने

उन्हें संसार का सबसे महान् पुरुष बनाया। मानवता के इसी तत्व के कारण महात्माजी मनुष्य जाति के सामने मानव संस्कृति का एक दिव्य दृष्टिकोण रखने में समर्थ हुए। हमारे कहने का आशय यह है कि सन् १८५७ ई० के विद्रोहियों ने भारतीय स्वतंत्रता के लिये जो विद्रोह किया वह तो उनका जन्मसिद्ध अधिकार था और इसके लिये उन्हें इतिहास का समर्थन प्राप्त होना चाहिये। पर इस पवित्र उद्देश की सिद्ध के लिये अंगरेज की दृष्टियों पर हाथ उठाकर उन्होंने जो मानवीय तत्व का अतिक्रमण किया वह किसी प्रकार भी समर्थनीय नहीं हो सकता।

हमने उपरोक्त पंक्तियों में यह दिखलाया है कि आरम्भ में देश की स्वतंत्रता के लिये विद्रोह का झंडा उठानेवाले वीरों को सफलताएँ हुईं। पर पीछे, कई कारणों से, अंगरेजी मशाख सेना के मुकाबले में उन्हें परास्त होना पड़ा। इस पराजय के कारणों पर हम अगले अध्याय में विचार करेंगे। यहाँ हम उन राक्षसी अत्याचारों पर कुछ प्रकाश डालना चाहते हैं जो अंगरेजी और उनके सैनिकों ने बदले की भावना से प्रेरित होकर भारतवासियों पर किये थे। सु-संगठित अंग्रेज सरकार द्वारा ऐसा किया जाना किसी भी तरह समर्थनीय नहीं हो सकता। ब्रिटिश सरकार ने भी अत्याचारों की हद करदी। मानवता के महान् तत्वों की, अपने आपको बहुत समझने वाली एक सरकार द्वारा, कितनी बुरी तरह कुचला जा सकता है, वह उस समय की घटनाओं से प्रत्यक्ष होता है। झाँसी में विद्रोहियों के द्वारा ७५ अंग्रेज मारे गये थे। इसके बदले में ५००० भारतवासियों को बड़ी निर्दयता से गोली से उड़ा दिया गया! इतना ही नहीं इस हत्याकाण्ड के बाद उक्त शहर बड़ी बेरहमी के साथ लूटा गया। झाँसी के इस हत्याकाण्ड व लूट का आँसों देता वर्णन श्री विष्णु चार्सेकर ने "माया प्रवास" नामक अपने प्रवास वर्णन में किया है, जिसे पढ़कर शरीर में विपादपूर्ण रोमाञ्च हो जाता है।

दिल्ली में जब अंग्रेजों ने फिर से विजय प्राप्त की और दिल्ली पर

अपना अधिकार किया तब उन्होंने जैसा राक्षसी हत्याकाण्ड किया वह इतिहास के काले पृष्ठों में लिखा जाकर मानवता के इतिहास में सदा कर्लक स्वरूप माना जायगा। इसमें शक नहीं कि जब दिल्ली में विद्रोहियों ने अधिकार किया, तब उन्होंने कुछ अंग्रेजों को मौत के घाट उतार दिया। उसका बदला बड़ी क्रूरता के साथ लिया गया। लगभग २६००० भारतवासी या तो गोली से उड़ा दिये गये, या कलक कर दिये गये, या फांसी पर लटकवा दिये गये, या तोप के मुँह उड़ा दिये गये ! साधारण नागरिक तक भी इस राक्षसी हत्याकाण्ड के बलि पड़े ! चारों और अंग्रेज सेनिकों ने मारो ! मारो ! मारो ! की ध्वनि से सारे वातावरण को व्याप्त कर दिया। दिल्ली के तत्कालीन बादशाह बहादुरशाह के -२४- खडकों को सरे आम फांसी पर लटकवाया गया और उनकी मुयदकियों को शहर के बीच, प्रदर्शन के लिये रखा गया !!

खाहौर में विद्रोही फौजों द्वारा २ अंग्रेज मारे गये। इसका बदला भी बड़ी घेरहमी के साथ लिया गया। सैकड़ों आदमियों को मौत के घाट उतार दिया गया।

इसी प्रकार कानपुर, लखनऊ आदि स्थानों में भी हत्याकाण्ड संगठित हुए, जिसमें कई निर्दोष भारतवासी न केवल कत्ल ही किये गये पर उनके घर बार भी लूट लिये गये।

छोटे छोटे बच्चे जिन्होंने केवल मात्र अपने हाथों से विद्रोह के झण्डे उठाये थे, गोली से उड़ा दिये गये ! कहीं कहीं तो खूबसूरत बच्चे इस बहाने फांसी पर लटकवाये गये कि उन्होंने ब्रिटिश सैनिक अफसरों से सलाम न की।

अंग्रेज सेनापति नैल ( Neill ) के सेनिकों ने उन सब विद्रोहियों को कत्ल कर दिया जो उनके हाथ पड़े। उन्होंने केवल इलाहाबाद में ही ६००० भारतवासियों को मौत के घाट उतार दिया।

उत्तर-पश्चिम प्रान्तों में अंग्रेज सैनिकों ने क्रूरता का ताण्डव नाच रचा । सैब्यों भारतवासियों की निर्मम हत्या की गई । इसके फल-स्वरूप गांव के गांव धीरान हो गये ।

इसके अतिरिक्त हिन्दु और मुसलमानों को अष्ट करने की भी कोशिशें की गईं । फांसी बागाने के पूर्व मुसलमानों को सूअर का मांस खिलाया गया और हिन्दुओं के मुख में बलात् गौ-मांस घुसेड़ा गया । कहने का भाव यह है कि भारतवासियों पर विविध प्रकार के अमानुषिक अत्याचार किये गये । कहीं कहीं तो गांव के गांव जला दिये गये । अंग्रेजों का यह कोप विद्रोह में भाग लेनेवाले राजा और नबावों पर भी पड़ा । फ़ासूर के नबाव को सरे आम फांसी पर लटकाया गया । जनरल नैल ( Neill ) ने मेजर रिनाड ( Renaud ) को जो आदेश-पत्र भेजा उसमें कहा था—“फतेहपुर शहर पर आक्रमण कर वहाँ के तमाम पठानी मोहल्लों को उनके निवासियों सहित नष्ट करदो ।”

### मुस्लिम नेता गोली से उड़ाये गये

दिल्ली में वहां के प्रसिद्ध नेता व हकीम राजउद्दिन को गोली से उड़ा दिया गया । उनके छोटे भाई अहमदहुसेन खाँ भी उसी दिन गोली के शिकार हुए । टोंक के तलियार खाँ और उनके दो लड़के सरे आम फांसी पर लटकाये गये !!



# विद्रोह की असफलता के कारण



भारतवर्ष का इतिहास अनेक दुःखान्त घटनाओं से परिपूर्ण है। राष्ट्रीय एकता और राष्ट्रीय चेतना के अभाव इस देश के पतन के प्रधान कारण रहे हैं। इसके अतिरिक्त व्यक्तिगत स्वार्थ में राष्ट्रीय स्वार्थ को विक्रीत कर देना इस राष्ट्र की मुख्य निबन्धता रही है। युद्ध-कला में अन्य राष्ट्रों से पीछे रहना और इस सम्बन्ध में प्रगतिशील राष्ट्रों की छुड़ौड़ में आगे बढ़ने में असमर्थ रहना यह भी इस देश की एक विशेष कमजोरी रही है। सन् १८५७ ई० के विद्रोह के इतिहास का सूक्ष्मता से अवलोकन करने पर यह स्पष्टतया ज्ञात होता है कि इन्हीं कमजोरियों के कारण उक्त विद्रोह असफल रहा। जब विद्रोह की ध्वनिगारियों सारे भारतवर्ष में प्रज्वलित हो रहीं थीं तब कुछ राजाओं ने तथा कुछ जातियों ने अपने देशवासियों के खिलाफ—अपने राष्ट्र के खिलाफ—एक विदेशी सत्ता को सहायता करने में गौरव अनुभव किया था। इन्हीं की राष्ट्र विद्रोही प्रवृत्तियों उक्त विद्रोह को असफल करने में प्रधान रूप से कारणीभूत हुई थीं। रसेल (Russell) ने अपनी डायरी (My Diary in India) में लिखा है—

“Yet it must be admitted that, with all their courage, they (the British) would have been quite exterminated if the natives had been all and altogether hostile to them. The desperate defences made by the garrisons were, no doubt, heroic, but the natives shared their glory, and they by their

and presence rendered the defence possible. Our siege of Delhi would have been quite impossible, if the Rajas of Patiala and Jhind had not been our friends and if the Sikhs had not recruited in our battalions and remained quiet in Punjab. The Sikhs at Lucknow did good service and in all cases our garrisons were helped, fed and served by the natives, as our armies were attended and strengthened by them in the field. Look at us all, here in camp, at this moment ! Our outposts are native troops, natives are cutting grass for our horses and grooming them, feeding the elephants, managing the transports, supplying the commissariat which feeds us, cooking our soldiers' food, clearing their camp, pitching and carrying their tents, waiting on our officers, and even lending us their money. The soldier who acts as my amanuensis declares that his regiment could not have lived a week but for the regimental servants, Doh bearers hospitalmen, and other dependants. Gurkha guides did good service at Delhi and the Bengal artillerymen were as much exposed as the Europeans”

अर्थात् “यह बात स्वीकार करना पड़ेगी कि अगर देशी लोग सर्वांश में हमारे विरोधी होते तो ब्रिटिश का पूर्णरूप से सर्वनाश हो गया होता। हमारी रक्षक सेनाओं ने जान की बाजी लगा कर जिस प्रकार अपनी



रक्षा की वृद्धि नि सन्देह घोरतापूर्ण थी। पर हम घोरतन्त्र के गौरव में देशी लोगों का हाथ था और उन्हीं लोगों की सहायता और उपस्थिति ने ही हम रक्षा कार्य को सम्भव बनाया। हमारा दिल्ली का घेरा नितान्त ही असफल होता अगर पटियाला और मिन्ड के राजा लोग हमारे मित्र नहीं होते, सिक्ख हमारी फौजों में भर्ना न हुए होते और पञ्जाब शान्त न रहा होता। लखनऊ में सिक्खों ने हमारी अच्छी सेवा की और यहा के देशी लोगों ने हमारे दुर्गरक्षक सेनाओं की सहायता की, उन्हें खिलाया पिलाया और उनकी सेवाएँ कीं। इस वक्त भी हमारे शिविर (camp) की चोर देखिये। हमारी बाहरी चौकियों की रक्षा करनेवाली तो देशी सेना ही थी। इसके अतिरिक्त देशी लोग ही हमारे घोड़ों के लिये घास काटते थे, उन्हें धुँवते थे (Grooming), हमारे साधियों को खिलाते पिलाते थे, हमारी बहिनों की व्यवस्था करते थे और हमारे खाने पाने की सामग्री का प्रबंध करते थे, हमारे सिपाहियों का पाना पकाने थे, डेरों को साफ करते थे, तम्बू लगाते थे, हमारे अफसरों की सेनाओं में लगे रहते थे और हमें रफया पैसा ठपार तरु देते थे। एक सिपाही ने, जो मरे एक मुहरिर का काम करता था, कहा है कि “अगर फौज के देशी नौकर, दोस्ती उठानेवाले अस्पताल के आदमी और दूसरे नौकरों का सहयोग न होता तो, हमारी फौज एक मसाह भी टिक नहीं सकती थी। मुर्खा मार्गदर्शकों ने दिल्ली में बड़ी अच्छी सेवाएँ कीं और बंगाल के तोपची यूरोपियनों की तरह विरोधी गोलाबारी के अभिमुख रहे।”

तत्कालीन गवर्नर जनरल लार्ड कैनिंग (Lord Canning) ने अपने एक तार में लिखा था।

“If the Scindhia joins the mutiny I shall have to pack off tomorrow” अर्थात् “यदि सिंधिया सरकार बलही में शामिल हो जायेंगे तो फिर मुझको फल ही अपना डेरा उठाना पड़ेगा।”

एक अमेज ग्रन्थकार ने लिखा है —

“Gwalior, while it thus continued in his hands, might have been regarded, as in one sense, the key of India, or rather, perhaps, as one link of a chain, which could not have given way in any part without ruining our power in India. If the ruler of Gwalior had either played us false, or succumbed to the strong adverse elements with which he had to contend, the revolt would almost certainly have been national and general instead of being local and mainly military, and instead of its fate being decided by those operations in the easily traversable Gangetic valley upon which public attention was concentrated, we should have had to face the war like races of Upper India combined against us, in a most difficult country and, in all probability those of the south also had Scindia then struck against us—nay, had he even done his best in our behalf, but failed—the character of the rebellion might have been changed almost beyond the scope of speculation”

Memorials of Service in India”

“ग्वालियर को एक प्रकार से हिन्दुस्तान की कुँची समझना चाहिये अथवा यह कहना चाहिये की यह एक एसी श्रृंखला थी, जिसका यदि कोई भी भाग टूट जाता तो यह हिन्दुस्तान में हमारी युक्ति का नाश किये बिना नहीं रहता। ग्वालियर के महाराज यदि हमें धोखा देने या

बलावाहियों के घरा हो जाते तो यह बलवा केवल स्थानीय और फ़ौजी सिपाहियों का न होकर सार्वत्रिक और राष्ट्रीय हो जाता। उस समय हमें गंगा नदी के उन प्रदेशों में ही जो घासानी से पार हो सकते हैं, खड़ना नहीं पड़ता, किन्तु उत्तरीय हिन्दुस्तान के कठिन प्रदेश में और युद्ध कुशल जातियों से करना पड़ता। यह भी सम्भव है कि दक्षिणी जातियों से भी युद्ध करना पड़ता, यदि उस समय महाराज सिविया हमारे विरुद्ध खड़े हो जाते। इतना ही नहीं, यदि वे अपनी पूरी शक्ति से हमारी ही ओर से शत्रुओं के विरुद्ध लड़ कर हार जाते तो भी इस बलवे का रूप इतना बदल जाता कि जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते।”

### अत्याचारों पर लॉर्ड केनिंग

ईसवी सन् १७२७ के सितम्बर मास में लुकाकीन गवर्नर जनरल लॉर्ड केनिंग ने सम्राज्ञी विक्टोरिया को लिखा था:—“There is a rabid of indiscriminating vindictiveness.” अर्थात् विद्रोहियों से अन्धाधुन्ध और उन्मत्तता से बदला लुकाया जा रहा है।” जब लॉर्ड महोदय से ब्रिटिश सैनिकों द्वारा किये जाने वाले अत्याचारों को प्रकाशित करने की बात कही गई, तब आपने कहा कि “ऐसा करके संसार के सामने मैं अपने देश को भयङ्कर रूप से बदनाम करना नहीं चाहता।



# सन् १८५७ ई० के विद्रोह के बाद



यद्यपि सन् १८५७ ई० का विद्रोह दबा दिया गया, पर उसके कारण भारतीयों के हृदयों में अंग्रेजों के डिक्लाफ द्वेष की आग बराबर भड़कती रही। उक्त विद्रोह के समाप्त होने के कुछ ही समय बाद लन्दन के सुप्रसिद्ध पत्र टाइम्स को, उसके सवादादाता जी० डबल्यू० रसेल ने, उक्त पत्र को रिपोर्ट की थी, उसमें लिखा था “हिन्दुस्तानियों और अंग्रेजों के बीच प्रबल द्वेष और दुर्भावना पैदा हो गई है और इन दोनों में विश्वास पैदा होने की सम्भावना नहीं है।”

उक्त विद्रोह के बाद छोटे मोटे कई विद्रोह हुए। सन् १८५८ ई० में सन्ताल लोगों ने (Santhals) विद्रोह किया जिसको दबाने में ब्रिटिश सरकार को पूरा १ वर्ष लगा। इन्हीं लोगों ने सन् १८७१ ई० में फिर विद्रोह किया। इस विद्रोह का नेता भगीरथ था। इन्होंने सरकार को को कर देना भी बन्द कर दिया। सन् १८५६ ई० से लगाकर सन् १८६१ ई० तक निम्नस्थ बंगाल (Lower Bengal) एक प्रकार से विद्रोह का केन्द्र रहा। यह विद्रोह नील के विद्रोह (Indigo disturbances) के नाम से प्रसिद्ध है। कलकत्ता रिव्यू (Calcutta Review) नामक एक पंग्लो-इण्डियन पत्र में सन् १८६० ई० में लिखा था।” यह रैयत, जिन्हें हम रूमी दामों की तरह समझते रहे हैं, और जिनके लिये हम यह मानते रहे हैं कि ये जमींदारों के शीजार हैं, वे आज अस्ति में विद्रोह कर बैठे हैं। आज सारे निम्नस्थ बंगाल में विद्रोह की अग्नि प्रज्वलित हो रही है।”

सन् १८५७ ई० में दक्षिण में कई जगह कृषक विद्रोह हुए। इनके परिणाम स्वरूप सरकार की ओर से कमीशन घटाया गया जिसने इस विद्रोह के मूलभूत कारणों का पता लगाने की चेष्टा की। इस कमीशन की सिफारिश के अनुसार सन् १८७६ ई० में किसानों को राहत देने वाला एक कानून बना जिसके अनुसार भूमिकर घटाया गया और किसानों के लिये दीजानी बँद उठा दी गई। (Sentence for debt)

इसी बीच में मज़दूर वर्ग में भी जागृति की ज्योति दिखाई देने लगी। उसने मालिकों के अत्याचारों के खिलाफ संगठित रूप से आवाज़ उठाने का प्रयत्न किया। सन् १८७७ ई० में नागपुर में मज़दूरों की प्रथम हड़ताल हुई। इसके बाद सन् १८८२ ई० से सन् १८९० ई० तक लगभग २५ हड़तालों हुईं। सन् १८८४ ई० में श्री एन० एम० लोखण्डे ( N. M. Lokhande ) ने मील मज़दूरों का सबसे प्रथम एक संघ बनाया जिसका नाम मिल मज़दूर समिति ( Mill hands Association ) रखा गया। इसी संघ ने आगे जाकर विशाल और संगठित रूप धारण किया।

### दक्षिण में जागृति

दक्षिण भारत में भी जागृति की ज्योति चमकने लगी। सन् १८७० ई० के बाद महाराष्ट्र के इतिहास को एक नई दिशा मिली और इसका प्रभाव सारे भारतवर्ष पर पड़ा। सन् १८७१ ई० में पूना में सार्वजनिक सभा स्थापित हुई। सन् १८७४ ई० में विपलूणकर की निषेधमाला शुरू हुई सन् १८८० ई० में न्यू इंग्लिस स्कूल, केसरी, व मराठा का जन्म हुआ। सन् १८८५ ई० में "सुधारक" निकला। सन् १८९५ ई० में लोकमान्य तिलक ने सार्वजनिक सभा हस्तगत की, आगरकर का शरीराध्यन्त हुआ और पूना के उद्धारक बनाम सुधारकवाद को गरम नरम राजनैतिक वाद का रूप मिटाने लगा। इस वर्ष महाराष्ट्र में जो दो नरम

नरम राजनैतिक दल बने, उन्होंने सारे भारत खण्ड में प्रचण्ड आन्दोलन खड़े किये और सन् १६२० ई० तक के उसके इतिहास पर अपनी छाप डाली। सन् १८८५ ई० में कांग्रेस की स्थापना होने के पहले ही दादाभाई और रानडे ने भारतीय राजनीति और अर्थनीति की नींव डाल दी थी।

यहाँ यह बात ध्यान में रखने योग्य है कि जहाँ एक ओर रानडे अपने वैध-भागों से लोगों के अन्दर अखिल भारतीय संयुक्त राज्य, उत्तर-दायित्व के अधिकार, ब्रिटिश राष्ट्र के बराबर का दर्जा और भारतीय पार्लैमेंट इत्यादि भावनाओं के बीज बोते रहे, वहाँ दूसरी ओर १८७६ में वासुदेव बलवंत फडके ने नगर, नासिक, तानदेश के रामोशी और भीलों की सहायता से लोक-सत्ता की स्थापना करने का एक प्रान्तिकारी प्रयत्न किया।

इसी बीच भारतवर्ष में कुछ राष्ट्रीय विभूतियों का उदय हुआ जिन्होंने भारत के राजनैतिक और सामाजिक गगन मण्डल में अलौकिक प्रकाश फैलाया। इनका उल्लेख आगे चल कर यथावसर किया जावेगा।



# कांग्रेस की उत्पत्ति



यह बात सर्व विदित है कि भारत में राष्ट्रीय भावों का जन्म कांग्रेस के द्वारा हुआ। भारत की स्वाधीनता प्राप्त करवाने में यह महान् संस्था सबसे अधिक कारणभूत समझी जाती है। यद्यपि उसके पहिले भी ऐसी कुछ संस्थाओं का जन्म हुआ था, जिनका उद्देश भारत में सामाजिक और राजनैतिक प्रान्ती करना था। ई० सन् १८५२ में दादाभाई ने बम्बई में 'बॉम्बे असोसियेशन' की स्थापना की, उधर १८५१ में बंगाल में श्री० प्रसन्न कुमार टागोर, डा० राजेन्द्र लाल मित्र आदि ब्रिटिश इंडिया असोसियेशन नामक राजनैतिक संस्था स्थापित कर रहे थे। ऐसी ही एक संस्था—मद्रास नटिव असोसियेशन—मद्रास में उदय हुई थी। पूना में एक डेक्कन असोसियेशन बनी। इस तरह १८५१-५२ में तीन बड़े इलाकों की राजधानियों में लोकसत्तात्मक राजनीति का जन्म हुआ।

पर उपरोक्त संस्थाएँ अधिक समय तक जीवित न रह सकीं। आगे चलकर कांग्रेस ही को भारतवर्ष की प्रधान राजनैतिक संस्था होने का गौरव प्राप्त हुआ।

कांग्रेस की उत्पत्ति की तूटल बनक है। इसकी उत्पत्ति एक विचित्र रूप से हुई। भारत के तात्कालिक वाइसराय लार्ड डफरिन ने मि० ह्यूम नामक एक अत्यन्त उदार और सहृदय अंग्रेज सज्जन से कहा कि भारत में एक ऐसी संस्था की जरूरत है जिससे भारत सरकार भारत की असली राय को जान सके और भारत में मंडराये हुए अशान्ति के बादलों को

मिग सके। इस कार्य में लॉर्ड डफरिन की दूरदर्शितापूर्ण कूटनीति भरी हुई थी। अंगरेजों के विरुद्ध पैली हुई जनता की विद्रोही भावना के प्रवाह को वैध आन्दोलन में बदल कर भारत में ब्रिटिश साम्राज्य की कीर्ति मज़बूत करना उनका उद्देश्य था। मि० ह्यूम एक सहृदय अंग्रेज थे। लोकमान्य तिलक तक ने उनकी प्रशंसा की है। पर यहाँ यह ध्यान में रखना चाहिये कि मि० ह्यूम भारत में सुराज्य ( Good Government ) स्थापित करना चाहते थे। ब्रिटिश साम्राज्य के अन्तर्गत भारत को औपनिवेशिक स्वराज्य देने के वे पक्ष में थे। अंगरेज और भारतीयों में सद्भावना पैदा कर अन्ततः नैतिक से ब्रिटिश साम्राज्य की कीर्ति बढ़ाने की उनकी इच्छा थी। तत्कालीन परिस्थितियों का अध्ययन करने से हमारी उक्त धारणा की पुष्टि होती है।

जैसा कि हम ऊपर कह चुके हैं, उस समय भारत में अन्दर ही अन्दर अशांति के बादल मँडरा रहे थे। बहुत सम्भव था कि यह अशांति आगे चलकर सङ्घटित रूप धारण कर, भारत में ब्रिटिश साम्राज्य के लिये बड़ा खतरा उपस्थित कर सकती। अंगरेजों की दूरदर्शितापूर्ण राजनीतिज्ञता ने इस खतरे का अनुभव किया और उन्होंने इस खतरे को टालने के लिये मि० ह्यूम जैसे एक लोकप्रिय सज्जन को साधन बनाया। मि० ह्यूम को भी वातावरण में विद्रोह की चिंगारियाँ दिखने लगीं। उन्होंने उस समय तैयार किये गये अपने एक स्मारपत्र (Memorandum) में लिखा था।

“मुझे सात बड़ी २ जिल्लें दिपाई गईं, जिनमें बहुत सी सामग्री इकट्ठा की गई थी। यमाँ, घासाम, और कुछ छोटे मोटे इलाकों की छोड़कर, बाकी देश के टुकड़ों के हिसाब से ये जिल्लें बनाई गयीं थीं। इनमें तरह तरह के संवादों और रिपोर्टों का अंग्रेजी अनुवाद या सारांश मिलेवार, सहस्रोंपर परगनेवार, शहरवार और गाँववार दिया हुआ था। कितनी बातें दर्ज की गयीं थीं, इसकी गिनती न थी। उस समय



कहा गया था कि ३० हजार में ऊपर मंत्राददाताओं की सूचनाएँ यहाँ पकड़ थी गयी हैं। बहुत सी रिपोर्टें ऐसी थीं, जिनमें सबसे नीचे दर्जों के लोगों की बातचीत लिखी हुई थी। इनमें मालूम होता था कि कि ये गरीब आदमी अपनी मौजूदा हालत से निराश हो चुके हैं। उन्हें विश्वास हो गया कि वे भूखों मर जायेंगे। इसलिये वे कुछ कर दिखाना चाहते थे। वे सब एक दूसरे का साथ देकर कुछ कर दिखाने पर तुल गये थे और इस कुछ का मतलब था, हिंसा। बहुत सी रिपोर्टों में पुरानी तलवारें, भाले और घड़ों जमा करने की बातें थीं। मौका पड़ने पर इनमें काम लिया जाता। लोगों ने यह न सोचा था कि शुरू में ही हमारी सरकार के खिलाफ बगावत होगी या सही माने में बगावत होगी भी। स्वयंसेवक यह था कि छिटपुट अपराध किये जायेंगे, दुरमनों की हत्या की जायगी, साहूकारों के यहाँ बँकटियाँ डाली जायेंगी और बाजार लूटे जायेंगे। 'सबसे नीचे दर्जों के लोग भूखों मर रहे थे। इसलिये इन यह था कि छिटपुट अपराधों को देखते हुए और भी हत्याएँ होने लगेंगी और एक ऐसी अशान्ति फैल जायगी कि सरकार और उच्च वर्ग से कुछ भी करते धरते न बनेगा। यह भी ख्याल था कि पत्ते पर जमा होने वाली पानी की बँदों की तरह छोटे-छोटे गुट मिल कर बड़े बड़े गुट बना लेंगे। देश के सभी छूँटे हुए घदमाश उनमें शामिल हो जायेंगे और कुछ पडे लिखे लोग उनके नेता बन जायेंगे। ये पड़े लिखे लोग सरकार से बहुत ही नाराज थे, भले ही इसका कोई कारण न रहा हो। यतना यह था कि बगावत शुरू होने पर ये लोग उसे एक सूत्र में बाँध देंगे और राष्ट्रीय विद्रोह के रूप में उसका संचालन करेंगे।"

मि० एन्ड्रुज और मुकर्जी ने "हिन्दुस्तान में कांग्रेस का जन्म और बढ़ती" में लिखा है—

"१८२७ के बाद इसना इतरनाक घक्त पहले कमी न आया था, जितना कि कांग्रेस के जन्म लेने के पहले आया था। अंग्रेजी हाकिमों

में, ह्यूम ने, भागी संकट को देखा और उसे रोकने की कोशिश की। उन्होंने शिमला जाकर सरकार को समझाया कि हालात कितनी दुराव हो गयी है। यह सम्भव है कि तेज़ दिमाग़ के वायवरीय ने फ़ौरन ही यह समझ लिया हो कि परिस्थिति कितनी गम्भीर है। इस तरह के अखिल भारतीय आन्दोलन के लिये यह समय बिलकुल उपयुक्त था। किसान विद्रोह होना तो मध्यमवर्ग के लोग हमदर्दी करके उसका समर्थन करते। उनके बड़े नये भारत का निर्माण करने के लिये नये उदीयमान वर्गों को अपने लिये एक मंच मिल गया। कुल मिलाकर यह अच्छा ही हुआ कि हिंसात्मक प्रवृत्ति रोक दी गई।”

उपरोक्त उद्धरण से पाठकों को इस अशान्त परिस्थिति का ज्ञान हुआ होगा, जो उस समय देश की थी। इसी परिस्थिति को शान्त काने के लिये तत्कालीन अंग्रेज़ अधिकारियों ने बड़ी दूरदर्शिता से काम लिया। उन्होंने मिस्टर ह्यूम जैसे एक लोकप्रिय और सहृदय अंग्रेज़ अधिकारी को बीच में डालकर स्थानीय नेताओं के द्वारा एक ऐसे राजनैतिक संगठन का आयोजन किया जिससे उक्त लोग द्योभ वैध आन्दोलन में परिणत हो जाय। सन् १८८३ ई० के मार्च मास में मि० ह्यूम ने कलकत्ता विश्व-विद्यालय के स्नातकों (Graduates) के नाम एक गश्ती पत्र (Circular letter) जारी कर यह अपील की कि वे एक ऐसे राजनैतिक संगठन बनाने में सहयोग दें जिसके द्वारा भारतवासियों की मानसिक, नैतिक, सामाजिक और राजनैतिक उन्नति हो सके। मि० ह्यूम ने उनसे यह अनुरोध किया कि केवल ऐसे १० स्नातक मिलकर यह कार्य शुरू कर दें, जिससे धीरे इसकी प्रगति सरल हो जाय। इसके बाद मि० ह्यूम ने अन्त में बड़े जोरदार शब्दों में उक्त विद्यार्थियों से निम्नलिखित अपील की—

“आप इस भूमि के जीवन भूत (नमक) हो। अगर आप में से १० ऐसे युवक मिल जायें जिनमें स्वार्थत्याग की भावना हो, जिनमें

वाम्ताधिक निम्नार्थ और दार्ष्टिक देशभक्ति हों, जो अपनी जीवन की शेष आयु को अपने देश की परिग्रमेवा में व्यतीत कर सकें, ताँ देश के लिये एक महान् भविष्य की आशा की जा सकती है। अगर ऐसा नहीं होगा तो इस राष्ट्र के पुर्यों को विदेशी शासकों की अधीनता में निस्महायों की भाँति पडा रहना पड़ेगा।”

“अगर देश के विचारक नेता इतने दीन हीन होंगे, इतने स्वार्थी और आप मतलबी होंगे कि ऐसे समय में भी वे जागृत न होंगे और अपने देश के लिये कुछ न कर सकेंगे तो कहना होगा कि वे हमेशा कुचले जाने के योग्य ही अपने शाप को साबित करगे। हर एक राष्ट्र अपनी योग्यता के अनुसार ही अच्छा शासन पाता है।”

मिस्टर ह्यूम के प्रभावशाली शब्दों का अच्छा प्रभाव पडा और इण्डियन नेशनल यूनियन ( The Indian National Union ) नामक एक राजनैतिक संस्था का ईसवी सन् १८८५ में जन्म हुआ, जिसके प्रधान मंत्री मि० ह्यूम हुए। इसका पहला अधिवेशन पूना में होन वाला था। परन्तु पूना में हैज़ का प्रकोप हो जाने के कारण कांप्रेस का पहला अधिवेशन बंबई नगर के गोकुलदास तेजपाल हाई स्कूल में २८ दिसम्बर १८८५ में हुआ। यह थोड़े से चुने हुये लोगों की सभा थी। सभापति थे, मि० उमेशचन्द्र बनर्जी और जिन लोगों ने कार्यवाही में भाग लिया उनमें से कुछ उल्लेखनीय व्यक्तियों के नाम इस प्रकार हैं। बम्बई से दादाभाई नौरोजी, फीरोजशाह मेहता, काशीनाथ स्वयंकर तेलंग, भवेरीलाल यादविक, दीनशा इंदलजी वाच्छा, रहीमतउल्ला सैयानी, गोपाल गणेश धागरकर, और सर नारायण गणेश चदावरकर, मद्रास से सर एस० सुब्रह्मण्य ऐयर, हीवान बहादुर रघुनाथराव, पी० आनंद चार्ल्स, जी० सुमझण्य ऐयर, रंगैया नायडू और धीर राघवाचार्य, और कलकत्ता से बाबू नरेन्द्रनाथ सेन, यू० पी० से बाबू गंगाप्रसाद वर्मा, आंध्र देश से मि० नरसिंह लू नायडू, विलारी के राव बहादुर

मुदलवार, गृटी के दीवान बहादुर केशव पिल्लई और मङ्गलीपट्टम के राय साइव सिंहराज वेंकट सुब्बा रायडू पंतलू आदि उपस्थित थे। मि० ए० ए० वः वर्ष तक कांग्रेस के प्राण तथा सर्वस्य बने रहे और वे कांग्रेस के पिता कहलाने लगे। उन्होंने कांग्रेस को लोकप्रिय बनाने के लिये सारे देश का भ्रमण किया और इसके लिये अपने पास से व्यय किया।

इस अधिवेशन के सभापति के पद से भाषण करते हुए श्री उमेशचन्द्र बेनर्जी ने कांग्रेस का उद्देश्य इस प्रकार बतलाया:—

(घ) साम्राज्य के भिन्न भिन्न भागों में देश हित के लिये लगन से काम करनेवालों की आपस में घनिष्टता और मित्रता बढ़ाना।

(था) समस्त देशवासियों के अन्दर प्रत्यक्ष मैत्री व्यवहार के द्वारा वश, धर्म और प्रान्त सन्बन्धी तमाम पूर्व-दूषित संस्कारों को मिटाना और राष्ट्रीय ऐक्य की उन तमाम भावनाओं का, जो लार्ड रिपन के शासन काल में उद्भूत हुईं, पोषण और परिवर्द्धन करना।

(इ) महत्वपूर्ण और आवश्यक सामाजिक प्रश्नों पर भारत के शिक्षित लोगों में अच्छी तरह चर्चा होने के बाद जो परिपक्व सम्मतियाँ प्राप्त हों, उनका प्रामाणिक समग्र करना।

(ई) उन तारीखों और दिशाओं का निर्णय करना जिनके द्वारा भारत के राक्षसी देश-हित के कार्य करें

इस कांग्रेस के अधिवेशनमें पहला प्रस्ताव इस आशय का था कि शासन व्यवस्था की जांच के लिये एक रॉयल कमीशन मुकर्रर किया जाय। एक प्रस्ताव था धारा सभाओं में बड़ी तादाद में लोक नियुक्त प्रतिनिधि लिये जाँय, बजट धारा सभाओं में पेश किये जाँय, आदि। एक प्रस्ताव के द्वारा इण्डिया कांसिल रह कराने की मांग की गयी थी। एक प्रकार से ये प्रस्ताव अनियंत्रित पद्धति को मिटाकर लोक प्रतिनिधियों

का प्रवेश शासन-कार्य में हो, इस दृष्टि से किये गये थे ।

उक्त-प्रस्तावों को तैयार करने के लिये यम्बई में एल्टिम्सन् कॉलेज के प्रिंसिपल मि० पट्टेसवर्ण के निवास-स्थान पर एक प्राइवेट सभ हुई थी, जिसमें सर विक्रियम चैदरवर्ण, मि० रानटे और राय बाहादुर लाला यैजनाथ मरीचे सरकारी अधिकारी भी उपस्थित थे ।

कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन कलकत्ते में शशि कल्प दादभाई नीतीजी की अध्यक्षता में, तीसरा मद्रास में, बदरद्दीन तैयजजी की अध्यक्षता में हुआ । पहले अध्यक्ष ईसाई, दूसरे पारसी और तीसरे मुसलमान—यह देखकर नौराशाही के मन में कांग्रेस के लिये द्वेष और डर पैदा होन लगा । मद्रास अधिवेशन के बाद कांग्रेस की बढ़ती हुई लोकप्रियता को देखकर छूम साहब ने तय किया कि उसे इंग्लैंड की 'पुटी कान्न सा० लीग' की तरह लोगों में आन्दोलन करने वाली संस्था का रूप दिया जाय । उन्होंने अपने भाषणों में भारतमाता की पवित्र भूमि में रहने वाले प्रत्येक भारतीय से सहकारी, भाई और आवश्यकता पड़ने पर सैनिक बनने की आशा प्रकट की । कांग्रेस के द्वारा आन्दोलन और लोक जागृति करने की इस नीति से सरकार में और उसमें विरोध पैदा होने लगा । १८८६ में तो कलकत्ते में दूसरे अधिवेशन के बाद खुद लॉर्ड डफरिन ने कांग्रेस के प्रतिनिधियों को एक 'वन भोज' दिया था और मद्रास अधिवेशन में तो वहाँ के गवर्नर भी थे । परन्तु चौथे अधिवेशन के समय इलाहाबाद में मंडप के लिये जगह तक न मिल सके, ऐसी बरबाई सरकारी अधिकारियों ने शुरू कर दी । अधिवेशन में जाने वाले प्रतिनिधियों पर रुकावटें लगाने और कार्य-कर्त्ताओं से जमानतें लेने की बरबाई शुरू की गई । पंजाब में ५—६ हजार लोगों से जमानती-सुखबके मागे गये । इस विरोध से कांग्रेस की लोक प्रियता बढ़ने लगी । इस अधिवेशन में १२४८ प्रतिनिधि आये थे ।

इस अधिवेशन के सभापति ने अपने भाषण में प्रतिनिधिक राज पद्धति का समर्थन किया था ।

अब अग्रेज परकारी अधिकारियों की आखें खुलने लगी । जहाँ उन्होंने कांग्रेस को अपनी रक्षा की ढाल बनाना चाहा था, वहाँ वह उरटी विरोधी संस्था बनने लगी । इससे अधिकारियों के रुख में बड़ा परिवर्तन हो गया । कलकत्ते वाले अधिवेशन के समय यह हुक्म निकाला गया कि सरकारी अधिकारी कांग्रेस में दर्शक के रूप में भी न जाएँ । इसके बाद कांग्रेस नर्म दल के हाथों में पड़ गई । कुछ वर्षों तक वह आन्दोलनकारी संस्था न रही । उसमें साधारण सुधारों के प्रस्ताव होते रहे और वह सरकार से निवेदन करने वाली संस्था मात्र रह गई । इसके बाद कांग्रेस में कैसे २ परिवर्तन हुए और वह किस प्रकार उग्र संस्था बनी तथा उसने किस प्रकार शान्तिपूर्वक लड़ाई लड़कर देश के लिये स्वाधीनता प्राप्त की, इसका उल्लेख यथावसर किया जाएगा ।



# महान् आत्माओं का उदय राष्ट्र—जागृति ऋषि कल्प दादा भाई नौरोजी ।



कांग्रेस के प्रथम बीस वर्ष वाले काल के प्रमुख राजनैतिक नेताओं में दादाभाई नौरोजी का सर्वोच्च आसन है । इन्होंने भारतीय स्वराज्य का प्रविष्टामह कदा जाता है । कांग्रेस से भी पहले के चाखीस वर्षों में उन्होंने अपने अथक परिश्रम से भारत में सुसंगठित सार्वजनिक जीवन का निर्माण किया, और कांग्रेस की स्थापना के बाद इफकीस वर्ष तक वे राष्ट्रीय भारत के सर्वोपरि नेता रहे । इकसठ वर्ष तक इंग्लैंड में और भारत में, दिन और रात, अनुकूल और प्रतिकूल परिस्थितियों में, समान रूप से, बड़ी बड़ी निराशाओं का सामना करना और दिल न टूटने देना इन्हीं का काम था । दादाभाई नौरोजी ने ऐसे अविचल उद्देश्य के माध, ऐसी पूर्ण निःस्वार्थता के माध, और ऐसे दृढ़ विश्वास के माध मानु-भूमि की सेवा की कि उसे देखकर अधिकांश युवकों को भी लज्जित हो जाना पड़ेगा । वर्षों तक वे इस देश के सार्वजनिक कार्यकर्त्ताओं में सब से अधिक संपन्न वक्ता थे, परन्तु विछले वर्षों में बार बार की निराशाओं के फल-स्वरूप उनके भाषणों में बरबस काफ़ी कटुता आ गई थी । फिर भी इसमें संदेह नहीं कि उनकी आत्मा बड़ी ही कोमल और उदार थी । किसी के यावत वह बुरा विचार रखना नहीं चाहते थे और उनके जीवन भर में उनसे व्यक्तिगत शत्रुता मानने वाला तो कोई नहीं हुआ । दादाभाई नौरोजी ने देश को सबसे पहले स्वराज्य का मंत्र दिया, और और अरसी वर्ष की अवस्था तक वे राष्ट्र सेवा में तन्मय रहे । पराधीनता

के मोहान्धकार में पड़े हुए और उसी में आनन्द माननेवाले अपने अज्ञानी देश बान्धवों के अन्तःकरण का ज्ञान-प्रदीप उन्होंने प्रज्वलित किया। ब्रिटिश की आर्थिक लूट के कारण होने वाली भारत की दरिद्रता पर उन्होंने सबसे पहले प्रकाश डाला। दादाभाई का नाम भारत के इतिहास में अमर रहेगा और वह राष्ट्र को दिव्य प्रेरणा देता रहेगा।

## महादेव गोविंद रानडे

सी० वाई० चिंतामणि के शब्दों में महादेव गोविन्द रानडे का स्थान दादा भाई नौरोजी से उत्तर कर था। रानडे एक महान् समाज सुधारक और राजनीतिज्ञ थे। उन्होंने महाराष्ट्र में एक नवीन चेतना फैलाई और वैध राजनैतिक आन्दोलन को जन्म दिया। लोकमान्य तिलक ने इनके विषय में कहा था—“उस समय पूने की शिथिलता दूर करके उसमें नव-जीवन लाने का, दिन रात विचार करने और अनेक उपायों से उसे पुनः सजीव करने का विक्रम काम सबसे पहले रानडे ने ही किया। उनके कारण पूना वम्बई प्रान्त की “बौद्धिक और राजनैतिक राजधानी” बन गया था।

रानाडे अत्यन्त मेधावी, घोर परिश्रमी और बहुमुखी विद्वत्ता के व्यक्ति थे। वे गभीर विचारक और उत्साही देशभक्त थे। यद्यपि जीवन भर उन्हें सरकारी नौकरी की बाधा रही, फिर भी वे सदा राजनीतिक, धार्मिक और उससे भी अधिक समाज सुधार के कार्य में उत्साह पूर्वक लगे रहे। वे भारतीय अर्थशास्त्र के अधिकारपूर्ण ज्ञाता थे। वे महान् शिक्षाविद् थे, और अपने पास काफी बड़ी संख्या में आते रहने वाले युवकों के गुरु तथा उत्साह दाता थे। इन सब महान् गुणों के होते हुए भी रानाडे बड़े ही संकोची, सीधे सादे, शिष्ट और निरमिमान थे और उनमें वह धार्मिकता और विनम्रता भरी हुई थी जो सच्ची महानता के साथ सदा पाई जाती है। भारत के सार्वजनिक प्रश्नों में दिखचस्पी रखनेवाले विद्यार्थियों को रानडे का भारतीय अर्थ-शास्त्र, धार्मिक तथा समाजिक सुधार और मराठों के उदय सम्बन्धी लेखमालाओं को अवश्य पढ़ना चाहिये।



## सुरेन्द्रनाथ बनर्जी

संग्राम के पूर्व ही सुरेन्द्रनाथ बनर्जी की ग्वालि पारों और फेड गई थी। ई० सन् १८८६ में बलरूप में होनेवाले कांग्रेस के दूसरे अधिवेशन में वे सम्मिलित हुए और थोड़े ही घरे में उनकी गणना देश के मान्य नेताओं में होने लगी। सर हैनरी कॉटन ने अपनी 'नयी भारत' (New India) में लिखा था:—“मुल्तान से लेकर चटगाँव तक सुरेन्द्रनाथ बनर्जी अपनी यागशक्ति से विद्रोह रूढ़ कर सकते तथा उसे दबा सकते थे। दो बार वे कांग्रेस के अध्यक्ष हुए और दोनों बार उन्होंने अपनी स्मरणशक्ति का अद्भुत प्रदर्शन दिया। दोनों बार उनका भाषण काफ़ी लम्बा था। भाषण करते समय उन्होंने उसकी छपी हुई प्रति हाथ में नहीं ली, परन्तु फिर भी उनके मौखिक भाषण तथा छुने हुए भाषण में एक शब्द का भी अन्तर नहीं पड़ा। भारत के कामों से वे बार बार इंग्लैंड गये और प्रत्येक बार उनके भाषणों की बड़ी प्रशंसा हुई।

संग्राम आन्दोलन के विरुद्ध उन्होंने जोर की आवाज़ उठाई। उनके भाषणों ने सारे बंगाल को जागृत कर दिया। वे बंगाल के शेर कहे जाने लगे। अगर यह कदा जाय तो अत्युक्ति-न होगी कि संग्राम के समय वे बंगाल के हृदय-सम्राट् थे। दुःख है कि पीछे जाकर वे नर्म दल के अनुयायी बन गये और नवयुवक बंगाल का नेतृत्व उनके हाथ से निकल गया।

## बाल गंगाधर तिलक

गाँधीजी के पहिले राष्ट्र-जीवन में तिलक का सर्वोच्च स्थान था। वे राष्ट्र के हृदय-सम्राट् थे। उनका सारा जीवन अपने प्रिय राष्ट्र को स्वतंत्र करने के प्रयास में बीता। महामना मालवीय जी ने इस प्रन्धकार द्वारा लिखे हुए “तिलक-दर्शन” नामक ग्रन्थ की भूमिका में लोकमान्य तिलक

का परिचय देते हुए लिखा है:—“पिछले सत्तर वर्षों में हमारे देश में अनेक सुयोग्य देशभक्त नेता हुए हैं, जिनका नाम भारतवासी श्रद्धा और सन्मान के साथ स्मरण करते हैं और करते रहेंगे । इनमें सबसे अधिक आदर के योग्य दादाभाई नौरोजी हैं जिन्होंने साठ वर्ष से ऊपर तक अपने भारतीय भाइयों के मान और कल्याण के लिये लगातार आन्दोलन किया और जिनहोंने आधी सदी के अनुभव के उपरान्त सन् १६०६ की कांग्रेस में देश को यह मंत्र दिया कि स्वराज्य ही हमारे सब राजनैतिक अनादर और हानियों का मारक और सब सुख और सन्मान का एक निश्चित साधन है; और दूसरे अति सन्मानित पुरुष गोपाल कृष्ण गोखले हैं, जिन्होंने देश की पवित्र सेवा में अपने को आहुत कर दिया । किन्तु बिना किसी और देशभक्त का कुछ भी अपमान किये यह कहा जा सकता है कि पिछले बीस वर्षों में भारत की सर्व साधारण जनता में जो मान और महत्व बालगंगाधर तिलक को प्राप्त था वह किसी दूसरी व्यक्ति को नहीं प्राप्त था । पिछले दो वर्षों में जयसे रीजेट ऐक्ट के विरोध में हमारे सन्मानित भाई मोहनदास कर्मचंद गांधीजी ने देश को सत्याग्रह का उपदेश किया और विशेष कर जयसे उन्होंने पंजाब और खिलाफत के संबंध के आन्दोलन में नई जान डाली तब से सर्व साधारण में उनका सबसे अधिक मान और महत्त्व है । किन्तु उसके पूर्व प्रायः बीस वर्ष तक देश में सबसे अधिक सन्मानित पुरुष बाल गंगाधर तिलक ही थे और गांधीजी का महत्त्व बढ़ने पर भी तिलकजी का मान अत्यन्त विशाल बना रहा । उनके परलोक गमन का समाचार सुन कर जिस प्रकार समस्त भारतवर्ष ने शोक प्रकाश किया उससे यह बात निर्विवाद सिद्ध है ।

इस असाधारण मान का क्या कारण था ? वह अनेक कारणों का समवाय था । प्रधान इनमें उनकी गम्भीर, स्वार्थ रहित, भय रहित, धैर्य और असाह्य युक्त अविचल देशभक्ति थी ।

“एक घमं एक शत नेमा । मन यच्च काय देह मं प्रेमा ॥”

इसी भक्ति से उन्होंने चाखीम वर्ग तक देश की अविच्छिन्न सेवा की। बाल गंगाधर तिलक एक ऊँची श्रेणी के विद्वान् थे। इनकी बुद्धि विश-  
ल थी। उनकी वाक् शक्ति बरती ही प्रबल थी, जैसी उनकी लेखनशक्ति  
मौजू थी। बी० ए० एल्ल-एल्ल० बी० की परीक्षाओं को पास कर, बहालात  
करने के अधिकारी होकर एक ऐसे विद्वान्, बुद्धिमान्, स्वतंत्रता प्रिय नव-  
युवक का बहालात के प्रलोभनों से मुँह मोड़कर, निर्धनता से स्वयंवर  
करना, उनके मन के महत्त्व का प्रमाण है।

“साधारण लोगों में ज्ञान का प्रचार करने के लिये तिलकजी और  
उनके साथियों ने “केसरी” और “मराठा” नामक दो पत्र निकाले।  
“मराठा” और “केसरी” के लेख बड़े मौजू और निरर होते थे। उनके  
द्वारा दिन दिन महाराष्ट्र में अधिक जागृति होती गई। प्रजा के हित की  
बातों की प्रबल रीति से प्रकाश करने के कारण और अनेक उपायों से  
प्रजा में एक नये जीवन का सचार करने के कारण तिलकजी दिन दिन  
अधिकारियों की दृष्टि में खटकने लगे। १८६७ में जब ब्लेग के कुप्रबन्ध  
के कारण पूना में एक अंप्रेल मारा गया, तब उनके ऊपर एक राजद्रोह का  
मुकदमा कायम हुआ। उसमें तिलकजी को अठारह महीने की सजा हुई।  
सात अंप्रेजी ज्यूर्म ने उनको दोषी बतलाया और दो हिन्दुस्थानी ज्यूर्स  
ने निर्दोष ठहराया। उनको सजा हुई। इससे सारे भारतवर्ष में उनके साथ  
सहानुभूति हुई, उनका मान महत्त्व अधिक बढ़ा। दूसरी बार तिलकजी  
पर अधिकारियों के प्रोत्साहन से ताई महाराज का मुकदमा हुआ, जिसमें  
उनकी अन्त में विजय हुई। तीसरी बार फिर एक राजद्रोह का मुकदमा  
उन पर सन् १९०८ में दायर हुआ जिसमें उनको छः वर्ष की अति  
कठोर सजा हुई। चौथी बार सतारा के मैजिस्ट्रेट ने उनसे बीस बीस  
हजार की दो जमानतें माँगी, जिसमें भी “हाईकोर्ट” में उनकी विजय  
हुई। इन सब संकटों में तिलकजी का धैर्य अविचल रहा। विरोधी के

सामने अथवा विपत्ति के सामने वे कभी नहीं मुके । सर्व साधारण को विश्वास था कि इन सय मामलों में तिलक महाराज निर्दोष थे और अधिकारियों ने उनकी स्वतंत्रता के दबाने के लिये उन पर ये मुद्दमे कायम किये और उनको कठिन सजा दी गई ।”

“विपत्ति में उन्होंने गीता के “दुःखेष्वनु द्विग्नमनः सुखेषु विगत स्पृहः” स्थितधी मुनि का चर्यन चरितार्थ कर दिखाया । जितनी ही धीरता उन्होंने सकट में दिखाई उतना ही सर्वसाधारण का प्रेम और भक्ति भाव उनमें बढ़ता गया । तिलकजी का सनातन धर्म में प्रेम और अपने देश के प्राचीन गौरव का सदभिमान, उनके रहन सहन की सादगी, उनका स्वार्थ त्याग, उनका पवित्र चरित्र और उनका सुख में भी और सकट में भी अपने जीवन का प्रति क्षण देश की उन्नति के कार्य और विचार में अर्पित करना—इन गुणों ने लाखों प्राणियों के हृदय में उनका बड़ा उंचा आसन बना दिया । गधर्ममंड के प्रतिनिधि उनके शत्रु सर वेल्लटाइन चिरोल ने उनका प्रभाव तोड़ने के लिये जो एक भारी पुस्तक लिखी यह बात भी उनके महत्व बढ़ाने वाली हुई । तिलकजी का पाठित्य गंभीर था । ‘ओरायन’ और ‘वेदों में आर्यों का आर्कटिक होम’ आदि ग्रन्थों से उनकी बड़ी ख्याति हुई थी । किन्तु अन्त की छ. वर्ष की सजा में, जो उन्होंने ‘मगवद् गीता रहस्य’ लिख कर अपना असामान्य पाठित्य प्रकट किया और उसमें अपने देशवासियों को और समस्त जगत को सदा के लिये गीता के लोक परलोक हितकारी उपदेशों से अभ्युदय और निःश्रेयस् साधन करने का उत्कृष्ट मार्ग दिखाया । यह उनका सय से भारी कार्य उनके यश को अनन्त समय तक जगत में जीवित रखेगा । ऐसे बहुगुण सम्पन्न महान् पुरुष संसार में कभी कभी जन्म लेते हैं ।”

महामना मालवीयजी महाराज ने संहित में लोकमान्य तिलक के जीवन के विविध पहलुओं पर बड़ा ही सुन्दर प्रकाश डाला है । वास्तव

“एक धर्म एक मत नेमा । मन यत्र काय देश में प्रेमा ॥”

इसी भक्ति से उन्होंने चालीस वर्ष तक देश की अग्रिमिच्छा सेवा की। बाल गंगाधर तिलक एक ऊँची ध्रेणी के विद्वान् थे। इनकी बुद्धि विषय प्रण थी। उनकी वाक् शक्ति बसती ही प्रबल थी, जैसी उनकी लेखनशक्ति प्रौढ़ थी। बी० ए० एल-एल० बी० की परीक्षाओं को पास कर, वृत्तलात करने के अधिकारी होकर एक ऐसे विद्वान्, बुद्धिमान, स्वतंत्रता प्रिय नव युवक का वृत्तलात के प्रलोभनों से मुँह मोड़कर, निर्धनता से स्वयंवर करना, उनके मन के महत्व का प्रमाण है।

“साधारण लोगों में ज्ञान का प्रचार करने के लिये तिलकजी और उनके साथियों ने “केसरी” और “मराठा” नामक दो पत्र निकाले। “मराठा” और “केसरी” के लेख बढ़े प्रौढ़ और निडर होते थे। उनके द्वारा दिन दिन महाराष्ट्र में अधिक जागृति होती गई। प्रजा के हित की बातों की प्रबल रीति से प्रकाश करने के कारण और अनेक उपायों से प्रजा में एक नये जीवन का संचार करने के कारण तिलकजी दिन दिन अधिकारियों की दृष्टि में खटकने लगे। १८६७ में जब प्लेग के कुप्रबन्ध के कारण पूना में एक अंग्रेज मारा गया, तब उनके ऊपर एक राजद्रोह का मुकदमा कायम हुआ। उसमें तिलकजी को अठारह महीने की सजा हुई। सात अंग्रेजी ज्यूरर्स ने उनको दोषी बतलाया और दो हिन्दुस्थानी ज्यूरर्स ने निर्दोष ठहराया। उनको सजा हुई। इससे सारे भारतवर्ष में उनके साथ सहानुभूति हुई, उनका मान महत्व अधिक बढ़ा। दूसरी बार तिलकजी पर अधिकारियों के प्रोत्साहन से ताई महाराज का मुकदमा हुआ, जिसमें उनकी अन्त में विजय हुई। तीसरी बार फिर एक रोजद्रोह का मुकदमा उन पर सन् १९०८ में दायर हुआ जिसमें उनको छ वर्ष की अति कठोर सजा हुई। चौथी बार सतारा के मैजिस्ट्रेट ने उनसे बीस बीस हजार की दो जमानतें माँगी, जिसमें भी “हाईकोर्ट” में उनकी विजय है। इन सब सक्तों में तिलकजी का धैर्य अविचल रहा। विरोधी के

सामने अथवा विपत्ति के सामने ये कभी नहीं झुके। सर्व साधारण को विश्वास था कि इन सय मामलों में तिलक महाराज निर्दोष थे और अधिकारियों ने उनकी स्वतंत्रता के दधाने के लिये उन पर ये मुकदमे कायम किये और उनको कठिन सजा दी गई।”

“विपत्ति में उन्होंने गीता के “दुःखेषु द्विगमनः सुखेषु विगत स्पृह” स्थितधी मुनि का वर्णन चरितार्थ कर दिखाया। जितनी ही धीरता उन्होंने सकट में दिखाई उतना ही सर्वसाधारण का प्रेम और भक्ति भाव उनमें बढ़ता गया। तिलकजी का सनातन धर्म में प्रेम और अपने देश के प्राचीन गौरव का सदभिमान, उनके रहन सहन की सादगी, उनका स्वार्थ त्याग, उनका पवित्र चरित्र और उनका सुख में भी और सकट में भी अपने जीवन का प्रतिक्षण देश की उन्नति के कार्य और विचार में अर्पित करना—इन गुणों ने लाखों प्राणियों के हृदय में उनका बड़ा ऊंचा आसन बना दिया। गवर्नमेंट के प्रतिनिधि उनके शत्रु सर वेल्सटाइन चिरोल ने उनका प्रभाव तोड़ने के लिये जो एक भारी पुस्तक लिखी यह बात भी उनके महत्व बढ़ाने वाली हुई। तिलकजी का पांडित्य गंभीर था। ‘ओरायन’ और ‘वेदों में आर्यों का आर्कटिक होम’ आदि ग्रन्थों से उनकी बड़ी ख्याति हुई थी। किन्तु अन्त की दृःवर्ष की सजा में, जो उन्होंने ‘भगवद् गीता रहस्य’ लिख कर अपना असामान्य पांडित्य प्रकट किया और उसमें अपने देशवासियों को और समस्त जगत को सदा के लिये गीता के लोक परलोक हितकारी उपदेशों से अभ्युदय और निःश्रेयस् साधन करने का उत्कृष्ट मार्ग दिखाया। यह उनका सष से भारी कार्य उनके यश की अनन्त समय तक जगत में जीवित रहनेगा। ऐसे बहुगुण सम्पन्न महान् पुरुष संसार में कभी कभी जन्म लेते हैं।”

महामत्ता महारज्यश्री महाराज ने अखिल में लोकमान्य तिलक के जीवन के विविध पहलुओं पर बड़ा ही सुन्दर प्रकाश डाला है। वास्तव

में लोकमान्य तिलक भारतीय राष्ट्र के जीवन थे। उन्होंने देश में नवचेतना का संचार कर राष्ट्र की आत्मा को जागृत किया था। राष्ट्र में नवीन शक्ति का प्रादुर्भाव किया था। भारतीय स्वतन्त्रता का दिव्य संदेश दिया था। हम नीचे लोकमान्य तिलक के कुछ वचन उद्धृत करते हैं, जिनमें पाठकों का पता लगेगा कि भारत की स्वतन्त्रता के लिये उनके हृदय में कैसी अग्नि प्रज्वलित हो रही थी।

“स्वराज्य प्राप्त करना मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और उसे मैं प्राप्त करके रहूँगा। जब तक यह भावना मेरे हृदय में जागृत है, तब तक मैं वृद्ध नहीं हूँ। इस इच्छा को शस्त्र छेद नहीं सकता, अग्नि जला नहीं सकती, पानी गला नहीं सकता और हवा उड़ा नहीं सकती। अपन ही घर का प्रबन्ध करना तुम्हारा जन्मसिद्ध अधिकार है। कोई दूसरा उसका अधिकारी तब तक नहीं हो सकता जब तक कि हम ना बालिग या पागल न हों। स्वराज्य प्राप्ति के लिये उद्योग करना ईश्वर के प्रति अपना कर्तव्य पालन करना है। परमात्मा इस समय मेहरबान है और उसने हमें बड़ा अच्छा मौका दिया है। इस समय जरूरत है कि हम आपस के जाति और विचार भेदों को भुला कर आगे बढ़ें और कर्तव्य के मैदान में निर्भय होकर आ बटें। चाहे मेरी निन्दा हो या प्रशंसा, आज मर जाऊँ अथवा नीकरशाही द्वारा कल मारा जाऊँ, मुझे उसकी परवाह नहीं। किन्तु मेरा यह सन्धा उद्देश्य कि—“भारतीय स्वतन्त्र हों, नष्ट नहीं हो सकता। हे जननि भारत! तू ही सब सुखों का भंडार है। संसार में तुम्हारे बढ़कर कोई दूसरा देश नहीं है। मैं मर कर भी यही चाहता हूँ कि तेरी गोद में फिर आऊँ, जब तक मेरे दुःख दूर न हों, तू स्वतन्त्र न हो, तब तक यहीं यह जीवात्मा जन्म ले।”

“अगर स्वराज्य के अधिकार मुसलमानों को, राजपूतों को या छोटी से छोटी या अल्पज जाति को दे दिये जावें तो मुझे कुछ परवाह नहीं। क्योंकि उस समय यह हमारा आपस का मामला रहेगा। इस समय तो

सिर्फ एक ही फिर रहनी चाहिये यह यह कि नौकरशाही के हाथों से अपने हाथों में किस प्रकार सत्ता आ सकती है।”

“आपत्ति से डरना मनुष्यता को खो बैठना है। आपत्तियाँ हमें बड़ा खाभ पहुँचाती हैं। कठिनाइयाँ हमारे हृदय में साहस तथा निर्भीकता उत्पन्न करती हैं, जिनसे सुरक्षित होकर हम भारी से भारी कष्टों का सामना आनन्दपूर्वक कर सकते हैं। वह जाति, वह राष्ट्र, जिसके मार्ग में कष्ट नहीं है, उन्नति नहीं कर सकता। इस लिये हमें कष्टों का स्वागत करना चाहिये।”

“देश के लिये जिसने अपने जीवन को बलिदान कर दिया है, मेरे हृदय मन्दिर में उसी के लिये स्थान है। जिसके हृदय में माता की सेवा का भाव जाग्रत है; वही माता का सच्चा सपूत है। इस नरवर शरीर का ध्वस्त होना ही चाहता है। हे भारत माता के नेताओं और सपुत्रों ! मैं अन्त में आप लोगों से यही चाहता हूँ कि मेरे इस कार्य को उत्तरोत्तर बढ़ाना।”

“राष्ट्र के प्रति अपना कर्त्तव्य जो इस समय हमारे सामने है, इतना महान् और विस्तृत एवं इतना जरूरी है कि मेरी अपेक्षा कहीं अधिक उत्साह और साहस से भारत माता के सब पुत्रों को एक होकर उसका पालन करना चाहिये। यह एक ऐसा कार्य है कि जिसे हम आगे के लिये टाल नहीं सकते। भारत माता हममें से प्रत्येक को पुकार पुकार कर कह रही है “उठो, कमर कसो, और कान में जगजाओ। मेरा कर्त्तव्य है कि मैं आपको प्रार्थना करूँ कि माता की इस पुकार पर आपस का समस्त मतभेद भूल जाओ और राष्ट्रीय आदर्शों की प्रत्यक्ष मूर्ति बन जाने का उद्योग करो। माता के इस कार्य में न स्पर्धा है, न द्वेष है, और न भय है। ईश्वर हमें हमारे उद्योगों का फल प्रदान करेगा, और यदि उस सफलता को हम न भी प्राप्त कर सकें तो यह निश्चय है कि भारत की भावी सन्तान उसे अवश्यमेव प्राप्त कर लेगी।”



उपरोक्त उद्धरणों से पाठकों को लोकमान्य तिलक की स्वराज्य सम्बन्धी तीव्र भावनाओं का ज्ञान हुआ होगा। उन्होंने अपनी अलौकिक प्रतिभा और अपूर्व त्याग भावना से भारत में स्वराज्य की भावनाओं का जोरदार प्रवाह बहा दिया था। लोकमान्य के कट्टर विरोधी सर हेल्लेन टाईन विरोल ने अपनी 'भारतीय अशांति' (Indian Unrest) नामक पुस्तक में लोकमान्य के विषय में लिखा है "If anyone can claim to be truly the father of Indian unrest, it is Bal gangadhar Tilak" अर्थात् यदि भारतीय अशांति का कोई वास्तविक जनक होने का दावा कर सकता है तो वह बाल गंगाधर तिलक है।"

महात्मा गान्धी ने लोकमान्य की प्रशंसा करते हुए लिखा था। "भारत का प्रेम लोकमान्य तिलक के जीवन का आसोच्छ्वास था। उनका धैर्य कभी कम न हुआ और निराशा उनको छू तक नहीं गई। उनके अलौकिक गुणों को धारण करना ही उनका स्मारक है।" श्री अरविंद घोष ने लोकमान्य तिलक को अदाजली देते हुए कहा था — "उन्होंने विन्दु का सिन्धु बनाया और टूटी फूटी अपूर्ण सामग्री से स्वराज्य का एक विशाल भवन तैयार किया।"

वास्तव में लोक मान्य तिलक की तरह अलौकिक और सर्वगामिनी बुद्धिमत्ता रखने वाला महापुरुष सदियों में कहीं एकाध बार जन्म लेता है। वे अनुपम गणितज्ञ थे, कानून के पारदर्शी पंडित थे, राज नीति शास्त्र में तो वे पारंगत ही थे। Orion और arctic Home in the vedas आदि ग्रन्थों ने प्राच्य सशोधक के नाम से उनकी कीर्ति फैला दी। परन्तु उनके गीता रहस्य से इस बात का निश्चय हो जाता है कि उनका पूर्वी और पश्चिमी दर्शन शास्त्रों का अभ्ययन कितना गम्भीर था और उनकी प्रतिभा कितनी व्यापक और सूक्ष्म थी। इस ग्रन्थ ने संसार के साहित्य कोष की अपूर्व वृद्धि की है और लोकमान्य को आधुनिक काल

का आचार्यत्व प्राप्त करा दिया है।

सुप्रसिद्ध पत्रकार श्री सर सी० वाई० चिंतामणी ने अपने "भारतीय राजनीति के अस्सी वर्ष" नामक ग्रन्थ में लोकमान्य तिलक के विषय में विवेचन करते हुए लिखा है:—"लेकिन हर हालत में वे भारत की स्वतंत्रता के झंडे को निर्भीकता से ऊँचा उठाए रहे। जिम श्येक को उन्होंने अपना जीवन अर्पित कर दिया था उसी की पूर्ति में उन्होंने अपना जीवन पूरी तरह खपा दिया। उनके समय का कोई अन्य व्यक्ति उनसे अधिक वाद-विवादों का केन्द्र नहीं बना। परन्तु इतिहासज्ञ को यह बात स्वीकार करनी पड़ेगी कि वे उन मनुष्यों में से एक थे जिन्होंने अपने अदम्य साहस तथा आजीवन सेवा-कार्य से भावी भारत की नींव रखी थी। किसी का उनसे कितना ही मतभेद क्यों न हों, कोई भी जो भारत के राष्ट्रीय आन्दोलन का विचार करेगा, बालगगाधर तिलक को अवश्य स्मरण करेगा और उन्हें नवीन भारत के राष्ट्र-निर्माताओं में निस्संदेह बहुत ऊँचा स्थान देगा।"

इस महान् देशभक्त का ईस्वी सन् १९२० में दसबई में देहावसान हो गया। उस समय सारे भारत में शोक छा गया! सैकड़ों नगरों में हड़तालें और शोक प्रदर्शन हुए! दसबई में लोकमान्य की अर्था के साथ जो जुलूस था वह कई मील लम्बा था। महात्मा गांधी ने उस जुलूस में प्रसुर्पता से भाग लिया था।

### गोपाल गणेश आगरकर

महाराष्ट्र में जिन महापुरुषों ने राजनैतिक और सामाजिक अभ्युदय में सबसे अधिक प्रमुखता से भाग लिया, उनमें श्री गोपाल गणेश आगरकर का आसन बहुत ऊँचा है। प्रारम्भ में वे लोकमान्य तिलक के सहयोगी थे, पर शीघ्र जाकर युद्ध विषयों में दोनों में मत भेद हो गया। वे दोनों महाराष्ट्र प्रदेश में स्वायत्त प्रस्थापित करने के विषय में एक मत थे।

विदेशी सत्ता से होनेवाले राष्ट्रीय पतन में दोनों ही सम दुःखी थे। पर कुछ विषयों में दोनों में मतभेद था। लोकमान्य तिलक विशुद्ध भारतीय संस्कृति के पक्ष में थे, और वे उसी के आधार पर स्वराज्य का भवन निर्माण करना चाहते थे। श्री आगरकर भारतीय संस्कृति के समर्थक होते हुए भी वे पाश्चात्य संस्कृति के विरोधी नहीं थे। उनका विचार था कि पाश्चात्य संस्कृति में रहे हुए सुन्दर तथ्यों को भारतीय संस्कृति में मिला कर उसे समृद्धिशाली बनाया जाय। श्री आगरकर के मतानुसार जीवित संस्कृतियों के सम्पर्क से भारतीय संस्कृति को अटूता न रक्खा जाय। जो कुछ अन्य संस्कृतियों में उत्कृष्ट तत्व हैं उन्हें ग्रहण कर धारमसात् करने में कतई संकोच न किया जाय। विचार स्वातन्त्र्य को प्रधानता दी जाय और जहाँ परम्परागत भावनाओं और युक्तिवाद में संघर्ष हो वहाँ युक्तिवाद को स्वीकार किया जाय।

श्री आगरकर समाज सुधारक के भी कट्टर पक्षपाती थे। ईस्वी सन् १८८८ के पहले वे केसरी के सम्पादक थे और उस समय उन्होंने प्रगतिशील राष्ट्रीयता ( Progressive nationalism ) और समाज सुधार के लिये जोरदार आवाज उठाई थी। ईस्वी सन् १८८८ में उन्होंने सुधारक नाम का दूसरा पत्र प्रकाशित किया। उसमें भारतीय समाज सुधार पर गम्भीर और जोरदार लेख प्रकाशित होते थे। जिन कारणों से जिन सामाजिक बुराइयों से हिन्दू समाज निर्मल और जर्जरित हो गया है, उनके खिलाफ उन्होंने अपने पत्र में बड़ा जोरदार आन्दोलन उठाया था। उनके लेखों में प्रगाढ़ विद्वता, भारतीय समाज की स्थिति का गम्भीर विश्लेषण, समाज निर्माण के उपयुक्त सुझाव रहते थे। वे बड़ी निडरता से सामाजिक बुराइयों पर प्रकाश डालते थे। स्त्री पुरुषों की समानता, स्त्रियों की उच्च शिक्षा, प्रेम विवाह, विधवा विवाह, अछूतों दार आदि विषयों के पक्ष में उन्होंने अपनी जोरदार खेल्नी उठाई, और प्रबल सामाजिक आन्दोलन आरम्भ किया। श्री आगरकर की प्रबल

अभिलाषा थी कि हमारा राष्ट्र एक महान राष्ट्र हो और अन्य संसार उसे आदर के साथ देखे। श्री आगरकर ने अपने एक लेख में जो महान् विचार प्रकट किये थे उनका सारांश हम नीचे देते हैं।

“हमारे प्राचीन ऋषियों की तरह हमें भी नई प्रथाओं और रिवाजों को जन्म देने का अधिकार है। हमारे प्राचीन आचार्यों की तरह, ईश्वर की कृपा से, हम भी हमके अधिकारी हैं। हमें भी सत्य और असत्य जानने की परमात्मा ने बुद्धि दी है। हमारे हृदय अछूत भाईयों की दयनीय दशा को देखकर पसो जते हैं। विश्व संबंधी हमारा ज्ञान हमारे पूर्वजों से अधिक है। इसलिये हम उन्हीं प्रथाओं और उन्हीं आद्याओं को स्वीकार करेंगे जो हमारे समाज के लिये हितकारक होगी और हानिकारक प्रथाओं की जगह पर समाज-कल्याण कारी प्रथाओं को प्रस्थापित करेंगे। इसी विचारधारा को लेकर हम सुधार के पथ पर आगे बढ़ेंगे।” उपरोक्त वाक्यों में श्री आगरकर की प्रगतिशील भावना का दिग्दर्शन होता है। धीयुत आर० जी० प्रधान महोदय ने अपने ‘Indian Struggle for Swaraj’ नामक ग्रन्थ में लिखा है; “दूसरे प्रान्त की अपेक्षा सामाजिक सुधार में अगरे महाराष्ट्र ने अधिक प्रगति की थी उसका कारण आगरकर के लेख थे। श्री आगरकर भारतवर्ष के राष्ट्रीय आन्दोलन में बुद्धिवादी और प्रगतिशील तत्वों का प्रतिनिधित्व करते थे।”

### गोपाल कृष्ण गोखले

श्री गोखले महोदय की राजनैतिक विचार धारा यद्यपि लोकमान्य तिलक से भिन्न थी, पर इसमें सन्देह नहीं कि वे भी भारतीय राष्ट्र के एक महान् सेवक थे। आचार्य जावदेकर महोदय ने अपने “आधुनिक भारत” नामक ग्रन्थ में लिखा है:—“ईस्वी सन् १८६७ से अगले बीस वर्ष का आधुनिक भारत का इतिहास गोखले और तिलक इन दो महाराष्ट्रीय नेताओं के नेतृत्व में काम करने वाले दो अलिख

भारतीय राजनैतिक पक्षों का इतिहास है, ऐसा कहने में कोई च्युक्ति नहीं है।" महारामा गाँधी माननीय श्री गोखले को अपना राजनैतिक गुरु मानते थे। उन्होंने अपनी आत्मकथा में गोखले की महान् देश सेवाओं की बड़ी प्रशंसा की है। महारामाजी उन्हें बड़ी श्रद्धा की निगाह से देखते थे।

गोखले महोदय का जन्म ईस्वी सन् १८६६ में रत्नागिरी जिले में हुआ। इनके माता पिता अत्यन्त गरीब थे। आपके बड़े भाई ने धारकी शिक्षा का प्रबन्ध किया। १८ वर्ष की उम्र में आपने बी० ए० की उपाधि प्राप्त की। उनकी छात्रावस्था निर्धनता और कठिनाई में बीती। उनकी अलौकिक प्रतिभा ने शीघ्र ही अपना प्रकाश फैलाना शुरू किया।

यद्यपि गोखले में इतनी योग्यता थी कि वे जीवन में बड़े से बड़ा पद प्राप्त कर सकते थे, परन्तु बीस वर्ष की अवस्था पूरी होने के पूर्व ही उन्होंने गरीबी और त्याग का जीवन व्यतीत करने का निश्चय कर लिया। उन्होंने अपने जीवन के बीस वर्ष पूना के फर्ग्युसन कॉलेज की सेवा में दिये। इस महान् सेवा के लिये वे केवल नाम मात्र के लिये ७५) रु० मासिक लेते थे। गोखले महोदय के कारण इस कॉलेज की बड़ी प्रगति हुई। आपने इस कॉलेज के लिए बड़े परिश्रम से चन्दा इकट्ठा किया और उसकी नींव दृढ़ की।

गोखले महोदय ने महान् देश भक्त रानडे महोदय की शिष्यता स्वीकार की। श्रीमान् श्री निवास शास्त्री अपने अंग्रेजी ग्रन्थ "Life of Gopal Krishna Gokhale" में लिखते हैं.—"Ranade was great in every sense of the word and for fourteen years, Gokhale had the unique privilege of sitting at his feet, learning the great things of the world and profiting by the example of his experience, knowledge and industry" "हर दृष्टि से रानडे महान् थे।

चौदह वर्ष तक गोखले को रानडे के पैरों में घैठ कर ससार की महान् वस्तुओं का ज्ञान प्राप्त करने का और उनके अनुभव, ज्ञान और उद्योग के उदाहरण से लाभान्वित होने का असाधारण अत्रण प्राप्त हुआ।”

रानडे की प्रेरणा से गोखले ने पूना की सार्वजनिक सभा का मन्त्रि-व्यवस्थापक क्रिया और वे उक्त सभा से निकलनेवाले त्रैमासिक पत्र का सम्पादन करने लगे। इसी अर्थ में आपने आगरकर के सुधारक पत्र में भी समाज सेवा पर लेख लिखना शुरू किया। इसके दो वर्ष बाद ही गोखले भारतीय राष्ट्रीय महासभा (Indian National Congress) के सेक्रेटरी हो गये। दिन ब दिन श्री गोखले की प्रतिभा चमकने लगी। ईस्वी सन् १८९६ में लॉर्ड वेल्बी की अध्यक्षता में लन्दन में एक कमीशन मुकर्रर हुआ। उसका उद्देश्य भारत की आर्थिक अवस्था की जाँच करना था। भारत से होम चार्जेज आदि के रूप में इग्लैंड करोड़ों रुपया शोषण करता था। इस कमीशन के सामने गवाही देने के लिये बंगाल से मि० सुरेन्द्रनाथ बनर्जी, बम्बई से मि० वाछा और मद्रास से मि० सुब्रह्मण्य अत्यर गये थे। श्री रानडे और श्री जोशी ने पूना की ओर से नवयुवक गोखले को गवाही देने के लिये लन्दन भेजा। उन्होंने भारत के आर्थिक हित को ध्यान में रखते हुए जिस अपूर्व योग्यता से गवाही दी, उसका प्रभाव लन्दन के राजनैतिक क्षेत्रों में बहुत अधिक पड़ा। सर विलियम वेडरबर्न महोदय ने श्री गोखले के मुकाम पर आकर कहा “You have done most splendidly. Your evidence will be much the best on our side. Let me congratulate you on the signal service which you have rendered to your country. Our minority report will be based practically on your evidence” अर्थात् आपने अपना काम सर्वोत्कृष्ट रूप से किया। आपकी गवाही हमारे पक्ष में सबसे अच्छी रही। आपने अपने देश की

जो महान् सेवा की है। उसके उपलक्ष्य में मैं आपका अभिनन्दन करता हूँ। हमारी अल्पमत की रिपोर्ट (Minority Report) आपकी गवाही पर निर्भर रहेगी।” चांगे चलकर मि० वेदरबर्न ने यह भी कहा कि कमीशन-के अध्यक्ष लॉर्ड वेल्बी और धर्मोत्तम दादा भाई नौरोजी आपकी गवाही से अत्यन्त प्रसन्न हुए हैं।

मि० केन (Caine) नाम के एक अंग्रेज सज्जन ने मि० गोखले को अपने एक पत्र में लिखा था।

“I have spent about seven hours in a careful study of your evidence. Permit me to say that I have never seen a cleverer or more masterly exposition of the views of an educated Indian reformer on all the subjects dealt with. And though I do not agree necessarily with all your views, it must of necessity have very great weight with the Commission. You and Wacha have rendered splendid and unique service to your country, for which your country men ought to be ever grateful.”

“अर्थात् मैंने आपकी गवाही के ध्यानपूर्वक अध्ययन में लगभग सात घंटे व्यतीत किये और उससे मैं यह कहता हूँ कि सब सम्बन्धित विषयों पर एक शिक्षित भारतीय सुधारक ने जिस योग्यता और दक्षता से प्रकाश डाला वह अपूर्व और अद्वितीय था। यद्यपि मैं आपके सब विचारों से सहमत नहीं हूँ, पर मैं यह कह सकता हूँ कि आपकी गवाही का कमीशन पर बहुत अधिक प्रभाव पड़ेगा। आपने और चाङ्गा ने अपने देश की अपूर्व सेवा की है जिसके लिये आपके देश वासी आपके सदा कृतज्ञ रहेंगे।”

भारत की व्यवस्थापिका सभा में (Indian Legislative

Assembly) उनकी योग्यता की बड़ी धाक थी। अपनी मेम्बरी के प्रारम्भिक चार वर्ष तक तो वे लॉर्ड कर्जन जैसे योग्य व्यक्ति से प्रायः झकेले ही युद्ध करते रहे। स्वभावतः एक हठी साम्राज्यवादी तथा एक निर्भीक देशभक्त के पारस्परिक संबंध सदा स्नेहपूर्ण नहीं रह सकते थे, फिर भी लॉर्ड कर्जन के हृदय में उनके प्रति परम प्रशंसा तथा सम्मान का भाव था। एक बार उन्होंने मि० गोखले को पत्र में लिखा था कि:—“परमात्मा ने आपको असाधारण योग्यता प्रदान की है और आपने उसे सनम रूप से देश की सेवा में अर्पित कर दिया है।” आज भी ऐसा कोई सार्वजनिक प्रश्न कठिनता से ही मिलेगा जिसके समझने में हमें मि० गोखले के किसी न किसी भाषण से कुछ प्रकाश न मिल सकता हो। वे देश के कार्य से कई बार इल्लैड गये थे और वहाँ के सार्वजनिक कार्यकर्ताओं पर उनका ऐसा प्रभाव पड़ा कि एक बार ‘नेशन’ के महान् संपादक मि० मैसिघम ने कहा था कि गोखले की समझकता का बुद्धिमान राजनीतिज्ञ कोई इल्लैड में भी न था और निस्संदेह वे मि० एरिक्थ से भी महान् थे। देश-सेवा के अन्य अनेक कार्यों के अतिरिक्त मि० गोखले का एक कार्य भारत सेवक समिति की स्थापना थी, जिसके आदर्श से और ऊँचा आदर्श हो नहीं सकता। उसका ध्येय था:—‘मातृभूमि के प्रति ऐसी गंभीर तथा हार्दिक भक्ति कि जिसका विचार ही मनुष्य को उत्साह से भरदे।’ ये शब्द मि० गोखले ने भारत सेवक-समिति की स्थापना के छः मास पश्चात् कांग्रेस के काशीवाले अधिवेशन में सभापति के आमन से कहे थे। कांग्रेस के अध्यक्ष बनाये जाने के समय उनकी अवस्था केवल ३६ वर्ष की थी। इतनी कम अवस्था में कोई अन्य व्यक्ति कांग्रेस का अध्यक्ष नहीं हुआ था। फिर भी कांग्रेस के सबसे अधिक बुद्धिमान तथा सबसे महान् अध्येषों में उनका स्थान है। गोखले महोदय के राजनैतिक विचारों से कोई सहमत हो या न हो, पर यह निर्विवाद है कि वे महान् देशभक्त थे। देश की भावना उनके रोम रोम में थी,



वे हरवक्त और हर स्थिति में देश की यात मोचने और देश के क्लिये परिधम करते थे। उनका हृदय विशाल था और वे अपने विरोधी के गुणों की भी प्रशंसा करते थे। उन्होंने प्रयाग में भारत सेवा समिति नामक एक महान संस्था स्थापित की जिसमें माननीय श्री श्रीनिवास शस्त्री तथा पं० हृदयनाथ कुँजरू जैसे महान् देशभक्त व्यक्तिसम्मिलित हुए थे। इस समिति की प्रस्तावना में माननीय गोखले महोदय ने, जो ध्यान लिखे हैं वे प्रत्येक देशभक्त और देश के क्लिये कार्य करनेवाले मज्जनों को अपने हृदय-पटल पर अंकित कर लेना चाहिये।

“अब समय आ गया है कि हमारे देशवासी यथेष्ट संख्या में देश के कार्य में उसी भावना से लग जायँ जिस भावना से धर्म का कार्य किया जाता है। देशप्रेम में हमारा हृदय इस प्रकार भर जाना चाहिये कि उसकी तुलना में और कोई भी वस्तु तुच्छ जचने लगे। ऐसा ठरसाइ पूर्य देशप्रेम जो मातृभूमि की सेवामें त्याग का अक्सर प्राप्त होने पर आनन्द का अनुभव करे, ऐसा निर्भीक हृदय जो कठिनाई अथवा संकट में भयभीत होकर अपने ध्येय से हटना न जानता हो, ईश्वरेच्छा में ऐसा दृढ़ विश्वास जिसे कोई भी वस्तु न हिला सके, इन साधनों से सुसज्जित होकर कार्यकर्ता को अक्सर होना चाहिये और अर्द्धा पूर्वक उस आनन्द की खोज करनी चाहिये जो मातृभूमि की सेवा में अपने को खपा देने से प्राप्त होता है।”

महात्मा गाँधी ने दक्षिण अफ्रीका-पवासी भारतवासियों की अधिकार-रक्षा के क्लिये जो महान् आन्दोलन उठाया था उसमें गोखले ने हार्दिक सहयोग दिया था। उन्होंने भारतवर्ष के इस छोर से लगा कर उस छोर तक दौरा कर प्रभावशाली व्याख्यानो द्वारा महात्मा गाँधी और उनके आन्दोलन के पक्ष में खोजमत तैयार किया था। ईस्वी सन् १९१४ में इस महान् देशभक्त का स्वर्गवास हो गया। स्मरण भूमि में स्वर्गीय आत्मा के प्रति अर्द्धाजली अर्पण करते हुये लोकमान्य तिलक ने

इस महान् देशभक्त के जीवन का अनुकरण करने के लिये लोगों से अपील की थी ।

## मदन मोहन मालवीय जी

जिन महान् आत्मार्यों ने अपना सारा जीवन अपने प्रिय देश की सेवा में अर्पण किया, उनमें महामना प० मदनमोहन मालवीय जी का नामन बहुत ऊँचा है । महात्मा गाँधी तक उन्हें अत्यन्त श्रद्धा की दृष्टि से देखते थे और उन्हें अपना बड़ा भाई मानते थे । यद्यपि महात्मा गाँधी और मालवीयजी में राजनैतिक मतभेद था, पर मालवीयजी की महान् सेवाओं की, उनके साधु जीवन की, उनके अलौकिक त्याग की महात्माजी वही प्रशंसा किया करते थे । प० जवाहरलाल जी नेहरू ने अपनी "आत्मकथा" में लिखा है कि मालवीयजी से मतभेद रखनेवाले लोग भी मालवीयजी के साधु चरित्र के कारण उन्हें वही श्रद्धा (Reverence) की दृष्टि से देखते थे ।

मालवीयजी महाराज का जीवन त्याग, तपश्चर्या और देश सेवा का एक लम्बा इतिहास है । दया, सौजन्य, कोमलभाव और मधुरता आदि महान् गुण तो उनके जीवन के अंग बन गये थे । गरीब से गरीब आदमी की उन तक पहुँच थी और वे उसकी सेवा के लिये तत्पर रहते थे । मालवीयजी देश के लिये जीये और देश के लिये मरे ।

अपनी युवक अवस्था से मालवीयजी ने देश सेवा का घत ग्रहण किया और आज-म तक वे अपने प्यारे देश की सेवा करते रहे । दो बार वे कांग्रेस के अध्यक्ष हुए और दिल्ली कांग्रेस के अन्तिम भाषण में उन्होंने हिन्दू मुस्लिम एकता के लिये जो मर्मस्पर्शी अपील की उससे पंडाल में उपरिपत जनता के हृदय द्रवीभूत हो गये थे और हजारों की आंखों में आंसुओं की धाराएँ बह रहीं थीं ।

मालवीयजी हिन्दी के अनन्य प्रेमी थे । उन्होंने दो वक्त हिन्दी साहित्य

सम्मेलन के पद को सुशोभित किया। उनका स्पष्ट मत था कि हिन्दी ही राष्ट्र भाषा होने के योग्य है।

मालवीयजी एक सच्चे ब्राह्मण थे। उनका जीवन ऋषि तुल्य था। भारतीय संस्कृति के वे अनन्य उपासक थे। हिन्दू धर्म की आत्मा को उन्होंने भली प्रकार समझा था। संस्कृत के वे अच्छे विद्वान् थे। भारत के उच्च श्रेणी के वक्त्रों में उनकी गणना थी। द्वेष और अभिमान उनके पास फटकने तक न पाते थे। शत्रुओं से भी प्रेम करने की उनकी भावना थी। मालवीयजी महाराज ने देश को अनेक समस्याएँ प्रदान की हैं, जिनमें काशी का हिन्दू विश्वविद्यालय सबसे महान् है। यह मालवीयजी के जीवन की महानता का धमर स्मारक है।

### भारत हितैषी अंग्रेज

अंग्रेजों ने भारत को जिस प्रकार दासता की शृंखला में फँसाया था, उसका उल्लेख हम गत पृष्ठों में कर चुके हैं। इतने पर भी यह स्वीकार करना पड़ेगा कि कुछ विशाल हृदय अंग्रेज भारत के हितैषी थे। उन्होंने भारत के साथ सदा सहानुभूति का व्यवहार रखा और भारत की आकांक्षाओं के लिये आवाज भी उठाई। इनमें मि० ह्यूम, रस विक्रियम पेडरवर्न, सर हेनरी कॉटन और मि० डिंग्घी का नाम विशेष उल्लेखनीय है। आधुनिक युग में महामना एन्ड्रूज की भारत-सेवाओं से तो आधुनिक भारतीय समाज भली प्रकार परिचित है। महामा गांधी और विश्वकवि रवीन्द्रनाथ का तो आपके साथ दायीय संबंध था। एन्ड्रूज की महामाजी बड़े प्रेम से चालीं कहते थे। प्रवासी भारतियों के लिये एन्ड्रूज महोदय ने जो कुछ किया उसे भारतवासी सदा कृतज्ञता के साथ स्मरण करेंगे।

सर विक्रियम पेडरवर्न अपने को भारत का सेवक मानते थे। भारतवासी भी उन्हें अपना हितैषी मानते थे। उन्होंने बम्बई प्रान्त में एक

सिविलियन की हैसियत से सरकारी नौकरी की। इस अर्थ में भारतवासियों के साथ उनका व्यवहार अत्यन्त सहानुभूतिपूर्ण रहा। पेंशन लेने के बाद ये २६ वर्ष तक जीवित रहे और यह सारा समय उन्होंने भारत की सेवा में बिताया। कहा जाता है कि उन्हें एक हजार पींड सालाना की जो पेंशन मिलती थी, उसका अधिकांश भाग वे भारत के काम में खर्च करते थे। भारतवासियों ने भी इस उपकार का बदला उन्हें ईसवी सन् १८८६ में बम्बई वाली कांग्रेस का अध्यक्ष पद प्रदान कर चुकाया। श्री रानडे महोदय ने मि० गोखले से कहा था कि जितने अंग्रेजों से उनका परिचय हुआ था, उनमें कोई ऐसा नहीं था जिस की वैडरबर्न से तुलना की जा सकती हो। सर सुरेन्द्रनाथ बनर्जी ने उनकी प्रशंसा करते हुए कहा था कि अंग्रेज कर्मचारी के वेप में वे सचमुच एक भारतीय देशभक्त हैं। मि० गोखले सर विलियम वैडरबर्न को अपने पिता की तरह मानते थे। सर वैडरबर्न को श्रद्धाञ्जली अर्पण करते हुए श्री गोखले ने कहा था:—“आधुनिक युग के इस महान् और आदरणीय ऋषि का चित्र इतना पवित्र, इतना सुन्दर और इतना उदात्त—प्रद है कि उसका शब्दों द्वारा वर्णन नहीं हो सकता। वह ऐसा चित्र है जिस पर प्रेम और श्रद्धापूर्वक विचार किया जाय और मौन—पूर्वक मनन किया जाय।”

सर वैडरबर्न के अतिरिक्त और भी कई भारत हितैषी अंग्रेज हुए हैं, जिनमें कांग्रेस के जनक मि० ह्यूम, सर हेनरी कॉटन, ( छापको भारतीय कांग्रेस के सभापति होने का गौरव प्राप्त हुआ था ), मि० सैमुअल स्मिथ मि० हरबर्ट रायट्स, मि० विलियम डिग्बी आदि के नाम विशेष उल्लेखनीय हैं। आगे चल कर और भी कुछ ऐसे अंग्रेज महानुभाव हुए हैं जिन्होंने भारत की सेवाएँ कीं हैं और जिनका उल्लेख यथावसर होगा।

# भारतवर्ष में धार्मिक और सामाजिक जागृति

आर्य समाज

स्वामी दयानन्द

राजनैतिक जागृति के साथ उस समय धार्मिक और सामाजिक जागृति को भी एक जबरदस्त लहर आई। राजा राममोहनराय और उनके प्रभु समाज के सम्बन्ध में हम गत पृष्ठों में प्रकाश डाल चुके हैं। यहां हम एक ऐसी धार्मिक जागृति पर कुछ पत्तियां खिपाना चाहते हैं जिनसे भारतवर्ष के धार्मिक और सामाजिक जीवन में क्रांति कारक परिवर्तन करने की चेष्टा की। इस महान् धार्मिक और सामाजिक जागृति के जनक स्वामी दयानन्द थे।

स्वामी दयानन्द का जन्म कठियावाड़ के मोरबी राज्य के एक गांव में, माहण कुल में, हुआ था। शिवरात्री के दिन शिवजी की मूर्ति पर चूड़े की हरकत को देखकर बालक दयानन्द के हृदय में मूर्तिपूजा के विरुद्ध जोरदार विद्रोह की भावना उत्पन्न होने लगी। स्वामी दयानन्द का पूरा नाम मूलशंकर था। इनके पिता शिवजी के परम भक्त थे। बालक मूलशंकर ने मूर्तिपूजा के विषय में तत्कालीन घटना को लेकर प्रश्न करना शुरू किया। पिता ने पुत्र के समाधान करने की बड़ी चेष्टा की, पर वे असफल रहे। मूलशंकर कुछ दिनों के बाद सत्य ही खोज में

बाहर निकल पड़े और वे श्रावू, अरवली, गढ़वाल इत्यादि पर्वतों में घूम कर ऐसे गुरु की खोज करने लगे, जो उन्हें सत्य तत्त्व का ज्ञान दे सके। उन्होंने इस खोज में सहस्रों कोसों की पैदल यात्रा की। इस समय उन्होंने ऐसे ऐसे कष्ट भोगे जिनका वर्णन नहीं किया जा सकता। उनसे पैर छालों से छलनी हो गये। उनका बंगा शरीर कांटों से लहू-लुहान हो गया। गढ़वाल के पर्वतों में अलखनन्दा नदी में एक बार वह हिम की अत्यधिक असह्य ठंडक के कारण बेसुध होकर गिर पड़े! पहाड़ी लोग आपको वहां से उठाकर लाये और किसी प्रकार आपकी प्राण रक्षा के हेतु बने। वे खुले मैदानों में सोये। हिंसक पशुओं से भरे हुए गहन और मयानक बनों में वृक्षों की शाखाओं पर बैठ कर रातें बिताईं। वन के फल-फूल और कन्द मूल खाकर पद की ज्वाला बुझाई। इतना होने पर भी उन्हें कोई सच्चा गुरु व प्रथ प्रदर्शक न मिला।

अखिर छत्तीस वर्ष की उम्र में आपको पता चला कि मथुरा में स्वामी विरजानन्द नाम के अस्सी वर्ष के एक वृद्ध और प्रज्ञाचतु सन्यासी रहते हैं, जो संस्कृत, व्याकरण के प्रकांड विद्वान् होने के साथ साथ वेदों के भी अद्वितीय ज्ञाता हैं। दयानन्द वहां पहुँचे और उन्होंने उक्त सन्यासी जी के सामने अपने हृदय की अभिलाषा प्रकट की। स्वामी विरजानन्द उन्हें पढ़ाने लगे। स्वामी विरजानन्द से नवयुवक दयानन्द ने वेदों का अध्ययन किया और योग की क्रियाएं भी सीखीं। जब आपका विद्याध्ययन समाप्त होगया तब आपने अपने पूज्य गुरुने निवेदन किया कि "गुरु धर्म! मेरे पास अपने आपको छोड़कर और कुछ भी नहीं है, जो मैं आपके चरणों में अर्पण कर सकूँ। आप मुझे क्या आज्ञा देते हैं?" इस पर स्वामी विरजानन्द ने कहा.—"तब तुम अपने आपको ही गुरु दक्षिणा रूप में मेरी भेट चढ़ा दो। मैंने जो विद्या तुम्हें प्रदान की है उसको सफल करो। संसार वेदों की शिष्टा को भूल बैठा है, तुम फिर उसी शिष्टा का नये सिरे से प्रचार करो। एक बार फिर उन्हीं वेदों का डंका बजाओ।

अज्ञान के अंधकार को नष्ट करके ज्ञान की ज्योति का प्रकाश करो। आर्य जाति की विगढ़ी हुई दशा को सुधारो। निन्द्य रीतियाँ और हानिकार कुप्रथाएँ दूर करो। घरदार से सुख मोद लो। खुले मैदान तुम्हारे घर हों। भूमि को पलंग बनाओ और पत्थरों को तन्त्रियाँ जानो। अपना तन मन प्राण होम कर आर्य जाति का उद्धार करो। भारत देश का कल्याण करो। यस, मुझे यही गुरु दक्षिणा चाहिये। सांसारिक सुख-ऐश्वर्य अधवा धन रत्न की मुम्हको कामना नहीं है।" इस पर स्वामी दयानन्द का दिव्य भर आया और वे हाथ जोड़ कर अपने गुरु से निवेदन करने लगे।

"भेरे परम पूज्य, श्रद्धास्पद गुरुदेव ! दयानन्द अपने तन, मन, प्राण की दक्षिणा आपके घरणों पर चढ़ाता है। आशीर्वाद दीजिये कि मैं सफल मनोरथ होऊँ !" गुरु विरजानन्दजी ने आपको आशीर्वाद दिया और स्वामी दयानन्द वैदिक संस्कृति का संदेश लेकर बाहर निकल पड़े। उन्होंने धूम्रांधार प्रचार करना शुरू किया। भारतवर्ष में फैले हुये मिथ्या विवाहों और रूढ़ियों के खिलाफ उन्होंने बड़े जोर से आवाज़ उठाना शुरू की। उन्होंने भारतवासियों को वेदों का संदेश दिया और उन्हें मानव ज्ञान का आदि स्रोत घोषित किया। भारतीय संस्कृति और भारतीय सम्यता ही मानव जाति का कल्याण कर सकती है, इस बात का उपदेश वे अपने ध्यालयों में देने लगे। मूर्ति तथा अन्य प्रकार की जड़ पूजाओं के खिलाफ उन्होंने विद्रोह की उठाई। भारत में फैले हुये असह्य जातिभेदों के खिलाफ उन्होंने युद्ध घोषणा की। विधवा विवाह के पक्ष में जोरदार आवाज़ उठाकर उन्होंने एक महान् सामाजिक सुधार की नींव रखी। स्त्रियों और शूद्रों पर होनेवाले अत्याचारों के खिलाफ उन्होंने जयरदस्त शोक-भावना उत्पन्न की। उन्होंने अनेक देवी देवताओं के बदले सिर्फ एक निरजन निराकार ईश्वर की पूजा करने का आदेश दिया। उन्होंने भारतवासियों में राष्ट्रीयता के भाव भरे और स्वराज्य का मंत्र दिया। उन्होंने यह दिखलाया कि भारतवासी केवल सुराज्य नहीं चाहते, पर वे

स्वराज्य चाहते हैं। स्वराज्य ही वैदिक संस्कृति का आदेश है और हरेक देश के निवासियों का यह अधिकार है कि वे अपने देश का शासन आप संचालित करें। इसके अतिरिक्त स्वामी दयानन्द ने पुरुष और स्त्रियों के समान अधिकारों की घोषणा की।

भारतवर्ष में ज्ञान की ज्योति चमकाने के लिये - वैदिक संस्कृति का प्रकाश फैलाने के लिये - और एक सुसंस्कृत समाज स्थापित करने के लिये स्वामीजी ने देश के सामने एक बड़ी योजना रखी। ईस्वी सन् १८७५ में बम्बई में स्वामीजी ने आर्य-समाज की स्थापना की, जिसके उद्देश्य वैदिक संस्कृति का प्रचार, जातिभेदों का नाश कर कर्मानुसार वर्णाश्रम पद्धति की स्थापना, श्रद्धातोद्धार, और राष्ट्र में स्वराज्य की स्थापना आदि थे।

जिन सामाजिक और धार्मिक कारणों से भारतवर्ष का पतन हुआ, उनको नाश करने में स्वामी दयानन्द ने बड़े जोर का प्रहार किया और उन्होंने भारतवर्ष में जो धार्मिक और सामाजिक क्रान्ति की उसने उस भूमिका को तैयार किया जिस पर आज स्वराज्य की इमारत खड़ी की जा रही है। भारतवर्ष के राष्ट्र निर्माताओं में स्वामी दयानन्द का नाम अपना विशेष स्थान रखता है।

भारतवर्ष के सड़े गले समाज को स्वामी दयानन्द ने एक नवीन शक्ति और नवीन संदेश से सजीव किया। चाहे कोई स्वामीजी के धार्मिक और सामाजिक विचारों से सहमत हों या न हों पर राष्ट्र और समाज उत्थान के लिये उन्होंने जो महान् कार्य किया, उसे इतिहास गौरवशाली शब्दों में स्मरण करेगा।

॥ स्वामी रामकृष्ण परमहंस ॥

जिस समय स्वामी दयानन्द अपनी मिशन का प्रचार कर रहे थे उन्हीं दिनों यद्वाक में एक महान् आत्मा का उदय हो रहा था, जिसका नाम



धी रामकृष्ण परमहंस था। धी रामकृष्ण परम हंस बड़े सीधे साधे साधु थे। नाम मात्र की शिक्षा उन्होंने प्राप्त की थी, पर उनकी आत्मा में एक ऐसी ज्ञान-ज्योति प्रज्वलित हो रही थी जिसने कई बड़े २ हृदयों में प्रकाश डाला। स्वामी रामकृष्ण सांग्रदायिक मतभेदों से बहुत ऊपर उठे हुए थे। आत्मसाक्षात्कार द्वारा अध्यात्मशक्ति का विकास कर माननी एकता का संदेश देना, यह उनकी मिशन का प्रधान उद्देश्य था। पंडित जवाहर लालजी नेहरू ने इनकी असाधारण व्यक्तित्व, चरित्र और आकर्षण शक्ति की बड़ी प्रशंसा की है और यह भी लिखा है कि पाश्चात्य ज्ञान से शिवित मनुष्य भी उनसे बहुत प्रभावित होते थे। ❀

स्वामी रामकृष्ण सर्वज्ञ धर्मों की एकता के समर्थक थे। उनके विचारानुसार सर्वज्ञ धर्मों का अन्तिम उद्देश्य एक ही है, और यह वह परम तत्त्व है जो सारे विश्व में व्याप्त है और जिसका दिव्य प्रकाश तथा जिसकी दिव्य मत्ता विश्व का आदि कारण है।

स्वामी विवेकानन्द आपकी अध्यात्मिक शक्ति से इतने प्रभावित हुए कि वे उनके शिष्य हो गये। स्वामी विवेकानन्द ने "मेरे स्वामी (My Master)" नामक ग्रन्थ में स्वामी रामकृष्ण के दिव्य जीवन पर बड़ा ही सुन्दर प्रकाश डाला है।

## ॥ स्वामी विवेकानन्द ॥

स्वामी विवेकानन्द स्वामी रामकृष्ण के प्रधान शिष्य थे। आपने अपने गुरु भाईयों की सहायता से रामकृष्ण मिशन नामक एक महान् संस्था की स्थापना की। इस संस्था का उद्देश्य धार्मिक एकता द्वारा सर्वज्ञ जन कल्याण था। भारत के अध्यात्मिक भूतकाल में विवेकानन्द का बड़ा विश्वास था। वे भूतकालिक भारतवर्ष को वर्तमान काल के भारतवर्ष में जोड़ना चाहते थे। इसके अतिरिक्त भारतीय संस्कृति का

अधिक से अधिक अनुसूचित कर पाश्चात्य संस्कृति के सुन्दर तारों के मिश्रण से उसे अधिक प्रेरकशाली और प्रबल बनाने की उनकी अभिलाषा थी। पूर्व और पश्चिम का मजबूत सरोज वे मानव जाति के विकास के लिये समझते थे। इस विचार धारा में स्वामी विवेकानन्द और कविवर रवीन्द्र नाथ टैगोर थे।

स्वामी विवेकानन्द बंगाली और अंग्रेजी भाषा के बड़े प्रभावशाली वक्ता और लेखक थे। उनका व्यक्तित्व बड़ा प्रभावशाली था। इसके अतिरिक्त प० जय हरलालजी के शब्दों में उनमें वैयक्तिक और प्रखर शक्ति भरी हुई थी। भारतपर्यटन का आगे बढ़ाने के लिये उनकी बड़ी खालसा थी। उन्होंने जजरित हिन्दू समाज को नवजीवन का संदेश दिया और उसे अपने पैरों पर खड़े रहने का आदेश दिया।

ईसवी सन् १८९३ में अमेरिका के चिकागो नगर में होनेवाले सर्व धर्म सम्मेलन (Parliament of Religions) में सम्मिलित होने के लिये स्वामीजी अमेरिका गये। पहले ही व्याख्यान में स्वामीजी के व्याख्यान का श्रोताओं पर अद्भुत प्रभाव पड़ा। स्वामीजी की कीर्ति दूर दूर तक फैल गई और अन्य नगरों से भी स्वामीजी के व्याख्यान सुनने के लिये मुंडके मुंडके लोग आने लगे। जहाँ देखिये वहाँ स्वामीजी की घर्षा होने लगी। अनेकों सभा सलाहद्वियों की आरंभ स्वामीजी के पास निमंत्रण आने लगे। अमेरिका के समाचार पत्रों में स्वामीजी की बड़ी प्रशंसा होने लगी। बोस्टन नगर के "इवनिंग न्यूज" नामक पत्र ने अपने २ अंग्रेजी सन् १८९४ ई० के अंक में लिखा था,—“स्वामी विवेकानन्द सचमुच एक बड़े विद्वान् हैं। धर्म सम्मेलन में जितने व्याख्याता आये थे, उनमें उनकी टकर का कोई न था।” न्यूयार्क हेराल्ड ने लिखा था—“स्वामी विवेकानन्द वास्तव में एक महान् पुरुष हैं। उनके व्याख्यान सुनने के बाद हमारी यह धारणा हो गई है कि भारत जैसे शिथिल देश में पाश्चिमी को भेजना कितनी नादाना का काम है।

धर्म सम्मेलन के समापति महोदय ने, जो हिन्दुस्तानियों को विश्व-कुल अक्षय्य समझते थे और जिन्होंने वही कोशिश के बाद स्वामी विवेकानन्द का धर्म सम्मेलन का प्रतिनिधि होना स्वीकार किया था, लिखा था:—“सचमुच भारत धर्मों का जन्म देने वाला है। उस धर्म के प्रतिनिधि स्वामी विवेकानन्द ने अपने व्याख्यानों से जनता पर बड़ा अद्भुत प्रभाव डाला है।”

स्वामीजी दो वर्ष तक अमेरिका में रहे और उन्होंने भारतीय सभ्यता का महत्व अमेरिकावासियों को समझाया।

ईस्वी सन् १८९६ में स्वामीजी ने इङ्ग्लैंड की यात्रा की। वहाँ भी आपके व्याख्यानो की धूम मच गई। लंडन नगर के प्रिन्सेज हाल में स्वामीजी का आरामस्थान पर इतना सुन्दर और प्रभावशाली व्याख्यान हुआ कि हजारों श्रोतागण स्तब्ध रह गये। भाषण समाप्त होने पर सब दूर स्वामी की वाह-वाह होने लगी। दूसरे दिन लंडन के पत्रों में स्वामीजी की प्रशंसा में बड़े बड़े कालम रंगे गये।

लंडन के स्टैंडर्ड पत्र ने लिखा था.—“राजा राममोहनराय और केशवचन्द्र सेन के बाद स्वामी विवेकानन्द पहले ही हिन्दू हैं जिन्होंने प्रिन्सेज हाल में अपने व्याख्यान के द्वारा लोगों पर इतना प्रभाव डाला। उनका भाषण बड़ा गम्भीर और मार्मिक था। एक दूसरे पत्र ने लिखा था—“लंडन में अनेक जातियों के, अनेक व्यवसायों के मनुष्य मिलते हैं, पर इस समय इङ्ग्लैंड में उस तत्ववेत्ता से बढ़कर और कोई मनुष्य नहीं है जो हाल ही में शिकागो के धर्म सम्मेलन में हिन्दू धर्म की ओर से प्रतिनिधि था।”

स्वामी विवेकानन्द ने अद्भुत विचार धारा का प्रचार किया। इस विचारधारा के अनुसार ईश्वर एक है और विश्व के सकल धराचर प्राणी स्वामी-श्री। ईश्वर के धरमात्मा अस्तु है। इसे दूसरे शब्दों में यह कह

स्वामीजी ने कहा कि अद्वैत धर्म और विद्य बन्धुत्न पर्यायवाची शब्द हैं । स्वामी विवेकानन्द ने मतानुसार अद्वैत धर्म ही मानवजाति का भावी धर्म होगा और उसी में सकल मानव जाति के कल्याण की भावना निहित है । मानव जाति के सामूहिक कल्याण की भावना को लेकर स्वामी विवेकानन्द ने संपार को एक संदेशा दिया और यह दिखलाया कि केवल मात्र गणवाद को लेकर मनुष्य जाति मानवता के पथ पर आगे नहीं बढ़ सकती । विश्व-कल्याण के लिये आध्यात्मिक मार्गों को ग्रहण करना पड़ेगा । स्वामीजी, जैसा कि हम ऊपर कह चुके हैं, आत्मवाद और अनात्मवाद की विचार-धाराओं के मधुर सम्मेलन में एक नवीन संस्कृति का निर्माण कर मनुष्य जाति के सामने एक नवीन आदर्श रखना चाहते थे ।

### स्वामी विवेकानन्द के उपदेश

स्वामी विवेकानन्द ने अपने लेखों तथा व्याख्यानो में मानव जीवन के विविध पहलुओं पर, तथा कई ऐहिक तथा पारलौकिक विषयों पर काफी प्रकाश डाला है । पर उनका सबसे बड़ा मन्त्र जो उहाँने सिखाया है वह है:—“निर्भय होओ” “बलवान होओ” । उनके मतानुसार मनुष्य कोई अभाग्य पापी नहीं है, वह ईश्वरत्व का एक अंश है । संपार में अगर कोई पाप है तो वह निर्बलता और कमजोरी है । इसलिये निर्बलता को दूर कर बलवान और तेजस्वी होने के लिये स्वामी विवेकानन्द हमेशा उपदेश किया करते थे, क्योंकि वे निर्बलता को पाप और अपराध समझते थे । इतना ही नहीं वे निर्बलता को मृत्यु समझते थे । वे कहा करते थे कि अगर हमारे देश को किसी बात की ज़रूरत है तो छोड़े के रंगों (Muscles) को और फौलादी नाडियों को (Nerves) और ऐसी प्रबल इच्छा शक्ति की, जिसका कोई मुक़ाबला न कर सके, और जो विद्य के रहस्यों में प्रवेश कर अपने उद्देश्य का सिद्धि कर सके । स्वामी विवेकानन्द ने जानू टोना जंत्र मंत्र का विरोध किया है और कहा है कि चाहे इनमें सत्य हो, पर इन्होंने हमारा नाश कर दिया है ।

विवेकानन्द ने राष्ट्र को संके की चोट यह आदेश दिया है:—“तुम उन सारी बातों को विवकी तरह बादर निकाल फेंको, जो मुझे शारीरिक, धार्मिक और आध्यात्मिक दृष्टि से निर्यत्न और कमजोर बनाती हैं। ऐसी बातें, ऐसे तत्व जीवन हीन होते हैं। सत्य बलवान है, सत्य जीवन है, सत्य पवित्रता है और सत्य ही सकल ज्ञान है।

उपनिषदों की ओर जाइये। उनमें प्रकाश है, उनमें शक्ति है और उनमें प्रकाशमान तत्त्वज्ञान है। मिथ्या विश्वासों से दूर रहिये। मिथ्या विश्वासी मूर्खों की अपेक्षा में नारिकों को बहुत उपादा पसन्द करूंगा, क्योंकि नास्तिक फिर भी जिन्दा दिखते हैं, और वे कुछ कर सकने की शक्ति रखते हैं।”

“पर मिथ्या विश्वास जहां मस्तिष्क में घुसा कि वह बुद्धि को नारा कर देता है, और जीवन पतन की ओर गति करने लगता है।”

स्वामी विवेकानन्द के विचारों का मूलभूत तत्व उपरोक्त पंक्तियों में आगया है। उन्होंने सारे देश में घूम कर राष्ट्र को उक्त सदेश दिया था। स्वामी विवेकानन्द के संदेश में दिव्य उजोति, दिव्य दर्शन और राष्ट्र की आत्मा को विकसित करने वाले तत्व हैं। इस महान् आत्मा का ईस्वी सन् १९०२ में ३३ वर्ष की अवस्था में शरीरान्त हो गया।



# जागृति की लहर



गत दशकों में भारतवर्ष में उदय होने वाली राष्ट्रीय भावनाओं और उसके प्रधान नेताओं का विवरण हम दे चुके हैं। यह राष्ट्रीय भावनाएँ आगे चलकर एक ऐसी प्रबल राष्ट्रीय ज्योति और राष्ट्रीय शक्ति को जन्म देती हैं जिसका विकसित रूप आगे चलकर राष्ट्र की स्वतंत्रता में परिणित होता है।

कांग्रेस के जन्म के बाद दक्षिण भारत में एक जबरदस्त राष्ट्रीय लहर उठती है, जिसका प्रधान संचालन बाल गङ्गाधर तिलक और उनके कुछ साथी करते हैं। जैसा कि हम पहले कह चुके हैं तिलक भारतीय राष्ट्रीय शक्ति का आद्यजनक थे। अपने समय में उन्होंने स्वराज्य सपना में सबसे अधिक प्रमुखता का भाग लिया। आपके साथियों में श्री चिपलुनकर का नाम विशेष उल्लेखनीय है। श्री चिपलुनकर बड़े प्रभावशाली लेखक थे। उन्होंने अपनी ग्रन्थ माला द्वारा देश को राष्ट्रीयता का संदेश दिया, और उसे अपने प्राचीन गौरव का भान कराया। उनकी राष्ट्रीयता पर-राष्ट्र द्वेषी नहीं थी। वे दूसरे देशों के गुणों को लेकर अपनी सस्कृति में उन्हें आत्मसात् करने के पक्ष में थे, पर वे इस बात के विरोधी थे कि इस राष्ट्र को पश्चिमी सभ्यता के रंग से सागोपाग रंग दिया जाय। अपनी भारतीय सस्कृति का भी उन्हें बड़ा अभिमान था और उनका विचार था कि यह सस्कृति मनुष्य जाति को विकास का एक नया संदेश दे सकती है। इतने पर भी अन्य देशों की सस्कृति के पुष्टिकारक तत्वों को लेकर अपनी सस्कृति को संदुष्ट बनाने के पक्ष का उन्होंने हमेशा समर्थन किया था। मि० चिपलुनकर ईस्वी सन् १८८२ में केवल बर्तिस वर्ष की अवस्था

में स्वर्गवासी हो गये। चापकी प्रन्धमाला मराठी साहित्य में आज भी एक निधि समझी जाती है।

श्रीमान् बाबू गंगाधर तिलक ने राष्ट्रीय चान्दोलन को आगे बढ़ाया और थोड़े ही समय में वे तत्काल राष्ट्र के एक अग्रगामी नेता समझे जाने लगे। हाँ! सामाजिक विषयों में लोकमान्य तिलक का दृष्टिकोण पौराणिक दृष्टिकोण के अनुकूल था वे सामाजिक सुधार में शास्त्रों के दृश्यरूप की अनुचित समझते थे। इस विषय में तरदासीन समाज सुधारकों से उनका बड़ा मतभेद था।

लोकमान्य तिलक ने भारतवासियों की मनोवैज्ञानिक स्थिति को बड़ी प्रकार समझा था। उन्होंने भारतवर्ष के राष्ट्रीय चान्दोलन को आगे बढ़ाने के लिये गणपति उत्सव आदि धार्मिक पर्वों का आश्रय लिया। पश्चिमाई राष्ट्रों की मनोवृत्ति में धार्मिक तत्व प्रबलता से बँठा हुआ है और इसके सहारे से राजनैतिक चान्दोलन को जीवन शक्ति मिल सकती है। इस भावना से प्रेरित होकर भारतीय पर्वों द्वारा राष्ट्रीय ज्योति को जागृत करने का उन्होंने उपक्रम किया। ईस्वी सन् १८८८ में आप पूना के सुप्रसिद्ध पत्र 'कसरी' के संपादक हुए। इस पत्र का उस समय बड़ी महत्त्व था जैसा कि लंदन में लडन टाइम्स का है। लोकमान्य तिलक के हाथों में यह पत्र राष्ट्रीयता का एक बड़ा जबरदस्त साधन बन गया। राजनीति में इसकी जड़ें राष्ट्रीयता की दृढ़ भूमि पर स्थित थी। इस पत्र ने विदेशी सत्ता का जोरदार विरोध करना शुरू किया और लोगों में स्वदेश भक्ति, राष्ट्रीय सम्मान, राष्ट्रीय एकता, आत्म त्याग और अन्याय के विरुद्ध लड़े रहने की शक्ति आदि आदि तत्वों को बड़े जोर शोर के साथ प्रचार किया। इसके अतिरिक्त इस पत्र ने चान्दोलन करने की पाश्चात्य पद्धतियों की सिखा देना भी शुरू किया।

ईस्वी सन् १८९५ में लोकमान्य तिलक ने शिवाजी उत्सव मनाने का भी उपक्रम किया। इस उत्सव न महाराष्ट्र में राष्ट्रीयता की ज्योति

को प्रज्वलित करने में सबसे बड़ा भाग लिया। इसके अतिरिक्त इन उन्सवों के द्वारा लोगों की धर्म-भावना और ऐतिहासिक विभूतियों के प्रति पूज्य भावना बढ़ाने का प्रयत्न किया। यह उत्सव सारे महाराष्ट्र में मनाये जाने लगे।

एशिया के राजनैतिक मंच पर कुछ ऐसी घटनाएँ हुईं जिन्होंने भारतवासियों के आत्म-विश्वास को बढ़ाने में बड़ी सहायता दी। ईस्वी सन् १८६६ में हिन्दुस्तान पर दो महान् संकट आये। एक अकाल का और दूसरा डोंग का। अकाल निवारण के लिये लोकमान्य तिलक ने निश्चय किया कि सार्वजनिक सभा द्वारा किसानों का लगान माफ़, अथवा स्थगित कराया जाय और इसके लिये उनमें जागृति की जाय। इसके द्वारा उन्होंने किसानों में अपने हकों का ज्ञान उत्पन्न करने और विधिविहित रीति से उन्हें सरकार से किस प्रकार खदना चाहिये यह सिखाना शुरू किया। सार्वजनिक सभा के द्वारा हर गाँव में जाकर यह प्रचार किया गया कि पैदावार नहीं हुई है तो लगान मत जमा कराओ। इधर 'केसरी' के द्वारा भी इस संघर्ष में खूब हलचल शुरू की जिससे लोगों में हिम्मत आने लगी और किसान हजारों की तादाद में सभाओं में आने लगे। इस पर सरकारी अधिकारी तिलक महाराज को 'हिन्दुस्तान का पारनेल' कहकर उनकी निन्दा करने लगे। पर लोगों में इस आन्दोलन का अस्पर्श प्रभाव पड़ा और लोकमान्य तिलक का लोक सम्मान दिन दूना और रात चीगुना बढ़ने लगा। उनके अनुयायियों की संख्या महाराष्ट्र में बढ़ने लगी। जिस तत्त्व, तेजस्वी और स्वाध्याभिमानो राष्ट्रीय पक्ष का जन्म हाल ही में हुआ था, उसके वे अर्ज्यु माने जाने लगे। यह पक्ष सरकार से बड़ी गानवान के साथ बरतता था और सरकार जो काम लोक-हित के प्रतिवृत्त करती उनका सच्चा स्वरूप प्रकट करके उसकी वह कड़ी आलोचना करता था। हिन्दुत्व का इस पक्ष को बड़ा ही अभिमान था, और देश के लिये हर तरह का न्याय न्याय करने के लिये



पद नैगार रहता था। अतएव यह पद सरकार की श्रॉगों में स्वच्छने  
 खगा। पर सरकार भी अन्दर ही अन्दर तिलक के मध्य को मानने  
 खगी। तिनक के फट्टर विरोधी और तात्कालीन सरकारी पद के समर्थक  
 सर शिरोज ने तिलक की गई राष्ट्रीयता के अवतार के रूप में स्वीकार  
 किया था।

ईसा मन् १८६० में पूना में भयंकर रूप में प्लेग की बीमारी फैली।  
 इसमें एक ही वर्ष पहले, जैसा कि हम ऊपर कह चुके हैं, दक्षिण में  
 अकाल पद हुआ था। लोग पहले ही से परेशान थे और प्लेग की  
 इस भयंकर बला के कारण लोगों के कट घट्टत ही अधिक बढ़ गये।  
 उनके दुःखों का पारावार न रहा। सरकार ने प्लेग की रोक के लिए  
 क्वारंटाइन आदि का जो प्रबन्ध किया वह इतना कठोर था कि इन  
 यत्रयात्रा की अनेका तो लाग रोग से मर जाना अच्छा समझने लगे।  
 कहा जाता है कि गोरे सोलजनों ने नगर के मकानों को घुलाने समय  
 खिया तक्र पर अत्याचार और बखारकार किये। माननीय मि० गोखले ने  
 बिलायत में इन अत्याचारों का जोरदार विरोध किया। कइने का सारंण  
 यह है कि लोगों में आदि-आदि मचगई। युवकों में विशेष उत्तेजना फैली  
 आखिर च फेहर नाम के एक महाराष्ट्र युवक ने ता० २७ जून १८६० में  
 उक्त प्लेग कमेटी के प्रेसीडेन्ट मि० रूँड का खून कर डाला! इस खून  
 ने सारे हिन्दुस्तान में सनसनी फैलादी! सरकार के हांश भी मुकाम पर  
 न रहे। सरकार के दिब में यह बात जच गई कि 'केपरी' के खेखों से  
 ही लोगों को इस खून करने की उत्तेजना मिली। तिलक पर पहले से  
 सरकार का रोप था ही, तिस पर भी अकाल के दिनों में उन्होंने प्रता  
 की यः स्पष्ट उपदेश दिया था कि यदि गुजायश न हो तो खगान  
 न दो। शिवाजी उत्सव के वही वत जो अतन्त्र्य लोगों में उत्पन्न हो रहा  
 था उसे भी सरकार सहन नहीं कर सकी। उसने सोचा कि इन सारी

आफतों की जड़ 'तिलक' है। अतएव उसने 'केसरी' के उन लेखों के सम्बन्ध में, जो खून के कुछ समय पहले प्रकाशित हुए थे, तिलक को ईस्वी सन् १८६७ की २७ जुलाई को गिरफ्तार कर लिया और बम्बई हाईकोर्ट में उन पर राजद्रोह का मुकदमा चलाया गया। जस्टिस स्टाची के इजलास में मुकदमा चला और उसमें छः यूरोपियन तथा तीन हिन्दुस्तानी मिश्रकर ६ पुरुषों की ज्यूरी थी। तिलक के बचाव में अन्यान्य कारणों के अलावा एक कारण यह भी पेश किया जा कि मूल लेख मराठी में हैं। उनके अंग्रेजी अनुवाद में मूल लेख का असली रूप कायम नहीं रहता। इस दशा में यह निर्णय करने के लिये कि उनका पाठकों पर क्या प्रभाव होगा मराठी जानने वालों की ज्यूरी होनी चाहिए। परन्तु उनकी वह आपत्ति नहीं मानी गई। ज्यूरी में छः पुरुष मराठी न जानने वाले यूरोपियन थे, और उन्हीं का मताधिक्य था। यह बात याद रखने योग्य है कि शेष ३ ज्यूरों ने जो मराठी जानने वाले थे, तिलक को निर्दोष करार दिया और छहों यूरोपियनों ने उन्हें अपराधी ठहराया और जज स्टाची ने उन्हें १८ महीने की सजा ठोक दी।

भारतवर्ष के राजनैतिक विकास में यह घटना बड़ी महत्वपूर्ण समझी जाने लगी। नवयुवकों के तो तिलक मानों हृदय-सम्राट् हो गये। जिस अविचल धैर्य और शान्ति के साथ तिलक ने इस विपत्ति का सामना किया, उससे उनका प्रभाव और भी ज्यादा बढ़ गया।

इस समय लोकमान्य तिलक के कई मित्रों ने उन्हें यह सलाह दी कि वे माफी मांग कर छूट जावें, पर तिलक ने इस राय को न माना।

लोकमान्य ने अमृत बाजार पत्रिका के तत्कालिन सम्पादक बाबू मोतीलाल घोष को जो पत्र लिखा था, उसका कुछ अंश हम नीचे उद्धृत करते हैं—“मित्र लोग माफी मांगने का अनुरोध कर रहे हैं। परन्तु मुझे तो निश्चय है कि मैं निर्दोष हूँ। इस दशा में माफी मांगकर अपमान पूर्वक अपने देश भाईयों में रहने की अपेक्षा कालेपानी की चला जाना

मुझे मंजूर है।”

छोकमान्य तिलक का हिमालय पर्वत की चट्टानों की तरह अविचल और दृढ़ निश्चय, उनकी अनुपम त्याग-भावना, उनकी देश के लिये बट उठाने की अलौकिक शक्ति ने उन्हें राष्ट्र के देवता के रूप में पूजवाया और उनके इन महान् गुणों ने देश में नव चैतन्य और नवजीवन का संसार करने में बड़ा काम किया। तिलक राष्ट्र के एक महान् शक्ति के रूप में माने जाने लगे। उन्होंने अपने देशवासियों को मानव स्वाधीनता और मानव अधिकारों के लिये लड़ने की शिक्षा दी।

हमी बीच में कुछ ऐसी अन्तर्द्वितीय घटनाएँ हुईं जिनने अन्य एशियाई राष्ट्रों की तरह भारतीय राष्ट्र पर भी आरोग्यशाली प्रभाव डाला। इस घटना में रूस जापान के युद्ध का समावेश होता है।

ईस्वी सन् १९०३ का रूस आज़कल का रूप नहीं था। उस समय रूस की जनता जार के अत्याचारों से पीड़ित थी। लोगों में घोर असन्तोष छाया हुआ था। इसके विपरीत जापान बड़ी तरफ़ी कर रहा था। औद्योगिक और वैज्ञानिक उन्नति में वह यूरोप के प्रगतिशील राष्ट्रों की बराबरी करने लगा था। ऐसे समय में रूस जापान का युद्ध हुआ और एक छोटे से एशियाई राष्ट्र जापान ने विशालकाय यूरोपियन राष्ट्र रूस को शुरी तरह पड़ावा। इससे यूरोपियन राष्ट्रों का एशियाई राष्ट्रों पर जो दबदबा था वह काफ़ूर हो गया, और एशियाई राष्ट्र भी पूर्ण स्वाधीन होने का स्वप्न देखने लगे। भारतवर्ष के राष्ट्रीय जीवन पर भी इसका काफी असर हुआ और यहां के नवयुवकों में न केवल स्वाधीनता की भावना ही प्रबल हुई, पर वे हम राष्ट्र को अन्य प्रगतिशील और शक्तिशाली राष्ट्रों की श्रेणी में उच्च स्थान प्राप्त करवाने में सचेष्ट हुए।

# लॉर्ड कर्जन का आगमन



जैसा कि हम गत अध्यायों में देखता चुके हैं भारतवर्ष भ्रम, अकाल और राजनैतिक दमन से दुःखी हो रहा था। ऐसे समय में भारतवर्ष में लॉर्ड एलगिन की जगह पर लॉर्ड कर्जन वाइसराय बनकर आये। उम्र में अब तक के आये हुए वाइसरायों से ये सबसे छुंटे थे। ये बड़े प्रतिभाशाली और साम्राज्य मनोवृत्ति के वाइसराय थे। इसके पहले विलायत में वे भारत के उपसचिव भी रह चुके थे। ये बड़े प्रभावशाली वक्ता थे। वे शासन सुधार करना चाहते थे और भारतवर्ष के कृषक समुदाय की प्रगति भी उनका लक्ष्य था। पर वे भारत की राजनैतिक आकाशाक्षी के कट्टर शत्रु थे। वे भारत की राजनैतिक स्वाधीनता की कल्पना तक न कर सकते थे। उन्होंने अपनी साम्राज्यवादी मनोवृत्ति के अनुकूल जो मार्ग स्वीकार किया उससे देश में असन्तोष की जैसी ज्वाला भटक उठी, उसका वर्णन अगले अध्यायों में किया जायगा।



# बंगभंग



जैसा कि ऊपर कहा गया है, ईंग्ली सन् १८६६ में लॉर्ड कर्जन भारत के धाड़सराय बनकर आये। उनका शासन काल भारतीय इतिहास में एक नये युग का सूत्रपात करता है। इस समय तक का साग राष्ट्रीय आन्दोलन शिथिल हिन्दू युगों तक ही मर्याद था। बंगाल और महाराष्ट्र के हिन्दू इस क्षेत्र में बहुत आगे बढ़े हुए थे। बंगाल में दिन दिन राष्ट्रीय भावना फैलती जा रही थी। लॉर्ड कर्जन ने इस प्रगति को रोकने और उस पर अंकुश रखने के लिए दो उपाय किये। सबसे पहले उन्होंने, १९०४ में, विश्व विद्यालयों के लिये एक कानून बनाकर शिक्षा की बागडोर सरकार के हाथ में दे दी। इससे भारत के शिथिल युगों में असन्तोष फैल गया। इधर यह किया गया, उधर बंगाल में बढ़ती हुई जागृति का बल तोड़ने के लिये भेद डालकर शासन करने की नीति का व्यवहार किया गया। मुसलमानों के प्रभाव को बढ़ाकर जागृति पूर्व राष्ट्रवादी हिन्दुओं के मुकाबले में 'वैलेन्स' (सन्तुलन) बनाये रखने के प्रयास से १९०५ ईसवी में बंगाल को दो टुकड़ों में बाँट दिया गया। यद्यपि कहा यह गया कि शासन की सुविधा के लिये ऐसा किया जा रहा है।

लॉर्ड कर्जन के इस कुत्सित कार्य से सारे बंगाल में आग सी लग गई। बंगाल के छोटे छोटे गांवों तक में विरोध सभायें होकर बंगभंग के कुत्सित कार्य के प्रति घोर पृथा प्रकट की गई। सारे बंगाल के बंगाली मिल गये। उन्होंने निश्चय कर लिया कि लॉर्ड कर्जन बंगाल के दो टुकड़े कर सकते हैं, पर वे हमारे हृदय के दो टुकड़े नहीं कर सकते। इसी

दिव्य भावना को लिये हुए उस वक्त सारा बंगाल एक हृदय सा हो गया। अपनी मातृभूमि की रक्षा के लिये सब बंगाली सपूत मिल गये। क्या घमौर, क्या गरीब, सब लोग एक हृदय-से बंगभंग का विरोध करने लगे। सारे बंगाल प्रान्त में या यों कहिए कि सारे भारतवर्ष में लॉर्ड कर्ज़न के इस कार्य से सनसनी फैल गई। सन् १६०३ के दिसम्बर मास से सन् १६०५ के अक्टूबर मास तक बंगाल में लगभग-२००० सभाएं हुईं। पाठक यह सुनकर आश्चर्य करेंगे कि उस समय भी कुछ कुछ सभाओं में ५०००० आदमी तक इकट्ठा होते थे। हिन्दू और मुसलमान समान रूप से उत्साह प्रदर्शित करते थे। दाके के स्वर्गीय नयाब सर सलीमुल्ला ने लॉर्ड कर्ज़न के इस कार्य को पाशविक व्यवस्था (Beastly arrangement) कहा था। सन् १६०५ की ११ वीं मार्च को डाक्टर रासबिहारी घोष के सभापतित्व में जो सभा हुई थी और जिसमें बंगाल के हजारों सपूत जमा हुए थे, उसमें लॉर्ड कर्ज़न के इस कुत्सित कार्य के प्रति तीव्र घृणा प्रकट की गई थी। अगस्त को कलकत्ते में माननीय महाराजा सर मनीन्द्रचन्द्र नन्दी कासिमबाजार के सभापतित्व में जो सभा हुई, उसमें मानों सारे कलकत्ते का जन समाज उखल गया था। उसमें बंगभंग का घोर विरोध किया गया और इसके प्रतिहार के लिये स्वदेशी आन्दोलन का आरम्भ और विदेशी माल के यहिष्कार का प्रस्ताव पास किया गया। कविर रवीन्द्रनाथ टैगोर के सुभाष पर १६ अक्टूबर का दिन राती घन्घन के पर्व के उपलक्ष्य में सारे बंगाल में मनाया गया। इस दिन बंगाल भर में बंगालियों ने उपवास किये और शोक मनाया। उन्होंने एक स्वर से यह निश्चय किया कि चाहे लॉर्ड कर्ज़न बंगाल के टुकड़े कर दें, पर हम लोग न केवल बंगाल के बाह्य शरीर ही को मिला देंगे पर उसकी आत्मा को भी एक कर देंगे। संसार की कोई शक्ति हमें विभक्त नहीं कर सकती। बंगाल में इतना जोश फैला कि बिस्तरों पर पड़े हुए रोगी भी गवजीवन अनुभव करने लगे। कविम

के मूलभूत सभापति धामन्द मोहन बोस अपनी रोग शय्या में उठकर आराम कुर्सी पर खेचकर इन विरोध सभाओं में जाकर लोगों का उम्माह बढ़ाते थे। कदने का मतलब यह है कि इसके पहले भारत के ब्रिटिश शासन के इतिहास में ऐसा मौका कभी न आया कि किसी वाइसराय के कार्यों पर इन तरह पृष्ठा प्रकट की गई हो। लॉर्ड कर्जन को इसमें बहुत पुरा मालूम हुआ। वे आग बूझा हो गये। अब वे यह प्रयत्न करने लगे कि किसी तरह हिंदू और मुसलमानों में फूट पड़ जाय। इसके लिये कर्जन पूर्वोक्त बंगाल को तशरीफ ले गये और मुसलमानों की बर्दा सभायें कर उन्होंने यह संदेश सुनाया कि बंगभग केवल शासन के सुविधा के लिये ही नहीं किया गया है, पर इसका एक उद्देश्य यह भी है कि नया मुसलमानी प्रान्त कायम हो जाय और उसमें मुसलमानों की प्रधानता रहे। इससे मुसलमानों के चित्त पर कुछ असर हो गया। जिन नवाब सर सलीमुल्ला खाँ ने पहले लॉर्ड कर्जन के बंगमंग कार्य को "पाशविक व्यवस्था" कहा था, वे भी दूसरी ओर भुक्त गये। हाँ, कुछ दूरदर्शी और सुशिक्षित मुसलमान अटल बने रहे और वे बंगमंग का बराबर विरोध करते रहे।

बंगमंग का आन्दोलन जोर शोर से चलता रहा। पहले सरकार के पास सैंकड़ों आवेदन पत्र (Memorial) भेजे गये। एक आवेदन पत्र पर, जो स्टेट सेक्रेटरी को भेजा गया था, कोई ७०००० बंग निवासियों के हस्ताक्षर थे। पर सरकार ने बहुत दिनों तक चुप्पी साधी।

किसी का कुछ जवाब नहीं दिया। बंगालियों ने आन्दोलन बराबर शुरू रखा। अखिर में सन् १९०५ में अकस्मात् यह सूचना प्रकट हुई कि स्टेट सेक्रेटरी ने बङ्गभङ्ग को मंजूर कर लिया है, और भङ्ग किये हुए नये प्रान्त में उत्तरीय बङ्गाल के छ जिले मिलाये जायेंगे। सारे देश के मत का निरादर कर सरकार ने बङ्गभङ्ग का प्रस्ताव मंजूर कर लिया। इससे बड़ी भारी आग भमक उठी। लोगों को मालूम होने लगा कि नियंत्रणों की आवृत्ति की कहीं पवाह नहीं की जाती। प्रार्थनाओं से कुछ

लाभ नहीं होता। जब तक मनुष्य अपने पैरों पर खड़ा रहना नहीं सीखता, तब तक उसकी कोई कदर नहीं होती। सरकार के इस कार्य से बङ्गाल निवासी निराश न हुए। उनकी जीवन-शक्ति दूनी हो गई। उनमें अपूर्व उत्साह और अद्वितीय देशभक्ति की लहर बढ़ चली। थायू कृष्णकुमार मित्र ने बङ्गाल के सुप्रसिद्ध पत्र, 'संजीवन' में जोरदार लेख लिख कर बङ्गालियों से ब्रिटिश माल का बहिष्कार करने के लिये अपील की। "इण्डियन असोसिएशन" में बङ्गाल के दस बारह नेताओं ने मिलकर बङ्गभङ्ग के विरोध में विदेशी माल का बहिष्कार करने का निश्चय किया। इसी साल की ७ अगस्त को कलकत्ते में एक बृहत् सभा हुई जिसमें स्वदेशी आन्दोलन का सूत्रपात किया गया। इसके बाद बङ्गालियों का उत्साह अत्यन्त तीव्रता धारण करता गया। १६ अक्टूबर सन् १९०५ को बंगाल में जो अपूर्व दृश्य देखा गया, वह भारत के इतिहास में अनोखा है। कहा जाता है कि जब महाराजा नन्दकुमार को वारेन हेस्टिंग्स ने अन्याय से फौसी पर चढ़ाया था, उस वक्त को छोड़ कर ऐसा दृश्य कभी उपस्थित नहीं हुआ था। महाराजा नन्दकुमार को फौसी हो जाने के बाद बङ्गाल के लाखों नर नारी बंगे पैर और बगे सिर इस लिये गङ्गा-स्नान करने गये थे कि उन्होंने एक निर्वोप ब्राह्मण को फौसी पर लटकते हुए देखने का महापाप किया था। इसी प्रकार १६ अक्टूबर को हजारों-लाखों बङ्गाली राष्ट्रीय गीत गाते हुए नगे पैर और खुले बदन बन्धुव की राखी बाँधते हुए तथा वन्देमातरम् की जम घोषणा करते हुए गङ्गा-स्नान के लिये जा रहे थे। यही अपूर्व और हृदयस्पर्शी दृश्य था। जहाँ लॉर्ड कर्जन ने भाई-भाई को आपस में विभक्त कर देना चाहा था वहाँ उम दिन बङ्गाल के लाखों-करोड़ों सपूत एक हृदय और एक मन हो रहे थे। थोड़ों में प्रेमाधु हाकर एक दूसरे के गले लग कर मिला रहे थे। वे ईश्वर और भारत माता के सामने हाथ कर के यह प्रतिज्ञा कर रहे थे कि हम सदा के लिये एक हो रहे हैं। संसार का कोई प्रलोभन अब हमें खुदा न कर



सकेगा। आज हज़ारों-लाखों बङ्गाली विदेशी माल का बहिष्कार कर रहे थे और स्वदेशी माल का प्रत ले रहे थे। इस अपूर्व सम्मेलन में श्री-गुरुय चच्चे सत्र शामिल थे। देश के नवयुवकगण भारतमाता के उद्धार के लिये धितघन कर रहे थे। इतना अधिक उत्साह बढ़ा हुआ था कि बङ्गाल के कई प्रान्तों में अधिकारियों ने शान्ति भङ्ग होने के डर से असाधारण उपायों का (Extraordinary) अवलम्बन किया। बङ्गाली भाई भी इससे न डरे। उन्होंने निश्चय किया था कि अगर अधिकारी दमन नीति का अवलम्बन करेंगे तो हम सत्याग्रह करेंगे। पर इस समय सब काम सकुशल और धीरे-धीरे रीति से हो गया। बङ्गाली बन्धुओं ने विभक्त बंगाल का नाम संयुक्त बङ्गाल रखा। कई वर्षों तक यह आन्दोलन बड़े ज़ोरों के साथ चलता रहा।

लॉर्ड कर्ज़न ने जो मन में विचारा था, कर डाला। लोकमत को उन्होंने लुभी तरह ठुकराया। एंग्लो इण्डियन पत्र, जो हमेशा भारतीय साकांक्षाओं का विरोध करते रहते हैं, उन्होंने भी लॉर्ड कर्ज़न के इस कार्य को पसन्द नहीं किया।

बङ्ग विच्छेद के सम्बन्ध में स्टेट्समेन पत्र के सम्पादक ने एक बड़ा ही अच्छा लेख प्रकाशित किया था। उसने भी इस कार्य की घोर निन्दा की थी। 'टाइम्स ऑफ इण्डिया' ने ये भाव प्रकाशित किये थे —

"One might well wish that Lord Curzon had not returned to India for the second time, for he could not have chosen a more effective way of wrecking his reputation than he has done"

इसका भाव यह है कि अच्छा होता अगर लॉर्ड कर्ज़न दूसरी मर्तबा हिन्दुरूप को खीट कर न आते। क्योंकि इससे वे अपनी इज्जत बरबाद करनेवाले मार्ग का अवलम्बन नहीं कर सकते। इसी प्रकार 'इन्किलिबमीन', 'स्टेट्समेन', 'टेल्सी न्यूज़' आदि कई एंग्लो इण्डियन पत्रों ने लॉर्ड कर्ज़न

के इस अद्भुतदर्शी और स्वेच्छाचारी कार्य की तीव्र निन्दा की थी ।

लॉर्ड कर्ज़न के इस कुत्सित कार्य से केवल बङ्गाल में नहीं, सारे भारतवर्ष में आग लग गई । राष्ट्रीय दल की तो बात जाने दीजिये । मि० सुव्यास, माननीय मि० गोखले, माननीय मि० मुखोलकर जैसे नर्म नेताओं ने भी एक स्वर से लॉर्ड कर्ज़न के इस कार्य का तीव्र विरोध किया । माननीय मि० गोखले ने बङ्गमङ्ग का विरोध करते हुए कहा था:—

“ A cruel wrong has been inflicted on our Bengalee brethren, and the whole country has been stirred to its deepest depths in sorrow, and in resentment, as has never been the case before. The scheme of partition, concocted in the dark and carried out in the face of the fiercest opposition that any Government measure has encountered during the last half-a-century, will always stand as a complete illustration of the worst features of bureaucratic rule, its utter contempt for public opinion, its arrogant pretensions to superior wisdom, its reckless disregard of the most cherished feelings of the people, the mockery of an appeal to its sense of justice, its cool preference of service interests to those of the Governed. ”

अर्थात् “हमारे बङ्गाली भाइयों पर दुष्टतापूर्ण अन्याय किया गया है और सारा देश हतने गहरे दुःख और शोक से विह्वलित हो गया है जैसा कि वह कभी नहीं हुआ था । बङ्गमङ्ग की योजना अंधेरे में बनाई गई और जनता के अत्यन्त भयङ्कर विरोध के होते हुए भी अमल में लाई गई । गत अर्ध शताब्दी में सरकार का इतना भयङ्कर विरोध न

हुआ, जैसा कि हम समय हुआ। यह घटना मौकरशाही के निरुद्धतम स्वल्प था, उसके द्वारा किये गये लोकमत की अवहेलना का, उससे उच्च बुद्धिमत्ता के धमण्ड का, और उसके द्वारा लोगों के भावों को निर्दयतापूर्वक कुचलने की मोग्युक्ति का और शासित लोगों के यथाय सरकारी नीतियों के हितों को अधिक महत्व देने का स्पष्ट उदाहरण है। इसी प्रकार देश के गर्म और नर्म सय नेताओं ने एक म्वर से यद्मभङ्ग का विरोध किया। सारे देशमें राष्ट्रीय भावनाओं का मानो जवरदस्त प्रभाव था गया। विनायक के भी कुछ उदार हृदय मज्जनों ने इसका विरोध किया। लॉर्ड मेकडानरड ने ता यद्मभङ्ग के कार्य के लिय यहाँ तक कह डाला था—

“The hugest blunder committed since the battle of Plassy.”

अर्थात् “प्लासी के युद्ध के बाद की भूलों में यह सब से भारी भूल थी।”

पार्लियामेंट के हाउस ऑफ लॉर्डस् में भारत के भूतार्थ वाइसराय मारकिस ऑफ रिपन ने अपने सुझावे में लॉर्ड कर्जन के इस अद्द दर्शिता के कार्य के खिलाफ जोर की आवाज उठाई थी। पर उस समय ब्रिटिश सरकार पर इसका कोई खास असर न हुआ। तत्कालीन भारत-सेक्रेटरी लॉर्ड मार्ले ने यद्मभङ्ग को एक निश्चित घटना (Settled fact) कह कर लोकमत की बढ़ी अवहेलना की।

### बन्दे मातरम् पर रोक

यद्मभङ्ग के राष्ट्रीय आन्दोलन के साथ-साथ सुप्रसिद्ध राष्ट्रीय उपन्यासकार श्री बंकिमचन्द्र चटर्जी का बन्दे मातरम् नामक राष्ट्रीय गीत भी बहुत लोक प्रिय हो गया। इस गीत ने उस समय लोगों की राष्ट्रीय भावनाओं को जागृत करने के लिये बड़ा काम किया। न केवल यद्मभङ्ग ही में यान् सारे भारतवर्ष में यह गीत गाया जाने लगा। इससे लोग राष्ट्रीय जीवन

की दिव्य प्रेरणा पाने लगे । यह बात भी तत्कालीन नौकरशाही को सहन न हुई और ईस्वी सन् १९०५ के नवम्बर मस में ले० गवर्नर फुलर के सेक्रेटरी ने हुवम जारी किया कि "वन्दे मातरम्" का नारा न लगाया जाय । इसके सिवा स्वदेशी और वहिष्कार-आन्दोलन को दबाने के लिये गुरखों को बुला कर फौजी-शासन का दौर-दौरा शुरू किया ।

इसका विरोध करने के लिये ईसवी सन् १९०६ में बरीसाल में प्रांतीय परिषद् के अधिवेशन की आयोजना की गई । जब इसकी खबर अधिकारियों को लगी तो उन्होंने तुरन्त यह आज्ञा निकाली कि इसमें विद्यार्थी भाग न लें । जिन विद्यार्थियों के विद्यार्थी इसमें जायेंगे उनको दी जाने-वाली सरकारी सहायता बन्द कर दी जावगी । लोगों ने इस अन्याय-मूलक आज्ञा को न मानने का निश्चय किया । परिषद् के सभापति के जुलूस में हजारों लोगों ने 'वन्दे मातरम्' का जयघोष किया और उसमें हजारों विद्यार्थियों ने भाग लिया । 'वन्दे मातरम्' का जयघोष होते ही सुरेन्द्रनाथ बैनर्जी गिरफ्तार कर लिये गये । पुलिस की लाठियों से जुलूम-घालों के सिर फोड़े गये । इस पर लोकमान्य ने "केसरी" में लिखा था:—  
 "जिस प्रकार चाक़ायदा जुलूम लोगों पर किया जाता है उसी प्रकार शान्ति से, स्थिर भाव से और संकट के सामने हिम्मत न हार कर लोगों को दृढ़ निश्चय से जुलमी हुन्मों का प्रतिकार करना चाहिये । जुलूम आखिर जुलूम ही है, फिर वह चाक़ायदा हो या घेज़ायदा । जुलूम यदि चाक़ायदा है तो शान्ति और बध्-सहन के द्वारा दृढ़ निश्चय से उसका प्रतिकार करना चाहिये । यद्वाले के लोगों ने इस को हुवम न मान कर बध् सहन करने की अपनी इच्छा व स्वार्थ-त्याग के द्वारा यह दिखा दिया है कि यह आदा अन्यायपूर्ण है ।

"इधर लोकमान्य तिलक ने लोगों में अन्याय का प्रतिकार करने की शक्ति का सवार किया, उधर यद्वाले के तत्कालीन सुप्रसिद्ध नेता यावू विपिनचन्द्र पाल ने 'वन्दे मातरम्' में यह जाहिर किया कि पूर्ण स्वत-

न्त्रता ही हमारा ध्येय है और स-याग्रह अथवा निष्क्रिय प्रतिकार हमारा साधन। (१८ सितम्बर १९०६)। उसमें उन्होंने कहा है कि स्वतन्त्रता के ध्येय का अर्थ यह है कि विदेशी नियन्त्रण बिलकुल न रहे। यह बिलकुल विधि विहित ध्येय है। निष्क्रिय प्रतिरोध हमारा साधन है। इसका अर्थ यह हुआ कि हम सरकार को खेच्छापूर्वक किसी प्रकार का सहायता न दें। वीन कह सकता है कि ये साधन पूरी तरह विधि-विहित नहीं हैं ?”

कलकत्ते से निकलनेवाले ‘वन्देमाताम्’ नामक दैनिक पत्र ने यह स्पष्ट घोषणा की कि अगर ब्रिटिश शासन लोकमत की उपेक्षा करता है और यह हमारे राष्ट्रीय आत्म-विकास के मार्ग में बाधक रूप होता है तो हमें ऐसे शासन से बिलकुल असहयोग करना चाहिए और पूर्ण राष्ट्रीय स्वतन्त्रता के लिये प्रयत्नवान होना चाहिए। बदला के एक दूसरे क्रान्तिकारक पत्र ‘सन्ध्या’ ने निर्भक्ता के साथ लिखा था,—“हम पूर्ण स्वाधीनता चाहते हैं। जब तक ब्रिटिश शासन का एक अंश भी बचा रहेगा तब तक हम उन्नति नहीं कर सकते। स्वदेशी और बहिष्कार बिलकुल व्यर्थ और अर्थहीन है, अगर वे हमें पूर्ण स्वाधीनता तक पहुँचाने में सबल साधन न बन सकें।”

कहने का मतलब यह है कि ब्रिटिश-शासन के प्रति घोर असन्तोष के बादल मँडराने लगे थे और ब्रिटिश शासन को उलटने के लिये क्रान्तिकारक पद्धतियों की सृष्टि होने लगी थी। कलकत्ता हाईकोर्ट के भूतपूर्व प्रधान न्यायपति सर जॉर्जेन्स जेकिन्स ने उस समय के क्रान्तिकारक वातावरण का जिक्र करते हुए लिखा था:—

“The leaders of the revolutionary movement seem to have advised a well-considered plan for the mental training of their recruits. Not only did the Bhagavat Gita, the writings of Vivekanand,

the lives of Mazzini and Garibaldi supply them with mental pabulum, but they prepared special text books containing distinctly revolutionary and inflammatory ideas. The most important of them, the "Mukti Kon Pathe" which means 'what is the path of salvation', was a systematic treatise describing the measures which the revolutionaries should adopt in order to gain their ends. It condemned the low ideals of the National Congress, and while urging upon the young revolutionaries the desirability of joining the current agitations, exhorted them to do so with the ideal of freedom firmly implanted in their minds, as otherwise, real strength and training would never be acquired from them. It pointed out that it was not difficult to murder officials, that arms could be obtained by grim determination, that weapons could be prepared silently in secret places, and that young Indians could be sent to foreign countries to learn the art of making weapons. It advocated and justified the collection of money from society by thefts, robberies and other forcible methods. Above all it appealed to the revolutionaries to seek the assistance of Indian army. Although these soldiers, for the sake of their stomach, *accept service in the Government* of the ruling powers, still they are nothing but men made of

flesh and blood. They too know how to think; when, therefore, the revolutionaries explain to them the woes and miseries of the country, they in proper time, will swell the ranks of the revolutionaries with arms and weapons given them by the ruling power ..... Aid in the shape of arms may be secretly obtained by securing the help of the foreign ruling powers.

अर्थात् क्रान्तिकारी आन्दोलन के नेताओं ने अपने रंगरूठों की मानसिक शिक्षा के लिये सुचिन्तित पूर्ण योजना बनाई थी। न केवल भगवद् गीता ही पर स्वामी विवेकानन्द के लेख और इटाली के देश भक्त मार्जिनी और गैरियाल्डी की जीवनियाँ भी उन्हें मानसिक भोजन देती थीं। इसके अतिरिक्त उक्त क्रान्तिकारक नेताओं ने इस प्रकार की विशिष्ट पाठ्य पुस्तकें तैयार की थीं, जिनमें क्रान्तिकारी और उत्तेजनात्मक भाव भरे हुए थे। इनमें सबसे अधिक महत्व पूर्ण "मुक्ति की न पंथे" नामक ग्रन्थ था, जिसमें उन सब उपायों का प्रत्यक्ष विवेचन था जिन्हें अपने उद्देश्य की सिद्धि के लिये क्रान्तिकारियों को अपनाना चाहिए। इस ग्रन्थ में राष्ट्रीय कांग्रेस के निम्न आदर्शों के प्रति घृणा प्रकट की गई थी, और नवयुवक क्रान्तिकारियों को चालू आन्दोलन में सम्मिलित होने के लिये आह्वान किया गया था। उसमें यह भी दिये जाया गया था कि अधिकारियों की हत्या करना सुरिक्ल नहीं है। उद्ग निश्चय और प्रयत्न से हथियार प्राप्त हो सकते हैं, गुप्त स्थानों में अस्त्र शस्त्र बनाये जा सकते हैं और हिन्दुस्थानी नवयुवक अस्त्र शस्त्र बनाने की शिक्षा पाने के लिए विदेशों को भेजे जा सकते हैं। उक्त पुस्तक में चोरियों डकैतियों, और अन्य हिंसात्मक उपायों द्वारा पैसा एकट्ठा करना भी न्यायोचित बतलाया गया था। इसके अतिरिक्त उसमें क्रान्तिकारियों से यह भी अपील की गई थी कि वे भारतीय सेना

से सहायता प्राप्त करने का प्रयत्न करें। यद्यपि यह सिपाही अपनी पेट के खातिर सरकार की सेवा स्वीकार करते हैं पर आखिर वे भी मांस और खून ही के बने हुए मनुष्य हैं। वे भी विचार करना जानते हैं। इसलिए यदि प्रान्तिकारी दल के लोग उन्हें देश के दुख दर्दों को समझावेंगे तो वे योग्य समय पर प्रान्तिकारियों के दल में शामनशक्ति द्वारा दिये गये अस्त्र शस्त्रों सहित प्रान्तिकारी दल में सम्मिलित हो जायेंगे।”

“इन सब बातों के प्रतिफल इस पुस्तक में विदेशी राष्ट्रों से गुप्त रूप से सहायता प्राप्त करने का आदेश भी दिया गया था।”

कहने का मतलब यह है कि उस समय देश के नवयुवकों का खून बोश खा रहा था। राष्ट्र में और विशेषकर बंगाल में अस्त्र क्रान्ति और गुप्त पद्धतियों का जोरों से दौर-दौरा हो रहा था। बिलायत में दसे हुए सुप्रसिद्ध प्रान्तिकारी श्री श्यामजी कृष्ण वर्मा ने अपने इण्डियन सोश्यालिजिस्ट पत्र द्वारा जोर शोर से यह प्रचार करना शुरू कर दिया था कि हिन्दुस्थान में अब गुप्त रूप से तथा रूसी प्रान्तिकारियों के ढङ्ग पर आन्दोलन चलना चाहिए। इसी समय प्रान्तिकारी विचारों से प्रीत भरे हुये श्री विनायक राव सावरकर श्री श्यामजी कृष्ण वर्मा से बिलायत में जा मिले और उन्होंने वहाँ भारतवर्ष में अस्त्र क्रान्ति करने के लिये कुछ प्रान्तिकारक संस्थाओं की स्थापना की। उधर बंगाल में ‘सुमान्तर,’ ‘सन्ध्या’ पत्रों के द्वारा गुप्त पद्धतियों और अस्त्र क्रान्ति का आन्दोलन फैलाया जा रहा था। वारीन्द्र कुमार घोष बंगाली युवकों का गुप्त रूप से संगठन कर रहे थे। अप्रैल १९०८ में बंगाल का पहला धड़का हुआ, जिस पर लेब लिखने के कारण लोकमान्य की सजा दी गई। सन् १९०८ से दो-तीन साल तक इस तरह एक ओर से गुप्त पद्धतिकारियों तथा दूसरी तरफ से साकारी आंतकवाद के दो दो हाथ हो रहे थे। इसका निकट इस एक खंड में अभ्यास में करेंगे।



# १९०७ की काँग्रेस



ईसवी सन् १९०७ का काँग्रेस अधिवेशन भारतवर्ष में जिस प्रकार राष्ट्रीय जागृति का सूत्रपात हो रहा था, उसका विविचन हम गत अध्यायों में कर चुके हैं। इस जागृति का खडर का प्रभाव कांग्रेस पर पड़ना भी अनिवार्य था। देश के नवयुवकों में नवीन खून का संचार हो रहा था। पिछले थलुभवों से लोगों में यह धारणा बलवती होती जा रही थी कि बिना पूर्ण स्वतन्त्रता के राष्ट्र की आत्मा का पूर्ण विकास नहीं हो सकता। लोकमान्य तिलक, साक्षात् राजपतराय, श्री अरविन्द घोष, श्री विभीनचन्द्र पाण्डे आदि महान् नेता राष्ट्र की इस जागृत भावना का नेतृत्व कर रहे थे। वे कांग्रेस की प्रार्थना करने की नीति में ऊब उठे थे। वे उसे आगे बढ़ाना चाहते थे। वे चाहते थे कि कांग्रेस के पुराने नेताओं ने देखा कि सन् १९०७ की कांग्रेस में राष्ट्रीय दल आगे बढ़ना चाहता है, तब उन्होंने अनेक प्रकार की चाल घातियाँ खेलना शुरू कीं।

काँग्रेस नागपुर में होने वाली थी। यह कहने की आवश्यकता नहीं कि उस समय नागपुर में राष्ट्रीय दल के लोगों की ही विशयता थी। चालें चली गईं और कांग्रेस का अधिवेशन सुरत में तयदीक किया गया। नरम नेताओं की अधिकता थी। बड़े भाड़े के डेक्कीगेट बना लिये गये थे। "धेन केन प्रकारेण" राष्ट्रीय दलवालों को गिराने की पूर्व से ही तैयारी कर ली गई थी। राष्ट्र की बढ़ती हुई आकांक्षाओं को कुचलने का पण्डित और नीच प्रयत्न पहले ही से कर रहा था। लोकमान्य तिलक महात्मा अरविन्द घोष, याचू विविनचन्द्र पाण्डे आदि राष्ट्रीय दल के नेताओं ने एतद् प्रयत्न किया जिससे काँग्रेस में विघ्न न हो और देश की सच्ची

आकाँक्षाएँ कांग्रेस के सामने रखी जा सकें। पर उनकी एक न सुनी गई। उनके माध्व सभजनता का व्यवहार तक न किया गया। बेचारे लोकमान्य तिलक नर्म नेताओं से मिलने के लिये इधर उधर घूमते रहे। उन्होंने मेल करने का प्रयत्न किया पर किसी प्रकार सफल न हुए। कांग्रेस के पुराने लोगों ने सब मनमानी कार्रवाई कर ली। राष्ट्रीय दल की पूरी उपेक्षा की गई। अखिर को सत्रजेब्ट कमेटी में विशेष रूप से सर हिरो-ज्ञशाह मेहता के अनुयायी भर दिये गये। इस कमेटी ने मनमाने रूप से डॉक्टर रास बिहारी घोष को सभापति चुन लिया। राष्ट्रीय दल की इच्छा थी कि लाला लाजपत राय, जो देश निकाले का दुःख भुगत कर आये हुए थे, सभापति बनाये जाय, पर कांग्रेस के इन टेकंदारों ने उनके इच्छा की तनिक भी पूर्वाह न की। मतलब यह कि इन पुराने लोगों ने स्वेच्छाचारिता का पूरा परिचय दिया।

एक बात और ध्यान देने लायक है। राष्ट्रीय दल के नेताओं को कांग्रेस में प्लेटफॉर्म तक पर जगह न दी गई। राष्ट्रीय दल के नेता प्लेटफॉर्म के नीचे बैठाये गये। यहाँ तक कि भारतीय राष्ट्र के प्रधान सूत्रधार लोकमान्य तिलक, जिन्हें सारा राष्ट्र अपना उद्धार कर्ता समझता था और और अर्थ भी समझता है, प्लेटफॉर्म पर न बैठाये गये। लोकमान्य तिलक जब अपना प्रस्ताव रखने के लिये प्लेटफॉर्म पर चढ़ने लगे तब एक गुंडे ने आकर उन्हें धक्का देना चाहा। स्वर्गीय मि० गोखले के मना करने पर वह गुंडा एक तरफ़ हुआ। लोकमान्य तिलक बड़ी मुश्किल से प्लेटफॉर्म पर चढ़ सके। प्रेसीडेन्ट ने उन्हें अपना प्रस्ताव उपस्थित करने की आज्ञा न दी। इस पर लोकमान्य ने प्रेसीडेन्ट से कह दिया कि आप वैध शक्ति से नहीं चुने गये हैं। इतने ही अर्थ में चारों तरफ़ शोर गुल मचने लगा। जूते, पैजार तक का मोड़ा आया। सर फ़. राजशाह मेहता ने कांग्रेस में कई शब्दों की भर्ती कर रखी थी। वे लोग लोकमान्य पर, प्रेसीडेन्ट, न्यूजमैन, के अनुयायियों ने उन्हें सुखित स्थान पर पहुँचा दिया। इस गद्दबद का

या यों कहिये कि नमं नेताओं की स्वेच्छाचारिता का यह परिणाम हुआ कि उस दिन अधिवेशन न हो सका। दूसरे और तीसरे दिन भी ज्यों त्यों कार्रवाई कर ली गई। इस प्रकार नमं दल के नेताओं की स्वेच्छाचारण्य कार्रवाई से इस वर्ष तक कांग्रेस मृत्युशय्या पर पड़ी रही। दूसरे साल नागपुर में कांग्रेस होने वाली थी। पर स्वेच्छाचारी नौकरशाही ने नहीं होने दी।

इसके बाद सन् १९१६ तक कांग्रेस के जो अधिवेशन हुए उनमें कुछ नमं नेताओं और उनके चन्द अनुयायियों के सिवाय कोई नहीं जाता था। यह नाम मात्र की कांग्रेस रह गई थी। उसमें जीवन नहीं था। यह मृत प्रायः थी। देश की सच्ची आकांक्षायें उसमें प्रकट नहीं की जा सकती थीं। जो लोग नेताओं की हॉ में हॉ मिलाने की राज़ी होते थे उन्हीं की कांग्रेस में गुजर होती थी। स्वतन्त्र विचार के लोग उसमें नहीं जा सकते थे। कांग्रेस डेलीगेट के रूप में जाने के पहले उनसे इस प्रकार के प्रतिज्ञा पत्र पर दस्तख़त करवा लिये जाते थे कि हम कांग्रेस के अमुक अमुक उद्देश्यों को ध्यान में रखकर कार्रवाई करेंगे। ये उद्देश्य राष्ट्र के नहीं थे, नमं नेताओं के थे। उस समय कांग्रेस मानसिक गुलामी के लिये अच्छा साधन बनी हुई थी। और, हम इतना ही कहना चाहते हैं कि सन् १९०६ की कांग्रेस को छोड़ कर सन् १९१६ तक की कांग्रेस नाटक का एक मूठ टुकड़ा था। उसमें वास्तविक राष्ट्रीय भावना नहीं थी। वास्तविक राष्ट्रीय कांग्रेस का जन्म सन् १९१७ में लखनऊ में हुआ। इसके आगे कांग्रेस का कैसा कैसा विकास होता गया, इसका वर्णन किसी अगले अध्याय में यथावसर करेंगे।



# वङ्गभङ्ग के वाद ।



वङ्गभङ्ग ने भारतवर्ष को जगा दिया । हमसे भारत को अपनी मिःल-  
हाय अवस्था का ज्ञान हुआ । उसमें नया जीवन और नयी स्फूर्ति का  
सञ्चार हुआ । उसके वायुमंडल में राष्ट्रीय भावों के भाव मंडराने लगे ।  
उसे मालूम होने लगा कि अपने देश का सूत्र अपने हाथ आये बिना कभी  
कल्याण नहीं हो सकता । देश की स्वतन्त्रता के भाव उठते हुए नवयुवकों  
के हृदय को फड़काने लगे । मतलब यह कि देश ने एक नये युग में प्रवेश  
किया । उसमें एक प्रकार की मानसिक आग्नि होने लगी । सारे देश में  
जीवनशक्ति की विद्युत् लहर चलने लगी । देश का नवयुवक समाज अपने  
प्यारे देश की स्वतन्त्रता के लिये प्रयत्नवान होने लगा । पहले पहल  
उन्होंने स्वदेशी का शस्त्र धारण कर विदेशी माल का बहिष्कार करना शुरू  
किया । इसमें आंशिक सफलता भी हुई । पर देश के नवयुवक समाज को  
यह उपाय भी अपूर्ण जँचा । देश के स्वाधीन करने की अग्नि उसमें बढ़ी  
ज़ोर से प्रज्वलित हो रही थी । इस कार्य की सफलता के लिये उन्होंने  
उम वक्त कुछ ऐसे मार्गों का अवलम्बन किया, जो पश्चात्य थे, जो  
भारत के उच्च आदर्श के अनुकूल नहीं थे । यद्यपि भारत की नौकरशाही  
इनके इन कार्यों की जिम्मेदार थी, पर तो भी ये उपाय भारत के उच्च  
सम ध्येय के प्रतिकूल थे । ये उपाय प्रायः वही थे जो रूस के विप्लवमा-  
रियों ने, ज़ार के भयङ्कर अत्याचारों से तड़ आकर, अङ्गीकार किये थे । हम  
यहां सल्लेप से यह दिखलाना चाहते हैं कि भारत की नौकरशाही से तड़  
आकर देश की स्वाधीनता के लिये हमारे कई नवयुवकों ने कैसे कैसे प्रयत्न  
किये । यहां हम यह संकेत कर देना उचित समझते हैं कि उनके ये उपाय  
असामयिक थे, क्योंकि भारत का आदर्श हमेशा से गुप्त पट्टयन्त्रों से  
खिलाफ़ रहा है ।

# बंगाल में क्रान्तिकारक उपाय ।



जब से बह्मदुर हुआ, तभी से बंगाल में एक प्राणिकारक दल उत्पन्न हुआ। यद्यपि इस दल का अन्तिम आदर्श सर्राय प्रगमर्नाय तथा पवित्र था पर उसकी प्राप्ति के मार्ग, जैसा कि हम ऊपर कह चुके हैं, ठीक नहीं थे। बह्मदुर के याद ही से इस दल का और से कुछ कात्त होने लगे, पर सन् १९०८ के दिन ३० अप्रैल को जो बमकाण्ड हुआ उसने यह दल विशेष रूप से प्रकाश में आया। बमकाण्ड (Bomb outrage) की घटना इस प्रकार है। ३० अप्रैल को एक गाड़ी पर मुजफ्फरपुर में बम फेंका गया। इस गाड़ी में दो निर्दोष युरोपियन महिलाएँ बैठी हुई थीं। ये दोनों बम की शिकार बनीं। जाँच करने में मालूम हुआ कि बम फेंकने वालों का इरादा इन्हें मरने का नहीं था। वे मि० किंग्जफोर्ड की, जो कि कलकत्ते के डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट रह चुके थे, हत्या करना चाहते थे। किंग्जफोर्ड के बदले दो निर्दोष महिलाओं की जानें गईं। इस भीषण हत्या के दो दिन बाद, इली के सम्बन्ध में, दो नवयुवक पकड़े गये। एक ने अपना अपराध स्वीकार किया और उसको फौसी की सजा हो गई। दूसरे नवयुवक ने गिरफ्तारी के समय आत्महत्या कर ली !!

इस घटना ने कोहराम मचा दिया। अब यही जोर शोर से धर पकड़ जाने लगी। २ मई को इसी हत्याकाण्ड के सम्बन्ध में, पुलिस ने माणिक टोला बाग की तलाशी लेकर, शम्भू, दिनामाईट आदि कुछ आपत्तिजनक चीजें प्राप्त कीं। ३४ मनुष्यों को भी उसने, इस सम्बन्ध में, गिरफ्तार किया। कहने की आवश्यकता नहीं की इनमें कई निर्दोष थे।

पीछे जाकर छुट भी गये । स्वनाम धन्य अरविन्द घोष जैसे महान् और दिग्गज पुरुष को भी पुलिस ने इस भद्दे अपराध में गिरफ्तार कर लिया था । पीछे जाकर इनकी निर्दोषिता सिद्ध हुई और ये दोषमुक्त कर दिये गये । ३४ आदमियों में हाईकॉर्ट के द्वारा केवल १५ अपराधी सिद्ध हुए । शेष छद्म दिये गये । यह अभियोग अलिपुर अभियोग के नाम से मशहूर है और इसमें हमारे वर्तमान नेता दशबन्धु चित्तरजनदास बैरिस्टर ने अभियुक्तों की ओर से जिव अद्भुत योग्यता और निस्वार्थ भाव से पैरवी की, वह परम प्रशसनीय है ।

इस अभियोग में नरेन्द्रनाथ गोस्वामी नामक नवयुवक सरकारी गवाह बन गया था । उसका जेल ही में अभियुक्त बा० कन्हैयालाल दत्त और सत्येन्द्रनाथ ने मार डाला । जेल में अभियुक्तों के हाथ पिस्तौल आदि कहीं न लगे, इस बात का पता पुलिस नहीं लगा सकी । कन्हैयालाल बड़ी निर्भीकतासे फाँसी पर चढ़ गया । सुप्रसिद्ध एंग्लोइण्डियन पत्र पायो-नीयर ने उसकी तारीफ में एक लेख लिखा था । कन्हैयालाल का शव बड़ी धूमधाम से रमशान पर पहुँचा । हजारों मनुष्य और बङ्गाली महिलाएँ शव के साथ थीं । कन्हैयालाल की राख लेने के लिये हजारों मनुष्य आतुर होने लगे । कन्हैयालाल के शव का यह अपूर्व समान देख कर दूसरे अभियुक्त सत्येन्द्र का शव उसके कुटुम्बियों को नहीं दिया गया ।

१५ मई सन् १९०८ को कलकत्ते के ग्रे स्ट्रीट में बमकाण्ड हुआ । इसमें ४ आदमी जखमी हुए । इसके अतिरिक्त इय साल इस प्रकार की और भी कुछ छोटी मोटी घटनाएँ हुईं । रेल्वे पर भी कहीं कहीं बम फेंके गये । कुछ बुकिया पुलिस के अफसर भी पदपत्रधारियों के शिकार बने ।

सन् १९०८ से सन् १९१४ या १९१५ तक बङ्गाल में कुछ ऐसे ढाके गिरे जिन्हें पुलिस राजनैतिक ढाके कहती थी । सन् १९०८ में ढाका

# वंगाल में साहित्यिक जागरण



वङ्गाल में राजनैतिक जागृति के साथ साथ देश भक्ति पूर्ण साहित्यिक जागरण भी होने लगा । सुविख्यात उपन्यासकार बंकिमचन्द्र चटर्जी का 'आनन्द मठ' इस समय अत्यन्त लोकप्रिय हो गया, और देश भक्त वङ्गाली बन्धु-गण इससे प्रेरणा पाने लगे । इस ग्रन्थ का अंग्रेजी और अन्य भारतीय भाषाओं में अनुवाद हुआ । वन्देमातरम् गीत घर घर में गाया जाने लगा और यह राष्ट्र की आत्मा को देश भक्ति का दिव्य सदेश देने लगा । द्विजेन्द्रलाल राय के नाटक राष्ट्रीय भावना को फैलाने में बड़े सफल हुए और वङ्गाल का कोई ग्राम ऐसा न रहा जहाँ इस राष्ट्र गीत से देशभक्ति और राष्ट्रीयता का वातावरण फैला हो । इन नाटकों ने लोगों में इतनी उत्तेजना और जागृति फैलाई कि तत्कालीन सरकार ने इन नाटकों ज़ब्त करने का विचार किया । द्विजेन्द्रलाल राय के अतिरिक्त कवि सत्र ट् रवीन्द्रनाथ टैगोर, श्रीमती सरला देवी चौधरानी, मिस्टर ए० एफ० सेन और गजनीकान्त सेन आदि महान् साहित्यकारोंके ग्रन्थों और लेखोंने राष्ट्रीय ज्योति और राष्ट्रीय भावना फैलाने में विद्युत् सा काम किया । हिन्दू और मुसलमानों के बीच को प्रकाशित करने वाले कई ग्रन्थ और काव्य प्रकाशित हुए और उन्होंने राष्ट्रकी आत्माको जागृत करनेमें और उसे नव-चेतन युक्त करने में अद्भुत काम किया । ऐसे राष्ट्रीय काव्य भी प्रकाशित किये गये जो भारतीय महानता और देश भक्ति के भावों से परिपूर्ण थे, और जिसमें राष्ट्र की आत्मा जागृत हो सकती थी । इस कार्य में योग्य साहित्य परिषद् और राय बहादुर दिनेशचन्द्र सेन ने बड़ा काम किया । कलकत्ता युनिवर्सिटी पर इस बात के लिये बड़ा जोर डाला गया कि वह अपने पाठ्यक्रम में देशी भाषा को रखें । देशी भाषाओं के पत्र इस समय रूप चमके और उनका प्रचार दिन दूना और रात चौगुना बढ़ने

लगा । राष्ट्रीय भावनाओं को फैलाने में और राष्ट्रीय ज्योति को अधिक उम्रता के साथ प्रज्वलित करने में इन्होंने बड़ा काम किया । यह एक बड़ी जरूरतस्त शक्ति हो गई ।

राष्ट्रीय जागृति के साथ २ साहित्य और कला का विकास की बहुत जोरों से होने लगा । डॉ० धवनीन्द्र नाथ टैगोर और उनके भाई गजेन्द्र नाथ टैगोर, नटलाल बोस आदि कलाकारों ने भारतीय चित्रकला में नवीन जीवन डाला और उनकी कला न केवल भारतवर्ष में, पर ससार में, आदर की वस्तु हो गयी । ससार के कलाकारों को उन्होंने एक आदर्श पथ बतलाया । इन कलाकारों की चित्र कला आदर्शवाद पर स्थित थी । मानव के आन्तरिक और आध्यात्मिक दृष्टिकोण को प्रकट कर, सौंदर्य और छलितकला का वातावरण उत्पन्न करने में इसने बड़ी सहायता दी । राष्ट्रीय साहित्य के उत्पादन में श्री अरविंद घोष की दिव्य लेखनी ने भी बड़ा काम किया । अरविंद की मनोरचना आध्यात्मिक थी । उन्होंने अपने 'बन्धेमातरम्' पत्र में तथा अन्य ग्रन्थों में यह दिखलाया कि भारतीय राजनीति की पृष्ठभूमि आध्यात्मिक है और भारतीय स्वातन्त्र्य संग्राम का अन्तिम उद्देश्य मानव जाति का अखिल कह्याण है । वह अपने साथ सारी मनुष्य जाति को उठाकर उनकी आरमा तक को स्वतन्त्र करने की अभिलाषा रखता है । वैज्ञानिक क्षेत्र में भी उस समय बङ्गाल ने बड़ी प्रगति की । सर जगदीश चन्द्र बोस ने वनस्पति में जीव होने के सिद्धांत को वैज्ञानिक प्रयोगों द्वारा सिद्ध करके भारत की प्राचीन मान्यता की सच्चाई को प्रकट किया । इसी प्रकार सर पी० सी० रॉय ने रसायन ससार में कई मार्गों के अन्वेषण कर वैज्ञानिक संसार को नई देन दी ।

कवि सम्राट् रवीन्द्रनाथ टैगोर ने बङ्गला भाषा में साहित्य और काव्य की कई मूल्यवान रचनाएँ कर राष्ट्र के सामने मानवता और देश भक्ति के उच्च आदर्शों को रक्खा ।

कहने का मतलब यह है कि राजनैतिक जागृति के साथ २ उस समय साहित्यिक जागरण भी वही शीघ्र गति से हो रहा था । —.❁—



# वङ्गभङ्ग के समय के भारतीय नेता ।



लाला लाजपतराय—लाला लाजपत राय 'पंजाब कैदारी' के नाम से प्रसिद्ध थे। उनकी गणना लोकमान्य तिलकके समकक्ष नेताओं में होती थी। उन दिनों 'लाज पाज पाल' की कहावत मशहूर थी। खाल से खाला लाजपतराय, बाल से बाल गद्गाधर तिलक और पाल से विपिनचन्द्र पाल का मतलब था।

लाला लाजपत राय अपने समय के महान् राष्ट्रीय नेता थे। पंजाब के सार्वजनिक जीवन पर तो उनका एकाधिकार था। धार्यसमाज के जो वे एक महान् नेता थे। लाहौर के सुप्रसिद्ध दशानन्द पुरोहितके शौलेनके लिये उन्होंने बड़ा त्याग किया था। वे बड़े प्रभावशाली लेखक, कट्टर समाज सुधारक और प्रभाषणात्मी चला थे। सुप्रसिद्ध पत्रकार सर 'सी० वार्ड० चिन्टामणी ने अपने 'भारतीय राजनीति के भरती वर्ष' नामक पुस्तक में लालाजी के सम्यन्व में लिखा है—

“पंजाब के स्वरूप में उनका समर्थ करते ही मुझे सांघट जोड़ का समर्थ हो जाता है। जनता में प्रीति की भावना उत्पन्न कर देने में दोनों की शक्ति एक ही जैसी थी। लाजपतराय के उर्दू भाषण जनता पर जैसा जोश करने वाला प्रभाव डालते थे, वीसा प्रभाव डाल सकने वाले भाषण मैंने बहुत कम सुने हैं। उनके कुछ उर्दू भाषणों की तुलना मि० खॉयड वॉर्जे के छन्दन की सभाओं में दिये गये भाषणों से ही की जा सकती है। सन् १९१२ में पटना की कमिस में एक ही विषय पर उनके समाचार तीन भाषण हुए थे, जिनमें से प्रत्येक की अपनी कुछ विशेषता थी। मि०

गोखले उस समय प्रवासी भारतीयों की परिस्थिति का अध्ययन करने के लिये दक्षिण अफ्रीका गये थे । उन्होंने उनके विषय में प्रस्ताव पेश करते हुए ४५ मिनट तक असेम्बली में भाषण दिया । मैंने उन्हें किसी अन्य अवसर पर इतने धारा प्रवाह, इतनी भावुकता, इतने जोश और इतने रोप के साथ बोलते हुए नहीं सुना । वैसे तो उनका प्रत्येक भाषण ही 'बुद्धि विलास' का चमत्कार होता था, परन्तु यह विशेषरूप से उग्र था । मैंने उन्हें इतना उत्तेजित और कभी नहीं देखा था । उनके बाद पंडित मदनमोहन मालवीय ने हिन्दी में भाषण किया । उन्होंने दक्षिण अफ्रीका के भारतीयों पर होने वाले अत्याचारों का ऐसा कथरुणिक वर्णन किया कि प्रायः सभी श्रोताओं की आँखें भोग गईं । उनके इस भाषण का जिसके हृदय पर प्रभाव न पड़ा होगा उसका हृदय मानव का हृदय न रहा होगा । उनके बाद लाला खोजतराज का उर्दू में भाषण हुआ जो सबसे अधिक पुरुषत्व पूर्ण था । उसने लोगों की उत्तेजना को इतना जागृत कर दिया था कि मुझे उस समय यह विचार हुआ था कि अगर इस समय यहाँ कोई दक्षिणी अफ्रीका का गोरा होता, तो उसकी जान की रीर न रहती । लाजपत राय पर सरकार की अकृपा काफ़ी रही । महायुद्ध के वर्षों में तथा उसके बाद कोई डेढ़ साल तक वे एक प्रकार से अपने देश से निर्वासित ही रहे । जब उन्हें छूट जाने की आशा मिल गई, तो उन्होंने आते ही अपना सदा का काम शुरू कर दिया । असाह-योग तथा पार्लियामेंटरी कार्य पद्धति के बीच वे बार-बार कभी इधर कभी उधर फुलते रहे । एक बात में उनका अपने कतिपय कांग्रेसी सहकारियों से सदा मत भेद रहा । उन्होंने हिन्दू हितों की कभी भेंट नहीं चढ़ाई । वे हिन्दू-मुसलिम ऐक्य के लिये किसी से क्रम उत्सुक नहीं थे, परन्तु उनका यह विश्वास कभी न रहा कि हिन्दू हानि का भारी मूल्य चुका कर एकता को खरीदा जाय । उनकी मृत्यु वही दुःख जनक परिस्थिति में हुई । खादी में साईमन कमिशन के बहिष्कार सम्बन्धी प्रदर्शन में भाग लेते समय उन पर अकाम्य किया गया

जिनसे उन्हें थोटा छोड़ और उसके बाद वे एक पन्द्रहरे में अधिक जीवित न रहे। मैं उन लोगों में हूँ, जिन्का विश्वास है कि यह घटना उनको मृत्यु को लाने का कारण बनी।”

लाला लाजपत राय ने अपनी प्रभावशाली वक्तृता शक्ति और अपूर्व स्वार्थत्याग से भारतीय राष्ट्र के हृदय में अपना विशेष स्थान प्राप्त कर लिया था। भारतीय स्वतन्त्रता के लिये उनके दिख में बड़ी ध्यान थी और वह ध्यान समय समय पर उनके भाषणों द्वारा प्रकट होती थी। ई० सन् १९०७ में पंजाब में नहर आन्दोलन के सम्बन्ध में तत्कालीन भारत सरकार ने उन्हें भारत से देश निकाला देकर मंडाले की जेल में रक्खा था। इससे देशभर में सरकार के खिलाफ गुस्से की एक ज्वरदस्त लहर चली। सारे देश ने लालाजी की निर्दोष समझ कर उनके प्रति महानुभूति प्रकट की। देश में उनका मान सम्मान अधिक बढ़ गया। नर्म नेता माननीय श्री गोखले तक ने लालाजी के प्रति सहानुभूति प्रकट करते हुए सरकार के इस कार्य की निन्दा की। उन्होंने सरकार की नीति की भारी भूख बतलाया। इतना ही नहीं गोखले महोदय लालाजी के पुटकारे के लिये तन मन से प्रयत्न करने लगे। गोखले महोदय ने २४ मई १९०७ को जो अंग्रेजी पत्र लिखा था उसका सारांश हम नीचे देते हैं —

“मेरे विचार में हमें तब तक चैन नहीं लेना चाहिये जब तक कि हम लालाजपत राय को मुक्त न करवा दें। मैं कल खात इसी उद्देश्य को लेकर माथेरान में सर फिरोजशाह मेहता से मिलने गया था। मेरी तीन घण्टे तक उनके साथ बातचीत हुई और इस सम्बन्ध में जो कदम उठाने चाहिये उसमें हम एकमत रहे। हाँ, यह बात ज़रूरी है कि जब एक पार्लियामेन्ट में भारत के सम्बन्ध में वादविवाद न हो तब तक हमें उदरना चाहिये। सम्भव है लॉर्ड मार्ले अपना कुछ वक्तव्य दें और वे

लाला लाजपतराय के मामले पर प्रकाश डालें । यह वादानुवाद ही जाने पर हम वॉयसराय की सेवा में एक मेमोरियल पेश करेंगे जिसमें धारा सभा के वर्तमान और भूतपूर्व सदस्यों के, कांग्रेस के भूतपूर्व समापतियों के और प्रान्तीय कन्फ्रेंसों के भूतपूर्व अध्यक्षों के हस्ताक्षर होंगे । मैं खुद विभिन्न प्रान्तों में जाकर इस मेमोरियल के लिये हस्ताक्षर प्राप्त करूँगा और फिर इसे पेश करने के लिये शिमला जाऊँगा । मैं सरकार के विभिन्न सदस्यों से मिलकर लालाजी की रिहाई के लिये प्रयत्न करूँगा । अगर हम हतने पर भी इसमें असफल हो गये तो तीन आदमियों का एक डेप्युटेशन इज़लैण्ड जायेगा और वह ब्रिटिश लोकमत को अपने पक्ष में करने का प्रयत्न करेगा । इस डेप्युटेशन में मि० आर० सी० दत्त, मि० सुरेन्द्रनाथ बनर्जी और मैं रहूँगा । अगर मद्रास से नवाब सैय्यद हमारे साथ जाने के लिये तैयार हुए तो हम उन्हें भी अपने साथ ले लेंगे ।”

“लाला लाजपतराय के देश निर्वासन से देश इस छोर से लगाकर उस छोर तक काँप गया है । मि० गॉर्ले के लिये छोग बहुत कष्टी और कठोर बातें कहने लग गये हैं । लाजपतराय का निर्वासन दुःख कारक-अत्यन्त दुःख कारक घटना है । पर इस समय हम मज़बूर हैं ।”

श्री गोखले के प्रयत्नों से लाला लाजपतराय का छुटकारा हो गया । जब लाला लाजपतराय लौटकर आये तब भारत ने उनका हार्दिक स्वागत किया और सारे देश ने बड़े सन्तोष का अनुभव किया । वह फिर उसी जोश के साथ देशसेवा के पवित्र कार्य में लग गये । उन्होंने देश के राजनैतिक और सामाजिक विकास में जो महान् कार्य किया है वह भारत के इतिहास में अमर रहेगा ।

### विपिनचन्द्र पाल

वंगभंग के समय विपिनचन्द्र पाल भारत के अग्रगण्य नेताओं में

ने। उस समय देश में नारायणजी श्रीर वरद्वय के दर्शन में उनके प्रभावशाली भाषणों ने बड़ा काम किया। वे अपने समय में कामरेव के पहले दर्जों के यत्नों में माने जाने थे। विभिन्न धर्मों का प्रतिपक्ष से बहुत पहले सन्तुष्ट शुरु हुआ था। यहिन्दु, ख्रिश्चियन और राष्ट्रीय विद्या के नये विद्वान् का प्रचार करते हुए उन्होंने सारे देश में अपनी पाठ्यशास्त्रिका का भिन्ना जमा दिया था। इच्छा के अधिवेशन में उन्होंने यहिन्दु का जो उग्र और व्यापक धर्म किया था, उसका विपक्ष सभी यत्नों में प्रतिपक्ष किया। उन्होंने मद्रास में १९०७ में जो भाषण दिये थे, पृथ्वीदेव जनरल सर पी० माप्यम चायगर ने उन्हें मद्रकाने वाले, राजद्रोह पूर्ण समझा था और वे मद्रास प्रदाते से निकाल दिये गये। लॉर्ड मिन्टो के समय उन्हें एक बार देश निकाला भी मिला था। एक दूसरे वक्त, जब 'वन्दे मातरम्' के सम्पादन की हिसियत से श्री अरविन्द घोष पर मुकदमा चल रहा था, उन्होंने यह मानकर गम ही देने से इन्कार कर दिया था कि उनकी गवाही अरविन्द के बहुत खिलाफ पड़ेगी। इस कारण ६ मास की सजा उन्होंने गुशी से भुगत ली। भारत छोड़ने के बाद उन पर मुकदमा चलाया गया पर उन्होंने माफ़ी माग ली। उनका धारित इतिहास राष्ट्रीय राजनीति में उनके उत्साह के निरन्तर पतन का इतिहास था। सबसे धारित बार सार्वजनिक कार्य में लोगों ने उन्हें सन् १९२८ के सर्वदल सम्मेलन में देखा। यह हमें अत्यन्त स्वीकार करना होगा कि यह उन थोड़े से लोगों में थे जिन्होंने अपने भाषणों और 'न्यू इण्डिया' तथा 'वन्देमातरम्' के लेखों द्वारा उस समय के नयुवकों पर जादू कर दिया था।

### अरविन्द घोष

पंजाब के समय जिन महान् नेताओं ने देश में जागृति की ज्योति को प्रकाशित किया था उनमें श्री अरविन्द घोष का आसन बहुत ऊँचा है। श्री अरविन्द घोष का जन्म खन्दन में हुआ था और यहीं उन्होंने

शिक्षा प्राप्त की थी । वे आई० सी० एस० की परीक्षा में घोड़े की सवारी ठीक न करने के कारण असफल रहे । इसके बाद वे चंडीदा कॉलेज के चाइंस प्रिन्सिपल हो गये । पर ज्योंही उन्हें यह आत्मप्रेरणा हुई कि देश को उनकी सेवाओं की ज़रूरत है तो वे क्षेत्र में उतर पड़े । वे नौकरी छोड़कर कलकत्ता चले गये और राष्ट्रीय आन्दोलन को संचालित करने लगे । उनका प्रभाव दिन दूना और रात चौगुना बढ़ने लगा । जनता के ये हृदय सम्राट् हो गये । उन्होंने बन्दे-मातरम् नामक अंग्रेजी पत्र का सम्पादन किया और उसके द्वारा वे भारतीय स्वाधीनता का संदेश देने लगे । उनका अंग्रेजी भाषा पर अद्भुत् अधिकार है और उनके लेखों को, जो अर्द्ध-आध्यात्मिक शैली में होते थे तथा साहित्यिक छटा की दृष्टि से बड़े सुन्दर होते थे और राजनीतिक उत्तेजना से-श्रोत प्रोत्त रहते थे, पाठक बड़े प्रशंसात्मक भाव से पढ़ते थे । लेखों में लोकमत को उच्चजित कर सकने की शक्ति थी । श्री अरविंद घोष पर जो भयानक आरोप लगाया गया था, उससे वे सौभाग्यवश मुक्त हो गये । उन्हीं के मुकदमे के संबंध में उनके घसील को, जो आगे चल कर स्वयं एक प्रमुख राजनीतिज्ञ हुए, सारा देश जान गया । कहना न होगा कि हमारा अभिप्राय देशबंधु सी० आर० दाम से है । श्री अरविंद घोषने कुछ ही समय के उपरांत राजनीति से अवकाश ग्रहण कर लिया और वे ब्रिटिश भारत से भी चले गए । धार्मिक तथा तत्त्वज्ञान संबंधी निगूढ़ विषयों की गहन व्याख्या में उन्हें रूपने उपयुक्त कार्य मिल गया । उन्होंने इन विषयों की अपनी रचनाओं से भारतीय साहित्य की श्री मृत्ति की है और हमारा विचार है कि ये रचनाएं संसार का स्थायी साहित्य की विभूतियां हैं ।



# सरकारी दमन

## नेताओं का निर्वागन

छोट नेताओं का निर्वागन ज्यों ज्यों बगाल का आन्दोलन बढ़ता गया त्यों त्यों सरकार का दमन भी उग्र होता गया। इंग्रजी सन् १९०८ में बंगाल के कई सांख्यिक कार्यकर्ता, जिनमें बाबू अरिबनी कुमार दत्त तथा बाबू कृष्णगुप्त मित्र भी थे, निर्वासित कर दिए गए। यह कार्यवाही सन् १८९८ के रेगुलेशन के अनुसार की गई थी, जिसे सर सत्यद्वारी घोष ने गैर कानूनी कानून कहा था। उसी महीने में टिमिनल खा एमेंडमेंट ऐक्ट पास हुआ जिसके दूसरे भाग का सत्याग्रहियों को गैर-कानूनी घोषित करने में व्यापक उपयोग हुआ है। माराश यह कि सरकार ने शिकायतों को दूर करके नहीं बल्कि दमन के द्वारा आंदोलन का अंत करने की भारी कोशिश की।

## दमन नीति का दारदौरा

बगाल के बाद यहाँ राष्ट्रीय आन्दोलन जोर पकड़ता गया। ब्रिटिश सरकार ने भी निर्दयता पूर्ण दमन नीति से काम लेना शुरू किया। लोकमान्य तिलक को, जैसा कि हम गत अध्याय में लिख चुके हैं, अपना पत्र "केसरी" में प्रकाशित दो लेखों के कारण ६ वर्ष की कठोर कारावास की सजा दी गई। अनेक क्रान्तिकारी फाँसी पर लटकाने गये। अनेकों को कालेपानी की सजा हुई। अनेक समाचार पत्रों के सम्पादक स्वराज्य और स्वतंत्रता की आवाज़ उठाने तथा राष्ट्र भक्तों पर होने वाले अत्याचारों के खिलाफ आवाज़ उठाने के कारण जेलों में डूँस दिये गये और उनके साथ खूनी अपराधियों से भी अधिक कठोर व्यवहार किया

गया, इसका एक ज्वलन्त उदाहरण हम श्रीमती एनी बेवेन्ट के "न्यू इयिडिया" नामक पत्र से यहाँ देते हैं:—

"स्वराज्य के भूतपूर्व सम्पादक मि० रामचरणलाल की दुःखी अवस्था ज्यों की त्यों बनी हुई है। नागपुर के सिटी मैजिस्ट्रेट ने आपकी सजा की मियाद खत्म हो जाने पर भी और छः मास के कठोर कारावास का दण्ड दिया है। आपका अपराध केवल यही था कि आपने काम करने से इन्कार किया था। हमारे पाठकों को इस मामले का हाल मालूम होगा। इस हतभाग्य राजनैतिक कैदी के इतनी क्रूरता के साथ कोड़े मारे जाते हैं कि वह बेहोश तक हो जाता है। जेल के डॉक्टर को यह कहना पड़ा है कि कोड़ों की मार के कारण कैदी चार दिन तक काम करने में असमर्थ होगा। छः दिन तक इस बेचारे के मार के निशान नहीं मिटे! इसे फिर छः मास की कड़ी सजा हुई। यह देखिये एक राजनैतिक कैदी के साथ किस प्रकार का व्यवहार हो रहा है? क्या 'हाउस ऑफ़ कॉमन्स' में ऐसा कोई भी सदस्य नहीं है जो इस मामले के सम्बन्ध में प्रश्न पूछे और इस बात की जाँच करने के लिये जोर दे कि ब्रिटिश भारत राजनैतिक कैदियों के साथ कैसा व्यवहार किया जाता है।"

भारत के तत्कालीन सेक्रेटरी ऑफ़ स्टेट फॉर इयिडिया लॉर्ड मॉर्ले ने हालही में "My Recollections" नामक ग्रन्थ लिखा है। इसमें आपने अपना वह पत्र-व्यवहार भी प्रकाशित किया है, जो उनके और लॉर्ड मिन्टो के बीच हुआ था। इस पत्र व्यवहार से मालूम होता है कि खुद लॉर्ड मॉर्ले भारत सरकार की उस भयङ्कर दमननीति के खिलाफ़ थे जो उस समय यहाँ काम में लाई जा रही थी। हम यहाँ केवल एक दो उदाहरण देकर यह दिखलाना चाहते हैं कि उस समय की दमननीति को खुद लॉर्ड मॉर्ले किस दृष्टि से देखते थे। आपने अपने एक पत्र में लॉर्ड मिन्टो को लिखा था—

I must confess that I am watching with the



deepest concern and dismay the thundering sentences that are now being passed for sedition etc I read today that stone throwers in Bombay are getting twelve month's This is really outrageous The sentences on the two Tinneveli men are wholly indefensible one gets transportation for life, the other for ten years I am to have the judgment by the next mail, and meanwhile think he has said enough when he tells me that "the learned judge was in no doubt as to the criminality of the two men" This may have been all right, but such sentences " They can not stand I can not on any terms consent to defend such monstrous things I do therefore urgently solicit your attention to these wrongs & follies We must keep order but excess of severity is not the path of order On the contrary it is the path to the bomb "

अर्थात् राजविद्रोह के लिये आज कल जो भयानक सजाएँ दी जा रही हैं, उन्हें मैं अत्यन्त चिन्ता और भय के साथ देख रहा हूँ। मैंने आज पढ़ा है कि बम्बई में पथर फेंकने के अपराध में लोगों को चारह चारह मास की सजाएँ हुई हैं। दर असल यह बहुत सख्त है। तिनवेली के दो मनुष्यों को अर्थात् आजम काले पानी और दस वर्ष की कड़ी सजाएँ हुई हैं, पूर्ण रूप से असमर्थनीय हैं। दूसरी डाक से मेरे पास इसका फैसला पहुँच जायगा। यह बात सत्य हो सकती है कि जज को इनके अपराधों के विषय में सन्देह न होगा। इस पर ऐसी सजाएँ! इन सजाओं का समर्थन ही नहीं सकता। मैं इस प्रकार की भयानक बातों का पच नहीं ले सकता। अतएव मैं आपका ध्यान इन भूलों और

चेतुर्दशियों की ओर आकर्षित करता हूँ । हमें व्यग्रता रखना चाहिये, पर अधिक सख्ती व्यवस्था का मार्ग नहीं है । इसके विपरीत वह तो यम का मार्ग है । ( अर्थात् लॉर्ड मॉर्ले के कथनानुसार ज़रूरत से ज्यादा सख्ती ही यम कायदा का कारण होती है । )

इस प्रकार लॉर्ड मॉर्ले ने और भी अनेक अत्याचारों का वर्णन किया है । ये बातें ऐसे जैसे आदमी की नहीं, सात स्टेट सेक्रेटरी की हैं । पाठक सोच सकते हैं कि भारत सरकार की दमन नीति को जब खुद स्टेट सेक्रेटरी इस घुरी दृष्टि से देखते थे, तब साधारण भारतीय जनता किस दृष्टि से देखती होगी । अगर वह अपने नवयुवकों को ज़रा ज़रा से अपराधों पर इतनी भयानक सज़ाएँ भुगतते हुए देखती होगी तो क्या उसका खून नहीं उबल पड़ता होगा । यह मनुष्य स्वभाव है । इस प्रोध के जोश में हमारे कुछ कच्चे दिमाग़ नौज़वानों ने कुछ बेसमझी और और नादानी के काम किये तो इसके ज़िम्मेदार जितने वे नवयुवक हैं, उससे भी अधिक ज़िम्मेदार दमन का आश्रय लेनेवाली मौक़रशाही थी । संसार का इतिहास हमें यह दिखलाता है कि दमननीति ही फ़ान्ति और राजविद्रोह के बीज होती है । अतएव एक प्रख्यात अमेरिकन मि० धारो का कथन है कि—“जो सरकार जितना अधिक दमन नीति का आश्रय लेती है, वह उतनी ही अयोग्य है । मयने अच्छी सरकार यही है, जिसे सभसे कम शासन करना पड़े” ।



# माँएटेगु-चेम्सफोर्ड योजना



पन्द्रह के बाद राष्ट्रीय आन्दोलन कुछ वर्षों तक जोर शोर से चलता रहा। सरकार ने एक ओर तो भयङ्कर दमन नीति का आश्रय लिया और दूसरी ओर भारतवर्ष को कुछ नाम मात्र के सुधार देकर जनमत को सन्तुष्ट करना चाहा।

सन् १९०८ ई० के २७ नवम्बर को भारत के तत्कालीन सेक्रेटरी ऑफ़े माल्स ने अपनी सुधार योजना प्रकाशित की। पार्लियामेन्ट ने यह योजना स्वीकृत कर ली। सन् १९०६ ई० के १५ नवम्बर को इस योजना के सम्बन्ध में भारत सरकार का प्रस्ताव प्रकाशित किया गया जिसमें यह कहा गया कि उक्त तिसी से उक्त सुधार कानून अमल में आजायगा और चाते वर्ष में सशोधित धारा सभाएँ संगठित होकर अपना काम शुरू कर देंगी। इस प्रकार सन् १९१० ई० के १५ जनवरी को तत्कालीन वायसराय ऑर्डर मिण्टो की अध्यक्षता में इस सुधार योजना के अनुसार बनी हुई धारा सभा का उद्घाटन हुआ।

यद्यपि इन सुधारों से राष्ट्रीयों को कतई संतोष नहीं हुआ, पर उन्होंने यह समझ कर इन्हें स्वीकार कर लिया कि जितना प्राप्त हो उन्हें बर्गीकार कर अधिक के लिये आन्दोलन करना चाहिये। इस सुधारों में कोई नया सिद्धांत स्वीकार नहीं किया गया था और न इनमें उत्तरदायी सरकार देने की ही योजना थी। हाँ, इनमें धारा सभा को अधिक व्यापक निर्वाचन के तत्व पर स्थापित करने की योजना थी। इसके अतिरिक्त यह योजना पार्लियामेन्टरी पद्धति का उपक्रम भी नहीं था। भारत सेक्रेटरी

का यह भी उद्देश्य नहीं था कि ब्रिटिश पार्लियामेंट ने धारतविक सत्ता भारतीय जनता को हस्तान्तरित की जावे। हां, इसमें चुनाव के तन्त्र को अवश्य स्वीकार किया गया था। कौंसिलों के सदस्यों की संख्या बढ़ा दी गई। उन का प्रश्न पूछ सकने का अधिकार पहले से अधिक विस्तृत कर दिया गया और उन्हें बजट के सम्बन्ध में प्रस्ताव पेश कर सकने का अधिकार भी दे दिया गया। प्रांतीय कौंसिलों में गैर-सरकारी सदस्यों का बहुमत भी कर दिया गया। दो वर्ष पूर्व दो भारतीयों की भारत-मंत्रों को कौंसिल में प्रथम बार नियुक्ति हो चुकी थी और कौंसिलों के सुधार के साथ वायसरॉय तथा चम्बर्ड और मद्रास के गवर्नरों की कार्यकारिणी कौंसिलों में भी एक-एक भारतीय की नियुक्ति कर दी गई। बंगाल में भी कार्यकारिणी कौंसिल की स्थापना हो गई और उसमें भी एक भारतीय को स्थान दिया, पर यह तो सब केवल नाम मात्र के सुधार थे जिनमें भारत को कोई वास्तविक सत्ता नहीं दी गई थी।

### सांप्रदायिक निर्वाचन का सूत्रपात

जिस सांप्रदायिक निर्वाचन की नींव इन सुधारों में डाली गई, उनके जहरीले फल आज स्वतंत्र भारत बुरी तरह भोग रहा है। आज देश में जो हाहाकार मच रहा है उसका बहुत सा दोष सांप्रदायिक निर्वाचन की विपरीत पद्धति पर है।

इन सांप्रदायिक निर्वाचनों का सूत्रपात लार्ड मिन्टो ने किया। सन् १६०४ का एक्ट अपने साथ एक ऐसी बुराई लाया जो तब से अब और भी बढ़ गई है। हमारा मतलब है सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली से। इसका थोड़ा लॉर्ड मिन्टो को है। १ अक्टूबर, १६०६ को उनसे शिमला में भारत भर के मुसलमानों का एक प्रभावशाली डेप्युटेशन मिला जिस के नेता थे दिग्गज हार्नेस आगा खां। डेप्युटेशन ने आश्चर्यजनक दाने पेश किये और स्पष्टतः प्रत्यक्षरूप के मित्रांत का राग अलापा। लॉर्ड मिन्टो

ने इन घायल शूरवीरों को तथा और-याज्ञिकी मार्गों का अपनी तथा मरकार की ओर से पूर्ण शीघ्रता से समर्थन कर दिया कि संदेह उत्पन्न होता स्वभाविक था। अब तो यह बात सभी को मालूम है कि डेप्युटी-गवर्नर की गुरु विज्ञान-मौलिक नहीं थी,। उन्हें शिमला से इशारा मिला था। होम डिपार्टमेंट के चतुर कर्मचारियों ने जब देखा कि मुघलों का होना तो अनिवार्य है, उन्हें तो हम रोक नहीं सकते, तो उन्होंने सोचा कि चलो देश के दो प्रमुख सम्प्रदायों के बीच भेद डाल दो। उनके दिल में यह विचार रहा होगा, और और मरकारी अंग्रेज तो यह बात खुले तौर पर कहने में भी संकोच नहीं करते थे कि अगर हिन्दू और मुसलमान मिलकर एक हो गए तो फिर हम कहाँ रहेंगे? इस घुराई को भी यथाशक्ति कम करने की लॉर्ड मॉर्ले ने कोशिश की। आपने १९०८ के प्रस्ताव में उन्होंने प्रस्ताव दिया कि निर्वाचन तो संयुक्त रूप से ही हो, परन्तु मुसलमानों के लिये कौंसिलों में स्थान सुरक्षित कर दिये जायें। लेकिन इस प्रस्ताव के विरुद्ध फ्रेंच हिन्दुस्तान में आन्दोलन खड़ा करा दिया गया। भारत सरकार लॉर्ड मॉर्ले के प्रस्ताव के विरुद्ध थी और इस मामले में अपनी बात रखने पर तुली हुई थी। होम डिपार्टमेंट में उस समय एक अधिकारी थे जो जित ही प्रतिक्रियावादी थे उतने ही कुशल थे। वे येसर हर्बर्ट रिजले और मुसलमानों में भी ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने अपनी जाति के कठिण लाभ के लिए साम्प्रदायिक आंदोलन का संगठन करने में संकोच नहीं था। लॉर्ड मॉर्ले के प्रस्ताव के सरकारी विरोधियों के लिए इससे अच्छी बात और क्या हो सकती थी? आंदोलन विलायत तक भी जा पहुँचा, जहाँ उसके नेता आगाज़ा और स्वर्गीय मि० अमीर अली थे। हाउस ऑफ़ कामन्स में भी उनके समर्थक निकल आए जिनमें लॉर्ड रोना रडगे (जो बाद में बंगाल के गवर्नर हुए और अब लॉर्ड जेटलेइ के नाम से प्रसिद्ध है) और सर विलियम जानसन हिक्स (बाद को लॉर्ड मॉन्टगोमरी) मुख्य थे। आन्दोलन सफल हुआ और लॉर्ड मॉर्ले को

झुकना पडा । भारतीय राजनीति के क्षेत्र में साम्प्रदायिक विप्लव बगा दिया गया ।

उक्त सुधारों के द्वार उन लोगों के लिये बंद कर दिये गये थे जिन्होंने देश की स्वतंत्रता के लिये आवाज़ उठाई थी, जिन्होंने भारत में नवजागृति का सन्देश फैलाने में हिस्सा लिया था । लोकमान्य तिलक के प्रधान सहकारी श्रीयुत नृसिंह चिन्तामणि बेलकर बम्बई कौन्सिल के लिये उम्मीदवार हुए । तत्कालीन नग्यइं सरकार ने उनपर उम्मीदवारी यह कह कर अस्वीकृत कर दी कि उनके पूरे जीवन की घटनाएँ और कीर्ति सार्वजनिक हित में बाधक है । म्युनिमिपैलिटियों और डिस्ट्रिक्ट बोर्ड में भी उक्त सुधारएक्ट की धारा का सहारा लेकर ऐसी व्यवस्था की गई जिसमें उग्र राजनैतिक मतानुयायी उनमें प्रवेश न कर सकें ।



### प्रेस एक्ट -

मिंटोमॉर्ले सुधारों के अनुसार बनी हुई केन्द्रीय धारासभा में जो सबसे पहले कानून बना वह भारतीय प्रजा के एक मौलिक अधिकार का घातक था । आधुनिक राजनीति के आचार्यों ने एक स्वर से मुद्रण-म्यातन्य को प्रजा का एक मूलभूत अधिकार माना है, पर यहा की नवनिर्मित केन्द्रीय कौन्सिल में मुद्रण म्यातन्य का घातक प्रिल रखा गया । यह घड़ी ही तेज़ी से पाम किया गया । श्रीयुत चिन्तामणि अपने "भारतीय राजनीति के अस्वी वर्य" नामक ग्रन्थ में लिखते हैं — "मुझे विस्मय सूत्र से मालूम हुआ कि बिना जिन रूप में तैय्यार हुआ था वह धीरे धीरे अधिक भयानक था । परन्तु कानून सदस्य ने उम्मे उव रूप में पेश करन के इन्कार कर दिया और जब उन्होंने वापसराय की कार्यकारिणी कौन्सिल में बहुमत अपने विरुद्ध पाया तो अपन पत्र से त्याग पत्र दे दिया ।

परन्तु न तो लॉर्ड मॉर्ले और न लॉर्ड मिन्टो ही मिन्टो स्वदेशीय सिन्हा या गदयोग को देने के लिये राशी थे और परिणाम स्वल्प समझीता हो गया। भारत सरकार के कुछ आई० सी० एस सदस्यों ने मि० सिन्हा को इस बात के लिये कभी जमा नहीं किया। परन्तु मि० सिन्हा संशोधित बिल से अब भी असन्तुष्ट थे और उन्होंने कहा कि वे कैम्ब्रिज में बिल पर वोट देने के समय तटस्थ हो जावेंगे। परन्तु उन्हें समझाया गया कि उनका ऐसा करना हचित न होगा, याम् का इस बात का लिहाज रखते हुए कि भारत-मन्त्री तथा वाइसराय ने बिल में उनकी खातिर कुछ कुछ सुधार कर दिया था। प्रेस एक्ट के कारण लॉर्ड सिन्हा के मन्थन में देश में इतनी गुलबर्ही फैली और उन पर वर्षों तक इतने आरोप लगाए कि जब सन् १९१६ में मि० चर्चले मार्टिन का आरेपारमक लेख प्रकाशित हुआ तो विधायक के एक पत्र में ठीक ठीक बातें बताईं जो कि मुझे श्री गोलवे से उसी वर्ष (१९१६ में) मालूम हो चुकी थीं और बाद को मैं जिन्टो न्यय लॉर्ड सिन्हा से भी सुन चुका था। फिर भी यह तो कहना ही पड़ेगा कि एक्ट बड़ा कठोर था और उसके बारह वर्षों के जीवन में उसने बड़ा उत्पात हुआ। स्वतन्त्र तथा स्वस्थ समाचार पत्रों के विकास के लिये यह घातक ही था।”



# प्रथम महायुद्ध का आरम्भ



सन् १९१४ ई० में यूरोप में मित्र राष्ट्रों और जर्मनी के बीच युद्ध छिड़ गया। इस युद्ध में भारत ने, यह समझ कर कि निकट भविष्य में उसकी राजनैतिक आकांक्षाएँ पूरी हो जावेंगी, ब्रिटिश सरकार की शर्षयल व जनबल से पूरी पूरी सहायता की।

सन् १९१५ ई० में बम्बई में राष्ट्रीय कांग्रेस का जो अधिवेशन हुआ, उसके अध्यक्ष लॉर्ड सिन्हा ने इस बात पर जोर दिया कि ब्रिटिश सरकार भारत के सम्बन्ध में अपनी नीति की स्पष्ट घोषणा करवे। लोकमान्य तिलक ने भी यह स्पष्ट रूप से कहा कि अगर ब्रिटिश सरकार भारत की राजनीतिक आकांक्षाओं को पूर्ण करने का वचन दे तो भारत युद्ध में पूरी मदद दे सकता है। इतना ही नहीं, ब्रिटिश सरकार की नीति पर विश्वास कर भारत ने उसे तन, मन, धन, से हार्दिक सहायता दी। इस सहायता को ब्रिटिश राजनीतिज्ञों ने मुक्त कण्ठ से स्वीकार किया है। पर इसका नतीजा क्या हुआ? युद्ध समाप्त होने पर भारत को स्वराज्य के बदले रोलेट एक्ट, पञ्जाब का मार्शल्लॉ और उसके राष्ट्रपति शून्य प्राप्त हुए। देश में यदी निराशा छा गई और कई ऐसे महानुभाव जो सरकार के समर्थक थे, वे भी इस बात को मानने लगे कि बिना स्वराज्य के भारत का निस्तार नहीं। रोलेट एक्ट के बाद भारत में जो आन्दोलन हुआ उसका वर्णन आगे होगा।

## लोकमान्य तिलक का छुटकारा

ई० के पृथ नास में लोकमान्य तिलक मयदाले का



बोध में मुक्त कर दिये गये। आपको पूर्ण छुट्टी की सजा काग्रेसी पक्षी। लोकमान्य की मुक्ति से भारत के राष्ट्रीय दल में नवजीवन और नवचेतना आ गई। जेल में मुक्त होते ही लोकमान्य ने अपनी राष्ट्रीय प्रवृत्तियों को और शोर से शुरू कर दिया। उन्होंने देश में घूम फिर कर छात्रों मनुष्यों को स्वराज्य का सन्देश दिया और लोगों से अपील की कि ये इस महाप्रवित्र उद्देश्य के लिये हर प्रकार का धारमयक्तिदान करने के लिये तैयार रहें। राष्ट्र में फिर से नवजागृति का सूत्रपात हुआ और देश का आतावरण स्वराज्य की आयाज्ञ से गुञ्जायमान हो गया। उन्होंने, जैसा कि पूर्व कहा गया है, सरकार को यह विधास दिखाया कि अगर सरकार भारतीय लोकमत का आदर कर स्वराज्य प्रदान करने की शर्त घोषणा करती है तो वह उसे हर प्रकार की सहायता करने को तैयार है। पर इसके लिये भारत का राष्ट्रीय आन्दोलन बन्द नहीं किया जायेगा। सन् १९१६ ई० के मई मास में तिलक महोदय ने अपनी पार्टी की एक कॉन्फ्रेंस बुलाई और उसमें स्वराज्य के लिये आन्दोलन करने का प्रस्ताव हुआ।

### श्रीमती बिसेन्ट और उनका स्वराज्य आन्दोलन

श्रीमती एनी बिसेन्ट ने समय समय पर भारतवर्ष की जो बहुमूल्य सेवाएँ की हैं उसे भारतवर्ष का इतिहास कृतज्ञता के साथ स्मरण करेगा। महारामा गांधी ने श्रीमती बिसेन्ट की मृत्यु के बाद उन्हें अद्वैत शक्ति अर्पण करते हुए कहा था कि निसेन्ट तब तक जीवित रहेगी, जब तक भारतवर्ष जिन्दा है। "Mrs Besant will live, as long as India lives" कहने का मतलब यह है कि श्रीमती बिसेन्ट ने भारत की विविध क्षेत्रों में महान् सेवाएँ की थीं। उनकी भारतीय आकांक्षों के साथ पूर्ण सहानुभूति थी। सन् १९१६ ई० में उन्होंने "होमरूल लीग" नाम की संस्था खोली और उसके द्वारा जोर जोर से स्वराज्य आन्दोलन शुरू किया। सारे देश का ध्यान इस आन्दो

खान की ओर आकर्षित हुआ और देश में श्रीमती एनी बिसेन्ट का प्रभाव बहुत अधिक बढ़ गया। इससे सत्ताहीन मद्रास गवर्नर लॉर्ड पेन्डलैण्ड बहुत क्रोधित हुए और उन्होंने श्रीमती एनी बिसेन्ट और उनके कुछ साथियों को नजरबन्द कर दिया। इससे देश में आग और भी अधिक भड़की और स्वराज्य-शान्दोलन ने अधिक जोर पकड़ लिया। देश भर में सार्वजनिक सभाएँ हुईं और लॉर्ड पेन्डलैण्ड के इस कृत्य के प्रति घृणा प्रगट की गई। इसी समय लोकमान्य तिलक पर उग्र भाषण देने के उपलक्ष्य में पूना के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट द्वारा उमानर्तें मांगी गईं। पर पीछे जाकर हाइकोर्ट ने डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट का उक्त आर्डर रद्द कर दिया गया।



# सन् १९१६ ई० की संयुक्त काँग्रेस



सन् १९०० ई० में काँग्रेस में जो फूट पड़ी उगना उपरोक्त हम गत पृष्ठों में कर चुके हैं। इसके बाद सन् १९१५ तक काँग्रेस के जो अधिवेशन हुए, उसमें होने गिने गिने गर्म दुर्लभ नेताओं की प्रधानता थी। काँग्रेस एक प्रकार से जीवन हीन हो गई थी। सन् १९१६ ई० में लखनऊ में काँग्रेस का अधिवेशन हुआ। उसमें नव दल के नेता एकत्रित हुए। इस अधिवेशन में बड़ा जोश रहा और लोग नरजीवन का श्रुभव करने लगे। इन अधिवेशन में सर्व सम्मति से भारत की शीघ्र से शीघ्र स्वराज्य प्राप्त करने का प्रस्ताव पास हुआ। इसके अतिरिक्त हिन्दू मुसलमानों के बीच समझौता भी हुआ। दुःख की बात है कि इस समझौते में पृथक् निर्वाचन का उच्च स्वीकार किया गया जिसका जहरीला प्रभाव देश मात्र पुरा तरह भोग रहा है।

## सन् १९१८ ई० काँग्रेस

सन् १९१८ ई० में महामता पंडित मदनमोहन मालवीयजी के सभापतित्व में दिल्ली में काँग्रेस का अधिवेशन बड़ी धूमधाम से हुआ। अभ्युच्च के जुलूस में हजारों लोगों ने भाग लिया। इस काँग्रेस ने स्वराज्य की आकांक्षा को और भी अधिक पुलकित किया गया और इस महान् उद्देश की प्राप्ति के लिये देश को एक सूत्र में बन्धजाने का आदेश दिया गया। अधिवेशन के अन्तिम दिन हिन्दू-मुस्लिम एकता पर पंडित मालवीयजी ने जो मर्म और हृदयस्पर्शी अपील की उससे उपस्थित जनता के हृदय द्रवीभूत होगये और लोगों के दिव में यह भावना जोरों से काम करने

लगा कि स्वराज्य प्राप्ति के लिये हिन्दू मुस्लिम एकता की बड़ी आवश्यकता है । इन्हीं दिनों देशीय राज्यों के प्रतिनिधियों ने मिलकर राजपूताना मध्यभारत नाम की एक संस्था कायम की । इसमें स्वर्गीय श्री गणेश शंकरजी विद्यार्थी, श्री चादकरणी शारदा, श्री गणेश नारायणजी सोमानी, श्री इन्द्रजी विद्यावाचस्पति, नवरत्न पंडित गिरधर शर्मा श्रीर इस ग्रन्थ का लेखक उपस्थित था । इसका उद्देश देशी राज्यों में उत्तरदायित्व शासन प्राप्त करना था ।



# क्रान्तिकारी पंड्यन्त्रों का इतिहास

बम्बई में क्रान्तिकारी दल



पश्चिमी भारत में क्रान्तिकारी चान्दोलनों का मूलपाठ हिन्दुओं के पर्वों से क्या गणपति और शिवजी की पूजा और स्मृति दिवसों से हुआ। ऐसा कहा जाता है कि सन् १८६३ में बम्बई में हिन्दुओं और मुसलमानों के बीच जो दंगल हुआ उसके परचात् से सार्वजनिक रूप से गणपति पूजा होने लगी। इन उल्लंघनों पर लोगों को छोटी बलासे आदि की शिक्षा दी जाती थी। नवयुवक सबकों पर सरकार विरोधी गीत गाते हुए हुआ उभा घूमते थे। कुछ ऐसे पर्व भी इस समय बंगते थे जिनमें लोगों को धर्म के नाम पर विदेशी शासन को दूर फेंकने के लिये कहा जाता था। इसीलिये गणपति उत्सव के परचात् कहीं न कहीं संपर्प होने शुरू हुए।

## रेन्ड की हत्या

सन् १८६० में, जब कि पूना में प्लेग जोरों पर था, लोकमान्य पं० बाळ गंगाधर तिलक ने अपने पत्र 'केसरी' में, जो पश्चिमी भारत का प्रमुख प्रभावशाली पत्र था, न केवल आधीनरत अधिकाशियों पर प्रत्युत सार्वजनिक सरकार पर भी लोगों को आतंकित करने का आरोप लगाया। उन्होंने प्लेग कमिश्नर श्री रेन्ड को निरंकुश और स्वच्छाचारी कहा।

२२ जनवरी को महारानी विक्टोरिया की ६० वीं वर्ष गांठ मनाई गई और उसी रात्री को साफ़ेकर भाइयों द्वारा प्लेग कमिश्नर श्री रेन्ड और खेपिटनेन्ट पेयेरेस्ट की, जब कि यह सरकारी भवन से उत्सव में भाग लेकर खीट रहे थे, हत्या कर दी गई। इसमें कोई भी हाइ नहीं कि अप-

राधियों का लक्ष्य मि० रैन्ड थे। लेफ्टिनेन्ट पेरेरेस्ट की मृत्यु तो आकस्मिक हुई थी। श्री दामोदर चाफेकर पर मुकदमा चला और उन्हें राजद्रोह के अपराध में मृत्युदण्ड दिया गया। जेल में उन्होंने जो आत्मकथा लिखी थी उससे यह पता चलता है कि अम्बई में महारानी विक्टोरिया की मूर्ति पर तारकोल इन्हीं ने पोता था।

नवम्बर १८६६ में चाफेकर दल ने पूना के चीफ कांस्टेबलके मारने का असफल प्रयत्न किया। बाद में उन्होंने दामोदर चाफेकर के पकड़वाने में मदद देनेवाले दो भाइयों को मार दिया। इस सब के अपराध में चाफेकर दल के चार व्यक्तियों को प्राणदंड और एक को दस वर्ष का कठिन कारावास दिया गया।

लोचमान्य तिलक और भी १५ जून १८६७ के 'केसरी' के शंकर में राजद्रोह म.४ लेख लिखने के अपराध में मुकदमा चला और उन्हें १८ मास की सजा हुई।

### १८९७ में पूना के पत्र

तिलक की गिरफ्तारी ने पूना स्थित पत्रों में त्रिटिष्ठ विरोधी प्रचार को क्रम नहीं दिया। सन् १८६८ में श्री शिवराम महादेव परांजपे ने मराठी में एक साप्ताहिक पत्र निकाला। उनकी साम्राज्य विरोधी नीति के कारण उन्हें सन् १८६६ में चेतावनी दी गई और कई बार उन पर मुकदमा चलाने का सोचा गया। अंत में जून १६०८ में उन पर राजद्रोह का मुकदमा चला और उन्हें १६ माह की सजा दी गई। दूसरा पत्र विहारी था, जिसके विरुद्ध भी तीन बार राजद्रोहार्थक लेख छापने के कारण मुकदमा चला। सन् १६६८ से १६०६ तक 'केसरी' का महत्व बढ़ता गया। सन् १६०७ में इसका प्रचार २०,००० प्रति तक पहुँच गया। उक्त पत्र में उस समय रूसी क्रान्ति के आधार पर अनेक

## लंदन में श्यामजी कृष्ण वर्मा के कार्य

हमी समय श्री श्यामजी कृष्ण वर्मा ने जो काठियावाड़ के निवासी थे, लंदन में जाकर वहां पर भारतीय होम रूल गवनाज की स्थापना की और उसके द्वारा 'इण्डियन सोशलाजिस्ट' नाम का पत्र निकालना प्रारम्भ किया। सन् १९०५ में उन्होंने एक एक हजार की छद्म छात्रवृत्तियां भारतीय लेखकों एवं पत्रकारों के लिये, जो कि विदेशों में जाकर स्वतंत्रता और राष्ट्रीयता के लिये प्रयत्न करें, उद्घोषित की। इन्होंने श्री विनायक सावरकर का ध्यान इस ओर आकर्षित किया।

## श्री विनायक सावरकर

श्री विनायक सावरकर का जन्म २८ मई सन् १८८३ को नासिक जिले में हुआ। बचपन में इनकी रचि साहित्य और काव्य की ओर अधिक थी। जब ये छोटे थे तब बम्बई और पूना आदि में हिन्दू मुसलमानों के झगड़े होते थे। उस समय इनकी विचारधारा में हिन्दूत्व की प्रबल भावना थी। जब ये केवल १५—१६ वर्ष के ही थे, तभी इन्होंने घर की देवी के आगे अपना सारा जीवन देश की स्वतंत्रता के लिये अर्पण करने की प्रतिज्ञा की। मैट्रिक करते-करते सावरकर का नाम चारों ओर फैल गया। मैट्रिक करने के बाद ये पब्लिक स्कूल पूना में भरती हुए। वहाँ जाते ही वहाँ भी इन्होंने अपनी लहर फैला दी। सावरकर और उनके साथियों को कॉलेज के अन्य विद्यार्थी सावरकर संघ के नाम से पुकारने लगे। उसी समय वीर सावरकर लोकमान्य तिलक की ओर आकर्षित हुए और इन्होंने उन्हें अपना 'राजनीतिक गुरु' माना। तिलक का कहना था कि स्वराज्य भील भागने से नहीं मिला करता। वह अपने पैरों पर खड़े होकर देश भ्यापी कान्ति द्वारा प्राप्त होता। हमी समय विदेशी कपड़ों की होखी करने के कारण श्री सावरकर कॉलेज निकाले गये। बी० ए० करने के बाद इन्होंने बम्बई और महाराष्ट्र में

। चार वार्य किया श्री शिवरत्न पंत परांजपे की सिकाकुरिग पर श्री श्यामजी कृष्ण वर्मा ने इन्हें छात्रवृत्ति दी और वे लंदन पहुंचे ।

### इण्डिया हाउस का हलचलें

श्री श्यामजी कृष्ण वर्मा का इण्डियन हाउस सन् १९०६ तक साम्राज्य विरोधी शक्तिशैली का केन्द्र बन गया था । ब्रिटिश सरकार उनके विपरीत कोई कार्यवाही न करे, इस लिये वे तो लंदन से पेरिस चले गये थे । परन्तु उनका पत्र 'इण्डियन सोशियलिजिस्ट' लंदन से ही निकलता था । ब्रिटिश सरकार ने जुलाई १९०६ में उसके मुद्रक पर मुकदमा चलाकर उसे बंदित किया । फिर भी पत्र का मुद्रण बन्द न हुआ । वह दूसरे प्रस में छपने लगा । सरकार ने उसके विपरीत भी कार्यवाही की और मुद्रक को एक वर्ष का कारावास दिया । इसके पश्चात् इण्डियन सोशियलिजिस्ट का कार्यालय लंदन से पेरिस चला गया । वहीं पर उसमें एक लेख निकल। जिसमें रूसी ढंग पर राज्यक्रांति करने का आदेश दिया गया ।

इसी समय बंगाल में मुजफ्फरपुर में श्री खुदीराम बोस ने श्रीमती और कुमारी कैनेडी पर बम फेंका । वह समझ रहा था कि इस गाड़ी में किङ्गसफोर्ड नाम का एक अप्रिय मजिस्ट्रेट है ।

दूसरी ओर लंदन में मई १९०८ में इण्डिया हाउस में भारतीय स्वातन्त्र्य युद्ध की स्मृति मनाई गई । करीबन १०० छात्रों ने इसमें भाग लिया । वहां से प्रकाशित 'श्री शहीदों' नाम की एक पुस्तक थोड़े ही दिनों बाद भारतवर्ष में आई । उन दिनों इण्डिया हाउस में, जो भाषण दिये गये उनमें लोगों को बम बनाने और उन्हें प्रयोग में लाने की शिक्षा दी गई । सन् १९०६ में श्री विनायक सावरकर के हाथों में इण्डिया हाउस का नेतृत्व आया और वहां पर उनके द्वारा लिखी हुई पुस्तक 'भारतीय स्वतंत्रता का युद्ध' का पाठ होने लगा । १ जुलाई १९०६ को श्री मदनमोहन मालवीय नाम के युवक ने कर्नल सर विलियम कर्जन



विल्ली को छन्दन के इम्पीरियल ट्रुम्गीयूट में गोली का निशाना बनाया। इन्हीं दिनों उत्तेजना पूर्ण एवं साश्रम्य विरोधी रचनायें लिखने के कारण श्री विनायक सावरकर के भाई श्री गणेश सावरकर को आत्मम कारावास की सजा दी गई। इनकी सूचना केविल द्वारा श्री विनायक सावरकर को छन्दन में मिली। इससे यह यदूत ही उत्तेजित हुए पर यह कहना कठिन है कि एक ही साथ दोने वाखी तर विक्रियम कर्जन विल्ली की हत्या और श्री गणेश सावरकर के आत्मम कारावास की घटनाओं में कुछ सम्बन्ध है अथवा नहीं। श्री मदनलाल धींगरा की जेब में गिरफ्तारी के समय जो कागजात मिले उनमें साफ लिखा हुआ था कि 'मैंने अंग्रेजों के खून करन का श्रेष्ठता से निर्णय किया है। यह कार्य हिन्दुस्तानियों के साथ किये गये उनके बवंता पूर्ण कार्य तथा देश निष्कासन एवं मृत्यु दंड आदि के विरोध में है। इन्हीं दिनों हिन्दुस्तान में भी छन्दन से भेजी हुई पिस्तौल से नासिक के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट जैकमन की—जिसने श्री गणेश सावरकर का कैमला किया था—हत्या कर दी गई। इस हत्या के सम्बन्ध में सात व्यक्ति गिरफ्तार हुए, जिनमें तीन को फांसी देदी गई। इसी सम्बन्ध में और छानबीन करने पर जगह २ हथियार और पर्चे मिले जिनमें हिन्दुस्तान में अधिकांशियों की हत्या का सुझाव रखा गया था। उनमें से एक पर्चे में यह स्पष्ट लिखा था कि इस प्रकार अलग अलग हत्या करने से ही जहाँ नौकरशाही का दिख कांपता है, वहाँ जनता राज्य प्रान्ति के लिये खड़ी होती है। इस छानबीन से यह भी पता चला कि इस क्रांतिकारी दल की देश के अन्य हिस्सों में भी शाखाएँ हैं, जिनमें 'ग्वालियर पड्यंत्र' काफी प्रसिद्ध है।

### ग्वालियर में पड्यंत्र

इस पड्यंत्र का पता श्री गणेश सावरकर और नासिक स्थित कोशी नाम के एक व्यक्ति के पत्र-व्यवहार से चला। इस पत्र व्यवहार

से ग्वालियर में एक पट्टापत्रकारी दल का पता चला। वहाँ नवभारत समाज के २२ सदस्य और अभिनव भारत समाज के १६ प्राक्ष्य सदस्य गिरफ्तार हुए। ये अभियुक्त अपराधी प्रमाणित हुए और उन्हें मज़ायें दी गईं। ग्वालियर नव भारत समाज के चौथे नियम में स्वतंत्रता प्राप्ति के दो उपाय बताये गये थे। पहला शिक्षा द्वारा और दूसरा संघर्ष द्वारा। शिक्षा में स्वदेशी ग्रान्दोलन, विदेशी चीजों का बहिष्कार, राष्ट्रीय शिक्षा, भाषण आदि आते हैं तथा संघर्ष में अस्त्र शस्त्र की शिक्षा और प्रयोग आता है। यदि भारतवर्ष के ३० करोड़ व्यक्ति लड़ने को कटिबद्ध हो जायें तो कोई भी शक्ति उन्हें गुलाम नहीं बना सकता।

### अन्यत्र

अहमदाबाद में जब लॉर्ड मिन्टो और लेडी मिन्टो जा रहे थे तब उन पर नवम्बर १९०६ में किसी ने बम फेंका। सन् १९०७ में सतारा में भी एक विद्रोही दल का पता चला। तीन प्राक्ष्य युवक गिरफ्तार हुए जिनमें से एक बम बनाते हुए पकड़ा गया। सन् १९१४ में पूना में एक मराठा और एक प्राक्ष्य के पास एक प्रेस पकड़ा गया जिससे साम्राज्य विरोधी विज्ञप्तियाँ प्रकाशित हुई थीं। उनमें से एक पत्र तो दिल्ली में लॉर्ड हार्डिंज पर जो बम फेंका गया था उसी के ठीक बाद १ जनवरी १९१३ का था।



# बंगाल में क्रान्तिकारी आन्दोलन



बंगाल में राज्यकात्ति का आन्दोलन कैम्बे प्रारम्भ हुआ हमें जानने के लिए हमें उन प्रभावों की सर्चा करनी पड़ेगी जिससे इस आन्दोलन को बल व प्रेरणा मिली ।

## वारीन्द्रकुमार घोष

सन् १६०२ में डॉ० के० टी० घोष के सुपुत्र श्री वारीन्द्रकुमार घोष, जिनका जन्म सन् १८८० में इरुलैण्ड में हुआ था, कठकता आये । उनका उद्देश्य बंगाल में भारत से ब्रिटिश साम्राज्यवाद को हटाने के लिये राज्य कात्ति करने का था । वह अपने उद्देश्य में सफल न हुए । निराश होकर सन् १६०३ में उन्हें बर्मादा लौट जाना पड़ा । इसके बाद सन् १६०४ में वे कठकता आये और उन्हें बदली हुई परिस्थितियों में हुए सफलता मिली ।

## पृष्ठ भूमि

बंगाल में उस समय तक श्री रामकृष्ण परमहंस और उनके शिष्य स्वामी विवेकानन्द की विचार धारा की भी छाप पड़ चुकी थी । परमहंस ने शक्ति पूजा पर जोर दिया और स्वामीजी ने कमजोग द्वारा जीवन की साधना पर । दोनों के विचारों का सम्मिलित भाव यह था कि अपने पैरों पर आप खड़े होना तथा जीवन में शक्ति प्राप्त करो । यद्यपि इन महान् पुरुषों का संदेश सारी मानवता के लिये था, पर बंगाल के घर घर में इनकी विचार धारा ने कात्ति के बीज बो दिये । ऐसे ही समय में जापान की रूप पर विजय हुई । इस विजय का सारे एशिया पर मनोवैज्ञानिक प्रभाव पड़ा । 'उड़ करो या मरो' की भावना सर्वत्र फैल

गई। बंगाल के जीवन और साहित्य पर वैष्णव भावना की छाप तो पहले से ही थी। गीता उनकी प्रिय पुस्तक थी। गीता में आत्मा की अमरता और अधिकारों के लिये युद्ध करने का संदेश है। फिर राष्ट्रियता स्वाधीनता के संग्राम में बंगाल कैसे पीड़े हटता। कितने शब्दों में स्वामी विवेकानन्द ने काली से शक्ति की भीख मांगी है।

“Oh India wouldst thou with these provisions only scale the highest pinnacle of civilization and greatness? Wouldst thou attain by means of the disgraceful cowardice, that freedom deserved only by the brave & heroic..... Oh thou Mother of strength, take away my weakness, take away my unmanliness, and make me a man” ओ भारत क्या हम इसी प्रकार उन्नति के सर्वोच्च शिखर पर चढ़ सकेंगे? क्या हम इस अपमानजनक ह्रीवता से उस स्वतन्त्रता का पामकेंगे जिसे उपभोग करने का अधिकार केवल वीरों और यद्धानुओं को है। ओ माँ काली! हमें शक्ति दो और हमारी कमजोरियाँ दूर करो। हमसे कायुरुपता छीनलो और हमें मनुष्य बनाओ।

ऐसे ही उत्तेजित यातावरण में लॉर्ड कजंन ने यूनीवर्सिटी बिल बनाया। जब बंगाल के शिक्षित वर्ग में इसके पक्ष विपक्ष में चर्चा हो ही रही थी उसी समय बंगाल के संस्थानों का प्रश्न खड़ा। उस समय बंगाल, बिहार और उड़ीसा एक ही लेफ्टिनेंट गवर्नर के प्रांत के अन्तर्गत थे। लॉर्ड कजंन व अन्य अधिकारी बंगाल के संस्थानों के लिये दृष्टिबद्ध थे। कलकत्ते के राजनीतिक दल इसके घाँट विरोधी थे। उनका पक्ष भी ठीक ही था। इस संस्थानों से एक बंगाली भाषामापी प्रांत के-के, हु-के-के, गिरे, गोप, समाचार, पत्र, पत्र, खे-के, असाधे, के-के, पत्र, के-के विरोध भी जुलाई १९०२ में यह संस्था ही गया। इसके परिणामभूत

बंगाल के गान्धीजन को काफी बल मिला ।

## बंग आन्दोलन

पत्रों, विज्ञप्तियों और भाषण द्वारा बंगाल और विहार के बंटवारे का आन्दोलन काफी जोरों से चला । कार्यकर्ताओं द्वारा जनता को स्पष्ट शब्दों में बताया गया कि किस प्रकार उनका शोषण हुआ है और उनसे कहा गया कि उस शोषण से बचने का उपाय ब्रिटिश साम्राज्यवाद के खिलाफ संगठित मर्चा या मराठा विद्रोह ही है । विदेशी कर्षकों का बहिष्कार व स्वदेशी का आन्दोलन रूप जोरों से चला । इसी समय मां फाली की उपासना के साथ साथ घर घर में बन्देन तगम् का प्रचार हुआ । ऐसे ही समय में श्री यारीन्द्र कलकत्ता वासिन्ना आये । उन्होंने श्री अविनाश महाचारजी और भूपेन्द्रनाथ दत्त के सहयोग से युगान्तर पत्र निकाला । करीबन १॥ वर्ष चलने के पश्चात् यह पत्र उसके प्राधुनिक प्रबन्धकों के हाथ में आगया । यारीन्द्र ने हथियारों को और खदकों को इकट्ठा करना प्रारम्भ किया । सर्व श्री उल्लासकर दत्त और हेमचन्द्रदास के यहां यम बनने लगे । इन सबों ने मिलकर अनुशीलन समिति नाम की एक संस्था बनाई, जिसकी एक शाखा बलकृष्ण और दूसरी द्वाका में थी । इस संस्था का नारा था 'Unrest must be created Welcome therefore unrest whose historical name is revolt' अर्थात् असंतोष की उत्पत्ति अवश्य होनी चाहिये अतएव इसका स्वागत करो । इसका दूसरा नाम विद्रोह है ।

इसी समय (योगीराज) अरविन्द घोस भी बर्दोदा से आकर दय संस्था में मिल गये । इसकी कार्यवाही का मुख्य पत्र युगान्तर था । इसकी विश्वी दिन प्रतिदिन बढ़ने लगी । अन्त में सन १९०८ में सरकार को हथे जडन कर लिया । इस महापक्ष में 'सन्ध्या' पत्र ने भी अपनी प्राकृतियां दीं । जालों की सन्ध्या में विज्ञप्तियां जनता में बाँटी गईं । जिससे विद्रोह की आग चारों ओर फैल गई ।

लोगों को सशस्त्र क्रान्ति के लिये संगठित करने के लिये जिन पुस्तकों ने सहायता दी उनमें श्रीमद्भगवद्गीता,, विवेकानन्दजी के लेख व मैजिनी व गैरीवाल्डी का जीवन जीवन चरित्र मुख्य हैं। भगतीमन्दिर में काली की पूजा से बंगालियों को मानसिक, शारीरिक शक्ति की उन्नति करने का संदेश मिला। दो अन्य पुस्तकें भी इस दशा में उल्लेखनीय हैं। उनमें से 'वर्तमान स्थिति' और 'मुक्ति कौन पथे?' मुख्य थीं। पहली पुस्तक में कर्म करने और शक्ति की पूजा करने का आदेश दिया गया है। दूसरी पुस्तक में लुक छिप कर हथियार एकत्र करने तथा उनके प्रयोग करने की शिक्षा दी गई है। शक्ति व दयाव के द्वारा धन संप्रहित करने की प्रेरणा भी उक्त पुस्तक में दी गई। सैनिकों से दोस्ती करने व विदेशी सहायता से क्रान्ति का संदेश इन्हीं पुस्तकों द्वारा फैलाया गया।

## क्रान्तिकारियों के कार्य

बंगाल में क्रान्तिकारी कार्यवाहियाँ सन् १९०६ में प्रारम्भ हुईं। प्रारम्भिक २ वर्षों में उनकी योजनाएँ सुसंगठित नहीं। हाँ, दिसम्बर १९०७ तक उनमें काफ़ी संगठन शक्ति आ गई। ६ दिसम्बर १९०७ को मिदनापुर के निकट बंगाल के गवर्नर की गाड़ी के ऊपर बम फेंका गया। अक्टूबर १९०७ में ढाका जिले में एक आदमी के घुरा भोंक घर उसे लूटा गया। २३ दिसम्बर को ढाका के भूतपूर्व मजिस्ट्रेट श्री ऐलन के गोली मारी गई। ११ अप्रैल १९०८ को चन्द्रनगर के मेयर के मकान पर बम फेंका गया। ३० अप्रैल को मुजफ्फरपुर में एक बम से, जो मि० रिग्गपोर्ट के मकान पर फेंका जाने वाला था, धीमती और मिम केनेडी, जो पाप से ही जा रही थीं, घायल हुईं। पुलिस को पहले से ही पता चल गया था कि मि० रिग्गपोर्ट की हत्या होने वाली है। उन्हें एक फ़िराक, जिम्मेदार बम रखा हुआ था, भेजा भी गई थी। परन्तु उन्होंने उसे खोला नहीं। अन्यथा उन्हें पहले ही प्राणों से हाथ धोना पड़ता। इस तथ्य में

दो नवयुवक गिरफ्तार हुए जिनमें से एक को कांयी दी गई तथा दूसरे ने गिरफ्तार होने पर धा मघात कर लिया। जिन पुलिस सब इत्येन्गर ने उमे पकड़ा था वह ६ नवम्बर को गोली से प्रान्तिफारियों द्वारा मार दिया गया।

### अलीपुर पड़्यन्त्र व अन्य हत्यायें

२ मई को पहले किये गये अपराधों के सिलसिले में कलकत्ते में जगद जगद पर तलाशियां हुईं चार करीबन ३४ व्यक्ति इस सम्बन्ध में गिरफ्तार हुए। इनमें से एक नरेन्द्र गासाई मुग्गावर बन गया। १५ व्यक्तियों पर राजद्रोह का अपराध प्रमाणित हुआ जिनमें श्री वारोन्द्र कुमार घोष भी थे। इस मुकदम को अर्लापुर पड़्यन्त्र केस कहते हैं। जब मुकदमा चल ही रहा था तभी मुग्गावर नरेन्द्र गासाई को गोली मार दी गई। १० फरवरी १९०६ को पब्लिक प्रार्जाक्यूटर तथा २४ जनवरी १९१० को टिडुडी सुपरिन्टेन्डेन्ट पुलिस को गाली से मार दिया गया। इस प्रकार से राजनीतिक अपराधों का संख्या बढ़ती गई।

१५ मई १९०८ को प्रेस्ट्रीट कलकत्ता में एक बम फटा जिससे चार व्यक्ति घायल हुए। उसी वर्ष दिसम्बर तक कलकत्ते के पास रेडगावियों में बम फेंकने की चार घटनायें हुईं। २ जून १९०८ को ढाका जिले में करीबन ५० व्यक्तियों ने मिलकर एक सेठ क. महा से २५०००) नगद व ८३०) का जेवर का माल लूटा। उन्होंने देहात के चाकादार का गोली से मार दिया। तीन व्यक्ति इस सम्बन्ध में गिरफ्तार भी हुए, पर उनका अपराध प्रमाणित न हो सका। ऐसी ही दूसरी शकैती ३० अक्टूबर को फरीदपुर जिले में नदिया में हुई जिनमें सराफ़ तीस या चालीस व्यक्तियों ने शिकट घर व तीन मकानों को लूटा। १०००) के इनाम की भी घोषणा की गई, पर अपराधियों का कोई पता न चला। इसके बाद तो १५ अगस्त १९०८ से १६ सितम्बर १९०८ तक नैनासिंह जिले में बजौतपुर और

हुगली जिले में विहार जिले में दकैतियां हुईं। इन दोनों स्थानों में नौजवानों ने पुलिस के आदमी बल कर घरों की तलाशियां लीं और फिर लूटना प्रारम्भ किया। इसी के कुछ दिनों बाद क्रान्तिकारी दल के सरं धी सुकुमार, केरादे और आनन्द प्रसाद घोष को हत्याओं की गईं। ऐसा सोचा जाता था कि ये लोग अनुशीलन समिति के वायत कोई सूचना अधिकारियों को दे देंगे। ७ नवम्बर १९०८ यंगाल के गवर्नर सर ऐन्ड्रयूफ्रेजर को गोली मारने का प्रयत्न किया गया। अभियुक्त पकड़ा गया और उसे १० वर्ष की सज़ा हुई।

### १९०९ के बाद

३ जून १९०६ को उसके भाई गणेश के घोले में श्री प्रियनाथ घटगी की हत्या की गई। १६ अगस्त को खुलना जिले के नासगा गांव में राजनीतिक डाका डाला गया। करीबन् १०७०) भद्र और जेरात आक्रामककारियों के हाथ लगे। ११ अक्टूबर १९०६ को डाके के पास रेलगाड़ी पर हमला करके करीबन् २३ हजार रुपये प्राप्त किये गये। १० नवम्बर १९०६ को डाका जिले के राजनगर गांव में क्रान्तिकारियों ने एक मकान से २८ हजार रुपये लूटकर प्राप्त किये। ११ नवम्बर को उन्होंने त्रिपुरा के मोहनपुर शहर से करीबन् १६ हजार रुपये प्राप्त किये। इन महावर्षीय दकैतियों के अतिरिक्त १६१० की मुख्य घटना सुपरिन्टेन्डेन्ट पुलिस समुख आलम की हत्या है जिसका उल्लेख पहले हो चुका है। ऊपर लिखी हुईं दकैतियों की जांच के लिये मार्च १९१० से हावड़ा पदमन्त्र केम चला जो अप्रैल १९११ में समाप्त हुआ। इसमें करीबन् ५० व्यक्तियों के ऊपर आरोप था।

सन् १९१० के पूर्वार्द्ध में खुलना और जेसूर जिले में २ डाके १ हजार के, १ डाका २ हजार का तथा एक डाका २००) का पड़ा। सभी में नवयुवक क्रान्तिकारी थे। इसी वर्ष उन पर पदमन्त्र केस चला,



जिममें चणालिम व्यक्तियों पर आरोप था, जिममें से १५ व्यक्तियों को ७ से २ वर्ष तक की सख्त सजा दी गई। उन व्यक्तियों में से श्री प्रलिन पिहारी दास भी थे। इन सब मुकदमों का अपराधियों पर कोई भी प्रभाव न पड़ा और अपराधों की संख्या बढ़नी गई। १९१० के उत्तरार्ध में पांच ढाके पड़े जिममें मैमनसिंह और ढाके के ढाकों में अछों की चोरी की गई। ढाका, फरीदपुर और बाकरगंज के ढाकों में आम्रमणकारियों के हाथ क्रमशः (१५००) ; (१२६६०) और ४६३६८) लगे। इसी वर्ष प्रेस एक्ट बना जिमके अंतर्गत किये गये दमन के प्रतिरूप पत्रों द्वारा साम्राज्य-विरोधी प्रचार कम हो गया।

सन् १९११ में क्रान्तिकारियों द्वारा १८ घटनायें की गईं, जिममें से १६ घटनायें पूर्वी बंगाल की थीं। इनमें ढाक कर्मचारी पर आम्रमण, डकैतियां, मैमनसिंह के राजकुमार की हत्या आदि घटनायें मुख्य हैं। सब से बड़ी डकैती बाकरगंज जिले की थी, जहां (१०,२००) प्राप्त हुये। इनमें से जो ढाक कर्मचारी पर हमला किया गया था वह सोन-मर्ग राष्ट्रीय स्कूल के विद्यार्थियों और अध्यापकों द्वारा था। इस सम्बन्ध में १४ अध्यापक और खडके गिरफ्तार हुए थे, जिममें से सात को सजा हुई। इस स्कूल ने क्रान्तिकारी आन्दोलन में काफ़ी हाथ घटाया। शेष दो घटनायें कलकत्ता की थीं। २१ फरवरी को कलकत्ता के शिरीषचन्द्र चक्रवर्ती नामक कांस्टेबिल को क्रान्तिकारियों ने गोली से उड़ा दिया। दूसरी घटना एक यूरोपियन की कार में एक २६ वर्ष के खडके द्वारा बम फेंकने की थी। इस वर्ष के अंत में ही दिल्ली दरवार द्वारा पूर्वी और पश्चिमी बंगाल मिला दिये गये और इस प्रकार बंग के अंगभंग को लेकर जो आन्दोलन चला था, वह एक तरह से समाप्त हो गया।

सन् १९१२ की सब से मुख्य घटना परिवर्तन पदपत्र केस है। ढाका अनुरीक्षण समिति द्वारा बाकरगंज जिले में कुरानगल, काकुरिया और भीसगल आदि में ढाके गये। नवम्बर १९१२ कोमिल्ला में ढाके

ढाकते हुए १२ नवयुवक गिरफ्तार हुये जिनमें से दस को सजा मिली । नवम्बर २८ को श्री गिरीन्द्र मोहनदास को सन्दूक से गोलियां व कुछ ऐसे कागजात पुलिस को मिले जिससे ढाका अनुशीलन समिति के विधान और कार्यवाहियों का पुलिस को पता चला । इसी समय शारदा चक्रवर्ती तथा हैडकॉस्टेबिल रतिलाल की हत्या भी की गई । इसी वर्ष ढाका जिले के पानम गांव में डाकों द्वारा वागियों को २० हजार रुपये व नानगल बांड से १६ हजार रुपये प्राप्त हुये । इसके अतिरक्त और भी छोटे छोटे डाके डाले गये । अंतिम घटना १३ दिसम्बर को मिदनापुर में अब्दुल रहमान की हत्या के लिए बम फेंकना था । लॉर्ड हाटिंग्स पर दिल्ली में भी इसी समय बम फेंका गया ।

### १९१३

१९१३ में क्रांतिकारियों ने अपने कार्य की जोर शोर से प्रारम्भ किया । दो पुलिस के अधिकारियों की हत्या की गई । २८ सितम्बर की रात को हैडकॉस्टेबिल हरिपद देव को गोली से मार दिया गया । उसके दूसरे दिन मैमनसिंह शहर में इन्स्पेक्टर बंकिमचन्द्र चौधरी के मकान पर बम डाला गया जिससे उनकी हत्या हुई । सिलहट में मि० गार्डन की हत्या का प्रयत्न किया गया, पर आक्रमणकारी क्रांतिकारी बम के फट जाने से स्वतः घायल हो गया । पैसे के लिये इस वर्ष दस डकैतियां डाली गईं । इनसे करीबन ६१,००० रुपये आक्रमणकारियों को प्राप्त हुए । इस वर्ष वरिसाल पद्मयन्त्र केस का फैसला सुनाया गया जिसमें २६ में से १४ अभियुक्तों को दो से १२ साल तक की सजा दी गई ।

### १९१४

इस वर्ष की क्रांतिकारी घटनायें तीन भागों में बांटी जा सकती हैं । पूर्वी बंगाल की, हुगली की और कलकत्ते के आस पास के २४ परगनों तथा कलकत्ते की पूर्वी बंगाल में जो घटनायें हुईं थी इनमें से मैमनसिंह

जिले में १७,७००) और २३,००० हजार रुपये के दो बड़े बड़े डाके पं  
 थितगांव और टाका जिले में मध्येन्द्र सेन और रामदास की क्रमशः ह  
 की गई। कलकत्ता के आग पास टकैती की पांच घटनायें हुईं। उ  
 से सबसे मुख्य रोड़ा एण्ड कम्पनी के यहां में गिस्तीलों की चोरी थी  
 उक्त कम्पनी में हथियारों की २०२ पेटियां आई थीं। उसके एक क  
 चारी ने कस्टम से १६२ पेटियां ही कम्पनी में पहुँचा दीं। शेष दस पेटि  
 लेकर यह कभी नहीं लौटा। इन पेटियों के हथियार बंगाल के क्रांति  
 कारियों के बीच में बाँटे गये और उनकी सहायता से बंगाल के सश  
 क्रांतिकारी आन्दोलन को चल मिला। कलकत्ते की हत्या की सबसे ब  
 घटना इन्स्पेक्टर नृपेन्द्र घोष की हत्या थी। आक्रमणकारी व्यक्ति पक  
 गया। पर दो थारजूरी लोगों ने उसे 'अपराध रहित' घोषित किया। इस  
 साक्ष्य टिप्पणी सुपरिन्टेन्डेन्ट बसन्त चटर्जी की हत्या के दो थार अक्षर  
 प्रयत्न किये गये।

## १९१५

यह वर्ष कलकत्ते में क्रांतिकारियों द्वारा किये गये अनेक कार्यों के  
 उल्लेख आवश्यक है। कलकत्ते में चार टकैतियां छोटीमोटाइल टैक्सी की  
 सहायता से डाली गईं। उनमें से गार्डन रीच की टकैती १८ हजार की,  
 बेलीघार की २२ हजार की व कोरपोरेशन स्ट्रीट की २५ हजार की मुख्य  
 थी। गार्डन रीच की टकैती श्री जतिन मुखर्जी और विपिन गंगुली के  
 नेतृत्व में हुई जिन्होंने बड एण्ड कम्पनी के एक कर्मचारी से, जो २०  
 हजार रुपये लेकर जा रहा था, १८ हजार रुपये छीन लिये। उसी के  
 एक ससाह बाद बालीघाट में श्री जतिन मुखर्जी के नेतृत्व में एक चावल  
 के दुकानदार के स्वजांशी से २० हजार रुपये नगद छीन लिये  
 गये। बाद में टैक्सी ड्राइवर की, संभवतः आशा उल्लंघन करने के अप  
 राध में, हत्या कर दी गई। इन टकैतियों के एक ससाह के ही चन्द्र  
 निरोद हवलदार और इन्स्पेक्टर सुरेशचन्द्र मुखर्जी की हत्या की गई।

इन सबके पीछे श्री जतीन मुखर्जी का हाथ था। मार्च के अन्त में पुलिस को पता चला कि श्री जतीन बजामोर की तरफ गया है। वहाँ पर पुलिस व क्रांतिकारियों की मुठभेड़ हुई जिसमें प्रसिद्ध क्रांतिकारी चित्रप्रिय मारे गये और श्री जतीन मुखर्जी घायल हुए। जतीनजी की मृत्यु कुछ ही समय बाद हो गई।

२१ अक्टूबर के बाद कलकत्ते में ऐसा कोई भी पंथवारा न गुजरा जब कोई न कोई कार्य क्रांतिकारियों ने न किया हो। कलकत्ते के क्रांतिकारियों ने कलकत्ते के आस पास के इलाकों में भी डाके डाले जिनमें नादिया जिले का डाका मुख्य है। इसमें उनके हाथ करीबन २१ हजार रुपये लगे और कास्टेबिल और तीन दूसरे व्यक्ति जान से मारे गये और ११ घायल हुए। इस क्रम की पूर्वी बंगाल की सबसे बड़ी घटना इरिपुर के जर्मिंदार के पहा का डाका था, जहाँ डाकुओं ने जर्मिंदार के दरबान को मार कर व तीन देहातियों को बुरी तरह घायल करके १८ हजार रुपये की रकम प्राप्त की। इसी के बाद ७ सितम्बर को मैमनसिंह जिले में चढ़कोना का वाज़ार लूटा गया। कान्तिदल ने पाच दूकानें लूटीं और २१ हजार रुपये का माल ले गये। ऐसी ही एक डकैती २६ दिसम्बर को फरटोला में (त्रिपुरा जिले में) डाली गई जहाँ युवकों ने १२०००) घसूल किये। इन प्रमुख डकैतियों के अतिरिक्त और भी छोटी मोटी डकैतियां या हत्याएँ की गईं। उनमें से मैमनसिंह जिले में डिप्टी सुपरिन्टेन्डेन्ट पुलिस श्री जतीन्द्र मोहन घोष की हत्या मुख्य थी।

इस वर्ष उत्तरी बंगाल में, जो अब तक शान्त रहा था, हिंसात्मक कार्यवाहियां हुईं। २१ जनवरी को २० और २५ नवयुवकों ने रंगपुर जिले के कुरौल गांव में डाका डालकर २० हजार रुपये प्राप्त किये। ऐसी ही एक डकैती राजशाही जिले में डाली गई, जिसमें डाकुओं के हाथ २५ हजार रुपये लगे। इसी समय रंगपुर के एडिशनल सुपरिन्टेन्डेन्ट पुलिस राय साहय नन्दकुमार बसु की हत्या का असफल प्रयत्न किया गया।

## १९१६

१९१६ के प्रारम्भ में श्री पुलिन मुखर्जी, अतुल घोष और उनके अन्य साथियों द्वारा कलकत्ते में तीन टकैतियां टाळीं गईं जिनमें दो में वह असफल रहे तथा एक टकैती में उन्हें करीबन् ६००० प्राप्त हुये। इस साल की सय से प्रसिद्ध टकैती गोपीराय गल्ली की थी, जहां से प्रान्तिकारियों को करीबन ११,२०० रुपये मिले। १६ जनवरी को कलकत्ते के काञ्चेज स्टू घर में सय इन्सपेक्टर मधुसूदन महाचारजी की हत्या की गई।

पूर्वी बंगाल में हत्याओं के अतिरिक्त त्रिपुरा में १४६८० व १०२०० की दो मुख्य टकैतियां, फरीदपुर में ४३,००० की, व मैमनासह में ८० हजार की टकैतियां टाळी गईं। इसके अतिरिक्त अनेक हत्यायें भी की गईं।

## १९१७

इस वर्ष की मुख्य घटनाओं में से रंगपुर जिले में २० जून १९१७ को २६४००), २७ अक्टूबर १९१७ को ढाका जिले के अन्दुल्लापुर शहर में २४,८५०) तथा त्रिपुरा जिले में ३ नवम्बर को ३३ हजार की टकैतियां टाळी गईं। इसी साल धरमीनियन स्ट्रीट में बदाबाजार में एक सुनार की दूकान पर ढाका टाळा गया और करीबन २,४,२६ रुपये का माछ क्रांतिकारियों ने लूटा। यहा यह देखने का है कि इस वर्ष बड़े आदमियों के यहां ही टाके टाळे गये और टाकों में काफी बर्बरता से रकम वसूल की गई।

इस प्रकार से हम देखते हैं कि सन् १९०६ से १९२७ तक बंगाल में जो घटनायें घटीं वह काफी आतक पूर्ण थीं। यदि इन क्रांतिकारियों के पास थलों-शलों की व्यवस्था पूरी होती तो यह अपने उद्देश्य में कहीं अधिक सफल हुए होते। शलों के अभाव में इन्होंने सुसंगठित मोर्चे न खडकर चलाए अलग-अलग जो आतकवादी कार्यवाहियां कीं उससे

यह अधिक संभव न हो सके। फिर भी इन्होंने विदेशियों के हृदय पर  
 † भारतीयों के स्वातंत्र्य प्रेम एवं ठम राष्ट्रीयता की छाप खगादी। इन  
 क्रान्तिकारियों का संगठन कैसा था, इस की चर्चा आगले अध्याय में  
 की जायगी।



# बङ्गाल में क्रान्तिकारी संगठन



गत पृष्ठों में हमने बंगाल के क्रान्तिकारी आन्दोलन पर कुछ प्रकाश डालने की चेष्टा की है अब हम इस आन्दोलन के पीछे क्रान्तिकारियों का जेमा संगठन था, इसकी चर्चा करेंगे। यद्यपि विभिन्न क्रान्तिकारी दलों में तथा उनकी निया-प्रणाली में अन्तर था, फिर भी उनमें कारी समानता भी थी।

## संगठन

नवम्बर १९०८ को डाका अनुशीलन समिति के कार्यालय की जो तलाशी ली गई उससे पता चला कि क्रान्ति की दृष्टि से बंगाल प्रान्त के कई भाग कर दिये गये थे, जिनके अतर्गत कई उपकेन्द्र थे और उन में कार्य की दृष्टि से योग्य व्यक्ति रखे गये थे। समिति में कार्य करने वालों को निम्न लिखित चार प्रतिज्ञायें करनी पड़ती थीं—

( १ ) आदि प्रतिज्ञा ( २ ) अन्तिम प्रतिज्ञा ( ३ ) प्रथम विशेष प्रतिज्ञा ( ४ ) द्वितीय विशेष प्रतिज्ञा।

आदि प्रतिज्ञा:—इस के अनुसार मैं समिति से कभी अलग न हूँगा। मैं समिति के कानून मॉन्गूंगा। मैं बिना प्रतिवाद के अधिकारियों की आज्ञा मॉन्गूंगा। मैं दल के नेता से कुछ भी न छिपाऊँगा व सम्य के अतिरिक्त और कुछ न बोलूँगा' आदि प्रतिज्ञायें मुख्य थीं।

अन्तिम प्रतिज्ञा.—इसमें नीचे लिखि प्रतिज्ञायें थीं—

( १ ) 'मैं समिति की आंतरिक स्थिति के सम्यन्ध में किस से' कुछ न कहूँगा।'

- (२) मैं बिना दल के नेता को सूचना दिये इधर से उधर न जाऊँगा। मुझे जीये ही समिति के टिलाफ किसी पत्रद्वारा की सूचना मिलेगी, मैं वैसे ही उसकी सूचना परिचालक या नेता को दूँगा।”
- (३) मैं कहीं भी हूँ परिचालक की आज्ञा पर तत्क्षण उपस्थित होऊँगा।
- (४) मैंने जो कुछ इस समिति में पढ़ा है उसकी जानकारी मैं तब तक किसी को न दूँगा जब तक वह समिति का प्रतिज्ञाबद्ध सदस्य न हो जाय।

प्रथम विशेष प्रतिज्ञा:—( 1 ) जब तक समिति का उद्देश्य न सिद्ध हो जाय, मैं समिति को छोड़ कर कहीं भी न जाऊँगा। मैं पिता-माता, भाई-बहन किसी के स्नेह की चिन्ता न करूँगा और परिचालक का इच्छानुसार ही कार्य करूँगा। मैं स्थान और अस्थिरता को छोड़ कर सारा कार्य दत्तचित्त और गम्भीरता से करूँगा।

( 11 ) अगर मैं यह प्रतिज्ञा पूरी न कर सकूँ तो ब्राह्मण, पिता-माता और महान् देश भक्तों का अभिशाप जला कर मुझे खाक करदे।

द्वितीय विशेष प्रतिज्ञा.—( 1 ) ईश्वर, अग्नि, मा और नेता के सम्मुख ( उन्हें साक्षी बनाते हुए ) मैं प्रतिज्ञा करता हूँ कि मैं सारा कार्य समिति के विकास के लिये करूँगा और इसके लिये अपने जीवन में सब कुछ को अर्पित कर दूँगा। मैं नेता की सारी आज्ञायें मानूँगा और जो नेता के विरोध में काम करेंगे, मैं उनके विरोध में काम करूँगा और उन्हें अधिक से अधिक जितनी चोट पहुँचा सकूँगा, पहुँचाऊँगा।

( 11 ) मैं समिति के आन्तरिक रहस्य के सम्बन्ध में किसी से बातचीत न करूँगा और न समिति के सदस्यों से ही इस सम्बन्ध में कोई अनावश्यक बातचीत करूँगा।

ये प्रतिज्ञायें अधिकांश अवस्था में नौ-काली के सम्मुख देव-पूजा के बाद ली जाती थी। सदस्यों के कार्य को सुचारु रूप से संचालित करने



के लिये नियमावली होती थी, जिसमें उनकी शिषा, छाठी, मचं और रहन महन के सम्बन्ध में चर्चा रहती थी। २ सितम्बर १९०६ को नागला टर्नवी के सम्बन्ध में कलकत्ते में घोरया गान म्यूट में जो तलाशी ली गई उससे पता चला कि प्रान्तिकारी रूसी तरीकों से परिचित थे। उन्हें छिप कर कार्य करने के तरीकों का भली प्रकार अनुभव था। उनका क्रान्तिकारी संगठन साधारण और विशेष विभागों में बँटा हुआ था। साधारण के अंतर्गत, दल का संगठन, प्रचार और आन्दोलन था। विशेष दल के अन्तर्गत क्रान्तिकारी कार्य आता था—यथा यम बनाना, पैसा एकत्रित करना तथा सशस्त्र कार्यवाही करना—आदि आदि। अनुशासन मंग करने पर मृत्यु दंड देने का नियम था। ये दल प्रान्त जिला, नगर, देहात आदि के सदस्यों में बँटे हुये थे।

२० फरवरी १९१३ को श्री रमेरा आचारजी की तलाशी से जो कागजात मिले उनसे पता चला कि जिले में बँटे हुये क्रान्तिकारियों के केन्द्र के अधिकारियों को तीन माह के अन्तर्गत की गई अपनी सारी कार्यवाहियों की रिपोर्ट भेजनी पड़ती थी। अन्य क्रान्तिकारियों के पास से भी जो कागजात प्राप्त हुए, उनसे उक्तमत का ही समर्थन मिलता है। अधिकांश अवस्था में नरयुवकों व विद्यार्थियों को लेकर ही यह आन्दोलन चला और जोर पकड़ता गया।

### शक्ति पूजा

अपने उद्देश्यों की सफलता के लिये क्रान्तिकारी शक्ति पूजा में विश्वास करते थे। सन् १९०५ में भवानी मन्दिर नाम की एक विज्ञप्ति निकली जिसमें क्रान्तिकारियों के उद्देश्यों की घोषणा की गई। भवानी मन्दिर, शहर के कोलाहल से दूर, किसी एकाम्त स्थान में होते थे, जहाँ क्रान्ति के पूजारी महाचारी और सन्यासी के रूप में शक्ति की आराधना करते थे। इन विचारों की उत्पत्ति यकिम थावू के सुशिक्षित आनन्द मठ उपन्यास से हुई। यह एक ऐतिहासिक उपन्यास है, जिसकी पृष्ठ

भूमि सन् १७७४ का सन्यासी विद्रोह है। इसमें सशस्त्र सन्यासियों ने ईस्ट इण्डिया कम्पनी के अधिकारियों से खुल कर मुठभेड़ की। इसी समय अछ शख व उनकी शिक्षा सम्बन्धी बहुत सी पुस्तकें जगह-जगह क्रान्तिकारियों के पास से पकड़ी गईं।

## निष्कर्ष

पद्यपि प्रांत में पत्रतंत्र कई विभिन्न घटनायें घटीं, परन्तु ऐसा मानना कि उनमें कोई तारतम्य न था या वह असम्बद्ध या अलग अलग ही थीं, सोचने की गलत दिशा है। उन सब घटनाओं के पीछे एक महान् क्रान्तिकारी ज्वाला सुलग रही थी जिसका उद्देश्य अपने देश को विदेशियों के पजे से छुड़ाना था। इन क्रान्तिकारियों के जीवन में असीम साहस व आत्म-बलिदान की भावनायें थीं। मां शक्ति की पूजा और ब्रह्मचर्य की शपथ ने इन्हें इनके कार्य के लिये काफ़ी सबल और उपयोगी बनाया था। ढाका अनुशीलन समिति और उत्तरी तथा दक्षिणी बंगाल की क्रान्तिकारी समितियां काफ़ी बड़े क्षेत्र में फैली हुई थीं। उनकी अनुशासन व संगठन व्यवस्था भी अच्छी थी। ढाका अनुशीलन समिति के संस्थापक श्री पुलिन बिहारीदास थे। १६०८ में यह संस्था गैर कानूनी घोषित कर दी गई थी, पर फिर इसका दफ्तर कलकत्ते में खुला। यहाँ पर श्री मखन सेन के नेतृत्व में यह संस्था काफ़ी फूली फली। देश के अन्य भागों में क्रान्तिकारियों से संपर्क रखने में भी इस संस्था का हाथ था।

## प्रचार-साहित्य

क्रान्तिकारियों का प्रचार-साहित्य बहुत अधिक था। जब मि० मॉन्टेगू भारतवर्ष में आये तब इन्होंने उनके विरुद्ध लोगों को उभारने के लिये एक विज्ञप्ति में कहा:—“अब हमें क्या करना चाहिये। हमारा कर्तव्य साफ़ है। हमें मि० मॉन्टेगू के आने जाने से कुछ मतलब नहीं। वह शान्ति से से आ रहे हैं वह शान्ति से चले जायें। हमें इससे क्या? लेकिन सब से

पहले और आतंक की स्थिति उत्पन्न होनी चाहिये। हम अपवित्र सरकार का अस्तित्व ही पत्रों में डाल दो। मृत्यु की छाया से अन्धकार में बिप्रे रहो और विदेशी सत्ता पर टूट पड़ो। जेल में मरने वाले अपने भाइयों को याद करो। जो दलदल में पड़े हुए हैं, उन्हें याद करो, जो मर चुके हैं पागल हो गये हैं, उन्हें याद करो। शीतें खोलो और काम करो।”

“हम तुम सभी को राष्ट्र और ईश्वर के नाम पर बुलाते हैं। सभी नव-युवक और वृद्ध, अमीर व गरीब, हिन्दू या मुसलमान, छात्रो। भारत की की इस स्वाधीनता की लड़ाई में सम्मिलित होओ। अपना स्वत बहा दो। देसो ! माता बुला रही है।”

क्रान्तिकारियों के पत्रों पर जो मुहर लगी रहती थी उस पर ‘जननी जन्म भूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी’ अंकित रहता था जिसका अर्थ है कि ‘माँ और राष्ट्र स्वर्ग से अधिक महत्वपूर्ण हैं।’

### शिक्षालयों में भर्ती

बंगाल के क्रान्तिकारी दलों में स्कूल और कॉलेजों के नवयुवक सम्मिलित होते थे। इन दिनों इनके खुलने की भी मांग बहुत अधिक रही। तत्कालिक सरकार भी इन्हें विद्रोह का अट्टा समझती थी और इनमें सख्त रहती थी। यह विद्रोह की अग्नि समाचार पत्रों और विश्लेषियों के माध्यम से विद्यार्थियों में फैलाई गई। यहुधा क्रान्तिकारी या तो बाहर से किसी व्यक्ति को चुन कर शिक्षा के लिये स्कूल या कॉलेजों में भेज देने थे या फिर किसी स्कूल के अध्यापक के माध्यम से उसके अन्दर पढ़ने वाले विद्यार्थियों में क्रान्ति की भावनाएँ फैलाते थे। इन भावनाओं के फैलाने में वे गीता, स्वामी विवेकानन्द व श्रीरामकृष्ण परमहंस की शिक्षाओं से काफी लाभ उठाते थे। कालों की उपासना की भी सर्वत्र धूम थी। क्रान्तिकारी दल में जो विद्यार्थी चुने जाते थे उनमें से सबसे अच्छे वे समझे जाते थे जो नाबालिग होते-थे, उम्र साद वे जो अविनाहित होने

होते थे, उसके बाद वे जो विवाहित नवयुवक होते थे। सब से अन्त में वे जो बड़े और संपत्ती थे। इसके बाद उनका नम्बर घाता था जो देश के लिये सब कुछ कुर्बान कर सकते थे। आखिर में वे लोग आते थे जो केवल धार्मिक सहायता कर सकते थे।

### विदेशों में क्रान्ति की योजनाएँ

इस देश में जो क्रान्तिकारी दल अपना कार्य कर रहा था, उसका एक भाग विदेशों में भी हिन्दुस्थान की क्रान्ति के लिये सुसंगठित घरातल तैयार करने में व्यस्त था। उन दिनों इंग्लैंड और जर्मनी के सम्बन्ध बिगड़ते जा रहे थे। इसलिये 'शत्रु के शत्रु मित्र होते हैं' इस सिद्धान्त पर यह दल जर्मनी और भारत के सम्बन्ध अच्छे करने में और जर्मनी से समानता और स्वाधीनता के सिद्धान्त पर सहायता लेने को प्रयत्न था। उन दिनों अमेरिका में यह कार्य प्रसिद्ध क्रान्तिकारी लाला हरदयाल कर रहे थे जो बाद में जर्मनी में प्रसिद्ध क्रान्तिकारी श्री चैम्पेकर पिलई के साथ मिल गये थे। इन लोगों का कार्य अधिकतर ब्रिटेन विरोधी प्रचार था। ये क्रान्तिकारी सैन्क्रासिस्कों, वटैविया, शर्पाई आदि में जर्मनी के राजदूतों के अतर्गत काम करते थे। सुप्रसिद्ध क्रान्तिकारी राजा महेन्द्र प्रताप ने भी विदेशों में भारतीय क्रान्ति के लिये बड़ा काम किया। वे जर्मनी के केसर आदि से मिलकर इस क्रान्ति को सफुट करना चाहते थे।

१९१५ के प्रारम्भ में बंगाल के कुछ क्रान्तिकारियों ने मिल कर जर्मनी की सहायता से सारे भारत में क्रान्ति करने व श्याम तथा अन्य स्थानों से बंगाल के क्रान्तिकारियों का सम्बन्ध जोड़ने का निश्चय किया। साथ ही यह भी निश्चय हुआ कि बकैतियों द्वारा धन का संग्रह किया जाय। इसके पश्चात् कुछ बकैतिया टाली गईं जिनमें आक्रमण कारियों को ४० हजार रुपया मिला। भोलानाथ चटर्जी को विद्रोहियों से सम्पर्क साधने के लिये बैङ्काग भेजा गया। श्री जतीन्द्रनाथ सहरा, जो यूरोप से आकर बम्बई में उतरे, अपने साथ बंगाल के क्रान्तिकारियों

के नाम जर्मनी की सहायता का धारवात्मन लाये। उन्होंने दल की ओर से एक आदमी को बटेविया भेजने को कहा। इस पर श्री नरेन्द्र महाचारजी वहाँ भेजे गये। उन्होंने अपना जाली नाम सी० मार्टिन रखा। इसी वर्ष जतीन मुखर्जी क्रान्तिकारियों की ओर से कलकत्ते गये। वृत्ति गार्डन रीच और बैलीघाट की दकैतियों के कारण पुब्लिस की जाँच बड़ी सरगर्मी के साथ हो रही थी इसलिये श्री जतीन मुखर्जी छिप गये।

### जर्मनी की सहायता

बटेविया में श्री नरेन्द्र महाचारजी 'मार्टिन' जर्मन दूतावास में गये। वहाँ उन्हें पता चला कि भारतीय क्रान्तिकारियों की सहायता के लिये शर्मा से खदा हुआ एक जहाज करांची पहुँच रहा है। उन्होंने उस जहाज को कलकत्ते भिजवाने के लिये कहा। फिर यह कलकत्ते के पास सुन्दर वन में उस जहाज का सामान लेने के लिये आये। उस जहाज में, कहा जाता है, ३० हजार रायफल्स, ४०० राउन्ड्स कारतूस व २ लाख रुपये थे। फिर 'मार्टिन' ने कलकत्ते की एक दूकान डेरी एण्ड सन्स को तार दिया कि 'व्यापार अच्छा चल रहा है।' यह फर्म व्यापार को न होकर क्रान्तिकारियों का प्रमुख अड्डा था। उसके बाद तो बटेविया से करीबन ४३ हजार रुपया इस फर्म के नाम आया। इन प्रवृत्तियों का पता पुलिस को किसी तरह चल गया।

यह अन्दर ही अन्दर जाँच करने में ध्यस्त हो गई। हथियारों के आ जाने के पूर्व ही क्रान्तिकारियों के सामने यह समस्या उपस्थित हुई कि उनका उपयोग कैसे किया जाय। इस विचार विमर्ष में जतीन मुखर्जी, मधु गोपाल मुखर्जी, नरेन्द्र महाचारजी, भोलानाथ और अतुल घोष ने प्रधानता से भाग लिया था। उन्होंने बद्राज को पूर्वी बङ्गाल, कलकत्ता और बाकालोर नामक तीन भागों में बाँट दिया। इसके बाद बद्राज को बाहरी प्रान्तों से छद्म करने के लिये उन्होंने आने वाली रेलगाड़ियों के तीन प्रमुख पुख तोड़ने का निश्चय किया। श्री जतीन्द्र को मद्रास की पुख

तोड़ने का भार सौंपा गया। बङ्गाल नागपुर रेल का चक्रधरपुर वाला पुल तोड़ने का काम भोलानाथ चटर्जी के सुपुंरद किया गया। ईस्ट इंडिया रेलवे का पुल तोड़ने का भार सतीश चक्रवर्ती को दिया गया। इसके अतिरिक्त नरेन्द्र चौधरी और फणीन्द्र चक्रवर्ती के जिम्मे पूर्वी बङ्गाल में विद्रोह करने का नेतृत्व दिया गया। नरेन्द्र महाचारजी और त्रिपिन गांगूली की कलकत्ते और फोर्ट विलियम पर अधिकार करने का काम सौंपा गया। इसी समय क्रान्ति को सफल करने के लिये जहाज द्वारा जो जर्मन अफसर आये थे उन्हें नवयुवकों को फौजी शिक्षा देने का काम सौंपा गया। श्री जदुगोपाल मुकर्जी ने भावरिक नामक जर्मन जहाज द्वारा हथियार खाने का काम अपने जिम्मे लिया। ऐसी आशा थी कि भावरिक नामक जहाज जून के अन्तिम सप्ताह में आ जायगा, पर वह जहाज न आ सका। इससे क्रान्तिकारियों में बड़ी निराशा हुई। उन्होंने अपना सदेशा वंकांग भेजा और वहां के क्रान्तिकारियों से यह अनुरोध किया कि वे योजना के अनुसार अवश्व हथियार भेजें।

इसी बीच में पुलिस को पदयन्त्र का पता चल गया और कलकत्ते तथा उसके आस पास धड़ पकड़ चालू हो गई। मार्टिन ने अपना नाम बदल कर हरीसिंह रत्न लिया और वह बटेविया होता हुआ अमेरिका चला गया, जहां वह गिरफ्तार होगया। इसके बाद जर्मनी ने दो एक बार हिन्दुस्थान को हथियार भेजने की योजनाएं भी बनाईं पर वे कार्यान्वित न हो सकीं। इन सब ऋगणों को लेकर सैन क्रांसिस्को में विदेशों में हिन्दुस्थान की आजादी के लिये काम करने वाले लोगों पर मुकदमा चला। इन्हीं दिनों संघाई म्यूनिसिपल पुलिस ने दो चीनी व्यक्तियों को भारतीय क्रांतिकारियों के लिये हथियार ले जाते हुए पकड़ा। इन में प्रसिद्ध क्रांतिकारी नेता श्री रासबिहारी बोस का भी हाथ था।

क्रान्तिकारियों की और जर्मनी की योजनाएं सफल न हुईं। इसका कारण यह था कि जहां जर्मनीवालोंको हिन्दुस्थानके सम्बन्ध में विशेष ज्ञान

न था, यहां क्रान्तिकारियों की बनाई हुई योजनायें भी पूर्ण न थीं। इन मय पढ़पन्त्रों को पकड़ने में पुलिस ने जो सामयिक चतुराई बटलाई उससे उनकी संगठन शक्ति का पता भली प्रकार लगता है। फिर भी क्रान्तिकारों पुनः बैठनेवाले न थे। उन्होंने किस प्रकार आगे भी विदेशी सहायता का देश की स्वाधीनता के लिये उपयोग किया। इसका परिषय आगे के परिच्छेदों में मिलेगा।

## अन्य प्रान्तों में क्रान्तिकारी पढ़पन्त्र

### बिहार

बंगाल और बिहार एक तरह से मिले हुए हैं। यद्यपि दोनों प्रान्तों की भाषाएँ अलग अलग हैं, परन्तु बङ्गभङ्ग आन्दोलन ने दोनों ही में एक साथ क्रान्ति की छहर फैला दी थी। सबसे पहले क्रान्तिकारियों का काम मुजफ्फरपुर की इलाक़े थी, जिसमें कलकत्ते से बढ़ते हुये एक मजिस्ट्रेट का घब किया गया था। इसके बाद निमेज में एक महन्त के घर दाका दाखा गया और उसे मार दाखा गया। इस अपराध में मोतीचन्द और माणकचन्द नामके दो जिन युवक गिरफ्तार हुए और जोरावरसिंह नामक युवक फरार हो गया, जिसका पता सरकार अब तक न खगा सकी। उक्त दोनों नवयुवकों पर मुकदमा चला और इनमें एक को कांसी की सजा हुई और दूसरा सरकारी गवाह बन कर दूर भेजा गया।

इन युवकों ने राजस्थान के प्रसिद्ध देशभक्त श्री अर्जुनजाजजी सेठी की शिक्षा-समिति में शिक्षा पाई थी। इन्होंने इटाही के उद्धारकर्ता मैजरी का जीवन चरित्र पढ़ा था और उन सब उपायों का अध्ययन किया था, जिसके द्वारा उक्त देशभक्त ने इटाही को स्वतन्त्र किया था।

इसी सिखसिखे में श्री अर्जुनजाजजी सेठी की इन्दौर में गिरफ्तारी हुई। आप उस समय राय बहादुर सेठ कल्याणमजजी

की हाई स्कूल के हैंड मास्टर होकर गये थे । यद्यपि आपके खिलाफ कोई ऐसा प्रमाण नहीं मिला जिसकी वजह से आप पर मुकद्दमा चलाया जा सके, तहाँ भी आपको पाँच वर्ष की लम्बी अवधि तक नज़रबन्द रखा । अखिर श्रीमती एनिविलेस की सिफ़ारिश पर आप जेल से छोड़े गये ।

इसके अतिरिक्त श्री सचीन्द्रनाथ सन्याल ने बाँकीपुर ( बिहार ) में बनारस क्रान्तिकारी दल की एक शाखा खोली । इस शाख के प्रधान संचालक श्री बकिमचन्द्र मित्र थे जिन्होंने रघुवीरसिंह नाम के एक बिहारी युवक के हृदय में क्रान्ति और विद्रोह की भावनाएँ भरनी । बाद में रघुवीर की नौकरी प्रयाग में लग गई । वहाँ स्वतन्त्रता सम्बन्धी परचे बाँटने पर उसे दो वर्ष की सज़ा दी गई । इसके बाद बिहार में कुछ क्रान्तिकारी उभल पुधल, भागलपुर में दादा अनुशीलन समिति के सदस्यों के आने से हुई । यह कार्यवाही केवल प्रचारात्मक ही थी । २० सितम्बर १९१४ को उड़ीसा के कटक जिले में कलकत्ते के क्रान्तिकारियों द्वारा एक उड़िया विद्यार्थी की सहायता से एक डाका डाला गया । इसी के पास बालासोर जिले में पुलिस और प्रसिद्ध क्रान्तिकारी श्री जतीन्द्रनाथ मुखर्जी की मुठभेड़ हुई, जिसकी चर्चा ऊपर की जा चुकी है । इस प्रकार से हम देखते हैं कि इस प्रान्त में क्रान्तिकारी कार्यवाहियाँ अपेक्षा कृत बहुत ही कम हुई थीं । परन्तु इन घटनाओं ने बीज रूप का काम किया । आगे चलकर हम देखेंगे कि सशस्त्र क्रान्ति में इस प्रान्त का हिस्सा किसी अन्य प्रान्त से कम न रहा ।

## युक्तप्रान्त

युक्तप्रान्त उत्तरी भारत का मध्यवर्ती प्रान्त है और यह सदैव अनेकों उन्नतपुलक का केन्द्र रहा है । हिन्दुओं के प्रसिद्ध तीर्थ स्थान बनारस, इलाहाबाद प्रयाग यहीं हैं । कागरा, लखनऊ, रामपुर मुगल संस्कृति व राजघराने के केन्द्र रहे हैं । १८२७ का प्रसिद्ध स्वतन्त्रता संग्राम—सच पूछा जाय तो—प्रधानतः इसी प्रान्त द्वारा लड़ा गया था ।



इस प्रान्त में स्वतंत्रता का बीजारोपण प्रयाग के 'स्वराज्य' पत्र से हुआ। इसका संपादन व संपादन श्री शान्तिनारायण के हाथ में था जिन्हें राजद्रोहामक लेख लिखने के कारण जेल में बन्द कर दिया गया था। पर इससे 'स्वराज्य' की प्रगति में अन्तर न पड़ा। उनके बाद आठ संपादकों ने इस पत्र का संपादन किया जिनमें से तीन संपादकों को राजद्रोह के अपराध में जेल की पातनायें भोगनी पड़ीं। इसके बाद कर्मयोगी निकला। इन दोनों पत्रों को १९१० के पूर्व ही सरकारी रोप का शिकार होना पड़ा। इसमें दो वर्ष पूर्व अलीगढ़ में आयुक्त होतीलाक यमों को आपत्तिजनक साहित्य रचने के अपराध में इस वर्ष का दंड निकासा हुआ। युक्त प्रान्त के प्रगतिकारी इतिहास की सब से बड़ी घटना बनारस पत्र-पत्र केस था।

बनारस में बंगालियों की काफी संख्या है, इसलिये यह स्वाभाविक ही था कि क्रान्तिकारी कार्यवाहियों का प्रारम्भ यहीं से होता। सन् १९०८ में श्री सर्वाङ्गनाथ सन्ध्याल ने यहाँ अनुशीलन समिति नाम की एक संस्था खोली, लेकिन जब डाका अनुशीलन समिति सरकारी रोप का शिकार हुई तो बनारस समिति ने अपना नाम बदल कर 'बंगमेन्स एसोसियेशन' रखा। गीता व काळी पूजा के माध्यम से इस संस्था में क्रांति की भावनायें फैलाई जाती थीं। सन् १९१५ के प्रारम्भ में श्री रासबिहारी बोस ने इस संस्था का संचालन अपने हाथ में लिया। वे यहीं बंगाली टोला में रहते थे। एक बार यमों को देखते हुए उनके तथा शचीन्द्र के चोट आई। यद्यपि उनके विरुद्ध वारन्ट था, पर उत्तरी भारत की पुलिस बनारस में उनका पता न लगा सकी। यहीं पर श्री रासबिहारी ने पंजाब, मध्यप्रान्त और बंगाल के क्रान्तिकारियों को लेकर देशव्यापी सराफ प्रान्ति की एक योजना बनाई। महीने की २१ सा० विद्रोह के लिये निश्चित हुई, परन्तु एक आदमी के पुलिस से मिल जाने से कई गिरफ्तारियां हो गईं। श्री रास बिहारी ने कलकत्ते के क्रान्तिकारियों से चरितम

विदाई ली और दो वर्ष तक वापिस न आने को कहा। इसी समय श्री रावीन्द्र नाथ सन्यास की भी गिरफ्तारी हुई और उन्हें दस वर्ष की सज़ा दी गई।

इसी समय अंध (फैजाबाद) में हवलदार हरनामसिंह की क्रान्तिकारियों से मिल कर काम करने के सम्बन्ध में गिरफ्तारी हुई। उसे रोज़दोह के अपराध में दस वर्ष की सज़ा दी गई।

उक्त बड़ी घटनाओं के अतिरिक्त क्रान्तिकारी विद्वसियां बाँटने, युगान्तर के पर्चे छिपकाने, नाजायज़ हथियार आदि रखने के सम्बन्ध में युक्तप्रान्त में अनेक गिरफ्तारियां हुईं। सब मिलकर क्रान्तिकारी आन्दोलन की दृष्टि से युक्तप्रान्त के लिये यह काल प्रारम्भ युग था।

### मध्यप्रान्त

सन् १९०६ में कलकत्ता में जो राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन हुआ उसमें गरम दल व नरम दल का संघर्ष कुछ भीमा पर्व गया। कांग्रेस ने एक प्रस्ताव द्वारा बॉम्बेवाट आन्दोलन का समर्थन किया तथा दूसरे में औपनिवेशिक स्वराज्य की याचना की। अगला अधिवेशन नागपुर में होने का था। इस लिये राष्ट्रीय हलचलों और उथल पुथल का केन्द्र नागपुर बना। इसी समय तिलक विचार-धारा के समर्थक पत्रों का प्रान्त में प्रचार बढ़ा। इनमें 'हिन्दी केसरी' और 'देश सेवक' मुख्य थे। गरम दल का प्रभाव नागपुर में इतना बढ़ा कि कांग्रेस के नाम दल के समर्थकों ने कांग्रेस का क्षेत्र नागपुर से सूरत बदल दिया। फिर भी नागपुर और इसके आसपास में नवयुक्त आन्दोलन जोर पकड़ता गया। धूरत जाते और वहाँ से खींचते हुए श्री भरविन्द घोष ने नागपुर में स्वदेशी और बॉम्बेवाट के पक्ष में व्याख्यान दिये। इसी समय मुजफ्फरपुर की धम की घटना घटी। नागपुर के पत्रों ने उसका समर्थन किया। इस पर उनके मपादकों को दंड दिया गया। बाद में सन् १९१६ में मध्यप्रान्त में

बनारस गङ्गान्धकेस के श्री बलिनीमोहन मुखर्जी जी में श्री रामबिहारी चौंस की हस्तानुसार जयलपुर में गौड़ों से विद्रोह करवाना चाहा। पर यह भेद खुल गया और उन्हें बनारस गङ्गान्धकेस में डट दिखा गया। इसके पश्चात् डाका अनुशीलन समिति के श्री बलिनी कांत घोष तथा श्री विनायक राव कपिल ने प्रांत में क्रांति के बीज बोने चाहे, पर ये अपने प्रयत्न में असफल रहे। यह पकड़े गये तथा उन्हें सजा दी गई।

### मद्रास

सन् १९०७ में मद्रास प्रान्त के लोगों में उत्तेजना की भवनायें श्री विपिन चन्द्र पाख नामक बहार्छा पत्रकार और मेता के भाषणों से फैली। पाख के भाषण 'स्वराज्य स्वदेशी और बायकाट' विषयों पर थे। लाला छाजपतराय के पंजाब से निकाले जाने के दुःखद संवाद ने पाख को दक्षिण मद्रास का दौरा स्थगित करने पर विवश किया। पाख ने चापिस कलकत्ते छोड़ कर ०५ मई को लोगों को गाँव गाँव में 'काखी पूजा' करने के लिये जोर दिया। पाख के मद्रास प्रान्त से चले जाने के बाद वहाँ सघणों का तांता बन्धा! कई जगह पर्वे पकड़े गये और क्रांतिकारी भाषण दिये गये। इस समय में सर्व धी सुदामातिा शिव और बिर्त्तवरम पिलई गिरफ्तार हुए। उनकी गिरफ्तारी के साथ ही साथ तिनार्थेन्डी में भयंकर संघर्ष हुआ जिसके कारण वहाँ पर सरकारी दफ्तर जला दिये गये। २७ व्यक्तियों को इन अपराधों पर सजा मिली। कई तामिल पत्रों के सम्पादकों एवं प्रकाशकों को राजद्रोहात्मक लेख लिखने के अपराध में सजाये दी गई। ऐसे ही समय में मद्रास प्रांत में धी नील कट प्रकाशकारी और उनके अनुयायी धी शंकरकृष्ण अय्यर द्वारा थिथिश सरकार विपरीत पट्टयन्त्र की एक योजना बन रही थी। जून १९१० में शंकर ने नीलकण्ठ को अपने साले वांछी ऐयर से मिलवाया। बाद में धी सावरकर के एक अनुयायी धी बी० बी० एम ऐय्यर ने लोगों को लुक छेपकर हथियार बनाने और खजाने की शिखा देना प्रारम्भ किया। वाची

बी० बी० एस पेयर से पायडीपैरी में मिना और यहाँ से शल्य-शिक्षा पाकर उसने तिनावली के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट मि० आस की हत्या करने की ठानरी । १७ जून १९११ को मि० आस की हत्या कर दी गई । यह हत्या तथा मैमनसिंह जिले में सुयेदार राजकुमार की हत्या सम्राट् के राज्यारोहण दिवस पर ब्रिटिश शासन के प्रति विरोध प्रदर्शन के लिये की गई थी । इन सम्बन्ध में ६ व्यक्तियों को सजायें दी गईं ।

### प्रथम महायुद्ध और मुसलमान

जहाँ तक उक्त क्रान्तिकारी आन्दोलनों का सम्बन्ध है, मुसलमानों का उनमें बहुत कम हाथ रहा था । गत प्रथम महायुद्ध ने परिस्थिति बदल दी । इस युद्ध में टर्की सम्मिलित हो गया था, इस लिये धर्मान्ध मुसलमानों को टर्की का साथ देना चाहिये था । इस दृष्टिविन्दु ने कई मुसलमान परिवारों को सशस्त्र क्रान्ति में सहयोग देने के लिये विवश किया । इनमें से उत्तरी पश्चिमी प्रान्त में मुजाहिरिन लोगों का आतंक प्रसिद्ध है । ये लोग भारत को दारु-उल-हर्ब यानी 'दुर्गम का देश' कहते थे, क्योंकि वहाँ के शासक अग्नेज थे । इसलिये ये उनके ग्विद्धाफु लदना अपना धर्म समझते थे । सन् १९१५ में पंजाब के १५ लड़कों ने अपना कॉलेज छोड़ दिया और मुजाहिरिन दल में मिल कर काबुल पहुँचे । उनमें से दो तो भारतवर्ष लौट आये तथा दो को रूसी अधिकारियों ने पकड़ कर अग्नेजों के सुपुर्द कर दिया । इनके घरानों से पता चलता है कि इन्हें अग्नेजों से बड़ी घृणा थी । वे सोचते थे कि टर्की और इस्लाम में जो युद्ध हो रहा है उसमें उन्हें धर्म के नाम पर टर्की का साथ देना चाहिये । इस घटना के साथ साथ ऐसे अनेक व्यक्ति देश में गिरफ्तार हुए, जिनका उद्देश्य उत्तरी पश्चिमी प्रान्त के लोगों को सहायता देना था ।

अगस्त १९१६ में ही एक नये प्रयत्न का पता चला । हिन्दुस्तान

ले बाहर जो मुमकमान खींच गये हुए थे, वे चाहते थे कि कोई बाहरी मुस्लिम राष्ट्र हम देश पर चढ़ाई करे और वहाँ के मुसलमान बग़ावत कर दें। इन लोगों में से मौलवी अब्दुल्ला का प्रयत्न विशेष दृष्टोत्पत्नीय है। व सद्दानपुर जिले में देवबन्द स्थल में मौलवी थे, परन्तु घां पर उनका स्थल के अधिकारियों से संघर्ष हो गया। हिन्दुस्तान से बाहर जाकर मौलवी अब्दुल्ला ने टर्की और जर्मनी की सहायता से काबुल में भारतवर्ष से ब्रिटिश शक्ति को बाहर फेंकने के लिये एक योजना बनाई, जिसके अन्तर्गत राजा महेन्द्र प्रताप को भारतवर्ष का प्रधान बनाना निश्चित हुआ तथा अब्दुल्ला को प्रधान मन्त्री बनाना तय हुआ। जर्मनी के साथ ही उक्त योजना में असफल होकर १९१६ में ही काबुल से चले गये। इन भारतीयों ने रूस के जार को पत्र लिख कर भारतवर्ष पर चढ़ाई करने को कहा। ये पत्र तारकालिक ब्रिटिश अधिकारियों के हाथ लग गये। सन् १९१६ में मौलाना महमूद हसन और अब्दुल्ला के चार साथी पकड़े गये। इनकी योजनाओं में संगठन का अभाव था और बहुत कुछ इन योजनाओं की असफलता का कारण मौलवी अब्दुल्ला का चरित्र था, जो योजनायें तो जल्दी जल्दी बना लेता था परन्तु उनके पूर्ण करने की शक्ति उसमें अपेक्षाकृत बहुत कम थी।

### बर्मा में विद्रोह

बर्मा में जो संघर्ष हुए उनका भारतीय क्रान्ति से सीधा सम्बन्ध न था। इतना अवरय सरय है कि बर्मा वालों की लड़ाई अपने अधि कारों की लड़ाई थी; फिर भी अमेरिका की गद्दर पार्टी व पञ्जाब में राज्य विद्रोह से बर्मा वालों का सम्पर्क था। इन संघर्षों का पता सन् १९१६ में माचडले की अज्ञात में चले हुए दो मुकदमों से चलता। बर्मा में जब सैन्य लड़ा तो अमेरिका से प्रकाशित गद्दर पत्र की गुमराती, हिन्दी और उर्दू संस्करण की समाम कौपिया पकड़ी गई। गद्दर के सभी अकों में हिन्दू मुसलमान तथा सिक्खों से मिलकर अंग्रेज सरकार के उखटने

का संदेश था। इसी के साथ माग टर्की के पत्र 'जाने इ-इस्ताम' की भी कॉपियां पकड़ी गईं। इस पत्र की कॉपियां रंगून स्थित बलूची रेजीमेंट में भी बांटी गईं। इसके पूर्व कि पलटने बगावत करें २०० के करीब बड् यन्त्रकारी पकड़े गये और उन्हें विभिन्न मजायें दी गईं। इसी समय सिंगापुर में Mujtaba हुसैन उर्फ भूलचन्द के प्रयत्नों से सिंगापुर में फौजी बगावत हुई।

इसी समय अलीमुहम्मद और कायमखली यमां से अग्रेजों को बाहर निकालने के प्रयत्नों में लगे हुये थे। उन्होंने करीबन् १५ हजार रुपये एकत्रित किये और कुछ बन्दूकें भी एकत्रित कीं। इसी समय बगदाद से गदर पार्टी के कुछ लोग यमां में आये और उन्होंने उपरिन स्ट्रीट में १६ नं० का मकान लिया। पुलिस को इसका पता चल गया। ऐसे ही समय सैनक्रान्तियों से आये हुये गदर पार्टी के श्री सोहनलाल पाठक फौजी सिपाहियों को उभाड़ते हुये पकड़े गये। मुसलमानों का विचार बकरीद के अवसर पर कुछ उपद्रव करने का था, परन्तु अधिकारियों की कड़ाई से वह ऐसा न कर सके।

## पंजाब में क्रान्तिकारी कार्यवाहियाँ

पंजाब भारत की वीरभूमि रही है। यद्यपि यहां की आबादी में मुसलमानों की अधिकता है, फिर भी यहां की सिक्ख जाति अपनी धीरता के लिये प्रसिद्ध है। जहां सिक्खों की अग्रेजों के प्रति भक्ति प्रसिद्ध है, वहां पंजाब का भारत के स्वतंत्रता-संग्राम में कोई कम हिस्सा नहीं है। पंजाब में सन् १९०७ के आस पास से ही आग सुलग रही थी। यह आग सा ऐजिटिव इन्वेष्ट्पन के अनुसार लाहौर, अमृतसर, फिरोज़पुर, रावल्पिंडी, सियालकोट, लाहलपुर आदि बड़े बड़े शहरों में विद्यार्थियों क्लबों और पढ़े लिखे लोगों में थी। इस आतंकमय वायुमण्डल के कारण खाला खानपतराय और अजीतसिंह गिरफ्तार कर लिये गये और वे पंजाब में मण्डाली भेज दिये गये। यद्यपि इनके बाहर निर्वापन से आग कुछ समय

के लिये टटी पड़ी, परन्तु सन् १६०६ में फिर यह गोर से भभक उठी। लाहौर में काफी प्रान्तिकारी विद्रोहियाँ निकल रही थीं। श्री अजीतसिंह के प्रान्त निर्वाचन की प्रार्थना ६ माह बाद समाप्त हो गई। उसके पश्चात् उनके भाई श्रीर खालचंद पञ्जरु और भाई परमानन्द पर राजद्रोह के सिद्धांतों में मुग़लमें चले। भाई परमानन्दजी के पास खाला लाजपतराय जी के दो पत्र पकड़े गये जो उन्होंने भाई परमानन्दजी का, जय वे खान्दान में थे, लिखे थे। इन पत्रों में खाला लाजपतराय ने भाई परमानन्दजी से कुछ पुस्तकें भेजने व खान्दान में श्रीकृष्ण धर्मा से १०,०००) राजनीतिक कार्यकर्ताओं के लिये सुरक्षित रगन के लिये लिखा था।

### दिल्ली पड्यन्त्र केस

दिसम्बर सन् १६१२ में दिल्ली में ऑर्ट हाडिंग्स पर बम फेंका गया, जिससे उनका एक अंगरक्षक जान से मर गया। इसके कुछ दिनों बाद लाहौर में बम से एक सिपाही मारा गया। इस पर जो जांच हुई उसमें कई नई बातों का पता चला। उनमें से श्री हरदयाल की प्रान्तिकारी कार्यवाहियाँ मुख्य थीं।

श्री हरदयाल दिल्ली शहर के रहने वाले व पंजाब यूनिवर्सिटी के विद्यार्थी थे। वे सन् १६०५ में सरकारी छात्रवृत्ति पर ऑक्सफोर्ड पढ़ने गये, लेकिन उन्होंने वहाँ पर पढ़ना छोड़ दिया। वे वापस भारतवर्ष आये और 'विदेशी मास के बहिष्कार' आन्दोलन में शामिल हो गये। इसके बाद वह हिन्दुस्तान से बाहर अमेरिका चले गये और वहाँ के प्रसिद्ध 'गदर' दल का नेतृत्व उन्होंने अपने हाथ में लिया। हिन्दुस्तान में उनके अनुयायियों व साथियों में से लाहौर के श्री दीनानाथ, दिल्ली के श्री अमीरचन्द, बंगाल के श्री चटर्जी तथा देहरादून के श्री रासबिहारी बोर थे। दिल्ली पड्यन्त्र केस में श्री दीनानाथ मुखबिर बन गये तथा उनके रहस्योद्घाटन के फलस्वरूप सर्व श्री अमीरचन्द,

अवधबिहारी, बालमुकुन्द तथा बसन्तकुमार को फाँसी दी गई। श्री रासबिहारी मौस फरार होगये और उन्हें पुलिस न पकड़ सकी। इम अवसर पर श्री हरदयाल की कार्यवाहियों पर विचार कर लेना आवश्यक है।

श्री हरदयाल सन् १९११ में सैनफ्रांसिस्को पहुँचे। वहाँ उन्होंने 'गदर' नाम का पत्र निकाला और उसे हिन्दुस्तान में अपने साथियों द्वारा मुफ्त बँटवाना चालू किया। वहाँ उन्होंने युगान्तर आधम नाम से एकप्रेस भी खोला। 'गदर' पत्र कई भाषाओं में एक साथ छपता था। इसकी पक्ति पक्ति में आग भरी रहती थी। जब जर्मनी ने इङ्ग्लैण्ड के विरुद्ध युद्ध-घोष किया तब गदर पार्टी ने इस उद्देश से आन्दोलन चलाना प्रारम्भ किया कि आज़ादी लेने का यह सबसे उपयुक्त अवसर है। उन्हें इस काम में सर्व श्री रामचन्द्र और मियाँ बरकतउल्ला से काफी सहायता मिली। बाद में अमेरिका की सरकार ने खाला हरदयाल को 'अवांछनीय विदेशी' समझ कर अमेरिका से बाहर निकाल दिया। वे स्विट्ज़रलैण्ड चले गये। उनके जाने के बाद 'युगान्तर' आधम और 'गदर' पत्र धीयुक्त रामचन्द्रजी निकालते रहे।

### बजबज का शगड़ा

उन्हीं दिनों पंजाबी सिक्खों को अधिक वेतन पाने की दृष्टि से मलाया और अमेरिका जाने की लगी हुई थी। अमृतसर जिले के सिक्ख गुरदत्तसिंह एक जहाज भर कर यात्रियों को अमेरिका ले गये। वहाँ अधिकारियों ने इन यात्रियों को नियम के अनुसार तट पर न उतरने दिया। इससे जहाज के यात्रियों में काफी रोष फैला। इसी बीच युद्ध छिड़ गया। यात्रियों को हांगकांग और सिंगापुर में भी न उतरने दिया। वे सब रोप में भरे हुये हुगली के पास २६ सितम्बर १९१४ को बज बज किनारे पर पहुँचे। बहाल सरकार ने सिक्खों को रेल गाड़ी की



सत्र मे पञ्जाब जाने को कहा, परन्तु इन्होंने कश्मिरी शहर में प्रदर्शन करते हुये चलने को कहा। इस पर अधिकारियों व सिक्कों में भगवा हो गया। दोनों ओर के छात्रों लोंग दताहत हुए। १८ सिक्क घायल हुये। गुरदत्त के साथ २६ सिक्क गायब हो गये। ३१ सिक्कों को जेल हुई। इस घटना के बाद कैनाडा, अमेरिका, हागवग, चीन आदि से तनाम गिक्क भाग कर अपने देश आने लगे।

तत्कालीन भारत सरकार इसमे मगकित हो उठी, लेकिन गिक्कों का आना न रुका। उसने कुछ प्रतिबन्ध लगाये पर वह असकन रही। १६ अक्टूबर १९१४ की रात को फिरोजपुर, लुधियाना लाइन पर चौकी मान रेलवे स्टेशन पर तीन या चार सगक्य ब्यक्तियों ने आक्रमण किया। वे स्टेशन मास्टर को मारकर तथा सामान लूट कर भग गये। २६ अक्टूबर को कलकत्ते में कोमागाटामारु जहाज से जो प्रवासी सिक्क उतरें सभी के सभी आतकवादी थे। उनमें से एक सौ आदर्यी तो उसी समय गिरराार कर खिये गये। शेष का सम्बन्ध क्रान्तिकारी कार्यवाहियों से रहा। कई बार सरकारी खजाने के लूटने में उसकी पुब्लिक वालों से मुद्देद होती रही। पञ्जाब सरकार ने उसी समय केन्द्रीय सरकार से इन आतकवादी कार्यवाहियों को रोकने के लिये एक थार्डिनन्स बनाने को कहा। यह सन्देशा ज्यों ही भेजा गया कि प्रान्त की स्थिति और भी बिगडने लगी। जगह जगह राजनीतिक डाके, हत्यायें आदि होने लगीं। ऐसे ही समय में वज्राल की ओर से श्री विष्णु गणेश पिंगले नाम के एक महाराष्ट्र ब्राह्मण ने लोगों को बम बनाना सिखाने तथा सहायता का आश्वासन दिया। श्री रासबिहारी बोस भी बनारस से अश्रुतसर आ गये। २१ फरवरी को देश व्यापी क्रान्ति की योजना थी। थर्ध की प्राप्ति के लिये कुछ राजनैतिक हवैतियां भी डाली गईं। एक भेदिये के द्वारा पता लगने से १६ फरवरी को ही श्री रास बिहारी बोस के मनान की तलाशी ली गई। सात प्रवासी भारतीय रिवाल्वर, बम, और क्रान्तिकारी

क्रान्तियों के साथ पड़ रहे गये । श्री रास बिहारी बोस पकड़े न जा सके । २० फरवरी की सन्ध्या को एक हेट कास्टिबिल और एक पुलिस का थानेदार मारा गया । १४ और २० फरवरी को फरीदपुर और लाधखपुर जिले में ढाके डाले गये । इन सब का सम्बन्ध लाहौर पब्लिसिटी केस से है ।

इस बीच पञ्जाब सरकार पत्र पर पत्र लिखकर केन्द्रीय सरकार से थ्राडिनेन्स बनाने के लिये जोर देती रही । अतः यज्ञाल और पञ्जाब में उत्पन्न असुधारण स्थिति को सम्भालने के लिये विदेशी सरकार ने 'भारत सुरक्षा कानून' बनाया । इस कानून ने पुलिस और नौकरशाही को असुधारण अधिकार दे दिये जिससे सारे देश में दमन का दौरा चला और अनेकों देश भक्तों के साथ-साथ निरपराध निरीह नागरिकों को भी कठिनाइयाँ उठानी पड़ीं । इस कानून के अन्तर्गत बनाए हुए विशेष अदालतों में प्रान्तिकारियों के नौ गिरोहों का फैसला हुआ । इसके परिणामभूत २८ व्यक्तियों को फाँसी दी गई और बहुतों को देश-निकाला हुआ । दो विदेशी फौजों को फौजी अदालत के सुर्पद किया गया । इस उल्लेख में ये चारे से नागरिक नहीं आते जिन्हें स्वदेश-प्रेम के अपराध में साधारण अदालतों द्वारा दण्डित किया गया था । यहां पर उनकी चर्चा नहीं की है जिन्हें भारत सुरक्षा कानून के अन्तर्गत नज़रबन्द या नगरबन्द किया गया था ।

इसी समय समाचार पत्रों पर भी जर्मनी के पत्र के और उभाड़ने वाले समाचार छापने पर रोक लगाई गई । लोकमान्य तिलक य भी विपिन चन्द्र पाल को पञ्जाब में आने से मना किया गया । सरकार की भय था कि कहीं क्रान्तिकारी आन्दोलन के कारण उनकी फौजों में भरती की संख्या कम न हो जाये । अगर सरकार ने दमन को इतने जोरशोर से न चलाया होता तो सम्भव था कि श्री रास बिहारी बोस द्वारा आयोजित स्वतंत्रता का यह महान् आन्दोलन सफल हो गया होता ।

## क्रान्तिकारियों के चरित्र पर एक दृष्टि

दमने गत अध्याय में गांधी युग के पहले होने वाली अनेक क्रान्तिकारक प्रवृत्तियों का संक्षिप्त इतिहास देने की चेष्टा की है। हम यहाँ स्वीकार करते हैं कि इस प्रकार की क्रान्तिकारी प्रवृत्तियाँ भारतीय संस्कृति के अनुकूल नहीं थीं। भारत सशस्त्र क्रान्ति के विरुद्ध नहीं है, पर पुस्तक दत्ताएँ, छुपे आक्रमण और डाके आदि कृत्यों को उसकी आत्मा स्वीकार नहीं कर सकती। देश की स्वार्थीनता के लिये, देश को विदेशी सत्ता से मुक्त करने के लिये, अहिंसात्मक या सशस्त्र क्रान्ति करना उसके आदर्शों के विरुद्ध नहीं, पर यह खुले रूप से होना चाहिये।

यहनाल क्रान्तिकारियों के देवता स्वरूप देश बन्धु सी० आर० दास महोदय ( Mr C. R. Dass ) ने भी स्पष्ट रूप से कहा था कि—

I have made it clear, and I do it once again that I am opposed on principle to political assassinations and violence in any shape or form. It is absolutely abhorrent to me and to my party. I consider it an obstacle to our political progress. It is also opposed to our religious teaching.

As a question of practical politics I feel certain that if a violence is to take root in the political life of our country, it will be the end of our dream of Swaraj for all time to come. I am, therefore, eager that this evil should not grow any further, and that this method should cease altogether as a political weapon in my country."

‘ अर्थात् मैंने यह स्पष्ट रूप से प्रकट कर दिया है और फिर भी यह प्रकट

करता हूँ कि मैं सिद्धान्त की दृष्टि से किसी भी तरह की राजनैतिक हत्याओं और हिंसा के विरुद्ध हूँ। यह मेरे लिये और मेरे दिल के लिये निस्तान्त अरधिकर है। मैं इसे देश की प्रगति में बाधक समझता हूँ। यह हमारी धार्मिक शिक्षा के भी विरुद्ध है।

व्यावहारिक राजनीति के प्रश्न की दृष्टि से भी मेरा यह विश्वास-है कि अगर हमारे देश के राजनैतिक जीवन में हिंसा ने जड़ जमा ली तो हमारे स्वराज्य के स्वप्न का सदा के लिये अंत हो जायगा। इस लिये मैं इस बात के लिये उत्सुक हूँ कि यह जुगाड़ आगे न बढ़ने पावे और ऐसी कार्यवाही हमारे देश में राजनैतिक हथियार के रूप में काम में न ली जावे।”

महात्मा गांधी तो एक तरह से अहिंसा के अवतार ही थे। उन्होंने भी देश हित की दृष्टि से हिंसात्मक कार्यवाहियों को बन्द कर अहिंसात्मक युद्ध करने का आदेश दिया था। इतना होने पर भी हमें यह मुक्तकण्ठ से कहना पड़ेगा कि असामयिक साधनों के स्वीकार करने के बावजूद भी इन क्रान्तिकारियों के शरीर के परमाणु-परमाणु में देश सेवा और विदेशी सत्ता से अपने देश को मुक्त करने की तीव्र भावना भरी हुई थी। देश की स्वाधीनता उनके जीवन का मूल मन्त्र था और इसके लिये वे मृत्यु तक का आलिखन करने के लिये सदैव तैयार रहते थे। देश की पराधीनता से उनकी आत्मा घोर अशांति का अनुभव कर रही थी और भारत माता को पराधीनता की बन्धियों से मुक्त कर उसे संसार के प्रगतिशील और स्वाधीन राष्ट्रों की बराबरी में बिठाने की उनकी उत्कृष्ट अभिलाषा थी। स्वार्थ और निजी अभिलाषा उनके पास फटकने भी न पाती थी। उनका केवल एक लक्ष्य था और वह था भारत की मुक्ति और भारत की स्वाधीनता। चाहे उन्होंने भूल भरें और असामयिक साधनों को स्वीकार किया हो, पर इसमें सन्देह नहीं कि भारतवर्ष का गाँधी इतिहास उनके ठोसों की महानता को, देश को स्वाधीन करने की उनकी महान्

अभिज्ञान को, और उनके अनुपम त्याग को शौरवमय शब्दों में लिखेगा।

## भारत की सेवा का फल

प्रथम महायुद्ध में भारत ने ब्रिटिश साम्राज्य की तन, मन, धन से जैसी बहुमूल्य सहायता की, उसको युद्ध मित्र-राष्ट्रों के सेनापतियों और राजनीतियों ने मुक्त कंठ से स्वीकार किया है। भारतीय सेना ने फ्रान्स के रण स्थल में पहुँच कर जर्मनी की बढ़ती हुई गति को अपने अपूर्व शौर्य से रोका। भारतीय सेना इतनी बहादुरी से मैदान में लड़ी कि इससे पहले और फ्रान्स के सेनापतियों और मुखियों ने उसकी बढ़ी तारीफ़ की। जनरल क्रोन्च ने लिखा था.—

The Indian troops have fought with utmost steadfastness and gallantry, wherever they have been called upon" अर्थात् जब जत्र हिन्दुस्तानी सेनाओं का आह्वान किया गया, सब तब वह बढ़ी महुँमी और बहादुरी से लड़ी। लार्ड हल्लडेन (Lord Haldane) ने कहा था —

"Indian soldiers are fighting for the liberties of humanity as much as we ourselves India has freely given her lives and treasure in humanities' great cause We have been thrown together in this mighty struggle and have been made to realize our oneness, so producing relations between India and England which did not exist before Our victory will be a victory for the Empire as a whole and could not fail to raise it."

अर्थात् हिन्दुस्तानी सिपाही मनुष्य जाति की स्वाधीनता के लिये

उसी प्रकार लड़ रहे हैं, जैसे कि हम। हिन्दुस्थान ने मुगलस्त से मनुष्य के इस महान् हित में अपना प्राण और धन दिया। हम इस महायुद्ध में एक साथ कन्वे से कन्धा मिखाये हुए हैं और इससे हमें एकता का बोध होने लगा है। इसका परिणाम यह हुआ है कि हिन्दुस्थान और इंग्लैंड के बीच का सम्बन्ध इतना दृढ़ हो गया है जितना कि पहिले कभी नहीं हुआ था। हमारी विजय सारे साम्राज्य की विजय होगी। भारत के तत्कालिक नायब स्टेट सेक्रेटरी मि० चार्ल्स राबर्ट ने हाउस ऑफ कॉमन्स में व्याख्यान देते हुए हिन्दुस्तान की बहादुर सेना की बड़ी तारीफ़ की थी और हिन्दुस्थान की न्यायोचित आकांक्षाओं की पूर्ति का अभिवचन दिया था। युद्ध के समय इंग्लैंड के प्रायः सब मुत्सद्दियों ने हिन्दुस्तान द्वारा की गई युद्ध की सेवाओं की बड़ी प्रशंसा की थी और इस आशय के आश्वासन दिये गये थे कि विजय होने पर हिन्दुस्तान में नवयुग का प्रारम्भ किया जायगा। हिन्दुस्थान की न्यायोचित आकांक्षाओं को सफल करने की चेष्टाएँ की जायेंगी। जिन उद्धार तत्वों के लिये ब्रिटिश राष्ट्र ने युद्ध में पेर रखा है, उन तत्वों का व्यवहार हिन्दुस्तान के लिये भी किया जायगा। हमारे पास स्थान नहीं है कि उन सबके बचनों को हम यहाँ दुहरायें। इंग्लैंड के प्रायः सब समाचार पत्रों ने हिन्दुस्थान की युद्ध में की गई श्रमपूर्व सेवाओं की तारीफ़ करते हुए ब्रिटिश साम्राज्य के भीतर पूर्ण औपनिवेशिक स्वराज्य देने का प्रस्ताव किया था। पर ये सब मीठी मीठी बातें तब तक होती रहीं जब तक की हिन्दुस्तान की सहायता की आवश्यकता रही, जब तक कि युद्ध में विजय नहीं मिल गई। ज्योंहीं युद्ध में विजय मिली कि ब्रिटिश मुत्सद्दियों के दृष्टिबिन्दु में बड़ा अन्तर पड़ गया। मनुष्य जाति को स्वाधीन बनाने के बजाय मनुष्य जाति को गुलाम बनाने के विचार सोचे जाने लगे। कमजोर दिख प्रेसिडेन्ट विलसन के चौदह तत्व तारु में रख दिये गये। पराधीन मनुष्य जाति ने यूरोप के इन लूट नीतिज्ञों (Diplomats) से बड़ा धोखा खाया। कई

स्वाधीन जातियों की स्वाधीनता नाश करने के प्रयत्न किये जाने लगे। स्वतन्त्र निर्णय तत्व केवल उन्हीं राष्ट्रों पर खगाया गया जो प्रबल थे या जिन पर यह तत्व खगाने से विजयी मित्रराष्ट्रों का स्वार्थ माधन होता था। शेष सब राष्ट्रों के भाग्य का फैसला इन विजयी गिरे राष्ट्रों ने अपने हाथ में रखा। दूसरों का "स्वतन्त्र निर्णय" ये छुड़ करने लगे। संसार की इन से बड़ा धोखा हुआ। संसार की स्वाधीनता की ये पैरों-तले कुचलने लगे। तुर्की के टुकड़े टुकड़े कर डाले गये! मेसोपोटेमिया और अन्य कई देशों के वे, अपने आप बिना उन राष्ट्रों की सम्मति के, गच्छक बन बैठे। मिथ और भी ज्यादा पराधीनता की बेड़ी में कस दिया गया। जर्मनी और आस्ट्रिया की जो दशा की गई वह सब पर प्रकट है। अब हिन्दुस्तान को खींचिये। युद्ध के समय हिन्दुस्थान की जो बड़े बड़े आरवासन दिये गये, वे पानी के सुबुखे की तरह सिख हुए। हिन्दुस्तान को रिफॉर्म का जुरासा टुकड़ा देकर संतुष्ट करना चाहा पर हिन्दुस्थान पर इस का कुछ असर नहीं हुआ। क्योंकि हिन्दुस्थान ने देखा हम ऐक्ट में कुछ गुजायश नहीं है। हाँ, इसमें थोड़े से अधिकार हिन्दुस्तानियों को दिये गये हैं पर वे नाकुछ के बराबर हैं। भारत सरकार के अधिकार और भी अधिक स्वतन्त्र हो गये इससे भारतवासियों को वे अधिकार नहीं मिले जिससे वे देश की कुछ व्यावहारिक लाभ पहुँचा सकें। इस ऐक्ट से भारत की आशाओं पर पानी फिर गया। उसे घोर रूप से निराश होना पड़ा। इस के लिये उसने विविध प्रकार की दमन नीतियों का अवलम्बन किया, जिनसे भारतवासियों के उठते हुए भावों को दबाने के लिये अमानुषिक उपायों का अवलम्बन किया। हमने कुछ नौजवानों का खून उबल पड़ा और कुछ विचित्र गस्तिष्क नक्षत्रिक उपायों का अवलम्बन करने लगे। नौकरशाही जैसे जैसे अधिक बड़े उपायों का अवलम्बन करने लगी, धीमे धीमे वे भाव जोर पकड़ने लगे। भारत की नौकरशाही ने इन उपायों के मूल कारण पर विचार न कर दमननीति से इन्हें दबाना चाहा। पर उसे

इसमें यथेष्ट सरलता प्राप्त न हुई। भारत सरकार ने मैकडॉनल्ड बुचॉर्न को 'डिफेंस ऑफ इण्डिया ऐक्ट' का सहारा लेकर नज़रबंद किये। इतनाही नहीं उसने जस्टिस रॉलेट की श्रद्धाचता में एक कमीशन इम्प्लिये बैठाया कि वह भारत के इन उपद्रवों की जाँच करे और उन्हें मिटाने के जोरदार उपायों की योजना प्रस्तुत करे। रॉलेट कमीशन ने खुलेतौर से जाँच करने के बजाय सब जाँच गुप्त रूप से की। उसने घपनी रिपोर्ट और सुझाव पेश किये। ये सुझाव नागरिक स्वाधीनता की जड़ काटने वाले थे। इस पर भारत में बड़ा आन्दोलन उठा। भारत समझ गया कि रॉलेट कमीशन की इन सूचनाओं के अनुसार यदि ऐक्ट बन जायगा तो वह भारत की नागरिक स्वाधीनता का बड़ा घातक होगा। देश में आग भड़क उठी। दिल्ली कांग्रेस में प्रान्तीय ए० मदनमोहन मालवीयजी ने अपने भाषण में सरकार को सावधान किया कि वह रॉलेट कमीशन की सूचना के अनुसार ऐक्ट बनाने के खतरे से बचे। कई समाजों में प्रस्ताव पास किये गये और समाचार पत्रों में बड़े जोर से लिखा गया कि रॉलेट कमीटी की रिपोर्ट को सिफ़ारिशों के आधार पर लोगों की बची खुची स्वतन्त्रता छीनने के लिये क़ानून बनाना ठीक न होगा। स्वर्गीय मिस्टर दादा साहिब खापर्डे ने सन् १९१८ के सितम्बर में व्यवस्थापिका सभा में प्रस्ताव किया कि अभी रॉलेट कमीटी की रिपोर्ट के अनुसार काम न किया जाय और उसमें जो बातें दी हुई हैं उनकी तथा खुफ़िया पुलिस की कारवाइयों की जाँच के लिये सरकारी और गैर सरकारी मेम्बरों की एक कमेटी बनाई जावे। पर खापर्डे महोदय का यह प्रस्ताव अस्वीकृत हो गया। इसके पहिले भी खापर्डे महोदय ने कौंसिल में यह प्रश्न किया था कि रॉलेट कमेटी के सामने गवाही देने वालों के नाम बतलाये जावें और उसकी रिपोर्ट का जो परिशिष्ट प्रकाशित नहीं किया गया है, वह कौंसिल के मेम्बरों को दिखाया जाय, पर सरकार की ओर से इसका साफ़ इन्कार जवाब मिला। सुशी की बात है कि कौंसिल के कई मॉडरेट मेम्बरों ने



भी इस प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया था । सारे देश में रॉलेट कमिटी की सूचनाओं का एक स्वर से विरोध हुआ । चारों ओर से इसके विरोध की आवाज़ सुनाई देती थी । पर भारत की स्वच्छाचारी नौकरशाही ने लोकमत की रसीभर पवाह न कर रॉलेट कमिटी की सिफारिशों के आभाव पर कानून बनाने का निश्चय कर लिया और उसी के पक्षस्वरूप सरकार ने दो बिल तैयार कर प्रकाशित किये । सन् १९१६ की ७ फरवरी को ये दोनों बिल कौंसिल में पेश किये गये ।

कौंसिल में सब के सब निर्वाचित भारतीय सदस्यों ने एक स्वर से इनका विरोध किया । बाबू सुरेन्द्रनाथ बेनर्जी, सर गंगाधर चिटनवीस, डॉक्टर तेज बहादुर सप्रू, मि० शफी जैसे सरकार के हिमायती और नर्मदल के नेताओं ने भी इस बिल का घोर विरोध किया । माननीय पंडित मदनमोहन मालवीय और माननीय मि० श्री निवास शास्त्री ने ता इस बिल की हतनी धजियाँ उड़ाई कि पृथ्वी मत । उन्होंने बड़ी योग्यता और दृढ़ता के साथ इसके विनाश रूप को दर्शाकर इसकी अनुपयोगिता सिद्ध की । उन्होंने दिखाया कि भारत की नागरिक स्वाधीनता किस प्रकार इन बिलों द्वारा नष्ट की गई है और किस प्रकार इन बिलों के कानून के रूप में परिणित हो जाने से भले और निर्दोष आदमियों तक को शाफत में गिरने का अदेशा रहेगा । उन्होंने यह दिखाया कि इस तरह बिल के पास करने की कोई आवश्यकता नहीं । उन्होंने साफ सच्चे त कर दिया था कि इन बिलों के पास हो जाने से हिन्दुस्तान में भीषण भ्रष्टाचार चेत उठेगी, जिसे मुगली सुखिल हो जायेगा । पर नौकरशाही ने खुने हुए प्रजा प्रतिनिधियों की राय की अवहेलना कर सरकारी सदस्यों की अधिक सम्मति प्राप्त कर उन बिलों को कानून का रूप दे दिया । इस पर देश में सनसनी छा गई । देश को मालूम हो गया कि उसी के राज्य कारोबार में उसके पुरों की राय की कोई वद नहीं है । इस सनसनी में महान् तेजस्वी नेता महात्मा गाँधी ने प्रकट किया कि

रॉलेट बिल अन्यायपूर्ण है, न्याय और स्वाधीनता का हरण करने वाला है, लोगों के प्रारम्भिक स्वत्वों का, जिन पर कि जाति की रक्षा अवलम्बित है, घातक है। इसलिये अगर इन बिलों ने कानून का रूप धारण कर लिया तो हम इन कानूनों को मानने से इन्कार करेंगे और इनके अतिरिक्त आगे सुरुर की जाने वाली कमेटी के बतलाये हुए अन्य कानूनों को भी शान्ति के साथ अवज्ञा करेंगे। हम विश्वास से कहते हैं कि इस युद्ध में हम सत्य का अनुकरण करेंगे और किसी मनुष्य के जान मात और जिस्म पर हजा पहुँचाने से बरी रहेंगे।

### गाँधी-युग का आरम्भ

भारत के राजनैतिक क्षेत्र में महात्मा गाँधी का प्रवेश एक नवीन युग का प्रारम्भ था। महात्मा गाँधी का जीवन सत्य और अहिंसा के महान् तत्वों पर स्थित था। उन्होंने सकल मानवजाति के कल्याण को दृष्टि में रखकर सत्सार की राजनीति और समाजनीति के सामने एक ऐसा दृष्टिकोण रखा था, जिससे मनुष्य जाति अखण्ड सुख और विश्वमन्धुत्व के दिव्य फलों का आस्वादन कर सके। सत्य और अहिंसा के दिव्य तत्वों पर हमारे प्राचीन ऋषियों ने समाज नीति का पाया रक्खा था। महात्मा गाँधी ने भौतिकवाद में डूबे हुए इस आधुनिक संसार के सामने एक ऐसा अलौकिक प्रकाश रखा जो मानव जाति को उन महान् उद्देश्यों की ओर पहुँचा सके जिसके लिये यह सदियों से तड़फ रही है।

आधुनिक संसार के राजनैतिक, सामाजिक और आर्थिक क्षेत्रों में इस समय घोर संघर्ष चल रहे हैं और इससे मानवीय आत्मा में जितनी घोर अशान्ति व निराशा छाई हुई है उसके कारणों को महात्मा गाँधी ने अपने अन्तर दृष्टि से समझ कर, संसार के सामने सत्य और अहिंसा का ऐसा व्यापक दृष्टिकोण रखा जिससे यह शान्ति का अनुभव कर सके और संसार में विश्वमन्धुत्व का सुख साग्राज्य छा जाये। अहिंसा महात्मा गाँधी के शब्दों में, विश्व को सर्वोत्प्रे बल है। यह एक धार्मिक शक्ति है,

या यों कहिये, कि मानवीय शांता में जो ईश्वरीय तत्व है उनका प्रकाश है। जिस शांता में अहिंसा का प्रकाश रहता है वहाँ में कात क्रोध लोभ आदि दुर्गुण दूर भाग जाते हैं। अहिंसा में यह विद्युत् शक्ति है जो शत्रुओं को मित्र बना देती है। यह उनका दृष्टि अक्रिया का अनुभव था। जनरल गिम्प उनके सब से बड़े विरोधी और सनातनोक्त थे, बाद में वे उनके परम मित्र हो गये।

अन्यत्र महामा गाँधी लिखते हैं:—

“जैसा मैं समझता हूँ, अहिंसा संसार में सब से शक्तिशाली बल है। वह संसार का सर्वोत्कृष्ट नियम (Law) है। मेरे आधी सदी के अनुभव में, मुझे कभी ऐसी परिस्थिति का सामना न करना पड़ा जब मैंने अपने आपको निम्नहाय अनुभव किया हो या किसी भी परिस्थिति को मुझ काने में मैंने अपने आपको असमर्थ पाया हो।”

“मैं गत पचास वर्षों से बिल्कुल वैज्ञानिक नाप तोल से अहिंसा और उसकी सम्भावनाओं का व्यवहार कर रहा हूँ। मैं जीवन के हर एक पहलू में, चाहे वह घर सम्बन्धी हो, संस्था सम्बन्धी हो, या राज नैतिक या आर्थिक हो, इसका प्रयोग किया है। मुझे एक भी उदाहरण ऐसा मालूम नहीं है जिसमें यह फल हुआ हो। अगर इसमें कहीं असफलता हुई होगी तो उसका कारण मेरी अपूर्णताएँ हैं। मैं अपने लिये पूर्णता का दावा नहीं करता, पर यह दावा अवश्य करता हूँ कि मैं सत्य का एक ठसुक शोधक हूँ और यह सत्य ही ईश्वर का दूसरा नाम है। इस सत्य शोधन में मुझे अहिंसा का आविष्कार मिला। अब मेरे जीवन का ध्येय हम महान् तत्व का प्रचार करना है। इस ध्येय को बालू रखने के सिवाय मेरे जीवन में और कोई रस नहीं है।”

“मैं केवल स्वप्नवादी (Visionary) नहीं हूँ। मैं यह दावा करता हूँ कि मैं एक व्यावहारिक आदर्शवादी हूँ। अहिंसा धर्म केवल

अपि मुनियों के लिये ही नहीं है। यह साधारण लोगों के लिये भी है। अहिंसा हमारी आत्मा का नियम है जैसा कि हिंसा हमारी पार्श्विक वृत्ति का नियम है। मनुष्य की प्रतिष्ठा इस बात में है कि वह उच्च नियम का और आत्मिक शक्ति का आह्वानकर्ता रहे।”

“इसी उद्देश्य से मैंने भारत के सामने आत्म त्याग का प्राचीन नियम रखा है। सत्याग्रह और उसकी असहयोग और भद्र अवस्था (Civil Resistance) नाम की शाखाएँ आत्म-त्याग के नये नाम हैं। हमारे अपिओं ने, जिन्होंने हिंसा के मध्य से अहिंसा के नियम का आविष्कार किया, न्यून से अधिक प्रतिभाशाली थे। वे वेत्तिगटन से अधिक महान् योद्धा थे। शस्त्रों का उपयोग जानते हुए भी उन्होंने उनके निकम्पेपन को जान लिया था और जर्जरित ससार को उन्होंने यह सिखलाया था कि उसकी मुक्ति हिंसा में नहीं, पर अहिंसा के महान् तत्व में है।”

“मैं चाहता हूँ कि भारतवर्ष इस बात को पहचाने कि उसमें आत्मा है, जिम्का नाश नहीं हो सकता और जो प्रत्येक भौतिक निर्बलता पर विजय प्राप्त करेगी और सारे संसार के भौतिक संगठन का सफलतापूर्वक मुकाबला कर सकेगी।”

“अगर भारतवर्ष ने तलवार के सिद्धान्त (Doctrine of Sword) को अपनाया तो उसे चणिक सफलता हो सकती है। पर उस हालत में भारतवर्ष मेरे हृदय का अभिमान न रहेगा। मैं भारतवर्ष से प्रणयबद्ध हूँ क्योंकि मेरा सर्वस्व ही वह है। मेरा यह परम विश्वास है कि भारतवर्ष के पास संसार के लिये मिशन (Mission) है। उसे यूरोप का अनुकरण न करना चाहिये। अगर भारतवर्ष ने तलवार के सिद्धान्त को स्वीकार किया तो मेरे लिये यह परीक्षा की घड़ी होगी। मुझे धारा है मैं इस परीक्षा में खरा उतरूँगा। मेरे धर्म को भौगोलिक सीमा नहीं है।”

“मेरे सार्वजनिक जीवन में कई ऐसे उदाहरण मौजूद हैं जिनसे यह प्रतीत होता है कि बदला लेने का सामर्थ्य रखते हुए भी मैंने बदला लेने से अपने आपको दूर रखा और अपने दूसरे मित्रों को भी ऐसा ही करने की सलाह दी। मेरा जीवन इसी सिद्धान्त के प्रचार करने के लिये है। मैं इसी महान् सिद्धान्त को मोरेस्टर, महावीर, येलियन, जेसूम, महम्मद, नानक जैसे संसार के सबसे महान् गुरुओं में पाता हूँ।”

“अहिंसा मेरे विश्वास की प्रथम धारा है और यह मेरे धर्म की अन्तिम धारा रहेगी। मैं जान बूझ कर किसी भी जीवित प्राणी को हानि नहीं पहुँचा सकता। अपने मानवीय बन्धुओं को हानि पहुँचाने का तो मुझे प्रयास भी नहीं आ सकता, चाहे वे मुझे बड़ी से बड़ी हानि पहुँचावे।”

“मेरा यह अटल विश्वास है कि भारतवर्ष मानव जाति को अहिंसा का सन्देश देगा, चाहे इसकी सफलता में नदियाँ खग जावें। पर जहाँ तक मैं समझ पाया हूँ, इस महान् उद्देश की पूर्ति में यह संसार के अन्य सब देशों से प्रथम ही रहेगा।”

“अहिंसा में तब तक जीवित विश्वास नहीं हो सकता जब तक कि ईश्वर पर जीवित विश्वास (Living Faith) न हो। अहिंसक मनुष्य बिना ईश्वर कृपा व शक्ति के कुछ नहीं कर सकता। इसके बिना वह क्रोध, भय और बदले की भावनाओं से मुक्त होकर मरने का साहस नहीं कर सकता।”

“इस प्रकार का साहस मनुष्य को इस विश्वास से प्राप्त होता है कि ईश्वर सबके अन्तःकरण में बैठा है और ईश्वर की उपस्थिति में भय टहर नहीं सकता। ईश्वर की सर्व-शक्तिमत्ता और सर्व-व्यापकता का ज्ञान हमें अपने कथित विरोधियों के जीवन के प्राणों का आदर करने की सूचना देता है।”

“मेरी महत्वाकांक्षाएँ नियमित हैं। ईश्वर ने मुझे इतनी शक्ति नहीं दी है कि मैं सत्संग को अहिंसा के मार्ग पर चला सकूँ। पर मेरा यह विश्वास है कि उस परमात्मा ने मुझे भारतवर्ष के सामने अहिंसा का मिद्धान्त रखने के लिये साधन बनाया है। अब तक इस सम्बन्ध में जितनी प्रगति हुई है वह महान् है। पर अब भी बहुत कुछ करने को बाकी है।”

## भीरूता और अहिंसा

महात्मा गांधी के अहिंसा सम्बन्धी विचारों का हमने सचित्र में ऊपर दिग्दर्शन कराया है। उनकी राजनीति की नोंव अहिंसा के महान् तत्त्व पर लगी हुई है। पर महात्माजी की अहिंसा वीरों की अहिंसा है। वह कायरों की अहिंसा नहीं। कायरों की अहिंसा भीरूता का पर्यायवाची शब्द है। भीरूता के स्थान पर, अपने अधिकारों की रक्षा के लिये, हिंसा का आश्रय लेना महात्माजी कहीं अच्छा समझते थे। हम इस सम्बन्ध में महात्माजी के विचार उद्धृत करते हैं।

“सारी जाति को नपुंसक बनाने के बजाय, मैं हिंसा (Violence) की जोखिम लेना हजार दर्जे अधिक अच्छा समझता हूँ। मेरा यह विश्वास है कि जहाँ मुझे भीरूता और हिंसा के बीच में चुनाव करना पड़ेगा तो मैं हिंसा के लिये सहाह दूँगा। भारतवर्ष निस्सहाय की भाँति अगर अपने अपमान को कायमा से देखता रहे तो इसके बजाय मैं उसे अपनी प्रतिष्ठा की रक्षा के लिये शस्त्र प्रयोग अच्छा समझूँगा। पर, हाँ, मैं अहिंसा को हिंसा के मुकाबले में अनन्त गुना उत्तम मानता हूँ।”

मेरी अहिंसा यह नहीं कहती कि लोग अपने प्रिय जनों को अरक्षित छोड़ कर भय के सामने कायर की तरह भग जावें। मैं कायर मनुष्य को अहिंसा का उसी प्रकार उपदेश नहीं दे सकता जिस प्रकार अन्ध पुरुष को आरोग्यशास्त्री दरप देखने का दरप नहीं दे सकता। अहिंसा वीरत्व

का मयसे ऊँचा शिखर है। जिन खोर्गों ने हिंसा की पाठशाळा में शिक्षा पाई है, उनके सामने अहिंसा की धोष्टता प्रदर्शित करने में मुझे कतरुई कठिनायता नहीं होती। कई वर्षों तक मैं कायर रहा और तब मैंने हिंसा को अपने हृदय में आश्रय दिया। जदसे मैंने कायरता का त्याग किया है सभी से मैं अहिंसा की कीमत करने लगा हूँ।”

“अहिंसा अधिक से अधिक आत्मशुद्धि चाहती है।”

“अहिंसा बिना किसी अपवाद के हिंसा से उत्कृष्ट है। अहिंसक मनुष्य के पास जितनी शक्ति रहती है, वह हिंसक मनुष्य से हमेशा महान् रहती है।”

“अहिंसा में पराजय नाम की कोई वस्तु नहीं रहती। इसके विपरीत हिंसा का अन्तिम पक्ष पराजय होती है।”

“अहिंसा का अन्तिम परिणाम निरचयात्मक विजय है।”

## महात्मा गांधी और सत्याग्रह

महामा गांधी ने अन्याय और अत्याचार के खिलाफ लड़ने के लिये अमोघ अहिंसात्मक युद्ध कला का आविष्कार किया। उसका नाम सत्याग्रह है। सत्याग्रह का अर्थ सत्य के लिये आग्रह करना है। दूसरे शब्दों में यों कहिये कि सत्य पक्ष को लेकर अहिंसात्मक साधनों के द्वारा अन्याय और अत्याचार का विरोध करना ही सत्याग्रह है। महात्मा गांधी ने इस अहिंसात्मक अमोघ शस्त्र को मानव जाति के सामने रक्खा, और उससे यह अपील की कि वह पशुवल्ल के बजाय इस महान् शस्त्र को अपनावे, और उसके द्वारा वह अन्याय का विरोध कर संसार में सत्य और प्रेम का साम्राज्य स्थापित करे। अब हम सत्याग्रह के सम्बन्ध में महात्मा गांधी के विचार प्रस्तुत करना चाहते हैं।

“सत्याग्रह एक बहुधारी बाखी सज्जवार है, जो इसका उपयोग

करता है उसका भी कल्याण होता है और जिसके खिलाफ़ इसका उपयोग किया जाता है वह भी कल्याण का भागी होता है। बिना खून की एक वृन्द बहाये यह दूरवर्ती परिणामों को पैदा करती है। इस तलवार को जड़ नहीं खगता और न इसे कोई चुरा सकता है।”

“जब सत्य के साथ अहिंसा का संयोग हो जाय तो आप संसार को अपने पैरों तले मुका सकते हैं। असल में सत्याग्रह और कुछ नहीं है, यह केवल अपने राजनैतिक और राष्ट्रीय जीवन में सत्य और विनयशीलता का प्रवेश है।”

“सत्याग्रही की तब तक विजय नहीं हो सकती जब तक हृदय में दुर्भावना का वास है, जो अपने आपको निर्बल अनुभव करते हैं वे प्रेम के लिये अयोग्य हैं। हम हर प्रातः काल यह निश्चय करें—“मैं इस पृथ्वी पर किसी से भय न खाऊँगा। मैं सिर्फ़ ईश्वर से डरूँगा, मैं किसी के प्रति दुर्भावना न रखूँगा। मैं किसी के अन्याय के प्रति मिर न मुकाऊँगा। मैं सत्य के द्वारा असत्य पर विजय प्राप्त करूँगा। असत्य का विरोध करने में मैं सब प्रकार के कष्ट सहन करने को प्रस्तुत रहूँगा।”

“सत्याग्रह पूर्ण आत्म शोधन, सर्वोपरि विनय-शीलता, सर्वाधिक सहन-शीलता और अत्युज्ज्वल विश्वास का पर्यायवाची शब्द है।”

“सत्याग्रह सत्य की खोज और सत्य पर पहुँचने का निश्चय है।”

“यह एक ऐसा बल है जो नीरवता और दिखने में धीमी गति से काम करता है। पर वास्तव में संसार में ऐसा कोई बल नहीं है जो इतना प्रत्यक्ष और त्वरित काम करने वाला हो।”

“सत्याग्रह सीधी कार्यवाही का शक्ति-शास्त्री साधन है। जब सत्याग्रही सब साधनों को अजमा चुके, तब उसे सत्याग्रह का अवलम्बन करना चाहिये।”

“सत्याग्रही को चाहिये कि यह जिस प्रकार छद्माई के लिये रीघार



रहे उसी प्रकार यह सुलह और शान्ति जिये भी उतना ही उत्सुक रहे। सुलह के किसी भी सम्मान पूर्ण अवसर का उसे आह्वान करना चाहिये।”

“सत्याग्रही की संहिता में पशुपत के सामने सिर मुकाने का कोई आदेश नहीं है।”

“सत्याग्रह सौम्य है। वह किसी को चोट नहीं पहुँचाता। उसे क्रोध और द्वेष से दूर रहना चाहिये।”

“सत्याग्रही को सत्य और अहिंसा धर्म पर विश्वास होना चाहिये। उसे मानवी प्रकृति की श्रेष्ठता में भरोसा होना चाहिये।”

“सत्याग्रह में मक्कारी, धीकेबाजी और असत्य को स्थान न होना चाहिये। आज संसार में मक्कारी और असत्य की बोलबाला है। अगर मैं इनकी उपेक्षा कर चुप चाप बैठा रहूँ तो ईश्वर मुझे इसके जिये प्रवास नलय करेगा।”

“सत्याग्रह के लिये पहली आवश्यक शर्त यह है कि सत्याग्रह करने वालों को इस बात का पूरा २ विश्वास हो जाना चाहिये कि क्या सत्याग्रहों के द्वारा या सर्वसाधारण जनता के द्वारा किसी भी रूप में हिंसा का प्रदर्शन न हो।”

“सत्याग्रह हिंसामय वातावरण में नहीं पनप सकता। यह कहना कोई अर्थ नहीं रखता कि हिंसात्मक कार्यवाही की उत्तेजना राज्य या किसी दूसरे एजन्सियों के द्वारा हुई है। इसका अर्थ यह नहीं है कि सत्याग्रही के साधन समाप्त हो गये हैं। उसे सत्याग्रह या सविनय अवज्ञा के अतिरिक्त दूसरे साधनों को खोजने चाहिये।”

“सत्याग्रह एक पद्धति है जिससे कष्ट सहन द्वारा अपने अधिकार प्राप्त किये जाते हैं। सरासरी विरोध ये यह प्रतिकूल है। अगर मैं कोई ऐसा काम करने से इन्कार करता हूँ, जो मेरी अन्तर्मात्मा के विज्ञापन है

तो मैं इसमें अपने आत्म बल का उपयोग करता हूँ। उदाहरण के लिये मान लीजिये कि सरकार ने कोई ऐसा कानून पास किया है, जो मुझ पर लागू है पर जिसे मैं पसन्द नहीं करता। अगर ऐसे कानून को रद्दवाने के लिये हिंसा का उपयोग कर मैं सरकार पर दबाव डालता हूँ, तो कहना होगा कि मैं ऐसे बल का उपयोग करता हूँ जिसे शरीर-बल कहते हैं। इसके विपरीत अगर मैं उस कानून को न मानता हूँ, और कानून भङ्ग के लिये हर प्रकार की सज़ा भुगतने के लिये तैयार रहता हूँ, तो कहना होगा कि मैं अपने आत्मबल का उपयोग करता हूँ। इस प्रकार का कार्य आत्म-त्याग कहलाता है।”

“यह बात हर एक को स्वीकार करनी पड़ेगी कि, आत्म-बलिदान दूसरों के बलिदान की अपेक्षा अनन्त गुना महान् है। इसके अतिरिक्त इस बल का ऐसे कार्य में उपयोग किया जाय जो अन्याय पूर्ण है, तो इसमें वही आदमी कष्ट भोगेगा जो इसका उपयोग करता है। वह अपनी भूलों द्वारा दूसरों को कष्ट न पहुँचायेगा।”

“मैं अहिंसा को प्रेम की भावात्मक स्थिति समझता हूँ, जिसमें अपकार का बदला भलाई से दिया जाता है।”

“मैं अहिंसा से तरपतर होना चाहता हूँ। अहिंसा और सत्य मेरे शरीर के दो फेंकड़े हैं। इनके बिना मैं जीवित नहीं रह सकता। मैं हर पण अधिक स्पष्टता के साथ अहिंसा की महान् शक्ति को देखता हूँ।”

“मैं गत तीस वर्षों से सत्याग्रह का उपदेश और व्यवहार कर रहा हूँ। सत्याग्रह के सिद्धान्त, जैसा कि अद्य मैं जानता हूँ, क्रमशः विकारा कर रहे हैं। सत्याग्रह शब्द की दृष्टि अफ्रिका में र्भने गड़ा था, उसका मूल अर्थ सत्य के लिये आग्रह करना है। इसे दूसरे शब्दों में सत्य-बल कह सकते हैं। मैंने इसे प्रेम-बल या आत्म-बल ही कहा है। सत्याग्रह के प्रयोग में मुझे यह मालूम हुआ है कि सत्य के अनुकरण करने में हिंसा का कोई स्थान ही नहीं है। इस सिद्धान्त का अर्थ सत्य का समर्पण करना

है, पर यह कार्य अपने विरोधी को कष्ट पहुँचा कर नहीं पर अपने आपको कष्ट पहुँचा कर करना चाहिये। सत्याग्रह और निष्क्रिय प्रतिरोध में ज़मीन आसमान का अन्तर है। जहाँ निष्क्रिय प्रतिरोध निर्बल का हथियार है, वहाँ सत्याग्रह सबसे अधिक बलवान का हथियार है। सत्याग्रह में हिंसा का, चाहे व किसी रूप में हो, स्थान नहीं है।”

“डेनियल ने मेडेज और पर्सियन के कानूनों को न माना, क्योंकि यह कानून उसकी अन्तरात्मा के खिलाफ़ थे और इस अवज्ञा के लिए उसने शान्तिपूर्वक दण्ड सहन किया। इसके लिये यह कहा जायगा कि उसने सर्वाधिक शुद्ध रूप में सत्याग्रह किया। सॉक्रेटिस ने ग्रीक युवकों को सत्य का उपदेश देने में मुँह न मोटा, और इसके लिये उसने बड़ी वीरता पूर्वक मृत्यु दण्ड सहन किया। इसलिये यह इस विषय में सत्याग्रही था, प्रह्लाद ने अपने पिता की आज्ञा की उपेक्षा की क्योंकि वह उसे अपनी अन्तरात्मा के खिलाफ़ समझता था। उसने बिना चूँ चूँ किये प्रसन्नता पूर्वक उन सब यातनाओं को सहन किया जो उसके पिता ने दी। इस अर्थ में वह सत्याग्रही था। मीरोंवाई ने अपनी अन्तरात्मा की आज्ञा के अनुसार काम कर अपने पति को नाराज़ किया इसके लिये उसे बड़े २ अपमान और कष्ट सहने पड़े, पर वह अपने महान् उद्देश्य की पूर्ति में संलग्न रही। अतएव मीरोंवाई एक आदर्श सत्याग्रही कही जायगी। यहाँ यह स्मरण रखना चाहिये कि न तो डेनियल न सॉक्रेटिस न प्रह्लाद न मीरों वाई उन लोगों के प्रति कोई दुर्भावना रखती थी, जिन्होंने उन्हें कष्ट पहुँचाया। डेनियल और सॉक्रेटिस अपने राज्य के आदर्श नागरिक माने जाते हैं और प्रह्लाद एक आदर्श पुत्र और मीरों वाई एक आदर्श पत्नी मानी जाती हैं।”

### प्रेम—तत्व

प्रेम का नियम और कुछ नहीं है वह सत्य का नियम है। जहाँ सत्य नहीं है वहाँ प्रेम का अस्तित्व नहीं हो सकता। सत्य रहित प्रेम मोह

होता है। दूसरे देशों को हानि पहुंचा कर अपने देश पर प्रेम करना, किसी युवक का युवती पर प्रेम करना या अपने अज्ञान पिताश्री का अपने पुत्रों पर अंध प्रेम करना आदि बातें मोह में गिनी जाती हैं। प्रेम सब प्रकार की पशु प्रवृत्तियों से परे है, उसमें पक्षपात नहीं। वह एक ऐसा सिक्का है जिसके एक तरफ तुम्हें प्रेम दिखाई देगा और दूसरी तरफ सत्य। यह एक ऐसा सिक्का है जो हर जगह चलता है और जिसका मूल्य बरसाना नहीं जा सकता।

## गांधीजी और स्वराज्य

“स्वराज्य से मेरा मतलब उस राज्य से है जिसमें जनमत द्वारा सर्व जनहित के लिये शासन संचालित किया जाय।”

“वसन्त ऋतु की शोभा हर एक वृक्ष पर दिखलाई देती है। उक्त ऋतु के आने पर सारी पृथ्वी जीवन की ताज़गी से भर जाती है। इसी प्रकार जब स्वराज्य का भाव समाज में वास्तविक रूप से श्रोत प्रोत हो जाता है, तो जीवन के हर विभाग में नयीजीवन और शक्ति आ जाती है। चारों ओर जीवन का प्रवाह बहने लगता है। राष्ट्र सेवक अपनी अपनी योग्यता के अनुसार विभिन्न प्रकार की सार्वजनिक सेवाओं में जुटे हुये दिखलाई देते हैं।”

“स्वराज्य एक राष्ट्र के द्वारा दूसरे राष्ट्र को, किसी भी हालत में, दान द्वारा नहीं मिल सकता। यह राष्ट्र के सर्वोत्कृष्ट रक्त के द्वारा प्राप्त किया जाता है। स्वराज्य अपरिमित कष्ट सहन और सतत परिश्रमका फल है। मैं स्वराज्य का अर्थ यह समझता हूँ कि हमारे देश के छुद्र से छुद्र मनुष्य स्वातंत्र्य प्राप्त करें। मैं केवल मात्र श्रेष्ठों के बन्धन से भारतवर्ष को मुक्त करने ही मैं दिलचस्पी नहीं रखता, मैं हर प्रकार के बन्धन से भारतवर्ष को मुक्त करना चाहता हूँ।”

“मेरा स्वराज्य हमारी सम्पत्ता की प्रतिभा को अक्षुण्ण बनाये रखेगा,

मैं बहुत सी नई चीजों को अपनाना चाहता हूँ, पर उन सबकी दिग्गति भारतीय धरातल पर होना चाहिये। मैं पश्चिम से उस हालत में उबार लेने के लिये तैयार हूँ, जब कि मेरा यह विश्वास हो जाय कि मैं उनका रकम को व्याज समेत लौटा दूंगा।”

‘स्वराज्य की यात्रा बड़ा कष्ट कर चढ़ाव (Painful Climb) है। इसमें प्रत्येक विगत पर ध्यान देने की आवश्यकता है। इसमें विराट संगठन शक्ति की जरूरत है। इसमें ग्रामीणों की सेवा के लिये ग्रामों में बुसो की आवश्यकता है। दूसरे शब्दों में यों कहिये कि स्वराज्य में राष्ट्रीय शिक्षा अर्थात् जन समूह की शिक्षा और जनता में राष्ट्रीय भावना की जागृति की परम आवश्यकता है। यह कार्य जादू की छड़ी से शीघ्र सम्पन्न नहीं हो सकता। इसका धीरे २ विकास होता है। खूनी क्रान्ति इस कार्य को नहीं कर सकती।”

“आत्म शासन (Self Government) का अर्थ है शासन संघ (Government Control) से स्वतंत्र होने का निरंतर प्रयास, फिर चाहे यह शासन सम्य विदेशी हो या राष्ट्रीय हो।”

“मेरा स्वराज्य दूसरों की हत्या का परिणाम न होगा, वरन् वह आत्मत्याग का स्वेच्छापूर्वक कृत्य होगा। मेरा स्वराज्य अधिकारों का खून स्रावी द्वारा अपहरण न होगा, पर उसमें अधिकार प्राप्ति कर्तव्य की सुन्दर और स्वाभाविक कृत्यों द्वारा होगी। इसमें चैतन्य प्रभु के द्रव की चेतना होगी। मैं जानता हूँ कि इस कार्य का सिद्धि के लिये हमें नवयुवकों और नवयुवतियों के ऐसे वर्ग की आवश्यकता है जिनका ध्येय और लक्ष्य नहीं, केवल कार्य और राष्ट्र के लिये सतत कार्य है।”

जब तक आत्मत्यागी और दृढ़ प्रतिश कार्य कर्ताओं की बहुत बड़ी प्रौढ़ तैयार न होगी तब तक मेरी राय में जन समूह की वास्तविक प्रगति होना असम्भव है। इस प्रगति के बिना स्वराज्य नाम की कोई

वस्तु सम्पन्न नहीं हो सकती। स्वराज्य की ओर हमारी उतनी ही अधिक प्रगति होगी जितने अधिक हमें ऐसे कार्यकर्ता प्राप्त होंगे जो गरीबों के हित के लिये अपना सारा का सारा सर्वस्व बलिदान कर देने के लिये प्रस्तुत होंगे।”

“अगर स्वराज्य हमें सम्भव नहीं बना सकता है, वह हमारी सम्भ्यता को शुद्ध और सुदृढ़ नहीं कर सकता है तो वह किसी काम का नहीं। हमारी सम्भ्यता का मूल सत्व यह है कि हम अपने तमाम कामों में, चाहे फिर वे सार्वजनिक हों या निजी हों, नैतिकता को सर्व प्रधान आसन दें।”

“मेरे स्वप्न का स्वराज्य जाति पाँति और धर्म-विभेद को नहीं मानता। न वह पटे लिखे या धनिक लोगों का ही एकाधिकार (Monopoly) है। स्वराज्य सबके लिये होना चाहिये, जिसमें पूर्व कथित मनुष्यों के अतिरिक्त लाखों करोड़ों भूखों मरते हुये नि सहाय दीन दीन और अन्धे लूतों के हितों का भी समावेश होना चाहिये।”

“राम राज्य से मेरा मतलब हिन्दू राज्य नहीं है। उससे मेरा मतलब ईश्वरीय राज्य से है। मेरे लिये राम और रहीम एक ही ईश्वर के नाम हैं। मैं और किसी ईश्वर को नहीं मानता। मैं केवल सत्य और धर्म के ईश्वर का मानता हूँ। मेरी कल्पना के राम, चाहे पृथ्वी पर रहे हों या न रहे हों पर राम राज्य का प्राचीन आदर्श निश्चय ही सच्चे जनतंत्र का आदर्श है जिसमें छुट्ट से छुट्ट नागरिक शीघ्र से शीघ्र बिना किसी सचिंसी कार्यवाही के न्याय प्राप्त कर सकता था। रामायण के कवि ने लिखा है कि कृते तक राम राज्य में न्याय पाते थे।”

### महात्मा गान्धी और जनतंत्र

अनुशासित और संस्कृत जनतंत्र संसार में सर्वोत्कृष्ट वस्तु है। पर-पाठ पूर्ण, अज्ञानता युक्त और भ्रम पूर्ण जन तंत्र देश की अस्म्यवस्था

और अन्धकार में डाल देता है।”

“मेरी कल्पना का जनतंत्र अपनी दृग्ज्ञा को दूसरों पर भौतिक बल से स्थापित करने का पूर्णतया विरोधी है।”

“आतंकवाद ( Terrorism ) में जनतंत्र की भावना नहीं पनप सकती। कुछ दृष्टियों से जनता का आतंकवाद सरकार के आतंकवाद की अपेक्षा जनतंत्र की भावना का विशेष विरोधी है, क्योंकि सरकार का आतंकवाद जहाँ प्रजातंत्र की भावना को दृढ़ करता है, वहाँ जन समूह का आतंकवाद जनतंत्र को मार डालता है। सच्चा जनतंत्र चाही है जो विशुद्ध अहिंसामय साधनों के द्वारा अपने देश की धीरे धीरे जनता में सारी मनुष्य जाति की स्वतंत्रता की रक्षा करता है।”

“जब लोगों के हाथ में राजनैतिक सत्ता आ जाती है तब लोगों की स्वतंत्रता में होनेवाली बाधा न्यूनतम हो जाती है। दूसरे शब्दों में बोल सकते हैं कि जो राष्ट्र राज्य की बाधा बिना अपना काम सुचारु रूप से मजबूत प्रकार चलाता है वही सच्चे अर्थ में जनतांत्रिक राष्ट्र है। जहाँ ऐसी परिस्थितियों का अभाव है, वहाँ का शासन नाम मात्र के लिये जनतात्मक कहा जा सकता है। मैं उसी हालत में जनतंत्री होने का दावा कर सकता हूँ, जब मैं मनुष्य जाति के गरीब से गरीब मनुष्यों के साथ एकता की भावना का अनुभव करने लगूँगा।”

### महात्मा गांधी और भारत का महान् उद्देश्य

“मैं यह अनुभव करता हूँ कि भारतवर्ष का मिशन दूसरे देशों की अपेक्षा भिन्न है। भारतवर्ष संसार की धार्मिक प्रभुता के लिये योग्य है। धारम-शुद्धि की प्रक्रिया में संसार में इसकी सानी का दूसरा उदाहरण नहीं है। भारत को प्रौढवाद के शब्दों की आवश्यकता नहीं। वह दिव्य शस्त्रों ( Divine Weapons ) से खड़ा है। वह अब भी पैदा कर सकता है। दूसरे राष्ट्र पृथ्वी के हिमायती हैं। यूरोप में चलने वाला

भयङ्कर युद्ध हमका ज्वलंत उदाहरण है। भारत आत्मबल के द्वारा सब पर विजय पा सकता है। इतिहास इस प्रकार के उदाहरणों से भरा हुआ है जिससे यह प्रकट होता है कि आत्मबल के सामने पशुबल कुद्व नहीं है। कवियों ने आत्मबल के गुण गाये हैं और ऋषियों ने इसके सम्बन्ध में अपने धनुभव प्रगट किये हैं।”

○

“मैं भारतवर्ष को स्वतंत्र और शक्तिशाली देखना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि यह महान् राष्ट्र समार की भलाई के लिये स्वेच्छापूर्वक विशुद्ध आत्मत्याग करने के लिये हमेशा तैयार रहे।”

‘मेरी महत्वाकांक्षा भारतीय स्वतंत्रता से बहुत ऊँची है। मैं भारत की मुक्ति के द्वारा पाश्चात्य शोषण से कुचली हुई पृथ्वी की निर्दल जातियों को मुक्त करना चाहता हूँ।’

“मैं भारत के लिये ऐसे विधान के निर्माण की कोशिस करूँगा जिससे भारतवर्ष सब प्रकार की दासता और सरक्षण से मुक्त हो। ऐसे भारत के निर्माण के लिये प्रवृत्त होऊँगा जिससे गरीब से गरीब मनुष्य यह धनुभव करे कि यह देश मेरा है और इसमें मेरे आभास की पूरी कद्र है, तथा जिसमें छोटे और बड़े वर्गों का कोई भेद भाव नहीं है, जिसमें सब जातियाँ पूर्ण एकता और प्रेम के साथ रहती हैं। ऐसे भारतवर्ष में अद्वैतपन के लिए तथा मादक पेय और औषधियों के लिये कोई स्थान न रहेगा। स्त्रियाँ वे ही अधिकार भोगेंगी जो पुरुष भोगते हैं। चूँकि हम सारे शोष समार के साथ शान्ति और अमन से रहेंगे, न हम किसी का शोषण करेंगे और न किसी से शोषित होंगे, अतएव हमें छोटी से छोटी फौज की जरूरत होगी। सब ऐसे दितों की, जो खामों करोड़ों मूक जनता के हितों के विरोधी नहीं हैं, पूरी तरह से रक्षा की जायगी, चाहे फिर ये दित देशी हों चाहे विदेशी। निजी रूप से मैं देशी और विदेशी के बीच के अंतर के भेद की अदृष्टि की दृष्टि से देखता हूँ। यह मेरे स्वर्गों का भारतवर्ष है।



हमने ऊपर महात्माजी के विभिन्न विचारों पर, उनकी कृतियों का प्रकाश डालने की चेष्टा की है। उनके ममम विचारों को लिखने के लिये स्वतंत्र ग्रन्थ की आवश्यकता है। अब हम आगे के अध्यायों में महात्माजी द्वारा प्रकाश किये गये विभिन्न आन्दोलनों पर कुछ प्रकाश डालने का प्रयत्न करेंगे।

८



करने में बड़ी कठिनाई का सामना करना पड़ता था। अगर वे तरह टिकिट प्राप्त कर लेते थे तो उनका रेलवे के उच्च धरे की दिन्नों में बैठना मुश्किल हो जाता था, क्योंकि गोरे मुसाफिर उन्हें इन्के दर्जे के समझते थे और वे उनके साथ सफर करना अपना अपमान मानते थे। अगर कोई भारतीय मुसाफिर उच्च धरे की दिन्नों में बैठ जाता तो वह गोरो द्वारा बाहर फेंक दिया जाता, या वह निम्न धरे की दिन्नों में मुसाफिरी करने के लिये मजबूर किया जाता। ट्राम गाड़ियों में भी यही हालत थी। काले आदिमियों के साथ गोरे लोग सफर करना अपना मान जनक समझते थे, दक्षिण अफ्रीका प्रवासी भारतवासियों का गारों द्वारा पद पद पर अपमानित होना पड़ता था। वहाँ के गोरो को अपनी जातीय श्रेष्ठता का इतना अभिमान था कि वे काली जाती के लोगों को तुच्छ और घृणा की दृष्टि से देखते थे।

इसके अतिरिक्त भारतवासी और अन्य एशियाई देशों के लोगों के खिलाफ वहाँ ऐसे काले कानून बनाये गये जिन्हें भारतसम्मान रखने वाली कोई जाति सहन नहीं कर सकती। अगर कोई भूतपूर्व शतप्रद (Ex-indentured Indian) भारतवासी वहाँ दक्षिण अफ्रीका में बसना चाहता था तो उसे तीन पाँड का पोल टैक्स (Poll Tax) देना पड़ता था। इतना ही टैक्स उसे अपनी पत्नी और सोलह वर्ष की उम्र के ऊपर के पुत्र व पुत्रियों के लिये देना पड़ता था। वहाँ बिना लाइसेन्स के कोई व्यापार नहीं कर सकता था, पर जहाँ यूरोपियों को भ्रष्टपट लाइसेन्स मिल जते थे वहाँ भारतवासियों का इन्हें प्राप्त करने में बड़ी कठिनाई का सामना करना पड़ता था। इसके सिवाय दक्षिण अफ्रीका प्रवासी भारतवासियों के लिये यूरोपियन भाषाओं में से एक भाषा को परीषा देना भी बाज्जमी था। जिस ऐक्ट के मातहत ये परीषायें ली जाती थी, उसका नाम शिक्षा सम्बन्धी परीषा का कानून (Education Tax Act) था। ईस्वी सन् १९०६ में एशियावासियों के रजिस्ट्रेशन

के खिलाफ़ आन्दोलन चल ही रहा था कि ईस्वी सन् १९०७ में वहाँ एक कानून और बना, जिससे नवीन भारतीय प्रवासियों के लिये एक तरह से दक्षिण अफ्रीका के प्रवेश द्वार बन्द कर दिये गये। इस कानून का नाम ट्रान्सवाल प्रवासियों का रजिष्ट्री कानून ( Transval Immigrants Registration Act 1907 ) था।

प्रवासी भारतवासियों की स्वाधीनता और मानवोचित अधिकारों का घात करनेवाले इन कानूनों के खिलाफ़ घोर असन्तोष की ज्वाला भभक उठी। एशियाटिक लॉ अमेन्डमेन्ट एक्ट ( Asiatic Law Amendment Act ) के अनुसार वहाँ प्रवासी भारतवासियों के साथ वैसा ही व्यवहार किया जाता था, जैसा ब्रिटिश भारत में अपराधी जातियों के साथ होता था। प्रवासी भारतवासियों को पुलिस में अपने नाम की रजिस्ट्री करवाने पड़ती थी और उन्हें अपने अगूठे का निशान ( Finger Print ) भी देना पड़ता था। प्रवासी भारतवासियों के राष्ट्रीय आत्मसम्मान को यह कानून धक्का पहुँचाने काहा था। महात्मा गांधी ने लिखा है।

“ I have never known legislation of this nature being directed against free men in any part of the world .. There are some drastic laws directed against ( so called ) Criminal tribes in India with which this Ordinance can be easily compared Finger prints are required by law from criminals. I was, therefore, shocked by this compulsory requirement regarding Finger Prints”.

अर्थात् संसार के किसी भी भागमें स्वतंत्र लोगों के खिलाफ़ मने देना कानून नहीं देता। भारतवर्ष में कथित अपराधी जातियों के खिलाफ़ ऐसे कुछ कानून हैं, जिनसे इस कानून की तुलना सहजतया की जा

पड़ती है। अपराधियों ही से क़ानून के द्वारा इस प्रकार अंगूठे की छाप (Finger print) खी जाती है। अतएव, भारतवासियों से अंगूठे की छाप जब रदस्ती लेने की इस आधरयकता से मेरे हृदय को धरक पड़ता है।”

महात्मा गांधी ने, इस अपमानजनक क़ानून के खिलाफ़, विद्रोह का ग़न्दा उठाने का निश्चय किया। सन् १९०६ ई० २१ सितम्बर को एक भारी सभा में, जिसमें लगभग २००० भारतीय प्रतिनिधि थे, इस क़ानून का शान्तिपूर्वक अवदंस्त विरोध करने का प्रस्ताव पास हुआ। प्रत्येक भारतीय प्रतिनिधि ने यह सौगन्ध खाई की वह अपना सब कुछ न्योढ़ावर कर क़ानून का विरोध करेगा। शान्तिमय प्रतिरोध करने के पहले, मार्चनार्षों, डेप्युटेशनों और मुलाकातों द्वारा इस बात के प्रयत्न किये गये कि किसी तरह यह मामला शान्तिपूर्वक निपट जाय। पर ऐसा नहीं हो सका। तत्कालीन औपनिवेशिक सेक्रेटरी मिस्टर टन्कन ने यह टका सा जवाब दिया कि अफ्रीका में यूरोपियों की अस्तित्व की रक्षा के लिये इस क़ानून की अनिवार्य आधरयकता है।

धखीर खाधार होकर महात्मा गांधी की सत्याग्रह शक का अवलम्बन करना पड़ा। प्रवासी भारतवासी अंगूठे की छाप देने से साफ़साफ़ इन्कार करने लगे और इसके लिये मिलनेवाली सजाओं का वे सहर्ष आम्हान करने लगे। सन् १९०७ ई० के जुलाई मास में इस नये आर्डिनेन्स के सुतायिक अफ्रीका की सरकार ने अनुमति पत्र कार्यालय (Perm offices) खोले। महात्मा गांधीजी ने इन कार्यालयों पर शान्ति पूर्वक धरना देने का निश्चय किया। १२-१२ वर्ष के लड़कों ने भी इस काम के लिये अपना नाम लिखवाया। सरकार ने इन सत्याग्रहियों और उनके नेताओं को गिरफ्तार करने का निश्चय किया।

ईस्वी सन् १९०७ के दिसम्बर मास में भारतीय समाज के प्रमुख व्यक्तियों को नोटिस दिये गये कि वे कोर्ट के सामने उपस्थित होकर इस बात

का कारण बतलावें कि उन्होंने अपने नाम की रजिस्ट्री क्यों न कराया है। गांधी जी और अन्य कई प्रमुख सत्याग्रहियों को अपने नाम की रजिस्ट्री न करवाने की वजह से सजायें हुईं। पर ईस्वी सन् १९०८ की ३० जनवरी को जनरल स्मट और भारतीय नेताओं के बीच एक समझौता हुआ, जिसके फलस्वरूप गांधी जी और अन्य कुछ प्रमुख सत्याग्रही जेल से मुक्त किये गये। जनरल स्मट ने यह आश्वासन दिया कि अगर प्रवासी भारतवासी अपनी खुशी से अपने नाम की रजिस्ट्री कराना स्वीकृत कर लेते हैं तो यह कानून रद्द कर दिया जायगा। प्रवासी भारतवासियों ने अपना पार्ट अदा किया, सत्याग्रही नेताओं ने अपने अनुयायियों के नागरिक होने को जोखिम उठाकर भी यह शर्त मंजूर कर ली, पर जनरल स्मट ने अपने समझौते का पालन न किया और अपने दिये हुये वचन को भंग कर दिया। उन्होंने ऑर्डिनेन्स रद्द नहीं किया। इतना ही नहीं उन्होंने गांधीजी के पत्रों का संतोष जनक उत्तर देना भी उचित न समझा। जनरल स्मट यहीं तक न रुके। उन्होंने एक दूसरा बिल पेश किया, जिसमें आगे के लिये भारतवासियों के अफ्रीका प्रवेश पर रोक लगा दी गई। इस बिल ने आगे चलकर कानून का रूप धारण कर लिया।

अब तो इन कानूनों के खिलाफ शान्तिमय संघर्ष करना आवश्यक हो गया। ईस्वी सन् १९०८ के १६ सितम्बर को जॉर्जसवर्ग में एक बड़ी होली का आयोजन किया गया और उसमें जनरल स्मट के साथ किये हुये समझौते के मातहत स्वेच्छा पूर्वक की गई, रजिस्ट्रियों के दो हजार प्रमाण पत्र (Certificates) जमा दिये गये।

जोर शोर के साथ सत्याग्रह संग्राम शुरू हो गया। इसमें सत्याग्रहियों पर बड़े २ जुलम और अत्याचर किये गये। सत्याग्रहियों की कठोर कारावास की सजायें दी जाने लगीं, कईयों को धैतों की सजा भी दी गई, और भी अनेक प्रकार की शारीरिक और मानसिक यंत्रणायें सत्याग्रहियों को सुगावती रहीं। ई. सन् १९१२ को हाईकोर्ट ने एक फैसले द्वारा

प्रवासी भारतवासियों के वैवाहिक संबंधों को नाजायज़ करार दे दिया। क्योंकि ये वैवाहिक संबंध वहाँ के कानून के अनुसार न थे। यह एक ऐंभ पटना थी जिसने भारतीय महिलाओं के अन्तःद्वेष को भारी चोट पहुँचाई। उन्होंने इसे भारतीय नारी के महान् आदर्श का घोर अपमान समझा; कहना न होगा कि इससे भारतीय महिलाएँ भी सत्याग्रह संग्राम में रुढ़ पड़ीं। फोनिक्स पार्क (Phoenix Park) की सब भांग्तीय महिलाएँ सोझह सोझह की बेच में कानून तोड़कर ट्रांसवाल में प्रवेश का गईं। उन्हें गिरफ्तार कर कठोर कारावास का दंड दिया गया। कुछ सामिज्य महिलाओं ने, जो गिरफ्तार न हुईं थीं, मज़दूरों में, तीन पाउंड का टैक्स न देने का पुश्चाधार प्रचार किया गया। यह आन्दोलन अत्यन्त उग्र रूप धारण करता गया। अखीर ईस्वी सन् १९१३ की ६ नवम्बर को दो हज़ार सैंतीस मनुष्य, एक सौ सत्ताईस महिलाएँ और सत्तावन बालकों ने कानून तोड़कर ट्रांसवाल की सीमा में प्रवेश किया। इसके बाद सत्याग्रहियों के नेता गांधीजी, पोखक और अन्य कुछ सज्जन पकड़े गये। ट्रांसवाल में सत्याग्रह द्वारा प्रवेश करनेवाले स्त्री पुरुष और बालक गिरफ्तार कर ज़िये गये और उन्हें सजायें हुईं। वे खानों में मज़दूरी करने के ज़िये मज़दूर किये गये। इस बीच में दक्षिण अफ्रीका की खानों में काम करनेवाले भारतवासियों ने आम तौर से हड़ताल करना शुरू कर दिया। हड़ताल की बीमारी खूब फैली। सत्याग्रहियों को इन समय जो महान् कष्ट और यातनायें दी गईं वे वर्णानातीत थीं।

पर प्रवासी भारतवासियों के इस घोर कष्ट का परिणाम वही हुआ जो इना चाहिये था। इस शम्भहीन सत्याग्रह संग्राम से उनकी बहुमत विजय हुई। अफ्रीका की यूनीयन सरकार ने तद्द आन्तर अखीर इस आशय से एक कमीशन मुकर्रर किया जिससे प्रवासी भारतवासियों के कष्टों का- निराकरण हो। गांधीजी और पोखक १८ दिसम्बर सन् १९१३ को छोड़ दिये गये। इसके कुछ दिनों बाद सारे के सारे सत्याग्रही मुक्त का

दिये गये । सरकार ने तीन पाँड वाला प्रवेश-कर भी माफ कर दिया । हिन्दू और मुसलमानों के धार्मिक विवाह भी कानूनी करार दे दिये गये और अधिवास के प्रमाण-पत्र को (*Domicile Certificate*) नागरिकता का अखीरी प्रमाण मान लिया गया ।

इस तरह महात्मा गांधी के नेतृत्व में चलने वाला सत्याग्रह-सभाम बढ़ी सफलता के साथ समाप्त हुआ । यह सभाम बराबर आठ वर्ष तक चला और इसने सामाजिक न्याय के लिये लड़ने की क्रान्तिकारक प्रणाली का एक नया आविष्कार मनुष्य जाति के सामने रक्खा । मानवी इतिहास में इसने नया अध्याय आरम्भ किया ।

### चम्पारन का सत्याग्रह

भारतवर्ष में, महात्मा गांधी ने, चम्पारन में पहले पहल अपने सत्याग्रह का प्रयोग किया । गांधीजी ने चम्पारन के न्यायालय के सामने इस सम्बन्ध में जा वक्तव्य दिया, वह बड़ा ही प्रेरणादायक (*Inspiring*) था । गांधीजी का कथन था —

That day was an unforgettable event in my life and a red-letter day for the peasants of Champaran and for me”

अर्थात् वह दिन मेरे जीवन में ऐसी घटना थी जो भूली नहीं जा सकती और यही दिन चम्पारन के किसानों के लिये और मेरे लिये एक स्मरणीय दिन भी था ।

सन् १९१६ ई० की सखनऊ के काग्रेस अधिवेशन के समय गांधीजी को चम्पारन के किसानों के कष्टों का समाचार मिला । बिहार के एक काग्रेस कार्यकर्ता किशोर बाबू ने गांधीजी को किसानों के इन कष्टों और चम्पारन की परिस्थिति का ज्ञान करवाया और उन्हें चम्पारन में जाने

स्थान था। गांधी जी को दखने के लिये वह रवाना होने ही वाले थे कि उन्हें दफ्ता १४४ का नाटिन मिला कि तुरन्त ही जिले से बाहर चले जाओ। गांधीजी भला इस हुक्म को कब मानने वाले थे! उन्होंने अपना कैसरेहिन्द का स्वर्णपदक, जो कि सरकार ने उन्हें छोकीपयोगी कार्य के पुरस्कार में दिया था, सरकार का लौटा दिया। मजिस्ट्रेट की अदालत में आप पर दफ्ता १४४ भंग करन का मुद्दा मारा चला। आपने अपने को अपराधी स्वीकार करते हुए एक विलक्षण बयान अदालत के सम्मुख दिया, जो उस समय अद्भुत और नई स्फूर्ति का लिये हुए था, हालांकि आज हम उससे भलीभाँति परिचित हो चुके हैं। सरकार ने अन्त में मुद्दा वापस ले लिया और उन्हें अपनी जाँच करने दी। इस जाँच में उन्होंने अपने मित्रों की सहायता से कोर् २० हजार किसानों के बयान कलमबन्द किये। उन्हीं बयानों के आधार पर गांधीजी ने उनका मॉग पेश की। अखिरकार सरकार को एक कमाशन नियुक्त करना पड़ा जिसमें जमींदार, सरकार और निखहे गोरों प्रतिनिधि थे। महात्मा गांधी को किसानों का धोर से प्रतिनिधि रक्खा गया था। इस कमाशन ने जाँच के बाद एकमत होकर अपनी रिपोर्ट लिखी, जिसमें किसानों की लगभग सभी शिकायतों को जायज़ माना गया। उस रिपोर्ट में एक समझौता लिखा गया था जिसमें किसानों पर बढ़ाये गये लगान को कम कर दिया गया था और जो रुपया गोरों ने नक़द वसूल किया था उसका एक भाग लौटा देना तय हुआ था। उसकी शिफारिशों को बाद में कानून का रूप दे दिया गया था, जिसके अनुसार नीब को पैदा करना या 'तीन-कठिया' खेता मना कर दिया गया था। इसके कुछ वर्षों बाद ही अधिकार निखहे गोरों ने अपने कारखाने बेच दिये, ज़मीन बेच दी और वे जिला छोड़कर चले गये। आज उन स्थानों के, जो कभी निखहे गोरों के महल थे, खंडहर ही शेष हैं। वे लोग, जो अभी तक वहाँ मौजूद हैं, नीब का काम प्रारंभ नहीं कर रहे हैं। चरिब वृत्त किसानों



की तरह खेती-बाड़ी करके पे अपना गुज़ार चसर करते हैं। अब न तो उनकी वह गैर कानूनी आमदनी ही रह गई है और न प्रतिष्ठा ही, जो उनकी आमदनी का एक कारण थी।

यहां यह बात ध्यान में रखने योग्य है कि चंपारन में सत्याग्रह का आन्दोलन संचालित करते हुए भी महात्मा गांधी अपने रचनात्मक कार्य को न भूले। उन्होंने चम्पारन जिले के गाँव में छः प्राइमरी स्कूल खुलवाये और उनमें प्रामीणों के लिये वैद्यकीय सहायता (Medical relief) का भी प्रबंध किया। उन्होंने गांव वालों को स्वच्छता प्रवर्द्ध करके आरोग्यशाली जीवन बिताने का उपदेश दिया। जहाँ शिक्षक और डॉक्टर उपलब्ध न थे, वहाँ उन्होंने उन्हें बाहर से बुलाकर शिक्षा और चिकित्सा का प्रबंध किया। मतलब यह है कि गांधी जी ने आन्दोलन के साथ साथ प्रामीण जीवन के सुधार का भी पाया रक्खा।

### खेड़ा-सत्याग्रह

खेड़ा का जिला गुजरात प्रान्त में है। ईस्वी सन् १९१८ में उक्त जिले में फसल नष्ट हो गई और इस कारण वहाँ अकाल की स्थिति उत्पन्न हो गई। किसान लोग फसल नष्ट हो जाने के कारण भूमिकर देने में असमर्थ थे।

गांधी जी के भारत के सार्वजनिक क्षेत्र में प्रवेश करने से पहले, भारतीय किसान यह नहीं जानते थे कि घोर से घोर अकाल के दिनों में भी वे सरकार के खगान लेने के अधिकार के संबंध में कुछ पत्राचार कर सकते हैं। उनके प्रतिनिधि सरकार के पास आवेदन एवं प्रार्थना पत्र भेजते थे, स्थानीय कांसिलों में प्रस्ताव करते थे। बस, यहीं तक उनका विरोध समाप्त हो जाता था। १९१८ गांधी जी ने एक नये युग का श्री गणेश किया। गुजरात के खेड़ा जिले में इस वर्ष ऐसा बुरा समय आया कि जिले भर की सारी फसल खराब हो गई। अवस्था अकाल के समान

हो गई थी। किसान लोग महसूस करने लगे थे कि अक्सर को देखते हुए समाज स्थगित होना चाहिये। आम तौर पर ऐसे मौकों पर जो उपाय काम में लाये जाते थे, उन सबका अज्ञानता का पुत्र था। सर्वे उपाय बेकार हो चुके थे। किसानों का कहना था कि फसल रुपये में खार खाने भी नहीं हुई। दूसरी ओर सरकारी अधिकारियों का कहना था कि खार खाने से ज्यादा हुई है और इत्यादि। किसानों का, कानून के अनुसार, खगान मुक्तवी करान का कोई अधिकार नहीं है। किसानों की सारी प्रार्थनाएँ निरर्थक साबित हो चुकी थीं, अतः गांधी जी के पास किसानों को सत्याग्रह की सलाह देनेके प्रस्ताव और कार्य चारा हो नहीं था। उन्होंने लोगों से स्वयं-सेवक और कार्यकर्ता बनने की भी अपील की और कहा कि वे किसानों में जाकर उन्हें अपने अधिकारों आदि का ज्ञान करावें। गांधी जी की अपील का असर तुरन्त ही हुआ। सबसे पहले स्वयं सेवक बनने को आग बढ़ने वाले सरदार बल्लभ भाई पटेल थे। आपने अपनी खासी ओर बढ़ती हुई चकावात पर बात मार दी और सब कुछ छोड़कर गांधी जी के साथ फकीरी ली ली। सदा का सत्याग्रह ही इन दो महान् पुरुषों का मिलाने का कारण बना। सरदार बल्लभभाई के सावजनिक जीवन में प्रवेश करने का यही श्री गणेश था। उन्होंने अन्तिम निरवय करके अपने आप का गांधी जी के अर्पण कर दिया। जैसे जैसे समय गया इनका सहयोग बढ़ता ही गया। किसानों ने एक प्रतिज्ञा पत्र पर हस्ताक्षर किये कि वे अपने को मूठ कहलाने की अपेक्षा और अपने स्वाभिमान का नष्ट करके जबरदस्ती बढ़ाया हुआ फर देने की अपेक्षा अपनी जमीन को अन्त कराने के लिये तैयार हैं। उनका यह भी कहना था कि हममें से जो लोग सुशहाब हैं, वे यदि शाही का खगान मुक्तवी कर दिया जाय तो अपना खगान सुझ द्ये ६

अब किसानों को इस विषय में एक अर्द्ध रूप से शिचित किया जाने लगा। उन सिद्धान्तों की शिष्टा उन्हें ही रहे जो उन्होंने पहले

कभी सुनी तक नहीं। उन्हें यह बताया जाता कि अपना यह हक है कि आप सरकार के लगान लगाने के अधिकार पर पेटराज़ा करें। यह भी कि सरकारी अफ़सर आपके मालिक नहीं, नौकर हैं। इसलिये आपको अफ़सरों का सारा भय अपने दिल से निकाल कर डराये धमकाये जाने की, दमन और दवाय की ओर उससे भी बदतर जो आप पढ़ें उन सब की परवाह न करते हुए अपने हकों पर बटे रहना चाहिये। उन्हें नागरिकता के प्रारम्भिक नियमों को भी सीखाना था, जिनके जाने बिना बड़े से बड़ा लाइसन्स-कार्य भी आगे चलकर दूषित और अछ हो सकता है। गांधीजी, सरदार पटेल तथा उनके अन्य साथियों का रोज यही काम था कि वे नित्यप्रति एक गांव से दूसरे और वहां से तीसरे में जाकर किसानों को यही उपदेश और शिक्षा दें और कहें कि मवेशियों तथा अन्य वस्तुओं के कुर्क किये जाने, जुमाने और ज़मीत जन्त होने की धमकी के मुकाबले में वे दृढ़तापूर्वक बटे रहें। इस युद्ध के लिये धन की कोई विरोध आवश्यकता नहीं थी, फिर भी दम्वाई के व्यापारियों ने चन्दा करके आवश्यकता से अधिक धन भेज दिया। इस सत्याग्रह से गुज़रात को सविनय आज़ात-भंग का पहला सबक सीखने का अवसर प्राप्त हुआ। किसानों के हृदय को मजबूत बनाने के ख्याल से गांधीजी ने लोगों को सुझाव दी कि जो खेत बेजा कुर्क कर लिया गया है उनकी फसल काटकर वे खे आँवें और स्वर्गीय श्री मोहनलाल पांड्या इस कार्य में किसानों के अगुआ बने। लोगों को अपने ऊपर जुमाने कराने और जेल की सज़ा को आमंत्रित करने की शिक्षा ग्रहण करने का यह अच्छा अवसर था, जो कि सत्याग्रह का आवश्यक परिणाम हो सकता है। मोहनलाल पांड्या एक खेत की प्याज़ की फसल काटकर खे आये। उन्हें इस कार्य में कुछ किसानों ने भी मदद दी। उन सब लोगों को गिरफ़्तारियां हुईं, मुकदमे चले और थोड़े थोड़े दिन की सजायें हुईं। लोगों के लिये यह एक अद्भुत प्रयोग था। इन सब बातों को वे आनन्द

के साथ करते थे। वे अपने नेताओं की पद-जयकार करते थे और जेल से छूटने पर उनके गुलूस निकालते थे।

इस भ्रमके का यकायक ही अन्त हो गया। अधिकारियों ने शरीर क्लिमानों के लगान को मुक्तवी कर दिया। लेकिन उन्होंने यह कार्य किया बिना किसी प्रकार की सार्वजनिक घोषणा किये हुये। उन्होंने किसानों को यह भी अनुभव न होने दिया कि यह उनके साथ किसी प्रकार का समझौता करके हुआ है। चूकि यह रिश्तायत एक तो देर से दी गई, दूसरे यह जाहिर नहीं होने दिया कि यह खोगों के आन्दोलन के फलस्वरूप है, तीसरे यह भी बिना मन के। इसलिये इससे बहुत कम किसानों का लाभ पहुँचा। यद्यपि सिद्धान्ततः सत्याग्रह की विजय हुई, फिर भी यह नहीं कहा जा सकता कि वह पूर्ण विजय थी। क्योंकि यह विजय के मुख्य लाभों से वंचित रही। लेकिन उसके अप्रत्यक्ष फल बहुत बड़े निकले। उस लड़ाई से गुजरात के किसानों में एक महान् जागृति की नींव पड़ी और वास्तविक राजनैतिक शिक्षा का सूत्रपात हुआ। गांधीजी अपनी 'आत्म-कथा' में लिखते हैं—

'The lesson was indelibly unprinted on the public mind that the salvation of the people depends upon themselves, upon their capacity for suffering and sacrifice Through the Kheda campaign, Satyagrah took firm root in the soil of Gujerat'.

अर्थात् ( सत्याग्रह के ) इस सबक से खोगों के मन पर यह अमिट छाप पड़ी कि उनकी मुक्ति उनके कष्ट-सहन और आत्मत्याग की योग्यता पर निर्भर है। खेड़ा के आन्दोलन से गुजरात की भूमि पर सत्याग्रह की नींव मजबूती से जमी।

यह पहला अवसर था जिसमें गांधीजी ने खोगों को कठिनाइयों और कष्ट सहने के लिये आह्वान किया था, और उन्हें सत्याग्रह की

शिष्टा दी गई थी। इस सत्याग्रह के सफल होने के बाद गांधीजी ने रैयत को सत्याग्रह तत्व की शिक्षा देने की आवश्यकता समझी, और उन्होंने यह महसूस किया कि सत्याग्रह के विधायक रूप की ओर श्रमी-छोड़ों का ध्यान, जैसा चाहिये वैसा, आकर्षण नहीं हो रहा है। इस कार्य में उस समय उन्हें पर्याप्त मनुष्य न मिल सके। इसलिये यह कार्य इस समय अधिक आगे न बढ़ सका।

### अहमदाबाद का सत्याग्रह

भारतवर्ष में सबसे पहले महात्मा गांधी ने सत्य और अहिंसा के तत्व पर मिल मालिक और मजदूरों के मजदूरों को निपटाने का उपक्रम अहमदाबाद में किया। कहा जाता है कि इतिहास में यह पहला मौका था कि मानवीय जीवन के इन महान् तत्वों को औद्योगिक मजदूरों को निपटाने के लिये काम में लाया गया। इसके बड़े दूरदर्शी परिणाम निकले। अहमदाबाद का मजदूर संघ उसी वक्त स्थापित किया गया, जिसने बड़े बड़े औद्योगिक तूफानों का सामना कर मिल मालिक और मिल मजदूरों के मजदूरों का क्रैसला करने में प्रशंसनीय कार्य किया और संसार के सामने मजदूर संघ का एक आदर्श रखा।

अब हम अहमदाबाद सत्याग्रह का कुछ विवरण देना चाहते हैं, जिसका संचालन महात्मा गांधी ने सफलता पूर्वक किया था। मिल मालिक और मजदूरों के बीच में मजदूरों और बोनस के संबंध में विवाद उपस्थित हुआ। दोनों पक्षों ने गांधीजी की सेवा में उपस्थित होकर यह प्रार्थना की कि वे मध्यस्थ होकर इस विवाद का फैसला करें। महात्मा गांधी जीने गम्भीरता पूर्वक सारे मामले का अनुसंधान किया और उन्होंने उभय पक्ष को यह राय दी कि वे पक्षों के द्वारा इस मामले का फैसला करवायें। दोनों पक्षों ने महात्माजी की राय को मान देकर ऐसा कर लिया। पर दुर्भाग्यवश कुछ दिनों के बाद मिल मजदूरों ने गलतफहमी के कारण हड़ताल कर दी। इससे मिल मालिक बड़े क्रोधित हुए और

उन्हें उक्त सम्झौता तोड़ने का सहाना मिल गया। ईर्ष्या सन् १९१८ में फरवरी को उन्होंने मिलों में ताबाबन्दी (Lock out) कर दी। गांधीजी ने दोनों को समझाने का प्रयत्न किया, पर इसका कोई फल न हुआ। जाँच करने पर गांधीजी को मालूम हुआ कि इसमें मजदूरों का पक्ष सत्य है। उन्होंने मजदूरों को सलाह दी कि वे अपने भते में पैतृस फी सदी की वृद्धि के लिये माँग करें। मिल मालिकों ने बीस फी सदी से अधिक न देने का निश्चय का लिया। हमसे २६ फरवरी से मजदूरों ने हड़ताल कर दी और उग्रम हज़ारों मजदूर शामिल हो गए।

मजदूरों से यह शपथ लिखवाई गई कि जब तक उन्हें अपने भते उस से पैतृस प्रति सेंकड़ा की वृद्धि न मिलेगी तब तक वे काम पर न जायेंगे। मिलों के ताबाबन्दी के समय वे किसी प्रकार का उपद्रव न करेंगे और पूर्णरूप से अहिंसा का पालन करेंगे। वे किसी पर हमला न करेंगे और लूटमार से दूर रहेंगे। वे मिल मालिकों की ज्ञायदाव को किसी प्रकार की हानि न पहुंचायेंगे। वे किसी प्रकार के अपशब्द अपने मुँह से न निकालेंगे। वे पूर्ण रूप से शांति की रक्षा करेंगे।

मिलों की ताबाबन्दी के समय गांधीजी और उनके सहयोगी तरह तरह से मिल मजदूरों की सेवा करते रहे। उन्होंने मजदूरों के निवास स्थानों पर जाकर उन्हें सहाय और आरोग्यता की शिक्षा दी, और बच्चों को चिकित्सा संबंधी तथा अन्य सहायता दी। वे हर रोज न्यूजेटिन प्रकाशित कर मजदूरों को अनुशासन की शिक्षा देते रहते थे। वे मजदूरों को रोजमर्रा सभाएँ करते और उनमें उनकी दिन प्रतिदिन की समस्याओं पर विचार करते थे। वे मजदूरों को इस बात का आदेश देते थे कि मिलों की ताबाबन्दी के समय वे कुछ अन्य कार्य करें, और अपने पैतों पर खड़ा रहना सीखें। बहुत से मजदूरों को गांधीजीन अपने आधम पर मजदूरी पर खग लिये जो उस समय बन रहा था। गांधीजीन मजदूरों को यह आरवासन दिया कि अगर दुर्भाग्यवश उन्हें भूखों मरने का अवसर

आया तो उनके साथ अन्त समय तक वे भी भूले रहेंगे और अतक उनका साथ देंगे ।

लगभग पन्द्रह दिन तक मजदूर बड़े साहस और हिम्मत के साथ बिना किसी हिचकिचाहट के अपनी प्रतिज्ञा पर दटे रहे । इस बीच में मिल मजदूरों ने चालबाजियों से काम लेना शुरू किया । उन्होंने इस प्रकार की अफवाहें जोर शोर से उठाना शुरू की कि मजदूर पस्त हिममत हो रहे हैं और उनका साहस नौ दो ग्यारह हो रहा है । इस पर महात्मा गांधी ने तुरन्त ही एक पत्रा निर्णय किया जो लोगों को बड़ा मोलिक और आश्चर्यकारक लगा । महात्मा गांधीजी ने यह प्रकट किया कि जब तक इस मामले का सफलता पूर्वक फैसला न हो जायगा तब तक वे अन्न का त्याग कर देंगे । वे गांधी में भी सवारी न करेंगे । गांधीजी ने खुद लिखा है:—'मैं उन आदमियों में से हूँ जो इस बात का विश्वास करते हैं कि मनुष्य को किसी भी परिस्थिति में अपनी प्रतिज्ञा का पालन करना चाहिये । मैं एक क्षण के लिये भी इस बात को सहन नहीं कर सकता कि जो पवित्र प्रतिज्ञा तुमने ( मजदूरों ) की है उसका तुम भंग करो । जब तक तुम सबों को पैंतीस प्रति सैंकड़ा की वृद्धि न मिलेगी तब तक न तो मैं अन्न का स्पर्श करूँगा और न मैं गांधी में चढ़ूँगा ।

इससे बड़ी हलचल मच गई । मजदूरों की हिम्मत एक दम बढ़ गई । गांधीजी के इस उपवास से मिल माजिकों पर भी बड़ा प्रभाव पड़ा और वे आपसी समझौते के लिये अधिक उत्सुकता प्रकट करने लगे ।

अखीर यह तय हुआ कि प्रोफेसर ध्रुव दोनों पक्षों की ओर से पंच बनाये जायें और उनके फैसले को दोनों पक्ष मंजूर करें । तीन मास के के बाद ध्रुव महोदय ने मिल मजदूरों को उनके जुलाई मास के वेतन में पैंतीस फी सदी वृद्धि देने का फैसला दिया । दोनों पक्षों ने यह पंच-फैसला स्वीकार कर लिया । इसी के फल स्वरूप मजदूरों का 'मजूर-महाजन' नामक एक पत्रा स्थायी संगठन हो गया जो आज ३१ वर्ष से

उन्हें उक्त समझौता तोड़ने का सहाना मिळ गया। इन्हीं सन् १९१८ में फरवरी को उन्होंने मिर्छों में साखाबन्दी (Lock out) कर दी। गांधीजी ने दोनों को समझाने का प्रयत्न किया, पर इसका कोई फल न हुआ। जॉप करने पर गांधीजी को मालूम हुआ कि इसमें मजदूरों का पक्ष सत्य है। उन्होंने मजदूरों को सलाह दी कि वे अपने भत्ते में पैंतीस फी सदी का वृद्धि के लिये माँग करें। मिर्छ मास्त्रिकों ने त्रांस की सत्री से अधिक न देने का निश्चय ऊ लिखा। इससे २६ फरवरी से मजदूरों ने हड़ताल कर दी और उसमें हजारों मजदूर शामिल हो गये।

मजदूरों से यह शपथ लिखवाई गई कि जब तक उन्हें अपने घडा-उंस में पैंतीस प्रति सेंकड़ा की वृद्धि न मिलेगी तब तक वे काम पर न जायेंगे। मिर्छों के साखाबन्दी के समय वे किसी प्रकार का उपद्रव न करेंगे और पूर्णरूप से अहिंसा का पालन करेंगे। वे किसी पर हमला न करेंगे और लूटमार से दूर रहेंगे। वे मिर्छ मास्त्रिकों की ज्ञापदाद को किसी प्रकार की हानि न पहुँचायेंगे। वे किसी प्रकार के अपशब्द अपने मुँह से न निकालेंगे। वे पूर्ण रूप से शांति की रक्षा करेंगे।

मिर्छों की साखाबन्दी के समय गांधीजी और उनके सहयोगी तरह तरह से मिर्छ मजदूरों की सेवा करते रहे। उन्होंने मजदूरों के निवास स्थानों पर जाकर उन्हें सफाई और आरोग्यता की शिक्षा दी, और वनको चिकित्सा संयधी तथा अन्य सहायता दी। वे हर रोज न्यूजेटिन प्रकाशित कर मजदूरों को अनुशासन की शिक्षा देते रहते थे। वे मजदूरों को रोजमर्रा सभाएँ करते और उनमें उनकी दिन प्रतिदिन की समस्याओं पर विचार करते थे। वे मजदूरों को इस बात का आदेश देते थे कि मिर्छों की साखाबन्दी के समय वे कुछ अन्य कार्य करें, और अपने पैतों पर खरा रहना सीखें। बहुत से मजदूरों को गांधीजीन अपने आश्रम पर मजदूरी पर लजा लिये जो उस समय बन रहा था। गांधीजीन मजदूरों को यह आश्वासन दिया कि अगर दुर्भाग्यवश उन्हें भूखों मरने का अवसर



आया तो उनके साथ अन्त समय तक वे भी भूखे रहेंगे और अतक उनका साथ देंगे ।

लगभग पन्द्रह दिन तक मजदूर बड़े साहस और हिम्मत के साथ बिना किसी हिचकिचाहट के अपनी प्रतिज्ञा पर डटे रहे । इस बीच में मिल मजदूरों ने चाखवाजियों से काम लेना शुरू किया । उन्होंने इस प्रकार की अफ़वाहें जोर जोर से उड़ाना शुरू की कि मजदूर पस्त हिम्मत हो रहे हैं और उनका साहस नौ दो ग्यारह हो रहा है । इस पर महात्मा गांधी ने तुरन्त ही एक ऐसा निर्याप किया जो लोगों को बड़ा मौजिक और आश्चर्यकारक लगा । महात्मा गांधीजी ने यह प्रकट किया कि जब तक इस मामले का सफलता पूर्वक फैसला न हो जायगा तब तक वे अन्न का त्याग कर देंगे । वे गांधी में भी सवारी न करेंगे । गांधीजी ने खुद लिखा है:—'मैं उन आदिमियों में से हूँ जो इस बात का विश्वास करते हैं कि मनुष्य को किसी भी परिस्थिति में अपनी प्रतिज्ञा का पालन करना चाहिये । मैं एक चण के लिये भी इस बात को सहन नहीं कर सकता कि जो पवित्र प्रतिज्ञा तुमने ( मजदूरों ) की है उसका तुम भंग करो । जब तक तुम सबों को पैंतीस प्रति सैंकड़ा की वृद्धि न मिलेगी तब तक न तो मैं अन्न का स्पर्श करूंगा और न मैं गांधी में चढूंगा ।

इससे बड़ी हलचल मच गई । मजदूरों की हिम्मत एक दम बढ़ गई । गांधीजी के इस उपवास से मिल मालिकों पर भी बड़ा प्रभाव पड़ा और वे आपसी समझौते के लिये अधिक उत्सुकता प्रकट करने लगे ।

अखीर यह तय हुआ कि प्रोफेपर ध्रुव दोनों पक्षों की ओर से पंच बनाये जावें और उनके फैसले को दोनों पक्ष मंजूर करें । तीन मास के के बाद ध्रुव महोदय ने मिल मजदूरों को उनके जुलाई मास के वेतन में पैंतीस फी सदी वृद्धि देने का फैसला दिया । दोनों पक्षों ने यह पंच-फैसला स्वीकार कर लिया । इसी के फल स्वरूप मजदूरों का 'मजूर-महाजन' नामक एक ऐसा स्थायी संगठन हो गया जो आज ३१ वर्ष से

श्रीमती अनसूया सहन और थी शहरलाला बँकर की देखरेख में प्रगति के साथ काम करता हुआ चला आ रहा है। ये दोनों कांग्रेस के प्रमुख व्यक्ति रहे हैं। इस संस्था के अदीकृत मजदूर अब तक कितने ही कठिन तूफानों को पार कर गये हैं और इसने अहमदाबाद नगर को बड़े बड़े औद्योगिक संकटों से बचाया है। वहाँ के मजदूर बड़े ही सुसंगठित हैं। 'मजूर महाजन' के भूतपूर्व प्रधानमन्त्री खाला गुलजाशीखान की देखरेख में उसके कार्यकर्त्ताओं द्वारा उन्हें जो सुन्दर शिक्षा दी जा रही थी, वह ऐसी थी कि जिसके द्वारा मजदूरों ने समय पड़ने पर ठीस और श्रावक सार्वजनिक सेवाएँ की थीं। गांधीजी के परामर्श से मजूर-महाजन ने १९२० के पाद पीढ़ियों की अच्छी सहायता की थी। १९३० के सत्याग्रह युद्ध के जमाने में इन मजदूरों ने बड़े जोरों से नशा निषेध का कार्य किया। कांग्रेस के आदेशानुसार कोई २०० स्वयंसेवक इन लोगों में से गिर्कैटिंग के लिये आगे आये और उनमें से १६२ जेल गये। उसके बाद उनमें और मिल मानिकों में बड़ा सा भगड़ा खड़ा हो गया था। लेकिन उनके भारी अनुशासन की प्रशंसा किये बिना नहीं रहा जा सकता। उन्होंने १६ महीनों तक, जब तक गांधीजी पच-पैसले की आतपीत करते रहे, बराबर शांति रखी। सत्तर अर से अहमदाबाद का ही एक ऐसा मजदूर-संघ है जिसने सत्य और अहिंसा की प्रतिज्ञा की हुई है और जिसका उद्देश्य है कपड़े के उद्योग का राष्ट्रीयकरण। इसके लगभग १० हजार चन्दा देनेवाले सदस्य हैं। इसके पास १९३४ में खराब पार हजार शिकायतें आईं, जिनमें हुते ८० फी सदी सफ़लतापूर्व प्राप्त हुईं। इसने ३१ हजार खर्च कराई, जिनमें २३ मजदूरों के पक्ष में लय हुई। 'मजूर-महाजन' ने १९८२ खियों के लिये जाये का प्रबन्ध किया, जिसका खर्च २६ हजार रुपये के करीब था। इसने (१८,०७४) दुर्घटना के हर्जाने और (१५४ मजदूरों को ६८२६) 'विक्टिमिनाइजेशन मेनिफ़िस्ट' दिखवाया। इसके सेवा के मुख्य कार्यों में डॉक्टरों सहायता, शिक्षा, व्यायाम और खेलकूद व मतोरंजन का प्रबंध, म्युनि-

विपैक्षिणी से सुविधाएँ प्राप्त करना, नरो से बचाना तथा सामाजिक सुधार करना आदि हैं।

## गांधीजी का विशाल राजनैतिक क्षेत्र में उतरना

हमने गांधीजी के विचारों पर और उनके द्वारा किये गये कुछ स्थानीय सत्याग्रह-संग्रामों पर गत पृष्ठों में प्रकाश डालने की चेष्टा की है। रीलेट बिलों के संबंध में भी पिछले पृष्ठों में कुछ लिखा जा चुका है। यह विषय मानवी स्वाधीनता के बड़े घातक थे। गांधीजी ने अपनी रोगशय्या से तत्कालीन वाइसरॉय को एक पत्र लिखकर यह अनुरोध किया था कि वे रीलेट रिपोर्ट को कानून का रूप न दें। अगर इन्हें कानून का रूप दिया गया तो वे इसके विरोध में सत्याग्रह करेंगे, पर वाइसरॉय ने गांधीजी की राय को स्वीकार नहीं किया। यह बिल धारा सभा में, जैसा कि हम गत पृष्ठों में देख चुके हैं, सरकारी मेम्बरों के बहुमत से पास कर दिये गये, और उन्हें कानून का रूप दे दिया गया। फिर क्या था ! गांधीजी ने डट कर इन बिलों का विरोध करने का फूट निश्चय किया। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिये गांधीजी ने देश में सर्वत्र दौरा किया। आपका सब जगह धूमधाम से स्वागत हुआ। गांधीजी तो देश के लिये, अन्य नेताओं की अपेक्षा, अपरिचित व्यक्ति के समान ही थे। लेकिन फिर भी देश ने उनका और उनके जैसे ही विद्वत्करण कार्यक्रम का इतना स्वागत क्यों किया। भारत सरकार ने उस समय अपनी एक रिपोर्ट में गांधीजी के तत्कालीन अद्भुत प्रभाव के कारणों पर प्रकाश डालते हुए लिखा था:—

“मि० गांधी अपनी निःस्वार्थता और ऊँचे आदर्शों के कारण आम तौर पर डॉलस्टाय के अनुयायी समझे जाते हैं। अरबीयों के लिये दक्षिण अफ्रीका में उन्होंने जो लड़ाई लड़ी, उसके कारण उन्हें वह सब मान-गौरव प्राप्त है जो कि पूर्वीय देशों में एक धार्मिक और त्यागी नेता को प्राप्त होता है। इनके संबंध में एक भास थात यह है कि इनके अनुयायी

किसी सम्प्रदाय-विशेष के नहीं हैं। जब वे वे अदमशपाद में रहने हैं, बराबर विभिन्न प्रकार की सामाजिक सेवा में लगे हुए हैं।”

“किसी भी व्यक्ति या जाति की रक्षा के लिये, जिन्हें कि वह वह समझते हैं कि उस पर अत्याचार हो रहा है, सदैव अपने हाथ में गदा लिये तैयार रहने के कारण, वह अपने देशवासियों को और भी प्रिय हो गये हैं। अम्बेड्गे अर्थात् भर में तो, क्या देहात और क्या नगर, अधिकतर जगह उनका अत्यधिक प्रभाव है और उनकी सव पर धार है। उन्हें खींग जिस आदर भाव से देखते हैं, उसके लिये “पूजा” शब्द का प्रयोग करना किसी बड़े शब्द का प्रयोग करना नहीं कहा जा सकता। भौतिक बल से उनका विश्वास आत्मबल में अधिक है। इसलिये गांधी का यह विश्वास हो गया है कि उन्हें इन शक्ति का प्रयोग सत्याग्रह के रूप में रीजेट-पुन्ट के खिलाफ करना चाहिये, जिसे कि उन्होंने दक्षिण अफ्रीका में सफलता पूर्वक प्रयुक्त था। २४ फरवरी को उन्होंने इसकी घोषणा कर दी कि यदि बिल पास किये गये तो वह सत्याग्रह प्रारम्भ कर देंगे। सरकार तथा बहुत से भारतीय राजनीतिज्ञों ने, इस घोषणा को, बहुत चिन्ताभरी दृष्टि से देखा। बड़ी कौंसिल के कुछ नरम दल वाले सदस्यों ने तो सार्वजनिक रूप से कार्य के भयावह परिणामों को बतलाया था। श्रीमती बेसेन्ट ने तो, जिन्हें भारतीय मनीषा का अर्थात् ज्ञान था, गांधी जी को अत्यन्त गम्भीरता पूर्वक चेतावनी दी कि यदि उन्होंने कोई भी ऐसा आन्दोलन चलाया तो उससे ऐसी शक्तियाँ उभर उठेंगी जिनसे न जाने क्या क्या भयंकर घुसाइयाँ हो सकती हैं। यहाँ यह बात स्पष्ट रूप से बताना चाहिये कि गांधी जी के दल या घोषणा में कोई भी एनी बात नहीं थी, जिससे कि उनके आन्दोलन का भी गयोर होने से पहले सरकार उनके विरुद्ध कोई कार्रवाई कर सकती। सत्याग्रह तो आत्मसंस्कारकारी नहीं बल्कि रक्षात्मक पद्धति है। गांधी जी ने सुबे और पर पशुबल की निन्दा की। उन्हें यह विश्वास था कि यह सवि-

नय भंग के रूप में सत्याग्रह करके सरकार को इस बात के लिये मजबूर कर देंगे कि वह रीलोट एक्ट का परित्याग कर दें। १८ मार्च को उन्होंने रीलोट-बिल के संघ में एक प्रतिज्ञा-पत्र प्रकाशित कराया, वह इस प्रकार है—

“सच्चे हृदय से मेरा यह मत है कि इण्डियन क्रिमिनल ला अमेण्डमेण्ट बिल न० १ और क्रिमिनल ला इमरजेन्सी पावर बिल नं० २ अन्याय पूर्ण हैं और न्याय और स्वाधीनता के सिद्धान्तों के घातक हैं। उससे व्यक्ति के उन मौलिक अधिकारों का हनन होता है जिन पर कि भारत की और स्वयं राज्य की रक्षा निर्भर है। अतः हम शपथ पूर्वक प्रतिज्ञा करते हैं कि यदि इन बिलों को कानून का रूप दिया गया, तो जब तक इन्हें वापस न लिया जाय, तब तक हम इन तथा अन्य कानूनों को भी, जिन्हें कि इसके बाद नियुक्त की जाने वाली कमेटी उचित समझेगी, मानने से नम्रता पूर्वक इन्कार कर देंगे। हम इस बात की भी प्रतिज्ञा करते हैं कि इस युद्ध में हम ईमानदारी के साथ सत्य का अनुसरण करेंगे और किसी के जान-माल को किसी तरह नुकसान न पहुँचावेंगे।”

कहने का मतलब यह है कि गांधी जी ने अहिंसा के दिव्य सिद्धान्त को जनता के सामने रखकर सत्याग्रह संग्राम की घोषणा की। उन्होंने मद्रास से ३० मार्च सन् १९१६ को सत्याग्रह आरम्भ करने का आदेश जारी किया। पीछे जाकर यह तारीख बदल दी गई और ६ अप्रैल सत्याग्रह करने की तारीख नियत की गई। २३ मार्च को गांधीजी ने सारे भारतवर्ष के लिये सत्याग्रह करने का कार्यक्रम प्रकाशित करते हुये लिखा था।

“Satyagraha is essentially a religious movement. It is a process of purification and penance. It seeks to secure reforms or redress of grievances by self-suffering. The 6th of April (by which time Viceroy would have given his assent to the Act)

should be observed as a day of humiliation and prayer. The details of the programme were as follows. असह्य सत्याग्रह एक धार्मिक आन्दोलन है। यह आत्म शुद्धि और प्रायश्चित्त की प्रक्रिया है। इसमें सुधार और कष्ट निवारण के कार्य आत्म-कष्ट के द्वारा संपन्न किये जाते हैं।" गांधी जी ने निम्न लिखित कार्य क्रम प्रकाशित किया था—

२४ घंटे का उपवास रखा जाय। यह उपवास भूख हड़ताल के रूपमें न हो। सविनय अवज्ञा (civil Disobedience) के लिये सत्याग्रहियों को योग्य बनाने को यह एक आवश्यक अनुशासन है। उस दिन सारा काम-काज बन्द रखा जावे।

उपरोक्त आदेश सर्वसाधारण के लिये थे, प्रतिज्ञायुक्त सत्याग्रहियों के लिये सत्याग्रही कमेटी ने निम्नलिखित आदेश जारी किये थे।

( १ ) निषिद्ध साहित्य (Prohibited literature) का प्रचार युक्त रीति से नहीं, पर सुबे ठौर से करना चाहिये। यह वेसे साधारण ढंग से किया जाना चाहिये जिससे बेचनेवाले का सहज ही में पता लग सके।

( २ ) अगर निषिद्ध साहित्य की पर्याप्त सख्या में प्रतियाँ उपलब्ध न हों तो उनके घर सर्वसाधारण को पढ़कर सुनाये जावें, या हाथ से उनको नकलें कर उन्हें सर्व साधारण में बाँटी जावें।

गांधी जी ने स्वयं सत्याग्रही नामका गैर रजिस्ट्री शुद्ध समाचार पत्र निकालना शुरू किया, जिसमें सत्याग्रहियों के लिये इस बात के सुझाव रहते थे कि उन्हें कैद और अपनी जायदाद की जल्ती का बिना दाखल-दूख और बिना बचाव (Defence) किये किस प्रकार मुकायला करना चाहिये।

### दिल्ली का सत्याग्रह

जैसा कि ऊपर कहा गया है प्रारम्भ में सत्याग्रह की तारीख २०

मार्च मुक़र्रर की गई थी। इस तारीख़ के बदलने की सूचना दिल्ली के नेताओं को न मिली। अतएव उन्होंने गांधी जी के पूर्व आदेशानुसार उसी दिन स्वामी भद्रानन्दजी के नेतृत्व में सत्याग्रह का प्रारम्भ कर दिया। स्वामी भद्रानन्दजी के व्यागमय जीवन का जनता पर बड़ा प्रभाव था। ३० मार्च को एक भारी जुलूस निकाला गया और दिल्ली में पूर्ण हड़ताल की गई। जुलूस पर गोली चलाई गई। स्वामी भद्रानन्दजी को कुछ गोरे सिपाहियों ने गोली मारने की धमकी दी। इस पर वे बड़ी निडरता के साथ छाती खोल कर आगे हो गये और कहने लगे 'लो, मारो गोली।' बस, गोरो की धमकी हवा में उड़ गई। स्वामी जी के वीरतापूर्ण प्रदर्शन ने लोगों के हृदयों में नव जीवन फूंक दिया। उनके हृदयों में नवीन स्फूर्ति और बल का संचार हो गया। पर पीछे जाकर दिल्ली के रेल्वे स्टेशन पर कुछ ऋगड़ा हो गया जिसमें ५ मनुष्य मारे गये और अनेक घायल हुए।

## देश व्यापी सत्याग्रह

जैसाकि ऊपर कहा गया है गांधी जी ने ३० मार्च को बदल कर ६ अप्रैल को देशव्यापी सत्याग्रह करने का आदेश दिया था। गांधी जी के इस आदेश का सारे देश ने हार्दिक स्वागत किया। सारे देश में अपूर्व उत्साह और जीवन शक्ति का संचार हो गया। सैकड़ों स्थानों पर विशाल सभायें हुईं। लाखों मनुष्यों ने इस कार्यक्रम से भाग लिया, देश के कोने कोने में लाखों मनुष्यों के द्वारा महान् प्रदर्शन हुए।

## गांधी जी की गिरफ्तारी

यद्यपि महात्मा गांधी ने जनता से अपील की थी कि उनके आन्दोलन की सफलता उनके पूर्ण रूप से अहिंसक रहने पर निर्भर है और इस महान् सत्याग्रह आन्दोलन की जड़ सत्य और अहिंसा के दिव्य तत्व पर टिकी

हुई है, पर फिर भी उन दिनों देश के विभिन्न भागों में कुछ उपद्रव और हिंसा-कांड हुये। खासौर में भी लूटमार हुई और गोली चली। कलकत्ते जैसे सुदूर स्थान में भी बुरे समाचार प्राप्त हुए। पंजाब की दुर्घटनाओं की बात सुनकर तथा स्वामी अन्दाजन्द और डॉ० सायराज के उद्धान पर गांधीजी ८ अप्रैल को दिल्ली के लिये चल पड़े। रास्ते में ही उन्हें हुक्म मिला कि पंजाब और दिल्ली के भीतर प्रवेश न करो। उन्होंने इस हुक्म को मानने से इन्कार कर दिया। इस पर इन्हें गिरफ्तार कर लिया गया और दिल्ली से कुछ दूर पखवश नामक स्टेशन से एक स्पेशल ट्रेन में बिठाकर उन्हें १० अप्रैल को बम्बई भेज दिया।

गांधीजी की गिरफ्तारी के समाचार से अहमदाबाद में कई उपद्रव हो गये, जिनमें कुछ अंग्रेज और कुछ हिन्दुस्तानी अफसर जान से मारे गये। १२ अप्रैल को वीरमगाँव और नबियाद में भी कुछ ठरपाठ हुए। कलकत्ते में भी उपद्रव हुए थे। वहा गोली चली थी, जिससे ५ या ६ आदमी जान से मारे गये थे और बारह बुरी तरह घायल हुये थे। बम्बई पहुँच कर गांधीजी ने स्थिति को शान्त करने में बहुत काम किया। इन उपद्रवों के कारण उन्होंने सत्याग्रह को स्थगित कर दिया और उसके सर्वध में एक यत्न्य निकासी।





# पंजाब में अमानुषिक अत्याचार जलियानवाला बाग का भयंकर हत्याकांड



महात्मा गांधी के आदेशानुसार ६ अप्रैल को पंजाब के प्रायः सभी नगरों में संपूर्ण इशताल्ल की गई थी। इशतालों के साथ साथ जो बड़े बड़े प्रदर्शन भी हुए उनमें हिन्दू, मुसलमान, सिक्ख आदि सब जातियों ने बड़े उत्साह से भाग लिया था। हजारों लाखों नर-नारियों ने इस दिन मातम मनाया था। इस दिन किसी प्रकार का झगड़ा बखेड़ा नहीं हुआ। जनता ने बड़ी शान्ति से काम लिया।

इसके बाद क्या हुआ ? ६ अप्रैल के दिन रामनवमी का त्यौहार था। यह कहने की आवश्यकता नहीं की रामनवमी हिन्दुओं का धार्मिक त्यौहार है, पर इस वक्त इस त्यौहार का उपयोग हिन्दू मुसलमानों की एकता के अर्पण प्रदर्शन में किया गया। मुसलमानों ने भी हार्दिक भाव से अपने हिन्दू भाइयों के साथ इस त्यौहार को मनाया। अमृतसर के सुप्रसिद्ध नेता डॉक्टर किचलू और डाक्टर सत्यपाषा ने हिन्दू मुसलमानों का भ्रातृभाव बढ़ाने में बहुत काम किया। इस दिन भी ये दोनों देश नेता, हिन्दू मुसलमानों की एकता के संगठन का कार्य कर रहे थे। अमृतसर में इन दोनों महानुभावों ने नयी जान फूँक दी। आप दोनों महाशयों ने रोलेट प्रकट के विरुद्ध आन्दोलन में बड़ा भाग लिया। आप दोनों ने सत्याग्रह की प्रतिज्ञा ली थी। इन घातों से आप दोनों बड़े लोकप्रिय हो गये। जनता आपको बड़े भक्ति भाव से देखने लगी। आप लोगों के व्याख्यान सुनने के लिये अमृतसर की जनता का विशाल समूह उमड़

पड़ता था। २६ मार्च सन् १९१६ को पंजाब सरकार ने छात्रा निकाश कर डॉक्टर सत्यपाल को सार्वजनिक व्याख्यान देने की मनाह कर दी। ये अमृतसर में नजरबन्द (Interned) कर दिये गये। जैसा कि हम ऊपर एक वक्त कह चुके हैं कि भारतवर्ष में कुछ प्रान्तों में गृहती स ३० मार्च का भी हड़ताल की गई थी। इस दिन अमृतसर में भी हड़ताल थी। इस समय रोज़ट पकट का विरोध करने के लिये जो सभा टुड़ थी उसमें सरकारी हिसाब के मुताबिक भी ३० या ३५ हजार मनुष्यों से ज्यादा की भीड़ थी। इस सभा की सब कार्यवाही यही शान्ति से सम्पन्न हुई। इसमें जिन जिन वक्ताओं के व्याख्यान हुए, उन सबने इस आन्दोलन के शान्तिमय स्वरूप का उल्लेख किया। उदाहरण के लिये बाबर किशलू ने अपने व्याख्यान को समाप्त करते हुए कहा था —

“आप लोगों को चाहिये कि आप राष्ट्रीय हित के लिये देश माता की बेदी पर अपने स्वार्थों की बलि दे दें। आपके सामने महात्मा गांधी का सन्देश पढ़ा गया है। सब दूख वासियाँ को विरोध के लिये तैयार हो जाना चाहिये। इसका मतलब यह नहीं है कि इस पवित्र नगर में दून की नदियाँ बहें। हमारा विरोध बिल्कुल शान्तिमय होना चाहिये। आप अपनी विवेक की छात्रा पालन करने के लिये तैयार हो जाइये। इसके लिये अगर आपका जेल जाना पड़े, या नजरबन्द होना पड़े तो इसकी परवाह मत कीजिये। किसी को इजा और दुःख मत पहुँचाइये। घर को शान्ति से जाइये। इस बाग में घूमिये। पुलिस के आदमी थपना किसी विश्वासघातक के प्रति कटु वचन मत बोलिये, जिससे कि उसको दुःख हो और आगे चल कर शान्ति भङ्ग होने का अवसर आवे।”

उपरोक्त वाक्यों से पाठकों को उक्त नता के मनोभावों का पता लग सकता है। आपको यह ज्ञात हो सकता है कि डॉक्टर किशलू का उद्देश्य कितना पवित्र और अहिंसात्मक था। पर पंजाब के तत्कालिक खाट अहादुर घोषवापर साहब को तो भारत में उड़नेवाली हवा तक नं राज

विद्रोह और उत्पात के परमाणु दिखलाई पड़ते थे। इय्याज की रूपरेखा सफलता से उनका वचा चुचा खून भी सूख गया। वे इस शान्तिमय आन्दोलन में भयकर उत्पात के बीज देखने लगे। आपने तत्काल डॉक्टर सत्यपाल की तरफ डॉक्टर किचलू को भी सार्वजनिक व्याख्यान देने की तथा अमृतसर म्युनिसिपैलिटी की हद से बाहर जाने की तथा किसी समाचार पत्र में परोक्ष अपरोक्ष रूप से लेख लिखाने की मनाई कर दी। परिद्वत कोदमल, स्वामी अभयानन्द और परिद्वत दीनानाथ के लिये भी ओडवायर की तरफ से ऐसे ही हुक्म निकले। इन आदेशों के कारण जनता के चित्त पर घुरा असर हुआ। पर इस वक्त भी जनता ने अविचल शान्ति से काम लिया। उसने अपनी ओर से शान्ति भङ्ग करने का कोई प्रयत्न नहीं किया। ६ अप्रैल को अमृतसर में महात्मा गांधीजी के आदेशानुसार सम्पूर्ण हड़ताल हुई। इस दिन जो सभा हुई उसमें तो जनता मानों समुद्र की तरह उमड़ पड़ी। अमृतसर के इतिहास में उसने ऐसा अपूर्व दृश्य और उत्पात कभी नहीं देखा होगा, जितना कि ६ अप्रैल को या उसके बाद में होने वाली सभाओं में देखा गया। इन सभाओं की मनोवृत्तियों को सूक्ष्म परीक्षण करने से मालूम होता था मानो राष्ट्र की आत्मा में अब जागृति के चिन्ह दिखाई देने लगे हैं। ६ अप्रैल की सभा में सरकारी अन्दाज से २०००० मनुष्य थे। मि० बदरल खॉं ने सभापति का आसन ग्रहण किया था। इस सभा में सरकार से प्रार्थना की गई थी कि वे डॉक्टर किचलू और डॉक्टर सत्यपाल के बारे में जो हुक्म निकले हैं उन्हें रद्द करदे। इस सभा में कितने नम्र भाषण हुए थे, यह बात नीचे लिखे हुए उद्धृत अंशों से मालूम होगी। अध्यक्ष ने अपने भाषण में कहा था:—

“उनके ( डॉक्टर किचलू और सत्यपाल ) खिलाफ केवल यही दोष है कि उन्होंने रोल्लेट एक्ट का सच्चा स्वरूप जनता को समझाया।”

“गत रविवार के दिन से भी आज की सभा अधिक सफलता और

अपूर्व सम्परोह के साथ हुई। अपने विचारों को प्रकट करने का आपका उद्देश्य सफल हुआ है। हम एक लोगों को अपने मनोविकारों को तेज़ नहीं करना चाहिये। शान्ति से काम लेना चाहिये। महात्मा गांधी का उपदेश है कि दूर युद्ध में हम शान्ति से दुःख और कष्ट सहें, और अपने आपको उपद्रवमय पापनों का तथा कटुता का व्यवहार करने में रोकें। सत्य की अखिरकार विजय होगी। मूठ को हार मानना होगा। अगर आप मन की शान्ति को बनाये रखेंगे, धीरज और सहनशीलता से काम लेंगे तो इस सभा का विशाल प्रभाव होगा। पर अगर घोषा भी उत्पात हो गया; अगर दो आदमी भी शान्ति छोड़कर आपस में खड़पकें तो तुम परेशान होगा। इस लिये आप महाशयों से प्रार्थना है कि आप सभी शान्ति के साथ बिना किसी जुलूस के इस सभा से लौटें।”

९ अप्रैल सन् १९१६ के दिन, जैसा कि हम ऊपर कह चुके हैं, रामनवमी का त्यौहार था। इस दिन नेतागण हिन्दू और मुसलमानों का भ्रातृभाव और भी बढ़ रूप में देखना चाहते थे। यद्यपि रामनवमी धार्मिक त्यौहार था पर मुसलमानों के इसमें हिंसा लेनेसे इसे राष्ट्रीय महत्व भी प्राप्त हो गया था। इस दिन बड़ा आखिशन जुलूस निकला। जुलूस के साथ हजारों हिन्दु और मुसलमान थे। डॉक्टर किचलू और डॉक्टर सत्यपाल ने भी जुड़े जुड़े स्थानों से इस दर्शनीय जुलूस को देखा था। अपने इन दोनों नेताओं का दर्शन कर जनता आनन्द से उड़ब पड़ती थी, और जयघोष से आकाश को गूँजा देती थी। अमृतसर के डिप्टी कमिश्नर ने भी इस विशाल जुलूस की देखा था। यह जुलूस शान्ति पूर्वक निकल गया। किसी प्रकार का उत्पात नहीं हुआ।

सर माइकेल ओडवामर जैसे पञ्जाब प्रोही शासक के बजाय अगर उस समय पञ्जाब में कोई सहृदय और उदार अन्तःकार्य का शासक होता तो वह अपने प्रान्त में राष्ट्रीय आत्मा की इस जागृति को देखकर अवरय प्रसन्न होता। पर ओडवामर इस सम्परोह को देखकर

गं बचला हो गये । उन्हें बड़ा क्रोध आया । वे सोचने लगे कि मेरे  
 बड़े हुक्मों से लोगों का नर्म होना तो बुर रहा, वे अधिक सहस्री होते  
 त्वे हैं । इसलिये, उसी समय, जब कि समारोह शान्ति पूर्वक हो रहा था,  
 उन्होंने डॉक्टर किंगलू और डॉक्टर सत्यपाल को निर्वासन ( Deport-  
 ation ) की आज्ञा दी । अमृतसर के डिप्टी कमिश्नर ने इन दोनों देश  
 लकों को बुलाकर यह हुक्म उ हें दे दिया । इसके बाद वे मंटर में बैठा  
 र किसी अनिश्चित स्थान में भेज दिये गये । यह खबर बिजली की  
 तरह सारे शहर में फैल गई । लोगों पर मानों चक्र गिर पड़ा । तत्काल  
 लोगों का समूह इकट्ठा होने लगा । यह समूह शोक मग्न लोगों का था ।  
 इकट्ठे होनेवाले सब लोग प्रायः नंगे सिर और नंगे पैर थे । इनके हाथ  
 र शखों की तो बात ही, क्या पर लकड़ियां भी न थीं । लोगों का यह  
 समूह डिप्टी कमिश्नर के चक्के पर अपने प्रिय नेताओं को छोड़ने की  
 कार्यना करने जा रहा था । यह कुछ अमृतसर की खास खास सड़कों पर  
 ने होता हुआ तथा नेशनल बैंक, टाउन हाउस और फ्रिश्चियन हाउस  
 की इमारतों के पास से गुजरता हुआ डिप्टी कमिश्नर के चक्के पर  
 पहुँचना चाहता था । इस वक्त तक इस झुंड ने बड़ी शान्ति से काम  
 लिया पर आगे जाकर फौजी (Picket) के द्वारा रेलवे पुल के पास यह  
 कुछ आगे बढ़ने से रोक दिया गया । मुन्ड मे के लोगों ने कहा कि हम  
 डिप्टी कमिश्नर के पास फर्याद करने जा रहे हैं । हमें जाने दीजिये । क्यों  
 रोक रहे हैं ? पर इनकी एक न सुनी गई । यह समूह जबरदस्ती आगे बढ़ने  
 लगा । ज्योंही यह आगे बढ़ने लगा कि फौजी सिपाहियों ने इस पर  
 गोळियाँ चलादीं । इस समूह के कुछ आदमी मारे गये और कुछ जखमी  
 हुए । अब तो यह समूह, जो बिजकुल शान्ति धारण किये हुए था,  
 अशान्त हो गया । बहुत क्रोध से बावला सा हो गया । यहाँ यह बाध  
 ध्यान में रखना आवश्यक है कि फौजी सिपाहियों ने गोळियाँ चला कर  
 एक शान्तिमय समूह की अशान्तिमय उपवर्ध समूह में परिणत कर  
 दिया । मिजिस्टरी के इस दयाहीन बर्ताव से वह समूह आपे से बाहर हो

गया। ज्योंही यह खबर शहर में पहुँची कि फौज ने लोगों के शान्तिमय  
 कुन्ड और गोखियों चला दूँ और इसने छितने ही आदमी मर गये, रोंड़ी ब्रह्म  
 जागी के समूह के समूह भी उस कुन्ड में आ गिरे। गोखियों से बचे  
 गये तथा घ घबल लोगों को देगहर शहर निवासियों की शान्ति भङ्ग हुई।  
 वे बड़े क्रुद्ध हुए। थोड़ी ही देर में एक बड़ा भारी कुन्ड तिर रखे पुल भी  
 धार चला इस वक्त यह कुन्ड खकड़ियों आदि भिप हुए था। इस वक्त  
 रेखरे की दो पुलों पर फौजी पहरा बैठा हुआ था। इसी बीच में यकीन  
 लोग यह हुएखद मुनकर बाहर आये, और उन्हीं शान्ति स्थापित करने  
 के काम में डिप्टी कमिश्नर को अपने आप डो कर म्हायता देने का बचन  
 दिया। उन्होंने डिप्टी कमिश्नर से कहा कि इस कार्य में हम आपको  
 सहायता करने के लिए तैयार हैं। डिप्टी कमिश्नर ने इन लोगों को शान्ति  
 स्थापित करने के लिये बीच में गिरन की आशा देखी। इन यकीनों में  
 समुत्तर पुखिस के डेप्युटी पुखिम मुन्निन्डेन्ट मि० गोनर ने कहा कि  
 एक बड़ा भारी क्रुद्ध रेखरे वार्ड की तरफ गया है। इस पर कुन्ड वकील  
 रेखरे वार्ड की तरफ गये और कुल पुल के पास ही बने रहे। यकीनों ने  
 जाकर रेखरे गाँव के पास के कुन्ड को समझा उमा कर बिखेर दिया। पर  
 रेखरे पुल के पास स्थिति कुछ बेदव हो गई। वहाँ के कुन्ड को मित्वा  
 मलेरिया और मि० मरुदूब महम्मद शान्ति पूर्वक बिखर जाने के लिये  
 समझा रहे थे और साथ ही मैं वे अधिकारियों से गोखियों न चला देने के लिये  
 प्रार्थना कर रहे थे। सफलता के कुछ चिन्ह दिखाई देने लगे थे कि कुन्ड  
 में से कुछ लोगों ने फौज पर पत्थर फेंके। इस फौज ने तुरन्त गोखिया  
 चला दी। इससे कुन्ड में के बीस आदमी मर गये और बहुत  
 से घायल हुए। कुन्ड का समझाने वाले उक्त दोनों सज्जन गोखियों क  
 मार से फरीब करीब बच गये। फौजी सरकार ने इस बात पर कुछ  
 प्रकट किया कि उक्त दोनों सज्जनों के कुन्ड में होते हुए गोखिया चला  
 दी गई। पर इस गोखीकांड से कुन्ड का खोब भाग की तरह भङ्ग उठा।  
 उसने बदला लेने की ठानी। क्रोध से पागल हुये कुन्ड ने एलायन्स बैंक

पर हमला किया और जब उसके मैनेजर मिस्टर थॉमसन ने भुन्द पर रिहवावर से गोली चलाई तो वह और भी पागल हो गया और उसने मिस्टर थॉमसन को मार डाला। इतना ही नहीं, उनके शरीर को बाहर फेंक कर उसे बैंक के सामान से जला दिया। सर्जन्ट रोलेण्ड को जनता के क्रोध हुए भुन्द ने रिगोपुल के पास मार डाला। टाउन हॉल पीस्ट ऑफिस और मिशन हाल जला दिये गये। भगतनवाला स्टेशन का एक हिस्सा जला दिया गया। चारटर्ड बैंक पर भी हमला किया गया। पर उसे विशेष नुकसान नहीं पहुँचा। उक्त बैंक के हिन्दुस्थानी नौकरों ने स्थिति को बचा लिया। मिस शेरवुड नामक अंग्रेज़ महिला पर, जो सायकल पर चढ़ कर जा रही थी, क्रूरता पूर्वक हमला किया गया। पर एक विधार्थी के पिता ने उपकी इस आफत से रक्षा की। इस मुण्डर्मनि.सन्देह कुञ्ज चद्र माशु पे जो मौका देखकर लूट खसोट से अपना मतलब बनाना चाहते थे। यहा हम यह भी कह देना चाहते हैं कि बैंक का कुछ मात्र पुलिस के लोगों के पान से भी चरामद हुआ। १० अंग्रेज के पाँच बजे के पहिले पहिले लूट खसोट आदि नाशक कार्यों का अन्त हो गया था।

यहा यह कह देना आवश्यक है कि अमृतसर के प्रिय नेताओं का निर्वासन का समाचार सुन कर अमृतसर की जनता को क्रोध आ रहा था। क्योंकि यह निर्वासन बिलकुल अन्यायपूर्ण था। जनता का यह क्रोध फौज़ के गोळिया चलाने से और भी अधिक बढ़ गया। जलती आग में घी टाछने की कहावत चरितार्थ हुई। पर यहा यह तो कहना ही पड़ेगा कि अधिकारियों ने अपने सहानुभूति हीन वर्तन से जनता को उकसित होने भा मौका दिया। जनता यान्त्रि से कार्य कर रही थी कि उस पर गोळिया चलाई गई। साथ ही मैं जनता की उपादतियों की भी निंदा किये बिना नहीं रह सकते। उसने कुछ निर्दय अंग्रेजों को जान से मारने का तथा एक बबला छी पर हमला करने का पाप किया। महारत्ना राधी, अधिकारियों के भीषण अत्याचारों के साथ साथ अमृतसर की कांग्रेस

दिया गया । ११ तारीख के सुबह १० बजे फौज की गोळियों से मरे हुए लोगों के शवों को अन्त्येष्टि क्रिया के लिये स्मशान में ले जाया गया । ज्योंही अधिकारियों ने यह सुना कि शवों के साथ हज़ारों आदमी जाने वाले हैं त्योंही डिस्ट्रिक्ट मेजिस्ट्रेट ने यह हुक्म जारी किया:—

“The troops have orders to restore order in Amritsar and to use all force necessary. No gatherings of persons nor processions of any sort will be allowed. All gatherings should be fired on. Respectable persons should keep indoors until order is restored. Dead may be carried out for burial or burning by parties of not more than eight.” अर्थात् फौजों को हुक्म है कि वे सब आवश्यक शक्ति लगाकर अमृतसर में शांति स्थापित करें । लोगों को झुंड बनाने की या किसी प्रकार के जुलूस निकालने की सुमनियत है । अगर लोग इकट्ठे होकर झुंड बनावें तो उन पर गोळियाँ चलाई जावेंगी । जब तक शान्ति स्थापित न हो तब तक भले आदमी घर के अन्दर रहें । मृत मनुष्यों के शव के साथ स्मशान या कबरीस्तान में आठ आठ आदमियों से ज्यादा न जावे ।”

बात यह है कि अधिकारियों में बदला लेने का भाव विष से भी अधिक तीव्र हो रहा था । उनकी मनोवृत्तियाँ बड़ी कलुषित हो रही थीं । वे मौका ही देख रहे थे कि ज़रासा कारण मिला कि गोळियाँ चलाई जाय । लोगों ने अधिकारियों की आशुता का पालन किया और उन्होंने अधिकारियों को ज़रासा भी मौका न दिया जिससे उन्हें गोली चलाने का चहाना मिल जाय । जालंधर से अमृतसर को सैनिक सहायता आ पहुँची । शाम को जालंधर का कमांडिंग ऑफिसर जनरल डायर भी आ पहुँचा । डिप्टी कमिश्नर ने नगर का शासन उक्त जनरल डायर को सौंप दिया । यह कहने की आवश्यकता नहीं कि डिप्टी कमिश्नर का यह काम कर्त



जनता द्वारा की गई उपद्रवियों को भी तीव्र निन्दा की और इस विषय का प्रस्ताव पास करवाया।

इन अपराधों के लिये अगर हमारे अधिकारीगण न्याय बुद्धि से काम लेते और अपराधियों को उचित दण्ड देने का इत्तम कोई पुरस्कार नहीं था। पर दुःख की बात है कि अधिकारियों के मन में बदला लेने की तुलित भावना घुस गई। वे न केवल अपराधियों ही को, पर इज्जतों निरपराधियों को ऐसी क्रूर निर्लज्ज और अपमानजनक सजा देने में उतारू हो गये। उन्होंने भय का ऐसा भयानक साज्जान्य स्थापित करना चाहा जिससे कोई भी हिन्दुस्थानी किसी भी अंग्रेज के सामने आस उठा कर भी न देख सके। एक जिम्मेदार फौजी अफसर ने तो यहाँ तक कह डाला कि एक अंग्रेज के बराबर १००० हिन्दुस्थानियों की जानें हैं। इसका मतलब यह है कि प्रति अंग्रेज की जान के पीछे १००० हिन्दुस्थानियों को संसार से उखा दिया जाय तो कोई हानि नहीं है। कुछ अफसर सारे अमृतसर नगर को मशीनगन से उड़ा देने की स्कीम सोचने लगे। पर पीछे जाकर यह प्रस्ताव रोकने पड़े। क्योंकि यह सोचा गया कि सिक्खों के मुनहरी मन्दिर को बिना चोट पहुँचाये नगर पर शोकाशरी नहीं की जा सकती और जहाँ सिक्खों के मन्दिर को चोट पहुँची कि धर्म के नाम पर मरनेवाले सिक्खों में बड़ी अग्रान्ति छा जायगी और ऐसा बलवा मच जायगा जिसे सम्हालना भी कठिन हो जायगा। यद्यपि कुछ बुद्धिमानों की राय मानकर स्थानीय अधिकारियों ने नगर पर शोकाशरी करने के प्रस्ताव को गिरा दिया पर बदला लेने की भाग बनमं ज्यों की त्यों सुलगाती रही। ११ अप्रैल को बदला लेने की नीति का प्रवर्धन कर नगर की बिजली और पानी का सम्बन्ध तोड़ दिया। बिजली के बिना तो काम चल सकता है पर जल के बिना जनता की कैसी दुर्दरा हुई होगी, इसे उसका भगवान ही जानता था। जब तक मार्शल लॉ प्रारम्भ नहीं हुआ तब तक नगर में जल और बिजली का सम्बन्ध तोड़

दिया गया । ११ तारीख के सुबह १० बजे फौज की गोलियों से मरे हुए लोगों के शवों को अन्त्येष्टि क्रिया के लिये स्मशान में ले जाया था । ज्योंही अधिकारियों ने यह सुना कि शवों के साथ हज़ारों आदमी जाने वाले हैं त्योंही डिस्ट्रिक्ट मेजिस्ट्रेट ने यह हुकम जारी किया:—

“The troops have orders to restore order in Amritsar and to use all force necessary. No gatherings of persons nor processions of any sort will be allowed. All gatherings should be fired on. Respectable persons should keep indoors until order is restored. Dead may be carried out for burial or burning by parties of not more than eight.” अर्थात् फौजों को हुकम है कि वे सब आवश्यक शक्ति लगाकर अमृतसर में शांति स्थापित करें । लोगों को झुन्ड बनाने की या किसी प्रकार के जुलूस निकालने की मुमानियत है । अगर लोग इकट्ठे होकर झुन्ड बनायें तो उन पर गोलियाँ चलाई जायेंगी । जब तक शांति स्थापित न हो तब तक भजे आदमी घर के अन्दर रहें । मृत मनुष्यों के शव के साथ स्मशान या कबरोस्तान में घाठ घाठ आदमियों से ज्यादा न जावे ।”

बात यह है कि अधिकारियों में बदला लेने का भाव विष से भी अधिक तीव्र हो रहा था । उनकी मनोवृत्तियाँ बड़ी कलुषित हो रही थीं । वे मौका ही देख रहे थे कि ज़रासा कारण मिला कि गोलियाँ चलाई जाय । लोगों ने अधिकारियों की आज्ञा का पालन किया और उन्होंने अधिकारियों को ज़रासा भी मौका न दिया जिससे उन्हें गोली चलाने का चहाना मिल जाय । जालंधर से अमृतसर को सैनिक सहायता आ पहुँची । शाम की जालंधर का कमांडिंग ऑफिसर जनरल डायर भी आ पहुँचा । डिप्टी कमिश्नर ने नगर का शासन उक्त जनरल डायर को सौंप दिया । यह कहने की आवश्यकता नहीं कि डिप्टी कमिश्नर का यह काम कान

के विरुद्ध था। शेरशान्नी जमाव (unlawful assembly) को भङ्ग करने के लिये आता फौजदारी (Criminal procedure) अनुसार ट्रिस्ट्रूट मैजिस्ट्रेट को यह अधिकार है कि वह सैनिक सहायता दे। पर सैनिक अधिकार में नगर का शासन देने की बात कहीं नहीं है। अस्तु, हत इस विषय पर पत्रिक लिखने के लिये अग्रसर हैं। कानून के विचारकों का यह काम है और उन्होंने इस विषय पर अच्छा प्रकाश भी डाला है।

१२ अप्रैल सन् १९१८ को जनरल डायर अपनी फौज के साथ शहर में घुमा और उसने कोई एक दर्जन आदमियों को इस शहर में गिरफ्तार किया कि उन्होंने दगे में हिंसा किया है। इस पर भी लोगों ने किसी तरह का विरोध या क्रोध प्रकट नहीं किया। तारीख १२ तक इस प्रकार की कोई घोषणा शहर में नहीं की गई थी कि यह शहर मार्शल लॉ के अन्दर आ गया है और इस पर अब मुल्की अधिकारियों के बजाय फौजी अधिकारियों का शासन रहेगा। १२ तारीख को सुबह के एक जनरल डायर, डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट, तहसीलदार और कुछ पुलिस अफसरों के साथ शहर के कुछ हिस्सों में घुमा और उसने ऊँच स्थानों पर यह घोषणा करवाई —

(१) आप लोगों को सूचित किया जाता है कि अमृतसर का कोई निवामी निज के या किराये के वाहन (conveyance) में निम्न लिखित अफसरों से पास प्राप्त किये बिना शहर से बाहर न निकले।

(अ) अमृतसर के डिप्टी कमिश्नर।

(ब) मि० जे० एफ० रेडिल, पुलिस सुप्रिन्टेन्डेन्ट अमृतसर।

(स) मि० वेकेट, असिस्टेन्ट कमिश्नर अमृतसर।

इनके अतिरिक्त और ६ अफसरों की सही थी।

(२) शहर में रहने वाला कोई भी पुरुष रात के आठ बजे के बाद

घर छोड़ कर बाहर न निकले। अगर कोई आदमी आठ घंटे के बाद सुबक पर मिलेगा तो वह गोली से मार दिया जायगा। कोई भी ऐसा सुलूस या जमाव, जिसमें चार आदमी होंगे, गैरकानूनी समझा जायगा और वह आवश्यकता पड़ने पर शस्त्रों की शक्ति से बिखेर दिया जायगा।

इस घोषणा पत्र की जानकारी नगर में बहुत कम लोगों को हुई। जनरल डायर ने भी हंटर वमेटी के सामने जो गवाही दी, उससे भी प्रकट होता है कि घोषणा-पत्र का ज्ञान अधिकांश लोगों को न होने पाया। ऐसी दशा में लोग अगर कोई सभा करते तो इसमें उन बेचारों का क्या दोष था। इसके अलावा ल्यौहार की वजह से हजारों लोग बाहर से आये हुए थे, जिन्हें इस घोषणा का तनिक भी ज्ञान न था। इसके अलावा एक लड़का टिन का डिब्बा बजा कर जलियाँवाले बाग में सभा होने की घोषणा कर रहा था। इसे किसी ने न रोका; क्योंकि डायर और उसके साथी तो मौक़ा ही देख रहे थे कि उन्हें कूले आम का थोड़ा सा भी बहाना मिल जाय। बेचारे लोगों को यह दयाल भी न था कि हमारे साथ ऐसा सुलूक किया जायगा। जलियानवाले बाग में लोग जमने लगे उनमें अधिकांश लोग ऐसे थे जिन्हें जनरल डायर के क्रूरमान का बुढ़ भी इत्तम न था। छोटे छोटे बच्चे, जो कि उक्त बाग के पास खेल रहे थे, जलियानवाले बाग की सभा में जा बैठे। कोई पचास हजार आदमियों का जमाव इकट्ठा होगया। बाहर से आये हुए सैकड़ों आदमी भी उसमें मौजूद थे। खुद पंजाब सरकार ने अपनी रिपोर्ट में प्रकाशित किया है—

“There were a considerable number of peasants present at the Jalianwalla Bagh meeting of the 13th, but they were therefore other than the political reasons.” अर्थात् जलियानवाले बाग में की सभा में बहुत बड़ी तादाद में किसान लोग भी जमा हुए थे, पर उनके जमा

होने के कारण राजनैतिक न होकर कुछ और हो ये ।

जखानयाला बाग, जहाँ यह सभा हो रही थी, शहर के मध्य में एक खुला हुआ स्थान है । शहर के मकान ही इसकी चहार दीवारी बनाये हुए हैं । इसका दरवाजा बहुत ही सरुखा है, इतना कि एक गाड़ी उसमें होकर नहीं निकल सकती । बाग में जब बीस हजार आदमी इकट्ठे हो गये, जिसमें पुरुष, स्त्रियाँ और बच्चे भी थे, जनरल डायर ने अपने सैनिकों सहित उनमें प्रवेश किया । जिस समय ये लोग घुसे उस समय हंमरात्र नाम का एक आदमी व्याख्यात दे रहा था । बाग में घुसते ही जनरल डायर ने गोली चखाने का हुनम दे दिया । जैसे कि इन्टर कमीशन के सामने अपनी गवाही में उसने कहा था—कि उसने लोगों को तितर-बितर होने की आज्ञा देकर मुरन्त गोली चखाने का हुनम दे दिया । दूसरी बार उसने यह स्वीकार किया कि तितर-बितर हो जाने के हुक्म देने के तीन मिनट बाद ही उसने गोळियाँ चखवादी थी । यह बात तो स्पष्ट ही है कि २० हजार आदमी दो-तीन मिनट में तितर-बितर नहीं हो सकते थे । और ये भी विशेष कर एक बहुत बड़ा दरवाजे में होकर । गोली तक चखती रही जब तक कि सारे कारतूम खत्म नहीं हो गये । कुछ सोझह सी फेर किये गये थे । सरकार के स्वयं अपने यमान के मुताबिक चार सौ मरे और घायलों की संख्या एक और दो हजार के बीच में थी । गोली हिन्दुस्थानी फौजों से चखवाई गई थी, जिनके पीछे गारे सिराहियों को खाना दिया गया था । ये सबके सब बाग में एक ऊँचे स्थान पर खड़े हुए थे । सबसे बड़ी दुःखद बात वास्तव में यह थी कि गोली चखाने के बाद मृतक और उन लोगों को जो सङ्घ घायल हो गये थे, सारी रात वहीं पड़ा रहने दिया गया । वहाँ उन्हें रातभर न तो पानी ही पीने को मिला और न कोई डॉक्टरों या कोई अन्य सहायता ही । डायर का कहना था, जैसा कि बाद को उसने प्रकट किया:—“चूँकि शहर फौज के कब्जे में दे दिया गया था और इस बात की डोंही पिटवा दी गई थी कि कोई भी

सभा करने की इजाजत नहीं दी जायगी, तो भी लोगों ने उसकी अवहेलना की। इसलिये उन्हें एक सचक सिखा देना चाहा, ताकि वे उसकी खिफली न उषा सकें। आगे चलकर उसने कहा:—मैंने घौर भी गोली चलाई होती, अगर मेरे पास कारतूस होते। मैंने सोलह सौ बार ही गोली चलाई, क्योंकि मेरे पास कारतूस खत्म हो गये थे।” आगे चल कर फिर उसने कहा—“मैं तो एक फौजी गादी (आमर्दकार) ले गया था लेकिन वहाँ जाकर देखा कि वह बाग के नीतर घुस ही नहीं सकती थी। इसलिए उसे वहीं छोड़ दिया था।”

हरर कमेटी के सामने डायर से जो सवाल जवाब हुए, उनका अनुवाद हम ज्यों का त्यों नीचे प्रकाशित करते हैं।

लॉर्ड हटर:—मैं समझता हूँ तुम जखानवाले बाग में जाने वाले तल्ल रास्ते से घुसे।

जनरल:—हां।

लॉर्ड हटर:—शायद तुमने अपनी मोटर गादिया पीछे छोड़ दी ?

जनरल:—हां।

लॉर्ड हटर:—kurkris से सुसज्जित गुरखा लोग तुम्हारे साथ थे या वे पीछे छोड़ दिये गये थे ?

जनरल:—वे बाग में साथ आये थे।

लॉर्ड हटर:—तब तुम्हारे साथ ४० तो गुरखा थे और पच्चीस पच्चीस आदमियों के साथ दो कॉलम थे ?

जनरल:—हां।

लॉर्ड हटर:—जब तुम बाग में घुसे तब तुमने क्या किया ?

जनरल:—मैंने गोदियां चलाता शुरू कीं।

लॉर्ड हटर:—क्या एकरम ?

जनरल:—हां, एकरम मैंने ३० सेकण्ड ( आध मिनट ) में गटपट

विचार कर गोखियां चखाने का हुक्म दे दिया ।

लॉर्ड हटर:—याता में जमा हुआ समूह क्या कर रहा था ?

जनरल:—वहां जंग सभा कर रहे थे । बीच में एक ठोके हुए ऊँचे स्थान पर एक आदमी खड़ा था । वह अपने हाथ चुमाता हुआ दीर्घ पढ़ता था । वह व्याख्यान दे रहा था ।

लॉर्ड हटर:—क्या उस सभा में उस आदमी के व्याख्यान देने के अतिरिक्त और भी कुछ हो रहा था ?

जनरल:—नहीं, मैं इसके अतिरिक्त और कुछ भी नहीं देख सका ।

लॉर्ड हटर:—जब तुम इस झुण्ड को बिखरने लगे तो क्या उस वक्त वह झुण्ड कुछ करने को उठारूँ हुआ ?

जनरल:—नहीं साहब, लोग इधर उधर भागने लगे ।

लॉर्ड हटर:—उस समय तक मार्शल ला जारी नहीं हुआ था । अतएव क्या तुमने इस जोखिम भरे ( Serious step ) कान को करने के पड़िले डिप्टी कमिश्नर से, जो कि मुख्य अधिकारी थे और जिन पर नगर की शान्ति का जिम्मा था, सलाह लेना ठीक नहीं समझा ।

जनरल:—वहां उस समय डिप्टी कमिश्नर नहीं थे, जिनसे कि मैं सलाह लेता । मैंने इस सम्बन्ध में इसके धागे किसी से सलाह लेना मुनासिब भी नहीं समझा ।

लॉर्ड हटर:—गोखियां चखाने से क्या तुम्हारा यह अभिप्राय था कि तुम झुण्ड को बिखर दो ?

जनरल:—नहीं साहब, मैं तब तक गोखियां चखाने वाला था जब तक कि झुण्ड बिखर न जाय ।

लॉर्ड हटर:—क्या तुम्हारे गोखियां चखाते ही झुण्ड बिखरने लग गया ?

जनरल:—जी हाँ, तुरन्त ।

लॉर्ड हटर.—क्या फिर भी तुम गोळियों चलाते ही रहे ?

जनरल.—हां ।

लॉर्ड हटर.—जब तुमने मुण्ड के बिसरने के चिन्ह देख लिये, तब फिर तुमने गोळियां चलाना बंद क्यों नहीं किया ?

जनरल:—मैंने अपना यह कर्त्तव्य समझा कि जब तक मुण्ड पूरी तरह न बिसर जाय, तब तक गोळियां चलाता रहूँ । अगर मैं थोड़ी देर तक गोळियां चलाकर बंद रह जाऊँ, तो मेरा गोळियों चलाना न चलाना बराबर हो जाता ।

लॉर्ड हटर:—तुम कितनी देर तक गोळियों चलाते रहे ?

जनरल:—दस मिनट तक ।

लॉर्ड हटर:—क्या सभा में बैठे हुए लोगों के पास लकड़ियां थीं ।

जनरल:—मैं नहीं कह सकता कि उनके पास लकड़ियां थीं । मेरा अनुमान है कि थोड़े लोगों के पास लकड़ियां होंगी ।

लॉर्ड हटर:—तुमने यह ज़याल किस मुद्दे पर कर लिया कि अगर तुम लोगों को घाता छोड़ने का हुक्म देते, तो तुम्हारे गोळी चलाये सिवा और भी लगातार कितनी ही देर तक चलाये सिवाय बाग नहीं छोड़ते

जनरल:—हां, मेरा ज़याल है कि यह बिल्कुल सम्भव था कि बिना गोळी चलाये सिवाय भी मैं मुण्ड को बिसर देता ।

लॉर्ड हटर:—तुमने इस उपाय का क्यों नहीं अवलम्बन किया ?

जनरल.—ये सब वापस लौट कर आते और मेरी तरफ़ हसते, और इस तरह मैंने अपने आपको बेवकूफ़ बनाया होता ।

लॉर्ड हटर:—क्या मुण्ड बहुत ही घना ( Dense ) था ।

जनरल.—हाँ बहुत ही घना ( Dense ) था ,

लॉर्ड हटर:—क्या तुमने घापलों की कुछ सहायता की ?



जनरल—नहीं साइब, वहाँ मैंने कुछ सहायता न की। अगर लोग मुझमें याद भी कहते तो मैं कुछ करता। उस वक्त सहायता करने का मेरा काम न था। यह डाक्टरों का काम था।

यहाँ हमने खाईं इंटर के साथ टायर जो प्रयुक्त हुए थे, उन्हें को दिये हैं। इंटर कमेटी के और सदस्यों के प्रश्नों के उत्तर मैं टायर ने जो बातें कही हैं उनसे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। मर सेटखवाड के प्रश्नों का उत्तर देते हुए टायर ने कहा था, कि नग रास्ता होन के कारण मैं अपनी धारमर कार को भीतर न ले जा सका। अगर रास्ता चौड़ा होता तो मैं उसे भीतर ले जाता और मशीन गन से लोगों पर गोळ बरसाता।

मैं लोगों को पूरी सजा देता। मैं उन्हें ऐसा सपका सिखाता कि वे देखते रह जाते। टायर की गवाही से उसकी राफती करतूत यहाँ तक पूरी नहीं होती। जहाँ लोगों का मुँड अधिक डट कर बैठा था वहीं लक्ष्यकर इस राक्षस ने गोळियाँ चलाई। जब लोगों के मुँड के मुँड भगने लगे तो इस पिशाच ने लक्ष्य करके भगते हुए मुँडों पर गोळियाँ दागी। यह हुए तब तक गोळियाँ चलाता रहा जब तक कि इसके पास का गोळा वारुद समाप्त न हो गया। अगर इसके पास अधिक गोळा वारुद

होता तो न मालूम यह पच्चीस हजार आदिमियों में से एक भी आदमी को जिन्दा छोड़ता या नहीं। इस निर्दयी ने भगते हुए मनुष्यों और बच्चों पर, दिवाल पर चढ़कर भगने वाले भयभीत मनुष्यों पर, इनादन गोळियाँ चलाई। मदन जैसे कई सुकुमार बच्चे इस हत्यार के शिकार बन। १२०० निर्दय और निराल मनुष्यों की जिस प्रकार उसने हत्याकी, वह तुरंत दहला देन वाली है। संसार में आज तक जो महा भयानक हत्याकाण्ड हुए हैं उनमें जलानवाले चागु का हत्याकाण्ड बहुत ही निकट रहेगा। मि० सी० ए० ए० ए० ने इस हत्याकाण्ड की तुलना खेल्की क हत्याकाण्ड से की है। भारतवर्ष यह है कि पञ्जाब के तत्कालिक खे० गवर्नर सर माइकेल घोडवामर ने जनरल टायर के इस पारायिक हत्या

कायड को पसन्द किया और उसके पास तार भेजा कि लेफ्टिनेंट गवर्नर तुम्हारे इस कार्य को पसन्द करते हैं।

१४ अप्रैल को कोई दो बजे के अन्दाज़ पर स्थानीय प्रतिष्ठित सज्जनों की तथा म्युनिसिपल कमिश्नरों आदि की कोतवाली में एक सभा की गई और उनके सामने कमिश्नर ने निम्नलिखित आशय का व्याख्यान दिया:—

“तुम लोग युद्ध चाहते हो या शान्ति। हम हर तरह से तैयार हैं। सरकार सब तरह से शक्तिशाली है। सरकार ने जर्मनी पर विजय प्राप्त की है और वह हर तरह से मुस्तीद है। आज जनरल हुबम वेंगे। शहर उनके ताबे में है। मैं कुछ नहीं कर सकता। तुम्हें उनका हुक्म मानना पड़ेगा।” इतना कह कर कमिश्नर साहब चले गये। इसके बाद जनरल डायर अपने साथियों के साथ आया। वह और उसके साथी क्रोध से आग बबूझा हो गये थे। उसने उर्दू में एक छोटा सा भाषण दिया जिसका आशय यह है:—

“तुम लोग अच्छी तरह जानते हो कि मैं सिपाही हूँ। तुम युद्ध चाहते हो या शान्ति। अगर तुम युद्ध चाहते हो तो उसके लिये तुम तैयार हो जाओ। अगर तुम शान्ति चाहते हो तो मेरा हुक्म मानो और और बूकानें खोल दो। अगर ऐसा नहीं करोगे तो मैं गोली मार दूंगा। मेरे लिये फ्रान्स का रथ मैदान और अमृतसर एकसा ही है। मैं फौज़ी घादमी हूँ और सीधे रास्ते जाने वाला हूँ। अगर तुम युद्ध चाहते हो तो साक़ साक़ कह दो। अगर तुम शान्ति चाहते हो तो बूकानें खोल दो। तुम लोग सरकार के खिलाफ़ योद्धते हो। जर्मनी और बंगाल में जिन लोगों ने शिवा पाई है वे राजद्रोह की यातने करते हैं। मैं इन सब की रिपोर्ट करूंगा। मेरा हुक्म मानो। मैं और कुछ नहीं चाहता। मैंने तीस वर्ष तक फौज़ में नौकरी की है। मैं हिन्दुस्तानी और सिक्ख रिपाहियों को गूब समझता हूँ। तुम्हें शान्ति रखना होगा। अगर तुम बूकानें नहीं खोलोगे तो जबरदस्ती खुलवाई जायेगी। रायफलों का उपयोग

किया जायगा। तुम गुन्हे बदमाशों का पता बताओ। मैं उन्हें गोली से मार दूंगा। मेरा हुक्म मानो और दुकानें खोल दो। अगर बुद्ध धावते हो तो बैसा कड़ो।”

इसके बाद डिप्टी कमिश्नर साहय बोले। “अंग्रेजों को मार कर तुमने बहुत धुरा किया है। इसका बदला तुमसे और तुम्हारे यत्ना से लिया जायगा।”

१२ अप्रैल को सब दूकानें गुल गईं। लोगों को आशा होने लगी कि अब मार्शलला उठा लिया जायगा और मुल्की शासन शुरू कर दिया जायगा। पर लोगों की यह आशा घोर निराशा में परिणित हुई। अधिकारियों की क्रोध-ज्वाला अब भी शान्त नहीं हुई थी। ६ जून तक मार्शलला का कठोर एवं निर्दय शासन बना रहा। प्रभुत्वसर के लोगों को हर प्रकार का पाशविक कष्ट दिया जाने लगा। इसके कुछ नमूने देखिये।

(१) जिस सड़क पर मिमज शेरखुद पर हमला किया गया था वह गली लोगों को कोढ़े मारने के लिये तथा उन्हें पेट के बल रेंगने के लिये काम में धाई गई।

(२) हर एक आदमी न केवल अँगरेज अफसरों ही से पर हर एक अँगरेज से स्वाम्य करने पर बाध्य किया गया।

(३) छोटे छोटे अपराधों पर भी सुखे धारा कोषों की सजा दी जाने लगी।

(४) सब वकील बिना किसी कारण के रीटाल कॉन्स्टेबल बनाये गये और उनसे मामूली कुत्तियों का काम लिया जाने लगा।

(५) बिना किसी अपराध के ही बहुत से लोग गिरफ्तार किये जाने लगे और हवाखान में रखे जाने लगे। उनके साथ अमानुषिक यत्नाय किया जाने लगा। उन्हें भयंकर यातनाएँ दी जाने लगीं।

(६) असाधारण अदालतें ( Special Tribunels ) नियुक्त की गईं । इनमें जैसा न्याय होता था, वह हमारे पाठकों पर प्रकट हो है ।

अब हम इन बातों का कुछ खुलासा करना चाहते हैं । जनरल ने कॉलिंग आर्डर पाने पेट के बल रेंगने का हुक्म दिया था । जिस गली में मिस शेरवुड पर हमला किया गया था, उस गली में आने जाने वाले हिन्दुस्थानियों को पेट के बल रेंग कर जाना पड़ता था । दिखलाने में तो जनरल दायर का यह हुक्म था कि दोनों हाथ और घुटने टेक कर उस गली में से निकला जाय पर इसका अमल दूसरी तरह से होता था । उक्त गली में रहने वाले मनुष्यों को उस गली में से होकर आना जाना पड़ता था तो कीड़ों की तरह उनको पेट के बल रेंगना पड़ता था । इस गली की लम्बाई १५० गज थी । किसी किसी मनुष्य को 'इतने लम्बे फासते तक पेट के बल रेंग कर जाना पड़ता था । यह गली बड़ी धिनौनी ( Dirty ) थी । कहीं कहीं मैला भी पड़ा रहता था । ऐसी ढालत में हमारे भाइयों को उसमें पेट रगड़ कर गुजरना पड़ता था । क्या इस अपमान का कुछ ठिकाना है ?

बड़े बड़े सुप्रतिष्ठित सज्जनों को इस प्रकार पेट के बल रेंग कर उस गली में से गुजरना पड़ा । जिनके मकान उस गली में थे और आने जाने के लिये दूसरा रास्ता नहीं था, उनके वास्ते किसी ज़रूरी काम के अर्थ बाहर जाने के लिये पेट के बल रेंगने के सिवाय दूसरा चारा ही न था । यह मुसीबत यहीं तक पूरी नहीं होती थी । कई रेंगने वालों को सिपाहियों की यूटों की ठोकें और घुस्से भी खाने पड़ते थे । कांग्रेस सब कमेटी के सामने अमृतसर के अक्रोम ठेकेदार लाला रत्नेराम ने जो गवाही दी, वह इस प्रकार है:—

“इस गली में एक जैन मन्दिर है, जिसमें उस समय कुछ जैन साधु रहते थे । लाला रत्नेराम का मकान उक्त मन्दिर के पास था । जब वह

अपनी दुकान पर जाता था तब उसे पेट के बल रेंग कर जाना पड़ता था। चढ़ कहता है मैं पेट के बल रेंग कर गली से जा रहा था कि उन्होंने दूरी से मुझे ठोकरें मारीं और मंगीनों के ठोसे (Blows) दिये..... उस दिन भोजन करने तक के लिये मैं घर नहीं गया..... पर आठ दिन तक एक भी भंगी टट्टी साफ़ करने के लिये नहीं आया। पानी नरने के लिये भी इन दिनों कोई नहीं आता था।" लाला गणपतराय अपनी गवाही में कहते हैं कि उन लोगों को भी जो जैन मन्दिर में पूजा करने के लिए जाते थे पेट के बल रेंग कर जाना पड़ता था। लाला देवीदास बँकर अपनी गवाही में कहते हैं "मैंने इस गली से हाथ पैरों के बल जाना चाहा, पर मुझे संगीन दिखाया गया और मैं पेट के बल रेंगने को विवश किया गया।" कहानचन्द्र नामक एक मनुष्य, जो बीस वर्ष से अन्धा था, पेट के बल गिड़ोले की तरह चलाया गया और ऊपर से ठोकरों से भी पीटा गया। इस प्रकार पचासों निर्दोष आदिमियों की दुर्गति हुई और घोर अपमान किया गया। अब दूसरे राक्षसी और पाशविक मत्वाचरों को देखिये।

इसी गली में शाम रास्ते पर एक मंच बनाया गया था, जहाँ बेचारे कई अभाग्य हिन्दुस्थानी भाई नंगे कर कोढ़ों से पीटे जाते थे। पाठक श्राप यह न सोचिये कि ये बेचारे किसी अपराध के कारण पीटे जाते थे। नहीं, अगर कोई क्राँजी अक्रसर या अम्रेज से सलाम करने न गलती करता तो कभी कभी उस अभाग्य को सरे-शाम यह भीषण यन्त्रणा सहनी पड़ती थी। मिया फिरोजुद्दीन अॉनरेरी मजिस्ट्रेट ने कॉमेस-जॉच-सब कमेटी के सामने गवाही देते हुए कहा था —

"मि० प्लोमर और जनरल को सलाम करते समय अगर कोई खड़े नहीं होते तो उन्हें कोढ़ों की सज़ा मिलती। इससे लोग इतने भयभीत हो गये थे कि बहुत से तो सारे दिन खड़े रहते जिससे कि उनसे किसी प्रकार की गलती होने न पावे और उन्हें ऐसी सज़ा न भुगतनी पड़े।"

कोड़ों की सज़ा ( Flogging ) केवल घोर अपमानजनक ही नहीं थी किन्तु वह अत्यन्त निर्दयता और पाशविकता से भी भरी हुई थी । जिन लोगों को यह सज़ा दी जाती थी उनके हाथ ठिकटिकी से बांध दिये जाते और फिर उन्हें नंगे कर उनके जिस्म पर पूरी ताकत कोड़े उबते । हर एक के तीस तीस कोड़े लगते । सुन्दरलिंग नामक एक आदमी चौथे कोड़े के बाद बेहोश हो गया । उसके मुँह में एक सिपाही ने जल छिड़का जिससे उसे फिर होश आ गया । फिर उसके कोड़े लगने लगे । वह बिलकुल बेहोश हो गया । उसकी बेहोशी की इन दुष्टों ने कुछ परवाह न की और जब तक तीस का नम्बर पूरा न हुआ उसके कोड़े पड़ते ही गये । उसके घुरी तरह खून बहने लगा । जब वह मंच से उतारा गया तब वह बिलकुल बेहोश था । दूसरे लड़कों को भी इसी पाशविक निर्दयता से कोड़ों से पीटा गया । बेहोशहो जाने पर भी—खूनके बहते रहने पर भी, इन शत्रुओं को ये राक्षस कोड़ों से मूड़ते रहते थे । यह निर्दयता—यह पाशविक दुष्टता—यहाँ तक पूरी न हुई । अगर कोड़ा का इस निर्दय मार से कोई इतना निर्बल और निःसत्व हा जाता कि वह चल नहीं सकता तो पुलिस उसे घसीट कर ले जाती । कदा तक इस राक्षसी निर्दयता की भयङ्कर कहानी कई । हमारी तो लेखनी कापने लगती है, और शौलों के सामने काले पीने आने लगते हैं । कई शत्रुओं को इस कूर निर्दयता से बचने के लिए सैनिक अक्रसरों से प्रार्थना करते, जुमाना देने पर उतारू होत और जेल की सज़ा भुगतने के लिए तैयार हो जाते पर ये राक्षस इनकी एक न सुनते और इनके नंगे बदन पर खरे आम इतने कोड़े लगाते थे कि ये बेहोश हो जाते थे और उनके खून बहने लगता था । टडे जल से इन्हें होश में लाकर फिर कोड़े लगाये जाते । कई दुष्टले पतले लड़कों को भी इसी राक्षसी क्रूरता से पीटा गया । जब जलकुल आया से पूजा गया कि इसे आस रहे कोड़ों की सज़ा नहीं दी गई, तब वह दुष्ट क्या जवाब देता है कि "शत्रुओं पर अच्छा प्रभाव

जमाने के लिए ।" दूसरा साहय कर्नल फ्रेन्क जानसन इंटर कमिटी के सामने गवाही देते हुए कहता है कि कोर्णों की यह सजा तो सधसे अधिक दयालुता पूर्ण थी । हमने कहा कि जेल की सजा से तो कोर्णों की सजा अच्छी है, क्योंकि जेल तो बहुत खाराम की जगह है ।

कहाँ तक कहा जाव ? भयंकर अत्याचार किये गये । कहीं कहीं तो लोगों के गुदा द्वार में फन्चर तक टेंके गये । श्रीमती सरोजिनी नायडू के "यंग इन्डिया" में प्रकाशित एक पत्र से मालूम होता है कि कई भारतीय दियों को पखहीन कर उनके साथ ऐसा खज्जा दायक व्यवहार किया गया कि जिससे शैतान भी सहम जाय । लोगों से मूठी गवाहियाँ दिलाने के लिये उनपर घोर अत्याचार किये गये । एक उदाहरण लीजिये । सेठ गुल मोहम्मद नामक एक काँच का व्यापारी २० तारीख को गिरफ्तार किया गया । उससे मूठी गवाही देने के लिये कहा गया । इन्स्पेक्टर जवाहिरखान ने उसकी दाढ़ी पकड़ कर उसे जोर से धप्पड़ मारी कि उसके होठ उब गये । उससे कहा गया कि इस प्रकार की मूठी गवाही दो । "डॉक्टर सत्यपाल और डॉक्टर किचलू ने ६ तारीख को हबताल काने के लिये मुझे उकसाया । उन्होंने मुझसे कहा कि अंग्रेजों को देश से निकालने के लिये मैं बम का उपयोग करूँ" । सेठ गुल मोहम्मद ने इस प्रकार की भयंकर और मूठी गवाही देने से इन्कार किया । इस पर कुछ कांस्टेबल उसे अफसर की टेबल से कुछ दूर ले गये और उन्होंने उसे जवाहिरखान के कहे मुताबिक मूठी गवाही देने के लिये बहुत कुछ समझाया, पर उसने फिर भी ऐसा करने से इन्कार किया । इस पर उन कांस्टेबलों ने छटिया के पाये के नीचे उसका हाथ रखा और उस छटिया पर आठ आदमी बैठ गये । जब उसके हाथ में बहुत दर्द होने लगा तब वह डुरी तरह धिपकाने लगा, और कहने लगा मेरा हाथ छोड़ दो । जो कुछ आप कहोगे मैं करने के लिये तैयार हूँ । इसके बाद उक्त कांस्टेबल उसे जवाहिरखान के पास ले गये । वहाँ उसने फिर वही मूठी गवाही देने को

साफ इन्कार कर दिया। अतएव वह बंद कोठड़ी में रखा गया। दो दिन तक वह चेतों से, थप्पड़ों से खूब पीटा गया। उसे यहाँ तक धमकी दी कि अगर वह ऐसी गवाही न देगा तो आरोपी बना कर फाँसी पर लटक दिया जायगा। आठ दिन तक लगातार उसपर मार पड़ती रही। आठवें दिन बहुत तग धाकर वह झूठी गवाही देने को मजूर हुआ। फिर वह मेजिस्ट्रेट के सामने उपस्थित किया गया, जहाँ उसने "असत्य गवाही" जैसा उसे कहा गयाथा, दी। पर पीछे जाकर तारीख १६ जून को जब वह फौजी अदालत के सामने उपस्थित किया गया, तब उसने सब पोल खोल दी। बाल्दा रैलेराम से जो कि पेन्शनर हैं कहा गया कि मिस शेर-बुड पर हमला करने वालों के नाम बताओ। उन्होंने जवाब दिया कि मैं कुछ नहीं जानता। क्योंकि उस मौके पर मैं उपस्थित नहीं था। इस पर वह चेतों से पीटे गये, और उनकी कुछ दाबी उखाड़ ली गई। कहीं तरु कहें। झूठी गवाहियां दिखाने के लिये लोगों पर ऐसे ऐसे भयकर अत्याचार किये गये, उन्हें ऐसी ऐसी महा भीषण यन्त्रणाएँ दी गईं कि जिन्हें खिलते हुए भी शरीर को कँपकँपी छूट जाती है।

### लाहौर में अत्याचार

पञ्जाब की दुर्घटना अमृतसर तक ही सीमित न रही। वल्लिक लाहौर, गुजरानवाला और कसूर आदि स्थानों को भी कर्नल जोनसन, बोसवर्थ स्मिथ और कर्नल ओब्रायन तथा अन्य अधिकारियों के अत्याचार, बर्बरतापूर्ण और अमानुषिक कृत्यों का शिकार होना पड़ा था, जिनकी कथा सुनकर खून खोबने लगता है।

पार्लियामेंट के लिये तैयार किये गये रयत पत्र की सरकारी रिपोर्ट के अनुसार, अन्य स्थानों की अपेक्षा लाहौर में फौजी कानून का बहुत जोर था। करफ्यू आर्डर तो तुरन्त ही जारी कर दिया गया था। यदि कोई व्यक्ति शाम के आठ बजे के बाद बाहर निकलता तो पद गोली से मार दिया जा सकता था। उसके अंत लगाये जाते थे, उसपर जुर्माना होता था,



लेख होती थी, या और कोई दृष्ट दिवा जाता था। जिनकी जो दुकानें बन्द थी उन्हें खोलने की आज्ञा दे दी गई थी। जो न खोले उसे या तो गोली से उड़ाया जा सकता था और या उसकी दुकान खोलकर सारा सामान लोगों में मुफ्त बाँट दिया जाता था।

लाहौर का क्रांती शासन ५ अप्रैल से लगाकर २६ मई तक कर्नल जॉनसन के हाथ में था। इसने इस वक्त जैसे जैसे अत्याचार किये उससे कच्चेजा कॉप जाता है। इसने लाहौर की जनता पर यह आरोप लगाया था कि वह श्रीमान् सम्राट् के सिखाए युद्ध करना चाहती थी। पर इस कर्नल ही ने हटर कमेटी के सामने यह स्वीकार किया कि लोगों ने कभी शस्त्रों का उपयोग नहीं किया। जिनके पास शस्त्र थे उन्होंने न तो चापरी उपयोग किया और न दूसरों ही से करवाया। फिर हम नहीं समझते कि लाहौर की जनता क्या धार के तिनकों को लेकर श्रीमान् सम्राट् की महा प्रबल शक्ति के सामने युद्ध करती। यह बात हम भारतवासियों की मोटी बुद्धि में तो नहीं आ सकती। कर्नल जॉनसन जैसे प्रतिभाशाली मन्त्रिष्क ही इसकी ध्याख्या कर सकते हैं। हमें दुःख है कि इस पशु कर्नल ने विचारे निरपराध लाहौर निवासियों पर जरा जरा सी बात पर राक्षसी अत्याचार किये। जिन लोगों ने बड़ी शान्ति के साथ इसके कठोर शासन की आलोचना की, जिन लोगों ने जान कर या बेजान कर उसका जारी किया हुआ Curfew Order तोड़ा उन्हें पब्लिक के सामने कादों की सजा दी। उसने एक नोटिस जारी किया, जिसमें उसने इस बात पर बड़ा जोर दिया कि अगर उसकी फौज पर एक भी बम गिरा तो यह समझा जायगा कि उस स्थान के सौ गज़ की परिधि तक में रहने वाले सब लोगों ने इसे गिराया और वह इन सबों को हुकम देगा कि वे अपने घरों को खाखी कर दें। इसके बाद यह इस परिधि के सब मकानों को नष्ट भ्रष्ट (abolish) कर दिया जायगा।

कर्नल जॉनसन ने शहर के कोई ८०० तांगे अपने कब्जे में का

लिये और २०० तागों को तो उसने तबतक अपने तापे में रखे जब तक कि क्रांती शासन जारी रहा। हिन्दुस्तानियों की जितनी मोटर गाड़ियाँ, वे सब की सब उसने अपने कब्जे में लेलीं। उसने सब मुफ्त भोजनालय ( लगरखाने ) बंद करवा दिये। अनाज के भाव नियमित कर दिये। जिन लोगों के पास बन्दूक आदि शस्त्र रखने के लायसेन्स थे वे प्रायः सब रद्द कर दिये और सब लोगों की बन्दूकें प्रभृति शस्त्र जमा करवा लिये। उसने डिप्टी कमिश्नर के हुक्म को प्रोत्साहन देकर बादशाही मसजिद बंद करवा दी और हुक्म दे दिया कि जब तक उसके दूस्ती यह मज़ूर न करवें कि उसमें कोई हिन्दू पैर न रखने पायगा तब तक वह न खोली जा सकेगी।

उसने समरी कोर्ट्स ( Summary Courts ) खोलीं। उसने स्वयं २७७ आदमियों पर मुकदमा चलाया जिनमें से २०१ आदमियों को सज़ाएँ दीं। जेलखाने की सज़ा, बड़े बड़े जुमाने की सज़ाओं के अतिरिक्त इन कोर्टों से ८०० कोदों का हुक्म हुआ। यह सज़ा ६६ आदमियों में विभक्त की गई। ज्यादा से ज्यादा तीस और कम से कम पाच कोड़े तक एक एक आदमी को लगाये गये। इन लोगों के तब तक सरे आम कोड़े लगते रहे जब तक कि सरे आम कोड़े न लगाने का ऊपर से हुक्म न आगया। बिलकुल खफीक़ कार्यों पर कोदों की यह महा कठोर सज़ा दी जाती थी। इसके पहिले डॉक्टरों से यह परीक्षा तक नहीं करवाई जाती थी कि कौन मनुष्य कितने कोड़े बर्दाश्त कर सकता है। इतना ही नहीं जस्टिस रेंकिन के प्ररन के उतर में कर्नल ने साफ शब्दों में यह कहा था कि कोदों की सज़ा सब सज़ाओं में दयालुता पूर्ण है।

इसने कई बड़े बड़े प्रतिष्ठित और गणमान्य लोगों को गिरफ्तार कर उनकी ऐसी ऐसी दुर्दशा की कि जिससे इसकी पाशविक वृत्ति का और मार्शला लॉ की भयङ्कर स्थिति का पता लगता है। मि० सरोहरबाख़ पम० ए० ने कॉंग्रेस की जाच कमेटी के सामने जो बयान दिये हैं, वे पढ़ने

क्षायक हैं ।

इसके सिवा इस कर्नल ने छागों को दुाज़ देने का एक नया उपाय निकाला । जिन्हें यह कर्नल भले चाद्मी नहीं समझता था उनके घर के दरवाजे पर नोटिस चिपका देता और घर वालों को यह सूचना कर देता है कि इस नोटिस की रक्षा के तुम जिम्मेदार हो । अगर नोटिस में किसी प्रकार की गूट टूट हुई तो इसके जिम्मेदार घर वाले समझे जाकर उन्हें कठोर दण्ड दिया जायगा । इसका मतलब यह हुआ कि चौबिस घंटे घरवाले उस नोटिस की रखवाही किया करें । कुछ कॉलेजों के भवनों पर भी उसने ऐसे ही नोटिस चिपकावा दिये थे और उनके लिये विद्यार्थियों को और सारे के सारे स्टाफ़ को जिम्मेदार कर दिया था । सनातन धर्म कॉलेज पर भी इस प्रकार का एक नोटिस लगाया गया था । उसे बहुत करके किसी एक मनुष्य ने फाड़ टाळा होगा, पर बहादुर कर्नल ने इसके लिये उस कॉलेज के २०० विद्यार्थियों को और प्रायः सब प्रोफेसरों को गिरफ्तार कर लिया । इतना ही नहीं, इन विद्यार्थियों और प्रोफेसरों को फ़ौज की निगरानी में फ़ोर्ट तक (जो कि उक्त कॉलेज से तीन मील के फ़ासले पर है) जाने पर मजबूर किया । इस वक्त गरमा की कड़ी मौसिम थी और सूर्य भगवान अत्यन्त प्रखरता के साथ तप रहे थे । ऐसी स्थिति में सिर पर बिस्तर लेकर इन २०० विद्यार्थियों को और मच प्रोफेसरों को फ़ोर्ट तक जाना पड़ा था और दो दिन तक वहाँ हिरासत में रहना पड़ा था । मज़ा यह कि हटर कमेटी के सामने जब इस कर्नल से पूछा गया था कि क्या तुम्हारा यह कृत्य न्यायपूर्ण था, तब इसने बड़ी शकड़ के साथ कहा था "जी हाँ, बिलकुल न्याययुक्त था ।" इतना ही नहीं इसने यहाँ तक कहा था कि अगर मौज़ा पड़ा तो मैं फिर भी इसी तरह कहूँगा । यहाँ यह बात ध्यान में रखना चाहिये कि कर्नल ने यह उत्तर तब दिया था जब इस बात को छ मास बीत चुके थे और पंजाब के भीषण अत्याचारों के लिये देश में हाहाकार मच चुका था ।

इसने सनातन धर्म कॉलेज की तरह लाहौर के दयानन्द एङ्ग्लो वैदिक कॉलेज, दयालसिंह कॉलेज और मेडिकल कॉलेज के साथ भी बहुत दुरा सुलूक किया। इसने येनकेन प्रकारेण विद्यार्थियों और प्रोफेसर्स को भीषण यन्त्रणाएँ देना शुरू कीं। इसने हुक्म जारी किया कि उक्त कॉलेजों के विद्यार्थी किसी निश्चित स्थान पर जाकर चार चक्र अपनी हाज़री लिखावें। वे चारों दिनों के लिए वहाँ रहकर प्रति दिन १७ माइल का चक्र काटना पड़ता था। इन अभ्यासों को सूर्य की कड़ी से कड़ी धूप में जाना पड़ता था। इन पर इस समय कौसी बीतती होगी, इस बात को इनका भगवान ही जानता होगा।

कर्मल ने कई निर्दोष विद्यार्थियों को कॉलेज और स्कूल से निकलवा दिये। कड़्यों को परीक्षा के लिये जाने से रूकवा दिये। कॉलेजों के प्रोफेसर्स और प्रिन्सिपल्स को बुरी तरह से तर्क किया। कई विद्यार्थियों को बुरी तरह पीटाया। यहाँ कहीं तक कहे, इस कर्मल ने लाहौर में भयङ्कर अत्याचार का साम्राज्य (Reign of terror) स्थापित कर रखा था।

इसने भयङ्कर अत्याचार किये। पाठक जानते हैं कि इन कर्मल का ऐसा हुक्म था कि चार आदमी से ज्यादा जमा होकर सड़क पर न घूमें। वे चारों दिनों को यह खयाल न था कि यह हुक्म विवाह की बरात पर भी लागू है। लाहौर में नगर के किसी मोहल्ले से एक बरात निकल रही थी जिसमें दस से ज्यादा आदमी थे। सब बराती और दुल्हा गिरफ्तार कर लिये गये और पुरोहित तथा बरातियों को कोदों की सज़ा मिली। इसे पाठक माशकल जों में होने वाले राक्षसी अत्याचारों का पता लगा सकते हैं। लाहौर प्रभृति नगरों में जो क्रौञ्ची यदावत् चठी थी, उसमें कई निर्दोष आदमियों को कैसी कैसी भयङ्कर सजाएँ दी गई थी, उनका उल्लेख हम आगे किसी स्वतन्त्र अध्याय में करेंगे।

# कसूर में अत्याचार ।



आहौर जिले में कसूर महत्वपूर्ण कसबा है । यदध्यापार का क्षेत्र है । यहाँ की जन संख्या ३७००० है । ६ अप्रेल को यहाँ हड़ताल नहीं हुई थी । दस तारीख तक यहाँ कोई दुर्घटना नहीं हुई । ११ तारीख को महात्मा गांधी को पकड़े जाने का और डॉक्टर सत्यपाल और किवलू के गिरफ्तार होना का संवाद पहुँचा, इस खिच यहाँ कुछ घंटों के लिये हड़ताल रही । रात के बत्त यहाँ सभा हुई । मामूली व्याख्यान हुए । उनमें कोई बात ऐसी नहीं जा राजद्रोहात्मक हो । सब दिविजनल आफिसर मिस्टर मासंडन ने इंटर कमेटी के सामने यह कहा कि व्याख्याताओं ने शरित्रभेदार भाषण दिये और रॉलेट ऐक्ट के मतलब को उसके उचित रूप में नहीं समझाया, इससे जनता में जोश उमड़ आया ।

१२ अप्रेल को इस नगर में पूरा हड़ताल रही । हा, इस दिन लोगों का मिजाज़ ठीक वैसा न था जैसा कि ११ तारीख को था । इस दिन यह कुछ बिगड़ा हुआ था । इंटर कमेटी के सामने दिये हुए कुछ गवाहों के बयानों से मालूम होता है कि यहाँ कुछ आदमी अमृतसर से आये और उन्होंने अमृतसर की दुर्घटनाओं का हाल खूब बढ़ाकर कहा । इससे लोग बहुत उत्तेजित हो उठे । कुछ हलके दर्जे के लोग जमा होने लगे । वे स्टेशन की ओर बढ़े और उन्होंने स्टेशन की भाग लगाने का प्रयत्न किया । लेम्प रूम में भाग लगादी गई । पर इसी बीच में कसूर के नेता मीके पर आ पहुँचे और उन्होंने भाग बुझा दी । इसके बाद लोगों का झुण्ड Signal Station की ओर बढ़ा, जहाँ कि एक ट्रेन आकर खड़ी थी । झुण्ड ने यहाँ कुछ पुरोपियनों पर आया किया पर यहाँ भी मि० गुलाम मोहिउद्दीन

प्रभृति नेताओं के आ पहुँचने पर इस मुँड का प्रयत्न सफल न हो सका । इसके बाद नेताओं ने इन युरोपियन खोंगोंको सुरक्षित स्थानपर पहुँचा दिया । ट्रेन वहा से आगे बढ़ी । दो युरोपियन सोलजर उसमें रह गये थे । इन सोलजरोँ ने समझा कि अब भगने में ही खैर है । वे ट्रेन से नीचे उतरे पर चारों ओर बाबला मुण्ड मौजूद था । इन सोलजरों ने आसमरचा के विशुद्ध भाव से गोखियाँ चलाईं । अब ही मुण्ड आग चपूटा हो गया । अत्यन्त दुःख और लज्जा के साथ कहना पड़ता है कि इस बाबले मुण्ड ने उन बेचारे निरपराध सोलजरों को बड़ी निर्दयता से मार डाला । हम जीवदया के उजबल आदेशों को सामने रखते हुए इस मुण्ड के घोर कृत्य को जोर के साथ धिक्कारते हैं, और मानते हैं कि इसने इन निरपराधों की हत्याकर पाशविक कार्य किया । निरपराधों के खून से मत्त होकर यह मुण्ड रेन्डेन्यू ऑफिसों की ओर बढ़ा और इन सब पर उसने आग लगा दी । अन्त में पुलिस न गोखियाँ चला कर इस मुण्ड को बिखेर दिया ।

थोड़े ही घण्टों के बाद यह शमया हुआ जनता का जोरा शान्त हो गया । इससे यह अनुमान करना गबल न होगा कि जनता का यह जोश किसी आकस्मिकता से इतना बढ़ गया था । उसके पीछे किसी प्रकार का सुसङ्गठित पद्धन्त्र न था । अधिकारियों ने बिना किसी तकलीफ़ के बहुत सी गिरफ्तारियाँ कर डालीं । अब तक वहाँ के सब दिवियजनल सर एड्विन्दुस्थानी थे । उनकी जगह पर मि० मार्सडन नामक एक अंग्रेज भेजे गये थे । १६ तारीख को वहा मार्शल लॉ जारी कर दिया गया था । मार्शल लॉ का शासन शुरू शुरू में कर्नल मकरं ( Col. Macrae ) के जिम्मे किया गया । १६ तारीख से कसूर में घर पकड़ शुरू हुईं । सारे शहर में मार्शल लॉ की घोषणा की गई । सबसे पहिले कसूर के सुप्रसिद्ध बकील मि० धनपतराय गिरफ्तार किये गये, १७ दिन तक ये परावर जेल में रखे गये । बाद में यह छोड़ दिये गये । इन्हें यह

तक नहीं मतलबाया गया कि वे जेल में क्यों रखे गये थे । इसी दिन ११ आदमों और गिरफ्तार किये गये । इसके दूसरे दिन तीन और तीसरे दिन चार गिरफ्तारियाँ हुईं । १६ अप्रैल को गिरफ्तारियों का नम्बर बहुत बढ़ गया । इस दिन ४० गिरफ्तारियाँ हुईं । सब मिलाकर १०२ आदमों गिरफ्तार किये गये । इनमें ६७ छोड़ दिये गये । ( Discharged ), २१ अपराधी ठहराये गये । आश्चर्य यह है कि गिरफ्तार किये गये जाणां में मि० गूडाम मोछु दोन और मौबची अच्युल कादिर प्रभृति वे सज्जन भी थे जिन्होंने स्टेशन पर मि० और मिस्स शेर्बार्न की (Mr and-Mrs. Sherbourne) जाँच पायी थी, और जिन्होंने जनता को अत्याचार करने से बहुत कुछ रोका था । बहुत से नेताओं के घर की बिना किसी प्रकार का कारण दिखलाये तलाशियाँ की गईं । १ मई सन् १९१६ को कसूर के सब लोग गनारत ( Identification ) के लिये रेलवे स्टेशन पर जाने के लिये बाध्य किये गये । ये अभाग्य नये सिंगे दिन के दो यजे तक सूरज की कड़ी धूप में बिना छत्र पानी के बैठाने गये । यह कार्रवाई केवल लोगों का अदमान करने के लिये की गई ।

कसूर में ४० आदमियों को कोठों की सजापुं हुई । सब मिला कर ७१० कोठे खगाये गये । कोठे खगान का मच स्टेशन के प्लेटफार्म पर बनाया गया था । स्कूल के लड़कों को भी यह महा क्रूर कोठों की सजा दी गई थी । कहा जाता है कि एक स्कूल के हेडमास्टर ने यह रिपोर्ट की थी उक्त स्कूल के लड़के बेतहाश होते जा रहे हैं और इसके लिये उसने सफिक सहायता माँगी थी । इस पर कर्मांडिंग ऑफिसर ने यह सूचना निकाली कि कुछ लड़कों को कोठों की सजा दी जाय । उक्त स्कूल के तथा अन्य स्कूलों के लड़के जमा किये गये । हेडमास्टर से कहा गया कि वे लड़कों का चुन दें । हेडमास्टर ने व ऐसे लड़के चुने जो उरुष जाति के न हाथर सज्जन भी न थे । हेडमास्टर का यह चुनाव कर्मांडिंग ऑफिसर को पक्का नहीं लगा, और मि० मार्सडन से अन्य लड़के

खुनने के लिये कहा । मार्सडन ने छः ऐंसे लडके खुन दिये, जो उनकी समझ में कांड़े खाने के योग्य थे । इन्हें स्टेशन के दरवाजे के बाहर स्कूल के अन्य लडकों के सामने कोड़े लगाये गये । हंटर कमेटी के सामने इन सब घ में जो प्रश्नोत्तर हुए, उन्हें हम यहाँ दोहराते हैं ।

प्रश्न—स्कूल के लडकों को कोड़े लगाने के विषय में तुम कहते हो कि तुमने ऐंसे छी लडकों को कोड़े लगाने का हुक्म दिया था जो सबसे मजबूत थे ?

उत्तर—हाँ ।

प्रश्न—उनकी बदकिस्मती इसी में थी कि वे चढ़े थे ।

उत्तर—अवश्यमेव ।

प्रश्न—क्या वे चढ़े थे हमलिये इन्हें इन कोड़ों की मार सहनी पड़ी ?

उत्तर—हाँ ।

प्रश्न—क्या तुम सोचते हो कि यह घात मुनासिब थी ?

उत्तर—हाँ, उस परिस्थिति में मैंने यही मुनासिब समझा । अब भी मैं उसे मुनासिब समझता हूँ ।

पाठक ! ज़रा इन भयङ्कर अत्याचार का विचार कीजिये । क्या यह कोई मनुष्यत्व है कि चाहे जिन छः लडकों को खुन कर बिना किसी अपराध के उनको कोड़ों की भयङ्कर मार मारना ।

अब आगे बढ़िये । आम रास्तों पर लोगों को फँसी देने की टिक-टिकिया (Gallows) बनाई गई । इन लोगों ने पहिले ही से ये बना खाकी थीं, क्योंकि इन फौजी शासकों को विश्वास था कि इन मामलों में बहुतसों को फँसी लगेंगी । कितने अफसोस की बात है कि फँसी देने तक की जगह सरे आम रखी गई । हिन्दुस्तानियों का जितना मान मर्दन किया जा सके, वह करने में इन फौजी शासकों ने कुछ भी कसर



नहीं रखी। कहा जाता है कि सर माइकेल ओडगायर के हुबम से ऐसा क्रिया गया था। पीछे जाकर फौजी देने को ये टिचटिक्रिया (Gallows) पब्लिक रास्ते से हटाकी गईं। गुजराणवाला प्रान्त में अठ्ठाह आदिमियों को फौसी हुई। और भी अधिक आदिमी फौसी पर लटकाने जाते, पर धन्यवाद देना चाहिये माननीय श्री० मोतीलाल नेहरू को, जि होने स्टे सेक्रेटरी के पास तार पर तार भेज कर फौसी की सजा रद्दवाई। नाठ क मूठपूरी वायसराय लॉर्ड चेम्सफोर्ड ने बार बार प्रार्थना करने पर भी हथ और ध्यान नहीं दिया। इससे बेचारे कई लोगों की जानें मुप्त में गईं।

### गुजराणवाला के अत्याचार

जब गुजराणवाला में डॉक्टर सत्यपाल और किचलू के देश निकाले का—अमृतसर के भीषण हत्याकांड का—झाहोर के निरापराधियों पर गोली चलाये जाने का—तथा महात्मा गांधी की गिरफ्तारी का सवाद पहुँचा, तब यहाँ की जनता बहुत उत्तेजित हो उठी। उसने हड़ताल करने का विचार किया। और भी कुछ ऐसी परिस्थितियाँ उत्पन्न हुईं जिन्होंने भी सं आहुति का काम किया। नेताओं ने जन-समूह को समझाने का बहुत प्रयत्न किया पर वे सफल मनोरथ न हुए। लोगों की भीड़ ने जब यह सुना कि काशी पुल के पास लोगों के भुयद पर पुलिस ने गोळियाँ चलाई तो वे क्रोध से पागल हो गये। फिर क्या था। भीड़ ने तहसील, डाक बंगला, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, चर्च और रखये स्टेशन का आग खगादी। इसके बाद कोई डेढ़ बजे के अन्दाज पर लोग बिलर गये और इसके बाद सरकार की मिलिकपत को कोई नुकसान नही पहुँचाया गया। कर्नल ओघायन ने भी हंटर कमेटी के सामने यह स्वीकार किया कि २ बजे तक मैं गुजराणवाला पहुँचा, तब भुयद अपना विनाशक कार्य कर चुका था और उस वक्त यह बिलर गया था।

पर गुजराणवाला के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ने लाहौर टेलीफोन देवर सहायता माँगी थी। कहा जाता है कि लाहौर में लेफ्टिनेन्ट गवर्नर के पास उसी अफवाह भी पहुँची थी कि गुजराणवाला में उनके विश्वसनीय कर्नल प्रोग्रायन मार डाले गये हैं। इसका परिणाम यह हुआ कि ले० गवर्नर तीन वायुयान लाहौर से भेजने का हुक्म दिया। ये वायुयान तीन बजे गुजराणवाला पहुँचे। उन्होंने गुजराणवाला पर बम बरसाना और मशीनगनों से फायर करना शुरू किया। कहा जाता है कि इन वायुयानों ने गुजराणवाला पर ३ घण्टे तक और मशीनगनों के १८० round किये। इनमें से एक बम खाजसा हाई स्कूल के हॉस्टेल पर गिरा, जिससे एक विद्यार्थी और कुछ अन्य मनुष्य घायल हुए। दो बम एक मसजिद के पास गिरे। दूसरा वायुयान सवा तीन बजे पहुँचा। इसने मशीनगन से ७०० (round) किये। तीसरे वायुयान ने न केवल बम ही गिराये पर बन्दूक या मशीनगन के भी वार किये। इनमें सब मिलाकर ४० मनुष्य हताहत हुए, जिनमें १२ मर गये। मरे हुएों में एक स्त्री, एक बच्चा और कुछ लड़के भी थे!! अन्य आस पास के गावों पर भी बम बरसाये गये थे।

इसके अतिरिक्त कर्नल प्रोग्रायन ने हटर कमेटी के सामने अपनी गवाही में कहा था कि भीड़ जहाँ कहीं पाई गई, वहीं उसपर गोली चला दी गई। यह बात उन्होंने हवाई जहाजों के सम्बन्ध में कही थी। एक बार एक हवाई जहाज ने, जो कि लेफ्टिनेन्ट डॉड्किन्स के चार्ज में था, एक खेत में २० किसानों को एवत्र देखा। लेफ्टि० डॉड्किन्स का कहना है कि उन्होंने उन पर मशीनगन से तब तक गोली चलाई तब तक कि वे भाग नहीं गये! उन्होंने एक मकान के सामने आदमियों के एक झुण्ड को देखा। वहाँ एक आदमी न्यारयान दे रहा था। इसलिए वहाँ उन्होंने उन पर एक बम गिरा दिया। क्योंकि उनके दिमाग में इस तरह का कोराक नहीं था कि वे लोग किसी शादी या मुर्दनी के लिये एकत्र नहीं हुए

थे। मेजर कार्या नामक एक प्रौढ़ी अफसर न लोगों के एक दल पर इन क्रि-  
यम बरमाये कि उन्होंने सोचा कि लोग बलवाइँ हैं, जो शहर से भा-  
रद हैं। इन महाशय के चित्त की हासत और विचारों का पता इनके  
बयान के और नीचे उद्धरणों से भल प्रकार चल जायगा।

“लोगों की भाँष दीदी जा रही थी और मैंने उनको तितर बिता  
करने के लिये गोला चलादी। ज्यादा भीड़ तितर चितर हो गई, मैंने गाँव  
पर ही मशीनगन खगादी। मेरा इशारा है कि कुछ मकानों में गोळियाँ  
खर्ची थीं। मैं निर्दाँप और अपराधी में कोई पहचान नहीं कर सकता  
था। मैं दो सौ फीट की ऊँचाई पर था और यह भले प्रकार देख सकता  
था कि मैं क्या कर रहा हूँ। मेरे उद्देश्य की पूर्ति केवल बम बरसाने से  
नहीं हुई।”—

“गोलियाँ केवल नुकसान पहुँचाने के लिये ही नहीं चलाई गई थी,  
वे शय गाँव वालों के हित के लिये चलाई गई थीं। कुछ को मार कर,  
मैं समझा, मैं गाँव वालों को फिर एकत्र होने से रोक दूँगा। मेरे इस  
कार्य का असर भी पड़ा था।”

“इसके बाद मैं शहर की तरफ मुँहा। वहाँ बम बरसाये और उन  
लोगों पर गोळियाँ चलाई, जो भाग जान की कोशिश कर रहे थे।”

कर्नल ओप्रायन ने एक यह हुक्म जारी किया था कि जब कोई  
द्वि-दुस्तानी किमी अफसर को मिले ता वह उसको सखाम करे,  
अगर वह सजारीम जा रहा हो या घोड़े पर सवार हो ता उतर जाय, अगर  
झाता लगाये हो तो उसे नीचे झुका दे। कर्नल ओप्रायन न फमेटी के  
के सामने कहा था कि “यह हुक्म इसलिये अच्छा था कि लोगों को यह  
माखूम हो जाय कि हम उनके नये माखिक कैसे हैं।” लोगों क कोई  
खगायये गये, जुमाना किया गया, और पूर्ण राचसी हुक्म न मानने  
पर अन्य अनेक प्रकार की सजायें दी गईं। उन्होंने बहुत से आदमियों  
को गिरप्रवार करामा था, जिन्हें दिना मुकदमा चलाये ही ६ हफ्तों

तक जेल में रक्खा। एक बार उन्होंने शहर के बहुत से प्रमुख नागरिकों का यकायक पकड़ कर मालगाड़ी के एक डिब्बे में भर दिया। उस डिब्बे में उन लोगों को एक के उपर एक करके लाद दिया। सो भी तब जब कि वे कड़ाके का धूप में कई मील पैदल चला कर लाये गये थे। कुछ लोगों के चदन पर तो पूरे कपड़े भी न थे। मालगाड़ी के डिब्बे में भर कर उन्हें लाहौर भेज दिया था। उन्हें पाखाना पेशाब तक करने की आज्ञा नहीं दी गई। इसी अवस्था में वे मालगाड़ी के डिब्बों में ४४ घंटे तक रक्खे गये। उनकी जो भयानक दयनीय दशा हो गई थी उसका वर्णन करके बताने की विशेष आवश्यकता नहीं। वे जिस समय गलियों में होकर ले जाये जा रहे थे उस समय उनके साथ साथ रास्ते चलने वाले और लोग भी योंहीं पकड़ लिये जाते थे और इसलिये उनकी संख्या सदैव बढ़ती रहती थी। उनके हाथों में हथकड़ियाँ डालकर और जंजरों से बाँध कर निकाला गया था। हिन्दू और मुसलमान दोनों ही जंजरों में बाँध कर ले जाये गये थे।

क्रौड़ी अधिकारियों ने एक हुजूम जारी किया था, जिसके अनुसार स्कूल के लड़के बाध्य थे कि वे दिन में तीन बार परेड करें और ऋडे को सलामी दें। यह हुजूम स्कूल की छोटी जमातों के बच्चों के लिये भी लागू था, जिनमें २ और ६ बरस तक के बच्चे भी शामिल थे। और यह बात तो सचमुच हुई थी कि इस परेड और सलामी की चज़ह से बितने ही बच्चे लू लगकर मर गये थे। इस बात को तो उन्होंने ने भी स्वीकार किया है कि धूप के कारण बहुत से बच्चे बेहोश हो जाते थे। इस बात का भी आरोप किया गया था कि कुछ मौकों पर तड़कों से यह कहलाया जाता था, "मैंने कोई अपराध नहीं किया है। मैं कोई अपराध नहीं करूंगा, मुझे अफसोस है, मुझे अफसोस है, मुझे अफसोस है।"

पंजाब के शेखपुरा-खायलपुर आदि कई नगरों में मार्शल लॉ के समय में

बड़े बड़े धायाचार किये गये, जिनका उल्लेख स्थानाभाव के कारण करना सम्भव नहीं है।

### मार्शल लॉ का लम्बे असें तक जारी रहना

यहां यह बात स्मरण रखने योग्य है कि पञ्जाब के प्रायः सब में मार्शल लॉ तक जारी किया गया, जब उपद्रव और अशांति मिट चुकी थी। इसके प्रतिरिक्त उपद्रवों के मिट जान के बाद एक असें तक मार्शल लॉ जारी रखा गया। वाइसरॉय की कौंसिल के तत्कालीन एक सदस्य सर शंकरनू नाथर ने इसके विरोध उक्त-कौंसिल से हस्तौका दे दिया।

### फौजी अदालतें और नेवाओं को अति कठोर सजाएँ

मार्शल लॉ के समय में फौजी अदालतें बँधी थीं। उन्होंने हन्साफ़ करने में गजब का दिया। जिन लोगों ने रीजेंट एक्ट के ध्याक्यान दिये, जिन लोगों ने नर्म भाषा में अपना विरोध प्रकट उन लोगों पर राजेद्रोह का मुकदमा चलाया गया और उन्हें न आजन्म काले पानी ही की सजा मिली, पर उनकी सब ज़ायदाद करने का भी हुक्म हुआ।

लाला हरकिशनलाल, लाला दुनीचंद, पं० रामभजनलाल आदि कई सुप्रसिद्ध महाशयों पर राजेद्रोह के मुकदमे चलाकर आजन्म काले पानी की सजाएँ हुईं। इतना ही नहीं, इसके साथ उनकी सभी ज़ायदाद जप्त करने की भी धापा हुई। इन लोगों पर सख्त क्या था? इससे अधिक कुछ नहीं कि उन्होंने रीजेंट एक्ट को करने के लिये सभाएँ की थीं और ध्याक्यानों द्वारा लोगों को एक्ट की असहिष्णु प्रकट की थी। इसे ही फौजी अदालतों

ने राजद्वीप समक्ष कर इतनी भयङ्कर सजाएँ देदीं। मशीर मोहम्मद को तो फांसी की सजा का हुक्म हुआ ! यद्यपि पीछे जाकर कई महानुभाव श्रीमान् सम्राट् के घोषणा-पत्र के अनुसार छोड़ दिये गये। पर इससे इन फीजी अदालतों का और उसमें बैठने वाले कमिश्नरों के दिल (Mentality) का पता चखता है। इन मुकदमों की प्रिन्डी कौंसिल में भी अपील हुई थी। पर उसका जैसा नतीजा निकला वह हमारे पाठकों पर प्रकट ही है।

बड़े ही दुःख की बात है कि इन अदालतों द्वारा दी गई सजाएँ कई लोगों पर अमल में भी आ गईं ! कई फांसी पर लटक चुके ! अगर देशभक्त पं० मोतीलाल नेहरू स्टेट सेक्रेटरी के पास तार नहीं देते और स्टेट सेक्रेटरी मि० मॉटिम्यू इस्तफे प न करते तो और भी कई अभागों को फांसी हो जाती !! और सेकषों लोग काले पानी भेजे जाते। पर पीछे आकर कुछ लोग तो निर्दोष बतला कर छोड़े गये। इतने पर भी कई भाई इन फीजी अदालतों के द्वारा दी गई सजाओं के कारण कई वर्ष तक जेलों में और काले पानी में सबूते रहे।

## ॥ महात्माजी द्वारा सत्याग्रह का स्थगितकरण ॥

महात्मा गांधी एक उच्च आदर्श रखने वाले नेता थे। वे सत्य और अहिंसा के साक्षात् अवतार थे। वे किसी भी मूल्य पर अपने जीवन के इन महान् तत्वों का त्याग करने के लिये प्रस्तुत न थे। विरोधी द्वारा किये गये हिंसात्मक कार्यों का जवाब हिंसात्मक कार्यों के द्वारा देना, वे हमके समक्ष विरोधी थे। पञ्जाब में जनता की तरफ से जो कुछ हिंसात्मक कार्यवाहियाँ हुईं, इसका उनके हृदय पर गम्भीर प्रभाव पड़ा और इसके फलस्वरूप उन्होंने सत्याग्रह संग्राम को स्थगित कर दिया। इस समय उन्होंने जो यत्न्य प्रकाशित किया वह इस प्रकार था:—

बड़े बड़े धारणावार किये गये, जिनका ठोस स्थानाभाव के कारण बर्ताना सम्भव नहीं है।

### मारशल लॉ का लम्बे असें तक जारी रहना

यहां यह बात स्मरण रखने योग्य है कि पञ्जाब के प्रायः सब नगरों में मारशल लॉ तक जारी किया गया, जब उपद्रव और अशांति प्रायः मिट चुकी थी। इसके अतिरिक्त-उपद्रवों के मिट जाने के बाद एक क्षण असें तक मारशल लॉ जारी रक्खा गया। वाइसरॉय की कार्यकारिणी कौन्सिल के सहायक एक सदस्य सर गंकरन् नायर ने इसके विरोध में उक्त-कौन्सिल से इस्तीफा दे दिया।

### फौजी अदालतें और नेताओं को अति कठोर सजाएँ

मारशल लॉ के समय में फौजी अदालतें बैठी थीं। उन्होंने तो इन्साफ करने में गजब डा दिया। जिन लोगों ने रोजेट एक्ट के खिलाफ ध्याख्यान दिये, जिन लोगों ने जर्म भाषा में अपना विरोध प्रकट किया, उन लोगों पर राजेद्रोह का मुकदमा चलाया गया और उन्हें न केवल आज़म काजे पाशी ही की सजा मिली, पर उनकी सब ज़ायदाद जप्त करने का भी हुक्म हुआ।

खाला इरकिठनखाल, खाला हुनीवंद, ए० रामभजदत्त चौधरी आदि कई सुप्रसिद्ध महाशयों पर राजेद्रोह के मुकदमे चलाकर उन्हें आज़म काजे पाशी की सजाएँ हुईं! इतना ही नहीं, इसके साथ सब उनकी सारी जायदाद जप्त करने की भी आज्ञा हुई। इन लोगों का अपराध क्या था? इससे अधिक कुछ नहीं कि उन्होंने रोजेट एक्ट का करने के लिये मगारुएँ की थीं और ध्याखानों द्वारा लोगों को रोजेट एक्ट की अमतिपत्र प्रकट की थी। हमी को फौजी अदालतों के कमिश्नरों

ने राजद्रोह समझ कर इतनी भयङ्कर सजाएँ देदीं । यहीरमोहम्मद को तो फाँसी की सजा का हुक्म हुआ ! यद्यपि पीछे जाकर कई महानुभाव श्रीमान् सम्राट् के घोषणा-पत्र के अनुसार छोड़ दिये गये । पर इससे इन फौजी अदावतों का और उसमें बैठने वाले कमिश्नरों के दिमाग (Mentality) का पता चलता है । इन मुकदमा की प्रिन्सिपल ऑफिसर में भी अपील हुई थी । पर उसका जैसा नतीजा निकला वह हमारे पाठकों पर प्रकट ही है ।

बड़े ही दुःख की बात है कि इन अदावतों द्वारा दी गई सजाएँ कई लोगों पर अमल में भी आ गईं ! कई फाँसी पर लटक चुके ! अगर देशभक्त प० मोतीलाल नेहरू स्टेट सेक्रेटरी के पास तार नहीं देते और स्टेट सेक्रेटरी मि० मॉटेम्यू इस्तफेफ न करते तो और भी कई अभागों को फाँसी हो जाती !! और सैकड़ों लोग काले पानी भेजे जाते । पर पीछे जाकर कुछ लोग तो निर्दोष बतला कर छोड़े गये । इतने पर भी कई भाई इन फौजी अदावतों के द्वारा दी गई सजाओं के कारण कई वर्ष तक जेलों में और काले पानी में सबूते रहे ।

## ॥ महात्माजी द्वारा सत्याग्रह का स्थगितकरण ॥

महात्मा गांधी एक उच्च आदर्श रखने वाले नेता थे । वे सत्य और अहिंसा के साक्षात् अवतार थे । वे किसी भी मूल्य पर अपने जीवन के इन महान् तत्वों का त्याग करने के लिये प्रस्तुत न थे । विरोधी द्वारा किये गये हिंसात्मक कार्यों का जवाब हिंसात्मक कार्यों के द्वारा देना, वे इसके मङ्गल विरोधी थे । पञ्जाब में जनता की तरफ से जो कुछ हिंसात्मक कार्यवाहियाँ हुईं, इसका उनके हृदय पर गम्भीर प्रभाव पड़ा और इसके फल स्वरूप उन्होंने सत्याग्रह संग्राम को स्थगित कर दिया । इस समय उन्होंने जो वक्तव्य प्रकाशित किया वह इस प्रकार था—



"I have greater faith in Satyagraha to day than before. It is my perception of the law of Satyagraha which impels me to suggest the suspension. ....I understand the forces of evil.....Satyagraha had nothing to do with the violence of the mob at Ahmedabad and Viramgaon. Satyagraha was neither the cause nor the occasion of the upheaval. If anything, the presence of Satyagraha had acted as a check..... The events in the Punjab are unconnected with the Satyagraha movement.....Our Satyagraha must, therefore, now consist in ceaselessly helping the authorities in all the ways available to us, as Satyagrahis to restore order and curb lawlessness.....We must fearlessly spread the doctrine of Satya and Ahimsa and then and not till shall we be able to undertake mass Satyagraha....."

अर्थात् पहले की अपेक्षा आज मेरा सत्याग्रह पर अधिक विरक्त है। सत्याग्रहता की भावना मुझे प्रेरित करती है कि मैं फिज्डाल सत्याग्रह को स्थगित कर दूँ। मैं दुष्टता की शक्तियों को पहचानता हूँ। अहमदाबाद और वीरमगाँव में जन समूह द्वारा जो हिंसात्मक कार्य हुए उनमें सत्याग्रह का कोई सम्बन्ध नहीं था। इस उत्पात का न तो सत्याग्रह कारण ही था और न अवसर ही। सत्याग्रह की उपस्थिति ने तो हमको रोक ही का काम किया। पंजाब की अत्याचारों का सत्याग्रह के आन्दोलन के साथ कोई सम्बन्ध नहीं था। हमारे सत्याग्रहियों को चाहिये कि वे अपनी शक्ति भर सब तरह से शांति स्थापित करने और अस्थिरता को मिटाने के लिये अधिकारियों की शक्ति

भर सहायता करें। हमें निर्भयता के साथ सत्य और अहिंसा का प्रचार करना चाहिये तभी हम सामूहिक सत्याग्रह करने के लिये समर्थ हो सकेंगे।" महात्माजी ने सत्याग्रह बन्द कर विशुद्ध स्वदेशीका प्रचार और हिन्दू मुस्लिम एकता के प्रचार पर अधिक जोर देने के लिये जनता से अपील की।

### अत्याचारियों को पुरस्कार

जिन अधिकारियों का पंजाब के भीषण अत्याचारों में प्रधान हाथ था, उन्हें "प्रामाणिकता" का प्रमाण पत्र दिया गया और उन्हें यह आश्वासन दिया गया कि उनके खिलाफ कोई कार्यवाही न की जायगी। यहाँ तक कि भारतवर्ष के यूरोपियन समाज ने जखानवाले बाग के हत्या-जनरल डायर-को एक तखवार और बीस हजार पाँड का पुरस्कार देकर सम्मानित किया।

### पंजाब के अत्याचार और जाँच समितियाँ

ज्योंही पंजाब में मार्शल लॉ उठा लिया गया और बाहर के आदमियों के लिये पंजाब का प्रवेश द्वार सुल गया, त्योंही सुप्रख्यात काँग्रेसमैन थॉर कुछ अन्य सज्जन पंजाब पहुँचे और उन्होंने अपने अत्याचार पीड़ित भाइयों की सेवा का काम शुरू किया। इसमें कष्ट निवारण (Relief) का कार्य स्वर्गीय पं० मदनमोहन मालवीय और स्वामी भद्रानन्दजी ने सँभाला। इसी समय काँग्रेस ने पंजाब अत्याचारों की जाँच करने के लिये एक जाँच समिति कायम की, जिसके प्रधान सचिव पं० मोतीलालजी नेहरू थे। इस जाँच समिति में महात्मा गांधी और देशपन्थी सी० आर० दास ने काफी दिलचस्पी ली। देशपन्थु दास के जिम्मे प्रमृत्नमर का पत्र सौंपा गया, और पं० जवाहरलाल नेहरू को उनकी सहायता के लिये प्रेरणा दी। जिसके पं० जवाहरलालजी अपने "Mahatma Gandhi" नामक अंग्रेजी ग्रन्थ में लिखते हैं— "देश

दास के साथ और उनके नीचे काम करने का मेरा यह पक्ष मीका  
 और इस समय मुझे जो अनुभव हुआ उसकी मैं बहुत बड़ा करता  
 कि देशबन्धु दास के लिये इस समय मेरा आदर भाव बढ़ा।  
 अगले भाग के सम्बन्ध में और लोगों को पेट के बखरेंगने के सम्बन्ध  
 हुए ती शहादतें हमारे सामने आई गईं। यह शहादतें कांग्रेस की  
 समिति की रिपोर्ट में दर्ज की गईं थीं। हम इस भाग में कई दफ्तर  
 और मामलों के हर एक तस्वीर की विन्तापूर्वक जांच की।" इसी  
 पर ० जवाहरलालजी का महात्माजी के साथ अधिक सम्पर्क हुआ  
 उनका महात्माजी की राजनैतिक अन्तरदृष्टि में विस्वास बढ़ा।

### इंटर कमेटी

भारत सरकार ने मारशल लॉ के शासन के सम्बन्ध में जांच करने के  
 के एक कमेटी नियुक्त की थी, जिसके अध्यक्ष लॉर्ड इंटर थे। इनके  
 तीय सदस्यों—सर चिम्मनलाल सीतलवादी, पंडित जगतनारायण और  
 सुल्तान अहमद ने—कमेटी के अधिकांश सदस्यों से मत न मिलने के  
 अपनी अलग रिपोर्ट लिखी थी। कमेटी की रिपोर्ट पर जो कार्य-  
 की गई, वह नाकाफ़ी थी और उससे यद्यपि लोकमत को संतोष  
 हुआ, पर इसके सामने ज़रूरतवाले कौट के प्रधान प्रवर्तक बापर  
 ने जो गवाहियाँ दीं उनसे उस हत्याकांड की और पंजाब में होने  
 के अन्य अत्याचारों की भीषणता जनता के सामने आई। सारे  
 रतर्क में इस अत्याचार के खिलाफ़ यही भीषण प्रोधाति प्रयत्न  
 उठी।



# अमृतसर की कांग्रेस



पंजाब काँड के बाद अमृतसर में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ। एडिटर जनाहराजजी ने अपने "Mahatma Gandhi" नामक अंग्रेजी ग्रन्थ में इसे प्रथम गांधी कांग्रेस (First Gandhi Congress) कहा है। लोकमान्य तिलक सरीखे देशमान्य नेता के उपस्थित होते हुए भी उस समय महात्मा गान्धी का विशाल प्रभाव देखा गया। देश का वातावरण महात्मा गांधी की जयध्वनि से गूँजने लगा। महात्मा गांधी का यह स्वभाव था कि वे मानव जीवन में रहे हुए ध्येय तत्वों ही पर अधिक जोर देते थे। यही कारण था कि पंजाब के लोमहर्षण काँड के बाद भी अंग्रेजों की न्यायप्रियता में उन्होंने अपना विश्वास न खोया और वे मान्टेग्यू चैम्सफोर्ड योजना में सहयोग देने ही में देश की भलाई समझने लगे। अमृतसर कांग्रेस में देशबन्धु दास सरीखे प्रभावशाली नेता के विरुद्ध होते हुए भी उन्होंने सहयोग नीति का समर्थन किया था। आचार्य जावड़ेकर अपने आधुनिक भारत नामक ग्रन्थ में लिखते हैं—  
“अमृतसर में महात्मा गांधी सहयोग नीति, देशजन्तु दास अडगा नीति व लोकमान्य तिलक प्रतियोगी सहकारिता की नीति के पक्ष में थे। ये सब नेता इस बात पर सहमत थे कि नवीन कानून के अनुसार जो चुनाव हों उनमें भाग अवश्य लिया जाय। अतएव तीनों के लिए सन्तोषजनक शब्द-रचना उस प्रस्ताव में की गयी थी। वह इस प्रकार थी—”

(क) यह कांग्रेस अपनी पिछले वर्ष की घोषणा को पुनरावृत्ति है कि भारतवर्ष पूर्ण उत्तरदायी शासन के योग्य है और इसके विधाएँ जो बातें सम्झनी या कही जाती हैं इन्हो पर कांग्रेस अस्वीकार करती है।

उठी। यहाँ यह स्मरण रचना चाहिये कि अमृतसर काँग्रेस के पहले, नव-म्बर १९१६ में, देहली में अ० भा० त्रिलोचन कमेटी की जो मीटिंग हुई थी। उसमें त्रिलोचन के मामले में न्याय न हुआ तो महात्माजी की सलाह से असहयोग करने का प्रस्ताव पास हो चुका था, अर्थात् महात्माजी पहले से ही असहयोग-संग्राम की तैयारी कर रहे थे। लेकिन जब तक पंजाब में त्रिलोचन के विषय में सरकार अपनी नीति की घोषणा साफ़ तौर पर न करदे तब तक लड़ाई का विगुल बजाना उन्हें ठीक न जँचता था। अन्त में जब सरकार की ओर से उन्हें पूरी निराशा हुई तब उन्होंने स्पष्ट रूप से असहयोग की घोषणा करदी। इस असहयोग आन्दोलन में मुसलमानों ने धर्म के तौर पर नहीं किन्तु नीति के तौर पर गांधीजी के अहिंसा-सिद्धान्त को स्वीकार कर लिया। १० मार्च १९२० को असहयोग की जो पहली घोषणा प्रकाशित हुई उसमें गांधीजी ने कहा था—“अगर हमारी माँगें मजूर न की गयीं तो हमें क्या करना चाहिये, इसके बारे में दो शब्द लिखता हूँ। गुप्त या प्रकट रूप से सशस्त्र युद्ध करना एक जंगली तरीका है। आज वह अव्यावहारिक भी है, इसलिए उसे छोड़ देना उचित है। यदि मैं सबको यह समझा सकूँ कि यह तरीका हमेशा के लिये अनिष्ट है तो हमारी सब माँगें बहुत जल्दी पूरी हो जाँयें। जो राष्ट्र हिंसा को छोड़ देता है उसमें इतना शक आ जाता है कि उसे कोई नहीं रोक सकता, परन्तु आज तो मैं अव्यवहार्यता व निष्फलता के आधार पर हिंसा का विरोध कर रहा हूँ। हमारे सामने एक ही रास्ता है, असहयोग। वह सीधा व साफ़ मार्ग है। हिंसात्मक न होने से यह कारगर भी उतना ही होगा। सहयोग से जब अधपात व अपमान होने लगता है या हमारी धार्मिक भावनाओं को चोट पहुँचती है, तब असहयोग कर्तव्य हो जाता है। जिन हकों को मुसलमान अपनी जान से भी ज्यादा प्यारा समझते हैं उनके अपहरण को हम चुपचाप सहेंगे, ऐसा क्या इंग्लैंड न बना सकेगा और इसलिए हमें पूरा असहयोग समझ में ला

सकेंगे। जिन्हें पद, पदियाँ, तगमं मिलें हों वे उन्हें छोड़ दें। छोटी छोटी सरकारी नौकरियों भी छोड़ दी जायँ। हाँ, ग्रामगी नौकरियों का समावेश असहयोग में नहीं होता। जो असहयोग न करें उनका सामाजिक बहिष्कार करना ठीक नहीं। स्वयं—प्रेरित असहयोग ही जनता की भावना व असन्तोष की कसौटी है। संनिकों को फ़ौजी नौकरी छोड़ने के लिये कहना असामयिक है। वह पहली नहीं अखिरी सीढ़ी है। जब वायसराय, भारत मंत्री, प्रधान मंत्री कोई भी हमें दाद न देंगे तभी हमें उस सीढ़ी पर पाँव रखने का अधिकार होगा। असहयोग का एक-एक कदम हमें बहुत सोच-विचार कर उठाना होगा। अत्यन्त प्रखर वातावरण में भी हमें आत्म-सँयम रखना होगा। इसलिए हमें आदिस्ते क्रम ही चलना होगा।”

इस घोषणा पत्र में असहयोग-संग्राम का सारा कार्यक्रम बीज रूप में आ जाता है। कोई भी सरकार मुल्की व फ़ौजी व्यवस्था में प्रजा के सहयोग बिना एक कदम नहीं चल सकती और प्रजा द्वारा घोषित असहयोग में यदि मुल्की व फ़ौजी अफसर व नौकर शामिल हो गये तो फिर जनता जिस राज्य को नहीं चाहती वह नहीं टिक सकता और उसकी जगह नवीन राज्य स्थापना हो जाता है। निःशस्त्र राज्य क्रान्ति की यह तात्त्विक उपपत्ति है। वह इस उद्देश्य में दी गई है। जब तक देश की जनता में यह आत्म-विश्वास नहीं पैदा होता कि हम अपने सङ्घटन के बल पर अपना राज्य चला लेंगे और देश में अन्धाधुन्धी न होने देते हुए शान्ति स्थापित कर सकेंगे तब तक प्रस्थापित राजसत्ता के पुब्लिस व फ़ौजी महकमों के लोगों को असहयोग के लिये न पुकारना चाहिये; क्योंकि उसके अभाव में यादवी, गृहकलह व थराजकता फैलने की व जनतंत्र की शान्ति के बजाय सैनिकवाद व तानाशाही की मनमानी चल निकलती है, जिससे विदेशी सत्ता की लाभ मिलेगा व शान्तिमय क्रान्ति सफल न होगी। इसीलिए गांधीजी ने इस घोषणापत्र में कहा है कि

‘मैनिफ़ेस्ट असहयोग बिल्डिङ्ग थिरी सीढ़ी है ।’

गांधीजी ने ईस्वी सन् १९२० की पहली अगस्त को सत्याग्रह संग्राम की घोषणा करदी । इस देश व्यापी सत्याग्रह के सम्बन्ध में गांधीजी ने २८ जुलाई १९२० के “Young India” के अङ्क में लिखा था:—

“The first of August will be as important an event in the history of India as was the 6th of April last year. The 6th of April marked the beginning of the end of the Rowlatta Act ..... the power that wrests justice from an unwilling Government . . . is the power of Satyagraha, whether it is known by the name of civil disobedience or non-co-operation . . . . . As in the past, the commencement is to be marked by fasting and prayer . . . suspension of business and by meetings to pass resolutions—praying for the revision of peace terms and justice for the Punjab, and for inculcation of non-co-operation until justice has been done. The giving up of titles is to organize and evolve order and discipline . He again stressed the necessity of absolute non-violence

अर्थात् भारतवर्ष के इतिहास में गतवर्ष की ६ अप्रैल की तरह इस वर्ष की पहली अगस्त भी एक महत्वपूर्ण घटना होगी । ६ठी अप्रैल को रौलट-एक्ट के अन्त का आरम्भ हुआ । जो शक्ति अनिच्छुक सरकार के हाथ से न्याय को हथियाती है वही सत्याग्रह की शक्ति है, चाहे फिर इस शक्ति को सविनय अप्रज्ञा कहा जाय चाहे असहयोग ।

भूतकाल की तरह इसको प्रारम्भ करते समय उपवास और प्रार्थना की जाय, कारोबार बंद रखते जाय, और सभायें कर उनमें ऐसे प्रस्ताव पास किए जाय जिनमें (तुर्की की) मुल्ह की शर्तों में सशोधन करने की तथा पंजाब के ब्रिये न्याय प्राप्त करने की माँग हो और जिसमें तबतक सरकार से असहयोग करने का आदेश हो जब तक कि न्याय प्राप्त न हो जाय। उपाधियों का त्याग उसी दिन से शुरू हो जाना चाहिये..... इसमें सबसे बड़ी बात अनुशासन और सुन्यवस्था की स्थापना करना है।" आगे चलकर महात्माजी ने इस लेख में पूर्ण अहिंसा की आवश्यकता पर बड़ा जोर दिया था।

इसके बाद ई० सन् १९२० के सितम्बर मास में कलकत्ते में कांग्रेस का विशेष अधिवेशन हुआ। इसके अध्यक्ष भारत के सुप्रसिद्ध नेता लाला लाजपत राय थे। महात्मा गांधी के असहयोग के प्रस्ताव के पक्ष और विपक्ष में कई प्रभावशाली नेता थे। स्वर्गीय पं० मोतीलाल नेहरू असहयोग के प्रस्ताव के समर्थकों में थे। देशबन्धु चित्तरंजनदास, पंडित मदनमोहन मालवीय, मिसेज वेसेंट इस प्रस्ताव के विरोधियों में थे। कलकत्ता कांग्रेस के कुछ ही पहले महात्मा गांधी के समकक्ष नेता लो० तिलक का स्वर्गवास हो चुका था। इसलिए यह केवल कल्पना जगत का विषय रह जाता है कि अगर लोकमान्य जीवित रहते तो वे महात्मा गांधी के असहयोग वाले प्रस्ताव का समर्थन करते या नहीं। देशबन्धु चित्तरंजनदास और मालवीयजी का विरोध तात्त्विक दृष्टि से था। अन्तिम राजनैतिक ध्येय में वे महात्मा गांधी के पूर्ण रूप से साथ थे। मुसलमानों ने खिलाफत के प्रश्न के कारण महात्मा गांधी के प्रस्ताव का समर्थन करने का निश्चय किया था। कुछ भी हो, महात्मा गांधी का प्रस्ताव कलकत्ते की कांग्रेस में बहुमत से पास हो गया। प्रस्ताव के पक्ष में १८८६ मत आये और विपक्ष में ८८४।

ईस्वी सन् १९२० के सितम्बर मास में कांग्रेस का अधिवेशन



नागपुर में हुआ। यह एवं के अधिवेशनों से बढ़ा था, और इसमें १४२८२ प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। इसमें १०२० मुसलमान प्रतिनिधि और १६६ महिला-प्रतिनिधि भी थे। इसमें भारी उल्लाह और जयजयकार के साथ महात्मा गांधी का असहयोग वाला प्रस्ताव पास हुआ। जिन नेताओं ने कड़कता अधिवेशन में इस प्रस्ताव का विरोध किया था उन्होंने इस वक्त इसका समर्थन किया। देशबन्धु चित्तरंजनदास ने असहयोग के प्रस्ताव का खस्ता और छात्र छात्रपठाण ने इसका समर्थन किया।

यह थान्दोवन प्रगतिशील अधिनात्मक असहयोग के नाम से मशहूर हुआ, इसमें यह कार्यक्रम निश्चित हुआ:—

- (१) उपाधिया व समूहों-बिल्ले लौटा देना।
- (२) सरकारी दरवार, टासव आदि ममारुमों से असहयोग।
- (३) सरकारी व अर्द्ध सरकारी पाठशाळाओं का बहिष्कार व उनकी जगह राष्ट्रीय शाळाओं की स्थापना।
- (४) अदालतों का बहिष्कार व पंचायतों की स्थापना।
- (५) धारा सभाओं का व मतदान का बहिष्कार।
- (६) विदेशी माल का बहिष्कार।

### महात्मा गाँधी का अनुपम प्रभाव

नागपुर कांग्रेस के समय महात्मा गाँधी के प्रभाव में आशाहीन बृद्धि हुई। जनता उन्हें अलौकिक महापुरुष समझने लगी। भारत के वे एक अग्र नेता माने जाने लगे। सारे देश का वातावरण "महात्मा गाँधी की जय" से गूँजने लगा। भारतीय राष्ट्र के जीवन में अच्युतना आगई। भारत की करोड़ों जनता उन्हें देवता की तरह समझकर उनके पय पदार्शन के अनुसार चलने में अपना गौरव समझने लगी। प० जवाहरलाल

ने उस समय का जिक्र करते हुये "Mahatma Gandhi" नामक ग्रन्थ में लिखा है—

And then Gandhiji came. He was like a powerful current of fresh air that made us stretch ourselves and take deep breaths, like a beam of light that pierced the darkness and removed the scales from our eyes like a whirlwind that upset many things but most of all the working of people's minds

पंडित जवाहरलालजी का उपरोक्त कथन अचर अचर सत्य है। वास्तव में महात्माजी ने देश को नवजीवन प्रदान किया और नवचेतना से राष्ट्र जीवन के परमाणु को परिप्लुन कर दिया। देश में नवीन आशा और नवीन उत्साह की वायु जोर से चढ़ने लगी। लोग स्वराज्य के सुख स्वप्न देखने लगे। महात्माजी ने जो आदर्श स्वदेश के समाने रखे उनसे यह आशा होने लगी कि इनके द्वारा भारत के उद्धार के साथ साथ मानव जाति को भी नवीन प्रकाश का संदेश मिलेगा। निरख भारत के लिये तो उनका अहिंसात्मक संग्राम एक दिव्याक्ष था।

सारे देश में अद्भुत जागृति हो गई। हिन्दू और मुसलमानों में अनुपम एकता के प्रदर्शन हुए। हज़ारों की संख्या में राष्ट्रीय स्कूड खूले। जगह जगह पंचायतें स्थापित हुईं। वेजवादा कांग्रेस के अधिवेशन के बाद कांग्रेस के सदस्यों की संख्या पचास लाख तक बढ़ गई। राष्ट्रीय संग्राम चलाने के लिये महात्माजी ने "तिलक स्वराज्य फंड" स्थापित किया, जिसके लिये उन्होंने एक करोड़ रुपये की अपील की। देश की जनता ने मुक्त-हस्त से रुपया दिया, और एक करोड़ के बदले एक करोड़ पन्द्रह लाख रुपया इकट्ठा हो गया। महात्माजी के मिय चर्खे ने भी छरछरी की। देश में बीस लाख चर्खे चलने लगे।

## राष्ट्र में अद्भुत जागृति

जैसा कि हम उपर कह चुके हैं महात्माजी के नेतृत्व ने देश के एक प्रकार की अर्जौकिक नरचेतना से अनुप्राणित किया। देश के कोन कोने में स्वराज्य की भावना का प्रकाश चमकने लगा। स्वराज्य प्राप्ति की महत्वाकांक्षा ने जनता के हृदयों पर अधिकार कर लिया। देश में क्रान्ति की भावना ने वायुमण्डल को परिप्लुत कर दिया। खाला लाजपतरायजी ने ईस्वी सन् १९२० में कांग्रेस के अध्यक्ष पद में भाषण देते हुए कहा था.—

“It is no use blinking the fact that we are passing through a revolutionary We are by instinct and tradition averse to revolutions. Traditionally, we are a slow-going people, but when we decide to move, we do move quickly and by rapid strides. No living organism can altogether escape revolutions in the course of its existence.” अर्थात् इस बात से इनकार करने से कोई लाभ नहीं कि हम एक क्रान्तिकारी जमाने से गुजर रहे हैं। स्वभाव और परम्परा से हम क्रान्ति के खिलाफ हैं। हमारे यहाँ तो धीरे-२ कदम उठाने का चलन रहा है। लेकिन जब हम तै कर खते हैं कि चलना है, तब हम तेजी से कदम उठाकर चलते हैं। कोई भी अविचल सत्था अपने जीवन की अवधि में क्रान्ति से चकूती नहीं रह सकती।”

कहने का मतलब यह है कि थारों और सत्याग्रह की छहर छा गई। शीघ्र से शीघ्र देश को विदेशी सत्ता से मुक्त करने के लिये लोग उभरने लगे। गांधीजी की आदेशानुसार नई कौंसिलों के चुनाव का बहिष्कार बहुत कुछ सफल हुआ। दो तिहाई मत दाताओं ने चुनाव में हिस्सा

नहीं लिया। स्कूलों के बहिष्कार में भी काफी सफलता मिली। विद्यार्थी समुदाय बड़े उत्साह से असहयोग आन्दोलन में शामिल हुआ। कई बकीलों ने अपनी बकायत छोड़ दी, जिनमें पं० मोतीबाबू नेहरू और देश बन्धु चित्तरजन दास, जैसे भारत प्रख्यात बकील भी शामिल थे। संसार प्रख्यात कवि-सम्राट् रवीन्द्रनाथ टैगोर ने अपनी 'सर' की उपाधि त्याग दी। इस समय आपने वायसराय को जो पत्र लिखा, उसमें आपने स्पष्ट निर्देश किया कि राष्ट्र के इस भयङ्कर अपमान को देखते हुए कोई भी सरकारी उपाधि धारण करना एक लज्जा जनक वस्तु है। आपके पत्र का कुछ अंश निम्नलिखित है। "The time has come, when badges of honour make our shame glaring in their incongruous context of humiliation, and, for my part, wish to stand, short of all special distinctions, by the side of my country men, who, for their, so called insignificance, are liable to suffer degradation 'not fit for human beings.'"

इसी प्रकार इसके कुछ समय पहले मद्रास हाई कोर्ट के भूतपूर्व चीफ जस्टिस श्री सुब्रह्मण्य अय्यर ने अमेरिका के तत्कालीन प्रसीडेंट विलसन को एक पत्र लिखकर यह अनुरोध किया था कि वे भारत को स्वराज्य दिलवाने में अपने प्रभाव का पूरी तरह से उपयोग करें। और इसी समय अय्यर महोदय ने के० सी० छाई० ई० की उपाधि का परित्याग किया।

कहने का मतलब यह है कि स्वराज्य को जल्दी हासिल करने के लिये जो नया लड़ाकू कार्यक्रम स्वीकार किया गया, उससे जन-आन्दोलन घड़ी तेजी से आगे बढ़ चला। गांधीजी ने निश्चित भविष्यवाणी करदी थी कि साल भर में स्वराज्य मिल जायगा और इसके लिये ३१ दिसम्बर १९२१ की तारीख भी उन्होंने निश्चित करदी थी। उस समय जनके अनुयायियों

ने हम भविष्य वाणी पर विश्वास कर लिया था। मितम्बर मन् १९२१ के एक सम्मेलन में गांधीजी ने यहाँ तक कह दिया था कि "उन्हें साल भर के अन्दर ही स्वराज्य मिल जाने का दृढ़ विश्वास है। बिना स्वराज्य पाये ३१ दिसम्बर के बाद जिन्दा रहने की वे कल्पना भी नहीं कर सकते।"


यद्यपि विद्याशील लोगों को एक मास में स्वराज्य प्राप्त कराने की कल्पना प्रायः असम्भव सी मालूम हुई, पर बहुजन समाज ने यह विश्वास कर लिया कि स्वराज्य बहुत निकट था पहुँचा है और एक साहस में हम अपने देश के माखिक बन बँटेंगे। हमसे ई. सन् १९२१ में देश के हर हिस्से में जन-संघर्ष के नये नये और पहले से ज्यादा उग्र रूप दिखाई दिये। मजदूरों में भी अद्भुत जागृति होने लगी। आसाम-बङ्गाळ रेलवे में अमृतपूर्व हड़ताल हुई। बङ्गाळ के मोदिनापुर जिले में खगान बन्दी का आन्दोलन जोर शोर से चला। पश्चात् में सरकार के पिढु महन्ती के खिलाफ अकाबरी आन्दोलन ने उग्र रूप धारण किया। इसी समय से "राष्ट्रीय सेवा दल" का संगठन शुरू हुआ। कांग्रेस या खिलाफत के अन्तर्गत अहिंसामक असहयोग के सिद्धान्त को मानते हुये हम दल का संगठन किया गया था, लेकिन बहुत से स्वयं सेवक बर्दी पहनते थे, कमायद करते थे और खाइन बांधकर हड़ताल चलाने या खिलाफती कपड़ों की दुकानों पर धरना देने या लोगों को समझाने जाते थे।

सरकार ने अपनी पूरी ताकत से सेवादल पर दमन चक्र चलाया। "स्टेट मैन" और "इङ्ग्लिश मैन" जैसे अर्द्ध सरकारी अखबार शोर मचाने लगे कि सरकार तो प्रबल हो गई है और "सेवा दल" ने कलकत्ते पर कब्जा कर लिया है। उन्होंने इस बात की मॉग की कि "सेवादल" के खिलाफ गुरन्त कार्रवाई की जानी चाहिये। सरकार ने स्वयं सेवक दलों को और कानूनी करार दे दिया। हज़ारों की तादाद में लोग पकड़ लिये गये। उनकी सखी जगहें हजारों विद्यार्थियों और कारखानों के मजदूरों ने

सेवादल में भर्ती होकर पूरी की। मतलब यह है कि चारों ओर असहयोग की भावना और देश को स्वतंत्र करने की अभिलाषा ने अपना पूर्ण-प्रकार जमा लिया। वृत्ति अधिकारियों को यह भय होने लगा कि अगर अहिंसा का यह आन्दोलन नगरों में ग्रामों में पहुँच गया तो उनकी सारी ताकत भी इसे दबाने में असमर्थ होगी, और उन्हें अपने बोरे-बिस्तर बाँधकर विलायत के लिये रवाना होने के लिये विवश होना पड़ेगा। इसलिये ए० मालवीयजी को बीच में डालकर महात्मा गांधी और सरकार में समझौता कराने का आयोजन हुआ। महात्मा गांधी और तत्कालीन वाइसराय के बीच में ए० मालवीय जी ने मुझाकात करवाई। उस समय लॉर्ड रीडिंग वाइसराय हुए थे। यह अप्रैल १९२१ की बात है। इस मुझाकात में वाइसराय को गांधीजी की सन्चाई और शुद्ध भाव को देखने का अवसर मिला। वे इस नतीजे पर पहुँचे कि असहयोग आन्दोलन के खिलाफ कोई कार्रवाई करना मुनासिब न होगा। प्रसंगवश उन्होंने अली भाइयों के कुछ व्याख्यानों की ओर गांधीजी का ध्यान दिखाया, जिनसे गांधीजी के असहयोग आन्दोलन सम्बन्धी विचारों का खंडन होता था। गांधी जी को बताया गया कि इन व्याख्यानों का तात्पर्य हिंसा को सूक्ष्म रूप से उत्तेजना देने के पक्ष में खगाया जा सकता है। गांधीजी को भी जँचा कि इन भाषणों का ऐसा अर्थ लगाया जा सकता है। इसलिये उन्होंने अली भाइयों को जिस्त और उनसे इस आशय का वक्तव्य निकलवाया कि उनका आशय ऐसा नहीं था।

२८, २९ और ३० जुलाई १९२१ को बम्बई में महासमिति की एक महत्वपूर्ण बैठक हुई। बेजवाबा कार्यक्रम को देश में जो सफलता मिली थी उससे चारों ओर सुशियाँ छाई हुई थीं। तिलक-स्वराज्य-कोष में निधित से अधिक १५ लाख रुपये आ गये थे। कांग्रेस सदस्यों की संख्या आधे के ऊपर पहुँच कर रह गई। मगर पछे करीब २ बीस लाख चकने खने। इसके बाद अब घुनने तथा खादी सम्बन्धी विविध क्रियाओं

की धार दश का ध्यान गया । इस उद्देश्य की सिद्धि के लिये विदेशी कपड़े के बहिष्कार और खादी की उत्पत्ति में सारी शक्ति खगाने का प्रयत्न देश के सामने था । महा समिति ने यह भी सलाह दी कि "तमाम सामेसो आगामी १ अगस्त से विदेशी कपड़ा का उपयोग छोड़ दें ।" यन्त्र और महमशावाद क मिल् मास्त्रिकों से अनुरोध किया गया कि वे अपने कपड़ों की कीमत मजदूरों की मजदूरी के अनुपात से रखें और नई पेसी हो निससे गरीब भी उस कपड़े को खरीद सकें और मंजूदा दरों न तो दाम हरगिज़ न बढ़ाये जाँय ।" विदेशी कपड़े मगाने वालों स कहा गया कि वे विदेशी कपड़ों के आर्डर न भेजें और अपने पास के माख को हिन्दुस्तान के बाहर खपाने का उद्योग करें ।



# १९२१ का महान् आन्दोलन



ईस्वी सन् १९२१ में देश में जैसी अपूर्व और व्यापक जागृति हुई वह भागतत्पर्व के इतिहास में एक अद्भुत घटना थी । राष्ट्र के वातावरण का परमाणु पामणु 'स्वराज और स्वाधीनता' के भावों से अनुप्राणित हो रहा था । राष्ट्र में नवचेतना का मानों समुद्र उमड़ आया था । महात्मा गांधी की जय जयकार से सारा देश गूँजायमान हो रहा था । महात्मा गांधी देश के मानों एक सुग्री और सर्वोत्तम नेता के रूप में राष्ट्र का मार्ग प्रदर्शन कर रहे थे । प० जवाहरलालजी का यह वाक्य कि 'गांधी ही भारत है' सच रूप में प्रकट हो रहा था । उनके अहिंसात्मक असहयोग ने देश को जब से हिला दिया था । उन्होंने हम विराट् देश को जागृत कर उसे अपनी महान् शक्ति का भान करवाया था । न केवल राजनैतिक क्षेत्र ही में पर धार्मिक और सामाजिक क्षेत्र में भी नवजागृति और क्रांति की भावनायें अपना आधिपत्य जमा रहीं थीं । सदियों से पद दूषित किसानों में भी नवचेतना का प्रकाश चमकने लगा था । जैसा कि हम ऊपर कह चुके हैं बंगाल के मिर्नापुर जिले में कर बन्दी का आन्दोलन शुरू हो गया था । पञ्जाब में धर्माचार्यों के भोग विनास और पतनशील जीवन के विरुद्ध किसानों ने ज़ोर शोर का आन्दोलन शुरू कर दिया था । विद्यार्थियों हज़ारों की संख्या में स्कूल और कॉलेज छोड़कर गांधीजी के साध्याग्रह संग्राम के विषय भूकण्डे के नीचे उमड़ हो रहे थे । संयुक्त प्रदेश में तीन किसान नेताओं के पकड़े जाने के कारण बड़े २ प्रदर्शन हो रहे थे । पुलिस को घरेलू में प्रदर्शनकारी किसानों पर गोखिलों पछानी पड़ी, जिनसे सात किसान मारे गये और कई घायल हुये । इस घटना के दून्ने ही मास में ७० हज़ार किसान असहयोग आन्दोलन में



मन्मिखित हुए। इसी समय पंजाब में सिख किसानों ने भी बहुत बड़ी तादाद में इस महान् आन्दोलन में प्रवेश किया और नानकना साहब के हत्याकाण्ड ने उनके निश्चय को और भी दृढ़ कर दिया। सिखों के इस आन्दोलन के कारण अमृतसर के प्रसिद्ध स्वर्ण-मन्दिर के महन्त का स्तीफा देना पड़ा, और सुधारकों की समिति ने सिखों के उस पवित्र मन्दिर का प्रबन्ध अपने हाथ में लिया।

सिखों की धार्मिक रष्टि में स्वर्ण मन्दिर से दूसरा नम्बर नानकाना साहिब के गुरुद्वारेका है। इस गुरुद्वारे के महन्त पर भी भ्रष्टाचार के बड़े बड़े आरोप थे ईस्वी सन् १९२१ के २ मार्च को इस महन्त के खिलाफ बड़ा प्रदर्शन किया गया। लगभग १२० सिख जब पूजा करने के लिये उक्त गुरुद्वारे में घुसे तो उक्त गुरुद्वारे के दरवाजे बन्द कर दिये गये और उनमें से १०० सिख बड़ी निर्दयता से कूट कर दिये गये! इतना ही नहीं इन सिखों के शव पैट्रीक डाल कर जला दिये गये!! इस महान् हत्याकाण्ड से सारे देश में घृणा और क्रोध की लहर बह चली। प्रकाशियों के गुस्से का तो पार न रहा। अगर महात्माजी का अहिंसामक असहयोग मार्ग में न आता तो इन सिखों द्वारा बड़ा भयङ्कर पदका लिया जाता और बड़े बड़े हत्याकाण्ड संगठित होते। इसके दूसरे ही साल अर्थात् ईस्वी सन् १९२२ के अगस्त मास में अपने अधिकारों की रक्षा के लिये गुरु का पाग में सिखों ने जो महान् सत्याग्रह संग्राम संचालित किया वह अपने उग का अपूर्व था। इस समय विरोधियों द्वारा इन सत्याग्रहियों पर एसी निर्दयता पूर्वक मार पड़ती थी कि वे बेहोश तक हो जाते थे। पर इतने पर भी उन्होंने हिंसामक उपायों का अवलम्बन नहीं किया। वे महारमा गांधी के आदर्शों पर शान्ति पूर्वक प्रतिरोध करते रहे। यहाँ यह बात विशेष रूप से ध्यान देने योग्य है कि सिख एक सैनिक जाति है और उस पर महारमाजी के अहिंसामक प्रोग्राम का जानू की तरह असर हुआ था। उन्होंने भयङ्कर से भयङ्कर आघात सहकर भी चित्त शान्ति का

परिचय दिया था उसकी प्रशंसा महामना एड्ज महोदय ने लंडन के मैन्चेस्टर गार्दिपन नामक पत्र में की थी और यह दिखलाया था कि सैनिक मनोवृत्ति के मनुष्यों पर भी गांधीजी ने अपने प्रेम और अहिंसा का कितना प्रभाव डाला था।

जैसा कि ऊपर कहा गया है ईस्वी सन् १९२१ में स्वराज्य आन्दोलन ने बड़े जोरों से प्रगति की। लोग एक वर्ष में स्वराज्य विखने की अभिलाषा से उन्मत्त हो रहे थे। तबक स्वराज्य फंड के क्लिये गांधीजी ने एक करोड़ की अपील की थी पर वह रकम इससे कहीं अधिक बढ़ गई। इस फंड में अमीर और गरीब दोनों ने मुक्तहस्त से रकमा दिया। महिलाओं ने सोना चांदी और बहुमूल्य जवाहरात के जेवरों को गांधीजी के चरणों में रखकर अपनी राष्ट्रीय भावनाओं का प्रदर्शन किया। ब्रिटिश माल का बहिष्कार जोर शोर से होने लगा। विदेशी कपड़ों की बड़ी-२ होलियां हुईं। बम्बई में समुद्र के किनारे विदेशी कपड़ों की जो महान् होली हुई थी, वह बम्बई के इतिहास में एक अपूर्व घटना थी। देश के कई भागों में इस प्रकार की होलियां हुईं। कुछ स्थानों पर पुलिस और जनता में मुठभेड़ हुईं और पुलिस ने निरस्र जनता पर गोळियां चलाईं।

२ जुलाई को कराँची में खिलाफत कमेटी का अधिवेशन हुआ, जिसमें मुसलमानों ने अपने खिलाफत सम्बन्धी दावे पेश किये और यह प्रस्ताव पास किया कि कोई मुसलमान अङ्गरेजों की फौज में भर्ती न हो और न वह फौज की भर्ती ही में किसी प्रकार की सहायता दे। इस अधिवेशन में बहुत गर्मागर्म भाषण हुए और सरकार को यहाँ तक धमकी दी गई कि अगर उसने तुर्की के प्रति न्याय न किया तो भारतवर्ष अङ्ग्रेजों से सम्बन्ध तोड़ कर अपने आपको एक स्वतंत्र प्रजातंत्र घोषित कर देगा। इसके कुछ अर्से बाद २२ जुलाई को बम्बई में अखिल भारतवर्षीय काँग्रेस कमेटी की बैठक हुई और उसमें प्रिंस ऑफ वेल्स की भेंट का बहिष्कार करने का निश्चय हुआ। इस समय महात्मा गांधी ने अपने 'नवजीवन' में

बहु साफ़ तौर से प्रकट किया कि भारतवर्ष का ब्रिस ऑफ़ वेरम से व्यक्तित्व रूप से कोई द्वेष नहीं है। इस बहिष्कार से वे उम राज्य पद्धति का विरोध करना चाहते हैं जिसने भारतवर्ष को इस हीनावस्था पर पहुँचा दिया है, और जिसने भारतवर्ष को तुरी तरह शोषित किया है। इसके दो मास के बाद सितम्बर मास में अली बन्दु और दूसरे कई मुस्लिम नेता राज्यविद्रोही भाषण करने के उपलक्ष्य में गिरफ्तार किये गये। इस गिरफ्तारी से देश में और खास कर मुसलमानों में बड़ी सनसनी छा गई। तुम्हें ही केन्द्रवर्ती ख़िलाफत कमेटी (Central Khilafat Committee) की बैठक बुलाई गई और उसमें वे ही प्रस्ताव दोहराये गये जिनके कारण उक्त नताओं की गिरफ्तारियाँ हुई थीं। सारे देश में मुसलमानों ने सैकड़ों सभायें कर इन प्रस्तावों को दोहराया। ४ अक्टूबर को गांधीजी ने यह घोषणा की कि वे इस संवर्ष में मुसलमानों का साथ दूँगे, और उनके साथ अपना मैत्रीपूर्ण सम्बन्ध और भी मजबूत करेंगे। अखिल भारतवर्षीय कांग्रेस कमेटी के २० सदस्यों ने गांधीजी की इस घोषणा का समर्थन किया और यह प्रकट किया कि हर एक नागरिक को यह अधिकार है कि वह असहयोग के विचारों को निर्भयता से प्रकट करे। इसके साथ ही साथ उन्होंने यह भी प्रकट किया कि कोई भी भारतवासी ऐसे साक्षर की नौकरी न करे जिसने की भारतवर्ष को नैतिक, राजनैतिक और आर्थिक दृष्टि से इस हीनावस्था को पहुँचा दिया है। अलीबन्दुओं का कर्षोही में अभियोग चला और उन्हें तथा उनके साथियों को दो दो वर्ष की सजायें हुईं।

इन घटनाओं से देश में बड़े जोरों से विरोध की धारा भड़क उठी। ४ नवम्बर को दिल्ली में अखिल भारतवर्षीय कांग्रेस कमेटी की फिर बैठक हुई और उसने गांधीजी के उक्त घोषणा पत्र का फिर से समर्थन किया। कांग्रेस कमेटी ने हर एक प्रांत को यह अधिकार दिया कि वह अपनी जिम्मेदारी पर सविनय अवज्ञा शुरू कर सकता है। और इसका

प्रारंभ वह करवन्दी के आंदोलन से का सञ्चता है। कहने की आवश्यकता नहीं कि एक महान् अहिंसात्मक सपना का सूत्रपात होने लगा। देश में विद्युत् वेग से युद्ध की भावना फैल गई। चारों ओर अहिंसात्मक लड़ाई के लिये साधन जुटाये जाने लगे और वातावरण तैयार किया जाने लगा।

## ७ प्रिंस ऑफ वेल्स का आगमन

ब्रिटिश सरकार ने यह समझकर कि भारतवासी स्वभावतया राज-भक्त होते हैं, उन्होंने प्रिंस ऑफ वेल्स को इसलिये भारतवर्ष भेजा कि उनकी उपस्थिति से भारतवर्ष का घुबघुआ वातावरण कुछ शान्त हो जाय। ईस्वी सन् १९२१ के १७ नवम्बर को प्रिंस ऑफ वेल्स यम्बई उतरे। कंग्रेस बर्हिद्वार कमेटी ने प्रिंस के बहिष्कार के आदेश जारी कर दिये। यम्बई में यह बहिष्कार जैसा चाहिये वैसा सफल न हुआ। वहाँ प्रदर्शन कारियों और सरकार के पक्षपाती लोगों में संघर्ष हो गया जिसने आगे चलकर दंगे का रूप धारण कर लिया।

इसके विपरीत कलकत्ते में इस बहिष्कार आन्दोलन को अपूर्व सफलता मिली। वह यहाँ तक कि स्टेट्समैन और इल्लुमिनेशन सरीखे पत्रों ने यह घोषित कर दिया कि कांग्रेस स्वयंसेवकों ने वास्तव में कलकत्ते नगर पर अपना अधिकार कर लिया है, और सरकार ने अपनी सत्ता खोव दी है। उन्होंने सरकार से जोरदार शब्दों में यह अनुरोध किया कि वे स्वयंसेवकों के खिलाफ सख्त कदम उठावे। फिर क्या था? चौबीस घण्टे के अन्दर २ कांग्रेस स्वयंसेवक मंदिर और कानूनी घोषित कर दिया गया। अन्य प्रांतों में भी इस सम्बन्ध में बद्राज का अनुकरण किया गया।

बद्राज में एक तरह से सरकार के इस दमन चक्र का स्वागत किया। दमन शान्ति की आग में घी का काम करता है। दमन शान्ति स्थापना के

चनाय क्रान्ति की भाग को बढ़े जोर में प्रवृत्त करता है। नवयुवक बङ्गाळ इस दमन का मुकाबला करने के लिये तैयार हो गया। उसने निश्चय किया कि सरकार के इस चीलेंज का जवाब आन्दोलन की भयङ्करता बढ़ाकर दिया जाय। पर बङ्गाळ के अनुभवी नेता देशबन्धु दास ने सावधानी से काम लेना उचित समझा। उन्होंने यह मुनासिब समझा कि किसी सङ्घटन को उठाने के पहले महात्मा गांधी और चर्किङ्ग कमेटी से सलाह मशविरा कर लेना जरूरी है। इसके अतिरिक्त देशों की परिस्थिति का ज्ञान कर लेना भी आवश्यक है, जिससे यह मालूम हो जाय कि देश सरकार का सङ्घटन अहिंसात्मक प्रतिरोध करने के लिये कहां तक तैयार है। बङ्गाळ प्रान्त के विभिन्न भागों में गुप्त सन्धुद्धर भेजे गये और इस बात की रिपोर्टें मँगवाई गई कि प्रान्त सरकार के खिलाफ सविनय अवज्ञा आन्दोलन चलाने के लिये कहां तक तैयार है। एक सप्ताह के अन्दर २ सय जिल्लों से उत्साह दापक समाचार मिले। यह मालूम होने लगा कि प्रान्त सविनय अवज्ञा के लिये बड़ा आतुर हो रहा है। नवम्बर के अन्त में बङ्गाळ प्रान्तीय कांग्रेस कमेटी की बैठक बाद कमरे में बुलाई गई। इसमें तीन सौ सदस्यों ने भाग लिया। उसमें बड़ा अग्रज जोश और उत्साह था। उसमें सर्व सङ्मति से यह निश्चय किया गया कि सरकार के दमन नीति के जवाब में तुरन्त सविनय अवज्ञा आन्दोलन शुरू कर दिया जाय और सकट काळीन अवस्था में कमेटी के सारे अधिकार कमेटी के प्रेसीडेंट देशबन्धु दास को दे दिये जाय। उन्हें गिरफ्तार होने की हालत में अपना उत्तराधिकारी मनोनीत करने का अधिकार भी दे दिया जाय।

कहने की आवश्यकता नहीं कि देशबन्धु चितरंजनदास ने आन्दोलन का नेतृत्व अपने हाथ में लिया, और उन्होंने स्वयं सेवकों की भर्ती के लिये प्रयत्न की। उन्होंने यह भी प्रकट किया कि उनकी धर्मपत्नी और पुत्र भी स्वयंसेवकों में भर्ती होंगे जिससे कि दूसरे लोगों को उत्साह मिले। कमेटी के कुछ सदस्यों ने यह अनुरोध किया कि जब तक एक भी

आदमी मौजूद है तब तक किसी छी को सत्याग्रह में क्रियात्मक भाग लेने की आवश्यकता नहीं, पर देश बन्धु अपनी बात पर अड़े रहे। दूसरे ही दिन देश बन्धु के पुत्र स्वयं सेवकों का नेतृत्व करते हुए गिरफ्तार किये गये और वे जेलखाने भेज दिये गये। इससे वातावरण में बड़ी गर्मी आ गई और स्वयं सेवक बड़े जोरों से भर्ती होने लगे। श्रीमती दास को भी बारी आई और वे अपनी ननद श्रीमती उर्मिला देवी और अपनी एक सखी मिम सुनीति देवी के साथ स्वयं सेवकों तथा स्वयं सेविकाओं का नेतृत्व करती हुई सत्याग्रह के लिये बाहर निकल पड़ी। वे सप्त गिरफ्तार कर लीं गईं और उन्हें भी जेल भेज दिया गया। इससे सारी बंगाल में क्रोध और घृणा की लहर बह चली। क्या बूढ़े क्या युवक, क्या अमीर क्या गरीब सभी बहुत बड़ी तादाद में कांग्रेस स्वयं सेवक दल में भर्ती होने लगे इसका असर न केवल साधारण जनता ही पर पड़ा पर पुलिस और फौज के लोग भी इस घटना से प्रभावित हुए। जब श्रीमती दास कैदियों की गाड़ी में जेल खाने ले जाई जा रही थीं तब बहुत से पुलिस के कास्टेबल उनके पास आये और उनसे विनय पूर्वक नमस्कार कर कहने लगे कि हम सरकार के इस अत्याचार के खिलाफ अपनी नौकरियों से स्तीफा देने की तैयारी कर रहे हैं। सरकारी क्षेत्रों में भी सच्चाटा ब्ला गया और सरकार बड़ी भयभीत होने लगी। उसे डर होन लगा कि अगर पुलिस फौज और अन्य सरकारी नौकरों में असहयोग की भावना ने घर कर लिया और वे स्तीफा देने लगे तो शासन का चलना असम्भव हो जायगा। मि० एस० एन० मल्लिक ने, जो नर्मदख के एक प्रधान नेता थे और जो पीछे जाकर भारत सेक्टोरी की कांसिल के सदस्य हो गये थे, श्रीमती दास की गिरफ्तारी के विरोध में गवर्नमेंट हाउस छोड़कर चले गये। वातावरण इतना उतेजना मय हो गया था कि सरकार को मजबूर होकर श्रीमती दास और उनकी सहयोगिनियों को आधी रात के पइले ही छोड़ देना पड़ा। इसके दूसरे दिन हजारों विद्यार्थी और कैक्टरियों के

महादूरी ने स्वयं सेषकों में अपने नाम दत्त कराये । सत्याग्रह का और दिन गुना चीर हाथ खीनुना बड़ने खगा । पोड़े ही दिनों में कड़कते के दो बड़े जेख प्राने देदिवी मे खपाखण भर गये । साकार ने कुछ कैम-  
 जेबप्राने खपाखण किये चीर ये भी खति खीम पूरे भर गये । अब सो सरकार ने सगुत्र क्रम उटाने का निश्चय किया, चीर उसने १० दिवसपर सन् १९२२ को देणबन्नु दास चीर उनके सब साधियों को गिरफ्तार कर जेख में डाख दिया । इसमें सारे देण में बड़ी सनसनी छा गई । खोग सत्याग्रह संभ्राम को चीर भी खेड़ी से खजाने के खिये उासुड होने खगे ।



# अहमदाबाद की काँग्रेस



देश के इस उत्तेजना पूर्ण वातावरण में, अहमदाबाद में, काँग्रेस का अधिवेशन हुआ। इस अधिवेशन में जनता का जैसा उसाह देखा गया, वह काँग्रेस के इतिहास में अद्वितीय और अपूर्व था। जनता के जोश का समुद्र मानों उमड़ रहा था। लॉग स्वराज्य की भावनाओं से परिप्लुत हो रहे थे। देशबन्धु दास इस अधिवेशन के अध्यक्ष निर्वाचित हुये थे, पर उनके जेल चले जाने से हकीम अजमल खां साहब ने अध्यक्ष के आसन को सुशोभित किया था। इस अधिवेशन में सारे देश को आह्वान किया गया था कि वह व्यक्तिगत और सामूहिक सत्याग्रह के लिये विलकुल तैयार रहे। देश के हर एक पुरुष और स्त्री से अपील की गई थी कि वे राष्ट्रीय स्वयं सेवक मंडल (National Volunteer Corps) में भर्ती हों और सत्याग्रह संग्राम को अपनी सारी शक्ति लगाकर चलाने; सरकार के अन्याय पूर्ण कानूनों को तोड़ें और स्वेच्छा से जेलखाने जावें। इस अधिवेशन ने महात्मा गांधी को देश का डिक्टेटर नियुक्त किया और उनके हाथ में सत्याग्रह संग्राम चलाने की सारी सत्ता सौंप दी।

इस अधिवेशन में सुप्रसिद्ध मुस्लिम लीडर मौलाना इसरत मोहानी ने यह प्रस्ताव रखा कि भारत की राष्ट्रीय महासभा (Indian National Congress) का अन्तिम लक्ष्य 'पूर्ण स्वतन्त्रता प्राप्त गणतंत्र राज्य (Republic)' रखा जाय। महात्माजी को उस समय के लिये सम्भवतः यह प्रस्ताव असामयिक जवाब और उन्होंने इसका विरोध किया। उन्होंने इस प्रस्ताव के सम्बन्ध में कहा:—



It has grieved me because it shows lack of responsibility." अर्थात् इस प्रस्ताव ने मुझे दुःखित किया है, क्योंकि इसमें जिम्मेदारी का अभाव है। कहने की आवश्यकता नहीं कि उन के इस विरोध के कारण उक्त प्रस्ताव अस्वीकृत हो गया। वास्तविक बात यह थी कि वम्बई में 'मिस डॉक वेरस' के आगमन के समय में जो कुछ हिंसा कांड हो गया था उसमें महामाजी की कीमती आत्मा को बड़ा धक्का पहुँचा था। महामाजी अहिंसा के पक्षारी थे। उनका रोम रोम अहिंसा के महान् तत्वों से परिप्लुत था। विरोधी द्वारा भयङ्कर से भयङ्कर उत्तेजना होने पर भी अहिंसात्मक रूप अटल रहना, यह उनका अपने कार्यकर्त्ताओं को आदेश था। अपने अनुयायियों या कार्यकर्त्ताओं द्वारा इस महान् तत्व की अवहेलना उनके लिये असह्य गलती थी। इस लिये लोगों की मदती हुई उसी के बावजूद भी उन्होंने अहमदाबाद कांग्रेस में बहुत ज्यादा सख्त कदम उठाना मुनासिब नहीं समझा। इससे वमपत्रियों को कुछ निराशा भी हुई।

अहमदाबाद कांग्रेस के बाद १ मास तक गांधीजी परिस्थिति का विशेष अध्ययन करते रहे। इस बीच में कई प्रान्तों और जिलों के कार्यकर्त्ता उनके पास आये और उनसे करबन्दी का आन्दोलन जोर जोर से चालू करने का अनुरोध किया। मद्रास प्रान्त के गंदुर नामक जिले ने बिना महामाजी की अनुमति लिये ही करबन्दी का आन्दोलन शुरू कर दिया। महामाजी को यह अनुरोध हीनता अच्छी न लगी। उन्होंने गुरन्त यह आदेश भिजवाया कि सारे कर ठीक मिस्री पर दे दिये जावें। इसके बाद उन्होंने करबन्दी आन्दोलन के लिये गुजरात का बारबोखी नामक एक जिल्ला चुना। वह जिल्ला सरदार बरबभ भाई प्रभृति महामाजी के प्रधान सैनिकों द्वारा अहिंसात्मक असहयोग के लिये प्राप्त तौर से तैयार किया गया था।

# बारडोली का सत्याग्रह



गांधीजी ने भारतवर्ष में जिन जिन स्थानीय सत्याग्रहों का संचालन किया था, उनमें बारडोली का सत्याग्रह सबसे महत्वपूर्ण था। यही कारण है कि कुछ लेखकों ने उक्त सत्याग्रह को ऐतिहासिक सत्याग्रह कहा है। जिन मुद्दों पर यह सत्याग्रह चलाया गया था, वे किसानों के लिये जीवनभूत थे। भारत की तरकाशील नौकरशाही ने इस सत्याग्रह को कुचलने के लिये हर प्रकार के दमनशील उपायों को काम में लिया। पर शीघ्र ही उसे मालूम हो गया कि किसी भी प्रकार के कठोर दमन से जनता की आत्मा को नहीं कुचला जा सकता।

ईस्वी सन् १९२२ में, जब कि सारे भारतवर्ष में असहयोग चान्दोजन अपने पूरे जोर शोर के साथ चल रहा था, बारडोली का संघर्ष भी बड़ा उग्र रूप धारण करता जा रहा था। महारमाजी और उनके प्रधान सैनिक सरदार वल्लभ भाई पटेल की यह अभिलाषा थी कि सत्याग्रह का सारा प्रोत्साहन बारडोली के संघर्ष में व्यावहारिक रूप में लाया जाय। अगर चोरी चोरा की दुर्घटना न हुई होती तो उस समय सत्याग्रह का महान् सम्मान चलायाने का सौभाग्य बारडोली को प्राप्त हुआ होता। चोरीचोरा की दुर्भाग्यपूर्ण घटना के कारण महारमाजी को यह सम्मान अनिश्चित फास के लिये स्थगित करना पड़ा। पीढ़े जाकर ईस्वी सन् १९२८ में बारडोली ने फिर से काथन्दी का चान्दोजन शुरू किया, जो सत्याग्रह के इतिहास में एक स्मरणीय घटना रहेगी।

सन् १९२९ की सरकार अपने हर एक ठामुके में प्रत्येक तीस वर्ष में एक

यक जमा करती करती थी । इस जमावन्दी के संशोधन में अक्सर भूमि-कर बढ़ाया जाता था । बारडोली और धौरासी के तालुकों ने सरकार ने ३० फी सदी कर बढ़ा दिया । इसका जबरदस्त विरोध हुआ और सरकार ने यह बढ़ती ३० फी सदी से घटाकर २२ फी सदी करदी । पर किसानों को इससे भी सन्तोष न हुआ । उन्होंने इस भूमिकर वृद्धि की खुली जाँच के लिये सरकार से अनुरोध किया । पर सरकार ने किसानों के इस विरोध की कुछ परवा न की ।

यह सोच विचार के बाद किसानों ने संगठित रूप से इसका विरोध करने का निश्चय किया । उन्होंने सभाये करके इस प्रकार के प्रस्ताव पाम किये कि अगर सरकार अपन निर्णय पर अड़ी रहे तो उसे कर देना बन्द कर दिया जाय ।

बारडोली तालुका की जन-संख्या लगभग अठ्ठासी हजार थी और नई करवृद्धि के अनुसार उसकी भूमि कर सम्बन्धी आमदनी छ लाख सत्ताईस हजार होती थी । गांधीजी ने सारी परिस्थिति को अध्ययन कर बारडोली के किसानों को आशीर्वाद दिया और उनके न्यायोचित सघर्ष की सफलता के लिये शुभ कामना प्रकट की ।

किसानों की प्रार्थना पर सरदार बल्लभ भाई पटेल ने उनका नेतृत्व स्वीकार किया । उन्होंने किसानों में नया जोश फूँका और उन्हें यह आदेश दिया कि वे बड़ा से बड़ा आत्मत्याग और कष्ट सहन करके सत्याग्रह संग्राम में अन्तिम विजय प्राप्त करें । धीरुत महादेव भाई देसाई ने अपने "Story of Bardoli" नामक ग्रन्थ में बारडोली के सत्याग्रह का बड़ा ही चित्कारणक वर्णन किया है, जिसका सारांश यह है ।

सरदार बल्लभ भाई पटेल ने बारडोली तालुके का बड़ा ही सांगो पांग और सुन्दर संगठन किया था । कई वर्षों तक इस तालुके के विभिन्न भागों में उनकी स्थापित की हुई तांत्रिक संस्थाओं रचनात्मक कार्य

कर रही थीं। इन्हीं संस्थाओं के अन्तर्गत मोलह शिविर "Camps" कायम किये गये थे। इन शिविरों की आधीनता में २५० स्वयंसेवक लोकजागृति और सेवा का कार्य कर रहे थे। इन स्वयंसेवकों के जिम्मे विशिष्ट कार्य रखे गये थे। सरदार बल्लभभाई के इस अद्भुत संगठन ने बारडोली तालुका को सत्याग्रह के लिये पूरी तरह से तैयार कर दिया था। इस तालुके के वातावरण में सघर्ष, आत्मत्याग, निर्भयता और अन्यायपूर्ण कानूनों की अचला आदि के तत्व पूर्ण रूप से भर गये थे। प्रत्येक दिन व्यूलेटिन प्रकाशित होते थे जिनमें सत्याग्रहियों के लिये शिक्षार्थ और आदेश रहते थे। किसानों से यह प्रतिज्ञायें ली गईं थीं कि वे पूर्ण रूप से अहिंसक रहेंगे, तथा वे इस पवित्र संग्राम की बलिबेदी पर अपना सब कुछ न्यौछावर कर देने के लिये सहर्ष प्रस्तुत रहेंगे। बारडोली में पारं तालुके के प्रतिनिधियों की एक परिषद् की गई और उसमें एक मत से यह तै किया गया कि सरकार को परिवर्द्धित कर न दिया जाय और जब तक सरकार अपने पूर्व भूमिकर खेने के लिये तैयार न हो जाय या यह एक निष्पक्ष न्यायालय द्वारा इस प्रश्न का निपटारा न करवाले तब तक यह वर बन्दी का आन्दोलन जोर जोर से चलाया जाय। यह निश्चय ईस्वी सन् १९२८ की २२ फरवरी को हुआ था।

कहने की आवश्यकता नहीं कि पुरुष, जिपां और बच्चे सब के सब सरदार द्वारा बुलाई गई सभाओं में बड़े उत्साह के साथ सम्मिलित होते थे। पारं बारडोली तालुके का वातावरण विद्युन्मय हो गया था। चारों ओर नवजीवन और नवोत्साह के चिन्ह दिखलाई देने लगे थे। ईस्वी सन् १९२२ के सत्याग्रह के दिनों की पुनरावृत्ति हो रही थी।

सरकार ने साम, दाम, दण्ड, भेद आदि सब उपायों का अवलम्बन कर सत्याग्रह संग्राम को कुचलने की चेष्टा की पर लोगों के दृढ़ निश्चय के सामने वे कामयाब न हुईं। उनके द्वारा किये गये छाठीपार्जनों को सत्याग्रहियों ने अपने घाममल्ल द्वारा धेकार सिद्ध कर दिया। लोग

सुरी से जेत जाने लगे और उसमें एक प्रकार के अपूर्य धानन्द का अनुभव करने लगे। इस पर सरकार की परेशानी बहुत बढ़ गई। अब यह लोगों की एकता को तोड़ने का प्रयत्न करने लगी। लोगों की जायदादें बहुत बड़े पैमाने पर जन्त की जाने लगी। खालुके के लोगों ने इन्हें खेने से इन्कार कर दिया। इस पर सरकार ने याहर से चादमी बुलाकर इन पर थोड़ी लश्करी शुरु की। उसने १४०० एकड़ भूमि जन्त कर उसे नोकास कर दिया। इतना ही नहीं सरकार ने पठानों को बुलाकर लोगों पर तरह तरह के अत्याचार कराये, पर जगता पहाड़ की चट्टान की तरह अपने इड़ निश्चय पर अटल रही और वह उस की मस न हुई। जनता न सरकार के प्रतिनिधियों का और उन लोगों का जिन्होंने जायदादें खरीदी थीं, पूर्णरूप से बहिष्कार कर दिया। यहाँ यह बात ध्यान में रखने योग्य है कि गांधीजी के आदर्शानुसार इस बहिष्कार में अपने विरोधियों को भी साथ-सामग्री चादि जीवन निर्वाह की वस्तुओं को शामिल नहीं किया गया था।

सारे भारतवर्ष ने बारडोली के वीरों के इस महान् सत्याग्रह संग्राम के प्रति सहानुभूति प्रकट की। इस पत्रि संग्राम में वीर महिलाओं ने वैसे ही वीरता पूर्ण भाग लिया जैसा कि पुरुषों ने लिया था। बम्बई की धारा सभा के कई सदस्यों ने बारडोली में किये जाने वाले दमन के विरोध में अपने स्तीफे दे दिये। पार्लियामेंट में भी बारडोली के प्रश्न की जेकर काफी चर्चा हुई। यहां यह ध्यान में रखना चाहिये कि सत्याग्रही किसान आदिमक और चट्टान की तरह इड़ रहे। आखिर उनही विजय हुई। साढ़े पाँच मास के निरन्तर संघर्ष के बाद सरकार ने अपने घुटने टेक दिये और गवर्नर को इस सारे प्रश्न की जाँच करने लिये एक कमेटी घैठानों परी। जिन लोगों की जायदादें जप्त की गई थी उन्हें अपने असली मासकों को वापस खौटा दिया गया। कमेटी ने अपनी जाँच के बाद यह पाया कि किसानों का डर सही है और उसमें २२ फी सदी कर वृद्धि को घटाकर

केन्द्र 6½ फी सदी रख दिया ।

सत्याग्रह के इस महान् संग्राम ने संसार के सामने सत्याग्रह शक्ति की महान् शक्ति को रक्खा । रैयत का संघर्ष न्याय के तत्व पर स्थित था और उसने अहिंसा के महान् सिद्धान्त को शुरू से आखिर तक अपनाये हुये रक्खा । इस महान् ऐतिहासिक संग्राम की सफलता पर गांधीजी को बधाई देते हुए स्वर्गीय श्रीमती सरोजनी नायडू ने गांधीजी को लिखा था "Your dream was to make Bardoli the perfect example of Satyagraha and Bardoli has fulfilled itself in its own fashion interpreting and perfecting your dream."

## गांधी जी के आन्दोलन का अद्भुत प्रभाव



### सरकार का आसन हिला

महात्मा गांधी द्वारा संचालित असहयोग आन्दोलन में सारे देश में जिस अहिंसात्मक और अर्ध क्रांति की लहर फैलायी थी और उससे राष्ट्र की आत्मा में जैसी अद्भुत सजीवता आगई थी, उसका उल्लेख हम गत पृष्ठों में कर चुके हैं । इस देशव्यापी क्रांति की भावना ने तत्कालीन सरकार के आसन को जड़ से हिला दिया था । ईस्वी सन् १९२२ की ६ फरवरी को तत्कालीन वइसराय ने भारत सेक्रेटरी के पास लंदन को दिग्गलिखित तार भेजा था । "The lower classes in the towns have been seriously affected by the non-co-operation movement..... In certain areas the peasantry have been affected, particulary in parts of Assam Valley, United Provinces, the Akali agitation.....has penetrated to the rural Sikhs. A large proportion of the

Mohammedan population through out the country are embittered and sullen... .. grave possibilities... .. The Government of India are prepared for disorder of a more formidable nature than has in the past occurred and do not seek to minimise in any way the fact that great anxiety is caused by the situation'. नगरों की निम्न श्रेणियाँ असहयोग आन्दोलन से गम्भीरता पूर्वक प्रभावित हुई हैं। आसाम, युक्तप्रान्त बिहार और उड़ीसा आदि प्रांतों में कृषक दल पर भी इस आन्दोलन का प्रभाव पड़ा है। अकाबरी सिवलों के आन्दोलन ने प्रॉमो में प्रवेश कर वहाँ के सिवलों को प्रभावित किया है। सारे देश में मुसलमान जनता का बहुत बड़ा भाग रुदुता और उदासी से भर गया है। स्थिति की सम्भावनाएँ गम्भीर हैं। भारत सरकार भूत काबलीन घटनाओं से अधिक संगीन और अशांति का मुकाबला करने के लिये तैयार है। पर वह स्थिति की गम्भीरता को कम न करते हुये यह प्रकट करती है कि स्थिति से भारी चिन्ता हो रही है।

ईस्वी सन् १९२२ में गांधीजी के आन्दोलन ने तत्कालीन सरकार के आग्रह को किस प्रकार डोलायमान कर दिया था, इसका उल्लेख तत्कालीन दम्बई के गवर्नर ने अपनी एक मुलाक़ात में प्रकट किया था। यह मुलाक़ात उन्होंने 'दियूई पियरॉन' नामक एक अख़बार नवीस को दी थी और जिसका उल्लेख स्वर्गीय सी० एफ० एडवृत्त महोदय ने "New Republic" नामक पत्र में इस प्रकार किया था।

He gave us a scare ! His programme filled our jails You can't go on arresting people for ever, you know not when there are 319,000,000 of them. And if they had taken his next step and

refused to pay taxes ! God knows where we should have been !

Gandhi's was the most colossal experiment in world history; and it came within an inch of succeeding. But he could not control men's passions. They became violent and he called off his programme. You know the rest. We jailed him.

अर्थात् उन्होंने ( गांधीजी ने ) हमें आतंकित कर दिया था । उनके कार्यक्रम ने हमारी जेबों को भर दिया था । आप हमेशा लोगों को गिरफ्तार रखने का काम जारी नहीं रख सकते । जब कि उनकी संख्या ३१,६०,००,००० है । अगर लोगों ने उनके ( गांधीजी के ) दूसरे कदम को अपनाया होता और कर देना बन्द कर दिया होता तो ईश्वर जानता है, हम आज कहाँ होते ।”

“गांधीजी का प्रयोग, संसार के इतिहास में, बड़ा प्रचण्ड था और वह सफलता के विस्तृत नजदीक चला गया था । लेकिन वे ( गांधीजी ) लोगों के मनोविकारों को संयमित नहीं कर सके । खोरा मृत खराबी पर उतर आये और इसलिये गांधीजी ने अपना आन्दोलन रोक्क दिया । बाकी हाल तुम्हें मालूम ही है । हमने उन्हें जेल भेज दिया ।”

उपरोक्त अवतरणों से पाठकों को गांधीजी के आन्दोलन के प्रचण्ड प्रभाव का ज्ञान हुआ होगा और उन्हें यह बात भी मालूम हुई होगी कि अगर खोरी-खोरा काण्ड की दुर्भाग्यपूर्ण घटना नहीं हुई होती तो देश उस समय क्रान्ति के विस्तृत निकट पहुँच गया था ।

### गांधीजी का स्पष्टीकरण

हमने गत पृष्ठों में दिखलाया है कि गांधीजी अहिंसा के अवतार थे । अहिंसा के महान् तत्व के द्वारा भारत के ब्रिटेन स्वराज्य प्राप्त करना



उनका आदर्श था। हमने मनुष्य जाति के सामने वे एक नया दृष्टि-कोण रचना चाहते थे। भारतीय संस्कृति के उच्चतम आदर्श "अहिंसा" के द्वारा इस महान् राष्ट्र के लिये पूर्ण स्वतंत्रता प्राप्त कर, वे मनुष्य जाति को एक दिव्य संदेश देना चाहते थे। वे स्वराज्य के लिये भी हिंसा के मार्ग को अपनाना अपने आदर्श के अनुकूल नहीं समझते थे। वे यह बात कतई नहीं चाहते थे कि राष्ट्र अहिंसा के दिव्य तत्व से विचलित हो। चोरी चोरा काण्ड के बाद सत्याग्रह आन्दोलन को स्थगित करने के लिये उन्होंने जो वक्तव्य दिया था उसमें उन्होंने निम्न लिखित पंक्तियाँ लिखी थीं —

“Let the opponent glory in our humiliation and so-called defeat. It is better to be charged with cowardice than to be guilty of denial of our oath of non violence, and sin against God . . . . . I would suffer every torture, absolute ostracism and death itself to prevent the movement from becoming violent or a precursor of violence.”  
अर्थात् हमारे विरोधी को हमारे मानमर्दन और कथित पराजय पर गौरव अनुभव करने दीजिये। अहिंसा के प्रण को भंग करने और ईश्वर के विरुद्ध पाप करने के बजाय भीरुता का आरोप सिर पर ले लेना ज्यादा अच्छा है। आन्दोलन को हिंसात्मक तथा हिंसा का परिपोषक होने के बजाय, मैं हर एक प्रकार की यंत्रणा, पूर्ण समाज बहिष्कार और मृत्यु तक सहन करने को तैयार हूँ।”

# चौरीचौरा का कांड



सारे भारतवर्ष में असहयोग आन्दोलन ने जो विराट् स्वरूप ग्रहण किया था, उमका उल्लेख हम गत पृष्ठों में कर चुके हैं । स्वतन्त्रता की भावना ने अमीरों के महलों से लगाकर गरीबों के झोंपड़ों तक में अपना पूर्ण आधिपत्य जमा लिया था । देश में चारों ओर नवजीवन का प्रकाश चमकने लगा था । ईस्वी सन् १९२२ की पहली फरवरी को गांधीजी ने तत्कालीन वायसरॉय लॉर्ड रॉडिंग को यह सुनौती ( Ultimatum ) भेजी थी कि अगर सरकार ७ दिन के अन्दर २ अपना हृदय परिवर्तन न करेगी तो वे बारदोली में करमन्दी का आन्दोलन शुरू कर देंगे । बारदोली के साथ २ बड्ढाज, युक्तप्रान्त और आंध्र देश भी कर बन्दी का आन्दोलन जोरशोर के साथ शुरू करने की तैयारी कर रहे थे । महात्माजी की इस सुनौती से सारे देश में एक प्रकार की अपूर्व उत्तेजना छा गई थी । लोग उस क्षण के लिये बड़े उत्साह के साथ बाट जोड़ रहे थे कि कब यह महान् आन्दोलन शुरू किया जाय । इतने ही में आकाश से अकस्मात् षड्राघात हुआ, जिसने देश के उमड़ते हुये जोश को कुछ समय के लिये घुरी तरह से मार दिया ।

ईस्वी सन् १९२२ की ४ फरवरी को युक्तप्रान्त के चौरीचौरा नगर में उत्तेजना बरा होकर लोगों की भीड़ ने पुलिस थाने में आग लगा दी, और २२ पुलिसमैनों को जला दिया ! जब इस दुर्घटना का समाचार महात्मा गांधी को पहुँचा तब उनके कोमल हृदय को जो धक्का लगा, उसका उल्लेख करना खेतनी द्वारा असमर्थ है । उन्होंने तुरन्त कांग्रेस कार्य समिति की बारदोली में बैठक बुलाई और इस दुर्घटना का

उपरोक्त करते हुए एक मिति में औरदार शत्रुओं में अनुरोध किया कि यह अनिष्टित्त्व समय के लिये सारे देश में सत्याग्रह संग्राम को बन्द करने और काँग्रेस जन रचनात्मक कार्य में जुट जावे। कहने की आवश्यकता नहीं कि राष्ट्र के हृदय पर इस आदेश का अमर वज्राघात सा हुआ। राष्ट्र की आत्मा में स्वराज्य की प्राप्ति के लिये जो अहम विस्मयता उत्पन्न हो रही थी यह ठपकी पड़ गई। राष्ट्र में घोर निराशा का साम्राज्य छा गया। राष्ट्र की आत्मा कुछ समय के लिये अपने आपको पंगु अनुभव करने लगी। सारे राष्ट्र की गतिविधियों पर मानों गुबार पाठ हो गया। महात्माजी पर खोंखों का शत्रु पुरुष भाव होते हुये भी खोंखों की उनकी यह कार्यवाही पसन्द न आई। बापू सुभाव चन्द्र बोस अपने "Indian Struggle" नामक ग्रन्थ में लिखते हैं—There was a regular revolt in the Congress Camp. No one could understand why Mahatma should have used the isolated incident at Chauri-Chaura for strangling the movement all over the country. Popular resentment was all the greater because the Mahatma had not cared to consult representatives from the different provinces and because the situation in the country, as a whole, was exceedingly favourable for the success of the civil disobedience campaign. To sound the order of retreat just when public enthusiasm was reaching the boiling point was nothing short of a national calamity. The principal lieutenants of the Mahatma, Deshabandhu Das, Pandit Moti Lal Nehru and Lala Lajpat Rai, who were all in prison, shared the popular resentment. I was with the Deshabandhu at

the time and I could see that he was beside himself with anger and sorrow at the way Mahatma Gandhi was repeatedly bungling. He was just beginning to forget the December blunder when the Bardoli retreat came as a staggering blow. Lala Lajpat Rai was experiencing the same feelings and it is reported that in sheer disgust he addressed a seventy page letter to the Mahatma from prison. "अर्थात् सत्याग्रह के स्थगितकरण के खिलाफ कांग्रेस केन्द्र में नियमित रूप से विद्रोह का भाव था। कोई यह बात न समझ सका कि चौरीचौरा की एकांतिक घटना के कारण महात्मा ने सारे आन्दोलन का क्यों गला घोट दिया। लोक-विश्राम इसलिये भी ज्यादा था कि महात्माजी ने विभिन्न प्रान्त के प्रतिनिधियों से इस सन्वन्ध में सलाह-मशविरा करने की भी चिन्ता न की और ऐसे समय में आन्दोलन उन्दी किया जब कि सविनय अवज्ञा भंग करने के लिये अत्यधिक अनुकूल परिस्थिति थी। ऐसे समय में पीड़े हटने की आशा देना, जब कि जनता का उत्साह ज्वलंत अवस्था पर पहुँचा था, राष्ट्रीय दुर्भाग्य के सिवा और क्या हो सकता है। महात्माजी के प्रधान साथी देशबन्धु दास और छाया लालपत राय आदि ने, जो उस समय जेल में थे, जन-विश्राम के साथ अपनी सहमति प्रकट की थी। मैं उस समय देशबन्धु दास के साथ था और मैंने देखा कि वे महात्माजी के इस प्रकार के कार्यों के कारण दुःखी और क्रोधित थे। वे महात्माजी द्वारा की गई दिसम्बर मास की भूल को भूल भी न पाये थे कि चारबोली की इस भूल ने उन पर बलाघात सा घसर किया। छाया लालपतराय के भी इस सन्वन्ध में वही भाव था और उन्होंने बड़े प्रास के साथ जेलखाने से महात्माजी को ७० पृष्ठों का एक पत्र लिखा था।"

पं० जवाहरलाल नेहरू ने Mathatma Gandhi नामक ग्रन्थ में चौरीचौरा कांड की वजह से आन्दोलन के स्थगितकरण का कारण जो गुस्से की जहर देश में यह गई थी उसका उल्लेख करते हुए लिखा है.—“The sudden suspension of our movement after the Chauri Chaura incident was resented, I think, by almost all the prominent Congress leaders—other than Gandhiji of course. My father ( who was in jail at the time ) was much upset by it. The younger people were naturally even more agitated. Our mounting hopes tumbled to the ground, and this mental reaction was to be expected. What troubled us even more were the reasons given for this suspension and the consequences that seemed to flow from them Chauri Chaura may have been and was a deplorable occurrence and wholly opposed to the spirit of the non-violent movement, but were a remote village and a mob of excited peasants in an out-of-the way place going to put an end, for some time at least, to our national struggle for freedom? If this was the inevitable consequence of a sporadic act of violence, then surely there was something lacking in the philosophy and technique of a non-violent struggle. For it seemed to us to be impossible to guarantee against the occurrence of some such untoward incident.”

अर्थात् चौरीचौरा दुर्घटना के बाद जिस प्रकार अस्मत् रूप से आन्दोलन स्थगित किया गया, उसके प्रतिमें समझता हूँ गांधीजी को छोड़

कर और प्रायः सब प्रमुख कांग्रेस नेताओं ने क्रोध का भाव प्रकटित किया। मेरे पिता (जो उस समय जेल में थे) इससे बहुत क्रोधित हुए। युवकों का तो और भी क्रोधित होना स्वाभाविक था। हमारी बढ़ती हुई आशयें मटियामेट हो गईं। हमें जो सबसे अधिक कष्ट हुआ वह उन कारणों से हुआ जो इसके स्थगित करने के पक्ष में दिये गये थे। चौरी-चौरा अवश्य ही एक शोकजनक घटना थी और सत्याग्रह की भावना के बिलकुल विरुद्ध थी। परन्तु एक दूरवर्ती गाँव में एक उत्तेजित किसानों की भीड़ का, कोई कार्य हमारे राष्ट्रीय स्वातंत्र्य संग्राम का इस प्रकार अन्त कर सकता है, चाहे फिर वह थोड़े ही समय के लिये क्यों न हो। यदि इस प्रकार के यत्र तत्र हिंसात्मक कार्य के परिणाम स्वरूप इस प्रकार की कार्यवाही अनिवार्य हो तो निश्चयरूप से यह समझना होगा कि अहिंसात्मक असहयोग के तत्वज्ञान और फला में कहीं कुछ कमी थी।

पं० जवाहरलालजी नेहरू और श्री सुभाषचन्द्र बोस ने उक्त वाक्यों में उस जन-चोभ का प्रदर्शन किया है जो चौरीचौरा कांड के कारण हुआ था। वैसे इन दोनों देश के कार्यधारों ने महात्मा गांधी के अतीतिक प्रभाव का उनकी महान् उपस्थिति का वर्णन करते हुए उन्हें राष्ट्र पिता के नाम से सम्बोधित किया है।

पं० जगहरलाल नेहरू ने Mathatma Gandhi नामक अपने नवीन ग्रन्थ में चीरी-चौरा कांड की वजह से आन्दोलन के स्थगितकरण के कारण जो गुस्से की लहर देश में बह गइ थी उसका उल्लेख करते हुए लिखा है — "The sudden suspension of our movement after the Chauri Chaura incident was resented, I think, by almost all the prominent Congress leaders other than Gandhiji of course My father ( who was in jail at the time ) was much upset by it. The younger people were naturally even more agitated. Our mounting hopes tumbled to the ground, and this mental reaction was to be expected. What troubled us even more were the reasons given for this suspension and the consequences that seemed to flow from them Chauri Chaura may have been and was a deplorable occurrence and wholly opposed to the spirit of the non violent movement, but were a remote village and a mob of excited peasants in an out of the way place going to put an end, for some time at least, to our national struggle for freedom ? If this was the inevitable consequence of a sporadic act of violence, then surely there was something lacking in the philosophy and technique of a non violent struggle. For it seemed to us to be impossible to guarantee against the occurrence of some such untoward incident."

अर्थात् चीरीचौरा दुर्घटना के बाद जिस प्रकार अकस्मात् रूप से आन्दोलन स्थगित किया गया, उसके प्रतिमें समगता हूँ गांधीजी की ओर

कर और प्रायः सब प्रमुख कांग्रेस नेताओं ने क्रोध का भार प्रकाशित किया । मेरे पिता (जो उस समय जेल में थे) इससे बहुत क्रोधित हुए । युवकों का तो और भी क्रोधित होना स्वाभाविक था । हमारी बढ़ती हुई आशाएँ मटियामेट हो गईं । हमें जो सबसे अधिक कष्ट हुआ वह उन कार्यों से हुआ जो इसके स्थगित करने के पक्ष में दिये गये थे । चौरी-चौरा अवश्य ही एक शोकजनक घटना थी और सत्याग्रह की भावना के बिखरुल विह्वल थी । परन्तु एक दूरवर्ती गाँव में एक उत्तेजित किसानों की भीड़ का, कोई कार्य हमारे राष्ट्रीय स्वातंत्र्य संग्राम का इस प्रकार अन्त कर सकता है, चाहे फिर वह थोड़े ही समय के लिये क्यों न हो । यदि इस प्रकार के यत्र तत्र हिंसात्मक कार्यों के परिणाम स्वरूप इस प्रकार की कर्मवाही अनिवार्य हो तो निश्चयरूप से यह समझना होगा कि अहिंसामक असहयोग के तत्वज्ञान और कला में कहीं कुछ कमी थी ।

पं० जवाहरलालजी नेहरू और श्री सुभाषचन्द्र बोस ने उक्त पान्यों में उस जन-धोम का प्रदर्शन किया है जो चौरीचौरा कांड के कारण हुआ था । जैसे इन दोनों देश के कर्मचारियों ने महात्मा गांधी के अलौकिक प्रभाव का उनकी महान् तपश्चर्या का वर्णन करते हुए उन्हें राष्ट्र पिता के नाम से सम्बोधित किया है ।

## गांधीजी की गिरफ्तारी

जैसा कि ऊपर कहा गया है चौरीचौरा कांड के बाद गांधीजी ने अकस्मात् रूप से सत्याग्रह आन्दोलन स्थगित कर दिया । इससे सारे देश में घोर निराशा छा गई ! जोश और उत्साह की जो अग्नि प्रज्वलित हो रही थी वह बुझ सी गई, या यों कहिये कि बहुत मंद सी पड़ गई । ऐसे अनुपम समय को देखकर तत्कालीन वायसरॉय लॉर्ड रीडिंग ने



गांधीजी पर हाथ साक़ करने का अच्युत अग्रसर देखा। लॉर्ड रीडिंग एक बड़े चतुर राजनीतिज्ञ थे। वे इंग्लैंड के चीफ़ जस्टिस रह चुके थे। राजनीति के दावपेंच खेलने में वे बड़े कुशल समझे जाते थे। अहमदाबाद कांग्रेस में ही गांधीजी पर उनका बक़ रचि थी। पर उससमय गांधीजी का प्रभाव अद्भुत रूप से बढ़ रहा था। देश के कोने कोने में गांधीजी की जय जयकार हो रही थी। ऐसे समय में गांधीजी को गिरफ़्तार करना कोई हसी खेळ न था। सारे देश में भयङ्कर आग लग जाती। लॉर्ड रीडिंग अपने पूर्ववर्ती वाइसरॉय लॉर्ड चैम्सफ़र्ड से अधिक चतुर, दूरदर्शी और जन-मनोविद्वान के जानकार थे। उनके सामने एजाब का उदाहरण मौजूद था। उन्होंने उसे दोहराना न चाहा। उन्हें उस वक्त अनुकूल अवसर मिला जब कि राष्ट्र का जोश ठंडा पड़ गया था। इसके अतिरिक्त भारत सेक्रेटरी मि० मॉन्टेग्यू के स्वीकारा देने के कारण ऊपर से उनके रास्ते में रुकावट डालने वाला भी कोई न था। बस, फिर क्या था ? सन् १९२२ की १० मार्च को महात्मा गांधी गिरफ़्तार कर लिये गये।

महात्मा गांधी पर मुक़दमा चला। यह मुक़दमा ऐतिहासिक था। इन समय महात्माजी ने जो वक्तव्य दिया वह इतिहास की एक अमर पस्त होकर रहेगी। देशचन्द्र चित्तरंजनदास ने कांग्रेस के अध्यक्ष पद से जो भाषण दिया उसमें महात्माजी के इस अभियोग की तुलना महात्मा ईसा के अभियोग के साथ की है। यद्यपि यह कहना भी आवश्यक है कि अंग्रेज जज मि० प्रमूफ़िण्ड न भी महात्माजी के साथ अत्यन्त आदर सूचक व्यवहार किया, जिसकी प्रशंसा पं० जवाहरलालजी नेहरू ने यह कह कर की है:—The Judge, an English man, behaved with dignity and feeling अर्थात् अंग्रेज जज का व्यवहार प्रतिष्ठा सूचक और भावुकतामय था। यह ऐतिहासिक मुक़दमा १८ मार्च को अहमदाबाद में आरम्भ हुआ। सरोजिनी देवी ने उस नाम की एक छोटी पुस्तक की भूमिका में लिखा है:—“जिस समय गांधीजी की कृष्ण,

शान्त और अजेय देह ने अपने भक्त, शिष्य और सहचर श्री सहचर श्री शंकरलाल बेंकर के साथ अदालत में प्रवेश किया तो कानून की निगाह में इस कैदी और अपराधी के सम्मान के लिये सब एक साथ ठठ खड़े हुए।”

इसके बाद ज्योंही अभियोग पढ़कर सुनाये गये, त्योंही गांधीजी अपराध स्वीकार करने को खड़े हुए और बोले “अभियोगों में सत्राट का नाम नहीं है, जो ठीक है। बेंकर साहब ने भी अपराध स्वीकार किया है। मैं तो तुरन्त ही सज़ा सुनाकर मुकदमा खत्म हो सकता था, पर एडवोकेट जनरल ने पूरी सुनवाई पर जोर दिया। किन्तु जज सहमत न हुए। वे केवल दण्ड का निश्चय करना चाहते थे। गांधीजी ने अपना लिखित बयान दिया। लेकिन उसको पढ़ने से पहले, यतीर भूमिका के, उन्होंने कुछ बातें और भी कही। उन्होंने कहा कि—‘यंग-इन्डिया’ के साथ सम्बन्ध होने के बहुत पहले से मैं राजद्रोह का प्रचार करता आ रहा हूँ।” मद्रास, बम्बई और चौरीचौरा में जो कुछ हुआ उसकी सारी जिम्मेदारी गांधीजी ने अपने ऊपर ली और कहा—‘मैं जानता हूँ कि मैं अग्नि के साथ खेल रहा हूँ और यदि मुझे छोड़ दिया जाय तो मैंने जो कुछ किया है फिर बढ़ी फलूँगा। यदि मैं ऐसा न करूँ तो अपना फलूँ अदा न करूँगा। वह तो मेरे लिये धर्म सा हो गया है। मुझे दोनों में से एक बात चुननी थी। या तो मुझे एक ऐसे राज्य की सत्ता को मानना पड़ता जिसने मेरे विश्वास के अनुसार मेरे देश को कभी न पूरी होने वाली ब्रति पहुँचाई है, या फिर मुझे उस समय अपने देशवासियों के क्रोधोन्माद के प्रतार का सामना करना पड़ता, जब वे मेरे मुँह से सच्ची बात जान जाते। मैं जानता हूँ कि कभी २ मेरे देशवासियों ने पागलपन से काम लिया है। इस पर मुझे उदा दुःख है और यहाँ जो मैं खड़ा हूँ, सो कोई मामूली सी सज़ा सुनने के लिये नहीं बल्कि कड़ी से कड़ी सज़ा पाने के लिये। मैं दया की प्रार्थना नहीं करता, न मैं किसी तरह का बहाना ही पेश करने को तैयार हूँ। मैं तो एक ऐसे काम के

लिये जो कानून की निगाह में जानबूझ कर किया गया अन्वेषण है, पर जो मेरे दृष्टिकोण से एक नागरिक का सयमे बढ़ा कर्तव्य है, वही से वही सजा वाहता हूँ और उसके आगे गिर झुकाने को तैयार हूँ। विचारक महोदय, आपके आगे केवल दो मार्ग हैं। या तो आप अपने पद को छोड़ दें, या यदि आप समझते हैं कि जिस शासन-व्यवस्था और जिस कानून के व्यवहार में आप सहायता दे रहे हैं वह देश के लिये मंगलदायी है, तो मुझे वदे से बढ़ा दण्ड दें। मुझे यह आशा नहीं है कि आप अपना मत परिवर्तन कर सकेंगे। पर मेरा क्या मत समाप्त होते २ आपको उद्धृष्ट आभास अवश्य हो जायगा कि मेरे हृदय में ऐसी कीन सी ज्वाला धधक रही है जिसने मुझे इस भारी अंतरनाक काम को करने के लिये तैयार कर दिया।”

इसके बाद गांधीजी ने अपना लिखित बयान पढ़ा जिसमें उन्होंने विस्तृत रूप से इन कारणों को दोहराया जिनकी वजह से वे राज्यभक्त से राज्यविद्रोही हुए थे।

जज महोदय ने अपना कौसला सुनाते हुए कहा.—“मि० गांधी, आपन अभियोग की धाराओं को स्वीकार करते हुए मेरा कार्य अपेक्षाकृत सरल कर दिया है। पर फिर भी एक सबसे बड़ी कठिनाई है और वह है आपके उपयुक्त दंड दूँद कर आपको देना। भारत में किसी अन्य जज को इतनी बड़ी कठिनाई का सामना न करना पड़ा होगा। \* \* \* \* \* यह सुझाया जा नहीं सकता कि अपने देश के करोड़ों निवासियों के हृदय में आपका विशद और प्रशस्त स्थान है। वे आपको सच्चे देशभक्त और महान् नेता की दृष्टि से देखते हैं। वे भी जो आपसे राजनीति में मतभेद रखते हैं आपके आदर्शों और श्रुति-जीवन का जोहा मानते हैं। \* \* \* पर यहाँ आपको कानून के निर्धारित नियमों के अनुकूल देखना मेरा कर्तव्य है। \* \* \* \* \* कदाचित् भारत में ऐसे बहुत ही कम लोग होंगे जिन्हें इस बात का खेद न हो कि कोई भी सरकार आप ऐसी महान् भ्रामा को

स्वतंत्र विचरण करने देना असंभव बना दे। पर है ऐसा ही। आप जिसके पात्र हैं, और जो जनता के हित में है, इन दोनों में मैं सामंजस्य स्थापित करने की चेष्टा कर रहा हूँ।”

“मैं सोचता हूँ कि आप अपने को तिलक की धेशी में रखा जाना अनुचित तो न समझेंगे।.....पर यदि किसी परिस्थिति ने सरकार को इससे पहले ही आपको मुक्त कर देना संभव किया, तो मुझसे अधिक और कोई भी व्यक्ति प्रसन्न न होगा।”

इस प्रकार गांधीजी को संबोधन कर उन्हें ६ वर्ष की सजा की आज्ञा सुनाई।

इस पर गांधीजी ने सहर्ष होकर कहा कि मेरे लिये यह परम सीमावर्ती बात है कि सरकार मुझे ऐसा दण्ड देकर तिलक का स्थान दे रही है। पर यह भी दण्ड मुझे बहुत हलका मालूम होता है। मैं इससे भी बड़े दण्ड की आशा करता था।”

## गांधीजी की गिरफ्तारी के बाद स्वराज्य पार्टी की स्थापना

महाराजी की गिरफ्तारी के बाद मार्च महिने में कांग्रेस का प्रोग्राम तै करने के लिये कांग्रेस कार्य समिति की एक बैठक हुई। इस बैठक में एक कमेटी नियुक्त हुई। जिसका नाम ‘सविनय अवज्ञा जांच समिति’ ( “Civil Disobedience Enquiry Committee” ) रखा गया। इसका उद्देश्य यह रखा गया कि वह सारे देश में दौरा कर यह पता लगावे कि सविनय अवज्ञा आन्दोलन शुरू करने के लिये देश में अनुकूल वातावरण है या नहीं। इस कमेटी ने देश के बहुत बड़े भाग में दौरा किया और अपनी रिपोर्ट पेश की। इस कमेटी के सदस्यों में बड़ा मतभेद रहा। इक्रीम अज़मल खान, पं० मोतीलाल नेहरू, सरदार वल्लभभाई पटेल और देशबन्धु दास की योजना के अनुसार कांसिल प्रवेश के

पर में थे। इसके विपरीत श्री राजगोपालाचार्य, डा० अनसारी और श्री के० थार० चम्पार कांसिख प्रवेश के विरुद्ध थे। इस कमेटी की रिपोर्ट कांग्रेस के गया अधिवेशन के कुछ ही पहले प्रकाशित की गई थी।

इसी साल के अगस्त और दिसम्बर मास में दो महत्वपूर्ण घटनाएँ हुईं। एक तो अखिल भारतवर्षीय मजदूर महासभा (All India Trade Union Congress) का अधिवेशन देशबन्धु दास के सभापतित्व में हुआ। इस अधिवेशन में चम्पार की ईमिग्रत से भाग्य देते हुए देशबन्धु दास ने यह प्रस्तावना घोषणा की कि हम लोग जिस स्वराज्य के लिये लड़ रहे हैं, वह किमी एक दल विशेष के लिये न होगा, पर यह भारत की सबल जनता के लिये होगा। दूसरी घटना कलकत्ते में युवक परिषद् (Young men's conference,) थी, जिसने वृत्तल युवक आन्दोलन का धीगणेश किया। इस कॉन्फेन्स में युवकों ने अपनी यह इच्छा प्रकट की कि कांग्रेस से भिन्न उनका अपना एक स्वतंत्र युवक संगठन होना चाहिये।

नवम्बर के अन्त में कलकत्ते में अखिल भारतवर्षीय कांग्रेस समिति की बैठक हुई, जिसमें देशबन्धु दास और महात्मा गांधी के अनुयायियों की शक्ति की परीक्षा का नाप तोल हुआ। इसी साल के दिसम्बर मास में बड़े उत्तेजित वातावरण में गया में अखिल भारतवर्षीय महासभा (Indian National Congress) का अधिवेशन हुआ। इस अधिवेशन में महात्माजी के दल की बहुत बड़े बहुमत से विजय हुई। इसमें महात्माजी के प्रधान अनुयायी श्री राजगोपालाचार्य का प्रभाव बहुत बढ़ गया और वह गांधीवाद के प्रधान नेता माने जाने लगे।

यद्यपि देशबन्धु चित्तरंजनदास उक्त कांग्रेस के सभापति थे, पर उनकी योजना की कांग्रेस ने बहुमत से अस्वीकृत कर दिया। इस पर देशबन्धु ने अपना भावी कार्यक्रम निश्चित करने के लिये अपने समर्थकों की एक सभा बुलाई और उसमें यह निश्चय हुआ कि देशबन्धु कांग्रेस की

सदस्यता से स्तीफा देकर स्वराज्य पार्टी के नाम से अपने दल का संगठन करें। इसके दूसरे दिन जब भावी कार्यक्रम को निरिचत करने के लिये अखिल भारतवर्षीय कांग्रेस समिति (All India Congress Committee) की बैठक हुई, तब पं० मोतीलाल नेहरू ने खड़े होकर स्वराज्य पार्टी के बनने की घोषणा की। देशबन्धु दास ने अपने अध्यक्षपद से स्तीफा दे दिया क्योंकि वे कांग्रेस के प्रस्ताव के खिलाफ अपना योजना के अनुसार काम करना चाहते थे।

## गया कांग्रेस के बाद स्वराज्य पार्टी की गतिविधि

गया कांग्रेस से स्वराज्य पार्टी के नेतागण अपने २ प्रान्तों को अपना विशिष्ट कार्यक्रम लेकर लौटे। देशबन्धु चितरंजनदास पर बङ्गाल, मध्य-प्रान्त और दक्षिण भारत में प्रचार और संगठन करने के काम का उत्तरदायित्व स्वत्वा गया। पं० मोतीलाल नेहरू ने उत्तरीय भारत का और श्री सरदार विट्ठलभाई पटेल ने बम्बई प्रान्त का काम अपने हाथ में लिया। प्रचार कार्यों के लिये समाचार पत्रों की बड़ी आवश्यकता होती है। उस समय देश के प्रायः सब समाचार पत्र गांधीवादियों के हाथ में थे। इसलिये स्वराज्य पार्टी के नेताओं को भी कुछ नये पत्र प्रकाशित करने की तथा कुछ को अपनाने की आवश्यकता प्रतीत हुई। कलकत्ते में 'बङ्गलार कथा' नामक एक नया दैनिक पत्र, उक्त प्रान्त के युवक नेता श्री० सुभाष चन्द्र बोस के सम्पादकत्व में प्रकाशित किया गया। मद्रास में श्री० रंग स्वामी अयंगर का तामिल भाषा का दैनिक पत्र 'स्वदेश मित्रम्' स्वराज्य पार्टी का प्रमुख पत्र बना और इन्हीं महाशय ने अंग्रेजी में भी एक साप्ताहिक पत्र निकाला, जिसका उद्देश्य स्वराज्य पार्टी के उद्देश्यों का प्रचार करना था। पूना का सबसे अधिक प्रभावशाली पत्र "केसरी" महाराष्ट्र में स्वराज्य पार्टी की नीति के प्रचार का सबसे जबरदस्त साधन बना। लोकमान्य तिलक के स्वर्गवास के बाद श्री नृसिंह धितामणि

केलकर इस पत्र के सम्पादक थे, और वे स्वराज्य पार्टी के पास स्तम्भों में से एक थे ।

जब सारे देश में नेताओं के दौरों द्वारा तथा समाचार पत्रों द्वारा स्वराज्य पार्टी के पक्ष में काफ़ी प्रचार हो चुका तब ईस्वी सन् १९२३ के मार्च मास में पं० मोतीलाल नेहरू के इच्छावादी वाले आनन्द भवन में स्वराज्यवादियों की एक कॉन्फ़ेन्स हुई, जिसमें स्वराज्य पार्टी का विधान और उसका कार्यक्रम निश्चित किया गया । जब कॉन्फ़ेन्स की इस बैठक में पार्टी के विधान का प्रश्न उपस्थित हुआ तब वहाँ पार्टी के अन्तिम लक्ष्य के सम्बन्ध में कुछ मतभेद उपस्थित हुआ । कुछ लोग औपनिवेशिक स्वराज्य के पक्ष में थे और युवकदल पूर्ण स्वतन्त्रता के पक्ष में था । कांग्रेस की नीति, अन्तिम उद्देश्य के सम्बन्ध में, अस्पष्ट थी । उसने केवल यह प्रकट किया था कि स्वराज्य हमारा अन्तिम ध्येय है, पर स्वराज्य की स्पष्ट व्याख्या उसने न की थी । इस सम्बन्ध में स्वराज्य पार्टी के नेताओं ने अधिक व्यावहारिकता से काम लिया । दोनों दलों में इस बात पर समझौता हो गया कि पार्टी का तत्कालिक ध्येय औपनिवेशिक स्वराज्य और अन्तिम ध्येय पूर्ण स्वतन्त्रता हो ।

एक असें तब स्वराज्यवादी दल और गांधीवादी अपरिवर्तन-वादीयों में विरोध चकता रहा । स्वराजिस्टों ने पहले से अपनी स्थिति अधिक मज़बूत करली । महात्माजी की दूरदृष्टि ने देशहित के लिहाज़ से यह उचित समझ कि दोनों दलों के मेल ही में देश की भलाई रही हुई है । ईस्वी सन् १९२३ में उन्होंने तत्कालीन कांग्रेस के अध्यक्ष मौलाना महम्मद अली को यह सकेत किया कि वे दोनों दलों के बीच समझौता करावे । फिर क्या था ? ईस्वी सन् १९२३ के सितम्बर मास के दिल्ली में होने वाले कांग्रेस के विशेष अधिवेशन में दोनों दलों का समझौता हो गया, और यह तब हुआ कि कांग्रेस जनों को आने वाले चुनावों में भाग लेने की इजाज़त देदी जाय, और धारा सभाओं में सब मिल कर सरकार

का विरोध करें। हां, कांग्रेस एक संस्था के रूप में इसकी जिम्मेदारी न ले।

दिल्ली के कांग्रेस अधिवेशन से स्वराज्य दल के लोग प्रसन्न होकर लौटे। ६ मास के कठिन परिश्रम के बाद उन्हें सफलता मिली। पर इस वक्त नये चुनाव होने में केवल दो मास बाकी रह गये थे। उन्हें इन चुनावों के जीतने में विकट भिन्नता का सामना करना पड़ा। भाग्य प्राणवीरों का साथ देता है; यह कहावत स्वराज्यवादियों पर पूर्णरूप से चरितार्थ हुई। उन्हें बड़े विरोधी वातावरण में काम करना पड़ा, पर अखीर उन्हें अच्छी सफलता मिली। मध्यप्रान्त, बंगाल में उनका आशा से अधिक बहुमत हो गया। केन्द्रीय धारा सभामें भी वे बड़ी संख्या में पहुँचे।

जिस प्रकार स्वराज्यवादियों को प्रान्तीय कौंसिलों और केन्द्रवर्ती धारा सभा में आशातीत सफलता मिली, वैसे ही स्थानीय संस्थाओं में (म्यूनिसिपैलिटी, डिस्ट्रिक्टबोर्ड आदि में) भी उन्हें बड़ी सफलता मिली। इन पर एक तरह से स्वराज्यवादियों का प्रभुत्व हो गया। ईस्वी सन् १९२४ के जनवरी मास में महारामा गांधी को आन्ध्ररोध (Appendicitis) का रोग भयङ्कर रूप से हो गया। कर्नल मेडॉक उन्हें तुरन्त पूना के सासून अस्पताल में ले आये और बड़ी कुशलता के साथ उनका ऑपरेशन किया। कर्नल मेडॉक ने इस समय जैसी उच्च सदाशयता और कुशलता का परिचय दिया, उसकी प्रशंसा खुद महारामा गांधी ने की थी। इस ऑपरेशन के बाद सरकार ने गांधीजी को बिना शर्त छोड़ दिया। कुछ दिन वे लुह (बम्बई) में रहे। वहाँ पं० मोतीलाल नेहरू व देश बन्धु दास से घारा-सभा प्रवेश के सम्बन्ध में उनकी बहुतेरी चर्चा हुई। मतभेद तो नहीं मिला, लेकिन महारामाजी ने उन्हें यह आश्वासन दिया कि जब कांग्रेस ने धारा-सभा में जाने की मंजूरी दे दी है तो अब किसी को उसमें आपत्ति नहीं करनी चाहिये, यदि भरसक सहायता करनी चाहिये। हर्ष दास-नेहरू ने यह मंजूर किया कि इन सब महारामाजी के विधायक



कार्यक्रम में सहायक होंगे। वहिक उन्होंने महा तक लिखित अभिवचन दिया कि जब हमें यह प्रतीत होगा कि धारा-सभाओं से कुछ काम नहीं बनता तो हम उन्हें छोड़कर चले आवेंगे और महात्माजी के नेतृत्व में कांग्रेस के नियमानुसार सविनय-अवज्ञा अथवा सत्याग्रह आन्दोलन में अग्रसर हो जायेंगे। १९२४ में बेलगांव के अधिवेशन में कांग्रेस ने इस समझौते को मंजूर कर लिया। इससे महात्माजी की गैरहाजिरी में कांग्रेस में जो दखल चन गये थे, उनका फिर गठबन्धन ही गया। बेलगांव में महात्माजी ही कांग्रेस के सभापति थे। उसके बाद थोड़े ही दिनों में उन्होंने बंगाल में जाकर देशबन्धु की सहायता से सत्याग्रह के दूसरे मोर्चे की तैयारी की थी। मगर दुर्भाग्य से १९२५ में देशबन्धुदास का देहावसान हो गया। इससे सारे देश में और विशेष कर बंगाल में जो दूसरे सत्याग्रह की तैयारी की जा रही थी, उसमें दिक्कत आ गई।

देशबन्धु दास की शोकदायक और आकस्मिक मृत्यु से स्वराज्य पार्टी को जो प्रवरदस्त धक्का लगा, उसका अनुमान करना भी कठिन है। देशबन्धु की मृत्यु के बाद पं० मोतीलालजी नेहरू उक्त पार्टी के एक प्रकार से सर्वाधिकारी नेता हुए। स्वराज्य-पार्टी की नीति मायटेगू सुधारों के सम्बन्ध में यह थी कि जब तक सरकार कांग्रेस से इसके विषय में समझौता न करे तब तक मंत्रि-मदल न बनाया जाय। १९२६ की गौहाटी कांग्रेस के अध्यक्ष श्रीनिवास अयंगर ने अपने भाषण में कहा था कि मंत्री पद अस्वीकार करने की नीति सार्वकालिक या विद्या-शर्त नहीं है। देशबन्धु दास ने फरीदपुर में जो शर्तें रखी थीं, वे जब तक मंजूर न हो जायें तब तक इस नीति में परिवर्तन करना न सम्भव है और न शक ही। धारा सभा में अहमदा-नीति, बाहर रचनात्मक संगठन और अन्त में सत्याग्रह ऐसा तिहराबल इस मांग के पीछे था। प्रायःक मांग के पीछे कुछ शक्ति होनी चाहिये। उसकी परिणति प्रायःक प्रतिहार तक होनी चाहिये। इसके लिये कांग्रेस का अनुशासन मानना और सत्याग्रह

के समय महात्मा गांधी का नेतृत्व मँजूर करना आवश्यक था। इन मुद्दों को स्वराज्य-पार्टी ने कभी नहीं छोड़ा। यही कारण है कि महात्मा गांधी और स्वराज्य पार्टी का सहयोग दिन २ बढ़ होता गया और अन्त को १९२६ में जब यह साबित हो गया कि ब्रिटिश सरकार धारा सभा के विरोध के फल-स्वरूप स्वराज्य की मांग पूरी करने को तैयार नहीं होती तब लाहोर कांग्रेस में प० मोतीलाल नेहरू ने महात्माजी को दिये हुए आश्वासन को पूरा किया और धारा सभा के धड़िङ्कार का तथा महात्मा गांधी के नेतृत्व में सत्याग्रह करने का प्रस्ताव कांग्रेस में पास हुआ।

ईस्वी सन् १९२२ से लेकर १९२८ तक स्वराज्य पार्टी व असहयोग दल अपने २ ढंग से स्वराज्य की लड़ाई लड़ते रहे, पर प्रत्यक्ष अहिंसात्मक लड़ाई की नींवत तब तक न आई जब तक कि साईंमन कमिशन ने भारत में पर्दापण न किया। साईंमन कमिशन के सम्बन्ध में किसी अगले अध्याय में प्रकाश डालने की चेष्टा की जायगी।



# राष्ट्रीय जीवन में सुस्ती

## हिन्दू मुस्लिम दंगे



चौरीचौरा कांड के बाद सत्याग्रह आन्दोलन स्थगित करने का वारं वार डीली में जो निर्णय हुआ, उसका देश के बढ़ते हुए जीवन पर उस समय जैसा घातक प्रभाव पड़ा था, उसका उल्लेख हम गत पृष्ठों में कर चुके हैं। कांग्रेस के सारे आन्दोलन में एक प्रकार की निर्जायतासी आ गई थी। ईस्वी सन् १९२४ में गांधीजी ने कहा था कि कांग्रेस अपने एक करोड़ मेम्बर बनाना चाहती थी लेकिन उसके दो लाख से ज्यादा मेम्बर नहीं हैं। हम राजनीतिज्ञ सरकार के विरोध के सिवाय जनता का प्रतिनिधित्व नहीं करते। उस साल गांधीजी न मेम्बरी के लिये सूत कातन की शर्त रखी। इसके अनुसार कांग्रेस कमेटियों के चुने हुये सदस्यों को हर महिने २००० गज सूत कातकर देना चाहिये था। १९२५ तक इस शर्त के अनुसार केवल १० हजार मेम्बर ही बन पाये। इसके बाद इस शर्त को अनिवार्य न रखकर केवल इच्छा पर छोड़ दिया गया। "बॉम्बे फ्रानिकल" ने लिखा कि "चारों तरफ गतिरोध और जड़ता फैल गई है।" उसी साल खाजा खाजपतराय ने भी उलझन और परेशानी का जिक्र किया था। उन्होंने कहा था — "देश की राजनैतिक हालत देखकर आशा और उत्साह नहीं बढ़ता। लोगों पर परतहिम्मती छाई हुई है। मालूम होता है कि हर चीज टूटकर बिखर रही है। राजनीतिक पार्टियां, लोगों के सिद्धान्त, उनके काम, इन सब में जैसे धुनसा लग गया है।" इस सुस्ती के जमाने में साम्प्रदायिक हवा चलने लगी। "मुस्लिम लीग" फिर कांग्रेस

से थल्लग हो गई। उसके विरोध में "हिन्दू महा सभा" हिन्दूदितों का समर्थन करने लगी।

मनोविज्ञान का सिद्धान्त है कि जनता के बढ़ते हुए जोश पर जब रोक लगादी जाती है तो वह अपने असली मार्ग को छोड़ कर किसी विकृत मार्ग में प्रवाहित होने लगता है। यही स्थिति उस समय हुई। उक्त अवरूद्ध जोश हिन्दू मुस्लिम दगों में प्रकट होने लगा। ईस्वी सन् १९२६ के मई और जुलाई मासों में कलकत्ते में हिन्दू मुस्लिम दगों ने बड़ा भीषण रूप धारण कर लिया। इन दगों का आरंभ उस समय हुआ जब एक धार्यसमाजी जुलूस बाजा बजाते हुए एक मस्जिद के पास से गुजर रहा था। धार्य समाजियों का दावा था कि वे कई वर्षों से यह जुलूस निष्काज रहे हैं। इसके विपरीत मुसलमानों ने यह प्रकट किया कि गाजे बाजों से हमारी नमाज में हरकत आती है। कई दिन तक ये दगे चलते रहे और दोनों तरफ के कई आदमी मारे गये। अग्रीर दोनों दलों ने थक कर समझौता कर लिया। कलकत्ते की तरह और भी कई स्थानों में भयङ्कर दगे हुए, जिनमें कोहाट और मुलतान के दगे विशेष उल्लेखनीय हैं। कहने का मतलब यह है कि इन दगों ने राष्ट्रीय वातावरण को बहुत गदा कर दिया था।

## उग्रवादी शक्तियों का उदय

इस समय के निराशामय वातावरण में आशा की एक भल्लक दिखलाई दी। सारे भारतवर्ष के नवयुवकों में प्रागृति की एक नवीन लहर फेली। विभिन्न प्रान्तों में युवक आन्दोलन बसे जोर शोर के साथ चलने लगा। पञ्जाब में युवकों ने "भवजीवन भारत सभा" नामक एक संस्था कायम की और उसके मन्डे के नीचे उन्होंने अपना स्वातन्त्र्य आन्दोलन चलाया। यहां यह कहना प्राचरयक है कि भगतसिंह सरीसे

पीर युवक इस सभा के सदस्य थे। मध्यप्रान्त के नागपुर नगर में नव-युवकों ने अपनी जिम्मेदारी पर शस्त्र सत्याग्रह का आन्दोलन शुरू किया। इसका उद्देश्य उम्र शस्त्र कानून का भंग करना था जिसके अनुसार भारतवासियों के ब्रिये शस्त्रों के रखने की मनाई थी। इस आन्दोलन के नेता श्री अम्बारी थे, जो एक कांग्रेस के लोक प्रिय कार्यकर्ता थे और जिन्होंने पीछे जाकर जनरल की उपाधि दी गई थी। अन्य प्रान्तों में भी युवक आन्दोलन के संगठन जोर शोर से होने लगे। युवक आन्दोलन के साथ मजदूर आन्दोलन ने भी जोर पकड़ा। मजदूर आन्दोलन के साथ समाजवाद का प्रचार होने लगा। हिन्दुस्थान की राजनीति में यह एक नयी धातु थी और नौजवानों तथा गर्म दल के राष्ट्रवादियों पर इसका बड़ा असर पड़ा। सन् १९२८ में हफ्तालों की छुट्टी और मजदूर-सर्वों का काम जोरों से चल पड़ा। इसके पहले "मजदूरों किसानों की पार्टी" बन चुकी थी और सन् १९२६-२७ में वह राजनीति के मंच पर आ गई थी। सन् १९२८ की हफ्तालों में ३, १६, ४७,००० दिनों का नुकसान हुआ। पिछले पाँच वर्षों की सारी हफ्तालों मिलाकर भी इतने दिन जाया नहीं हुए थे। बम्बई के सूती मजदूरों की लड़ाई "गिरखी कामगार यूनियन" कायम हुई। साखभर में ६६,००० मजदूर उसके सेम्बर हो गए। इस संख्या को सरकार ने भी माना था। देशभर में मजदूर सर्वों के सेम्बर पहले से ७० फी सदी ज्यादा बढ़ गये। साईमन कमीशन के विचारप्र प्रदर्शन करने में सबसे ज्यादा राजनैतिक काम मजदूर वर्ग ने किया। मजदूर सर्वों में लड़ाई वर्ग-चेतना बढ़ चली। सन् १९२६ की ट्रेड यूनियन कांग्रेस में नरम दल की जीत हुई।

युवक तथा मजदूर आन्दोलन का प्रभाव कांग्रेस और राष्ट्रीय आन्दोलन पर भी पड़ने लगा। ईस्वी सन् १९२७ के अन्त में ५० अनाहर लाख नेहरू अपने घोरोप के डेढ़ वर्ष के लम्बे प्रवास से वापस लौटे। जहाँ

उन्होंने गमाजवादीयों और समाजवादी विचार-धाराओं से सम्पर्क स्थापित किया था। ईस्वी सन् १९२७ के अन्त में मद्रास कांग्रेस के अधिवेशन में युपको में उग्र प्रवृत्तियों का बहुत कुछ जोर देखा गया। इस कांग्रेस के अधिवेशन में कांग्रेस का ध्येय 'पूर्ण स्वाधीनता' घोषित किया गया। इसी समय साइमन कमिशन के बहिष्कार का भी प्रस्ताव पास हुआ। इसके साथ यह भी तै किया गया कि एक सर्वदली सम्मेलन हो और वह हिन्दुस्थान के लिये विधान बनाये। कांग्रेस ने अन्तर्राष्ट्रीय "साम्राज्य विरोधी लीग" में शामिल होना स्वीकार किया। प० जवाहर लाल नेहरू, श्री सुभाषचन्द्र बोस, जो नीजवानों के खास नेता थे और कांग्रेसी गमदल के अगुवा थे, कांग्रेस के मंत्री बन।

### आन्दोलन की उग्रता

ईस्वी सन् १९२६ के मध्य में अधकार के बाद फिर प्रकाश की कलक दिखलाई दी। श्री निवास अयगा के प्रयत्नों से कलकत्ते में एकता परिषद् (Unity Conference) हुई जिसमें हम बात का विचार किया गया कि हिन्दू मुस्लिम एकता फिर से स्थापित करने के लिये किन अमली उपायों को काम में लिया जाय। बंगाल में जहाँ जातीय विद्वेष के बादल घने रूप से छाये हुए थे, नये युग का प्रकाश दिखलाई देने लगा। अगस्त मास में बंगाल के धारा सभा में मिनिस्टर्स के खिन्नाक अविश्वास का प्रस्ताव लाया गया और इससे मिनिस्टर लोग सरकारी पदों से बाहर फेंक दिये गये। इसी समय कलकत्ते से ७० मील की दूरी पर खड़गपुर में बंगाल नागपुर रेल्वे के मजदूरों की बड़ी भारी हड़ताल हुई। खड़गपुर की वर्कशॉप सबसे बड़ी थी। वहाँ मजदूरों का संगठन इतना ज़बरदस्त था कि कम्पनी को उसके सामने घुटने टेकने पड़े और उनकी माँगों को मँजूर करना पड़ा।

नवम्बर मास में कलकत्ते में जो एकता परिषद् (Unity Con-

ference) हुई उसने हिन्दू मुसलमानों के सम्बन्ध फिर से मैत्रीपूर्ण करने की कोशिश की और उसमें वह एक हद तक सफल भी हुई। इसके एक महीने बाद जब बंगाल कांग्रेस कमेटी की धार्यिक सभा हुई उसमें जोश और उत्साह के चिन्ह साफ़ साफ़ दिखलाई देन दगे।



# साइमन-कमीशन का वहिष्कार



ईस्वी सन् १९२७ के नवम्बर मास में तत्कालीन वायसरॉय लॉर्ड इर्विन ने भारतीय विधान कमीशन ( Indian Statutory Commission ) की नियुक्ति की घोषणा की । यह नियुक्ति गवर्नमेंट ऑफ इन्डिया एक्ट १९१९ ( Government of India Act 1919 ) के अनुसार की गई थी, जिसका आशय यह है कि हर दस वर्ष में भारत की राजनैतिक अवस्था की ब्रिटिश पार्लियामेंट द्वारा जाँच की जाय । इस कमीशन ने सर जॉन साइमन (अध्यक्ष), बिइसकौन्ट बर्नहेम, लॉर्ड स्ट्रेथकोन, एडवर्ड केडोगेन, मि० स्टीफन वाल्स, मेजर एटली और कर्नल लेनफॉक्स थे । कर्नल वाल्य ने पीछे जाकर स्तीक्रा दे दिया और उनके स्थान पर मिस्टर बरनॉन हाटशॉर्न नियुक्त किये गये । कमीशन के ७ सदस्य में दो मजदूर दल के, एक उदार दल का और शेष अनुदार दल के थे । कहने का मतलब यह है कि इसमें पार्लियामेंट के सबही दलों का प्रतिनिधित्व था । इस कमीशन का कार्यक्रम यह रक्खा गया था कि यह तत्कालीन भारतीय शासन की पद्धति का, भारत में शिचापृद्धि और प्रतिनिधि संस्थाओं के विकास की जाँच करे और इस बात का पता लगावे कि भारत उत्तरदायी शासन प्रणाली के कहां तक योग्य है, और यहाँ की प्रचलित शासन प्रणाली में कौन २ से सुधार अभीष्ट हैं ।

इस कमीशन में एक भी भारतवासी न रक्खा गया । भारत की शासन-प्रणाली निश्चित करने के लिये जो कमीशन सुफरिंर हो, उसमें एक भी भारतीय प्रतिनिधि न हो, यह प्रजातंत्र के तत्व के विरुद्ध बात थी । इससे भारतवासी बड़े क्रुद्ध हुए और उन्होंने इसे अपना



राष्ट्रीय अधिमान समझा। सब प्रांतों के और सब दुर्गों के नेताओं ने इसका विरोध किया। यह स्वाभाविक ही था कि कांग्रेस इस कमीशन (साइमन कमीशन) का विरोध करे। पर नरम दल के नेताओं ने भी इसके बहिष्कार का समर्थन किया। सर तेज बहादुर सप्रू की अध्यक्षता में उद्गादल वालों की दिसम्बर मास में इलाहाबाद में जा सभा हुई, उसमें यह कहा गया कि इस कमीशन में किसी भारतवासी का न खवा जाना, भारत की जनता का घोर अधिमान है और इसमें निश्चय रूप से उन्हें तुच्छ मानन की भावना काम कर रही है। इससे भी बुरी बात यह है कि इसमें भारतवासियों का उनके अधिन निजी देश का विधान बनाने के काय में सहयोग देने का अधिकार तक छीन लिया गया है। इसी साल दिसम्बर में सर तेज बहादुर सप्रू की अध्यक्षता में फिर से उद्गादल सघ (Liberal Federation) का अधिवेशन हुआ और उसमें भी साइमन कमीशन के बहिष्कार का निश्चय हुआ। इसी साल के दिसम्बर मास में कलकत्ते में मुस्लिम लीग का अधिवेशन हुआ, उसमें एकता परिषद् की तरह हिन्दू मुस्लिम एकता का प्रस्ताव पास हुआ।

इसके अतिरिक्त इस परिषद् में साइमन कमीशन के बहिष्कार का प्रस्ताव हुआ और यह भी तय हुआ कि मुसलमानों के लिये सीट्स रक्षित बरूनी जाकर संयुक्त निर्वाचन पद्धति का हल्व स्वीकार कर लिया जाय। कहने की आवश्यकता नहीं कि इसमें राष्ट्रीय मुसलमानों की बड़ी विजय हुई। इसका कारण यह था कि नि० जिन्हा और अली भाई सरोखे प्रभाव शाही मुस्लिम नेताओं ने इस परिषद् में भाग लेकर संयुक्त-निर्वाचन पद्धति का समर्थन किया था। इसी मास में कानपुर में अखिल भारतवर्षीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस का अधिवेशन हुआ और उसमें पहले बरू कम्प्यूनिस्टों ने यह प्रस्ताव पास किया कि भारत एक स्वतंत्र समाजवादी जनतन्त्र (Independent Socialist

Republic) बनना चाहिये और इंग्लैंड के ब्रिटिश ट्रेड यूनियन से घपना सम्बन्ध तोड़ देना चाहिये। दिसम्बर मास के अंत में डॉक्टर अनसारी की अध्यक्षता में मद्रास में कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन हुआ। इस अधिवेशन में साइमन कमीशन के पूर्णरूप से बहिष्कार करने का प्रस्ताव पास हुआ। इसके साथ साथ इसमें यह भी निश्चय हुआ कि कांग्रेस की कार्यकारिणी एक सर्वदल सम्मेलन का आयोजन करे और उसमें यह भारतवर्ष के लिये एक ऐसे विधान का ढांचा तैयार करे जो सब दलों को स्वीकृत हो। इसी में एक प्रस्ताव यह भी पास हुआ जिसमें भारतवर्ष का अन्तिम ध्येय पूर्ण स्वतंत्रता रखा गया।

साइमन कमीशन के उक्त-विरोधात्मक प्रस्ताव ने सरकार की आँखें खोलीं। कमीशन के भारत आने के कुछ ही अर्से बाद घाने इस्वी सन् १९२८ के फरवरी मास के बाद सर जॉन साइमन ने वाइसराय को यह सुझाया कि भारतवासियों के विरोध को कम करने के लिए यह आवश्यक है कि कमीशन एक संयुक्त-ध्वज परियद् के रूप में विचार विमर्ष करे। इसमें कमीशन के सदस्यों के अतिरिक्त कुछ चुने हुये भारतीय प्रतिनिधि भी रहें। सर शंकरन नायर के पत्र का उत्तर देते हुए सर जॉन साइमन ने यह भी लिखा कि भारतीय धारा सभा द्वारा नियुक्त कमेटी की रिपोर्ट भी कमीशन की रिपोर्ट के साथ जोड़ दी जायगी। इतने पर भी सर्वदल के नेताओं ने यह बात स्वीकार न की और उन्होंने दिल्ली से जो घोषणा-पत्र प्रकाशित किया, उसमें उन्होंने यह प्रकट किया कि साइमन कमीशन के प्रति उनका विरोध ज्यों का त्यों रहेगा। भारतीय धारा सभा में स्वर्गीय खासा छाजपतराय ने साइमन कमीशन के विरोध का प्रस्ताव उपस्थित किया और वह पास हो गया। प्रान्तीय धारा सभाओं में मध्य प्रान्त की धारा सभा ने भी उक्त प्रकार की कमेटी नियुक्त करने का विरोध किया।

कांग्रेस और उदार दल के विरोध के बावजूद भी मध्यप्रान्त की धारा

सभा को छोड़ कर अन्य प्रान्तों की धारा सभाओं ने साइमन कमीशन के साथ सहयोग करने के लिये कमेटियां नियुक्त कीं।

ईस्वी सन् १९२८ के फ़रवरी मास में साइमन कमीशन ने भारत भूमि पर पदार्पण किया। कांग्रेस कार्य समिति के आदर्शानुसार सारे भारतवर्ष में हड़तालों और बहिष्कार प्रदर्शनों द्वारा उसका स्वागत किया। सारे देश में रोप और विरोध की चहुर बहने लगी। जहां २ यह कमीशन गया वहां २ काले झंडों के साथ और विरोधी प्रदर्शनों के साथ इसका बहिष्कार किया गया। "साइमन पीछे जावो" की बुद्धन्द आवाज हजारों लाखों मनुष्यों के मुँह से निकलने लगी। सरकार ने इन प्रदर्शनों का विरोध करने के लिये मुसलमानों और दक्षिण वर्गों के दल विशेष को प्रतिविरोधी प्रदर्शन करने के लिये संगठित किया, पर इसमें उसे सफलता न मिली। यद्यपि कमीशन बहिष्कार का यह आन्दोलन अहिंसात्मक रखा गया था, तब भी सरकार ने उन स्थानों में, जहां कमीशन गया था, फौज़ और पुलिस का कड़ा प्रबन्ध रखा था। कहीं कहीं सरकार ने बहुत कठोर दमन नीति से काम लिया था। लाहौर में जब यह कमीशन आया, तब जनता के एक विशाल जुलूस ने, स्वर्गीय छाया छाजपतराय के नेतृत्व में, फाजे भयदों से इसका स्वागत किया। पुलिस ने छाठियों और बेटेन्स से इस जुलूस पर आक्रमण किया। छाया छाजपतराय इसमें पूरी तरह से घायल हुए और कहा जाता है कि इसी के परियाम स्वरूप उनकी अस्वामयिक दुःखद मृत्यु हुई! इससे सारे देश में शोक का सञ्चाटा छा गया। कमीशन के प्रति लोगों के पृथा भाव ने अत्यन्त गम्भीर स्वरूप धारण कर लिया। यहाँ यह बात ध्यान में रखने योग्य है कि हमारे नेतागण केवल कमीशन का बहिष्कार कर चुप न होगये, उन्होंने एक सर्वसम्मत विधान तैयार कर ब्रिटिश सरकार के चेर्जेज का जवाब देने का निश्चय किया। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिये ईस्वी सन् १९२८ के फ़रवरी और मार्च मासों में दिल्ली में सर्व दल सम्मेलन की बैठकें

हुई। हममें सबसे जटिल समस्या हिन्दू, मुस्लिम, सिक्खों के प्रतिनिधित्व की थी। इसके बाद इसी साल के मई मास में फिर से बम्बई में सर्वदल सम्मेलन का अधिवेशन हुआ, पर दुःख की बात है कि यह इस संबंध में कुछ प्रगति न कर सका। इस समय महात्माजी ने यकी बुद्धिमानी और दूरदर्शिता से काम लिया। उन्होंने सम्मेलन की असफलता को प्रकाश में लाने के बजाय पं० मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में एक कमेटी मुक़र्रि की और उमका यह उद्देश्य रक्खा कि वह भारतीय विधान के सिद्धान्तों को निर्धारित कर एक रिपोर्ट तैयार करे। इस कमेटी ने इलाहाबाद में पं० मोतीलाल नेहरू के आनन्द भवन में अपनी कई बैठकें कीं और अखीर अगस्त मास में अपनी रिपोर्ट प्रकाशित की, जो नेहरू कमेटी की रिपोर्ट के नाम से मशहूर है। इस पर पं० मोतीलाल नेहरू, सर अली इमाम, सर तेज बहादुर सप्रू, श्री एम० एस अणे, सरदार मङ्गलसिंह, मि० कुरेशी, श्री सुभाषचन्द्र बोस के हस्ताक्षर थे। राष्ट्रीय स्तरों में इस रिपोर्ट का अच्छा स्वागत हुआ। महात्मा गांधी ने पं० मोतीलाल नेहरू के पास हार्दिक अभिनन्दन का सदेश भेजा। अगस्त में होने वाले खल-नऊ के सर्वदल सम्मेलन में यह रिपोर्ट रखी गई और वह सर्व सम्मति पास हो गई। यहाँ यह कहना आवश्यक है कि नेहरू कमेटी ने प्रस्ता-वित भारतीय विधान की धारा सभाओं-में हिन्दू मुस्लिम और सिक्ख प्रतिनिधित्व के प्रश्न को हल करने में यकी सफलता प्राप्त की। हाँ, पीछे जाकर इसके सम्बन्ध में कुछ मतभेद हुए, गिनका उल्लेख यथावसर किया जायगा।

## महाराष्ट्र प्रान्तीय कॉन्फरेन्स का अधिवेशन

इस्यी सन् १९२८ के मई मास में पूना में महाराष्ट्र प्रान्तीय कॉन्फरेन्स का अधिवेशन हुआ। इसके सभापति के धासन की युवक सभाई श्री सुभाषचन्द्र बोस ने सुशोभित किया था। आपने अपने भाषण में

मज़दूर संगठन और युवक संगठन की स्थापना पर बहुत जोर दिया। इसके अतिरिक्त आपने महिष्ठाओं के स्वतंत्र संगठन की आवश्यकता पर भी काफी प्रकाश डाला। इसी समय बम्बई के युवकों ने बम्बई प्रान्तीय युवक संघ ( Youth league ) की स्थापना की और ये अपने उग से देश को स्वतंत्रता के मार्ग पर अग्रसर होने के उपायों को सोचने लगे।

इसी वर्ष अर्थात् ईस्वी सन् १९२८ में बारडोली का सत्याग्रह संग्राम तरदार बल्लभभाई पटेल के नेतृत्व में जोर शोर से चला और उसमें बड़ी शानदार सफलता मिली। इसी महान् विजय के उपलक्ष्य में महात्मा गांधी ने श्री बल्लभभाई पटेल को 'सरदार' की गौरवशाली उपाधि से विभूषित किया।

### स्वतंत्रता-संघ की स्थापना

ईस्वी सन् १९२८ के अगस्त मास में नेहरू कमेटी की रिपोर्ट पर विचार करने के लिये जो सर्वदल सम्मेलन हुआ था उस समय एक नई परिस्थिति उत्पन्न हुई। उक्त रिपोर्ट में साम्प्रदायिक समस्या के सम्बन्ध में जो निर्णय दिया गया था, उसका नवयुवक दल ने हार्दिक स्वागत किया, पर उसमें औपनिवेशिक स्वराज्य के सम्बन्ध में जो प्रस्ताव था उसकी और उनकी स्वाभाविक अहति थी। नवयुवक समाज के नेता प० जवाहरलाल नेहरू और श्री सुभाषचन्द्र बास यह न चाहते थे कि सम्मेलन में इस प्रश्न को उठाया जाय और उसकी प्रगति में बाधा डाली जाय, क्योंकि इससे कांग्रेस के दुश्मनों को सुरा होने का मौका मिलेगा। इतने उन्होंने यह उचित समझा कि नेहरू कमेटी की प्रगति में बाधा देने के बजाय Independence league कायम की जाय, जो देश को पूर्ण स्वतंत्रता करने के मार्ग में अग्रसर करे। इस सुझाव का अग्रदूत पादियों ने हार्दिक स्वागत किया और देश में जगह जगह इस

सच की शायरों सुखने लगी और नवम्बर मास में दिल्ली में जो इसका अधिवेशन हुआ उसमें हमके उद्देश्य साफ तौर से घोषित कर दिये गये ।

## विद्यार्थी आन्दोलन

इसी समय विद्यार्थियों में भी जागृति की ज्योति फिर से चमकने लगी । साइमन कमीशन के बहिष्कार में विद्यार्थियों ने बड़े जोरशोर के साथ भाग लिया । इसके लिये कद्यों पर कोलेज और स्कूल के अधिकारियों ने अनुशासन की कार्यवाही की । बंगाल में विद्यार्थियों के आन्दोलन ने और भी अधिक जोर पकड़ा । इस समय विद्यार्थियों को यह महसूस होने लगा कि उनके हितों की रक्षा के लिये विद्यार्थी-संगठन की आवश्यकता है । विद्यार्थियों के इस संगठन को पं० जवाहरलाल नेहरू और श्री सुभाषचन्द्र बोस से बड़ा प्रोत्साहन मिला । कलकत्ते में बंगाल के विद्यार्थियों की एक प्रथम कांग्रेस हुई जिसके अध्यक्ष पद को पं० जवाहरलाल नेहरू ने सुशोभित किया था । इसके बाद सारे देश में विद्यार्थी संगठन होने लगे और उसका परिणाम यह हुआ कि विद्यार्थी-गण एक नवीन दृष्टिकोण को लेकर देश के स्वातन्त्र्य संग्राम में उत्साह पूर्वक भाग लेने लगे ।

## मजदूरों के असंतोष की वृद्धि; हड़तालों की बाढ़

विद्यार्थी जगत् के असंतोष के साथ साथ मजदूरों के असंतोष ने भी अपरूप धारण कर लिया । रायपुर की महान् हड़ताल का जिक्र हम गत पृष्ठों में कर चुके हैं । सन् १९२८ ई० में जब जमशेदपुर के टाटा आयरन और स्टील वर्क्स ( Tata Iron and Steel works ) में जबरदस्त हड़ताल हुई, जिसमें १८००० मजदूरों ने हिस्सा लिया । यह हड़ताल कई मास तक चली । कुछ परिस्थितियाँ ऐसी उत्पन्न हो गईं जिससे इसका टूट जाने का डर होने लगा । अखिर मजदूरों ने चाचू सुभाष चन्द्र बोस से इसका नेतृत्व करने का आग्रह किया । इस पर चाचू सुभाष

घन्ट्र ने इस हड़ताल के संचालन का भार अपने हाथ में लिया। घन्ट्र में मिल मज़दूरों और माखियों में सम्मान पूर्ण समझौता हो गया, जिस में मिल मज़दूर बड़े लाभ में रहे।

जमशेदपुर की हड़ताल से भी विशाल हड़ताल बगई में कर्षकों की मिलों में हुई, जिसमें ६०,००० मज़दूरों ने भाग लिया। यह हड़ताल अपनी प्रारम्भिक अवस्था में बड़ी सफल रही और इससे तत्कालीन मज़दूर तथा सरकार को बड़ी परेशानी हुई। इसके बाद कलकत्ते के पास निलूआ (Nilua) नामक स्थान में ईस्ट इण्डिया रेलवे के वर्क शॉप में हड़ताल हुई, जिसमें १०,००० मज़दूरों ने भाग लिया। जमशेदपुर में टिन प्लेट कं० (Tin Plate Co.) के कारखाने में भी एक हड़ताल हुई जिसमें ४००० मज़दूरों ने हिस्सा लिया। बज़बज़ के तेल और पेट्रोल के कारखाने के मज़दूरों में असंतोष बढ़ा और उन्होंने हड़ताल कर दी। इन हड़तालों में ६,००० मज़दूरों ने योग दिया। इसी समय के लगभग कलकत्ते की जूट की मिलों में भी एक बड़ी जबरदस्त हड़ताल हुई जिसमें २००,००० मज़दूर शामिल थे।

बगई की जिस हड़ताल का जिक्र हमने ऊपर किया है, उसका संचालन साम्यवादी दल के वे युवक कर रहे थे, जिन पर पीछे जाकर मेरठ में एक बड़े पब्लिशर का अभियोग चला था और जो मेरठ पब्लिशर अभियोग (Meerut Conspiracy Case Trial) के नाम से मशहूर है। इस वक्त से साम्यवादी दल का जोर बहुत अधिक बढ़ने लगा। सन् १९२८ ईस्वी के आखिर में म्हरिया में ट्रेड यूनियन कांग्रेस (Trade Union Congress) का अधिवेशन हुआ, तब पंड मालूम हुआ कि मज़दूरों में उग्र पन्थियों (Leftists) और इनमें भी विशेषतः कम्युनिस्ट (Communists) का जोर बहुत बढ़ रहा है।

सन् १९२८ ईस्वी के दिसम्बर मास में सभा समितियों की बाढ़ सी आ गई। इस मास में अखिल भारतवर्षीय युवक कांग्रेस (All

Indian Youth Congress), सर्वदल सम्मेलन (All-parties Convention) और भारतीय राष्ट्रीय महासभा (Indian National Congress) आदि के अधिवेशन हुए। इनमें युवक सम्मेलन के अध्यक्ष का आसन श्री के० एफ० नरिमान (K. F. Nariman) ने सुशोभित किया था। श्री० नरिमान बम्बई के प्रसिद्ध वकील थे और उन्होंने उक्त प्रान्त की बड़ी सेवाएँ की थीं। आप बम्बई भाषा सभा के प्रथम स्वराजिस्ट सदस्य थे, जहाँ आपने सरकार से मार्के का मोर्चा लिया था। बम्बई में उस समय आप बड़े लोकप्रिय थे और निडर और निःस्वार्थ देशभक्तों में आपकी गिनती की जाती थी।

इसी समय, कलकत्ते में राष्ट्रीय महासभा (Indian National Congress) का ५० मोतीलालजी नेहरू के सभापतित्व में अधिवेशन हुआ। यह अधिवेशन बड़े उत्साह और समारोह के साथ हुआ। कहा जाता है कि पिछले सब अधिवेशनों से इस अधिवेशन में अत्यधिक प्रतिनिधि और दर्शक थे। कांग्रेस के अध्यक्ष ५० मोतीलाल नेहरू का इस समय जैसा भव्य स्वागत हुआ, वह अपूर्व था। इसमें पुराने कांग्रेसवादियों और उपवादियों में भारत के राजनैतिक लक्ष्य को लेकर बड़ा मतभेद उपस्थित हुआ। पुराने कांग्रेसियों ने नेहरू रिपोर्ट के स्वीकार करने पर जोर दिया और उग्रपन्थी इससे घागे बढ़ कर पूर्ण स्वाधीनता की तत्कालिक प्राप्ति पर धांधल करने लगे। इसके विपरीत महात्मा गांधी ने भी नेहरू रिपोर्ट की स्वीकृति पर जोर दिया। उनका प्रस्ताव यह था "मौजूदा राजनैतिक स्थिति को देखते हुए नेहरू रिपोर्ट को पूर्णतया कांग्रेस द्वारा स्वीकृत कर लेना अभीष्ट है, बशर्ते कि ब्रिटिश पार्लियामेन्ट सन् १९२१ ई० की ३१ दिसम्बर के पहले पहले उसकी सिफारिशों को कार्यान्वित करे। अगर उक्त तारीख तक वह ऐसा न करे तो कांग्रेस अहिंसामुक्त असहयोग आन्दोलन को सङ्घटित कर देश को करवन्दी आन्दोलन के लिये तैयार करे।" दादू सुभाषचन्द्र बोस ने इस प्रस्ताव



पर एक संशोधन रत्ता कि कांग्रेस स्वतंत्रता में कम किसी भी प्रस्ताव पर सन्तुष्ट न होगी और स्वतंत्रता में ब्रिटिश के साथ सम्बन्ध विच्छेद भी आ जाता है। इस संशोधन का परिणत जवाहरलाल नेहरू तथा अन्य उग्रवन्दियों ( Leftists ) ने समर्थन किया। पर यह संशोधन बहुमत से गिर गया। संशोधन के पक्ष में १०३ मत और विरोध में, अर्थात् मूल प्रस्ताव के पक्ष में, १३२० मत मिले। बाबू सुभाषचन्द्र बोस की हम सम्बन्ध में यह शिकायत रही कि यद्यपि कांग्रेस का बहुजन समाज संशोधन अर्थात् पूरा स्वतंत्रता के उप-प्रस्ताव के पक्ष में था पर महात्मा जी के अनुयायियों ने इस प्रश्न को 'विश्वास' का प्रश्न बना लिया और यह प्रगट किया कि अगर महात्मा जी का प्रस्ताव गिर गया तो वे कांग्रेस से अचरस प्रस्थ कर लेंगे। इससे लोग महात्माजी के प्रस्ताव पर अधिक मत देने पर मजबूर हुए।

कलकत्ते की कांग्रेस जिन्म उत्साह और जोश के साथ आरम्भ हुई थी, पीढ़े जाकर उसमें शिथिलता आ गई। नवयुवकों को पूर्ण स्वतंत्रता का प्रस्ताव पालन न होने के कारण बड़ी निराशा हुई। आरम्भ में, अभ्युदय महीदय का जो शान्तिज्ञान स्वागत हुआ, वह कांग्रेस के इतिहास में अपूर्व था। पर जब कांग्रेस का अधिवेशन समाप्त हुआ तब कांग्रेस जनों के मुखों पर निराशा की छाया दिखलाई देने लगी।

### कांग्रेस परदाल पर मजदूरों का अधिकार

कांग्रेस के इस अधिवेशन में एक नई घटना हुई। जब कांग्रेस की कार्यवाही हो रही थी, उस समय करीब १०,००० मजदूरों के एक जुलूम ने कांग्रेस परदाल में बलात् प्रवेश कर दिया और वे जोरों से पूर्ण स्वतंत्रता का नारा लगाने लगे। उन्होंने यह भी प्रगट किया कि कांग्रेस, मजदूरों के हितों के प्रश्न को भी, अपने हाथ में ले।

# उग्रवादीदल और क्रान्तिकारी दल



जैसा कि गत पृष्ठों में दिखलाया गया है, उस समय नवयुवकों में उग्रवादियों ( Leftists ) का जोर बढ़ता जा रहा था । कांग्रेस के नर्म कार्यक्रम से उन्हें सन्तोष न था । उग्रवाद ( Leftism ) के साथ क्रान्तिकारी भावनाएँ ( Revolutionary Ideas ) भी जोर पकड़ती गईं । इस समय क्रान्तिकारियों द्वारा दो ऐसी घटनाएँ की गईं । जिन्होंने ब्रिटिश नौकरशाही को धारा दिया । लाहौर में वहाँ के पुलिस इन्स्पेक्टर मि० शॉन्डर्स ( Mr Shaunders ) क्रान्तिकारियों द्वारा फलक कर दिये गये । कहा जाता है कि सन् १९२८ ई० में सायमन कमिशन के विरोध में जो प्रदर्शन हुआ था और जिसमें देश के पूज्य नेता लाला लाजपतराय बुरी तरह घायल हुए थे, उसके लिये मि० शॉन्डर्स ही जिम्मेदार थे । दूसरी घटना, दिल्ली के असेम्बली बमकाण्ड की थी । इसमें असेम्बली के चालू अधिवेशन में बम फेंका गया था और इस सिलसिले में सरदार भगतसिंह और श्री० बटुकेश्वरदत्त नामक दो युवक पकड़े गये थे । इस घटना ने सारे देश में तहलका मचा दिया और चारों ओर गिरफ्तारियोंकी धूम मच गई । यह घटना सन् १९२९ ई० के मध्य की है । यह क्रान्तिकारी पद्मन्त्र लाहौर पद्मन्त्र के नाम से मशहूर है । इस पद्मन्त्र के प्रति देश के विशाल नवयुवक समुदाय की न केवल दिव्यस्पीही थी, बल्कि सदानुभूति भी थी । सरदार भगतसिंह पञ्जाब के युवक आन्दोलन के प्रभावशाही नेता थे । नव-जीवन भारत सभा के वे मानों प्राण्य थे । गिरफ्तारों के बाद और अभियोग के समय उनकी जैसी साहसिक प्रवृत्ति रही, उससे राष्ट्र के नव-युवकों के हृदयों पर उन्होंने अपनी गहरी छाप डाली थी । सरदार

भगतसिंह उन वीर सरदार भजीतसिंह के भतीजे थे जो मन् १९०६ ई० में छाब्बा ब्राह्मणराय के साथ देश से निवासित किये गये थे।

लाहौर पञ्चन्यत्र का अभियोग खूब जोर शोर के साथ चला। इस समय सरदार भगतसिंह और अन्य अभियुक्तों ने न्यायालय से यह माग की कि राजनैतिक अभियुक्त होने के कारण जेल में वे अच्छा व्यवहार पाने के अधिकारी हैं, पर उनकी एक न सुनी गई। तब उन लोगों ने भूल इदतल करने का निश्चय किया। इन अभियुक्तों में कलकत्ते के जतीन्द्रनाथ दास नामक युवक भी थे। भूल इदतल के पहले इन्होंने अपने साथियों के सामने यह प्रकट किया कि खूब सोच समझ कर यह कदम उठाना चाहिये। एक बार कदम उठा लेने पर, जहाँ तक अपनी मांग पूरी न हो, पीछे पैर न हटाने का दृढ़ निश्चय कर लेना आवश्यक है। इस भूल इदतल पर सारे देश का वातावरण बड़ा गर्म हो गया। नवयुवक तो बहुत ही अर्धीर हो उठे। इस पर सरकार कुछ मुकी और वह अधूरा समझौता करने को तैयार हो गई। उसने उक्त अभियुक्तों के साथ अच्छा व्यवहार करने का आश्वासन दिया। पर ये अभियुक्त इस जिद्द पर अड़ गये कि हम केवल अपने लिये अच्छे व्यवहार की माग नहीं करते, पर यह व्यवहार देश के सब राजनैतिक अभियुक्तों के साथ होना चाहिये। इस माग पर गवर्नमेन्ट नहीं मुकी। सारे देश में इससे घोर आन्दोलन मच गया। युवक दख उत्तेजित और अर्धीर होकर बढ़ा लेने की सोचने लगे। अखबारों में कड़े लेख निकले। सभाओं और प्रदर्शनों की भूम मच गई, जिनमें राजनैतिक कर्दियों के साथ आजा व्यवहार करने की सरकार से जोरदार माग की गई। कलकत्ते में इस समय जो विशाल प्रदर्शन हुआ उनमें वहाँ के कई प्रमुख कांग्रेस नेता पकड़े गये। इनमें श्री मुभापचन्द्र बोष का नाम विशेष उल्लेखनीय है। इन सब पर राज्य गिरोह के मुकदमें चलाये गये।

दिन पर दिन चीतने लगे । भूख हड़तालियों की दशा शोचनीय होने लगी । सारे राष्ट्र का हृदय पिघल गया, पर ब्रिटिश नौकरशाही ने अपना दिक्कत पत्थर का कर लिया । इधर सब भूख हड़ताली भी अपने प्रश्न पर दृढ़ न रह सके । नौकरशाही के उक्त अधूरे आश्वासन पर कह्यों ने भूख हड़ताल तोड़ दी । पर वीर जतीन्द्र अपने निरचय पर दृढ़ रहा । उसने आयरलैण्ड के धीर टेरेन्स मेकेस्वीनी ( Terence Mc. Swiney. ) की तरह अपने देश के सम्मान व स्वाधीनता के लिये भूख हड़ताल में प्राण दे देना अपना कर्तव्य समझा । वह सन् १९२१ ई० की १३ सितम्बर को वीरोचित मृत्यु से मरा और देश की स्वाधीनता के इतिहास में उसने अपना नाम अमर कर दिया । सारे देश ने इस वीर के महान् बलिदान के सामने अपना मातक झुकाया । शत्रु सुभाषचन्द्र बोस अपने सुप्रसिद्ध ग्रन्थ 'Indian struggle' में लिखते हैं—

“... But he died the death of a martyr. After his death the whole Country gave him an ovation which few man in the recent history of India have received. As his dead body was removed from Lahore to Calcutta for cremation, people assembled in their thousands and tens of thousands at every station to pay their homage. His martyrdom acted as a profound inspiration to the youth of India and everywhere youth and student organisations, began to grow up. Among the many messages that were received on the occasion, was one which touched the heart of every Indian. It was a message from the family of Ter-

ence Mc Swiney, the Lord Mayor of Cork, who had died a martyr under similar conditions in Ireland. The message ran thus - Family of Terence Mc Swiney have heard with grief and pride of the death of Jatin Das 'freedom will come'

अर्थात् वह ( जतीन्द्रदास ) शहीद की मौत मरा । उसकी मृत्यु के बाद सारे देश ने उसका जैसा जयजयकार किया, वैसा भारत के आधुनिक इतिहास में बहुत ही कम लोगों के लिये किया होगा । जब उसका शव अन्तिम सत्कार के लिये लाहौर से कलकत्ते के जाया जा रहा था, तब उसको श्रद्धाञ्जलि अर्पण करने के लिये हर एक स्टेशन पर हजारों लाखों लोग इकट्ठे हुए थे । उसके बलिदान ने भारत के नवयुवकों में दिव्य प्रेरणा संचारित की और उसके फल स्वरूप हर जगह "युवक संगठनों" की वाढ़ आने लगी । इस अवसर पर जो बहुसंख्यक स देश मिले, उनमें एक सन्देश ऐसा था, जिसने हर एक भारतवासी के हृदय को पिघला दिया । वह सन्देश थायरलेन्ड के प्रसिद्ध वीर स्वर्गीय ट्रेन्स मेकनि के कुटुम्ब की ओर से था । स्वर्गीय ट्रेन्स मेक्स्वीनि ने थायरलेन्ड में, जतीन्द्र की तरह भूख हड़ताल कर अपने प्राण त्याग किये थे । उनका संदेश यह था.—'ट्रेन्स मेक्स्वीनि के कुटुम्ब ने जतीन्द्र की मृत्यु के समाचार को विषाद और अभिमान के साथ सुना है । स्वतंत्रता आयेगी ।'

जतीन्द्र अपनी मृत्यु के समय २१ वर्ष का था । जब वह विद्यार्थी था तब ही सन् १९२१ ई० के असहयोग आन्दोलन में उसने भाग लिया था, और इस संग्राम में उसे कई वर्ष जेलखाने में काटनी पड़े थे । कारागार से मुक्त होन पर वह फिर से कलकत्ते के कॉलेज में भर्ती हो गया और अपना अध्ययन चालू कर दिया । सन् १९२८ ई० में कलकत्ते के कांग्रेस अधिवेशन के समय उसने स्वयंसेवकों की शिक्षा और संगठन में प्रमुख भाग लिया था और वल्लभ स्वयंसेवक कोर ( Bengal

Volunteer Core) में वह मेजर (Major) के पर पद अधिष्ठित हुआ था। इस स्वयंसेवक दल की पीछे कई शाखाएँ खुलीं और यह कहा जाता है कि इसकी उन्नति का प्राण जतिन था। रमशान में इस दल के स्वयंसेवकों ने जतिन के शय पर सैनिक सम्मान प्रदर्शित किया।

जतिन के महान आत्म-बलिदान का समाचार दिल्ली में उस समय पहुँचा जब कि धारा सभा (Assembly) का अधिवेशन चालू था। सरकारी अधिकारियों के हृदय पर भी इस बलिदान का असर अवश्य पड़ा, मगर वह दृष्टिक था। कूट नीति ने हृदय के भावों पर अधिकार कर लिया। भारत सरकार ने राजनैतिक कैदियों के साथ व्यवहार के प्रश्न को विचारार्थ अपने हाथ में लिया। जब जन साधारण का उच्चेजना कुछ शान्त हो गई तब सरकार ने इस सम्बन्ध में अपने प्रस्ताव उपस्थित किये। इस समय यह मालूम हुआ कि ये उपाय तो विमारी से भी बुरे हैं। शुरू में तो सरकार ने राजनैतिक कैदियों के श्रेणी-विभाग करने से इन्कार कर दिया। इससे लाहोर के भूख हड़तालियों की मांग पर पानी फिर गया। सरकार ने श्रेणी-विभाग के बदले यह प्रस्ताव किया कि भविष्य में कैदी लोग A, B & C जैसे तीन विभागों में रखे जायेंगे। 'C' श्रेणी के कैदियों के साथ साधारण अपराधियों के समान व्यवहार किया जायगा। 'B' श्रेणी के कैदियों को 'C' श्रेणी के कैदियों की अपेक्षा भोजन, पत्र-व्यवहार और मुलाकातों के सम्बन्ध में कुछ अधिक सुविधाएँ रहेंगी। 'A' श्रेणी के कैदियों के साथ 'B' श्रेणी के कैदियों की अपेक्षा अधिक उत्तम व्यवहार किया जावेगा। वह श्रेणी-विभाग कैदियों के सामाजिक पद (Social Status) के अनुसार किया जावेगा।

जब इन नियमों को कार्यान्वित किया गया तब मालूम हुआ कि ६५% राजनैतिक कैदी 'C' क्लास अर्थात् तृतीय श्रेणी में रखे जाते हैं और ३-४ फी सदी तक 'B' क्लास में और १ फी सदी 'A' क्लास

रखे जाते हैं। राजनैतिक क्षेत्रों में हमसे यह समझा गया कि यह राजनैतिक केंद्रियों की एकता तोड़ने का एक कुशल पद-यन्त्र है, क्योंकि इससे अस्वाभाविक बंधन बहुत ही थोड़े केंद्रियों के साथ किया जाता है। हाँ, इन नये नियमों से एक बात अवश्य हुई, वह यह कि यूरोपियन केंद्री और भारतीय केंद्रियों के बीच का भेदभाव मिटा दिया गया। पर व्यवहार में कहीं कहीं फिर भी यह दिखाई देता था।

### युवकों और स्त्रियों में जागृति

जैसा कि गत पृष्ठों में कहा जा चुका है राजनैतिक आन्दोलन के साथ साथ, राष्ट्र के जीवन-भूत और भावी स्तम्भ युवकों और महिलाओं में भी जागृति की दिव्य ज्योति चमकने लगी। सन् १९२६ ई० में यह जागृति और भी अधिक तेजस्विता के साथ प्रज्वलित हुई। कलकत्ते में जो युवक सम्मेलन ( Youth Conference ) का अधिवेशन हुआ था उसकी सफलता ने और जतिन के यत्नदान ने युवक आन्दोलन में नवजीवन और नवोत्साह का संचार किया। सन् १९२६ ई० में सारे वर्ष भर, भारत के विभिन्न प्रान्तों में जोर शोर के साथ युवक संगठन होने लगे। पूना में पं० जवाहरलाल नेहरू के सभापतित्व में महाराष्ट्र युवक सम्मेलन ( Maharashtra Youth Conference ) का अधिवेशन हुआ। प्रहमदायाद में बम्बई प्रान्त के युवक सम्मेलन का अधिवेशन हुआ, जिसकी अध्यक्षता धोमती कमला देवी चट्टोपाध्याय थी। इसी वर्ष के सितम्बर मास में पंजाब विद्यार्थी सम्मेलन ( Punjab Students Conference ) का प्रथम अधिवेशन हुआ, जिसके सभापति के पद को श्री० सुभाषचन्द्र बोस ने सुशोभित किया था। इसके बाद मध्यप्रान्त के नागपुर नगर में वहाँ के युवकों का सम्मेलन हुआ, जिसके अध्यक्ष भी श्री सुभाषचन्द्र बोस चुने गये। इसी प्रकार दिसम्बर मास में अमरावती में बरार विद्यार्थी सम्मेलन का अधिवेशन हुआ जिसके सभापति के

घासन को भी श्री० सुभाषचन्द्र बोस ने सुशोभित किया था । मद्रास प्रान्त में भी इस प्रकार के कई युवक सम्मेलन हुए । इसी वर्ष के अन्त में कांग्रेस अधिवेशन के अवसर पर लाहोर में अखिल भारतवर्षीय विद्यार्थी कांग्रेस का अधिवेशन हुआ जिसके सभापति प० मदनमोहन मालवीय भी थे ।

युवकों की तरह महिला समाज में भी जागृति की अपूर्व ज्योति चमकने लगी । पंडित जवाहरलाल नेहरू अपने "महात्मा गांधी" नामक ग्रन्थ में लिखते हैं—

"Many strange things happened in those days, but undoubtedly the most striking was the part of the women in the national struggle. They came out in large numbers from the seclusion of their homes and, though unused in public activity threw themselves into the heart of the struggle. The picketing of foreign cloth and liquor shops they made their preserve. Enormous processions consisting of women alone were taken out in all cities, and, generally, the attitude of the women was more unyielding than that of the men. Often they became Congress "dictators" in provinces and in local areas" अर्थात् "उन दिनों बहुत सी विचित्र घटनाएँ हुईं पर हमारी महिलाओं ने इस राष्ट्रीय संघर्ष में जो भाग लिया वह निःसन्देह सबसे अधिक आकर्षक था । वे अपने घर के पर्दे से बहुत बड़ी सर्रास में बाहर निकल आईं, और यद्यपि वे सार्वजनिक प्रवृत्तियों से अनभ्यस्त थीं तो भी उन्होंने अपने आपको संघर्ष के बीच डाल दिया । विदेशी वस्त्र और शराब की दुकानों पर धरना देने ( picketing ) के काम



को उन्होंने युद्ध का अपना मोर्चा बनाया। भारतवर्ष के शहरों में केवल महिलाओं के बड़े बड़े शुलूस निकले और साधारण तौर पर यह बान देयी गई कि उनकी वृत्तियाँ पुरुषों से भी अधिक न मुकने की थी। कई तक वे प्रान्तों और स्थानीय क्षेत्रों की 'डिस्टेक्ट्स' हुईं।"

गुजरात की महिलाओं ने गांधीजी के कण्ठ के नीचे सत्याग्रह संग्राम में सबसे अधिक भाग लिया। वज्जाज, यू० पी०, वन्वई प्रान्त ने भी गुजरात का अनुकरण किया। राजस्थान की कुजु पर्देनशीन महिलाओं ने भी इस महान् संग्राम में अपना सहयोग दिया। ईस्वी सन् १९२८ में चायू सुभाषचन्द्र बोस की प्रेरणा से फलकते में 'महिला राष्ट्रीय सघ' नाम की एक राजनैतिक संस्था स्थापित हुई और थोड़े ही दिनों में सारे देश में ऐसी संस्थाओं का जालसा बिड़ गया। महिलाओं में अपूर्व जागृति हुई।

### मजदूर आन्दोलन की प्रगति

इन्हीं वर्षों में, मजदूर आन्दोलन ने जैसी प्रगति की, उसका कुछ उल्लेख हम किसी गत अध्याय में कर चुके हैं। इस मजदूर आन्दोलन के सम्यन्ध में सुप्रसिद्ध कम्युनिष्ट ग्रन्थकर्ता श्री० रजनीपाम दत्त ने अपने "India to-day." नामक ग्रन्थ में जो तथ्य पूर्ण पंक्तियाँ लिखी हैं, उन्हें हम यहाँ उद्धृत करते हैं:—

"कई विभिन्न बाधाओं के बावजूद, खड़ाई के बाद हिन्दुस्तान के मजदूर-वर्ग में धीरे धीरे राजनीतिक चेतना फैलने लगी। शुरू की उत्सवों के बाद मजदूरों में समाजवादी और कम्युनिष्ट विचार फैलने लगे। हिन्दुस्तान की कम्युनिष्ट पार्टी अभी बहुत कमजोर थी लेकिन १९२० से ही उसका साहित्य लोगों के पास तक पहुंचने लगा था। १९२४ में श्रीपाद अमृत शिंगे के सम्राट्क में बम्बई से "सोशलिस्ट" नाम की पत्रिका निकलने लगी। आगे चलकर वह ट्रेड यूनियन कांग्रेस के सहायक मयी जुने गये।

( १९४७ में लॉ० डांगे अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कॉंग्रेस के सभापति चुने गये । ) । सरकार ने हमला करने में देर न की । विलायत में लेबर पार्टी की सरकार थी; तभी १९२४ में डांगे, शौकत उस्मानी, मुजफ्फर अहमद, और दास गुप्ता नामक चार कम्युनिष्ट नेताओं पर कानपुर का मुकदमा चलाया गया और चारों को चार-चार साल की सजा सुना दी गई । हिन्दुस्तान के राजनीतिक मजदूर आन्दोलन की अभिवृत्ति शुरू हुई ।

“पर दमन से जागरण रुका नहीं । १९२६-२७ में समाजवादी विचार चारों ओर फैल रहे थे । मजदूर-किसान पार्टियों के रूप में मजदूर-युग का राजनैतिक और समाजवादी संगठन शुरू हो गया था, इन पार्टियों ने ट्रेड यूनियन आन्दोलन के लड़ाकू लोगों को इकट्ठा किया, और कॉंग्रेस के गरमदली लोगों से उनका एक कायम किया । फरवरी, १९२६ में बंगाल में पहली मजदूर-किसान पार्टी कायम हुई । इसके बाद बम्बई, सयुक्तप्रान्त और पंजाब में पार्टियां बनीं । १९२८ में ये सब पार्टियां “अखिल भारतीय मजदूर-पार्टी” में मिलकर एक हुईं । इसका पहला अधिवेशन दिसम्बर, १९२८ में हुआ । शुरू की बहुत सी उलझनों के बावजूद मजदूरों की नयी जागृति, जिसके पहले चिन्ह १९२७ में दिखायी दिये थे, इस प्रकार अपने राजनीतिक रूप में प्रकट हुईं । इससे नई बढ़ती हुई शक्तियों का पता चलता था ।”

१९२७ के बसन्त में ट्रेड यूनियन काँग्रेस का दिल्ली अधिवेशन हुआ जिसमें ब्रिटिश पार्लियामेंट के कम्युनिस्ट सदस्य शापुरजी सकलतवाला शामिल हुए । थागे चलकर इसी सात कानपुर में भी अधिवेशन हुआ । दोनों जगह पता चला कि ट्रेड यूनियन आन्दोलन में लड़ाकू नेताओं-की आवाज़ सुनाई देने लगी है । और वह भी बहुत जल्द साफ़ हो गया कि देश की अधिकतर ट्रेड यूनियन इन नेताओं के साथ हैं, यद्यपि घोट रजिस्टर कराने में देरी होने से १९२६ तक इस बात को धाकापदा स्वीकार

नहीं किया गया। बम्बई में पहली बार १९२७ का मई दिवस मज़दूरों के त्यौहार के रूप में मनाया गया। यह इस बात का चिन्ह था कि श्रम हिन्दुस्थान का मज़दूर-आन्दोलन एक नई मज़िल पर कदम रख रहा है और मचेत होकर अपने को अंतर्राष्ट्रीय मज़दूर आन्दोलन से मिला रहा है।”

“१९२८ में मज़दूरों में बड़ी हलचल रही और उन्होंने आगे कदम बढ़ाया। पहले महायुद्ध के बाद से श्रम तक ऐसी प्रगति नहीं हुई थी। इस हलचल और प्रगति का केन्द्र बम्बई था। पहली बार मज़दूर-वर्ग का ऐसा नेतृत्व सामने आया जो क्रि कारखाने के मज़दूरों के नज़दीक था, जो वर्ग-संघर्ष का सिद्धान्त मानकर चलता था और जो राजनीतिक और आर्थिक दोनों ही क्षेत्रों में अदृष्ट इकाई की तरह काम करता था। मज़दूरों ने हृदय से इसका स्वागत किया। फरवरी में साइमन कमीशन के खिलाफ़ मज़दूरों ने राजनीतिक हड़तालें और प्रदर्शन किये। इससे कुछ समय के लिये हिन्दुस्थान का मज़दूर-आन्दोलन, राष्ट्रीय आन्दोलन के भागे चलने लगा। कांग्रेस के नेता आन्दोलन के सुधारवादी नेता-पक्ष नहीं चाहते थे। मज़दूर आन्दोलन की इस सफलता से वे चौंके पड़े। बहुत से बम्बई के म्युनिसिपल मज़दूर इस राजनीतिक कार्यवाही में हिस्सा लेने के लिये बर्खास्त कर दिये गये। परन्तु इबतलाज करने पर फिर उन्हें अपनी जगह मिला गई।

“मज़दूर संगठन भी बढ़ चला। बम्बई की मज़दूर सभाओं के मेम्बर १९२३ में ४८,६६१ थे। १९२६ तक, ३ लाख में, उनकी संख्या बढ़कर २४,२४४ तक ही पहुँची। ई० १९२७ में सरकारी ऑफिसों के अनुसार ७२,६०२ मज़दूर यूनियनों के मेम्बर बन गये थे। मार्च १९२८ में उनकी संख्या १६,३२१ और मार्च १९२९ में २,००,३२४ तक पहुँच गई। इन सब में बम्बई मिला-मज़दूरों की प्रसिद्ध “गिरणी कामगार यूनियन” सबसे आगे थी। इस खाज्ज ग़ुन्डे की यूनियन ने

३२४ मेम्बरों से शुरुआत की थी। सरकारी लेबर बजट के अनुसार उसी साल दिसम्बर १९२८ तक इसके २४,००० मेम्बर बन गये थे और १९२९ की पहली तिमाही तक मेम्बरों की संख्या ६२,००० तक हो गई थी। उसी बीच बम्बई की पुरानी "सूती मजदूर-यूनियन" जहाँ की तहाँ पड़ी रही। इस यूनियन की १९२६ में बुनियाद पड़ी थी। ट्रेड-यूनियन कांग्रेस के मंत्री श्री एन. एम. जोशी के सुधार, नेतृत्व में बढ़ पल रही थी। उस पर सरकार और मिल मालिक दोनों का ही परद-हस्त था। फिर भी सरकारी ऑफिसों के अनुसार अक्टूबर, १९२८ में उसके ८,४३६ मेम्बर थे और उसी साल दिसम्बर तक वे केवल ६,७४६ ही रह गये। इसने मजदूरों की पसदगी जाहिर हो गई। "गिरणीकामगार यूनियन" की शक्ति का कारण उसकी मिल-कमिटियों थीं, जो मजदूरों के बिलकुल नजदीक होती थीं।"

"१९२८ की हड़तालों में ३,१२,००,००० मजदूरी के दिन ज्ञाया हुए। पिछले २ सालों में कुल मिलाकर भी इतने दिन ज्ञाया न हुए थे। इस बहर का केन्द्र बम्बई के सूती मजदूर थे, लेकिन यह बहर समूचे हिन्दुस्तान में फैल रही थी। कुल मिलाकर उद्योग-धन्धों में २०३ मगदे हुए। इनमें से १११ बम्बई में, ६० बंगाल में, ८ बिहार-उड़ीसा में, ७ मद्रास और २ पंजाब में हुए थे। ११० मगदे सूती और ऊनी धन्धों में हुए थे, १६ जूटकी मिलों में, ११ इन्जीनियरी की वर्कशॉपों में, ६ रेल्वे और रेल्वे की वर्कशॉपों में और १ कोयले की खानों में हुए। इन सबसे बढ़कर बम्बई के सूती मिल-मजदूरों की हड़ताल थी जिसमें बम्बई के सभी १॥ लाख कपड़ा-मजदूर छः महीने तक हर तरह के दबाव और सरकारी हिंसा का मुकाबला करते रहे। हिन्दुस्थान के इतिहास में यह सबसे बड़ी हड़ताल थी। उसकी शुरुआत मशीनें तेज चलाने के खिलाफ और मजदूरी में ७॥ फी सदी कटौती के विरुद्ध हुई थी। आगे चलकर और बहुत सी मांगें रखी गयीं। सुधारवादी नेताओं

ने पहले हड़ताल का विरोध किया। श्री एन० एम० जोशी ने उन्हें तमाशाबीन कहा था। लेकिन आगे चलकर ये लोग आन्दोलन में पीछे चले आये। हड़ताल को तोड़ने की हर प्रकार की कोशिश बन्द होत पर सरकार ने फासेट कमेटी बँटायी, जिसने ७॥ कटौती को वापिस लेने की सिफारिश की और मजदूरों की कुछ दूसरी मांगें स्वीकार की।

कम्युनिस्ट और समाजवादी आन्दोलनों से सरकारी चेन्नो में बड़ी चिन्ता फैल गई। सन् १९२६ ई० में तत्कालीन वायसराय लार्ड हरविन ने केन्द्रिय धारा सभा में भाषण करते हुए कहा कि “कम्युनिस्ट सिद्धान्तों के प्रचार से परेशानी पैदा हो रही है।” उन्होंने प्ख्यान किया कि सरकार इसका उपाय करेगी। सरकारी वार्षिक रिपोर्ट में कहा गया कि “कम्युनिस्टों के प्रचार और प्रभाव से खास तौर से कुछ बड़े बड़े शहरों के औद्योगिक वर्गों में अधिकारियों को बड़ी चिन्ता हो रही है।”

## १९२८-२९ का मजदूर आन्दोलन

ब्रिटेन के उदारपथियों ने यही राग भ्रजाया। अगस्त १९२६ में मैचेस्टर गार्डियन ने लिखा “पिछले २ वर्षों का अनुभव बताता है कि बड़े बड़े केन्द्रों में औद्योगिक मजदूर पाप पुण्य का विचार न करने वाले कम्युनिस्टों के प्रभाव में बहुत जल्दी आ जाते हैं।”

“इस गुहार में हिन्दुस्थान के कुछ भखबारों ने भी अपना स्वर मिलाया। मई १९२६ में माग्ने क्लानिकल ने घोषित किया कि “आज कुछ समाजवाद की फिजा है, सम्मेलनों में खास तौर से किसानों और मजदूरों की सभाओं में महिनों से समाजवादी सिद्धान्तों का प्रचार किया जा रहा है।”

१९२६ में सरकार ने अपना अख्त संभाळा और यह मजदूर आन्दोलन को कुचलने पर तुल गई। सितम्बर १९२८ में “पब्लिक सेफ्टीबिल”

पेश किया गया। सरकारी रिपोर्ट के अनुसार इसका उद्देश्य यह था कि "हिन्दुस्थान में कम्युनिस्टों की कार्यवाही को रोका जाय।" केन्द्रिय धारा सभा ने इस बिल को रद्द कर दिया। तब १९२६ के वसन्त में वायसराय ने बिल को थॉर्डिनेन्स का रूप दे दिया। मजदूरों की जांच के लिये ग्लिडले कमीशन बैठाया गया। ट्रेड डिस्प्यूट्स एक्ट पास किया गया था, जिससे समझौता करने का सिलसिला तैयार हुआ और दूसरों की हमदर्दी में हड़ताल करने की मनाई कर दी गई और जनता के लिये आवश्यक धन्धों (पब्लिक यूटीलिटी सर्विसेज) में हड़ताल करने के अधिकार को सीमित कर दिया गया। बम्बई में दगों की जांच कमेटी बैठाई गई और उसने सिफारिश की कि बम्बई में कम्युनिस्टों की कार्यवाही के खिलाफ बहुत सख्ती से काम लिया जाय। कमेटी ने यह सवाल भी उठाया कि ट्रेड यूनियन ऐक्ट को सुधारा जाय जिससे कि रजिस्टर्ड ट्रेड यूनियनों में कम्युनिस्टों का कोई ओहदा मिलान ही न पाये।"

## क्रान्तिकारी आन्दोलन

महात्मा गांधी के अहिंसात्मक आन्दोलन के साथ साथ, सरासरी क्रान्तिकारी आन्दोलन का भी कहींकहीं जोर बढ़ रहा था। प्रथम महासुब्ब के बाद जब गांधीजी ने असहयोग सत्रास प्रारम्भ किया तब बहुत से क्रान्तिकारी उनके गल्ले के नीचे आ गये थे, पर चौराचौरी कांड के बाद जब महात्माजी ने सारे देश में चलते हुए सत्याग्रह सत्रास को स्वगित कर दिया, तब इन क्रान्तिकारियों में बड़ी निराशा छा गई और उन्होंने अपने उपायों से देश को स्वतंत्र करने का निश्चय किया। चौराचौरी कांड के बाद बल्लाल में योगेश चटर्जी, शचीन्द्र सान्याल आदि नवयुवक फिर क्रान्तिकारी दलों के सगठन में लग गये और इस उद्देश्य की सिद्धि के लिये उन्होंने डाके डाल कर पत्र पृथगित करना शुरू किया।

कलकत्ता के शकरीदोखा डाकघर (Post office) को लूटते

समय विरेन्द्र घोष नामक नवयुवक पकड़ा गया और उसे आजीवन कारा-  
पानी की सजा हुई। चौगौ में पुलिस कमिश्नर टेगार्ट की हत्या करने  
की कोशिश में गोपीनाथ साहा ने गलती से क्लिबबर्न कंपनी के मि०  
दे. को गोली मार दी। गोपीनाथ पकड़े गये और उन्हें बदस्तूर फाँसी  
हुई।

१९२१ में कलकत्ता-सहारनपुर लाइन में काँकोरी स्टेशन के नजदीक  
मेड ट्रेन को रोक कर क्रान्तिकारियों ने सरासरी पुलिस के पहरे के बावजूद  
सरकारी मजाना लूट लिया। भयानक अन्धेरी रात थी, जिसमें बूढ़ाबान्दी  
भी हो रही थी। गांधी ज्योंही काँकोरी स्टेशन से थोड़ी दूर गई कि किसी  
ने जज़ीर खींचकर गांधी रुकवा दी और मुट्ठी भर नौजवानों ने पाँच  
मिनटों के भीतर गांधी और ड्राइवर को पिरलौह दिखाकर मजाना लूट  
लिया और वे एक छद्म में क अन्दर अन्धेरे में गायब हो गये।

इस सिखसिखे में कई नवयुवकों को गिरफ्तार किया गया और उन  
पर अभियोग चलाया गया। जो काकोरी पञ्चम्य अभियोग के नाम से  
मशहूर है। यह अभियोग १८ मास तक लगातार चलता रहा। इसमें  
प० रामप्रसाद विस्मिल, राजेन्द्र जाहिदी और रोशनसिंह को फाँसी की  
सजा हुई। अन्य अभियुक्तों में से शचीन्द्र नाथ सन्याल को आजीवन  
कारा पानी की सजा हुई। मन्मथनाथ गुप्त आदि को १४ वर्ष के  
कठिन कारावास की सजा हुई। योगेशचन्द्र चटर्जी, मुकुन्दीलाल, गोविन्द  
चरण काक, रमकुमारसिंह और रामकृष्ण खत्री को दस दस साल की जेल  
हुई। विष्णुशरण दुबिष, सुरेशचन्द्र भट्टाचार्य को सात २ साल की सजा  
हुई। नूपेन्द्रनाथ सन्याल, रामदुखारे त्रिवेदी और प्रेम कृष्ण खत्री को  
पाँच पाँच साल की सजा हुई। इसके अतिरिक्त प्रयवेश चटर्जी को  
चार साल की सजा हुई। यद्यपि बनवारी लाल इकवासी गवाह बन  
गया था फिर भी उसको पाँच साल की सजा हुई। इसके अतिरिक्त जॉ  
Supplementary मुकद्दमा चला, उसमें अशफाउल्ला को फाँसी हुई।

बाद को सरकार ने कुछ व्यक्तियों के खिलाफ अपील की कि सजा बढ़ा दी जाय। इन छः में से पाँच की सजा बढ़ा दी गई। यानी योगेशचन्द्र घटना, गोविन्द धरण काक, मुकुन्दीलाल, सुरेशचन्द्र भट्टाचार्य, विष्णुरावण दुग्लिश की सजा बढ़ा दी गई। जिनकी सजा दस साल की थी उनकी सजा कालेपानी की कर दी गई, और तिनकी सजा सात साल की थी उनकी दस साल की कर दी गई। न मधनाथ गुप्त की सजा जज ने यह कह कर नहीं बढ़ाई कि उनकी उम्र बहुत कम थी।

जनता की ओर से फाँसी को रद्द करने के लिये घोर आन्दोलन किया गया। केन्द्रीय धारा सभा के सदस्यों ने तत्कालीन चायसरॉय को दरखास्त पर दरखास्त देकर फाँसी की सजा को माफ़ करने की प्रार्थनाओं की, पर इसमें उन्हें सफलता न हुई। आखिर १७ दिसम्बर १९२७ ई० को गोंडा जेल में उन्हें फाँसी दे दी गई। इसके तीन दिन पहले, अर्थात् १४ दिसम्बर को, राजेन्द्र लाहिड़ी ने नौ पत्र लिखा था उससे यह प्रकट होता था कि वे मृत्यु से कितने निर्भीक थे। वह पत्र इस प्रकार था।

‘कल मैंने सुना कि मित्री कौंसिल ने मेरी अपील अस्वीकार का दी। आप लोगों ने हम लोगों की प्रार्थना के लिये बहुत कुछ किया, कुछ उठा न रखा, किन्तु मालूम होता है कि बलि-वेदी को हमारे रक्त की आवश्यकता है। मृत्यु क्या है? जीवन की दूसरी दिशा के अतिरिक्त और कुछ नहीं! इमलिये मनुष्य मृत्यु से दुःख और भय क्यों माने? वह तो नितान्त स्वाभाविक अवस्था है। उतनी ही स्वाभाविक गितना प्रातःकालीन सूर्य का उदय होना। यदि यह सच है कि इतिहास परग खायी करता है तो मैं समझता हूँ कि हमारी मृत्यु व्यर्थ न जायगी। सबका मेरा नमस्कार,—अन्तिम नमस्कार!’

आपका.—राजेन्द्र।

राजेन्द्र लाहिड़ी की तरह गोरखपुर जेल में पं० रामप्रसाद को भी १६ दिसम्बर को जेल में फाँसी हुई। फाँसी के दरवाजे पर पहुँच



कर उन्होंने कहा—“I wish the downfall of British Empire” ( मैं ब्रिटिश साम्राज्य का पतन चाहता हूँ ) । इसके बाद तदन्ते पर खड़े होकर प्रार्थना के बाद विश्वानि देव सविन्दुरितानि” ” आदि मंत्र का जाप करते हुए गोरखपुर के गेल्ल मं वै फन्दे में मूत्र गये ।

फौजी के पक्ष जील के चारों ओर बहुत कड़ा पहरा था । गोरखपुर की जनता ने उनके शव का लेकर आदर के साथ शहर में घुमाया । राजा न अर्था पर इत्र तथा फूल बरसाये गये और पैसे लुटाये गये । बर्षी धूम धाम से उनकी अन्त्येष्टि क्रिया की गई ।

फौजी के कुछ दिन पहले उन्होंने अपने एक मित्र के पास एक पत्र भेजा था जिसमें उन्होंने लिखा था —“१६तारीख को जो होने वाला है, उसके लिये मैं अच्छो तरह तैयार हूँ । यह है ही क्या ? केवल शरीर का बदलना मात्र है । मुझे विश्वास है कि मेरी आत्मा मातृ भूमि तथा उसकी दीन सन्तति के लिये नये उत्साह और शोच के साथ काम करने के लिये शीघ्र ही फिर लौट आयेगी ।”

इसके साथ ही उन्होंने एक भाव में कविता पढ़ी और सबसे नमस्ते कहलवाया । वह कविता इस प्रकार है ।

यदि देश हित मरना पड़े मुझको सहजों पार भी ।  
तो भी न मैं इस कष्ट को निज ध्यान में खार्ज कभी ॥  
हे ईश, भारतवर्ष में शत बार मेरा जन्म हो ।  
कारण सदा ही मृत्यु का देशीय कारण कर्म हो ॥  
मरते ‘विस्मिल’ रोशन खहरी अशक्राफ आयापार से ।  
होगे पैदा सैकड़ों उनकी रुधिर की धार से ॥  
उनके प्रबल उद्योग से उदार होगा देश का ।  
तब नाश होगा सर्वथा तुम शोक के लखलेश का ॥

( श्री मन्मथनाथ गुप्त द्वारा लिखित सशख मान्दिकारी चेट्या का

रोमा-चकारी इतिहास" से उद्धृत )

इसी प्रकार अशक्राकुब्जा को फैजाबाद जेल में १३ दिसम्बर को फांसी हुई ! वे भी यही प्रसन्नता के साथ फांसी पर छटक गये ! फांसी पर छटकते समय उन्होंने बपस्थित अवता से कहा:—

“मेरे हाथ इन्सानी खून से कभी नहीं रगे । मेरे ऊपर जो इज्जाम खगाया गया है, वह शकत है । खुदा के यहाँ मेरा इन्साफ़ होगा ।”

अशक्राकुब्जा की तरह रोशनसिंह भी फांसी पर छटका दिये गये । श्री ३३ का स्मरण करते हुए उन्होंने प्राण दिये ।

काकोरी पद्यन्त्र के साथ साथ, कानपुर में कम्युनिस्टों का एक पद्यन्त्र पकड़ा गया । इस पद्यन्त्र में असृत हांगे, शीकृत उस्मानौ मुजफ्फर अहमद, नखिनी बाबू आदि गिरप्रतार हुए । इन पर यह अभियोग खगाया कि ये ब्रिटिश सरकार को उलट देने का पद्यन्त्र कर रहे हैं । इनको चार चार साल की जेल हुई ।

### मेरठ-अभियोग

हमने गत पृष्ठों में भारतवर्ष में होनेवाली मजदूर जागृति का उल्लेख किया है । राष्ट्रीय आन्दोलन के साथ साथ मजदूर आन्दोलन भी जोर पकड़ता जा रहा था । १९२६ ई० के मार्च मास में तत्कालीन भारत सरकार ने मजदूरों के कई नेताओं पर यह अभियोग खगाया कि रूस के साम्यवादियों के संकेत पर वे भारत में क्रान्ति पैदा कर सरकार को उलट देना चाहते हैं । २० मार्च सन् १९२६ ई० को बम्बई, पंजाब और सयुक्त प्रान्त में ताज़ीरात हिन्दू को १२१ अ० धारा के अनुसार सैकड़ों वर्षों की तछासी ली गई, और मजदूर आन्दोलन के खास खास नेता गिरप्रतार कर खिये गये । जो लोग गिरप्रतार हुए, उनमें कांग्रेस महासमिति के ८ सदस्य भी थे । पहले २१ नेता पकड़े गये थे । बाद को २८ गिरप्रतार और हुई । जायिपुक्तों पर कम्युनिस्ट प्रचार द्वारा सरकार

को उखट देने का अभियोग लगाया गया। इन अभियुक्तों में खन्दन के न्यूस्पाक (New Spark) के सम्पादक मि० एच० एल० हचिन्सन (Mr. H. L. Hutchison) भी थे। अभियुक्तों की सहायता के लिये एक सेन्ट्रल डिफेन्स कमिटी भी बनाई गई थी। इस मुकद्दमे की प्रारम्भिक तक्रारीय में ही कई महिन बीत गये और वर्ष का अन्त, धा पहुँचा। भारत और इङ्ग्लैंड में इस मुकद्दमे ने बड़ा नाम पाया। मुकद्दमे के समय सरकारी प्रकाशन विभाग के मन्त्रालय स्वयं उपस्थित रहते थे और मुकद्दमे सम्बन्धित प्रचार और प्रकाशन के काम की देख भाळ रखते थे। यह मुकद्दमा मेरठ पदपत्र के नाम से मशहूर है इस मुकद्दमे में जो लोग गिरफ्तार किये गये थे, उनके नाम निम्नलिखित हैं:—

श्रीपाद श्रमृत डागे.—ट्रेड यूनियन कांग्रेस के सहकारी मंत्री, पहल कानपुर पदपत्र के अभियुक्त, गिरणी-कामगार-यूनियन क प्रधान मंत्री (अब अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन-कांग्रेस के सभापति और बम्बई के मजदूरों के प्रतिनिधि एम० एल० ए०)।

किशोरीलाल घोष—बङ्गाल ट्रेड-यूनियन संघ के मंत्री।

टी. आर. बगडी—ट्रेड-यूनियन कांग्रेस के भूतपूर्व सभापति और उसकी कार्यकारिणी के सदस्य, अखिल भारतीय कांग्रेस कमिटी के सदस्य।

एस. डी. घाटे—ट्रेड-यूनियन कांग्रेस के सहकारी मंत्री (१९०७) और बम्बई के यूनियन कर्मचारियों का यूनियन के उपसभापति।

कै. एन. जोगलेकर—जी. आई. पी. रेल्वेमेन्स यूनियन के संगठन मंत्री, अखिल भारतीय कांग्रेस कमिटी के सदस्य।

एस एच. कान्ठाला—अखिल भारतीय रेल्वेमेन्स फेडरेशन के संगठन मंत्री, गिरणी कामगार-यूनियन के भूतपूर्व सभापति।

शौकत उरमानी—झानपुर-पद्यन्त्र के प्रभियुक्त; बम्बई के एक बड़े मज़दूर-पत्र के सम्पादक ।

मुजफ्फर अहमद—ट्रेड-यूनियन कांग्रेस के उप-सभापति; बंगाल की मज़दूर-किसान-पार्टी के मंत्री; कामपुर पद्यन्त्र में प्रभियुक्त ।

फिलिप स्प्रेट—ट्रेड-यूनियन कांग्रेस की कार्यकारिणी के भूतपूर्व सदस्य ।

चेन ब्रैडले—ग्रेट-ब्रिटेन की संयुक्त इकीनियरिंग-यूनियन की जन्दन फ़िर्का कमिटी के भूतपूर्व सदस्य; गिरणी-कामगार-यूनियन तथा जी. आई. पी. रेल्वेमेन्स यूनियन की कार्यकारिणी-समितियों के सदस्य; अखिल भारतीय रेल्वेमेन्स फेडरेशन के उपाध्यक्ष; बम्बई के सूती मिल मज़दूरों की संयुक्त इदताब कमिटी के कोषाध्यक्ष ।

एस. एस. मिरजकर—गिरणी-कामगार-यूनियन के महाकारी मंत्री ।

पूरन चन्द्र जोशी—संयुक्त-प्रान्त की मज़दूर किसान-पार्टी के मंत्री;

ए. ए. आन्वे—गिरणी-कामगार-यूनियन के सभापति ।

जी. आर. कसले—गिरणी-कामगार-यूनियन के कमन्चारी ।

गोपाल वसक—१९२८ में सोशलिस्ट नौज़वान सम्मेलन के सभापति ।

डा. गङ्गाधर अधिकारी—बम्बई के समाजवादी पत्र "स्पाक" (चिनगारी) के लेखक ।

एम. ए. मज्जीद—खिलाफत आन्दोलन के समय १९२० में हिन्दुस्थान छोड़ा, रुस गये और वापस आने पर पकड़े गये । पंजाब की कीर्ति-किसान पार्टी के मंत्री और पंजाब नौज़वान सभा के जन्मदाता ।

भार. एस. निम्पकर—बम्बई ट्रेड्स-कीन्सिल और भारतीय कांग्रेस-कमिटी के मंत्री; अखिल भारतीय मजदूर-किसान पार्टी के मंत्री; अखिल भारतीय कांग्रेस-कमिटी के सदस्य ।

बिन्धनाथ मुक्तर्जी—संयुक्त प्रान्त की मजदूर-किसान-पार्टीके सभापति ।

केदारनाथ सहगल—पञ्जाब कांग्रेस कमिटी के सभापति और पञ्जाब की सूबा कांग्रेस कमिटी के प्रथम-मंत्री; अखिल भारतीय नौजवान-सभा के सदस्य ।

राधा रमण मित्र—बङ्गाल जूट-मजदूर-यूनियन के मंत्री ।

धरनी गोस्वामी—बङ्गाल की किसान-मजदूर पार्टी के सहायक मंत्री; प्रमुख ट्रेड-यूनियन कार्यकर्ता ।

गौरीशङ्कर—संयुक्त प्रान्त की मजदूर-किसान-पार्टी की कार्यकारिणी के सदस्य ।

शम्सुल हुदा—बङ्गाल ट्रांसपोर्ट-वर्कर्स-यूनियन के मंत्री ।

शिवनाथ चैनर्जी—बङ्गाल जूट-वर्कर्स-यूनियन के सभापति; पहले प्रदुगपुर की रेलवे हड़ताल के सिखसिखे में एक साधक की सेवा पाये हुए ।

गोपेन्द्र चक्रवर्ती—इस्ट इण्डिया रेलवे-यूनियन के कार्यकारी; अजमेर रेलवे हड़ताल के सिखसिखे में १॥ साल की सेवा पाये हुए ।

सोहनसिंह जोशी—प्रथम अखिल भारतीय मजदूर-किसान-सम्मेलन के सभापति ।

एम. जी. देसाई—बम्बई के समालोचक पत्र "स्पाॅक" के सम्पादक ।

अयोध्या प्रसाद—बङ्गाल की किसान-मजदूर पार्टी के कार्यकर्ता ।

लक्ष्मणराय कदम—कांसी म्यूनिसिपल-कर्मचारी-यूनियन के सज़ाएँ  
करता ।

एच. एल. हचिन्सन—“न्यू स्पार्क” के सम्पादक ।

३२ वें अभियुक्त का नाम लेस्टर हचिन्सन था । यह एक धर्मप्रेम  
पत्रकार थे । उन्होंने गिरफ्तारियों के बाद “न्यू स्पार्क” का संपादन  
कार्य सम्भाला । तब इन पर भी मुकद्दमा चलाया गया ।

पाठक देखेंगे कि गिरफ्तार व्यक्तियों में “अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन  
काँग्रेस” के उप-सभापति, एक भूतपूर्व सभापति और दो सहकारी  
मंत्री शामिल थे । इनके साथ बम्बई और बङ्गाल के प्रान्तीय ट्रेड यूनियन  
क्रेडरेशन के मंत्री थे । ‘गिरणी-कामगार यूनियन’ के सभी पदाधिकारी  
और ‘जी. आई. पी. रेल्वेमेन्स यूनियन’ तथा कुछ दूसरी यूनियनों के  
अधिक पदाधिकारी पकड़ लिये गये थे । बङ्गाल, बम्बई और संयुक्त प्रांत  
की मज़दूर किसान पार्टियों के मंत्री तथा अन्य पदाधिकारी गिरफ्तार  
किये गये थे । इनमें तीन अभियुक्त धर्मप्रेम थे । ग्रिटेन के मज़दूर आन्दोलन  
के ये तीनों प्रतिनिधि हिन्दुस्थानी मज़दूरों के साथ-साथ फ़रवरे में  
सड़े हुए और बाद में उनके साथ जेल गये ।

यह मुकद्दमा बराबर साढ़े तीन साल तक चलता रहा । इतनी  
लम्बी अवधि तक मज़दूर वर्ग के ये नेता जेल में सबूते रहे । यहाँ यह  
कहना आवश्यक है कि जिस समय यहाँ यह मुकद्दमा चल रहा था, उस  
समय इंग्लैंड में मज़दूर वर्ग का सरकार थी, जिसने इस मुकद्दमे की पूरी  
जिम्मेदारी स्वीकार की थी ।

सन् १९३३ ई० के जनवरी मास में प्रचानक सजायें सुनायी गयीं ।  
मुजफ्फर अहमद को धाज्जम काबापानी, डामे, घाटे, जोगलेकर, निम्बकर  
और स्पेट को १३ साल के लिये काला पानी, बँडले, मिरजकर और  
उस्मानी को १० साल का काबापानी और इसे तरह की सजायें सुनायी  
गई थी, जिनमें सबसे कम ३ वर्ष की कड़ी कैद थी । पर जब अन्य

देशों में आन्दोलन हुआ तो अपील करने पर सजायें कम हो गईं ।

### बम्बर अकाली आन्दोलन

इन्हीं दिनों में बम्बर अकाली आन्दोलन देवगढ़ आन्दोलन, दुल्हाट पक्ष्यन्त्र, दक्षिणेश्वर का बस काण्ड आदि कई घटनाएँ हुईं, जिनमें सदा बठालस्य स्थानाभाव के कारण यदा करने में हम असमर्थ हैं ।

### पुलिस अफसर की हत्या

कटकके के पुलिस अफसर भूपन्द्र घटगी ने क्रान्तिकारियों का गिरफ्तार करने, उन्हें सजा दिखवाने आदि में प्रमुख भाग लिया था । ये जेलों में जाकर, धमकाकर, डराकर व फुसलाकर नज़रबन्दों को मुखबिर बनाने का यत्न दिखाने की चेष्टा किया करते थे । दक्षिणेश्वर के कैदी इससे जल भुन गये और उन्होंने जेल में मशहरी के डों से इन पर आक्रमण कर, वही इनका काम तमाम कर दिया; इस सम्बन्ध में अनन्त हरि मित्र और प्रबोध चन्द्र चौधरी इन दो व्यक्तियों को फासी हुईं ।

### विदेशों में भारतीय क्रान्तिकारियों की प्रवृत्तियाँ

भारत में स्वाधीनता प्राप्ति के लिये अहिंसात्मक तथा हिंसात्मक जो भी आन्दोलन हुए इनका कुछ उल्लेख हम गत अध्यायों में कर चुके हैं । अब उधर भारतीय क्रान्तिकारियों का एक दल विदेशों में भी भारतीय क्रान्ति की चेष्टा कर रहा था । उनमें राजा महेंद्रप्रताप शरकगुजरा, प्रोबेहुल्ला यिन्ही, मौखाना साहम्मद हुसैन, मौखाना जाफर अली आदि के नाम उल्लेखनीय हैं ।

१० इस विषय के विस्तृत वर्णन के लिये लेखक स्वतन्त्र ग्रन्थ लिख रहा है ।

## भगतसिंह की गिरफ्तारी और फाँसी

वीर भगतसिंह भारत के क्रांतिकारियों के इतिहास में अपना नाम अविस्मरणीय कर गये हैं। ये एक ऐसे युवक थे, जो वीरता की प्रतिमूर्ति थे और जिनके शरीर के हर परमाणु में देश को स्वतंत्र करने की भावना व्याप्त थी। ये अपने देशके युवकों के हृदय सम्राट् हो गये थे। एक समय था, जब कि सरदार भगतसिंह का नाम भारत के घर-घर में व्याप्त हो गया था और नवयुवकों को अनुप्राणित करने में वह सबसे अधिक काम करता था। यह बात कही जा सकती है कि उनका मार्ग असामयिक था, पर उनके महान् धारम-ध्याग और उनकी विशाल देशभक्ति नि सन्देह दृष्ट्य जैसी की थी।

जैसा कि हम गत अध्याय में कह चुके हैं—कॉकरी-काण्ड के कुछ समय बाद ही, दिल्ली की केन्द्रीय धारा सभा के अधिवेशन के समय, रथकों की गोलियों से, सभा पर एक बम फेंका गया, इसमें धारा सभा के कुछ सदस्य घायल हुए। इस सम्बन्ध में भी भगतसिंह और श्री. बडुकेरवारदास नामक दो युवक पकड़े गये और इनका काने की कोशिश करने के अभियोग में इन दोनों नवयुवकों को घाजीपूर कारागार की सजा हुई। सायमन कमीशन विरोधी प्रदर्शन के समय प्रदर्शन-धारी जनता पर जो छाठी चार्ज किया था और उसमें देश भक्त छात्रा छात्र पछराय को जो गहरी चोट आई थी उसका उल्लेख गतपूर्व अध्याय में किया जा चुका है। इसी कारण से प्रागे चल कर इस महान् देश भक्त की मृत्यु हुई। हमसे देश के नवयुवकों का तून उबल उठा। कुछ कठिनाइयों ने छात्रा छात्ररत राय पर हमला करनेवाले पुलिस अक्रमर रोन्टर्न को दूर कर दिया था। इस सम्बन्ध में उन लोगों पर अभियोग खड़ा, जो छाहौर पञ्चमत्र के नाम से प्रसिद्ध है। इस मामले में सरदार भगतसिंह, राजगुरु और मुत्तेश्वर को फाँसी की सजा हुई और अन्य कई अभियुक्तों का कड़ी सजायें दी गई।



उन चीनों को फाँसी देने के विकृत देश भद्र में प्रचलित आन्दोलन हुआ। असन्तोष इतना बढ़ गया था कि सरकार ने फाँसी के कई दिन पहले यूरोपियन क्षिपों को घर से बाहर निकलने को मना कर दिया था।

भगतसिंह आदि को फाँसी न देने के लिये महात्मा गांधी ने भी बड़ी कोशिश की। लेकिन बड़े खाट खाई इर्विन ने उन्हीं एक न सुनी और अन्त में उन्हें फाँसी पर लटकवा ही दिया गया ! नौजवानों में इससे इतना ज्यादा असन्तोष फैला कि खाट इर्विन के प्राण लेने की कोशिश की जाने लगी ! एक पार रेलवे लाइन पर बम रखकर उनकी इपेराज ट्रेन को उचालने का प्रयत्न किया गया, मगर वे भाग्य से बच गये। सिर्फ उनके दो असद्वही घायल हुए।

इधर कलकत्ते के मलुभा बाजार इलाके में बम बनाने का एक कारखाना पकड़ा गया। मलुभा बाजार बम के ल कारकी दिनों तक प्रकृता रक्षा और अन्त में निरञ्जन सेन, सतीश बोस आदि कई व्यक्तियों को कड़ी सजायें दी गईं।

वही समय दक्षिण भारत में भी क्रान्तिकारियों का एक दल संगठित हुआ था, जिसके नेता थे, श्री राम राजू। इस दल ने पहले तो पुलिस के एक धाने को लूट लिया। पीछे छः बार इस दल के सदस्यों से पुलिस की खुली मुठभेड़ हुई। अन्त में पुलिस से सम्मुख लड़ते हुए श्री राम राजू मारे गये।



# लाहौर कांग्रेस



देश की इन क्रांतिकारी घटनाओं और उग्र उत्तेजनाओं के मध्य पं० जवाहरलालजी नेहरू की अध्यक्षता में लाहौर में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ। इसकी कार्यवाही में महात्माजी का बहुत बड़ा हाथ था। महात्माजी ने इस अधिवेशन में ट्रेन-बम की दुर्घटना में बच जानेके उपलक्ष्य में कायसरॉय लॉर्ड हरविन का अभिनन्दन करने का प्रस्ताव उपस्थित किया। इस प्रस्ताव का नवयुवकों की ओर से घोर विरोध हुआ। ये आवाजें कसने लगे, पर अन्त में महात्माजी के अशुभनीय प्रभाव के कारण यह प्रस्ताव पास हो गया।

नवयुवक दल के नेता बाबू सुभाषचन्द्र बोस ने यह प्रस्ताव रखा कि एक समानान्तर सरकार प्रस्थापित की जाय और इसके लिये कार्यकर्ताओं, किसानों और युवकों का संघटन किया जाय। पर यह प्रस्ताव भी पास न हो सका। इसी अधिवेशन में महात्माजी ने कांग्रेस की समिति के सदस्यों के निर्वाचन का प्रस्ताव रखा। इस सूची में १५ नाम थे, जिनमें श्री० श्रीनिवास आयरर, श्री० सुभाषचन्द्र बोस और कुछ अन्य उग्रवादी दल के नेताओं के नाम नहीं रखे गये। इसका कारण महात्माजी ने यह बतलाया कि कार्य कारिणी में एक मत और एक दिश के आदमी होने चाहिये, जिससे कि कार्य सुचारु रूप से चल सके और कार्य में बाधा न आवे। इस पर भी नवयुवकों और उग्रवादियों ने काफी असन्तोष प्रकट किया। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि कम से कम श्री० सुभाषचन्द्र बोस और श्री० श्रीनिवास आयरर तो कार्य-

कारिणी में रहने ही चाहिये । पर अन्त में महात्माजी की सूची स्वीकृत कर ली गई । कहा जाता है कि उपस्थित जनता की यह भावना बनाई गई थी कि अगर यह सूची स्वीकृत न की गई तो महात्माजी यह सम्झेंगे उन पर कांग्रेस का विश्वास नहीं है और सम्भव है वे कांग्रेस से जुदा हो जायें । इससे कई लोगों ने विरोधी भाव रखते हुए भी उक्त सूची के पक्ष में अपना मत दिया ।

कांग्रेस के इस अधिवेशन में एक महत्वपूर्ण घटना हुई, वह यह है कि ३१ दिसम्बर को आधी रात के समय कांग्रेस के अध्यक्ष प० जवाहर लाल नेहरू ने कड़कवाती हुई टब में खाली आदमियों के समय, जयजयकार के शीघ्र, स्वाधीनता का नारा फहराया । इस घटना से कांग्रेस के वातावरण में बड़ा जीवन आ गया और राष्ट्र जीवन के सामने आशा की ज्योति प्रमकने लगी ।



# १९३० का महान् स्वतंत्रता संग्राम



भारत के राष्ट्रीय इतिहास में इसवी सन् १९३० का साल एक महान् संस्मरणीय घटना रहेगी। पं० जवाहरलाल नेहरू ने अपने Mahatma Gandhi नामक ग्रन्थ में कहा है—

"That year 1930 was full of dramatic situations and inspiring happenings; what surprised most was the amazing power of Gandhiji to inspire and enthuse a whole people. There was something almost hypnotic about it, and we remembered the words used by Gokhale about him: how he had the power of making heroes out of clay. Peaceful civil disobedience as a technique of action for achieving great national ends seemed to have justified itself, and a quiet confidence grew in the 'country, shared by friend and opponent alike, that we were marching towards victory. A strange excitement filled those who were active in the movement, and some of them even crept inside the jail' "Swaraj is coming" said the ordinary convicts, and they waited impatiently for it, in the selfish hope that it might do

them some good. The warders coming in contact with the gossip of the bazars also expected that Swaraj is near; the petty jail official grew a little more nervous. घर्षात् ईरनी सन् १९३० का मास नाट्योपस्थितियों और प्रेरणादायक घटनाओं से परिपूर्ण था। इस पर भी जिस बात ने हम सबसे अधिक आश्चर्यचकित किया, वह गांधीजी की खोर्गा में प्रेरणा और उत्साह भरने की अतुल्य शक्ति थी। उनमें कुछ ऐसी चीज थी, जिसे मोहिनी कहा जा सकता है। गोखले के वे शब्द हमें याद हैं जो उन्होंने गांधीजी के विषय में कहे थे कि उनमें मिट्टी से चीर बनाने की शक्ति है। राष्ट्रीय ध्येयों की पूर्ति के लिये एक कार्य प्रयासी के रूप में सविनय अवज्ञा आन्दोलन अपनी उपयोगिता सिद्ध कर चुका था और देश भर में—मित्रों और विरोधियों दोनों के हृदयों में—यह मान विश्वास उत्पन्न हो गया था कि हम विजय की ओर प्रगति कर रहे हैं। मिन्होंने आन्दोलन में सक्रिय भाग लिया था, उनमें एक प्रकार की विभिन्न उत्तेजना भर गई थी। यह उत्तेजना कुछ कुछ जेलों तक पहुँच गई थी। साधारण कैदी तक कदम रखा था कि स्वराज्य आ रहा है। और वे इस स्वार्थ-मय दृष्टि से कि उससे उनकी कुछ भलाई होगी, व्यग्रता के साथ उसकी प्रतीक्षा कर रहे थे। जेल के बाहर भी बानार की चर्चाओं को सुन कर स्वराज्य के निकटतम आने की प्रतीक्षा कर रहे थे। जेल के छोटे कर्मचारी कुछ घबराये हुए से मालूम होते थे।'

श्री सुभाषचन्द्र बोस ने अपने The Indian Struggle नामक ग्रन्थ में इस साल को नूकानी ( Stormy ) साल की उपमा देते हुए लिखा है—

"With the dawn of the new year there was hope & confidence in every heart. People anxiously looked to the Working Committee for

instructions as to what they were required to do for the early attainment of independence." अर्थात् "नये सत्र के आरम्भ होते ही प्रत्येक हृदय में आशा और विश्वास का उदय होने लगा । लोग उत्सुकता के साथ कांग्रेस की कार्यक रिणी समिति ( Working Committee ) के उन सुझावों की प्रतीक्षा करने लगे जिनमें शीघ्र ही स्वतंत्रता प्राप्ति के लिये कार्य करने की पद्धति के आदेश हों ।

कहने का भाव यह है कि देश का वातावरण बहुत ही गरम हो रहा था । राष्ट्रीय स्वाधीनता के लिये लोग शरीर हो रहे थे । उन्हें पैस न था । महात्मा गांधी लोक मनोविज्ञान के बड़े विशेषज्ञ थे । उन्होंने तत्कालीन राष्ट्र की मनोवृत्ति का अध्ययन का, लिखा था—

"Civil Disobedience alone can save the country from impending lawlessness and secret crime, since there is a party of violence in the country which will not listen to speeches, resolutions, or conferences, but believes only in direct action."

अर्थात् ' देश को अराजकता और गुप्त अपराध से केवल मात्र सविनय अवज्ञा आन्दोलन ही बचा सकता है । देश में हिंसा को अपनाये वाला एक दल है, जो भाषणों, प्रस्तावों और परिषदों की एक न सुनेगा । वह केवल सीधी कार्यवाही में विश्वास रखता है ।

महात्माजी के उक्त बचनों से यह प्रकट होता है कि देश में हिंसा की मनोवृत्ति का प्रावण्य हो रहा था और देश एक दूसरे भाग को प्रहण करने के लिये उत्सुक हो रहा था । महात्माजी ने राष्ट्र का हिंसात्मक भाग में आना, देश-विरुद्ध की दृष्टि से अच्छा नहीं समझा । अतएव उन्होंने राष्ट्र के नेतृत्व का भार अपने हाथ में लिया और अहिंसात्मक युद्ध का शस्त्र

बंदे जार से फूँका । आरंभ सन् १९३० ई० के आरम्भ में यह आदेश जारी किया कि उक्त मास की २६ तारीख को सारे देश में स्वतंत्रता-दिवस मनाया जाय और महारमाजी द्वारा तैयार किया हुआ और कांग्रेस की कार्यसमिति द्वारा मान्य "स्वाधीनता का घोषणा-पत्र" देश के हर एक स्टैंडार्डमें से पढ़ा जाय और यह लोगों के द्वारा स्वीकृत किया जाय । इस घोषणा-पत्र में स्वाधीनता की घोषणा, राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रति राज्यभक्ति और भारतीय स्वाधीनता के लिये भ्रम युद्ध ( Sacred fight ) करने की प्रतिज्ञा थी । यह प्रतिज्ञा इस प्रकार थी:—

### स्वाधीनता का घोषणा-पत्र

"हम भारतीय प्रजाजन भी अन्य राष्ट्रों की भाँति अपना जन्म-सिद्ध अधिकार मानते हैं कि हम स्वतंत्र होकर रहें, अपने परिश्रम का फल हम स्वयं भोगें और हमें जीवन निर्वाह के लिये आवश्यक सुविधायें प्राप्त हों, जिससे हमें भी विश्राम का पूरा मौका मिले । हम यह भी मानते हैं कि यदि कोई सरकार ये अधिकार छीन लेती है और उसे सत्ताही है तो प्रजा को उस सरकार के बदल देने या मिटा देने का भी पूरा अधिकार है । भारत की ब्रिटेनी सरकार ने भारतवासियों का शोषण ही नहीं किया है बल्कि उसका आधार ही गरीबों के रक्तशोषण पर है और उसने धार्मिक, राजनैतिक, सांस्कृतिक और आध्यात्मिक दृष्टि से भारतवर्ष का नाश कर दिया है । अतः हमारा विश्वास है कि भारतवर्ष को ब्रिटेनी से सम्बन्ध विच्छेद करके पूर्ण स्वायत्त या स्वाधीनता प्राप्त कर लेनी चाहिये ।"

"भारत की धार्मिक बराबरी हो चुकी है । जनता की आनन्दनी को खूबे हुए उससे बेहिसाब कर वसूल किया जाता है । हमारे धर्मिक निरुध्द आय सारत पैसे है और हमसे जो भारी कर लिये जाते है उनका १० फी सदी किसानों से खगान के रूप में और ३ फी सदी गरीबों से के रूप में वसूल किया जाता है ।"

“हाथ-कटाई आदि प्राप्त-उद्योग नष्ट कर दिये गये हैं। इससे माल में कम में कम चार महीने किमान लोग बेकार रहते हैं। हाथ की कारीगरी जाते रहने से उनकी बुद्धि भी मन्द हो गई है और जो उद्योग इस प्रकार नष्ट कर दिये गये हैं उनके स्थान पर दूसरे देशों की भांति कोई नये उद्योग जारी भी नहीं किये गये हैं।”

सुँगी और सिक्के की व्यवस्था इस प्रकार की गई है कि उससे किसानों का भार और भी बढ़ गया है। हमारे देश में बाहर का माल अधिकतर अंग्रेजी कारखानों से आता है। सुँगी के महसूल में अंग्रेजी माल के साथ साक्र तीर पर पक्षपात होता है। इसकी आय का उपयोग गरीबों का बोझ हलका करने में नहीं किया जाता, बल्कि एक अत्यन्त अपव्ययी शासन को कायम रखने में किया जाता है! विनिमय की दर भी ऐसे स्वेच्छाचारी दम से निश्चित की गई है, जिससे देश का करोड़ों रुपया बाहर चला जाता है।

राजनैतिक दृष्टि से भारत का दर्जा जितना अंग्रेजों के समय में घटा है वतना पहले कभी नहीं घटा था। किसी भी सुधार योजना से जनता के हाथ में वास्तविक राजनैतिक सत्ता नहीं आई है। हमारे बड़े से बड़े श्राद्धी को विदेशी सत्ता के सामने सिर झुकाना पड़ता है। अपनी राय आज्ञादी से जाहिर करने और आज्ञादी से मिचने जुलने के हमारे हक छीन लिये गये हैं और हमारे बहुत से देशवासी निर्वासित कर दिये गये हैं। हमारी सारी शान्त की प्रतिभा मारी गई है और सर्वसाधारण को गाँवों के छोटे छोटे ओहदों और मुँशीगिरी से सन्तोष करना पड़ता है।”

“संस्कृति के खिहाड़ से शिवा-प्रणाली ने हमारी जड़ ही काट ली और हमें जो ताबोम दी जाती है उससे हम अपनी गुलामी की जड़ों को ही प्यार करने लगे हैं।”

“आध्यात्मिक दृष्टि से, हमारे हथियार जबरदस्ती छीन कर हमें नामर्द



चना दिया गया। विदेशी सेना हमारी छाँटी पर सदा मौजूद रहती है। उसने हमारी प्रतिरोध की भावना को यही घुरी तरह से कुचक दिया है। उसने हमारे दिनों में यह बात बिठा दी है कि हम न अपना घर सम्भाल सकते हैं और न विदेशी आक्रमण से देश की रक्षा ही कर सकते हैं। इतना ही नहीं, चोर डाकू और बदमाशों के हमलों से भी हम अपने चाक-दरवाजे और जान-माल को नहीं बचा सकते। जिस शासन ने हमारे देश का इस प्रकार मरनाश किया है, उसके अधीन रहना हमारी गण में मनुष्य और भगवान दोनों के प्रति अपराध है। किन्तु हम यह भी मानते हैं कि हमें हिंसा के द्वारा स्वतंत्रता नहीं मिलेगी। इस लिये हम ब्रिटिश सरकार से यथा सम्भव श्रेष्ठता पूर्वक किसी भी प्रकार का सहयोग न रखने की तैयारी करेंगे और सचिन्त अथवा एवं करबन्दी तक के साज सजावेंगे। हमारा दृढ़ विश्वास है कि यदि हम राहगी राजी सहायता देना और उत्तेजना मिलाने पर भी हिंसा किये चर्गा कर देना बन्द कर दें तो इस भ्रमानुषी राज्य का नारा निश्चित है। अतः हम शपथपूर्वक स्वरूप करते हैं कि पूर्ण स्वराज्य की स्थापना के हेतु कांग्रेस समय-समय पर जो आजायें देगी उनका हम पालन करते रहेंगे।”

स्वतन्त्रता दिवस के बड़े उत्साह और समारोह के साथ मनाने के समाचार देश के कोने कोने में आन लगे। सारे देश में अपूर्व उत्साह और जीवन की ज्योति घमकने लगी। वातावरण विद्युत्-मय हो गया। स्वराज्य के भक्ति निकट आ जाने के लोग स्वप्न देखने लगे। इतना उत्साहपूर्ण और जीवनप्रद वातावरण होने पर भी गांधीजी ने समझौते के द्वार खुले रखे। इसके लिये उन्होंने यहाँ तक कहा कि पूर्ण स्वाधीनता के बदले स्वाधीनता के सार (Substance of Independence) से भी सन्तुष्ट हो जाऊँगा। इस उद्देश पर पहुँचने के लिये उन्होंने यह प्रकट किया कि प्रारम्भ में निम्न लिखित न्यारह शर्तों का अमल में आना आवश्यक है। वे मुद्दे ये हैं—

- ( १ ) सम्पूर्ण मदिरा निषेध ।
- ( २ ) विनिमय की दर घटाकर पुरु शिखिंग चार पेंस रख दी जाय ।
- ( ३ ) ज़मीन का ज़मान थापा कर दिया जाय और उस पर कौंसिलों का नियन्त्रण रख दिया जाय ।
- ( ४ ) नमक-कर उठा दिया जाय ।
- ( ५ ) सैनिक व्यय में आरम्भ में ही कम से कम ५० फी सदी कमी कर दी जाय ।
- ( ६ ) ज़मान की कमी को देखते हुए बड़ी बड़ी नौकरियों के वेतन कम से कम आधे कर दिये जायें ।
- ( ७ ) विदेशी कपड़े के आयात पर निषेध-कर लगा दिया जाय ।
- ( ८ ) भारतीय समुद्रतट केवल भारतीय जहाज़ों के लिये सुरक्षित रखने पर प्रस्तावित कानून पास कर दिया जाय ।
- ( ९ ) हत्या या हत्या के प्रयत्न में साधारण ट्रिब्यूनलों द्वारा सज़ा पाये हुए लोगों के सिवा, समस्त राजनैतिक कैदी छोड़ दिये जाय । सारे राजनैतिक मुकद्दमे वापस ले लिये जायें । १२४ अ० धारा और १८१८ का तीसरा सेम्प्लेशन उठा दिया जाय और सारे निर्वासित भारतीयों को लौट आने दिया जाय ।
- ( १० ) सुक्रिया पुलिस उठा दी जाय, अथवा उस पर जनता का नियंत्रण कर दिया जाय ।
- ( ११ ) आम रसार्थ हथियार रखने के आशा-पत्र दिये जायें और उन पर जनता का नियंत्रण रहे ।

सुना है, जब जनवरी १९३० ई० में ही श्री बोमनजी ने प्रधान मंत्री रेग्ने मेकडॉनल्ड साहब से समझौते की बातचीत करने का बीड़ा उठाया था । तब भी गांधीजी ने उन्हें यही शर्तें बताई थीं ।

महात्मा गांधी ने लिखा—“दुमारी यही से यही आवश्यकताओं की यह कोई पूर्ण सूची नहीं है, पर देखें वायसराय साहब इन मीठों-सादी किन्तु अत्याशयक भारतीय आवश्यकताओं की पूर्ति तो करके दिखायें। ऐसा होने पर सचिनय अवज्ञा की बात भी उनके कान पर नहीं पड़ेगी और जहां अपनी बात कहने और काम करने की पूरी आजादी होगी, ऐसी किसी भी परिपक्व में कांग्रेस हृदय से भाग लेगी।” इमका यह अर्थ हुआ कि यदि ये मानूँगी और जरूरी माँगें पूरी न की गईं तो सचिनय अवज्ञा आन्दोलन किया जाएगा।

गांधीजी ने यह भी कहा “अन्य देशों के लिये स्वतन्त्रता प्राप्ति के दूसरे उपाय भले ही रहे हों। परन्तु भारतवर्ष के लिये अहिंसात्मक असहयोग के सिवा दूसरा मार्ग नहीं है। परमात्मा करे, आप लोग स्वराज्य के इस मंत्र को सिद्ध और प्रकट करें और स्वाधीनता की जो लड़ाई निकट आ रही है उसके लिये अपना सर्वस्व अर्पण करने का वह आपको बल और साहस प्रदान करे।”

कांग्रेस की कार्य-समिति ने महात्मा जी को सचिनय-अवज्ञा-आन्दोलन चलाने का नेतृत्व दे दिया। इतना ही नहीं, वे इस आन्दोलन के सर्वेसर्वा ( Dictator ) बना दिये गये। सारा देश उत्सुकता भरी दृष्टि से गांधीजी की ओर देखने लगा। ज़ाहीर कांग्रेस के प्रस्ताव के अनुसार केन्द्रीय और विभिन्न प्रान्तों की धारा सभाओं के सदस्यों ने इस्तीफे दे दिये। हाँ, अली-अनुधुओं ने अपने सहधर्मि मुसलमानों से यह अपील की कि वे इस आन्दोलन में कांग्रेस का साथ न दें। इससे केवल मात्र गुड़ीभर राष्ट्रीय मुसलमानों ने ही कांग्रेस का साथ दिया। अधिकांश मुसलमान इससे अलग रहे। मुसलमानों का यह रुख होते हुए भी शेष सारे भारतवर्ष ने गांधीजी का साथ देने में यही उत्सुकता प्रकट की। सीमा प्रान्त ने अबुल ग़फ़ार खाँ के नेतृत्व में अपनी सारी सेवाएँ गांधीजी को अर्पण की। २७ फरवरी १९३० को

अपने हृदय परीक्षण के बाद गांधीजी ने जपने आन्दोलन का कार्यक्रम प्रकट किया। महात्माजी का यह कार्यक्रम बाबू सुभाषचन्द्र बोस के शब्दों में उनके नेतृत्व की प्रकाशमय सफलता थी और संकट के समय महात्माजी अपनी राजनीतिज्ञता से कितने ऊंचे उठ जाते हैं, उसका यह जागृक्यमान उदाहरण था। २७ फरवरी को अपने रंग इण्डिया (Young India) के अंक में महात्माजी ने लिखा था—

“This time on my arrest, there is to be no mute passive non-violence, but non-violence of the most active type should be set in motion so that not a single believer in non violence as an article of faith for the purpose of achieving India's goal, should find himself free or alive at the end of the effort .. So far as I am concerned, my intention is to start the movement only through the inmates of the Ashrama (meaning his own Ashrama) and those who have submitted to its discipline and assimilated the spirit of its methods.”

अर्थात् “इस वक्त मेरी गिरफ्तारी पर मूक, निष्क्रिय अहिंसा न होनी चाहिये बल्कि वह अत्यन्त सक्रिय रूप की अहिंसा होनी चाहिये, जिससे कि भारतीय स्वाधीनता के ध्येय को प्राप्त करने के उद्देश के लिये अहिंसा को धर्मतत्त्व के रूप में मानने वाला कोई भी व्यक्ति अपने प्रयास के अन्तिम क्षण में या तो जीवित रहे या अपना जीवन विसर्जन करदे।”

जहाँ तक मेरा सम्बन्ध है, मेरा विचार आश्रमवासियों को और उन लोगों को, जिन्होंने आश्रम की पद्धति की आत्मा को ग्रहण किया है, लेकर ही यह आन्दोलन चलाने का है। आगे चलकर महात्माजी ने यह

भी प्रकट किया कि अहिंसा की शक्तियों को रोकने का हर तरह से सम्भव प्रयत्न किया जायगा, पर अथवा की बार जहाँ एक बार सविनय अवज्ञा शुरू हुई कि यह तब तक चन्द न की जायगी जब तक एक भी शत्रुवादी जीवित रहेगा ।”

महात्माजी के इस अन्तिम आश्वासन से लोगों को बड़ा धर्म मिष्टा । उन्हें यह विश्वास हो गया कि १९२२ में महात्माजी ने बारहोली शत्रुवाद को जिस प्रकार एकस्मात् रूप से बन्द कर दिया था, वैसा अथ न होगा ।



# नमक-सत्याग्रह-आन्दोलन



जब महात्माजी की उक्त निम्नलिखित शर्तों को भी वाइसराय ने स्वीकार नहीं किया तब उन्होंने फिर से सत्याग्रह करने का निश्चय किया। इस के लिये सब से पहले उन्होंने नमक क़ानून को तोड़ना अधिक उचित समझा, क्योंकि वे नमक-कर को गरीब जनता की दृष्टि से अत्यन्त अहितकर समझते थे। इस समय, अर्थात् २ मार्च सन् १९३० ई० को, उन्होंने वाइसराय को जो पत्र भेजा था, उसका कुछ अंश हम डॉ० बी० पट्टाभिसीतारामय्या द्वारा लिखित 'कांग्रेस का इतिहास' नामक ग्रन्थ से उद्धृत करते हैं—“सविनय अवज्ञा शुरू करने में धीरे जिस जोड़िम को ढठाने के लिए, मैं इतने सखों से सदा हिचकिचाता रहा हू। उसे उठाने से पहले, मुझे आप तक पहुँच कर कोई मर्ग निकालने का प्रयत्न करने में प्रसन्नता है।”

“अहिंसा पर मेरा व्यक्तिगत विरवास सर्वथा स्पष्ट है। जान-बूझकर मैं किसी भी प्राणी को दुख नहीं पहुँचा सकता। मनुष्यों को दुख पहुँचाने की बात ही नहीं, भले ही वे मेरा या मेरे स्वजनों का कितना ही अहित कर दें। अतः जहाँ मैं ब्रिटिश राज्य को अभिशाप समझता हूँ, वहाँ मैं एक भी अंग्रेज या भारत में उसके किसी भी उचित स्वार्थ को सुक़सान नहीं पहुँचाना चाहता।”

“परन्तु मेरी बात का अर्थ ताबत न समझिए। मैं ब्रिटिश शासन को भारतवर्ष के लिए जरूर नाराकारी मानता हू। परन्तु केवल इसी कारण अंग्रेज-शासन को संसार की अन्य जातियों से पुरा भी नहीं

समझता। सौभाग्य से बहुत-से अंग्रेजों में मेरे प्रियतम मित्र हैं। असल बात तो यह है कि अंग्रेजी राज्य की अधिकांश गुराड़ियों का ज्ञान मुझे स्पष्टवादी और साहसी अंग्रेजों की कलम से ही हुआ है, जिन्होंने साथ ही उसकी सच्चे रूप में निररता-पूर्वक प्रकट किया है।”

“मेरा अंग्रेजी राज्य के बारे में इतना गुलाब-गुलाब क्यों है ?

“इसलिए कि इस राज्य ने करोड़ों मूक मनुष्यों का दिन-दिन अधिकाधिक रक्त-शोषण करके उन्हें कंगाल बना दिया है। उन पर शासन और सैनिक व्यय का असहनीय भार लाद कर उन्हें बरबाद कर दिया है।”

“राजनैतिक दृष्टि से हमारी स्थिति गुलामों से अच्छी नहीं है। हमारी संस्कृति की जब ही खोजबीन कर दी गई है। हमारे इधियार छीनकर हमारा सारा पौरुष अपहरण कर लिया गया है। हमारा आत्म-बल तो लुप्त हो ही गया था। इस सबको निःशस्त्र करके कार्यों की भांति निःसहाय और बना दिया गया।”

“अनेक देश बान्धवों की भांति मुझे भी यह मुख-स्वप्न दीखने लगा था कि प्रस्तावित गोलमेज-परिषद् शायद समस्या हल कर सके। परन्तु जब आपने स्पष्ट कह दिया कि आप या ब्रिटिश मन्त्री-मण्डल पूर्ण औपनिवेशिक स्वराज्य की योजना का समर्थन करने का आश्वासन नहीं दे सकते, तब गोलमेज-परिषद् षट् षीज् नहीं दे सकती, जिसके लिए शिष्टित भारत ज्ञानपूर्वक और अशिष्टित जनता दिख-ही दिख में छटपटा रही है। पार्लियामेंट का निर्णय क्या होगा, ऐसी आशंका उठानी ही न चाहिए। ऐसे उदाहरण मौजूद हैं कि पार्लियामेंट की मजूरी की आशा में मन्त्री मण्डल ने किसी खास नीति को पहले से ही अपना लिया हो।

“दिल्ली की मुखाकालत निष्फल सिद्ध होने पर मेरे और पश्चिम

मोतीलाल नेहरू के लिए १९२८ की कलकत्ता-कॉमेस के गंभीर निष्पत्ति पर अमल करने के बिना दूसरा चारा ही नहीं था।”

“परन्तु यदि आपने अपनी घोषणा में औपनिवेशिक स्वराज्य शब्द का प्रयोग उसके माने हुए अर्थ में किया हो तो पूर्ण स्वराज्य के प्रस्ताव से घबराने की ज़रूरत नहीं। कारण, जिम्मेवार ब्रिटिश राजनीतिज्ञों ने क्या यह स्वीकार नहीं किया है कि औपनिवेशिक स्वराज्य व्यवहार में पूर्ण स्वराज्य ही है, लेकिन मुझे तो ऐसा मालूम होता है कि ब्रिटिश राजनीतिज्ञों की यह नीयत ही कभी नहीं थी कि भारतवर्ष को शीघ्र ही औपनिवेशिक स्वराज्य दे दिया जाय।”

“परन्तु ये तो गई गुज़री बातें हुईं। घोषणा के बाद अनेक घटनाएँ ऐसी हुईं हैं जिनसे ब्रिटिश नीति की दिशा स्पष्ट सूचित होती है।”

“दिवाकर की भांति अब साफ़ साफ़ जाहिर हो गया है कि जिम्मेवार ब्रिटिश राजनीतिज्ञ अपनी नीति में ऐसा कोई परिवर्तन करने का विचार तक नहीं रखते जिससे ब्रिटेन के भारतीय व्यापार को धरका पहुँचने की संभावना हो, अथवा भारत के साथ ब्रिटेन के खेन देन की निष्पत्ति और पूरी जॉच कानी पड़े। यदि इस घोषणा की क्रिया का अन्त न किया गया तो भारत दिन दिन अधिकाधिक निरस्त होता ही जायगा। विनिमय की दर पात-की बात में १८ पेंस कर दी गई और देश को कई करोड़ की हानि सश के लिए हो गई। अर्थसदस्य इस निष्पत्ति को अटल समझते हैं और जब और और तुराहियों के साथ इस अटल निर्णय को मेटने के लिए सचिनय किन्तु सौधा हमखा किया जाता है तो आप खुप नहीं रह सकते। आपने भी भारतवर्ष को पीस डालने-वाली प्रथाओं का ही दुहाई देकर उस उपाय को विकल करने के लिए घनी और जर्मादार वग की मदद मांग ही ली।”

“राष्ट्र के नाम पर काम करनेवालों को खुद भी समझ लेना चाहिए और दूसरों को समझाते रहना चाहिए कि स्वाधीनता की इस लक्ष्य के पीछे



हेतु क्या है। न समझने से स्वाधीनता इतने विफ़ल रूप में आ सकती है और यह ख़तरा हमेशा रहेगा कि गिन करोड़ों मूठ किसानों और मजदूरों के लिए स्वाधीनता की प्राप्ति का प्रयत्न किया जा रहा है और किया जाना चाहिए, उनके लिए यह स्वाधीनता अदायित् निकासी सिद्ध हो। इस कारण मैं कुछ घरसे से जनता को बाँधित स्वाधीनता का सच्चा अर्थ समझा रहा हूँ।”

“मुख्य-मुख्य बातें आपके सामने भी रखूँ।”

“सरकारी धान का मुख्य भाग जमीन का लगान है। इसका बोझ इतना भारी है कि स्वाधीन भारत को उसमें काफ़ी कमी करनी पड़ेगी। रधाची बन्दोबस्त अच्छी चीज़ है, परन्तु इससे भी मुह्री भर अमीर ज़मींदारों को लाभ है। ग़रीब किसानों को कोई लाभ नहीं। ये तो सदा से बेवसी में रहे हैं। उन्हें जब चाहा बेदखल किया जा सकता है।

“भूमिकर को ही घटा देने से काम नहीं चलेगा, सारी कर व्यवस्था ही फिर से इस प्रकार बदलनी पड़ेगी कि रैयत की भलाई ही उसका मुख्य हेतु रहे। परन्तु मालूम होता है, सरकार ने जो ठरीक़ा जारी किया है यह रैयत की जान निकाल लेने को ही किया है। नमक तो उसके जीवन के लिए भी आवश्यक है। परन्तु उस पर भी कर इस तरह लगाया गया है कि यों दीखने में तो वह सब पर बराबर पड़ता है, परन्तु इस हृदय हीन निष्पक्षता का भार सबसे अधिक ग़रीबों पर ही पड़ता है। याद रहे कि नमक ही ऐसा पदार्थ है जो अलग अलग भी और मिलकर भी, अमीरों से ग़रीब लोग अधिक मात्रा में खाते हैं। इस कारण नमक-कर का बोझ ग़रीबों पर और भी ज्यादा पड़ता है। गन्धे की बीजों का महसूल भी ग़रीबों से ही अधिक वसूल होता है। इससे ग़रीबों के स्वास्थ्य और सदाचार दोनों पर कुठाराघात होता है। इस कर के पक्ष में व्यक्तिगत स्वतंत्रता की भूरी दलील दी जाती है, परन्तु दर असल यह लगाया जाता है आमदनी के लिए।”

इसके प्रागे चलकर महात्माजी ने उन निराशाह्यों का जिक्र किया जो उन्हें ब्रिटिश सरकार से हुई, और यह प्रकट किया कि अब सत्याग्रह के सिवा और कोई चारा नहीं है, क्योंकि सरकार औपनिवेशिक स्वराज्य देने के लिये भी तैयार नहीं है। वाइसरॉय ने महात्मा गांधी के इस चुनौती पत्र का बहुत ही सचिस उत्तर दिया और उन्होंने इस बात पर खेद प्रकट किया कि गांधीजी कानून तोड़ने पर उतारू हो गये हैं।

नमक सत्याग्रह की बात सुनकर कई लोग मज्जाक उड़ाने लगे। कलकत्ते के सुप्रसिद्ध एंग्लो इन्डियन पत्र "स्टेट्स मैन" (Statesman) ने अपने मुख्य अग्र लेख में तानाकशी करते हुए लिखा था—“महात्मा जब तक समुद्र के पानी को उबावते रहें जब तक भारत को औपनिवेशिक स्वराज्य न मिल जाय।” कई कांग्रेसजनों ने भी नमक-सत्याग्रह की सफलता में बड़ा स-देह प्रकट किया था।

### दांडी का प्रयाण

आपने निश्चित कार्यक्रम के अनुसार, ६ अप्रैल सन् १९३७ ई० को, महात्मा गांधी ने समुद्र में स्नान कर, नमक-कानून को भंग करने के लिये अपने ६६ साथियों के साथ दांडी को कूच किया। डा० बी० पट्टाभिषीतारामय्या के शब्दों में, यह एक ऐतिहासिक भव्य दृश्य था और प्राचीन काल के राम और पाण्डवों के वन-व्रतन की घटनाओं की स्मृति को ताजा करता था। श्री० सुभाषचन्द्र बोस ने भी लिखा है—  
 “The march to Dandi was an event of historical importance which will rank on the same level with Napoleon's march to Paris on his return from Elba or Mussolini's march to Rome when he wanted to seize political power.”

अर्थात्, महात्माजी की दांडी-कूच एक ऐतिहासिक महत्त्व की

बटना थी, जिसकी तुलना नेपोलियन के पृथ्वी में वापस छोटे के बार  
पेरिस की कूच के साथ, या मुमोन्ड्री की रोम कूच के साथ, जबकि  
कह राजनैतिक शक्ति इधियाना आइता था, की जा सकती है।”

महात्माजी की इस कूच से देश के वातावरण में यही चहल-पहल  
बदलना ही हुई। देश भर के समाचार पत्रों ने इस कूच की तुलना  
बटनाओं को बड़े म्यापक रूप से प्रकाशित किया। इसके अतिरिक्त,  
महात्माजी के २०० मील पैदल जाने से, रास्ते के प्रमों में अद्भुत  
उत्थिति चमकने लगी। इसके साथ ही साथ सारे देश में नमक-सत्याग्रह  
शुरू हो गया। छोटे छोटे गाँवों तक में नमक बना बना कर छोग  
नमक शत्रु तोड़ने लगे। कलकत्ते में तत्कालीन मेयर स्वर्गाथ मि०  
जे० एम० सेन (J M Sen) ने सत्यविद्रोह का कानून (Law  
of Sedition) तोड़ने का आक्रमण किया और वे तुली सभाओं में  
राज्य विद्रोही साक्ष्य पढ़ने लगे। इसके साथ ही विदेशी वप और  
ब्रिटिश व तुलों का बहिष्कार भी जोर शोर से होने लगा। सभा की  
बूकानों पर जोर-शोर से चरने देने का काम फिर से शुरू हुआ। दांडी  
कूच के कुछ दिनों बाद महात्माजी ने महिलाओं की सत्याग्रह में शामिल  
होने की उम्मीदता की दख कर १० अप्रैल १९३० के Young India  
में लिखा था—

“The impatience of some sisters to join the  
good fight is to me a healthy sign. In this  
non violence warfare their contribution should  
be much greater than men's. To call women the  
weaker sex is a libel. If by strength is meant  
moral power, then woman is immeasurably  
man's superior.”

अर्थात् “आपकी जवाह में शरीक होने के लिये कूच करने ने जो बंधी

रता प्रकट की है वह एक आरोग्यप्रद चिह्न है। ... इस अहिंसात्मक युद्ध में उनकी देन मनुष्यों से अधिक महान् होनी चाहिये। महिलाओं को अबला कहना, उनका अपमान है। यदि शक्ति का अर्थ नैतिक शक्ति है तो स्त्री पुरुष की अपेक्षा बहुत ही अधिक उच्च है।"

इसके बाद, इसी लेख में महात्माजी ने महिलाओं से अपील की कि वे शराब व विदेशी कपड़े का दूकानों पर धरना (Picketing) दें। नशीली चीजों के रुक जाने से सरकार की आमदनी में २५,००,००,००० पच्चीस करोड़ और विदेशी कपड़ों के रुक जाने से ६०,००,००,००० साठ करोड़ रु० का घाटा होगा। उन्होंने महिलाओं से फुरसत के वक्त कातने और बुनने की भी अपील की, जिससे कि खादी की उत्पत्ति बढ़ सके। इस कार्य में यदि उनका अपमान हो तो वे उसे अपने अभिमान की वस्तु समझें।

महात्माजी का इस अपील का देश में चारों ओर प्रचार किया गया और इसका जादू सा असर हुआ। इसका असर उन महिलाओं पर भी हुआ जो पुराने विचारों की ओर रईस खान्दानों की थीं। पूज्य पंडित मालवीयजी की धर्मपत्नी भी, जो पुराने विचारों की आदर्श महिला थी, इस संप्राम में कूद पड़ी और प्रसन्नतापूर्वक जेलखाने चली गईं। चारों तरफ से हज़ारों खिया देश की स्वतंत्रता की भावना को लिये हुए संप्राम-खेत्र में उतर पड़ीं। शराब-बन्दी का आन्दोलन करनेवाली मिस मेरी केम्बेल भारतीय महिलाओं की इस स्फूर्तिमय जाग्रति को देख एकदम आश्चर्य-चकित हो गईं। उन्होंने २२ जून १९३१ के लन्दन के 'मैचेस्टर गार्डियन' नामक पत्र में दिल्ली की महिलाओं द्वारा किये जानेवाले सत्याग्रह-संप्राम का उल्लेख करते हुए लिखा था कि सिर्फ दिल्ली से १६०० महिलाएँ अपने देश की आजादी के खातिर जेल खाने गईं।

इन्होंने के सुप्रसिद्ध अन्नदूर नेता, मि० ए० ए० मेसर्सफोर्ड और

मि० जॉर्ज स्लोकोहम ने कहा था कि अगर सविनय अवज्ञा-आन्दोलन से और कुछ काम न होता, तो भी उसने एक महान् कार्य किया होता। महिलाओं के इस अग्रणी उग्रता और आत्मत्याग ने पुरुषों में भी अद्भुत उत्साह और स्फूर्ति का संचार किया और वे भी लाखों की संख्या में देश की स्वतंत्रता के महान् संग्राम में कूद पड़े।

जैसे जैसे दिन बीतते गये, वैसे वैसे देश में अहिंसात्मक युद्ध और आत्म-न्याय की भावना जोर पकड़ती गई। गांधीजी २ अप्रैल १९३० ई० को अपने लक्ष्य स्थान दांडी पहुँचे। वहाँ उन्होंने नमक बनाकर सरकार के अन्यायपूर्ण नमक-कानून को तोड़ा। सारे देश ने गांधीजी का अनुकरण किया। देश के कोने-कोने में हजारों स्थानों में नमक-कानून तोड़ा गया। इसके बिये लोग हर तरह की सजा भुगतने और कष्ट सहन करने को तत्पर हो गये। सरकार ने भी दमन का दौरा शुरु किया और अपना ऑर्डिनेन्स-राज्य स्थापित किया। मार्च १९३० के पहले सप्ताह में, सरदार वल्लभ भाई गिरफ्तार किये गये और उन्हें तीन मास की सजा हुई।

महात्मा के सुप्रसिद्ध नेता श्री सेनगुप्ता गांधीजी के दांडी पहुँचने के पहले ही गिरफ्तार कर लिये गये। इसी समय मेरठ पब्लिशिंग-कंस भी जोर-शोर के साथ चला रहा था। लगभग १०,००० आदमी इस महान् संग्राम में आगे बढ़ते हुए गिरफ्तार हुए और वे प्रसन्नतापूर्वक जेलखाने चले गये। पुराने जेलखाने टसाठस भर गये और नये जेलखाने कायम किये गये। उनमें भी इतने सत्याग्रही पहुँचे कि तिलक रखने को जगह न रही।

नमक-सत्याग्रह के साथ कई प्रान्तों में अन्य प्रकार के सत्याग्रह भी प्रारम्भ हुए। मध्य प्रान्त और बम्बई प्रान्त के कुछ हिस्सों में जंगल के निचमों के खिलाफ लोगों ने सत्याग्रह किया और उन्होंने दिम्बर काटना शुरू किया। गुजरात, युक्त-प्रान्त और मगाल प्रान्त के हिस्सों

में भूमिकर-बन्दी का आन्दोलन जोर-शोर से आरम्भ हुआ। भारत के सीमा-प्रान्त में वहाँ के सुप्रसिद्ध नेता अखुल गणकारखों के नेतृत्व में सरकार-विरोधी आन्दोलन बड़ी प्रबलता के साथ चला। यहाँ यह बात ध्यान में रखनी चाहिये कि पठान जैसी लड़ाकू प्रौढ ने भी महात्माजी की आज्ञा को शिरोधार्य कर, अहिंसा का पूरी तौर से पालन किया। सीमान्त-गांधी अखुल गणकारखों ने खुदाई प्रिदमतगार नामक स्वयं-सेवकों का एक दल संगठित किया। इस दलने उक्त प्रान्त में बड़ी मुस्तीदी से काम किया और पठानों में बड़ी जाप्रति फैलाई। हजारों जाप्रों पठान सत्याग्रह के प्रियी भयडे के नाचे जमा होने लगे। इससे भारत सरकार बड़ी परेशान होगई।

अब सरकार ने अमानुषिक दमन के द्वारा इस आन्दोलन को कुचलने का निश्चय किया। राष्ट्रीय सत्याग्रह के समय प्रदर्शनकारियों पर कई स्थानों में गोळियों चलाई गईं। पेशावर, मद्रास और कुछ अन्य स्थानों में भी गोळियों चलने के समाचार आये। रत्नागिरी, सिरोहा, पटना, कलकत्ता, शोखापुर आदि सैकड़ों स्थानों से सरकारी दमन की खबरें मिलीं। सत्याग्रहियों पर लाठी-चार्ज किये गये जिससे कई सत्याग्रहियों की खोपड़ियाँ फूट गईं और उनसे खून की धाराएँ बह निकलीं। जेलों में भी सत्याग्रहियों पर लाठियों की वर्षा की गई। कहीं-कहीं पर भयकर रूप से गोळियों चलाई गईं। सीमा प्रान्त के मुख्य नगर पेशावर में प्रदर्शनकारियों पर २३ अप्रैल को इतने जोर से गोळी चार हुआ कि कई सौ आदमी मौत के घाट उतर गये। इस घटना का कारण यह हुआ कि सीमाप्रान्त के कुछ स्थानीय नेताओं की गिरफ्तारी से वहा शान्तिपूर्ण प्रदर्शन होने लगे। इससे तत्कालीन अधिकारियों ने अपने मस्तिष्क का संतुलन खो दिया। उन्होंने प्रदर्शनकारियों की भीड़ को बिलेहने के लिये सशस्त्र गाड़ियाँ (Armoured Cars) भेजी, इन गाड़ियों में गोरे सैनिक थे। बिना सूचना दिये

हुए, ये गादिया भीड़ में घुस पड़ी। गोळियों चलाइं गईं, जिनमें तीन आदमी मरे और कई घायल हुए। इसमें भीड़ ने भी अपना मंत्रालय छो दिया और उसने गादियों में घास खगा दी। इस पर मैजिस्ट्रेटों को भीड़ पर गोली चखाने का हुक्म दिया गया। भीड़ इटी नहीं और उसमें अपनी छाती पर गाळियों की मार सह्य। हमसे एक ही दिन में कई सौ आदमी मारे गये और कई सौ घायल हुए।

इस पर कांग्रेस की जाच-ममितिने जांच करने के लिये श्री विठ्ठल-भाई पटेल की अध्यक्षता में एक कमेटी नियुक्त की। इस कमेटी को सरकार ने सीमा-प्रान्त जाने की अनुमति न दी। इस पर इसने सीमा-प्रान्त के निकटस्थ पञ्जाब प्रान्त के कुछ स्थानों में रह कर जाच का काम शुरू किया और अपनी रिपोर्ट तैयार की, जिसे सरकार ने जप्त कर लिया।

“इन्हीं दिनों में एक सनसनीखेज घटना हुई। सीमा-प्रान्त के मत्वा-प्रदियों पर गढ़वाली सैनिकों ने गोली चखान से इन्कार कर दिया। इस पर उनके मुख छीन लिये गये और क्रांती अदालत द्वारा उन्हें अम्बी और कड़ी सजाएँ दी गईं।

देश की उठती हुई आन्तिकारी भावनाओं को दखकर सरकार ने बङ्गाल प्रोविन्सेन्स एक्ट को फिर से कार्यान्वित कर दिया। १९१० को प्रेस एक्ट को लागू कर अखबारों के गजों का घोट दिया। गांधीजी का Young India नामक साप्ताहिक पत्र साइबरोस्टाईज पर निकलना बगा। इस समय गांधीजी ने लिखा था—“भारतवर्ष इस समय क्रांती शासन के पर्दे में रह रहा है। भारत मानों एक विशाल जेलखाना बन गया है।”

सरकार ने किसी कारणवश गांधीजी को एक मास तक गिरफ्तार नहीं किया। अखण्ड गांधीजी ने खादी नामक स्थान पर बंदी खगा कर

ग्रामीणों में प्रचार करना शुरू किया तथा उन्हें नमक-क़ानून भंग करने के लिये उत्तेजित किया। इसके बाद उन्होंने वाइसरोय को पत्र लिख कर यह सूचित किया कि वे धरासना के नमक के प्रयुक्त पर धावा कर डन पर अधिकार करने का आयोजन कर रहे हैं। उन्होंने उक्त पत्र में यह भी प्रकट किया कि नमक सार्वजनिक सम्पत्ति है और सरकार को उस पर कर लगाने का कोई अधिकार नहीं है। इसके आन्तरिक अंगों की नमक मुफ्त मिलना चाहिये।

गांधीजी ने तार के पेदों को काटना भी शुरू किया, जिनसे शराब बनाई जाती थी। स्वतः उन्होंने पहले पहल तार के पेड़ की जड़ में बुढ़ाड़ी मारी। इससे लोग बहुत प्रभावित हुए और उनका अनुकाण करने लगे। कर्नाटक में तो तार के पेदों को काटने का सत्याग्रह ही धारम्भ हो गया।

देशन्मयी गति-विधियों के बाद ४ मई १९३० को गांधी रात के समय एकाएक गांधीजी गिरफ्तार कर लिये गये और वे वरचढ़ा जेल में भेज दिये गये। जब तक वे जेल में नहीं पहुँच गये, तब तक हुने-गिने प्रादमियों को ही उनकी गिरफ्तारी का समाचार मिला। चलते समय गांधीजी ने यह वचन दिया—

“मरो पर मारो मत”

‘खम्हिन टेम्पिमान’ के सम्वाददाता ने गिरफ्तारी के दरप का बहुत सुन्दर वर्णन किया है—

“जब हम ट्रेज का इन्तज़ार कर रहे थे, वह समय ऊँच अजीब था, क्योंकि हम समझते थे कि वह दरप जिसके देखनेवाले केवल हम ही, लोग थे, एक ऐतिहासिक प्रसु हो जावगी। वह एक अवतार की गिरफ्तारी थी—भूट या सध, करीदों हिन्दुस्तानी गांधीजी को एक हृष्यात्मा सम्पाती मानते थे। कौन यह सकता है कि सी साल बाद एक



महान् आत्मा के रूप में इस व्यक्ति की पूजा ३० करोड़ हिन्दुस्थानी ब  
करेंगे। हम इन विचारों को दूर न कर सके। सुबह इस अवतार को  
गिरप्रतार और नज़रबन्द होते देखकर मन न जाने कैसा हो रहा था।”

गिरप्रतारी का असर राष्ट्रीय ही नहीं बल्कि अन्तर्राष्ट्रीय भी हुआ।  
सारे देश में हड़ताल हुई। यम्बई की सारी मिर्छें बन्द हो गईं। G. I. P  
और B. B. & C I, R. के कारखाने के मज़दूरों ने हड़ताल कर दी।  
यम्बई के कपड़े के व्यापारियों ने ६ रोज़ की हड़ताल का ऐलान किया।  
गोलापुर में जोश अधिक बढ़ गया। ६ पुलिस चौकियाँ फूँक दी गईं।  
पुलिस की गोली से बहुत से आदमी मारे गये। फलकते में भी गड़गड़  
हुई।

विदेशों में भी महात्माजी की गिरप्रतारी का असर पड़ा। पनामा  
में रहनेवाले भारतीयों ने २४ घण्टे की हड़ताल की। सुमात्रा में भी  
हड़ताल हुई। फ्रांस के तमाम अखबार गांधीजी और उनके चान्दोलन  
सम्बन्धी समाचारों से भरे थे। बॉपकॉट का असर जर्मनी में भी हुआ।  
वहाँ के मिल-भाखिकों के भारतीय पत्रपत्रों ने सामान भारत भेजने से  
मना कर दिया।

थे । मिस्टर मेक्सफोर्ड और मिस्टर स्कोकौडम ने धावा करने वाले अहिंसक स्वयंसेवकों की अपूर्व सहनशीलता और अनुशासन की बड़ी प्रशंसा की थी । स्वयंसेवकों ने अपने शक्त से नये इतिहास का निर्माण किया था । धरासना पर जो धावा हुआ उसमें २५०० स्वयंसेवकों ने भाग लिया । २१० पुलिस के छाठी प्रहार से चुरी तरह घायल हुए और इनमें से २ की तत्काल मृत्यु हो गई । वाषळा के नमक के षडों पर १५००० मनुष्यों ने धावा किया, जिनमें स्वयंसेवक व गैर स्वयंसेवक दोनों थे । वहाँ १५० जन पुलिस की छाठियों की मार से ज़फ़्तमी हुए । सन्निकटता में १०,०००—१५,००० मनुष्यों ने नमक के डिपो ( Salt Depot ) पर धावा बोला और वे सैकड़ों मन नमक उठा कर ले गये ।

इन धारों में स्वयंसेवकों ने अपने अहिंसा-व्रत का एही तरह से पालन किया और पुलिस की और ये भयङ्कर उत्तेजना होने पर भी उन्होंने इन पर हाथ नहीं उठाया ।

“न्यू फ्रीमैन” (New Freeman) के सत्याग्रहाता मिस्टर मिस्टर ने धरासना के रोमान्चकारी दृश्य का वर्णन इस प्रकार किया है:—

“During eighteen years of reporting.....I have never witnessed such harrowing scenes as at Dharasana. Sometimes the scenes were so painful that I had to turn away momentarily. One surprising feature was the discipline of the volunteers. It seemed they were thoroughly imbued with Gandhi's non-violent Creed.”

अर्थात् “अट्ठारह वर्ष के मेरे सत्याग्रहाता के जीवन में मैंने जैसे हृदय-विदारक दृश्य धरासना में देखे, वैसे और कहीं नहीं देखे । कभी-कभी ये

दरय इतने दुःखद होते थे कि मुझे उनसे अपना मुँह फिरा लेना पड़ता था। इसमें बड़ी विचित्र बात स्वयंसेवकों का अनुशासन थी। ऐसा मालूम होता था कि इन स्वयंसेवकों ने गांधीजी के अहिंसा-धर्म को पूर्ण रूप से आत्मसात् कर लिया है।”

मि० हुसैन, श्री के० नटराजन, श्री० जी० के० देवधर आदि ने स्वयं अपनी आंखों से इन नृशंस आत्याचारों को देखकर यह यत्न्य दिया:—

“सत्याग्रहियों को छितर-छितर करने के लिये यूरोपियन घुड़सवार अपने हाथों में छाठी लेकर तेज़ी से घोड़ा दौड़ाते हुए निकल जाते थे। वे लोग आसपास के गाँवों तक में धावा करते थे। गाँवों की गलियों तक में तेज़ी से घोड़े दौड़ाये जाते थे। इस प्रकार मर्द, औरत, बच्चे तक कि छोटे-छोटे बच्चे भी भगाये जाते थे। लोग भाग कर मकानों में छिप जाते थे। अगर वे छिप नहीं पाते थे तो छाठियों से घुरी तरह पीटे जाते थे।”

इसने पर भी लोगों ने सही सहनशीलता से काम लिया। उन्होंने गांधीजी की अहिंसा नीति को न छोड़ा। कई यत्न स्वयंसेवकों के साथ ही साथ वेचारे निर्दोष दर्शक भी पुलिस की छाठियों के शिकार बनते थे।

### भयंकर दमन नीति.

सरकार ने इस समय भयंकर दमन नीति से काम लेना शुरू किया। उसने सैकड़ों कांग्रेस कमिटियों को गैर कानूनी घोषित कर दिया। देश में चारों ओर छाठीघाज़ और गोलीबारी की धूम मच गई। केन्द्रीय धारा सभा में मि० एल० सी० मित्र के प्रश्न के उत्तर में मि० एल० जी० हेग ने बतलाया कि केवल अग्रेज और मई मास में १३ स्थानों में गोखियों चलाई गईं, जहाँ १११ मारे गये और ४२२ घायल हुए। इसने पाठकों को यह ज्ञात हो जायगा कि अहिंसात्मक प्रान्दोलन को

कुचबले के ब्रिये कितनी कठोर दमन नीति से काम लिया गया था ।

इसी समय मि० स्लोकोहम नामक एक अग्रज सज्जन ने गांधीजी और सरकार के बीच समझौता कराने का प्रयत्न किया । उन्हें गांधीजी से मिलने की इजाजत मिल गई और वे सरकार का प्रस्ताव लेकर गांधीजी के पास पहुँचे । पर उनका प्रयत्न सफल न हुआ । इसके बाद जून, जुलाई और अगस्त मास में सर तंत्रबहादुर सप्रू और मि० मुकुन्दराव जयकर ने समझौते के कई प्रयत्न किये । पंडित मोतीबाल नेहरू और पंडित जवाहरलाल नेहरू गांधीजी से परामर्श करने के लिये परवदा जेल ले जाये गये, पर इस बातचीत का भी कोई नतीजा नहीं निकला । मिस्टर होरेस एलेक्जेंडर ने भी समझौते का प्रयत्न किया, पर वे भी असफल हुए ।

असहयोग का यह महान् आन्दोलन ४ मार्च १९३० ई० से ४ मार्च १९३१ ई० तक चलता रहा । भारत के राष्ट्रवादियों ने इसमें अपने देश की स्वाधीनता के पवित्र उद्देश को लेकर बड़े बड़े कष्ट सहन किये और वे हिंसात्मक मार्ग से यथासमय वृत्त रहे । इसके विपरीत, ब्रिटिश सरकार ने तमाम आधुनिक अस्त्र शस्त्रों से सुसज्जित होकर भारत की आत्मा को कुचबले का निशय किया । उसने ऑर्डिनेन्स, ज़ाठीचार्ज, गोलीचारी और अन्य आतङ्कादी उपायों से काम लेने में कोई कसर उठा न रखी । हमारी महिलाओं ने बहुत बड़ी तादाद में इस महान् आन्दोलन में भाग लिया । हज़ारों की संख्या में वे जेल गईं और छाठियों के प्रहारों को उन्होंने सहन किया । कई महिलाओं को पुलिस ने रात के एक घण्टे जंगलों में ले जा कर छोड़ दिया ।

इस एक वर्ष में नमक-कानून तोड़ा गया, नमक के गोदामों पर अहिंसात्मक धावे किये गये, सरकार के ऑर्डिनेन्स तोड़े गये । भारत-वर्ष के कुछ भागों में कर बन्दी के आन्दोलन हुए, प्रेस-कानून भंग कर दखलान और चर्खे, निहालें गये, विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार

किया गया, सरकार के साथ असहयोग किया गया और धारा सभाओं का अहिंसाकार किया गया। इस वर्ष भर के महान् आन्दोलन न एक प्रकार की नैतिक विजय प्राप्त की और इससे लोगों में आत्मविराग उत्पन्न हुआ तथा वे साम्राज्य की अत्यन्त शक्ति को समझने लगे।

### चटगांव के अत्याचार पर सशस्त्र आक्रमण

इधर महारमाजी का अहिंसारमक आन्दोलन जोर-शोर से चल रहा था और उधर बंगाल में क्रांतिकारियों का जोर बढ़ रहा था। भारत के विदेशी शासन को नष्ट करने के लिये बंगाल के नवयुवक हिंसारमक और सशस्त्र क्रांति के आयोजन कर रहे थे। ब्रिटिश सरकार ने भारत में जिस अन्धाधुन्धी के साथ अपना दमन चक्र चला रखा था वह इस क्रांति की ज्यादा को सुझाने में भी का काम कर रहा था। सन् १९३० ई० की १८ अप्रैल को बंगाल के चटगांव नगर में करीब ७० नौजवानों ने मिलकर एक साथ पुलिसलाइन, टेलीफोन एक्सचेंज और एफ० आई० हेडक्वार्टर्स पर आक्रमण कर दिया। ये चार टुकड़ियों में बँटे थे। यह कब्जा करने का काम ६ बज कर ४२ मिनट से १० बज कर ३० मिनट के अन्दर करीब पौन घण्टा में हुआ। सबसे पहले टेलीफोन और तार, जो चटगांव से ढाका तथा कलकत्ता का सम्बन्ध जोड़ते थे, काट डाल गये और उनमें आग लगा दी गई। एक टुकड़ी जब यह काम कर रही थी तो दूसरी टुकड़ी ने रेल की कुड़ खाईने काट दी। जो दख एफ० आई० हेडक्वार्टर्स में गया था, उसने सर्वज्ञ मेजर, एक सन्तरी तथा एक सिपाही को वहीं का वहीं मार डाला। वहाँ पर जितनी भी राइफल्स, पिस्तौलें आदि मिलीं उनको उन्हीं ने अपने कब्जे में कर लिया और एक जविसगन भी ले ली। पुलिस लाइन वाली जो टुकड़ी थी वह सबसे बड़ी थी। उसने पुलिसलाइन सन्तरी को मार डाला, मैगजीन लूट ली और वहाँ आग लगा दी।

इन कान्तिकारियों के नेता सूर्यसेन, अम्बिका चक्रवर्ती, अनन्तविह और गणेश घोष आदि थे। इस कान्तिकारी दल को लूट में काफ़ी इधियाँ मिल चुके थे। इन लोगों का उद्देश्य था कि यदि सम्भूवा भारत न हो सके तो उसका एक भ्रष्ट चटगांव ही, स्वतंत्र कर दिया जाय। इसी उद्देश्य से इस दल के लोगों को सैनिक शिक्षा दी गई और पूरी तैयारी करके इन्होंने आक्रमण किया था। इस दल का अपना गुप्तधर विभाग भी था।

१२ बजे के लगभग ब्रह्मागार लूटने का समाचार पाकर ज़िला मजिस्ट्रेट महोदय अपनी मोटर में बैठ कर घटनास्थल पर आये, लेकिन आक्रमणकारियों की ओर से उन पर भी गोळियाँ चलाई गईं। यद्यपि वे तो साफ़ बच गये लेकिन उनका ड्राइवर घायल हुआ और एक कॉस्टेबल बही मर गया।

इस बीच में अन्य उच्च अधिकारियों को अपनी तैयारी के लिये काफ़ी समय मिल चुका था। उन्होंने गुरखा सैनिकों और मशीनगनों को साथ लेकर आक्रमणकारियों का मुकाबला किया, लेकिन वे सब लोग उत्तर की ओर पड़ने वाली पहाड़ियों की तरफ़ तिसक गये। पकड़न उनका पीछा करती हुई आगे बढ़ी और एक बड़ा सा घेरा ढालकर उनके ऊपर चढ़ने लगी।

कान्तिकारियों ने जल्लादाबाद पदार्थ पर अपना सदा मुकाम बनाया। २२ अप्रैल को फ़ौज के सिपाहियों ने चारों ओर से पहाड़ पर चढ़ने की कोशिश की। सवेरे से शाम के २ बजे तक लड़ाई होती रही। १९ कान्तिकारी इस समय में शहीद हुए। फ़ौज के भी लगभग २० आदमी काम आये। इस लड़ाई में जो युरक मारे गये उनके नाम ये हैं:—

- (१) श्री० नरेशनाथ ( आयु २१ वर्ष ) (२) श्री० विशेष महाचार्य ( आयु २० वर्ष ) (३) श्री० गुलिन बिकास घोष ( आयु १६ वर्ष )

(४) श्री० जतीनदास ( आयु १२ वर्ष ) (५) श्री० हरगोपाळ बाळ ( आयु १२ वर्ष ) (६) श्री० मधुसूदन दत्त ( आयु १७ वर्ष ) (७) श्री० नरेशाय ( आयु १७ वर्ष ) (८) श्री० मोती ( आयु १७ वर्ष ) (९) श्री० कम्भू ( आयु १७ वर्ष ) (१०) श्री० गोके ( आयु १७ वर्ष ) (११) श्री० प्रवासनाथ दाळ ( आयु १६ वर्ष ) (१२) श्री० विष्णुक ( आयु १६ वर्ष ) (१३) श्री० दस्तीदार ( आयु १६ वर्ष ) (१४) श्री० त्रिपुरासेन ( आयु १५ वर्ष ) (१५) श्री० हरिगोपाळ बाळ ( आयु १४ वर्ष ) ।

कई युवक भाग निकले । फौज ने उनका पीछा किया । दोनों पक्षों का मुकाबिला और युद्ध बराबर होता रहा जिसमें एक-एक स्थान पर अनेक कान्तिकारी खेत रहे । खेत रहने वालों की संख्या ४० के लगभग पहुँच गई थी और सब की आयु ऊपर वर्णन किये गये नवयुवकों के समान ही थी ।

अन्त में इस दल के प्रमुख कार्य कर्ता गेरेन घोष इत्यादि भी पकड़ लिये गये । श्री० अनन्तसिंह ने स्वयं आत्म-समर्पण कर दिया । इस प्रकार ३० आदिमियों पर ट्रिब्यूनल अदाअत के सामने घटनाव शस्त्रागार केस खलापा गया । अदाअत ने १२ आदिमियों को काबे पानी का, दो व्यक्तियों को दो दो वर्ष के कारावास का और ६ व्यक्तियों को छोड़ देने का हुक्म दिया ।

इतने पर भी वहाँ शान्ति नहीं हुई । करीब ६ महीने बाद २५ सितम्बर १९३२ ई० को कई कान्तिकारियों पहाड़ खड़ी के यूरोपियन कब्जे पर आक्रमण किया । एक यूरोपियन मारा गया और १३ घायल हुए । कान्तिकारियों की नेत्री कुमारी प्रीतिवता बहुत घायल हो गई, जगह अग्ने को उन्होंने पुलिस के हाथों मित्रता नहीं होने दिया और गोली खाकर वहीं आत्म-हत्या कर ली ।

• दो महीने बाद, गाहराखा नामक गाँव में गुरला कौबी सिपाहियों

ने सूर्यसेन का गिरफ्तार कर लिया । कुमारी कल्पना दत्त, मण्दिदत्त और शान्ति चक्रवर्ती फौजी घेरे को तोड़ कर भाग गईं । कुछ दिनों बाद कल्पनादत्त, मण्दिदत्त और तारकेश्वर दस्तीदार गिरफ्तार कर लिये गये ।

अब दूसरा चटगांव पड़गन्त्र केस चला । इस बार सूर्यसेन और तारकेश्वर दस्तीदार को फांसी और कल्पनादत्त को भाजीवन कैद की सजाएँ मिलीं ।

किन्तु इतने पर भी क्रांतिकारियों का एक दम आतमा नहीं किया जा सका । कहा जाता है कि गुप्तचर विभाग का इन्स्पेक्टर आसानुचला चटगांव की जनता पर भयानक अत्याचार कर रहा था । पखटन के मैदान में एक दिन हरिपद भट्टाचार्य नामक १५ वर्ष के एक लड़के ने उसे गोलियों मार दी । हरिपद पकड़ा गया ।

क्रिकेट के मैदान में, अंग्रेजों पर कुछ लड़कों ने बम फेंके । इस पर अंग्रेजों ने गोखियां चला कर दो लड़कों को मार डाला । इस सिखसिले में कृष्ण चक्रवर्ती और हरेन्द्र चौधरी को फांसी हुई ।

कहने का तात्पर्य यह है कि देश पर महात्मा गांधी का अलौकिक प्रभाव होना पर भी तथा अहिंसा के दिव्य और महान् सिद्धान्त का प्रचार होने पर भी देश में कहीं कहीं ऐसी घटनाएँ होती रहीं जिनका उल्लेख हम ऊपर कर चुके हैं ।





# प्रथम गोलमेज कॉन्फरेन्स



इधर भारतवर्ष में अहिंसात्मक आन्दोलन का जोर बढ़ रहा था और बड़ी सनसनीखेज घटनाएँ हो रही थी, उधर सरकार ने खन्दन में प्रथम गोलमेज कॉन्फ्रेंस करने का प्रायोजन दिया। स्वयं भीमान् सैक्रटरी इस कॉन्फ्रेंस का उद्घाटन किया और प्रधान मंत्री ने अध्यक्ष का पद ग्रहण किया। इस कॉन्फ्रेंस में इंग्लैंड के तीनों राजनैतिक दलों के प्रमुख व्यक्ति और भारत की प्रमुख जातियाँ तथा कांग्रेस के अतिरिक्त जनक दलों के सदस्य मौजूद थे। यहाँ यह ध्यान में रखना चाहिये कि व सज्जन देशवासियों की ओर से निर्वाचित नहीं किये गये थे वरन् सरकार ने उन्हें नामजुद किया था। इस कॉन्फ्रेंस के समय इंग्लैंड में मजदूर हड़ताल का मन्त्रि मबदल था जो भारत के प्रति कुछ सहानुभूति रखता था। इससे भारत के सुप्रसिद्ध पत्रकार श्री० सी० वाई० चिन्तामणि ने अपने "Eighty Years of Indian Politics" नामक ग्रन्थ में यह अनुमान लगाया है कि अगर इस कॉन्फ्रेंस में कांग्रेस के प्रतिनिधि भाग लेते तो कुछ सफलता हो सकती थी।

- कुछ भी हो यह कॉन्फ्रेंस बिना किसी परिणाम के समाप्त हो गई। उसने न कोई निर्णय किया न कोई सिफारिश ही की। कॉन्फ्रेंस की उपसमितियों ने कुछ सिफारिशें प्रवरय की थीं। सर चिन्तामणि के मतानुसार अगर पार्लियामेन्ट उन्हें स्वीकार कर लेती तो वे भारत को स्वराज्य के पद पर अग्रसर करने में कुछ सहायक होतीं, परन्तु वे स्वीकृत नहीं हुईं।

## गांधी-इर्विन पैक्ट

प्रथम गोलमेज परिपद के बाद २५ जनवरी १९३१ ई० को गांधीजी और कांग्रेस कार्यकारिणी के सदस्य जेब से होकर दिये गये। माननीक मि० धीनिफास शास्त्री ने गांधीजी से अनुरोध किया कि वे लॉर्ड इर्विन को मुलाकात के लिये लिखें। लॉर्ड इर्विन ने गांधीजी को मुलाकात का अवसर दिया। इसके बाद गांधीजी और लॉर्ड इर्विन को निरन्तर कई मुलाकातें हुईं और आठ्रिा ४ मार्च को दोनों के बीच एक समझौता हुआ, जो गांधी-इर्विन पैक्ट के नाम से मशहूर है। इस समझौते के सम्बन्ध में जो सरकारी विज्ञप्ति प्रकाशित हुई वह निम्नलिखित है:—

### सरकारी विज्ञप्ति

सर्वसाधारण की जानकारी के लिये मौखिक सहित गवर्नर जनरल का निम्न व्यक्तव्य प्रकाशित किया जाता है:—

(१) वाइसराय और गांधीजी के बीच जो बातचीत हुई उसके परिणाम स्वरूप, यह व्यवस्था की गई है कि सविनय अवज्ञा-आन्दोलन बन्द हो, और सम्राट्-सरकार की सहमति से भारत-सरकार तथा प्रांतीय सरकारें भी अपनी तरफ से कुछ कार्रवाई करें।

(२) विधान-सम्बन्धी प्रश्न पर सम्राट्-सरकार की अनुमति से यह तय हुआ कि हिन्दुस्तान के वैध शासन की उसी योजना पर आगे विचार किया जायगा जिस पर गोलमेज परिपद में पहले विचार हो चुका है। यहाँ जो योजना बनी थी, सब-शासन उसका एक अनिवार्य अङ्ग है, इसी प्रकार भारतीय उत्तरदायित्व और भारत के हित की दृष्टि से रक्षा (सेना), वैदेशिक मामले, अल्पसंख्यक जातियों की स्थिति तथा भारत की आर्थिक सहाय और जिम्मेदारियों की अदायगी जैसे विषयों के प्रतिबन्ध वा सरदर भी उसके आवश्यक भाग हैं।

(३) १६ जनवरी १९३१ के अपने वाक्य में प्रधान मंत्री ने जो

घोषणा की है उसके अनुसार ऐसी कार्रवाई की जायगी जिससे शासन-सुधारों की योजना पर धागे जो बिपार हो उसमें कांग्रेस के प्रतिनिधि भी भाग ले सकें।

(४) यह समझीता उन्हीं बातों के सम्बन्ध में है जिनका सविनय अवज्ञा-आन्दोलन से सीधा सम्बन्ध है।

(५) सविनय अवज्ञा अमली रूप में बन्द कर दी जावेगी और (उसके बदले में) सरकार अपनी तरफ से कुछ कार्रवाई करेगी। सविनय अवज्ञा-आन्दोलन को अमली तौर पर बन्द करने का मतलब है उन हलचलों को बन्द कर देना, जो किसी भी तरह उसकी बल पहुँचाने वाली हों, खासकर नीचे लिखी हुई बातें:—

(घ) किसी भी कानून को धाराओं का संगठित भंग।

(घ) खगान और अन्य करों की बन्दी का आन्दोलन।

(स) सविनय अवज्ञा-आन्दोलन का समर्थन करनेवाली स्वरों के पत्रों का प्रकाशित करना।

(द) मुफ्ती और फौजी (सरकारी) नौकरों को या गांव के अधिकारियों को सरकार के खिलाफ़ अथवा नौकरी छोड़ने के लिये उभाड़ना।

(६) जहाँ तक विदेशी कपड़े के बहिष्कार का सम्बन्ध है, दो प्रश्न उठते हैं—एक तो बहिष्कार का रूप और दूसरा बहिष्कार करने के तरीके। इस विषय में सरकार की नीति यह है—भारत की माछी एजेंट को तरक्की देने के लिये आर्थिक और ध्यावसायिक उन्नति के हितार्थ जारी किये गये आन्दोलन के अङ्गरूप भारतीय कच्चा-कौशल को प्रोत्साहन देने में सरकार की सहमति है और इसके लिये किये जाने वाले प्रचार और शान्ति से सम्मान-पुमाने व विज्ञापनबाज़ी के उन उपायों में रुकबंद रहने का कोई इरादा नहीं है, जो किसी की वैयक्तिक स्वतंत्रता

में बाधा न उपस्थित करें और जो कानून व शान्ति की रक्षा के प्रतिफल न हों। लेकिन विदेशी माल का बहिष्कार ( सिवा कपड़े के, जिसमें सब विदेशी कपड़े शामिल हैं, ) सविनय अवज्ञा-आन्दोलन के दिनों में— सम्पूर्णतः नहीं तो प्रधानतः— ब्रिटिश माल के विरुद्ध ही जागू किया गया है, और यह भी निश्चित रूप से राजनैतिक उद्देश्य की सिद्धि के लिये दबाव ढालने की गंज से।

(७) विदेशी माल के स्थान पर भारतीय माल का व्यवहार करने और शराब आदि नशीली चीजों के व्यवहार को रोकने के लिये काम में लाये जाने वाले उपायों के सम्बन्ध में तय हुआ है कि ऐसे उपाय काम में नहीं लिये जायेंगे जिनसे कानून की मर्यादा का भंग होता हो। पिकेटिंग उभ्र न होगा और उसमें जबरदस्ती, धमकी, रूकावट ढालना, विरोधी प्रदर्शन करना, सर्वसाधारण के कार्यों में खलल डालना या ऐसे किसी उपाय को ग्रहण नहीं किया जायगा, जो साधारण कानून के अनुसार जुर्म हो। यदि कहीं इन उपायों से काम लिया गया तो वहाँ की पिकेटिंग तुरन्त रोक दी जायेगी।

(८) गांधीजी ने पुलिस के आचरण की ओर सरकार का ध्यान आकर्षित किया है और इस सम्बन्ध में कुछ स्पष्ट अभियोग भी पेश किये हैं, जिनकी सार्वजनिक जांच कराई जाने की उन्होंने इच्छा प्रकट की है। लेकिन मौजूदा परिस्थिति में सरकार को ऐसा करने में बड़ी कठिनाई दिखाई पड़ती है और उसको ऐसा प्रतीत होता है कि ऐसा किया गया तो इसका जाजिमी भतीजा यह होगा कि एक दूसरे पर अभियोग प्रति-अभियोग लगाये जाने लगेंगे, जिससे पुनः शान्ति स्थापित होने में बाधा पड़ेगी। इन बातों का खयाल करके गांधीजी इस बात पर आग्रह न करने के लिए राजी हो गये हैं।

(९) सविनय अवज्ञा-आन्दोलन के धन्दे किये जाने पर सरकार जो कुछ करेगी वह इस प्रकार है—

घोषणा की है उसके अनुसार ऐसी कार्रवाई की जायगी जिससे शासन-सुधारों की योजना पर ध्यान जो विचार हो उसमें कांग्रेस के प्रतिनिधि भी भाग ले सकें।

(४) यह समझीता उन्हीं बातों के सम्बन्ध में है जिनका सविनय अवज्ञा-आन्दोलन से सीधा सम्बन्ध है।

(२) सविनय अवज्ञा घमछी रूप में बन्द करदी जावेगी और (उसके बदले में) सरकार अपनी तरफ से कुछ कार्रवाई करेगी। सविनय अवज्ञा-आन्दोलन को घमछी तौर पर बन्द करने का मतलब है उन हलचलों को बन्द कर देना, जो किसी भी तरह उसको बल पहुँचाने वाली हों, खासकर नीचे लिखी हुई बातें.—

(घ) किसी भी कानून की धाराओं का सगठित भंग।

(ब) खगान और अन्य करों की बन्दी का आन्दोलन।

(स) सविनय अवज्ञा-आन्दोलन का समर्थन करनेवाली प्रश्नों के पक्षे प्रकाशित करना।

(द) मुल्की और फौजी (सरकारी) नौकरों को या गाँव के अधिकारियों को सरकार के खिलाफ़ अथवा नौकरी छोड़ने के लिये उभाड़ना।

(३) जहाँ तक विदेशी कपड़े के बहिष्कार का सम्बन्ध है, दो प्रश्न उठते हैं—एक तो बहिष्कार का रूप और दूसरा बहिष्कार करने के तरीके। इस विषय में सरकार की नीति यह है—भारत की माजी हालत को ठरकी देने के लिये आर्थिक और व्यावसायिक उद्यमि के हितार्थ जारी किये गये आन्दोलन के अङ्गरूप भारतीय कच्चा-कौशल की प्रोत्साहन देने में सरकार की सहमति है और इसके लिये किये जाने वाले प्रचार और शान्ति से समझाने बुझाने व विज्ञापनबाज़ी के उन उपायों में रुकावट डालने का कोई इरादा नहीं है, जो किसी की वैयक्तिक स्वतंत्रता

में बाधा न उपस्थित करें और जो कानून व शान्ति की रक्षा के प्रतिबद्ध न हों। लेकिन विदेशी माल का बहिष्कार (सिवा कपड़े के, जिसमें सब विदेशी कपड़े शामिल हैं,) सविनय अवज्ञा-आन्दोलन के दिनों में— सम्पूर्णतः नहीं तो प्रधानतः— ब्रिटिश माल के विरुद्ध ही लागू किया गया है, और वह भी निश्चित रूप से राजनैतिक उद्देश्य की सिद्धि के लिये दबाव डालने की गुरज से।

(७) विदेशी माल के स्थान पर भारतीय माल का व्यवहार करने और शराब आदि नशीली चीजों के व्यवहार को रोकने के लिये काम में लाये जाने वाले उपायों के सम्बन्ध में तय हुआ है कि ऐसे उपाय काम में नहीं लिये जायेंगे जिनसे कानून की भंगना का भंग होता हो। पिकेटिंग उग्र न होगा और उसमें जबरदस्ती, धमकी, रफावट डालना, विरोधी प्रदर्शन करना, सर्वसाधारण के कार्यों में खलल डालना या ऐसे किसी उपाय को ग्रहण नहीं किया जायगा, जो साधारण कानून के अनुसार जुर्म हो। यदि कहीं इन उपायों से काम लिया गया तो वहाँ की पिकेटिंग तुरन्त रोक दी जायेगी।

(८) गांधीजी ने पुलिस के आचार्य की ओर सरकार का ध्यान आकर्षित किया है और इस सम्बन्ध में कुछ स्पष्ट अभियोग भी पेश किये हैं, जिनकी सार्वजनिक जाच कराई जाने की उन्होंने इच्छा प्रकट की है। लेकिन मौजूदा परिस्थिति में सरकार को ऐसा करने में बड़ी कठिनाई दिखाई पड़ती है और उसको ऐसा प्रतीत होता है कि ऐसा किया गया तो इसका लाजिमी भतीजा यह होगा कि एक वृत्त पर अभियोग प्रति-अभियोग लगाये जाने लगे, जिससे पुनः शान्ति स्थापित होने में बाधा पड़ेगी। इन बातों का खयाल करके गांधीजी इस बात पर ध्यान न करने के लिए राजी हो गये हैं।

(९) सविनय अवज्ञा-आन्दोलन के मन्द किये जाने पर सरकार जो कुछ करेगी यह इस प्रकार है—

( १० ) सविनय अवज्ञा-आन्दोलन के विनियोज में जो विशेष कानून (प्रॉविनेन्स) जारी किये गये हैं, वे वापस लिये जायेंगे।

प्रॉविनेन्स नं० १ ( १९३१ ), जो कि भारतवर्षादी-आन्दोलन के सम्बन्ध में है, इस धारा के कार्य-क्षेत्र में नहीं आता है।

( ११ ) १९०८ के क्रिमिनल-ऑफ-फेयर्स-एक्ट के मातहत दरवाजों को गैर कानूनी करार देने के हुकम वापस ले लिये जायेंगे, बशर्ते कि वे सविनय अवज्ञा आन्दोलन के सिद्धसिद्धे में जारी किये गये हों।

जहाँ की सरकार ने हाल में क्रिमिनल ऑफ-फेयर्स-एक्ट के मातहत जो हुकम जारी किया है वह इस धारा के कार्य-क्षेत्र में नहीं आता है।

( १२ ) १. जो मुकद्दमे चल रहे हैं उन्हें वापस ले लिया जायगा, यदि वे अवज्ञा आन्दोलन के सिद्धसिद्धे में चलाये गये हों और ऐसे अपराधों के सम्बन्धित होंगे जिनमें हिंसा सिर्फ नाम के छिपे होगी या ऐसी हिंसा को मोस्ताहन देने की बात होगी।

२. वही सिद्धान्त जाम्ना फौजदारी की जमानती धाराओं के मातहत लिये जाने वाले मुकद्दमों पर लागू होगा।

३. किसी प्रान्तीय सरकार ने बकायत करनेवालों के खिलाफ सविनय अवज्ञा आन्दोलन के सिद्धसिद्धे में 'खीगर्स मैन्टिशनर्स एक्ट' के अनुसार मुकद्दमा चलाया होगा या इसके छिपे हाईकोर्ट से दरखास्त की होती तो वह सम्बन्धित बकायत में मुकद्दमा खीराने की इजाजत देने के छिपे दरखास्त देगी, बशर्ते कि सम्बन्धित व्यक्ति का कबिले आचरण हिंसात्मक या हिंसा को उत्तेजना देनेवाला न हो।

४. सीगियों या पुलिसवालों पर चलने वाले हुकम-उद्दोषी के मुकद्दमे, अगर कोई हों तो, इस धारा के कार्य-क्षेत्र में नहीं आयेंगे।

( १३ ) १. वे कैदी छोड़े जायेंगे, जो सविनय अवज्ञा या दोहन के सिद्धसिद्धे में ऐसे अपराधों के लिए कैद भोग रहे होंगे जिनमें नाम मात्र की हिंसा को छोड़कर और किसी प्रकार की हिंसा या हिंसा के लिए उत्तेजना का समावेश न हो ।

२. पूर्वोक्त १. खेद में घानेवाले किसी कैदी को यदि साथ में जेल का कोई ऐसा अपराध करने के लिए भी सजा हुई होगी कि जिसमें नाम मात्र की हिंसा को छोड़कर और किसी प्रकार की हिंसा या हिंसा के लिए उत्तेजना का समावेश न हो, तो वह सजा भी रद्द कर दी जायगी, या यदि इस अपराध सम्बन्धी कोई मुकदमा चल रहा होगा तो वह वापस ले लिया जायगा ।

३. सेना या पुलिस के जिन आदमियों को हुकमदस्ती के अपराध में सजा हुई है—जैसा कि बहुत कम हुआ है—वे इस नफी के खेद में नहीं आयेंगे ।

( १४ ) जुमाने, जो वसूल नहीं हुए हैं, माफ़ कर दिये जायेंगे । इसी प्रकार जाम्ना फौजदारी जमानती धाराओं के मातहत निकले हुए जमानत जन्ती के हुकम के बावजूद जो जमानत वसूल नहीं हुई होंगी उन्हें भी माफ़ कर दिया जायगा ।

जुमान या जमानतों की जो रकमें वसूल हो चुकी हैं, चाहे व किसी भी कानून के मुताबिक हों, उन्हें वापस नहीं किया जायगा ।

( १५ ) सविनय अवज्ञा घान्दोलन के सिद्धसिद्धे में किसी साक्ष्य स्थान के निवासियों के खर्च पर जो अतिरिक्त पुलिस तैनात की गई होगी उसे प्रांतिक सरकारों के निष्पत्ति पर उठा लिया जायगा । इसके लिए वसूल की गई रकम, असली खर्च से ज्यादा हो तो भी, खोटाई नहीं जायगी, लेकिन जो रकम वसूल नहीं हुई है वह माफ़ कर दी जायगी ।

( १६ ) (घ) वह सब सम्पत्ति, जो गैर-कानूनी नहीं है और जो



सविनय प्रवृत्ति-आन्दोलन के सिद्धसिद्धे में ऑर्डिनेन्सों तथा नौजदारी-प्रान्त की धाराओं के मातहत अधिष्ठित की गई है, यदि अभी तक सरकार के कन्जे में होंगी तो खीटा दी जायगी।

(ब) खगान या अन्य करों की वसूली के सिद्धसिद्धे में जो चक-सम्पत्ति जन्त की गई है वह खीटा दी जायगी, जब तक कि जिले के क्लर्क के पास यह विश्वास करने का कारण न हो कि बर्कयादार अपने निम्ने निकलती हुई रकम को उचित प्रवृत्ति के भीतर-भीतर चुका देने में जान-भूल कर होखा-हवाखा करेगा। यह नियंत्रण करने में कि उचित प्रवृत्ति क्या है, उन मामलों का प्रास प्रयास रक्खा जायगा जिनमें देनदार खोग रकम बढ़ा करने के लिए राहती होंगे पर सचमुच उन्हें उसके छिये समय की आवश्यकता होगी, और ज़रूरत हो तो उनका खगान भी खगान-भ्यवस्था के सामान्य सिद्धान्तों के अनुसार मुलतवी कर दिया जायगा।

(स) नुकसान की भरपाई नहीं की जायगी।

(द) जो चक-सम्पत्ति बेच दी गई होगी या सरकार-द्वारा अतिम रूप से जिसका भुगतान कर दिया गया होगा, उसके लिए हर्जाना नहीं देना जायगा और न उसकी बिक्री से प्राप्त रकम ही खीटाई जायगी, सेवा उस सूरत में कि जब बिक्री से प्राप्त होने वाली रकम उस रकम से ज्यादा हो जिसकी वसूली के छिये सम्पत्ति बेची गई हो।

(इ) सम्पत्ति की जन्ती या उस पर सरकारी कन्जा कानून के अनुसार नहीं हुआ है, इस बिना पर कानूनी कार्यवाही करने की हरेक व्यक्ति को छूट रहेगी।

(१७) (अ) जिस अचक सम्पत्ति पर १९३० के नये ऑर्डिनेन्स का मातहत कन्जा किया गया है उसे ऑर्डिनेन्स की धाराओं के अनुसार खीटा दिया जायगा।

(ब) जो ज़मीन तथा अन्य अचल-सम्पत्ति ख़गान या अन्य कर्तों की वसूली के सिद्धसिद्धों में ज़ब्त या अधिकृत की गई है और सरकार के कब्ज़े में है, वह ख़ौटा दी जायगी, बशर्ते कि ज़िले के कलक्टर के पास यह विश्वास करने का कारण न हो कि देनदार अपने जिम्मे निकली रकम को उचित अवधि के भीतर-भीतर चुका देने से जान बुगाकर हीला-दवाला करेगा। यह नियुक्त करने में कि उचित अवधि क्या है, उन मामलों का प्रयास रक्खा जायगा जिनमें देनदार ख़ोग रकम अदा करने के लिये रज़ामन्द होंगे पर सचमुच उन्हें उसके लिये समय की आवश्यकता होगी, और जरूरत हो तो उनका ख़गान भी ख़गान-व्यवस्था के सामान्य सिद्धान्तों के अनुसार मुक्तवी कर दिया जायगा।

(स) जहां अचल संपत्ति बेच दी गई होगी, जहाँ तक सरकार से सम्बन्ध है, वह सौदा अन्तिम समझा जायगा।

नोट:—गांधीजी ने सरकार को बतलाया है, नैसी कि उन्हें ख़बर मिली है और जैसा कि उनका विश्वास है, इस तरह होने वाली विक्री में कुछ अवश्य ऐसी हैं जो ग़ैर क़ानूनी तरीके से और अन्यायपूर्ण हुई हैं। लेकिन सरकार के पास इस सम्बन्धी जो जानकारी है उसे देखते हुए वह इस धारणा को मंज़ूर नहीं कर सकती।

(द) सम्पत्ति की ज़ब्तों या उस पर सरकारी कब्ज़ा क़ानून के अनुसार नहीं हुआ है, इस बिना पर क़ानूनी कार्यवाही करने की हरेक व्यक्ति को छूट रहेगी।

(१२) सरकार का बिरबास है कि ऐसे मामले बहुत कम हुए हैं, जिनमें वसूली क़ानून की धाराओं के अनुसार नहीं की गई है। ऐसे मामलों के लिये, अगर कोई हों, प्रान्तिक सरकारें ज़िला अफ़सरों के नाम हिदायत जारी करेंगी कि स्पष्ट रूप से इस तरह की जो शिकायत सामने आये उसकी वे तुरन्त जांच करें और अगर यह साबित हो जाय

कि गैर-कानूनीपन हुआ है तो अविनाशक उसको रफ़ा-दफ़ा कर ।

( १६ ) त्रिन लोगों ने सरकारी नौकरियों से हस्तीका दिया है उनके रिक्त-स्थानों की जहाँ स्थायी-रूप स पूर्ति हो चुकी होगी वहाँ सरकार पुराने ( हस्तीका देने वाले ) व्यक्ति को पुनः नियुक्त नहीं कर सकेगी। हस्तीका देने वाले अन्य लोगों के मामलों पर उनके गुण-गोप की ली से प्रान्तीय सरकारें विचार करेंगी, जो फिर से नियुक्ति की दायित्व करने वाले सरकारी कर्मचारियों व प्रांतीय अधिकारियों को पुन नियुक्ति के बारे में उदार नीति स काम लेंगी ।

( २० ) नमक-व्यवस्था सम्बन्धी मौजूदा कानून के भंग को गंवाह करने के लिए सरकार तैयार नहीं है, न देश की वर्तमान आर्थिक परिस्थिति का देखते हुए नमक-कानून में ही कोई खास तबदीली की जा सकती है ।

परन्तु जो लोग अपादा गरीब हैं उनके सहायताार्थ, इस सम्बन्ध में लागू कानून वाली धाराओं को वह ( सरकार ) इस तरह विलुप्त कर देने का तैयार है, जैसे कि अब भी कई जगह हो रहा है, जिसमें त्रिन स्थानों में नमक बनाया था इकट्ठा किया जा सकता है उनके आसपास के इलाकों के गाँवों के वाशिनदे वहाँ से नमक ले सकेंगे; लेकिन यह सिर्फ उनके अपने उपयोग के ही लिए होगा, बेचने या बाहर के लोगों के साथ व्यापार करने के लिए नहीं ।

( २१ ) यदि कॉंग्रेस इस समझौते की बातों पर पूरी तरह धमक न कर सके तो, उस हालत में, सरकार वह सब कार्रवाई करेगी जो, उसके परिष्कार स्वरूप, सब-आधारण तथा व्यक्तियों के संरक्षण एवं कानून और व्यवस्था के उपयुक्त परिशालन के लिये आवश्यक होगी ।”

इसकी सन् १९३१ के ४ मार्च की रात को २॥ बजे उक्त समझौता लौकिक गांधीजी बाइसराय नवन से छोटे और उन्होंने सारी घटनाएँ

कार्य-समिति को सुनाई। यह समझौता १५ दिन के गम्भीर वादानु-  
वाद के बाद तैयार हुआ था। श्रीयुत डॉ० पट्टाभिषीतारामय्या के शब्दों  
में इस समझौते में गांधीजी और लॉर्ड इर्विन के श्रेष्ठतम गुणों का श्रेष्ठतम  
प्रदर्शन हुआ था।

५ मार्च की शाम को गांधीजी ने अमेरिकन, अंग्रेज और भारतीय  
पत्रकारों के सामने एक वक्तव्य दिया, जिसमें उन्होंने लॉर्ड इर्विन के  
सौजन्य की, उनके अपार धैर्य की और उनके अपूर्व शिष्टाचार की बड़ी  
प्रशंसा की और उन सारी परिस्थितियों का वर्णन किया, जिनके कारण  
यह समझौता सम्पन्न हुआ।

### समझौते की प्रतिक्रिया

गांधी-इर्विन पैक्ट से, जहाँ तक हमारी जानकारी है, साधारण  
जनता में संतोष उत्पन्न हुआ। नरमदल के नेताओं में इससे प्रसन्नता  
हुई। सत्तार के सबसे बड़े साम्राज्य के प्रतिनिधि के साथ एक भारतीय  
नेता का बराबरी के नाते से समझौता करना आधुनिक भारतीय इति-  
हास में एक नई बात थी। कुछ क्षेत्रों में भारतीय राष्ट्रनीति की यह  
विजय थी। बम्बई की कांग्रेस सरकार के भूतपूर्व गृहमंत्री और गुजराती  
के सुप्रसिद्ध लेखक श्री के० एम० मुन्शी ने "I follow the  
Mahatma" नामक ग्रन्थ में लिखा है—

"It was the greatest event in Indian history for  
centuries. An Indian representing the whole of  
India had entered into an agreement with the  
representative of the greatest empire in modern  
times" अर्थात् सदियों में भारतीय इतिहास में यह सबसे बड़ी घटना  
हुई, जब कि सारे भारतवर्ष का प्रतिनिधित्व करने वाला एक भारतीय  
आधुनिक समय के सबसे बड़े साम्राज्य के प्रतिनिधि के साथ समझौता  
करने में प्रवृत्त हुआ।

गरमदल के राष्ट्रनेताओं ने घोर खामकर स्वतन्त्रता के लिये शहीद नरयुवकों ने इसे पसन्द नहीं किया। नययुवक-समाज के हृदय-संग्राहक श्रीयुक्त मुभाषनन्द योंग को इस समझौते ने बड़ी चरचि हुई। पंडित जवाहरलाल नेहरू अपने "Mahatma Gandhi" नामक अंग्रेजी ग्रन्थ में लिखते हैं:—

"On the night of the fourth of March we waited till midnight for Gandhi's return from the Viceroy's House. He came back about 2 a m and we were wakened and told that an agreement had been reached.

We saw the draft. I knew most of the clauses, for they had been often discussed, but at the very top, clause 2 with its reference to safeguards, etc. gave me a tremendous shock. I was wholly unprepared for it. I said nothing then, and we all retired." अर्थात् "४ मार्च को आधीरात तक हम वाइसरॉय भवन से गांधीजी के लौटने की प्रतीक्षा करते रहे। वे लगभग रात के २ बजे आये और हमें जगा कर बतलाया गया कि समझौता हो गया है।"

"हमने समझौते के मसौदे को देखा। मैं उसकी बहुत सी धाराओं को जानता था, क्योंकि उनके विषय में अक्सर वादानुवाद हुआ करता था। किन्तु ठीक शीर्ष स्थान ही में धारा २ को देखकर मुझे जबरदस्त धक्का लगा। उसमें संरक्षण आदि का उल्लेख था। मैं उसके लिये बिजकुल तैयार न था। फिर भी उस पत्र में कुछ भी न कहा और हम सब सोने के लिये चले गये। आगे चलकर फिर नेहरूजी इसी ग्रन्थ में लिखते हैं:—

‘The question of our objective of independence also remained? I saw in that clause 2 of the settlement that even this seemed to be jeopardized. Was it for this that our people have behaved so gallantly for a year? Were all our brave words and deeds to end in this? The independence resolution of the congress, the pledge of January 26, so often repeated? So I lay and pondered on that march night, and in my heart there was a great emptiness as of something precious gone, almost beyond call.’

अर्थात् “हमारे लक्ष्य-स्वतंत्रता-का प्रश्न भी था। मुझे समझीते की धोरा २ से मालूम पड़ा कि इस से यह लक्ष्य भी खतरों में पड़ गया। क्या इसी के लिये हमारे लोगों ने सारे वर्ष भर तक इतनी वीरतापूर्ण लड़ाई लड़ी थी? क्या हमारे सारे वीरता भरे शब्दों और कार्यों का यही अन्त होने वाला था? क्या इसी के लिये स्वतंत्रता दिवस प्रस्ताव पास किया गया था और क्या इसी के लिये २६ जनवरी की प्रतिज्ञा इतनी बार दुहराई गई थी? मार्च मास की उस रात को छेटा छेटा में इन्हीं बातों पर विचार करता रहा और मुझे अपने हृदयमें यही शून्यता का अनुभव होने लगा, मानों कोई बहुमूल्य वस्तु चली गई है और जिसके वापस मिलने की आशा नहीं है।

सरदार वल्लभभाई पटेल हम समझीते के ज़मीनों सम्बन्धी अंश से सहमत न थे।

कहने का भाव यह है कि गांधी इर्विन समझीते को गांधीजी के कुछ अनन्य भावों ने भी नापसन्द किया था। पर जैसा कि हम ऊपर कह चुके हैं, सर्वसाधारण जनता ने इसे महात्माजी की विजय समझी

भी। हम जानते हैं कि "India Today" के लेखक सुप्रसिद्ध कम्प्यूटिंग प्रोफेसर श्री आर. एन. पाण्डेय तक भी स्वीकार करते हैं। घाघे विम्वत है -

The fact that British Government had been compelled to sign a public treaty with the leader of the national Congress, which it had previously declared an unlawful association and sought to smash, was undoubtedly a tremendous demonstration of the strength of national movement. This fact produced at first a widespread sense of elation and victory, except among the more politically conscious sections, who understood what had happened and saw that all the struggle and sacrifice had been thrown away at the negotiating table.

अर्थात् 'ब्रिटिश सरकार भारतीय कांग्रेस के, जिसे उसने पहले एक गैर कानूनी संगठन करार दिया और नष्ट करने का प्रयत्न किया नेता के साथ एक सार्वजनिक समझौता (संधि) करने को बाध्य हुई। यह बात निःसंदेह राष्ट्रीय आन्दोलन की शक्ति का अत्यन्त शक्तिशाली (महान्) प्रदर्शन था। इस बात ने सर्व प्रथम हर्ष और विजय की व्यापक भावना को जन्म दिया, किन्तु अधिक मचेतन राजनैतिक दृष्टि वाले इस प्रकार की भावना से दूर रहे क्योंकि जो कुछ हुआ या उसे वे समझ गये थे और उन्होंने देखा कि सारा संघर्ष और बलिदान समझौते की बहल में ही बिलीन हो गया था।"

# कराँची की काँग्रेस



गांधी-दिवस समझौते के कुछ ही समय बाद कराँची में कांग्रेस का अधिवेशन किया गया। कांग्रेस के सुले अधिवेशन में उक्त समझौते का प्रस्ताव रखने का काम पं० जवाहरलाल नेहरू को सौंपा गया। कहना न होगा कि नेहरूजी के सामने बड़ा धर्म-संकट उपस्थित हुआ। उनके मनोजगत संद्वन्द्व होने लगा। उन्होंने अपने इसी मनोद्वन्द्व (Mental Conflict) की अवस्था में उक्त प्रस्ताव रखा। गांधीजी के अलौकिक प्रभाव और महान् व्यक्तित्व के कारण उक्त प्रस्ताव बड़े बहुमत से पास हो गया। समझौते के ऋद्धि विरोधी सुभाषचन्द्र बोस तब ने इसका विरोध करना उचित न समझा। इसका कारण उन्होंने यह बतलाया कि ऐसा करने से राष्ट्रीय एकता के भंग होने का दर था। इसके अतिरिक्त कांग्रेस के प्रतिनिधियों का बहुत बड़ा हिस्सा समझौते के पक्ष में था। इनमें उमवादियों (Leftists) की हार और गांधीजी की भारी विजय हुई। पं० नेहरू अपने "Mahatma Gandhi" नामक ग्रन्थ में लिखते हैं—

"The Karachi congress was an even greater personal triumph for Gandhiji than any previous congress had been. The President, Sardar Vallabh Bhai Patel, was one of the most popular and forceful men in India with the prestige of victorious leadership in Gujrat, but it was the Mahatma who dominated the scene."



अर्थात्, "काँग्रेस की कांग्रेस गांधीजी के लिये पहले की सब कांग्रेसों की अपेक्षा सबसे बड़ी वैयक्तिक विजय थी। कांग्रेस के अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल भारत के सबसे अधिक लोकप्रिय और शक्तिशाली व्यक्तियों में से थे, जिन्हें गुजरात के विजयी नेतृत्व का गौरव प्राप्त था। पर इसमें सारे व्यय का प्रभुत्व महात्माजी कर रहे थे।"

काँग्रेस के इस अधिवेशन में गांधी इर्विन समझौता और द्वितीय गोखलेज कॉन्फ्रेंस के प्रस्ताव मुख्य थे, जो बहुत बड़े बहुमत से पास हो गये। गांधीजी द्वितीय गोखलेज कॉन्फ्रेंस के लिये भारतवर्ष की ओर से एकमात्र प्रतिनिधि चुन गये।

इसके अतिरिक्त इस अधिवेशन में जो दूसरा महत्वपूर्ण प्रस्ताव पास हुआ, वह जनता के मौखिक अधिकारों के विषय में था। उमदाजी दल इस प्रस्ताव को पार करवाने में अधिक उरमुहता प्रकट कर रहा था। उसे पिछले दिनों की कुछ घटनाओं से यह आशङ्का होन लगी थी कि कांग्रेस अपने 'पूर्ण स्वाधीनता' के आदर्श से धीरे-धीरे विसर्ग कर 'औपनिवेशिक स्वायत्त' की ओर गति कर रही है। स्वयं ए० जवाहरलाल नेहरू इन मौखिक अधिकारों के प्रस्ताव में बड़ी दिलचस्पी प्रकट कर रहे थे। उनके विचारानुसार यह एक ऐसा विषय था जिसपर राष्ट्र को अपने विचार स्पष्टता प्रकट कर देन चाहिए थे और सर्वसाधारण में इस विषय का ज्ञान फैलाने के साधन भी उपस्थित किये जाने चाहिए थे।

एक और प्रस्ताव जिस पर कांग्रेस ने विचार किया, वह बन्धियों की रिहाई के बारे में था। उस समय तक यह स्पष्ट हो चुका था कि बन्धियों की रिहाई के सम्बन्ध में सरकार केवल कजूसों जैसी नीति ही नहीं बरत रही है, वरन् उन वादों से भी मुक्त नहीं है और उन शर्तों को भी तोड़ रही है, जो उसने समझौते के सिलसिले में की थीं। इसलिये कांग्रेस ने अपना यह दृढ़ मत प्रकट किया कि "यदि सरकार और कांग्रेस के समझौते का उद्देश्य ग्रेट ब्रिटेन और भारत में सद्भावना

पढ़ाना है और यदि यह समझौता ग्रेट ब्रिटेन की शासनाधिकार छोड़ने की वास्तविक इच्छा को प्रकट करता है तो सरकार को चाहिये कि वह सब राजनैतिक गन्धियों, नज़रबन्दों तथा विचाराधीन गन्धियों को, जो समझौते की शर्तों में नहीं भी आते हैं, गिरा करदे, और उन सब राजनैतिक अपयोग्यताओं को हटा ले जो सरकार ने भारतीयों पर, चाहे वे भारत में हों या विदेशों में, उनके राजनैतिक विचारों या कार्यों के कारण लगा रखी हैं।”

काँग्रेस ने सरकार को यह भी याद दिलाया कि “यदि यह इस प्रस्ताव के अनुकूल कार्य करेगी तो जनता का वह रोप जो हाल की फाँसियों के कारण उत्पन्न हो गया है, कुछ कम हो जायगा।”

### भगतसिंह को फाँसी

सरदार भगतसिंह की क्रान्तिकारी प्रवृत्तियों और उन पर लगाये गये आरोपों का गत पृष्ठों में उल्लेख किया जा चुका है। महात्मा गांधी ने सरदार भगतसिंह और उनके साथियों की फाँसी को रूकवाने का भरसक प्रयत्न किया, पर वे सफल न हो सके। कराँची काँग्रेस के अधिवेशन के प्रारम्भ होने के पहले ही, सरदार भगतसिंह और उनके दो साथी, राजगुरु और सुखदेव, फाँसी पर लटकवा दिये गये थे। इससे काँग्रेस में शोक की घनघोर घटा छाई हुई थी, और तत्कालीन भारत सरकार के इस कृत्य के विरुद्ध सारे देश में क्रोधाग्नि प्रवल रूप से धौंस-धौंस जल रही थी। डा० बी० पट्टाभिसीतारामय्या का यह कहना बिलकुल सत्य है कि “उस समय भगतसिंह का नाम भारत भर में उतना ही प्रसिद्ध और लोकप्रिय था जितना गांधीजी का।” काँग्रेस ने अपने एक प्रस्ताव में सरदार भगतसिंह और उनके साथियों की वीरता और आत्म त्याग की बड़ी प्रशंसा की।

### विद्यार्थीजी का बलिदान

काँग्रेस के इसी अधिवेशन में कानपुर के सुप्रसिद्ध राष्ट्रीय पत्र

“प्रताप” के सम्पादक श्री० गणेश शंकरजी विद्यार्थी की दानपुर में मुखबरीयों द्वारा हत्या होने का सम्वाद मिला। इससे भी कांग्रेस में महाशोक का वातावरण छा गया। विद्यार्थीजी हिन्दू-मुस्लिम एकता के फट्टे पड़पाती थे, और वे हिन्दुओं की फौजान्नी से मुखबरीयों की रक्षा करने गये थे, पर मुखबरीयों के मुण्ड ने बड़ी निरदयता के साथ उनकी हत्या कर डाली। उनकी छाश भी बड़ी क्षिप्त-भिन्न अस्थानों में मिली।

गणेशजी के बलिदान से सारे देश में शोक छा गया। राष्ट्र के विभिन्न क्षेत्रों में उनकी सेवाएँ सदा स्मरणीय रहेंगी। उन्होंने “प्रताप” के द्वारा देश की राष्ट्रीय भावना में प्राण फूँकने का वृहत् कार्य किया था। देशी राज्यों की प्रजा के लिये भी उन्होंने अपनी प्राणात्न पुज्य की थी। उनका मौज्य और उनका महान् त्याग राष्ट्रीय आन्दोलन के इतिहास में चिरस्मरणीय रहेगा।



# द्वितीय गोलमेज कान्फ्रेंस और गांधीजी

जैसा कि हम ऊपर दिखला चुके हैं महात्मागांधी को कांग्रेस ने द्वितीय गोलमेज कान्फ्रेंस के लिये चुना था। महात्माजी ११ सितम्बर को मार्सेल्लोज़ टापू में पहुँचे और वहाँ से उनके कुछ अप्रोज़ मित्र, खन्दन तक उनके साथ हो लिये। वे १२ सितम्बर से लगाकर १ दिसम्बर १९३१ तक खन्दन में रहे और उन्होंने गोलमेज कान्फ्रेंस में १२ भाषण दिये। इसके अतिरिक्त उन्होंने संघ-निर्माण-समिति (Federal Structure Committee) के सामने ८ और अल्पदल-समिति (Minorities Committee) के सामने दो भाषण दिये। १५ सितम्बर को संघ-निर्माण-समिति के सामने भाषण देते हुए उन्होंने कहा था:—

“...Time was when I prided myself on being and being called a British subject. I have ceased for many years to call myself a British subject; I would far rather be called a rebel than a subject. But I have now aspired—and I still aspire—to be a citizen, not in the Empire but in a Commonwealth, in a partnership, If God wills it, an indissoluble partnership, but not a partnership superimposed upon one nation by another.”

अर्थात्, “एक वक्त था जब मैं अपने आपको ब्रिटिश प्रजाजन

कहलाने में अभिमान का अनुभव काता था। कई वर्षों में मैंने अपने आपका ब्रिटिश प्रजाजन कहना बन्द कर दिया है। अब मैं ब्रिटिश प्रजाजन के बजाय सिद्धोही कहलाना अधिक पसन्द करूंगा। अब मैं साम्राज्य के बजाय एक समानतन्त्र (कामन वेल्थ) या एसी साम्प्रदायी का नागरिक होने की आकांक्षा रखता हूँ जो कि एक राष्ट्र द्वारा दूसरे राष्ट्र पर छादी न गई हो; और सम्भव हो तथा इश्वरीय इच्छा हो तो वह साम्प्रदायी अभंग हो।”

द्वितीय गोकर्मेज परिषद् के प्रतिनिधियों और अन्य बातों का दखल कर महारमाजी का रहा सहा आशावाद भी ख़तम होने लगा। उन्हें इस बात पर भी दुःख हुआ कि ब्रिटिश सरकार ने कांग्रेस को अखिल भारतवर्ष की प्रतिनिधि संस्था न मानकर अन्य दखलान संस्थाओं की तरह, एक संस्था मानली थी।

इसके अतिरिक्त ब्रिटिश सरकार ने अपनी राजनैतिक चतुरता से ऐसी परिस्थिति उत्पन्न की जिससे साम्प्रदायिक समस्या सुलझाने के बजाय और उलझ गई। सन् १९११ के ८ अक्टूबर को महारमा गांधी ने साम्प्रदायिक समस्या पर बोलते हुए गोकर्मेज परिषद् से निराशापूर्व उद्गार प्रकट किये थे —

“It is with deep sorrow and deeper humiliation that I have to announce utter failure on my part to secure an agreed solution of the Communal question through informal conversation among and with the representatives of different groups. But to say that the conversations have to our utter shame failed is not to say the whole truth. Causes of failure were inherent in the composition of the Indian delegation. We are almost all not

elected representatives of the parties or groups we are presumed to represent, we are here by nomination of the Government. Nor are those whose presence was absolutely necessary for an agreed solution to be found here."

अर्थात्, "मैं गहरे दुःख और अधिक गहरे चपमान के साथ यह प्रकट करता हूँ कि मैं विभिन्न दलों के प्रतिनिधियों के साथ अनिश्चित वार्तालाप के द्वारा साम्प्रदायिक समस्या का सर्वसम्मत हल निकालने में असमर्थ रहा हूँ। पर यह कहना कि ये वार्तालाप असफल हुए हैं, सर्वांश में सत्य नहीं है। भारतीय प्रतिनिधियों का जिस प्रकार संयोजन किया गया है। उसमें इस असफलता के कारण निहित है। जिन दलों या पार्टियों के हम प्रतिनिधि माने गये हैं, उनके हम प्रायः सब ही चुने हुए प्रतिनिधि नहीं हैं। यहाँ हम सरकार द्वारा मनोनीत होकर आये हैं। यहाँ वे लोग भी नहीं हैं जिनकी उपस्थिति सर्वसम्मत हल निकालने में आवश्यक थी।"

कहने का भाव यह है कि इस कॉन्फ्रेंस में महात्माजी को सफलता नहीं मिली। अल्पदल की कमेटी की दूसरी बैठक होने के पहले ही अल्पदल की जातियों के प्रतिनिधियों ने आपस में मेज-जोल कर एक समझौता कर लिया जो "अल्पदल का समझौता" (Minorities Pact) के नाम से प्रसिद्ध है। यह समझौता द्वितीय सरकार की सहमति से किया गया था। इसमें सिक्खों ने भाग नहीं लिया। इस समझौते में दक्षिण जातियों के लिये धारा समाजों में विशिष्ट संरचित स्थान रखे गये और उनके लिये भिन्न निर्वाचन पद्धति भी स्वीकार की गई। १९३१ की १३ नवम्बर को ग्राहम मिनिस्टर मि० रेन्डे मेरदानरुद की अध्यक्षता में अल्पदल कमेटी (Minorities Committee) की बैठक हुई, जिसमें अध्यक्ष महोदय ने कहा कि अल्पदल का यह समझौता भारतवर्ष के ११,२०,००,००० आदिमियों को मान्य है।

मि० रेग्जे मेक्डानल्ड ने महात्माजी के द्वारा गत बैठक में की गई आलोचना का जवाब देते हुए यह प्रकट किया कि साम्प्रदायिक समस्या के हल न होने से भारतवर्ष के विधान-निर्माण की प्रगति में बाधा था रही है। इस पर महात्मा गांधी ने बड़े जोरदार शब्दों में अभ्युद्योग को पुनौत्ती देते हुए कहा कि कांग्रेस न केवल ब्रिटिश भारत की धानू सारे भारतवर्ष की ८५% जनता का प्रतिनिधित्व करती है। उन्होंने इस बात को दोहराया कि कांग्रेस किसी-भी ऐसे हल को स्वीकार करने के लिये तैयार है जो हिन्दू-मुसलमान और सिक्खों को मान्य हो, पर वह किसी ऐसे विशिष्ट संरक्षण में सहयोग न देगी जो किसी अन्य अल्पसंख्यक दल को दिया जायगा। महात्माजी ने इस बात पर भी जोर दिया कि सरकार साम्प्रदायिक समस्या का अन्तिम निर्णय करने के लिये एक न्याय-पमिति (ब्रिटीशपक्ष ट्रिग्यूनल) मुकदर करदे।

ईस्वी सन् १९३१ की १३ अक्टूबर को संघ-निर्माण समिति (Federal Structure Committee) के सामने महात्माजी ने सर्वोच्च न्यायालय (Supreme Court for India) के सम्बन्ध में कांग्रेस का दृष्टिकोण रक्ता। आपने इस बात पर जोर दिया कि संघ न्यायालय (Federal Court) का अधिकार-क्षेत्र बहुत व्यापक और विशाल होना चाहिये। उसका अधिकार-क्षेत्र केवल संघीय कानूनों (Federal Laws) तक ही सीमित न होना चाहिये। १७ नवम्बर १९३१ को महात्माजी ने कांग्रेस की यह भाग रक्खी कि प्रांत और वैदेशिक मामलों पर स्वराज्य-सरकार का पूर्ण अधिकार होना चाहिये।

ईस्वी सन् १९३१ की १३ नवम्बर को गांधीजी ने उक्त संघ-निर्माण-समिति के सामने मिटेनवासियों के लिये रखे गये व्यापारिक संरक्षणों का जोरदार शब्दों में विरोध किया और यह बतलाया कि य

संरक्षण भारतवासियों के हितों के लिए घातक है। उन्होंने जातीय पक्ष-पात की घोर निन्दा की और फ़ौजदारी मुकद्दमों में यूरोपियनों को दिये जाने वाले विशेषाधिकारों का घोर विरोध किया।

२५ नवम्बर को गोलमेज परिषद् के सामने अपना दूसरा भाषण देते हुए महात्माजी ने इस बात पर जोर दिया कि भारत की भावी राष्ट्रीय सरकार भारत के विदेशी कर्ज़ की जिम्मेदारी लेने के पहले उसकी निष्पक्ष जांच को आवश्यक समझेगी। इस संबंध में उन्होंने कर्गोनी कांग्रेस द्वारा नियुक्त "भारत के सरकारी कर्ज़ की जांच समिति" (Public Debt Enquiry Committee) की रिपोर्ट का उल्लेख किया। गांधी जी ने १ शिल्लिंग ६ पैसे की विनिमय दर मुद्ररं करने का विरोध किया और कहा कि भारतवासियों की माँग के अनुसार यह दर १ शिल्लिंग ४ पैसे होनी चाहिये। घामे चलकर गांधीजी ने भारत की आर्थिक व्यवस्था के अधिकार के विषय में मोड़ते हुए यह प्रकट किया.—

"I would want complete control of the Indian finance if India was really to have responsibility at the centre. In my opinion, unless we have control over our own purse, absolutely unrestricted, we shall not be able to shoulder the responsibility, nor will it be a responsibility worth the name."

"अगर भारत की केन्द्रवर्ती शासन में वास्तविक उत्तरदायित्व प्राप्त हो तो मैं भारत की अर्थ-व्यवस्था (Finance) पर पूर्ण अधिकार चाहूंगा। मेरी राय में अगर हम अपनी थैली पर पूर्णतया बाधा रहित अधिकार न होगा तो हम उत्तरदायित्व का बोझ उठाने में समर्थ न होंगे और न ऐसा उत्तरदायित्व अपने नाम को ही सार्थक करेगा।"

इसी दिन एक दूसरे भाषण में महात्माजी ने यह प्रकट किया कि



गम्भीर विचार के बाद मैं इस नतीजे पर पहुँचा हूँ कि प्रान्तीय स्वराज्य और केन्द्रीय उत्तरदायित्व (Provincial autonomy and Central responsibility) साथ-साथ चलने चाहिये। क्योंकि विदेशी हुकूमत द्वारा शासित सुदृढ़ केन्द्रवर्ती शासन और सुदृढ़ प्रान्तीय स्वराज्य परस्पर विरोधी शक्त हैं।

केन्द्रवर्ती शासन के उत्तरदायित्व पर भाषण देते हुए गांधीजी ने कहा —

“I want that responsibility at the centre that will give me, as you all know, control of the army and finance. I know that I am not going to get that here and now and, I know there is not a British man ready for that. Therefore, I know I must go back and yet invite the nation to a course of suffering.”

“अर्थात्, “जैसा कि आप सब लोग जानते हैं, मैं ऐसा उत्तरदायित्व चाहता हूँ जिसमें क्राउन और अर्थ व्यवस्था पर अधिकार रहे। मैं जानता हूँ कि यहाँ अभी मुझे वह न मिलेगा और मैं यह भी जानता हूँ कि कोई ब्रिटिशजन इसके लिये अभी तैयार नहीं है। इसलिये मैं समझता हूँ कि मुझे वापिस जाना चाहिये और राष्ट्र को कष्ट सहन करने के लिये आमंत्रित करना चाहिये।”

३० नवम्बर को गांधीजी ने गोलमेज़-परिषद् के सामने ब्रिटिश अधिकारियों को सम्बोधन करते हुए कहा—“आपने यद्यपि कांग्रेस को निमंत्रित किया है पर आपने उसके उस दावे को अस्वीकृत कर दिया है कि वह सारे भारतवर्ष का प्रतिनिधित्व करती है।” साम्प्रदायिक समस्या का निष्पन्न करते हुए गांधीजी ने यह अभिय सत्य कहा—“जब तक विदेशी सत्ता की काल रहेगी तब तक वह जाति जति और वर्ग वर्ग

को खदाती रहेगी और कभी सच्चा हृदय न निकलने देगी। वह ऐसी परिस्थिति उत्पन्न करती रहेगी जिसमें उन जातियों में सच्ची मित्रता का संबंध स्थापित न हो सके। राष्ट्रीय मांग का जिक्र करते हुए गांधीजी ने कहा:—

“Call it by any name you like, a rose will smell as sweet by any other name, but it must be the rose of liberty that I want and not the artificial product.”

अर्थात्, “उसे आप जिस नाम से चाहे पुकारिये, गुलाब का दूसरा नाम रखने पर भी वह उसी प्रकार मीठी सुगंध देता रहेगा, पर वह गुलाब स्वतंत्रता का होना चाहिये, जिसे मैं चाहता हूँ। वह कृत्रिम पदार्थ न होना चाहिये।” इसके बाद गांधीजी ने स्वतंत्रता की मांग करते हुए गद्गद् स्वर से कहा, “I want to become a partner with the English people, but I want to enjoy precisely the same liberty that your people enjoy.”

अर्थात्, “मैं अंग्रेज जनता के साथ भागीदार होना चाहता हूँ। पर मैं ठीक वही स्वतंत्रता चाहता हूँ जिसका तुम्हारे लोग उपभोग करते हैं।” भारतीय आतंकवादियों का जिक्र करते हुए गांधीजी ने कहा, “क्या आप उन लोगों को नहीं देख रहे हैं जिन्होंने आतंकवादी अपनाने से बिलंब रहे हैं।” आदि गांधीजी ने अत्यन्त भावुकता के साथ उपरिष्ठत सदस्यों को संबोधन करते हुए ये उद्गार प्रकट किये, “मैं आशा के विरुद्ध आशा करता हूँ, मैं अपनी सारी शक्तिभर यह कोशिश करूँगा जिससे मेरे देश के लिये सामानपूर्ण समझौता हो जाय। मेरे लिये यह सुख और सांत्वना का विषय न होगा कि मुझे फिर से खड़ाई का नेतृत्व प्रदत्त करना पड़े। पर अगर आग में से गुजरने ही की परिस्थिति उत्पन्न हुई तो मैं इसको सबसे अधिक आनन्द और संतोष के

साथ स्वीकार करूँगा, और मैं यह समझूँगा कि जो कुछ मैं कर रहा हूँ वह ठीक है और जो कुछ मेरा देश कर रहा है वह अपने अधिकारों की रक्षा के लिये कर रहा है।”

गौड़ीजी ने भारतीय स्वतन्त्रता के लिये जोरदार आवाज़ उठाई और जो कुछ उनसे करते बना वह उन्होंने किया, पर वे सफल न हुए। इसका कारण यह था कि इस समय मज़दूर-दल के मंत्रि-मण्डल का अन्त हो चुका था और उसके स्थान पर नई सरकार बन चुकी थी जो कहने भर को तो 'सयुक्त' थी, परन्तु वास्तव में अनुदार दल की ही थी। इस बार की कॉन्फ़ेन्स में ब्रिटिश सरकार का जो प्रतिनिधि-मण्डल था, उसका एक पिछले साक्षवाले प्रतिनिधि मण्डल से बहुत भिन्न था। मि० चैत्रबुडैन का स्थान सर सैमुअल होर ने ग्रहण कर लिया था। इन दोनों नामों के उल्लेख से ही यह प्रकट हो जाता है कि ब्रिटेन के रुझान में कितना अन्तर आ गया था। कुछ मिला कर दूसरी कॉन्फ़ेन्स पहली कॉन्फ़ेन्स की अपेक्षा अधिक असंतोषजनक रही। पहली कॉन्फ़ेन्स मज़दूर-दल की सरकार तथा मि० चैत्रबुडैन जैसे भारत-मंत्री के समय में हुई थी, और उसके बाद एक ओर तो सत्याग्रह-आन्दोलन रोक दिया गया तथा दूसरी ओर राजनैतिक झूठे छोड़े गये थे। दूसरी कॉन्फ़ेन्स अनुदार दल की सरकार तथा सर सैमुअल होर जैसे भारत-मंत्री के समय में हुई और उसके बाद एक ओर तो फिर से सत्याग्रह का प्रारम्भ हुआ और दूसरी ओर दमन—सन् १९३० से भी अधिक भयानक दमन-का आश्रय लिया गया।

इसके अतिरिक्त उस समय की अन्तर्राष्ट्रीय परिस्थिति वर्तमान समय की तरह अनुकूल न थी। वर्तमान स्वतन्त्रता प्राप्ति में जहाँ हमारे राष्ट्र के महान् आत्म-त्याग ने काम किया वहाँ वर्तमान अन्तर्राष्ट्रीय परिस्थिति ने भी वही बहुमूल्य सहायता की। यह एक वास्तविक साथ है जिसकी कोई इतिहासवेत्ता उपेक्षा नहीं कर सकता।

# महात्माजी का भारत आगमन



गोखलेजी परिषद् से असफल होकर सन् १९३१ ई० की २८ दिसंबर को खाली हाथ महात्माजी बम्बई पहुँचे। बम्बई में प्रान्तीय कांग्रेस कमेटी ने उनके भव्य स्वागत की तैयारियाँ कर रखी थीं। इस समय बम्बई में उनका जो शानदार स्वागत किया गया वह ऐसा था जिससे बड़े बड़े सम्राटों का मस्तक भी झुक जाय। उनका जुलूस बम्बई के इतिहास में एक अपूर्व घटना थी। जनता ने लाखों की तादाद में अपने प्रिय नेता का हार्दिक स्वागत किया। उसी दिन शानको बाज़ार मैदान में उनका सार्वजनिक व्याख्यान हुआ जिसमें जनता का समुद्र उमड़ पड़ा था। कहा जाता है कि २ लाख से ऊपर ठरसुक जनता इस भाषण को सुनने के लिये एकत्रित हुई थी। महात्मा गाँधीजी ने अपने व्याख्यान में गोखलेजी परिषद् में उन्हें जो कड़े अनुभव हुए, उनका वर्णन किया। इसके अतिरिक्त इस भाषण में उन्होंने अपनी यह भयंकर प्रतिज्ञा दोहरायी—

“हिन्दू जाति से अरबों को जुदा करनेवाले किसी भी प्रयत्न को मैं चरदाशत नहीं करूँगा, परिक्रमों का पकने पर उसके विरोध में मैं अपनी जान तक दे दूँगा।”

गाँधीजी से मिलने के लिये और उन्हें घरने-घरने प्रान्त की दुःख-गाथा सुनाने के लिये भिन्न भिन्न प्रांशों से अनेक प्रतिनिधि आये हुए थे। गाँधीजी बराबर तीन दिन तक उनकी बातों को सुनते रहे और अपनी अनुपस्थिति में उत्पन्न हुई परिदृशितिक का प्यानूर्तिक अध्ययन करते रहे। इन प्रतिनिधियों से उन्हें मातृन हुआ कि देश में चारों ओर भयंकर दमन और आर्दिनेन्तों का खोखलाजा हो रहा है। इस समय सद्दय खोंद

इर्ष्यिन् ने अवतर ग्रहण कर लिया था और उनके स्थान पर वार्ड विंजिंगटन भारत के गवर्नर जनरल का काम कर रहे थे। उन्होंने गाँधी-इर्ष्यिन् समझौते की शर्तों को ताक में रख कर भयकर दमन के द्वारा स्वातन्त्र्य-प्रान्दोलन को कुचलने का निश्चय कर लिया। पंडित जवाहर-लाल नेहरू महामाजी का स्वागत करने बगई जा रहे थे कि रास्ते में ही उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया।

इस बीच देश की आर्थिक स्थिति भी बहुत खराब हो गई थी। खेती की पैदावार के भाव गिर जाने से किसानों की आर्थिक अवस्था बहुत ही गिर गई थी। इतने पर भी सरकार कर बढ़ाने पर तुली हुई थी। इन सब बातों से उन्हें परिचित कराया गया। उन्हें बतझाया गया कि मुक्त-प्रान्त और सीमा-प्रान्त में भी ऑर्डिनेन्स जारी कर दिये गये थे। भारती सुलह के दिनों में राज्य का गाजा इन ऑर्डिनेन्सों से ही हाँका जा रहा था। गाँधीजी मज्जाक में फहा करते थे, "यह तो लॉर्ड विंजिंगटन का दिया नये साल का तोहफा है।" पर वह एक सत्याग्रही की भाति शान्ति के लिये अपनी पूरी कोशिश किये और ही देश को नई सुसीबतों में डालनेवाले पुरुष न थे। सुबह से लेकर शाम तक गाँधीजी का सारा समय तमाम प्रान्तों से आये हुए शिष्ट-मयडलों से मिलने में ही बीतता था, जो सरकारी अफसरों द्वारा प्रत्येक प्रान्त में किये गये अत्याचारों की कथाएँ सुनाते थे। देश में भयंकर मन्दी और घोर संकट था। फिर भी कर्नाटक को इतने लम्बे समय तक युद्ध में लगे रहने पर भी कोई रिश्वापत नहीं दी गई। प्रान्त में खगान बढ़ाया जानेवाला था और मद्रास के गवर्नर ने तो यहाँ तक धमकी दे रखी थी कि अगर लोग खगान रोकने की यात करेंगे तो ऑर्डिनेन्स जारी कर दिये जायेंगे। इस तरह की दुख-गाथाएँ गाँधीजी को सुनाई आ रही थीं। उन्हें भी अपने दुश्मनों की कहानी लोगों को सुनानी थी, जो उन पर खन्दन में बीते थे। वे गोखले-परिषद् में जाना ही नहीं चाहते थे। जो बातें इस परिषद्

में होनेवाली थीं उनकी छाया जुलाई और अगस्त में ही नज़र आने लग गई थी। पर कांग्रेस की कार्य-समिति ने इस बात पर ज़ोर दिया कि उन्हें जाना ही चाहिए। समझौते का भंग होने पर भी बाद में उन्हें परिषद् में जाने से इन्कार करने का मौका मिल गया था। पर मज़दूर-सरकार चाहती थी कि उन्हें किसी प्रकार जहाज़ पर चढ़ा कर लन्दन खाना कर ही दिया जाय।

इन सारी परिस्थितियों को सुन कर गाँधीजी बहुत दुःखित हुए और उन्होंने तत्कालीन वाइसरॉय लॉर्ड विलिंगडन को निम्न-लिखित तार दिया और उनसे मुलाकात देने के लिये अनुरोध किया।

“I was unprepared on landing yesterday to find the Frontier and the U. P Ordinances, shootings in the Frontier and arrests of valued comrades in both and on the top, the Bengal Ordinance awaiting me I do not know whether I am to regard these as an indication that friendly relations between us are closed or whether you expect me still to see and receive guidance from you as to the course I am to pursue in advising the Congress”

अर्थात्, “कल जहाज़ से उतरने पर मुझे मालूम हुआ कि सीमा-प्रान्त और युक्तप्रान्त में ऑर्डिनेन्स जारी कर दिये गये हैं। सीमाप्रान्त में गोखिलों चलाई गई हैं। मेरे अनमोल साथी गिरफ्तार कर लिये गये हैं और सबने बढ़कर, बंगाल का ऑर्डिनेन्स मेरी राह देख रहा है। मैं इसके लिये तैयार न था। मेरी समझ में नहीं आता कि मैं इनसे यह समझूँ कि हमारी पारस्परिक मित्रता का प्राणमा हो चुका, या यह कि थाप भय भी मुझसे यह उम्मीद करते हैं कि मैं आपसे मिलूँ

और इस परिस्थिति में मैं कांग्रेस को क्या सलाह दूँ, इस विषय में आपसे परामर्श और मार्ग प्रदर्शन प्राप्त करूँ ।

वाइसरॉय के प्राइवेट सेक्रेटरी ने ३१ दिसम्बर को महात्माजी के तार का खम्भा-चाँदा जवाब दिया, उसका पृष्ठ क्र. ४१४ १६ है—

“His Excellency feels bound to emphasise that he will not be prepared to discuss with you any measures which the Government of India, with the fullest approval of His Majesty's Government, found it necessary to adopt in Bengal, the United Provinces and the North-West Frontier Province.”

अर्थात्, “श्रीमान् वाइसरॉय इस बात पर जोर देने के लिये बाध्य हैं कि वे आपसे किसी भी ऐसी कार्रवाई के विषय में बातचीत करने के लिये तैयार नहीं हैं, जो कार्रवाई भारत सरकार न श्रीमान् सय्याट् की सरकार की पूर्ण अनुमति से बंगाल, युक्त-प्रान्त और सीमा-प्रान्त में करना आवश्यक समझा है ।”

वाइसरॉय का यह तार मिलने पर पहली जनवरी १९३२ को कांग्रेस कार्यसमिति की बैठक हुई और उसमें जो प्रस्ताव पाल हुआ उसका कुछ अंश निम्नलिखित है—“कार्य-समिति ने महात्मा गांधी की यूरोप यात्रा का हाल सुना और बंगाल तथा युक्त-प्रान्त में जारी किये गये असाधारण ऑर्डिनेन्सों के कारण देश में पैदा हुई परिस्थिति पर विचार किया । साथ ही सरकारी अधिकारियों द्वारा खान बन्दुजगत्कार द्वा, शेरशानी साहय, प० जवाहरलाल नेहरू तथा दूसरे अनेक लोगों की गिरफ्तारियों और सीमाप्रान्त में निर्दय लोगों पर चलाई जाने वाली गोळियों, जिनसे कितने ही लोग जान से मारे गये तथा कितने ही

वायल हुए, के कारण पैदा हुई परिस्थिति पर भी विचार किया। कार्य-समिति ने महारमा गांधी के तार के जवाब में वाइसरॉय द्वारा भेजे गये तार को भी देख लिया।”

कार्य-समिति का यह मत है कि ये तमाम घटनाएँ और दूसरे प्रान्तों में घटी हुई अन्य छोटी-मोटी घटनाएँ तथा वाइसरॉय साहब का तार, ये सब सरकार के साथ कांग्रेस का सहयोग तब तक के लिये बिलकुल असम्भव बना रहे हैं, जब तक कि सरकार की नीति में कोई आमूल परिवर्तन नहीं हो जाता। ये कार्य और वाइसरॉय का तार साफ साफ जाहिर करते हैं कि नौकरशाही हिन्दुस्तान की जनता के हाथों में यहाँ की हुकूमत सौंपना नहीं चाहती, बल्कि उनके द्वारा वह उखटे राष्ट्र की तेजस्विता को मिटा देना चाहती है। उनसे यह भी प्रकट होता है कि सरकार एक ओर जहाँ कांग्रेस से सहयोग की उम्मीद करती है, वहाँ दूसरी ओर उस पर विरवास भी नहीं करना चाहती।

“यगाल में हाल ही में आतङ्कवादी घटनाएँ हुई हैं, उनकी निन्दा करने में कांग्रेस किसी से पीछे नहीं रही है। पर साथ ही यह सरकार के द्वारा किये गये आतङ्कवाद की निन्दा भी उतने ही जोर के साथ करती है। सरकार की यह दमन-नीति हाल ही में जारी किये गये ऑर्डिनेन्स और कानूनों से प्रकट है। अभी-अभी कुमिलका में दो छद्मियों द्वारा जो हत्या हुई है उससे राष्ट्र की नीचे देखना पड़ा है, ऐसी कांग्रेस की राय है। ये कार्य ऐसे समय ट्रांस तौर पर और भी हानिकारक हैं, जबकि देश कांग्रेस के जरिये, जो कि उसकी सबसे बड़ी प्रतिनिधि संस्था है, स्वराज्य-प्राप्ति के लिये अहिंसा से काम लेने को बचन-बद्ध हो चुकी है। पर कांग्रेस कार्य-समिति कोई कारण नहीं देखती कि मइज़ इतनी सी बात पर, सिर्फ कुछ लोगों के अपराध पर, यगाल ऑर्डिनेन्स जैसे प्रति-रिक्त कानून जारी करके तमाम लोगों को दण्डित किया जाय।”

“इसका असली इलाज तो है इन अपराधों के प्रेरक कारणों का ही,



जो कि प्रकट हैं, इजाजत करना । यदि घंटाख घोड़िनेन्स के अस्तित्व का कोई कारण नहीं है तो युक्त-प्रान्त और सीमा-प्रांश के घोड़िनेन्सों के खिये तो उसमें भी कम कारण है ।”

“कार्य-समिति की राय है कि युक्त-प्रान्त में किसानों को छूट दिवाने के खिये कांसेस द्वारा अचलम्बित उपाय उचित हैं और उचित प्रमाणित किये जा सकते हैं । कार्य-समिति का यह निरूपय मत है कि गम्भीर प्राथिक संकटों में पीड़ित लोग, जैसा कि स्वीकार किया जा चुका है कि युक्त प्रान्त के किसान पीड़ित हैं, यदि अन्य वैध साधनों से राहत पाने में असफल हों, जैसे कि ये युक्त-प्रान्त में असफल हुए हैं, तो उन सबका यह निर्विवाद अधिकार है कि ये खगान देना बन्द कर दें । महात्मा गांधी से कातचीत करने और कार्य-समिति की बैठक में सम्मिलित होने के खिये बम्बई आते हुए युक्त-प्रान्त की प्रान्तीय समिति के सभापति श्री शेषानी तथा महासभा के कार्य-संचालक प्रधान मंत्री पं० जवाहरलाल नेहरू को गिरप्रतार करके तो सरकार अपने घोड़िनेन्स द्वारा कल्पित सीमा से भी प्रागे बढ़ गई है, क्योंकि इन सत्रनों के बम्बई में युक्त-प्रान्त के कर बन्दी के आन्दोलन में भाग लेने का तो किसी प्रकार कोई प्ररन था ही नहीं ।”

“सीमा-प्रान्त के सचय में स्वयं सरकार की बताई बातों से भी न तो घोड़िनेन्स जारी करने और न खान अनुसूखगप्रकार खाँ और उनके साधियों को गिरप्रतार करने तथा बिना मुकद्दमा खजाये जेल में रखने का कोई आधार दिखाने देता है । कार्य-समिति इस प्रांश में निरपराध और मिश्रण खोगों पर की गई गोखीबारी को निष्ठुर और अमानुषिक समझती है और वहाँ की जनता को उसके साहस और सहन-शक्ति के खिये बधाई देती है । कार्य-समिति को जरुर भी संदेह नहीं है कि यदि सीमा-प्रान्त की जनता भारी उच्छेजना खिये जाने पर भी अपनी अहिंसा-वृत्ति को बायम रख सकेगी तो उसका एक और-उसके कह भारत की

स्वतंत्रता के कार्य को प्रगति में सहायक होंगे ।”

“कार्य-समिति भारत-सरकार से मांग करती है कि जिन बातों के कारण उसे ये ऑर्डिनेन्स पास करने पड़े हैं और सामान्य अदायतों और व्यवस्था-तंत्र को एक ओर रख देने तथा इन ऑर्डिनेन्सों के अन्तर्गत और बाहर जो कारवाइयाँ हुईं, उनके अचित्य के संघर्ष में वह एक खुली और निष्पक्ष जाँच करावे । यदि उचित जाँच-समिति को गवाह पेश करने की सब सुविधाएँ दी जायँ, तो वह इस समिति के सामने गवाह पेश करके सहायता देने के लिये तैयार रहेगी ।”

आगे चलकर कार्य-समिति ने इस बात पर अक्रसोस प्रकट किया कि सरकार ने देहली समझौते को बार-बार भंग किया, और यह चेतावनी दी कि अगर सरकार की ओर से कांग्रेस की मांग का समुचित प्रत्युत्तर न मिला तो यह समिति राष्ट्र को भद्रअवस्था (Civil disobedience) का आन्दोलन करने के लिये आह्वान करेगी ।

इस दिन महात्मा गांधी ने वाइसरॉय को दुबारा पत्र भेज कर यह अनुरोध किया कि वे अपने निर्णय पर पुनर्विचार करें और बिना किसी शर्त के मुलाकात ( Interview ) का अवसर दें । गांधीजी ने अपने पत्र के साथ कार्य-समिति के प्रस्ताव की नकल भी भेजी और साथ ही यह भी सूचित किया कि अगर श्रीमान् वाइसरॉय मुझसे मिलना उचित समझें तो इस प्रस्ताव को कार्यान्वित करने का कार्य यातचीत होने के समय तक स्थगित रखा जायगा ।

ईस्वी सन् १९३२ की २ जनवरी को वाइसरॉय ने महात्माजी को सूचित किया कि भद्रअवस्था की धमकी के साथ मुलाकात देने का प्रस्ताव वाइसरॉय किसी तरह स्वीकार नहीं कर सकते । इस पर महात्माजी ने वापस वाइसरॉय को लिखा कि प्रामाणिक विचारों के प्रकाशन को धमकी कहना एक दम गलत है ।

इस प्रकार गांधीजी और सादरदास को मुलाकात मंथली जिला-परी का भग्न हुआ।

४ जनवरी को भारत सरकार ने अपनी नीति और प्रवृत्तियों के मर्म-धर्म में एक बल-व्य प्रकाशित किया।

## गांधीजी और सरदार पटेल की गिरफ्तारी

फिर क्या था ? सरकार ने पार करना शुरू कर दिया, गांधीजी और सादरदास गिरफ्तार कर लिये गये। इनके ही पर सरकार की संतोष न हुआ। उनमें सेकड़ों हजारों कांग्रेस कमेटियों, राष्ट्रीय स्कूलों, क्रिमान कमेटियों, सेवा-दलों और इस प्रकार की अन्य राष्ट्रीय संस्थाओं को गैर-कानूनी घोषित कर दिया। उनके भवनों और कार्यालयों पर अधिकार कर दिया। इतना ही नहीं, इन कार्यालयों का सामान और आर्कानें भी जप्त कर नीलाम कर दो गईं। कांग्रेस के लोगों पर भी अधिकार कर दिया गया। लोगों को यह सूचित किया गया कि वे कांग्रेस को किसी प्रकार की आर्थिक सहायता न दें और न कांग्रेस स्व-सेवकों को अपने घरों में आश्रय दें। अगर वे ऐसा करेंगे तो दण्ड का पात्र होंगे। राष्ट्रीय माहिस्य जप्त किया गया, राष्ट्रीय समाचार-पत्र बन्द कर दिये गये, दूकानदारों और व्यापारियों को मजबूत हिदायतें दी गईं कि वे कांग्रेस स्व-सेवकों के कहने पर अपनी दूकानें बन्द न करें।

इसके अतिरिक्त एक सप्ताह के अंदर अंदर कांग्रेस से संबंध रखने वाले हजारों देशभक्त मनुष्य गिरफ्तार कर जेलों में डूँस दिये गये। सरकारी गणना के अनुसार जनवरी में १४८०० और फरवरी में १७८०० कांग्रेस जन और कांग्रेस स्व-सेवक गिरफ्तार किये गये। भारतवर्ष की जेलें ठसाठस भर गईं। अक्षय गिरफ्तारियाँ होती रहीं, सब निष्कार अगम्य एक काल से ऊपर सत्याग्रहियों को कठोर कारावास की सजाएँ हुईं। इससे खीनुनी संख्या अर्थात् चार लाख मनुष्य अमानुषिक

लाठी-प्रहारों के शिकार हुए। कहने का मतलब यह है कि सरकार ने अहिंसात्मक प्रतिकार को पूरी तरह कुचल देने का दृढ़ संकल्प कर लिया। गुजरात के रास ग्राम में और कर्नाटक के श्रीकोला और सिद्धपुर नगरों में लोगों ने करबंदी का आन्दोलन आरम्भ किया और उन्हें घोरतम दमन का सामना करना पड़ा। ईस्वी सन् १९३० और ३१ में जैसा दमन किया गया था उससे दूब साक्ष का दमन अत्यधिक भयकर था।



## अहिंसात्मक युद्ध का जोर



ज्यों ज्यों सरकारी दमन बढ़ता गया त्यों त्यों भद्रभयवशा ( Civil Disobedience ) का जोर भी बढ़ता गया। सरकारों प्रतियध के होते हुए भी सभाएँ और परिषदें होती रहीं। पुलिस के छगये हुए प्रतियधों को छोड़कर हजारों की संख्या में लोग जुलूस निकालने लगे। ब्रिटिश माछ, ब्रिटिश बैंक और ब्रिटिश बीमा कम्पनियों के कार्यालयों पर जोर-शोर के साथ पिकेटिंग किया जाने लगा। आम रास्तों पर राष्ट्रीय झंडे को सधामी दी जाने लगी और भयंकर मार सहकर भी कांग्रेस स्वयं-सेवक सरकारी इमारतों पर राष्ट्रीय झंडा फहराने का धीरतापूर्वक प्रयत्न करने लगे। सरकारी फ़ानून को छोड़कर सारे देश में नमक

पनाया जाने लगा। कांग्रेस के उन भक्तों पर जिन पर लाथाचार्ज कर दिया था, अहिंसात्मक धारा के फिर से अधिकार करने में प्रयत्न किये जाने लगे। जाम्ना चौधरी की १४४ दफ्तरों की गुले धाम धरणा की जाने लगी। चौकीदारी टैक्स देने से लोगों ने ह्दय कर दिया। ताड़ी के पेड़ हजारों की संख्या में काटे जाने लगे। राष्ट्रीय जीवन की ज्वालि को प्रबल और गिर रखने के लिए भयंकर द्रव्य, गांधी दिवस, मोतीबाबा दिवस, शहीद दिवस, शोलापुर दिवस, स्वतंत्रता दिवस, आदि पंच सरकारी छद्माद्या का उद्घाटन कर बड़ी धूमधाम से मनाये जाने लगे। नमक के गोदामों पर जोरशोर से अहिंसात्मक हमले होने लगे। १२ मई को वाडखा के नमक के गोदाम पर बड़े जोरशोर के साथ आक्रमण हुआ। २६ मई को सारे देश में बड़ी धूमधाम के साथ स्पेशल दिन मनाया गया, जिसमें "भारतीय मास शहीदों" के नारे जोरशोर से लगाये गये। ४ जुलाई को अखिल भारतवर्षीय यदो-दिवस मनाया गया और उसमें राजनैतिक केंद्रियों के साथ सहानुभूति प्रकट की गई। ८ अप्रैल को अखाहाबाद में राष्ट्रीय सप्ताह बड़े उत्साह के साथ मनाया गया और पं० मोतीबाबाजी नेहरू की पत्नी और हमारे वर्तमान प्राइम मिनिस्टर पं० जवाहरबाबाजी नेहरू की माता के नेतृत्व में कांग्रेस का एक जुलूस निकाला गया, जिस पर पुखित ने छाठियां बरसाई और उसके फलस्वरूप भीमती नेहरू भी घायल हुईं। जिन डाक्टर ने उस समय भीमती नेहरू की परीक्षा की उसने अपनी रिपोर्ट में लिखा था:—

"Her injuries were caused by something like a lathi. She has received half a dozen injuries, including a bad cut on her head which caused profuse bleeding."

- अर्थात्, "उनके घाव छाठी जैसी किसी चीज से हुए हैं। उन्हें

कोई आघे दर्जन घाव लगे हैं, जिनमें सिर पर का एक बुरा घाव भी है, जिसमें मे बहुत ही ज्यादा खून बहा था।”

श्रीमती नेहरू के घायल होने के समाचार से सारे देश में क्रोध की भारी लहर बह गई। एक सम्माननीय महिला के ऊपर इस प्रकार से होनेवाले अत्याचारों को लोग घृणा के साथ धिक्कारने लगे।

इन्हीं दिनों में सरकारी रोक के होते हुए भी लोगों ने पं० मदन-मोहन मालवीय के सभापतित्व में दिल्ली में कांग्रेस का अधिवेशन करने का निश्चय किया। महामना मालवीयजी तो अलाहाबाद से दिल्ली जाते हुए रास्ते ही में गिरफ्तार कर लिये गये। पुलिस की कड़ी देख-रेख के बावजूद भी विभिन्न प्रान्तों के प्रतिनिधि सैकड़ों की संख्या में दिल्ली पहुँच गये। चांदनी चौक के घंटाघर के पास अहमदाबाद के श्री रणछोड़-दास समृतलाल की अध्यक्षता में अल्प समय के लिये कांग्रेस का अधिवेशन हुआ। अधिवेशन के प्रस्ताव, जो पहले से ही छपा लिये गये थे, जनता में बाँटे गये। कांग्रेस के इस अधिवेशन में फिर से स्वाधीनता का प्रस्ताव पास हुआ और कांग्रेस कार्य-समिति के भद्रश्रयदा ज़ोरशोर से शुरू करने के प्रस्ताव का सर्वानुमति से समर्थन हुआ। इतना हो जाने पर पुलिस मौके पर पहुँची और उसने छाटियां बरसा कर सभा को तितर-बितर का दिया, और बहुत बड़ी संख्या में कांग्रेस जनों को गिरफ्तार कर लिया।

पं० मदनमोहन मालवीयजी ने इस समय, अर्थात् ईस्वी सन् १९३२ की २ मई को, गत चार मास की कांग्रेस प्रवृत्तियों पर प्रकाश डालनेवाला एक वक्तव्य प्रकाशित किया, जिसका सारांश निम्नलिखित है:—

“२० अप्रैल तक गत चार मासों में समाचार-पत्रों की रिपोर्टों के अनुसार ६६६२६ व्यक्ति, जिनमें २८२२२ स्त्रियाँ और बहुत से बच्चे भी थे, गिरफ्तार किये जाकर विविध प्रकार की कारावास की सज़ाओं से दंडित

हुए। इनमें उन लोगों की संख्या सम्मिलित नहीं है जो वृत्त अपने देश के लिये संघर्ष करते हुए गिरफ्तार होकर रहित हुए। के अनुमान के अनुसार घस्ती हज़ार आदिमियों से ऊपर उक्त गिरफ्तार हुए। जेल ठग्राठस भर गये, और कई साधारण कैदी इन्हीं छोड़ दिये गये कि राजनैतिक कैदियों के लिए जगह हो जाय। इनमें लोगों को भी मिला देना चाहिए, जिनकी गत १० दिनों में देहली के अधिवेशन के समय गिरफ्तारियाँ हुईं। समाचार-पत्रों की रिपोर्ट अनुसार उक्त चार मास में पुलिस ने २३ स्थानों में गोळियों चलाई जिसके फलस्वरूप बहुसंख्यक आदमी मारे गये। इसके अतिरिक्त ३२५ स्थानों में निरस्त्र जनता की भीड़ पर लाठीचार्ज हुए। ६३३ घरों की तलाशियाँ हुईं। १०२ मनुष्यों की जायदादें जप्त कर ली गईं। समाचारपत्रों के गले इस प्रकार घोंट दिये गये जैसे पहले कभी नहीं घोंटे गये थे। १६३ ऐसे मामलों के समाचार मिले, जिनमें छापाराने जप्त हुए, अज्ञानियों से जमानतें माँगी गईं, समाचारपत्रों के कार्यालयों की तलाशियाँ हुईं तथा सम्पादकों और समाचारपत्रों के प्रबन्धकों की गिरफ्तारियाँ हुईं। कई समाचारपत्र बन्द कर दिये गये। बहुसंख्यक सार्वजनिक सभाएँ और अहिंसक स्त्री-पुरुषों के जुलूस लाठी-चार्जों के द्वारा, और कहीं-कहीं गोलीबारी के द्वारा बिखरे दिये गये।" (Indian Recorder)।

महामना माजलीमजी द्वारा कथित अत्याचारों के अतिरिक्त और भी कई अत्याचार हुए। कराची, सीमाप्रान्त तथा हरीपुरा के जेलों में राजनैतिक कैदियों को कोदों की सजाएँ दी गईं, जिनमें से कुछ बेहोश तक हो गए। बंगाल के राजशाही जेल में राजनैतिक कैदियों को कई प्रकार की पाशविक खतराएँ दी गईं। राजमंदरी जेल में खाहीर पदार्थ केस के एक कैदी के कोठे खगाए गए, बिलारी जेल में राजनैतिक कैदियों पर आदियों से हमले किये गये। अजमेर जिले के देवली ग्राम के बंदी शिवर

( Detention Camp ) में जेल के गार्डों द्वारा राजनैतिक कैदियों पर हमले हुए, जिनके कारण चहुत से नज़रबंद कैदी घायल हुए । भारत सरकार के तत्कालीन गृह-सचिव एच० जी० हेग ने धारा सभा में एक प्रश्न का उत्तर देते हुए प्रकट किया कि बंगाल में सभाओं या लोक-समूहों को बिखेरने के लिये सत्रह बार, युक्तप्रान्त में सात बार, बिहार में तीन बार, मद्रास प्रान्त में एक बार और सीमा-प्रान्त में एक बार गोळियों खलाई गईं । बम्बई प्रान्त में गोलीबारी से ३४ आदमी मारे गये और ६६ घायल हुए । कहने का भाव यह है कि भारतीय राष्ट्र पूर्ण आत्म-त्याग और कष्ट-सहन के साथ अपनी स्वाधीनता की लड़ाई लड़ रहा था, कि इस बीच में महात्मा गांधी के उपवास के कारण इस लड़ाई में फिर से शिथिलता आ गई, और देश की प्रगति एक दूसरे प्रश्न की ओर झुकी ।



## महात्मा गांधी का अनशन



११ मार्च को गांधीजी ने सर सेमुअलहोर को पत्र लिखकर यह प्रकट किया कि १९३१ के १३ नवम्बर को गोलमेत परिषद् के सामने मैंने यह कहा था कि अगर दलित जातियों को उनके प्रधान अंग हिन्दुओं से पृथक् निर्वाचन का अधिकार देकर उनसे अलग कर दिया गया तो मैं अपने प्रायों की बाजी लगाकर भी इसका विरोध करूँगा । मैं अब भी अपने इस कथन पर दृढ़ हूँ और अगर ऐसा किया गया तो मैं मृत्यु पर्यन्त



उपवास कर अपने प्राण दे दूंगा। इसके जवाब में १३ अप्रैल को मरसेमुञ्जलहोर ने महात्माजी को जवाब देने हुए लिखा कि ब्रिटिश सरकार इस विषय पर अन्तिम निर्णय पर पहुँचने के पहले पूर्ण रूप से विचार करेगी। पर इन सब शर्तवास्तवों के होते हुए भी १७ अगस्त १९३२ को प्रधान मंत्री का साम्प्रदायिक निर्णय प्रकाशित हो गया। इस निर्णय में दलित जातियों के लिए पृथक् निर्वाचन और विशिष्ट सीटों की व्यवस्था थी। यद्यपि यह कहना आवश्यक है कि गांधीजी दलित जातियों के सबसे बड़े मित्र थे। उनके शरीर के अणु अणु में दलित जातियों का हित समाया हुआ था। वे अक्सर भगवान से प्रार्थना करते थे कि मृत्यु के बाद मेरा जन्म दलित कुटुम्ब में हो। उन्होंने ही इनका नाम हरिजन रखा था, जो बड़ा श्रावण सूचक है। वे हिन्दू जाति को बराबर कोसा करते थे और कहा करते थे कि अछूत या दलित जाति हिन्दू समाज के लिए एक फलक को बलु है। पर यहाँ उन्होंने दलितों या हरिजनों के पृथक् निर्वाचन का जो विरोध किया, इसका कारण यह न था कि वे इन्हें मान्योचित अधिकारों से वंचित रखना चाहते थे। उन्होंने इसलिये विरोध किया कि ब्रिटिश राजनीतिज्ञों ने हिन्दू जाति की एकता को नष्ट करने के लिए ऐसा किया था। इसीसे उन्होंने सरवदा जेल में ब्रिटिश सरकार के इस निर्णय के विरुद्ध आन्दोलन अन्तर्गत प्रारम्भ कर दिया। क्या फिर क्या था? गांधीजी के प्राणों को बचाने के लिए हिन्दू जाति के नेता दौड़ पड़े। पं० मदनमोहन मालवीयजी, सर तेजबहादुर सप्रू, सर एल० जी० राभा, ने बड़ी दौड़ भूषण करना शुरू कर दिया। मालवीयजी ने नेताओं की बैठक बुलाई। विधायक में एच० ज्ञान, जैन्सवरी तथा पोलक ने शोर मचाना शुरू किया। सारे देश ने २० सितम्बर को हरिजन-दिवस मनाया। गांधीजी को छोड़ देने की बात हुई, परन्तु गांधीजी ने किसी भी शर्त पर अन्तर्गत छोड़ने से इन्कार कर दिया। पूना में सम्मेलन शुरू हुआ। श्री राजगोपाळाचारी, श्री सुधीन्द्राळ मेडता, पं० मदनमोहन

मालवीय, सरदार वल्लभभाई पटेल, श्री जयकर, श्री अम्बेडकर, श्री राजा, श्री राजेन्द्रप्रसाद, श्री हृदयनाथ कुँजरू आदि नेता इसमें शामिल हुए। उपवास के पाँचवें दिन एक समझौता हुआ। सरकार ने इस समझौते को मान लिया।

उसी दिन कवि-सम्राट् गुरुदेव रवीन्द्रनाथ ठाकुर भी गांधीजी से मिलने के लिए पधारे। गांधीजी ने उन्हें बड़े प्रेम से गले छगाया। इस अवसर का प्रत्यक्षदर्शी की तरह वर्णन करते हुए महात्माजी के अनन्य भक्त श्री ब्रजकृष्ण चांदीवाल्ला अपने “बापू के चरणों में” नामक ग्रन्थ में लिखते हैं—

“उस दिन गुरुदेव रवीन्द्रनाथ ठाकुर और बापू का मिलन देखने योग्य था। गुरुदेव अपना लबा चोगा पहने, झुकी कमर पर पीछे की ओर हाथ रखे बड़े धीमे-धीमे कदम बढ़ाते हुए बापू के पक्षंग के पास पहुँचे। बापू ने थोड़ा-सा उठ कर उन्हें छाती से लगा लिया और उनकी सफेद दाढ़ी पर बासकों की तरह हाथ फेरने लगे। थोड़ी देर बाद थक कर वे सो गए।

आखिर शाम को चार बजे इंसपेक्टर जनरल गवर्नमेंट हाउस से पत्र लेकर आया, जिसमें लिखा था कि अंग्रेजी सरकार ने समझौते की शर्तें मान ली हैं। बापू ने पत्र पढ़कर सरदार पटेल को दे दिया और थोड़ी देर विचार करने के बाद उपवास खोलने का निश्चय किया।

उपवास खुलने की तैयारियाँ शुरू हुईं। कविचर ने सबसे पहले बगाळी में एक भजन गाया। फिर उपनिषदों के मंत्र पढ़े गये, “वैष्णव जन” वाला भजन गाया गया और पूज्य था के हाथ से दिये गए मौसमी के रस से बापू ने उपवास खोला। सबको मिठाई और फल बांटे गये। उस समय वहाँ एक मेला सा लगा हुआ था।

कहने का भाव यह है कि इसी दिन, अर्थात् २१ सितम्बर को, गांधीजी

ने उपचार खोज दिया। इससे भारत राष्ट्र एक महान् चिन्ता से मुक्त हुआ।

इस समझौते से पृथक् निर्वाचन का प्रायः अन्त हो गया। प्रधान मंत्री के निर्यात के अनुसार हरिजनों को जितना प्रतिनिधित्व मिला था उसकी मात्रा में भारी वृद्धि हो गई। महात्माजी के इस उपवास से हिन्दू जाति में अपन एक दलित अंग के प्रति सहानुभूति के भाव उदय होन लगे। हरिजनों में भी धारम-विश्वास का भाव पैदा हुआ और वे यह समझने लगे कि हमें भी अन्य जातियों की तरह मानवाधिकार प्राप्त होने चाहिये।

### एकता सम्मेलन

ईस्वी सन् १९३२ के २६ सितम्बर को महात्माजी ने हिन्दू-मुस्लिम एकता के लिये अपील की। महामना मालवीयजी ने इस अपील को कार्यान्वित करने के लिए एकता-परिषद् का आह्वान किया। तदनुसार उक्त वर्ष की पहली नवम्बर को अलाहाबाद में कांग्रेस के भूतपूर्व अध्यक्ष श्री विजयराघवाचार्य की अध्यक्षता में एकता-परिषद् की बैठक हुई, जिसमें हिन्दू और मुसलमानों के बहुसंख्यक प्रतिनिधि शामिल हुए। यह परिषद् सद्भावनापूर्ण वातावरण में आरम्भ हुई। हिन्दू-मुस्लिम समझौते की बातचीत में सतोपकारक पगति हो रही थी कि उसमें कुछ विषय उपस्थित हुए। एक तो यह कि मुसलमानों को एक दल विशेष ने इस एकता के प्रयत्न का तीव्र विरोध करना शुरू किया और दूसरा यह कि बंगाल का प्रश्न हल नहीं सका, क्योंकि यूरोपियन लोग अपनी किसी सीट को छोड़ने के लिए तैयार न थे। मुसलमान भी ५१ फ्री सीटों के लिए अड़े हुए थे। पूरा तथा स्थायी समझौता हो सकता तो कठिन दिखाने दिया, परन्तु अनेक बातों के संबन्ध में सद्भावनापूर्ण समझौता हो गया और एक कमेटी बंगाल विषयक बातों का निर्यात करने के लिए

कलकत्ता गई। जिन बातों पर समझौता हो गया था उनमें एक बात यह थी कि केन्द्रीय धारा सभा में ब्रिटिश भारत के मुसलमानों को ३२ प्रतिशत प्रतिनिधित्व मिलाना चाहिए। समझौते की एक और बात यह थी कि सिंध को एक पृथक् प्रांत बना दिया जाय, परन्तु उसके स्वर्ण के लिए भारत सरकार की ओर से सहायता न दी जाय और वहाँ के शल्प-सख्यक हिन्दुओं की रक्षा की समुचित व्यवस्था कर दी जाय। दुर्भाग्य से समझौते की यह बात जाहिर हो गई और जब सम्मेलन की कमेटी की कलकत्ता में बैठकें हो रही थीं, तभी सर सैमुअल होर ने खदन में घोषणा कर दी कि ब्रिटिश सरकार ने यह निर्णय कर लिया है कि केन्द्रीय व्यवस्थापिका सभा में मुसलमानों को ३३½ प्रतिशत धानी एक तिहाई प्रतिनिधित्व मिलेगा और सिंध को पृथक् प्रान्त बनाकर उसे भारत सरकार से आर्थिक सहायता भी दी जायगी। हिन्दुओं की रक्षा की व्यवस्था की कोई बात नहीं कही गई। इस घोषणा का जादू सा असर हुआ और जो कमेटी कलकत्ता में समझौता कराने का प्रयत्न कर रही थी, उसका फौरन खातमा हो गया। एक सम्प्रदाय को श्व समझौते की आवश्यकता ही क्या रह गई थी ?

### तीसरी गोलमेज कॉन्फ्रेंस

इसी वर्ष अर्थात् ईस्वी सन् १९३२ में एक और गोलमेज कॉन्फ्रेंस हुई। यह कॉन्फ्रेंस १० नवम्बर को आरम्भ होकर २४ दिसम्बर को समाप्त हो गई। आखिरी दिन का अधिवेशन सर्वसाधारण ये खिये भी खुला था। इस कॉन्फ्रेंस में इंग्लैंड के मजदूर दल ने सहयोग न दिया, क्योंकि यह प्रगतिशील नीति से और भी पीछे हट रही थी। श्व की पार सदस्यों की संख्या बहुत कम कर दी गई थी और उसमें प्रतिक्रियावाद का बोझबान्धा रहा। पिछली दो कॉन्फ्रेंसों के जिन सदस्यों की उपस्थिति अधिकारियों को वांछनीय नहीं प्राप्त हुई, उन्हें श्व की वार निर्ममित्र नहीं किया गया। सर सैमुअल होर को माननीय धीनिवास

शास्त्री जैसे सगुणों को भी निमंत्रित करने की आवश्यकता नहीं महसूस हुई। इस कान्फ्रेंस से जैसे निष्कर्षों की धारा की जा सकती थी, जैसे ही वे थे। इनमें से कुछ निम्नलिखित हैं -

( १ ) जहाँ तक ब्रिटिश भारत का सम्बन्ध है, भारतीय संघ की धारा सभा ( Federal Legislature ) में मुसलमानों का प्रतिनिधित्व ३३ प्रतिशत रहेगा।

( २ ) भारतीय संघ ( Federation ) कब स्थापित होगा, इसकी कोई निश्चित मिति प्रकट करना संभव नहीं है।

( ३ ) सिंध और उबीसा प्रोपक् प्रांत होंगे।

( ४ ) राज बजट को स्वीकृत करने में धारा सभा के मत की अनिवार्य आवश्यकता न होगी।

( ५ ) यदि भारत के बाहर भारतीय हितों के अतिरिक्त भारत की सेनाओं का उपयोग किया जायगा तो उसमें संघ के मंत्रि-मंडल और संघ की धारा सभा का नियंत्रण दिया जायगा, पर सम्राट् को इस बात का पूर्ण अधिकार रहेगा कि वे भारत के बाहर भी भारतीय सेनाओं का उपयोग कर सकेंगे।



# आतंकवादी आन्दोलन का जोर



हमने गत पृष्ठों में १९२६ तक की कुछ प्रमुख क्रान्तिकारी घटनाओं का उल्लेख किया है। ईस्वी सन् १९३० से ३२ तक कई क्रान्तिकारी घटनाएँ हुईं। ८ अगस्त सन् १९३० ई० को कोसी के कमिरनर को धम से उड़ाने का असफल प्रयत्न किया गया, जिसके लिए लक्ष्मीकान्त शुक्ल की गिरफ्तारी हुई। ईस्वी सन् १९३० में लाहौर शहर और लाहौर छावनी के बीच में दो क्रान्तिकारियों और पुलिस के बीच गोळियाँ चलीं, जिसमें विश्वेश्वरनाथ नामका एक युवक मारा गया। २३ दिसम्बर १९३० को लाहौर में एक ऐसी घटना हुई जिसने सरकारी चुंगी में सहूलता मचा दिया। पंजाब के तत्कालीन गवर्नर पंजाब विश्वविद्यालय से दीक्षान्त भाषण देकर लौट रहे थे कि उन पर हरिक्रियान नामक एक युवक ने पिस्तौल चलाकर उन्हें घायल कर दिया। इसी समय पुलिस इन्स्पेक्टर चन्दनसिंह को भी गोली मारी गई, जिससे कुछ समय पश्चात् उसकी मृत्यु हो गई। इस अपराध के लिये ६ जून १९३१ को हरिक्रियान को फाँसी दी गई। ६ अक्टूबर १९३० को बम्बई में क्रान्तिकारियों के एक दल ने सार्जेंट टेलर और उनकी पत्नी पर गोली चलाकर उन्हें घायल कर दिया। ३० अगस्त १९३० को चटगाँव में एक सोलह वर्षीय युवक ने पुलिस इन्स्पेक्टर खानबहादुर असनुवखाह पर गोळियाँ चलाईं, जिससे उनकी मृत्यु हो गई। कहा जाता है कि चटगाँव शस्त्रागार कांड को अधिक बढ़ाने में इस युवक का हाथ था। इस का नाम हरिपद भट्टाचार्य था, जिसे भ्राजन्म काले पानी की सज़ा हुई थी। सन् १९३० की १५ जून को डा० नारायण चैनर्जी आदि पर मधुभा बाजार यम केस चला, जिसमें १० अभियुक्तों को सज़ा हुई।

कलकत्ते के सुफिया विभाग के इन्स्पेक्टर जनरल पर गोपीमोहन शाह नामक एक क्रान्तिकारी के आक्रमण का उल्लेख पीछे किया जा चुका है। इसके बाद १५ अगस्त १९३० को अनुजसिंह गुप्ता और दिनेश मंजुदा नामक दो क्रान्तिकारी युवकों ने मि० टेगर्ट की गाड़ी पर दो बम फेंके। मि० टेगर्ट घाघ-घाघ बच गये, अनुज वहीं गोलो से मार दिया गया और दिनेश को आक्रमण काले पानी की सजा हुई। सा० २६ अगस्त सन् १९३० को ढाका में बगाळ के पुलिस जनरल इन्स्पेक्टर मि० छौमिन पर विनयकृष्ण बोस नामक एक बगाळी युवक ने गोळियाँ चलाईं जिनसे उनका काम तमाम हो गया। ८ दिसम्बर १९३० को कलकत्ते की राइटर्स बिल्डिंग में (जहा सरकारी दफतर है) जेज के इन्स्पेक्टर जनरल मि० सिम्पसन पर कुछ क्रान्तिकारी युवकों ने ६ गोळियाँ दाग कर उन्हें मार डाला।

यहाँ यह बात स्मरण रखने योग्य है कि इस बिल्डिंग में कदा प्रबंध होते हुए भी ये युवक एक बड़े पुलिस अफसर को हत्या करने में सफल हुए। इन्हीं युवकों ने जुडीशियल सेक्रेटरी मि० नेबसन पर भी गोळियाँ चलाईं, पर वे बच गये। इनमें से दो युवकों ने आत्महत्या करली और शेष को सजाएँ हुईं। बगाळ सरकार की रिपोर्ट के अनुसार ईस्वी सन् १९३० में १० राजनैतिक हत्याएँ हुईं और उनके कारण २१ क्रान्तिकारी फाँसी पर छटकाये गए। २ जनवरी सन् १९३१ को कानपुर में अशोककुमार नामक एक क्रान्तिकारी ने टीकाराम नामक पुलिस इन्स्पेक्टर पर गोळी से वार किया पर वे बच गए। ईस्वी सन् १९३१ में बिहार के पटना नगर में पुलिस ने बम का एक कारखाना पकड़ा। इस समय पुलिस पर बम फेंका गया, जिसके कारण एक सब इन्स्पेक्टर मारा गया। इसमें ११ व्यक्तियों पर मुकद्दमा चला जिन्हें विभिन्न प्रकार की सजाएँ हुईं। इसी साल अर्थात् ईस्वी सन् १९३१ में बिहार में मोठीदारी बंदूक चला जिसमें कुछ युवकों पर क्रान्तिकारी प्रयुक्तियों के आरोप

लगाये गये थे। बिहार के हाजीपुर गाँव में एक ट्रेन-डकैती भी हुई, जिसका सबंध क्रान्तिकारियों से था। १ अगस्त १९३१ को बिहार के पटना नगर में एक बम फटा, जिससे रामबाबू नामक एक व्यक्ति सख्त घायल हुआ। इसी साल २२ जुलाई को पूना में बम्बई के स्थानापन्न गवर्नर सर आर्नेस्ट हार्सन पर वासुदेव बलवन्त नामक एक महंगाष्ट्र युवक ने दो गोलियाँ चलाईं, पर गवर्नर महोदय ईश्वर को कृपा से बाल-बाध बच गये। इस युवक को ८ वर्ष की सजा हुई। ७ अप्रैल सन् १९३१ को मिदनापुर के जिला मजिस्ट्रेट जेम्स पैडी पर प्रदर्शनी में किसी ने गोलियाँ दागी। इससे कुछ दिनों बाद उनकी मृत्यु हो गई। २७ जुलाई को बंगाल के चौबीस परगनों के डिस्ट्रिक्ट और सेशन जज मि० गार्लिक को उन्हीं की अदालत में विमलदास नामक एक क्रान्तिकारी ने गोली से मार दिया। विमल भी वहीं गोली से मार दिया गया! कहा जाता है कि इसी ने मिदनापुर के मजिस्ट्रेट मि० जेम्स पैडी की हत्या की थी। अगस्त १९३१ में ढाका के कमिश्नर मि० एलेकजेंडर कैसल पर एक युवक ने गोली से वार किया। २८ अक्टूबर १९३१ को ढाका के मजिस्ट्रेट मि० एल० जी० डूर्ने पर दो युवकों ने गोली चलाई। २६ अक्टूबर को बंगाल यूरोपियन एसोसिएशन के मि० विलियम्स पर विमलदास नामक एक क्रान्तिकारी युवक ने दो गोलियाँ चलाईं जिनसे उनको साधारण घोट आई। इस अभियोग में विमलदास को १० साल की सजा हुई। २४ दिसम्बर १९३१ को कुमारी शान्ति घोष और कुमारी सुनीति चौधरी नामक दो क्रान्तिकारी युवतियों ने मि० सी० जी० स्टीवेन्स नामक मजिस्ट्रेट पर उनके कमरे में गोलियाँ चलाईं जिनसे मि० स्टीवेन्स की वहीं मृत्यु हो गई। यह पहला अवसर था कि युवतियों ने इस प्रकार की आतंकवादी प्रवृत्ति में भाग लिया। ६ फरवरी सन् १९३२ को पीयादास नामक एक छात्रा ने बंगाल के गवर्नर पर कलकत्ता विश्व-विद्यालय के भवन में ५ गोलियाँ चलाईं। गवर्नर महोदय विश्वविद्यालय



में दीवान्त्र भाषणादे रहे थे और उक्त वीणादास उपाधि-पत्र देने आई हुई थीं। गवर्नर महोदय तो बाह-बाह बच गये पर मुमसिब इतिहास खेजक हा० दिनेशचन्द्र सेन को साधारण चोट आई। वीणादास गिरफ्तार कर ली गई और उसे भारी सजा दी गई। ३० अप्रैल सन १९३२ को बंगाल के मिदनापुर के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट मि० इगनस को दो नवयुवकों ने उन्हीं के दरवार में गोखिलों चलाकर मार डाला। इनमें से एक घातक पकड़ा गया। इसी समय के खगमग कोमिशा के प्रतिरिक्त पुखित सुपरिंटेंडेंट मि० प्लिसा की भी हत्या की गई।

घातकवादियों की इन कार्रवाइयों को रोकने के लिए सरकार ने बड़े बड़े कदम उठाये। बंगाल के कई जिलों में, जहाँ घातकवाद का दौर-दौरा था, सरकार ने फीजें तैनात कीं। नागरिकों पर कठोर नियंत्रण लगाए गये। अटर्नाय, मिदनापुर और चीबीस परगना के जिलों पर सामूहिक जुमाने किये गए। अंशमान टापू, जहाँ पहले काले पानी की सजा पाये हुए कैदी रहने जाते थे, फिर से खोज दिया गया। इसका जनता ने घोर विरोध किया पर सरकार ने एक न सुनी।

### मजदूर कॉन्फ्रेंस

इसी वर्ष अर्थात् ईस्वी सन् १९३२ में दो महत्वपूर्ण मजदूर कॉन्फ्रेंसों के अधिवेशन हुए। १२ जुलाई को पहला अधिवेशन इण्डियन ट्रेड यूनियन फेडरेशन का हुआ, जिसकी अध्यक्षता मि० वी० वी० गिरी ने की। इसमें जो प्रस्ताव पास हुए उनमें से एक भारत के भावी शासन विधान में मजदूरों की स्थिति के संबंध में था। दूसरा अधिवेशन ऑल इण्डिया ट्रेड यूनियन कॉमिस का १२ सितम्बर को भी जे० पून० मित्र के सभापतित्व में हुआ। इस अधिवेशन में साम्प्रदायिक निर्णय और भीयरा पैक्ट का घोर विरोध किया गया, और कहा गया कि ये देशहित के लिए बड़े घातक हैं।

# ईस्वी सन् १९३३ का राजनैतिक आन्दोलन



ईस्वी सन् १९३३ के आरम्भ में राजनैतिक आन्दोलन की गति-विधि पूर्व वर्ष की तरह जोर-शोर के साथ चलती रही। २६ जनवरी को स्वतंत्रता दिवस बहुत धूमधाम और उत्साह के साथ मनाया गया। स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में सिक्रै एक बलकत्ता नगर में ३७० गिरफ्तारियाँ हुईं। पुलिस को सभाओं और प्रदर्शनों को भंग करने के लिए कई बार लाठीचार्ज करना पड़ा। हुगली जिले के बदनाम नामक ग्राम में कांग्रेस जुलूस को भंग करने के लिए पुलिस ने गोळियों से आग लगाई। गुजरात के बोरसद नामक नगर में स्वतंत्रता दिवस प्रदर्शन के उपलक्ष्य में महात्मा गांधी की धर्मपत्नी श्रीमती कस्तूरबा गांधी महिलाओं के एक जुलूस का नेतृत्व करती हुईं गिरफ्तार की गईं। उन पर मुकदमा चलाया गया और उन्हें ६ मास की सजा हुई।

## खेतपत्र

१७ मार्च ईस्वी सन् १९३३ को ब्रिटिश सरकार की ओर से भारत के वैधानिक सुधारों के संबंध में एक खेतपत्र प्रकाशित हुआ। इस खेतपत्र की आयोजना इतनी प्रतिक्रियापूर्ण तथा असंतोषजनक थी कि भारत के प्रत्येक उद्योगीजन ने उसे स्वीकृति के लिए पूर्णतः अयोग्य समझा। प्रायः सभी भारतीय नेताओं ने उसकी कठोर भाषा में निंदा की। उसमें और गोकर्णेश कांफ्रेंस की कमेटियों की अनेक

प्रकारियों में कोई साक्ष्य ही नहीं दिखाई पड़ता था। जुलाई १९१० में केन्द्रीय स्वरस्थापिका सभा में भाषण देते हुए लॉर्ड इर्विन ने जो कुछ कहा था, उमका एक ग्रंथ निम्नलिखित आशयका था:—

“ब्रिटिश सरकार का यह विश्वास है कि कान्फ्रेंस के मार्ग से ऐसे निष्कर्षों पर पहुँच सकना संभव है जो दोनों देशों और सभी राजनैतिक दलों तथा हितों को सम्मानपूर्वक मान्य हो सकें ..... इस प्रकार के जिस किसी भी समझौते पर कान्फ्रेंस पहुँच सकेगी, उसी के आधार पर ब्रिटिश सरकार प्रस्ताव तैयार करके उन्हें पार्लियामेंट के सम्मुख उपस्थित करेगी। ब्रिटिश सरकार का उद्देश्य यह नहीं है कि कान्फ्रेंस में कोरा वाद-विवाद ही हो कर रह जाय, बल्कि यह है कि दोनों देशों के प्रतिनिधि मिल कर ऐसा समझौता कर सकें जिसके आधार पर पार्लियामेंट के सम्मुख उपस्थित करने के लिए निश्चित प्रस्ताव तैयार किये जा सकें।”

दुःख की बात है कि ब्रिटिश सरकारने उक्त आश्वासन की ओर कुछ भी ध्यान न दिया। गोलमेज़ कान्फ्रेंस में भारतीय सदस्यों द्वारा प्रकट किये गए विचारों की अवहेलना की गई। इस पत्र की आयोजना में भारतवासियों की हार्दिक आकांक्षाओं को निर्दयतापूर्वक कुचला गया। आयोजना पर विचार करने के लिए पार्लियामेंट की एक सिब्लेक्ट कमेटी नियुक्त की गई और उसके साथ कुछ भारतीयों को भी नामज़द कर दिया गया, जो गवाहों से ज़िरह करने में तो भाग ले सकते थे, परन्तु कमेटी के वाद-विवाद तथा विचार-विनिमय में नहीं। ब्रिटिश भारत के सब भारतीय प्रतिनिधियों ने मिलकर हिज़ हाइनेस आग्लैंड के नेतृत्व में एक संयुक्त वक्तव्य कमेटी के विचारार्थ पेश किया और सर वेजवहादुर सपू ने अलग से एक दूसरा वक्तव्य। इन सज़नों के वक्तव्यों में कोई गैर-वाजिबी मॉर्गे नहीं पेश की गई थीं। परन्तु कमेटी ने उन्हें ऐसी बेपरवाही से उड़ा दिया जैसे वह कोई पागलों का प्रह्लाप हो। कमेटी ने बहुमत

से जो प्रस्ताव पास किये वे प्रायः वही थे जो श्वेतपत्र में किये गए थे । जहाँ कहीं उसने उससे भिन्न मत प्रकट किया, यह भारत के अनुकूल न होकर घोर भी प्रतिकूल था । कांग्रेस के नये प्रस्तावों में सबसे अधिक आपत्तिजनक बात यह थी कि केन्द्रीय धारा सभा के सदस्यों का निर्वाचन सीधा वोटों द्वारा न होगा । घोर सम्प्रदायवादियों तथा प्रतिक्रियावादियों के अतिरिक्त सभी सार्वजनिक संस्थाओं तथा सभी व्यक्तियों ने कांग्रेस की रिपोर्ट की कड़ी से कड़ी निन्दा की ।

### कलकत्ते में कांग्रेस का विशेषाधिवेशन

देश की राष्ट्रीय प्रवृत्तियों पर विचार करने के लिए ईस्वी सन् १९३३ की ११ अप्रैल को ए० मदनमोहन मालवीय के सभापतित्व में कलकत्ते में कांग्रेस का विशेषाधिवेशन करने का आयोजन किया गया । ईस्वी सन् १९३३ के कांग्रेस अधिवेशन की तरह सरकार ने इस अधिवेशन पर भी प्रतिबंध लगा दिया । कांग्रेस के मनोनीत अध्यक्ष ए० मालवीयजी तथा उसके अन्य मुख्य संचालक श्री एम० एस० अयो, डा० घालम, डा० सैयद मुहम्मद आदि गिरफ्तार कर लिये गये । इनकी गिरफ्तारी के बाद श्रीमती जे० एम० सेनगुप्ता ने २५०० कांग्रेसजनों के साथ निर्दिष्ट स्थान में पहुँच कर कांग्रेस के अधिवेशन की रस्म पूरी की और उनके सभापतित्व में सभा की गई । इस अधिवेशन में जो प्रस्ताव पास हुए उनमें मुख्य मुख्य ये थे—

१. कांग्रेस का ध्येय पूर्ण स्वाधीनता है ।
२. इस ध्येय को प्राप्त करने के लिए भद्रमवस्था आन्दोलन करना ।
३. विदेशी वस्त्र और सब प्रकार के ब्रिटिश माल का बहिष्कार करना । इसके अतिरिक्त इसमें श्वेतपत्र के प्रति घोर विरोध का प्रस्ताव पास हुआ ।

यह सभा समाप्त भी न होने पाई थी कि पुलिस का एक बड़ा दल

मीके पर भा पहुँचा और उसने धीमती से नगुसा और अन्य २५० कांग्रेसजनों को गिरफ्तार कर लिया। इनमें ४० महिलाएँ थीं। पुलिस को इन गिरफ्तारियों से ही सन्तोष न हुआ, उसने सभा को भी तार्की द्वारा भंग कर दिया। १० मार्च की रात को इस समय की देश की उठती हुई भावनाओं पर प्रकाश डालते हुए जो वक्तव्य प्रकाशित किया था, उसका सारांश निम्नलिखित है:—

“गत पन्द्रह मास में लगभग १०००२० व्यक्ति गिरफ्तार किये गये, जिनमें कई हजार स्त्रियों और बच्चे भी थे। यह एक मुर्दा रहस्य है कि जब सरकार ने दमन का प्रारम्भ किया था तब उसने यह सोचा था कि यह छः सप्ताह के अन्दर कांग्रेस को कुचल देगी। १२ मास बीत गये हैं, पर वह अपने उद्देश्य में सफल नहीं हुई है। और १५ मास निकल जाने पर भी, मुझे आशा है, वह सफल न होगी।” कहने का भाव यह है कि मार्च की रात को सरोजिणी काँग्रेस के सबसे पुराने और गभीर नेता के उक्त वक्तव्य से यह स्पष्टतया मालूम होता है कि राष्ट्र उस समय अपने देश की स्वाधीनता के लिए हर प्रकार का आत्म-त्याग और कष्ट-सहन करने के लिए तैयार था। देश में उत्साह की आंधी आ रही थी, इतने ही में कुछ घटनाएँ ऐसी हुईं जिनके कारण इन प्रयत्नों का कुछ समय के लिए दिशापरिवर्तन हो गया।



# महात्मा गांधी का २१ दिन का उपवास



राष्ट्र की इन्हीं प्रवृत्तियों के बीच एकाएक यह समाचार मिला कि महात्मा गांधी ने ८ मई १९३३ को अपनी आत्म-शुद्धि के लिए २१ दिन का उपवास आरम्भ कर दिया है। इस उपवास को आरम्भ करने के पहले महात्माजी ने जो वक्तव्य दिया वह निम्नलिखित है:—“यह अपनी और अपने माथियों की शुद्धि के लिए, जिससे वे हरिजन-कार्य में अधिक सतर्कता और सावधानता के साथ काम कर सकें, हृदय से की गई प्रार्थना है। इस लिए मैं अपने भारतीय तथा ससार भर के मित्रों से अनुरोध करता हूँ कि वे मेरे लिए मेरे साथ प्रार्थना करें कि मैं इस अभिपरीक्षा को मकुशल पार करूँ, और चाहे मैं मरूँ या जिऊँ, मैंने जिस उद्देश्य से उपवास किया है वह पूरा हो। मैं अपने सनातनी भाइयों से अनुरोध करता हूँ कि वे प्रार्थना करें कि इस उपवास का परिणाम मेरे लिए चाहे जो कुछ हो, कम से कम वह सुनहरी ढकना जिसने सत्य को उज रखा है, हट जाय।” उन्होंने एक पत्र प्रतिनिधि से कहा “किसी धार्मिक आन्दोलन की सफलता उसके आयोजकों की शैक्षिक या भौतिक शक्तियों पर निर्भर नहीं करती, यदि धार्मिक शक्ति पर निर्भर करती है, और उपवास इस शक्ति की वृद्धि करने का सबसे अधिक सुनिश्चित उपाय है।

जैसा कि हम पहले कह चुके हैं महात्माजी के जीवन का आधार भारत की आध्यात्मिक वृत्ति थी, जिसे भावकण्ड के भौतिकवाद के ज़माने में समझना बहुत ही मुश्किल है। वे धरारासा की आवाज़ को सबसे

अधिक महत्व देते थे और उसी के अनुसार कार्य करते थे। भारत के प्राचीन ऋषि मुनियों में भी इय प्रकार की बातें पाई जाती थीं। पर साधारणतया उस समय महात्माजी की यह कार्रवाई परमन्द नहीं की गई। गांधीजी ने उपवास आरम्भ करने के पदले पं० जवाहरलाल नेहरू का एक तार भेजा था जिसे पढ़कर पण्डितजी का हृदय द्रवीभूत हो गया, और उन्होंने गांधीजी को निम्नलिखित तार भेजा —

"Your letter What can I say about matters, I do not understand? I feel lost in strange country where you are the only familiar landmark and I try to grope my way in the dark, but I stumble. Whatever happens, my love and thoughts will be with you."

आपका पत्र मिला। उन मामलों के सयध में मैं क्या कह सकता हूँ, जिनमें मैं सुद नहीं समझता? इस अज्ञात देश में, जहाँ आप ही एक मात्र परिचित मार्ग दर्शाक हैं, मैं अपने को खोया हुआ सा पाता हूँ। मैं भ्रमकार में अपने मार्ग को ढूँढने का प्रयत्न करता हूँ किन्तु ठोकर खाकर गिर पड़ता हूँ। जो हो, मेरा प्रेम और मेरे विचार आपके साथ होंगे।" इसके बाद पं० जवाहरलाल नेहरू ने गांधीजी को एक दूसरा तार भेजा—

"Now that you are launched on your great enterprise, may I send you again love and greetings, and assure you that I feel more clearly now that whatever happens, it is well, and whatever happens, you win."

अर्थात्, "अब जब कि आपने अपना महान् उपवास आरम्भ कर दिया

है, मैं आपको अपना प्रेम और बधाइयाँ भेजता हूँ, और मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि अब मैं और भी अधिक स्पष्ट रूप से अनुभव करता हूँ कि जो कुछ होगा अच्छे के लिए ही होगा, और जो कुछ होगा उसमें आपकी विजय होगी। ”

महात्माजी ने इस उपवास को सफलता के साथ पूरा किया। उपवास करने के पहले ही दिन वे जेल से छोड़ दिये गए, और उनके आदेशानुसार छः सप्ताह के लिए सविनय अवज्ञा का आन्दोलन स्थगित कर दिया गया। (Autobiography of Pundit Jawaharlal Nehru)

बाबू सुभाषचन्द्र बोस ने अपने “The Indian Struggle” नामक ग्रंथ में लिखा है कि महात्माजी के इन उपवासों को लेकर विदेशों में भारत के खिलाफ कार्रवाई प्रचार किया गया। इस समय श्री सुभाषचन्द्र बोस १४ मास की कठोर सजा पूरी कर स्वास्थ्य-लाभ के लिए आस्ट्रिया की राजधानी विन्ना (Vienna) में पहुँचे थे। वहाँ उन्होंने इन आलोचनाओं को सुना था, जिनमें यह दिसलाया गया था कि भारतवर्ष में अल्पसंख्यकों के प्रति कितना निर्मम और निर्दय व्यवहार किया जाता है, और उनके मानवोचित अधिकारों पर कितना कुठाराघात किया जाता है। इसके लिये महात्माजी के उपवास का उदाहरण दिया जाता था।

जैसा कि हम ऊपर कह चुके हैं, महात्माजी ने पहले पहल छः सप्ताह के लिए सविनय अवज्ञा आन्दोलन स्थगित कर दिया था, पर आगे चल कर उन्होंने यह अवधि छः सप्ताह के लिए अर्थात् जुलाई के अखिर तक और बढ़ा दी। यह आन्दोलन स्थगित करने के समय उन्होंने भारत सरकार से यह अनुरोध किया कि वह अपने द्वारा जारी किये गए दमनकारी ऑर्डिनेन्सों को वापस ले ले, और सविनय अवज्ञा वाले कैदियों को मुक्त कर दे। पर सरकार ने उनकी एक न मुनी और वह अपनी हठ पर टट रही।



## श्री सुभाषचन्द्र और श्री विठ्ठलभाई का वक्तव्य

जब भारतवर्ष में ये घटनाएँ घट रही थीं तब श्री सुभाषचन्द्र बोस, जैसा कि ऊपर कहा गया है, यूरोप के विपना नगर में स्वास्थ्य लाभ कर रहे थे। इसी समय भारतीय धारा सभा के अध्यक्ष स्वर्गीय श्री विठ्ठलभाई पटेल अमेरिका में भारत के पक्ष में प्रबल प्रचार करते हुए स्वास्थ्य लाभ करने के लिए विपना पहुँचे। इन दोनों देशभक्तों को महात्माजी का सविनय अवज्ञा आन्दोलन चंद करने का कार्य पसंद न आया। उन्होंने निम्नलिखित संयुक्त वक्तव्य निकाला—

“The latest action of Mr. Gandhi in suspending Civil Disobedience is a confession of failure. We are clearly of the opinion that Mr. Gandhi as a political leader has failed. The time has come for a radical reorganisation of the Congress on a new principle, with a new method for which a new leader is essential.”

अर्थात्, “भद्र अवज्ञा आन्दोलन को चंद करने का गांधीजी का सब से विफल काय असफलता की स्वीकृति है। . . . हमारा निश्चित मत है कि राजनैतिक नेता के रूप में गांधीजी असफल हो चुके हैं। वह समय था गया है जब कि नवीन सिद्धान्त के आभास पर नवीन पद्धति को प्रद्व्य कर, कांग्रेस का सर्वथा मौलिक प्रकार का पुनर्गठन किया जाना चाहिए, जिसके लिए एक नये नेता की आवश्यकता है।”

कहने का मतलब यह है कि महात्माजी के कुछ अनन्य भक्तों ने भी सविनय अवज्ञा आन्दोलन के स्थगित करने को पसंद नहीं किया। पहले पहले पं० जवाहरलाल नेहरू को भी उनका यह कार्य नहीं उचा, पर ये महात्माजी के अनेक समाकारण्य कार्यों से प्रभावित हो चुके थे,

हमलिखें यद्यपि उनकी बुद्धि महात्माजी के इस प्रकार के पुराने ढंग के कार्यों का साथ नहीं देती थी पर उनका हृदय उनका साथ देना था । वे अपने "Mahatma Gandhi" नामक अंग्रेजी ग्रन्थ में लिखते हैं:-

"But Congress at present meant Gandhiji, What would he do? Ideologically he was sometimes amazingly backward, and yet in action he had been the greatest revolutionary of recent times in India. He was a unique personality, and it was impossible to judge him by the usual standards, even to apply ordinary canons of logic to him. But, because he was a revolutionary at bottom and was pledged to political independence for India, he was bound to play an uncompromising role till that independence was achieved. And in this very process he would release tremendous mass energies and would himself, I half hoped, advance step by step toward the social goal."

अर्थात्, "वर्तमान समय में कांग्रेस का अर्थ ही गांधीजी है। वे क्या करेंगे ? विचार-धारा की दृष्टि से कभी कभी वे आश्चर्यजनक रूप से विचलित हुए मालूम होते थे । पर किपारमक रूप में भारतवर्ष में वे प्राधुनिक समय के सबसे बड़े क्रान्तिकारी थे । उनका अस्तिव अपूरं या और उन्हें साधारण मापदंडों से जायना असम्भव था, यही तक कि उन पर तर्कशास्त्र के साधारण नियम भी लागू नहीं किये जा सकते थे । पर चूंकि वे मूल में क्रान्तिकारी थे और भारतीय स्वतंत्रता के लिए प्रतिबद्ध थे, अतएव जब तक स्वाधीनता की प्राप्ति न हो, तब तक वे अपने पथ पर अटल रहने के लिए बाध्य थे । मुझे आशा थी

कि वे इसी प्रक्रिया में जनता की महान् शक्ति को प्रस्तुत कर देंगे और धीरे-धीरे सामाजिक लक्ष्य की ओर सुदृभी आगे बढ़ेंगे।

### पूना काङ्ग्रेस

इसी वर्ष अर्थात् इस्वी सन् १९३३ के जुलाई मास में पूना में उन प्रमुख कांग्रेसजनों का एक सम्मेलन हुआ जो जेल से बाहर थे। इसमें अखिल भारतवर्षीय कांग्रेस समिति के बहुत से सदस्यों ने भाग लिया। इसमें एक दल तो भद्र अवस्था का आन्दोलन स्थगित करने के पक्ष में था और दूसरा दल उक्त आन्दोलन को और भी अधिक जोर-शोर और तेजी से चलाने के लिए आग्रह कर रहा था। पहले दल का इसमें बहुमत था और वह स्वराज्यवादियों की नीति को पुनर्जीवित करके घातक भावों के अंदर सरकार से टकर खेने की योजना का पक्ष समर्थन कर रहा था। बहुत घाद-विवाद के बाद सारा मामला गांधीजी के विर्याय के ऊपर छोड़ दिया गया। गांधीजी ने एक वक्त और वाइसराय से मिल कर समझौता करने का निश्चय किया। उन्होंने यह भी प्रकट किया कि अगर इस समझौते में असफलता हुई तो वे अपने विश्वसनीय साथियों के साथ व्यक्तिगत सत्याग्रह करने की आयोजना करेंगे। गांधीजी ने यह भी प्रकट किया कि घातावरण अनुकूल न होने के कारण इस वक्त हमें सामूहिक सत्याग्रह छोड़ देना पड़ेगा। पूना काङ्ग्रेस के बाद गांधीजी ने वाइसराय से मुलाकात के लिए अनुरोध किया, पर इसमें उन्हें सफलता न मिली। वाइसराय ने वषा रूखा सा जवाब दिया।



# व्यक्तिगत सत्याग्रह



व्यक्तिगत सत्याग्रह का दूसरा नाम योग्य व्यक्तियों का सत्याग्रह (Quality Satyagraha) है। महात्मा गांधी के अनुसार इस सत्याग्रह में वे ही लोग सम्मिलित हो सकते थे जिन्होंने सत्याग्रह के महान् तत्त्व को आत्मसात् कर लिया था और जिन्होंने इसकी शिक्षा पाई थी। इसी सिद्धान्त के आधार पर महात्माजी ने व्यक्तिगत सत्याग्रह की आयोजना की। कार्यवाहक सभापति की आज्ञानुसार सारी कांग्रेस संस्थाएँ और युद्ध समितियाँ उठा दी गईं। इस सत्याग्रह के संबंध में डा० बी० पट्टाभि सौतारामय्या द्वारा लिखित और श्री हरिभऊ इपाध्याय द्वारा अनुवादित “ कांग्रेस का इतिहास ” नामक ग्रन्थ में जो कुछ वर्णन दिया गया है उसका कुछ अंश नीचे उद्धृत किया जाता है—

“ गांधीजी ने व्यक्तिगत सत्याग्रह का आरम्भ इस प्रकार किया कि उनके पास जो वस्तु सबसे अधिक मूल्यवान् थी उसका परित्याग कर दिया। इस प्रकार उन्होंने उस कष्ट में भाग लेने की चेष्टा की जिसे आन्दोलन के दौरान में हजारों प्राणियों ने सहना था। उन्होंने साबरमती आश्रम छोड़ दिया और आश्रम के निवासियों को और सारे काम छोड़ कर युद्ध में भाग लेने के लिए आमंत्रित किया। उन्होंने सारा आश्रम हटाकर दिया और उसकी जगह सन्वत्ति कुछ संस्थाओं को सार्वजनिक उपयोग के लिए दे दी। यह किसी दूसरे से खगान आदि न दिखाना चाहते थे; इसलिये यह जमीन, इमारत और खेती सरकार को देने की तैयारी हो गयी। सरकार की ओर से केवल उस पत्र को पहुँच में एक पक्षि भेज दी गई। ”

## सावरमती आश्रम का दान

जब सरकार ने गांधीजी का दान स्वीकार नहीं किया तो उन्होंने आश्रम को हरिजन आन्दोलन के निमित्त अर्पण कर दिया। इस सब में गांधीजी का वह वक्तव्य याद आता है जो उन्होंने १९३० में दांडी यात्रा के अवसर पर दिया था। उन्होंने प्रतिज्ञा की थी कि जब तक स्वातंत्र्य न मिल जायगा, तब तक वह आश्रम का वापस न जायेंगे। उन्होंने अपनी प्रतिज्ञा का पालन किया और एक बार को छोड़कर, जब वह अपने एक बीमार मित्र को देखने गए थे, १२ मार्च १९३० के बाद आश्रम में फिर रुकना न रक्खा। इस प्रकार आश्रम को हरिजन संघ के अर्पण कर उन्होंने पार्थिव जगत से बांध रखने वाली इस अतिम वस्तु को, जिसके प्रति सम्भव था उनके हृदय में मोह बना रहता, स्वाम कर दिया।



१ अगस्त १९३३ को गांधीजी रास नामक गांव की, जो १९३० की परवरी में श्री बल्लभभाई की गिरफ्तारी के बाद से प्रसिद्ध हुआ था, यात्रा करने वाले थे। पर एक दिन पहले ही राधा राठ के समय गांधीजी को उनके ३४ आश्रम-वासियों के साथ गिरफ्तार कर लिया गया। गांधीजी और अगस्त की सुगह को छोड़ दिये गये और उन्हें परवदा गांव की सीमा छोड़कर पूना जाकर रहने का नोटिस दिया गया। इस आज्ञा की निरुपय ही अवहेलना की गई और रिहाई के आधे घंटे के भीतर गांधीजी फिर गिरफ्तार कर लिये गये और उन्हें साज भर की सजा दी गई। “उनकी गिरफ्तारी और सजा के बाद ही व्यक्तिगत सत्याग्रह सारे प्रांतों में आरम्भ हो गया और पहले ही इन्ते में सैकड़ों कार्यकर्ता गिरफ्तार हो गये। कांग्रेस के कार्यवाहक अध्यक्ष भी अयोध्या से यात्रा करते समय अपने १३ साथियों के साथ १४ अगस्त को गिरफ्तार कर लिये गये, और उनके बाद उनके उत्तराधिकारी सरदार यादुसिंह कधीश्वर की बारी आई। परन्तु उन्होंने गिरफ्तारी से पहले

'घाघ्रा जारी की कि कार्यवाहक अध्यक्ष का पद और डिस्ट्रेटों की नियुक्ति का सिद्धसिद्धा होद दिया जाय, जिससे युद्ध सचमुच व्यक्तिगत सत्याग्रह का रूप धारण करले । गांधीजी ने जो मार्ग दिखाया था, उस पर १९३३ के अगस्त से १९३४ के मार्च तक देश भर में कांग्रेस कार्यकर्ता लगातार चलते रहे और सत्याग्रहियों के घट्ट टांते ने युद्ध को जारी रखा । ”

## गांधीजी का फिर से अनशन



जैसा कि पहले कहा गया है गांधीजी को व्यक्तिगत सत्याग्रह करने के उपलक्ष्य में एक वर्ष की सजा हुई और वे परबटा की जेल में भेज दिये गये । पहले की तरह उन्हें इस बार जेल में हरिजन कार्य करने की सुविधाएँ न दी गईं । गांधीजी इस बात पर अक्षय गये और वे पहले की तरह हरिजन कार्य की सुविधाओं के लिये जोर देने लगे । सरकार भी अपनी जिद पर अक्षय गई । इस पर गांधीजी ने फिर से उपवास करना शुरू कर दिया । एक सप्ताह के उपवास के बाद उनकी हालत बहुत खराब हो गई और ऐसा 'मालूम होने लगा मानो इस उपवास में उनके शरीर का अन्त हो जायगा । उन्हें स्वयं मृत्यु के दर्शन होने लगे । उन्होंने अपने पास का कुछ सामान चस्पताख की दाहियों को दे दिया । इधर सरकार भी चिन्तित हुई । वह यह सोचने लगी कि अगर चंदी अवस्था में गांधीजी का देहान्त हो गया तो सारी दुनिया में उसकी बदनामी होगी । इसलिए उसने उन्हें छोड़ने का निश्चय किया । कहा जाता है कि दीनदथु सी० एफ० एफ० गांधीजी

के उपवास का हाथ मुनदर विधायक से भारत अवे और उन्होंने गांधीजी को सुझाने का तफ़्फ़ल प्रयत्न किया। पं० जवाहरलालजी ने भी इस वक़्त गांधीजी की जान बचाने का बहुत कुछ धैर्य पण्डित महोदय को दिया।

इसी समय अलाहाबाद में पं० जवाहरलालजी की माता सख्त बीमार हो गईं। उनकी अवस्था धिन्ताजनक होने से पंडितजी को सरकार न जेल से छोड़ दिया। वे अपनी माता के पास कुछ दिन ठहर कर सीधे गांधीजी के पास पूना पहुँचे। उस समय गांधीजी बहुत कमज़ोर दिखलाई दिये, यद्यपि उनका स्वास्थ्य धीरे-२ सुधर रहा था।

जेल से बाहर आकर गांधीजी ने यह घोषित किया, “चूँकि अगस्त १९३३ में मुझे एक साल की सज़ा हुई थी, और मैं उस अवधि के पहले ही जेल से छोड़ दिया गया हूँ, अतः अब मैं एक वर्ष पूरा होने तक, अर्थात् ईस्वी सन् १९३४ के अगस्त मास तक, सत्याग्रह न करूँगा।”

ईस्वी सन् १९३३ के जुलाई मास में जब महात्माजी ने व्यक्तिगत सरवाग्रह करना शुरू किया था, उस समय उन्होंने यह प्रकट किया था कि कांग्रेस को इस समय जो असफलता हो रही है उसका कारण उसकी गुप्त कार्यवाही है। इसके अतिरिक्त महात्माजी का यह भी ध्यात्र हो चला था कि कांग्रेस संगठन में अनैतिकता का दौरा हो रहा है। यही कारण था कि कांग्रेस के सरदाखीन कार्यकारी अंग भी अण्ये महोदय ने महात्माजी के संकेत पर देश के कांग्रेस संगठनों को भंग कर दिया था। इससे देश में बड़ी निराशा छा गई थी। देश की इस निराशामय स्थिति में फिर से जीवन खाने के लिये डा० अन्सारी और डा० बी० सी० राय ने ईस्वी सन् १९३४ के मार्च मास में अपने विचारों के कांग्रेस सदस्यों की एक परिपद् जुलाई, इस समय पं० जवाहरलाल नेहरू कलकत्ते में राज्यविद्रोहात्मक भाषण देने के कारण

ईसवी सन् १९३४ के जनवरी मास में फिर से जेलखाने में बंद दिये गए थे। इसखिप ठनकी उपस्थिति और प्रभाव का यह परिपद् फायदा न उठा सकी। तो भी इस परिपद् में अगले चुनावों को खरने के लिए स्वराज्यपार्टी को फिर से जीवित करने का प्रस्ताव पास हुआ। सरकार के ऑर्डिनेन्सों के कारण और जनता के मद उरसाह के कारण सविनय अवज्ञा का अन्दोलन सफरता पूर्वक चलाने के लिए परिस्थिति अनुकूल न थी। इसके दूसरे ही मास बिहार के रांची नगर में बड़े पैमाने पर कांग्रेस जनों को एक सभा की गई, जिसमें दिल्ली परिपद् के प्रस्तावों पर स्वीकृति की मोहर लगाई गई। यहाँ इस बात का भी उल्लेख कर देना आवश्यक है कि दिल्ली कांग्रेस के पहले पूना के श्री नुसिंह चिंतामणि केलकर और बम्बई के श्री अमनादास मेहता के प्रयत्न से बम्बई में डिमोक्रैटिक स्वराज्य पार्टी की कांग्रेस के दुई गी, जिसमें अगले चुनावों को खरने का निश्चय किया गया था। कहा जाता है कि इस कांग्रेस का समर्थन महाराष्ट्र के कई जिलों ने किया था।

ईसवी सन् १९३४ के मई मास में तीन वर्ष के घरने के बाद बिहार के पटना नगर में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की बैठक बुलाई गई। इस समय महात्मा गांधी ने भी कई परिस्थितियों के कारण कांग्रेस कार्यकर्ताओं के धारासभा-प्रवेश के विद्वन्त की स्वीकार कर लिया था। इसी बीच में सरकार ने भारत की चर तना को नगदर नवम्बर मास में आम चुनाव (General election) करने को घोषणा कर दी।



ने सविनय अवज्ञा का आंदोलन को रोकने का प्रस्ताव पेश किया और महात्माजी को यह अधिकार दिया कि वे जब उचित समझे तब स्वयं व्यक्तिगत सत्याग्रह कर सकते हैं। महात्माजी ने भी इस समय यह प्रकट किया कि मौजूदा परिस्थितियों में वे ही एक ऐसे व्यक्ति हैं जो सविनय अवज्ञा को ज़िम्मेदारी को ले सकते हैं।

## साम्प्रदायिक निर्णय पर मतभेद

मि० मेकडॉनल्ड के प्रधान मंत्रित्व में ब्रिटिश सरकार ने जिस प्रकार का साम्प्रदायिक निर्णय किया, उससे हिन्दुओं पर घोर अन्याय हुआ। इसके अतिरिक्त इस निर्णय ने जैसा विणवपन और जैसा सत्यानाश किया, उसे भारत को आनेवाली पीड़ियों तक घृणा के साथ स्मरण करेगी। भारत की एकता को तोड़ने का यह एक घृणित पद्यत्र था, जिसकी सृष्टि अमेज कूट नीतियों और साम्प्रदायवादी मुसलमानों ने की थी। सुप्रसिद्ध अमेज इतिहासकार मि० एडवर्ड टॉमसन ने लिखा है—

During the round table conference there was rather an obvious understanding and alliance between the more intransigent Muslims and certain particularly undemocratic British Political circles. That alliance is constantly asserted in India to be the real block to progress. I believe I could prove

that this is largely true. And there is no question that in former times we frankly practised "divide and rule" method in India

अर्थात्, "गोलमेज़" परिषद् के समय अधिक दुराग्रही मुसलमानों और कुछ जनतंत्रविरोधी ब्रिटिश राजनैतिक क्षेत्रों के बीच प्रयत्न मैत्री हो गई थी। इस मैत्री का प्रभाव भारत की प्रगति के रास्ते में हमेशा रोड़े के रूप में पड़ा। मैं विश्वास करता हूँ और साथ ही मैं यह सिद्ध कर सकता हूँ कि यह बात बहुत श्रयो म सच है। इसमें कोई सन्देह नहीं कि पूर्व समय में भी हमने भेद नीति (Divide and rule) से सुबे तौर पर काम लिया था।"

कलकत्ता विश्वविद्यालय के अर्थशास्त्र विभाग के अध्यक्ष, केन्द्रीय धारा सभा में राष्ट्रीय दल (Nationalist Party) के नेता डा० पी० एन० चैनजा अपने "मुस्लिम पोलिटिक्स" नामक ग्रन्थ में लिखते हैं—

'By the Communal Award an attempt was made to create divisions among the different sections of the people of India.'

अर्थात्, "साम्प्रदायिक निर्णय के द्वारा भारतवर्ष के विभिन्नदलों में फूट डालने का प्रयत्न किया गया है।" आगे चरकर इन्हीं महाशय ने अपने इसी ग्रन्थ में लिखा है कि यह सारा पद्यत्र भारतवर्ष को हमेशा के लिए गुलाम बनाये रखने के लिये किया गया था।

तत्कालीन भारत सचिव लॉर्ड बर्कहेड (Lord Birken head) ने तत्कालीन वाइसरॉय लॉर्ड इविन को जो पत्र लिखा था, उसका कुछ अंश यह है—

"We have always relied on the non-boycotting Moslems, on the depressed community, on the

business interests and on many others to break down the attitude of boycott."

अर्थात्, "हम खोग बहिष्कार न करने वाले मुसलमानों, दक्षिण जातियों और व्यापारी स्वार्थों तथा इसी प्रकार के अन्य समुदाहों पर बहिष्कार की मनोवृत्ति को भंग करने के लिये निर्भर रहे हैं।"

इसी विषय पर मि० एटली ने भाषण देते हुए जो कुछ कहा था उसका आशय यह है—“आखिरकार, साम्प्रदायिक नियंत्रण का आधार काम चलाऊ ही नहीं होना चाहिये। इस नियंत्रण न मुसलमानों के साथ पक्षपात किया है और हिन्दुओं के साथ अन्याय किया है। साम्प्रदायिक नियंत्रण तो केवल इसलिए होना चाहिए कि विभिन्न अल्प-मताधारों को उचित सरक्षण (Protection) मिल सके लेकिन साम्प्रदायिक पुरस्कार निर्माण ने घोर साम्प्रदायिकता बढ़ाई। संयुक्त नियोजन से ही साम्प्रदायिकता के विषय का धड़न और पैमाने से रोक जा सकता है।

लॉर्ड स्ट्रेचोवर्गी ने अपने भाषण में कहा—“जिम्मे साम्प्रदायिक मन मुटाय की चर्चा आभ हम इतने जोरों से सुन रहे हैं उसका नाम भी मॉटेयू चम्सफोर्ड सुधारों के पक्ष में नहीं सुना जाता था। आज जब कि हम एक हल ढूँढने का प्रयत्न कर रहे हैं तो दूसरी ओर से कुछ टुकड़ों के लिये विभिन्न दलों को लड़ा कर साम्प्रदायिक समझौते का असम्भव बनाया जा रहा है। कहा जाता है कि वे आपस में समझौता नहीं कर सकते तो क्या किया जाय ? अगर वे आपस में नहीं मिल सकते तो क्या यह हमारा फर्ज हो जाता है कि हम उनके ऊपर इस नियंत्रण को छाड़ ही दें, यह नियंत्रण जो कि हमेशा के लिए उन दोनों जातियों को अलग कर देगा ? मैं बहुत गम्भीरता पूर्वक यह सब कह रहा हूँ। क्या हम संयुक्त निर्माण के लिए उन पर जोर नहीं डाल सकते ?”

इसी प्रकार श्री सुभाषचन्द्र बोस सर्रीखे उग्र नेताओं तक ने इस निर्णय को हिन्दुओं के लिये घोर अन्याय युक्त बतलाया था। यहाँ यह बात विशेष रूप से ध्यान देने योग्य है कि श्री जिन्ना ने ईस्वी सन् १९२६ के मार्च में होने वाले मुस्लिम लीग के अधिवेशन में समझौते के लिए जो १४ मुद्दे रखे थे, वे प्रायः सब के सब इस साम्प्रदायिक निर्णय से श्वीकृत कर लिये गए थे।

भारत के राष्ट्रीय अन्दोलन का संचालन प्रायः हिन्दू ही कर रहे थे। वे हिन्दू युवक ही थे जो भारत की स्वाधीनता के लिए फाँसी पर लटकते थे और जिन्होंने काले पानी के घोर दुःखों को सह्य था। हिन्दुधर्म ने इस राष्ट्र में स्वाधीनता की उपोति को जगाया था और उसके लिए रूढ़े से यद्वा श्वाभ्र-न्याय किया था। अतएव, देश में फूट डालकर राष्ट्रवादी हिन्दुओं को कमजोर करने का ब्रिटिश कूटनीतिज्ञों का यह पदयंत्र था। हमी नीचतम उद्देश्य को लेकर ब्रिटिश कूटनीतिज्ञों ने जनतंत्र के महान् सिद्धान्तों का किस प्रकार घात किया, इसका पता निम्नलिखित तथ्यों से चलेगा।

बंगाल और पंजाब में शक्ति मुसलमानों का बहुमत है पर हिन्दू और मुसलमानों की संख्या में बराबरी अन्तर नहीं है। इसलिए इन प्रान्तों में अल्प मत की मताधिक्य (Weightage) मिलना चाहिए था, जैसा कि हिन्दू बहुमत वाले प्रान्तों में मुसलमानों को मिला था। पर हिन्दू अल्पमतवाले इन दो प्रान्तों में ऐसा नहीं किया गया।

बंगाल में मुसलमान २४.८ प्रतिशत और हिन्दू ७४.८ प्रतिशत थे। यूरोपियन केवल ०.०१ प्रतिशत थे। मुसलमानों की २४.८ प्रतिशत होने की हाजत में धारा सभा में २५० सीटों में से ११६ सीटें मिलीं। हिन्दुओं की ७४.८ प्रतिशत होने की हाजत में ८० सीटें प्राप्त हुईं। हमें दूसरे शब्दों में यों कहा जा सकता है कि इस साम्प्रदायिक निर्णय के अनुसार जहाँ मुसलमानों को कुछ सीटों में से ४७.६ फी सदी सीटें

प्राप्त हुई, वहाँ हिन्दुओं को ३२ प्रति सदी प्राप्त हुई। संख्या और न्याय की दृष्टि से हिन्दुओं को ११२ और मुसलमानों को १३७ सीटें प्राप्त होनी चाहिए थीं। जहाँ दोनों का यह अन्तर संख्या के मान से २६ होना चाहिए था, वहाँ यह ३६ रक्खा गया। अगर मि० मेगाडाल्ड निष्पक्ष और न्यायप्रिय होते तो हिन्दू और मुसलमानों की सीटों की संख्या का अनुपात बराबर रहते। वहाँ एक मजिदर बात और भी ध्यान में रखने योग्य है और वह यह है कि बंगाल में यूरोपियन लोगों की संख्या अत्यन्त अल्प अर्थात् ०.०१ प्रतिशत थी, पर उन्हें ११ सीटें दी गईं, अर्थात् उन्हें ११०००० प्रति सदी अधिक मताधिक्य (Weight age) दिया गया। इनका सारा भार भी हिन्दुओं पर पड़ा। उन्हें अपने वास्तविक अधिकार से हाथ धोने के लिये मजबूर होना पड़ा। यही हालत पंजाब की थी। वहाँ भी हिन्दुओं को वेहद नुकसान उठाना पड़ा।

अब आप उन प्रान्तों की बात लीजिए जहाँ हिन्दू बहुमत में थे और मुसलमान अल्पमत में। हम नीचे बिहार, युक्त-प्रान्त, उड़ीसा, मध्य प्रान्त, मद्रास और बम्बई प्रान्तों को लेते हैं, जहाँ हिन्दुओं का बहुमत और मुसलमानों का अल्पमत था।

प्रान्त	धारा सभा की सीटों की कुल संख्या	मुसलमानों की सीटें	मुसलमानों की मुस्लिम प्रति	
			संख्या का अनुपात	निधित्व का अनुपात
बिहार ...	१२२	३६	१५	२५-६
युक्त-प्रान्त ...	२२८	६४	१५	२८-०
उड़ीसा ...	६०	४	२	६-६
मध्य प्रान्त ...	११२	१४	५	१२-५
मद्रास ...	२१५	२८	८	१३-०
बम्बई ...	१७५	२६	१०	१६-५

उपर्युक्त तालिका से पाठकों को यह पता लगेगा कि हिन्दू बहु-मत वाले प्रान्तों में मुसलमानों को कितना अधिक 'मताधिक्य' दिया गया था, और मुस्लिम बहुमत वाले प्रान्तों में हिन्दुओं को मताधिक्य तो दूर रहा, अपनी सख्या के अनुपात से भी कम सीटें मिलीं।

अब केन्द्रीय धारा सभा को लीजिएगा। भारतवर्ष में मुसलमानों की सख्या २४ फ़ी सदी थी और उन्हें ३३। फ़ी सदी सीटें दी गई थीं।

कहने का मतलब यह है कि मेगडॉनल्ड के इस साम्प्रदायिक निर्णय ने जनतंत्र के सिद्धान्त का बुरी तरह घात किया। मुसलमान तथा अन्य अल्पमत वाली जातियों को जनतंत्र के सिद्धान्त के अनुसार निर्वाचनाधिकार पाने का पूरा-पूरा हक था। पर इसका यह मतलब नहीं कि एक बहुत बड़े बहुमत वाले दल को अल्पमत वाले दल में परिणत कर दिया जाय और अल्प मत वाले दल को बहुमत वाले दल में। यह एक ऐसा अन्याय था, जिसका समर्थन किसी भी जनतंत्र की राजनीति से नहीं किया जाता। इस निर्णय ने भारतीय समाज में भयंकर विष का काम किया, जिसके कुफ़ल आज भी हम लोग भोग रहे हैं।

## साम्प्रदायिक निर्णय का विरोध

कांग्रेस कार्य-समिति की पटनावाली बैठक के बाद बम्बई और बनारस में उसकी बैठकें हुईं। इस समय इस साम्प्रदायिक निर्णय को लेकर कांग्रेस के सदस्यों में बड़ा मतभेद उपस्थित हुआ। महामन्त्री पं० मदनमोहन मालवीय और श्री अण्णो महोदय ने इस बात पर जोर दिया कि श्वेतपत्र की तरह इस साम्प्रदायिक निर्णय पर भी धृष्टा का प्रस्ताव पास होना चाहिए। पर कार्य-समिति के अध्यक्ष, एम्. ए. जे., श्री सुभाषचन्द्र बोस के शब्दों में, अपने मुस्लिम सदस्यों से प्रभावित

होकर इस बात का आग्रह किया कि कांग्रेस न तो इस निर्णय को स्वीकार करे और न अस्वीकार ही करे। सुभाष बापू ने लिखा है—

“The rest of the Working Committee, under the influence of the Moslem members, maintained that the Congress should neither accept nor reject the Communal Award, though they admitted that the Award was thoroughly obnoxious.”

अर्थात्, “कार्य-समिति के शेष सदस्यों ने मुस्लिम सदस्यों से प्रभावित होकर इस बात का समर्थन किया कि कांग्रेस को न तो साम्प्रदायिक निर्णय को स्वीकार करना चाहिए और न अस्वीकार ही, यद्यपि उन्होंने यह मजूर किया कि यह निर्णय पूर्णरूपेण घृणास्पद था। आगे चलकर सुभाष बापू फिर लिखते हैं—

“Whatever the reason may be, the fact remains that today they are holding a pistol at the Working Committee, and because of their insistence, the Committee has been forced to take up this ridiculous attitude of neither accepting nor rejecting the Award”

अर्थात्, “चाहे कुछ भी कारण हो, पर यह एक वास्तविक तथ्य है कि वे (मुस्लिम सदस्य) आज कार्य-समिति की शोर पिस्तौल ताने हुए हैं, और उनके आग्रह के कारण कार्य-समिति साम्प्रदायिक निर्णय को न तो स्वीकार करने और न अस्वीकार करने के द्वारा स्पष्ट रूप को स्वीकार करने के लिए बाध्य हुई है। आगे चलकर सुभाष बापू ने इस विनाशकारी निर्णय के प्रति और भी तीव्र घृणा प्रदर्शित

की है, और उन्होंने कांग्रेस कार्य-समिति की इस निर्णय मनोवृत्ति के प्रति हार्दिक दुःख प्रकट किया है।

### पं० मालवीयजी और अणु महोदय के इस्तीफे

जैसा कि हम ऊपर कह चुके हैं, साम्प्रदायिक निर्णय को लेकर कांग्रेस कार्य-समिति में तब मतभेद उपस्थित हुआ। पं० मालवीयजी और अणु महोदय ने कांग्रेस कार्य-समिति और पार्लियामेण्टरी बोर्ड से इस्तीफे देकर कांग्रेस के अर्न्तगत राष्ट्रीय दल (Congress Nationalist Party) की संगठित करने का आयोजन किया, और इसका उद्देश्य यह रक्खा गया कि वह साम्प्रदायिक निर्णय और श्वेतपत्र का विरोध करे। इस दल ने १६ अगस्त १९३४ को कलकत्ते में पं० मदन-मोहन मालवीय के सनापतित्व में अपनी कांग्रेस का अधिवेशन किया। इसके स्वागताध्यक्ष सुप्रसिद्ध रसायनशास्त्री और देशभक्त सर पी० सी० रॉय थे। इस निर्णय से बंगाल के हिन्दुओं पर घोर अन्याय हुआ था, इसलिए उस वक्त इस अधिवेशन को अच्छी सफलता मिली।

### समाजवादी दल की स्थापना

इसी अरसे में अर्थात् मई १९३४ में भारतवर्ष में पहले-पहल समाजवादी दल (Socialist Party) की स्थापना हुई। १७ मई १९३४ को पटना में आचार्य नरेन्द्रदेव की अध्यक्षता में इसका अधिवेशन हुआ। इसके बाद अनेक प्रान्तों में इसकी अनेक शाखाएँ स्थापित हुईं। इस दल की स्थापना पर महात्मा गांधी ने जो यत्न प्रकाशित किया था उसकी कुछ पक्षियाँ हम नीचे उद्धृत करते हैं:-  
 "मैंने साम्यवादी दल का स्वागत किया है, जिसमें मेरे बहुत से व्यापारियों और आत्म-सहायी भागी मौजूद हैं। यह मजदूरों, युवकों, उनका जो प्रामाणिक कार्यक्रम था है, उसके विषय में मेरा मौखिक



मतभेद है। किन्तु मैं उनके साहित्य में प्रतिपादित सिद्धान्तों के प्रचार का अपन नैतिक प्रभाव से नहीं रोकना चाहता। मैं उन सिद्धान्तों का स्वतंत्रता के साथ प्रकट करने में इस्तफ़ेफ़ नहीं कर सकता, चाहे उनमें से कुछ सिद्धान्त मुझे कितने ही नापसन्द क्यों न हों।”

### कांग्रेस से गांधीजी का अवसर ग्रहण

ईश्वरी सन् १९३४ की ८, ९ और १० सितम्बर को वर्धा में कांग्रेस कार्य समिति और कांग्रेस पाकिस्थानेयटरी बोर्ड की बैठकें हुईं। उनमें कांग्रेस के दो दलों में सभंभीता कराने के प्रयत्न हुए, पर उनमें सफलता न मिली। इसी समय यह मालूम हुआ कि गांधीजी देश की सक्रिय राजनीति से विराम लेने की बात सोच रहे हैं। साम्प्रदायिक निर्याप की लेकर कांग्रेस में जो दो दल हो गये थे उनसे गांधीजी को बड़ा आघात पहुँचा था। उस समय गांधीजी क कट्टर अनुयायी श्रीराजगोपालाचार्य ने ७ सितम्बर को दूम संबंध में जो वक्तव्य प्रकाशित किया था, उसका कुछ अंश इस प्रकार है—

“गांधीजी के कांग्रेस का नेतृत्व छोड़ने की अक्रवाह का कारण यह है कि गांधीजी सब प्रकार के हिंसा के तथ्यों से कांग्रेस को शुद्ध करके उसके विधान में सुधार करने का विचार कर रहे हैं.....। अगर कांग्रेस आनेवाले अधिवेशन के बाद उनके सुधारों को स्वीकृत न करेगी तो वे शुद्ध अहिंसात्मक कार्यकर्त्ताओं के द्वारा अपना एक स्वतंत्र संगठन आरम्भ करने के लिए प्रस्तुत हो जायगे।”

राजार्जी के इस वक्तव्य के प्रकाशित होने के ठीक दस दिन बाद स्वयं गांधीजी ने एक वक्तव्य निकाला जिसमें उन्होंने कांग्रेस से अपने अवसर ग्रहण करने की अक्रवाह का समर्थन किया। हाँ, उन्होंने यह भी प्रकट किया कि मित्रों के अनुरोध से आनेवाले बम्बई के कांग्रेस अधिवेशन तक वे अपने इस विचार को कार्यान्वित न करेंगे। गांधीजी ने उसी समय कांग्रेस में फैले हुए अशांति पर भी दुःख प्रकट किया और उन्होंने कांग्रेस विधान में निम्न खिस्तिष सरोधन करने का आग्रह

किया । हम गांधीजी के शब्दों में ही उन संशोधनों को यद्वा दोहराते हैं—

“ मैं चाहता हूँ कि मैंने जिन सच विषयों की चर्चा की है उनको कार्यरूप में परिणत कराने के लिए कुछ प्रस्ताव विपक्ष समिति में पेश करके कांग्रेस के भाव की परीक्षा करूँ । पहला संशोधन जो मैं पेश करूँगा, वह यह होगा कि 'उचित और शान्तिमय' शब्दों के बदले 'सत्यतापूर्ण' और 'अहिंसात्मक' शब्द रखे जायें । मैं ऐसा न करता, 'अगर उचित और शान्तिमय' के बदले इन दो विशेषणों का मेरे सरल भाव से प्रयोग करने पर उनके विरुद्ध तूफान न खड़ा कर दिया जाता । अगर कांग्रेसी वस्तुतः हमारे ध्येय की प्राप्ति के लिये सच्चाई और अहिंसा की आवश्यकता समझते हैं, तो उन्हें इन स्पष्ट विशेषणों को स्वीकार करने में हिचक न होनी चाहिए । ”

“ दूसरा संशोधन यह होगा कि कांग्रेस की महाधिकाय योग्यता चार भागों के बदले हर महीने कम से कम १५ नम्बर का अक्षर घटा हुआ २००० तार ( एक तार=४ फुट ) सूत हर महीने देने की रकमी जाय, और वह सूत मतदाता सुदुर्बल या तकली पर कात कर दे ।—अगर किसी मेम्बर की शारीरी साबित हो तो उसको कातने के लिए काफी रूई दी जाय, ताकि वह उतना सूत कातकर दे सके । इसके पक्ष और विपक्ष की दलीलों यहाँ दोहराने की ज़रूरत नहीं है । ”

“ तीसरा संशोधन जो मैं पेश करना चाहता हूँ, वह यह होगा कि किसी ऐसे कांग्रेसी को कांग्रेस के निर्वाचन में मत देने का अधिकार न होगा जिसका नाम ६ महीने तक बराबर कांग्रेस रजिस्टर पर न रहा हो, और जो पूरी तरह से आदतन खादी पहननवाला न रहा हो । ”

### बम्बई का कांग्रेस अधिवेशन

ईस्वी सन् १९३४ के अक्टूबर मास की २६, २७ और २८ तारीख को देश राज ग० रामेन्द्रप्रसाद की अध्यक्षता में बम्बई में कांग्रेस का

अधिवेशन हुआ। यहाँ यह बात ध्यान में रखने योग्य है कि मादे तीन साल के अरसे के बाद कांग्रेस का यह नियमपूर्वक अधिवेशन होने जा रहा था। गांधीजी के कांग्रेस से अचपर प्रदण्य करने का प्ररन भी इसमें उपस्थित होनेवाला था। कांग्रेस के अन्तिम छप के सर्वध में देश के राजनैतिक दलों में जो मतभेद हो रहा था, उससे सर्वध में भी इस अधिवेशन में विचार किया जाने वाखा था। साम्प्रदायिक निर्यान और श्वेतपत्र के संबन्ध में भी इसमें फाक्री वादानुवाद होनेवाला था। इन्हीं सब बातों को लेकर चारों तरफ से लोग इसमें शामिल होने के लिए जमा हो रहे थे। इस अधिवेशन में काफी गरमागरम चइस हुई। इस अधिवेशन में यह निर्याय किया गया कि कौंसिलों के चुनावों में भाग लिया जाय। कांग्रेस में अपने चुनाव छइन और उस संगध की तमाम कार्यवाही करने के लिए एक पालियामेन्टरी बोर्ड भी बना दिया गया। इसी समय कांग्रेस में रचनात्मक कार्यक्रम की ओर भी ध्यान दिया गया और ग्राम उद्योगों को उन्नत करन की ओर भी ध्यान दिया गया। इसके अतिरिक्त इस अधिवेशन में निम्न लिखित प्रस्ताव भी पास किया गया—“कांग्रेस का कोई भी सदस्य किसी पद या किसी भी कांग्रेसी कमेटी के चुनाव के लिए खड़ा न हो सकेगा, यदि वह पूरे तौर से हाथ की कती-बुनी खादी आइतन न पहनता हो।” बम्बई कांग्रेस में सबसे पहली बार धम-भताधिकार का प्रस्ताव पास किया गया, जो इस प्रकार था—

“कोई भी व्यक्ति किसी भी कांग्रेस कमेटी की सदस्यता के लिये उम्मीदवार बन कर खड़ा होने का हकदार न होगा, यदि उसने चुनाव की नामज़दगी की शरीख को समाप्त होनेवाले ६ महीनों में कांग्रेस की ओर से या कांग्रेस के लिए लगातार कोई ऐसा शारीरिक भ्रम न किया हो जो प्रति मास मूल्य में अच्छे कते हुए १० नवर के २०० गज़ सूत के बराबर हो। कार्य-समिति समय समय पर ग्रान्तीय कांग्रेस

कमेटियों तथा अखिल भारतीय ग्राम-उद्योग संघ से सलाह लेकर यह निर्धारित करेगी कि कताई के अतिरिक्त नूसरा कौन सा धम स्वीकार किया जायगा।" गांधीजी की अलखदुगी ने इस बात का तकाजा किया कि गांधीजी में विश्वास ही एक प्रस्ताव पास किया जाय, तत्संबंधी प्रस्ताव इस प्रकार था -

“ यह कांग्रेस महात्मा गांधी के नेतृत्व में अपने विश्वास को फिर प्रकट करती है। उसका यह इदमत है कि कांग्रेस से अलग होने के निश्चय पर उन्हें फिर विचार करना चाहिए। लेकिन चूंकि उन्हें इस बात के लिए राजी करने के सब प्रयत्न विफल हुए हैं, यह कांग्रेस अपनी इच्छा के विरुद्ध उनके निर्णय को मानते हुए राष्ट्र के लिए की गई उनकी बेमोड़ सेवाओं के प्रति धन्यवाद प्रकट करती है, और उनके इस अस्वासन पर संतोष प्रकट करती है कि उनका परामर्श और पथ-प्रदर्शन आवश्यकतानुसार कांग्रेस को प्राप्त होता रहेगा।”

### गांधीजी का अवसर ग्रहण

ईस्वी सन् १९३४ में बम्बई प्रांश्वेशन के समय गांधीजी ने कांग्रेस से अवसर ग्रहण कर लिया। इतना ही नहीं, वे कांग्रेस के चार आने-वाले सदस्य भी न रहे। कांग्रेस के नेता अपनी विरुद्ध समस्याओं को सुलझाने में, उनके अवसर ग्रहण करने की स्थिति में भी, उनसे पथ प्रदर्शन ग्रहण करते रहते थे। अवसर ग्रहण के फल में गांधीजी ने अपनी सारी शक्तियों को हरिजन-उद्धार, शिपा-प्रचार और आदी-प्रचार आदि रचनात्मक प्रवृत्तियों में खगाया। इस समय भी उन्होंने देश की ठोस सेवाएँ कीं और राष्ट्र के जीवन का निर्माण करने में महान् कार्य किया।

### अन्य राजनैतिक दलों की प्रवृत्तियाँ

इसी साक्ष, अर्थात् ईस्वी सन् १९३३ के दिसम्बर मास में, नि० जे०

एन० एम० की अध्यक्षता में मद्रास में लिबरल फेडरेशन ( Liberal Federation) का अधिवेशन हुआ, जिसमें स्वतंत्र-पत्र और साम्प्रदायिक नियंत्रण पर घुंटा के प्रस्ताव पास किये गये । अखिल भारतवर्ष महिला-कान्फ्रेंस का अधिवेशन कलकत्ते में बड़ी भूमिधाम के साथ हुआ, जिसमें भारतवर्ष के सब प्रान्तों की महिला प्रतिनिधियों ने भाग लिया । इस कान्फ्रेंस में समाज-सुधार और स्त्री-शिक्षा संबंधी प्रस्ताव पास हुए । जिनेवा की अन्तर्राष्ट्रीय कमेटी में अपना प्रतिनिधि रखने के विषय पर भी इसमें विचार हुआ । कानपुर में मजदूर-संघ कांग्रेस ( Trade Union Congress) का अधिवेशन हुआ, जिसमें मजदूरों के कष्ट निवारण के सबब में प्रस्ताव पास हुए । इसी अधिवेशन में बम्बई की कश्चे की मिर्चों के मजदूरों के कष्टों पर विचार किया गया, और यह निर्णय किया गया कि अगर सन्तोषकारक समझौता न हो तो मजदूर अपनी रांगों को स्वीकृत कराने के लिये आम हड़ताल कर दें । इस पर बम्बई की बड़ी जबरदस्त हड़ताल हुई और इस हड़ताल के प्रति सहानुभूति प्रकट करने के लिए अन्य स्थानों में भी मजदूरों की हड़तालें हुई । बम्बई की हड़ताल के उपलक्ष में मजदूरों के कई अग्रगण्य नेता गिरफ्तार कर जेलों में डाल दिये गये । पंजाब में भी दमन का दौरा शुरू हुआ । वहाँ की 'क्रान्ति' नामक मजदूर संस्था और कृषक दल 'र कानूनी घोषित कर दिये गए । बंगाल में भी सरकार ने क्रान्तिारियों की आतंकवादी प्रवृत्तियों को कुचलने के लिए सख्त क्रम उठाये । आतंकवादियों को इत्या करने के प्रयत्न में तथा हथियार और स्फोटक वृष्य रखने के अपराध में मृत्यु-दंड दिये जाने की योजना । गई ।

# प्रान्तों में कांग्रेस सरकारों की स्थापना



ई० सन् १९३५ में ब्रिटिश पार्लियामेंट ने स्वेतपत्र (White Paper) के आधार पर ही नया 'गवर्नमेंट ऑफ़ इंडिया एक्ट' पास किया, जिसमें फ़ैडरल शासन और प्रान्तीय स्वायत्त शासन की व्यवस्था थी। इसी को 'भारतीय शासन विधान' के नाम से पुकारा जाता था। इसी विधान के अनुसार ईस्वी सन् १९३७ में धारा-सभाओं के खिये साधारण चुनाव किये गये। ११ प्रान्तों में से ५ प्रान्तों में कांग्रेस को भारी बहुमत प्राप्त हुआ। दो प्रान्तों में किसी एक दल के मिल जाने से उनका भारी बहुमत हो जाता था। कांग्रेस की ऐसी मजबूत स्थिति हो गई थी कि उन प्रान्तों में उसे मन्त्रि-मण्डल बनाने के खिये अवसर के सहयोग की आवश्यकता ही न थी।

इतन पर भी कांग्रेसी प्रान्तों ने प्रारम्भ में अपने मन्त्रिमण्डल बनाने से इन्कार किया। इसका कारण यह था कि प्रान्त के गवर्नरों को अत्यधिक अधिकार दिये गये थे। उन अधिकारों के अनुसार वे कांग्रेस-मन्त्रिमण्डलों के शासन-कार्य में बहुत-कुछ हस्तक्षेप कर सकते थे। इस प्रकार सरकार ने पहले पहले गुडिया मन्त्रिमण्डल बनाये, जो इधर-उधर के अवसर वाक्ये दलों में से बनाये गये थे। पर वे अपना काम न चला सके। इस पर वाइसरॉय ने कांग्रेस को यह अवसर दिया कि गवर्नर उनके शासन-कार्य में किसी विशिष्ट अवसर को छोड़ कर हस्तक्षेप न करेंगे, और उनका कार्य सुचारु रूप से चलने देंगे।

मन्त्री मण्डल के मिनिरों ने बड़े उत्साह और उभाग के साथ अपना कार्य शुरू किया। कांग्रेस प्रादर्शों को कार्यान्वित करने के लिए और प्रगतिशील शासन के द्वारा अधिक से अधिक खोदहितकारी कार्यों को सफलता पूर्वक करने के लिए वे बड़े आतुर हो रहे थे। इस बात को इन्द्रचंद्र के मुमसिद विधान-शास्त्री मि० कूप खँट ने अपने "Indian Politics" नामक ग्रन्थ के दूसरे भाग में स्वीकार किया है। वे लिखते हैं—

"In the early days of their career most of the Ministers and their official subordinates were working under peculiarly and onous conditions. In the first place, Ministers had committed themselves to a heavy programme of reform both by legislation and in the conduct of the executive machine and they were naturally anxious to press on with it as quickly as possible. For many months the lights in their various departments were burning well into the night."

"अपने कार्य-काण्ड के आरंभ में नये मंत्रिगण और उनके मातहत अफसर विशिष्ट प्रकार कठिन परिस्थितियों में कार्य कर रहे थे। विधान-निर्माण और शासन-तंत्र संचालन के कार्य द्वारा सुधार के भारी कार्य को सफल बनाने के लिए वे प्रतिज्ञा बद्ध थे। अतएव वे स्वभावतः ही कार्य को आगे बढ़ाने में बड़े आतुर हो रहे थे। उनके कई विभागों में कई मास तक रात में भी काफ़ी समय तक दीपक जलते रहते थे।"

कहने का मतलब यह है कि हमारे कांग्रेस मंत्रियों ने उस समय खोद-सेवा को अपना प्रधान लक्ष्य बनाकर बड़ी लगन के साथ कार्य

किया। परिश्रम से वे कभी न अघाये।

जैसी कि हमारे मन्त्रि-मंडलों से आशा थी, उन्होंने शासनाखंड होते ही बहुत से प्रतिबंधक और दमनकारी कानूनों को रद्द किया, कम्युनिस्ट और दूसरी राजनैतिक सस्थाओं पर लगे हुए प्रतिबंधों को हटाया और अज्ञानियों से ली गई जमानतों को वापस लौटाया। राजनैतिक कैदियों पर चलाये गए मुकद्दमों को स्थगित किया या वापस लिया। बम्बई के १९३२ वाले आकस्मिक अधिकारों के कानून को और ईस्वी सन् १९३० के बिहार उद्दीप्ता के सार्वजनिक सुरक्षा कानून को रद्द किया। प्रायः सब कांग्रेस शासित प्रान्तों के राजनैतिक कैदी मुक्त कर दिये गए। मद्रास में फरवरी १९३८ तक सब के सब राजनैतिक कैदी मुक्त कर दिये गए। बम्बई में भी ऐसा ही हुआ। उक्त वर्ष के जून मास तक वहाँ भी सब राजनैतिक कैदी छोड़ दिये गये। युक्त-प्रान्त और बिहार में ईस्वी सन् १९३८ के फरवरी मास तक बहुत से कैदी छोड़ दिए गये। इस समय तक किन्हीं विशिष्ट कारणा मे २५ राजनैतिक कैदी युक्त प्रदेश में और २३ कैदी बिहार के जेलखानों में रह गये। इन लोगों ने भूख हड़ताल कर दी, कांग्रेस का उद्देश्य इन दोनों प्रान्तों की सरकारों पर जोर डालने लगा कि वे इन कैदियों को तुरन्त मुक्त कर दें, चाहे इनकी राजनैतिक विचार धारा कैसी ही क्यों न हो। उधर उक्त प्रान्तों के गवर्नर इनकी मुक्ति के मार्ग में अड़गा खगा रहे थे, और इस बात पर जोर दे रहे थे कि कैदियों को उनके अपराधों की पात्रता की जांच कर छोड़ना चाहिए। कांग्रेस के हार्ड-कमांड ने भी ने भी मन्त्रिमंडल को इन कैदियों को छोड़ने की प्रेरणा की। युक्त-प्रान्त के प्रधान मंत्री पं० पन्त महोदय ने साहस पूर्वक इन १५ कैदियों को भी जेल से मुक्त करने का आदेश दिया। बिहार के मंत्री-मंडल ने भी आपका अनुकरण किया।

इन दो प्रान्तों के मंत्री मंडलों की इस कार्यवाहीमें भारत सरकार वही



विन्तिष्ठ हुं, उसने यह समझा कि अगर युक्त-प्रांत और बिहार  
 प्रान्तिकारी कैदी भी छोड़ दिये जायेंगे तो उसका चमर बंगाल  
 पत्राव पर भी पड़ेगा, जिनकी सोमाएँ इन दोनों प्रान्तों से मिली  
 हैं। इस समय बंगाल और पत्राव के गद्दे प्रान्तिकारी तथा  
 कैदियों न भूख हड़ताल भी कर रखी थी। इन्हीं सब बातों से  
 होकर भारत के तत्कालीन गवर्नर जनरल ने यह प्रकट किया कि कांग्रेस  
 प्रान्तों के राजनैतिक कैदियों को छोड़ने का प्रश्न अन्त-प्रान्तीय  
 स्तर पर ही और इस विषय उन्होंने युक्त प्रान्त और बिहार के गवर्नरों  
 यह आदेश दिया कि वे अपने मंत्रि-मंडल द्वारा पास किये गये प्रान्तिकारी  
 कैदियों को छोड़ने के प्रस्ताव को स्वीकार न करें। इस पर  
 कांग्रेस प्रान्तों के मंत्री मंडलों ने स्तीफे दे दिये।

इसी समय हरीपुर में कांग्रेस का अधिवेशन हो रहा था। युक्त-प्रान्त  
 और बिहार के मंत्रिगण उक्त अधिवेशन में पहुँचे। वहाँ इस बात पर  
 गरमा गरम बहस हुई और उग्रवादी कांग्रेस जनों ने इस बात पर जोर  
 दिया कि राजनैतिक कैदियों की मुक्ति का प्रश्न व्यापक होना चाहिए।  
 उसकी परिधि अहिंसात्मक आन्दोलन वाले कैदियों तक ही  
 न रहनी चाहिए। उग्रवादी और प्रान्तिकारी कैदियों को भी इस बचन  
 मुक्ति में शामिल करना चाहिए। इसके अतिरिक्त इसमें इन बात की  
 भी चर्चा हुई कि उक्त-दोनों कांग्रेस प्रान्तों की सहानुभूति में अन्य  
 कांग्रेसी प्रान्तों के मंत्री-मंडल भी इस प्रश्न को लेकर स्तीफा दे दें।

माहात्मा गांधी ने भी इन प्रश्नों में दिग्बचसरी की। वे इसके पहले  
 ही बंगाल के गवर्नर से राजनैतिक कैदियों को छोड़ने की क्रमवर्धमान  
 नीति संघर्ष में लिखा पढ़ी कर रहे थे। गवर्नर ने उक्त दोनों प्रान्तों के  
 मंत्री मंडलों के स्तीफे स्वीकार नहीं किये। इसी बीच में वाइसरॉय ने भी  
 एक महत्वपूर्ण निष्काशा, जो काफी सौम्य था और जिसमें समझौता करने  
 का भाव कक्षकता था। इस पर दोनों प्रान्तों के मंत्रिगणों ने अपने

स्तीक्रे वापस ले लिये । अब मवाज गढ़ रह गया कि सब बचे हुए कैदी एक साथ छोड़े जाय या क्रमागत रूप से मुक्त किये जावें । युक्त प्रान्त में १२ कैदियों में से १२ कैदी १ मास के अन्दर अन्दर छोड़ दिये गये और शेष ३ कैदी मार्च मास के अन्त में छोड़ गये । बिहार में १० कैदी तत्काल छोड़ दिये गये और एक को छोड़कर शेष सब मार्च के मध्य में मुक्त कर दिये गये ।

युक्त-प्रान्त और बिहार कांग्रेस मंत्रिमण्डल बनने के बाद जो कैदी छोड़े गये उनमें मेरठ पदयत्र के कड़ी भी थे । इसी समय गढ़वाल के वे फौजी कड़ी भी मुक्त कर दिये गये जिन्होंने कांग्रेस प्रदर्शन कारियों पर गोली चलाने से इन्कार कर दिया था ।

### कांग्रेस सरकारों के अन्य सुधारः—

प्रान्तीय कांग्रेस सरकारों का सबसे पहला ध्यान भारतीय राष्ट्र की रीढ़ किसानों के सुधार की और गया । इस्वी सन् १९३६ के लखनऊ वाले कांग्रेस के अधिवेशन में यह कहा गया था कि देश के सामने सबसे महत्वपूर्ण समस्या किसानों की घोर दरिद्रता, उनकी कर्तव्यारी और बेकारी है । इस्वी सन् १९३७ में कांग्रेस ने अपने निर्वाचन घोषणा-पत्र में यह साफ़ तौर से प्रकट किया था कि कांग्रेस का उद्देश्य कृषिसुधार और कृषकों की उन्नति है, इसके अतिरिक्त भूमि-कर और अन्य प्रकार की छागों को कम कर किसानों के बोझ को अधिक से अधिक घटाना, यह कांग्रेस कार्य-क्रम का प्रधान अंग रहेगा । कांग्रेस भूमिपर किसानों का स्वामित्व समझेगी । भूमिकर की तौर वसूली पर किसानों का दीरानी क़ैद में न डाला जायगा । बिहार में १९११ के बाद भूमिकर में जितनी वृद्धि हुई थी वह सब रद्द कर दी गई । जमींदारों के अधिकार बहुत कुछ कम कर दिये गए, बेगार प्रथा को ज़ुर्न करार द दिया गया । किसानों पर काँ जाने वाली कुर्कियों कम कर दी गई । किसानों से छिपा जाने वाला सूद बहुत कम कर दिया गया । खेती की वैज्ञानिक पद्धतियों

को प्रोत्साहन दिया गया, जिससे की खेती की पैदावार बढ़ सकी।  
 पंजी व्यवस्थाएँ की गईं जिनसे किसान अपने भूमि के अधिकार  
 सुरक्षित न किया जा सके। मि० आर वृषलैयड मरीसे विविध राजनीतिक  
 ने भी कांग्रेस सरकारों के इन सुधारों की प्रशंसा की है और लिखा है—

“It can certainly be said that the Congress Governments did a great deal to improve and secure the status of many millions of agricultural tenants”.

“यह बात निरक्षय पूर्वक कही जा सकती है कि करोड़ों, किसानों  
 की दशा सुधारने में कांग्रेस सरकारों ने बहुत कुछ कार्य किया।”

इसके अतिरिक्त ग्राम पंचायतों कायम कर कांग्रेस सरकारों ने ग्राम-  
 स्वराज्य पद्धति के महान् आदर्श को कार्यान्वित करने का प्रयत्न  
 कार्य किया। पहले बम्बई प्रान्त में १९०० ग्राम पंचायतों कायम  
 की गईं।

### शराब बंदी या मद्य निषेध

महात्मा गांधी ने अपने कई व्याख्यानोँ और लेखों में राज्य के  
 आदर्श का प्रकट करते हुए इस बात पर जोर दिया था कि किसी भी  
 राज्य सरकार का यह प्रधान कर्तव्य है कि वह जनता के नैतिक परिवर्तन  
 के धारासूत्र को ऊँचा उठावे। इस कार्य में उन्होंने शराब-बंदी या  
 मद्यनिषेध को भी प्रमुख स्थान दिया था। उन्होंने इसे की चोट बड़  
 प्रकट किया था कि मद्य प्रचार से होने वाली सरकारी आमदनी घटने तक  
 और अधार्मिक है।

उस समय की हमारी प्रान्तीय सरकारों ने महात्माजी के  
 इस उच्च आदर्श को पाखण करने का भरसक प्रयत्न किया। यहाँ  
 यह कह देना आवश्यक है कि प्रान्तीय सरकारों की आमदनी में

का १० फी सदी हिस्सा आयकारी से प्राप्त होता था। बम्बई में २६ फी सदी, मद्रास में २५ फी सदी और युक्त-प्रान्त में १३ फी सदी आमदनी आयकारी से उपलब्ध होती थी।

सरकार के सामने सुधार की नई नई योजनाएँ थीं और उन्हें सफल करने के लिए बहुत बड़े खर्च की आवश्यकता थी। शासन-संचालन में आर्थिक दृष्टि से इस शराब बंदी के कार्य से सरकार के सामने निःसंदेह नई समस्याएँ थीं और नई कठिनाइयाँ उत्पन्न हुईं। शराब बंदी से एक बहुत बड़ी आमदनी तो कम हो ही गई, पर इन्हे कार्यान्वित करने के लिए जो खर्च होने लगा उसका भी बहुत बड़ा भार शासन पर पड़ने लगा। अकेले बम्बई प्रान्त की बात लीजिये, शराब बंदी के आरम्भिक कार्य में ही उक्त सरकार को ३० लाख रुपया खर्च करना पड़ा। जब यह स्कीम सारे बम्बई प्रान्त में लगाई गई तो उसे १ करोड़ २० लाख का नुकसान होने लगा। संयुक्त प्रान्त, बिहार, मद्रास आदि प्रान्तों को भी इस कार्य में बहुत बड़ा आर्थिक पल्लिदान करना पड़ा, पर महात्माजी के आदर्श को सामने रख कर उन्होंने इस कार्य को किया।

## दलित जातियां या हरिजन

महात्मा गांधी ने राष्ट्र के करोड़ों हरिजनों के उधार के कार्य को अपने रचनात्मक कार्य का प्रधान धर्म बना रक्खा था। महात्माजी के पूर्व पर्वत सुधारक राजा राममोहन राय और स्वामी दयानन्द ने भी इनके सुधार के लिए जोरदार आवाज उठाई थी और आर्यसमाज ने इस दशा में प्रशसनीय कार्य भी किया था, पर महात्माजी ने इस कार्य को विशाल पाये पर करने का आयोजन किया। हमारी उस समय की प्राण्तीय सरकारों ने भी महात्माजी के आदर्शों का अनुकरण कर इस दशा में आगे बढ़ने का साहस पूर्ण कार्य किया। हरिजनों को उधार बढ़ाने के लिए उनमें शिक्षा-प्रचार का अच्छा आयोजन किया गया।

हरिजनों को साधारण स्कूलों में भर्ती होकर उच्च जाति के हिन्दुओं के साथ बराबर बैठने का अधिकार दिया गया। १९५६ में सब पाठशाळाएँ साधारण पाठशाळाओं में परिणत कर दी गईं, जिससे कि हरिजनों में रही हुई क्षयुता की भावना मिट जाये और साधारण विद्यार्थियों में उन्हें बराबरी का समझने की भावना उत्पन्न हो। विद्या-उर्धीसा और मद्रास की स्कूलों को सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त करने के लिए यह शर्त आवश्यक रखी गई कि वे अन्य विद्यार्थियों की तरह हरिजन विद्यार्थियों के लिए भी समान रूप से सुविधाएँ रखें। कई प्रान्तीय सरकारों ने और ग्वास कर संयुक्त प्रान्त की सरकार ने हरिजन विद्यार्थियों को प्रोत्साहन देने के लिए उन्हें छात्र-वृत्तियाँ दीं, उनकी फीम माफ की गई, इतना ही नहीं उन्हें पाठ्य पुस्तकें तक सरकार की ओर से दी गईं। इसके अतिरिक्त हरिजनों की अस्पृश्यता दूर करने के लिए उन्हें मंदिर-प्रवेश के अधिकार दिये गये। इसके लिए कुछ प्रान्तों ने विशिष्ट एक भी पास किये थे।

### प्रान्तीय सरकारें और शिक्षा-प्रचार

काम्रेस की प्रान्तीय सरकारों ने शिक्षा प्रचार की ओर भी समुचित ध्यान दिया। उन्होंने उस समय की वर्तमान शिक्षा-व्यवस्था में कई ग़ुटियों और दोष देखे। विदेशी सरकार के द्वारा हमें जो शिक्षा दी जाती थी उसका हमारे नित्य प्रति के व्यावहारिक जीवन के साथ नाम मात्र का संबंध था। नैतिक चरित्र का विकास करने वाली सामग्री का भी उसमें अभाव था। महात्मा गांधी ने इन्हीं ग़ुटियों को लक्ष्य में रख कर ऐसी शिक्षा-योजना बनाई जिसमें विद्यार्थियों के मानसिक विकास के साथ साथ उन्हें ऐसी शिक्षा दी जा सके जिसका सबब शारीरिक भ्रम और उत्पादन कार्य से हो, ताकि वे आगे चलकर अपने जीवन में अपने पैरों पर खड़े होने की योग्यता प्राप्त कर सकें। इस शिक्षा-योजना का नाम "वर्धा योजना" (Wardha Scheme) है। इसका दूसरा नाम

बुनियादी शिक्षा (Basic Education) हैं। गत बीस वर्षों में अमेरिका और ब्रिटेन में इस प्रकार की शिक्षा ने काफी तरक्की की थी। इस योजना के संबंध में युक्त-प्रान्त के शिक्षा-विभाग की ईस्वी सन् १९३८ की रिपोर्ट में लिखा था:—

“This scheme is not a political stunt or a party slogan, but an adaptation to Indian needs of educational changes which have won acceptance in Europe and America and have revolutionised the elementary stage of education in England.”

“यह योजना केवल राजनैतिक (Stunt) या किसी दल का चारा ही नहीं है पर यह उन शिक्षा संबंधी परिवर्तनों का भारत की आवश्यकताओं के अनुरूप अनुकूलकरण है, जिन्हें यूरोप और अमेरिका ने अपनाया है, और जिसने इंग्लैंड की प्रारम्भिक शिक्षा में कान्तिकारी परिवर्तन कर दिये हैं।

युक्त-प्रान्त, बिहार और कम्बई की सरकारें इस बुनियादी शिक्षा के प्रचार में अग्रगामी थीं। बिहार में ईस्वी सन् १९३८ के अंत में तत्कालीन शिक्षा सचिव डा० सैयद महमूद की अध्यक्षता में “बुनियादी शिक्षा समिति” (Basic Education Board) का निर्माण हुआ। पटना का ट्रेनिंग स्कूल इस शिक्षा प्रचार का केन्द्र बना और ईस्वी सन् १९३३ के आरम्भ ही में बिहार की कांग्रेस सरकार ने प्रयोग के लिए बुनियादी शिक्षा की २० पाठशालाएँ (Basic schools) खोलने की मंजूरी दी। इस शिक्षा-पद्धति के लिए अध्यापकों को भी शिक्षा देने का प्रबंध किया गया। युक्त-प्रान्त ने भी इस दिशा में उत्साह पूर्वक आगे कदम रक्ता। वहाँ के सुयोग्य प्रधान मंत्री तथा शिक्षा-मंत्री श्री गोविन्द वल्लभ पन्त और श्री सम्पूर्णानन्दजी ने इसमें बड़ी दिलचस्पी ली। अलाहाबाद में पटना की तरह ईस्वी सन् १९३८ के

अगस्त मास में बुनियादी शिक्षा के लिए एक कॉलेज (Basic Tr College) खोला गया, और पचासों वैदिक स्कूलों की भी की गई। इस शिक्षा-पद्धति के लिए अल्प-पत्र तैयार करने की भी योजना बनाई गई और उसे कार्यान्वित किया गया। यमई की कांग्रेस-सरकार ने भी इस और प्रशंसनीय कदम रखा और उसने बुनियादी शिक्षा को २० पाठ्याख्याएँ खोलीं। शिक्षा के अन्य क्षेत्रों में भी कांग्रेस की प्रान्तीय सरकारों के समय में प्रशंसनीय उन्नति हुई, जिसका यहाँ उपलब्ध करना स्थानाभाव के कारण सम्भव नहीं है।

### प्रान्तीय कांग्रेसी सरकारों की प्रशंसा

प्रान्तीय कांग्रेसी सरकारों ने अपने कार्यकाल में जिन योग्यता से शासन-शक्ति को संचालित किया तथा समाज-सुधार के कार्य में उन्होंने जिस तेज़ी के साथ आगे कदम रखने का प्रयत्न किया, उसकी प्रशंसा बड़े बड़े अंग्रेज राजनीतिज्ञों ने भी की है। मि० कूपलैण्ड अंग्रेज "इंडियन पॉलिटिक्स" (Indian Politics Part, 2 page 156) नामक ग्रन्थ में लिखते हैं—

"The achievements of the Congress regime in the field of social reform were its most remarkable feature and they were the direct result of the full popular Government established by the new constitution"

"कांग्रेस-शासन ने समाज सुधार के क्षेत्र में, जो सफलताएँ प्राप्त कीं, वे बहुत ही अद्भुत थीं और नये विधान ने जो लोकप्रिय सरकार स्थापित की थी वपका वे प्रत्यक्ष परिणाम थीं।

आगे चलकर यही महाशय फिर लिखते हैं—

"Among the Congress Ministers and members

of the legislatures and their supporters at large, there was a genuine zeal for social reform. It was not only that the party had pledged itself at the polls and wanted to satisfy the electorate on whom the continuance of its power depended, it wanted no less to satisfy itself. A new spirit of public service was abroad. In evoking it and enabling it to fulfil itself in action, democratic self Government was shown its best side."

“कांग्रेस मंत्रियों, धारा सभाओं के सदस्यों और उनके साहयकों में समाज-सुधार के लिए सच्ची लगन थी। इसका कारण केवल यही नहीं था कि वे अपने मतदाताओं को, जिन पर उनकी स्थिति अवलम्बित थी, सन्तुष्ट करना चाहते थे, वरन् वे अपना भी आत्म-सन्तोष चाहते थे। सार्वजनिक सेवा का नवीन भाव उदय हो रहा था और उसको कार्यान्वित करने में जनतन्त्रात्मक स्वशासन अपने सर्वोत्कृष्ट पहलू को प्रकट कर रहा था।

भारत के तत्कालीन वाइसरॉय लॉर्ड लिनलिथगो ने ईस्वी सन् १९१६ के १७ अक्टूबर वाले, अपने वक्तव्य में कांग्रेस की प्रान्तीय सरकारों के कार्यों की प्रशंसा करते हुए कहा था—

‘ That they have done so, he said, on the whole with great success .....no one can question

सर्वांगीन दृष्टि से, उन्होंने ( कांग्रेसी मन्त्रि मंडलों ने ) अपना कार्य यही सफलता के साथ सम्पन्न किया ।””” इसमें कोई संदेह नहीं ।



# कृषक तथा मजदूर आन्दोलन



जैसा कि गत शृंखला में दिखलाया जा चुका है, कांग्रेस के जन आन्दोलन के साथ कृषक तथा मजदूर-आन्दोलन भी किसी न किसी रूप में घुलते रहे। ये आन्दोलन महात्माजी के अहिंसात्मक आन्दोलन की परिधि में रहते थे, ऐसा नहीं कहा जा सकता। कभी कभी इन आन्दोलनों में अहिंसा-तत्व का उल्लंघन भी होता था। इनमें यह भी देखा गया कि मजदूरों या किसानों पर प्रभाव रखने वाले कुछ कार्यकर्ता इनके अज्ञान का फायदा उठाकर इन्हे पथभ्रष्ट कर देते थे, जिससे आन्दोलन की शुद्ध मर्यादा का कभी-कभी भंग हो जाता था।

कांग्रेस मंत्रि-मंडल के समय में भी कृषक और मजदूर आन्दोलनों ने जोर पकवा था, यद्यपि कांग्रेस सरकारों ने इन दोनों दलों की भलाई और सुधार के लिये हर प्रकार के प्रयत्न किये।

ईस्वी सन् १९३७ और ३८ में कई कांग्रेस मंत्रि-मंडलों के प्रायों में कृषक और मजदूर आन्दोलन की आग भड़की थी। बिहार ने इसमें सर्व प्रथम भाग लिया था। कृषक और मजदूर नेताओं ने कांग्रेस मंत्रि-मंडलों की नीति के प्रति असन्तोष प्रकट करना शुरू कर दिया। कृषकों और मजदूरों में यह प्रचार किया जाने लगा कि देश में हठ की सरतट प्रणाली और मजदूरों का राज्य होना चाहिए, जमींदारी प्रथा का एकदम नाश हो जाना चाहिए। कृषकों और मजदूरों की कीसिद्धी बनानी चाहिए और उन्हीं के द्वारा देश का शासन-सूत्र संचालित होना चाहिये। यह आन्दोलन ईस्वी सन् १९३८ में और भी बढ़ा। एतने

वषा उग्र रूप धारण कर लिया। कई स्थानों में दंगे हुए। ईस्वी सन् १९३६ में इस आन्दोलन ने और भी अधिक भयंकर रूप धारण किया। कृषक स्वयं-सेवक छाल मूडा उषाते हुए प्रान्त भर में घूमते रहे और कृषक और मजदूर राज्य के नारे खगाते रहे।

संयुक्त-प्रान्त में भी इस समय कृषक-आन्दोलन जोर शोर से खलने लगा। लोग कांग्रेस सरकार से अनुरोध करने लगे कि चुनाव के समय आप लोगों ने प्रान्त भर में भूमिकर कम से कम कर देने का तथा जमींदारों प्रथा का उन्मूलन करने का जो वचन दिया था, उसे पूरा कीजिये। आन्दोलन का जोर इतना बढ़ा कि ईस्वी सन् १९३७-३८ में मिनिस्ट्रों को प्रान्त में दौरे करने पड़े और उन्होंने किसानों को सारी परिस्थिति समझा कर उन्हें शांत रहने का अनुरोध किया। ईस्वी सन् १९३८ की पहली मार्च को लगभग २० हजार किसानों ने लखनऊ में जमा होकर सचिवालय (Secretariat) को घेर लिया। इस समय प्रधान मंत्री वे बड़ी चतुराई और बुद्धिमत्ता के साथ उन्हें समझाया और उनके कष्टों के साथ सहानुभूति प्रकट करते हुए उन्हें यथा-शक्ति पूर करने का आश्वासन दिया। कृषकों का यह विशाल झुंड प्रधान मंत्री-महोदय से अश्वासन पाकर वापस लौट गया। बम्बई प्रान्त और मध्यप्रान्त में भी कृषक-आन्दोलन हुए, पर उन्होंने इतना उग्र रूप धारण न किया।

### मजदूर आन्दोलन की उग्रता

कांग्रेस मंत्रिमंडल के समय में, अर्थात् ईस्वी सन् १९३७ के नवम्बर मास में, अहमदाबाद में ४० हजार मिछ मजदूरों ने हड़ताल कर दी। यहां यह कह देना आवश्यक है कि अहमदाबाद का न दूर-संघ महात्मा गांधी की प्रेरणा से बना था, और उसके तत्कालीन मंत्री श्री गुलजारीजाख नदा बड़े योग्य व्यक्ति और मजदूरों की समस्याओं के बड़े विरोधक थे। मजदूरों के हितों की भावना से वे ओत प्रोत थे।

इस संघ ने मजदूरों का पक्ष लेकर बड़ी बड़ी लड़ाइयाँ सफलता के साथ खड़ीं और मजदूरों के हितों की रक्षा की। किन्तु जैसा कि ऊपर कहा गया है, मजदूरों की शक्ति का प्रायदा उलटकर और उन्हें सोने के पहाड़ दिखाकर उनही भाषनाओं को उच्चेजित कर देना विशेष कठिन काम नहीं है, यही इस समय किया गया। फिर भी कांग्रेस नेताओं की सहायता से स्थिति को कायू में किया गया और बड़ा की स्थिति का नाशुक होने से बचा लिया गया।

ईस्वी सन् १९३० के अगस्त मास में संयुक्तप्रान्त के कानपुर नगर में मजदूर आन्दोलन ने बड़ा उग्र रूप धारण किया। इस आन्दोलन के नेता और प्रेरक कम्युनिस्ट थे। संयुक्त-प्रान्त के सुबोध प्रधान मंत्री श्री गोविन्दबल्लभ पन्त ने बीच में पड़कर मित्र माखिकों और मजदूरों में समझौता करा दिया, पर इस समझौते ने केवल अस्थायी सुलह का काम दिया। इसी साख के सितम्बर मास में कानपुर में मजदूरों की दूसरी हड़ताल हुई, जिसमें १० हजार मजदूरों ने भाग लिया, पर कुछ सप्ताह के बाद पं० नेहरू की प्रतीक पर यह हड़ताल भी समाप्त हो गई। कुछ दिन तक शांति रही पर यह शांति १६ मई १९३८ को भंग हो गई। इस दिन १६ हजार मजदूरों ने हड़ताल की, और आगे चलकर इसमें ४२ हजार मजदूर और शामिल हो गये। शीघ्र ही कानपुर की सब मिर्छें बंद हो गईं। बम्बई की तरह संयुक्त-प्रान्त की कांग्रेसी सरकार ने मजदूरों को शिकायतों तथा कर्षों की जांच काने के लिये एक जांच कमेटी नियुक्त की और उसकी रिपोर्ट के अधिकांश को बसने स्वीकृत कर लिया।

यद्यपि कांग्रेस सरकार ने उक्त कमेटी की रिपोर्ट को स्वीकार कर लिया था पर मित्र माखिक इससे सहमत न हुए। इस पर मित्र माखिकों और मजदूरों में बड़ा छान्धा चौधा बाराबुसाद हुआ और आखिर जून मास में मित्र माखिकों को मुकुर समझौता करना पड़ा।

इसी समय कुछ छात्रकवादिनों ने विद्यार्थियों को भड़काना भी शुरू किया। उनमें "The war Bugle" "The Echo of Revolution" नामक पुस्तिकाएँ बाँटी गईं। उन्तेजनात्मक भाषण भी दिये गये, जिसमें विद्यार्थियों में काफी उत्तेजना फैली। ईस्वी सन् १९३६ के जनवरी मास में अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के विद्यार्थियों ने पुलिस के व्यवहार से क्रोधित हो पुलिस पर हमला किया, पुलिस क्रिम्प को जला दिया और कुछ कारस्टेजलों को घायल कर दिया।

### साम्प्रदायिक दंगे

कांग्रेस मन्त्रिमण्डलों ने साम्प्रदायिक एकता और शांति के लिये पूरे पूरे प्रयत्न किये, उन्होंने बड़ी निष्पत्ता से काम लिया, पर फिर भी देश के दुर्भाग्य से उस समय भी यह देश साम्प्रदायिक वैमनस्य से मुक्त न रहा। ईस्वी सन् १९३७ के अक्टूबर मास से लगाकर ईस्वी सन् १९३६ के सितम्बर मास के अन्त तक हिन्दू-मुस्लिम दंगों की संख्या २७ के लगभग थी। इनमें १२ बिहार में, १४ संयुक्त-प्रान्त में, ११ मध्यप्रान्त में, ८ मद्रास में, ७ बम्बई में, १ उड़ीसा में और १ सीमा-प्रान्त में हुआ। इनमें लगभग १७०० आदमी घायल हुए और १३० की मृत्यु हुई। इसी समय गौर कांग्रेसी प्रान्तों में भी काफी हिन्दू-मुस्लिम दंगे हुए। सब मिलाकर इनकी संख्या २८ थी, जिनमें १७ पंजाब में, ७ बंगाल में, १ आसाम में और १ सिंध में हुआ। इनमें ३०० मनुष्य हताहत हुए और ३६ की मृत्यु हुई।



# १९३८ का कांग्रेस अधिवेशन

इसी सन् १९३८ में नवयुवकों के हृदय सम्राट् श्री सुभाषचन्द्र बोस के सभापतित्व में कांग्रेस का अधिवेशन गुजरात के इरीपुरा नामक ग्राम में हुआ। यह ग्राम सरदार पटेल का नूतन निवासस्थान था। यद्यपि इरीपुरा एक छोटा गाँव था तथापि वहाँ कांग्रेस का अधिवेशन बड़े समारोह और धूमधाम के साथ हुआ। जसाइ का मानों समुद्र उन्नत रहा था। इस अधिवेशन में संघ-योजना (Federation) को स्वीकार न करने का प्रस्ताव पास किया गया।

## त्रिपुरी का कांग्रेस अधिवेशन

इरीपुरा अधिवेशन के बाद दूसरा अधिवेशन त्रिपुरी में करने का निश्चय हुआ। इसकी अध्यक्षता के लिए श्री सुभाषचन्द्र बोस का नाम फिर से रखा गया। यह बात कांग्रेस के सत्कारुद् महाभारतियों को पसन्द न आई। उन्होंने सुभाषचन्द्र बोस पर बहुत कुछ जोर डाला पर वे अपनी बात पर अड़े रहे और उन्होंने यह स्पष्टतया कहा कि जनतंत्र के सिद्धान्त के अनुसार मुझे खड़ा रहने का हर हाकत में अधिकार है। श्री बोस के विरोध में डॉ० बी० पट्टाभि सीतारामय्या खड़े किये गये। यहाँ यह कहना आवश्यक है कि कांग्रेस के सारे शक्तिशाली नेताओं ने श्री बोस का विरोध और श्री पट्टाभि का जोरदार समर्थन किया था। महात्मा गाँधी सर्रीस्त्री महान् विभूती भी श्रीपट्टाभि के पक्ष में थी। इसने पर भी चुनाव में श्री बोस विजयी हुए; इससे उनकी महान् लोक प्रियता का पता लगता है और यह मालूम होता है कि भारतीय राष्ट्र के हृदय में इस देशभक्त युवक नेता के प्रति कितना महान् आदर और सम्मान था। श्री बोस अपने विरय सौं और मतों पर

हिमालय की तरह डूब रहे और उन्होंने बड़े से बड़े प्रभावों से अप्रभावित रहकर अपने सिद्धान्तों के साथ समझौता करने की कमजोरी कभी न दिखलाई।

## द्वितीय महायुद्ध और कांग्रेस की नीति

ईस्वी सन् १९३६ में यूरोप का द्वितीय महायुद्ध शुरू हुआ। इंग्लैंड और फ्रान्स ने जर्मनी के विरुद्ध युद्ध-घोषणा कर दी। यहाँ यह बात स्मरण रखने योग्य है कि इसके पहले कांग्रेस इस बात का प्रस्ताव पास करती सा रही थी कि यह किसी साम्राज्यवादी युद्ध में अपना सहयोग और सहायता न देगी। भारतवर्ष उस समय ब्रिटिश साम्राज्य की आधीनता में था, इसलिए इंग्लैंड के साथ साथ ब्रिटिश राज्य-प्रतिनिधि वाइसरॉय ने भारतवर्ष की ओर से उसके लोक-प्रतिनिधियों की स्वीकृति ब्रिये बिना ही जर्मनी के खिलाफ युद्ध-घोषणा कर दी। इससे स्थिति बड़ी पेचीदा हो गई। ईस्वी सन् १९३२ के 'भारत एक्ट' के मुताबिक इस समय प्रान्तों में नौ कांग्रेस मंत्री-मंडल शासन कर रहे थे, उनकी स्थिति बहुत कठिन हो गई।

तत्कालीन वाइसरॉय जॉर्ड ब्रिनलियगो ने इस बात के ब्रिये अभीष्ट की। इस समय राष्ट्र के सामने एक प्रकार की समस्या खड़ी हो गई। युद्ध में एक तरफ साम्राज्यवादी शक्तियाँ थीं और दूसरी तरफ नाजीवादी शक्तियाँ। नाजीवादी शक्तियों के साथ प्रगतिशील विचार-धारा का सहयोग न था, क्योंकि ये एकाधिकार ( Dictatorship ) पर निर्भर थीं। इंग्लैंड आदि के ब्रिये यह कहा जाता था कि यद्यपि ये साम्राज्यवादी शक्तियाँ हैं, पर फिर भी इनमें कुछ जनतंत्र का सिद्धान्त मौजूद है। इसलिये प्रगतिशील राजनैतिक दलों की भावना उस समय जर्मनी की

कोशा इन्डिस्ट्र के साथ जुड़ अधिक थी। डॉ० राजेन्द्रप्रसाद अपने  
 "Mahatma Gandhi and Bihar" नामक ग्रन्थ में लिखते हैं—

"There are many amongst congressmen and  
 in the country at large who sympathized with Eng-  
 land. But it was difficult for anyone to render help  
 on behalf of the people, particularly because  
 India had been made a belligerent without her  
 consent and because, in world war, promises and  
 pledges given during the war had not been kept  
 and fulfilled. Lord Linlithgow invited Mahatma  
 Gandhi who expressed his sympathy and even  
 offered unconditional support by which he really  
 meant moral support and not actual help in the  
 conduct of the war with men, money and material"

"अर्थात्, अहिंसी लोगों में और देश में भी ऐसे बहुत से व्यक्ति  
 हैं, जो इन्डिस्ट्र के साथ सहानुभूति रखते हैं। पर किसी के लिये भी  
 जनता की ओर से सहायता देना कठिन था। इसका कारण प्राप्त तौर  
 से यह था कि भारतवर्ष को उनकी स्वीकृति के बिना ही युद्धरत राष्ट्र  
 ( Belligerent ) बना लिया गया था, और इसके प्रतिरिक्त प्रथम  
 महायुद्ध में जो बचन और शरणाग्रण दिये गए थे उनका भी पालन  
 नहीं किया गया। डॉ० लिनलिथगो ने महात्मा गांधी को निमंत्रित  
 किया था, जिन्होंने अपनी सहानुभूति प्रकट करने के साथ साथ बिना  
 शर्त ही सहायता देने का भी अभीवचन दिया था। पर इस सहायता  
 से उनका मतलब नैतिक सहायता से था, न कि ऐसी सहायता से,  
 जिसमें युद्ध संश्लेषण के लिए दिये गये जन, धन और युद्ध सामग्री का  
 समावेश हो। कांग्रेस की कार्य-समिति ने अपने वादानुवाद के बाद यह  
 तै किया कि ब्रिटिश सरकार से अपने युद्ध के उद्देश्य साफ कराने के

जिये कहा जाय और उससे यह भी अनुरोध किया जाय कि वह यह बातला दे कि नई व्यवस्था में भारतवर्ष की क्या स्थिति रहेगी । अगर यह ऐसा करने से इन्कार करे तो कांग्रेस के प्रान्तीय मंत्रि-मंडल इस्तीफा दे दें । इसके अतिरिक्त कांग्रेस के सामने यह भी सवाल था कि इतिहासत्मक नीति स्वीकार करने की हालत में यह किसी इतिहासत्मक युद्ध में सहयोग दे सकती है या नहीं । अगर यह भी मान लिया जाय कि कांग्रेस अपनी पूर्व नीति और प्रस्तावों से बाहर जाकर लड़ाई में मदद भी करे, तो क्या ब्रिटिश गवर्नमट भारत को स्वतंत्रता देकर उस अपन अन्तिम राजनैतिक लक्ष्य पर पहुँचाने में सहायता देगी ? जब तक लोगों की यह विश्वास न हो जाय कि युद्ध में दी गई सहायता के बाद उन्हें स्वाधीनता मिलेगी तब तक वे इस सहायता के कार्य में पर्याप्त उत्साह नहीं दिखा सकते ।

महात्मा गांधी का दृष्टि-कोण इस सच में यह था कि अगर भारत ने अपनी करोड़ों जनता का नैतिक सहयोग मित्र शक्तियों को दिया तो वह मित्र राष्ट्रों की विजय के लिये एक बड़ा नैतिक धरातल उत्पन्न कर देगा । महात्मा गांधी किसी सौदेबाजी पर यह नैतिक सहायता देना न चाहते थे । उनका खयाल था कि यह कार्य बिल्कुल किसी शर्त के होना चाहिए । इससे भारतवर्ष के पक्ष में इस प्रकार का वातावरण पैदा हो जायगा जो स्वाधीनता को अपनी ओर खींच लगाया ।

कांग्रेस कार्य-समिति का दृष्टिकोण महात्माजी से कुछ भिन्न था । वह ब्रिटिश सरकार की ओर से युद्ध के उद्देश्यों के संबंध में और भारत की स्वाधीनता में उन उद्देश्यों को किस प्रकार कार्यान्वित किया जायगा, इस सच में स्पष्ट घोषणा का होना आवश्यक समझती थी । ब्रिटिश सरकार ने कांग्रेस की स्पष्ट घोषणा की मांग का स्वीकार नहीं किया और इसके फलस्वरूप प्रान्तीय मंत्रि मंडलों ने त्याग पत्र दे दिये । कुछ मास तक कांग्रेस और गवर्नर इस बात की प्रतीक्षा करते रहे



कार्य भारतीय लोक-प्रतिनिधियों की बिना सम्मति के किया जा था और कांग्रेस की मांग की उपेक्षा की जा रही थी। व्यक्तिगत सत्याग्रह के द्वारा लोगों में साधारणपार्थी युद्ध के सिद्धांत प्रचार करने का प्रयास कार्यक्रम रखा गया था।

इस व्यक्तिगत सत्याग्रह के लिये महात्माजी ने श्री विनोबा भावे को चुना महात्माजी ने श्री विनोबा को सर्व प्रथम सत्याग्रही चुना के अर्थ में अपने साप्ताहिक पत्र 'हरिजन' में जो लेख लिखा था उसमें उन्होंने श्री विनोबा की भूरि-भूरि प्रशंसा करते हुए उनके उन गुणों का उल्लेख किया था, जिनका एक सच्चे सत्याग्रही में होना आवश्यक है।

श्री विनोबा भावे यशोदा के निवासी हैं। इन्होंने ईस्वी सन् १९१६ में इन्टर मीडियेट ब्रह्मण्य में अध्ययन करते हुए कालेज छोड़ा था। इसके बाद आप तपश्चर्या करने हिमालय पहाड़ पर चले गये थे। आपन मराठी भाषा में गीता का बड़ा सुन्दर अनुवाद किया था। इसके बाद आप महात्माजी के सम्पर्क में आये और इन्होंने अपने उच्च जीवन के द्वारा महात्माजी के हृदय पर बड़ा प्रभाव डाला। आपका जीवन तपस्वी जीवन था और वह एक सच्चे सत्याग्रही के योग्य था। डॉ० पट्टाभि सीतारामय्या अपने "Gandhi and Gandhism," के प्रथम भाग में लिखते हैं—

"Individual civil disobedience had begun in the person of Vinoba Bhave a satyagrahi of 32 years standing, a scholar of wide learning, an ascetic of stern discipline, a devotee of khadder and village industries and the foremost amongst the disciples of Gandhi. In simple yet effective language, in measured and unfaltering tones,

Vinoba has delivered his four speeches against participation in war effort."

इसका अर्थ यह है कि श्री विनोबा भावे से व्यक्तिगत सत्याग्रह प्रारम्भ किया गया था। श्री विनोबा भावे ३२ वर्ष की प्रतिष्ठा के सत्याग्रही थे। वे बहुध्रुव विद्वान्, कठोर अनुशासन का पालन करने वाले तपस्वी, खहर और देहाती उद्योगधर्मों के भक्त और गांधीजी के सबसे धर्मगुरु शिष्य थे। उन्होंने सरल तथा प्रभावशाली भाषा में, नये-तुळे तथा धाराप्रवाही शब्दों में युद्ध-प्रयास में सम्मिलित होने के खिलाफ चार भाष्य दिये। विनोबा भावे गिरफ्तार कर लिये गये और उन्हें ३ मास की सजा दी गई। अब तक श्री विनोबा भावे का नाम देश के इन्ने गिने आदमी ही जानते थे, पर इन व्यक्तिगत सत्याग्रह के बाद उनकी ख्याति सारे देश में फैल गई और ये एक बड़े विशुद्ध सत्याग्रही समझे जाने लगे। डॉ० पट्टाभि सीतारामय्या अपने उक्त धर्मज्ञी ग्रन्थ में आगे चलकर फिर लिखते हैं,—

"Today his name is familiar to millions of his contemporaries in India and tomorrow his name will be revered by posterity, as that of the chosen disciple of Mahatma Gandhi for the purest sacrifice at the altar of the motherland."

"आज उनका नाम भरतवर्ष के उतरे समझाबीन लाखों-करोड़ों आदमियों में प्रख्यात है, और फल उनका नाम आनेवाली सत्तारें महारानी के पुने हुए सत्याग्रही के रूप में और अपनी मानभूमि के लिये सर्वोत्कृष्ट विशुद्ध आत्म-बलिदान करने वाले के रूप में बड़े आदर के साथ लेगी।"

ता० २१ अक्टूबर ईस्वी सन् १९४० को श्री विनोबा भावे सत्याग्रह करते हुए गिरफ्तार कर लिये गए। उनके बाद प० जवाहरलाल नेहरू


भी बारी थी, मगर वे पहले ही गिरफ्तार किये जा चुके थे। इसीके बाद गांधीजी ने एक साधारण व्यक्ति श्री मल्लदत्त से सत्याग्रह करवाया। इस सत्याग्रह में ब्रिटिश सरकार के युद्ध प्रयत्न में सहायता न करने के विषय में तथा सत्याग्रह ही युद्ध का मुकामबला करने का सर्वोत्तम साधन है, आदि भावों को लेकर जो नारे और भाषण तैयार किये गए थे, उन्हें का प्रचार जनता में करने का सत्याग्रहिवां को आदेश दिया गया था। इसके अतिरिक्त यह भी आदेश दिया गया था कि प्रत्येक सत्याग्रही अपने सत्याग्रह करने की मिति और स्थान की सूचना मजिस्ट्रेट को दे दे।

जो सत्याग्रही गिरफ्तार न किये जायें, उनके लिये यह आदेश था कि वे युद्ध के विरुद्ध नारा लगाते हुए और युद्ध प्रयास में सहायता देने के विरुद्ध प्रचार करते हुए दिखनी पड़ें।

इसके अतिरिक्त गांधीजी ने धारा सभाओं के सब निर्वाचित सदस्यों को तथा अन्य संस्थाओं के निर्वाचित प्रतिनिधियों को सत्याग्रह करने का आदेश दिया था। साथ ही यह भी आदेश था कि जो सत्याग्रही जेल से छूटकर आयें, वे फिर से सत्याग्रह कर जेल जायें।

इस प्रकार वैयक्तिक सत्याग्रह करते हुए सोस इज़ार से ऊपर सत्याग्रही जेल गये। इनमें ११ कांग्रेस कार्य समिति के सदस्य, १७४ प्रखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के सदस्य, २२ केन्द्रवर्ती धारा सभा के सदस्य, २३ भूतपूर्व प्रन्तीय कांग्रेस मंत्री और ४०० प्रन्तीय धारा सभाओं के सदस्य थे।

# क्रिप्स-याोजना



ईस्वी सन् १९४१ के ११ मार्च को ग्रेट ब्रिटेन के तत्कालीन प्राइम-मिनिस्टर मि० चर्चिल ने भारतवर्ष को क्रिप्स मिशन भेजने की घोषणा की थी। उस समय की परिस्थितियों पर पत्र कुछ प्रकाश डालना आवश्यक है। जापान ने उस समय मन्नाया और बर्मा के कुछ हिस्से को जीत कर उस पर अधिकार कर लिया था। १५ फरवरी को सिंगापुर का पतन होकर उस पर जापान का विजयी झंडा फहराने लगा था। ७ मार्च को ब्रिटिश सेना जापानी सेना द्वारा परास्त होकर रंगून खाली करने के लिये बाध्य हुई थी। अंग्रेजों के भारतवर्ष पर अधिकार करने के बाद, इतिहास में, यह पहला अवसर था कि इस देश पर भूमि और समुद्र से बाह्याक्रमण होने का भय सिर पर नाच रहा था। इसके प्रतिरिक्त भारत की आन्तरिक स्थिति भी खराब हो रही थी। कांग्रेस और सरकार का संघर्ष बड़ा तीव्र रूप धारण कर रहा था। सरकार के दमनकारी उपायों से स्थिति सुधरने के बजाय बिगड़ती जा रही थी। सरकार और भारतीय नेताओं के सामने बड़े जटिल प्रश्न उपस्थित हो रहे थे। क्या बाह्याक्रमण का मुकाबला भारतवर्ष अपने संयुक्त मोर्चे के द्वारा कर सकेगा? क्या जनता और तत्कालीन अंग्रेज सरकार एक दिग्ग होकर इस आपत्ति का मुकाबला करेंगे? ये प्रश्न उस समय देश के विचारवान् लोगों की ज़बान पर थे। इसके प्रतिरिक्त युद्ध की ब्यूह-रचना की दृष्टि से उस समय भारतवर्ष का बड़ा मदर था। अगर यह कहा जाय तो अत्युक्ति न होगी कि भारतवर्ष पर सारे ब्रिटिश साम्राज्य का जीवन निर्भर था। इन्ही सब बातों की दृष्टि में रख कर मि० चर्चिल ने एक सुधार-योजना के साथ क्रिप्स मिशन को भारतवर्ष भेजा था।

की शरीर धी, मगर वे पहले ही गिरफ्तार किये जा चुके थे। इसलिए उनका वाद गांधीजी ने एक साधारण व्यक्ति धी महान से सत्याग्रह करवाया। इस सत्याग्रह में ब्रिटिश सरकार के युद्ध-प्रयत्न में सहायता न करने के विषय में तथा सत्याग्रह ही युद्ध का मुकाबला करने का सबसे बड़ा साधन है, आदि भावों को लेकर जो नारे धीर भाषण तैयार किये गए थे, उन्हीं का प्रचार जनता में करने का सत्याग्रहियों को आदेश दिया गया था। इसके अतिरिक्त यह भी आदेश दिया गया था कि प्रत्येक सत्याग्रही अपने सत्याग्रह करने की मिति और स्थान की सूचना मजिस्ट्रेट को दे दे।

जो सत्याग्रही गिरफ्तार न किये जायें, उनके लिये यह आदेश था कि वे युद्ध के विरुद्ध नारा लगाते हुए और युद्ध प्रयास में सहायता देने के विरुद्ध प्रचार करते हुए दिरकी पहुँचें।

इसके अतिरिक्त गांधीजी ने धारा सभाओं के सब निर्वाचित सदस्यों को तथा अन्य संस्थाओं के निर्वाचित प्रतिनिधियों को सत्याग्रह करने का आदेश दिया था। साथ ही यह भी आदेश था कि जो सत्याग्रही जेल से छूटकर आयें, वे फिर से सत्याग्रह पर उच्च जायें।

इस प्रकार वैयक्तिक सत्याग्रह करते हुए तीस हजार से ऊपर सत्याग्रही जेल गये। इनमें ११ कांग्रेस कार्य समिति के सदस्य, १७६ अलिखत भारतवर्षीय कांग्रेस कमेटी के सदस्य, १२ केन्द्रवर्ती धारा-सभा के सदस्य, २६ भूतपूर्व प्रान्तीय कांग्रेस मंत्री और ४०० प्रान्तीय धारा सभाओं के सदस्य थे।

# क्रिप्स-योजना



ईस्वी सन् १९४७ के ११ मार्च को ग्रेट ब्रिटेन के तत्कालीन प्राइन-मिनिस्टर मि० चर्चिल ने भारतवर्ष को क्रिप्स मिशन भेजने की घोषणा की थी। उस समय की परिस्थितियों पर पत्र कुछ प्रकाश डालना आवश्यक है। जॉपान ने उस समय मलाया और बर्मा के कुछ हिस्से को जीत कर उस पर अधिकार कर लिया था। १२ फरवरी को सिंगापुर का पतन होकर उस पर जापान का विजयी झंडा फहराने लगा था। ७ मार्च को ब्रिटिश सेना जापानी सेना द्वारा परास्त होकर रगून खाली करने के लिये बाध्य हुई थी। अंग्रेजों के भारतवर्ष पर अधिकार करने के बाद, इतिहास में, यह पहला अवसर था कि इस देश पर भूमि और समुद्र से बाह्यक्रमण होने का भय सिर पर नाच रहा था। इसके अतिरिक्त भारत की आन्तरिक स्थिति भी खराब हो रही थी। कांग्रेस और सरकार का संघर्ष बढ़ा तीव्र रूप धारण कर रहा था। सरकार के दमनकारी उपायों से स्थिति सुधरने के बजाय बिगड़ती जा रही थी। सरकार और भारतीय नेताओं के सामने बड़े जटिल प्रश्न उपस्थित हो रहे थे। क्या बाह्यक्रमण का मुद्दाबला भारतवर्ष अपने संयुक्त मोर्चे के द्वारा कर सकेगा? क्या जनता और तत्कालीन अंग्रेज सरकार एक दिख होकर इस आपत्ति का मुकाबला करेंगे? ये प्रश्न उस समय देश के विचारवान् लोगों की ज़बान पर थे। इसके अतिरिक्त युद्ध की ध्यूह रचना की दृष्टि से उस समय भारतवर्ष का बड़ा मदत था। अगर यह कहा जाय तो अचुक्ति न होगी कि भारतवर्ष पर सारे ब्रिटिश साम्राज्य का जीवन निर्भर था। इन्हीं सब बातों की दृष्टि में रल का मि० चर्चिल ने एक सुधार-योजना के साथ क्रिप्स मिशन को भारतवर्ष भेजा था।

क्रिप्स महोदय एक उच्च श्रेणी के ब्रिटिश राजनीतिज्ञ हैं। जब उस समय रूस के राजदूत वनाकर भेजे गये थे तब उस समय रूस का प्रभुत्व जर्मनी के पक्ष में और फ्रान्स आदि के विरुद्ध था। रूस का रूसी मित्र देशों के विरोध में जोरदार प्रचार कर रहा था। ऐसी स्थिति को क्रिप्स महोदय ने अपनी राजनीतिक प्रतिभा से बखूबी समझ लिया। उन्होंने ऐसी परिस्थिति उत्पन्न कर दी जिससे उस समय रूस केवल फ्रान्स आदि का मित्र ही नहीं बन गया, किंतु उसके और जर्मनी के बीच में युद्ध छल गया। इससे कुछ समय के बाद युद्ध की परिस्थिति बिल्कुल बदल गई और युद्ध के इतिहास में एक नया अध्याय शुरू हो गया। अगर ऐसा न होता तो आज ससार के मानचित्र का दूसरा ही रूप होता।

क्रिप्स को भेजने में ब्रिटिश सरकार ने यह भी सोचा कि क्रिप्स ब्रिटिश समाजवादी दल के नेता होने से वे सम्भवतः भारतीय लोकमत पर अधिक प्रभाव डाल सकेंगे। इसके अतिरिक्त मि० क्रिप्स भारत के प्रधान नेता प० जवाहरलाल नेहरू के मित्र थे। इससे पूर्व जब भारत भारतवर्ष आये थे तब आप पंडितजी के पास ही मेहमान के रूप में रहे थे। इन्हीं सब बातों को सोचकर ब्रिटिश राजनीतिज्ञों ने क्रिप्स के नेतृत्व में अपना मिशन भेजा था।

ईसवी सन् १९४२ के २३ मार्च को क्रिप्स महोदय अपने मिशन के साथ हवाई जहाज से नई दिल्ली उतरे। तुरन्त आप वाइसरॉय भवन में पहुँचे और वहाँ आप दो दिन तक ठहरे। यहीं आप प्रान्तीय गवर्नरों से मिले, जो आपसे मिलने ही के लिए अपने अपने प्रान्तों से आये हुए थे। इसके अतिरिक्त आप वाइसरॉय की कार्यालयी सभा के सदस्यों से मिले और उन्हें अपनी सुधार-योजना से अवगत कराया। २५ मार्च को आप कीन विस्तोरिया रोड न० ३ वाले अपने मकान पर पहुँचे और वहाँ आपने कांग्रेस के तत्कालीन अध्यक्ष मौलाना अबुलकलाम आज़ाद से भेंट की। मौलाना आज़ाद के बाद आप

सुखिन लीग के अध्यक्ष जिन्हा साटव ने मिले । दोनों ही को आपने अपने प्रस्तावों के मसदियों की प्रतियाँ दीं और उनके महाव को समझाया । कहने का मतलब यह है कि आप सारे सहाइ भर विभिन्न राजनैतिक और साम्प्रदायिक दलों के नेताओं से मिलते रहे । देशी राज्यों के प्रजा-प्रतिनिधियों से भी आप मिले । सभी को आपने अपने प्रस्तावों की प्रतियाँ दीं ।

सर स्टेफोर्ड क्रिप्स के भारत पहुँचने तक यहाँ के समाचारपत्रों में उनके प्रस्तावों के संभव में कोई ग्वास आलोचना न हुई थी । अगर हुई भी थी तो बहुत ही कम । पर ज्योंही सर स्टेफोर्ड क्रिप्स भारत पहुँचे और लोगों ने उनके प्रस्तावों के संबन्ध में उड़ती हुई खबरें सुनीं तो उनके खिलाफ कई प्रकार की आलोचनाएँ निकलने लगीं । लोगों को मालूम हुआ कि सर स्टेफोर्ड की योजना यदि कार्यान्वित की गई तो भारतवर्ष एक संयुक्त संघ के चत्वार्य कई सर्वा में विभाजित हो जायगा और उसनी एकता बुरी तरह से क्षिन्नभिन्न हो जायगी । इसके अतिरिक्त उनके प्रस्तावों में भारतवर्ष को जो कुछ दिया जाने वाला था वह युद्ध के बाद था । इसलिए महारानी ने इस योजना को थगली मिठी की हुंडी (Post-dated cheque) कहा था ।

२६ मार्च को सर स्टेफोर्ड ने समाचारपत्रों के प्रतिनिधियों को निमंत्रित किया और अपनी योजना की प्रतियाँ उनके हवाले कीं । इस समय चारों ओर से सर स्टेफोर्ड क्रिप्स पर प्रश्नों की नौबतें धरसने लगीं । सर स्टेफोर्ड, जेमा कि हम पहले कह चुके हैं, बड़े राजनीतिज्ञ, गम्भीर विद्वान् और सभा चतुर थे । उन्होंने बड़ी योग्यता के साथ प्रश्नों का उत्तर देते हुए अपनी प्रस्तावित योजना का समर्थन किया । इतना ही नहीं उन्होंने उपस्थित प्रेस प्रतिनिधियों को अपने उत्तरों से बहुत कुछ सन्तुष्ट भी किया । मि० सुप्रह्लाद्य अपने "Why Cripps Failed" नामक अंग्रेजी ग्रन्थ में लिखते हैं:—



“He then answered the hundreds of searching questions showered at him from all sides. It was a gallant attempt to stem the tide which had already started flowing against him, and it was a tribute to his ability and agility that he very nearly succeeded in convincing his audience that the scheme was, after all, not so bad as the forecasts had made it out to be. The provinces had indeed for the first time, secured the right to stay away from federation, and even form an alternative federation of their own. Defence, it was true, continued to be reserved as the responsibility of his Majesty's Government. But the scheme had some attractive features. With further elucidation on obscure points, some difficult negotiations and even hard bargaining, it was thought, it might be licked into acceptable shape. This was the first reaction in the country to the Draft Declaration.”

अर्थात्, “चारों तरफ से होनवाले सैकड़ों द्वा-वीन भरे प्रश्नों की चौकड़ों का उन्होंने उत्तर दिया। यह कार्य चारों तरफ से आने वाले एक विरोधी तूफान का वीरग्व पूर्ण मुकाबला था। हमके अतिरिक्त यह उनकी योग्यता और कायतरसता के लिए एक बड़ी प्रशंसा की बात थी कि वे अपने धोताघा को इस बात का विश्वास दिलाने में करीब करीब सफल हो गये थे कि उनकी योजना इतनी खराब नहीं थी जितनी कि उसके संबंध की भविष्य याचियों में बहलाई गई थी। अवरय ही,

प्रान्तों ने इस योजना के अनुसार पहले बार संघ से अलग रहने का अधिकार प्राप्त किया था और इतना ही नहीं उन्हें अपना वैकल्पिक संघ बनाने का अधिकार भी दिया गया था। यह सच है कि देश-रजा के कार्य का उत्तरदायित्व श्रीमान् मन्नाट की सरकार के लिए ही सुरक्षित रखा गया था। किंतु इस योजना के कुछ आकर्षक पहलू भी थे। कुछ अस्पष्ट मुद्दों के स्पष्टीकरण से, कुछ कठिन समझौतों से तथा मुश्किल सौदों से, आदान प्रदान से, यह विषय भी स्वीकार करने को थ बनना था। यह प्रस्तावित मसविदे की घोषणा की, हम देख भ होनेवाली, प्रथम प्रतिक्रिया थी।”

क्रिप्स के प्रस्तावित मसविदे में मूलयोजना और उसकी प्रस्तावना थी। प्रस्तावना में कहा गया था कि भारत के भविष्य के संबंध में ब्रिटिश सरकार जो वचन देती आ रही है उसको अब उक्त सरकार कार्यान्वित करना चाहती है। यह स्पष्ट शर्तों में यह अश्वासन देना चाहती है कि भारतवर्ष में स्वशासन की सिद्धि के लिये वह जल्दी से सशरी क्रम उठाना चाहती है। ठमका उद्देश्य यह है कि भारतवर्ष में ऐसे संघ का निर्माण किया जाय जिसका सम्बंध ब्रिटिश समुक्त-राज्य और उसके उपनिवेशों से हो, और जो सामान्य रूप से सम्राट् के प्रति निष्ठा रखता हुआ हर बात में उनके बराबरी का दर्जा रखता हो। साथ ही अपने घरेलू या बाहरी मामलों में वह किसी भी रूप में इनके आधीन न हो।

मूल योजना में इस समस्या के दो पहलुओं पर विचार किया गया था। एक तो यह कि महायुद्ध समाप्त होने के बाद नये संघ का किस प्रकार निर्माण किया जाय और दूसरा यह कि देश की रजा के लिये लोगों का किस प्रकार प्रभावोत्पादक सहयोग प्राप्त किया जाय। इसमें यह भी कहा गया था कि युद्ध-बंद होने के बाद तुरंत ही एक विधान-सभा का संगठन किया जाय, जो देश के लिये विधान बनाने का कार्य

करे। यह विधान-सभा युद्ध के बाद होने वाले चुनावों में निर्वाचित प्रांतीय धारा सभाओं के सदस्यों द्वारा निर्वाचित हो, अर्थात् २० सदस्य प्रांतीय धारा सभाओं के सदस्यों द्वारा निर्वाचित किये जायें। धारा सभा के निर्वाचित सदस्यों की सख्या प्रांतीय धारा सभाओं के कुल सदस्यों की संख्या का  $\frac{1}{10}$  हो। देशी राज्य भी ब्रिटिश भारत की तरह अपनी संख्या के अनुपात से विधान सभा के स्थान पर प्रतिनिधि नियुक्त करें। ब्रिटिश भारत के सदस्यों की तरह ही उनका अधिकार होंगे।

इसके अतिरिक्त क्रिप्स योजना में प्रांतों को यह अधिकार दिया गया था कि अगर कोई प्रांत सब में सम्मिलित न होना चाहे तो वह अपनी पूर्व-स्थिति में रह सकता है, पर इसके लिये ६० फ्री सदी जनता का मत होना चाहिये। इस योजना की दूसरी धारा में श्रीमान् मन्त्रालय की सरकार और विधान-सभा के बीच होने वाली संधि का जिक्र किया गया था। इसमें ब्रिटिश सरकार के हाथ से भारतवासियों के हाथ में दिये जाने वाले सम्पूर्ण अनरदायित्व की शर्तों के उल्लेख के साथ प्रांतीय और धार्मिक अल्प-संख्यक समुदायों (Minorities) की रक्षा का उल्लेख भी किया गया था, और कहा गया था कि, ब्रिटिश सरकार ने पहले ही से इस संबंध में उन्हें जो अभिवचन दिये थे, उनके परिपालन का आश्वासन इस संधि में रहेगा। इस संधि के अनुसार भारतीय सब के लिए इस बात में कोई रुकावट न डाली जायगी कि वह ब्रिटिश कॉमनवेल्थ के अन्य सदस्य राज्यों के साथ अपनी इच्छानुसार अपना सम्बंध रख सके।

क्रिप्स के प्रस्तावों में भारत के नवीन युनियन को यह भी अधिकार दिया गया था कि अगर वह चाहे तो ब्रिटिश साम्राज्य से जुदा हो सकता है। पातलीत के दौरान में एक अवसर ऐसा आया जब ऐसा मालूम होने लगा कि भारत के नेता इन प्रस्तावों को स्वीकार कर लेंगे। पर

ऐसा न हुआ। इसका कारण यह था कि एक तो इन प्रस्तावों में वर्णित सुधार तत्काल कार्यान्वित न होने वाले थे। दूसरा यह था कि प्रान्तों को प्रधान संघ से उनकी इच्छानुसार अलग होने का अधिकार इन प्रस्तावों में दिया गया था, यह हमारे नेताओं को उस समय मान्य न था।

ब्रिटिश सरकार इससे पहले भारत को दिये गये वचन तोड़ चुकी थी, इसलिये हमारे नेतार्थों को इस बात का संदेह था कि अपना काम निहालान के बाद ब्रिटिश सरकार भारत को स्वराज्य देगी या नहीं।

इसने पर भी यह बातचीत, जैसा कि पहले कहा गया है, समझौते के बहुत कुछ निकट पहुँच गई थी। पर आखिर देश रक्षा (Defence) और मध्यवर्ती सरकार (Interim Government) के सगठन के प्रश्न को लेकर मतभेद उपस्थित हो ही गया और बातचीत टूट गई। सर स्टेफोर्ड भारत छोड़कर चले गये। उनके प्रस्तावों को न केवल कांग्रेस ही ने किन्तु अन्य दलों ने भी अस्वीकृत कर दिया था।

## “भारत छोड़ो” आन्दोलन



सर स्टेफोर्ड क्रिप्स के इस प्रकार चले जाने से भारत के वातावरण में क्रोध और घृणान्ति की ज्वाला बड़े जोरों से भड़क उठी। हमारे राष्ट्रीय नेता स्वतन्त्रता प्राप्ति के लिये आखिरी कदम उठाने को प्रस्तुत हो गये। महात्मा गांधी ने इन दिनों में 'हरिजन' में जो लेख लिखे, उनमें से स्वतन्त्रता की ज्वालामुँह निकल रही थीं। डा० राजेन्द्रप्रसाद ने

अपने "Mahatma Gandhi and Bihar" नामक ग्रन्थ में लिखा है।

"In those days Gandhi's writings were emitting fire and the whole country was on the tiptoe of expectancy of great things to happen."

अर्थात्, "उन दिनों गांधीजी के लेख भाग चरना रहे थे, और भारत देश महान् घटनाओं की प्रतीक्षा कर रहा था।" ७ और ८ अगस्त १९४२ को बम्बई के गोवाळिया टैंक मैदान के एक विशाल सुमजिन्न भवन में दिन के २ बजेकर ४५ मिनट पर स्वतंत्रता के महान् प्रश्न पर अन्तिम निर्धार करने के लिये अखिल भारतीय कांग्रेस समिति का अधिवेशन प्रारम्भ हुआ। इसमें एक कांग्रेस समिति के २५० सदस्य और लगभग १० हजार दर्शक उपस्थित थे। महात्मा गांधी दिन के ठीक ३ बजे सभा-भवन में पवारे और उपस्थित विशाल जनता ने तुमुल्ल अथ-ध्वनि के साथ उनका स्वागत किया। सारा राह इस समय नवजीवन से अनुप्राणित हो रहा था, और वह बड़ी तृप्त-पूर्व दृष्टि से बम्बई के निर्णय की प्रतीक्षा कर रहा था।

इस समय कांग्रेस महासमिति ने उस ऐतिहासिक प्रस्ताव पर विचार किया जो "भारत छोड़ो" के नाम से प्रसिद्ध है। वह एक क्रमदा और विस्तृत प्रस्ताव था जिसमें भारत की स्वतंत्रता को क्रौरन स्वीकार करना केवल भारत के ही हित में नहीं, बल्कि समुक्त राष्ट्रों के हित की सफलता के लिये भी भारत से ब्रिटिश राज्य उठा लेने के लिये विचार-पूर्ण तर्क दिये गये थे। उसमें कहा गया था कि भारत में ब्रिटिश राज्य के जारी रहने से भारत का पतन ही रहा है, वह कमजोर बनता जा रहा है और उसकी अपनी रक्षा करने तथा विश्व-स्वतंत्रता के पक्ष में योग देने की शक्ति दिन पर दिन घटती जा रही है। " ...

आगे चक्कर इसी प्रस्ताव में इन बात पर बहुत जोर दिया गया था कि ब्रिटिश शक्ति भारतवर्ष से हट जाय और भारतीय स्वतन्त्रता की

घोषणा देने पर स्वतंत्र भारत में एक ऐसी कामचलाऊ सरकार (Provisional Government) बन जाय जो प्रमुख विभिन्न दलों के सहयोग से निर्मित हो और जिसका मुख्य कार्य अपनी समस्त सशस्त्र और अहिंसात्मक शक्तियों से तथा मित्र-राष्ट्रों के सहयोग से भारत को रक्षा करना तथा घातक आक्रमण का विरोध करना हो। यह सरकार विधान-परिषद् की योजना तैयार करेगी और वह विधान परिषद् भारत के सभी वर्गों द्वारा स्वीकृत किये जाने योग्य विधान बनायेगी। यह विधान एक संघीय विधान होगा जिसकी विभिन्न इकाइयों को अधिक से अधिक स्वराज्य और अवशिष्ट अधिकार प्राप्त होंगे। स्वतंत्रता भारत को इस योग्य बना देगी कि वह जनता की संयुक्त हृद्दया-शक्ति और बल की सहायता से आक्रमण का सफलता पूर्वक विरोध कर सके।”

आगे चलकर महासमिति ने भारतीय स्वतंत्रता का आदर्श रखते हुए अपने प्रस्ताव में कहा:—

“The freedom of India must be the symbol of and prelude to this freedom of all other Asiatic nations under foreign domination. Burma, Malaya and China, Indonesia, Iran and Irak must also attain their complete freedom.”

अर्थात्, “भारतीय स्वतंत्रता विदेशी सत्ता की अधीनता में रहने वाले तमाम एशियाई देशों की स्वतंत्रता की प्रतीक और भूमिका होनी चाहिए। यर्न, मलाया, इंडो-चाइना, इंडोनेशिया, ईरान और इराक आदि को भी अपनी पूरा स्वतंत्रता प्राप्त करनी चाहिए।”

इसके अतिरिक्त प्रस्ताव में यह भी कहा गया कि संसार की भावी शांति, सुखा और सुखवस्थित प्रगति के लिये यह आवश्यक है कि स्वतंत्र राष्ट्रों का एक विश्व संघ (World federation) स्थापित किया

जाय। इसके बिना आधुनिक संसार की समस्याओं का हल नहीं हो सकता।

इस प्रकार का विरम संघ अपने घटक राष्ट्रों (Constituent Nations) की स्वतंत्रता की रक्षा करेगा; एक राष्ट्र द्वारा दूसरे राष्ट्र पर होने वाले आक्रमण और शोषण को रोकेगा; राष्ट्रीय अल्प संख्यक दलों (National minorities) की रक्षा करेगा; पिछड़े हुए प्रदेशों और लोगों की प्रगति में सहायक होगा और सब की भलाई अर्थात् सर्वोदय के लिये संसार के साधनों का उपयोग करेगा। इस प्रकार का विश्व-संघ स्थापित होने पर सब देशों में निरस्त्रीकरण सम्भव हो सकेगा, जड़-सेनाओं और हवाई सेनाओं की आवश्यकता न रहेगी और विश्व-संघ की रक्षाकारी शक्ति संसार-शांति को स्थापित करेगी और आतमियों को रोकेगी।

इन प्रस्तावित आश्यों के साथ साथ ही कांग्रेस की महासमिति ने भारतीय स्वाधीनता के अपने अखंड अधिकार को प्रकट करते हुए इमकी प्राप्ति के लिये विशाल पाये पर सामूहिक अहिंसात्मक सत्याग्रह करने का निश्चय किया और यह प्रकट किया कि गत २२ वर्षों के शान्तिमय संघर्ष से राष्ट्र ने जो शक्ति संचित की है, उस सारी शक्ति को यह अखंडित रूप से इस संघर्ष में लगावे। यह संघर्ष गांधीजी के नेतृत्व में चलाया जाय। इसके लिये महासमिति ने गांधीजी से प्रार्थना की कि वे इस महान् संघर्ष का नेतृत्व प्रहय करें।

इसके अतिरिक्त कांग्रेस महासमिति ने लोगों से अपील की कि वे भारतीय स्वतंत्रता के पवित्र उद्देश्य के लिये इस संघर्ष के कारण आने वाले तमाम कठिनाइयों और मतरों को पारी बहादुरी और सहन-शीलता के साथ सहन करें।

इस महान् संघर्ष के संवाहन में एक समय ऐसा आ सकता है कि तब ऊपर से दिवायते प्राप्त न हो सकें, और कांग्रेस कमेटीयों की

कार्यवाहिका बन्द हो जाय। ऐसी स्थिति में हर एक पुरुष और स्त्री अपना नेतृत्व स्वयं करें और वे तब तक जागे बढ़ते रहें जब तक राष्ट्र की स्वाधीनता और भुक्ति न मिल जाय। अतः मैं कांग्रेस माहवमिति ने भारतवर्ष के भावी गामन के सप्ताह में अपना अभिप्राय प्रकट करते हुए स्पष्ट रूप से यह कहा कि समूहिक संघर्ष से बढ़ अपने लिए अधिकार प्राप्त करने की आकांक्षा नहीं रखती बल्कि सब देश के लिए यह आकांक्षा रखती है।

माहवमिति के इस प्रस्ताव के समर्थन में सबसे पहले मौलाना आजाद बोले। उन्होंने बड़े जोरदार शब्दों में यह प्रकट किया कि 'भारत छोड़ो' के नारे का मतलब पूर्ण स्वतंत्रता से न तो कम है और न ज्यादा। इसका मतलब भारतवासियों के हाथ में पूर्ण राज्यपत्ता का हस्तान्तरित होना है। इसके लिये वे ब्रिटिश और संयुक्त राष्ट्रों (United Nations) से यह आग्रहों प्रतीक कर रहे हैं। अगर उनकी आखिरी शर्त नहीं है और कान बहरे नहीं हैं तो वे इस मांग को स्वीकार करें।"

मौलाना आजाद के बाद प० जवाहरलाल नेहरू उठे और उन्होंने इस ऐतिहासिक प्रस्ताव का समर्थन करते हुए कहा—“जो कदम हम उठा रहे हैं उसे पीछा हटाने का कोई सवाल ही नहीं है। अगर हमारे विपक्षियों में सद्भावना हो तो सब सामझा ठीक हो जायगा और युद्ध की सारी गति-विधि में परिवर्तन हो जायगा। कांग्रेस तूफानी महासागर में कूद रही है; या तो वह भारत की स्वतंत्रता को लेकर निकल आयेगी या वह रसातल में ही खली जायगी। यह लड़ाई आखिरी दम तक लड़ी जायगी।"

प० जवाहरलाल के बाद सरदार पटेल बोले और उन्होंने ब्रिटिश सरकार की भारतीय नीति पर कड़े आक्षेप किये। सरदार पटेल के बाद महात्मा गांधी उठे और आखिरी की गड़गड़ाहट के बीच उन्होंने बड़े गम्भीर स्वर से बोलना शुरू किया—



“अगर आप स्वराज्य और स्वतंत्रता चाहते हैं, अगर आप विश्वास यह गढ़सूस करते हैं कि ना तब मैं आपके सामने खड़ा हूँ, ना महा और ठीक है, तो आपको उसे स्वीकार कर लेना चाहिये। इस तरह आप मुझे पूरा सहयोग दे सका है।”

आगे चल कर महात्माजी ने फिर वक्ता 'दूसरी बात जो मैं आप से कहना चाहता हूँ, वह यह है कि आप अपनी जिम्मेदारी को समझिये। कांग्रेस महा समिति के सदाय पार्लियामेंट के सदस्यों की तरह हैं। कांग्रेस सारे भारतवर्ष का प्रतिनिधित्व करती है। वह अपने मन-काज ही से किसी विधिप्रान्त की नहीं, कि तु सारे राष्ट्र की है। यही कारण है कि आप लोगों की धार में यह दावा पद्य करता आ रहा है कि आप न केवल कांग्रेस के रजिस्टर्ड सदस्यों का ही प्रतिनिधित्व करते हैं बरन् सारे राष्ट्र का प्रतिनिधित्व करते हैं।”

दूसरे दिन ८ अगस्त १९४२ को कांग्रेस महासमिति की दूसरी बैठक हुई, जिसमें उक्त प्रस्ताव बहुत पदे बहुमत से पास हुआ। केवल ३० मत प्रस्ताव के विरोध में आये। इस प्रस्ताव में जो संशोधन रखे गये, वे या तो वापस ले लिये गये या अस्वीकृत हो गये।

प्रस्ताव के पास हो जाने के बाद राष्ट्र को सम्बोधन करते हुए महात्मा गांधी गम्भीरता पूर्वक बाले—“मैं इस संवत् में आपका नेतृत्व करने का कार्य अपने कर्षों पर जता हूँ। यह कार्यभाग मैं आपके कमायदर की हैसियत से नहीं बरन् आपके एक विनीत सेवक की हैसियत से लेता हूँ। जो सबसे अच्छी सेवा करता है वही मुखिया बनता है। मैं इस दृष्टि से राष्ट्र का मुख्य सेवक हूँ, और इसी दृष्टि से अपने इस कार्य को और इस पद को देखता हूँ।”

इसके बाद महात्मा गांधी ने पदे जोरदार शब्दों में कहा कि “अगर मारे संयुक्त राष्ट्र मेरा विरोध करें, अगर सारा भारतवर्ष भी मुझे

यह विश्वास दिखावे कि मैं राबती पर हूँ, तो भी मैं घागे पड़ता हुआ बचा जाऊँगा। मेरा यह कार्य न केवल हिन्दुस्तान के लिये होगा किन्तु मारे संसार के लिये होगा।”

अन्त में गांधीजी ने अत्यन्त मर्मस्पर्शी शब्दों में श्रोताओं को सम्बोधन करते हुए कहा:—

“Here is a Mantra—a short one—that I will give you. You may imprint it on your hearts and let every breath of yours give expression to it. The Mantra is this “We shall do or die,” We shall either free India or die in attempt. We shall not live the perpetuation of slavery. Every true Congressman or woman will join the struggle with an inflexible determination not to remain alive to see the country in bondage and slavery. + + + + Let everyman and woman live every moment of his or her life hereafter in the consciousness that he or she eats or lives for achieving freedom and will die, if need be, to attain that goal. With God and your own conscience as witness that you will no longer rest till freedom is achieved and will be prepared to lay down your lives in the attempt to achieve it. He who loses his life shall gain, he who will seek to save it shall lose it. Freedom is not for the faint hearted.”

अर्थात्, “यहाँ एक छोटा सा मन्त्र है जो मैं आपको देता हूँ। इसे आप अपने हृदयों पर अंकित कर लीजिये और इसे धाय अपने हर एक

यंगल को तरह दुपिय भारत में भी अगस्त कान्ति की ज्वाला के पोरों से भभक उठी। बम्बई प्रान्त के लता नामक शहर में जनता एक समानान्तर 'पत्री सरकार' की स्थापना कर ली थी, जिसमें लगभग ७०० गाँव थे। इस सरकार का एक गुप्तचर विभाग भी था और एक अदालत भी थी। ब्रिटिश सरकार ने वहाँ पर जो जो दमन किये वे सब रोमांचकारी थे।

भारत की राजधानी दिल्ली में भी इस आग की लपटें पहुँचीं। १२ अगस्त को जनता क एक कुन्ड में रखे अकाउंट्स क्लीयरिंग ऑफिस, जो 'पीछी कौडी' के नाम से प्रसिद्ध था, जला दिया। इनके टैक्स के दफ्तर और पोस्ट ऑफिसों का भी वृत्ति पहुँचाई गई। जनता का रोष जय बढ़ता ही गया तो विवश होकर अधिकारियों ने गाँवों पर पब्लिक जुलाई, उसने अन्धाधुन्ध गोळियों की वर्षा की, जिससे सब और आतङ्क फैल गया।

नीति के कारण राज्य और प्रजा में समझौता हो गया ।

मेवाड़ में भी इस आन्दोलन की ज्वालाएं पहुँचीं । जनता ने महा-शया साहब से अनुरोध किया कि वे ब्रिटिश सरकार से अपना संबंध तोड़ दें और अपने राज्य में त्रिभेदार सरकार स्थापित कर दें । यहाँ २०० गिरफ्तारियाँ हुईं । उड़ीसा की टाककर रियासत में आन्दोलन ने भीषण रूप धारण किया । इस रियासत में खुदा विद्रोह हुआ और बहुत दिन तक चलता रहा । यहाँ रज की जाइनें काट दी गईं, याता-वत के साधनों पर जनता न कब्जा कर लिया, सरकारी इमारतों पर तिरंगे फँडे उड़ने लगे और सब धानों पर जनता का अधिकार हो गया । इतना ही नहीं, वहाँ जनता ने एक म्म नान्तर सरकार भी कायम कर दी, जिसके अधीन गाँव के मुखिया, चौकीदार आदि ने काम करना शुरू कर दिया । पीछे जाकर इस रियासत में भयंकर दमन शुरू हुआ और मशीनगन तक से काम लिया गया । हवाई जहाज़ से यम तक फँके गये । इस दमनचक्र से यह आन्दोलन समाप्त हो गया । उड़ीसा की भैरनाम रियासत में २ सितम्बर को जोगी के मुन्ड ने विष्णुपट्ट नायक नामक एक व्यक्ति के नेतृत्व में चोँदपु। धाने पर आक्रमण कर पुलिसवालों की सब बट्टूकें चीन कीं ।

कदन का मतलब यह है कि भारतभर के प्रायः सब प्रान्तों में क्रांति की यह ज्वाला बड़े ज़ोरों से भमक उठी थी । कई स्थानों में सरकारी इमारतों पर काप्रेसी फँडे बहरान लगे और थोड़े समय के लिये पेंसा मालूम होन लगा मानो जोगी ने अपना शासन कायम कर लिया है । कई स्थानों में समानान्तर सरकारें स्थापित कर ली गईं । यह सारा कार्भ बोम्य न्त्त्व के अभाव में हुआ । इसलिए इसका प्रभाव अल्पकालीन रहा ।

### भीषण दमन-चक्र

ज्वालीन भारत सरकार भी इस परिस्थिति से अनजान न थी ।

धगाख की तरह यद्यपि भारत में भी अगस्त क्रान्ति की ज्वाला प्रोशों से भभक उठी । अगस्त प्रान्त के सतारा नामक नगर में जनता एक समानान्तर 'पत्री सरकार' की स्थापना कर ली थी, जिसमें अगस्त ७०० गांव थे । इस सरकार का एक गुप्तचर विभाग भी था और एक अक्षाक्षर भी थी । ब्रिटिश सरकार ने वहाँ पर जो जो दमन किये वे रोमांचकारी थे ।

भारत की राजधानी दिल्ली में भी इस आग की लपटें पहुँचीं । १२ अगस्त को जनता के एक झुंड ने रेखवे अकाउंट्स क्लीयरिफाई ऑफिस, जो 'पीछी कोठी' के नाम से प्रसिद्ध था, जला दिया । इनके टैक्स के दफ्तर और पोस्ट ऑफिसों का भी अति पहुँचाई गई । जनता का रोव जब बढ़ता ही गया तो विवश होकर अधिकारियों ने गाँवों पर पकड़न मुखाई । उसने अन्धाधुन्ध गोखियों की घर्षों की, जिससे सब ओर आतङ्क फैल गया ।

ब्रिटिश भारत की तरह देशो रियासतों में भी यह आन्दोलन बढा । उड़ीसा प्रान्त की रियासतों में तो इस आन्दोलन ने बड़ा ही उपरूप धारण किया । ग्वाजियर कोचीन, ट्रावनकोर, कोरदापुर, मिरज, मैसूर, भोपाळ, इन्दौर, कोटा, साखर आदि रियासतों में चढ़े जोर के आन्दोलन हुए । इन में हजारों जासों आदिमियों ने हिस्सा लिया । इन्दौर के मन्डलेरवार नामक नगर के जेल को तोड़कर बहा से कई यही नेता बाहर निकल आये, जा पीछे से फिर गिरफ्तार कर लिये गये । कोटा में शहर पर जनता ने कब्जा कर लिया । जनता ने शहर की दीवारों पर कब्जा करके उसका रास्ता बन्द कर दिया । शहर की चौवार के पास जो तोपें रखी थीं उन पर भी जनता ने अधिकार कर लिया । यह सारा कार्य राज्य के सरकाहीन दीवान की अग्रदृष्टि पर्याय नीति के कारण हुआ । वैसे, वहाँ के महाराजा और प्रजा के बीच आत्मीयता का संबंध था । पीछे आकर महाराजा की सद्भावना पूर्ण

नीति के कारण राज्य और राजा में समझौता हो गया ।

मेवाड़ में भी इस आन्दोलन की ज्वालाएं पहुँचीं । जनता ने महाराणा साहब से अनुरोध किया कि वे ब्रिटिश सरकार से अपना संबंध तोड़ दें और अपने राज्य में जिम्मेदार सरकार स्थापित कर दें । यहाँ २०० गिरफ्तारियाँ हुईं । उड़ीसा की तालचर रियासत में आन्दोलन ने भीषण रूप धारण किया । इस रियासत में खुदा विद्रोह हुआ और बहुत दिन तक चलता रहा । यहाँ रेल की लाइनें काट दी गईं, याता-यात के साधनों पर जनता न कब्जा कर लिया, सरकारी इमारतों पर तिरंगे भंडे उड़ाने लगे और सब धानों पर जनता का अधिकार हो गया । इतना ही नहीं, वहाँ जनता ने एक मम नान्तर सरकार भी फायम कर दी, जिसके अधीन गाँव के मुखिया, चौकीदार आदि ने काम करना शुरू कर दिया । पोले जाकर इस रियासत में भयंकर दमन शुरू हुआ और मशीनगन तक से काम लिया गया । हवाई जहाज से मम तक फेंके गये । इस दमनचक्र से यह आन्दोलन समाप्त हो गया । उड़ीसा की भैरनाम रियासत में २ सितम्बर को लोगों के झुंड ने विष्णुपट्ट नायक नामक एक व्यक्ति के नेतृत्व में चाँदपुर धाने पर आक्रमण कर पुकिसयालों की सब चट्टकें छीन लीं ।

करने का मतलब यह है कि भारतवर्ष के प्रायः सब प्रान्तों में शक्ति की यह ज्वाला बड़े जोरों से भनक उठी थी । कई स्थानों में सरकारी इमारतों पर कांग्रेसी झण्डे चहराने लगे और थोड़े समय के लिये ऐसा मालूम होने लगा मशीन छोड़ने ने अपना शासन कायम कर लिया है । कई स्थानों में समानान्तर सरकारें स्थापित कर ली गईं । यह सारा कार्य बोध्य नेतृत्व के अभाव में हुआ । इसलिए इसका प्रभाव अल्पस्थायी रहा ।

### भीषण दमन-चक्र

उत्कलीन भारत सरकार भी इस परिस्थिति से अनजान न थी ।

स्वास-प्रश्वास द्वारा प्रकट कीजिये। वह मग्न यह है " हम करेंगे मरेंगे।" या तो हम भारत को स्वतंत्र करेंगे या इसके प्रयत्न में जायेंगे। हम गुलामी को देखने के लिये ज़िन्दा न रहेंगे। हर कामेज़ी स्त्री-पुरुष को यह अटल निश्चय कर लेना चाहिये कि अपने देश को बन्धन या दासता में देखने के लिये ज़िन्दा न रहेगा। हर एक स्त्री और पुरुष को अपने जीवन की इस भावना में चाहिये कि वह स्वतंत्रता की प्राप्ति के लिये जीता है और वह अपने उस महान् उद्देश्य की प्राप्ति के लिये मरने को तैयार है। अन्तरात्मा को साची रच कर, ईश्वर के सामने वह प्रतिज्ञा ले ली कि आप तब तक चैन न लेंगे जब तक कि स्वतंत्रता की प्राप्ति हो जाय और इस उद्देश्य की सिद्धि के लिये आप अपने प्राण फरने को तैयार रहेंगे। इस महान् उद्देश्य की सिद्धि के लिये अपना जीवन-दान देगा वह अपना-इष्ट सिद्ध करेगा और जो महान् कार्य में अपनी जान बचाने की कोशिश करेगा वह उसे देगा। स्वतंत्रता दुर्बल हृदय के लिये नहीं है।"

८ अगस्त १९४२ को " भारत छोड़ो " का उक्त प्रस्ताव, हिंसा महासमिति द्वारा बहुत बड़े बहुमत से पास हो गया, पर ने संघर्ष शुरू करने के पहले फिर भी वाइसरॉय को समझौते का मौका और देना पड़ा। उन्होंने वाइसरॉय को गुलाकात के लिये और यह आशा प्रकट की कि अगर वाइसरॉय की ओर से प्रतिक्रिया हुई तो उसके आधार पर फिर से समझौते की करने में उन्हें कोई आपत्ति न होगी। पर इसमें गांधीजी न हुए।

भारत सरकार ने महासमिति के चैलेंज को स्वीकार कर हिंसा उन्होंने समझौते के द्वार बन्द कर दिये और भारतवर्ष के समान नेताओं को जेलों में डूब देने का निश्चय कर लिया।

## महात्माजी और अन्य नेताओं की गिरफ्तारी

६ अगस्त की सुबह के लगभग २ बजे बिबला-भवन में जहाँ महात्माजी ठहरे हुए थे, पुलिस स भरी हुई ३ मोटरकारों पहुँची। पुलिस कमिश्नर मि० बटलर अपने साथ महात्मा गांधी, स्वर्गीय श्री महादेव भाई देसाई और मीरा बहन का गिरफ्तारी और नज़रबन्दी के तीन वारण्ट लाय। महात्मा गांधी ने विस्तर में ही अपनी प्रार्थना की। महात्मा गांधी के गृहण पर मि० बटलर ने उनसे कहा कि आप अपनी तैयारी में आधा घंटा ले सकते हैं और इस समय में अपने निष्पक्ष के निगमानुसार बकरी के दूध और फलों के रस का कलेवा कर सकते हैं। त्रिंदा होते समय महात्मा गांधी को माला पहनाई गई और उनके कूड़ाट पर तिलक किया गया। इसके बाद वे और उनके साथी पुलिस की मोटर में सवार होकर रवाना हुए।

इसो दिन सुबह मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद, पं० जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभभाई पटेल, स्वर्गीय श्रीमती सरोजनी नायडू और कांग्रेस महासमिति के अन्य सदस्यगणों की भी गिरफ्तारियां हो गईं। सारे भारतवर्ष में, ६ अगस्त को, सूरज निकलने के पहले, हजारों कांग्रेस कार्यकर्त्तियों की गिरफ्तारियां हो गईं। दमन के द्वीरद्वीर ने बड़ा भयंकर रूप धारण कर लिया। उधर जनता का आन्दोलन भी देश व्यापी हो गया। ज्योंही नेताओं की गिरफ्तारी के समाचार पहुंचे कि सारे देश में बड़ी ज़बरदस्त आग भड़क उठी। यह आग अम्बई से शुरू होकर धाय धाय करती हुई मद्रास, मध्यप्रान्त, बिहार, यू० पी० और बंगाल तक पहुँच गई। इसने शहरों की सीमा को पार कर देहातों तक अपना प्रभाव डाला। कई कस्बों और गांवों में सरकारी मठों के बजाय कांग्रेस के तिरगे मठे उड़ने लगे। पुलिस चौकिया और अन्य सरकारी इमारतें जलाई गईं। रेलवे की सब्के चौकी गईं। तार काटे गये और विभिन्न प्रांतों में कई स्थानों पर पचासती



यंगाल की तरह दक्षिण भारत में भी अगस्त प्रान्ति की जगहा पोरो ने भभक उठी। बम्बई प्रान्त के सतारा नामक नगर में जनता एक समानान्तर 'पत्री माकार' की स्थापना करनी थी, जिसमें लगभग ००० गांव थे। इस सरकार का एक गुप्तचर विभाग भी था और एक प्रशासन भी थी। ब्रिटिश सरकार ने वहाँ पर जो-जो दमन किये वे भी रोमांचकारी थे।

भारत की राजधानी दिल्ली में भी इस आग की छपटें पहुँची। १२ अगस्त को जनता के एक कु-ट में रेखवे अकाउंट्स क्रीपिटि ऑफिस, जो 'पीछी कोठी' के नाम से प्रसिद्ध था, जला दिया। इनके टैक्स के दफ्तर और पोस्ट ऑफिसों का भी वृति पहुँचाई गई। जनता का रोव जब बढ़ता ही गया तो विषय होकर अधिकारियों ने गरी पब्लिस बुलाई। उसने अन्धाधुन्ध गोळियों की वर्षा की, जिससे सब दोर आठकु फेला गया।

ब्रिटिश भारत की तरह देशो रियासतों में भी यह आन्दोलन चला। उड़ीसा प्रान्त की रियासतों में तो इस आन्दोलन ने बड़ा ही उप रूप धारण किया। ग्वालियर कोचीन, ट्रावन्कोर, कोव्वट्टुर, मिरज, मैसूर, भोपाल, इन्दौर, कोटा, ताल्लर आदि रियासतों में बड़े जोर के आन्दोलन हुए। इन में हजारों जाम्नों आदमियों ने हिस्सा लिया। इन्दौर के मटखेरवर नामक नगर के जेल को तोड़कर वहाँ से कई पद्मी नेता बाहर निकल आये, जो पीछे से फिर मिरज आर कर लिये गये। कोटा में शहर पर जनता ने कब्जा कर लिया। जनता ने शहर की दीवारों पर कब्जा करके उसका रास्ता बन्द कर दिया। शहर की दीवार के पास जो तोपें रखी थीं उन पर भी जनता ने अधिकार कर लिया। यह सारा कार्य राज्य के तरकाबीन दीवान की अदूरदर्शिता पूर्ण नीति के कारण हुआ। वैसे, वहाँ के महाराजा और प्रजा के बीच आत्मीयता का संबंध था। पीछे जाकर महाराजा की सद्भावना पूर्ण

नीति के कारण राज्य और राजा में समझौता हो गया।

मेवाड़ में भी इन आन्दोलन की ज्वालाएँ पहुँचीं। जनता ने महाराजा साहब से अनुरोध किया कि वे ब्रिटिश सरकार से अपना संबंध तोड़ दें और अपना राज्य में जिम्मेदार सरकार स्थापित कर दें। यहाँ १०० गिरफ्तारियाँ हुईं। उड़ीसा की ताकत रियासत में आन्दोलन ने भीषण रूप धारण किया। इस रियासत में खुदा विद्रोह हुआ और बहुत दिन तक चलता रहा। यहाँ रेल की लाइनें काट दी गईं, यातायात के साधनों पर जनता न कब्जा कर लिया, सरकारी इमारतों पर तिरंगे लगे उड़ने लगे और सब धानों पर जनता का अधिकार हो गया। इतना ही नहीं, वहाँ जनता ने एक समानान्तर सरकार भी कायम कर दी, जिसके अधीन गाँव के मुखिया, चौकीदार आदि ने काम करना शुरू कर दिया। पीछे जाकर इस रियासत में भयंकर दमन शुरू हुआ और मशीनगत तरीके से काम लिया गया। हवाई जहाज़ से यम तक फेंके गये। इस दमनचक्र से यह आन्दोलन समाप्त हो गया। उड़ीसा की भैंकनाम रियासत में २ सितम्बर को लोगों के मुन्ड ने विष्णुपट्ट नायक नामक एक व्यक्ति के नेतृत्व में चाँदपुर धाने पर आक्रमण कर पुलिसवालों को सब दूकें छीन लीं।

कदने का मतलब यह है कि भारतवर्ष के प्रायः सब प्रान्तों में क्रांति की यह ज्वाला पड़े ज़ोरी से भरकर उठी थी। कई स्थानों में सरकारी इमारतों पर काँप्रेसी लगे-ले अहरान लगे और थोड़े समय के लिये ऐसा मालूम होना लगा मानो लोगों ने अपना शासन कायम कर लिया है। कई स्थानों में समानान्तर सरकारें स्थापित कर ली गईं। यह सारा कार्य शीघ्र नतीचे के अभाव में हुआ। इसलिए इसका प्रभाव अल्पस्थायी रहा।

### भीषण दमन-चक्र

उन्हालीज भारत सरकार भी इस परिस्थिति से अनजान न थी।

wide-spread and effective. In Bihar for weeks trains did not run, telegraph and post offices not function and British rule became confined to district towns in a great part of the province. Railway lines and telegraph wires were torn, railway stations damaged and police stations actually taken possession of by the people in many districts of Bihar and the eastern part of the United Provinces.

अर्थात्, "यातायात के साधनों को नष्ट करना इस आन्दोलन का खास लक्ष्य था। यह कार्य बहुत ही व्यापक और प्रभावशाली था। बिहार में कई सप्ताह तक रेलगाड़ियों का चलना बन्द रहा। तार और और बक खानों का काम बन्द हो गया। प्रान्त के बहुत बड़े हिस्से में ब्रिटिश राज्य केवल जिल्ले के नगरों तक ही सीमित रह गया। रेलवे लाइनों और तार तोड़ दिये गये। रेलवे स्टेशनों को तोड़ फोड़ के इलाक़ा नुकसान पहुँचाया गया। बिहार के बहुत से जिल्लों में और युक्त-प्रान्त के पूर्वीय हिस्सों में पुलिस थानों पर वास्तविक रूप से जनता ने अधिकार कर लिया।"

युक्तप्रान्त और बिहार की तरह यंगाल के मिदनापुर जिल्ले के तमलुक मय डिविजन में इस आन्दोलन ने भयंकर रूप धारण किया। यह प्रदेश विस्फोट का केन्द्र बन गया। "भारत छोड़ो" के प्रस्ताव तथा नेताओं की गिरफ्तारी न इसमें आग लगाये। सार जिल्ले में और अर्थात् व्याप्त हो गई, बड़े बड़े जुलूम निकाले गये और विशाल प्रदर्शन किये गये। इन प्रदर्शनों में दस दस हजार भादमियों तक की भीड़ हो जाती थी। इसके अतिरिक्त बड़ी बड़ी रकमें कर छोगों न विहित शासन के समाप्त हो जान, तथा देश क पूर्ण स्वतंत्र हो जान की घोषणाएँ कीं।

२८ तारीख की रात को समलोक तथा पचकुरा की मुख्य मुख्य सड़कों को अवन्द करने के लिए बब वदे पैव काट कर उन पर गिरा दिये गये । कुराघाटी से बालघाट जानेवाली सड़क की भी यही हालत हुई । ३० छोटे छोटे पुख तोब डाले गये और अनेक स्थानों पर सड़कें काट डाली गईं । २७ मीख तर्क तार तथा टेलीफोन का बर्गाव भी बंद डाला गया और ११४ खम्भे उखाड़ डाले गये । कोशी तथा तुगली नदियों में चलने वाली नावें तोड़ फोड़कर नदी में डुबा दी गईं । इसक प्रतिरिक्त इय सेंसिटिविजन में निम्नलिखित स्थान अज्ञा दिये गये तथा नष्ट कर दिये गये, १ शाना, 'दो' पुलिस नाके, दो सब रजिस्ट्री ऑफिस, तेरह पोस्ट ऑफिस, नौ यूनिपन बोर्ड ऑफिस, दस पचापत ऑफिस, बारह शराब की दुकानें, चार डाक बंगला तथा मद्रिपान्दख राज्य के तेरह ऑफिस । ३२० चौकीदारों की घरिया 'जला डाली गईं' । तेरह सरकारी अक्रमरों को गिरफ्तार किया गया, उनम पुलिस अक्रमर भी थे । अपने सरकारी पर्दों से हर्तीका देने की प्रतिष्ठा करने पर दुन्दु छोड़ दिया गया और उनके घर पहुँचन का किराया दे दिया गया । उनमें से किसी के साथ दुर्न्यवहार नहीं किया गया । डा. राइफल तथा कुछ खबरों विद्रोहियों के हाथ लगीं ।

सरकार की ओर से प्रकाशित पुस्तिका "Some facts about the Disturbance in India 42-43" में इसके संबंध में निम्न लिखित बातें कही गई हैं —

'बंगाल प्रान्त के मिदनापुर जिले में विद्रोहियों के कार्यरूप से प्रकट हाता था कि उनके कार्य पूर्वनिश्चित योजना के अनुसार चल रहे थे । उनक पीछे गंभीर विचारशीलता तथा दीर्घ दृष्टि नजर आती थी । नेतावनी भेजने के उनके तरीके सर्वथा मौखिक थे । किसी बात को फैलाने तथा किसी गुप्त योजना को बायान्वित करने के उनके उग स्पष्टता पूर्वनिश्चित संकेतों के अनुसार थे । युक्तप्रान्त, बिहार तथा

राज्य कायम किये गये। ऐसा मालूम होने लगा मानो ब्रिगिग का राज्य उठ गया है और जनता का राज्य कायम हो गया है।

ब्रिटिश शासन को पगु बनाने के लिये रखे जाइनों को प्रति पहुँचाई गई। ईस्ट इंडियन रखे को भारी प्रति पहुँची उसकी गाइनों का चखना बहुत दिनों तक रुक गया। बी० ए० ए० एन० इन्डियन रखे का तो मारा कारोबार ही रुक गया। जनता ने उस पर अधिकार कर लिया। कई स्थानों में इन्जिन पर तिरंगे मढ़े लगा दिये गये और सैकड़ों आदमियों को बाँर टिकट विडाकर गाँव और झूझर को गांधी ले जानी पड़ी। पूरे बिहार प्रान्त और यू० पी० के पूर्वी जिखों में इस आन्दोलन ने जोर पकड़ा। बंगाल सारे उत्तरी हिन्दुरतान से बिजकुल अलग हो गया।

युक्तप्रान्त और बिहार में इस आन्दोलन ने बड़ा उम रूप धारण किया। कहा जाता है कि युक्तप्रान्त के बलिया नगर में सरकारी अधिकारियों ने आत्म-समर्पण कर दिया और वहाँ जनराज्य का मंडा उठने लगा। जैल और कचहरियों पर जनता ने अधिकार कर लिया। यू० पी० की सैकड़ों पुलिस चौकियों और धानों पर कुछ समय के लिये जनता का अधिकार हो गया था।

धीयुर बेमचन्द्र "सुमन" अपने "कांग्रेस का सचिस इतिहास" नामक ग्रन्थ में बलिया के अगस्त आन्दोलन के संबंध में लिखते हैं— "अगस्त आन्दोलन में बलिया का सबसे प्रमुख हाथ है। ६ अगस्त को पहा के अगस्त कार्यकर्ता गिरफ्तार कर लिये गये। १० अगस्त से १२ अगस्त तक बलिया में भारी दमन के बावजूद भी हड़ताल रही। लोग जुनूस निकालते रहे। १२ अगस्त से सारे जिले में छार फाटने, रेल की पटरियों उखाड़ने, पुल तोड़ने और यासायात के साधन नष्ट करने का काम आरम्भ हो गया। १५ तारीख की शाम तक पूरे बलिया जिले का सारे प्रान्त से संबन्ध बिच्छेद हो गया। १२ अगस्त का जिला

कांग्रेस के दमन पर कांग्रेस का फिर से अधिकार हो गया। १९ अगस्त को कांग्रेस के हुक्म पर सारे बाजार खुले। पुलिस ने शासन-मत्ता की प्रतिष्ठा सामाप्त होते देखकर गोली चला दी। फखरखरूप १४ अगस्त को बलिया में ब्रिटिश सरकार का शासन समाप्त हो गया। जनता ने कलकट्टी, खजाने और जेल पर कब्जा कर लिया। जिले के सब कांग्रेसी जेल्स से रिहा कर दिये गये। २० अगस्त को चित्तू पाठे की अध्यक्षता में नवीन राष्ट्रीय सरकार की स्थापना हुई। इस सरकार के अश्रीन ग्राम पंचायतों ने अपना कार्य आरम्भ कर दिया। २२ अगस्त तक बलिया में जनता की सरकार चलती रही। अस्तु, २२-२३ की बीच की रात को गोरी पट्टन ने बलिया में प्रवेश किया, लूट, फूँक और मारपीट का दौरा शुरू हो गया। सारे जिले पर लगभग १२ लाख रुपया जुर्माना किया गया और २६ लाख से भी अधिक जबरदस्ती बसूल किया गया। ४६ आदमी मारे गये, १०५ मकान फूँक दिये गए और लगभग ३८ लाख रुपये की हानि समस्त जिले को उठानी पड़ी।”

बलिया की तरह जौनपुर, गाजीपुर, आजमगढ़, बनारस आदि में भी यही हुआ। लगभग १० दिन तक ऐसा मालूम होता था कि अमली शासन की व्यवस्था बिल्कुल टूट गई है। उसकी पुलिस और फौज में इस आन्दोलन का सामना करने का बल नहीं रह गया है।

यू० पी० की ही भाँति बिहार में भी, पूरी तीव्रता के साथ, यह आन्दोलन चला। बिहार के प्रत्येक जिले में आन्दोलन की छपटें पहुँचीं और लगभग सब जगह पुलिस और शासक कुछ दिन तक आन्दोलन पर अधिकार नहीं पा सके। बिहार के इस संघर्ष के संवध में डा० राजे द्रपदाद अपने “Mahatma Gandhi and Bihar” में लिखते हैं:—

“One special feature of this movement was interruption of all communications. This was most

इस समय मुभाषयानु के नेतृत्व में एक बड़ी और सुसंगठित सेना भारत की सीमाओं पर पहुँच चुकी थी। ब्रिटिश सरकार, उसके मुद्दाबन्धों को तैयारी कर रही थी। भारतवर्ष के बाहर नी चारों ओर युद्ध की ज्वाला सज्जग रहा थी। भारत की ब्रिटिश सरकार ने इन सारी परिस्थितियों का मुकबला करन के लिये जबरदस्त सैनिक संगठन कर खड़ा था। उसने अपने इन सारे साधनों को और शक्ति को एक अग्रस्त-खान्दोजन का दमन करने में खर्चा दिया। चारों ओर, गोलीबारी और काठीचाऊ का दौर दौरा हो गया। कुछ स्थानों में प्रायुवानों द्वारा जनता की भीड़ पर धम भी बरसाये गये! कुछ स्थानों में मशीनगनों के द्वारा निरगम जनता को भूना गया! जनता के घर जलाये गये! इन्त-सैनिकों ने लूटमार की और कई स्थानों में बियों के सतीत्व का अपहरण प्रक, किया! जून और घालाचारों से देश का वातावरण व्याप्त हो गया। शीयु, दूर-चार दिवाकर अपने "Satyagraha, its Technique and History" नामक ग्रन्थ में लिखते हैं—

"It is estimated that more than 2000 unarmed and innocent people were shot down, and about 6000 injured by the police and military, tens of thousands wounded by lathis, about 1,50,000 were jailed and about 15 lakhs of rupees were imposed as collective fines. There is no record of tortures, burning of houses, looting and other atrocities by the police and the military."

अर्थात्, "अनुमान किया जाता है कि दो हजार से ऊपर निरपराध और अशरमियों से मार डाले गये और, दूर, हजार आदमी जखमी किये गये।। जाकों, आदमी, खाठियों से धातु ख किये गये, १,२०,००० आदमियों को जेल की सजाएँ हुईं और १५ लाख रुपये

का सामूहिक जुमाना किया गया। इसके अतिरिक्त लोगों को पुलिस और फौज के द्वारा जो तरह तरह की यातनाएँ दी गईं, उनके घर बार जलाये गये और धन्य भ्रष्टाचार किये गये, उनका ठीक ठीक रिकार्ड नहीं है।”

डॉ० पट्टाभिसीतारामय्या अपनी “60 years of congress” नामक पुस्तिका में लिखते हैं:—

“Government was not over-scrupulous in their reprisals. Houses were burnt, crowds were shot at and in five cases—three in Bengal, one in Bihar and one in Orissa machineguns were fired from aeroplanes and unfortunately in one instance the fire was directed against a gang of innocent Railway workmen. It would take a volume to describe the charges of atrocities and crimes levelled against each other by the people and the Government.”

“सरकार ने बदला लेने में किसी भी प्रकार की सावधानी से काम न लिया। घर जलाये गये, जनता की भीड़ पर गोलियाँ बरसाई गईं और पाँच स्थानों में—बंगाल में ३—बिहार में १ और उड़ीसा में १ पर वायुबानों से मशोनमनों द्वारा गोले बरसाये गये। दुर्भाग्य से एक स्थान पर निरपराध रेलवे मजदूरों के एक झुंड पर इस प्रकार की गोलाबारी की गई। लोगों द्वारा सरकार पर और सरकार द्वारा लोगों पर जो आरोप और प्रत्यारोप किये गये हैं, उनका ध्यान करने के लिये एक बड़े पोथे की आवश्यकता होगी।”

कहने का मतलब यह है कि सरकार ने अपनी पूरी शक्ति के साथ



मान्दोखन को कुचला । बंगाल के मिदनापुर नामक नगर के मान्दोखन का उल्लेख हम ऊपर कर चुके हैं । यहाँ पर भयंकर दमन-धक्का छुड़ हुआ । जनता पर बड़े बड़े अत्याचार किये गये । बंगाल के तत्कालीन अधिमन्त्री श्री श्यामाप्रसाद मुखर्जी ने इन अत्याचारों के विरोध में अपने पद से स्वीका दे दिया । अपने स्वीके के संबंध में उन्होंने ६ नवम्बर सन् १९४२ को बंगाल के तत्कालीन गवर्नर को धो पत्र लिखा था । इसका एक अंश इस प्रकार है—

“But in Midnapore repression has been carried on in a manner which resembles the activities of the Germans in occupied territories. Hundreds of houses have been burnt down by the police and the armed forces. Reports of outrages on women have reached us. Muslims have been instigated to loot and plunder Hindu houses; The protectors of law and order have themselves carried on similar operations.”

अर्थात्, “मिदनापुर में जिस प्रकार का दमन किया जा रहा है उसकी तुलना जर्मनों द्वारा अधिकृत प्रदेशों में किये जानेवाले दमन से की जा सकती है । पुलिस और सशस्त्र फौज के द्वारा सैकड़ों घर जला दिये गए । स्त्रियों पर होनेवाले अत्याचारों के समाचार भी हमारे पास पहुँचे हैं । मुसलमानों को हिन्दू घरों को लूटने के लिए प्रोत्साहित किया गया । कानून और न्यवस्था के रक्षकों ने स्वयं इस प्रकार की कार्यवाहियाँ कीं ।”

बंगाल में, जैसा कि डा० श्यामाप्रसाद मुखर्जी ने लिखा है, घोर दमन के द्वारा जनता की आत्मा को कुचलने का प्रयत्न किया गया ।

बंगाल की तरह युगप्रान्त में भी अमानुषिक दमन प्रारम्भ हुआ। बलिया की प्रान्ति का जिक्र हम ऊपर कर चुके हैं, पर वह प्रान्ति अस्थायी रही। इस प्रान्ति को कुचक देने के लिये भारत की अग्नेज-सरकार ने मि० रिमथ और कर्नल नेदरसोल के नेतृत्व में एक सेना भेजी। उसने सबसे पहले उन आन्दोलनकारियों की गिरफ्तारियाँ की, जो इस प्रान्ति का नेतृत्व कर रहे थे। इस सेना ने बलिया के नागरिकों पर बड़े बड़े अत्याचार किये। जो लोग प्रान्ति के मददगार थे उनके घर तक जलाये गये। उनके मकान लूटे गये। चौक में लोगों को नगा कर उनको बँत लगाये गये। बलिया शहर में गोखी चर्खी जिससे ९ आदमी मारे गये। बलिया के रसवा नामक थाने में तीन आदमियों को बाड़े में बन्द कर उन्हें गोखियों से मार डाला गया। बलिया थाने के हाते में शान्त भाव से बैठी हुई जनता पर गोखियाँ चलाई गईं। २२ आदमी मारे गये। कौरव्याकुमार नामक एक युवक भाएडा फहराते हुए संगीन से मार डाला गया। लूट-उसोट, मारपीट का बाज़ार गरम हो गया। लोगों के खुले आम बँत लगाये गये। किरपें भोंकी गईं! हाथी के पैरों में बांध कर लोग धसीटे गये।

बलिया की तरह गोरखपुर, आजमगढ़, मधुबन, गाज़ीपुर, महमदाबाद, शेरपुर आदि स्थानों में भी जठना की भीषण गोखियाँ बरसाई गईं और तरह तरह के अत्याचार किये गये। गाज़ीपुर में बहुत से आदमी पदों से छटका कर मारे गये, कोदों से पीटे गये और स्थियों के गदन छीने गये। इतना ही नहीं खियों के साथ बड़े अमानुषिकता पूर्ण दुष्कर्म किये गये। बनारस में २३ स्थानों पर १०२ बार गोखी चलाई गईं, जिससे १८ आदमी मरे और ८२ घायल हुए। ७ आदमियों को बाड़े लगाये गये, १८ को सार्वजनिक रूप से बँतों से पीटा गया और ११७ को निर्वासित किया गया। औरतों को थाने में बन्द कर उनके साथ बलात्कार किया गया। आईं छाक से अधिक

का सामूहिक जुमाना किया गया ।

पुलकान्त और बंगाल की तरह मध्यप्रदेश, बिहार, बरेलई प्रान्त, गुजरात, आदि भारत के विभिन्न प्रान्तों में थमानुषिक दमन के द्वारा लोक-आन्दोलन को कुचलने का प्रयत्न किया गया और उसमें सरकार को अस्थायी सफलता भी हुई ।

### होम मेम्बर का वक्तव्य

ईसवी सन् १९४२ के आन्दोलन के संबंध में तत्कालीन होम मेम्बर ने जो वक्तव्य दिया उससे निम्नलिखित बातें मालूम हुईं :-

- (१) ६०२२६ आदमी गिरफ्तार किये गये ।
- (२) पुलिस और फौज की गोखियों से ६४० आदमी मारे गये ।
- (३) पुलिस और फौज की गोखियों से १६३० आदमी जख्मी हुए ।
- (४) १८००० मनुष्य भारत रक्षा क्रान्त के मातहत नज़रबंद किये गये ।

इसके अतिरिक्त होम मेम्बर के वक्तव्य से यह भी मालूम हुआ कि ६० स्थानों में फौज बुलाई गई और २३८ अवसरों पर पुलिस या फौज को गोखियां चकानी पड़ी तथा २ स्थानों से वायुयानों द्वारा बल्लों की भीड़ पर गोले बरसाये गये । ऊपर हमने सरकारी वक्तव्य के अनुसार मरे हुए और घायल व्यक्तियों के आंकड़े दिये हैं, पर लोगों का अन्दाज़ा इससे बहुत ज्यादा रहा है ।

अभियुक्त भारतीय सरकार ने अपने "India in Revolt" नामक ग्रन्थ में मृत और घायलों की संख्या २१००० से ऊपर बतावाई है ।

## शासन को हिला दिया

ईस्वी सन् १९४२ को इस महान् आन्दोलन ने देशव्यापी रूप धारण कर ब्रिटिश शासन को हिला दिया था। इस आन्दोलन ने ब्रिटिश राजनीतिज्ञों को यह विश्वास करा दिया कि भारतवर्ष अथवा सगरीनों के यत्न पर गुलाम नहीं रहता जा सकता। उस समय राष्ट्र के सब कर्णधार नेता जेलों में बन्द थे और इसलिये इस आन्दोलन का जैसा चाहिये वैसा योग्य नेतृत्व न हो सका। महात्माजी के अहिंसात्मक सिद्धान्त का कहीं कहीं अतिक्रमण किया गया और इसके फलस्वरूप यत्र तत्र कुछ हिंसाकांड भी हुए। पर ये हिंसाकांड उन हिंसाकांडों के मुक़ाबले में नगण्य थे जो तत्कालीन नौकरशाही के द्वारा संगठित किये गये थे तो भी हमारे प्रधान नेताओं ने उन पर दुःख प्रकट किया। अगर उस समय हमारे बड़े बड़े नेता बाहर होते तो सम्भव था कि जनता द्वारा अहिंसा के सिद्धान्त का इतना अतिक्रमण न हुआ होता।

---

## बंगाल का भीषण अकाल

---

ईस्वी सन् १९४२ में बंगाल में बड़ा भीषण अकाल पड़ा, जिसने लाखों मनुष्यों की यत्नी ली! कहा जा सकता है कि यह अकाल मनुष्य-कृत था। अगर तत्कालीन बंगाल सरकार और उसके अधिकारीगण भ्रष्टाचार की भावनाओं से अनुप्राणित होकर योग्य प्रयत्न करते तो यह बड़ा बहुत कुछ कम होकर लाखों मनुष्यों की प्राणरक्षा हो सकती थी।

जैसा कि हमारे पाठक जानते हैं, इसी सन् १९४२ में ब्रह्मा के हाथ से निकल गया और उस पर जापानियों का अधिकार हो गया। हजारों लाखों शरणार्थी ब्रह्मा से भागकर बंगाल आने लगे। सरकार बंगाल को "भय का क्षेत्र" ( Danger Zone ) समझ कर वहाँ से प्रनाज हटाना शुरू कर दिया। इसके अतिरिक्त बंगाल की बाँकी से क्रिश्चियानों और यातायात के साधनों को हटाये जान से यातायात न प्रकृत गड़बड़ हो गई। इन सब विचारीत परिस्थितियों के अतिरिक्त उस समय बंगाल में बड़ा तूफान भी आया जिसमें हजारों आदमी बचपन ही गये। और एक लाख पशु मर गये ब्रह्मा से चावलों की आपात नन्ही हो जान से भी बंगाल का सुभीकते और भा यहीं। इन सब पर २० तियाँ के धासजूद भी अगर बंगाल सरकार योग्य प्रबन्ध करती और पूजपति अपने नीचतम स्वार्थ का त्यागकर मानवहित की भावना से प्रेरित होते, तो हमारा विश्वास है कि बंगाल पर आई हुई यह विपत्ति इतना उग्र रूप धारण न करती।

भारत के तत्कालीन स्टेट सेक्रेटरी मि० एम० एन० "हाउस ऑफ कामन्स" में बक्तव्य देते हुए यह प्रकट किया था कि बंगाल में इस अकाल के कारण प्रति सप्ताह एक हजार मनुष्य मूल से मरते हैं और उ इतने जनवरी में अपने बयान में यह कहा था कि इस अकाल के कारण लगभग १० लाख मनुष्य अपनी संसार यात्रा संवरण करने के लिये हुए। पर उस समय जिन राष्ट्रसेवक लोगों ने अकाल-मस्त बंगाल दौरा किया उनके कथन के आधार पर डॉ० एम० एल० नटरंजन एम० ए०, पी० एच० डी० ने अपनी "Famine in Retrospect" नामक पुस्तक में यह अनुमान लगाया है कि उस समय बंगाल में अकाल से मरनेवाले लोगों की संख्या २,००,०० प्रति सप्ताह से कम थी। इसके कुछ उदाहरण आपने अपनी पुस्तिका में दिये हैं। बंगाल अर्धपुर नामक मुकामकसख के गाँव में, जहाँ की जनसंख्या केवल ०५००

धी, औसतन २६७ आदमी प्रति सप्ताह मरते थे । तमलुक के उपविभाग में लगभग ६० हजार मनुष्य का ल कवचित्त हुए और मृत्यु सरथा का परियाम और भी बढ़ता जा रहा था नदीग्रामनामक नगर में, जहाकी जनसख्या १५७, ६४६ थी ४३००० मनुष्य भूख से तड़फ तड़फ कर प्राण देने को विवश हुए । कलकत्ता नगर की मृत्यु सख्या साधारण तौर से ५५० प्रति दिन थी, वह इस अकाल के समय बढ़कर २००० प्रतिदिन हो गई । गांव के गांव वीरान हो गये । उक्त-लेखक महोदय ने अनुमान लगाया है कि इस अकाल ने ३२,००,००० आदमियों से कम की प्राण न ली ।

कलकत्ता विश्वविद्यालय के ( Anthropology Department ) ने बहुत खोज पड़ताल के बाद अकाल से होने वाली मृत्यु संख्या को लगभग ३२,००,००० ही बतलाया है । उसने अपनी रिपोर्ट में लिखा है—

“The probable total number of deaths above the normal comes to well-over three and a half million.”

बंगाल की तरह उड़ीसा प्रान्त में भी अकाल ने बड़ा भीषण रूप धारण किया । उड़ीसा कांग्रेस पार्टी की केन्द्रीय धारा सभा के सदस्य श्रीयुक्त वी० दास ने अपने भाषण में कहा था ।

‘To save Bengal the Indian Government Committed another disastrous crime against the Oriyas last May, in declaring free trade which brought about the famine conditions in Orissa ’

अर्थात्, “गत मई मास में बंगाल को बचाने के लिये भारत सरकार ने सुन्ने व्यापार की घोषणा कर एक भयंकर अपराध किया जिसने उड़ीसा प्रान्त में अकाल की स्थितियाँ उत्पन्न कर दीं ।” दास

महोदय ने साथ ही यह भी प्रगट किया कि उक्त प्रान्त को अन्न उत्पन्न करनेवाला प्रांत (Surplus Province) कर, उद्दीसा सरकार ने एक महापाप किया। इसका कि न तां यगाद्ध को बचाया जा सका और उद्दीसा को अतिदुःख पहुँची। उद्दीसा प्रांत के बाळसौर और गंजम जिल्लों न अन्नाद्ध ने ही भयानक रूप धारण किया।

माननीय मि० कुंजरू ने ११ नवम्बर १९४३ को राज्य परिषद (Council of State) में भाषण देते हुए कहा था।

That deaths had occurred in both these districts which had not been allowed to be reported in the newspaper by the Government”

अर्थात्, “इन दोनों जिल्लों में मृत्युएँ हुईं। सरकार ने उनकी रिपोर्ट समाचार पत्रों में प्रकाशित न होने दी।

दक्षिण भारत के कई जिल्लों में भी उस समय अर्कांश की विभीषिका ने अपना उग्र रूप धारण किया था। २३ जनवरी १९४३ ईस्वी को प० हृदयनाथ कुंजरू ने अपने वक्तव्य में कहा था :—

“It makes one shudder to think that from malabar to Travancore about ten million people have been in a state of semi-starvation.”

अर्थात्, “यह विचार कर हृदय कांप जाता है कि मलबार ट्रावन्कोर तक के प्रदेशों में १,००,००,००० मनुष्य आधे भूखे रहते हैं।

### व्याधियों की वृद्धि

भूखे मनुष्य में रही हुई रोग प्रतिकारक शक्ति का बहुत कुछ क्षाण हो जाता है। इससे बीमारियाँ जोर पकड़ती हैं और मृत्यु-संख्या में

वृद्धि हो जाती है। बंगाल और मद्रास आदि प्रान्तों में अकाल की भीषणता के साथ-साथ हैजा, मलेरिया आदि बीमारियों ने भी हजारों न्यक्तियों के प्राण लेना शुरू किया। बंगाल के धरहमपुर नामक दो हजार की घस्तीवाले कस्बे में, उम्र समय मलेरिया से १०० आदिमियों की मृत्यु हुई। इसी प्रकार बंगाल के फरीदपुर नामक नगर में सन् १९४३ ई० के जनवरी से सितम्बर मास तक के नौ महीनों में ३०,००० मनुष्य मलेरिया से मरे। चटगांव में ३,००० आदिमी हैजा और मलेरिया के शिकार हुए। नौआखाली जिले में, जिसकी जन संख्या लगभग २१,००,००० है, २ लाख मनुष्य उक्त बीमारी से काल के गाल में चले गये। और अन्य २ लाख इन्हीं बीमारियों से पीड़ित थे। फरीदपुर जिले में १ मास में २४६६७१ मनुष्य मलेरिया से पीड़ित हुए और उनमें से ३०,०२७ आदिमियों की मृत्यु हुई। बंगाल मुस्लिम लीग के रिलीफ कमेटी (Relief Committee) के तत्कालीन सेक्रेटरी चौधरी मौज्जम हुसेन M. L. C. ने अपने २१ दिसम्बर के वक्तव्य में कहा था कि मुंशीगंज (जिन्हा दाका), नील फररी (जिला रंगपुर) और कयडी (जिन्हा मुर्शिदाबाद) नामक नगरों में २०,००० मनुष्य भूय और मलेरिया के बलि चढ़े। इन्हीं महोदय ने परीसाल जिन्हा के बोला नामक सब-डिविजन में मलेरिया से मरने वालों की संख्या ४०,००० बतलाई है। इस संख्या का समर्थन कलकत्ते के तत्कालीन मेयर सैयद बद्रुज्जोहा (Syed Badruzzohu) ने भी किया था। उन्होंने अपने वक्तव्य में कहा था कि मुर्शिदाबाद के कयडी सब-डिविजन की लगभग ४,००,००० की जन संख्या में २०,००० मनुष्य मलेरिया और दूसरी बीमारियों के शिकार हुए।

शायद उक्त महाशयों का कथन अतिशयोक्तिपूर्ण माना जाय, इस लिए हम बंगाल की सेना के तत्कालीन ऑफिसर कमांडिंग जनरल स्ट्रुट के ४ दिसम्बर १९४३ के दिन प्रॉडकास्ट किये हुए भाषण का एक अंश यहाँ उद्धृत करते हैं:—



“That the reports you have seen in the newspapers of the numbers requiring medicinal treatment and clothing are not exaggerated. Malnutrition, coupled with advent of the cold weather and shortage of personal clothing and blankets, has made a large percentage of the poorer classes easy victims of malaria cholera and pneumonia, which are rampant throughout a large number of districts. Quite recently I paid surprise visits to a number of out-of-the way villages on the banks of Brahmaputra river and its tributaries. The distress in these villages was acute. The people had died and are still dying from the results of malnutrition & Malaria.”

अर्थात्, “समाचारपत्रों में आपने देवकीय विद्विस्ता और वल जादने वाले बहुसंख्यक लोगों की जो रिपोर्टें दली हैं उनमें अतिशयोक्ति नहीं है। अर्थात् पोषण सदैव ही और वल व कमल की कमी ने सहज ही बहुसंख्यक गरीब लोगों को मलेरिया, हैजा और यूनोमिया का शिकार बना दिया। कई जिलों में ये बीमारियां फैली हुई हैं। अभी-अभी मुख्य रास्तों से दूर मज्जुत्र और उसकी सहायक नदियों के किनारों पर बसे हुए गांवों का मैंने अश्मात दौरा किया, तो मुझे इन गांवों का कष्ट बहुत ही उम मालूम पदा। लोग अर्थात् पोषण और मलेरिया से पहले मर चुके हैं और अब भी मर रहे हैं।

बंगाल केमर ऑफ बॉमर्स के अध्यक्ष श्री जे. के. मित्र ने अपने एक पत्र में कहा था:—“विद्विस्ता साम्राज्य का दूसरा नगर भूला मरते हुए अर्धनान मनुष्यों की शिकारगाह बन रहा है। इस नगर में

खाँसों से देखे थे। कहने का तात्पर्य यह है कि बंगाल का यह अकाल इतना भीषण और हृदयद्रावक था कि इसकी तुलना ममार के बुरे से बुरे अकाल के साथ की जा सकती है।

इस अकाल का कारण तत्कालीन ब्रिटिश सरकार के बड़े-बड़े जिम्मेदार अधिकारियों की स्वार्थान्विता और घोर अभ्यवस्था थी। इसके अतिरिक्त पूँजीपतियों की नीचतम स्वार्थ विप्ला और लोभवृत्ति ने भी हजारों छाँसों लोगों को इस निवृष्टतम अवस्था में पहुँचाने में सहायता की थी।

यह अकाल मनुष्यकृत था और उसकी जिम्मेदारी तत्कालीन बंगाल सरकार और स्वार्थान्वित पूँजीपतियों के सिर पर थी। बंगाल सरकार ने इस कार्य में अपराधजन्य उपेक्षा (Criminal negligence) की। महात्मा गांधी ने पच्चीस जनवरी १९४२ के 'हरिजन' में सरकार को चेतावनी देते हुए लिखा था—

“The greatest need of the immediate present is to feed the hungry and clothe the naked. There is already scarcity in the land both of food and clothing.”

अर्थात्, “वर्तमान समय की सबसे बड़ी तारकाबिहक आवश्यकता मूल्यों को खिलाना और नंगों को कपड़ा देना है। देश में इस समय अन्न और वस्त्र दोनों की कमी है।”

बंगाल धारा सभा के सदस्य माननीय मि० पी० आर० सेन ने अपने वक्तव्य में कहा था, “इसवी सन् १९४२ के अन्त में स्थिति बड़ी गंभीर हो गई थी, और धारण का भाव युद्ध के पहिले के समय से इस गुना बढ़ गया था। इतनी भयानक स्थिति होन पर भी सरकार को भीड़ न खुली।”

इस सारे कायद में सरकार के जिम्मेदार अधिकारियों की केवल जापरवाही न थी, बरन् उसकी स्वार्थान्धता ने भी स्थिति को बिगाड़ने में बड़ा काम किया था। बंगाल का अक्राइ ब्रिटिश शासन का एक काला धब्बा था।

---

## महात्मा गांधी का उपवास

---

गिरफ्तारी के बाद महात्मा गांधी आगार्वॉ पैलेस में रखे गये थे। उनके साथ उनको धर्मपत्नी सती साध्वी कस्तूरबा और उनके पुत्रतुल्य तथा महादेव भाई देसाई थे। दोनों ही का वहाँ देहांत हो गया। इससे महात्माजी के हृदय को बड़ा माघात पहुँचा।

नवम्बर में छह मास रहने के बाद महात्मा गांधी ने तत्कालीन राज्यसचिव लॉर्ड ब्रिन्डिफो को पत्र लिखने के बाद दस अक्टूबर १९४३ को इक्कीस दिन का उपवास करना आरम्भ किया। यह उनका चौदहवाँ उपवास था, जो उन्होंने अपनी ७१ वर्ष की अवस्था में आरम्भ किया था। इस उपवास की चर्चा यूरोप और अमेरिका के पत्रों में भी एब हुई थी। सारे भारतवर्ष में चिन्ता की लहर बह गई थी। लोगों को सन्देश था कि इतनी युद्धावस्था में महात्माजी की जीवन-नीका उपवास के इस संकट से पार हो सकेगी था नहीं। पर तत्कालीन भारत सरकार ठप की मस न हुई। पर अक्टूबर की कृपा से महात्माजी का यह उपवास ३ मार्च १९४३ को समाप्त हो गया। इसके बाद छह मास के मास गुजर गये, पर ब्रिटिश की न्यायबुद्धि जाग्रत

न हुई। सहृदय संसार की सहानुभूति, इसमें सन्देह नहीं, जाकांवाचों के साथ थी। अमेरिका के समाचार पत्रों ने आन्दोलन और भारतीय राजनैतिक जाकांवाचों के प्रति पूर्ण प्रकट करते हुए, भारत सम्बन्धी ब्रिटिश नीति के परिवर्तन पर जोर दिया था। अमेरिका के तरकाशील प्रेसीडेण्ट रूजवेल्ट के प्रतिनिधि मि० विलियम फिलिप्स भारतवर्ष आये और उन्होंने गांधी से जोख में भेंट करने की इच्छा प्रदर्शित की, पर भारत उन्हें ऐसा करने की अनुमति न दी। मि० फिलिप्स ने रूजवेल्ट भारत के सम्बन्ध में जो रिपोर्ट दी उसमें उन्होंने भारत की स्थिति के संबंध में अच्छा प्रकाश टाँसा। पर रूजवेल्ट महोदय देश की कई समस्याओं में उलझे रहने के कारण भारत को कोई एक सहायता न दे सके। हाँ, चीन ने भारत के प्रति सहानुभूति भाव दिखलाया, पर उसकी निज की स्थिति बहुत कमजोर होने कारण वह कुछ सहायता न कर सका। रूस ने जोरदार शर्तों भारतीय राजनैतिक जाकांवाचों के खिये आवाज उठाई, पर अन्तर्राष्ट्रीय परिस्थिति के कारण वह भी किसी प्रकार की सहायता न कर सका। यद्यपि अन्तर्राष्ट्रीय सहानुभूति से भारत को तरकाशील प्रत्यक्ष लाभ न हो सका, पर इससे ब्रिटिश सरकार पर अत्यन्त अवश्य पड़ा। कहा जाता है कि शिमला की कॉन्फ्रेंस इसी प्रभाव का फल था।

### गांधीजी की बीमारी

ईसवी सन् १९४४ के मई मास में गांधीजी भयंकर रूप से बी हुए। उनकी स्थिति बड़ी खिताजनक हो गई, इससे भारत सरकार ९ मई सन् १९४४ को उन्हें जोख से मुक्त कर दिया।

उन्होंने जोख से छूटते ही यह घोषित किया कि ८ अगस्त १९ के कामेस प्रस्ताव में भारत के लिए जो राष्ट्रीय मांग रखी गई थी,

जब तक कायम है। ज्वंदन के न्यूज क्लॉनिकल के संवाइदाता मि० जेन्बर को मुळाकात देते हुए गांधीजी ने यह प्रकट किया कि उक्त प्रस्ताव के अन्धार पर वे ब्रिटिश सरकार से समझौते की बात करने के लिए तैयार हैं।

इसी बीच जॉर्ड ब्रिनखिंगो के स्थान पर सार्ज ह्वेवळ भारत के वायसरॉय के पद पर अधिष्ठित हुये। प्रारम्भ में उन्होंने ने भी बही राग अज्ञापना शुरू किया, जो उनके पूर्ववर्ती वायसरॉय ने अज्ञापना था। उन्होंने १२ अगस्त १९४४ को गांधीजी को जो पत्र लिखा, उसमें उन्होंने यह प्रकट किया कि भारतीय स्वाधीनता के लिए केवल कोंग्रेस और मुस्लिमलीग का समझौता ही पर्याप्त नहीं है, वरन् उसके लिये अन्य दिनों का सर्वसम्मत समझौता भी आवश्यक है।



# गांधी जिन्ना वार्तालाप के पूर्व की स्थिति



गांधी जिन्ना वार्तालाप के विषय में खिलने के पहले यह आवश्यक है कि उस समय की परिस्थिति पर कुछ प्रकाश डाला जाय। इस वार्तालाप के समय कई मुस्लिम बहुमत प्रांतों में जिन्ना साहब की स्थिति बिलकुल टांवाटोख हो रही थी। पंजाब की यूनिफन पार्टी ने बहुत बुरी तरह से जिन्ना साहब की मुस्लिम लीग को घेरे मुँह गिराया था और पंजाब के मुसलमानों पर जिन्ना साहब का प्रभाव शून्य हो गया था। यही हाल बंगाल का था। बंगाल के मुसलमानों पर वही के तत्कालीन मुस्लिम नेता भी फज़लूलहक़ का सचमे अधिक प्रभाव था। ये मि० जिन्ना के विरोधी थे और यही कारण था कि उस समय पंजाब की तरह बंगाल में भी मि० जिन्ना और उनकी मुस्लिम लीग का प्रभाव नाम मात्र की शेष रह गया।

भारत के उत्तर पश्चिम प्रान्त में खाँ बन्धुओं की निरर्थक सेवा वहाँ के मुसलमानों को मन्त्र मुग्ध कर रखा था। उस प्रान्त में खाँ बन्धुओं के जाग्वरपमान् प्रकाश के आगे जिन्ना साहब की लीग बिलकुल निराश और निष्प्रभ हो रही थी। खाँ बन्धु सच्चे धीर कट्टर कामरेसारी थे। उनका वहाँ के मुसलमानों पर अद्भुत प्रभाव था। महात्माजी के सिद्धांतों के द्वारा उन्होंने मुसलमानों को, वहाँ के पठानों को, अहिंसात्मक नीति अपनाने में यही सफलता प्राप्त की थी। यही कारण था कि उक्त प्रान्त "कामेसी प्रान्त" हो गया था।

ऐसे सुनहरे भयंकर का खाम उठाकर अगर कामिल, लीग तरीकी और

साम्प्रदायिक संस्था को निरस्त कर राष्ट्रीय मुसलमानों की शक्ति बढ़ा कर, एक राष्ट्रवादियों का सुदृढ़ संगठन करने में अपने प्रभाव का उपयोग करती तो आज देश के ये दुर्भाग्यपूर्ण टुकड़े न हुए होते और आज लाखों करोड़ों मनुष्यों को बेघरवार होकर इस प्रकार की भयानक प्राय-स्तिथियों का सामना न करना पड़ता। दुख इस बात का है कि उन समय भारत के पकराष्ट्रवादी जनो के संगठन का प्रयत्न और राष्ट्रीय मुसलमानों को उत्तेजना देकर, भारत की राष्ट्रीय शक्ति को एकता के सूत्र में सम्बद्ध करने के बजाय, हमारे देश के नेताओं ने मुस्लिम लीग जैसी घोर साम्प्रदायिक संस्था को जनतन्त्र के सिद्धान्त को प्रवहेलना कर सन्तुष्ट करने का प्रयत्न किया। देश के लिये यह बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति थी और इसका कुफल आज सारा देश जिस प्रकार भुगत रहा है, वह प्रत्यक्ष है। हमें आश्चर्य होता है कि विशुद्ध जनतन्त्र के पोषक हमारे सम्मान्य और पूज्य नेताओं ने ऐसी गंभीर भूल कैसे की। हम यह स्वीकार करते हैं कि मुस्लिमों को उनके न्यायोचित अधिकार प्रदान करना प्रत्येक देशहितैषी का कर्तव्य है। हम यह भी स्वीकार करते हैं कि जो नागरिक अधिकार इस देश में पैदा होनेवाले एक हिन्दू को प्राप्त हैं, वही एक मुसलमान को भी प्राप्त होने चाहिये, और दूसरे सभ्य और उन्नत देशों में विशुद्ध जनतन्त्र के सिद्धान्त के अनुसार अल्पसंख्यकों (Minorities) विशेषाधिकार प्राप्त हैं, वे यहां के मुसलमानों को और अल्पसंख्यकों को अवश्य दिये जाने चाहिये। पर तीन चौथाई संख्यावाले एक बहुमत समाज को शासन संगठन में अल्पमत में परिवर्तित कर एक चौथाई अल्पमत समाज को बहुमत में परिणत कर देना जनतन्त्र के महान् सिद्धान्त की बड़ी ही दुर्भाग्यपूर्ण व्यवहेलना थी। स्वनामधन्य बाबू सुभाषचन्द्र बोस (नेताजी) तथा अन्य कई निर्भीक और देश भक्त महानुभावों ने इस नीति को देश के लिये और राष्ट्र के लिये आत्मघातक बतलाया था। यहां तक कि सन् १९४६ ई० में मीरठ

कमिश्नर के प्रत्यक्ष भी कृपछानी महोदय ने अपने समापति के भाषण में जोरदार सन्तुष्टि में कहा था:—

“The Congress must yield to the demands of the minorities, Muslims or any other, but not at the expense of the good of the nation. Such yielding in the past has largely been responsible for our present troubles. Also when facts are conflicting and confusing, it is best to fall back upon basic moral principles. Some compromise may be made only when there is no doubt about facts. The basic principles involved in the communal conflict are those of nationalism and democracy. Nationalism, historically, is a greater principle than communalism and democracy, higher than sectional domination. In whatever, therefore, we do, we must not allow the communal and undemocratic principles to triumph over nationalism and democracy. Viewed thus I have doubt that the Congress was wrong in accepting separate electorates which are anti-national and undemocratic. I believe much of our troubles could have been avoided had we boldly refused to accept the undemocratic and anti-national principle of separate electorates. The communal conflict has to day not only a serious but a vicious aspect. It is quite possible that to avoid immediate trouble we may



accept principles that cut at the root of nationality and democracy. If we do so, we shall not only be betraying the nation, but ultimately the Muslim and other communities I hope our elders will guard themselves and the country against being coerced or cajoled into making any anti-national and undemocratic compromises in the future.'

अर्थात्, "कांग्रेस को मुस्लिम और दूसरे अल्पसंख्यकों को मांगे स्वीकार करनी चाहिये। पर यह कार्य राष्ट्र के हित के बलिदान पर नहीं होना चाहिये। भूतकाल में इस प्रकार की मांगों को स्वीकार करना ही बहुत कुछ वर्तमान विपत्तियों का कारण है। इसके अतिरिक्त जब तत्काल परस्पर विरोधी और व्याकुलतामय हों तब मौखिक नैतिक सिद्धान्तों को आधार बनाना ही सर्वश्रेष्ठ होता है। हाँ, समझौता केवल मात्र वहीं करना चाहिये, जहाँ तथ्यों के सम्बन्ध में कुछ सन्देह न हो। साम्प्रदायिक संघर्ष में हमें राष्ट्रीयता और जनतन्त्र के सिद्धान्तों से काम लेना चाहिये। ऐतिहासिक दृष्टि से राष्ट्रीयता की साम्प्रदायिकता की अपेक्षा महान् सिद्धान्त है और जनतन्त्र वगैरह प्रभुत्व से महान् है। इस दृष्टि से विश्वास करने पर, मैं यह बात निःसन्देह कह सकता हूँ कि कांग्रेस ने प्रथम निर्वाचन पद्धति का स्वीकार करने में गजती की थी, जोकि अराष्ट्रीय और जनतन्त्र के सिद्धान्त का विरोधी है। मेरा विश्वास है कि हमारी बहुत सी आपत्तियाँ टल गईं होतीं, अगर हम प्रवृत्त निर्वाचन जैसे अजनवन्त्यात्मक और अराष्ट्रीय तन्त्र को स्वीकार करने से इन्कार कर गये होते। वर्तमान साम्प्रदायिक संघर्ष ने न केवल गम्भीर रूप धारण कर लिया है वरन् उसने एक पापात्मक स्थिति प्राप्त कर ली है। यह बिलकुल सम्भव है कि उत्काञ्छित विपत्ति को टालने के लिये हम

पेरे गिरावट को रीकार काखें जो राष्ट्रीयता और जनतन्त्र की लड़की को काट दगा हो। अगर हम ऐसा करते हैं, तो हम न केवल राष्ट्र की प्रति ही विरपायपात करते हैं पर हम मुख्यतः और अन्ततः दूसरी जातियों से भी पाका देते हैं। मुझे आशा है कि हमारे बड़े लोग भविष्य में राष्ट्रीय और जनतन्त्रीय समझौता करने के प्रयत्न करेंगे।”

दूसरी बात यह है कि जिस मुख्यतः लोग और उसके नेता भी जिज्ञा के साथ कामेन ने समझौता करने की इच्छा की उसका प्रकट की, वे भारतीय स्वाधीनता के लिए इतने उत्सुक न थे। मुख्यतः लोग के जिज्ञा अब पहले के राष्ट्रवादी जिज्ञा न थे, जिन्होंने एक समय लोकमान्य तिलक को अपना सहयोग देकर स्वतन्त्र भारत के लिये अपनी आवाज बुलन्द की थी। जिज्ञा साहब की पूर्वकी राष्ट्र प्रवृत्तियों के लिये इसको उनका प्रति बड़ा आदर था। वे राष्ट्र के कर्णधारों में से एक थे, पर पीछे जाकर, वैसा कि हम पहले कह चुके हैं, उनमें बड़ा परिवर्तन हो गया। दुःख की बात है कि एक राष्ट्रवादी नेता एक घोर सम्प्रदायवादी मुख्यतः लोग के नेता के रूप में परिवर्तित हो गया और उन्होंने देश की आजादी के मार्ग में रोड़े घटकाने में कोई कसर न रखी। इतना ही नहीं, वे अपने हम काम में बाहर से भी प्रेरणा पान लगे। यही हम इस सम्बन्ध में एक रहस्य पर प्रकाश डालना चाहते हैं जो लुईस फीशर ने (Hindu Stan Standard) नामक पत्र में लेख लिखकर प्रकट किया था। इसी प्रकार लन्दन के “Daily Herald” में पार्लियामेंट के मेम्बर मि० माइकल फूट (Michael Foot) ने जो लेख लिखा था, उसका एक अर्थ यहाँ उद्धृत किया जाता है—

“Winston Churchill remains the implacable enemy of India's independence. He has never disguised his views. Many members of his party differed

with him on the question of Indian freedom, but Churchill's imperialistic policy dominates.

"Mohamed Ali Jinnah has not in recent years given any proof of a devotion to the cause of India's liberation from foreign rule. Nor has the Muslim League over which he presides Landlords, who bulk large in the counsels of the League stand to loose by the establishment of a new India, which would certainly alter the present land tenure to the disadvantage of landlords, Muslims, as well as Hindus, and to the advantage of all peasants.

"What could be more natural, therefore, than that Churchill and Jinnah should have been in correspondence, in recent months, over the fate of India? They have quietly exchanged letters and messages. It was shortly after the receipt of one such secret communication from Churchill that the Muslim League reconsidered its acceptance of the British Cabinet Mission's long term proposals and decided instead to boycott the coming Assembly which is to draw up a constitution for a new free India.

अर्थात्, विन्सटन चर्चिल भारतीय स्वाधीनता के घोर शत्रु रहे हैं। उन्होंने इस सम्बन्ध में अपना अभिप्राय कभी नहीं छुपाया। उनके दखलें के बहुत से सदस्य भारतीय स्वाधीनता के प्रश्न पर इनसे मतभेद करते हैं, पर चर्चिल की साम्राज्यवादी नीति ही की बोलचाल है।"

“गुलामदारी जितनी जितनी ने इन वर्षों में विदेशी शासन से भारत मुक्त करने के उद्देश्य में किसी प्रकार का अनुराग नहीं दिखाया। दमो प्रकार मुस्लिम लीग ने भी, जिसके वे अध्यक्ष हैं, इस सम्बन्ध कोई अनुराग प्रकट नहीं किया। भू-स्वामी या जमींदारों की, जो मुस्लिम लीग में बहुतायत में हैं, नवभारत के निर्माण से, बहुत स्वार्थहानि होना सम्भव है। नवभारत निर्माण से मुसलमान हिन्दू जमींदारों की वर्तमान भूमि भोगावधि में निरन्तर पूर्वक परिणाम होगा, जो किसानों के लिये लाभदायक होगा।”

“अतएव इससे अधिक और क्या प्राकृतिक हो सकता है कि भारत के भाग्य निर्माण के सम्बन्ध में चर्चित और जिज्ञा का पत्र व्यवहार रखा जाय। उन्होंने सुपचाप पत्रों और सन्देशों का व्यवहार किया है। चर्चित से इस प्रकार का एक गुप्त सन्देश पाकर मुस्लिम लीग ने ब्रिटिश कैबिनेट मिशन के दीर्घ कालीन प्रस्ताव की अपनी स्वीकृति पर पुनर्विचार करने का निश्चय किया और यह तय किया कि भावी विधान सभा का, जो कि स्वतंत्र भारत का विधान बनाने के लिये बनाई जायगी, बहिष्कार किया जाय।”

कहने का मतलब यह है कि मुस्लिम लीग जैसी सम्प्रदायवादी देश को पराधीन रखने का पक्षपात करने वाली एक संस्था से का तथा उसके नेताओं का अतन्त्र के पवित्र सिद्धान्त को टाक में कर समझौता करने के लिये लाजवाब होना एक गम्भीरसम्भूत भी

सन १९४४ ई० की १० जुलाई को मध्य प्रांत के पंचगनी हिन्दू स्टेज के दिवससुश मुकाम से महात्मा जी ने मि० जिज्ञा को ५ भाषा में एक पत्र लिखा जिसमें उन्होंने श्री जिज्ञा को भेंट के लिये किया और यह लिखा कि जहाँ आप चाहें वहाँ हम लोग मिलें। परन्तु मैं महात्मा जी ने लिखा कि आप मुझे भारतीय मुसलमानों इत्यादि का दुरमन न समझें। मैं हमेशा आपरा और मनुष्य जाति

निम्न और सेबक रहा हूँ । आप मुझे निराश न करेंगे ।

जिन्ना महोदय ने २४ जुलाई १९४४ ई० की इस पत्र का जवाब महात्मा जी को दिया । इसमें उन्होंने महात्माजी को यह सूचित किया कि वे महात्मा जी से अगस्त मास के मध्य में बम्बई में अपनी कोठी पर मिल सकते हैं ।

मूलतः १६ अगस्त प्रथम मुलाकात के लिये सुकरिर्न हुए । पर जिन्ना महोदय की बीमारी के कारण, उक्त तारीख की मुलाकात स्थगित कर दी गई । अतएव ६ सितम्बर को प्रथम गांधी जिन्ना मुलाकात और २७ सितम्बर को आखिरी मुलाकात हुई । इस बीच में गांधीजी और जिन्ना साहब में १४ मुलाकातें हुई । मगर इनका कोई फल नहीं हुआ । जहाँ जिन्ना साहब सभ्यता, संस्कृति, आचार विचार, धर्म, इतिहास और परम्परा की दृष्टि से हिन्दू और मुसलमानों को विभिन्न राष्ट्रों के रूप में स्वीकार करने पर अपना सारा जोर लगा रहे थे, वहाँ गांधीजी इस बात पर बड़ी दृष्टकाहट पैदा कर रहे थे और वे इस द्विराष्ट्र सिद्धान्त को देश के लिये बधा खतरनाक समझते थे । गांधीजी ने २२ सितम्बर १९४४ ई० जिन्ना साहब को जो पत्र लिखा उसका एक अंश यह है—

“..... The more I think about the two nation's theory the more alarming it appears to be. The book recommended by you gives me no help. It contains half-truths and its conclusions or inferences are unwarranted. I am unable to accept the proposition that the Muslims of India are a nation distinct from the rest of the inhabitants of India. Mere assertion is no proof. The consequences of accepting such a proposition are dangerous in the extreme. Once the principle is admitted there

would be no limit to claims for cutting up India into numerous divisions which would spell India ruin.....'

अर्थात् "जितना अधिक मैं द्वापट्ट सिद्धान्त पर विचार करता हूँ उतना ही अधिक वह मुझे भयावह मात्स्य पदता है। आपने इस सम्बन्ध में मुझसे जिस पुस्तक की सिफारिश की है, उससे मुझे कोई मदद नहीं मिल सकती। उसमें तो अर्द्धसत्य भरे हुए हैं और उसके नतीजे और अनुमान अनधिकृत हैं। मैं इस तथ्य को स्वीकार करने में असमर्थ हूँ कि भारतवर्ष के सुसंयोजित भारत के अवशेष निवासियों से एक भिन्न राष्ट्र के रूप में अपना अस्तित्व रखते हैं। केवल इद वचन (Assertion) ही किसी बात का प्रमाण नहीं होता। इस प्रकार के तथ्य को अर्थात् द्वापट्ट सिद्धान्त से स्वीकार करना अत्यधिक भयावह है। अगर एक मर्तवा यह तत्व स्वीकार कर लिया गया तो भारतवर्ष के विभाजन के बिये अनगणित दूध उपस्थित होंगे और उससे भारत का नाश हो जायगा।"

गांधीजी के इस पत्र का जिन्हा ने बड़ा कड़ा और रूखा जवाब दिया और यह साफ संकेत किया कि अगर समझौता हो सकता है तो मुखिम लीग के अहोरे अभिवेशन के प्रस्तावानुसार द्वापट्ट के सिद्धान्त पर ही हो सकता है। इसके अतिरिक्त जिन्हा साहब ने कांग्रेस की सांकेतिक प्रतिनिधि संस्था मानने से भी इन्कार किया और कहा कि केवल सर्वर्ण हिन्दुओं (Caste Hindus) की प्रतिनिधि सभा है व कि सारे हिन्दुस्तान की। जहाँ गांधीजी ने अपने पत्र-व्यवहार में अपनी स्वाभाविक नम्रता और विनयशीलता का परिचय दिया, वहाँ जिन्हा साहब ने कड़े से कड़े शब्दों का उपयोग किया और गांधीजी के पत्रों में प्रदर्शित भावों को परस्पर विरोधी बतलाया।

गांधीजी ने चक्रवर्ती राजगोपाळराय के फामूला पर, जिसका अर्थान भागे दिया गया है, मदमत हाकर उनके आधार पर समझौता

करने के लिये जिन्ना साहब से अनुरोध किया पर उन्होंने गांधीजी के इस अनुरोध को भी अस्वीकार कर दिया। आखिर गांधी जिन्ना तार्ताखान, जैसा कि दूरदर्शा राजनीतिज्ञों का अनुमान था, पूरी तरह से असफल हो गया। २८ सितम्बर को प्रेस कॉन्फ्रेंस के सामने अपना वक्तव्य देते हुए, गांधीजी ने अपनी इस असफलता पर प्रकाश डाला। ४ अक्टूबर १९४४ को जिन्ना ने महात्माजी के वक्तव्य का कड़े शब्दों में विरोध किया। कहने का भाव यह है कि गांधीजी के बहुत अधिक मुक मान पर भी जिन्ना साहब उस से मस न हुए और वे अपने विचार पर हिमाक्षय की चट्टान की तरह अटल रहे।

## राजाजी का फार्मूला

श्री राजगोपालाचार्य राष्ट्र के प्रधान कर्णधारों में से एक हैं। वे बड़े राजनीतिज्ञ और शासनपटु हैं। गांधीवादियों में उनका उच्च स्थान रहा है, यद्यपि कभी कभी गांधीजी से उनका मतभेद भी रह चुका है। हिन्दू मुस्लिम सम्बन्धी उनके फार्मूला का उल्लेख तथा अक्सर हम करते आये हैं। अन्य महान् नेताओं की तरह उनके उद्देश्य पर धावेप न करते हुए, हमें यह कहने के लिए विवश होना पड़ता है कि देश हित के दूरवर्ती परिणामों को देखते हुए उनका यह फार्मूला देश के लिये हितकर नहीं कहा जा सकता है। उन्होंने इस फार्मूला में एक प्रकार से देश के विभाजन को स्वीकार किया है। इस फार्मूला के सम्बन्ध में श्री राजगोपालाचार्य 'Gandhi Jinnah Talks' ग्रन्थ की अपनी भूमिका में लिखते हैं।

"Since April 1942, I strove to find a just and acceptable solution which would bring the Muslim League and the Congress together and enable them jointly to assault the Imperialistic citadel. I have

worked hard without fear or favours, I have understood the case of the Muslim and the case of the Congress and to be just to both parties, my claim may not be accepted either by the Muslim League leader or by the leaders of the Congress communalists. But I believe that impartial justice will see some justice in the claim "

" At one time I felt that the Congress failed to see the reasonableness and the restraint of the Muslim claim and I fought hard and persistently to make the Congress and Mahatma Gandhi perceive what I felt was just in the demand of the Muslims and whilst I was convinced must be conceded in order to make any progress in the struggle for Indian Independence. When in March 1943 Gandhiji accepted my proposal, I thought the battle was over. But then the position was reversed and it was the Muslim League whose consent I could not get to the possible settlement conceivable in the terms of the Muslim League demand "

अर्थात् " अग्रेज १९४२ ई० में मेरे न्यायपूर्ण और स्वीकारने योग्य समाधान के लिये कोशिश कर रहा था जो मुस्लिमों और कांग्रेस को परस्पर मिला दे जिससे कि वे दोनों मिलकर बाढ़ी दुर्ग पर आक्रमण करने में समर्थ हो सकें। मैंने इसके लिये किसी भय या पक्षपात के परिधमपूर्ण कार्य किया। मैंने मुसलमानों को कांग्रेस के मसखे समझने की और दोनों दलों के प्रति न्यायपरायण



की कायदा की। मेरा यह दावा, मुस्लिम लीग के नेता या हिन्दू मांग-  
शायदादियों के नेता, चाहे स्वीकार न करें, पर मैं यह विश्वास करता हूँ  
कि निःपक्ष न्यायकर्ता हम दावे में कुछ न्याय-तत्व देखेंगे।”

“एक समय मुझे यह भी मालूम होने लगा कि कांग्रेस, मुस्लिमों के दावे  
के औचित्य को समझने में असफल रही है और न कांग्रेस और महात्मा  
गांधी का लीग की मांग के औचित्य का विश्वास दिखाने के लिये निरन्तर  
कटोर संघर्ष करता रहा और इस बात का प्रयत्न करता रहा कि लीग की  
यह मांग, जिसके औचित्य में मुझे विश्वास था, भारतीय स्वाधीनता की  
शक्ति के लिये स्वीकृत कर ली जाय। जब मार्च १९४३ ई० में गांधी  
जी ने मेरा प्रस्ताव स्वीकार कर ली तो मैंने समझा बड़ाई खत्म हो चुकी।  
पर इसके बाद स्थिति बदल गई और न मि० जिन्ना की, इस संभाषण  
सम्मति के लिये तो कि मुस्लिम लीग के मांग की दृष्टि से बहुत कुछ  
बुद्धिगम्य था, सम्मति प्राप्त न कर सका।”

उपरोक्त घवर्तण्य से पाठकों को श्री राजगोपालाचार्य की मनोवृत्ति  
का सहज ही में पता चल सकता है। इसी मनोवृत्ति को लेकर राजाजी ने  
भारत विभाजन का जो फार्मूला तैयार किया था वह निम्न लिखित है:-

(१) अज्ञात हिन्दुस्तान के विधान के सम्बन्ध में नीचे लिखी बातों  
का ध्यान में रख मुस्लिम लीग भारतीय स्वतन्त्रता  
की मांग को स्वीकार करती है। यह बीच के समय  
फार्मूला के लिये अस्थायी सरकार के बनाने में कांग्रेस के  
साथ सहयोग करेगी।

(२) युद्ध समाप्त होने पर एक कमीशन बिठाई जायगी जो कि भारत  
के उन उत्तम परिवर्तन और प्राचीन क्षेत्रों की सीमा बाँधेगी जिनमें मुसलमान  
आवासी बहुसंख्यक है। ऐसे सीमाबद्ध क्षेत्रों में, यादगिर महाविहार के  
आधार पर तमाम बसने वालों का मतसंग्रह किया जायगा। अथवा इसी  
नकार का कोई और दंग निगलना चाहना जिससे हिन्दुस्तान से बाहर प्रभुत्व

पूर्व 'स्टेट' कायम करने का प्रश्न ही मत्त जाना जा सके। अगर बहुमत चाहेगा है कि हिन्दुस्तान से अलग प्रमुख-पूर्व 'स्टेट' कायम की जाय तब इस नियंत्रण को अमल में लाया जायेगा, लेकिन उस समय सीमाश्रित क जिलों को अधिकार रहेगा कि वे जिस 'स्टेट' में शामिल होना चाहें, हो सकें।

(३) हर एक पार्टी को मन-मत सचय के पूर्व प्रचार करने का पूर्ण अधिकार रहेगा।

(४) अलग होते समय रक्षा, वाणिज्य और यातायात तथा दूसरे आन्तरिक मामलों के सम्बन्ध में आपसी समझौता हो जायेगा।

(५) आषादी का स्थान परिवर्तन पूर्व स्वच्छता पर निर्भर होगा।

(६) ऊपर लिखी बातें सभी लागू होंगी जब कि ब्रिटेन भारत के आसन के लिये पूर्ण अधिकार और जिम्मेदारी दे दे।



# मुस्लिम-राजनीति



जैसा कि हमारे इतिहास के पाठकों को ज्ञात होगा कि ईस्वी सन् १८५७ के राष्ट्रीय विद्रोह में हिन्दू और मुसलमान दोनों ने हिस्सा लिया था। उक्त विद्रोह के दमन के बाद ब्रिटिश सरकार का लक्ष्य मुसलमानों को दमन करने में विशेष रहा था। ब्रिटिश की कूटनीति हमेशा यह रही थी कि हिन्दू मुसलमानों में कभी हिन्दुओं को बढ़ावा दे देना और कभी मुसलमानों को। "कूट राज्यों और राज्य करो" यह उनकी नीति का प्रधान सूत्र रहा था। ईस्वी सन् १८५७ के बाद भारत के कुछ आदर्शवादी व्यक्तियों में भारत की स्वतन्त्रता की भावना जागृत हुई थी। प्रारम्भ में वर्तमान मुस्लिम राजनीति के जनक और अखीरुद्-मुस्लिम विश्वविद्यालय के उत्पादक सर सेय्यद आहमदने बंगाल के आदर्शवादी और भारत की स्वतन्त्रता की भावना रखने वाले बंगाली राजनीतिज्ञों की जो प्रवृत्ति थी, उसके सम्बन्ध में मि० अहमद लिखित "मुसलमानों का रोशन-मुस्तक-बाज" नामक ग्रन्थ का अंग्रेजी अनुपाद धी, एस्. मुकर्जी ने अपने "मुस्लिम पॉलीटिक्स" नामक ग्रन्थ में दिया है, उसका उद्धरण यह है।

"He thought that it was through them ( Bengalis ) that there was great improvement in education and spread of the ideas of patriotism and freedom in the country. He used to say that they were the head and crown of all the people of India and he felt pride for them."

पूर्ण 'स्टेट' कायम करने के प्रश्न पर मत माना जा सके। अगर बहुत पाइता है कि हिन्दुस्तान से अलग प्रमुख-पूर्ण 'स्टेट' कायम की जाय तब इस नियंत्रण को अमल में लाया जावेगा, लेकिन उस समय सीमाओं के ज़िखों को अधिकार रहेगा कि वे जिस 'स्टेट' में शामिल होना चाहें, हो सकें।

(३) हर एक पार्टी को जन-मत सचय के पूर्व प्रचार करने का पूर्ण अधिकार रहेगा।

(४) अलग होते समय रक्षा, बाणिज्य और यातायात तथा दूसरे आन्तरिक मामलों के सम्बन्ध में आपसी समझौता हो जायेगा।

(५) आजादी का स्थान परिवर्तन पूर्ण स्वच्छा पर निर्भर होगा।

(६) ऊपर ज़िखी बातें तभी लागू होंगी जब कि ब्रिटेन भारत के आमन के लिये पूर्ण अधिकार और जिम्मेदारी दे दे।



# मुस्लिम-राजनीति



जैसा कि हमारे इतिहास के पाठकों को ज्ञात होगा कि ईस्वी सन् १८५७ के राष्ट्रीय विद्रोह में हिन्दू और मुसलमान दोनों ने हिस्सा लिया था। उक्त विद्रोह के दमन के बाद ब्रिटिश सरकार का कषय मुसलमानों को दमन करने में विशेष रहा था। ब्रिटिश की कूटनीति हमेशा यह रही थी कि हिन्दू मुसलमानों में कभी हिन्दुओं को बढ़ावा दे देना और कभी मुसलमानों को। "कूट ढाखो और राज्य करो" यह उनकी नीति का प्रधान सूत्र रहा था। ईस्वी सन् १८५७ के बाद भारत के कुछ आदर्शवादी व्यक्तियों में भारत की स्वतन्त्रता की भावना जागृत हुई थी। प्रारम्भ में वर्तमान मुस्लिम राजनीति के जनक और अलीगढ़-मुस्लिम विश्वविद्यालय के उत्पादक सर सैय्यद अहमदने बंगाल के आदर्शवादी और भारत की स्वतन्त्रता की भावना रखने वाले बंगाली राजनीतिज्ञों की जो प्रशंसा की थी, उसके सम्बन्ध में मि० अहमद लिखित "मुसलमानों का रोशन-मुस्तक-बाख" नामक ग्रन्थ का अंग्रेजी अनुपाद श्री. एस. मुर्जी ने अपने "मुस्लिम पॉलिटिक्स" नामक ग्रन्थ में दिया है, उसका कुछ अंश यह है।

"He thought that it was through them (Bengalis) that there was great improvement in education and spread of the ideas of patriotism and freedom in the country. He used to say that they were the head and crown of all the people of India and he felt pride for them."

अर्थात् उनके विचारानुसार बंगालियों ही के द्वारा देश में सत्ता सुधार और स्वदेश भक्ति और देश की स्वाधीनता के भावों का प्रचार हुआ। वह कहा करते थे कि बंगाली भारतवर्ष के लोगों के शिरोमणि हैं और वे उनके लिए अभिमान अनुभव करते थे।

सरसैय्यद अहमद के उन दिनों के भारतीय राष्ट्र क सम्बन्ध में जो विचार थे, उक्त ग्रन्थ में उन पर भी कुछ प्रकाश डाला गया है।

"The word nation is applicable to people who live in a country Remember that the words Hindu and Musalman denote religious faith, otherwise Hindus; Musalmans and even Christians, who live in this country, all constitute, on this account, one nation. Now the time is gone when only on account of difference in religion the people living in a country should be regarded as of two different nations" (Ahmed Tufail Musalman ka Roshan mustaqbal P. 283)

अर्थात् "राष्ट्र शब्द उन लोगों को धारण होता है जो देश में रहते हैं। याद रखो हिन्दू और मुस्लिम शब्द धार्मिक विश्वास के सूचक हैं। जैसे कि मैं मुसलमान और महा तक कि ईसाई भी जो इस देश में रहते हैं, एक ही राष्ट्र को बनाते हैं। अब यह समय चला गया जब एक ही देश में रहने लोग धर्मभेद के कारण दो अलग राष्ट्र कहें, (एक ही मुसलमानों का रोशन मुस्तकबल)।

आगे चलकर एक दूसरे अवसर पर सर सैय्यद अहमद ने फिर कहा था —

In the word nation, I include both Hindus and

shamedans, because that is the only meaning I attach to it. With me it is not worth considering what is their religious faith, because we do not see any thing of it. What we do see is that we inhabit the same land, are subject to the rule of the same governors, the fountains of benefit for us are the same and the pangs of famine also we suffer equally. These are the different grounds upon which I call both these races, which inhabit India by one word, i.e. Hindumeaning to say that they are inhabitants of Hindusthan." (Mehta and Atwardhan The Communal Triangle in India .23)

अर्थात् मैं राष्ट्र शब्द में हिन्दू मुसलमान दोनों को शामिल करता हूँ इसका केवल मात्र यही अर्थ समझता हूँ। मेरे दिने इस बात का कोई अर्थ नहीं कि उनके धार्मिक विश्वास क्या है। हमें जो कुछ देखना है, वह यह है कि हम एक ही जमीन पर बसते हैं, एक ही प्रकार के शासकों के अधीन हैं, हमारे सब के हित का मूलस्रोत एक ही है और अकाल के समय हम सब एक सा ही कष्ट उठाते हैं। इन्हीं विभिन्न मुद्दों के ऊपर मैं न दोनों जातियों को हिन्दू यानी हिन्दुस्थान के निवासी समझता हूँ।"

सर सैय्यद अहमद ने, जैसा कि हम ऊपर कह चुके हैं, प्रारम्भ में हिन्दू सुरिखमों की एक राष्ट्र के रूप में स्वीकार करते हुए हिन्दू-मुस्लिम एकता का प्रति गौहत्या का भी-विषय किया था। उन्होंने एक अवसर पर कहा था :-

"Slaughtering cows for the purpose of annoying Hindus is the height of cantankerous folly. If fri-

endship may exist between us and them, that friendship is far to be preferred to the sacrifice of cows" (Cumming sir John: Political India P. 89)

अर्थात् "हिन्दुओं को पशुप्रायण के लिए गोवध करना नयकर है। अगर हम में और उनमें मित्रता रहे तो गौ बलिदान की अपेक्षा उस मित्रता को अधिक पसन्द करना चाहिए।"

सर सैय्यद अहमद के उक्त विचारों के उद्धारगुणों से पाठकों को उनके प्रारम्भिक विचारों का कुछ ज्ञान हुआ होगा।

पर पीछे जाकर ब्रिटिश की "भेद डालो और राज करो," (Divide and rule) की नीति ने काम किया और सर सैय्यद अहमद अपने विचार बदलने के लिये बाध्य हुए। मि० बेक नामक एक श्रेष्ठ व्यक्ति ने सर सैय्यद के विचारों को बदलने में बड़ा काम किया। उसने उन्हें एक राष्ट्रीय मुसलमान से एक कट्टर मुसलमान में बदल दिया। इसका परिणाम यह हुआ कि जिन सर सैय्यद अहमद ने एक रफा जो यह जिसा था कि—

"No nation can get respect and honour so long as it does not attain equality with the ruling race and does not take part in the Government of its own land" (Ahmed Sir Syed. Tahzibul Akhlaq)

अर्थात् कोई राष्ट्र जब तक शासक जाति के साथ बराबरी का दर्जा प्राप्त न कर ले और यह अपने देश के शासन में हिस्सा न ले सके, तब तक वह प्रतिष्ठा और आदर प्राप्त नहीं कर सकता, वही सर सैय्यद अहमद यह सोचने लगे कि ब्रिटिश के साथ रहने ही में मुसलमानों की मुक्ति निर्भर है। इतना ही नहीं, ईस्वी सन् १८८० में, अखिल भारत में होने वाली



dia" था। कुछ ब्रेक इन संस्था का सेक्रेटरी बना। इस संस्था के उद्घा-  
 तन के समय उसने जो भाषण दिया, उमका कुछ अंश नीचे दिया जाता है।

"During the last few years two agitations are growing in the country, one is the Indian National Congress and the other is the movement against slaughter of cows. The first of these movement is against Englishmen and the second against the Muslims. The aim of the Congress is the transfer of political power from the hands of the British to some groups amongst the Hindus, weakening of the army and reduction in the cost of its maintenance. The Muslims can have no sympathy with such objects ( Tufail Ahmed )

अर्थात् गत थोके से वर्षों देश में दो आन्दोलन खररहे हैं। एक आन्दोलन भारतीय कांग्रेस का है और दूसरा गौबध के विरुद्ध है। इनमें पहला आन्दोलन अंग्रेजों के खिलाफ है और दूसरा मुस्लिम के खिलाफ है। कांग्रेस का उद्देश्य ब्रिटिश के हाथों से हिन्दुओं के कुछ राजों में राजसत्ता का इस्तान्तर करना, शासक जाति को कमजोर करना, लोगों को खस्रादि देना और फौज का खर्चा घटा कर उसे कमजोर करना है। मुसलमानों की इन उद्देश्यों के साथ कोई सहानुभूति नहीं है।

वेक में हमेशा हिन्दुओं और मुसलमानों में फूट डालकर अंग्रेजी राज्य को मजबूत करने के विविध पद्धत रचे। वह मुसलमानों से यह अंतिम अप्पन्न करने खगा कि हिन्दु मुस्लिम एकता के बजाय अंग्रेज मुस्लिम एकता मुसलमानों के हित के लिये ज्यादा भयस्वरे है। उसने अपने व्याख्यान में कहा था —

"It is imperative for the Musalmans and the

British to unite with the object of fighting them and the introduction of democratic form of Government should be opposed as it is unsuited to this country. We must carry on propaganda for the spread of loyalty to the Government and Anglo-Muslim unity." (Tufail Ahmed)

अर्थात् "मुसलमानों और अंग्रेजों को उनसे (हिन्दुओं) खड़े करने के लिये एक हो जाना आवश्यक है। इसके अतिरिक्त भारत में जनतंत्र का भी विरोध होना चाहिये, क्योंकि यह इस देश के लिये अनुपयुक्त है। हमें सरकार के प्रति राजभक्ति का भाव फैलाने के लिये और अंग्रेज मुस्लिम एकता के लिये प्रचार कार्य करना चाहिये।"

वेक ने मुसलमानों की ओर से इंग्लैंड और भारत में एक साथ सिविल सर्विस परीक्षा की व्यवस्था होने के खिलाफ भारतीय मुसलमानों की ओर से इंग्लैंड को एक आवेदन पत्र भेजा। ब्रिटिश अधिकारियों ने इसे अपने फायदे की चीज समझ कर स्वीकार कर लिया। इस पर मुस्लिम रक्षा समिति ने (Mohamedan Defence Association) ने एक प्रस्ताव पास किया और इस कार्य के लिये ब्रिटिश अधिकारियों को धन्यवाद दिया और प्रकट किया कि भारत में सिविल सर्विस परीक्षा का होना ब्रिटिश राज्य की हद्दता को हानि पहुंचाना है।

कहने का अर्थ यह है कि—अलीगढ़ कॉलेज के मुस्लिम राजनीतिज्ञ राष्ट्र के हित-शत्रुओं के हाथों में खड़े और उन्होंने अपने देश और जातिके सामूहिक हित कामना के बजाय जातिगत पुत्र स्वार्थों को अधिक महत्त्व देकर राष्ट्र में फूट के बीज बोये। वे वेक के हाथ के सहज ही में खिलौने बन गये। वेक ने अंग्रेज जाति के हित के लिये इस को एकता को तोड़ने का भीषण पद्धत्य किया। इसकी सन् १८९५ में इंग्लैंड में व्यापकान देते हुए उसने कहा था:—

A Whole Anglo-Muslim unity, was possible  
Hindu-Muslim unity, was impossible

अथवा अमेक-मुस्लिम एकता सम्भव है या हिन्दू-मुस्लिम एकता सम्भव है? (Tufail Ahmed) १० एप्रिल १९५५

इस्वीसन १९५५ में श्री युनिवर्सिटी मुस्लिम मनीषियों के सम्मेलन में  
सेम्बर अहमद का शरीरान्त हो गया। सर सैयद अहमद ने शहीद

होना के अलावा अनेक कारणों से अहमद का शरीरान्त होना सम्भव है।  
सांख्यिक भावना के अभाव में अहमद का शरीरान्त होना सम्भव है।

अहमद का शरीरान्त होना सम्भव है। अहमद का शरीरान्त होना सम्भव है।  
अहमद का शरीरान्त होना सम्भव है। अहमद का शरीरान्त होना सम्भव है।

अहमद का शरीरान्त होना सम्भव है। अहमद का शरीरान्त होना सम्भव है।  
अहमद का शरीरान्त होना सम्भव है। अहमद का शरीरान्त होना सम्भव है।

An Englishman, who has engaged in building  
the Empire, is far off and as dry as the  
soldier's dog's head.

अथवा (मिस्त्र) एक अंग्रेज के शरीरान्त होना सम्भव है।  
अहमद का शरीरान्त होना सम्भव है। अहमद का शरीरान्त होना सम्भव है।

अहमद का शरीरान्त होना सम्भव है। अहमद का शरीरान्त होना सम्भव है।  
अहमद का शरीरान्त होना सम्भव है। अहमद का शरीरान्त होना सम्भव है।

अहमद का शरीरान्त होना सम्भव है। अहमद का शरीरान्त होना सम्भव है।  
अहमद का शरीरान्त होना सम्भव है। अहमद का शरीरान्त होना सम्भव है।

अहमद का शरीरान्त होना सम्भव है। अहमद का शरीरान्त होना सम्भव है।  
अहमद का शरीरान्त होना सम्भव है। अहमद का शरीरान्त होना सम्भव है।

अहमद का शरीरान्त होना सम्भव है। अहमद का शरीरान्त होना सम्भव है।  
अहमद का शरीरान्त होना सम्भव है। अहमद का शरीरान्त होना सम्भव है।

अहमद का शरीरान्त होना सम्भव है। अहमद का शरीरान्त होना सम्भव है।  
अहमद का शरीरान्त होना सम्भव है। अहमद का शरीरान्त होना सम्भव है।

## भारतवर्ष और उसका वशातव्य संशय

उपाय न हुआ तो मुसलमानों की वर नहीं है। ब्रिटिश हुकूमत के बाद हुए दश पर लोकतंत्र के अनुसार हिन्दुओं के बहुमत की सकार बनगी और मुल्क की हुकूमत में अल्पमत मुसलमानों का कोई हफ़ और अहितधार न होगा। उनको पुरत-वर पुरत के लिये हिन्दुओं की गुलामी करनी पड़ेगी और उनको टोकरें खानी पड़ेंगी। इस सुनीबत से बचने का बिकर एक ही उपाय है कि मुसलमान हिन्दुओं से अछड़दा एक राष्ट्र (नेम) होने का दावा करें और इस हैसियत से क्वेतिस्त्रेटिव कीमिस्त्र में मुसलमानों के लिये अलग मत देने और चुनाव करने की मांग पेश करें। ईगवे उनकी मियाजी हकीमत हमेशा के लिये बकरार रहेगी। अभी तो कुछ बिगड़ा नहीं है। मुसलमान नेता एक डपूटेशन लेकर मेरे पास आयें और मेरे कथना-नुसार मांग पेश करें। बाकी सब काम मैं बना लूंगा।”

लार्ड मिन्टो के प्राइवेट सेक्रेटरी कनेल डलाप रिमथ और अलीगढ़ कॉलेज के तरकाबीन प्रिंसिपल मि० आर्चिबाल्ड ने गुप्त सत्रया कर इस पदपत्र की सृष्टि की थी।

ईस्वी सन् १९०१ के १० अगस्त को प्रिंसिपल आर्चिबाल्ड ने अलीगढ़ कॉलेज के तरकाबीन सेक्रेटरी मयाय मोहसिन उल-मुल्क को इस सगधन्य में जो चिट्ठी लिखी थी, उसका कुछ अरा यहा उद्धृत किया जाता है—

“Col. Dunlop Smith Private Secretary to the viceroy, has written to me that the viceroy is agreeable to receive a deputation of Muslims and has advised me to send a formal letter requesting a permission to wait on the Viceroy. In this connection I shall like to make a few suggestions.

The first point is the sending of the petition

I think that it will be enough if it is signed by some Muslim leaders

The second point is who should be the members of the deputation They should consist of the representatives of all the provinces.

The third point to be considered is the text of address I would suggest here that we begin with a solemn expression of loyalty. We should offer thanks to the Government for its decision to take a step in the direction of self government and open the door to offices for Indians But our apprehension should be expressed that the principle of election, if introduced, would prove injurious to the interest of the Muslim minority It should respectfully be suggested that the system of nomination or representation by religion be introduced But in all these matters I must remain in the background and this move should come from you. You know how anxious I am for the good of the Muslims and I would, therefore, render all help with the greatest pleasure I can prepare for you the draft of the address If it is prepared in Bombay I can go through it as you are away I know how to phrase these things in proper language But Nawab Sahib, please remember that if we want to take any great and powerful action in the short time at our

disposal we must act quickly," (Tufail Ahmed)

"सर्थांत साइमरॉय के प्राइवेट सेक्रेटरी कर्नल डनेखप रिमथ ने मुझे लिखा है कि, पाहुसराय, मुसलमानों के डेपुटेशन का स्वागत करने के लिये मजदूरी और डनेखोने मुझे इस के लिये इनाजत, लेने के लिये, एक औपचारिक पत्र लिखने की सलाह दी है। मैं इस सुझाव, ने आपकी कुछ सुझाव देना चाहता हूँ।

॥ पहला सुझाव, साधेदन पत्र लेने के संबंध में है। मेरी राय में, इस साधेदन पत्र पर कुछ, मुस्लिम नेताओं के हस्ताक्षर, होना, काफी है।

॥ दूसरा सुझाव यह है कि इस डेपुटेशन में कौन सदस्य होने चाहिए। 'मर्च प्रान्तों के प्रतिनिधियों' का यह डेपुटेशन बनना चाहिए।

तीसरा सुझाव अभिनन्दन पत्र के मजमून के संबंध में था। इसके संबंध में मेरा सुझाव यह है कि हमें इसे राज्य भक्ति के पवित्र उद्धारों के साथ शुरू करना चाहिए। हमें सरकार की स्वाजय की ओर कदम उठाने के लिये तथा भारतवासियों के लिये पदों के द्वार खोल देने के लिये धन्यवाद देना चाहिए। हमें यह भी मय प्रकट कर देना चाहिए कि अगर निर्वाचन का सर्व स्वीकार कर लिया गया तो वह मुस्लिम शरप सवक जाति के लिये हानिकारक होगा। हमें सादर के साथ उसमें यह सुझाव रखना चाहिए कि मनोनीत करने की पद्धति और भर्मानुसार प्रतिनिधित्व ही हितकर है।

इनासुप बातों के पुरा करने के लिये मुझे, अमकड, रूप से प्रीके, रहना चाहिए और सब सुझाव सुझाव द्वारा सामने आये आते, चाहिए। आप जानते हैं, मैं मुसलमानों की भलाई के लिये, कितना चिन्तित हूँ-और उन्हें सरक करने, मैं मुझे सबसे अधिक खुशी होगी। मैं आपके लिये, एक अभिनन्दन पत्र का सुझाव भी देना कर सकता हूँ। मैं योग्य, भाषा में, लिखने को जमाना, आपना है। नवाब सादर, आप कृपा, कर, मुझे, सरख रखें

कि अगर हम थोड़े समय में बड़ी और शक्तिशाली कार्यवाही करना चाहते हैं तो हमें मद्रास कर्मक्षेत्र में जुगजाना चाहिए।" यह आवेदनपत्र तैयार किया गया और ईस्वी सन् १९०६ की पहली अक्टूबर को डिज हार्डनेस आगाखा के नेतृत्व में लोर्ड मिंटो से मुसलमानों का एक डेपुटेशन मिला। मौलाना मोहम्मद थली ने ईस्वी सन् १९२३ की को-इनन्दा कांग्रेस अधिवेशन के अध्यक्ष के नाते से जो भाषण दिया था, उसमें इस डेपुटेशन की कार्यवाही का Command performance कहा था। इस डेपुटेशन के स्वागत के समय में लोर्ड मिंटो ने अपनी डायरी में जो कुछ लिखा है उसका एक अंश नीचे उद्धृत किया जाता है—

The Mohamedan population, which numbers 62 millions, who have always been intensely loyal, resent not having proper representation and consider themselves slighted in many ways; preference having been given to the Hindus. The agitators have been most anxious to foster this feeling and have naturally done their utmost to secure the co-operation of this vast community. The younger generation were wavering, inclined to throw in their lot with advanced agitators of the Congress. The Mohamedans decided before taking action, that they would bring an address before the Viceroy, mentioning their grievances. The meeting was fixed for today and about 20 delegates from all parts of India have arrived. The ceremony took place this morning in the Ball room. The girls and I went in by a side door to hear the

proceedings while Minto advanced up to the room and took his seat on the dais. The Agha Khan was selected to read the very long but excellent address stating all their grievances and aspirations. Minto then read his answer..... "You need not ask my pardon for telling me that representative institutions of the European type are entirely new to the people of India... I should be very far from welcoming all the political machinery of the western world among the hereditary traditions and instincts of Eastern races... The pith of your address, as I understand it, is a claim that any system of representation, whether it affects a Municipality, a District Board or Legislative Council, in which it is proposed to introduce or increase an electoral organisation, the Mohammedan community should be represented as a Community. You point out that in many cases electoral bodies, as now constituted, cannot be expected to return a Mohammedan candidate and that if by chance they did so it could only be at the sacrifice of such candidate's views those of a majority, opposed to his own community, whom he would in no way represent. You justly claim that your position should be estimated not merely on your numerical



but in respect to the political importance of your community and the service it has tendered to the Empire, I am entirely in accord with you."

यह बड़ा ही घटनापूर्ण दिवस था, जैसा कि कुछ लोगों ने मुझ से कहा कि भारतीय इतिहास का यह युग परिवर्तनकारी दिन था। भारतवर्ष के सब वर्गों और धर्मों के लोगों में जैसी अशान्ति और असंतोष छा रहा है, उससे हम सब लोग परिचित हैं। मुसलमानों, जिनका आवादी खग-भग छः करोड़ बीस लाख है और जो हमेशा बहुत ही राज्यभक्त रहे हैं, इस बात पर क्रोध प्रकट करते हैं कि उन्हें योग्य प्रतिनिधित्व नहीं दिया गया। उनका कई तरह से निरादर किया गया। हिन्दुओं के प्रति अधिक अनुराग दिखलाया गया। आन्दोलन कर्त्ताओं ने बहुत ही चिन्ता के साथ इस भावना को उत्तेजित किया है और उन्होंने इस विशाल जाति का सहयोग प्राप्त करने के लिये स्वाभाविक रूप से भरसक प्रयत्न किया है। मुस्लिमों की नवयुवक पीढ़ी साधारणतया हिचक रही थी। वह कांग्रेस के प्रगतिशील आन्दोलन कर्त्ताओं के साथ अपना किस्मत खगा देना चाहती थी। मुसलमानों ने किसी भी प्रकार की कार्यवाही करने के पक्षे यह निश्चय किया कि वे वाइसरॉय की सेवा में अभिनन्दन पत्र भेंट करेंगे, जिसमें कि उनके कर्त्तों का उल्लेख होगा। उनकी मीटिंग आज के लिये मुकर्रर है और सारे भारतवर्ष के प्रान्तों से उनके लगभग ७० प्रतिनिधि यहाँ पहुँच गये हैं। उनका उत्सव आज सुबह नाचघर (Ball Room) में हुआ है। बस-किया और मैं बाजू के दरवाज़ों से कायराही को सुनने के लिये गई, जहाँ मिन्दो उच्चासन (Dais) पर बैठे हुए थे। आगाख़ा उस बहुत बड़े और अकृष्ट अभिनन्दन को, जिसमें उनके कर्त्तों और आकांक्षाओं उल्लेख था, पढ़ने के लिये चुन गए। मिन्दो ने इसके बाद अपना उत्तर पढ़ा जिसमें उन्होंने कहा—

'आपने जो मुझ से यह कहा कि भारतवर्ष के लोगों के लिये यूरोप के

(Lady Minto's Diary).

मैं आप श्रीमान् को यह लिखता हूँ कि आज एक बहुत बड़ी घटना हुई है। यह एक ऐसी राजनितिज्ञता का काम है, जो बहुत वर्षों तक भारत-वर्ष और भारतवर्ष के इतिहास को प्रभावित करेगा। इस पार्ष से राजविद्रोहियों की विरोधी रुढ़ा से छ. करीब बीस साल मनुष्यों को हमने चापस अचरनी और खींच लिया है।

इंग्लैण्ड के भूतपूर्व प्रधानमंत्री मि० रेमजे मेकडॉनल्ड ने अपने "The Awakening of India नामक ग्रन्थ में लिखा है —

"The Mohamedan leaders are inspired by certain Anglo-Indian officials and, these officials have pulled wires at Simla and in London and of malice afore-thought sowed discord between Hindu and Mohamedan communities" (The Awakening of India).

अर्थात् इन सुसंजमान नेताओं को एंग्लो इन्डियन अफसरों के द्वारा प्रेरणा मिली थी और इन अफसरों ने शिमला और लंदन से पछुत्र का जास रचा था और उन्होंने बड़ी दुर्भावना से हिन्दू और सुसंजमानों में फूट के बीत बोए।

इसके परिणाम स्वरूप बुद्ध मुस्लिम नेता सकीर्ण जातीयता के पुद्द भावों के सहज ही बखिदान पद गये। मुस्लिम नेताओं की सकीर्ण भावनाओं का ब्रिटिश कूट नीति न पूरा पूरा दायदा बढान का प्रयत्न किया। इसी संकीर्णता के परिणाम स्वरूप ईरवी सन् १२०६ में कांग्रेस से पृथक् मुस्लिम लीग की स्थापना हुई। उसके उद्देश्य को धी हुनायू कबीर ने अपनी पुस्तक "Muslim Politics" के पृष्ठ २ पर बड़े सुन्दर शब्दों में बर्णन किया है। वे लिखते हैं :—

"Founded in 1906 A. D. by a group of well-to-do and aristocratic Musalmans, it was intended to keep the Muslim intelligensia and middle classes away from the dangerous politics into which the Indian National congress was just then embarking. It raised the cry of special Muslim interests and pleaded that these could not be safe-guarded except by co-operation with the British."

अर्थात् "धनी और उच्चवर्ग के मुसलमानों के एक दल द्वारा सन् १९०६ में स्थापित की गई मुस्लिम लीग का उद्देश्य यह था कि पड़खिले और मध्यमवर्ग के मुसलमानों को उस खतरनाक राजनीति से दूर कर दिया जाय, जिसमें राष्ट्रीय कांग्रेस उस समय प्रवेश कर रही थी। उसने विशेष मुस्लिम हितों को रक्षा की आवश्यकता उठाई और कहा कि ब्रिटिश के साथ सहयोग किये बिना मुस्लिम अधिकारों का रक्षा नहीं हो सकती"।

इसी सन् १९२३ में अजुमन इस्लामिया, डेरा गाजोख्वा के प्रधान सरदार मोहम्मद खां गुल न सीमा प्रान्तीय जांच कमेटी के सामने साक्षी होते हुए कहा था "उनके (मुसलमानों के) विचार में हिन्दू मुस्लिम एकता वास्तविक रूप में कभी नहीं हो सकती। इसका कभी घटित होना सम्भव ही नहीं। हम समझते हैं कि सीमाप्रान्त पृथक् ही रहना चाहिए। वह अंग्रेजी राज्य और इस्लाम के बीच की कड़ी रहनी चाहिए। यदि आप वास्तव में मुझ से पूछें कि आपकी समझ क्या है तो मैं अजुमन के सदस्य के नाते कहूंगा कि हम लोग हिन्दुओं और मुसलमानों को अलग-अलग ही देखना चाहेंगे। तब तक करोड़ हिन्दू खोग दक्षिण में रहें और आठ करोड़ मुसलमान उत्तर में रहें। कन्याकुमारी अन्तराप से लेकर आगरे तक का सारा भाग हिन्दुओं को दे दिया जाय और आगरे से पेशावर तक का सब भाग मुसलमानों को दे दिया जाय। कहने का अभिप्राय यह है कि हिन्दू मुसलमान अपने-अपने

स्थान परिषतन करलें। ये एक देश को छोड़कर दूसरे स्थान में जा बसैं।

कहने का मतलब यह है कि ब्रिटिश कूटनीति और साम्प्रदायवादी मुस्लिम नेताओं की संकीर्ण भावना और स्वार्थी भावना न देश की एकता को तोड़ने का निकृष्टतम कार्य किया, जिसका कुरुब आज करोड़ों भारतवासी भुगत रहे हैं।

### मुस्लिम राज्यसंघ की कल्पना

ऊपर की वक्तियों में भारत की एकता को तोड़कर उसे निरख यथान की ब्रिटिश कूटनीति पर कुछ प्रजाय डालने की चेष्टा की गई है। ब्रिटिश कूटनीति के साथ २ इस कार्य में उन मुस्लिम नेताओं की इस भावना न भी सहायता पहुँचाई है, जो एशिया में एक सुविशाल मुस्लिम साम्राज्य स्थापित करने का स्वप्न देख रहे थे।

मि० सैय्यद जमालुद्दीनने, जिनकी मृत्यु सन् १८२७ में हुई थी, मुस्लिम विश्व संघ (PanIslamism) की योजना बनाई थी, जिसके अनुसार अफ्रीका के पश्चिमी तट पर स्थित मास्को देश से लेकर एशिया के पूर्वी दीप समूह और हिन्द चीन तक समस्त मुस्लिम राज्यों के संगठन का प्रबल प्रयत्न किया गया था, जिसके अनुरूप ही चांगी खबर सुप्रसिद्ध कवि डा० मोहम्मद इक़बाल ने लिखा था —

“चीनों अरब हमारा, हिन्दोस्ता हमारा”

मुस्लिम हैं हम, घतन हैं सारा जहाँ हमारा” ॥

इसवी सन् १९३० की हवाहाबाद में होने वाले मुस्लिम लीग के अधिवेशन के प्रधान पद स भाषण देते हुए उन्होंने कहा था—

Personally I would go further than the demand embodied in it ( The resolution of the all parties

Muslim conference, Delhi, 1928). I would like to see the Punjab, North west Frontier Province, Sind and Bluchistan amalgamated into a single state Self Government within the British Empire or without the British Empire, the formation of consolidated North west Indian Muslim State appears to me to be the final destiny of the Muslims at least of the North west India”

“ अर्थात् व्यक्तिगत रूप से मैं सर्वे दल मुस्लिम कॉन्फेन्स दिवली के सन १९२८ के प्रस्ताव में की गई मांगों से घागे पढ जाना चाहता हूँ । नरी इच्छा है कि पंजाब, सीमाप्रान्त, सिन्ध, बलोचिस्तान को एक राज्य में संगठित देर। इमारा यह स्वराज्य चाहे मिटिया साम्राज्य के अन्तर्गत है, चाहे उसके बाहर, पर उत्तरी पश्चिमी भारतीय समष्टि मुस्लिम राज्य में लिये मुसलमानों का अन्तिम ध्येय है। यदि सबका नहीं तो उत्तर पश्चिमी भारत के मुसलमानों का तो है ही ” ।

### पाकिस्तान की उत्पत्ति

अध्यायी के सुप्रख्यात विश्व कोष में पाकिस्तान पर एक महत्त्वपूर्ण लेख प्रकाशित हुआ है, जिससे मालूम होता है कि पाकिस्तान की आदि कल्पना का जन्म एक पंजाबी मुसलमान रहमतअली के मस्तिष्क से हुआ था। मि० रहमतअली के मित्रज विश्वविद्यालय के विद्यार्थी थे। कहा जाता है कि पाकिस्तान में वे अफगानिस्तान, काश्मीर, सिन्ध और बलोचिस्तान को शामिल करना चाहते थे। पीछे जाकर उनकी इस कल्पना में परिवर्तन हुआ और पाकिस्तान का अर्थ पवित्र भूमि से अगाथा जाने लगा ।

२८ जनवरी १९२३ ईस्वी को घोषरी रहमतअली ने “Now or Never” ( अभी या कभी नहीं ) नामक एक पुरितका प्रकाशित की

जिसमें सबसे प्रथम पाकिस्तान की बीजना का प्रतिपादन किया गया। सबसे पहले इनी पुस्तक में मुसलमानों को एक पृथक् राष्ट्र (Nation) कहा गया और जैसा कि हम पूर्व में लिख आये हैं, भारत के उच्चो-गणित्वादी प्राणियों को मिखाकर पाकिस्तान बनाने का यह आयोजन किया गया। इस पुस्तक का ब्रिटिश पार्लियामेंट के मेम्बरों और अन्य अधिकारियों ने बहुत प्रचार किया गया। इस प्रचार और प्रोपेगैंडा के लिये एक साधारण विद्यार्थी रहमतअली के पास धन कहा से आता था, इस विषय पर डॉ० चौकटर द्वारा अन्तारी ने अपनी पुस्तक "Pakistan" के पृष्ठ १५७ पर लिखा है।

At that time it was generally believed among Indian students at Cambridge that ch. Rahamat Ali who was not persuing any specific course of studies and had no ostensible means of support, but at the same time had ample funds for his some what luxurious entertainments of celebrities and propogandist activities, derieved his inspiration and funds from the India office. This seems to be confirmed by the fact that although in India no one had heard or talked of Pakistan and the Muslim delegation ( to the Round Table conference ) showed no interest in it, yet the Diehard Press and the Churchill Lloyd Group waxed eloquent and . questions were asked in the Houses at parliament on several occasions "

अर्थात् "उस समय कैम्ब्रिज के भारतीय विद्यार्थियों का साधारणतः यह विश्वास था कि चौधरी रहमतअली को, जो कि न तो कोई विशेष पढ़ाई

कर रहे थे और न जिनके पास अपने स्वयं चखाने के बिये स्पष्ट साक्ष्य थे, लेकिन फिर भी जो प्रोपेगण्डा और मजदूर दावतों आदि में खूब काया उपाते थे, इन सब बातों के बिये प्रेरणा और धन (कम्पन्स) के भारतीय अर्थात्त्व से मिलता था। इस बात की पुष्टि हमने भी होती है की यद्यपि सब तक भारत में पाकिस्तान का नाम न थी किसी ने सुना था और न कोई उमकी चर्चा थी और न गोलमेग कान्फ्रेंस के मुखिम प्रतिनिधियों ने उसके प्रति कोई रुचि दिखलाई थी, तो भी इन्डियन का पब्लिक ऑपिनियन और कट्टर पथी प्रेस उमका बढ़ा बढ़ा कर बर्णन कर रहे थे और पार्लियामेन्ट की दोनों सभाओं में उस पर अनेक बार प्रश्न किये गये थे।<sup>११</sup>

कुछ भी हो, पाकिस्तान की योजना ने और एकदा और हमारे कमेस के नेताओं की कमजोरी और मुस्लिम संनृष्टिकरण नीति के कारण यह बीतना दिन का दिन बखवती होती गई और अंत में पब्लिक में प्रकट होकर उसने देश पर जो महान् विपत्ति डलाई उसका उदाहरण संसार के इतिहास में मिलना मुश्किल है। जो कांग्रेस नेता साम्प्रदायिकता के नाम से नाक मसोसते थे उन्होंने मुस्लिम साम्प्रदायिकता के सामने सिर झुका कर एक महान् धनर्ध को परिपुष्ट किया।

लेता कि हम ऊपर कह चुके हैं कि पाकिस्तान की योजना को फखने देखने के बिये चेन्न मिळता गया। ईस्वी सन् १९३८ के अक्टूबर मास में मि० जिन्ना के अभापतित्व में सिन्ध प्रान्तोब मुस्लिम लीग ने करारों में भारत में दो राष्ट्र (Two Nations) के सिद्धान्त को माना और माँग की कि भारत को दो भागों में बाँट दिया जाय। एक हिन्दू राष्ट्र-संघ और दूसरा मुस्लिम राष्ट्र संघ।

२९ अक्टूबर सन् १९३९ ई० में मुस्लिम लीग की बर्किङ्ग कमेटी ने दावा किया कि कांग्रेस समस्त भारत की प्रतिनिधि संस्था नहीं है किन्तु समस्त भारत के मुसलमानों की एक मात्र प्रतिनिधि संस्था केवल मुस्लिम

लीग है।

१६ मार्च सन् १९४० ई० को लाहौर में मुस्लिम लीग ने अपने वार्षिक अधिवेशन में भारत के विभाजन का (दुही ज़बान में पाकिस्तान) का प्रस्ताव पास किया और फिर १ सितम्बर सन् १९४० ई० को लीग की वार्किंग कमेटी ने स्पष्ट घोषणा कर दी कि

“The partition of India is the only solution of the most difficult problem of India's future Constitution.

अर्थात् भारत के भावी विधान की सबसे कठिन समस्या का एक मात्र हल भारत का विभाजन है।

२२ फरवरी सन् १९४१ ई० की मुस्लिम लीग की वार्किंग कमेटी ने अपने उसी प्रस्ताव को फिर दुहराया और अन्त में अगस्त सन् १९४१-में लॉन्डन इन्डिया मुस्लिम लीग ने अपने मद्रास के अधिवेशन में पाकिस्तान को मुस्लिम लीग का मुख्य ध्येय मान लिया। वहाँ मुस्लिम लीग का ध्येय तब तक A Federation of free democratic states था, वहाँ अब इन शब्दों को धूर हटाकर उसमें पाकिस्तान को अपना मुख्य लक्ष्य बना लिया।

यही नहीं, मुस्लिम-लीग इसके बाद कांग्रेस को केवल हिन्दू-संस्था कहने लगी और उसका ध्येय हिन्दू राज्य की स्थापना बताने लगी जैसा कि उसने अपनी दिवसी वार्किंग कमेटी की बैठक में २२ फरवरी सन् १९४२ ई० के प्रस्ताव में लिखा है। इसी प्रकार २० अगस्त सन् १९४२ के प्रस्ताव में कहा गया कि कांग्रेस का उद्देश्य तो 'Establishing a Congress Hindu domination in India' है। आगे और भी स्पष्ट लिखा है:—

“The present Congress Movement is not dire-



cted for securing independence for all but for the establishment of a Hindu Raj and to deal a death blow to the muslim goal of Pakistan"

अर्थात् वर्तमान कांग्रेस चान्द्रोजन सबकी स्वतंत्रता प्राप्ति के लिये नहीं हैं। किन्तु वह तो हिन्दू राज्य की स्थापना करने और मुसलमानों के पाकिस्तान के भ्येव को नष्ट करने के लिये है।"

उपरोक्त-घबतरणों से पाठकों को ज्ञान हुआ होगा कि कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय के एक छात्राध्यक्ष विद्यार्थी की कवरना ने आगे चलकर हिन्दुस्तान के विभाजन द्वारा एक सचय बड़ा मुस्लिम राज्य स्थापित कर दिया। ब्रिटिश अधिकारियों ने अपनी कूट नीति के द्वारा इस वृष का फलने फूलने में अत्यन्त रूप से काफी सहायता पहुँचाई। भारत के तत्कालीन सेक्रेटरी ऑफ स्टेट लॉर्ड बर्केनहेड ने तत्कालीन वाइसरॉय लॉर्ड इरविन को जो पत्र लिखा था, उसमें इसका रहस्य भली प्रकार प्रकट होता है। उक्त-पत्र में लिखा गया था:—

We have always relied on the non-boycotting Moslems on the depressed community, on the business interests and on many others to break down the attitude of boycott. You and Simon must be the judges whether or not it is expedient in these lines to make a breach in the wall of antagonism." (Birkenhead: The Last Phase)

अर्थात् हम यहि प्रकार की प्रवृत्ति को नष्ट करने के लिये हमेशा मुसलमानों, दलित वर्ग और व्यवसायिक जनों पर निर्भर रहे हैं। आप और सायमन इस बात के नियायक (Judges) हो सकते हैं कि विरोध की दीवार में जेद करने के लिये यह आवश्यक है या नहीं।"

## मि० जिन्ना और पाकिस्तान

मि० जिन्ना पहले राष्ट्रवादी मुसलमान थे। आप उन लोगों में से थे, जो लोकमान्य तिलक के दाहिने हाथ समझे जाते थे।

प्रारम्भ में आप पाकिस्तान के विरोधी थे। रहमत उल्ला के प्रस्ताव की आपने मज़ाक तक उड़ाई थी। पर पीछे जाकर आप पाकिस्तानी योजना के प्रभाव नेता बन गये। आप में यह परिवर्तन क्यों हुआ, इस विषय पर स्वर्गीय डा० सच्चिदानन्द सिन्हा द्वारा संपादित "हिन्दुस्तान रिव्यू" (H. Review) के हेस्टी सन् १९४६ के सितम्बर मास के अंक में प्रकाश टाखा गया है।

डा० सिन्हा ने उक्त लेख में प० जवाहरलाल श्री नेहरू की जिन्ना परिवर्तन संबंधी निम्नलिखित घटक्य का खण्डन किया है। प० जवाहरलाल नेहरू का वह कथन इस प्रकार है—

"Jinnah left the congress not because of any difference of opinion on the Hindu, Moslem question but because he could not adapt himself to the new and a more advanced ideology, and even more so because he disliked the crowds of sun dressed people talking in Hindustani who filled the Congress. His idea of politics was of a superior variety, more suited to the legislative chamber or to a committee room. For some years he fell completely out of the picture and even decided to leave India for good. He settled down in England and spent several years there."

मुख्यम-प्रश्न पर कोई मतभेद था, परन्तु उन्होंने कांग्रेस को इनलिये छोड़ा कि वह उसकी प्रगतिशील विचारधारा के अनुकूल चलने आपको न बना सके। इसके अतिरिक्त इसका एक बड़ा कारण यह भी था कि वे पटे टूटे रूपके पहने हुए और हिन्दुस्तानी बोलने वाले लोगों के उन मुंहों की नापसंद करते थे जिन्होंने कांग्रेस को मराना था। उनकी राजनीति संबंधी भावना शान शीकृत वाली थी जो बिधान भवन या समिति भवन के लिये विशेष उपयुक्त थी। कुछ वर्ष तक वे बिल्कुल तस्वीर के बाहर हो गये। यहां तक कि उन्होंने भारतवर्ष को हमेशा के लिये छोड़ने का निश्चय किया। वे इंग्लैंड में जाकर बस गये और उन्होंने वहां कई वर्ष बिताये।”

जिन्ना-परिवर्तन के संबंध में पं० जवाहरलाल नेहरू के अनुमान के साथ स्वर्गीय डा० सिंहा ने अपना मतभेद प्रकट किया था। डॉ० साहय का कथन है कि पं० जवाहरलाल ने जो कुछ लिखा है वास्तविकता उस से विपरीत है। प्रारम्भ ही से मि० जिन्ना की सबसे बड़ी महत्वाकांक्षा यह रही थी कि वे जीवन के हर क्षेत्र में प्रथम और सर्वोपरि नेता के रूप में रहें। ईस्वी सन् १९२० में राजनैतिक कार्यक्षेत्र में महात्मा गांधी के उतर पड़ने से और देशभर में उनका व्यापक और असाधारण प्रभाव फैल जाने से, जिन्ना साहब की महत्वाकांक्षा के सफल होने के चिन्तन दिखलाई न पड़ने लगे।

ईस्वी सन् १९२० के दिसम्बर मास में नागपुर में होने वाले कांग्रेस के अधिवेशन में महात्माजी के असहयोग का प्रस्ताव का विरोध करते हुए श्री जिन्ना महोदय ने गांधी जी को “महात्मा गांधी” कहने के बजाय “मि० गांधी” संबोधित किया। इस पर जनता में बड़ा ही इफ्ता मच गया। सारी जनता चिन्ताने लगी कि “मि० गांधी” नहीं “महात्मा गांधी” कहो। जिन्ना ठस से मस न हुए और जनता के विरोधी नारे बाराबर लगते रहे। मि० पं० ए० ए० ने ‘Incet’।

Jinnah नामक अंग्रेजी ग्रन्थ में इस घटना का विशद विवेचन किया है। और डा० सिन्हा ने भी जिन्ना साहब की मूल प्रकृति को देखते हुए अपने लेख में इसका समर्थन किया है। मि० रजफ ने यह दिखलाया है कि इस घटना का मि० जिन्ना के चित्त पर बड़ा कष्ट असर हुआ और इसी कारण उन्होंने इंग्लैण्ड में बसकर प्रिवी कौंसिल में यकालात करण का निरचय किया। वे कई वर्ष तक वहाँ रहे और भारतवर्ष में अपने अवसर को देखते रहे। कुछ वर्षों के बाद मुस्लिम लीग में फूट पड़ी और जिन्ना साहब की उस पर अधिकार जमाने का अवसर मिल गया। परिस्थितियों ने उनका साथ दिया और वे भारत के अधिकांश मुसलमानों के नेता माने जाने लगे।

इन्हीं के सुप्रसिद्ध कवि सर मुहम्मद इक़्बाल के विचारों का प्रभाव जिन्ना पर पड़ा। सर इक़्बाल ने जिन्ना साहब को यह जवाब दिया कि जब तक मुसलमानों का अलग स्वतंत्र राष्ट्र यहाँ स्थापित न होगा तब तक उनका उद्धार होना असम्भव है। उन्हें बहुमत वाले गैर मुस्लिमों की आधीनता में रहना पड़ेगा। सर मुहम्मद इक़्बाल ने जिन्ना साहब को पत्र लिखा था उसका एक अंश निम्नलिखित है—

"The congress decides the political existence of Muslims in no unmistakable terms, The other political body (the mahasabha whom I regard as the real representative of the masses of the Hindus) has declared more than once that a united Hindu Muslim nation is impossible in India. In these circumstances, it is obvious the only way to peaceful India is the redistribution of the country on the lines of racial, linguistic and religious affinities. Many British statesmen also realize this.

I remember, Lord Lothian told me that my scheme was the only possible solution of the troubles of India. I agree with you that our community is not yet sufficiently organised and disciplined. But I feel that it would be highly advisable for you to indicate in your address at least the line of action that Muslim of North West India would be finally driven to take."

८

अर्थात् कांग्रेस मुसलमानों के राजनैतिक अस्तित्व की मुझे शर्तों में मज़ाक उड़ाती है। दूसरी राजनैतिक संस्था ने (महासभा) जितने में हिन्दू जन समाज की वास्तविक प्रतिनिधि संस्था समझता हूँ, एक के अधिक बल यह घोषित किया है कि हिन्दू मुस्लिमों का संयुक्त राष्ट्र बनना असम्भव है। ऐसी परिस्थितियों में शान्त भारत (Peaceful India) बनने के लिये केवल एक ही रास्ता रह जाता है और वह यह है कि जातीय, भाषायी और सांस्कृतिक आधार पर भारत का पुनर्विभाजन कर दिया जाय। बहुत से विद्विष्ट राजनीतिज्ञ भी इस बात को सहमत करते हैं। मुझे स्मरण है कि चॉर्ड खोपियन ने मुझ से कहा था कि आपकी स्कीम ही भारतीय उद्यमियों को ठीक करने का एकमात्र समझदारी है। मेरे आपके साथ इस बात से सहमत हूँ कि हमारी ज़ौम अभी तक पूरी तरह से सुसंगठित और अनुशासित नहीं हुई है। विचार से आप के लिये यह योग्य होगा कि आप अपने भाषण में पूर्वी भारत के मुसलमानों के लिये ऐसे कार्य-क्रम का संकेत कर जिससे आज़ीज़ में वे स्वीकार कर लें।

इसके बाद इस विषय को अधिक स्पष्ट करते हुए सर इक़बाल भागे खल्ल बर दिला—

"To my mind, the new constitution with :

हमारा इतिहास, हमारी भाषा, हमारा वास्तुशास्त्र, हमारा संगीत, हमारा न्याय विज्ञान (Jurisprudence), हमारे कानून, हमारा भोजन, हमारा समाज और हमारी पोशाक हर बात में हम (हिन्दुओं) से निम्न हैं हम मतपेटिका (Ballot Box) में एक नहीं हो सकते।

सह मि० जिन्ना के दो राष्ट्रवाद की घोषणा थी, जिसकी समझे यूके जायों मुसलमानों ने स्वीकार कर लिया। इसके पक्षकर ईस्वी सन् १९४० के मुस्लिम लीग के अधिवेशन में अर्थात् मुसलमानों के लिये स्वतन्त्र मुस्लिम राष्ट्र स्थापित करने की आवाज़ जोर से बुलन्द की गई। इसके बाद इस विषय को लीग ने धोर आन्दोलन किया। कांग्रेस नेता जैसे जैसे दबते गए और जैसे जैसे वे जिन्ना की तलवार के सामने अपना सिर झुकाते गये, वैसे वैसे जिन्ना साहय्य बढ़ते गये। बिहार के सुप्रसिद्ध नेता स्वर्गीय श्री० सच्चिदानन्द सिद्ध ने लिखा है—

“Such was the manifesto of Jinnahs totally false two nation theory wrong in almost every detail, but which was swallowed avidly, without test or analysis for want of capacity by millions and millions of Muslims all over India—particularly strange to say in the Muslim minority provinces and embodied in a resolution at the session the League, held at Lahore in 1940 which shouted at the pitch of their voice as their cry and slogan by the Muslim Leaguers, the congress leaders fed up with the situation frightened by the League's threat of a civil yielded assent to Lord Mount Batten's

in 1947 to the formation of Pakistan."

इस प्रकार का जिन्ना का सिद्धान्त अत्यन्त विराट्वाद् सिद्धान्त का वह घोषणापत्र था। हर बात में यह गलत था, पर उसे सारे हिन्दुस्तान के छात्रों कठोरों, मुसलमानों ने बिना उसकी परीक्षा और विश्लेषण किये बही व्यग्रता से निगल लिया था। यहाँ यह बात खास तौर से विचित्र थी कि अल्प संख्यक मुस्लिम प्रान्तों के मुसलमानों ने इसमें अग्रगण्य हिस्सा लिया और ईस्वी सन् १९४० के मुस्लिम लीग के अधिवेशन के प्रस्ताव में इस सिद्धान्त को प्रस्थित कर दिया। मुस्लिम लीगर्स ने ऊँची आवाज से इसे युद्ध का नारा बना लिया। कमिश्नरों ने लीग की गृहयुद्ध की धमकी से भयभीत होकर अखीर ईस्वी सन् १९४७ की लॉर्ड माउन्ट बेटन की पाकिस्तान निर्माण योजना के कुर्र कर स्वीकार कर लिया। इसका विलुप्त निषेधन आगे चलकर किया जायगा।



# देसाई-लियाकत-समझौता



गांधी जिन्हा गार्ताबाय के असरकृत होने के बाद जनवरी १९४४ में देसाई-लियाकतघड़ी समझौता हुआ। देसाई से मतभेद थी स्वर्गीय भूखा भाई देसाई से है, जो कांग्रेस के दृष्टि कोण को प्रकट करते थे मुस्लिम लीग की धोर से तत्कालीन मुस्लिम लीग के अध्यक्ष और वर्तमान पाकिस्तान के प्राइममिनिस्टर मई। दोनों नेताओं ने कांग्रेस लीग एकता कराने के समझौते के एक मसविदे पर दस्तखत किए। इसके पहिले थी भूखा भाई देसाई ईस्वी सन् १९४४ में दो बार वायसराय से मिले थे। इसी बीच उन्होंने वहां में गांधी जी से धीरे धीरे बार मुस्लिम-लीग पार्टी के उपनेता व अपने मित्र लियाकतखली खॉ से भी मुलाकात की थी। २२ अप्रैल १९४५ को थी भूखाभाई देसाई ने पेशावर में सीमाप्रान्तीय राजनैतिक सम्मेलन में अपनी योजना के सम्बन्ध में इस्वीदुभाटन किया। अगस्त, १९४२ के बाद भारत के किसी भी प्रांत में होने वाला यह पहला राजनैतिक सम्मेलन था।

सम्मेलन में उपस्थित किए गए मुख्य प्रस्ताव में कांग्रेस के नेताओं की रिहाई तथा केन्द्र में राष्ट्रीय सरकार की स्थापना का अनुरोध किया गया था। प्रस्ताव पर भाषण करते हुए श्री भूखाभाई देसाई ने कहा कि केन्द्र में अठकालीन-सरकार स्थापित करने के प्रस्ताव पहले से ही ब्रिटिश सरकार के सम्मुख उपस्थित हैं। आपने मांग की कि ब्रिटेन को घोषणा कर देनी चाहिए कि भारतीय सरकार और उसके का पद अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलन में अन्य सरकारों व उनके के समान होगा।



इंसाई और क्रियाकल अब्दी समझौते की धाराएँ निम्न लिखित थीं ।  
 'कांग्रेस और लीग इस बात को स्वीकार करती हैं कि वे केन्द्रीय-शासन में अन्तर्जातीय सरकार पताने में सहमत होंगी'

'इस प्रकार की सरकार का संगठन निम्न लिखित होगा ।

(१) केन्द्रीय-शासन में कांग्रेस और लीग द्वारा मनोनीत सदस्यों की संख्या समान होगी । जो लोग इसमें मनोनित किये जायेंगे उनके किये यह आवश्यक नहीं है कि वे केन्द्रीय धारा सभा के सदस्य हों ।

(२) इसमें अपसंख्यक दलों के प्रतिनिधि भी रहेंगे । (स्वयं तौर से परिगणित जातियाँ और सिक्खों के )

(३) इसमें प्रधान सेनापति भी रहेंगे ।

यह अन्तर्जातीय सरकार वर्तमान भारतीय शासन एक्ट के अन्सार बनाई जायगी और उली के अनुसार उसका ढांचा रहेगा । यद्यपि यह बात ध्यान में रखनी चाहिये कि अगर अन्तर्जातीय केबिनेट अपना कोई विशेष प्रस्ताव धारा सभा में पास न करवा सके तो वह गवर्नर जनरल तथा वायसरॉय द्वारा उनके समरहित अधिकारों के दख पर उसे पात्र नहीं करवायेगी ।

(४) केन्द्र में सरकार बन जाने के बाद उन समान प्रांतों में भी जिनमें धारा ३३ के अनुसार शासन चलाया जा रहा है, कांग्रेस और लीग के संयुक्त प्रतिमण्डल बनाए जायेंगे ।

उपरोक्त समझौते से यह पता चलेगा कि हमारे कांग्रेस के नेता लीग जैसी साम्प्रदायिक संस्था के सामने जनतन्त्र के उच्च सिद्धान्तों का परित्याग कर किस प्रकार झुकते रहे । जब कांग्रेस हिन्दू, मुस्लिम, इंसाई आदि सब समुदायों का प्रतिनिधित्व करने का उचित दावा करती है, तब केवल मात्र मुस्लिमों का प्रतिनिधि बन कर जहाँ एक साम्प्रदायिक संस्था के प्रतिनिधियों अर्थात् मुस्लिम लीग के प्रतिनिधियों की सहायता से किसी शासन संस्था में किस भाव से बराबर हो सकती थी, या

देमाई और लियाकत अखी समझौते की धाराएँ निम्न लिखित थी ।

'कांग्रेस और लीग इस बात को स्वीकार करती हैं कि वे केन्द्रीय-शासन में अन्तर्काखीन सरकार बनाने में सहमत होंगी'

'इस प्रकार की सरकार का संगठन निम्न लिखित होगा ।

(१) केन्द्रीय शासन में कांग्रेस और लीग द्वारा मनोनीत सदस्यों की संख्या समान होगी । जो लोग इसमें मनोनित किये जायेंगे उनके लिये यह आवश्यक नहीं है कि वे केन्द्रीय धारा सभा के सदस्य हों ।

(२) हममें अल्पसंख्यक दलों के प्रतिनिधि भी रहेंगे । ( साथ हीर से परिगणित जातियाँ और सिक्खों के )

# देसाई-लियाकत-समझौता



गांधी जिन्हा वार्ताछाप के अस्तकल होने के बाद जनवरी १९४४ में देसाई लियाकतछली समझौता हुआ। देसाई से मतभेद श्री स्वर्गीय भूखा भाई देसाई से है, जो कांग्रेस के दृष्टि कोण की प्रकट करते थे मुस्लिम लीग की ओर से तत्कालीन मुस्लिम लीग के अध्यक्ष श्री वर्तमान पाकिस्तान के प्राइममिनिस्टर में है। दोनों नेताओं न कांग्रेस लीग एकता कराने के समझौते के एक मयविदे पर दस्तरत किए। इमक बढ़िछे श्री भूखा भाई देसाई ईस्वी सन् १९४४ में दो बार वायसराय से मिले थे। इसी बीच उन्होंने वहाँ में गांधी जी से धीरे एक बार मुस्लिम लीग पार्टी के उपनेता व अपने मित्र लियाकतछली लॉ से भी मुलाकात की थी। २२ अप्रैल १९४२ को श्री नूलाभाई देसाई ने पेशावर में सीमाप्रान्तीय राजनैतिक सम्मेलन में अपनी योजना के सम्बन्ध में रडरयोद्घाटन किया। अगस्त, १९४२ के बाद भारत के किसी भी प्रांत में होने वाला यह पहला राजनैतिक सम्मेलन था।

सम्मेलन में उपस्थित किए गए मुख्य प्रस्ताव में कांग्रेस के मतों की रिहाई तथा केन्द्र में राष्ट्रीय सरकार की स्थापना का अनुरोध किया गया था। प्रस्ताव पर भाषण करते हुए श्री भूखाभाई देसाई ने कहा कि केन्द्र में अंतर्कांक्षीन-सरकार स्थापित करने के प्रस्ताव पहले से ही ब्रिटिश सरकार के सम्मुख उपस्थित हैं। आपने मांग की कि ब्रिटेन को घोषणा कर देनी चाहिए कि भारतीय सरकार और उसके प्रतिनिधियों का पर अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलन में अन्य सरकारों व उनके प्रतिनिधियों के समान होगा।

ईसाई और लियाकत अखी समझौते की धाराएँ निम्न लिखित थी ।  
 'कांग्रेस और लीग इस बात को स्वीकार करती हैं कि वे केन्द्रीय-शासन में अन्तर्जातीय सरकार पताने में सहमत होंगी'

'इस प्रकार की सरकार का संगठन निम्न लिखित होगा ।

(१) केन्द्रीय शासन में कांग्रेस और लीग द्वारा मनोनीत सदस्यों की संख्या समान होगी । जो लोग इसमें मनोनित किये जायेंगे उनके लिये यह आवश्यक नहीं है कि वे केन्द्रीय धारा सभा के सदस्य हों ।

(२) इसमें अल्पसंख्यक दलों के प्रतिनिधि भी रहेंगे । ( स्वयं तौर से परिगणित जातियों और सिक्खों के )

(३) इसमें प्रधान सेनापति भी रहेंगे ।

यह अंतर्जातीय सरकार वर्तमान भारतीय शासन एक्ट के अनुसार बनाई जायगी और उसी के अनुसार उसका ढांचा रहेगा । यद्यपि यह बात ध्यान में रखनी चाहिये कि अगर अंतर्जातीय केबिनेट अपना कोई विशेष प्रस्ताव धारा सभा में पास न करवा सके तो यह गवर्नर जनरल तथा वायसरोय द्वारा उनके समरक्षित अधिकारों के बल पर उसे पास नहीं करायेगी ।

(४) केन्द्र में सरकार बन जाने के बाद उन तमाम प्रांतों में भी जिनमें धारा ३३ के अनुसार शासन चलाया जा रहा है, कांग्रेस और लीग के संयुक्त मंत्रिमण्डल बनाए जायेंगे ।

उपरोक्त समझौते से यह पता चलेगा कि हमारे कांग्रेस के नेता लीग जैसी साम्प्रदायिक संस्था के सामने जनतन्त्र के उच्च सिद्धान्तों का परित्याग कर किस प्रकार झुकते रहे । जब कांग्रेस हिन्दू, मुस्लिम, ईसाई आदि सब समुदायों का प्रतिनिधित्व करने का उचित दावा करती है, तब केवल मात्र मुस्लिमों का प्रतिनिधित्व करने वाली एक साम्प्रदायिक संस्था के प्रतिनिधियों अर्थात् मुस्लिम लीग के प्रतिनिधियों की रणनीति शासन संस्था में किस धाम से बराबर हो सकती थी, यह

समझ में नहीं आता। इस पर भी तुर्गं यह कि कांग्रेस के मनोनीत सदस्यों में एक मुसलमान का होना भी आवश्यक समझा गया था। क्योंकि कांग्रेस हिन्दुओं की तरह मुस्लिमों की प्रतिनिधि संस्था होना का भी दावा करती थी। इसलिये कांग्रेस की ओर से जनतन्त्र के सिद्धान्तकी दृष्टि से एक मुसलमान का होना आवश्यक था। पर इस सारी कार्यवाही में बड़े बहुमतवाले हिन्दु समाज के अधिकारों की किस गुरी तरह से भयहेजना की गई थी, यह बात विशुद्ध जनतन्त्रवादियों की दृष्टि से अत्यन्त है। उस समय कुछ नेताओं के इस भूलभरी कार्यवाही के विरोध में कोई आवाज उठाता तो वह 'साम्प्रदायिक' शब्द से कलंकित किया जाता था।

तत्कालीन वायसरॉय स्वर्गीय वेवेले महोदय देसाई-जियाऊतमजी के समर्थन का उक्त प्रस्ताव लेकर विधायक गण और उन्होंने वहाँ के ब्रिटिश अधिकारियों से इस विषय पर काफी वादानुवाद किया। १४ जून १९४२ को वायसरॉय ने कांग्रेस कार्य-समिति के सदस्यों की रिहार्ड की घोषणा की और अपने ग्राइफास्ट भाषण में उन्होंने केन्द्रीय सरकार को कायम करने के लिये हिन्दू मुस्लिम प्रतिनिधियों की संख्या में समानता की। गार्फीजी इस पर कुछ चोँके और उन्होंने १५ जून १९४२ को एक बक्तव्य देकर यह प्रकट किया कि अगर कांग्रेस जाँग समानता की शर्तों (PARITY) के स्थान पर हिन्दू मुस्लिम समानता का प्रश्न उठाया गया तो सारा प्रस्ताव बेकार हो जायगा। इसके बाद १० जून को जो एप्र गार्फीजी ने वायसरॉय को लिखा था उसमें उन्होंने यह स्पष्ट कर दिया था—“यदि सर्वथा हिन्दुओं और मुसलमानों की समानता के प्रस्ताव में परिवर्तन नहीं किया गया, तो आप अनजाने में परन्तु निश्चय ही सम्मेलन का उद्देश्य असफल का देगे। हा, कांग्रेस और जाँग की समानता समझ में आती है।”

# शिमला कॉन्फ्रेंस



भारतवर्ष की सब राजनैतिक पार्टियों में समझौता करने के लिये, शिमलामें कॉन्फ्रेंस बुलाई गई। इसका उद्देश्य यह था कि वह वायसाय को इस बात का परामर्श दे कि उनकी नई कार्य-कारिणी में अधिक से अधिक राष्ट्र का प्रतिनिधित्व किस प्रकार प्राप्त किया जाय। इस कॉन्फ्रेंस में प्रान्तीय सरकारों के प्रधान मंत्री और केन्द्रवर्ती धारा सभा के कांग्रेस पार्टी के और मुस्लिम लीग के नेता, राष्ट्रीय दल के नेता और यूरोपियन ग्रुप के नेता नियमित किए गए थे। भारतवर्ष के दो प्रधान संगठन कांग्रेस और मुस्लिम लीग के प्रधान नेताओं के रूप में महात्मा गांधी और मि० जिन्ना को नियमित किया गया था। परिगणित जातियों की और से मि० शिवरान को और सिक्खों की और से मास्टर तारासिंह को नियमित किया गया था। यद्यपि कहना आवश्यक है कि कांग्रेस पार्टी के प्रतिनिधियों ने इस कॉन्फ्रेंस को सफल कर एक सर्व सम्मत समझौता करने का बड़ा प्रयत्न किया, पर मि० जिन्ना के दृढ़ धारम्य के कारण इसमें सफलता न मिली। इस कॉन्फ्रेंस की असफलता को लार्ड वेविल ने अपने १४ जुलाई के भाषण में स्वीकार किया था। इस कॉन्फ्रेंस की असफलता के सम्बन्ध में कांग्रेस के प्रेसिडेंट डा० पट्टाभिसितारमैया अपने '60 years of Congress' नामक ग्रन्थ में लिखते हैं कि—

That the responsibility for its failure lay upon Mr. Jinnah, who refused to furnish his list of nominees to the Executive Council and who in

the alternative did not agree to the names included therein by Lord Wavell himself for the League, was made unequivocally clear by the Viceroy in his valedictory address delivered on 14th July. It was well that the Viceroy declared his dissent from Jinnah's claim that the League alone should represent the Muslims. It was really a pity that the parties assembled in Simla from the League and the Congress could not agree upon a joint list of names for the Executive Council, for that would have meant a joint programme, concerted action for the attainment of independence and possibly joint electorates in the near future. It would have meant clearly one composite nationalism, one common plan of emancipation and one combined effort which was bound to succeed. When this failed, separate lists also failed of their purpose.

अर्थात् इस कॉन्फ्रेंस की असफलता की जिम्मेदारी मि० जिन्ना के सिर पर पड़ती है। क्योंकि उन्होंने काय-कारिगीरी कॉन्सिल के लिये अपने मनोनीत सदस्यों की सूची देने से इन्कार किया। इससे अतिरिक्त उन्होंने मुस्लिम लीग के लिए डॉक्ट वेवेल द्वारा सुझाए गए नामों का भी स्वीकार करने में अपनी असहमति प्रकट की। इस बात को वावरॉय ने अपने १४ जुलाई वाले भाषण में स्पष्टतया प्रकट किया है। वाइसरॉय ने जिन्ना के इस दावे को अस्वीकार कर दिया था कि मुस्लिम लीग कांग्रेस और लीग का जो पार्टिसॉन झूठी हुई थी वे काय-कारिगीरी कॉन्सिल

के लिए सदस्यों की एक संयुक्त सूची बनाने में असमर्थ रहें। अगर यह सूची बन जाती तो स्वतन्त्रता की प्राप्ति के लिये और सम्भवतः निकट भविष्य में संयुक्त निर्वाचकों को चुनने के लिये एक संयुक्त कार्य-क्रम बन गया होता और सर्वोपनिमित्त अपने महान् उद्देश्य की सिद्धि के लिए कार्य किया होता। इससे साव्यव राष्ट्रीयता, और राष्ट्र मुक्ति की एक सर्व सामान्य योजना का निर्माण होता जो अवरय ही सफल होती पर वह असफल होगई और हमस इस उद्देश्य के लिए बनाई गई विभिन्न सूचिया असफल रहें। लार्ड वेविल ने, जीवाकि हम ऊपर कह चुके हैं, इस असफलता की सारी जिम्मेदारी अपने सिर पर ली और उर्दान शिमला कॉन्फ्रेंस के बाद पहली और दूसरी अगस्त १९४५ को अपने प्रान्तीय गवर्नरों की कॉन्फ्रेंस की।

कहने का मतलब यह है कि मि० जिन्ना अपने आग्रह पर अड़े रहे और वे उस समय अन्तर्काळीन सरकार बनाने के लिए सहमत न हुए। वे इस बात पर जोर देते रहे कि जब तक लोग के जाहीर वाले अधिपेशन के प्रस्तावानुसार मुसलमानों को स्वशासन-निर्णाय का अधिकार न दिया जायगा तब तक वे अन्तर्काळीन सरकार के बनाने में अपनी स्वीकृति न देंगे। वाइसरॉय ने जिन्ना को यह विश्वास दिखाया कि अन्तर्काळीन सरकार की स्थापना से पाकिस्तान सम्बन्धी उनके आग्रह में कोई फर्क न पड़ेगा। इस पर मि० जिन्ना इस बात पर जोर देने लगे कि अन्तर काळीन सरकार में हिन्दुओं और मुसलमानों की बराबर सख्या रहे। वे मुसलमानों के १/३ प्रतिनिधित्व से असहमत रहे।

उन्हें यह समझाया गया कि हिन्दुओं और मुसलमानों की संख्या का अनुपात २५ और ६० है। ऐसी स्थिति में दोनों का प्रतिनिधित्व बराबर होना जनतन्त्र के सिद्धान्त की अवहेलना है। पर वे उस से मस न हुए। वे वाइसरॉय के ऊपर यही तर्क दबाव डालने लगे कि अगर कांग्रेस एक प्रस्ताव को स्वीकृत नहीं करती है तो कार्य कारिखो कौन्सिल



में सनी मुसलमान सदस्य मनोनीत करे दिये जायें। पर वाइसराय ने इस बात को स्वीकार न किया। इसका विरोध न केवल कांग्रेस ही न किया परन्तु राजब की यूनिवर्सिटी पार्टी के नेता मखिक खिजर इबातखो तुरु ने किया। वाइसरॉय ने इसपर कॉन्फ्रेंस की असफलता को धोपला कर दी। उस समय ऐसा नालूम होने लगा मानों जिन्ना साहब का युग की पैमानिक प्रगति में रोदे अटकाने का अधिकार ब्रिटिश सरकार न स्वीकार कर लिया हो, क्योंकि उनके आग्रह के कारण सिम्ला कॉन्फ्रेंस टप करदी गई।



## ब्रिटेन में मजदूर राज्य की स्थापना

इसी बीच इंग्लैंड में पार्लियामेन्ट का चुनाव हुआ। जिसमें चर्चिल पार्टी को करारी हार हुई और मजदूर पार्टी की अपेक्षा बहुमत से विजय हुई। यह करने की आवश्यकता नहीं कि चर्चिल पार्टी के अनुशर दल की अपेक्षा मजदूर दल की भरतवर्ष की राजनीतिक आकांक्षाओं के साथ सह नुभूति होना स्वाभाविक था, यद्यपि लोगों को मजदूर पार्टी की प्रमाणिकता पर भी कुछ न कुछ सन्देह था। पर उसकी विद्वन्मयी कार्यवाहियों से यह स्पष्टतया सुचित होता है कि भारतवर्ष की स्वतन्त्रता के लिये उसने प्रामाणिकता से कार्य किया। उसने यह समझ लिया कि जब भारतवर्ष को दासत्व की शृङ्खला में जकड़े रखना असम्भव है और इ ग-

लैंड और भारतवर्ष के हित में यही उचित है कि भारतवर्ष को स्वतन्त्र कर दिया जाय, जिससे दोनों देशों में शत्रुता का वातावरण एटकर मैत्री पूर्ण सम्बन्ध स्थापित होजाय ।

इसी समय अर्थात् अगस्त १९४२ को जापान की पराजय होकर मित्र राष्ट्रों की सर्वाङ्गीन विजय हुई । अब ६२ धारा का चालू रहना मजदूर सरकार ने उचित न समझा । वह भारतवर्ष की स्वतन्त्रता के प्रश्न को हल कर देना चाहती थी । उसने वाइसरॉय लार्ड वेवेल को विचार विमर्श के लिये इ गल्लैंड को निर्मंत्रित किया ।

लार्ड वेवेल इ गल्लैंड में मश्रीमदल से सलाह भगविरा कर भारतवर्ष लौट आय, और उन्होंने निम्नलिखित घोषणा की ।

- १ केन्द्रीय और प्रान्तीय धारा सभाओं के चुनाव, जो युद्ध के कारण स्थगित कर किए गए थे, आगामी शीत काल में किए जायें ।
- २ श्रीमान् सम्राट् की सरकार उक्त चुनावों के समाप्त होने पर विधान निर्माणकारी सभा की योजना करेगी ।
- ३ निर्वाचनों के बाद तत्काल ही प्रान्तीय धारा सभाओं के प्रतिनिधियों के साथ विचार विमर्श कर यह निर्णय करेगी कि १९४२ की घोषणा में कथित प्रस्ताव ( क्रिप्स के प्रस्ताव ) उन्हें स्वीकृत हैं या नहीं । उनकी स्वीकृत या संशोधित योजना किस रूपमें बनाई जायें ।
- ४ भारतीय देशी राज्यों के साथ विचार विमर्श कर यह निर्णय किया जाये कि विधान निर्माणकारी सभा में किस प्रकार वे अपना योग दे सकते हैं ।
- ५ ब्रिटिश सरकार भारत और ग्रेट ब्रिटेन के बीच होने वाली सन्धि के मुद्दों पर विचार करने के लिए तयसर होगी ।

भारत के तत्कालीन स्टेट सेक्रेटरी लार्ड पैथिक ब्रारेंस ने अपने

प्रायः कास्ट के भाषण में कहा था:—'ईश्वरी सन् १६४६ का वर्ष भारत-वर्ष के इतिहास में एक निर्णायक वर्ष था।' उन्होंने इस बात को स्पष्ट किया कि ब्रिटिश सरकार ने भारतवर्ष को स्वतन्त्रता देने का निश्चय कर लिया है और चुनाव के पर्याप्त पाहसराय वेही कार्य-कारिणी होन्सिड बनायेंगे जिसमें सब राजनैतिक दलों का सहयोग होगा।

उत्काशीन केन्द्रीय और प्रान्तीय धारा सभाओं के निर्वाचनों में कांग्रेस को अपूर्व सफलता मिली। यहाँ तक कि वह उत्तर पश्चिम प्रान्त में, जहाँ मुसलमानों की सन्ख्या ६६ फी सदी है, अपना मन्त्रीमण्डल बनाने में बड़ी सफलता पूर्वक समर्थ हुई। सिन्ध, पंजाब और बंगाल को छोड़कर अन्य सब प्रान्तों में कांग्रेस ने अपने मन्त्रिमण्डल बनाए। सिन्ध और पंजाब में संयुक्त मन्त्रिमण्डल बने, जिनमें मुस्लिमखीरा का प्रतिनिधित्व न ही सका। कहने का मतलब यह है कि निर्वाचनों में कांग्रेस की शानदार विजय हुई और मुस्लिम खीरा अन्य प्रान्तों की लो बात ही क्या प्राप्त मुस्लिम बहुमत वाले प्रान्तों में भी, विया सिन्ध प्रान्त के, अपना मन्त्रिमण्डल बनाने में कामयाब न हो सकी।



# केबिनेट-मिशन



जैसा कि पहले लिख चुके हैं ब्रिटेन के चुनाव में चर्चित पपी अनुदार दल की पराजय होकर मजदूर दल की सरकार ने अन्तर्राष्ट्रीय परिस्थिति से बाध्य होकर भारत में अपना केबिनेट-मिशन भेजने का निश्चय किया। इस मिशन के भेजे जाने के समय १५ मार्च सन् १९४६ को तत्कालीन ब्रिटिश प्रधान मंत्री मि० एटली ने अपने एक वक्तव्य में कहा था —

‘My colleagues are going to India with the intention of using their utmost endeavours to help her to attain her freedom as speedily and fully as possible. What form of Government is to replace the present regime is for India to decide; but our desire is to help her to set up forthwith the machinery for making that decision .....

‘I hope that the Indian people may elect to remain within the British Commonwealth. I am certain that she will find great advantages in doing so .. . .

“But if she does so elect, it must be by her own free will. The British Commonwealth and Empire is not bound together by chains of external compulsion, it is a free association of free

peoples 'If, on the other hand, she elects for independence, in our view she has a right to do so. It will be for us to help to make the transition as smooth and easy as possible.'

“मेरे सेहयोगी भारतवर्ष को यथा सम्भव शीघ्र से शीघ्र और पूर्ण रूप से स्वतंत्रता प्राप्ति के उनके प्रयत्न में उन्हें पूर्ण रूप से मदद देने की भावना से भारतवर्ष जा रहे हैं। यहाँ के वर्तमान शासन के बदले में कौनसा शासन स्थापित हो, हमके नियंत्रण करने का काम खुद भारतवर्ष का होगा।”

“मुझे आशा है कि भारतवर्ष ब्रिटिश कॉमनवेल्थ में रहने का नियंत्रण करेगा। मुझे विश्वास है कि ऐसा करने में उसका बड़ा काम है।”

“पर अगर वह ब्रिटिश कॉमनवेल्थ में रहना पसंद न करे तो वह यह नियंत्रण भी अपनी स्वतंत्र इच्छा से कर सकता है। ब्रिटिश कॉमनवेल्थ और साम्राज्य शासन बलात्कार की शृङ्खला द्वारा सगठित नहीं है। वह स्वतंत्र लोगों की स्वतंत्र संसद है। अगर वह पूर्ण स्वतंत्रता को पसंद करता है तो हमारी राय में उसे ऐसा करने का अधिकार है। हमारा काम उसके इस संक्रान्ति मार्ग को यथा संभव सरल और मजबूत बनाने में सहायता देने का है।”

उक्त-वहेशों को प्रकट कर ब्रिटेन को मजबूर सरकार ने भारत सरकार खास पेंथिक ऑरेंस, सर स्टैफोर्ड क्रिप्स, मि० वी० वी० एलेक्जेंडर का एक कैबिनेट मिशन भारत को भेजा।

१५ मार्च को दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस के सामने अपना बक्तव्य देते हुए कैबिनेट मिशन ने यह प्रकट किया कि वे कुछ दिनों से निष्पत्त होकर पहाँ आये हैं। उन्होंने अपने आप को किसी मत विशेष से बद्ध नहीं किया है। दूसरे छठाह उन्होंने खास वेबल और प्रांतीय गवर्नरों से

विचार विमर्श किया। पहली अप्रेल से उन्होंने भारतीय नेताओं से वादानुवाद करना शुरू किया और यह वादानुवाद १७ अप्रेल तक चालू रहा। इस दरमियान में केबिनेट मिशन ने ४७२ भारतीय नेताओं से भेंटकर विचार विमर्श किया। इन्होंने का मतलब यह है कि लगभग १ मास तक केबिनेट-मिशन ने भारतवर्ष की प्रत्येक राजनैतिक विचार धारा के प्रतिनिधियों से मिलकर देश के भविष्य शासन के सम्यन्ध में लूब विचार विमर्श किया। मिशन के एक सदस्य लॉर्ड पैथिक जारेंस ने एक वक्तव्य में कहा—“जैसे मैं और मेरे साथी भारत की भूमि पर पदार्पण करते हैं, हम इस देश की जनता के ब्रिटिश सरकार तथा ब्रिटिश राष्ट्र का एक सदेश लाए हैं और यह सदेश मैत्री तथा सद्भावना का है। हमें विश्वास है कि भारत एक महान् भविष्य के द्वार पर खड़ा है। इस भविष्य में वह स्वयं स्वाधीन रहकर पूर्व में स्वाधीनता की रक्षा करेगा और सत्सार के राष्ट्रों के मन्व्य अपने विशेष प्रभाव का उपयोग करेगा।”

“हम सिर्फ एक ही उद्देश्य लेकर आए हैं। हम लॉर्ड वेवेल के साथ भारतीय नेताओं तथा भारत के निर्वाचित प्रतिनिधियों से बातचीत काके यह निश्चय करना चाहते हैं कि अपने देश के शासन पर पूर्ण नियंत्रण प्राप्त करने की आपकी जो आकांक्षा है उसे आप किस प्रकार पूरी कर सकते हैं। हम चाहते हैं कि जिम्मेदारी का हस्तांतरण हम इसे भाँति करें, जिससे यह कार्य हमारे लिए सम्मान और अभिमान का कारण बन जाय।”

‘ब्रिटिश सरकार और ब्रिटिश राष्ट्र की यह इच्छा है कि जो भी पचन दिए गए हैं उन्हें बिना किसी अपवाद के पूरा किया जाय और हम आपको विश्वास दिखाते हैं कि अपनी बातचीत के मध्य हम ऐसी कोई बात न कहेंगे जो स्वाधीन राष्ट्र के रूप में भारत की मर्णा के विरुद्ध हो।’

“इस तरह अपने भारतीय सदस्यों के समान ही हमारा खर्च होगा और आगामी सप्ताहों में इस खर्च की प्राप्ति के लिए हम कोई प्रयत्न चाकी नहीं छोड़ेंगे।”

केबिनेट मिशन ने अपने प्रस्ताव राष्ट्र के विभिन्न एजेंडों के नेताओं के सामने रखे, जिनका सारांश निम्नलिखित है—

“प्रान्त निम्न तीन समूहों (ग्रुप्स) में रूटे जायेंगे—‘पू’—मद्रास, बम्बई, सयुक्तप्रान्त, बिहार, मध्य प्रान्त, उड़ीसा। ‘बी’—पञ्जाब सीमा-प्रान्त, सिन्ध, ‘सी’—पंजाब, आसाम। ‘पू’ में १६७ आम और २० मुस्लिम प्रतिनिधि रहेंगे। ‘बी’ में ६ आम, २२ मुस्लिम और ४ सिख प्रतिनिधि रहेंगे। ‘सी’ में ३४ आम और ३६ मुस्लिम प्रतिनिधि रहेंगे। रिवाजतः ६३ प्रतिनिधि भेजेंगी, किन्तु चुनाव का तरीका अभी निश्चित होना बाकी है। इन कुछ ३८२ प्रतिनिधियों में दिल्ली, अजमेर-मेरवाड़ा कुर्ग और मिटिश खिलोचिस्तान के एक एक प्रतिनिधि को जोड़ना चाहिए। ये ३८६ प्रतिनिधि तीनों ही नई दिल्ली में एकत्र होकर अपने पक्ष तथा पदाधिकारियों का चुनाव करेंगे और एक सलाहकार समिति भी नियुक्त करेंगे। इसके बाद वे नवीन भारत की नींव रखने का कार्य हाथ में लेंगे।

“प्रारम्भिक कार्यवाही के लिए एकत्र होने के बाद प्रतिनिधि तीन भागों (सेक्शनों) में बँट जायेंगे जैसा कि ऊपर बताया जा चुका है। वे अपने समूह के प्रान्तों के लिए विधान तैयार करेंगे। वे यह भी निश्चय करेंगे कि इन प्रान्तों के लिए समूह (ग्रुप) विधान की व्यवस्था की जाय अथवा नहीं और अगर ऐसा किया जाय तो समूह को कितने विषयों का प्रबंध सौंपा जाय। इसके तब सदस्य फिर एकत्र होकर भारतीय सच का विधान तैयार करेंगे।

“हर प्रान्त में प्रान्तीय व्यवस्थापिका सभा विधान परिषद् के सदस्यों

का चुनाव करेगी। इस प्रकार बंगाल से यहाँ की व्यवस्थापिका सभा 18 सीटों के लिए २७ और मुस्लिम सीटों के लिए ३३ मुसलमानों का चुनाव करेगी। व्यवस्थापिका सभा के मुसलमान सदस्य ५३ मुसलमानों का और अन्य सदस्य बाकी २७ सीटों के लिए अन्य सदस्यों का चुनाव करे। उबीसा में वही की व्यवस्थापिका सभा ३ ग्राम सीटों के लिए ही प्रतिनिधियों का चुनाव करेगी, क्योंकि इस प्रान्त में मुस्लिम सीटें नहीं हैं। सिंध में व्यवस्थापिका सभा के मुसलमान सदस्य तीन मुस्लिम प्रतिनिधियों का और शेष सदस्य एक गैर-मुस्लिम सदस्य का चुनाव करेंगे। सयुक्त प्रान्त की व्यवस्थापिका सभा के मुसलमान सदस्य ८ प्रतिनिधियों का और शेष सदस्य ४७ गैर-मुस्लिम प्रतिनिधियों का चुनाव करेंगे। पंजाब के अंक में ८ गैर मुस्लिम, १९ मुस्लिम और ४ सिख हैं। सिखों की प्रतिनिधित्व केवल यही दिया गया है। उगन्डा चुनाव व्यवस्थापिका सभा के सिख सदस्य करेंगे।

चुनाव की पद्धति आनुपातिक प्रतिनिधित्व की रहेगी, जिसमें एकाकी हस्तांतरित मत-प्रणाली को आधार माना जायगा।

प्रारम्भ में मुस्लिम लीग के नेता मि० जिन्ना ने केबिनेट मिशन के प्रस्तावों को ठीक समझा और उन्होंने उनमें पाकिस्तान को बीज रूप में देखा। पर पीछे जाकर मुस्लिम लीग और उसके नेता मि० जिन्ना ने उन्हें अस्वीकृत कर दिया। २६ जुलाई सन् १९१६ ई० में अम्बई में लीग की जो बैठक हुई, उसमें एक प्रस्ताव पास कर केबिनेट-मिशन की दीर्घ और अल्पकालीन दोनों प्रकार की योजनाओं को अस्वीकृत कर दिया। इतना ही नहीं उसने अपनी इसी बैठक में पाकिस्तान के उद्देश्य की सिद्दी के लिये-सीधे कार्यवाही की नीति का अनुसरण करने का निश्चय किया। भविष्य में होने वाली घटनाओं का कुछ सक्रिय जिम्मेदार मुस्लिम लीगी नेताओं के भाषणों से मालूम सकता था। उदाहरण के लिए मुस्लिम लीग सभा के एक सदस्य सर फिरोज़ खॉन ने



बहा था—

"We are on the threshold of a great tragedy because neither Hindus nor the British realize the depth of our feelings ..... Even if we have to die fighting we shall see that our children will never be slaves of Akhand Hindustan..... If the British Cabinet Mission in conspiracy with Banias leaves India with a piece of paper signed between them for peace in this country, that will be as short-lived as the one Mr. Chamberlain negotiated with Hitler at Munich. If Britain puts us under a Hindu raj, let us tell Britain that the destruction and havoc that the Muslims will do in this country will put into the shade what Chengiz Khan did."

अर्थात्, "हम एक बड़े संकट के द्वार पर हैं। क्योंकि न तो हिन्दू और न अंग्रेज ही हमारी भावनाओं की गहराई को समझ रहे हैं। यदि हमें लड़ते लड़ते मर भी जाना पड़े तो भी हम इस बात का ध्यान रखेंगे कि हमारे वच्चे कभी अखंड हिन्दुस्तान के गुलाम न हों। यदि ब्रिटिश मंत्रिमण्डल मिशन बनियों के साथ साजिश करके देश की शान्ति के लिए केवल उन दोनों के हस्ताक्षरवाला एक कागज का टुकड़ा जोड़ जाय, तो वह शान्ति उतनी ही अल्पस्थायी होगी जितनी कि मि० चेम्बरलेन के द्वारा म्यूनिख में हिटलर के साथ की गई संधि। यदि ब्रिटेन हमें एक हिन्दू राज के अधीन रखता है तो हम ब्रिटेन से कह देना चाहते हैं कि मुसलमान लोग इस देश में जो सर्वनाश और विध्वंस मचायेंगे, उसके सामने धोखेबाजों के द्वारा किया गया विध्वंस भी फीका

रइ जायगा ।”

श्री जिन्ना ने अपने व्याख्यान में लीग की सीधी कार्यवाही का समर्थन करते हुए कहा था:—

“That the time has now come for the Muslim nation to resort to direct action to achieve Pakistan.”

अर्थात्, “अब समय प्रागया है कि पाकिस्तान की प्राप्ति के लिए मुस्लिम राष्ट्र सीधी कार्यवाही को अंगीकार करे ।”

प्रागे चल्कर मि० जिन्ना ने फिर कहा:—

“By this resolution recommending direct action, the League was bidding “good by” to constitutional methods, the direct action was not to get out of the slavery under the British but against “the contemplated future of caste-Hindu domination.”

अर्थात् “यह प्रस्ताव, जिसमें सीधी कार्यवाही की सिफारिश की गई है, उसके अनुसार लीग आन्दोलन की सारी वैधानिक पद्धतियों से अस्वीरी दुष्प्रसन्न कर रही है । सीधी कार्यवाही का उद्देश्य केवल ब्रिटिश की गुलामी से मुक्त होना ही नहीं है, वरन् सवर्ण हिन्दुओं की गुलामी से भी छुटकारा पाना है ।” इसी प्रकार के विचार अन्य मुस्लिम नेताओं ने भी प्रकट किये थे । मि० सोहराबवर्दी ने कहा था कि मुसलमान “मृत राष्ट्र नहीं है और उनके द्वारा जो प्रतिरोध होगा वह केवल शब्दों द्वारा न होगा ।” वगैरह के मि० इस्माइल चुन्दरीगर ने बड़े जोश के साथ यह प्रकट किया था कि ब्रिटिश को यह छोड़ें अधिकार नहीं है कि वह मुसलमानों को ऐसे लोगों के अधीन करे, जिनपर उन्होंने सैकड़ों वर्षों

तक राज्य किया था । मुहम्मद इमादुल्लाह ने यह घोषित किया कि भारतीय मुसलमान 'जौहाद' अर्थात् 'पवित्र युद्ध' के लिए कर्म क्षेत्र में उतर रहे हैं । शौकत हैयातखॉ ने कहा कि मुसलमानों का अगर अवसर दिया जाय तो वे अपनी योग्यता के हाय दिखाने के लिए तैयार हैं । मुस्लिम लीग के अग्रेज मास १२३५ के अधिवेशन में निम्नलिखित प्रस्ताव पास किया गया था —

“The Muslim nation will never submit to any constitution for a United India and will never participate in any single constitution making machinery set up for the purpose.”

It demanded that the zones comprising Bengal and Assam in the North-East and the Punjab, the N. W. Frontier Province, Sindh and Beluchistan in the North-west of India where the Muslims are in a dominant majority, be constituted into a sovereign State”, that “two separate constitution making bodies be set up by the peoples of Pakistan and Hindustan for the purpose of framing their respective constitution. The League promised its co-operation in the formation of an Interim Government at the centre only when its main demands were conceded.”

अर्थात् मुस्लिम राष्ट्र संयुक्त राष्ट्र के किसी विधान को स्वीकार न करेगा और न वह इस उद्देश्य के लिए बनाए हुए किसी विधान-तंत्र में सहयोग देगा । इसका यह दावा है कि बंगाल, आसाम, पंजाब,

सीमाप्रान्त, सिंध, त्रिकोचिस्तान प्रायि प्रान्तों में, जहाँ मुस्लिम बहुमत है, एक पूर्ण प्रभुता प्राप्त मुस्लिम राज्य का संगठन किया जाय और पाकिस्तान और हिन्दुस्तान के दो भिन्न विधानों को बनाने के लिए दो विभिन्न विधान सभाओं का निर्माण किया जाय ।



## केबिनेट मिशन और अन्तर्कालीन सरकार



केबिनेट मिशन ने अपने वक्तव्य में भारतवर्ष में अन्तर्कालीन सरकार की स्थापना के लिए उशुकता प्रकट की । मि० जिन्ना इस बात पर जोर देते रहे कि अन्तर्कालीन सरकार के संगठन में हिन्दू और मुसलमानों की सख्या याावर रहे । उन्होंने १२ जून को वाईसरॉय को जो पत्र लिखा था, उसमें उन्होंने इस बात पर बहुत जोर दिया था कि केबिनेट मिशन के प्रस्ताव को स्वीकार करने के लिए यह सबसे अधिक आवश्यक है कि अन्तर्कालीन सरकार में हिन्दू और मुसलमानों की सख्या में समता ( Parity ) का सिद्धान्त स्वीकार किया जाय । इसके सिवा केबिनेट मिशन की योजना स्वीकार करने के लिए मुसलम लीग अपना अन्तिम निर्णय प्रकट नहीं कर सकती ।

कांग्रेस के स्वतंत्रतावादी अध्यक्ष मीरजापूर अहमद खान ने २१ जून को पाइलसॉप को जो पत्र लिखा उसमें उन्होंने समता (Parity) के सिद्धान्त का विरोध किया। उन्होंने अपने पत्र में लिखा था —

‘My committee regret that they are unable to accept your suggestions for the formation of the Provisional National Government. These tentative suggestions emphasise the principle of “Parity” to which we have been and are entirely opposed. In the composition of the cabinet suggested by you there is “parity” between the Hindus including the scheduled castes and the Muslim League that is the number of the caste Hindus is actually less than the nominees of the Muslim League. The position thus is worse than it was in June 1945 at Simla, where, according to your declaration then, there was to be “parity” between caste Hindus and Muslims, leaving additional seats for the scheduled caste Hindus. The Muslim seats then were not reserved for Muslim League only but could include non-League Muslims. The present proposal thus puts the Hindus in a very unfair position and at the same time eliminates the non-League Muslims. My committee are not prepared to accept any such proposal. Indeed we have stated repeatedly we

are opposed to "parity" in any shape or form.

अर्थात् "मेरी कमेटी इस बात पर दुःख प्रकट करती है कि वह काम चलाऊ राष्ट्रीय सरकार स्थापित करने के लिये, आपके सुझाव स्वीकृत करने में असमर्थ है। ये प्रयोगात्मक सुझाव 'सम संख्या' के प्रतिनिधित्व पर जोर देते हैं, जिनके कि हम पूर्णतया विरोधी हैं। आपके सुझाव के मुताबिक मजिस्ट्रेट के निर्माण में परिगणित-जातियाँ और हिन्दुओं की सम संख्या मुस्लिम लीग के प्रतिनिधियों के बराबर रखी गई है अर्थात् 'सबसे अधिक हिन्दुओं की संख्या मुस्लिम लीग के मनोनीत सदस्यों से भी कम रखी गई है। यह स्थिति १९४६ के जून मास की स्थिति से भी खराब है, जिसमें आपने यह घोषणा की थी कि 'सबसे अधिक हिन्दू और मुसलमानों के बीच समसंख्या "Parity" होनी चाहिए और अतिरिक्त स्थान परिगणित सबसे अधिक हिन्दुओं (Scheduled caste Hindus) के लिए छोड़ देना चाहिए। उस समय की योजना में मुस्लिमों के स्थान (Seats) केवल मुस्लिम लीग ही के लिए रक्षित नहीं रखे गए थे, पर उनमें गैर लीगी मुसलमान भी शामिल किये गए थे।"

इसी पत्र में आगे चलकर मौखाना साहिब ने यह प्रकट किया कि कमेटी की राय में मिछीजुली सरकार (Coalition Government) की सफलता के लिए यह आवश्यक है कि उसका दृष्टिकोण और कार्यक्रम (Programme) समान रहे, इसके अतिरिक्त मौखाना साहिब ने अपने पत्र में गुटबान्नी (Grouping) का विरोध करते हुए यह प्रकट किया कि देश का बहुत बड़ा जन समाज इस प्रकार की गुटबन्दी (Grouping) के खिलाफ है और वह इसपर अपना तीव्र क्रोध प्रकट कर रहा है। सीमान्त और आसाम ने इस प्रकार की अनियमित गुटबान्नी के विरुद्ध अपनी आवाज़ उठाई है। सिंध इस गुटबान्नी में आपने आप को धकेला पाते हैं और उनमें इसके खिलाफ भार आन्दोलन उठ रहा है। सिक्ख लोग पंजाब में अल्प-संख्यक होने

के कारण इस गुटबाजी के कारण बहुत ही निराशा हो जायेगी। हम भी उनके इस विरोध के साथ सहानुभूति रखते हैं। क्योंकि हम गुट भी इस प्रकार की प्रान्तों की गुट-बाजी के अपने नौदिक सिद्धान्तों के विरोध समझते हैं।”

सोखाना आजाद ने यूरोपियों को दिये जान वाले प्रतिनिधित्व के विशेषाधिकारों का भी विरोध किया।

इस प्रकार पत्र व्यवहार और वादानुवाद के होते हुए भी कांग्रेस और लोग एक मत न हो सकी और अन्तर्द्वेष और अन्तर्द्वेष न इन दोनों महान् राजनैतिक दलों में समझौता न होने के कारण अपनी असफलता की घोषणा की और इस असफलता की सारी जिम्मेदारी अपने सिर पर ली। १५ जून को कांग्रेस ने भी जिज्ञा को यह सूचित किया कि कांग्रेस प्रतिनिधियों के साथ अन्तर्द्वेषी सरकार के निर्माण में उनकी भी बाधनीयता हो रही थी वह असफल होगई है और वे इस सम्बन्ध में कुछ अपना वास्तव्य प्रकाशित कर रहे हैं।

१५ जून को कांग्रेस ने सोखाना आजाद को जो पत्र लिखा उसमें उन्होंने यह प्रकट किया कि —“हम भारतीय स्वाधीनता के कार्य को आगे बढ़ाने के लिए हर सम्भव उपाय को कान में ले रहे हैं। हमने यह पहिले ही प्रकट कर दिया है कि सबसे पहिले भारतीयों के प्रति निधियों के द्वारा नये विधान बनने की आवश्यकता है।”

“कैबिनेट मंत्रि मंडल और मैं गुट-बाजी के सिद्धान्त के सम्बन्ध में आपकी जो आपत्तियाँ हैं, उनसे सभी परिचित हैं, मैं आप पर यह प्रकट कर देना चाहता हूँ कि १६ मई के कैबिनेट-मिशन के वास्तव्य में प्रान्तों की गुटबाजी को अनिवार्य नहीं रखा गया है। उसने इस बात को प्रान्तों के प्रतिनिधियों के निर्णय पर छोड़ा है, हाँ, उसमें जो व्यवस्था रखी गई है वह यह है कि कुछ विशिष्ट प्रान्तों के प्रतिनिधि गये अपनी

वर्गगत रूप में विचार-विमर्श करने के लिए मिलें और वे यह निर्णय करें कि वे अपने गुट बनाना चाहते हैं या नहीं। व्यक्तिगत प्रान्तों की हस्ताना होने पर भी यह स्वतन्त्रता रहेगी कि वे चाहें तो गुटबानी से अपने आपको अलग कर लें।"

जैसा कि ऊपर दिखलाया गया है अन्तर्काळीन सरकार के निर्माण के सम्बन्ध में कांग्रेस और मुस्लिम लीग में कोई समझौता न हो सका। इसका परिणाम यह हुआ कि ब्रिटिश शासकों ने बीच में हस्तचोप कर अपना निर्णय १६ जून को दे दिया। उनके द्वारा प्रस्तावित अन्तर्काळीन सरकार के निर्माण में पाँच कांग्रेस के प्रतिनिधि, पाँच मुस्लिम लीग के प्रतिनिधि और चार अल्पसंख्यकों (Minorities) के प्रतिनिधि रखे गये। अल्पसंख्यकों में सिख, ईसाई, हरिजन और पारसी का समावेश था। हरिजनों का प्रतिनिधि कांग्रेस का प्रतिनिधि मान लिया गया। इस प्रकार इस अन्तर्काळीन सरकार में कांग्रेस के छः प्रतिनिधि रखे गये।

अन्तर्काळीन सरकार के इस प्रस्तावित निर्माण का चारों ओर से घोर विरोध होने लगा। २४ जून को कांग्रेस ने इस योजना का बहिष्कार कर दिया, पर उसने संविधान सभा में सहयोग देना स्वीकार कर लिया। कांग्रेस की कार्य-समिति ने अपने २६ जून के प्रस्ताव में केबिनेट मिशन की योजना पर प्रकाश डालते हुए यह स्पष्ट घोषणा की कि कांग्रेस का ध्येय तुरन्त पूर्ण स्वाधीनता की प्राप्ति करना है और इसके लिये मिशन की योजना पर्याप्त नहीं है। कांग्रेस समिति के उक्त प्रस्ताव में प्रस्तावित संविधान सभा में प्रवेश करने का निर्णय इस उद्देश्य से किया गया कि उसमें जाकर स्वतन्त्र और संयुक्त जनतांत्रिक भारतवर्ष के लिये संविधान बनाया जाय। इस प्रस्ताव में यह भी साफ़ कर दिया गया कि कानूनी परामर्श से अनुमोदित मिशन की योजना की अपनी प्याहला को छोड़कर कांग्रेस संविधान सभा में प्रवेश कर रही है और यह



मान्दों की अनियमित गुटबन्दी को स्वीकार करने के लिये तैयार नहीं है।

इस घोषणा के बाद कैबिनेट मिशन और पाइसर्सों ने अन्तर्काबिन धारी सरकार (Interim Caretaker Government) का निर्माण किया, जिसमें सरकारी अधिकारी ही रखे गये।

२३ जून को कैबिनेट मिशन भारत से खाना होगया। इसके बाद कांग्रेस और छांगियों में कथमकथम खड़ती रही। देश में साम्प्रदायिक विद्रोह का भाग और भी जोर से बढ़कने लगी। मुस्लिम लीग ने अपनी सांघी कार्यवाही का कार्यक्रम भपकर रूप से आरंभ कर दिया। इससे पहलेकते और बंगाल में जैसी खून खावी हुई, उसका विलुप्त उल्लेख आगे चखकर किया जायगा। बिहार में भी यह भाग जोरों से बढ़की। मुस्लिम लीग की आक्रमणात्मक नीति का खोरखोर से प्रयोग होने लगा। इससे साधारण जनता ही क्या, पर सरदार पटेल जैसे गांधीवादी नेता भी विचलित हो गये और उन्होंने मेरठ कांग्रेस के अपने भाषण में बड़े जोरदार शब्दों में कहा कि तखवार का जवाब तखवार से दिया जायगा।

कहने का भाव यह है कि देश में प्रतिक्रियावादी शक्तियों और अराजकता का दौरा शीरा होला। इससे ब्रिटिश सरकार ने राजनैतिक समझौता करने में फिर से उत्सुकता दिखलाई। इसकी सन् १९४६ के अगस्त मास में पब्लिश नेहरू के नेतृत्व में ब्रिटिश सरकार ने एक नवीन अन्तर्काबिन सरकार का निर्माण किया। इसमें मुस्लिम लीग का सहयोग न था। अक्टूबर मास में मुस्लिम लीग के प्रतिनिधि भी इसमें शामिल होगये। यह नवीन अन्तर्काबिन सरकार मिछ कुछ-कर काम करने में सक्षम न हो सकी। मुस्लिम लीग के प्रतिनिधियां इस सरकार को सहयोग देने के बजाय उसके पथ में तरह तरह के अड़कों खराने लगे। ऐसा मालूम होने लगा मानों यह नवीन सरकार

घोड़े ही समय में अपना अन्तिम श्वास लेकर काल कवचित्त हो जायगी ।

ईस्वी सन् १९४६ के दिसम्बर मास में ब्रिटिश सरकार ने लन्दन में भारतीय नेताओं का एक सम्मेलन किया । इसमें पटेली, वेवल, नेहरू और जिन्ना ने भी भाग लिया । पर इस सम्मेलन में भी भारतीय गति-रोध का कोई हल नहीं निकला । इस सम्मेलन में यह घोषित किया गया कि "अगरपेसी संविधान सभा, जिसमें भारतीय बहुजन समाज का प्रति-निधित्व नहीं है, कोई संविधान बनावे तो श्रीमान् सच्चाट् की सरकार उसे देश के अनिच्छुक हिस्सों पर जबरदस्ती लागू नहीं कर सकती" ।

इस घोषणा से तत्कालीन ब्रिटिश सरकार की देश को विभाजन करने की अप्रत्यक्ष मनोवृत्ति पर प्रकाश गिरता है । इससे मुखिम लीग की बढ़ावा छगाने की नीति को बल मिला ।

पर इसके साथ ही भारतीय स्वाधीनता के आन्दोलन ने भी जोर पकड़ा । अन्तर्राष्ट्रीय परिस्थिति ने भी ब्रिटिश सरकार को भारतीय नेताओं के साथ समझौता करने के लिये बाध्य किया ।

ईस्वी सन् १९४७ के फरवरी मास में ब्रिटिश सरकार ने यह निर्णय किया कि भारतीय समस्या का शीघ्रातिशीघ्र हल किया जाय । तत्कालीन वायसरॉय लार्ड वेवल को वापस बुला लिया गया और उनके स्थान पर लार्ड माउन्टबेटन को हिन्दुस्तान का वायसरॉय और गवर्नर जनरल बनाकर भेजा । लार्ड माउन्टबेटन नि सन्नेह लार्ड वेवल से अधिक दूरदर्शी, राजनीतिज्ञ और विद्वत् परिस्थिति को संभाळने में इच्छु थे । उन्होंने भारतीय नेताओं से अधिक से अधिक अपना आत्मियता का सम्बन्ध बढ़ाया । गांधीजी, नेहरूजी और सरदार पटेल पर उन्होंने अपने सौजन्य और राजनीतिगुता की छाप डाली । इसी बीच में मिटेल के तत्कालीन प्रधान मन्त्री मिस्टर पटेली ने २० फरवरी को

यह घोषणा की —

“His Majesty's Government wish to make it clear that it is their definite intention to take the necessary steps to effect the transference of power into responsible Indian hands by a date not later than June, 1948”

अर्थात्, “धीमान् सम्राट् की सरकार यह स्पष्ट कर देना चाहती है कि वह जिम्मेदार भारतीय हाथों में इसी सन् १९४८ के जून मास तक राज्यसत्ता का हस्तांतरण कर देने के लिये आवश्यक कदम उठायेगी।”

खॉबं माउन्टबेटन ने भारत में पदापंथ करते ही यह प्रकट किया कि वे यहाँ राज्यसत्ता हस्तान्तर करने आये हैं, और वे इसे पूरा करके ही वापिस लौटेंगे। उन्होंने कैबिनेटमिशन की योजना को विकसित कर अपनी योजना बनाई, जो इसी सन् १९४७ के जून मास में प्रकाशित की गई। यह योजना इसी १९४७ के अगस्त मास में अमल में आने वाली थी। इस योजना में भारत के विभाजन की कार्य-प्रणाली और भारत को शीघ्रातिशीघ्र राज्यसत्ता हस्तान्तरण करने की योजना सम्मिलित थी। माउन्ट बेटन की योजना को भारतवर्ष के दोनों राजनैतिक प्रमुख दलों ने स्वीकार कर लिया। यद्यपि पं० नेहरू ने इस योजना पर प्रसन्नता प्रकट नहीं की जैसा कि उन्होंने उस समय कहा था—

“It is with no joy in my heart that I commend these proposals.”

अर्थात् “मैं इन प्रस्तावों की सिफारिश प्रसन्नता के साथ नहीं कर रहा हूँ।” मि० जिन्ना ने इस योजना का जिक्र करते हुए कहा था कि—

“We can not say or feel that we are satisfied

or that we agree with some of the matters dealt with by the plan."

अर्थात्, "इस यह नहीं कह सकते कि हम योजना में कथित कुछ विषयों से हम सन्तुष्ट या सहमत हैं।

सरदार वल्लभभाई पटेल ने सिक्खों की ओर से कहा कि —

"It would be untrue if I were to say that we are altogether happy. The British plan does not please every body, not Sikh community any way.

अर्थात्, "अगर मैं यह कहूँ कि हम इस योजना से सन्तुष्ट हैं तो यह गलत होगा। ब्रिटिश योजना प्रत्येक को सन्तुष्ट नहीं करती। वह सिक्ख समाज को भी किसी तरह सन्तुष्ट नहीं करती।

उपरोक्त के भारतीय राजनीतिज्ञों ने माउन्ट बेटन योजना को निराशाजनक बताया था। कम्युनिस्ट पार्टी ने अपने वक्तव्य में कहा था —

"The new British plan for the dismemberment of India is a desperate move against the freedom movement."

अर्थात्, "भारत के अग्रेगिन्ट के सम्बन्ध की ब्रिटिश योजना स्वतन्त्रता के आन्दोलन के विरुद्ध एक गहरी चाल थी।"

ब्रिटेन के प्रायः सभी राजनैतिक दलों ने इस योजना का स्वागत किया था। चाँचल ने, जो कि भारतीय आकाशवाणी के हमेशा विरोधी रहे हैं, इस योजना की बड़ी मराहना की और उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय माइनिस्ट्रिज मि० एलजी का माउन्ट बेटन को भारतवर्ष का वायसरॉय बनाने के उपखण्ड में अभिनन्दन किया। लंदन के सुप्रसिद्ध पत्र 'टाइम्स' ने लिखा कि माउन्ट बेटन की योजना का इंग्लैंड के सभी दलों द्वारा

जैसा भव्य स्वागत हुआ है, उससे प्राइमिनिस्टर के गालों में शानन्द कारण नुर्खी पड़ा गई है।

इंग्लैन्ड के उदार दल के सुप्रसिद्ध पत्र 'मैनचेस्टर गार्डियन' ने लिखा था कि जब से पार्लियामेंट का प्रारम्भ हुआ है तब से पब्लिक और पटली कभी इतने एकमत न हुए, जितने कि इस समय हुए हैं। लंदन के 'डेवेली हेराल्ड' पत्र ने लिखा था कि लंदन नगर उक्त योजना को अपना आशीर्वाद दे रहा है। अन्तर्राष्ट्रीय संसार में भी इस योजना का अत्यन्त स्वागत हुआ। अमेरिका और अन्य देशों के समाचार पत्रों ने इसका स्वागत किया। डॉ. उग्र और कम्युनिस्ट समाचार पत्रों ने इसका विरोध किया। राष्ट्र की एजन्सी ने उस समय जो तार भेजा था उसमें कहा गया था—

“Left wing newspapers have been unfavourable in all countries.”

अर्थात्, सब देशों के उग्रदल के समाचार पत्र उस योजना के प्रतिकूल हैं। सोवियेट समाचार पत्रों ने यह प्रकट किया था कि ब्रिटेन भारत वर्ष को जो स्वतन्त्रता दे रहा है वह नाम मात्र की असत्य स्वतन्त्रता है।

यद्यपि पं० जवाहरलाल नेहरू को इस योजना से विशेष सन्तोष न हुआ था, पर परिस्थितियों का विचार कर सामूहिक रूप से भारतीय नेताओं ने इसे स्वीकार कर लिया। महात्मा गांधी ने भी इस योजना को कार्यान्वित करने की राय दी।

इस योजना के अनुसार देश का जिस प्रकार विभाजन हुआ, उस पर आगे चलकर हम प्रकाश डालेंगे। इस योजना को जल्दी से जल्दी कार्यान्वित करने के लिये। १५ अगस्त १९४७ को इस योजना के अनुसार भारत और पाकिस्तान के दो नए अधि राज्य (Dominions)

व्यपित कर दिये गये ।

भारतवर्ष के स्वतन्त्र अधिराज्य की स्थापना से देश में चारों ओर आनन्द और उत्साह का साक्षात्कार हुआ गया । सारे संसार ने इस महान् दिवस के उपलक्ष्य में भारतवर्ष का हार्दिक अभिनन्दन किया । अमेरिका, ब्रिटेन, रूस, फ्रांस आदि संसार के प्रायः सभी राष्ट्रों के शासकों ने तार भेज कर भारत का अभिनन्दन किया । संसार के कोने कोने से इस अवसर पर भारत के प्राइममिनिस्टर ए० जवाहरलाल नेहरू के पास हजारों की संख्या में धर्माई के तार पहुँचे ।

भारतवर्ष में भी चारों ओर अद्भुत आनन्द, उत्साह और उमंग का समुद्र उमड़ पड़ा । स्थान-स्थान पर हजारों लाखों मनुष्यों ने मिलकर अपने राष्ट्र की स्वतंत्रता के लिए हार्दिक आशीर्वाद किया । भारत के इतिहास में सैकड़ों वर्षों के बाद यह महान् अवसर आया और इसने अंतर्राष्ट्रीय समार में भारत को अपने योग्य स्थान पर बैठाया ।



# संविधान सभा का संगठन



भारत वर्ष के लिए एक सर्व सामान्य संविधान बनाने के लिए भारतीय प्रतिनिधियों की एक संविधान सभा के निर्माण के लिए पहले पं० जवाहरलाल नेहरू ने आवाज उठाई थी। ब्रिटिश सरकार की कैबिनेट मिशन ने भी इसकी आवश्यकता का अनुभव किया। ब्रिटिश पार्लियामेंट में भारतीय स्वतन्त्रता के बिल ( Indian Independence Bill ) के द्वितीय वाचन के समय ब्रिटिश प्राइममिनिस्टर मि० पटवर्दी ने कहा था —

“इस बिल का उद्देश्य केवल ब्रिटिश सत्ता का त्याग ही नहीं है, बल्कि इसका उद्देश्य भारत को स्वातन्त्रता प्राप्त करने में सहायता देने का ब्रिटिश का जो महान् उद्देश्य है उसकी निधि करना है।” आगे चल कर मि० पटवर्दी ने फिर कहा ‘ इस बिल का उद्देश्य पूर्ववर्ती बिलों से भिन्न है। इस बिल के द्वारा भारतवर्ष के प्रतिनिधियों को यह अधिकार प्राप्त होगा, जिसके द्वारा वे अपना संविधान आप बना सकें और संसद के कानून की कठिनाइयों को पार कर सकें।’ कैबिनेट मिशन ने भी संविधान सभा की योजना रखी। उसके अनुसार इस्वी सन् १९४३ में संविधान सभा का संगठन हुआ, पर उस समय इस सभा को पूर्ण प्रभुता (Sovereignty) प्राप्त न थी, उसका कार्य-क्षेत्र आधारभूत सिद्धान्तों (Basic principles) और कार्य विधि (Procedure) तक ही सीमित था। इस्वी सन् १९४७ के भारतीय स्वतन्त्रता एक्ट ने इसे पूर्ण प्रभुता के अधिकार प्रदान किये और उसे तमाम प्रतिबन्धों से मुक्त कर दिया। पं० जवाहरलाल नेहरू ने इसके उद्देश्य प्रकट करते हुए कहा—

“This constituent Assembly declares its firm and solemn resolve to proclaim India as an Independent Sovereign Republic and to draw up for her future Governance a Constitution;”

अर्थात् यह संविधान सभा अपने दृढ़ और पवित्र निश्चय के साथ भारत को स्वतन्त्र और पूर्णप्रभुत्वाप्राप्त जन-तन्त्र घोषित करती है और उसके भावी शासन के लिए एक संविधान बनाने का प्रस्ताव करती है। कैबिनेट मीशन ने भी संविधान-सभा के उद्देश्यों और संगठन के सम्बन्ध में जो प्रस्ताव रखे, वे निम्न लिखित थे।

१—विधान-सभा में ३८३ सदस्य होंगे। इसमें से २६२ सदस्य ब्रिटिश भारत के प्रान्तों से चुने जायेंगे। इनका चुनाव सीधा जनता द्वारा न होगा। चुनाव का आधार साम्प्रदायिक होगा, जिसके अनुसार प्रान्तीय सभाओं में जो मुस्लिम, सिख और अन्य गुट हैं, उन्हें आबादी के अनुसार सीटें दी जायेंगी। देशी राज्यों को ६३ सीटें दी जायेंगी। देशी राज्यों के प्रतिनिधि कैसे चुने जायेंगे, वह आगे से बातचीत करते तब किया जायगा।

२—मान्द तीन गुटों में बांटे जायेंगे।

क—वह गुट जिसमें हिन्दू बहुमत के इच्छाके होंगे; (माद्रस, बम्बई, गुजरात, बिहार, मध्यमान्द और उड़ीसा)।

ख—वह गुट जिसमें उत्तर-पश्चिम का मुस्लिम बहुसंख्यक इच्छाका होगा, (अर्थात् पंजाब, सीमान्त-प्रदेश, सिंध और त्रिबोचिस्तान)।

ग—एक दूसरा गुट उत्तर-पूर्वी मुस्लिम बहुसंख्यक इच्छाको का होगा (बंगाल और आसाम)। इन गुटों के प्रतिनिधि अलग अलग मिलकर तय करेंगे कि इस गुट के सूबों का विधान क्या होगा। नया विधान बन जाने पर और उसके अनुसार पहला चुनाव हो जाने पर ही मान्दों को



अधिकार होगा कि वे गुट के बाहर निकल सकें।

३—अल्प संख्यक लोगों के लिये एक सलाहकार समिति होगी।

४—यूनियन की संविधान सभा तय करेगी कि यूनियन का संविधान क्या होगा। जिन प्रस्तावों में बड़ी साम्प्रदायिक समस्याओं का उल्लेख होगा, उन्हें पास करने के लिये मौजूदा प्रतिनिधियों का बहुमत और दोनों जमातों में से दोनों का वोट देना जरूरी होगा।

उपरोक्त सुझावों के अनुसार संविधान सभा का संगठन हुआ, जिसमें पहले पहले काँग्रेस और लोग दोनों के प्रतिनिधि सम्मिलित थे। पीछे जाकर, पाकिस्तान बन जाने पर, इसमें काँग्रेस का प्रतिनिधित्व मात्र रहा।

इसके उद्देश्य भी बहुत व्यापक होगये, जिनका उल्लेख प० जवाहर लाल नेहरू ने संविधान सभा के उद्देशों में किया था।

इस संविधान सभा के प्रथम अध्यक्ष विहार के सुप्रसिद्ध बबोवृद्ध नेता डा० सच्चिदानन्दसिंह थे। पीछे जाकर इसके अध्यक्ष पद को भारत के अत्यन्त लोकप्रिय नेता डॉ० राजेन्द्रप्रसाद ने सुशोभित किया।

इस संविधान सभा ने विभिन्न वैधानिक समस्याओं को हल करने के लिए विभिन्न कमेटियाँ कायम कीं। इन कमेटियों ने विचार विमर्श करने के बाद अपनी रिपोर्टें संविधान सभा में पेश कीं और उन्हीं रिपोर्टों के आधार पर विधान का मसौदा बनाने का निश्चय किया गया। ईस्वी १९४० के २३ अगस्त को संविधान सभा ने एक प्रस्ताव पास कर संविधान का मसौदा तैयार करनेवाली (Drafting committee) कमेटी नियुक्त की।

विभिन्न उपसमितियों द्वारा प्राप्त रिपोर्टों के आधार पर संविधान सभा ने जो निर्णय किए उन्हीं को आधार-रूप रखकर एक ड्राफ्टिंग कमेटी

को भारत वर्ष के लिए संविधान तैयार करने का काम सौंपा गया। इस कमेटी के द्वारा संविधान का जो मसविदा या प्रारूप बनाया गया उसमें तीन सौ पन्द्रह धाराएँ (Articles) और आठ परिशिष्ट थे। यह संविधान सभा के सामने रखा गया और सदस्यों द्वारा इस पर काफी विचार-विमर्श और वादानुवाद होने के बाद कई संशोधनों के साथ यह पास हुआ। इसी सन् १९४९ के २६ नवम्बर को यह अन्तिम संविधान के रूपमें प्रकाशित हुआ। इसी सन् १९५० की २६ जनवरी से राज्य शासन में इसका व्यावहारिक आरम्भ हो गया। भारतीय राज्यशासन का यह संविधान मूलभूत जीवन है और उन्हीं के आधार पर सारे शासन की नींव रखी गई है।

भारत का यह संविधान संसार के अन्य सब राष्ट्रों के संविधानों से बड़ा है। इसमें २२ अध्याय और ८ परिशिष्ट हैं। इस संविधान में भारत को एक पूर्ण प्रभुताप्राप्त प्रजातन्त्रीय जनतन्त्र (Sovereign Democratic Republic) घोषित किया गया है। इसका स्वरूप जनतन्त्रात्मक है। न्याय, स्वतन्त्रता, समानता और बन्धुत्व आदि महान् उच्च, जो प्रजातन्त्र के खास लक्षण हैं, इस संविधान के लिये जीवनभूत माने गए हैं। इस संविधान के द्वारा जो राज्यसंस्था कायम की गई है, उसकी आधारभूत नींव प्रजातन्त्र या लोक राज्य के महान् सिद्धान्तों पर अखण्डित है। भारतवर्ष के इस लोकतन्त्रात्मक राज्य का संवाक्यन यथासक्य मताधिकार, मौखिक मानक-अधिकार और स्वतन्त्र न्याय-पद्धति आदि महान् सिद्धान्तों के आधार से किया जाता है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना (Preamble) में यह स्पष्टतया घोषित कर दिया गया है कि उक्त संविधान भारतीय लोगों के द्वारा प्रस्तावित किया गया है। संविधान सभा ने अपने उद्देश्यजन्य प्रस्ताव (Objectives Resolution) द्वारा यह स्पष्टतया प्रकट कर दिया है कि केंद्रीय सरकार और प्रान्तों की पूर्णप्रभुता का आधार जनता पर रहेगा। कहने

का तात्पर्य यह है कि लोगों के द्वारा प्राप्त सत्ता पर यहां के जनसन्त्र आधार रहेगा और उसका संचालन वैधानिक सरकार के द्वारा जायगा।

यह संविधान केन्द्र (centre) और राज्यों (States) में संसदीय शासन (Parliamentary Government) प्रस्थापित करेगा। इसमें एक वैधानिक राष्ट्रपति होगा जो अपने मंत्रिमंडल के परामर्श पर कार्य करेगा। राष्ट्रपति अपने पद ग्रहण की तारीख से पांच वर्ष की अवधि तक पद धारण करेगा।

मंत्रिमंडल में उस दल या संयुक्त दल के नेता रहेंगे, जिस दल की धारासभा का बहुमत प्राप्त होगा।

मंत्रिमंडल में प्रधान मंत्री की बड़ी अधिकारयुक्त स्थिति रहेगी। वह अपने मंत्रियों को नियुक्त कर सकता है और उनमें अधिकार विभाजन कर सकता है। वह किसी मंत्री को पदच्युत कर सकता है। कहने का भाव यह है कि मंत्रिमंडल राज्य की नौका का संचालक है।

मंत्रिमंडल का उत्तरदायित्व सामूहिक होगा। वह सामूहिक रूप ही से कार्य करेगा।

## मौलिक अधिकार

भारतीय संविधान में जनता के मौलिक-अधिकारों पर बड़ा जोर दिया गया है। ईस्वी सन् १९३२ का भारत सरकार के अधिनियम (Government of India Act) में मौलिक अधिकारों का समावेश न था। साईंमन कमीशन और संयुक्त पार्लियामेंटरी कमेटी ने अपनी रिपोर्ट में संविधान पत्र में मौलिक अधिकारों को सम्मिलित करने का विरोध किया था। साईंमन कमीशन ने लिखा था—

“We are aware such provisions have been”

inserted in many constitutions, notably in those of the European states formed after the war. Experience, however, has not shown them to be of any practical value. Abstract declarations are useless, unless there exist the will and the means to make them effective”

अर्थात् हमें पता है कि इस प्रकार की व्यवस्थाएँ बहुत से संविधानों और खास कर उन राज्यों के संविधानों में सम्मिलित की गईं हैं, जो राज्य युद्ध के बाद बने हैं। पर अनुभव ने उन्हें किसी व्यावहारिक उपयोग का नहीं पाया है। कोरी घोषणाएँ तब तक बेकार रहती हैं जब तक कि उन्हें कार्यान्वित करने के लिए दृढ़ संकल्प और साधन उपस्थित न हों। इसके विपरीत दूसरा मत यह था कि संविधान पत्र में मौलिक अधिकारों का जोड़ा जाना अनिहित की दृष्टि से आवश्यक है, क्योंकि ये राज्य के आधारभूत तत्व हैं। इनके द्वारा राज्य को अपने अधिकारों के प्रयोग में नैतिक मर्यादाएँ प्राप्त होती हैं। यह अधिकार मानव की भलाई और विकास के लिए आवश्यक हैं। जिस विधान में इन अधिकारों की गारन्टी दी गई है उसे सभ्य संसार आदर की दृष्टि से देखता है। भारतीय संविधान ने भी इन अधिकारों को सम्मानपूर्ण स्थान दिया है। वे अधिकार ये हैं—

- १—समानाधिकार ( Right of Equality )
- २—स्वातन्त्र्य अधिकार ( Right of Freedom )
- ३—वर्ग स्वतन्त्र्य का अधिकार ( Right to Freedom of Religion )
- ४—संस्कृति और शिक्षा सम्बन्धी अधिकार ( Cultural and Educational Rights )

का धारण यह है कि लोगों के द्वारा प्राप्त सत्ता पर यहाँ के जनतन्त्र का आधार रहेगा और उसका संचालन वैधानिक सरकार के द्वारा किया जायगा।

यह संविधान केन्द्र (centre) और राज्यों (States) में संसदीय शासन (Parliamentary Government) प्रस्थापित करेगा। इसमें एक वैधानिक राष्ट्रपति होगा जो अपने मंत्रिमंडल के परामर्श पर कार्य करेगा। राष्ट्रपति अपने पद ग्रहण की तारीख से पाँच वर्ष की अवधि तक पद धारण करेगा।

मंत्रिमंडल में उस दल या संयुक्त दल के नेता रहेंगे, जिस दल को धारासभा का बहुमत प्राप्त होगा।

मंत्रिमंडल में प्रधान मंत्री की बड़ी अधिकारयुक्त स्थिति रहेगी। यह अपने मंत्रियों को नियुक्त कर सकता है और उनमें अधिकार विभाजन कर सकता है। वह किसी मंत्री को पदच्युत कर सकता है। कहने का भाव यह है कि मंत्रिमंडल राज्य की नीका का संचालक है।

मंत्रिमंडल का उत्तरदायित्व सामूहिक होगा। यह सामूहिक रूप ही से कार्य करेगा।

## मौलिक अधिकार

भारतीय संविधान में जनता के मौलिक-अधिकारों पर बड़ा जोर दिया गया है। ईस्वी सन् १९३५ का भारत सरकार के अधिनियम (Government of India Act) में मौलिक अधिकारों का समावेश न था। साईमन कमिशन और संयुक्त पार्लियामेंटरी कमिटी ने अपनी रिपोर्ट में संविधान पत्र में मौलिक अधिकारों को सम्मिलित करने का विरोध किया था। साईमन कमिशन ने लिखा था:—

“We are aware such provisions have been

inserted in many constitutions, notably in those of the European states formed after the war. Experience, however, has not shown them to be of any practical value. Abstract declarations are useless, unless there exist the will and the means to make them effective."

अर्थात् हमें ज्ञात है कि इस प्रकार की व्यवस्थाएँ बहुत से सविधानों और खास कर उन राज्यों के सविधानों में सम्मिलित की गई हैं, जो राज्य युद्ध के बाद बने हैं। पर अनुभव ने उन्हें किसी व्यावहारिक उपयोग का नहीं पाया है। कोरी घोषणाएँ तब तक बेकार रहती हैं जब तक कि उन्हें कार्यान्वित करने के लिए दृढ़ संकल्प और साधन उपस्थित न हों। इसके विपरीत दूसरा मत यह था कि सविधान पत्र में शैक्षिक अधिकारों का जोड़ा जाना अनहित की दृष्टि से आवश्यक है, क्योंकि ये राज्य के आधारभूत तत्व हैं। इनके द्वारा राज्य को अपने अधिकारों के प्रयोग में नैतिक मर्यादाएँ प्राप्त होती हैं। यह अधिकार मानव की भलाई और विकास के लिए आवश्यक हैं। जिस विधान में इन अधिकारों की गारन्टी दी गई है उसे सभ्य समाज आदर की दृष्टि से देखता है। भारतीय संविधान ने भी इन अधिकारों को सम्मानपूर्ण स्थान दिया है। वे अधिकार ये हैं—

- १—समानाधिकार ( Right of Equality )
- २—स्वातन्त्र्य-अधिकार ( Right of Freedom )
- ३—धर्म स्वातन्त्र्य-का अधिकार ( Right to Freedom of Religion )
- ४—संस्कृति और शिक्षा सम्बन्धी अधिकार ( Cultural and Educational Rights )

२—सम्पत्ति का अधिकार ( Right to property )

६—संवृति और शिषा सम्बन्धी अधिकार ( Right to Constitutional Remedies )

इन अधिकारों का विस्तृत विवेचन भारतीय संविधान में किया गया है। यह मुख्य के साथ स्वीकार करना पड़ता है कि हमारे शासकों और अधिकारियों द्वारा इन अधिकारों की कई बार अवहेलना हुई है, जिसकी शास्त्रीयता कई उच्च न्यायालयों के जजों को भी अपने फैसलों में करनी पड़ी है।

### देश-विभाजन

देश विभाजन की कल्पना पर इन गत अभ्यासों में प्रकाश दाख चुके हैं। लंदन में एक साधारण मुस्लिम विचारार्थी के द्वारा किस प्रकार पाकिस्तान की कल्पना का जन्म हुआ और पीछे मि० जिन्ना और मुस्लिम लीग के द्वारा किस प्रकार उसका विकास हुआ इस पर पहले काफी लिखा जा चुका है।

रूस के सर्वाधिकारी स्टाखिन ने अपने सुप्रसिद्ध ग्रन्थ "Marxism and the national and colonial question" में यह लिखलाया है कि किसी देश के सीमास्थित प्रान्तों को केन्द्र से अलग कर पूर्ण स्वायत्त शासन दे देने से उस देश को वास्तव साम्राज्य का भय बढ़ जाता है और उसकी स्वतन्त्रता हमेशा के लिए खतरे में पड़ जाती है। कामरेड स्टाखिन ने अपने उक्त ग्रन्थ में लिखा है कि —

"The demand for the secession of the border regions from Russia as the form that should be given to the relations, between the centre and the border regions must be rejected, not because it

is contrary to the very definition of the establishment of an alliance between the centre and the border regions, but primarily because it is fundamentally opposed to the interests of the peoples both of the centre and the border regions."

अर्थात्, सीमाप्रान्तीय प्रदेशों की रक्षा से जुदा होने की मांग दुबारा देना चाहिए। इसका कारण यह है कि यह न केवल केन्द्रवर्ती शासन और सीमा प्रान्तीय शासन की मंत्री के विरुद्ध है वरन् यह केन्द्रवर्ती और सीमाप्रान्तीय प्रदेशों के हित के भी विरुद्ध है।"

हेरील्ड छास्की ने भारत विभाजन के सवन्ध में अपना मत प्रकट करते हुए लिखा था कि—

"In the present world conditions you cannot have Balkanization of India which complete sovereignty of separate Muslim majority provinces as embodied in the Pakistan demand will mean."

"अर्थात्, ससार की वर्तमान परिस्थितियां में आप भारतवर्ष के बालकन प्रदेश की तरह टुकड़े टुकड़े कर नहीं रह सकते। पाकिस्तान की मांग में प्रस्थित पूर्ण प्रभुता प्राप्त उद्दे मुस्लिम बहुमतवाले प्रान्तों को अलग करने का अर्थ भारत के टुकड़े करना है।

कहने का मतलब यह है कि ससार के विचारशील लोग किसी भी राष्ट्र के विभाजन को उसके लिए महान् अनर्थकारी समझते हैं। क्योंकि इससे देश की स्वतन्त्रता हमेशा के लिए खतरे में पड़ जाती है।

### भारतवर्ष और द्विराष्ट्र-सिद्धान्त

मि० जिन्ना के 'द्विराष्ट्र सिद्धान्त' पर पिछले पृष्ठों में प्रकाश दाखा



जा चुका है। मि० जिन्ना ने मुस्लिमों की मस्जिदों, परम्परा, रीति रिवाज और धर्म की भिन्नता पर जोर देते हुए मुस्लिमों के लिए हिन्दुओं से भिन्न राष्ट्र कायम करने के लिए चार आन्दोलन किया और पाकिस्तान की स्थापना की। पर वास्तव में हिन्दू और मुस्लिम भिन्न भिन्न धर्म के अनुयायी होते हुए भी भिन्न राष्ट्र नहीं थे। भारतीय मुसलमानों की २०% कीसरी जन सख्या में ये लोग हैं जो पहिले से हिन्दू थे, और उनके पूर्वजों की राजनैतिक मजबूरियों के कारण इस्लाम धर्म स्वीकार करने को बाध्य होना पड़ा था। सुप्रसिद्ध इतिहास वेत्ता मोकेतर सुदावण ने लिखा है।

‘Moreover, say what you will, a large number, in fact the largest portion of the Mohamedan population are Hindu converts to Islam’ (quoted by Dr S. Sinha in his some eminent Bihar contemporaries) ’

अर्थात् आप चाहे जो कहें, पर मुसलमानों की अधिकांश संख्या वास्तव में सबसे पड़ी सख्या उन हिन्दुओं की है जो धर्म परिवर्तन कर इस्लाम धर्म के अनुयायी बना लिये गये थे।

पर इन सब इतिहासिक तथ्यों को एक तरफ रख कर मुस्लिम लीग और उसके नेता देश के विभाजन पर अड़ रहे और अन्त में देश का विभाजन हुआ, और उसके साथ ही देश में जो दूरभंग्य पूर्ण जो घटनाएँ घटीं वे मानव इतिहास में सदैव क लिए कब्रक रूपी मानी जावेगी! अब हम देश विभाजन की व्यवहारिक कार्य पद्धति पर कुछ प्रकाश डालना आवश्यक है।

### देश-विभाजन की व्यवहारिक कार्य पद्धति ।

श्री जिन्ना ने पाकिस्तान सीमा की जो ननोसृष्टि की थी, उसमें

पंजाब, उत्तर-पश्चिमीय सीमाप्रान्त, बिजोचिस्तान, अरुघ, बंगाल और आसाम का समावेश होता था। ईस्वी सन् १९४३ की २३ सितम्बर सुखिम लीग के तत्कालीन सेक्रेटरी मि० शियाकतखली खाँ ने भी प्रकार के विचार व्यक्त किये थे। इसके दो वर्ष पश्चात् अर्थात् नवम्बर ईस्वी सन् १९४५ को मि० जिन्ना ने अमेरिका के प्रेसिडियेट्स के संवादाता की वक्तव्य देते हुए प्रकट किया था।

“Geographically Pakistan would embrace all of the north-west India, on the eastern side of India would be the other portion of Pakistan composed of Bengal and Assam provinces.”

“अर्थात् भौगोलिक दृष्टि से पाकिस्तान में सारे उत्तर-पश्चिम हिन्दुस्तान का समावेश हो जाता है। भारतवर्ष के पूर्वीय भाग में पाकिस्तान का दूसरा हिस्सा होगा, जिसमें बंगाल और आसाम का समावेश होगा।”

सुखिम लीग विभाजन की उक्त योजना पर जोर देती रही। उसके नेताओं ने इस योजना के कार्यान्वित नहोने पर भयंकर गृहयुद्ध की धमकियाँ दीं पर इसमें वे सफल न हो सके। पंजाब और बंगाल के हिन्दू बहुमत जिलों और सुखिम बहुमत जिलों को दो विभिन्न गुटों में बाँट कर उक्त दो प्रान्तों के विभाजन की योजना कार्यान्वित करने के लिए तत्कालीन भारत सरकार ने १० जून १९४७ को दो कमीशन मुक़र्रर किये और भारत के दो प्रमुख राष्ट्रनैतिक दलों के नेताओं की सलाह के अनुसार उनको शर्तें निरिषत कर दीं।

पंजाब कमीशन में सर सिद्धिख रैडक्लिफ ( अध्यक्ष ), मि० जस्टिस और सीइयूए, मि० जस्टिस मुहम्मद मुनीर, मि० जस्टिस नेहरचन्द्र महाजन, मि० जस्टिस वेमसिंह ( वेमसिंह ) सदस्य एवं शामिल थे। ज

कि यंगाल कमीशन न अभ्युद्यमशोध्य और मि० जस्टिस सी० कं० मुर्जा, मि० जस्टिस सी० सी० विद्यास, मि० जस्टिस अबू राउफ मुहम्मद अकाम और मि० जस्टिस एस० ए० रहमान शरीफ थे। उक्त गेनों सीमा कमीशन को यह हिदायत दी गई थी कि वे एक दूसरे से लगे हुए मुस्लिम या गैर-मुस्लिम बहुमत वाले प्रदेशों को निश्चित कर उसी आधार पर सीमाओं की रेखा खींचें। उन्हें यह भी आदेश दिया गया था कि ऐसा करने में वे दूसरी बातों का भी ध्यान रखें। इसके अतिरिक्त आसाम के सिक्किम जिले के विवाद प्रस्त प्रदेश के संबंध में सर्व जनमत प्रणय (Plebiscite) का परित्याग यदि उक्त जिले के पूर्वीय जंगल में दिखाये जाने के पश्च में हों तो यंगाल सीमा कमीशन को चाहिए कि वह सिक्किम जिले मुस्लिम बहुमत वाले भागों तथा आसाम से लगे हुए जिलों के परस्पर मिले हुए मुस्लिम बहुमत वाले भागों का भी निर्धारण करे। इन कमीशनों को अपना निर्णय देने से पूर्व इनके उभयों और परस्पर विरोधी विचारों के घने जंगल को पार करना पड़ा। प्रारम्भिक बैठकें हो जाने के बाद सीमा कमीशनों ने विभिन्न राजनैतिक संस्थाओं को अपनी मते और मत पेश करने के लिए निमंत्रित किया और पीछे से सुबे इलाहाबाद में उनके दावों को सुना। भारत की राष्ट्रीय कांग्रेस, मुस्लिम लीग, हिन्दू महासभा और सिक्खों ने विभाजन के संबंध में अपने भिन्न भिन्न वाक्य दिए।

भिन्न भिन्न राजनैतिक दलों के परस्पर विरोधी दावों और मांगों के कारण कमीशनों को निःसन्देह बड़ी जटिल समस्या का सामना करना पड़ा। यंगाल के घने प्रदेश विवाद का विषय बन गये थे। यंगाल के चारह जिलों के दो विभाग बिना किसी विशेष विवाद के गैर मुस्लिम बहुमत वाले और मुस्लिम बहुमत वाले प्रदेश स्वीकार कर लिये गये थे। गैर मुस्लिम बहुमत वाले प्रदेशों में मिदनापुर, बांकपुर, हुगली, हावड़ा, और बर्द्वान थे।

इसके बीपरीत सुरिखम बहुमत वाले प्रदेशों में चटगाच, नीयालादी टिपेरा, झाडा, मैमनसिङ, पचना, और योगरा थे। इनके अतिरिक्त बंगाल के दोष पन्द्रइ जिलों के लिए, तिनमें फलकता भी शामिल था, विरोधी दलों ने अपने अपने दावे पेश किये। इसी तरह पनाय के पाच भागों में से सारा झाहीर, मुजतान और जालन्धर तथा चंबाखा द्विचि रत में रोपर तहसौख का एक भाग भगवे की जड़ बन गए।

स्वय कमीशन के सदस्यों में ही मतभेद होने से कार्य और भी अग्रि हो गया। सर थिरिख रैडक्लिफ ने गवर्नर जनरल को भेजी गई अपनी रिपोर्ट में कहा है कि—

“सदस्यों में परस्पर इतना अधिक मतभेद है कि ‘सीमा निर्धारण’ की समस्या का सर्वसम्मत हल प्राप्त करना असंभव है।” अन्यतथ्यों के अर्थ विपयक मतभेदों के कारण कमीशन के लिए सर्वमान्य हल निकालना असंभव हो गया। ऐसी परिस्थिति में कमीशनों के सदस्यों ने अंत में यह उष किया कि अभ्युच महोदय भारत स्वतन्त्रता पृष्ठ के अन्तर्गत स्वयं अपना निर्णय दें, जो उन्होंने १७ अगस्त १९४७ को प्रकट किया।

### रैडक्लिफ़ महोदय का निर्णय

भारत और पाकिस्तान दोनों की सरकारोंने पहले ही उस निर्णय की श्रमक में जाने की प्रतिज्ञा कर ली थी। चाहे फिर यह निर्णय कुछ भी हो। उद्युसार भारत और पाकिस्तान दोनों ने रैडक्लिफ़ महोदय के निर्णय को निपमानुसार क्रियान्वित करने का निश्चय किया। फिर भी दोनों में से एक भी वह निर्णय से सतुष्ट न हुआ। भारत सरकार के असंतुष्ट होने के विशेष कारण थे। इसलिये उसने घोषित किया कि “यह निर्णय असंतोषजनक और अन्याय पूर्ण होने के कारण

यह योग्य उपायों से इसकी शर्तों में संशोधन कराना चाहती है।  
भारत सरकार का ता० ७ सितम्बर १९४७ का विशेष घोषणा-पत्र  
(Gazette Extraordinary.) }

सीमा-विभाजन के सम्बन्ध में स्वयं कमीशन के सदस्यों में मतभेद था। इससे कार्य और भी जटिल होगया। सर सिरिल रेडक्लिफ ने गवर्नर जनरल को अपनी जो रिपोर्ट भेजी, उसमें इस मतभेद का स्पष्ट उल्लेख था। कमीशन के कुछ सदस्यों का यह मत था कि कमीशन को आसाम का कोई भी मुस्लिम बहुमत वाला प्रदेश या पैसा भूमि खण्ड जो पूर्वीय बंगाल से खगा हुआ हो, आसाम से अलग कर पूर्वीय बंगाल में जोड़ देने का अधिकार प्राप्त था। इस दृष्टिकोण का कारण यह था कि उन सदस्यों ने "आसाम से छगे हुए जिले" इन शब्दों का अर्थ खगाया, 'आसाम के वे जिले जो पूर्वीय बंगाल से जुड़े हुए हों।'

दूसरों का यह मत था कि आसाम के हिस्सों को उससे अलग कर पूर्वीय बंगाल में मिला देने का कमीशन को दिया गया अधिकार सिद्ध नहीं था तथा उससे छगे हुए आसाम के अन्य परस्पर जुड़े हुए मुस्लिम बहुमत वाले प्रदेशों (यदि कोई हों) तक ही सीमित था। अर्थात् महोदय इस दूसरे दृष्टिकोण से सहमत थे। बहुत वाद-विवाद के बाद अन्त में कमीशन ने यह निर्णय किया कि उसका काम सिद्धांत और उससे छगे हुए आसाम के जिलों को, मुस्लिम और गैरमुस्लिम बहुमत वाले (एक दूसरे से छगे हुए) प्रदेशों के आधार पर, पूर्वीय बंगाल और आसाम के बीच में बांट देना है।

सर सिरिल रेडक्लिफ का यह क्या था कि सिद्धांत का विभाजन करने के लिए कुछ भू-भागों को अदक-बदक होना आवश्यक है। इस लिए उन्होंने जिले के बीच से एक रेखा खींच दी और पूर्वीय बंगाल के

नये प्रान्त को इस रेखा के उत्तर और पश्चिम के प्रदेश देना निश्चित किया। फिर भी भारत और पाकिस्तान की सरकारों सिलहट जिले सम्बन्धी रैडक्लिफ निर्णय के धर्म के बारे में सहमत नहीं हुई और यह मामला अभी तक संयुक्त सीमा-कमिशन के बाद-विवाद का विषय बना हुआ था। हालाँकि मैं भारत सरकार ने इस निर्णय के अनुसार पाकिस्तान में गये हुए कुछ प्रदेश के वापस मिलने की मांग की है।

मुस्लिम लीग ने यूनियन और सब डिविजन के आधार पर दो नकशे तैयार किये और भागीरथी तथा ब्राह्मणी नदियों को सीमा रेखा मान लेने की मांग पेश की। वास्तव में उसने बर्दवान जिले को छोड़ कर लगभग सारे पूर्वी बंगाल के प्रान्त की मांग की। इसके विपरीत कांग्रेस ने पश्चिमी बंगाल के लिए कुल ७७,४४२ वर्गमील में से ४२,१४४ वर्गमील क्षेत्रफल के प्रदेश की मांग की। हिंदू महासभा ने इस में फरीदपुर और मालदा जिलों के-कुछ और भी हिस्से मागे। किन्तु रैडक्लिफ निर्णय में पुराने बंगाल प्रान्त का लगभग ३२-४ प्रतिशत क्षेत्रफल और ३२-९ प्रतिशत जन-संख्या पश्चिमी बंगाल को देना निश्चय किया गया। बंगाल की कुल मुस्लिम जन-संख्या में से १६-०६ प्रतिशत पश्चिमी बंगाल में और ८३-६४ प्रतिशत पूर्वी बंगाल में रही, जबकि बंगाल के इन दोनों भागों में गैर मुस्लिम जनता क्रमशः २८-२२ और ४१-७८ प्रतिशत थी। सारा बर्दवान डिविजन और राजशाह डिविजन का दार्जिलिंग जिला पश्चिमी बंगाल में शामिल किये गये। नदिया, जेतोर, दीनाजपुर, जलपाईगुड़ी और मालदा के पाच जिले दोनों प्रान्तों के बीच में बाँट दिये गये।

### पंजाब—

पंजाब के संबंध में कांग्रेस, मुस्लिम लीग और सिक्खों की मांगें बहुत ही भिन्न भिन्न प्रकार की थीं। कांग्रेस ने अपनी मांगें सिक्खों के

सांस्कृतिक और धार्मिक जीवन की रक्षा, युद्ध और पाठ्य भाषाओं से गुराघात तथा आर्थिक सुगमता आदि के विचारों के आधार पर ही थी। इस लिए उसने पूर्वीय पंजाब के लिए घिनाव नदी से पूर्व के भाग के लिए मांग पेश की। इसके अतिरिक्त शिवलों ने अपने पवित्र मंदिरों की रक्षा की आवश्यकता पर जोर दिया तथा कांग्रेस द्वारा मांगे हुए हिस्सों में उन्होंने मीठगोमरी और छायाबजपुर के जिले तथा मुल्तान डिविजन के खानासल, विहारी और नैसली सब डिविजन भी जोड़ दिये। इसके विपरीत मुस्लिम लीग ने न केवल रावलपिटी, मुल्तान और लाहौर के तीन डिविजनों की मांग की, किन्तु जालंधर और अंशाला डिविजनों की कई तहसीलें भी मांगी। पश्चिमी पंजाब के उस हिस्से की, जिसके लिए मुस्लिम लीग ने अपना दावा पेश किया था, कुछ जनसंख्या २ करोड़ ४४ लाख थी, जिसमें से ६६-८६ प्रतिशत मुसलमान थे। अभ्युच्च मद्देन्या के कथनानुसार एक और प्यास और सतलज तथा दूसरी ओर रावी नदी के बीच का प्रदेश ही वास्तव में विवाद का मुख्य विषय था। नहरों तथा सड़कों और रेलों के जाल के कारण, जो लाहौर और अमृतसर की भौतिक स्थिति के कारण वहाँ धीरे धीरे विकसित हुआ था, सीमानिर्धारण का कार्य अत्यन्त कठिन हो गया।

फिर भी रैड मिज़क-निर्णय में एक रेखा खींच दी गई, जिसके परिणाम स्वरूप १३ जिले, जिन में पूरे जालंधर और अंशाला डिविजन, लाहौर डिविजन का अमृतसर जिला, गुरदासपुर जिले की तीन तहसीलें (पाठनकोट, गुरदासपुर और बतुआला (Batala) तथा लाहौर जिले की कमूर तहसील का एक हिस्सा शामिल थे, पूर्वीय पंजाब को देना निश्चित हुआ।

### सचाचार पत्रों की समालोचनाएँ

भारतीय समाचार पत्रों ने रैड मिज़क-निर्णय की खरी-पीड़, व्यासोचना, पात्रार पत्रिका" ने उसे "झोटे हुए विदेशी साम्राज्यवाद

क द्वारा हिन्दू और मुसलमानों को लगाई गई खात" कहा। "हिन्दुस्तान स्टैंडर्ड" ने उसे 'अत्यंत असंगत, अनियमित और स्वेच्छाचार पूर्ण' कह कर उसकी तीव्र निंदा की। "हिन्दू" ने लिखा कि 'यह गैर मुस्लिमों के लिए अन्याय पूर्ण है'। श्री प्रेस जनरल ने लिखा—'यह समाज में नहीं आता कि सर रेडक्लिफ ने अपना निर्णय ऐसी गैर जिम्मेदारी के साथ क्यों दिया। इस निर्णय ने तो शान्त की जनसंरचनात्मक रचना के सिद्धान्त को ही, जो विभाजन का आधार था, बदल दिया है। इसकी सारी जिम्मेदारी सीमा कमीशन के दूसरे सदस्यों पर है, जिन्होंने अपने मतभेदों के कारण अध्यक्ष महोदय की पूर्वधारणाओं और मिथ्या कल्पनाओं को सुल कर खेचने का अवसर दिया है।' लीडर के मतानुसार 'यह निर्णय बंगाल और पंजाब के हिन्दुओं के लिए उसी तरह अन्यायपूर्ण है, जैसे कि ब्रिटिश शासन सत्ता के पिछले सभी निर्णय रहे हैं।' मुस्लिम लीग के पत्र 'दान' ने भयानक 'सीमा विपरीत हत्या' शीर्षक सपादकीय लेख से लिखा कि पाकिस्तान एक अन्यायपूर्ण निर्णय और लज्जास्पद पत्रपात के कारण ऐसे व्यक्ति से डगा गया है, जिस से उद्वेग होने के कारण न्याय की भागा की गई थी।' किन्तु इन सब विरोधों के होते हुए भी सभी इस बात पर सहमत थे कि कम से कम अभी तो शान्ति पूर्वक इस निर्णय को स्थोकार कर लेना चाहिए और पीछे से आपस में बातचीत के द्वारा आवश्यक परिवर्तन होते रहने।

## कमीशन के निर्णय से असन्तोष

यद्यपि देश में शान्ति स्थापना की दृष्टि से राष्ट्र नेताओं ने रेडक्लिफ कमीशन के निर्णय को स्वीकार कर लिया था, पर उससे किसी २ मसुदाय को सन्तोष न हुआ। बंगाल के हिन्दुओं की शिकायत थी।—यह निर्णय के अन्तर्गत पश्चिमीय बंगाल का लगभग ४००० वर्गमील क्षेत्र एक कठ हो गया है। उन्होंने मुजना के, जो एक हिन्दू बहुमत



वाजा शिला था, पूर्वीय बंगाल में मिला दिये जाने का विरोध किया। अरगांव के पहाड़ी इलाकों के, जिनकी ६७ प्रतिशत जनता गैर-मुस्लिम थी, जिन जाने पर खोब प्रकट किया। बांग्लादेश और ब्रह्मप्रादेशीय के जिलों को शेष पश्चिमी बंगाल से विच्छिन्न अलग होजाना भी उनके अभिप्राय का कारण था। इस निर्णय के परिणाम स्वरूप जनसंख्या का आयन्त अन्यायपूर्ण विभाजन हुआ। क्योंकि जहाँ कुछ मुस्लिम जनसंख्या का १६% भाग पश्चिमी बंगाल में रह गया था, वहीं पूर्वीय बंगाल में हिन्दुओं तथा अन्य गैर मुस्लिमों की जन संख्या का ४२% भाग पूर्वीय बंगाल में रहा, अर्थात् पश्चिमीय बंगाल में जितने मुसलमान थे उससे लगभग तिगुन अर्थात् ३२% हिन्दू तथा गैर मुस्लिम पूर्वीय बंगाल में रहे। दूसरे शब्दों में यों कहिए कि पूर्वीय बंगाल में यद्यपि हिन्दू अल्प संख्या में थे, पर फिर भी उनकी और मुसलमानों की संख्या में नाम मात्र का ८% प्रतिशत अन्तर था। इसके विपरीत पश्चिमीय बंगाल में मुसलमान बहुत ही अधिक अल्पमत में थे, अर्थात् उनकी और हिन्दुओं की संख्या में ८७% का फर्क था। यह विषय भी तीव्र आलोचना का विषय बन गया था।

मुसलमानों को रेडक्लिफ निर्णय से इतना अधिक खाम होजाने पर भी सन्तोष न था। फखरुल्ला, मुर्शिदाबाद और नदिया के कुछ दिस्तों के यपन हाथ से निकल जाने का उन्हें बड़ा अफसोस था। उन्होंने यहाँ तक धमकी देरी थी कि अगर पाकिस्तान सरकार ने पाकिस्तान की सीमा विषयक इत्या की स्वीकार भी कर लिया तो जनता उसे कदापि स्वीकार न करेगी।

कहने का मतलब यह है कि रेडक्लिफ निर्णय ने किसी दल को सन्तुष्ट न किया। उसने हिन्दुओं पर घोर अन्याय किया। इतना ही नहीं उसने प्रान्त की आर्थिक व्यवस्था पर तथा रेलों और सड़कों के याता

यात के साधनों पर भी, गिनका केन्द्र कलकत्ता नगर था और जो एक संयुक्त आधार पर बने हुए थे, कुठाराघात किया।

इस विभाजन से सारा औद्योगिक यन्त्रालय पश्चिमीय यन्त्रालय के अन्तर्गत आगया। जूट, रूई, शक्कर, खोड़ा, फौख़ाद, तथा कागज़ के कारख़ाने पश्चिमी बंगाल में रह गये। इसके अतिरिक्त कोयले, छोटे धौरे अन्य खनिजों की खानें पश्चिमी बंगाल के हिस्से में आईं।

इसके विपरीत गन्ना, पाट, सरसों और सम्भवतः चायख़ की फसलों दृष्टि से वह घाटे में रहा।

अब पूर्वीय बंगाल की बात लीजिए। कृषि के विचार से पश्चिमीय बंगाल की अपेक्षा उसकी स्थिति अधिक उत्तम है। उसका कृषि प्रदेश पश्चिमीय बंगाल की अपेक्षा लगभग दूना है। वह बंगाल के कुल जूट का ७० प्रतिशत उत्पन्न करता है। उसमें हुगली के अतिरिक्त सभी बड़ी नदियाँ हैं। वहाँ पश्चिमी बंगाल की अपेक्षा अधिक वर्षा होती है और यहाँ सिंचाई की सुविधाएँ भी अधिक उत्तम हैं। इस प्रकार वहाँ की भूमि पश्चिमी बंगाल की अपेक्षा अधिक उर्वर और उपजाऊ है। पड़ी हुई चजड़ (ऊसर) भूमि का अनुपात तुलनात्मक दृष्टि से कम है। जहाँ पश्चिमी बंगाल में शहरी जनसंख्या अधिक है, जहाँ के लगभग २२ प्रतिशत लोग शहरों में रहते हैं वहाँ पूर्वीय बंगाल में यह संख्या केवल ४ प्रतिशत है।

शिक्षा और संस्कृति की दृष्टि से पश्चिमी बंगाल अधिक सम्पन्न (समृद्ध) है। कलकत्ता विश्वविद्यालय, विश्वभारती, कलकत्ता मेडिकल कॉलेज, बंगाल इन्जीनियरिंग कॉलेज आदि सुप्रसिद्ध शिक्षण संस्थाएँ तथा संस्कृति के केन्द्र इन्हीं पान्तमें हैं। कलकत्ता बंगाल प्रांत का सबसे बड़ा नगर है। यह एक बहुत बड़ा व्यापार-व्यवसाय का केन्द्र और अत्यन्त भव्य नगर है। यहाँ सस

के सभी देशों के लोग दिखाई पड़ते हैं। पूर्वीय बंगाल ने अपने हुए शरणार्थियों और अतिरिक्त सरकारी नौकरों के कारण पश्चिमी बंगाल की कठिनाईयों बहुत बढ़ गई थी और अब उन लोगों के लिए भोजन, मकान, नौकरी आदि की व्यवस्था करने की बड़ी भारी समस्या पश्चिमी बंगाल के सामने खड़ी हो गई थी।

भौगोलिक सहति की दृष्टि से पश्चिम बंगाल को रेडक्लिफ-निर्णय से भारी नुकसान हुआ है। उसके दो टुकड़े हो गये। इससे उनका और आसाम के साथ का सीमा सम्पर्क असंभव हो गया है और इस सीमा के प्रदेश के गाताघाट के साधनों की नवीन व्यवस्था अत्यंत आवश्यक हो गई। बाहर के व्यापारियों से रक्षा की दृष्टि से पूर्वीय बंगाल पर अधिक भारी निम्मेदारी आ पड़ी। क्यों कि वह सब तरफ विदेशी सीमाओं से घिरा हुआ है और पश्चिमी पाकिस्तान से केवल समुद्र और आकाश-मार्ग से ही जुड़ा हुआ है।

### पंजाब में जनता की प्रतिक्रिया:—

पंजाब की गैर-मुस्लिम जनता और विशेष रूप से सिक्खों में इस निर्णय ने घोर असंतोष उत्पन्न किया, क्योंकि इससे उनका जातीय सुसंगठन दृष्ट-भिन्न हो गया। वे अपने पवित्र मंदिरों और धार्मिक स्थानों से वंचित हो गये तथा शेखपुरा, जालंधर और मोंटगोमरी की नहरों की बस्तियाँ (Canal colonies) और खगमग अधिा मजहा-जो सिक्खों की मातृभूमि है—उनके हाथ से जाते रहे। इन नहरों की बस्तियों को उन्होंने अपने पचास वर्ष के अथक परिश्रम से तैयार किया था। इस निर्णय ने प्रान्त के १९४४ के आधार पर विभाजन कर उन लोगों की मांग की भी सर्वथा उपेक्षा की। इसी तरह हिन्दू लोग भी खाड़ी और उसके आसपास के जिलों के अपने हाथ से चले जाने के कारण अत्यंत असंतुष्ट हुए, क्योंकि यह प्रदेश उनकी, खेती-बाड़ी, सामा-

जैक और राजनैतिक कार्य-रूपाय तथा व्यापार, बीमा कंपनियों और बैंकों का केन्द्र था। मुसलमानों ने भी अपनी ओर से इस बात के खिलाफ़ धावाज़ उठाई कि मंडी हाइड्रो-इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट पश्चिमीय पंजाब के ही हाथ में न रही और प्रकल्पित पश्चिमीय पंजाब की (...:.....) चार' तेहसीलों भी उससे छेड़गे कर दी गईं और उनके बदले में कोई भूमि पश्चिमी पंजाब को न दी गई।

विभाजन के परिणामस्वरूप पूर्वीय पंजाब को संयुक्त पंजाब की पाच नदियों में से तीन पर अधिकार प्राप्त हो गया तथा पूरे प्रान्त की लगभग ४२ प्रतिशत जनसंख्या, ३८ प्रतिशत क्षेत्रफल, और ३१ प्रतिशत आम-दनी उसका हिस्से में आई। इसके विपरीत पश्चिमी पंजाब में लगभग २२ प्रतिशत जनसंख्या, और ६२ प्रतिशत क्षेत्रफल सम्मिलित हुआ और पुराने प्रान्त की लगभग ६६ प्रतिशत आमदनी पर उसका अधिकार हो गया। संयुक्त पंजाब की मुख्य मुख्य नहरें, नहरों से सिंचित उपजाऊ भूमि का करीब ७० प्रतिशत भाग और उसमें होनेवाली भारी आय पश्चिमीय पंजाब को मिली। उसे प्रधान जगह, खनिज पदार्थ और रबड़ के सामान, दाक़्तरी और फ़ाद के औज़ार तथा खेल के सामान आदि के कारख़ाने प्राप्त हुए। शौशम क पेड़ और प्रान्त के यातायात के संयुक्त साधनों का बहुत बड़ा भाग उसके हिस्से में आया। प्रान्त का एक मात्र विश्वविद्यालय, प्रधान शिष्य-संस्थाएं, अस्पताल तथा खेतीबाड़ी और शिल्प सर्वंधी संस्थाएं प्राप्त करने का उसे सौभाग्य मिला। इस कारण पश्चिमी पंजाब तुलनात्मक दृष्टि से अधिक बढ़ा, समृद्ध और घनाय पैदा करने वाला प्रान्त है और यहाँ जनसंख्या का घनत्व प्रति मील केवल २२२.२ है जब कि पूर्वीय पंजाब में ३३८ है।

१ विभाजन के बाद सामूहिक रूप में लोगों के स्थानान्तरित होने (देशान्तरगमन) के कारण पूर्वीय पंजाब में मजदूरी और सामान की

कमी हो गई और पश्चिमी पंजाब को शिवर, व्यवसाय और शिक्षण संग्घ-वी प्रतिभा की प्रति हुई । घनेक प्रकार के उद्योगों के संघर्ष में ऐसा हुआ कि जगमग सारी श्रमिक जनता एक ओर चली गई जब कि व्यापारी, उद्योगपति और विक्रेता आदि दूसरी ओर चले गये । इस प्रकार दोनों प्रांतों को नुकसान हुआ, किन्तु छोड़कर चले जाने वाले गैरमुस्लिम लोगों की विशाल स्थावर जंगम संपत्ति, उपजाऊ भूमि, कारखाने और व्यापारिक पेटियाँ पश्चिमी पंजाब को प्राप्त होने से उसे अधिक लाभ रहा ।

पूर्वी पंजाब को अपना नया जीवन अत्यन्त कठिन परिस्थितियों में आरम्भ करना पड़ा । राजधानी के श्रम व में प्रान्तीय मंत्री-मदल के खिये योग्य स्थान निश्चित करने में वही कठिनाई हुई । व्यापक अल्पवस्था और वचित पातायात राधनों क अभाव के कारण कभी कभी प्रान्त की सारी शासन-व्यवस्था क उच्छिद्य हो जान का भय प्रतीत होन लगा । कानून और व्यवस्था की क्रायम भ्रने वाले सहकर्मों को भी भारी धक्का पहुँचा । पुलिस क सुसज्जमान नौकरों ने, जो संख्या में १० प्रतिशत थे, शुरु से ही स्पष्ट रूप से अगना विरोध प्रकट किया और अन्त में सरकार का साथ छोड़ दिया । पूर्वीय पंजाब की सरकार को, पश्चिमी पंजाब से सामूहिक रूप में आनेवाली विशाल जनसङ्घा और अतिरिक्त सरकारी नौकरों क वही चले आने के कारण भयंकर उधल पुधल का सामना करना पड़ा । इसके अतिरिक्त सुसज्जमान किसानों के प्रान्त छोड़ कर चले जाने से तथा दगों से होने वाली आर्थिक हानि के कारण प्रान्त की आमदनी में भारी घाटा हुआ । कुछ बातों में दोनों प्रान्तों पर विभाजन के एकस असर हुए हैं । पुलिस का खर्च बढ़ जाने के सिवा दोनों प्रांतों को जनता को स्थानान्तरित करने और लाखों शरणार्थियों को पीड़ा बसाने और उनको आराम पहुँचाने के कार्य में बड़ा भारी खर्च करना पड़ रहा है । दोनों प्रान्तों में कौमी दगे हुए भारी मार,

काट मची। रेलवे लाइनें, तार चाँद्री काट डाले गये। व्यापार बर्बाद हो गया तथा लोगों के जान माख का भारी हानी हुई। स्वतंत्रता के स्वर्ण-प्रभाव में ही उत्पात खड़े हो गये तथा गरीब, अमीर, स्त्री, पुरुष, दलितों सब का सम्मिलित कल्याण फूटन सुराई पकने लगा! यह सब धार्मिक और साम्प्रदायिक जोश के अन्धे पागलपन का परिणाम था, जिसका बीज 'दो राष्ट्र' वाले विपाक सिद्धान्त के द्वारा बोया गया था।

## साम्प्रदायिक-उपद्रव

देश विभाजन के बाद लोगों को यह आशा हो चली थी कि मुस्लिम लोग को उसकी स्वमसृष्टि का पाकिस्तान मिल गया है और इसलिये अब साम्प्रदायिक उपद्रवों का अन्त हो जायगा। उभय देशों में हिन्दू और मुसलमान दोनों प्रेम से रहने लगेंगे। पर लोगों की यह आशा दुःशा में परिणित हुई। हाँ, भारत में महात्मा गांधी अपनी सारी शक्ति खर्च करके हिन्दू-मुस्लिम एकता कायम करने का प्रयत्न करते रहे। उन्होंने प्रार्थना के समय अपने दिष्ट गये भाषणों में हिन्दुओं से बार बार यह अपील की कि वे अत्याचार का बदला अत्याचार से न लें, वरन् वे भारत में रहने वाले मुसलमानों को अपना भाई समझकर उनकी जान और माख की रक्षा करें। मानवता के इसी महान् उद्देश्य की रक्षा के कारण उन्हें अपने प्राणों से हाथ धोना पड़ा!

कहने का मतलब यह है कि जहाँ भारत के सर्व प्रधान नेता मानवता के महान् सिद्धान्त का सन्देश दे रहे थे, वहाँ मुस्लिम-खीम के नेता 'द्विराष्ट्र सिद्धान्त' को लेकर देश में घोर हिंसा का प्रचार कर रहे थे।

स्वतंत्रता प्राप्ति के दूसरे ही दिन अर्थात् १६ अगस्त १९४६ को मुस्लिम-खीम ने "सीधी कार्यवाही" की घोषणा करदी। इससे सारे देश में जो उत्पन्न और अत्याचार हुए, उसका उदाहरण इतिहास में मिलना

भरी हो गई और परिचमी पंजाब को शिवर, व्यवसाय और शिक्षा सम्बन्धी प्रतिभा की प्रति हुई। अनेक प्रकार के उद्योगों के संरक्ष में ऐसा हुआ कि लगभग सारी अमिक जनता एक ओर चली गई जब कि व्यापारी, उद्योगपति और विक्रेता आदि दूसरी ओर चले गये। इस प्रकार दोनों प्रान्तों को नुकसान हुआ, किन्तु छोड़कर चले जाने वाले गैरमुस्लिम लोगों की शिक्षा स्थावर जंगम संपत्ति, उपजाऊ भूमि, कारखाने और व्यापारिक पेटियों पश्चिमी पंजाब को प्राप्त होने से उसे अधिक लाभ रहा।

पूर्वी पंजाब को अपना नया जीवन अत्यन्त कठिन परिस्थितियों में आरम्भ करना पड़ा। राजधानी के अभाव में प्रान्तीय मंत्री-मंडल के बिना योग्य स्थान निर्मित करने में यही कठिनाई हुई। व्यापक अव्यवस्था और उचित यातायात साधनों का अभाव के कारण कभी कभी प्रान्त की सारी शासन-व्यवस्था के उच्छिन्न हो जाने का भय प्रतीत होने लगा। कानून और व्यवस्था की कायम रखने वाले महकमों को भी भारी धक्का पहुँचा। पुलिस के सुसज्जमान नौकरों ने, जो संख्या में ६० प्रतिशत थे, शुरू से ही स्पष्ट रूप से अग्ना विरोध प्रकट किया और अन्त में सरकार का साथ छोड़ दिया। पूर्वी पंजाब की सरकार को, परिचमी पंजाब से सामूहिक रूप में आनेवाली विशाल जनसंख्या और अतिरिक्त सरकारी नौकों के वही खर्चे खाने के कारण भयंकर उधल पुधल का सामना करना पड़ा। इसके अतिरिक्त सुसज्जमान किसानों के प्रान्त छोड़ कर चले जाने से तथा दसों से होने वाली आर्थिक हानि के कारण प्रान्त की आमदनी में भारी घाटा हुआ। कुछ बातों में दोनों प्रान्तों पर विभाजन के एकसे असर हुए हैं। पुलिस का खर्च बढ़ जाने के सिवा दोनों प्रान्तों को जनता को स्थानान्तरित करने और खाली शरणार्थियों को पीछा बसाने और उनको आराम पहुँचाने के कार्य में बड़ा भारी खर्च करना पड़ा है। दोनों प्रान्तों में कौमी दंगे हुए, भारी मार-

काट मची। रेलवे लाइनों, तार क्रांति काट डाले गये। व्यापार बर्बाद हो गया तथा लोगों के जान माल की भारी हानी हुई। स्वतंत्रता के स्वर्ण-प्रभात में ही उत्पात श्रवण हो गये तथा गरीब, अमीर, स्त्री, पुरुषों, बच्चों सब का सम्मिश्रित करण क्रन्दन सुनाई पड़ने लगा ! यह सब धार्मिक और साम्प्रदायिक झगडा के अन्धे पागलपन का परिणाम था, जिसका बीज 'दो राष्ट्र' वाले विपाक सिद्धान्त के द्वारा बोया गया था।

## साम्प्रदायिक-उपद्रव

देश विभाजन के बाद लोगों की यह आशा हो चली थी कि मुस्लिम लीग को उसकी स्वप्नचूषि का पाकिस्तान मिल गया है और इसलिये अब साम्प्रदायिक उपद्रवों का अन्त हो जायगा। उभय देशों में हिन्दू और मुसलमान दोनों प्रेम से रहने लगेंगे। पर लोगों की यह आशा दुःखसा में परिणित हुई। हाँ, भारत में महात्मा गांधी अपनी सारी शक्ति खर्च करके हिन्दू-मुस्लिम एकता कायम करने का प्रयत्न करते रहे। उन्होंने प्रार्थना के समय अपने दिष्ट गये भाषणों में हिन्दुओं से बार बार यह आशीर्वाद की कि वे अत्याचार का बदला अत्याचार से न लें, वरन् वे भारत में रहने वाले मुसलमानों को अपना भाई समझकर उनकी जान और माल की रक्षा करें। मानवता के इसी महान् उद्देश्य की रक्षा के कारण उन्हें अपने प्राणों से हाथ धोना पड़ा !

कहने का मतलब यह है कि जहाँ भारत के सर्व प्रधान नेता मानवता के महान् सिद्धान्त का सन्देश दे रहे थे, वहाँ मुस्लिम-लीग के नेता 'द्विराष्ट्र सिद्धान्त' को लेकर देश में घोर हिंसा का प्रचार कर रहे थे।

स्वतंत्रता प्राप्ति के दूसरे ही दिन अर्थात् १५ अगस्त १९४७ को मुस्लिम-लीग ने "सीधी कार्यवाही" की घोषणा करदी। इससे सारे देश में जो रक्तपात और अत्याचार हुए, उसका उदाहरण इतिहास में मिलना



मुश्किल है। सबसे पहले यह आग कलकत्ते में भड़की और इसके परिणाम स्वरूप हजारों नागरिकों की प्रवृत्ता-पूर्वक हत्या की गई! मुस्लिम लोग की सीधी कार्यवाही ने कलकत्ते में दो दिन तक भय और अत्याचार का साम्राज्य कायम कर दिया! कलकत्ते के सुप्रसिद्ध पद्मचो-इन्डियन पत्र Statesman ने १८ अगस्त १९४६ के अंक के अपने सम्पादकीय लेख में लिखा था कि:—

“It was obvious from an early hour, that some of those who were set on disrupting the city's peace were privileged. The bands of ruffians rushing about in lorries, stopping to assault and attack and generally spreading fear and confusion, found the conveyances they wanted. On a day when no one else could get transport for their lawful avocations, these men had all they wanted; it is not a ridiculous assumption that had been provided for in advance.”

अर्थात् प्रातःकाल से ही यह स्पष्ट था कि जो लोग शहर की शान्ति भंग करने पर उतारू हो रहे थे, उनमें से कुछ लोग ऐसे थे जिन्हें विशेष अधिकार प्राप्त थे। बदमाशों के झुन्ड के झुन्ड कारियों में इधर उधर चारों ओर चक्कर काट रहे थे और वे जहाँ तहाँ अपनी कारियों की रोक कर लोगों पर आक्रमण कर भय, भ्रातंक और व्यथता फैला रहे थे। इन्हें अपनी इच्छानुसार वाहन मिल जाते थे। जिस दिन किसी की भी अपने उचित कार्य के लिए सवारी मिलना असम्भव था, उस दिन इन आदमियों को जो कुछ वे चाहते थे सब मिल जाता था। यह अनुमान करना असंभव न होगा कि उन्हें पहले से ही सारी सामग्री दे दी गई थी।

स्टेट्समैन के उक्त उद्घरण से मुस्लिमलीग की शरारतभरी कार्यवाही पर काफ़ी प्रकाश गिरता है। यहाँ यह ध्यान में रखना चाहिए कि जिस समय यह राक्षसी काण्ड हो रहा था उस समय बंगाल में मुस्लिमलीग का मंत्रिमंडल था, जिसने मुख कर गुन्डों की मदद की और उन्हें हिन्दुओं पर आक्रमण और विविध प्रकार के अत्याचार करने के लिए अप्रत्यक्ष रूप से प्रेरित किया।

क्रिया की प्रतिक्रिया होना प्राकृतिक नियम है। दो तीन दिन के बाद हिन्दुओं ने भी अपना सगठन किया और उन्होंने गुन्डों का दृढ़ मुकाबला किया। पीछे जाकर उन्होंने अपनी आत्मरक्षा करते हुए इन गुन्डों की मरम्मत भी की।

### बंगाल के अन्य जिलों में उपद्रव

कलकत्ते के कुछ समय बाद मुस्लिमलीग ने पूर्वीय बंगाल और मेघालायी में अपनी सीधी कार्यवाही (Direct Action) का दौरा शुरु किया। रक्तपात, लूटखसोट, आगज्जी, छियों का सतीत्व हस्त, जबरदस्ती धर्म-परिवर्तन की अत्याचार पूर्ण कार्यवाहियाँ शुरु हो गईं। चारों ओर हाहाकार मच गया! इन अत्याचारों के सम्बन्ध में भारत सरकार द्वारा प्रकाशित After Partition नामक ग्रन्थ में लिखा है:—

Some time after the great Calcutta Killing, the champions of Direct Action were active in a quiet and peaceful districts of East Bengal, Noakhali, where the Hindus were a mere handful, barely 18% of the total population. The depredation started on October 10, 1946, and over 700

villages including some in the bordering district of Tipperah and Sandwip Island in the Bay of Bengal were subjected to looting and arson. Forcible conversion, abduction and rape of women completed the tragedy. The attack was launched at the same time on the same day and in the same fashion on all the main villages, large mobs armed with deadly weapons, in many cases fire arms, surrounded the localities where the Hindus lived

अर्थात् कलकत्ते के महान् हत्याकाण्ड के कुछ समय के बाद 'सी रो कार्यवाही' के योद्धाओं ने पूर्वीय बंगाल, नोआखाली, जहां हिन्दुओं की सख्या मुट्टी भर अर्थात् १८ की सदी थी, अपनी गतिविधि प्रकट की। १० अक्टूबर १९४६ को लूटमार आरम्भ हुई। सात सौ गांवों में, जिनमें टिपारा और संद्वीप जैसे बंगाल की खाड़ी के सीमावर्ती द्वीप भी सम्मिलित थे, लूटमार और आगजनी का दौरा दौरा हो गया। बलात्कृत, धर्म परिवर्तन, स्त्रियों का अपहरण, बलात्कार, आदि ने इस दुःखान्तक नाटक की पूर्ति की। यही यह बात ध्यान में रखना चाहिए कि एक ही समय में सब ग्रामों में एक साथ हमले हुए। इपियार बन्द लोगों के बड़े बड़े कुन्डों ने घातक इधियारों और आग्नेयास्त्र अर्थात् बन्दूकों के साथ गांवों के उन सब मुहर्कों को घेर लिया, जहां हिन्दू बसे हुए थे।

उपरोक्त अवतरण से पाठकों को उन शरहसो आथाचारों का ज्ञान होगा जो उस समय निर्दोष हिन्दुओं पर किए गए थे। सैकड़ों हजारों हिन्दुओं की निर्मम हत्याएं की गईं! सैकड़ों स्त्रियों का सतीत्य अपहरण किया गया और उनकी तरह तरह से बेइज्जती की गईं। हिन्दुओं के घर जलाए गए और उनकी सम्पत्ति लूटी गई। छोटे छोटे बच्चे भी इन आतताइयों की दुष्टता के शिकार हुए। हिन्दुओं में धारों और हाहाकार मच गया

और जिस सरकार ( मुस्लिम लीगी सरकार ) को और वे अपने रक्षा के लिए देख सकते थे, वह उनकी रक्षा की प्रार्थना भएक सिद्ध हुई। विनाश, लूटमार, बलावहार और आगजनी की घटनाओं से सारा वायुमंडल परिशुद्ध हो गया।

इन दारुण दृश्यों की कथा सुनकर मानवता के अग्रतार महात्मा गांधी का हृदय द्रवोभूत होगया। वे पूर्वार्थ समाज पहुँचे और उन्होंने गोधराखी जिले का, अपने कुछ साथियों के साथ, नगे पैर दौरा किया। वहाँ हमें यह स्वीकार करना चाहिये कि महात्मा गांधी की रक्षा के लिये तत्कालीन मुस्लिम लीग के प्रधान मंत्री ने योग्य प्रयत्न किया। महात्मा गांधी के व्यक्तित्व का प्रभाव उन सकटग्रस्त जिलों की जनता पर आवश्यक पैदा, और वहाँ के वायुमंडल में कुछ सुधार अवश्य हुआ।

### बिहार में साम्प्रदायिक उपद्रव

क्रिया की प्रतिक्रिया होना, यह प्रकृति का अटल नियम है। ईस्वी सन् १८६५ में दक्षिण प्रदेश में हिन्दू मुस्लिमों के जो दंगे हुए थे, उनके कारणों और उपायों पर प्रकाश डालते हुए लोकमान्य तिलक ने अपने सुप्रसिद्ध पत्र 'केशरी' में एक लेखमात्रा प्रकाशित की थी, जिसमें उन्होंने हिन्दू मुस्लिम समस्याओं पर राजनैतिक दृष्टि से बहुत ही गम्भीर और वास्तविक प्रकाश डाला था। वे कोरे आदर्शवाद के गगन-मदक में न उड़े, पर वास्तविकता की कठोर भूमि पर खड़े रहकर उन्होंने समस्याओं का विश्लेषण किया था। उन्होंने इस क्रिया प्रतिक्रिया पर भी व्यापारिक और कानूनी दृष्टि से विचार करते हुए यह दिखलाया था कि मूल अत्याचार कर्ता जितना अपराधी होता है, उतना वह व्यक्ति नहीं होता जो अपने पर या अपने समाज पर किए गए अत्याचारों का प्रतिक्रिया के रूप में बदला चुकाता है। यद्यपि इसमें भी अत्याचार और ज्यादतियाँ होती हैं। जितका न्याय और मानवता की दृष्टि से समर्थन नहीं किया जा सकता।

दूसरी बात यह है कि हममें मूल अपराधी पक्ष जाते हैं और कई निपराध मनुष्यों को बेजब एक समाज विशिष्ट के सदस्य होने के कारण दुःख और कष्ट उठाने पड़ते हैं ।

जगल में हिन्दुओं पर जो भयकर अत्याचार हुए, उनकी प्रतिक्रिया बिहार में हुई, जहाँ कि हिन्दुओं की बहु संख्या है । वहाँ हिन्दुओं ने बंगाल का बदला चुकाने के लिये मुसलमानों पर आक्रमणार्थ किये । हिंसा क्रान्त भी हुए । पर बिहार के अति सम्माननीय और प्रिय नेता डॉक्टर राजेन्द्र प्रसाद और उनके अन्य साथियों ने अपनी जान हथेली में रख कर मुसलमानों की रक्षा की । पर जगलर जाज नेहरू भी उस समय वहाँ पहुँचे और उन्होंने उपद्रवों को शान्त करने की भरपूर चेष्टा की ।

यहाँ यह देखना चाहिये कि जहाँ जोगी सरकार ने हिन्दुओं पर अत्याचार करवाने में मुस्लिम उपद्रवकारियों की अत्यन्त साहायता की, वहाँ हमारे राष्ट्रीय नेताओं ने बिहार में मुसलमानों की पूरी पूरी रक्षा की ।

### सीमाप्रान्त और पंजाब के उपद्रव

बिहार के उपद्रव के बाद उत्तर परिषदीय सीमाप्रान्त और पश्चिमीय पंजाब में, जहाँ हिन्दू अल्प संख्या में थे, भयकर उपद्रव हुए । हिन्दुओं, सिक्खों की सैकड़ों हजारों की संख्या में निरन्तरता पूर्वक हत्याएँ की गईं ! इन हत्याओं के स्त्रियाँ और बालक भी बलि पड़े थे । हिन्दुओं और सिक्खों के धर्म-मन्दिर और मकान जलाई गए ! स्त्रियों के साथ बलात्कार और अन्य विविध अत्याचार किये गये ! स्त्रियाँ सैकड़ों और हजारों की संख्या में उड़ाई गईं, और उनमें से अधिकांश मुसलमानों के साथ विवाह करने में बाध्य की गईं । यहाँ के भीषण अत्याचार नोशाखाखी से भी अधिक बुरे गए ! सारा वायुमण्डल हाहाकार और क्रूर प्रयत्न से व्याप्त हो गया ! भारत सरकार द्वारा प्रकाशित

'After Partition' नामक सुरिक्षा में लिखा है ।

"The Bihar trouble, on the other hand, was followed by riots and mass murders in the North-West Frontier Province and west Punjab, where the Hindu and Sikh minorities were subject to sufferings similar to those of Noakhali. From the facts available, it would be justified to assure that the disturbances in the Punjab were carefully planned as part of a well-planned conspiracy to install the Muslim League Ministry in the Punjab. This was looked upon as first step towards the establishment of Pakistan".

"अर्थात् पंजाब के उपद्रव के बाद ही उत्तर पश्चिमीय सीमाप्रान्त और पश्चिमीय पंजाब में दंगे और सामूहिक हत्या कायदों का दौर दौरा हुआ । इन प्रान्तों में हिन्दू और सिक्खों की अल्प संख्या ( Minorities ) भी और उन्हें नौशास्त्राकी की तरह कष्ट उठाने में बाध्य होना पड़ा था । इस सम्बन्ध में जो तथ्य उपलब्ध हुए हैं, उनसे यह अनुमान करना उचित होगा कि पंजाब के उपद्रव, मुस्लिमलीगी मंत्रि-मण्डल को पंजाब में प्रतिष्ठित करने के लिये, एक सुयोजना पूर्ण षड्यंत्र का साधनता पूर्वक किया गया एक हिस्सा था । पाकिस्तान स्थापित करने की घोर आगे बढ़ाया हुआ यह पहला कदम समझा गया ना ।"

यहाँ महत् ध्यान में रखने योग्य है कि इन राष्ट्र-घातक षड्यंत्र-योजनाओं से प्रभावित होकर हमारे नेताओं ने देश विभाजन की योजना को बिना पूर्ण हृदय के साथ स्वीकार किया । परिस्थिती इतनी विगड़ चुकी थी कि रा० श्यामाप्रसाद मुखर्जी जैसे अखण्ड भारत के समर्थकों ने भी देश विभाजन के कार्य को स्वीकार किया था । महात्मा गांधी के हृदय-

मन्दिर में तो इस विभाजन में अन्धकार सा छा गया था। इनका विचार और घोर आत्मिक व्यथना इनके चेह्रों और ब्यान्वानों प्रकट होती है।

हमें दुःख के साथ यह स्वीकार करना पड़ता है कि कांग्रेस जनतन्त्र के विशुद्ध और उच्च सिद्धान्त की उपेक्षा कर और सीमा से बाहर जाकर मुस्लिम लीग और मि० जिन्ना की मंजूर करके की नीति को अपनाया और योग्य अवसर आने पर राष्ट्रीय मुसलमानों की प्रोत्साहन देने के बजाय, एक कट्टर साम्प्रदायिक सस्था मुस्लिमलीग से जोष तोड़ करन की चेष्टा की। यही नीति देश विभाजन का मुख्य कारण बनी। दूसरी बात यह है कि मुस्लिमलीग और उसके नेता मि० जिन्ना साहिब ने देश के सामूहिक हित के बजाय अपना कौमी हित को सर्वोपरि महत्व दिया और उन्होंने एक कौम को दूसरी कौम के खिलाफ खड़ा कर देश के वातावरण को आतंकीय द्रोप से परिप्लुत किया। यह देश के विभाजन का सबसे बड़ा कारण था।

### पूर्वीय पंजाब में साम्प्रदायिक उपद्रव

पश्चिमीय पंजाब के उपद्रवों और अत्याचारों की पूर्वीय पंजाब में भी, यहाँ मुस्लिम अल्पमत में थे, प्रतिक्रिया शुरू हुई। यह स्वीकार करना पड़ेगा कि उस समय उक्त प्रान्त में हिन्दुओं द्वारा मुसलमानों पर जो ज्यादतियाँ हुईं, मानवता की दृष्टि से बरका समर्थन नहीं किया जा सकता। पर इन उपद्रवों के सम्बन्ध में पाकिस्तान समाचार पत्रों और रेडियों द्वारा जो समाचार प्रकाशित किये गए, वे अतिरिक्त थे। भारत सरकार द्वारा प्रकाशित After Partition नामक पुस्तिका में लिखा है —

"The riots in west Punjab had their natural repercussions in East Punjab of which exagger-

ated reports were published in the Pakistan Press, and broadcast by the Pakistan radio. These reports were completely silent about the fact that the happenings in East Punjab and Delhi were a direct reaction of the West Punjab atrocities. Their effect was to further intensify the force of destruction in West Punjab."

भारत परिचयीय पंजाब के दंगों की स्वाभाविक प्रतिक्रिया पूर्वी पंजाब में हुई, जिनके प्रतिशयोक्ति पूर्ण विवरण पाकिस्तान के समाचार पत्रों में प्रकाशित तथा पाकिस्तान रेडियो द्वारा प्राडकास्ट किये गए। इन विवरणों में यह बात कतई न दिखलाई गई कि पूर्वी पंजाब और देहली में होने वाली घटनाएँ परिचीय पंजाब में होने वाले अत्याचारों की प्रत्यक्ष प्रतिक्रिया थीं। उनका परिणाम यह हुआ कि परिचमीय पंजाब की विनाशक शक्तियों को और भी उत्तेजित मिला।

### पं० नेहरू की पूर्वीय पंजाब में यात्रा-

ईस्वी सन् १९४७ के १७ अगस्त को भारत के प्रधान मंत्री पं० नेहरू अद्यत्साय रूप से पूर्वीय पंजाब गए। अम्बाला में उन्होंने 'पूर्वीय और परिचमीय पंजाब के मुश्किल और खोजी घण्टियों की कॉन्फ्रेंस' की, और इसके बाद वे पाकिस्तान के प्रधान मंत्री मि० लियाकत अली खान के साथ लाहौर पहुँचे, जहाँ उन्होंने घटनाओं का विश्वसनीय विवरण प्राप्त किया। पं० नेहरू ने स्थिति का पर्यवेक्षण कर कहा —

"We heard ghastly tales and we saw thousands of refugees, Hindu, Muslim and Sikh. Anti-social elements were abroad, defying all authority and destroying the very structure of society!"



अर्थात् हमने भयानक कहानियाँ सुनीं और हिन्दू, मुस्लिम, तथा सिक्ख शरणार्थियों को हजारों की संख्या में देखा। समाज विद्रोही तत्व मुझे तीर से घूम रहे थे और वे हुक्मत की अवहेलना कर लोसाइटी के दौंचे तक को नष्ट कर रहे थे।

ईस्वी सन १९४७ के २४ अगस्त को पंडितजी ने पूर्वीय पंजाब का दूसरा दौरा किया और उन्होंने जगह जगह भाषण देकर लोगों से शान्त रहने की अपील की। उन्होंने यह स्वीकार किया कि पूर्वीय पंजाब से उपद्रवों के समाचार आ रहे हैं और वहाँ की स्थिति बिगड़ती जा रही है। पर इसका इलाज बदला लेने से न होगा। अगर पश्चिमीय पंजाब में पूरी शान्ति हो गई तो हम अपनी शक्तियों को पश्चिमीय पंजाब के अन्दर दखवालों की रक्षा में लगावेंगे।

### दिल्ली में साम्प्रदायिक उपद्रव

ईस्वी सन १९४७ के सितम्बर मास के प्रारम्भ ही से दिल्ली का वातावरण अत्यन्त उत्तेजनामय हो रहा था। जैसे जैसे शरणार्थी हजारों की संख्या में पश्चिमी पंजाब से दिल्ली आकर अपने अपने कपड़ों की कहानी सुनाते थे, वैसे वैसे इस उत्तेजना की ज्वाला अधिक से अधिक प्रज्वलित होती थी। भारत के उपप्रधान मंत्री सरदार पटेल ने वायु मंडल में उत्तेजना के भावों को देखा और उन्होंने लोगों से शान्ति रक्षा की अपील करते हुए कहा — 'मैं यह पूर्णरूप से जानता हूँ कि शरणार्थियों को जिन दुःखद घटनाओं का सामना करना पड़ा है, वे इतनी क्रूरता और अत्याचार पूर्ण हैं कि जिनका वर्णन नहीं किया जा सकता। उन्हें, उनके कुटुम्बियों और सम्बन्धियों को ऐसे घोर नरक का दारुण दृश्य बठाना पड़ा है, जिससे यह मालूम होता है कि मानव जंगली पशु की वृत्ति में किस प्रकार परिवर्तित हो जाता है। इतना होने पर भी मैं आपसे प्रार्थना करूँगा कि आप बदले की भावना न रखें। क्योंकि

इससे सरकार को शक्तिगं शरणार्थियों की सहायता के बजाय शान्ति रक्षा के काम में खर्गेंगी ।

३ सितम्बर १९४७ को दिल्ली की स्थिति और भी बिगड़ी और यहाँ आगजनी और दुरेवाजी की घटनाएँ हुईं । इससे सरकार को कई युद्धगाना पत्र और नगर की शान्ति रक्षा के लिये सेना सुखवानी पड़ी । २ सितम्बर को सारे शहर में उपद्रव फैल गए और चात्तावरण अत्यन्त विद्वुब्ध हो गया । ६ सितम्बर शनिवार को जहाँ तहाँ आगजनी और दुरेवाजी की घटनाएँ होने लगीं । दिल्ली के चीफ कमिश्नर ने परिस्थिति को सम्हालने के लिए सख्त कदम टठाए । सरदार वल्लभभाई पटेल ने माडकोस्ट द्वारा दिल्ली के लोगों से अपील की कि वे शान्ती रक्षा के लिए अपनी सारी शक्तियाँ खरादें । १२ सितम्बर तक शहर में शान्ती स्थापित होगई ।

इसी समय पुलिस ने मुसलमानों के एक शस्त्रगार का पता लगाया और यहाँ मुसलमानों ने पुलिस और फौज का कई घंटों तक सशस्त्र मुकाबला किया ।



# लौकिक राज्य



ईस्वी सन् १९४७ की २६ सितम्बर को पं० जवाहर लाल नेहरू ने एक सार्वजनिक सभा में भाषण देते हुए लोगों को उनकी संस्कृति और अभ्युत्थान का स्मरण दिलाया और कहा कि मुस्लिम लीग ने देश की धर्मोपनिषद् की है और इससे लोगों के कुछ दल विशेष हिन्दू राज्य की मांग करने लगे हैं। पर ऐसा करना मुस्लिम-लीग की विजय है।

ईस्वी सन् १९४७ के १२ अक्टूबर को नई दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस के सामने एडिटर जी ने यह वक्तव्य दिया:—

“So far as India is concerned, we have very clearly stated both as Government and otherwise that we can not think of any state which might be called a communal or religious State. We can only think of a State in which there may be communal unities.”

अर्थात् जहाँ तक भारत का सम्बन्ध है हमने सरकार और अन्य एजेंसियों से यह स्वीकार कर लिया है कि हम किसी-ऐसे राज्य की स्थापना नहीं कर सकते, जिसे साम्प्रदायिक या धार्मिक कहा जाय हम केवल साधु लौकिक, साम्प्रदायिक जनतन्त्रात्मक, राज्य ही के विषय में सोच सकते हैं, जिसमें कि प्रत्येक व्यक्ति को चाहे फिर वह किसी भी

धर्म का अनुयायी हो, रुमान अधिकार और धवसर प्राप्त हो सकें"।  
अगो चलकर फिर परिदृष्टि से कदाः—

"We want a secular democratic State, That has been the ideal of the Indian National Congress ever since it started 65 years ago & we have consistently adhered to it."

अर्थात् 'हम लौकिक जनतन्त्रात्मक राज्य चाहते हैं। राष्ट्रीय कांग्रेस का ६५ वर्षों से अर्थात् अपने जन्म का क्ष से यही आदर्श रहा है और हमने हमेशा उसका पालन किया है।'

### पाकिस्तान में हिन्दुओं पर भीषण अत्याचार

पाकिस्तान में हिन्दुओं पर जैसे अत्याचार हो रहे थे, उनका उल्लेख हम गत पृष्ठों में कर चुके हैं। इन अत्याचारों की विभीषिका दिन व दिन बढ़ती ही गई। भारत सरकार द्वारा प्रकाशित 'After Partition' नामक पुस्तिका में इन अत्याचारों में सम्बन्ध के खिला हैः—

"Across the border, life was becoming impossible for the non-Muslim minorities. Assurances of safety and security were offered to the minorities by the leaders of Pakistan, but these assurances were devoid of any reality and were made to mislead international opinion. Even agreements made with the Government of India regarding evacuation by the two Dominions were being flouted by Pakistan. The refugees, for instance, were being searched and personal effects like sewing machine

crockery, ornaments and even wearing apparatus were being seized. In West Panjab and N. W. F. Province the non-Muslims were being subjected to all manner of indignities and the Government did nothing to improve the situation. According to official reports received by East Panjab Government, 'females were separated from their males at Jhelam. Males were all herded together and cut down with axes and saws, as orders were issued not to waste a round on Kaffirs. The women-folk were then allotted so many to each group of Pathans' In Gujrat area the number of abducted girls was estimated at 4,000. At certain places general traffic in women proceeded and abducted women were sold in the open market. Refugee trains were attacked, passengers killed, girls forcibly taken away and property looted, practically, every day. Miss Mridula Sarabhai, who did rescue work in West Panjab, herself noticed quite a number of girls being taken away by Pathans from trains.

अर्थात् सीमा के उस पार गैर-मुस्लिम अल्पदलवालों का जीवन असम्भव हो रहा था। पाकिस्तान के नेताओं द्वारा उक्त अल्पदलवालों को अभय और सुरक्षा के आश्वासन दिये जा रहे थे। पर यह आश्वासन किसी भी प्रकार के सत्य से विहीन थे, और वे अन्तर्राष्ट्रीय मंच को रुसराह करने के लिए यह दिए जा रहे थे। भारत सरकार के

साथ दो अधिराज्यों द्वारा रिक्तीकरण के विषयों में जो समझौते हुए थे, उनही पाकिस्तान द्वारा भंगदेखना हो रही थी। उदाहरण के लिए शरणार्थियों की जमा तलाशी ली जा रही थी, और उनका वैयक्तिक सामान—जैसे सोने की प्रशीर्ष, खाने पीने के बर्तन और पहिने के जेवर आदि छिन लिए जाते थे। पश्चिमीय पंजाब और उत्तर-पूर्वीय प्रदेश में मौर-मुस्लिमों को सभ प्रकार की घेड़जतियों का शिकार होना पड़ता था, और सरकार इस स्थिति को सुधारने का कोई प्रयत्न नहीं कर रही थी। पूर्वीय पंजाब की सरकार को इस सम्बन्ध में जो विवरण प्राप्त हुए थे, उनमें लिखा था कि:—“भेड़म में स्त्रियां उनके मर्दों से जुदा की जाती हैं। मर्दों को एक साथ इकट्ठा कर उन्हें कुल्हाड़ियों और करीतों से काट डाला जाता है! इसके बाद स्त्रियों को पठानों के दलों के सुपुर्द कर दिया जाता है। गुजरात में अपहरण की हुई स्त्रियों बेरी जा रही थी या उन्हें खुले बाजार में नीलाम किया जा रहा था। शरणार्थियों की रेलगाड़ियों पर हमले किए जा रहे थे और मुसाफ़ि़रों को कत्ल किया जा रहा था। इसके बाद लश्कियों का जबरदस्ती अपहरण किया जाता था और सम्पत्ति लूटी जाती थी। यह घटनाएँ निरन्तर होती थीं। कुमारी सद्गुला साराभाई ने, जो पश्चिमीय पंजाब में कष्ट निवारण का कार्य कर रही थी, पठानों द्वारा कई लश्कियों का अपहरण होते देखा था।”

कहने का भाव यह है कि पाकिस्तान में हिन्दुओं पर उस समय जैसे शपथी आयाचार हुए, उनका उदाहरण इतिहास में मिलना कठिन है। मान्यता का पतन किन सीमा तक हो सकता है, इसका यह ज्वलन्त उदाहरण है।

# देश-विभाजन

और विशाल जन समूह का आवगमन



देश विभाजन के बाद लोगों का शान्ति स्थापना की आशा ही बची थी पर देश के परम दुर्भाग्य से यह आशा घोर दुराशा में परिणत हुई। मुस्लिम लीग की 'सौधी कायवाही' के कार्यक्रम से पाकिस्तान में हिन्दुओं पर भौषण अत्याचार होने लगे और उनका घदा रहना असंभव हो गया। ऐसी स्थिति में भारत सरकार ने यह उचित समझा कि पाकिस्तान से हिन्दुओं को सुरक्षित रूप से भारत में लाया जाय। उसने अर्ना कार्यक्रम धारम्भ कर दिया और रेल्वे, मोटरकारों और वायुयानों के द्वारा नित्य प्रति लगभग २० हजार से ऊपर की संख्या में हिन्दू पञ्जाब से भारतवर्ष लाए जाने लगे। इसके अतिरिक्त तीस तीस चाक्रीस चाक्रीस हजार के हिन्दुओं के बड़े बड़े कम्प्लेक्स जयपुर और मान्टगुमरी जिलों से नित्य प्रति दो-दो सौ सौ का कठिन प्रवास कर भारतवर्ष की सीमा में आने लगे। ईस्वी सन् १९४७ के १८ सितम्बर से लगा कर २९ अक्टूबर तक अर्थात् ४२ दिनों में गैर मुस्लिमों के ८४६००० की पुरुष सैकड़ों, हजारों बैलगाड़ियों और दोरों के साथ फौज के संरक्षण में भारतवर्ष आए। इनके अतिरिक्त २७ अगस्त से ६ नवम्बर के बीच में भारत सरकार ने ६०३ ट्रेने दीवाई, जिनके द्वारा २७६६३६८ शरणार्थियों ने पाकिस्तान से आकर भारतवर्ष में प्रवेश किया। ४२७००० गैर मुस्लिमों और २१७००० मुसलमान शरणार्थियों को क्रम से सैनिक वाहन के द्वारा पाकिस्तान से लाया गया तथा पाकिस्तान पहुँचाया गया।

१२ सितंबर से ७ दिसम्बर तक २७१०० शरणार्थियों की हवाई विमानों द्वारा भारत लाया गया। भारत सरकार के हवाई विमानों ने शरणार्थियों को यहाँ लाने में १६२ उड़ानें कीं। ६००००० गैलन पेट्रोल इन उड़ानों में खर्च हुआ।

६ जनवरी १९५८ में अर्थात् कराची के उपद्रवों के पहले में ही हिन्दू और सिक्खों का रिक्तिकरण (Evacuation) शुरू हो गया था। २ जनवरी १९४८ तकव हवाई विमानों, जहाजों और रेलों के द्वारा ४०८००० हिन्दू और सिक्ख सिंध छोड़कर भारतवर्ष आए। सारी जहाजी ताकत इन्हें लाने में खर्च की गई।

दिसम्बर १९४७ के मध्य तक सैनिक रिक्तिकरण लगडन के प्रबन्ध में पश्चिमीय पंजाब और उत्तर-पश्चिमीय सीमाप्रान्त से हिन्दुओं और सिक्खों के बड़े बड़े जत्थे भारतवर्ष आते रहे। इन्हें, सिन्ध से आने वाले शरणार्थियों की गतिविधि अपेक्षाकृत धीमी-रही। इसका कारण यह था कि सिन्ध सरकार ने सिन्ध छोड़ कर आनेवाले शरणार्थियों के लिए अनुमति पत्र (Permit) का लेना आवश्यक कर दिया था। उन्हें इनकम टैक्स अधिकारियों, सहस्रीकदारों, म्युनिसिपैलिटियों और मुदकी अधिकारियों से यह प्रमाणपत्र लेना पड़ता था कि सम्बन्धित शरणार्थियों पर सानगीकिसी प्रकार का कर्ज नहीं है। उनकी और इनकमटैक्स, म्युनिसिपैलिटि टैक्स या अन्य किसी प्रकार का सरकारी कर चकाया नहीं है। उनसे इस बात की जमानत भी मांगी जाती थी कि उनकी तरफ किसी बैंक का बकाया नहीं है और उनके पास मुस्लिमों के लेबर गिरवी नहीं है।

### शरणार्थियों, फ्ला, स्वागत

भारतवर्ष में आए हुए शरणार्थियों का यहाँ की जनता ने उस समय हार्दिक स्वागत किया। विभिन्न स्थानों पर भारतीय जनता के द्वारा



शरणार्थियों के भोजन का प्रबन्ध किया गया। भारत सरकार ने भी प्रारम्भ में काफी दिखचस्पी खाँ और उसने पूर्वीय पलाय, देशी, युक्तप्रदेश, बंगवई, राजपूताने के राज्य आदि में एक मी साठ कैम्प खोला कर १२,५०,००० शरणार्थियों का प्रबन्ध किया, जिनका रोजाना खर्चा लाखों रुपया प्रतिदिन था। ईस्वी सन् १९४७, ४८ में केन्द्रीय सरकार ने शरणार्थियों के कष्ट निवारण के लिए १० करोड़ रुपया अपने बजट में स्वीकृत किया। इसके अतिरिक्त प्रान्तों और देशी राज्यों के कैम्पों में, वहाँ की सरकारों ने भी इस कार्य में लाखों रुपए खर्च किए। कुरुक्षेत्र की शरणार्थी कैम्प का चार्ज ईस्वी सन् १९४७ के नवम्बर मास में केन्द्रीय सरकार ने ले लिया। इस कैम्प में ३०००० शरणार्थी थे। सिन्धी शरणार्थियों के लिए भी प्रारम्भ में केन्द्रीय सरकार ने प्रबन्ध किया। इसके २ माह पश्चात् यह प्रबन्ध सम्बन्धित प्रान्तीय सरकारों और राज्यों के हाथ सौंप दिया गया। शरणार्थी कैम्पों का अधिकतम खर्च भारत सरकार ने सहन किया।

विभिन्न शरणार्थी कैम्पों में १८०१५४८ तक भारत सरकार द्वारा शरणार्थी शिविरों को दिए गये। इनके अतिरिक्त मुसलमानों द्वारा खाड़ी किए गए घरों, धार्मिक स्थानों और स्कूलों और कॉलेजों की इमारतों में शरणार्थी ठहराए गए। कई शरणार्थी अपने रिश्तेदारों के यहाँ भी ठहरे।

भारत सरकार और पाकिस्तान सरकार के बीच यह समझौता हुआ था कि शरणार्थियों के आवागमन के समय हर एक सरकार अपनी अपनी राज्य सीमा में सब शरणार्थियों के लिए खान और जीवन की अन्य आवश्यक सामग्री की पूर्ति करेगी। भारत सरकार ने अपना यह वचन पूरी तरह से पाछन किया, उसने शरणार्थी शिविरों में ठहरे हुए सुखिष्ठ और गैर-सुखिष्ठ शरणार्थियों को समानरूप से भोजन दिया। इतना ही नहीं उसने दोनों प्रकार के शरणार्थियों के लिए डॉक्टरों

चिरित्ता का भी प्रबंध किया। पर पाकिस्तान सरकार ने इस और मिलकुल ध्यान न दिया।

भारत सरकार का शरणार्थियों के कार्य में भारी खर्च होने लगा। अकेले कुर्गुत्र के शिविर में लगभग तीन हजार मन आटा रोज खर्च जाता था। कुर्गुत्र सामाजिक संस्थाओं ने भी इस क्षेत्र में प्रशंसनीय कार्य किया। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ न पंजाब और सिंध के शरणार्थियों की सुरक्षा और प्रबंध में बड़ा प्रशंसनीय कार्य किया। भारतवर्ष के अन्य स्थानों में भी यह संस्था शरणार्थियों की सहायता में अपनी शक्ति लगाती रही।

पंजाब में बहुत ही सस्त ठंड गिरती है। थके थकाए और मादे शरणार्थियों की इस ठंड से रक्षा करने के लिए सरकार के पुनर्वास महकमें के द्वारा पूर्वी पंजाब, दिल्ली और कुर्गुत्र में हजारों की संख्या में ब्लाकट भेजे गए। पश्चिमीय पंजाब के शिविरों में ठंडे हुए गैर मुस्लिम शरणार्थियों के लिए दस हजार ब्लाकट हवाई विमानों द्वारा पहुँचाए गए। भारतीय शरणार्थी शिविरों में ठंडे हुए शरणार्थियों में लाखों गज विभिन्न प्रकार के उख चाटे गए। इतना ही नहीं, उने बनाए शर्ट, जर्सी और पाजामे भी बहुत बड़ी संख्या में शरणार्थियों में बांटे गए।

१ जनवरी १९४८ तक १२ लाख बने बनाए बख वितरण किए गए। इसके प्रतिष्ठित कुर्गुत्र संस्थाओं न घर घर से बख इकट्ठे कर शरणार्थियों में तस्वीम किए।

कठिन का भाव यह है कि संसार के इतिहास में इतना विशाख जन-परिचलन कभी न हुआ। सरकारी प्रबंध में कई मुटियाँ होते हुए भी यह शोकार करना पड़ेगा कि जित महान् और कठिन समस्या का उभ समय उस सामग्री करना बंध रहा था, वह धरने रंग की वेनाइ थी। जिन मनष हम गिराख जन-समूह का परिवर्तन हो रहा था उस समय सर-

कार का शासन तन्त्र देश के विभाजन के कारण विघ्न भिन्न हो रहा था और इससे सरकार की कठिनाइयाँ अनन्त गुणी बढ़ गई थीं। पं० जवाहरलाल नेहरू ने इस समय की स्थिति का वर्णन करते हुए कहा था:—

“In future history it will be said that vast and colossal as this problem was, something which might shake the very foundations of Government and the social order, the people of India stood up to it bravely, tackled it and, I hope, ultimately solved it to the advantage of the Nation.”

अर्थात् भावी इतिहास में यह कहा जायेगा कि जो समस्या देश के सामने उपस्थित हुई थी, वह इतनी प्रकण्ड और विशालकाय थी कि उससे शासन की नींव और सामाजिक व्यवस्था विघ्न भिन्न हो सकती थी। भारतवर्ष के लोगों ने इसका घड़ी बहादुरी से मुकाबला किया और इसे हाथ में लेकर राष्ट्र के लाभ में इसे हल किया।”

### महात्मा गांधी का शान्ति संदेश

जब साम्प्रदायिक उपद्रवों ने देश के वातावरण को विद्रुम्ब कर रखा था और पाकिस्तान की घटनाओं से भारतीयों के मन स्वाभाविक रूप से बदला लेने की ओर प्रवृत्त हो रहे थे, उस समय महात्मा गांधी भारतीय जनता की अहिंसा के दिव्य सिद्धान्त का संदेश दे रहे थे। वे लोगों को अत्याचार का बदला अत्याचार से न लेकर प्रेम के दिव्यात्म द्वारा अपने विरोधियों को जीतने का पाठ पढ़ा रहे थे। वे लोगों को समझा रहे थे कि देश के पार पाकिस्तान में मुसलमानों के द्वारा किए गए अत्याचारों का बदला भारतीय मुसलमानों से लेना न्यायसंगत नहीं है।

महात्मा गांधी आदर्शों के उच्च स्तर पर खड़े रह कर भारतीय जनता को मानवता का संदेश दे रहे थे और उसमें देवत्व की भावना का विकास करने का प्रयत्न कर रहे थे। यद्यपि देश के वातावरण को पूरी तरह से शान्त करने में वे सफल न हुए, पर फिर भी उनके उपदेशों के कारण देश की शान्ति स्थापना में बड़ी सहायता मिली। दिल्ली में प्रार्थना के समय दिव्य गण उनकी भाषणों से कई लोगों का हृदय परिवर्तन हुआ और उनमें मानवता का विकास हुआ।

२ अक्टूबर की महात्मा गांधी का जन्म दिन सारे देश में बड़ी धूम धाम से मनाया गया और उनके अहिंसा के दिव्य सिद्धान्त का प्रचार किया गया।



# देशी राज्यों का विलीनकरण



भारतवर्ष की २०० से ऊपर रियासतों का विलीनीकरण सादा पटल न जिस राजनीतिज्ञता के साथ किया, वह भारतवर्ष के इतिहास में एक विशेष स्थान रखेगा ।

सन् १९४७ ई० के जुलाई मास में पार्लियामेन्ट ने जो भारतीय स्वातन्त्र्य एक्ट स्वीकृत किया उसकी एक धारा यह है —

“The suzerainty of His Majesty over the Indian states lapses and with it, all treaties and agreements in force at the date of the passing of this Act between His Majesty and the rulers of Indian States, all functions exercisable by His Majesty at that date with respect to Indian states, all obligations of His Majesty existing at that date towards Indian States or the rulers thereof and all powers, rights, authority or jurisdiction exercisable by His Majesty at that date in or in relation to Indian states by treaty, grant, usage, sufferance or otherwise.”

इसका अर्थ यह है कि श्रीमान् सम्राट् की भारतीय रियासतों पर जो प्रभुता थी, उसकी समाप्ति हो चुकी है । इसके साथ ही वे सारे सन्धिपत्र व समझौते भी, जो भारतीय राज्यों और श्रीमान् सम्राट् के

किन्तु इस एक्ट के पास होने तक धनक दगमद में ये, समाप्त हो चुके हैं। श्रीमान् सम्राट् की भारतीय राज्यों तथा उनके शासकों पर सन्धि-पत्र, अनुदानपत्र, लोक व्यवहार और समिति द्वारा जो अधिकार, स्वतन्त्र और अधिकारचोत्र प्राप्त थे, उन सबकी भी समाप्ति हो चुकी है।”

भारतीय स्वातन्त्र्य एक्ट ( Indian Independence Act ) द्वारा भारत सरकार को रियासतों के विलीनीकरण का अधिकार प्राप्त हो जाने पर भी, यह कार्य बड़ा प्रचंड और अनेक उलझनों से युक्त था। पर सरदार पटेल ने इसे बड़ी दूरदर्शिता और राजनीतिज्ञता से हल किया। १५ अगस्त १९४७ ई० को सरदार पटेल के इस कार्य के लिये लॉर्ड माउन्टबेटन ने सविधान सभा में कहा था —

“It was tackled successfully by the far sighted statesman Sardar Vallabhbhai patel”

अर्थात् “दूरदर्शी राजनीतिज्ञ सरदार पटेल ने सफलता के साथ इस समस्या को सुलझाया।”

## स्टेट मिनिस्ट्री

एक दो देशी राज्यों को छोड़कर प्रायः सभी देशी राज्य भारतीय संघ के साथ सम्मिलित थे। अतएव उनका विलीनीकरण भारतीय संघ में हुआ। इसके लिए भारत सरकार ने सरदार वल्लभभाई पटेल के नेतृत्व में एक अलग विभाग खोला, जिसका नाम स्टेट्स मिनिस्ट्री विभाग रखा गया।

सरदार वल्लभ भाई पटेल ने देशी राजाओं से अपील की कि वे भारतीय संघ में सम्मिलित हो जायें और सविधान में अपने राज्य के प्रतिनिधि भेजें। उन्होंने राजाओं से यह अनुरोध किया कि वे प्रगतिशील समय के साथ अपनी गति करें और अपनी सर्वोपरि सत्ता को अपनी

प्रजा की सर्वोपरि सत्ता में परिणत करें। जनतन्त्रात्मक राज्य में सर्वोपरि सत्ता का आधार 'बोझ' होते हैं, व्यक्ति विशेष नहीं। कहने का भाव यह है कि जहाँ सरदार पटेल अपनी युक्तिप्रयुक्तियों से राजाओं के अन्तःकरण-परिवर्तन की सफल चेष्टा कर रहे थे, वहाँ देशी राज्य के प्रजाजन भी अपने राज्यों में घोर आन्दोलन कर भारतीय संघ में सम्मिलित होने का अपना दृढ़ निश्चय प्रकट कर रहे थे। धीरे से राजाओं को छोड़कर प्रायः सभी राजाओं ने समय की गति को पहचान कर सरदार पटेल के अनुरोध के प्रति अपनी अनुकूल प्रतिक्रिया प्रकट की। आर्ट माउन्ट बैटन के शब्दों में यह कार्य राजाओं की राजनीतिक्षमता और दूरदर्शिता का सूचक था।

१२ अगस्त १९४७ ई० तक २३६ स्वामी बार्जा रियासतों ने प्रवेश पत्र (Instrument of Accession) पर अपने हस्ताक्षर कर भारतीय संघ में सम्मिलित हो गये। सिर्फ दो रियासतें हैदराबाद और काश्मीर उस समय संघ में सम्मिलित न हुईं। जूनागढ़ के नवाब ने पाकिस्तान में सम्मिलित होना स्वीकार किया। इससे वहाँ के प्रजा-जनों में घोर आन्दोलन हुआ। यहाँ यह कहना आवश्यक है कि जूनागढ़ रियासत का भारत के साथ सन्निकट सम्बन्ध था और उसका भारतीय संघ में भी शामिल होना ही योग्य था। इसके अतिरिक्त नवाब ने वहाँ के प्रजा-जनों की सम्मति भी न ली थी। अतएव जूनागढ़ के प्रजाजनों ने नवाब के इस कार्य का घोर विरोध करना शुरू किया।

सारे प्रजा जनोन्मन नवाब के खिलाफ विद्रोह का भण्डा उठाया। नवाब भयभीत होकर अपनी रियासत का चार्ज दीवान और पुष्पिम कमिश्नर को सौंपकर पाकिस्तान भाग गए। प्रजा का आन्दोलन दिन दूना और रात चौगुना बढ़ता गया। दीवान और पुष्पिम कमिश्नर स्थिति को न सम्हाल सके। अतएव उन्होंने राजकोट के रेजिनल कमिश्नर से यह प्रार्थना की कि वे राजकोट का शासन सूत्र सम्हालने के

द्विष्ट भारत सरकार से अनुरोध करें।

१ नवम्बर १९४० को जूनागढ़ का शासन भारत सरकार ने अपने हाथ में ले लिया और ईस्वी सन् १९४८ के १२ फरवरी से लगाकर २४ फरवरी तक वहाँ का सर्वजनमत प्रद्वय किया गया। कुछ मुद्दों पर लोगों को छोड़कर सार जन समाज ने जूनागढ़ के भारतीय संघ में विलीन होने के पक्ष में अपना मत दिया। खास जूनागढ़ नगर में, जहाँ के मतदाताओं की संख्या २००१६१ ( २१६०६ मुसलमान और १०८६६१ गैर मुसलमान ) थी और जहाँ १६०८०० मतदाताओं ने अपने मत दिये, १६०७०६ मत भारतीय संघ में विलीनीकरण के पक्ष में थे। केवल ११ मत पाकिस्तान के पक्ष में गए। इससे जनतन्त्र के महान् सिद्धान्त के अनुसार जूनागढ़ राज्य भारतीय संघ में सम्मिलित कर लिया गया।

## देशी राज्य और उत्तरदायित्व पूर्ण शासन

भारतीय स्वाधीनता के साथ देशी राज्यों की प्रजा में भी स्वतन्त्र होने की भावना ज्वलन्त रूप से जागृत हो उठी। कई राजाओं ने समय की गति को पहचान कर अपनी प्रजा को उत्तरदायित्व पूर्ण शासन प्रदान कर दिया। कुछ राजा हिचकते रहे। इस पर सरदार वल्लभ भाई पटेल ने उन राजाओं को चेतावनी देते हुए कहा कि—

“It has already become obvious that if a Ruler lags behind in the movement for the establishment of full responsible Government, he will do so to his disadvantage and to the disadvantage of his people.”

यद्यपि यह बात स्पष्ट है कि उत्तरदायित्व पूर्ण शासन स्थापित करने



में यदि कोई राजा पीड़े रहेगा तो वह अपना और अपने लोगों का अहित करेगा ।

## देशी राज्यों का विलीनीकरण

देशी राज्यों का विलीनीकरण भारतीय इतिहास की एक अत्यन्त महत्वपूर्ण घटना है । जैसा कि हम पहिले कह चुके हैं कि सरदार पटेल की बड़ी दूरदर्शिता और राजनीतिज्ञता ने एक स्वतन्त्र क्रांती के द्वारा इस कार्य को बड़ी सफलता के साथ सुसम्पन्न किया । विलीनीकरण की योजना के अनुसार २३ रियासतें जिनका क्षेत्रफल २३६२३ वर्ग मील और जिनकी जनसंख्या ४०५ लाख के ऊपर थी, उसीसा प्रान्त में विलीन कर दी गईं ।

दो रियासतें, जिनका क्षेत्रफल ६२३ वर्गमील, कुल लोकसंख्या २,००,००० लाख और वार्षिक आमदनी ४.२६ लाख थी, बिहार प्रान्त में विलीन कर दी गईं । १५ रियासतें मध्यप्रान्त में विलीन कर दी गईं । इनका क्षेत्रफल ३१८०६ वर्गमील, लोक संख्या ३८,३४ लाख और वार्षिक आमदनी ८८.११ लाख थी । तीन रियासतें, जिनका कुल क्षेत्रफल १४४४ वर्गमील, कुल लोकसंख्या ४८३ लाख और कुल वार्षिक आमदनी ३०.८१ लाख थी मद्रास में विलीन कर दी गईं ।

३ रियासतें, जिनका क्षेत्रफल ३७० वर्गमील, लोक संख्या ८.६७ लाख और कुल वार्षिक आमदनी ८.०५ लाख थी, पूर्वीय पंजाब में सम्मिलित कर दी गईं । ३०५ रियासतें, जिनका कुल क्षेत्रफल ३४,८६४ वर्गमील, लोक संख्या ४३.१७ लाख और वार्षिक आमदनी ३०७.१५ लाख थी, बम्बई प्रान्त में विलीन कर दी गईं ।

जिन रियासतों का विलीनीकरण सम्भव नहीं हुआ, उनके सब ( Union ) बना दिये गये । इस प्रकार का सबसे पहला रियासती संघ खैरापुर का बना जिसमें ४४३ रियासतें सम्मिलित हुईं और

उसके राजप्रमुख नवानगर के महाराजा बनाये गये। इस मत्व (Union) का क्षेत्रफल ३३६४६ वर्गमील, लोक संख्या लगभग ३००६ लाख और वार्षिक आय ८ करोड़ है। इसका उद्घाटन १६ फरवरी १९४८ ई० को सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया था। दूसरे राज्य संघ निम्न प्रकार से बने —

संघ	सम्मिलित रियासतें	क्षेत्रफल (वर्गमील)	जन संख्या	वार्षिक आय (रु०)
प्रथम	४ रियासतें, (बल्लार, भरतपुर, धौलपुर और कोली)	७,५८६	१८३८ लाख	१८३,०६ लाख
राजस्थान	१० रियासतें (कोटा, बाँसवाड़ा, शाहपुरा, रूही ढूंगरपुर, झालावार, कियानगढ़, प्रतापगढ़, टोंक और उदयपुर)	२६,६७७	४९६९ लाख	३१६६७ लाख
पूर्वी पंजाब व पटियाला (PEPSU)	८ रियासतें	१०,०००	३५ लाख	५ करोड़
मध्यभारत	२२ रियासतें	४७,०००	७२ लाख	८ करोड़
विन्ध्यप्रदेश	३५ रियासतें	२४,२६८	३२,६६ लाख	२४३३ लाख
हिमाचल प्रदेश	२४ रियासतें	११,२५४	१०४६ लाख	६१०४ लाख

उपरोक्त विवरण से रियासती संघों और प्रान्तों में सम्मिलित होने वाली रियासतों का साधारण विवरण दिया गया है। इस पर यहाँ कुछ अधिक प्रकाश डालना आवश्यक प्रतीत होता है।

पूरी रियासतों का विखिनीकरण सबसे पहले उड़ीसा की रियासतों में प्रारम्भ हुआ। उड़ीसा की २३ रियासतों के शासकों ने दिसम्बर

१९४७ ई० में होने वाली कटक कांग्रेस में सरदार पटेल के अनुरोध में अपनी रियासतों को उड़ीसा में विलीन करने की स्वीकृति दी। इसके कुछ दिन बाद में ही मध्यप्रान्त के छत्तीसगढ़ जिले की १४ रियासतों के शासकों ने सरदार पटेल के अनुरोध को स्वीकार किया और उन्होंने अपनी रियासतों को १ जनवरी १९४८ ई० को मध्यप्रान्त में विलीन कर दिया। इस वक्त उड़ीसा की मयूरभंज नामक एक बड़ी रियासत का विलीनीकरण नहीं हुआ। १ फरवरी १९४८ ई० को कुछ अन्य छोटी रियासतों ने भी विलीनीकरण की स्वीकृति दे दी। मकराई रियासत मध्य प्रान्त में सम्मिलित हो गई।

२२ फरवरी १९४८ ई० का बगनपाल नामक एक छोटी रियासत मद्रास प्रान्त में विलीन हो गई। जोधारू और पाठोदी रियासतों का पूर्वीय पन्नाब में विलीनीकरण हो गया। ३ मार्च १९३८ ई० का पुद्दूकोटा नामक की एक बड़ी रियासत मद्रास प्रान्त में विलीन हो गई।

इसी बीच कोरहापुर को छोड़कर दक्षिण की २६ रियासतों ने बम्बई प्रान्त में विलीन होने का निश्चय प्रकट किया। इसके पहले, इन रियासतों में से ८ ने अपना एक नया संध बनाया था। इसके बाद बड़ीदा को छोड़कर, गुजरात की १८ रियासतों ने बम्बई प्रान्त में विलीन होने की स्वीकृति दी।

हिमाचल प्रदेश में देहरीगढ़वाल को छोड़कर पूर्वी पन्नाब की सब पहाड़ी रियासत सम्मिलित कर दी गई और यह प्रदेश एक चीफ कमिश्नर के आधीन रखा गया।

इस वक्त तक जिन छोटी रियासतों का विलीनीकरण होना बाकी था, वे सन्दूर ( मद्रास ), देहरी गढ़वाल, बनारस, रामपुर (उत्तर प्रदेश) जैसलमेर ( राजस्थान ), कूच बिहार मय्योपुर और खासी हिख स्टेट (आसाम) आदि थीं। पीछे जाकर बची हुई सब रियासतें भारतीय संघ में सम्मिलित हो गईं।

कच्छ की सभी रियासत का शासन भार हिन्दू सरकार ने सीधा अपने हाथ में ले लिया ।

राजस्थान सब १५ मार्च १९४८ ई० में पहले पहल कोटा में बना, जिसमें कोटा, बासवाड़ा, शाहापुरा, बूंदी, डूंगरपुर, भाजवावाड़, किशनगढ़, प्रतापगढ़ और टोंक की रियासतें शामिल हुईं । १२ अप्रैल सन् १९४८ ई० को इस इस संघ का उदयपुर में पुनर्संरुद्ध हुआ और इसमें मेवाड़ शामिल कर लिया गया । उदयपुर के महाराजा साहिब इस पुनर्संरुद्धित राज्य के राज्य प्रमुख बने । इस पुनर्संरुद्धित संघ का उद्घाटन प० जवाहरलाल नेहरू ने उदयपुर में किया ।

मध्यभारत में जो रियासती संघ बना, वह सबसे अधिक विशाल काय है । इसके राज्य प्रमुख महाराजा साहिब खाजियर हैं । इसमें खाजियर, इन्दौर, भोपाल, रतलाम, जावरा, सैखाना, नरसिंहगढ़, राजगढ़, आदि २२ रियासतें हैं । इसका क्षेत्रफल ४८,००० वर्गमील, जनसंख्या ७०,००,००० से ऊपर और वार्षिक आय ६ करोड़ से अधिक है । इसका उद्घाटनोत्सव २८ मई १९४८ ई० को खाजियर में प० जवाहरलाल नेहरू ने किया था ।

मत्स्यसंघ—इसना उद्घाटन १७ मार्च १९४८ ई० को भारतपुर में धी० प० वी० गाडगिख ने किया । इस नये संघ में धौलपुर, भरतपुर, बल्लार और फरीखी की रियासतें सम्मिलित हुईं । इसके राज्यप्रमुख महाराजा धौलपुर बनाये गये ।

पूर्वीय पंजाब—१२ जुलाई १९४८ ई० को पटियाळा में सरदार बख्तभाभाई पटेल के कर कमलों से इस संघ का उद्घाटन हुआ । इसमें पटियाळा, कपूरथळा, नाभा, मिनड, फरीदकोट, माजेरकोटला, कलसिया, नलागाड नामक रियासतें सम्मिलित हुईं । महाराजा पटियाळा आजीवन के लिये इसके राज्यप्रमुख और महाराजा कपूरथळा आजीवन के लिये उपराज्यप्रमुख बनाये गये ।

# हैदराबाद की समस्या



भारत को अधिराज्य का पद प्राप्त होने पर हैदराबाद की समझा उसके सामने उपस्थित हुई। यहाँ यह प्रकट करना आवश्यक है कि हैदराबाद अपने इतिहास में कभी स्वतंत्र नहीं रहा। मुगल बादशाहत के समय इसकी उत्पत्ति हुई और वह उसके भातहत होकर रहा। उसके बाद उसने ब्रिटिश सरकार की आधीनता स्वीकार की। लॉर्ड रीडिंग के कार्यकाळ में इन्ही वर्तमान निजाम ने खिर उठाया और वे स्वतंत्रता का दावा करने लगे। १९ पर लॉर्ड रीडिंग ने इन्हें खूब झिड़का और यह प्रकट किया कि हैदराबाद ब्रिटिश के बराबर की नहीं और वह 'ब्रिटिश' सरकार की एक भातहत रियासत है। अब, निजाम यह झिड़की और 'अपमान सह कर चुप हो लिये।

जब भारत को स्वतंत्रता प्राप्त हुई, तब यह स्वाभाविक था कि जो सम्बन्ध निजाम का ब्रिटिश सरकार के साथ था, वही सम्बन्ध स्वतंत्र भारत के साथ भी रहे। पर बहुत समझाने बुझाने पर भी निजाम इस पर राजी नहीं हुए। कई मास तक वे भारतीय संघ में प्रवेश करने का निर्णय नहीं कर सके। संघर्ष को टाँछने के लिये भारत सरकार ने २३ नवम्बर १९४७ ई० को निजाम के साथ एक 'स्थायित' समझौता (Stand still Agreement) किया। इस समझौते में यह प्रकट किया गया कि जब तक निजाम के साथ अन्तिम समझौता न हो, तब तक इस स्थायित समझौते का दोनों ओर से पालन होता रहे।

उस अस्थायी समझौते से यह भासा हो चुकी थी कि भारतीय

प्रपिशाज्य और हैदराबाद के बीच मैत्रीपूर्ण सम्बन्ध स्थापित हो जायें, पर दुर्भाग्य से ऐसा न हो सका। वर्तमान निजाम की मुस्लिम परत नीति मशहूर रही है। इसके अतिरिक्त रियासत की साम्प्रदायिक नीति से प्रोत्साहन पाकर हैदराबाद में 'मज्जिस् ई० इतिहाद मुसलमान' नामक एक मुस्लिम साम्प्रदायिक संस्था का जन्म और विकास हुआ। इसकी प्रधीनता में एक शक्तिशाली सैनिक स्वयंसेवक दल था, जो 'रजाकार' के नाम से मशहूर था। इस दल ने साफ तौर से पद घोषित किया कि हैदराबाद राज्य की प्रभुता (Sovereignty) वर्षों की २०,००,००० मुस्लिम प्रजा में स्थित है और निजाम उसके प्रतीक (Symbol) है। यहाँ यह ध्यान में रखना चाहिये कि हैदराबाद की कुल जनसंख्या १,६२,००,००० है, जिसमें मुसलमान केवल १२ प्रतिशत हैं। अगर निजाम न्याय दृष्टि से विचार कर भारत सरकार के साथ समझौता कर लेते तो यह संघर्ष टल गया होता। पर इस समय निजाम ने जो कुछ अद्वितीय किया वह हैदराबाद और वर्षों की प्रजा के लिये बहुत ही अहितकर सिद्ध हुआ। रजाकारों द्वारा रियासत की हिन्दू जनता पर भयंकर अत्याचार, लूट मार आदि होने लगे। इतने पर भी भारत सरकार ने एकाएक कदम बढ़ाना उचित न समझा और निजाम के साथ मैत्रीपूर्ण सम्बन्ध बनाये रखने का पूरा पूरा प्रयत्न किया। पर उक्त मज्जिस् की घोर साम्प्रदायिक नीति के कारण सफलता न मिल सकी। प० जवाहर लाल नेहरू ने हैदराबाद को बेताबनी देते हुए कहा था कि उसे यह सोच लेना चाहिये कि वह समय की प्रयत्न धारा के विरुद्ध खड़ा नहीं हो सकता और मध्ययुगीन सामन्तशाही शासन को बालू रखना उस स्थिति में उसके लिये विवश अवसर है, जब कि भारत के अन्य प्रांतों और राज्यों में लोग उच्चशायित्वपूर्ण शासन का उपभोग कर रहे हैं।

रजाकारों के अत्याचार और उपद्रव दिन पर दिन बढ़ते गये। वे

और उनके नेता विप्लवी पर निजाम था आसफ़शाही का झण्डा उठाने का दुःस्वप्न देखते रहे। भारत की सीमा पर भी उनके आक्रमण होने लगे भारत सरकार के खिये यह स्थिति असह्य हो गई। इस पर भारत सरकार ने हैदराबाद पर पुखित कार्रवाई करना निश्चित किया। १३ सितम्बर १९४८ ई० को भारतीय फौज ने हैदराबाद की सीमा में प्रवेश किया। हैदराबाद की सेना और रजाकारों द्वारा किया गया मुकाबला असम्भवतः निराल सिद्ध हुआ। ६ दिन की कठमकस के बाद रजाकारों और हैदराबाद की सेना ने पूर्णरूप से पराजित होकर आत्मसमर्पण कर दिया। हैदराबाद की सैनिक शक्ति के सम्बन्ध में हैदराबाद के छावकभक्षी मन्त्रिमण्डल ने प्रचार के द्वारा जो धातुक उत्पन्न कर रखा था वह कपोल-कल्पित सिद्ध हुआ। भारतीय सेना ने बहुत ही सरलता के साथ विजय प्राप्त करली।

भारत सरकार ने वहाँ का प्रबंध अपने हाथ में ले लिया और उसने मेजर जनरल जे० एन० चौधरी को वहाँ का मिजिटरी-गर्नर और श्री० डी० एस० वायले को प्रधान शासक नियुक्त किया। सैयद कासिम रिजवी, जो इन रजाकारों का नेता था और सब बुराइयों की जड़ था, गिरफ्तार कर लिया गया। इस समय वहाँ जो शासन है वह भारत सरकार की देख रेख में चलता है।

## काश्मीर

काश्मीर पर कबालियों का आक्रमण—काश्मीर और जम्मू की रियासतें, भौगोलिक दृष्टि से, भारत व पाकिस्तान की सीमाओं से मिली हुई हैं। भारत के साथ उसका सांस्कृतिक और आर्थिक सम्बन्ध अधिक रहा है। महाराजा काश्मीर ने दोनों अधिराज्यों (Dominions of India and Pakistan) के साथ मैत्रीपूर्ण सम्बन्ध रखते हुए स्वतंत्र रहने का निश्चय किया। पर इसमें उन्हें सफलता न मिली।

भारत के उत्तर पश्चिमी सीमा प्रान्त के निकटवर्ती प्रदेश के कबाय-  
खियों ने उस पर आक्रमण कर दिया। इनके इस आक्रमण से पाकिस्तान का भी  
अप्रत्यक्ष हाथ था। इन अहिंसी कबायखी आक्रमणकारियों के पास नये  
स नये इ ग के सैनिक शस्त्रास्त्र थे। पहले पहले ये काश्मीर के पूर्व जिले  
में घुसे और फिर स्पेसकोट और हजारा जिलों पर इन्होंने आक्रमण  
किया। महाराजा काश्मीर के पास इतनी फौज़ी साक्षर नहीं थी कि  
तिससे इनका सफलता पूर्वक सामना किया जा सके। इससे ये आक्रमण  
कारी घाने बढ़ते ही गये और काश्मीर की राजधानी श्रीनगर के निकट  
तक पहुँच गये। काश्मीर के डोंगरे सैनिकों ने इनका बड़ी बहादुरी  
से मुकाबला किया, पर ये सतत में बहुत कम होने के कारण आक्रमण  
कारियों का घाति रोध न कर सके। इन आक्रमणकारियों के सफल इनकी  
के कारण एक समय यह आशा होने लगी थी कि कहीं ये सारे काश्मीर  
पर छा न जायें।

महाराजा काश्मीर ने इन आक्रमणकारियों का मुकाबला करने में  
अपने आप को असमर्थ पाकर, २५ अक्टूबर १९४७ ई० को भारतीय  
सम में प्रवेश करना स्वीकार कर लिया और उन्होंने भार-  
त सरकार से यह प्रार्थना की कि वह सैनिक सहायता भेज कर काश्मीर र-  
रक्षा करे। इसी समय महाराजा ने काश्मीर की राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस  
अध्यक्ष शैल अग्रुवाल के प्रधान मन्त्रित्व में काश्मीर को उत्तरदायि  
शासन प्रदान करने की घोषणा की।

भारत सरकार ने भारत के अधिराज्य में काश्मीर का प्रवेश स्वीक-  
र लिया और साथ ही, उसने यह मन्तव्य भी स्पष्ट रूप से प्रकट  
दिया कि शान्ति और व्यवस्था कायम हो जाने पर काश्मीर की जन-  
ता मत प्रकट कर काश्मीर का राजनैतिक भविष्य निश्चित किया जाय  
हमी बीच में भारत सरकार ने महाराजा की सैनिक सहायता की धार-  
की स्वीकार कर काश्मीर प्रदेश की सुरक्षा और लोगों के जानमाल



रपा के लिये, काश्मीर की अपनी सेना भेजी। प्रारंभ में भारत सरकार को यह सेना वायुयानों द्वारा भेजनी पड़ी।

भारतीय सेना के काश्मीर पहुँचने पर उसका कमायन्डी आक्रमणकारियों के साथ डट कर मुकाबला हुआ। पाकिस्तान की सीमा काश्मीर से लगी होने के कारण उक्त कमायन्डियों को पाकिस्तान से हर प्रकार की सहायता प्राप्त करने में सुविधा होती थी। ये लोग पाकिस्तान की सीमा में जाकर आश्रय ग्रहण कर लेते थे। पाकिस्तान ने इन्हे काश्मीर में जाने के लिये खुला रास्ता दे रखा था। इस पर भारत सरकार ने पाकिस्तान सरकार से यह अनुरोध किया कि यह कमायन्डी आक्रमणकारियों को अपनी सीमा से न गुज़रने दे। ऐसा करना अन्तर्राष्ट्रीय नियम और शीर्ष के विरुद्ध है। पर पाकिस्तान सरकार ने अपनी तटस्थता की नीति बतलाते हुए इस कार्य में टालमटोल की और कमायन्डी आक्रमणकारी पाकिस्तान के रास्ते से होकर काश्मीर पर बराबर आक्रमण करते रहे।

भारतीय प्रीज ने, काश्मीर के पहाड़ी प्रदेश से अनभिज्ञ और अनम्यस्थ होते हुए भी, चढ़ी चहादुरी से इन आक्रमणकारियों का मुकाबला किया और इन्हें काश्मीर के बहुत से प्रान्तों से निकास बाहर किया। कहा जाता है कि अगर भारतीय सेना की गतिविधि हसी प्रकार चलने दी जाती और भारत सरकार सुरक्षा कौंसिल के चक्र में न पड़ती तो शगुने एक मास में ही काश्मीर इन कमायन्डियों से पूर्ण रूप से मुक्त हो गया होता और आज जिन अन्तर्राष्ट्रीय उलझनों का सामना करना पड़ा है, उनसे देश बच जाता।

कुछ भी हो, यह मामला सुरक्षा परिषद (Security Council) में रखा गया और उसने बहुत वादानुवाद के बाद यह वक्तव्य प्रकाशित किया कि जम्मू और काश्मीर में शान्ति की पुनर्स्थापना के लिये भारत और पाकिस्तान की लड़ाई बन्द करने का भारतक प्रयत्न करें। सुरक्षा

कौंसिख ने अपने ५ सदस्यों का एक कमिशन भी इस कार्य के लिये नियुक्त किया ।

कमिशन ने भारत और पाकिस्तान में दौरा किया और उसने शान्ती रचा और न्ययस्था की स्थापना तथा सर्व जनमत ग्रहण पर जोर देते हुए दोनों अधिराज्यों की सरकारों से युद्धबन्दी (Cease fire) का अनुरोध किया । भारत सरकार ने यह अनुरोध सहर्ष स्वीकार कर लिया । पर पाकिस्तान सरकार ने उस समय ऐसा करने से इन्कार कर दिया । पीछे जाकर उसे भी यह आदेश स्वीकार करना पड़ा ।

सुरक्षा परिषद् ने इस मामले में जैसा पक्षपातपूर्ण रुख स्वीकार कर रखा है, वह प्रायः सब पर प्रकट है । मामला अभी तक खटाई में पड़ा हुआ है । भारतवर्ष और आक्रमणकारियों को एक स्तर में रख कर शुद्ध अन्तर्राष्ट्रीय दृष्टि से उसने जैसा अन्याय किया है, उस पर इस समय वहां ब्रिखने की आवश्यकता नहीं ।



# महात्मा गाँधी की हत्या

विश्वभर में शोक की काली घटाएँ



हम गत पृष्ठों में महात्मा गांधी के उन व्याख्यानों और भाषणों की ओर संकेत कर चुके हैं, जो महात्मा गांधी अपनी प्रार्थनाओं के बाद दिल्ली में दिया करते थे। इन भाषणों में वे अहिंसा और विश्वप्रेम का संदेश देते हुए हिन्दू-मुस्लिम एकता पर जोर देते थे। वे लोगों को यह संदेश देते थे कि अत्याचार का बदला अत्याचार से न लो वरन् प्रेम और अहिंसा की ईश्वरीय शक्ति के द्वारा अत्याचारियों के हृदय परिवर्तन करने का प्रयत्न करो। संसार में प्रेम-साक्षात्कार स्थापित कर इसे स्वर्ग बनाने की चेष्टा करो। अत्याचार का बदला अत्याचार से लेना यह मानवता के दिव्य सिद्धान्त के विरुद्ध है। अगर मुसलमान पाकिस्तान में हिन्दुओं पर अत्याचार कर पशुता का परिचय देते हैं तो इसका यह अर्थ नहीं है कि हम यहाँ के मुसलमानों पर अत्याचार करें और अपनी पशु प्रकृति को प्रकट करें। इन्हीं भावों को लेकर महात्मा गांधी मानव प्रकृति की देवी प्रकृति में परिणत करने की चेष्टा कर रहे थे। मानवीय विकास के उच्चतम धरातल पर आसीन होकर वे विश्वबन्धुत्व और अहिंसा के महान् सिद्धान्त द्वारा जनता के आत्मिक धरातल को ऊँचा उठाने का प्रयत्न कर रहे थे।

जिस समय महात्मा गांधी भारतीय जनता को विश्व प्रेम का दिव्य संदेश दे रहे थे उस समय पाकिस्तान में गैर-मुस्लिमों पर भयकर और अमानुषिक अत्याचार गुजर रहे थे। हिन्दुओं और सिक्खों में हाहाकार मच

रहा था। ऐसे ऐसे क्रूरता और दुष्टता के कार्य हो रहे थे जिनकी कल्पना करने से भी मानवी-श्रन्त करण और विपाद के वातावरण से अन्धकार-मय हो जाता है। इन घत्याचारों की प्रतिक्रिया कहीं कहीं भारतवर्ष में भी हो रही थी। साधारण मनुष्य-प्रकृति अपने पर या अपने समाज पर किए गए अत्याचारों से विद्रुग्ण हो उठती है। क्रिया की प्रतिक्रिया होना विज्ञान और दर्शनशास्त्र का सिद्धान्त है। इस प्रतिक्रिया का प्रभाव उस समय भारतवर्ष पर भी हो रहा था। बदले की भावनाएँ उग्र रूप धारण कर रही थीं। यद्यपि महात्मा गाँधी के दिव्य सदेश से इस प्रतिक्रिया का प्रभाव कुछ थरों में निर्बल हो रहा था, पर फिर भी कई लोगों के अन्तःकरण में इसने अपना आविष्य जमा लिया था। महात्मा गाँधी के विश्व-प्रेम के सदेश उनके अन्तःकरणों को शान्त करने के बजाय विद्रुग्ण कर रहे थे। श्री वादीवाला ने अपने ग्रन्थ में लिखा है कि उस समय महात्मा गाँधी को बहुत से ऐसे पत्र मिलते थे जो क्रोधयुक्त भावों से भरे रहते थे और उनमें उनके बिये बुरी से बुरी गालियाँ लिखी रहती थीं।

कहने का भाव यह है कि महात्मा गाँधी के उपदेशों का दो विभिन्न मनोवृत्तियों पर दो प्रकार के विभिन्न प्रभाव पड़ रहे थे। एक मनोवृत्ति, जहाँ उनके उपदेशों से विश्व-प्रेम की ओर गति करती हुई सामप्र-शयिक एकाता को देश के लिए हितकर समझने लगी थी, वहाँ दूसरी मनोवृत्ति या इसका उलट अक्षर हो रहा था। यह दूसरी मनोवृत्ति महात्मा गाँधी पर सुस्खिम पक्षपात का आरोप लगाकर उनका क्रोधा रान्नी थी और उनके उपदेशों को देश के लिए अहितकर समझती थी। पाकिस्तान में होने वाली घटनाओं ने इस दूसरी मनोवृत्ति को काफी सहायता पहुँचाई।

मनोविज्ञान का नियम है कि प्रेम से प्रेम की उत्पत्ति होती है और पृथा से पृथा की। हाँ, महापुरुषों के आत्मिक सदेश पृथा को प्रेम में परि-

वर्तित कर देते हैं। पर यह बात सर्वांग मं होना सम्भव नहीं। भगवान् बुद्धदेव, महात्मा ईसा सरीखे महापुरुषों ने जहाँ संसार को बदल दिया। वहाँ उनके भी विरोधी होने के उल्लेख मिलते हैं। महात्मा गांधी के लिए भी यही बात कही जा सकती है।

महात्माजी के दिव्य उपदेशों का कुछ लोगों पर बड़ा असर हुआ था। वे महात्माजी को हिन्दू जाति का विरोधी और मुसलमानों का पक्षपाती समझन लगे थे। एमे लोगों के भी दो वर्ग थे, एक नर्म और एक उग्र। इनमें से दूसरे वर्ग के लोगों का एक-छोटा सा विशेष संगठन बना, जिसने महात्मा गांधी की हत्या का पट्यन्त्र रचा था। नाथूराम गोडसे, इसी पट्यन्त्र का मुखिया था।

परवर्ष सरदार और सरदार पटेल को अपनी सुझिया पुलिस द्वारा इस प्रकार के पट्यन्त्र का कुछ संकेत मिला था। उन्होंने महात्मा गांधी से कई बार यह अनुरोध किया कि वे प्रार्थना के समय पुलिस का प्रबन्ध रखने में आपत्ति न करें। सरदार पटेल ने महात्मा गांधी की हत्या के कुछ समय पहले भी इस बात पर जोर दिया था। पर महात्मा गांधी ने उनके अनुरोध को अस्वीकार कर दिया और प्रार्थना के समय पुलिस का रखना उन्होंने एसन्द न किया।

• सन् १९४८ की ३० जनवरी की शाम को, महात्मा गांधी दिल्ली के बिड़ला भवन के मैदान में, प्रार्थना करने के लिये, अपने निपट स्थान पर पहुँचे। उन्हीं वे प्रार्थना करने के प्लेटफॉर्म पर पहुँचे कि भुन्द में से एक युवक महात्मा गांधी की ओर बढ़ा और कहने लगा "बापू! आप को देर हो गई है" और वह इस तरह मुँहने लगा मानो वह बापू के चरणों को छूना चाहता है। पर तबसे इस समय के कार्य किया उससे विश्वभर की मानवता का अन्त कार्य दृष्ट गया। इसी समय उसने अपनी जेब से पिस्तौल निकाल कर,

बापू पर सौत नार किये ! 'बापू' 'हरे राम हरे राम' कह कर धेड़ोश  
 हाकर जमीन पर गिर पड़े ! मारा उपरिगत समाज दक्का दक्का रह गया ।  
 चारों ओर हाहाकार मच गया और लोग बापू की ओर दौबने लगे ।  
 रुड़ लीगों न, अरनी जान की परवाह न कर, हाथारे को पिस्तौल सहित  
 पकड़ लिया । लोग बापू को उठा कर बिदला भवन में ले गये । घाहर  
 लाग बापू क जायत रक्षा की भगवान से प्राथना करने लगे । बापू के  
 शिष्य प्रशिष्य और कुटुंबी शौखों में शौखु भर कर धक्कते हुए हृदय क  
 साथ बापू क शरीर क आस पास बैठ गये । चिकित्सकगण बापू को  
 बचाने की असह्य चेष्टा करने लगे । बापू के हृदय की गति अत्रिकाधिक  
 मन्द हाती गई और अन्त में बापू का पद नरवर शरीर पचतत्व को  
 प्राप्त हा गया ! उनकी आत्मा ने दिव्य लोक को प्रयाण किया । यह  
 समाचर बिदला की तरह सारी विल्ली में फैल गया और फिर सारे  
 मसार को हम समाचार न शोक और विपाद से आवृत कर दिया ।

मरदार वरजम भाई पटेल, मौजाना धन्वुल कजान भाज्जाद शोक  
 क गभौरतम भायों को लेकर बिदला भवन पहुँचे । आप शौर्यों के बाद  
 कांमियनता गया, जा कि उस समय दिरकी में थे, केबिनेट के सदस्यगण,  
 विदला समूह, महात्मा गांधी के भक्त और कुटुंबी जन तथा विशाल  
 जन समूह दसत दसत हुंटा हो गया । पं० जवाहर लाल नेहरू को  
 जहाँ यह सबर लगे त्योही उनक शरीर का परमाणु परमाणु शोक से  
 बिदल हा गया और व शाय से शीघ्र बिदला भवन पहुँच कर बापू  
 क शरीर क पास बैठ गया ।

दूसर दिन बापू का अन्वष्टि किया होन वाली थी, अतएव भारतप्रे के  
 निरन्ध्र और दूरस्थ दशों में लागों लाग अपन प्रिय बापू के शवके दर्शनों  
 क विषय दनों, माटरकारों और वायुमानों क द्वारा दिल्ली पहुँचने लगे ।

बापू का शरीर पकड़ बड़ी गाड़ी में रखा गया और वह पूजों से ढक  
 दिया गया । बापू का सुगमपचय पैसा हो प्रकाशमान दिखलाई देता था

नेवा कि यह उनकी जीवित अवस्था में भान होता था ।

## स्वर्गीय गांधी जी को श्रद्धाञ्जलियाँ

महात्मा गांधी के स्वर्गवास के समाचार से न केवल भारतवर्ष के कोने कोने में, वरन् अखिल भूमण्डल पर शोक और विपाद का घनघार वटाएँ छा गईं ! सारे संसार ने उन्हें जो श्रद्धाञ्जलियाँ अर्पित कीं, व संसार के इतिहास में अद्वितीय और अभूतपूर्व थीं। संसार का कोई कोना ऐसा न था, जिसमें इस महापुरुष की मृत्यु के ऊपर शोक न मनाया गया हो ।

महात्मा गांधी किसी देश विशिष्ट के नहीं पर संसार के महापुरुष थे । उनका विशाल हृदय अखिल मानवजाति के कल्याण और हित का प्रतीक था । उनके स्वराज्य का आदर्श अ युच्च और दिव्य था । वे चाहते थे कि भारतवर्ष स्वराज्य प्राप्त कर, संसार की दिव्य सदेश दे और मनुष्य जाति को ऊँचा उठावे । विश्वशान्ति के वे पृष्ठपोषक थे । उनके हृदय से बहने वाला आरिभक्त भरना मनुष्यजाति में शान्ति का संचार करता था । ऐसे महापुरुष की मृत्यु के ऊपर सारे संसार का शोकप्रस्त होना स्वाभाविक ही था । उनके स्वर्गवास से विश्व की ज्योति बुझ गई, यद्यपि भारतीय दर्शन के अनुसार उनकी अमर आत्मा मनुष्य जाति को अमर प्रेरणा देती रहेगी और उसके मार्ग को प्रकाशमान करता रहेगी । प० जवाहरलाल नेहरू ने उनकी मृत्यु पर अपने व्याख्यान में विपादपूर्ण हृदय से कहा था—

‘ हमारे जीवन का प्रकाश चला गया । चारों ओर अन्धकार छाया

हुआ है । मैं भी ठीक नहीं जानता कि आपसे क्या और कैसे कहूँ । हमारा प्यारा नेता, जिसे हम बापू के नाम से पुकारते थे, हमारे राष्ट्र का पिता, आज हमारे साथ नहीं है । अब हम उसे न देख सकेंगे । अब हम उसके उपदेश के लिए और उससे शान्ति पाने को उसके पास नवीच सकेंगे

इस समय श्राघात केवल मेरे लिए ही नहीं है, पूरे इस देश के लाखों करोड़ों मनुष्यों के लिए है। किसी उपदेश के द्वारा इस श्राघात के प्रभाव को कम करना आपके और मेरे लिए कठिन है।”

“मैंने कहा कि प्रकाश खला गया। पर नहीं मैं गलती पर हूँ। वृथा कि जो प्रकाश इस देश में चमक रहा था वह साधारण प्रकाश नहीं था। जिस प्रकाश ने कई वर्षों तक इस राष्ट्र को प्रकाशित किया वह प्रकाश आगे के हजारों वर्षों तक इस देश को और प्रकाशित करता रहेगा। संसार इस प्रकाश को देखेगा और संसार के अनन्तानन्त हृदयों को शान्ति देता रहेगा। यह प्रकाश तात्कालिक वर्तमान ही पर नहीं, पर सुदूर भविष्य पर अपना प्रभाव डालता रहेगा। यह एक उस जीवित और सत्य अन्तर पुरुष का प्रतिनिधित्व करता रहेगा, जिसने, हमें अविनाशी मृत्यु के दर्शन कराये, जिसने हमें भूलों से बचाया और जिसने इस पाचौन देश को स्वाधीनता प्राप्त करवाई।”

आगे चलकर अपने भाषण का अन्त करने हुए पंडित जी ने कहा कि “हमारी सबसे बड़ी प्रार्थना यह है कि हम सत्य के लिए और उस आदर्श के लिए, जिसके लिए हमारे देश का यह महापुरुष जिन्दा रहा और मां अपने आप को समर्पित करे। यही सर्वोत्कृष्ट प्रार्थना है जो हम उस महापुरुष के लिए और उसकी पवित्र स्मृति के लिये कर सकते हैं।

मरदार परेड न दुःखित हृदय से कहा - “मेरे प्यारे भाई जवाहर लाल अभी आपके सामने बाजू खुले हैं। मेरा हृदय विषाद से भर गया है। मैं आग से क्या कहूँ। मेरी जिन्दा स्तब्ध हो गई है। यह दिन शोक, शर्म और मानसिक चन्द्रिका का है। आज मैं दिन के ४ बजे गांधी जी के पास गया था और उनके पास लगभग १ घंटा तक ठहरा था। पाँच बजे उन्होंने अपनी घड़ी निकाली और मुझे स्मरण दिखाया कि उनकी प्रार्थना का समय हो गया है। वे सदा की तरह ठीक समय पर अपने प्रार्थना



करने के स्थान के लिए निकले । मैं मुश्किल से घर पहुँचा ही था कि किसी ने मुझे यह बुद्धि समाचार दिया कि प्रार्थना स्थान पर गांधी जी पर एक हिन्दू युवक ने ३ घण्टे गांधियों चलाईं । मैं तत्काल बिस्वा भवन पहुँचा और गांधी जी के पास बैठ गया । यद्यपि उनकी शक्ति उस समय पन्द्रहों चुकी थी पर उनके चेहरे पर पहिले ही तरह एक अपूर्व शान्ति क्लृप्त रह चुकी थी । उनका मुरमयद्वज दया, करुणा और समाशोचता का दर्शन दे रहा था । थोड़े समय में गांधी जी ने अपना अन्तिम स्वास लिया और उनकी जीवनयात्रा समाप्त होगई ! कुछ समय से गांधीजी एक इतार मनुष्य से दिखलाई पड़ते थे और उन्होंने आश्रित में उपवास का आध्यय प्रहृत किया था । अर्थात् होता, अगर उपवास के समय ही उनकी जीवन लीला समाप्त होगई होती, पर हमारे भाग्य में खजना और मानसिक यन्त्रणा (Agony) सुगतना लिखा था । गैर सहाह एक हिन्दू युवकने धर्म से उन पर आक्रमण करने की कोशिश की और वे हमसे बच गए । जान पड़ता है कि अतिसर उनका वक्त आगया और सर्व शक्तिमान प्रभु ने उन्हें अपने पास बुला लिया ।”

“मित्रों ! यह वक्तक्रोध करने का नहीं है । यह वक्त ऐसा है जिसमें हमें अपने हृदय-शोधन की आवश्यकता है । अगर हम इस वक्त क्रोध के वशीभूत होंगे तो इसका यह अर्थ होगा कि हम अपने प्रिय गुरु के उपदेशों को उनकी मृत्यु के बाद इतनी शीघ्रता से भूलगए । मुझे कहने दीजिए कि हमने अपने महान् गुरु के पद चिन्हों पर चलने में उनके जीवन काल ही में हिचकिचाट से काम लिया । मैं आपसे विनय पूर्वक प्रार्थना करूँगा कि आप इस समय के दिव्य पूर्ण आवेशों से बचिए । अपने गुरु के उपदेशों पर बलिये । हम लोगों के लिए सबसे कठिन परीक्षा का यह समय है । हमें अपने महान् गुरु के योग्य शिष्य होने का प्रमाण देना है । हमारे कंधों पर इस समय बड़ी जिम्मेदारी धा पड़ी है । गांधी जी शक्ति के स्तम्भ और हमारे राष्ट्र की प्रेरणा के स्रोत थे ।

उनकी मृत्यु से हम जैसे उनके निकटस्थ साथियों की ऐसी त्रवरदस्त हानि हुई है कि जिसकी पूर्ति नहीं हो सकती। गांधी जी यद्यपि चले गए हैं, पर वे हमारे हृदयों में हमेशा के लिए वास करते रहेंगे।

“यद्यपि गांधी जी का भौतिक शरीर कल दिन के ४ बजे भस्मीभूत हो जायगा, पर उनकी अविनाशी और अमर रिश्ताएँ हमारे हृदयों का हमेशा प्रकाशित करनी रहेंगी। मुझे तो ऐसा लगता है कि गांधी जी की अमर आत्मा अब भी हम पर महरा रही है और वह भविष्य में भी हमारे राष्ट्र का पथ प्रदर्शन करती रहेगी। वह पागल युवक, जिसने उनको हत्या की है, गलती करता है, अगर वह यह समझता है कि उसने उन्हें मारकर उनके महान् मिशन का अन्त कर दिया है। शायद ईश्वर को यह मालूम हो कि गांधी जी की मृत्यु के द्वारा ही उनके मिशन की पूर्ति और श्री वृद्धि हो।”

“मुझे विश्वास है कि गांधीजी के इस महान् बलिदान ने हमारे देश के लोगों की अन्तरात्मा जोगी और प्रत्येक भारतवासी के हृदय में हमसे उच्च प्रेरणा का संचार होगा। मैं आशा करता हूँ और साथ ही मैं प्रार्थना करता हूँ कि ईश्वर हमें गांधी जी का जीवनोद्देश्य पूर्ण करने की शक्ति दे। हम गम्भीर घड़ी में अपने हृदय को चक्रे विचल करने से काम न चलेगा। हम सब एक होकर खड़े रहें और बहादुरी के साथ उस राष्ट्रीय आपत्ति का सामना करें जो हम पर आ पड़ी है। हम सब फिर इस बात की प्रतिज्ञा करें कि हम गांधी जी की शिक्षाओं और आदर्शों के अनुसार अपने जीवन का चलावेंगे।

राष्ट्रीय कांग्रेस के तत्कालीन अध्यक्ष और वर्तमान राष्ट्रपति डा० राजेन्द्र प्रसाद ने गांधी जी के स्वर्गवास पर शोक व्यक्त करते हुए कहा था—

“गांधी जी का भौतिक शरीर अब हमारे बीच में नहीं है। आज उनके वे पवित्र शरण नहीं हैं, जिन्हें हम अन्धों के साथ स्पर्श करते थे।

आज इनके वे हाथ नहीं हैं जो हमारी पीठ को धपधपाते थे और आशोचर दिया करते थे। उनही आँखों जो दया और करुणा से परिपूर्ण थीं, अब हमारी ओर प्यार का सकेत न कर सकेंगी। पा त्रीना कि उन्होंने हमें सिखाया था कि शरीर नाशवान है और आत्मा अमर है। यद्यपि उनकी आत्मा ने उनके शरीर को छोड़ दिया है, पर वह हमारे प्राणों के कार्यों को बराबर देखती रहेगी। हमें उस कार्य को पूरा करना है, जिसे उन्होंने अभी छोड़ा है और हमी से हम उनकी पवित्र स्मृति का सम्मान कर सकते हैं। उनके महान् कार्य और उनका अद्वितीय भक्तिवत् उनकी स्मृति को सदा सर्वदा के लिए अमर रखने को पर्याप्त है और उनके स्मारकों को कोई आवश्यकता दिखलाई नहीं पड़ती। पर मनुष्य को अपने सतोष के लिए भी कुछ करना पड़ता है। इसलिये यह सुगम्य गया है कि वह सब रचनात्मक कार्य, जो गांधी जी की समय प्रिय वस्तु थी, पूरी शक्ति और भक्ति के साथ चलाया जाय। इसी रचनात्मक कार्यक्रम द्वारा गांधी जी का प्रेम और अहिंसा का महान् सिद्धान्त फलेगा फूलेगा और हमी कार्यक्रम को आगे बढ़ाकर हम उनकी महान् शिक्षाओं को जीवित रख सकेंगे।”

ऊपर हमने भारत के तीन प्रधान नेताओं से महात्मा गांधी को जो अद्भुत खिर्से मँट की, इनका उल्लेख किया है। भारत के नेताओं ने महात्मा गांधी की स्वर्गीय आत्मा को अद्भुत खिर्से अर्पण कर अपनी भक्ति का प्रदर्शन किया था। जिनका महात्मा गांधी के साथ मतभेद था, उन्होंने महात्मा गांधी द्वारा की गई राष्ट्र और मानवता की महान् मयाओं के प्रति अपनी अद्भुत खिर्से अर्पण की।

### विदेशों में महात्मा गांधी को अद्भुत खिर्से

ब्रिटिश सम्राट्, इंग्लैंड के प्राइमिनिस्टर, अमेरिका के राष्ट्रपति, रूस के राष्ट्रपति तथा संसार के सब राष्ट्रों के शासक, संसार के महान्

नारायण और विचारकों ने इस महान् विभूति की त्वाँस आत्मा के प्रति अत्यन्त पूज्य और श्रद्धाभाव के साथ अपनी धृद्धाजलियाँ अर्पित की थीं।

### गांधी हत्याकाण्ड का मुकदमा

जैसा कि हम ऊपर कह चुके हैं कि पार्थना के समय महात्मा गांधी की पिस्तौल द्वारा हत्या करनेवाले का नाम तान्मगम गोपसे था। यह 'हित्नुपट्ट' नामक पत्र का सम्पादक और प्रतिवार पेट एने का रहने वाला था। गोपसे की गिरफ्तारी के बाद पुलिस ने बड़ी मरगर्मा के साथ उस पट्टपत्र का पता लगाने की चेष्टा की जो महात्मा गांधी की हत्या के जिन रत्ना गया था। पुलिस ने नारायण घाटे, विष्णु शारकरकरे, मदनबाबू पडवा, शंकर किरतव्या, गोपाल, वी गोपसे, श्री विनायक साधकर, दत्तात्रेय पचुरे को इस मन्वन्ध में निरस्तार किया। इनके ऊपर मुकदमा खाने के लिए गृहविनाश श्री मिनिस्ट्री ने पचरई जन सुरदा शूनून १९४० की दस्तियाँ और ग्राहियों द्वारा के अनुसार एक प्रिंसिपल न्यायालय ता० १३ ५-१९४० को कायम किया। इस न्यायालय की जैकेँ हिल्की के लाल किले के ऊपर होन जर्गो। सरकार को घोर से मि० लो० क० इन्दरी पटवोकेट जनरल बम्बई पैरवी करने लग। प्रियुनों की धारसे मि० वी० वी० ओक मि० के० एच० मगले, मि० एन० डो० टागे, मि० बी० वनजा, मि० मनिषा, मि० एल० बी० भोपकर, मि० जगनादास मइस, मि० गतपतराय, मि० इनामदर, आदि एडवोकेट्स और वकील पैरवी का रहे थे। बहुत जल्दने जर्में तक यह मुकदमा खान के बाद प्रिंसिपल न्यायालय के जन श्री श्यामाधरण न तान्मगम गोपसे और नारायण घाटे को मृत्यु तथा अन्य अपराधियों को धपन धपने प्रजासो की सम्भीरता के परिभाषानुसार विभिन्न मजाएँ। विष्णु ककरे, गोपाल साधक, दत्तात्रेयपचुरे का साज्जम कारावास की पनीर और मदनबाबू और शंकर किरतव्या को साथ साथ

वर्ष की सजाएँ दीं। शंकर किरतव्या के लिए न्यायालय ने सजा में कमी करने की सिफारिश की। और सावरकर के विरुद्ध कोई प्रमाण मिलने से वे दोषमुक्त कर दिए गए। जज ने अपने फैसले में इसी लिए लिखा था :—

*"He is found 'not guilty' of the offences as specified in the charge, and is acquitted thereunder. He is in custody and be released forthwith unless required otherwise."*

अर्थात् चार्ज में उल्लेखित अपराध में वे (सावरकर) अपराधी नहीं पाये गए, अतएव वे मुक्त किये जाते हैं। वे अभी हिरासत में हैं और उन्हें अब छोड़ दिया जाए, अगर उनकी किसी दूसरे मामले में आवश्यकता न हो।

न्यायालय ने दिगम्बर बज्जे को सरकारी गवाह बनने के उपलक्ष में मुक्त कर दिया। अपील में स्वाखियर के दा० पचुंरे भी मुक्त कर दिए गए।



# भारत का समान-तन्त्र (Commonwealth) का सदस्य होना



इन्ही सन् १९४६ के अर्थेक म'स में लंदनमें अधिराज्यों (dominions) के प्रधान मंत्रियों की कांफ्रेंस हुई। इसमें भारत के प्रधान मंत्री प० जवाहर लाल नेहरू भी शामिल हुए। बहुत वादानुवाद के बाद उन्होंने भारत क सर्वोच्च मताधारो स्वतन्त्र जन-तन्त्र (Sovereign independent Republic) घोषित करते हुए, राष्ट्रों के समान तन्त्र की (Commonwealth of Nations) सदस्यता स्वीकार की। इस सम्बन्ध में भारत सरकार की ओर से जो विज्ञप्ति प्रकाशित हुई, उसमें लिखा था—

“The Government of India have declared and affirmed India's desire to continue her full membership of the Commonwealth of Nations and her acceptance of the King as the symbol of the free association of its independent member nations and as such the head of the Commonwealth.”

इसका अर्थ है—“भारत सरकार ने राष्ट्रों के समान तन्त्र की सदस्यता की पक्ष में और सम्राट् का स्वतन्त्र राष्ट्रों की स्वतन्त्र परिषद् (Association) का प्रतीक और प्रधान (Head) स्वीकार करने की बात का हृदय से घोषित और परिपुष्ट किया है।”

भारत सरकार के इस कार्य की दृष्टि में, अनुकूल और प्रतिवृद्ध आलोचनाएँ हुईं । उपरोक्त न (Leftists) इसकी कहीं समालोचना की । श्री पामदत्त ने अपने 'India to day' नामक ग्रन्थ में लिखा था—

“With this London Declaration subsequently ratified by the Indian Assembly, India was formally linked with the camp of Anglo American imperialism ”

“अर्थात् लंदन की घोषणा और भारतीय व्यवस्थापिका सभा द्वारा उसके अनुमोदन के कारण भारत एङ्ग्लो अमेरिकन साम्राज्यवाद के शिविर से सम्बन्धित हो गया है ।”

इसके ही कॉंग्रेस-सरकार के भूतपूर्व गृह मंत्री तथा भारत सरकार के वर्तमान कृषि मंत्री श्री के० एम० सुशी ने ईस्वी सन् १९४७ के १२ नवम्बर को “भारत और सत्तार की राजनीति” पर व्याख्यान दत्त हुए कहा था —

‘As to international alignment, Britain, whatever our memories of her past rule, has been, is a staunch friend. We are tied to her by bonds of over a century of close association. The U. S. A. the great democracy is the world’s unquestionable leader at the moment. Even the future of the U. N. O. is in her hands. It can help to build a powerful world federation of free nations only in close association with the U. S. A. In such association with Britain and the U. S. A. only will India find the strength she wants ’

‘अर्थात्, तहाँ तक अंतरराष्ट्रीय पक्षिकरण का सम्बन्ध है, ब्रिटेन हमारा पक्का मित्र रहा है और है, चाहे फिर उसके भूतकालीन शासन का सम्बन्ध में हमारी कैसी ही स्मृतियाँ रहा हों। हम एक रातपट्टी से उतर उसके निकटवर्ती साइबर्य में रहे हैं। अमेरिका का संयुक्त राष्ट्र एक महान् प्रजातन्त्र है और यह इस समय सत्ता का निःसन्देह नवा है। यू० एन० धा० का भविष्य भी उसके साथ में है। यह स्वतंत्र राष्ट्रों का शक्तिशाली सत्ता सघ अमेरिका के संयुक्त प्रदेश के निकट सहयोग ही से बन सकता है। भारतवर्ष, ब्रिटेन और अमेरिका के संयुक्त प्रदेश के साथ रहकर ही वह शक्ति प्राप्त कर सकता है, जिसे वह चाहता है”।

इसने ऊपर भारत के ब्रिटिश समान-तन्त्र में शामिल होने के पक्ष और विपक्ष में होने वाले आलोचनाओं के दो उदाहरण दिए हैं। इससे पाठकों को, दोनों प्रकार की मत धाराओं का परिचय हो, जायगा।

## भारत सर्वोच्चसत्ताधारी स्वतंत्र जन-तंत्र।

(Independent Sovereign Republic)

जैसा कि हम किसी पूर्व अध्याय में कह चुके हैं, सन् १९४६ ई० में कबिनेट मिशन की योजनानुसार, संविधान सभा संगठित की गई थी। पर, इस समय यह सर्वोच्चसत्ताधारी सत्ता (Sovereign Body) नहीं थी। उसके अधिकार सीमित थे। सन् १९४७ ई० के स्वतंत्रता अधिनियम (Independence Act) ने इसे सर्वोच्च-सत्ता समर्पित की। संविधान सभा ने भारत का संविधान बनाने के जो उद्देश्य रखे, उसके सम्बन्ध में ए० जवाहरलाल नेहरू ने जो प्रस्ताव रखा, उसकी प्रथम धारा यह है—

1 ‘This Constituent Assembly declares its firm



and solemn resolve to proclaim India as an Independent Sovereign Republic and to draw up for her future Government a Constitution;

अर्थात् यह संविधान सभा भारत को सर्वोच्चसत्ताधारी स्वतंत्र जनतंत्र घोषित करने तथा उसके शासन के लिये संविधान बनाने का यह और पवित्र संकल्प करती है।”

इसी उद्देश्य को लेकर, संविधान सभा ने वैधानिक, समस्याओं के विभिन्न पहलुओं पर विचार करने के लिये विभिन्न कमिटियों का (Committees) निर्माण किया। इन कमिटियों ने अपनी अपनी रिपोर्ट्स पेश कीं, जिनके आधार पर, संविधान का मसविदा बनाने का निश्चय हुआ। मसविदा बनाने वाली कमिटी (Drafting Committee) २६ अगस्त १९४७ ई० के संविधान सभा के प्रस्तावानुसार बनाई गई। उसे यह काम सौंपा गया कि वह विभिन्न कमिटियों द्वारा प्राप्त रिपोर्टों के आधार पर अन्तिम मसविदा तैयार करे। यह मसविदा तैयार किया गया और संविधान सभा के सदस्यों ने इसमें कुछ संशोधन और परिवर्तन किये।

२६ नवम्बर १९४९ ई० को उक्त संविधान मसविदा संशोधित हो कर संविधान सभा द्वारा अन्तिम रूप से पास होकर भारतीय संविधान के रूप में परिणत हो गया। २६ जनवरी १९५० ई० को उक्त भारतीय संविधान के अनुसार आज भारत सर्वोच्च सत्ताधारी स्वतंत्र जनतंत्र के रूप में अपना अस्तित्व रखता है और संसार के स्वतंत्र राष्ट्रों में इस महान् राष्ट्र का एक विशिष्ट राष्ट्र हो गया है।

२६ जनवरी १९५० ई० को भारत के तत्कालीन गवर्नर जनरल श्री० सी० राजगोपालाचार्य ने अपने पद से अवसर ग्रहण किया और उनके स्थान पर भारत के सर्वे हुए नेता डा० राजेन्द्रप्रसाद इस महान्

जनतन्त्र के प्रथम राष्ट्रपति ( President ) के सर्वोच्च पद पर प्राप्ति किये गये । इस समाचार से सारे देश में बड़ी प्रसन्नता हुई और अपने एक प्रिय और महान् नेता को राष्ट्र के सर्वोच्च पद पर प्रतिष्ठित होता हुआ देख कर भारतीय जनता को अत्यन्त सन्तोष हुआ । डा० राजेन्द्र प्रसाद सर्व प्रिय नेता और अजातशत्रु हैं । उनका सारा जीवन देश की माहान् सेवाओं में बीता है और उनकी विनयशीलता अनुकरणीय है ।

